April to June 2024
E-Journal
Volume I, Issue XLVI

RNI No. – MPHIN/2013/60638
ISSN 2320-8767, E-ISSN 2394-3793
Scientific Journal Impact Factor -8.054
ISO 9001:2015 (QMS) : E2024049304
(Quality Management Systems)

Naveen Shodh Sansar

(An International Refereed/ Peer Review Research Journal)

नवीन शोध संसार

Editor - Ashish Narayan Sharma

Office Add. "Shree Shyam Bhawan", 795, Vikas Nagar Extension 14/2, **NEEMUCH** (M.P.) 458441, (INDIA)
Mob. 09617239102, **Email** : nssresearchjournal@gmail.com, **Website** www.nssresearchjournal.com

Index

01. Index 02

02. Regional Editor Board / Editorial Advisory Board 08/09

03. Referee Board 10

04. Spokesperson 12

05. MP Startup Policy 2022: A Roadmap To Self-Reliant (Dr. Pawan Pushpad) 14

16. Human Resources Policy and Practices in the Hospitality Industry: A Review (Ankita Sulya) 18

07. An Economic Study on Happiness Index and Gross Domestic Product 22
(Dr. Vibha Vasudeo, Ms. Shilpa Chouksey)

08. Religious and Medicinal Importance of some *Ficus* species (Dinisha Malviya) 27

09. A Step Towards Sustainable Development Through Effective E-waste Management 29
(Dr. Khatoon Aftab Kathawala)

10. Emerging Technologies in Cyber Security- How Best to Protect us from Cyber Threats 33
(Sudhish Kumar)

11. शिक्षा में मनोविज्ञान की आधारभूत भूमिका (श्रीमती कविता रामाणी, श्रीमती संध्या पाटिल) 37

12. ई-कॉमर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (श्रीमती वंदना मेघवाल, डॉ. साक्षी चौहान) 40

13. From Myth to Modernity: Sita's Evolution in Amish Tripathi's *Sita: Warrior of Mithila* 43
(Preeti Kaur, Dr. O.P. Tiwari)

14. Reason for Migration in the Malwa Region (Vandana Sen, Dr. Naresh Kumar Patel) 46

15. आदर्श की प्रतिमूर्ति राम (यशवंत काछी, डॉ. राजेंद्र सिंह) 51

16. विकसित भारत के निर्माण में भारतीय भाषाओं की भूमिका (यथार्थ से आदर्श की ओर) 55
(डॉ. राजेंद्र सिंह, गौरव गौतम)

17. भारत में इंटरनेट शटडाउन का मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के रूप में विश्लेषात्मक अध्ययन 57
(विजय लक्ष्मी जोशी)

18. उत्तराखण्ड के माध्यम से भारत-नेपाल सीमा पर संचालित अनौपचारिक और औपचारिक व्यापार में महिलाओं .. 60
की भागीदारी का अध्ययन (शान्ति, डॉ. अभिषेक कुमार पंत)

19. कृषकों की विभिन्न स्थितियों का अध्ययन (राजगढ़ एवं विदिशा के विशेष संदर्भ में) 65
(मुकेश शाक्यवार, डॉ. सुनील आडवानी, डॉ. वर्षा रानी मेहतो)

20. IFRS Implementation in INDIA: Opportunities and Challenges (Dr. Neha Bhanadari (Nahar) 72

21. Poultry Keeping Cost Benefit Analysis Special Reference To Udaipur District (Dr. Shoaib Khan) 76

22. The Adoption of International Financial Reporting Standards (IFRS) in India: Benefits, ... 80
Challenges and Nuances (Dr. Neha Bhanadari (Nahar)

23. सामाजिक सरोकार : मीडिया की दशा और दिशा (डॉ. राम सिंह सैन) 83

24. The Role of G20 in Supporting Afghanistan's Economic Development And Reconstruction 86
(Anil Malviya)

25. पर्यावरण संरक्षण की चुनौतिया: गाँधीय विकल्प (गोपाल सिंह) 89

26. A Study on the Use of Electronic Equipment and Its Applications in the Transportation Industry (Dr. Yogendra Singh Thakur, Dr. Rishi Sharma) 92

27. A Study on Data Science and Its Benefits for Supply Chain Management (Dr. Yogendra Singh Thakur, Dr. Dharmesh Jain) 96

28. A Comprehensive Analysis of Food Grain Security in the Warehousing Sector (Dr. Yogendra Singh Thakur) 100

29. A Study of IoT, Industry 4.0, and the Benefits of Big Data Science in Supply Chain Management (Dr. Yogendra Singh Thakur) 103

30. NGOs in India: Roles, Impacts, and Future Directions in Socio-Economic Development (Bhupendra Tank) 106

31. संस्कृत साहित्य में गद्य का उद्‌भव विकास, गद्यकार व रचनाएं (मुकेश दायमा) 108

32. झुंझुनूं जिले में कृषि भूमि उपयोग प्रतिरुप में परिवर्तन : एक भौगोलिक विश्लेषण (डॉ. सुमन कुमार) 114

33. India and Climate Diplomacy (Pallavi Sharma) 119

34. INDIA-US : Relations in the Present Changing World Order (Pallavi Sharma) 121

35. Agriculture Marketing Schemes In India (Dr. Archana Singhal) 123

36. A Study on Mental Health in Relation to Emotional Intelligence of College Students with Visual Impairment and Normal Vision (Dr. Kuldeep Singh Tomar, Dr. Anil Kumar Verma) 126

37. भारत में दल-बदल के परिप्रेक्ष्य में विधानसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष एवं न्यायपालिका की भुमिका का अध्ययन (हर्षित मण्डलोई) 130

38. Satisfaction Status in Private Banks in Ujjain District (Lakshya Malviya, Dr. L. N. Sharma, Dr. Mahesh Sharma) 134

39. खादी और चरखा आर्थिक पहिए (कमलेश कुमार नाथ) 137

40. पर्यावरण संरक्षण में व्यवसाय की भूमिका (प्रवीण कुमार सोनी) 140

41. Public Trust in Government Institutions (Dimple Verma) 143

42. मेवाड़ के आवासीय दुर्ग का स्थापत्य और क्रमिक विकास (खुशबू गायरी) 147

43. राजस्थान की ठीकरी कला का ऐतिहासिक अध्ययन एवं संरक्षण (खुशबु झाला) 151

44. Impact of International Law on A Nation’s Politics in Modern Era (Piyush Chowhan) 155

45. भारतीय कानूनो के परिपेक्ष्य मे समलैंगिक विवाह का एक विश्लेणात्मक अध्ययन (प्रो. विनोद तिवारी, डॉ. फेमिनाज अख्तर खान) 159

46. पीड़ितों को मिलने वाले मुआवजे में आपराधिक न्याय प्रशासन की भूमिका (डॉ. जयश्री तिवारी) 162

47. भर्ती व चयन एक ही प्रक्रिया के दो चरण (डॉ. एस के शर्मा, अभिनंदिता शर्मा) 167

48. जिनिंग उद्योगो में महिलाओं का स्वास्थ एवं महिलाओं के लिए स्वास्थ्य योजनाएँ (डॉ. जी.एस.चौहान, अनिता किराडे) 170

48. कर्मचारी प्रतिधारण : एक सामाजिक-आर्थिक विवेचन (साक्षी शर्मा, डॉ. अक्षिता तिवारी) 172

49. केदारनाथ अग्रवाल के काव्य में प्रकृति-चित्रण (डॉ. ज्योति सिंह, शिवऔतार) 176

50. A Brief Study of Environment Friendly Chemicals Green Chemistry (Mrs. Parul Singh) 179

51. शिवार्य कृत ‘भगवती आराधना’ में समाज व संस्कृति की झलक (रुचि जैन, डॉ. सत्यप्रकाश पाण्डे, डॉ. संगीता मेहता)... 182

52. हिन्दी साहित्यकार और स्त्री विमर्श (डॉ. बबीता यादव) 187

53. Woman As A Scapegoat in Vijay Tendulkar's Silence ! The Court is in Session 189
(Deepank Ahari)

54. Exploring the Synergy Between Digitalization, TQM and Sustainability in Pharmaceutical 192
Companies (Dr. Shankar Choudhary, Dr. G.C. Khimesra, Neha Shrivastav)

55. भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महिला उद्यमियों की भूमिका (स्वप्निल चौहान) 198

56. भारत में पंचायती राज का उद्गम (कृष्णा राजावत) 201

57. चाय उत्पादन की मूलभूत जानकारी एवं तरीके (जशपुर जिले के विशेष संदर्भ में) 203
(डॉ.एस.के.शर्मा , गुलशन केरकेट्टा)

58. Acute and Chronic Effect of Pursuit on Protein Contents in Liver and Kidney of Fingerlings 207
of *Tilapia mossambica* (Kamlesh Ahirwar, Romsha Singh)

59. The Impact of Digital Transformation on Business Administration: Opportunities and 209
Challenges (Mohd. Abdul Ahad Qureshi)

60. प्लास्टिक मुद्रा का युवाओं पर प्रभाव – एक अध्ययन (म.प्र. के इंदौर जिले के विशेष संदर्भ में) 213
(डॉ. कुशल जैन कोठरी, आकांक्षा सिंह)

61. पर्यटन के संदर्भ में मैनपाट का भौगोलिक विश्लेषण (डॉ.के.सी गुप्ता) 219

62. आधुनिक कृषि का पर्यावरण पर प्रभाव : झाबुआ जिले के विशेष सन्दर्भ में 221
(राधुसिंह भूरिया, डॉ. आर.आर. गोरास्या)

63. आधुनिक समाज में पुस्तकालयों एवं सूचना केन्द्रों की भूमिका: एक अध्ययन 223
(डॉ. अजीत कुमार साहू, शशि प्रभा साहू)

64. जनजातीय समाज के लोकगीतों में सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का अध्ययन (शहडोल संभाग के विशेष संदर्भ में).... 226
(अमित सिंह भदौरिया)

65. हाड़ौती सर्किट में पर्यटन विकास : कोटा जिले का एक अध्ययन (डॉ. अंजना जाटव) 230

66. स्वर्ण ऋण योजना के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक की भूमिका (राधा पासी, डॉ.अशोक सोनी) 234

67. Judicial Independence and Public Perception under Article 21 of the Indian Constitution 237
(Deepti Ukas, Dr. Neelesh Sharma)

68. धर्म नैतिकता और गांधी दर्शन (डॉ. नितीश ओबेराइन) 245

69. Self Efficacy And Attitude Of B. Ed Students Towards Online Learning 247
(Dr. Samina, Dr. Manorama Mathur, Ms. Khushboo Mathur)

70. देवास जिले के विद्यालयों में अध्ययनरत् मधुमेह से ग्रसित विद्यार्थियों की सृजनात्मकता एवं उपलब्धि 252
स्तर पर प्रभाव का विश्लेषणात्मक अध्ययन (पियूषा आशापुरे, डॉ. अनुराधा सुपेकर)

71. भारतीय नारी की दशा और दिशा (बद्रीलाल डाबी, डॉ. गुलाबसिंह डावर, डॉ. शैलेन्द्र कुमार शर्मा) 256

72. Pride and Prejudice Adaptations: A Comparative Study (Prof. Swati Sharma) 258

73. भारतीय लोक साहित्य (गढ़वाली, बुन्देली, हरियानी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मालवी, निमाड़ी, राजस्थानी) 262
(डॉ. रमेशकुमार टण्डन)

74. मुलायम सिंह यादव की केंद्रीय राजनीति में भूमिका (डॉ. लोकेश कुमार शर्मा) 265

75. कृषि तकनीकी के बदलते आयाम (डॉ. गोरा मुवेल) 268

76. भारत में वनों की कटाई : एक अध्ययन (डॉ. दिनेश कुमार कठुतिया) 271

77. रामनगर (मण्डला) का स्थापत्य (गोंड राजवंश के संदर्भ में) (महेन्द्र सिंह उइके) 273

78. शिक्षक-शिक्षा का पुनरूद्धार : शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रम की भूमिका (केशव लाल गुप्ता) 276

79. Reasoning and Mysticism in Amitav Ghosh's : The Calcutta Chromosome (Prasoon Soni) 279

80. The Concept of Social Change and State Intervention in India 283
(Rajendra Mishra, Dr. Sajad Ahmad Dar)

81. वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संभावित प्रभाव-एक आकलन (वैभव कुमार सोनी) 286

82. A Critical Study Of Sylvia Plath's "The Bell Jar' (Rajendra Mishra) 289

83. जनजातियों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक परम्पराओं पर आर्थिक विकास का प्रभाव 293
(दक्षिणी राजस्थान के विशेष संदर्भ में) (डॉ. निशा शर्मा)

84. A Synopsis Study of Dress & Ornaments of the Rana Dynasty of Nepal (Dr. Poonam R L Rana) 296

85. Effects of Pesticides on Environment (Dr. Manju Meena) 303

86. मध्यप्रदेश में सामुदायिक पुलिस प्रणाली की दिशा में उठाए गए महत्त्वपूर्ण कदम (पूजा सेंगर, डॉ. कनिया मेड़ा) 306

87. जनजाति क्षेत्र में शैक्षिक पर्यवेक्षण सम्बन्धित चुनौतियाँ (बांसवाड़ा जिले के संदर्भ में एक अध्ययन) 310
(डॉ. हरीश कुमार मेनारिया, मनीषा आमेटा)

88. ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि के बदलते स्वरूप का प्रभाव : कटनी जिले का भौगोलिकअध्ययन 313
(डॉ. मोहन निमोले, दशरथ प्रसाद)

89. भारतीय राजनीति में स्त्रियों की स्थिति (डॉ. डी.के.वर्मा) 316

90. आपराधियों का सामाजिक प्रभाव और गठन : भारतीय परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण विश्लेषण (रिचा अग्रवाल)..... 320

91. Biocultural Conservation of Plants Through the Lens of Tribal Knowledge in India 330
(Dr. Ragini Sikarwar)

92. Hyperaccumulator Plants for Cleaning Contaminated Soils and Water (Dr. Ragini Sikarwar) 333

93. The Trojan War Unearthed: An Exploration of Literary Sources and Archaeological 336
Discoveries (Dr. Purwa Kanoongo, Ms. Mariya Attar)

94. Kavita Kane and Her Feminist Retelling (Dr. Purwa Kanoongo, Ms. Saloni Tiwari) 339

95. A Study of Strategic Human Resource Management Practices in Retail Sector of Bhopal 342
Division (Sawood Mansoori, Prof. (Dr.) Rakesh Tiwari)

96. मध्यप्रदेश में युवाओं की राजनीतिक भागीदारी पर एक अध्ययन: प्रवृत्तियाँ, प्रेरणाएँ और प्रभाव (कैलाश मेड़ा) 350

97. हिन्दी साहित्य में जीवन मूल्य का महत्व(मनोज कुमार सरगड़ा) 355

98. ग्वालियर शहर के महाविद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र एवं छात्राओं के पोषण स्तर पर आयु का प्रभाव........ 359
ज्ञात करना (सुजाता भदौरिया, डॉ. मंजू दुबे)

Regional Editor Board - International & National

1. Dr. Manisha Thakur - Fulton College, Arizona State University, America.
2. Mr. Ashok Kumar - Employbility Operations Manager, Action Training Centre Ltd. London, U.K.
3. Ass. Prof. Beciu Silviu - Vice Dean (Management) Agriculture & Rural Development, UASVM, Bucharest, Romania.
4. Mr. Khgendra Prasad Subedi - Senior Psychologist, Public Service Commission, Central Office, Anamnagar, Kathmandu, Nepal.
5. Prof. Dr. G.C. Khimesara - Former Principal, Govt. PG College, Mandsaur (M.P.) India
6. Prof. Dr. Pramod Kr. Raghav - Research Guide, Jyoti Vidhyapeeth Women University, Jaipur (Raj.) India
7. Prof. Dr. Anoop Vyas - Former Dean, Commerce, Devi Ahilya University, Indore (India) India
8. Prof. Dr. P.P. Pandey - Dean, Commerce, Avadesh Pratapsingh University, Rewa (M.P.) India
9. Prof. Dr. Sanjay Bhayani - HOD, Business Management Deptt., Saurashtra University, Rajkot (Guj.) India
10. Prof. Dr. Pratap Rao Kadam - HOD, Commerce, Govt. Girls PG College, Khandwa (M.P.) India
11. Prof. Dr. B.S. Jhare - Professor, Commerce Deptt., Shri Shivaji College, Akola (Mh.) India
12. Prof. Dr. Sanjay Khare - Prof., Sociology, Govt. Auto. Girls PG Excellence College, Sagar (M.P.) India
13. Prof. Dr. R.P. Upadhayay - Exam Controller, Govt. Kamlaraje Girls Auto. PG College, Gwalior (M.P.) India
14. Prof. Dr. Pradeep Kr. Sharma - Professor, Govt. Hamidia Arts & Commerce College, Bhopal (M.P.) India
15. Prof. Akhilesh Jadhav - Prof., Physics, Govt. J. Yoganandan Chattisgarh College, Raipur (C.G.) India
16. Prof. Dr. Kamal Jain - Prof., Commerce, Govt. PG College, Khargone (M.P.) India
17. Prof. Dr. D.L. Khadse - Prof., Commerce, Dhanvate National College, Nagpur (Maharastra) India
18. Prof. Dr.Vandna Jain - Prof., Hindi, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.) India
19. Prof. Dr. Hardayal Ahirwar - Prof.,Economics, Govt. PG College, Shahdol (M.P.) India
20. Prof. Dr. Sharda Trivedi - Retd. Professor, Home Science, Indore (M.P.) India
21. Prof. Dr. Usha Shrivastav - HOD, Hindi Deptt., Acharya Institute of Graduate Study, Soldevanali, Bengaluru (Karnataka) India
22. Prof. Dr. G. P. Dawre - Professor, Commerce, Govt. College, Badwah (M.P.) India
23. Prof. Dr. H.K. Chouarsiya - Prof., Botany, T.N.V. College, Bhagalpur (Bihar) India
24. Prof. Dr. Vivek Patel - Prof., Commerce, Govt. College, Kotma, Distt., Anooppur (M.P.) India
25. Prof. Dr. Dinesh Kr. Chaudhary - Prof., Commerce, Rajmata Sindhiya Govt. Girls College, Chhindwara (M.P.) India
26. Prof. Dr. P.K. Mishra - Prof., Zoological, Govt. PG College, Betul (M.P.) India
27. Prof. Dr. Jitendra K. Sharma - Prof., Commerce, Maharishi Dayanand Uni. Centre, Palwal (Haryana) India
28. Prof. Dr. R. K. Gautam - Prof., Govt. Manjkuwar Bai Arts & Commerce College, Jabalpur (M.P.) India
29. Prof. Dr. Gayatri Vajpai - Professor, Hindi, Govt. Maharaja Autonomus College, Chhattarpur (M.P.) India
30. Prof. Dr. Avinash Shendare - HOD, Pragati Arts & Commerce College, Dombivali, Mumbai (Mh.) India
31. Prof. Dr. J.C. Mehta - Fr. HOD, Research Centre, Commerce, Devi Ahilya Uni., Indore (M.P.) India
32. Prof. Dr. B.S. Makkad - HOD, Research Centre Commerce, Vikram University, Ujjain (M.P.) India
33. Prof. Dr. P.P. Mishra - HOD, Maths, Chattrasal Govt. PG College, Panna (M.P.) India
34. Prof. Dr. Sunil Kumar Sikarwar - Professor, Chemistry, Govt. PG College, Jhabua (M.P.) India
35. Prof. Dr. K.L. Sahu - Professor, History, Govt. PG College, Narsinghpur (M.P.) India
36. Prof. Dr. Malini Johnson - Professor, Botany, Govt. PG College, Mahu (M.P.) India
37. Prof. Dr. Ravi Gaur - Asso. Professor, Mathematics, Gujarat University, Ahmedabad (Gujarat) India
38. Prof. Dr. Vishal Purohit - M.L.B. Govt. Girls PG College, Kila Miadan, Indore (M.P.) India

Editorial Advisory Board, INDIA

1. Prof. Dr. Narendra Shrivastav - Scientist , ISRO, Bengaluru (Karnataka) India
2. Prof. Dr. Aditya Lunawat - Director, Swami Vivekanand Career Guidance deptt. M.P. Higher Education, M.P. Govt., Bhopal (M.P.) India
3. Prof. Dr. Sanjay Jain - O.S.D., Additional Director Office, Bhopal (M.P.) India
4. Prof. Dr S.K. Joshi - Former Principal, Govt. Arts & Science College, Ratlam (M.P.) India
5. Prof. Dr. J.P.N. Pandey - Fr. Principal, Govt. Auto.Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.) India
6. Prof. Dr. Sumitra Waskel - Principal, Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.) India
7. Prof. Dr. P.R. Chandelkar - Principal, Govt. Girls P.G. College, Chhindwara (M.P.) India
8. Prof. Dr. Mangal Mishra - Principal, Shri Cloth Market, Girls Commerce College, Indore (M.P.) India
9. Prof. Dr. R.K. Bhatt - Former Principal, Govt. Girls College, Narsinghpur (M.P.) India
10. Prof. Dr. Ashok Verma - Former HOD, Commerce (Dean) Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
11. Prof. Dr. Rakesh Dhand - HOD, Student Welfare Deptt., Vikram University, Ujjain (M.P.) India
12. Prof. Dr. Anil Shivani - HOD, Commerce /Management, Govt. Hamidiya Arts And Commerce Degree College, Bhopal (M.P.) India
13. Prof. Dr. PadamSingh Patel - HOD, Commerce Deptt., Govt. College, Mahidpur (M.P.) India
14. Prof. Dr. Manju Dubey - HOD (Dean), Home Science Deptt. Jiwaji University, Gwalior (M.P.) India
15. Prof. Dr. A.K. Choudhary - Professor, Psychology, Govt. Meera Girls College, Udiapur (Raj.) India
16. Prof. Dr. T. M. Khan - Principal, Govt. College, Dhamnod, Distt. Dhar (M.P.) India
17. Prof. Dr. Pradeep Singh Rao - Principal, Govt. College, Sailana, Distt. Ratlam (M.P.) India
18. Prof. Dr. K.K. Shrivastava - Professor, Eco., Vijaya Raje Govt. Girls P.G. College, Gwalior (M.P.) India
19. Prof. Dr. Kanta Alawa - Professor, Pol. Sci., S.B.N.Govt. P.G. College, Badwani (M.P.) India
20. Prof. Dr. S.C. Jain - Professor, Commerce, Govt. P.G. College, Jhabua (M.P.) India
21. Prof. Dr. Kishan Yadav - Asso. Professor, Research Centre Bundelkhand College, Jhasi (U.P.) India
22. Prof. Dr. B.R. Nalwaya - Chairman,Commerce Deptt.,Vikram University, Ujjain (M.P.) India
23. Prof. Dr. Purshottam Gautam - Dean, Commerce Deptt.,Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
24. Prof. Dr. Natwarlal Gupta - HOD, Commerce Deptt.,Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
25. Prof. Dr. S.C. Mehta - Former, Professor/HOD, Govt. Bhagat Singh P.G. College, Jaora (M.P.) India
26. Prof. Dr. A. K. Pandey - HOD, Economics Deptt., Govt. Girls College, Satna (M.P.)

Referee Board

Maths	-	(1)	Prof. Dr. V.K. Gupta, Director Vedic Maths - Research Centre, Ujjain (M.P.)
Physics	-	(1)	Prof. Dr. R.C. Dixit, Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Neeraj Dubey, Govt. Arts & Commerce College, Sagar (M.P.)
Computer Science	-	(1)	Prof. Dr. Umesh Kr. Singh, HOD, Computer Study Centre, Vikram University, Ujjain (M.P.)
Chemistry	-	(1)	Prof. Dr. Manmeet Kaur Makkad, Govt. Kalidas Girls College,Ujjain (M.P.)
Botany	-	(1)	Prof. Dr. Suchita Jain, Govt. Girls P.G. College, Kota (Raj.)
		(2)	Prof. Dr. Akhilesh Aayachi, Govt. Adarsh Science College, Jabalpur (M.P.)
		(3)	Prof. Dr. Jolly Garg,HOD, D.A.K. P.G. College, Moradabad (U.P.)
Life Science	-	(1)	Prof. Dr. Manjulata Sharma, M.S.J. Govt. College, Bharatpur (Raj.)
	-	(2)	Prof. Dr. Amrita Khatri, Mata Jijabai Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
Statitics	-	(1)	Prof. Dr. Ramesh Pandya, Govt. Arts - Commerce College, Ratlam (M.P.)
Military Science	-	(1)	Prof. Dr. Kailash Tyagi, Govt. Motilal Science College, Bhopal (M.P.)
Biology	-	(1)	Dr. Kanchan Dhingara, Govt. M.H. Home Science College, Jabalpur (M.P.)
Geology	-	(1)	Prof. Dr. R.S. Raghuvanshi, Govt. Motilal Science College, Bhopal (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Suyesh Kumar, Govt. Adarsh College, Gwalior (M.P.)
Medical Science	-	(1)	Dr.H.G. Varudhkar, R.D. Gardi Medical College, Ujjain (M.P.)
Microbiology Sci.	-	(1)	Anurag D. Zaveri, Biocare Research (I) Pvt. Ltd., Ahmedabad (Gujarat)

***** Commerce *****

Commerece	-	(1)	Prof. Dr. P.K. Jain, Govt. Hamidia College, Bhopal (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Shailendra Bharal, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
		(3)	Prof. Dr. Laxman Parwal, Govt. Commerce College, Ratlam (M.P.)
		(4)	Prof. Naresh Kumar, NSCBM Govt. College, Hamirpur (H.P.)

***** Management *****

Management	-	(1)	Prof. Dr. Anand Tiwari, Govt. Autonomus PG Girls Excellence College, Sagar (M.P.)
Human Resources	-	(1)	Prof. Dr. Harwinder Soni, Pacific Business School, Udaipur (Raj.)
Business Admin.	-	(1)	Prof. Dr. Kapildev Sharma, Govt. Girls P.G. College, Kota (Raj.)
		(2)	Dr. Kuldeep Agnihotri, Modern Group of Institutions, Indore (M.P.)

***** Law *****

Law	-	(1)	Prof. Dr. S.N. Sharma, Principal, Govt. Madhav Law College, Ujjain (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Narendra Kumar Jain, Principal, Shri Jawaharlal Nehru PG Law College, Mandsaur (M.P.)
		(3)	Prof. Lok Narayan Mishra, Govt. Law College, Rewa (M.P.)
		(4)	Dr. Bijay Kumar Yadav, Om Sterling Global University, Hisar (Haryana)

***** Arts *****

Economics	-	(1)	Prof. Dr. P.C. Ranka, Sri Sitaram Jaju Govt. Girls P.G. College, Neemuch (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. J.P. Mishra, Govt. Maharaja Autonomus College, Chhattarpur (M.P.)
		(3)	Prof. Dr. Anjana Jain, M.L.B. Govt. Girls P.G. College, Kila Maidan, Indore (M.P.)
		(4)	Prof. Rakesh Kumar Gupta, Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur (C.G.)
Political Science	-	(1)	Prof. Dr. Ravindra Sohoni, Govt. P.G. College, Mandsaur (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Anil Jain, Govt. Girls College, Ratlam (M.P.)
		(3)	Prof. Dr. Sulekha Mishra, Mankuwar Bai Govt. Arts & Commerce College, Jabalpur (M.P.)
Philosophy	-	(1)	Prof. Dr. Hemant Namdev, Govt. Madhav Arts, Commerce & Law College, Ujjain (M.P.)
Sociology	-	(1)	Prof. Dr. Uma Lavania, Govt. Girls College, Bina (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. H.L. Phulvare, Govt. P.G. College, Dhar (M.P.)
		(3)	Prof. Dr. Indira Burman, Govt. Home Science College, Hoshangabad (M.P.)

Hindi -	(1)	**Prof. Dr. Vandana Agnihotri, Chairperson, Devi Ahilya University, Indore (M.P.)**
	(2)	**Prof. Dr. Kala Joshi , ABV Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.)**
	(3)	**Prof. Dr. Chanda Talera Jain, M.J.B. Govt. Girls P.G. College, Indore (M.P.)**
	(4)	**Prof. Dr. Amit Shukla, Govt. Thakur Ranmatsingh College, Rewa (M.P.)**
	(5)	**Prof. Dr. Anchal Shrivastava, Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur (C.G.)**
English -	(1)	**Prof. Dr. Ajay Bhargava, Govt. College, Badnagar (M.P.)**
	(2)	**Prof. Dr. Manjari Agnihotri, Govt. Girls College, Sehore (M.P.)**
Sanskrit -	(1)	**Prof. Dr. Bhawana Srivastava, Govt. Autonomus Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)**
	(2)	**Prof. Dr. Balkrishan Prajapati, Govt. P.G. College, Ganjbasauda, Distt. Vidisha (M.P.)**
History -	(1)	**Prof. Dr. Naveen Gidiyan, Govt. Autonomus Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.)**
Geography -	(1)	**Prof. Dr. Rajendra Srivastava, Govt. College, Pipliya Mandi, Distt. Mandsaur (M.P.)**
	(2)	**Prof. Kajol Moitra, Dr. C.V. Raman University, Bilaspur (C.G.)**
Psychology -	(1)	**Prof. Dr. Kamna Verma, Principal, Govt. Rajmata Sindhiya Girls P.G. College, Chhindwara (M.P.)**
	(2)	**Prof. Dr. Saroj Kothari, Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)**
Drawing -	(1)	**Prof. Dr. Alpana Upadhyay, Govt. Madhav Arts-Commerce-Law College. Ujjain (M.P.)**
	(2)	**Prof. Dr. Rekha Srivastava, Maharani Laxmibai Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)**
	(3)	**Prof. Dr. Yatindera Mahobe, Govt. Girls College, Narsinghpur (M.P.)**
Music/Dance -	(1)	**Prof. Dr. Bhawana Grover (Kathak),Swami Vivekanand Subharti University, Meerut (U.P.)**
	(2)	**Prof. Dr. Sripad Aronkar, Rajmata Sindhiya Govt. Girls College, Chhindwara (M.P.)**

******* Home Science *******

Diet/Nutrition Science -	(1)	**Prof.Dr. Pragati Desai, Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)**
	(2)	**Prof. Madhu Goyal, Swami Keshavanand Home Science College, Bikaner (Raj.)**
	(3)	**Prof. Dr. Sandhya Verma, Govt. Arts & Commerce College, Raipur (Chhattisgarh)**
Human Development -	(1)	**Prof. Dr. Meenakshi Mathur, HOD, Jainarayan Vyas University, Jodhpur (Raj.)**
	(2)	**Prof. Dr. Abha Tiwari, HOD, Research Centre, Rani Durgawati University, Jabalpur (M.P.)**
Family Resource Management -	(1)	**Prof. Dr. Manju Sharma, Mata Jijabai Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)**
	(2)	**Prof. Dr. Namrata Arora, Vansthali Vidhyapeeth (Raj.)**

******* Education *******

Education -	(1)	**Prof. Dr. Manorama Mathur, Mahindra College of Education, Bangluru (Karnataka)**
	(2)	**Prof. Dr. N.M.G. Mathur, Principal/Dean, Pacific EducationCollege, Udaipur (Raj.)**
	(3)	**Prof. Dr. Neena Aneja, Principal, A.S. College Of Education, Khanna (Punjab)**
	(4)	**Prof. Dr. Satish Gill, Shiv College of Education,Tigaon, Faridabad (Haryana)**
	(5)	**Prof. Dr. Mahesh Kumar Muchhal, Digambar Jain (P.G.) College, Baraut (U.P.)**

******* Architecture *******

Architecture -	(1)	**Prof. Kiran P. Shindey, Principal,School of Architecture,IPS Academy, Indore (M.P.)**

******* Physical Education *******

Physical Education -	(1)	**Prof. Dr. Joginder Singh, Physical Education, Pacific University, Udaipur (Raj.)**
	(2)	**Dr. Ramneek Jain, Associate Professor, Madhav University, Pindwara (Raj.)**
	(3)	**Dr. Seema Gurjar, Associate Professor, Pacific University, Udaipur (Raj.)**

******* Library Science *******

Library Science -	(1)	**Dr. Anil Sirothia, Govt. Maharaja College, Chhattarpur (M.P.)**

Spokesperson's

1. Prof. Dr. Davendra Rathore - Govt. P.G. College, Neemuch (M.P.)
2. Prof. Smt. Vijaya Wadhwa - Govt. Girls P.G. College, Neemuch (M.P.)
3. Dr. Surendra Shaktawat - Gyanodaya Institute of Management - Technology, Neemuch (M.P.)
4. Prof. Dr. Devilal Ahir - Govt. College, Jawad, Distt. Neemuch (M.P.)
5. Shri Ashish Dwivedi - Govt. College, Manasa, Distt. Neemuch (M.P.)
6. Prof. Manoj Mahajan - Govt. College, Sonkach, Distt. Dewas (M.P.)
7. Shri Umesh Sharma - Shree Sarvodaya Institute Of Professional Studies, Sarwaniya Maharaj, Jawad, Distt. Neemuch (M.P.)
8. Prof. Dr. S.P. Panwar - Govt. P.G. College, Mandsaur (M.P.)
9. Prof. Dr. Puralal Patidar - Govt. Girls College, Mandsaur (M.P.)
10. Prof. Dr. Kshitij Purohit - Jain Arts, Commerce & Science College, Mandsaur (M.P.)
11. Prof. Dr. N.K. Patidar - Govt. College, Pipliyamandi, Distt. Mandsaur (M.P.)
12. Prof. Dr. Y.K. Mishra - Govt. Arts & Commerce College, Ratlam (M.P.)
13. Prof. Dr. Suresh Kataria - Govt. Girls College, Ratlam (M.P.)
14. Prof. Dr. Abhay Pathak - Govt. Commerce College, Ratlam (M.P.)
15. Prof. Dr. Malsingh Chouhan - Govt. College, Sailana, Distt. Ratlam (M.P.)
16. Prof. Dr. Gendalal Chouhan - Govt. Vikram College, Khachrod, Distt. Ujjain (M.P.)
17. Prof. Dr. Prabhakar Mishra - Govt. College, Mahidpur, Distt. Ujjain (M.P.)
18. Prof. Dr. Prakash Kumar Jain - Govt. Madhav Arts, Commerce & Law College, Ujjain (M.P.)
19. Prof. Dr. Kamla Chauhan - Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
20. Prof. Abha Dixit - Govt. Girls P.G. College, Ujjain (M.P.)
21. Prof. Dr. Pankaj Maheshwari - Govt. College, Tarana, Distt. Ujjain (M.P.)
22. Prof. Dr. D.C. Rathi - Swami Vivekanand Career Gudiance Deptt., Higher Education Deptt., M.P. Govt., Indore (M.P.)
23. Prof. Dr. Anita Gagrade - Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.)
24. Prof. Dr. Sanjay Pandit - Govt. M.J.B. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
25. Prof.Dr. Rambabu Gupta - Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.)
26. Prof. Dr. Anjana Saxena - Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)
27. Prof. Dr. Sonali Nargunde - Journalism & Mass Comm .Research Centre, D.A.V.V., Indore (M.P.)
28. Prof. Dr. Bharti Joshi - Life Education Department, Devi Ahilya University, Indore (M.P.)
29. Prof. Dr. M.D. Somani - Govt. M.J.B. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
30. Prof. Dr. Priti Bhatt - Govt. N.S.P. Science College, Indore (M.P.)
31. Prof. Dr. Sanjay Prasad - Govt. College, Sanwer, Distt. Indore (M.P.)
32. Prof. Dr. Meena Matkar - Suganidevi Girls College, Indore (M.P.)
33. Prof. Dr. Mohan Waskel - Govt. College, Thandla Distt. Jhabua (M.P.)
34. Prof. Dr. Nitin Sahariya - Govt. College, Kotma Distt. Anooppur (M.P.)
35. Prof. Dr. Manju Rajoriya - Govt. Girls College, Dewas (M.P.)
36. Prof. Dr. Shahjad Qureshi - Govt. New Arts & Science College, Mundi, Distt. Khandwa (M.P.)
37. Prof. Dr. Shail Bala Sanghi - Maharani Lakshmibai Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
38. Prof. Dr. Praveen Ojha - Shri Bhagwat Sahay Govt. P.G. College, Gwalior (M.P.)
39. Prof. Dr. Omprakash Sharma - Govt. P.G. College, Sheopur (M.P.)
40. Prof. Dr. S.K. Shrivastava - Govt. Vijayaraje Girls P.G. College, Gwalior (M.P.)
41. Prof. Dr. Anoop Moghe - Govt. Kamlaraje Girls P.G. College, Gwalior (M.P.)
42. Prof. Dr. Hemlata Chouhan - Govt. College, Badnagar (M.P.)
43. Prof. Dr. Maheshchandra Gupta - Govt. P.G. College, Khargone (M.P.)
44. Prof. Dr. Mangla Thakur - Govt. P.G. College, Badhwah, Distt. Khargone (M.P.)
45. Prof. Dr. K.R. Kumhekar - Govt College, Sanawad, Distt. Khargone(M.P.)

46.	Prof. Dr. R.K. Yadav	-	Govt. Girls College, Khargone (M.P.)
47.	Prof. Dr. Asha Sakhi Gupta	-	Govt. P.G. College, Badwani (M.P.)
48.	Prof. Dr. Hemsingh Mandloi	-	Govt. P.G. College, Dhar (M.P.)
49.	Prof. Dr. Prabha Pandey	-	Govt. P.G. College, Mehar, Distt. Satna (M.P.)
50.	Prof. Dr. Rajesh Kumar	-	Govt. College, Amarpatan, Distt. Satna (M.P.)
51.	Prof. Dr. Ravendra singh Patel	-	Govt. P.G. College, Satna (M.P.)
52.	Prof. Dr. Manoharlal Gupta	-	Govt. P.G. College, Rajgarh, Biora (M.P.)
53.	Prof. Dr. Madhusudan Prakash	-	Govt. College, Ganjbasauda, Distt. Vidisha (M.P.)
54.	Prof. Dr. Yuwraj Shirvatava	-	Dr. C.V. Raman Univeristy, Bilaspur (C.G.)
55.	Prof. Dr. Sunil Vajpai	-	Govt. Tilak P.G. College, Katni (M.P.)
56.	Prof. Dr. B.S. Sisodiya	-	Govt. P.G. College, Dhar (M.P
57.	Prof. Dr. Shashi Prabha Jain	-	Govt. P.G. College, Agar-Malwa (M.P.)
58.	Prof. Dr. Niyaz Ansari	-	Govt. College, Sinhaval, Distt. Sidhi (M.P.)
59.	Prof. Dr. ArjunSingh Baghel	-	Govt. College, Harda (M.P.)
60.	Dr. Suresh Kumar Vimal	-	Govt. College, Bansadehi, Distt. Betul (M.P.)
61.	Prof. Dr. Amar Chand Jain	-	Govt. Arts & Commerce College, Sagar (M.P.)
62.	Prof. Dr. Rashmi Dubey	-	Govt. Autonomus Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.)
63.	Prof. Dr. A.K. Jain	-	Govt. P.G. College, Bina, Distt. Sagar (M.P.)
64.	Prof. Dr. Sandhya Tikekar	-	Govt. Girls College, Bina, Distt. Sagar (M.P.)
65.	Prof. Dr. Rajiv Sharma	-	Govt. Narmada P.G. College, Hoshangabad (M.P.)
66.	Prof. Dr. Rashmi Srivastava	-	Govt. Home Science College, Hoshangabad (M.P.)
67.	Prof. Dr. Laxmikant Chandela	-	Govt. Autonomus P.G. College, Chhindwara (M.P.)
68.	Prof. Dr. Balram Singotiya	-	Govt. College, Saunsar, Distt. Chhindwara (M.P.)
69.	Prof. Dr. Vimmi Bahel	-	Govt. College, Kalapipal, Distt. Shajapur (M.P.)
70.	Dr. Aprajita Bhargava	-	R.D.Public School, Betul (M.P)
71.	Prof. Dr. Meenu Gajala Khan	-	Govt. College, Maksi, Distt. Shajapaur (M.P.)
72.	Prof. Dr. Pallavi Mishra	-	Govt. College, Mauganj Distt. Rewa (M.P.)
73.	Prof. Dr. N.P. Sharma	-	Govt. College, Datia (M.P.)
74.	Prof. Dr. Jaya Sharma	-	Govt. Girls College, Sehore (M.P.)
75.	Prof. Dr. Sunil Somwanshi	-	Govt. College, Nepanagar, Distt. Burhanpur (M.P.)
76.	Prof. Dr. Ishrat Khan	-	Govt. College, Raisen (M.P.)
77.	Prof. Dr. Kamlesh Singh Negi	-	Govt. P.G. College, Sehore (M.P.)
78.	Prof. Dr. Bhawana Thakur	-	Govt. College, Rehati, Distt. Sehore (M.P.)
79.	Prof. Dr. Keshavmani Sharma	-	Pandit Balkrishan Sharma New Govt. College, Shajapur (M.P.)
80.	Prof. Dr. Renu Rajesh	-	Govt. Nehru Leading College ,Ashok Nagar (M.P.)
81.	Prof. Dr. Avinash Dubey	-	Govt. P.G. College, Khandwa (M.P.)
82.	Prof. Dr. V.K. Dixit	-	Chhatrasal Govt. P.G. College, Panna (M.P.)
83.	Prof. Dr. Ram Awdesh Sharma	-	M.J.S. Govt. P.G. College, Bhind (M.P.)
84.	Prof. Dr. Manoj Kr. Agnihotri	-	Sarojini Naidu Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
85.	Prof. Dr. Sameer Kr. Shukla	-	Govt. Chandra Vijay College, Dhindori (M.P.)
86.	Prof. Dr. Anoop Parsai	-	Govt. J. Yoganand Chattisgarh P.G. College, Raipur (Chattisgarh)
87.	Prof. Dr. Anil Kumar Jain	-	Vardhaman Mahavir Open University, Kota (Rajasthan)
88.	Prof. Dr. Kavita Bhadiriya	-	Govt. Girls College, Barwani (M.P.)
89.	Prof. Dr. Archana Vishith	-	Govt. Rajrishi College, Alwar (Rajasthan)
90.	Prof. Dr. Kalpana Parikh	-	S.S.G. Parikh P.G. College, Udaipur (Rajasthan)
91.	Prof. Dr. Gajendra Siroha	-	Pacific University, Udaipur (Rajasthan)
92.	Prof. Dr. Krishna Pensia	-	Harish Anjana College, Chhotisadri, Distt. Pratapgarh (Rajasthan)
93.	Prof. Dr. Pradeep Singh	-	Central University Haryana, Mahendragarh (Haryana)
94.	Prof. Dr. Smriti Agarwal	-	Research Consultant, New Delhi

MP Startup Policy 2022: A Roadmap To Self-Reliant

Dr. Pawan Pushpad*

***Assistant Professor, Sage University, Indore (M.P.) INDIA**

Abstract - The objective of this research paper is to assess the concentration of investment in Madhya pradesh State level startup ecosystem and to assess the performance of MP Government Startup Policy 2022 launched for benefitting startups in the State. Descriptive Characteristics were used to explain the policy.

The performance of MP Government Startup Policy 2022 meant for startups is limited. This study contributes to scant academic literature available on investment trends and performance of MP Government Startup Policy 2022 related to State's startups. It highlights huge spatial and sectorial benefits of the Government Initiative.

This paper is intent to explore the major Characteristics of the policy and Incentive to startups in Madhya Pradesh and discuss the various opportunities of startups in State by using a literature-based analysis.

Keywords: Startup, Entrepreneurship, Action Plan, Substantial effort, Incentive to Startups, Innovation, G.S.R. notification.

Introduction - "Startup India is a flagship initiative of the Government of India, intended to build a strong eco-system for nurturing innovation and Startups in the country."

"Startup an entity which is recognized by Startup India under the Government of India, Ministry of Commerce and Industry Department for Promotion of Industry and Internal Trade and is established and registered in the State of Madhya Pradesh."

A state with a large area and high economic development, Madhya Pradesh is the second largest in the country by area. In recent years, the State Government has implemented investment-friendly policies, simplified procedures related to industry and business, and invested significantly in developing economic and social infrastructure. As a result, the investment climate in the State has increased. Through innovation and entrepreneurship, the State Government has endeavored to create a maximum number of jobs for the local youth.

The first Start-up policy in this series was implemented by the state in the year 2016. Keeping in mind the dynamics of the Start-up sector, the new start-up policy was again implemented in the year 2019. In the dynamics of Innovation and Start-ups, changes in the global economic environment, regulatory amendments, the New Education Policy of the Government of India and Start-up ranking of states, and above all a policy to fulfill the objectives of Aatmanirbhar Bharat Abhiyan and Atmanirbhar Madhya Pradesh Roadmap 2023, another review has become necessary.

Therefore, to make the Start-up Policy more holistic, inclusive, integrated, and effective, it has been decided to implement the "**MP Start-up Policy and Implementation Plan-2022**" by the State government. Under the new policy, the State Government has made special efforts to instill the spirit of innovation and start-up in students at the school/ college level. As a result, the State government hopes to significantly alter the entrepreneurial and innovation landscape of the State, providing an impetus to the start-up community. To this end, the State Government has taken steps to create a conducive environment for the growth of start-ups and has implemented policies that incentivize the same. Integrated arrangements have been made for effective adoption of the policy's provisions by various government departments for comprehensive implementation of the policy. The objective is to provide Institutional support, Ease of doing business, basic infrastructure, supporting procurement policy, marketing, and other promotional support to Start-ups, not limited to just financial assistance. A notable aspect of the procedure is the inclusion of special fiscal and non-fiscal incentives to encourage product- based start-ups.

Significance of the Study: Starts ups have played and continue to play significant roles in the growth, development and industrialization of many economies all over the world. Startup is flagship initiative of the government of India, intended to build a strong ecosystem for nurturing innovation.

In order to give impetus to the start-up movement in the country and to fulfil the objectives of Aatma Nirbhar Bharat Abhiyan and Atma Nirbhar Madhya Pradesh Roadmap 2023, the state government has launched **"MP**

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

Start-up Policy and Implementation Scheme 2022". Startup will drive sustainable economic growth and generate large scale employment opportunities and minimize unemployment.

Research Methodology: The study is based on the secondary data which has been collected through MP State Govt Policy journals, magazines, newspapers, research papers, books and websites etc.

Objective of the Policy: The main objectives of the Start-up Policy and Implementation Scheme, 2022, in the state:

a. Development of Start-up ecosystem through positive interventions and other catalytic programs.
b. To achieve 100% growth rate in start-ups registered and recognized in Start-up India, Government of India.
c. To achieve 200% growth rate in start-ups in Agriculture and Food Sector registered and recognized with Start-up India, Government of India.
d. Increase in the number of product-based start-ups.
e. Establishment of new incubation centres and capacity expansion of existing incubation centres.
f. Special programs to inculcate the spirit of innovation and start-up among students from school/college level.
g. Developing a culture to solve economic and social problems through innovation and start-ups.
h. To get the higher ranking in the State Start-up Ranking Framework of the Government of India.

Operative period of the Policy: This policy shall remain in force in Madhya Pradesh for a period of 5 years from the date of its notification, or until it is replaced by another policy, whichever is earlier.

Start-up Ecosystem of Madhya Pradesh:

1. Centralized geographic location of the State:

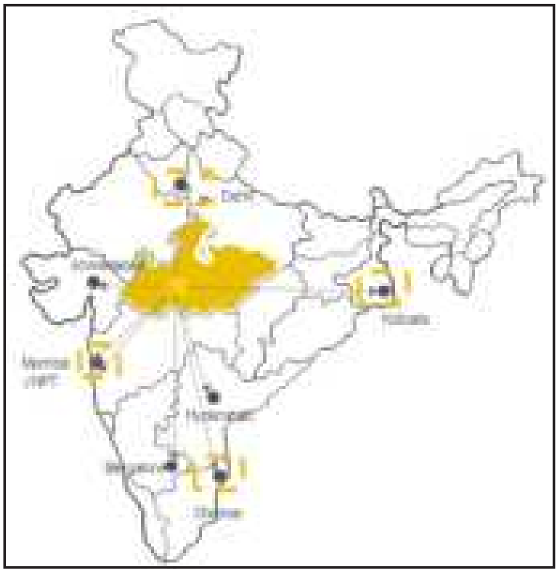

2. Start-ups in the State:

a. 3314 DPIIT Preferred Start-ups,
b. 378 Start-ups are Registered with MP Government,
c. 42% Start-ups Run by Women,
d. 35 + Start-ups are in Manufacturing sector,
e. 1800+ Start-ups are in Service Sector ,
f. 3 Start ups got patent,
g. 54 Registered Mentors,
h. 8 Registered Angel Investors

2. Incubators in the State:

a. 50+ Incubator,
b. 3 Atal Incubation Centre (Atal Innovation Mission),
c. 2 STPI Incubator,
d. 1 DST, Govt. of India TBI,
e. 1 Apparel Incubation Centre – Textile Ministry Govt. of India
f. 6 Smart City Incubator (Indore, Bhopal, Jabalpur, Gwalior, Stana, Sagar)

Support and Assistance to Start-ups and Incubators: Institutional, marketing, financial and business facilitation are the pillars to develop the Start-ups and Incubators ecosystem and provide them with the necessary support. The state government is determined to make the state an investment destination for Start-ups, especially Product-based start-ups, through these pillars.

Institutional Support:

1. MP Start-up Centre: A Centre established with the help of Madhya Pradesh Laghu Udyog Nigam (MPLUN) for facilitation and providing necessary support to start-ups in the state, the centre will act as a dedicated agency for promoting, strengthening and facilitating the start-up ecosystem in the state.

2. Development of Online Portal: A robust online portal will be developed for start-ups in the state, which will act as a bridge for mutual connects between start-ups, investors, incubators and other stakeholders.

3. Academic Support & Participation: In order to encourage start-ups, especially product-based start- ups and innovations in the state and to provide necessary technical and guidance support.

4. Ease of Doing Business (EoDB): For smooth operation of the start-ups and incubators of the state, they have to be facilitated to meet various regulatory requirements.

Marketing & Liquidity Support / Assistance:

1. Provisions will be made in the Madhya Pradesh Store Purchase and Service Procurement Rules, 2015.
2. Exemption from experience and turnover related conditions/criteria for start-up enterprises participating in government tenders up to Rs.1 crore.
3. Proof of concept will be accepted for start-ups in tenders related to service procurement of more than Rs 1 crore.
4. All the Tenders (NIT)/Request for Proposal (RFP) of the State Government will be exempted from Security/ Earnest Money Deposit (EMD)
5. Linked to the TReDS Platform (Trade Receivable Discounting System) authorized by the Reserve Bank of India as far as possible, so that the start-ups do not face liquidity crunch.

Financial Assistance to Start-ups:

1. For a start-up that has received funds/investments from a financial institution recognized by SEBI (Security and Exchange Board of India)/RBI, assistance will be given at the rate of 15% maximum up to Rs. 15 lakhs, of the first investment received.
2. Startups set up by Women/Scheduled Caste/Tribe entrepreneurs will be given 18 percent maximum assistance of Rs. 18 lakhs on the total funding/ investment received and within the maximum limit of Rs. 72 lakhs in four phases.
3. 50% up to a maximum of Rs. 5000/- per month lease rental assistance for three years, on the rent paid per month for the workspace taken on lease by the startups.
4. Maximum assistance of Rs. 5 lakhs for obtaining a patent subject to the condition that the patent is obtained for a start-up established in the state.

Financial Assistance to Incubators:

1. Assistance of Rs. 5 lakhs will be given to the concerned incubators located in Madhya Pradesh when its startup got the funding.
2. Assistance of Rs. 5 lakhs per event to incubators located in Madhya Pradesh for organizing events related to start-ups not exceeding Rs. 20 lakhs per annum.
3. Onetime assistance of Rs. 5 lakhs for the up-gradation of Incubators, but to avail this facility, each Incubator will have to increase its existing seat capacity by an additional 20%. This facility will be available only once in the entire life of the incubator.

Special financial assistance and support for product-based start-ups:

1. Concurrent License/Consent facility for one year.
2. Training Expenditure Reimbursement –will be given to a maximum of 25 employees per new employee Rs 13000 per year for three years.
3. Employment Generation Assistance - will be eligible to get the benefit of assistance of Rs. 5000 per employee per month. The assistance period will be maximum 3 years and will be given to maximum 25 employees only.
4. Exemption on Electricity Duty - All eligible new units having new electricity connection shall be exempted from electricity duty for 3 years from the date of connection.
5. Concession in Electricity Tariff - at a fixed rate of Rs. 5 per unit for 3 years from the date of commercial production in the unit.
6. The benefits of the facilities provided in the prevailing MSME Development Policy, will be available subject to the conditions.

Government Initiative to promote Startups:

1. Startup Policy-2022 is going to start in Madhya Pradesh. This policy will prove to be a milestone for those starting startups in the state. Under this startup policy, special programs will be organized to inculcate the spirit of innovation and startup among school and college students. Along with this, Entrepreneurship Development will be included in the academic curriculum.
2. Madhya Pradesh has taken a step forward to fulfill the dream of making the country self-reliant. Government launched a new campaign “Start-up India, stand up India” to promote bank financing for start-ups and offer incentives to boost entrepreneurship and job creation.
3. State Government already launched the portal to initiate the facilitate to startups e.g. https://startup.mp.gov.in/
4. Startup who is recognized by Startup India, DPIIT, GoI can login in MP Startup Poral by using the same username and password what they have used for login on Startup India Portal.
5. Startups who have successfully logged in to MP startup portal can apply on for financial assistance on the Portal itself, with all the relevant documents.
6. It will include hand-holding for all things related to them, which includes mentoring, linking companies with universities and institutions, giving marketing support, consultancy on intellectual property rights and providing easy regulatory mechanism for them so that they do not have to run from one door to another.
7. It would also offer direction in terms of how they can access funds and scale up capacity.

Setting up incubators:

1. Government intends to create a policy and framework for setting up incubators across the country in PPP mode.
2. Incubators are set up to provide startups with office space and basic services.
3. Setting up of incubators will free up funds and allow them to focus on core business functions.

Challenges for State's Startups: State start-up industry is on the up-swing since last few years, with multiple global investors eyeing the India start-up space; it is slated to grow larger than before. The MP Government is leaving no stone unturned to provide start-ups with the best of opportunities to grow and shine in the market. However, in spite of the numerous opportunities provided by the government, the road blocks are not few for the companies.

Challenges:

a. Government Policies: The government policies are slowly and steadily increasing, although, it must be noted that India still maintains a dismal ease of doing business raking as per the World Bank report. The government has taken proactive measures for funding and developing the eco-system, however, we witnessed a slowdown in the start-up space, as there was a dip of almost 50% in the registration of new start-ups in 2016 as compared to 2015; this trend has proved that the policy change has not really given a push to aspirants.

b. Talent: Skilled talent is hesitant to join start-ups, as

they have witnessed in the past mass firing and downsizing. Also, early stage or pre-series-start-ups have lesser pay than their corporate peers. Most start-ups in a bid to outgrow, hire inadequate talent without processes, and finally end up on the losing side.

c. Funding: Raising the capital has been a long-drawn challenge for start-ups. Angel investment and seed investment is easier to find, as the amounts are smaller, it has gotten much tougher to go for later stage rounds, as companies burn too fast and do not look at unit economics. Very limited funding is available in forms of larger cheque in India. In our eco system (India) we patronize the founder, and not the company, and sometimes the founder can be caught up in glamour of funding. Entrepreneurs should set the goals for the next 5 years and should not be obsessed with raising the funds.

d. Lack of Basic Infrastructure: lack of comprehensive infrastructure is perhaps the biggest drawback faced by businesses within the SMB/SME ecosystem. Since there is still a significant percentage of SMEs that operate within the unorganized space, the lack of basic facilities and absence of marketing platforms makes it extremely difficult for such businesses to thrive and/or compete with stronger players in the market.

Conclusions: The current economic scenario in Madhya Pradesh is on expansion mode. The State government is increasingly showing greater enthusiasm to increase the state's part in GDP rate of growth from grass root levels with introduction of liberal policies and initiatives for entrepreneurs. With the idea **Tum Mujhe Ideas do, main tumhein avsar doonga. (You give me ideas, I will give you opportunities)** State Government launched the MP Startup Policy 2022, 'MP Startup Policy 2022' is great opportunity for the state's start-ups. Policy include the Institutional, marketing, financial Assistance and business facilitation, as our youth have innovative ideas, strong will power, the policy will able to put them in the right direction with the right support, then not only Indore, but the whole of Madhya Pradesh will become the start-up capital of India. Start-ups are the future wealth-creating phenomenon of India. In the next 25 years, this world will be driven by knowledge and innovation, and State's start-ups will lead the way.

In India, the opportunities for the start-ups are immense, but so are the challenges. It will take combined efforts from the government and the start-ups to overcome these challenges.

References:-

1. Fakih Amrin Kamaluddin and Kala Seetharam Sridhar, Indian Startup Ecosystem: Analysing Investment Concentration and Performance of Government Programs, ICSE Working Paper 514, May 2021
2. Dr. G Suresh Babu and Dr. K Sridevi, A study on issues and challenges of startups in India, International Journal of Financial Management and Economics 2019; 2(1): 44-48
3. Padmaja Peram, A Study on Challenges Faced by Start-Ups in India, International Journal of Innovative Science and Research Technology, Volume 3, Issue 7, July – 2018
4. Dr. Mallikarjun M. Maradi, Growth Of Indian Startup: A Critical Anal, Journal Of Management And Entrepreneur, Vol. 17, No.1 (II), January - March 202
5. Challenges and opportunities for Indian startups-Key points to Note
6. http://www.financialexpress.com/industry/challenges-and-opportunities-for-indian-start-ups- key-points-to-note/524728/
7. Opportunities for Startups in India https://www.entrepreneur.com/article/270330
8. Challenges and Opportunities in Indian SMBs https://inc42.com/entrepreneurship/challenges-opportunities-indian-smbs/
9. Supporting Research-Inspired Entrepreneurial Activities in India. http://www.timreview.ca/article/986
10. Key Challenges and Opportunities for Indian Startups and Entrepreneurs https://theceo.in/2017/09/key-challenges-and-opportunities-for-indian-startups-and-entrepreneurs/
11. MP Startup Policy 2022 (amended as on June 2023)
12. Mains 2016: Globalization and impact on Indian startups http://forumias.com/portal/mains-2016-globalization-and-impact-on-indian-startups/
13. https://startup.mp.gov.in/

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

Human Resources Policy and Practices in the Hospitality Industry: A Review

Ankita Sulya*

***Research Scholar, Vikram University, Ujjain (M.P.) INDIA**

Abstract - The hospitality industry is characterized by its people-centric nature, making effective human resources (HR) policies and practices critical for organizational success. This review paper explores the evolving landscape of HR policy and practices within the hospitality sector, examining key trends, challenges, and best practices. Drawing upon a comprehensive analysis of academic literature, industry reports, the paper evaluates the impact of HR policies on employee recruitment, training, retention, and overall organizational performance. Additionally, it investigates the role of HR technology, diversity and inclusion initiatives, and regulatory compliance in shaping HR practices within the hospitality industry. Furthermore, the paper delves into the unique challenges faced by hospitality organizations, such as high turnover rates, seasonal workforce fluctuations, and the importance of service quality in guest satisfaction. Through a synthesis of empirical evidence and theoretical frameworks, this review identifies strategies and recommendations for hospitality HR practitioners to enhance employee engagement, talent management.This paperattempt to give an overview of how human resource management is done in the hotel business and in general. Along with HRM practices, the paper also discussed about the level of services at hotels and customer satisfaction.
Keywords: human resources (HR),hotel, customer satisfaction,hospitality industry.

Introduction - The hospitality industry stands as a vibrant and dynamic sector characterized by its relentless focus on customer satisfaction and service excellence. Central to the success of any hospitality enterprise is its human capital – the skilled and dedicated workforce that shapes guest experiences and drives organizational performance. As such, effective human resources (HR) policies and practices are fundamental to navigating the complexities of the hospitality landscape, fostering employee engagement, and sustaining competitive advantage.

This introduction sets the stage for a comprehensive exploration of HR policies and practices within the hospitality industry. It provides an overview of the industry's significance, highlighting its economic contribution, employment opportunities, and unique operational challenges. Additionally, it underscores the critical role of HR management in addressing these challenges, optimizing workforce performance, and enhancing organizational resilience. Throughout this review, we will delve into various dimensions of HR policy and practice, examining recruitment and selection strategies, training and development initiatives, employee relations, and performance management systems tailored to the hospitality context. Moreover, we will analyze emerging trends such as HR technology adoption, diversity and inclusion initiatives, and the impact of regulatory frameworks on HR management in the hospitality sector.

Human Resource Department of hotel industry and policies : In addition to analyzing the working conditions of employees in the hotel sector, the purpose of this research is to investigate the application of efficient and fruitful techniques of human resource management inside the organization pertaining to those employees. Also, to draw conclusions about the human resource practices that are currently being implemented in the hotel industry and to evaluate them in comparison to those of other industries in order to improve working conditions and cultivate a more pleasant environment, which will enable employees to demonstrate higher levels of productivity in the hotel industry.

Hospitality human resource management is the subject of this review. The study of human resource management (HRM) in the hospitality industry is of particular interest because of the high degree of human resource (HR) utilization that happens in this sector compared to other industries. As a result, the purpose of this research is to investigate the questions that are listed below: 1) Which human resource practices and strategies are implemented in the hotel business at the present time, and 2) What are the reasons behind the implementation of these practices and strategies? This analysis was conducted with the intention of enhancing our comprehension of the factors that contribute to the existence of such practices and drawing

attention to the diverse nature of hospitality operations.

Hospitality And The Context Of Hotel Work

According to Ottenbacherand Parsa (2009), there is a lack of clarity regarding the boundaries of the hospitality industry and the manner in which it is separated from other service firms. When viewed from the perspective of study, the term "hospitality" has not been determined with absolute precision. As a result of the multifaceted structure of the hospitality sector, Lashley (2000) asserts that it is challenging to establish a clear and succinct description of the hospitality business. According to Ottenbacher et al. (2009), businesses that fall under the category of hospitality include those that offer "food, beverages, accommodation, entertainment, leisure, attraction, or some combination of those" (p. 273). Large hotels are often considered to be luxurious hotels. This particular definition is provided by Knox and Walsh. Larger hotels are more likely to be assigned a higher star rating than smaller hotels (Hoque, 2013).

According to the World Travel and Tourism Council's report titled "A career in Travel and Tourism" (2013), the tourism and hospitality industries are responsible for the creation of a significant number of jobs in both countries. While this is going on, academics have demonstrated that the hotel industry is facing significant challenges in the form of high employee turnover and a lack of skilled workers (for example, Ahmad and Scott (2013) and Davidson and Wang (2011)).

Due to the fact that customer demand in the hotel sector is subject to fluctuations, there is a considerable risk to hire either an insufficient number of permanent (full-time) staff or an excessive number of employees for hotel operations (Knox & Walsh, 2005).

Strategies Of HRM In The Hotel Industry: This section provides an overview of three distinct human resource strategies that are applicable to the hospitality business. The first is connected to the soft-hard dichotomy of human resource management, which is comprised of two aims that are in direct opposition to one another: commitment and control. This particular typology is primarily found in normative theories of human resource management. The hard form of human resource management, on the other hand, places more of an emphasis on control than it does on commitment and maintains the implication that human resources are an expense that must be minimized.

According to Lashley (1998), Employees will have more discretion and autonomy if the service offer can be highly personalized to their specific needs. This will result in either a professional or participatory approach to the administration of human resources. There is a situation like this that occurs at luxury hotels, where personnel have more opportunities for discretion or empowerment when it comes to providing services. As a result, hotels compete with one another based on rates as well as quality. The question of which strategic approach to human resource management is better suited for the hospitality industry is the subject of a substantial amount of debate. Lucas and Deery (2004) conducted a total of one hundred papers on human resource management in the hotel industry. Despite the fact that hard, cost-driven HRM policies are given primacy in practice, they assert that soft HRM policies are still significant in theory for the purpose of improving service excellence and customer care. HRM hospitality researchers need to address a number of crucial challenges, including the influence of shift work on employee health, safety, and well-being.

Methodology: Search Criteria And Review Sample: In this article, a comprehensive evaluation of the existing literature on human resource management in the hospitality industry is carried out. Two stages were carried out in order to look for relevant literature. The first part consisted of identifying three key online databases, known as Business Source Premier (EBSCO), Pro Quest Business, and Science straightforward. Eight tourism and hospitality management journals that were included in these databases were then chosen as a consequence of earlier review studies (Hall, 2011; Tang, 2014). Managing Leisure and Tourism Management, Journal of Human Resources in Hospitality and Tourism, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Anatolia, International Journal of Hospitality & Tourism Administration, The terms "Human Resource Management (HRM)," "Human Resource Practices," "Human Resource Strategy," and "Hotel/s" were utilized with the intention of conducting a comprehensive search throughout these periodicals.

During the second part of the study, the search was expanded to include management and human resource management publications that were contained within the same databases. This was done because the original search results gave an insufficient sample for the review to be significant. The same keywords were searched for in a variety of different combinations, which resulted in the retrieval of 102 individual papers that were published between the years 1998 and 2023. Both the abstract and the complete article were read in order to filter the papers. Following the screening process, there were 27 papers that satisfied the requirements. Out of the 27 publications that were published in the hotel industry, six of them utilized qualitative interview methods, while the remaining twenty-one articles utilized survey methods. Eleven different nations, including the United States of America, the United Kingdom, Australia, New Zealand, China, India, Malaysia, and Taiwan, were the locations where the empirical research were carried out.16 of the research used employees and/or managers as the unit of analysis, and some of the studies sampled at the individual level. Service delivery and execution are both handled by frontline staff, who have direct touch with clients and are responsible for providing services.

Description And Discussion Of Studies : An summary of the findings of the empirical research that meet the selection criteria for this review is presented in this section.

As was mentioned in the part that came before this one, human resource management strategies have been explored on both the individual and organizational levels individually.The individual level is concerned with how individual employees and supervisors perceive HRM practices. Nevertheless, the majority of the empirical studies that were investigated as part of this study focused on HRM activities individually rather than merging these practices into a single HRM system. Training, staffing, pay and rewards, performance appraisals, and work organization were the HRM practices that were researched the most frequently,Job design, planned team briefings, quality circles, and teamwork are all activities that are included in work organization.

According to the findings of the analysis of the empirical studies, training is the human resource management practice that has been studied the most frequently. According to Knox and Walsh (2005), human resource management techniques in the luxury hotel industry in Australia are driven by the goals of establishing functional flexibility, as well as training and skill development.

A Fadel Muhammad et.al. (2023) One of the most important aspects of the hospitality sector is human resource management (HRM), which is essential to establishing success and providing quality service to customers. The field of human resource management encompasses a wide range of concerns, such as career planning, development, and training, as well as remuneration and performance evaluation. This study employs a qualitative methodology within the descriptive research type in order to gain an understanding of the significant role that human resources play in the hotel business. In addition to ensuring that employees are placed in positions that are in line with their skills planning and employee development aid in the motivation and maintenance of employee morale.

Promila Agarwalet.al.(2021) In this study, they will investigate the human resource management (HRM) strategies that hotels implemented during COVID-19. Additionally, they will use qualitative theme analysis to investigate the influence that COVID-19 had on the well-being of hotel personnel. In this study, human resource management methods are presented that firms can implement in order to effectively manage their personnel during times of uncertainty. There is overwhelming evidence that strategies that are employee-centered in human resource management have a significant impact on the wellness of employees.

XuHaiet.al.(2023) One of the most important aspects of hotel management is the management of human resources by the hotel. In the hotel industry, the COVID-19 had a significant influence, which led to a significant decrease in business volume, a significant increase in the number of employees who left their jobs, and other negative outcomes. The entire sector is undergoing a process of reorganization. In order for businesses to be able to fight a successful recovery struggle, it is vital for them to understand how to deploy their human resources in a responsible and efficient manner overall.

Muhammad Ishtiaq Ishaq et.al. (2023) Given the importance of the relationship between corporate social responsibility (CSR) and human resource management (HRM), this study aims to measure the cultural differences between CSR, HRM, and sustainable performance (study 1), as well as determine the mechanisms through which CSR and sustainable performance are sparked by HRM in the UK hospitality sector for Pakistan (study 2). A mixed-method approach was used to collect both qualitative and quantitative data from upscale hotels. The findings of Study 1 shed light on the significant cultural differences that exist in the relationships between human resource management (HRM) and corporate social responsibility (CSR) and performance. On the other hand, Study 2 explains that the factors that motivate employees to participate in CSR-related activities and achieve higher sustainable performance are ethical culture, shared objectives, transparency, training and development.

Conclusion: Findings from a review of related literature show that the hospitality business in many countries has a high turnover rate and a lack of skilled workers. Yang and Cherry (2008) say that staff turnover has big effects, such as making it more expensive to hire new people and train them, lowering output, and making the organization's services less good. Employing numerical and temporal labor methods can help it keep a steady flow of mobile workers at a low cost. On the other hand, methods for temporal labor may make it harder to meet functional flexibility needs. Hotel managers use a variety of strategies to deal with changes in customer demand and high employee turnover. One of these strategies is to help staff members learn new skills. Other ways that hotel operations stay flexible are through job rotation, job development, cross-functional training, and hiring more than one person for the same job. Investing in training programs is one way to help employees move up in their jobs and give better service. In contrast, the hotel industry is very sensitive to changes in demand. Because of this, it is important to use staffing strategies that allow for flexibility in terms of numbers. Studies by Davidson and Wang (2011), Knox and Walsh (2005), and Lucas (2002) show that even big hotels use temporal labor techniques and temporary workers to adapt to changing customer needs. Based on this, it looks like the best way to manage labor in the hotel business would be to use both functional and temporal/numerical flexibility. It was found that only 27 empirical studies had been done in the hotel industry around the world, and most of them were at big hotels. The small size of the sample is the main problem with this systematic study. However, a future study could look into how human resource management is different depending on the number of stars, the size, and the control of the hotel, as well as how much these factors affect the HR methods that are used.

References:-

1. Boxall, P., Ang, S. H., & Bartram, T. (2011). Analysing the 'Black Box' of HRM: Uncovering HR Goals, Mediators, and Outcomes in a Standardized Service Environment. Journal of Management Studies, 48(7), 1504-1532. 10.1111/j.1467-6486.2010.00973.x
2. Chand, M. (2010b). The impact of HRM practices on service quality, customer satisfaction and performance in the Indian hotel industry. The International Journal of Human Resource Management, 21(4), 551-566.
3. Michel, Bowen, D., & Johnston, R. (2009). Why service recovery fails: Tensions among customer, employee, and process perspectives. Journal of Service Management, 20(3), 253-273. 10.1108/095642309 10964381
4. Lucas, R. (2002). Fragments of HRM in hospitality? Evidence from the 1998 workplace employee relations survey. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 14(5), 207-212. doi:10.1108/ 09596110210433727
5. Ottenbacher, M., Harrington, R., &Parsa, H. G. (2009). Defining the Hospitality Discipline: a Discussion of Pedagogical and Research Implications. Journal of Hospitality & Tourism Research, 33(3), 263-283. 10.1177/1096348009338675
6. Lashley, C. (2000). In search of hospitality: Towards a theoretical framework. International Journal of Hospitality Management, 19(1), 3-15.
7. Hoque, K. (2013). Human resource management in the hotel industry: Strategy, innovation and performance: Routledge.
8. Ahmad, R., & Scott, N. (2013). Managing the front office department: staffing issues in Malaysian hotels. Anatolia, 25(1),24-38.10.1080/13032917.2013. 822010
9. Hoque, K. (2013). Human resource management in the hotel industry: Strategy, innovation and performance: Routledge.
10. Lashley, C. (1998). Matching the management of human resources to service operations.
11. Legge, K. (1995). HRM: rhetoric, reality and hidden agendas. Human Resource Management: A Critical Text, London: Routledge, 33-59.
12. Lucas, R., &Deery, M. (2004). Significant developments and emerging issues in human resource management. International Journal of Hospitality Management, 23(5), 459-472. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhm.2004.10.005
13. Tang, L. (2014). The application of social psychology theories and concepts in hospitality and tourism studies: A review and research agenda. International Journal of Hospitality Management, 36, 188-196. 10.1016/ j.ijhm.2013.09.003
14. Chen, L. C., & Tseng, C. Y. (2012). Benefits of cross-functional training: Three departments of hotel line supervisors in Taiwan. Journal of Hospitality and Tourism Management, 19(1) 10.1017/jht.2012.13
15. Karatepe, O. M. (2013a). High-performance work practices and hotel employee performance: The mediation of work engagement. International Journal of Hospitality Management, 32(0), 132-140. http://dx.doi.org/ 10.1016/j.ijhm.2012.05.003
16. Chow, C. W., Haddad, K., & Singh, G. (2007). Human Resource Management, Job Satisfaction, Morale, Optimism, and Turnover. International Journal of Hospitality & Tourism Administration, 8(2), 73-88. 10.1300/ J149v08n02_04
17. Crawford, A. (2013). Hospitality operators' understanding of service: a qualitative approach. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 25(1), 65-81. 10.1108/09596111311290228
18. A Fadel Muhammad , Ni Nyoman Devi, Ardiansyah Goeliling(2023) "Hospitality Business Success: The Vital Role Of Human Resource Training In The Digital Era" Economics And Business Journal (ECBIS) 2(1):1-8, DOI:10.47353/Ecbis.V2i1.101
19. XuHai, Yun Liu , Lehan Zhang , Benjamin Yin Fah Chan (2023)" Exploration Of Hotel Human Resource Management Mode After The Background Of Covid-19" Vol. 11, Issue 4, April 2023
20. Yang, H. O., & Cherry, N. (2008). Human resource management challenges in the hotel industry in Taiwan. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 13(4), 399-410. 10.1080/10941660802420978

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

An Economic Study on Happiness Index and Gross Domestic Product

Dr. Vibha Vasudeo* Ms. Shilpa Chouksey**

***Professor and HOD, School of Studies in Economics, Maharaja Chhatrasal Bundelkhand University , Chhatarpur (M.P.) INDIA**

**** Research Scholar, School of Studies in Economics, Maharaja Chhatrasal Bundelkhand University, Chhatarpur (M.P.) INDIA**

Abstract - While measuring a country's development we usually look upon its quantitative results and tend to overlook its qualitative aspects like happiness. The GDP Growth Rate alone cannot reveal the true development of a nation. And thus, this calls upon research on the relationship between happiness and economic growth. Through this research, the paper is trying to enquire if a higher Happiness Index necessarily means a higherGDP Growth Rate or vice-versa. If the Happiness Index falls, will theGDP growth rate also face a drop or will it show a rising trend? The research is based on secondary sources and offers a comparative analysisof the influence of GDP growth and happiness on development through a literature review of data from worldwide databases and previous research works. The research is descriptive and aims to find whether a relation between the two can be concluded by tabulating, assessing data, and studying the causes and taking 7 South Asian countries as the study cases.

Keywords: GDP Growth Rate, Happiness Index, South Asian Countries, World Happiness Report (2023)

Introduction - As defined by IMF, GDP measures the monetary value of final goods and services—that is, those that are bought by the final user—produced in a country in a given period which is usually calculated by the national statistical agency. The international standard for measuring GDP is contained in the System of National Accounts, 1993. GDP is important because it gives information about the size of the economy and how an economy is performing. To compare the GDP of economies, the usual method is to convert the value of the GDP of each country into U.S. dollars.

But GDP is not a measure of the overall standard of living or well-being of a country. GDP does not capture things that may be deemed important to general well-being like increased output may come at the cost of environmental damage or other external costs such as noise, the reduction of leisure time, and the depletion of non-renewable natural resources. The quality of life may also depend on the distribution of GDP among the residents of a country, not just the overall level and apart from this, it does not include other factors like happiness, corruption, freedom, etc.

World Happiness Report is one such report which includes all other essential factors that must be considered while comparing the overall growth of the nation. The report is a publication of the Sustainable Development Solutions Network, a global initiative of the United Nations. The rankings reflect self-reported well-being, which is measured by questions asked in the Gallup world poll covering quality of life and well-being. The results tend to be predicted by six factors that contribute to whether people view their lives positively. These are GDP, social support, healthy life expectancy, freedom, generosity, and absence of corruption.

Literature Review:

AANagwanshi, Prabu D, Suganya P, Rajmohan M, Bharathwaj V V, Sindhu R, Dinesh Dhamodhar, Prashanthy M R (2021) analyzed the association of the happiness index with the Gross domestic product (GDP) and Quality of life among various countries in the world in their research paper "A COMPARATIVE ANALYSIS OF HAPPINESS INDEX WITH GROSS DOMESTIC PRODUCT AND ITS IMPACT ON QUALITY OF LIFE ACROSS THE GLOBE". They considered the happiness index, GDP, and quality of life of 15 different countries across the world based on their happiness index ranking (2019). They collected data onthe quality of life and gross domestic product of these 15 countries with the help of an electronic database using keywords. After the collection of data, they tabulated and analyzed using descriptive analysis. Their research concluded with the analysis that countries with moderate happiness indexes had very high GDPrankings compared to countries with the highest and lowest happiness index ranks.

Esmail and Shili (2017) conducted a study on the

relationship between happiness and economic development of the Jazan region and found that happiness positively impacts economic development. However, happiness is realized through the improvement of social factors. They also mentioned that economic theory endorsed the view that money makes you happier. However, many surveys deduced that contrary to what economic theory assumes about money and happiness is not correct.

Easterlin (1995) explains that just because your income has increased doesn't mean you will be happy for a certain period. The Easterlin paradox states that at a point in time happiness varies directly with income both among and within nations, but over time happiness does not trend upward as income continues to grow.

Methodology: This paper uses desk research which involves the collection, comparison, analysis, and interpretation of data from existing research, global databases, journals, articles, and other electronic databases. This research attempted to find if there is any relationship between GDP and happiness index by assessing the global rankings of South Asian countries namely Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Maldives, Pakistan, and Sri Lanka. This paper has taken inspiration from the paper "A COMPARATIVE ANALYSIS OF HAPPINESS INDEX WITH GROSS DOMESTIC PRODUCT AND ITS IMPACT ON QUALITY OFLIFE ACROSS THE GLOBE" (2021) and the same technique has been used to find the results for South Asian countries. To evaluate the relation between the given quantitative and qualitative parameters GDP and Happiness index rankings were collected and represented in tabular and graphical presentations. According to the data obtained, countries with high moderate, and low happiness indexes were respectively grouped. Then a descriptive analysis is provided to explain the reasons for the respective positions of each country. Finally, a relation between them is observed and a comparison is made to conclude the study.

Results And Discussions:

Countries	GDP (Billions of dollars)	GDP World Rank	Happiness Index Score	Happiness Index Rank
India	3732.224	5	3.819	136
Pakistan	340.64	46	4.934	103
Sri Lanka	76.19	193	4.325	126
Afghanistan	14.17	189	2.523	146
Bangladesh	446.35	33	5.025	99
Maldives	6.98	149	5.198	87
Nepal	41.34	98	5.269	85

Based on the data mentioned above, we have considered 7 South Asian Countries and characterized them based on their Happiness Index Rank as mentioned in the World Happiness Report (2023) and then analyzed their Happiness Index along with their GDP performance in 2023. The categories are as follows: High Happiness Index Countries, Moderate Happiness Index Countries, and Low Happiness Index Countries.

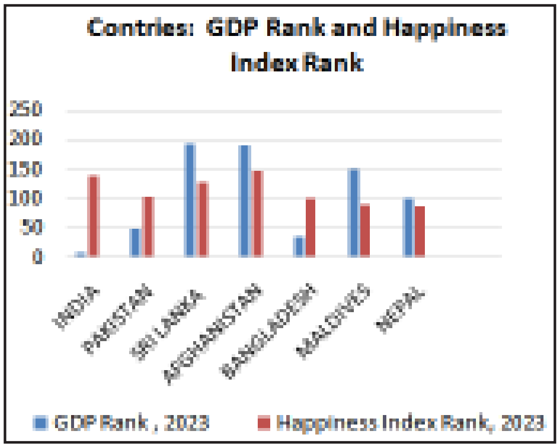

A) High Happiness Index Countries Analysis

Countries	GDP (Billions of dollars)	GDP World Rank	Happiness Index Score	Happiness Index Rank
Maldives	6.98 bn	149	5.198	87
Nepal	41.34 bn	98	5.269	85

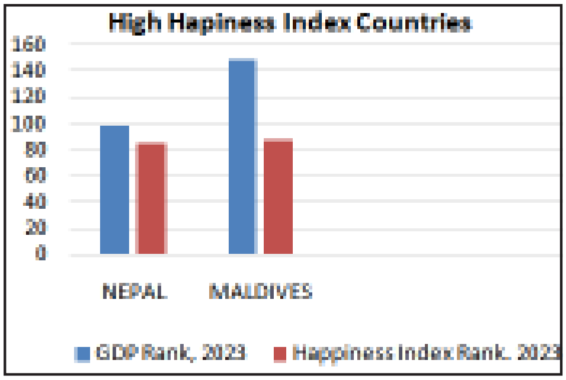

Starting with the analysis of countries with the highest Happiness Index Score according to the World Happiness Report 2023, Nepal and Maldives top the list among the South-Asian Countries with a Happiness Index Rank of 85 and 87 respectively. Nepal and Maldives are examples of those countries where quantitative growth is not affecting their level of Happiness Index Score because both countries do have the highest rank in happiness among south Asian countries but some countries are performing much better than them in the context of GDP Growth. Both may be performing low in various parameters but some growth can be seen there, like their HDI Scores. The life expectancy of Nepal in 2023 was 71.74 years, a 0.4% increase from 2022. The life expectancy of the Maldives in 2023 was 79.89 years, a 0.36% increase from 2022. People in Nepal are also happy due to the organizational support they are receiving which further helps them to balance their work-life. In the Maldives, people are not very efficient in balancing their work-life as compared to Nepal which is indicated by their GDP Growth Rates.

Nepal's GDP World Rank is 98 (41.34 Billion Dollars) while Maldives' GDP World Rank is 149 (6.98 Billion Dollars)

according to International Monetary Fund (2023). Now, if we talk about the GDP Components of Nepal, the Service sector has contributed about 52.5% to the GDP. Similarly, the Service Sector has the largest share of 70.76% in the GDP Composition of Maldives. The second largest component of Nepal's GDP is the agriculture sector. According to recent data from the World Bank, the agriculture sector employs 64.5% of the population in Nepal. However, the agriculture sector is still having a high number of subsistence farming cases, which is leading to low productivity in Nepal resulting in poor GDP performance. The Industrial Sector is the second largest component of GDP in the Maldives having a share of 11.23%. The Maldives has experienced low GDP due to reasons like political instability, global economic decline, and a lack of a diversified economy.

However, even though the Industrial Sector is the second largest component of GDP, there is the presence of a high level of disguised unemployment resulting in low productivity.

B) Moderate Happiness Index Countries

As per the World Happiness Report 2023, Bangladesh and Pakistan are among the South Asian countries with moderate happiness indices at ranks 99 and 103 respectively.

Countries	GDP (Billions of dollars)	GDP World Rank	Happiness Index Score	Happiness Index Rank
Bangladesh	355.689	42	5.025	99
Pakistan	292.217	46	4.934	103

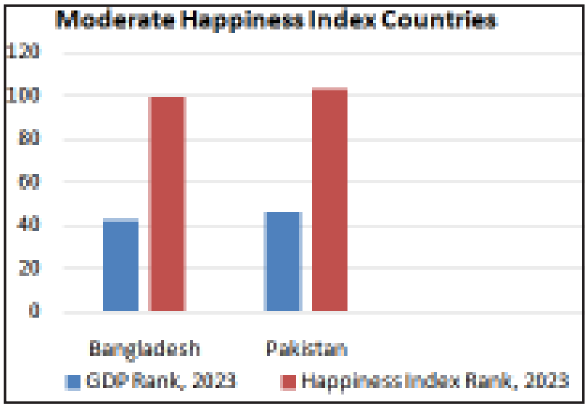

Bangladesh's average life expectancy in 2023 was 73.57 years, 0.39% higher than the previous year. Similarly, Pakistan's life expectancy, which is 67.79 years, increased by 0.23% from the previous year.

According to WHR 2018-2022 freedom to make life choices in Bangladesh is way better than that for people in Pakistan which has a low ranking. Similarly social support received by the people of Bangladesh is more than what the people of Pakistan receive. However, as per the global ranking, both countries hold a far lower position in this criterion. Along with these a combination of other parameters show that Bangladesh and Pakistan are moderately happy countries or could be considered as countries that are a little above the level of unhappy countries.

Moving on to the GDP contribution, in 2023, the service sector contributed approximately 58% of Pakistan's GDP, while agriculture contributed approximately 23% and industry contributed 19%. Income inequality, energy crisis, terrorism, corruption, lack of good governance, wealth concentration, and poor educational institutions are some of the reasons for Pakistan's slow economic development. Bangladesh experienced a 5.78% growth in FY23, down from 7.1% in the previous year. In FY22, the service sector continued to contribute the most to GDP (51.04%), followed by industry (33.92%), and agriculture (11.22%). Bangladesh demonstrated resilience in sustaining real GDP growth, while the majority of South Asian countries entered the recovery phase in 2021.Bangladesh is one of the world's largest clothing exporters. Despite this Bangladesh faces a lot of economic barriers. The introduction of a multiple exchange rate in 2022 disincentivized foreign exchangeinflows. Some obstacles to sustainable development in Bangladesh are overpopulation, unemployment, poor infrastructure, corruption, price instability, political instability, and slow implementation of economic reforms.

C) Low Happiness Index Countries Analysis

Countries	GDP (Billions of dollars)	GDP World Rank	Happiness Index Score	Happiness Index Rank
Sri Lanka	76.19 bn	193	4.325	126
Afghanistan	14.17 bn	189	2.523	146
India	3732.224bn	5	3.819	136

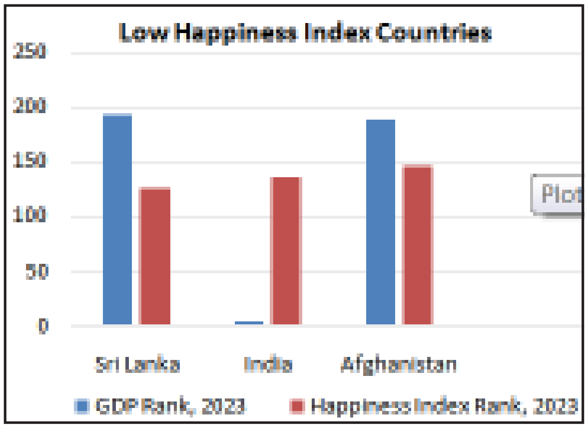

Coming to the analysis of countries with the Lowest Happiness Index, we consider Sri Lanka with Happiness Index Rank of 126, India having a rank of 136 and Afghanistan with a rank of 146. These countries have the lowest Happiness Index among the 7 South Asian countries but have varied GDP Growth rates.

Sri Lanka acquires the 126th position in the GDP World Rank issued by the International Monetary Fund. It has an annual GDP of 76.19 billion dollars. The economy

contracted by 7.8% in 2022 and 7.9% in the first half of 2023 post the economic crisis of 2021-22. Construction, manufacturing, real estate, and financial services suffered the most amid shrinking private credit, shortages of inputs, and supply chain disruptions, worsening the negative welfare impacts of income contractions and job losses registered in 2022. Sri Lanka's longstanding structural weaknesses were elevated by several shocks, which ultimately plunged the country into an economic crisis. Poor governance, a restrictive trade regime, a weak investment climate, episodes of loose monetary policy, and an administered exchange rate contributed to macroeconomic imbalances.

Afghanistan is inthe 189th position with an annual GDP of 14.17 billion dollarsFor Afghanistan, services, which make up 45% of the country's GDP, shrank by 6.5% last year, following a staggering 30% drop in 2021. The agriculture sector, which accounts for 36% of GDP, declined by 6.6% in 2022 due to unfavourable weather conditions and farmers' lack of resources to cope. The industrial sector also saw a contraction of 5.7% last year, as businesses—especially those owned by women—faced closures due to limited access to resources and financial challenges.79% of people in Afghanistan rely on agriculture for their daily sustenance but the share of the agriculture sector in GDP is not as high as its employment rate because most of the farmers have small farm holdings which don't allow them to practice commercial farming and earn higher wages. As a result, subsistence farming takes place at a higher rate which results in low productivity and less contribution to GDP.

India stands at the 5th position in the GDP World Rank, closing 2023 with a GDP of US$ 3.73 trillion, GDP per capita at US$ 2,610 and a projected GDP growth rate of 6.3 percent against the global average of 2.9 percent. The service sector has the largest share in the contribution of India's GDP i.e., 53.3%.Post-pandemic, India, instead of stressing the traditional consumption-driven approach, has focused more on an investment-led growth strategy. India has also strengthened its export of services.

Due to controversies of corruption, mismanagement, and political infighting, there is an increase in poverty with a steady increase in the number of people living below the poverty line, and a lack of jobs which further results in a low happiness index score for Sri Lanka and Afghanistan. In India, there are frequent instances where robber barons get away after defrauding banks of crores of rupees and corruption at all levels.

A thorough investigation is required to identify mechanisms and strategies that are effective and sustainable to make the social support available today in Sri Lanka more strong and more impactful. Older adults reporting themselves as having poor general health are comparatively more lonely than other older adults reporting good general health.In India, various economic, social, and psychological reasons are resulting in the neglect of care that elder members must receive from their families. According to Prakash(1998), a lonely environment is one of the major issues of female elders of a family but the changes in life situations are also playing their part to create problems.The concept of modernization and especially that ofthe nuclear family has proven to be a significant factor in causing socio-economic and psychological problems for Indian elder women. Stress, depression, and anxiety are prevalent in almost half of the Afghan population. The Government Document states that only around 10% of these people are provided proper psycho-social help by the State. To combat these issues, the Afghan government and international donors can expand the availability of mental health services along with outreach program services.

Conclusion: According to the research done above, the paper finds that countries with high happiness index had poor GDP performancerelatively. While the countries with moderate happiness index showed a fairly average GDP growth rate. Finally, the South Asian countries with low happiness index showed spread results, and the reason for the same was found to be in the approaches to their policy frameworks, political stability, and economic reforms of respective countries. Countries with strong implementation of policies and political stability like India showed better results in terms of GDP as compared to countries with very poor policy implementation and extremely high political instability like Afghanistan. This shows that the happiness of a country is not proportional to its GDP.

This researchsuggests that a different measure can be used to calculate the actual development of a nation considering the importance of both happiness index and GDP.

References:-

1. Ahmed Tamanna, Badrun Nessa. (2013). Poor but Happy? Understanding Happiness in Bangladesh. https://www.researchgate.net/publication/283497829_Poor_ but_Happy_Understanding_Happiness_in_Bangladesh
2. Annual Report (2021), Central Bank of Sri Lanka.
3. https://www.cbsl.gov.lk/sites/default/files/cbslweb_documents/publications/annual_report/2021/en/5_Chapter_01.pdf
4. BUREAU, MALDIVES. "Maldives Bureau of Statistics." Maldives Bureau of Statistics, http://statisticsmaldives.gov.mv/gross-domestic-product
5. Chandio, Abbas &Yuansheng, Jiang & Magsi, Habibullah. (2016). Agricultural Sub-Sectors Performance: An Analysis of Sector-Wise Share in Agriculture GDP of Pakistan. International Journal of Economics and Finance.
6. Chandio, A. A., Jiang, Y., Tanseerlur, R., Khan, M. N., Xu, G., & Zhao, Z. (2015). Analys International Journal

of Humanities and Social Science Invention, 4(8), 101-105. 101-105. 10.5539/ijef.v8n2p156.

7. Easterlin, Richard. (1995). Will raising the incomes of all increase the happiness of all?. Journal of Economic Behavior& Organization. 27. 35–47.
8. "Economic Growth | Afghanistan | U.S. Agency for International Development." Economic Growth | Afghanistan|U.S. Agency for International Development, 27 May 2022, http://www.usaid.gov/afghanistan/economic-growth
9. Esmail, Hanaa &Shili, Nedra. (2018). The Relationship between Happiness and Economic Development in KSA: Study of Jazan Region. Asian Social Science. 14. 78. 10.5539/ass.v14n3p78.
10. "GDP Growth in Asia and the Pacific, Asian Development Outlook (ADO) | ADB Data Library | Asian Development Bank." GDP Growth in Asia and the Pacific, Asian Development Outlook (ADO) | ADB Data Library | Asian Development Bank, 21 Sept. 2022, http://data.adb.org/dataset/gdp-growth-asia-and-pacific-asian-development-outlook
11. "GDP of Asian Countries 2021 - StatisticsTimes.com." GDP of Asian Countries 2021 -Greenfield, Marlene. "Pakistan - GDP Distribution Across Economic Sectors 2021 | Statista." http://www.statista.com/statistics/383256/pakistan-gdp-distribution-across-economic-sectors
12. GDP Rankings, IMF Report, 2023, https://www.imf.org/en/Publications/WEO
13. "Highlights of the Economic Activity Report 2020/21 – Nepal Economic Forum." http://nepaleconomicforum.org/highlights-of-the-economic-activity-report-2020-21
14. "India GDP Sector-wise 2021 - http://statisticstimes.com/." India GDP Sector-wise 2021 - http://statistics times.com/economy/country/india-gdp-sectorwise.php
15. LIFE ACROSS THE GLOBE | NVEO - NATURAL VOLATILES & ESSENTIAL OILS Journal | NVEO. Retrieved October 5, 2022, from https://www.nveo.org/index.php/journal/article/view/3048#:~:text=The%20 countries%20with%2 0moderate%20happiness, low%20in%20the %20happiness%20index
16. "Life Expectancy at Birth, Total (Years) - Nepal | Data." Life Expectancy at Birth, Total (Years) – Nepal https://www.macrotrends.net/global-metrics/countries/NPL/nepal/life-expectancy#:~:text=The %20current%20 life%20expectancy%20for,a%200.4%25%20 increase%20from%202021
17. Maldives, Corporate. "Rise in HDI Index in Maldives Despite Global Challenges, New UNDP Report Finds | Corporate Maldives." corporatemaldives.com, 12 Sept. 2022
18. Nagwanshi, D, P, M, V, R, Dhamodhar, & M R. (2021, December 18). *A COMPARATIVE ANALYSIS OF HAPPINESS INDEX WITH GROSS DOMESTIC PRODUCT AND ITS IMPACT ON QUALITY OF LIFE ACROSS THE GLOBE | NVEO - NATURAL VOLATILES & ESSENTIAL OILS Journal | NVEO*. A COMPARATIVE ANALYSIS OF HAPPINESS INDEX WITH GROSS DOMESTIC PRODUCT AND ITS IMPACT ON QUALITY OF
19. "Nepal Ranked 84th in World Happiness Report 2022; Finland Tops List." Nepal Ranked 84th in World Happiness Report 2022; Finland Tops List, 19 Mar. 2022, http://b360nepal.com/nepal-ranked-85th-in-world-happiness-report-2022-finland-the-happiest
20. Pakistan Bureau of Statistics, https://www.pbs.gov.pk/content/industry
21. Solutions, EIU Digital. "Afghanistan Economy, Politics and GDPGrowth Summary - the Economist Intelligence Unit." Afghanistan Economy, Politics and GDP Growth Summary- the Economist Intelligence Unit, http://country.eiu.com/afghanistan
22. Trends of the Real Sector of Bangladesh Economy, Chapter 2. https://www.bb.org.bd/pub/annual/anreport/ar2021/chap2.pdf
23. WHY INDIA RANKS SO LOW ON HAPPINESS. https://indiancc.mygov.in/wp-content/uploads/2022/08/mygov-99999999992128489152.pdf
24. "World Happiness Report, 2023", https://world happiness.report/ed/2023/

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054, April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

Religious and Medicinal Importance of some *Ficus* species

Dinisha Malviya*

***Assistant Professor & Head of Department, C.S.A Govt. P.G. lead College, Sehore (M.P.) INDIA**

Abstract - Nature give us many plants for our survival.Men and plants are always closely associated with each other.This paper deal religious & medicinal importance of Ficus species.
Keyword: Ficus religious medicinal.

Introduction - There has been a closed relationship between plants and mankind since the beginning of civilization In India trees and plant have been considered as god and worshipped.Ficus (Linn.) commonly known as a fig. it is the largest genus of Moraceae family. about 850 species of trees shrubs climbers creepers occurring in the tropics and subtropics reason of the world specially in India Malaysia to Australia Africa (Berg and Corner 2005). in India it is represented by 115 taxa,91 species and 24 intra specific taxa of which 10 are endemic (Choudhary at all 2012 and Sudhakar at all 2012). ficus is keystone in different ecosystem. .Fruits are eaten by insect and Birds. *Ficus* is the largest tree its purify the air and give shade also. medicinal properties in their difference parts like root stem Bark. e fruits. latex are used to cure piles, diabetes, Inflammation, ,Asthma, Blood pressure etc.

Some species of *Ficus* glomerata, Ficus benghalensis.,Ficus religiosa etc .are planted on the Bank of road for shelter and shade. social forestry and green belt planning. its leaves are the main food for various animals specially cows and goats.
beside it. *Ficus* species have religious value also.

Religious importance of *aFicus* species.

1. Peepal:- People has great importance since the beginning of creation. mention of people can we seen in our religious taxts Vedas and purans. it is believed that 33 crore God and goddess reude in the peepal. it is also considered to be the form of Jupiter. is believed the lord Vishnu reside into the root of Peepal and God Shiva reside in the trunk of Peepal and God Brahma resides in the front part of the tree.

2. Banyan tree:- It is also known as vat briksh. on the occasion of but Savitri amavasya married lady worshipped the Banyan tree for her husband long life.

3. Gular:- It is very important tree in Hindus religious taxt. it is related to Venus planet . it is believed that God Kuber reside in Gular Tree.

4. Pakad:- It is believed that it is very auspicious to place it in Uttar Disha.

medicinal importance of Ficus species.

1. Local name:-Peepal
Botanical name:-*Ficus religiosa*
Description:-it is a perineal tree. height of tree about 30 metre.
Useful part:-leaves and fruits.
medicinal importance. leaves are useful in the treatment of heart disease joint is fever nose bleeding fruits give relief from constipation.

2. local name :-Bargad
Botanical name:-Ficus bengalensis
Description : The tree reachs a height up to 3 metres.and laterally spread. Aerial prop roots that develop from its branches bark greyish white smooth, leaves alternate arranged large and leathery glossy, green and elliptical.
Useful part:-Bark and leaves.
Medicinal importance:—Bark and leaves are useful and posses analgesic and anti-inflammatory properties.Bark are useful in burning.

3. local name:-Gular
Botanical name:-Ficus glomerata
Description :- commonly known as clusterring Indian fig tree are Gular. it is a tall tree, dry season deciduous semi evergreen tree.
Useful part:- whole plant

Medicinal importance:- Gular has good antioxidant and anti cancer properties juice of the stem can help in destroying cancer cell.

4. local name :-Anjeer
Botanical name:-*Ficus carica*:-
small deciduous tree
useful part:- leaves and fruit
medicinal importance:-it is great source of Iron, Calcium, Phosphorus and fibre useful in gastric problem, inflammation etc

5 local name:-.Pakar
Botanical name Ficus virens
Description :-perennial evergreen tree
useful part:-bark and leaves
medicinal importance :-decoction of bark give strength to bones.
leaves control diabetes.

Conclusion: the *Ficus* species are belong to Moraceae family. Moraceae also known as ausupicious family.mostly species have religious values and also have medicinal properties.Hence this reason people protect the tree n conservation the nature. mostly species of *Ficus* relies oxygen in lots of amount and purifier the atmosphere. Therefore it is our moral duty to conserve the *Ficus* species for our survival.

References:-

1. Berg C.C.& Corner,E.J.H.2005. Flora of Malesiana Moraceae-*Ficus*.Series1,vol.17part2.National Herbarium Nederland, Leiden.
2. Choudhary,L.B.,Sudhakar,j.k.,Kumar,A.,Bajpai,O.,Tiwari,R.,&Murthy,G.V.S.2012.Synopsis of Genus *Ficus* L.in India Taiwania.57(2):193-216.
3. Tiwari,S.1996.*Ficus* religiosa A .Magical Tree.,Thesis

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

A Step Towards Sustainable Development Through Effective E-waste Management

Dr. Khatoon Aftab Kathawala*

***Asst. Prof., Dept. of Computer Science & Information Technology, B. N. University, Udaipur (Raj.) INDIA**

Abstract - One of the buzzwords that we hear everywhere these days is sustainability and how important it is to have sustainable development in every sphere of life so that we can leave a promising future to our coming generations. Looking at the criticality of the situation, the United Nations and all its member countries have framed the Sustainable Development Goals (SDG) 2030. Although the rapid technological advancements that are taking place all around the world make life easier and more comfortable, there are also numerous issues associated with these developments which are dangerously threatening the very environment in which we are living. One such problem is the growing e-waste that is being generated by the rapid discard of the electronic equipment. In this paper, we look at how e-waste management can be done to help achieve some of the goals of the Sustainable Development Goals (SDG) 2030.
Keywords: Sustainability, Sustainable Development Goals (SDG) 2030, E-waste, E-waste management etc.

Introduction - Human race has witnessed development in all spheres of life ever since the world started. Development is an ongoing process that triggers some change and enables growth and advancement of the human populace. Sustainable development is a comprehensive strategy for promoting development that aims to fulfill the current generation's needs while ensuring that future generations' needs can be met without any hindrance. It involves balancing economic, social, and environmental objectives and promoting policies, practices, and technologies that are sustainable and equitable. Realizing the utmost importance and criticality of sustainable development, all the countries in the United Nations adopted the 2030 Agenda for Sustainable Development in the year 2015. The agenda containing 17 goals encompassing 169 targets was adopted to look forward to a much greener, healthier and happier world.

Amongst all the developments that are taking place all around us, developments in the field of information technology are at the top. Today the world is witnessing technological revolution as new technological advancements and innovations are taking place at a rapid pace. This rapid shift in technology is forcing the society to continuously update itself to keep abreast with the latest changes reaping maximum benefits. However, this continuous up-gradation is resulting in a new environmental challenge as electrical and electronic products are fast becoming non-productive and obsolete with the result that a horrifying bulk of e-waste, also known as Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), is being generated. This e-waste has become a threat to both the human health and environment. The electrical and electronic equipment contains harmful components which are a reason to worry during the waste management process. Although formal waste management techniques do exist, however, in view of lack of awareness and proactive actions, most of the e-waste is informally and primitively handled which results in hazardous results. Increasing levels of e-waste, and improper and unsafe treatment, and disposal through incineration or in landfills pose significant challenges to the environment and human health, and to the achievement of the SGDs. In this paper, we look at how e-waste management can be done to help achieve some of the goals of 2030 Agenda for Sustainable Development.

Objectives:

1. To study the e-waste composition, hazardous effects and e-waste management process.
2. To establish relationship between SDG and e-waste management.
3. To suggest remedial measures to manage e-waste effectively to help realize SDG.

Research Methodology: To conduct the study, literature was procured from various sources like internet, journals and books and then the qualitative analysis was done of the data collected.

E-Waste : E-waste comprises of wastes generated from used electronic devices and household appliances which are not fit for their original intended use and are destined for recovery, recycling or disposal. Such wastes encompasses wide range of electrical and electronic devices such

as computers, hand held cellular phones, personal stereos, including large household appliances such as refrigerators, air conditioners etc.

Composition of e-waste is very diverse and differs in products across different categories. It contains more than 1000 different substances, which fall under “hazardous” and “non-hazardous” categories. Broadly, it consists of ferrous and non-ferrous metals, plastics, glass, wood & plywood, printed circuit boards, concrete and ceramics, rubber and other items. Iron and steel constitutes about 50% of the e-waste followed by plastics (21%), non ferrous metals (13%) and other constituents. Non-ferrous metals consist of metals like copper, aluminum and precious metals ex. silver, gold, platinum, palladium etc. The presence of elements like lead, mercury, arsenic, cadmium, selenium, and hexavalent chromium and flame retardants beyond threshold quantities in e-waste classify them as hazardous waste. Lead is reached into the ground water by the land filling of e-waste. Toxic fumes emit into air if CRT is crushed and burned. No refined machinery or personal protective equipment is used for the extraction of different materials which have ill effect both on human health as well as environment.

I. Effects on Air: Contamination in the air occurs when e-waste is informally disposed by dismantling, shredding or melting the materials, releasing dust particles or toxins, such as dioxins, into the environment that cause air pollution and damage respiratory health. When e-waste is burnt, it releases fine particles, which can travel thousands of miles, creating numerous negative health risks to humans and animals. The air pollution caused by e-waste impacts some animal species more than others, which may be endangering these species and the biodiversity of certain regions that are chronically polluted. Over time, air pollution can hurt water quality, soil and plant species, creating irreversible damage in ecosystems.

II. Effects on Soil: Improper disposal of e-waste in landfills or troughs, causes both heavy metals and flame retardants to seep into the soil, causing contamination of soil and underlying groundwater. This disrupts both the land and water hygiene of the surrounding area. When the soil is thus contaminated, the crops when cultivated are likely to absorb these toxins which in turn, can cause many diseases, both in humans and animals.

Contamination of soil also may take place as a result of deposition of large particles released during the informal process of burning, shredding or dismantling of e-waste. These pollutants can remain in the soil for a long period of time and can be harmful to microorganisms in the soil and plants. Ultimately, animals and wildlife relying on nature for survival will end up consuming affected plants, causing internal health problems.

III. Effects on Water: After being deposited in the soil, the harmful chemical particles then further penetrate to contaminate underlying groundwater and in the long run contaminate other water bodies like ponds, streams, lakes and rivers. This renders the water unsafe for any kind of usage by plants, animals and human beings. Acidification can kill marine and freshwater organisms, disturb biodiversity and harm ecosystems.

IV. Effects on Humans: E-waste contains toxic components such as mercury, lead, cadmium, polybrominated flame retardants, barium and lithium that are perilous to human health. These toxins have adverse effects on vital organs such as brain, heart, liver, kidney and skeletal system, to name a few. It can also have considerable adverse effect on the nervous and reproductive systems of the human body.

Recycling Methods Used: Due to the absence of any proper disposal system, enormous amount of e-waste has been generated in last 60-70 years. Both informal and formal methods exist for handling the e-waste. However, in the absence of awareness, lack of infrastructure and personal advantage, most of the e-waste is handled informally where the e-waste is collected and disposed by scrap dealers or dismantlers. These stakeholders have limited and primitive dismantling capacity. They separate the useful and useless part of the e-waste by breaking the e-waste in an improper way. The useful part is traded off whereas the useless part is either dumped off in a landfill or is burnt. In both the cases, it is harmful to the environment as poisonous gases are emitted in the air or other harmful substances are leaked in the land. At the same time, they also do not use any safety measures which increase the risk to the health of the worker.

In formal recycling method, the e-waste is collected and disposed by government authorized agency or company which do the e-waste management work in an environment friendly way. These organizations perform the e-waste management by using proper equipment and also provide proper safety measures to the worker on the recycling site. However, the awareness regarding these methods is very limited and the technology being used is expensive and requires skilled training.

SDG & E-WASTE : The 17 SDGs are responsible for the holistic sustainable development all around. There are multitudes of factors and things that need to be addressed, taken care of and improvised in order to realize these goals. One such factor is e-waste management which when done properly can help achieve some of the targets framed under some of these goals. These goals and the targets framed therein are identified as:

Sustainable Development Goal 3 is to “ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages” (Our World in Data team, 2023). To achieve this goal, 13 different targets and 28 indicators have been specified. Out of the 13 targets, target 3.9 which relates with environmental health and aims at reducing the number of deaths and illnesses from hazardous chemicals and air, water and soil pollution and contamination may be realized by proper handling of the e-waste.

Sustainable Development Goal 6 is to "ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all" (Our World in Data team, 2023). SDG 6 seeks to ensure safe drinking water and sanitation for all, focusing on the sustainable management of water resources, waste water and ecosystems, and acknowledging the importance of an enabling environment. To realize this goal, 08 different targets and 11 indicators have been specified. Target 6.1 which seeks to achieve universal and equitable access to safe and affordable drinking water for all and target 6.3 which aims to reduce pollution, eliminate dumping, and minimize release of hazardous chemicals and materials can be achieved with suitable e-waste management.

Sustainable Development Goal 8 is to "promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all (Our World in Data team, 2023). Total of 12 targets and 16 indicators have been defined under goal 8. Target 8.3 aims to promote development-oriented policies that support productive activities, decent job creation, entrepreneurship, creativity, and innovation, and to encourage the formalization and growth of micro-, small-, and medium-sized enterprises. 8.8 calls for the protection of labour rights and promotes safe and secure working environments for all workers, including migrant workers, particularly women migrants, and those in precarious employment.

Sustainable Development Goal 11 is to "make cities inclusive, safe, resilient, and sustainable" (Our World in Data team, 2023). For goal 11 to materialize, 10 targets and 16 indicators have been stated. 11.6 aim to reduce the adverse per capita environmental impact of cities, by paying special attention to air quality and to municipal and other waste management.

Sustainable Development Goal 12 is to "ensure sustainable consumption and production patterns" (Our World in Data team, 2023). For goal 12 to become a reality, 11 targets and 13 indicators have been identified. 12.4 aims to achieve the environmentally sound management of chemicals and all waste throughout the life cycle and to significantly reduce their release into air, water, and soil in order to minimize their adverse impacts on human health and the environment. Target 12.5 was framed to substantially reduce waste generation through prevention, reduction, repair, recycling, and reuse.

Sustainable Development Goal 14 is to "conserve and sustainably use the oceans, seas, and marine resources for sustainable development" (Our World in Data team, 2023). It encompasses 10 targets and 10 indicators. The targets relatable with e-waste are 14.1 and 14.2. Target14.1 focuses on prevention and reduction of marine pollution of all kinds, in particular from land-based activities. 14.2 aim to sustainably manage and protect marine and coastal ecosystems to avoid significant adverse impacts and take action for their restoration in order to achieve healthy and productive oceans.

Remedial Measures : To realize the above stated targets, there is a dire need to shift from informal to formal e-waste management sector which employs educated and trained manpower in the authorized and registered e-waste recycling centers to handle the e-waste using advanced technologies which minimizes air, water and soil contamination and at the same time maximizes extraction of useful metals. Although, complete shifting from informal to formal management sector is not immediately possible for lack of awareness and infrastructure, but a mid-way needs to be evolved which makes use of the best of both the informal and formal techniques. Collection and segregation of e-waste could be done informally but the shredding, dismantling and taking out of precious metals could be done using formal techniques. This will not only reduce land, water and air contamination but also provide clean and healthy working environment to the labour involved. The sound management of e-waste can create new employment opportunities and contribute to the economic growth in the recycling and refurbishing sector.

The principle of 3Rs i.e. Reduce, Reuse and Recycle needs to be incorporated. Reduce deals with both reduction in the production of electronic equipments and reduction in the amount of electronic waste generated. Reuse deals with using the same equipment for multiple purposes and furthering the life of equipment by donating it to the needy. Recycle deals with taking the used and waste equipments, extract materials of use from them, reprocess them and produce something useful from them. It, thus, converts the waste into something positive and constructive. As a result, after recycling, the waste material that is going to be finally disposed is significantly reduced and thus, harmful impact to the environment is reduced. At the same time, it ensures that the landfills are also not overtly filled. It also conserves natural resources by reusing them. It is, therefore, an instrumental step in the 3R which can be improved through innovative and more effective processes and technologies.

Rapid urbanization requires new solutions to address rising environmental and human health risks, especially in densely populated areas. Most e-waste will be generated in cities and it is particularly important to properly manage e-waste in urban areas, improve collection and recycling rates, and to reduce the amount of e-waste that ends up in dumpsites. The move towards smart cities and the use of ICTs for waste management offer new and exciting opportunities.

It is also equally imperative for all the countries to come together on a common forum and formalize and agree upon environmentally sound management of e-waste and frame laws to enforce these practices. Although, many initiatives have already been taken towards this but a lot more needs to be done for things to change and become sustainable.

Conclusion: With the ever increasing demand for electrical and electronic items, the e-waste generation is going to

increase many folds. To reduce the environmental footprint, proper recycling and disposing off techniques need to be used. Appropriate guidelines need to be laid out. As skilled personnel are required for this, proper training should be imparted. More e-waste recycling plants should be established. Newer and greener ways of designing and manufacturing products and equipments must be developed so that the generation of e-waste is minimized. Less toxic, easily recoverable and recyclable materials which can be taken back for refurbishment, remanufacturing, disassembly and reuse ought to be used. Proper management of e-waste can result in business opportunity as many people are involved in the process of collection, dismantling, segregation, refurbishment and recycling.

Sustainable environment is the need of the hour. All the major players viz. the government, the industrialists, the NGOs and the public need to sit together, frame policies and encourage the public at large to go for proper e-waste management so that we have a suitable environment to live in.

References:-

1. Borthakur, A., & Singh, P. (2012). Electronic waste in India: Problem and Policies. International Journal of Environment Science, 3, 354-362.
2. E-waste in India. (2011). Retrieved from rejyasabha. nic.in.
3. E-Waste Management Market in India to Grow at Around 30% during 2014-19. (2014). TechSci Research.
4. E-Waste & its Negative Effects on the Environment. Retrieved from: 'https://elytus.com/blog/e-waste-and-its-negative-effects-on-the-environment.html' [Online Resource]
5. Ghosh S., Joshi L.K. (2019). Management of Electronic Waste (E - Waste) in India: A New Environmental Challenge. IMS Management Journal, 11 (1), ISSN No. 0975-0800
6. Global-E-waste Monitor (2017) - Chapter 2(1).pdf
7. Gupta, M. (2008). Guidelines For Environmentally Sound Management Of E-Waste. Ministry Of Environment & Forests, Central Pollution Control Board, Delhi.
8. Joseph, K. (2007). Electronic Waste Management In India–Issues And Strategies. Eleventh International Waste Management and Landfill Symposium. Sardinia.
9. Need and Importance of Sustainable Development: Objectives, Goals. Retrieved from: 'https://www.aeiforia architects.com/blogs/need-and-importance-of-sustainable-development' [Online Resource]
10. Our World in Data team (2023) - "Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all" Published online at OurWorldInData.org. Retrieved from: 'https://ourworldindata.org/sdgs/economic-growth' [Online Resource]
11. Rathoure, D. A. (2014). National Scenario Of E-Waste Environment. Scientific India .
12. Sustainable Development Goals. Retrieved from 'https://www.who.int/europe/about-us/our-work/sustainable-development-goals' [Online Resource]
13. Verma, D. D., & Agrawal, S. (2014). E-waste management in India: Problems and Legislations. International Journal of Science, Engineering and Technology Research IJSETR, 3 (7).

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

Emerging Technologies in Cyber Security- How Best to Protect us from Cyber Threats

Sudhish Kumar*

***Asst. Prof. (Maths.) Govt. College, Khurai, Distt. Sagar (M.P.) INDIA**

Abstract - The concept of cybersecurity refers to cracking the security mechanisms that break in dynamic environments. In present days there is race between cyber threats and the mechanism of cyber security. With the advent of AI (artificial intelligence), chat GPT, machine learning data analyticswe are living in the world in the fast changing world of virtual reality. Most of us and our systems in working environment regularly face ever increasing threat of cyberbreaches and crimes and our bank accounts and as well as our children are exposed to hackers and cyber criminals. In this research paper we analyze the importance of use of modern technologies for the purpose of cyber security in a lucid manner and other related topics like ethical hacking.

Introduction - In the ever-evolving landscape of digital innovation, the surge of emerging technologies brings both unprecedented opportunities and formidable challenges, particularly in the realm of cyber security. While cyberattacks themselves are becoming more sophisticated, the rapid growth of emerging technologies such as 5G, robotic process automation and, of course, generative AI, means there are even more opportunities for cyberattacks and data breaches to occur. This blog post aims to unravel the complex dynamics of emerging technologies, such as quantum computing, artificial intelligence, cloud computing, and their profound impact on cyber security strategies and practices. We will explore how these technologies are reshaping threat landscapes, introducing new vulnerabilities, and simultaneously offering novel solutions to protect our increasingly interconnected world.

Quantum Computing, 5G Networks, and Edge Computing Emerging technologies such as quantum computing, 5G networks, and edge computing are accelerating at a rapid pace. Each of these technologies introduces distinct cyber security challenges:

Quantum Computing:

- **Encryption Vulnerabilities:** Quantum computers pose a threat to commonly used encryption algorithms like RSA and ECC, jeopardizing the privacy and integrity of sensitive data, including financial transactions and personal information.
- **Post-Quantum Cryptography:** The development and implementation of quantum-resistant cryptographic algorithms are essential to maintain secure communication in the quantum era.
- **5G Networks:**
- **Increased Attack Surface:** The expansive deployment of 5G networks amplifies the attack surface, encompassing more devices and higher data transmission volumes.
- **Network Slicing and Virtualization:** These features of 5G introduce new vulnerabilities, necessitating effective segmentation and isolation to prevent unauthorized access and data breaches.

Edge Computing:

- **Distributed Security:** The decentralized nature of edge computing demands consistent security measures across various nodes, including securing edge devices and communication channels.
- **Latency and Bandwidth Constraints:** Balancing security with the need for low-latency and real-time processing is crucial in edge computing environments .

Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML):- AI and ML are increasingly integral to cyber security, enhancing threat detection and security task automation. However, they also present unique challenges as AI is being used to create more advanced and sophisticated cyber attacks:

- **Misinformation and Disinformation:** AI's ability to generate human-like responses can be exploited to spread false information.
- **Phishing and Social Engineering:** AI-enhanced campaigns can deceive users into divulging sensitive information.
- **Bias and Unfair Representation:** AI algorithms can inherit biases from their training data, potentially leading to unfair or discriminatory outcomes.
- **Privacy and Data Protection:** Ensuring the security of personal and sensitive data shared with AI models is

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

paramount .

Cloud Computing: Cloud computing has seen significant adoption, with 93% of technology leaders in 2022 identifying as "mostly cloud." Securing cloud environments, however, remains a challenge:

- **Identity and Access Management (IAM):** Implementing strong IAM practices is essential for controlling access to cloud resources.
- **Data Loss Prevention (DLP):** Techniques like data classification and policy enforcement are crucial to prevent unauthorized data disclosure.
- **Incident Response and Forensics:** Developing specific incident response plans for cloud environments is necessary to effectively address security incidents .

Protection against cyber security challenges posed by emerging technologies

1. **Invest in Quantum-Resistant Encryption:** To counter the threat of quantum computing, organizations should invest in developing and adopting quantum-resistant encryption methods. This will help secure data against future quantum attacks.
2. **Robust Network Security for 5G:** Implement advanced security protocols and continuous monitoring systems to protect against the increased vulnerabilities of 5G networks. This includes the use of next-generation firewalls, intrusion detection systems, and regular security audits.
3. **Secure Edge Computing Infrastructure:** Establish strong security protocols at every node of the edge computing infrastructure. This should include regular updates, patch management, and secure authentication methods to protect against distributed security threats.
4. **Ethical AI and ML Practices:** Implement ethical guidelines and rigorous testing for AI and ML models to avoid biases and potential misuse. Regularly update these models to respond to new threats and ensure they are trained on diverse, unbiased data sets.
5. **Enhanced Cloud Security Measures:** Adopt a comprehensive cloud security strategy that includes strong identity and access management (IAM) controls, data loss prevention (DLP) systems, and an effective incident response plan tailored for cloud environments.
6. **Employee Training and Awareness:** Regularly train employees on cyber security best practices and the latest threats. This human element is crucial in defending against social engineering attacks and ensuring responsible use of technology.
7. **Regular Security Audits and Assessments:** Conduct regular security audits and risk assessments to identify and address vulnerabilities in the organization's cyber security infrastructure, particularly in areas affected by emerging technologies.

The integration of these emerging technologies in cyber security offers tremendous opportunities for innovation and efficiency. However, they also raise significant concerns about security, privacy, and data integrity. It is essential to prioritise research, development, and the implementation of advanced security measures to address these evolving challenges. Additionally, in 2022, a staggering 76% of organisations experienced a ransomware attack, indicating the increasing sophistication of cyberthreats and the urgent need for adaptive cybersecurity strategies . In this dynamic environment, staying updated on emerging technologies and their implications is critical for building robust, effective cyber security defences.

Organizations in all sectors worry about cybersecurity threats. In 2021, businesses experienced 50% more cyberattacks each week compared to 2020. Experts and researchers must constantly create new cybersecurity tools, techniques, and practices.

This page looks at the impact of cybersecurity threats and explores the latest trends in cybersecurity technology. We cover cloud encryption, extended detection and response, and context-aware security. We also examine defensive AI, manufacturer usage description, and zero trust.

Impact of Current and Emerging Cybersecurity Threats: Cybersecurity threats impact businesses, government, nonprofit groups, and people. Researchers and information security experts work regularly to create proactive methods and tools to improve cybersecurity.

Ransomware attacks and weaknesses from increased cloud service use are some emerging threats. Potential vulnerabilities of 5G technology and the evolution of the Internet of Things (IoT), which includes smart home devices, also pose securityrisks.

Today's New Cybersecurity Technologies: Below, we describe some of the most popular cybersecurity technologies in the field. We cover how they work and their applications in cybersecurity. Cybersecurity experts use these tools to defend against the cyberthreats described above.

Cybersecurity threats can stimulate the development of new cybersecurity technology. Read on for details about some of the most promising new technologies created to fight current cybersecurity threats.

Behavioural Analytics: Behavioural analytics looks at data to understand how people behave on websites, mobile applications, systems, and networks. Cybersecurity professionals can use behavioural analytics platforms to find potential threats and vulnerabilities.

Analysing patterns of behaviour can lead to identifying unusual events and actions that may indicate cybersecurity threats.

For example, behavioural analytics may find that unusually large amounts of data are coming from one device. This may mean a cyberattack is looming or actively happening. Other indicators of malicious activity include odd timing of events and actions that happen in an unusual sequence.

Benefits of using behavioural analytics include early detection of potential attacks and the ability to predict future attacks. Organizations can automate detection and response using behavioral analytics.

Blockchain: Blockchain is a type of database that securely stores data in blocks. It connects the blocks through cryptography. Blockchain allows information to be collected, but not edited or deleted.

Cybersecurity professionals can use blockchain to secure systems or devices, create standard security protocols, and make it almost impossible for hackers to penetrate databases.

Benefits of blockchain include better user privacy, reduction of human error, greater transparency, and cost savings by removing the need for third-party verification.

Blockchain also eliminates the security problem of storing data in one place. Instead, data gets stored across networks, resulting in a decentralized system that is less vulnerable to hackers.

Challenges of using blockchain include the cost and inefficiency of the technology.

Cloud Encryption: Cloud services improve efficiency, help organizations offer improved remote services, and save money. However, storing data remotely in the cloud can increase data vulnerabilities. Cloud encryption technology changes data from understandable information into an unreadable code before it goes into the cloud.

Cybersecurity professionals use a mathematical algorithm to complete cloud encryption. Only authorized users with an encryption key can unlock the code, making data readable again. This restricted access minimizes the chance of data breaches by unauthorized attackers.

Experts agree that cloud encryption is an excellent cybersecurity technology for securing data. Cloud encryption can prevent unauthorized users from gaining access to usable data. Cloud encryption can also foster customer trust in cloud services and make it easier for companies to comply with government regulations.

Context-Aware Security: Context-aware security is a type of cybersecurity technology that helps businesses make better security decisions in real time.

Traditional cybersecurity technologies assess whether or not to allow someone access to a system or data by asking yes/no questions. This simple process can cause some legitimate users to be denied, slowing productivity.

Context-aware security reduces the chance of denying entry to an authorized user. Instead of relying on answers to static yes/no questions, context-aware security uses various supportive information like time, location, and URL reputation to assess whether a user is legitimate or not.

Context-aware security streamlines data-accessing processes and makes it easier for legitimate users to do their work. However, end-user privacy concerns pose a challenge.

Defensive Artificial Intelligence (AI): Cybersecurity professionals can use defensive artificial intelligence (AI) to detect or stop cyberattacks. Savvy cybercriminals use technologies like offensive AI and adversarial machine learning because they are more difficult for traditional cybersecurity tools to detect.

Offensive AI includes deep fakes, false images, personas, and videos that convincingly depict people or things that never happened or do not exist. Malicious actors can use adversarial machine learning to trick machines into malfunctioning by giving them incorrect data.

Cybersecurity professionals can use defensive AI to detect and stop offensive AI from measuring, testing, and learning how the system or network functions.

Defensive AI can strengthen algorithms, making them more difficult to break. Cybersecurity researchers can conduct harsher vulnerability tests on machine learning models.

Extended Detection and Response (XDR): Extended detection and response (XDR) is a type of advanced cybersecurity technology that detects and responds to security threats and incidents. XDR responds across endpoints, the cloud, and networks. It evolved from the simpler traditional endpoint detection and response.

XDR provides a more holistic picture, making connections between data in different places. This technology allows cybersecurity professionals to detect and analyse threats from a higher, automated level. This can help prevent or minimize current and future data breaches across an organization's entire ecosystem of assets.

Cybersecurity professionals can use XDR to respond to and detect targeted attacks, automatically confirm and correlate alerts, and create comprehensive analytics. Benefits of XDR include automation of repetitive tasks, strong automated detection, and reducing the number of incidents that need investigation.

Manufacturer Usage Description (MUD): Manufacturer usage description (MUD) is a standard created by the Internet Engineering Task Force to strengthen security for IoT devices in small business and home networks.

IoT devices are vulnerable to network-based attacks. These attacks can lead to loss of private data or cause a machine to stop working properly. IoT devices need to be secure without costing too much or being too complicated.

Benefits of using MUD include simply, affordable improved security for IoT devices. Cybersecurity professionals can use MUD to make devices more secure against distributed denial of service attacks. MUD can help reduce the amount of damage and data loss in the event of a successful attack.

Zero Trust: Traditional network security followed the motto "trust but verify," assuming that users within an organization's network perimeter were not malicious threats. Zero Trust, on the other hand, aligns itself with the motto, "never trust, always verify."

A framework for approaching network security, Zero

Trust makes all users authenticate themselves before they get access to an organization's data or applications.

Zero Trust does not assume that users inside the network are more trustworthy than anyone else. This stricter scrutiny on all users can result in greater overall information security for the organization.

Cybersecurity professionals can use Zero Trust to deal more safely with remote workers and challenges like ransomware threats. A Zero Trust framework may combine various tools, including multi-factor authentication, data encryption, and endpoint security.

Regulation: As the frequency of cyberattacks continues to grow significantly each year, governments are beginning to use and promote best practice regulations. In the past, the governments did not often get involved in cybersecurity issues.

Security Magazine, an industry publication for cybersecurity professionals, predicts that 2022 will be the year that governments start to play a bigger role in regulating how organizations ensure user information security.

Potential regulatory changes include executive orders regarding cybersecurity standards for government suppliers, penalties for companies that do not engage in best practices, increased demand for cyber insurance, and ransomware disclosure laws. Greater regulation will likely lead to improved security standards.

Organizations Researching Cybersecurity Technology: The following list of organizations conduct research on cybersecurity technology and trends. Visit these websites to stay informed about the latest developments in the field.

- **Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory:** Massachusetts Institute of Technology's CSAIL conducts computing research to improve life and help machinesoperate more efficiently and effectively. The organization of more than 60 researchgroups creates new technologies. The group works with an annual budget of more than$65 million.
- **Cyber Security and Privacy Research Institute:** An interdisciplinary research instituteat George Washington's School of Engineering & Applied Science, CSPRI coordinatesresearch, conferences, and campus dialogue on cybersecurity and privacy. The instituteworks with private organizations and government agencies. Research topics include foodchain security, K-12 cyberlearning, and the gender gap in cybersecurity careers.
- **Institute for Information Security & Privacy:** Georgia Tech's School of Cybersecurityand Privacy's IISP serves as a starting point for 13 cybersecurity labs, centers, andfacilities. Faculty and students work in cybersecurity projects focused on resilient military cyber defense, embedded systems, and data mining. The institute includes200,000 square feet of classified research space.
- **National Cybersecurity Center of Excellence:** The NCCoE includes government, industry, and academia dedicated to protecting the nation's infrastructure and securing ITsystems. Featured projects explore 5G cybersecurity, data classification, andcryptography. Participants can make technical contributions, join a community of interest, and engage academically.
- **Rand Corporation:** The Rand Corporation focuses on improving decision making andpolicy through research and analysis in diverse research areas, including cybersecurity. Cybersecurity research explores topics like preparing for cyberattacks at the local level, extremism online, and detecting U.S. government cyber vulnerabilities. Find reports, brochures, and multimedia research resources on the group's website.

Conclusion: Thus we can safely conclude that the war against cyber threats posed by cyber criminals eyeing our money and our vulnerable children can best and who make misuse of modern technologies can best be fought and won by intelligent use of available modern technologies.

Reference:-

1. We have used open ended study material freely available on the topic of cyber security on internet.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

शिक्षा में मनोविज्ञान की आधारभूत भूमिका

श्रीमती कविता रामाणी* श्रीमती संध्या पाटिल**

* पूनमचंद गुप्ता वोकेशनल महाविद्यालय, खंडवा (म.प्र.) भारत
** पूनमचंद गुप्ता वोकेशनल महाविद्यालय, खंडवा (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – शिक्षा मनुष्य के विकास की पूर्णता की अभिव्यक्ति है। शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य अपनी इच्छा शक्ति की धारा पर नियंत्रण कर सकता है, शिक्षा को शब्द संग्रह अथवा शब्द समूह की स्मृति में न देखकर विभिन्न शक्तियों के विकास के रूप में देखा जाना चाहिए। शिक्षा स्वयं को पहचानने की, अपनी शक्तियों की पहचान की क्षमता का विकास करती है। शिक्षा एक साधन है जो व्यक्ति के आंतरिक गुणों को प्रखर करती है, उसमें जो आतंरिक शक्तियों है उनका विकास करती है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि बालक के नैतिक, शारीरिक, संवेगात्मक, बौद्धिक एवं आंतरिक ज्ञान को बाहर लाने वाली एक क्रिया है। शिक्षा के द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास होता है, शिक्षा की प्रक्रिया जीवन पर्यत चलती है, कभी रुकती नहीं है।

शब्द कुंजी – शिक्षा, मनोविज्ञान, अधिगम, क्षमता, करके सीखना, आंतरिक शक्तियां, पाठ्यचर्या, विकास, सर्वांगीण विकास, शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम, सीखना और सिखाना।

परिकल्पना:

1. शिक्षा मनोवैज्ञानिक एक दूसरे के पूरक हैं।
2. शिक्षा और मनोविज्ञान का स्वयं में भी महत्वपूर्ण स्थान है, परंतु दोनों का एक दूसरे के बिना निर्वाह नहीं हो सकता।
3. शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा बालकों की आंतरिक शक्तियों का विकास होता है।
4. शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा समस्यात्मक बालकों का अध्ययन किया जाता है।
5. मनोविज्ञान मानसिक विकास का सबसे बड़ा उपागम है।
6. शिक्षा में मनोविज्ञान के द्वारा मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है।

शिक्षा– शिक्षा सीखना नहीं वरन् मस्तिष्क की शक्तियों का अभ्यास और विकास है, बालक के भावी जीवन की तैयारी तथा उसकी क्षमताओं को निखारना शिक्षा का उद्देश्य समझा जाता है। शिक्षा, व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिसके द्वारा वह सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकता है। शिक्षा शब्द का प्रयोग तीन रूपों में किया जाता है–

1– ज्ञान के लिए, 2– मानव की शारीरिक एवं मानसिक व्यवहार में परिवर्तन हेतु, 3– पाठ्यचर्या के विकास के लिए।

शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के 'शिक्ष' धातु से बना है। 'शिक्ष' धातु में 'आ' लगाने से 'शिक्षा' की उत्पत्ति हुई है। शिक्षा शब्द से तात्पर्य 'सीखना और सिखाना' है, जो जीवन पर्यत चलती है। बालक को प्राकृतिक वातावरण के साथ अनुकूलन करना पड़ता है। थोड़ी आयु बढ़ने के साथ वह बालक सामाजिक व आध्यात्मिक वातावरण के साथ सांमजस्य स्थापित करते समय अनेक अनुभव अर्जित करता है ये अर्जित अनुभव ही शिक्षा है। व्यापक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति शिक्षक और विद्यार्थी दोनों है क्योंकि सीखना और सिखाना प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। सिखाने वाली प्रत्येक परिस्थिति या स्थान विद्यालय है तथा सिखाने वाला प्रत्येक व्यक्ति शिक्षक है और जिनको वह सिखाता है वह सभी शिष्य है। बालक का सर्वांगीण विकास तभी संभव है जब उसके जीवन के प्रत्येक पहलू पर दृष्टिपात किया जाए। प्रथमत: वह अपने साथ बहुत सी जन्मजात प्रवृत्तियों को लेकर जन्म लेता है, उनका प्रगतिशील समाज के अनुकूल विकास करना शिक्षा का ही कार्य है। बालक की समस्त शक्तियों को विकसित करने के लिए स्वतंत्र वातावरण की सृष्टि होनी चाहिए जिससे उसे अपनी क्रियाओ को अवरुद्ध न करना पड़े। कभी–कभी माता–पिता के अभाव में अनाथ बच्चों को मनचाहा कार्य करने का अवसर नहीं मिल पाता। इसका प्रभाव उसके पनपते व्यक्तित्व पर पड़ेगा। इसलिए जीवन में संतुलन की आवश्यकता हमें हर कदम पर है। शिक्षा वह औषधि है जो जीवन को संतुलित करती है। शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना है : शिक्षक, समाज एवं पाठ्यक्रम, विद्यार्थी।

इसे हम शिक्षा का त्रिकोण कह सकते हैं इस शिक्षा का मुख्य कार्य बालक का सर्वांगीण विकास कर आगे बढ़ने योग्य बनाना। बालकों को शिक्षा हम अनेक प्रकार से दे सकते हैं —

1. नियमित तथा अनियमित शिक्षा, 2. प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष शिक्षा, 3. सामान्य तथा विशिष्ट शिक्षा 4. सामूहिक तथा वैयक्तिक शिक्षा। इन चार प्रकार से हम शिक्षा की उपयोगिता को समझ सकते हैं और समझा सकते हैं।

मनोविज्ञान क्या है – मनोविज्ञान मन और व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन हैद्य मनोविज्ञान मानसिक प्रक्रिया मस्तिष्क के कार्यो और व्यवहार के अध्ययन के समझ में सक्रिय रूप से शामिल है। इसमें मानव मन की विभिन्न अवस्थाओं और क्रियाओं का तथा उनके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान का अविर्भाव 19वीं शताब्दी में सन 1879 ईसवीं में हुआ था। विलियम वुन्ट ने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना की थी।

मनोविज्ञान की विकासात्मक यात्रा:

1. आत्मा के रूप में मनोविज्ञान
2. मन के रूप में मनोविज्ञान
3. चेतना के रूप में मनोविज्ञान

4. व्यवहार के रूप में मनोविज्ञान

इन चार अवस्थाओं के द्वारा मनोविज्ञान ने अपने विकास की यात्रा पूर्ण की। अंत में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया क्योंकि व्यक्ति के व्यवहार से ही हम उसका अवलोकन कर सकते हैं और हमारे व्यवहार के द्वारा ही आंतरिक गुण भी बाहर आते हैं। मनोवैज्ञानिक ऐसा विज्ञान है जो क्रमबद्ध रूप से प्रेक्षणीय व्यवहार का अध्ययन करता है तथा प्राणी के भीतर के मानसिक एवं दैहिक प्रक्रियाओं जैसे– चिंतन, भाव आदि तथा वातावरण की घटनाओं के साथ उनका संबंध जोड़कर अध्ययन करता है। मानसिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत –संवेदना, अवधान, प्रत्यक्षण, सीखना, स्मृति चिंतन आदि आते हैं। मनोविज्ञान की कार्य क्षेत्र को समझने के लिए उसे तीन श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है:

1. पहली श्रेणी में शिक्षण का कार्य।
2. दूसरी श्रेणी में मनोवैज्ञानिक समस्याओं पर शोध।
3. तीसरी श्रेणी में मनोवैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर कौशलों एवं तकनीक का उपयोग।

मनोविज्ञान की अनेक शाखाएं हैं इनमें से कुछ प्रमुख शाखाएं निम्नलिखित प्रकार से है–

सामाजिक मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान, व्यावहारिक मनोविज्ञान, स्वास्थ्य और जैविक मनोविज्ञान,फॉरेंसिक मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान,औद्योगिक मनोविज्ञान, सैन्य मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान। इन शाखाओं में मनोविज्ञान का व्यावहारिक प्रयोग किया जाता है और बालकों के व्यवहार का विस्तृत रूप से अध्ययन करने के लिए हम शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं।

मनोविज्ञान में शिक्षा– शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा मानव व्यवहार में परिवर्तन करके उसे उत्तम बनती है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, शिक्षा को अपने प्रत्येक कार्य के लिए मनोविज्ञान द्वारा स्वीकृति प्राप्त करनी पड़ती है। शिक्षा को सर्वप्रथम वैज्ञानिक रूप देने का श्रेय शिक्षा मनोविज्ञान को ही जाता है मनोविज्ञान की विषय वस्तु का उपयोग शैक्षिक समस्याओं के समाधान करने हेतु किया जाता है। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में उन मनोवैज्ञानिक समस्याओं का अध्ययन करता है जो एक बालक एवं उसके स्कूल के अध्यापक तथा अध्यापन कार्य से संबंधित है। मनोविज्ञान ने शिक्षा के क्षेत्र में कई वैचारिक तथा व्यावहारिक परिवर्तन किए हैद्य शिक्षा के क्षेत्र में लोगों की प्राचीन धारणाओं को तोड़कर नवीन अवधारणा को विकसित किया है। मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षा बाल केंद्रित बनी हैद्य अब शिक्षा बालक हेतु है न कि बालक शिक्षा हेतु। शिक्षा में बालकों की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान मनोविज्ञान के द्वारा प्राप्त हुआ है, चाहें व्यक्तिगत भिन्नताएं हों, पाठ्यक्रम निर्माण में हों, रुचियां तथा मूल प्रवृत्तियां हों, पाठ्य सहगामी क्रियाएं हों, इन सब में बदलाव शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही आता है। शिक्षा, मनोविज्ञान से कभी पृथक नहीं रही है, मनोविज्ञान चाहे दर्शन के रूप में रहा हो, उसने शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति का विकास करने में, विवेचन व विश्लेषण करने में सहायता प्रदान की है।

शिक्षा में मनोविज्ञान– शिक्षा मनोविज्ञान श्शिक्षाश और 'मनोविज्ञान' दो शब्दों से मिलकर बना है। शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ सामाजिक प्रक्रिया के रूप में शिक्षा से और व्यावहारिक विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान से ग्रहण करता है। यह मनोविज्ञान का व्यावहारिक रूप है और शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है बिना मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षण प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न नहीं हो सकती। शिक्षा मनोविज्ञान से तात्पर्य है शिक्षक व सिखाने की प्रक्रिया को सुधारने के लिए मनोवैज्ञानिक के सिद्धांतों का प्रयोग करने से है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है, इसमें शिक्षक की प्रभावशाली तकनीक को विकसित करना तथा अधिगमकर्ता की योग्यताओं एवं अभिरुचियों का आकलन करना है। यह व्यावहारिक मनोविज्ञान की शाखा है जो शिक्षक व सिखाने की प्रक्रिया को सुधारने में प्रयासरत है। शिक्षा जगत में शिक्षा मनोविज्ञान का कई महत्वपूर्ण योगदान हैं। यह शिक्षक को एक सफल शिक्षक बनने में उपयोगी समझ तथा ज्ञान प्रदान करता है, विद्यार्थी भी शिक्षा मनोविज्ञान से लाभ प्राप्त कर अपना संवेगात्मक, शारीरिक तथा मानसिक विकास को संतुलित कर सकते हैं। शैक्षिक मनोविज्ञान, पाठ्यक्रम और पाठ विकास के साथ–साथ कक्षा प्रबंधन दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकता है, उदाहरण के लिए शिक्षक, शैक्षिक मनोविज्ञान की अवधारणाओं का प्रयोग उन तरीकों को समझने और संबोधित करने के लिए कर सकते हैं, जिनमें तेजी से बदलती प्रौद्योगिकियां, उनके छात्रों को सिखाने में मदद करती हैं। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा की पद्धतियों एवं सिद्धांतों का निर्माण करता हैद्य शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा के सभी क्षेत्रों का प्रभाव है, वर्तमान शिक्षा प्रणाली इससे अत्यधिक प्रभावित है क्योंकि यह शिक्षा संबंधी समस्याओं को सुलझाने में समर्थ है।

मनोविज्ञान का शिक्षा के साथ संबंध– मनोविज्ञान का शिक्षा के साथ निम्न प्रकार से संबंध है:

(1) मनोविज्ञान तथा शिक्षा के उद्देश्य– मनोविज्ञान के द्वारा यह ज्ञात किया जा सकता है कि शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते है अथवा नहींद्य शिक्षक ने अपने उद्देश्य में कितनी सफलता प्राप्त की है, यह मनोविज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है।

(2) मनोविज्ञान तथा पाठ्यक्रम– मनोविज्ञान में बालक की सर्वांगीण विकास में पाठ सहगामी क्रियाओं को महत्वपूर्ण बनाया है इसलिए विद्यालयों में खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि की विशेष रूप से व्यवस्था की जाती है।

(3) मनोविज्ञान तथा पाठ पुस्तकें– पाठ्य पुस्तकों का निर्माण बालक की आयु रुचियां और मानसिक योग्यताओं को ध्यान में रखकर करना चाहिए, जिससे वह सरलता से शिक्षा प्राप्त कर सके।

(4) मनोविज्ञान तथा समय सारणी– शिक्षा में मनोविज्ञान द्वारा उपयोग किए जाने वाला मुख्य सिद्धांत है कि नवीन ज्ञान का विकास पूर्व ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए। मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षण प्रक्रिया हेतु समय सारणी का निर्माण सरलता से किया जा सकता है, जिससे विद्यार्थियों की शिक्षण क्रिया में रूचि बढ़ती है।

(5) मनोविज्ञान तथा शिक्षण विधियां– मनोविज्ञान के द्वारा कई शिक्षण विधियों का शिक्षण प्रणाली में प्रयोग किया जाता है, जिसमे से बालकों के 'करके सीखने' एवं 'खेल–खेल में' सिखने पर अत्यधिक बल दिया गया है। इस उद्देश्य से 'करके सीखना', खेल द्वारा सीखना, रेडियो पर्यटन, चलचित्र आदि को शिक्षण विधियों में स्थान दिया गया।

(6) मनोविज्ञान तथा अनुशासन– मनोविज्ञान द्वारा प्रेम, प्रशंसा और सहानुभूति को अनुशासन के लिए एक अच्छा आधार माना है। मनोविज्ञान, शिक्षक और विद्यार्थी दोनों में अनुशासन गुणों का विकास करता है।

(7) मनोविज्ञान तथा अनुसंधान– मनोविज्ञान ने सीखने की प्रक्रिया के संबंध में खोज करके अनेक उपयोगी नियम एवं सिद्धांत बनाए हैं, इनका प्रयोग करने से बालक कम समय में और अधिक अच्छी प्रकार से सीख सकता है।

(8) मनोविज्ञान तथा परीक्षाएं– मनोविज्ञान द्वारा बुद्धि परीक्षा व्यक्तित्व परीक्षा तथा वस्तुनिष्ठ परीक्षा जैसी नई परिक्षण विधियों का परिक्षण एवं मूल्यांकन के लिए प्रयोग किया गया है।

(9) मनोविज्ञान तथा अध्यापक और समाज – शिक्षा में तीन प्रकार के संबंध होते हैं – बालक तथा शिक्षक का संबंध, बालक और समाज का संबंध तथा बालक और विषय का संबंध। शिक्षा में सफलता तभी मिल सकती है जब इन तीनों का संबंध उचित हो।

निष्कर्ष– इस प्रकार हमने देखा कि शिक्षा में मनोविज्ञान की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है शिक्षा को हम जितना मनोवैज्ञानिक तरीके से विद्यार्थियों को प्रदान करेंगे उतना ही ज्यादा विद्यार्थियों का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक रूप से विकास होगा। शिक्षा, विद्यार्थी में स्वयं को पहचानने की क्षमता का विकास करती है, स्व–अनुशासन की भावना का विकास होता है। शिक्षा को मनोवैज्ञानिक रूप से हम जितना समझेंगे उतना ही विद्यार्थियों और व्यक्तियों की आतंरिक शक्तियां उनके अंदर से बाह्य रूप में आएंगी और यह शक्तियां बाह्य रूप में आने की पश्चात निखर कर आती है। नवीन शिक्षण विधियां और शिक्षण सामग्री के द्वारा शिक्षक विद्यार्थियों के मन को स्पर्श करता हैद्य यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। शिक्षा और मनोविज्ञान का संबंध वर्षों से निरंतरता लिए हुए हैं। बालकों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए हम शिक्षा और मनोविज्ञान का प्रयोग करते हैं। इस तरह शिक्षा में मनोविज्ञान की आधारभूत भूमिका होती है क्योंकि शिक्षा, मनोविज्ञान के बिना अपूर्ण है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहेगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. शिक्षा मनोविज्ञान एस. के. मंगल, 2007
2. शिक्षा मनोविज्ञान एच. एस. सिन्हा और रचना शर्मा, 2004
3. शिक्षा में मनोवैज्ञानिक परिदृश्य प्रो. रमन बिहारी लाल एवं सुनीता पलोड, 2023
4. शिक्षा मनोविज्ञान, सुधा अग्रवाल, 2017
5. उच्चतर शिक्षा मनोविज्ञान– डॉ. मोहम्मद सुलेमान, 2007
6. Essentials of Educational Psychology, 3rd Edition- Agarwal J.C., 2014
7. Advanced Educational Psychology-S S. Chauhan, 1987
8. Indian Psychology and Education Perspectives 2010

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

ई-कॉमर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

श्रीमती वंदना मेघवाल* डॉ. साक्षी चौहान**

* सहायक आचार्य (व्यावसायिक प्रशासन विभाग) राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत
** सहायक आचार्य (व्यावसायिक प्रशासन विभाग) राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

शोध सारांश – यह शोध पत्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और व्यापार के बीच प्रभाव पर विचार करता है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से लाभ उठाने की संभावना को समझते हुए इस अध्ययन में व्यावसायिक शक्तियों और सामाजिक परिवेश का अध्ययन किया गया है। व्यापारियों और उद्योगों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग की संभावना और उनके व्यावसायिक प्रतिक्रियाओं पर विचार किया गया। आंतरिक और बाह्य अध्ययनों का अध्ययन करके यह शोध पत्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और व्यावसायिक दृष्टिकोण से संबंधित सामाजिक, व्यवसायिक और तकनीकी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।

प्रस्तावना – आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ है कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता। इसके द्वारा कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है जिसके आधार पर तर्कों को चलाने का प्रयास किया जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर मानव मस्तिष्क काम करता है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को संदर्भित करता है जो किसी की बौद्धिक कार्य को समझने सीखने और बुद्धि को लागू करने की क्षमता रखता है।जिसे इंसान कर सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर सिस्टम के विकास को संदर्भित करता है जो ऐसे काम कर सकता है जिसके लिए आमतौर पर मानव दिमाग की जरूरत होती है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक जॉन मैकार्थी थे। अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक और संज्ञानात्मक वैज्ञानिक थे।

ई-कॉमर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस – ई-कॉमर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग है।आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम खरीददार के पिछले खोजों, पसंद, अवसर खरीदी के प्रोडक्ट से खरीदार के व्यवहार का अनुमान लगा सकते हैं। यूजर के व्यवहार का अनुमान लगाकर ई-कॉमर्स वेबसाइट उन प्रोडक्ट का सुझाव दे पाते हैं जिनमें यूजर की खास रुचि होती है।

ई-कॉमर्स उद्योग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं द्वारा चैट बॉक्स सेवाओं को प्रदान करने ग्राहकों की प्रतिक्रिया का विश्लेषण करने और ऑनलाइन दुकानदारों को व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जा रहा है।।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के क्षेत्र:

1. **शिक्षा–** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसके उपयोग से शिक्षा में व्यक्तिगत कृत शिक्षा शिक्षा का संचार और शिक्षक प्रणाली में सुधार किया जा रहा है। उदाहरण, केरल के त्रिवेंद्रम हायर सेकेंडरी स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर आयरिश की नियुक्ति की है। यह विभिन्न विषयों पर विभिन्न स्तरों के प्रश्नों का उत्तर दे सकती है।आवाज सहायता प्रदान कर सकती है और इंटरएक्टिव सीखने की सुविधा प्रदान कर सकती है। मेकरलैब्स एडु टेक प्राइवेट लिमिटेड के अनुसार आयरिश को अटल टिंकरिंग लैब के हिस्से के रूप में बनाया गया था, जो स्कूल में छात्रों की पाठ्येतर गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 2021 की नीति आयोग परियोजना का हिस्सा है।
2. **रोबोटिक्स–** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ संयुक्त रूप से रोबोटिक में उपयोग से ऑटोमेशन स्वत गतिविधियों और उत्पादन में सुधार हो रहा है।
3. **वित्तीय सेवाएं–** बैंकिंग बीमा निवेश और अन्य वित्तीय सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग वित्तीय संचालन डेटा विश्लेषण और सुरक्षा के सुधार के लिए हो रहा है।
4. **स्वास्थ्य और चिकित्सा –**आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से रोग के निदान और उपचार मेडिकल इमेजिंग रोग परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल में सुधार किया जा रहा है।

इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में भी हो रहा है जैसे कि सैन्य वाणिज्यिक और सरकारी सेवाएं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में नवीनतम और सुगमता के अवसर प्रदान करता है और समस्याओं का समाधान करता है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ई-कॉमर्स में लाभ:

1. **ऑनलाइन स्टोर के भीतर खोज अधिक राहत केंद्रित हो गई है –** ई-कॉमर्स वेबसाइट में ग्राहक केंद्रित खोज परिणामों की कमी के कारण बहुत सारे उपयोगकर्ता वास्तव में बंद हो जाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स और मशीन लर्निंग का उपयोग करके खोज परिणामों में काफी सुधार किया जा सकता है।इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐडेड खोज परिणाम भी प्रमुखता प्राप्त कर रहे हैं जो व्यवसाय को ग्राहक केंद्रित अनुभव प्रदान करने के लिए लुभा रहा है।इस मामले में वीडियो और छवियों जैसे कि लोगों, शैली और उत्पाद का टैग किया जाता है।

2. **ग्राहक अनुभव को और अधिक व्यक्तिगत अनुभव मिला है –** व्यक्तिगत ग्राहक अनुभव के मामले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा सकता है। ई–कॉमर्स व्यक्तिगत अनुभवों के लिए पोर्टल व व्यापक डाटा का विश्लेषण करके संभव होगा तदनुसार उत्पादों की सिफारिश की जाती है।

3. **बेहतर बिक्री प्रक्रिया–** ग्राहक के ज्ञान को आकर्षित करने के लिए बिक्री प्रक्रिया बहुत आगे बढ़ गई है और अब खुदरा विक्रेता विभिन्न प्रकार के डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। बिक्री आज कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एकीकृत कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग करती है । जो ग्राहक के रुचि और वरीयता को पूरा करती है इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्राहकों के प्रश्नों का उत्तर दे सकता है । समस्याओं को हल कर सकता है और बिक्री के नए अवसरों की पहचान भी कर सकता है।

4. **संभावित ग्राहकों को लक्षित करना–** एक विशाल ग्राहक आधार के अपने फायदे के साथ–साथ चुनौतियां भी है। संस्था के कारण बिक्री और विपणन टीमों के लिए संभावित लीड को ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस समस्या को हल करने के लिए अधिक से अधिक ई–कॉमर्स कंपनियां विभिन्न प्रस्ताव के माध्यम से अपने इंस्टॉल व्यापार और ऑनलाइन ग्राहकों को देखकर उपभोक्ता व्यवहार को ट्रैक करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ले रही है।

5. **बेहतर और कुशल रसद–** रसद में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यह भी एक निर्बाध और कुशल वितरण प्रक्रिया सुनिश्चित करता है। आजकल वेयरहाउसिंग ऑटोमेशन का उपयोग करता है काफी हद तक और स्वचालित लर्निंग एल्गोरिथम का उपयोग करके स्वचालित वेयरहाउसिंग ऑपरेशन के लिए किया जाता है। ई–कॉमर्स दिग्गज कंपनी में से अधिकांश जैसे – अमेजॉन अलीबाबा और अन्य मशीन सीखने और रोबोटिक्स के रूप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग काफी हद तक कर रहे हैं। गति और दक्षता में काफी हद तक सुधार होगा और उसे लागत में भी काफी हद तक कटौती होगी।

6. **स्वायत्तता –**आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से स्वायत्ताता और अद्धतन को सुनिश्चित किया जा सकता है ।।जिससे ग्राहकों को नवीनतम और सर्वोत्ताम उत्पादों और सेवाओं का लाभ मिलता रहता है। (Raj 2023.) ई–कॉमर्स के विभिन्न क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाता है, जैसे वेयरहाउसिंग और डिलीवरी ग्राहक सेवा और अन्य आर्थिक संचालन ई–कॉमर्स को काफी हद तक बढ़ावा मिलेगा।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ई–कॉमर्स में सुधार :

1. **व्यक्तिगत समीक्षा और सिफारिशे–** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्राहकों के आदर्श और चर्चाओं का विश्लेषण कर सकता है जिससे उद्धयम उन्हें व्यक्तिगत समीक्षा और सिफारिशे प्रदान कर सकता है।

2. **स्वचालित संग्रहण और वितरण–** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधुनिक स्वचालित्ता उपयोग करके संग्रहण वितरण और वितरित कार्यों को सुधार सकता है।

3. **ग्राहक सेवा–** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से स्वचालित चौट बॉक्स और ग्राहक सेवा उपलब्ध कराने से ग्राहकों की सेवा में सुधार होता है।

4. **प्रतिक्रिया और परिष्कृतियां–** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्राहकों के निर्देशों सुझावों और फीडबैक को संग्रहित करके उद्योगों को उत्ताराधिकारी कार्रवाई करने की क्षमता प्रदान करता है।

5. **विपणन और प्रचार –**आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विपणन अभियानों को संचालित करके उद्योगों को अधिक लक्ष्य और प्रभाव दिखाने में मदद करता है।

6. **सुरक्षा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस –** सुरक्षा को सुधारने में मदद कर सकता है जैसे की धोखाधड़ी और आपत्तिजनक गतिविधियों का पता लगाने में और उन्हें रोकने में।

इन सभी कारणो के संयोजन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ई–कॉमर्स को व्यापारिकता सुधार और ग्राहक सेवा में वृद्धि की है।

ई–कॉमर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग में चुनौतियां:

1. **डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा–**आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते समय ग्राहकों के उत्तारदाता की गोपनीयता और सुरक्षा को सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है इसके बिना ग्राहकों के विश्वास को हानि पहुंच सकती है।

2. **विश्लेषण की सटीकता –**आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिस्टम की सटीकता और विश्लेषण में चुनौतियां हो सकती है जिसे गलत निर्णय लिया जा सकता है और ग्राहकों की संतुष्टि प्रभावित हो सकती है।

3. **संभावनाओं की समझ–** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने में कई संवेदनशील और विशाल डाटा सेट की आवश्यकता होती है । जिसमें विभिन्न ग्राहकों की पसंद प्राथमिकताएं और व्यवहार शामिल होते हैं।

4. **संग्रहण और वितरण–** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से संग्रहण और वितरण प्रक्रिया को सुधारा जा सकता है लेकिन इसमें संभावित तकनीकी और संरचनात्मक चुनौतियां हो सकती है।

5. **स्वायत्तता की चुनौतियां–** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के स्वायत्ता और व्यवस्थितता की सुरक्षा प्रबंधन की चुनौतियां हो सकती है ।जिससे अनुमतियों और पहचान की सुरक्षा का प्रश्न उठ सकता है। (https://www.shopify.com/blog/ai-ecommerce)

इन चुनौतियों का सामना करते हुए उद्योगों को उपयुक्त तकनीकी समाधान और सुरक्षा प्रक्रियाओं को अपनाने की आवश्यकता होती है इसे संग्रहण वितरण ग्राहक सेवा और अनुभव को सुधारा जा सकता है और ई–कॉमर्स क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सही उपयोग किया जा सकता है।

ई–कॉमर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य:

1. **व्यक्तिगत सेवाएं–** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से ग्राहकों को व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान की जा सकती है,जैसे कि उत्पादों के सुझाव, समीक्षा और टिप्पणियां जो उनकी आवश्यकताओं और पसंदो के अनुसार कस्टमाइज की जाए।

2. **संग्रहण और वितरण में सुधार –** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से संग्रहण और वितरण प्रक्रिया को स्वचालित किया जा सकता है जिससे ग्राहकों को अधिक समय में उत्पादन प्राप्त हो सकता है।

3. **विपणन और प्रचार –** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से ग्राहकों के व्यवहार और पसंदो को समझा जा सकता है और इस जानकारी का उपयोग करके प्रभावी विपणन और प्रचार किया जा सकता है।

4. **ग्राहक संबंध –** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से ग्राहक संबंध को मजबूत और स्थिर बनाया जा सकता है ।जिससे वापसी ग्राहकों की संख्या बढ़ सकती है और उनकी वफादारी को बढ़ावा मिल सकता है।

5. उत्पाद और सेवा का अद्यतन– आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से उत्पादन और सेवाओं को नवीनतम टेक्नोलॉजी और उत्पाद की प्रगति के साथ अद्यतन किया जा सकता है। जिससे ग्राहकों को हमेशा नवीनतम और सर्वोत्ताम उत्पादों और सेवाओं का लाभ मिलता रहेगा। (https://www.javatpoint.com/future-of-artificial-intelligence)

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग ई–कॉमर्स के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार का द्वार खोल सकता है ।उद्योगो को नए और उत्कृष्ट स्तर पर ले जा सकता है ।यह नई संभावनाओं की राह खोल सकता है और उद्यमी को ग्राहकों के साथ संबंध बनाए रखने के लिए समर्थ बना सकता है।

निष्कर्ष– ई–कॉमर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग बढ़ते व्यावसायिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण और उत्साह जनक प्रयास है।आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से संग्रहण, वितरण, ग्राहक संबद्ध, विपणन और प्रचार क्षेत्र में सुधार किया जा सकता है ।जो उद्योगों को बढ़ावा उत्पादों और सेवाओं के अधिक समय में ग्राहकों तक पहुंचने में मदद कर सकता है इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से व्यावसायिक विश्लेषण संग्रहण और वितरण प्रक्रिया और ग्राहक सेवा में सुधार हो सकता है। जिससे ग्राहकों की संतुष्टि और उद्योगों की प्रदर्शन की क्षमता बढ़ सकती है ।इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से नए उत्पाद और सेवा विकसित की जा सकती है। जो उद्योग को नए और सम व्यावसायिक अवसर प्रदान कर सकती है। भविष्य में ई–कॉमर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अधिक उपयोग किया जा सकता है, जो उद्योगों को ग्राहकों के साथ संबंध बनाए रखने के लिए सहायक बन सकता है और नई संभावनाओं के द्वार खोल सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग ई–कॉमर्स में उद्योग को नई दिशा एवम उत्साह जनक अवसर प्रदान कर सकता है जिससे व्यावसायिक उद्योग के लिए एक सकारात्मक भविष्य संभव हो सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. Hanif, Mohd., Soni, M., Soni, A. (2023) " A Study on Role of Artificial Intelligence in E-Commerce", JITIR, Vol. 10, Issue 9, Page no. e105- e110. Available: https://www.jetir.org/papers/JETIR2309413.pdf.
2. https://www.mdpi.com/2071-1050/14/21/14270.
3. https://www.researchgate.net/publication/361675958_Artificial_Intelligence_in_E-commerce_A_Literature_Review.
4. https://www.shopify.com/blog/ai-ecommerce.
5. Prabha, J. (2021). "A Study on Impact of Artificial Intelligence In E-Commerce", IJCRT, Volume 9, Issue 9, September 2021, Page no. 24-28, ISSN: 2320-2882. Available: https://ijcrt.org/papers/IJCRTG020005.pdf.
6. Raj, D.N (2023). Artificial Intelligence in E-Commerce: A Literature Review, Management and Economics Engineering, Vol. 21, Issue 1, Page no. 1027- 1037, ISSN: 2669-2481 / eISSN: 2669-249X. Available: https://businessmanagementeconomics.org/pdf/2023/1027.pdf.
7. Sangeetha, K. (2023). "A Study on Artificial Intelligence in Ecommerce Industry", IJCRT, Vol. 11, Issue 10, Oct. 2023 Page no. i135-i167, ISSN: 2320-2882. Available: https://www.ijcrt.org/papers/IJCRT21X0134.pdf.
8. https://www.javatpoint.com/future-of-artificial-intelligence.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

From Myth to Modernity: Sita's Evolution in Amish Tripathi's *Sita: Warrior of Mithila*

Preeti Kaur* Dr. O.P. Tiwari**

*Research Scholar (English) Maharaja Ganga Singh University, Bikaner (Raj.) INDIA
** Professor & Head (English) Dr. B. R. Ambedkar Govt. College, Sri Ganganagar (Raj.) INDIA

Abstract - This study examines how Amish Tripathi's novel *Sita: Warrior of Mithila* turns the ancient mythical figure of Sita into a contemporary heroine. Through a thorough reading of Tripathi's story, the paper looks at how the writer revitalizes and reinterprets Sita, showing her as a fearless fighter and dynamic leader. Through placing Sita in the context of modern issues of women empowerment and leadership, Tripathi's work subverts stereotypes and provides a complex analysis of her place in the epic narrative. This research demonstrates how *Sita: Warrior of Mithila* bridges the gap between traditional mythology and contemporary ideals, thereby reflecting the changing ideas of what it means to be a woman and a hero in Indian literature.
Keywords: Amish Tripathi, Mythical, Modern, Stereotypes.

Introduction - It has long been acknowledged that Indian society is complex, with a rich cultural fabric and dynamic variety. But it is also distinguished by a hierarchical structure based on gender, caste, and class divisions. It is common to reach the depths of mythology while tracing the roots of this hierarchical, usually discriminating institution. Classical literature, including the *Vedas*, *Puranic* scriptures, *Upanishads*, *Manu-Smriti*, *Ramayana*, and *Mahabharata*, offers an extensive array of epic stories that influence cultural standards. India has always been a patriarchal culture, with even the goddesses Ahalya and Sita powerless to free themselves from servitude. Studying these customs, myths, and epics is necessary to comprehend the struggles that Indian women confront today. These forms of oppression have their roots in the traditions that have been fostered over time by mythical ideas. The roots of the complex oppression that is still present now are laid by these myths and epic traditions, which act as historical precedents. Myths and epics are revered in this very religious community as models of moral behavior and family responsibilities. As such, the plight of Indian women is primarily determined by the epic or legendary customs upheld in their households. With its many unwritten, self-proclaimed laws dictating marriage, sexuality, morality, economic freedom, and family relationships, patriarchy has long been an integral component of Indian culture. These regulations come from particular cultural metaphors rather than being developed by surveys, court cases, or observation. This system is frequently portrayed as a potent emblem within mythology in ancient books that transmit both world wisdom and Indian patriarchy. Often, these symbols appear as nymphs or goddesses, with domestic women always positioned in the center, representing the Sativrat or Pativrat positions.

One of the myths that have been passed down to women is that their only role in the universe is to assist males in carrying out cosmic duties. In several myths and epics, selflessness is shown as the pinnacle of a woman's chastity. Women are usually shown as part of ritualistic behaviors that highlight their responsibilities as loving spouses and mothers. *Manusmriti* gives enough proof of these beliefs, laying forth regulations that blatantly represent the Brahmanical view of women's place in society. The shloka that instructs how to secure the birth of male children and avoid female offspring is found in the third chapter of *Manusmriti*, which is blatantly discriminatory towards women. Given that female feticide is still an odious practice in modern culture, this is incredibly unfair.

Classic myths are also reinterpreted in Amish Tripathi's novels, drawing inspiration from contemporary social events. Thus, the study in his novel aids critics in determining the causes of the shifts in the views of legendary characters in literature. Amish Tripathi has dismantled the socioeconomic stereotype of the successful males of today in favour of the fearless woman who uplifts society by using her innate leadership qualities. Three novels in his Ram Chandra Series explore the ancient narrative of the *Ramayana*. The second book in the series, *Sita: Warrior of Mithila*, chronicles the life of the abandoned child who grows up to become Mithila's prime minister. Through this book, Tripathi has dismantled patriarchal taboos and all stereotypes about women in society. In Tripathi's book, the sly princess of the *Ramayana*, Sita, is

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

transformed into Mithila's fierce warrior. He presents Sita as the complete opposite of Ram. She can handle all national matters on her own and resolves all conflicts. She is also revered as Lady Vishnu, protecting humanity from Raavan's grasp. She is incredibly obedient, crafty, fierce, kind, and brilliant. Rather than being Ram's subordinate, she is a co-partner in every way. In an interview, Tripathi claimed that Sita was a warrior in addition to being a submissive and modest wife. Many female-centered fictions have just recently started to flourish in the literary canon. These days, it's normal to see female soldiers in literature and movies. The majority of current articles dissect the taboos around feminine characteristics. This latest trend can be attributed to those who have long advocated for women's empowerment. Women are demonstrating that they are capable of anything if they have self-determination. Every lady in this series has had a difficult time in a different capacity.

As we see in Valmiki's epic *Ramayana*, Sita appears to be a loving, devoted wife and daughter who blindly follows her husband. But unlike Sita in Valmiki's epic, it is hard for any woman to control her emotions in today's world. She seems to be academically and physically formidable. According to Amish, Sita was a Mithila warrior in addition to being 'The Ideal Indian Woman'. Sita, the primary character, muses about the internal struggles surrounding women's rights. In *Sita: Warrior of Mithila* and *Scion of Ikshvaku*, female characters such as Sita, Kaikeyi, Kaushalya, Manthra, Nilanjana, Rosini, Samichi, Shurpanakha, Sumitra, Urmila, and Radhika are presented as embodiments of strength and bravery rather than as helpless women. These characters are portrayed as strong, self-reliant, and skilled professionals. Since the women in this novel are the epitome of purity and excellence, they do not seek political equality, economic rights, or social identity. The Shiva Trilogy series features many powerful female characters, including Sati, Kali, Veerini, Ayurvati, Anandmayi, Krittika, Tara, Khankhala, Dhruvini, Kanini, Anandmayi, Uma, Maya, and Suparna. These women are all powerful, independent, intelligent, flawless in their work, and well-versed in their fields. The status of women in the Shiva Trilogy is in opposition to the conventional definition of women's place in society, which saw women as men's property rather than as independent beings.

Firstly, it's essential to acknowledge that Amish Tripathi's interpretation of Sita challenges traditional perceptions of her character. Rather than depicting her solely as a passive and obedient wife, Tripathi presents Sita as a strong, independent, and skilled warrior. This departure from the conventional narrative allows for a more nuanced exploration of gender roles and expectations. Sita is seen as the woman Vishnu in Amish Tripathi's novel *Sita: Warrior of Mithila*, who came to protect people's lives. She looks for a spouse who can assist her in completing her purpose. She wants to locate a helpmate who shares her passion and life's philosophy when searching for her ideal spouse. She chooses between them using logic and reason. Ram also has similar thoughts regarding his companion, not just Sita. Ram suggests to Sita, "You should only get married if you find someone you admire, who will help you understand and fulfill your life's purpose. And you, in turn, can help her fulfill her life's purpose" (Tripathi, 2017: 207). A woman's bittersweet recollections become only a sliver of what once was when she found a suitable mate. The most devastating event in Sita's life was the death of her mother, but she is no longer devastated by this event now that she has found Ram to be her husband. They give up their enjoyment to ensure the well-being of others. Even though Ram knows that using Asuraastra will result in a fourteen-year exile into the woods, he nonetheless uses it to defend Mithila from Raavan's abuse. In order to live with him in the woods and protect Ram, Sita also gave her life. They have therefore supported one another. If one could meet a spouse who shares their goal and passion, life would become simpler. As a result, Sita's representation in *Sita: Warrior of Mithila* and the Ramayana diverge greatly. Changing and adapting to a new culture opens the door for positive interpersonal interactions and aids in the dismantling of social taboos. Writing fiction undergoes this transformation due to cultural shifts. Every age has a distinct set of political and cultural elements. In his book, *Scion of Ikshvaku*, "she is not just a princess who dresses up and behaves conventionally or craves for jewels or fineries and a good place to live in. She has her point of view and fights when needed; she is a mixture of beauty, brain, and bravery. She is a chivalric warrior, a qualified soldier on the battlefield, Her warrior's body carried the proud scars from battle wounds" (Tripathi, 2015: 192). She is a competent and seasoned diplomat who approaches diplomatic issues with pragmatism, focus, and familiarity. Being an insider in politics, she understood the importance and consequences of political alliances. Ayodhya, the Sapt-ruler, wished to build an alliance with a small kingdom like Mithila, but she did not understand why. Marriages were also a method to forge these alliances. A day before the Swayamwar, the tradition of choosing one's future bride voluntarily, she questioned: "You are Ayodhya, the overlord of Sapt Sindhu. I am only Mithila, a small kingdom with little power. What purpose can be served by this alliance" (Tripathi, 2015: 201).

As a result of societal shifts, Tripathi presents Sita as an entirely new character. Sita and her mother, Sunaina, are not only capable of establishing their country, but so are Samichi, the police, and Mithila's protocol. King Janak is portrayed as an uninterested philosophical bookworm with little interest in politics. Sunaina and later Sita primarily manage Mithila's politics, with the king relying entirely on his wife and having deep faith in her. When Sita becomes prime minister, she demonstrates the abilities required of a political leader. She shows interest in issues and possesses the skills to solve any problem. When Ravan attacks Mithila,

she immediately responds to protect the soldiers and plans a retaliatory strike on the army of Sri Lanka. A similar situation arises from her uncle Kushadhwaj's covert assault plot. Sita has various ideas to grow Mithila's economy and is capable of leading the nation. While military strength is vital for a nation, economic strength is essential for further growth. Sita succeeds in adopting the slum dwellers' way of life, constructing housing for them, and providing opportunities for agricultural livelihoods. She is fair to all of them. Sita tells, "We must help the poor. And we can generate so many jobs with this project, making many more people productive locally. That is a good thing" (Tripathi, 2017: 110).

In, *Scion of Ikshvaku*, As prime minister of Mithila, Sita is a law-abiding person with innate leadership qualities. To accomplish her objectives, though, she could choose a different route. She is also skilled at managing a wide range of interpersonal situations. She enjoys going on wild boar hunts in the forests. Following her rejection by Ram, Surpanakha tried to kill Sita with a sword, but she was driven back after a duel prevented her from succeeding. Samichi, the chief of Mithila's police and protocol division and a sturdy soldier whose body can withstand wounds from valiant battles, is a great counterpoint for Sita. The foster father, King Janaka, is the biological father of Urmila, Sita's sister. Rama's brother Lakshmana receives Urmila as a bride. Since Urmila shares her husband's sleep, it is implied that Lakshmana kills Meghnath, since the tale says that only a man who hasn't slept in fourteen years could murder Meghnath. Therefore, it is evident that Urmila is assigned a supporting position in the epic, with Sita playing a larger part than her sister Urmila. In this instance, Urmila is represented as a lively, exquisitely attractive young princess who isn't afraid to speak her thoughts. She does not wish to live in a fantasy or any other kind of delusion. She gives off the impression of being a person who elegantly acknowledges and accepts her circumstances, whether it be that she must play second fiddle to her adopted sister Sita or that her husband would always put his brotherly responsibilities before of hers. However, instead of letting this bring her down, she returns the favour by giving her loved one's courage.

Furthermore, Tripathi introduces other female characters in the story who play diverse roles, contributing to a more comprehensive exploration of women in the narrative. Each character possesses unique strengths, weaknesses, and perspectives, adding depth to the overall portrayal of gender dynamics. Given that Kaikeyi is physically stronger than Dasharatha, it is said that she serves as his shield. Her bravery in saving her husband during the Battle of Karchapa had a significant impact on the future of the Sapt Sindhu Empire. She is the cause of Ram's "vanvas" and desires for her son to rule as king. This demonstrates the strength of character a woman may possess when it comes to standing up for her partner or child.

Thus, Amish's *Sita: The Warrior of Mithila* can be seen as a journey into the consciousness of Indian womanhood. In this narrative, Sita becomes a symbol and epitome of women's progress and spiritual awakening. Her character has evolved through many narrow alleys and lanes to reach this point, demonstrating gradual progress in each successive version of the *Ramayana* and critical works based on it. Valmiki's *Ramayana* and Amish's *Sita: The Warrior of Mithila* stand as two extremes, representing inception and destination. Valmiki's *Ramayana* poses the questions, while Amish's work seeks to provide the solutions. This research paper aims to describe Sita's journey between these two extremes by exploring the layers of history, customs, myths, and anecdotes related to her.

References:-

1. Bhadauria, Manishkumar. "From a Victim to a Warrior: Journey of Sita in Amish Tripathi's *Sita: Warrior of Mithila*." *A Global Journal of Social Sciences*, vol. 3, no. 2, June 2020, pp. 18-25.
2. Lavanya, S. "Sita- 'The Born Vishnu' in Amish Tripathi's *Sita: Warrior of Mithila*." *Research Journal of English Language and Literature*, vol. 5, no. 4, December 2017, pp. 41-55.
3. Pattanaik, Devdutt. *Jaya: An Illustrated Retelling of the Mahabharata*. US: Penguin Group Inc., 2011.
4. Pattanaik, Devdutt. *No Society Can Exist Without Myth* Namya. Sinha. hindustantimes.com, 4 July 2016. <<https://www.hindustantimes.com/books/no-society-canexist-without-myth-says-devdutt-pattanaik/storyPG1v4iB17j07dV5Vyv86QN.html>>.
5. Ragi, K. R. "Where Myth and Folklore Become Characters: An Analysis of Shashi Despande's Selected Novels." *Research Scholar* 1.4 (2013).
6. Raut, Shailesh Kumar and Ami U. Upadhyay. "Delineation of Women in Amish Tripathi's *Scion of Ikshvaku*." *Alochana Chakra Jouranal* 9.4 (2020).
7. Sharma, Sunita. "Myth Modernity and Philosophy in Amish Tripathi's Novels." *Hdl.Handle.Net*, 2022, https://hdl.handle.net/10603/197989.
8. Sivaranjini, G. "The Portrayal of Sita by Kambar and Amish Tripathi: A Comparative Study." *An International Multidisciplinary Journal*, vol. 5, no. 3, July 2019.
9. Tripathi, Amish. *Sita: Warrior of Mithila*. Westland Publishers, May 2017.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

Reason for Migration in the Malwa Region

Vandana Sen* Dr. Naresh Kumar Patel**

*Research Scholar (Economics) Bhopal Nobles' University, Udaipur (Raj.) INDIA
** Associate Professor & Head (Economics) Bhopal Nobles' University, Udaipur (Raj.) INDIA

Abstract - To find out the reasons for migration in the Malwa region of Madhya Pradesh a study was conducted. The data was collected through a self-design questionnaire, from migrants, of Malwa region. Three districts of the Malwa region - Ratlam, Mandsaur, and Neemuch were selected. From each of the three districts around 85 respondents were selected, thus, a sample of 250 respondents was collected. For the maximum number of respondents, the reason for migration was a lack of job opportunities at the place from where they have migrated or in search of better jobs elsewhere. The top five reasons for migration were migration due to lack of job opportunities, in search for better jobs, availability of better services and facilities at the migrated place, better business opportunities at the migrated place, and migration due to poverty, i.e., migrants were unable to meet their basic need at the place they were living before migration. The reasons given for migration were later classified into push and pull factors and a test was applied to know which factor is more significant for migration. The test result showed that pull factors were more significant for migration as compared to push factors. This result indicates that better job opportunities, better business opportunities, availability of better services, better facilities of education, good climatic conditions, etc. attracted migrants towards the migrated place as compared to conditions due to which people were compelled to migrate.
Keywords: Migration, Push Factor, Pull Factor, MGNREGA, Malwa Region.

Introduction - Migration is the definition of moving to another nation, state, or neighborhood in quest of better prospects for settlement(byjus.com). The movement of people from one place to another to relocate, either permanently or temporarily, is known as human migration. External migration is the movement of people across large distances and between countries, whereas internal migration, or moving within a single nation, is the most common type of human migration worldwide (Wikipedia.com).

Migration is major symptom of social, economic, political and demographic changes in modem times. In the recent years, due to globalization and expansion of transportation and communication, migration has become a part of globalize process of industrialization and urbanization as well as development. Migration is movement of people from one place to another within the country or outside the country. It has been contributing to economic and social development of people away from home. the direction of migratory movements has always been affected by the specific needs of time and it is major component of population change of any area, besides mortality and fertility. Madhya Pradesh is among the fastest growing states in the country. The state has an agrarian economy. According to a study done by Gupta and Sharma (1994), in Madhya Pradesh in-migration from rural areas was high (84.43) as compared to urban regions (15.17). They found profound effects of urbanization, industrialization, and higher education facilities on in-migration. The locations with high rates of both expected and actual in-migration were the Malwa Plateau and the Chhattisgarh Basin."

A study done by Deshingkar P. et al. (2008) in six Madhya Pradesh villages revealed that, in contrast to popular belief, seasonal and circular migration has become more cumulative for the poor over the past five years as new opportunities in cities have decreased job uncertainty, wages have increased, and reliance on contractors has decreased. Furthermore, as traditional barriers associated with manual labour break down migration has attracted an increasing number of women and people from upper castes. More benefits have come from migration for people with strong social networks or skill sets. Others who depend on contractors or experience prejudice have not gained as much.

The present study was conducted in the Malwa region of Madhya Pradesh to find out the reasons of migration.

Review of Literature

Manglam (1968) pointed out that the overwhelming majority of the case of migration has been concerned with four basic questions who migrate, why do they migrate, what are the patterns of flow and direction of migration, and what are the consequences of migration. These questions may be

studied from two different points of view: migration streams and migration differentials. Migration streams help us to understand the volume and direction of migration from one place to another place. In contrast, migration differentials help us to understand the differences among migrant subgroups according to different characteristics of rural society. (Long. 1973).

Population mobility in India has been low compared to other developed countries, in this regard Mehta, B.C. (1978)" pointed out in his study that population migration in India is much smaller compared to Western countries. Based on Census data of that period on place of birth, Kingsley Davis (1991) concluded that the Indian population is relatively immobile. He attributed this low mobility to the predominance of agriculture along with the caste system, joint family, and diversity in culture and language.

The migration scenario is different in various groups e.g. scheduled tribes (STS), scheduled caste (SCs) and backward classes. In this regard, Bhattacharya (2000) finds that Indian States with a relatively high proportion of scheduled tribes (STS) in the population have higher rural-to-rural migration rates, whereas scheduled caste (SCs) populations have the opposite effect on migration.

Kothari (2002) presents a useful analysis of how poor people's migration choices are impaired by various factors like poverty, and inequitable access to different capital resources and institutions. These include economic assets, human capital, social capital, cultural capital, geography, and political capital.

Jha (2005) in his study found out increasing movement of young women towards urban centers in search of jobs. He also found that the living conditions of women migrants are unhygienic, remuneration is not good and these women are vulnerable to exploitation by antisocial agents

Shanti, K., (2006) examined the female migration in India and the interstate variations in its magnitude. The study reveals that female migration for employment in the age group 15-60, has increased steeply in all the states.

According to Chandrasekhar and Ghosh (2007), Seasonal migration takes place primarily for employment and other livelihood purposes. Study done by Mosse and Gupta (2005) shows that seasonal labour migration has become an irreversible part of the livelihoods of rural tribal communities in western India.

Kesari, Kunal and Bhagat, R.B. (2012) reveled the regional pattern of temporary and seasonal labour migration in India. The phenomenon of seasonal migration is more prevalent in rural areas of the country's northern and eastern states.

Study done by Kareemulla et al. (2009) in Andhara Pradesh observed that MGNREGA scheme brought down the migration levels from about 27 percent to 7 percent in the sample villages due to the availability of work and concluded that MGNREGA has reduced migration by providing work nearby native place

Verma (2011) in their found that delay in payment of MGNREGA wage was a key reason for the lack of enthusiasm among the tribal farmers in Narmada district of Gujarat.

According to the study conducted by council for social development (2011) shows that MGNREGA has provided a unique legal space for the rural people, especially the landless laborers, SCS, STs, and small and marginal farmers, and the socio-economic condition of the rural people has been improved.

Objectives: The main objective of the paper was to know about the main reasons of migration in the Malwa region of Madhya Pradesh.

Hypothesis: Pull factors are more significant for migration as compared to push factors.

Research Methodology

Sampling Units: The sampling units for the present study were migrants from Malwa region of Madhya Pradesh.Respondents from both in-migration (Migrated from elsewhere in to the region), or out-migration (migrated outside the region) were selected to collect information.

Area of Study: The area of the study was Malwa region of Madhya Pradesh state. From Malwa region three districts were chosen namely Mandsaur, Neemuch, and Ratlam. From each district, 5 tehsils were selected.

Sample Size: The sample size of the study was 250 respondents/migrants from the sampled region. In the Malwa region of Madhya Pradesh, three districts were selected. From each of the three districts, 5 tehsils were selected. From 5 tehsils 250 respondents were selected (approximately 83 respondents from each district).

Sampling Method: The sampling method for the present work was the convenience sampling method.

Source of Data: The source of data for this work was primary data, which was collected through a self-designed questionnaire. The questionnaire consists of mainly two parts. The first part asked about the personal information of respondents like age, gender, occupation, education, income etc. The second part asked about the reasons for migration out of which they have migrated. The second part consists of a list of the reasons of migration in which 19 items were given, and respondents were asked to rate these reasons on a five-point Likert scale from "To a very great extent" to "to a very lesser extent or negligible". It means, it was asked from respondents that, to what extent they consider a particular reason as a reason for their migration.

Reliability of the questionnaire: The reliability of the questionnaire was also tested by calculating Cronbach's alpha value and it came out to be 0.83 which is considered as good reliability.

Data Analysis and Interpretation : After collection and scrutiny of collected data, analysis of data was done. The results of the analysis are given below. First demographic distribution of respondents is given, and later analysis of reasons for migration is given.

Table 1 given below shows the distribution of respondents according to different demographic variables. The age-wise distribution shows that the maximum respondents were from the age group up to 40 years (51.2%). According to gender 76.8% were males. The majority of respondents were low educated. Only 22.8% of respondents were graduates or post graduates and higher education. 15.6% were illiterate of just literates. 20.4% were educated up to primary level. Thus, the education level of migrants was low overall. Maximum respondents (41.2%) were laborers. 9.6% were in agriculture. 23.2% of respondents were in service sector (4.4% in government sector, and 18.8% in private sector). 3.2% of respondents were in business, and 19.6% were self-employed.

Table 1: Demographic distribution of respondents

Variable	Options	N	%
Age (years)	Up to 40 years	128	51.20
	40 - 60 years	79	31.60
	Above 60 years	43	17.20
Gender	Male	192	76.80
	Female	58	23.20
Education	Illiterate or just literate	39	15.60
	Primary level	51	20.40
	Middle Level	31	12.40
	Secondary	44	17.60
	Senior Secondary	28	11.20
	Graduate	18	7.20
	Post Graduate and /	39	15.60
	or above		
Present Occupation	Agriculture	24	9.60
	Labor	103	41.20
	Service (Govt. Sector)	11	4.40
	Service Private Sector	47	18.80
	Business	8	3.20
	Self-Employed	49	19.60
	Housewife	8	3.20
Monthly Income	Up to 10,000	90	36.00
	10,000 - 20,000	97	38.80
	20,000 - 30,000	24	9.60
	Above 30,000	39	15.60

The average monthly income of respondents was Rs. 18262 and the median monthly income was Rs.15000. 36% of respondents' monthly income was up to Rs.10,000 or below it. 15.60% of respondent's current monthly income was above Rs. 35000. Thus, it can be said that the monthly income of respondents was not high.

Reasons of Migration

Table 2 give above shows the top ten reasons for migration in the Malwa region of Madhya Pradesh, out of 19 reasons to rate. The first two top reasons for migration were related to job opportunities at the place from which people have migrated. The respondents reported that the main reason for migration was the lack of job opportunities at the place they were living before migration. Some of the respondents said that better job opportunities were available at the migrated place therefore that place has pulled them towards the migrated place.

Table 2: Reasons for Migration

Reason of Migration	Mean	SD	Rank
1.Lack of Job opportunities at my native place of living	3.90	1.13	**1**
2.Lack of basic facilities of living like safe drinking water, sanitation, proper hygiene conditions of living	3.12	1.00	**10**
3.Lack of Modern facilities and services, market, etc.	3.30	0.97	**6**
4.Migrated because of poverty. I was unable to meet the basic needs of me and my family.	3.41	1.22	**5**
5.Better services and facilities attracted me to the migrated place.	3.66	0.99	**3**
6.Better job opportunities were available at the migrated place.	3.75	1.01	**2**
7.Due to better safety	3.16	1.05	**8**
8.Better business opportunities were available at the migrated place.	3.44	1.13	**4**
9.Migrated to provide better . education to my children	3.15	1.07	**9**
10.Migrated to improve my standard of living.	3.28	1.16	**7**

The third reason for migration was the availability of better services at the migrated place. People also migrate because basic facilities are not available at the place, they are living therefore the place they think has better facilities pulls them towards it.

The fourth reason for migration was the availability of better business opportunities at the migrated place. Lack of business opportunities like non-availability of infrastructure or lack of customers for the products or services a person wants to offer also push a person to shift to another place.

The fifth main reason for migration was poverty. Respondents who migrated due to this reason said that they migrated because they were unable to meet the basic needs of their lives at the place they were living earlier and poverty pushed them to migrate to another place.

Hence, it can be observed that the top five reasons for which people migrated were that the migrants were unable to fulfill their basic needs of life by proper earning either through jobs, businesses, or poverty.

The reason for migration on the sixth rank was the lack of modern facilities, services, and markets. The reason on the seventh rank was migration to improve the standard of living. The reasons for migration at eighth, ninth, and tenth ranks were – migration for better safety, to provide better education to children, and migration due to lack of basic facilities like safe drinking water, sanitation, and proper hygiene respectively.

On average 67% of migrants, migrated due to reasons ranked from 1 to 5, whereas 44.28% of respondents mi-

grated due to reasons ranked 6 to 10. Therefore, it can be inferred that majorly people migrated in search of jobs and to make their living. All other things come later.

Less significant reasons for migration were – migration due to business requirements, good climatic conditions at the migrated place, migration due to avail better healthcare facilities, migration to get autonomy from a joint family, and migration due to transfer. Only 29% of respondents said that they have migrated due to these reasons.

Other very less significant reasons due to which people migrate were lack of safety at the place of living, migration due to natural calamities like flood, famine, etc., and migration due to marriage. On average 12% of people have migrated due to these reasons.

Comparing pull and push factors for migration: After descriptive analysis of reasons for migration, to assess which factor, pull or push factor is more significant for migration reasons of migration a hypothesis "There a is a non-significant difference in the pull factor and push factors as a reason for migration" was framed. To test this hypothesis the reasons for migration were categorized into pull factors of migration and push factors of migration, and later test was applied to determine which factor is significant for migration in the Malwa region. The test results are given below.

Table 3: Test Result

Factor	N	Mean	SD	t-Val	df	p-val	Result
Push Factor	250	2.70	0.55	-10.14	249	0.000	***
Pull Factor	250	3.15	0.50				

The test results given in the table above show a statistically highly significant difference in the push factor and pull factor of migration ($t = -10.14$, $p<0.001$). The scores for the pull factor were significantly higher than the scores for the push factor.

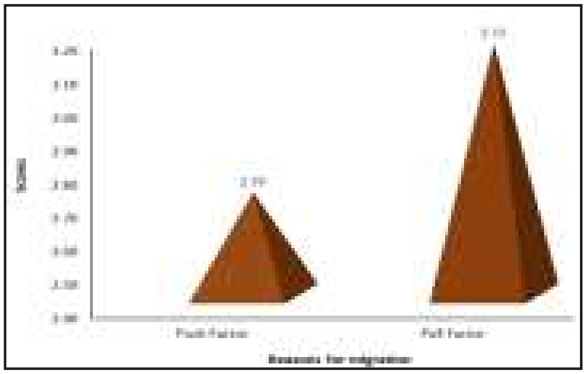

Fig. 1: Reasons of Migration

A higher score for the pull factor than the push factor indicates that better job opportunities, better business opportunities, availability of better services, better facilities of education, good climatic conditions, etc. attracted migrants towards the migrated place as compared to conditions due to which people are compelled to migrate like, lack of basic facilities, lack of job opportunities, lack of medical facilities, natural calamities, transfers in jobs, etc. pushed people to migrate. Hence, the null hypothesis "There a is non-significant difference in the pull factor and push factors as a reason for migration" is rejected.

Conclusion: To find out the reasons for migration in the Malwa region of Madhya Pradesh a study was conducted. This study was based on primary data, which was collected through a self-design questionnaire. For this study, the sampling units were migrants, who were either migrated from somewhere else or have migrated to some other place. Three districts of the Malwa region namely Ratlam, Mandsaur, and Neemuch were selected. From each of the three districts around 85 respondents were selected. Thus, a sample of 250 respondents was collected. The demographic profile of respondents revealed that little more than 50% of respondents were of the age 40 years or below it.The education level of a large number of respondents was very low. More than 60% of respondents were educated up to the secondary level or below it, and they were either doing agriculture or were laborers. For the maximum number of respondents, the reason for migration was a lack of job opportunities at the place from where they have migrated or in search of better jobs elsewhere.

The top five reasons for migration were migration due to lack of job opportunities, in search for better jobs, availability of better services and facilities at the migrated place, better business opportunities at the migratedplace, and migration due to poverty, i.e., migrants were unable to meet their basic need at the place they were living before migration. The reasons given for migration were later classified into push and pull factors and a test was applied to know which factor is more significant for migration. The test result showed that pull factors were more significant for migration as compared to push factors. This result indicates that better job opportunities, better business opportunities, availability of better services, better facilities of education, good climatic conditions, etc. attracted migrants towards the migrated place as compared to conditions due to which people were compelled to migrate.

Hence, it is suggested that if good job opportunities were made available locally by opening industries or by creating any type of small-scale industries people would not migrate in search of jobs elsewhere. MGNREGA was a good step in this direction.

References:-

1. Chandrasekhar C.P. and Jayati Ghosh (2007). Dealing with Short-Term Migration, the Hindu, Business Line, September, 25.
2. Deshingkar, P., Sharma, P., Kumar, S. et al. Circular migration in Madhya Pradesh: changing patterns and social protection needs. Eur J Dev Res 20, 612–628 (2008). https://doi.org/10.1080/09578810802464920
3. Gupta, M. P., & Sharma, S. (1994). In-migration in

Madhya Pradesh, Transactions of the Institute of Indian Geographers, 16(2), 147–154.
4. Human migration. https://en.wikipedia.org/wiki/Human_migration.
5. K. Kareemulla, S. K. Reddy. C. A. Rao, S. Kumar and B. Venkateswarfu. Soil and Water Conservation Works through National Rural Employment Guarantee Scheme (NREGS) in Andhra Pradesh-An Analysis of Livelihood Impact Agricultural Economics Research Review, vol. 22, 2009, pp. 443-50.
6. Kesari, kunal and Biagat, R.B. (2012) "Temporary and Seasonal Migration: Regional Pattern, Characteristics and Associated Factors" Review of Rural affairs: Vol-47 No. 04 January 28 - February 03, 2012 57
7. Kothari U. (2002). Migration and Chronic Poverty, Chronic Poverty Research Centre. Working Paper No 16, Institute for Development Policy and Management, University of Manchester.
8. Long, L. H. (1973)," Migration Differentials by Education and Occupation Trends and Variations", Demography, 10, pp. 243-58. 31
9. Mangalam, J.J. (1968). "Human Migration: A Guide to Migration Literature in English 1955-1962", Lexington: University of Kentucky, pp. 6-19.
10. Mehta. B.C.." The salient features of Internal Migration in India and Rajasthan" 1978
11. Mosse D., Gupta S., and Shah V. (2005), 'On the Margins in the City: Adivasi Seasonal Labour Migration in Western India' Economic and! Political Weekly, vol. 40, no. 28, 9-15, July 2005, pp. 3025-3038.
12. Shanti K (2006), Female Labour Migration in India.
13. Verma S. (2011), 'Labour Market Dynamics in Post-MGNREGS Rural India, 2011.
14. What is migration and what are its causes? https://byjus.com/ias-questions/what-is-migration-and-what-are-its-causes/

****

आदर्श की प्रतिमूर्ति राम

यशवंत काछी* डॉ. राजेंद्र सिंह**

* शोधार्थी, तुलनात्मक भाषा एवं संस्कृति अध्ययनशाला, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत
** विभागाध्यक्ष, तुलनात्मक भाषा एवं संस्कृति अध्ययनशाला, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – ईश्वर द्वारा विरचित इस समूचे ब्रह्मांड में पृथ्वी उस मायापति की सबसे सुंदर रचना है। इस धरा पर मनुष्यों ने कितने ही साध्य और असाध्य कार्यों को पूरा किया है। इन क्रियाकलापों के कारण एक साधारण सा मनुष्य महामानव, महापुरुष और महात्मा जैसी संज्ञाओं से विभूषित किया जाता रहा है। आदिम काल से लेकर वर्तमान काल तक इस धरती पर बहुत से महापुरुषों ने जन्म लिया। जिन्होंने मानव समाज के लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। इन्हीं महापुरुषों में से एक ऐसे महामानव का नाम जीवन को सफल बनाने का मंत्र बन गया है। यह महान व्यक्तित्व मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के नाम से संपूर्ण विश्व में जाना जाता है। राम का चरित्र समस्त चराचर के प्राणियों का पथ प्रदर्शक है। राम के चरित को लेकर कुछ मंदबुद्धि लोगों के द्वारा न जाने कितने ही आक्षेप लगाये गए, फिर भी ऐसे लोग राम की सुंदर छवि को धूमिल नहीं कर पाए। इसका कारण राम का सुंदर आचरण, उच्च आदर्श और कल्याणकारी कृत्य हैं।

शब्द कुंजी – आदर्श, मर्यादा, समाज, आचरण, वर्गभेद।

प्रस्तावना – राम का नाम सुनते ही हमारे समक्ष मर्यादा और आदर्शों के रंगों से बनाई गई, छवि उभर जाती है। हमारे सामने एक ऐसा व्यक्तित्व प्रकट होता है, जिसका सम्पूर्ण जीवन आदर्शों, मर्यादाओं, दया, करुणा, प्रेम, करुणा, कृपा आदि गुणों का महाकाव्य है। जिसका हृदय मानवता के अमृत से सराबोर है। जो अपने शत्रु से भी अनुनय-विनय करने को तत्पर रहता है, जो एक पक्षी (जटायु) को पितातुल्य मानकर उसके प्रति अपने पुत्रकर्म को विधिपूर्वक निर्वाहता है, जो दलितों, वंचितों को अपने गले लगाता है और उनके जूठे बेर भी खाता है, जो प्रकृति का सम्मान अपनी माँ की तरह से करता है और वानर, भालू और रीछों को अपना सहायक बना लेता है, जबकि वो एक चक्रवर्ती सम्राट का पुत्र है। राम का जीवन उदारता से परिपूर्ण है। जो अपने शत्रु के भाई को भी अपना मित्र बना लेता है। राम का सम्पूर्ण चरित्र ही हमें कुछ-न-कुछ सीख देता रहता है। यदि हम राम के बारे में यह कहें कि राम का चरित्र प्रेरणा का अजस्र स्रोत है। वह बहुरंगी एवं बहुआयामी मानवीय संबंधों को मर्यादा का शिखर प्रदान करता है, तो की बड़ी बात न होगी क्योंकि राम की कथा तो अनंत गुणों की खान होने के कारण अनंत है। इस संदर्भ में मानसकार लिखते हैं-

'हरि अनंत हरि कथा अनंता।
कहहिं सुनहिं बहुबिधि सब संता।।'[1]

लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि राम में ऐसी कौन सी विशिष्टता है, जो राम को लोग इतना पूजते और मानते हैं? इस संदर्भ में आम जनमानस का उत्तार होता है कि उन्होंने भक्तों की रक्षा की और उनका उद्धार किया है। उन्होंने दुष्टों पर भी कृपा करके अपना परमधाम दिया है, जो ऋषि-मुनियों को भी दुर्लभ होता है। इस पर यह तर्क आता है कि पतितों, भक्तों और दुष्टों उद्धार और सज्जनों की रक्षा तो भगवान के प्रत्येक अवतार ने की है। फिर राम में ऐसा कौन सा गुण है, जिस कारण से वह हिंदू मानस के शिरोधार्य बने हुए हैं? तब इसका उत्तर इस प्रकार से दिया जा सकता हैं, कि 'सनातन काल से हिंदू मन पारिवारिक और सामाजिक संबंधों में उदात्ता आचरण को महत्व देता रहा है। राम ने अपने आचरण में घोर विपत्तियों को सहते हुए भी श्रेष्ठ पारिवारिक-सामाजिक मूल्यों को जिया। अत: हिंदू मन ने उन्हें सिर-माथे उठा लिया। राम का चरित्र हिंदू हृदय का सर्वाधिक वंदनीय आदर्श बन गया। राम जिन आदर्शों के लिए जिये, उन आदर्शों को तोड़ने वाले को हिंदू मन ने कभी क्षमा नहीं किया। कैकेयी और विभीषण इसके ज्वलंत उदाहरण हैं।'[2] आज भी रामकथा के इन दोनों पात्रों के प्रति जनमानस के मन में आदरभाव नहीं है। कोई व्यक्ति अपने पुत्र-पुत्री का नाम विभीषण और कैकेयी नहीं रखता है। त्रेता युग से लेकर वर्तमान युग तक इन दोनों के पश्चात् अन्य किसी का नाम इनके नाम पर नहीं रखा गया है। संसार का कोई भी समुदाय स्वनिर्मित उदात्त आदर्शों की अवहेलना नहीं सहता है। जो भी व्यक्ति समाज के उच्चतम आदर्शों की अवमानना करता है। वह समाज की दृष्टि से उतर जाता है और विरोधी समझा जाने लगता है। राम की महत्ता इसी रूप में सबसे अधिक है कि राम के आदर्श भारतीय समाज के आदर्श बन गये। जिस प्रकार अपने प्रिय भोजन का नाम सुनते ही जिह्वा को उसका रसास्वाद अनुभूत हो उठता है, उसी प्रकार राम का स्मरण करने मात्र से राम के आदर्श और गुण हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं।

राम का चरित्र एक आदर्श पुत्र, शिष्य, भाई, प्रेमी, पति, मित्र, शत्रु और स्वामी की छवि प्रकट करता है। राम का जीवन आदर्शों की पराकाष्ठा की सीमा है। राम के अतिरिक्त शायद ही अन्य कोई ऐसा हुआ हो, जिसने अपने जीवन में समस्त संबंधों और कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए, अपने श्रेष्ठ आदर्शों को अक्षुण्ण रखा हो। राम एक साधारण मानव की तरह ही अपना जीवन-यापन करते हैं, लेकिन उनमें एक मर्यादा है, जो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाती है।

वर्तमान समय में पिता-पुत्र के संबंधों में जिस प्रकार का तनाव, दूरियाँ और मनमुटाव देखने को मिल रहा है। उसका एकमात्र कारण समाज में संस्कारों

की क्षीणता है। दिन-प्रतिदिन संस्कार और संस्कृति पश्चिमी सभ्यता के अंधानुकरण के कारण लुप्त होते जा रहे हैं। जब हम किसी ऐसी संस्कृति का अनुसरण करने लगते हैं जो हमें अपनी जड़ों से दूर करती है, तो ऐसी स्थिति में हम अपनी संस्कृति को भूलकर स्वयं के विकास का पथ अवरुद्ध कर लेते हैं। यदि एक आदर्श पुत्र के गुणों को समझना और जानना है, तो इसके लिए राम से श्रेष्ठ कोई उदाहरण नहीं सकता है। जिसका सम्पूर्ण जीवन ही आदर्शों की समुचित परिभाषा रहा है। हमारी संस्कृति में माता-पिता और गुरु को ईश्वरतुल्य माना गया है। जिनके चरणों में स्वर्ग है, उन चरणों का वंदन करके राम अपने दैनिक कार्यों को आरंभ करते हैं। वे प्रात:काल जागकर सर्वप्रथम माता-पिता और गुरुजनों को प्रणाम करते हैं।

'प्रातकाल उठि कै रघुनाथा।
मातु पिता गुरु नावहिं माथा।।'[3]

जब माता कैकेयी दुर्बुद्धि पाश में फँस जाती हैं और उसी के वशीभूत होकर अपने दो पूर्व वरदानों को राजा दशरथ से माँगती हैं। उन दो वरदानों में वे दशरथ से राम के लिए चौदह वर्ष का वनवास और भरत के लिए राज्य सिंहासन माँग लेती हैं। ऐसी विचित्र वरदानों को सुनकर विशेषकर राम के वनवास का वर सुन दशरथ मूर्च्छित होकर गिर पड़ते हैं। वहाँ से आकर कैकेयी ने जब राम से कहा कि महाराज ने तुम्हें चौदह वर्ष का वनवास दिया है, तो राम इस बात से क्रुद्ध या क्षुब्ध नहीं हुए। बल्कि उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक अपने पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया और कैकेयी से मधुर वाणी में कहा-

'सुनु जननी सोइ सुतु बड़भागी।
जो पितु मातु बचन अनुरागी।
तनय मातु पितु तोषनिहारा।
दुर्लभ जननि सकल संसारा।।'[4]

जब राम के वन गमन की सूचना माता कौशल्या के मिलती है, तो अत्यंत दुखी होती हैं। राम अपनी माता को समझाते हुए, वो बात कहते हैं, जो राम से पहले न राम के बाद किसी ने कहे होंगे। वे माता कौशल्या से कहते हैं माता आप शोक न कीजिये। पिताश्री ने तो मुझे इस राज्य के बदले में जंगल का राज्य दे दिया है और राम अपने माता-पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। इस संदर्भ में तुलसी बाबा लिखते हैं -

'पिताँ दीन्ह मोहि कानन राजू।
जहँ सब भाँति मोर बड़ काजू।।'[5]

जब हम राम की आदर्शवादी शिष्य की झाँकी को देखते हैं, तो पाते हैं कि राम अपने गुरुओं अपने हृदय के सिंहासन पर विराजित किये हुए हैं। वे गुरुओं के प्रति मात्र औपचारिकता का धर्म नहीं निभाते हैं। वह कभी ऐसा नहीं कहते कि गुरुदेव आदेश कीजिये, मैं अयोध्यावासियों, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न या पिताश्री से कहकर आपका कार्य करवा दूँगा। वे गुरु के आदेश के पालन हेतु स्वयं तत्पर रहते हैं। राम सदैव ही अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते हैं। वे गुरु वशिष्ठ से कहते हैं -

'प्रथम जो आयसु मो कहुँ होई।
माथें मानि करौं सिख सोई।
पुनि जेहि कहँ जस कहब गोसाईं।
सो सब भाँति घटिहि सेवकाईं।।'[6]

जब राम और लक्ष्मण, ऋषि विश्वामित्र जी के आश्रम में मुनियों की रक्षा करने और शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं, तो गुरु के सोने से पहले उनके चरणों को दबाते हैं और जब तक गुरुवर बार-बार आज्ञा नहीं देते तब-तक दोनों भाई शयन नहीं करते हैं तथा गुरु से पहले जाग जाते हैं। इस प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं -

'जिन्ह के चरन सरोरुह लागी।
करत बिबिध जप जोग बिरागी।
तेइ दोउ बंधु प्रेम जनु जीते।
गुरु पद कमल पलोटत प्रीते।
बार बार मुनि अग्या दीन्ही।
रघुबर जाइ सयन तब कीन्ही।।'[7]

राम का भ्रातृत्व तो संसार में अद्वितीय बन पड़ा है। वह अपने भाइयों से अपार स्नेह करते हैं। बाल्यकाल से राम का अपने भ्राताओं के लिए प्रेम रामचरितमानस में देखा जा सकता है।

'अनुज सखा सँग भोजन करहीं।
मातु पिता अग्या अनुसरहीं।।'[8]

आज जहाँ एक ओर संपत्ति के लिये मानव अपने पवित्र-रिश्तों और सुमधुर संबंधों को तार-तार कर रहा है। धन की लालसा में एक भाई दूसरे भाई का गला घोंट रहा है। ऐसे मनुष्यों को राम के चरित्र से भ्रातृत्व प्रेम की सीख लेना चाहिए। राम ने जब सुना कि भरत को पिताश्री ने अपने राज्य का अधिपति बनाने का वचन माता कैकेयी को दिया है, तो वे अत्यंत ही हर्षित हो उठते हैं। राम अपने भाग्य की सराहना करते हैं और कहते हैं कि विधाता सब प्रकार से मेरे अनुकूल हैं।

'भरतु प्रानप्रिय पावहिं राजू।
बिधि सब बिधि मोहि सनमुख आजू।।'[9]

राम का अपने अनुजों के प्रति अनन्य प्रेमभाव देखने को मिलता है। वह लक्ष्मण को मूर्च्छित देखकर भारी विलाप करते हैं और कहते हैं कि यहाँ आने से अच्छा था कि मैं अपने पिता की आज्ञा नहीं मानता। जब मैं यहाँ से अयोध्या लौटकर जाऊँगा तो कौन-सा मुँह लेकर जाऊँगा, लोग मेरा परिहास करेंगे और कहेंगे देखो अपनी भार्या के लिए प्रिय भ्राता को खो दिया।

'जैहउँ अवध कवन मुहु लाई।
नारि हेतु प्रिय भाइ गँवाई।।'[10]

राम अपने जीवन में एक कृतज्ञ पुरुष के रूप में सामने आते हैं। वे अपने प्रति किये गए उपकारों को भूलते नहीं है। जब हनुमान द्रोणागिरि पर्वत लाकर लक्ष्मण के प्राण बचाते हैं, तब राम अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहते हैं कि-

'एकैकस्योपकारस्य प्राणान् दास्यामि ते कपे।
शेषस्येहोपकारणां भवान् ऋणिनो वयं।।
मदङ्गेजीर्णतां यातु यत्त्वयोपकृतम् कपे।
नर: प्रत्युपकाराणामापत्स्वायाति पात्रताम्।।'[11]

लंका के युद्ध में जिन वानर-भालुओं और रीछों ने अपने प्राण त्याग दिये थे। राम उनके उपकार को भी नहीं भुलाते हैं। रावण वध के बाद इन्द्र ने आकर राम की स्तुति की और आदेश माँगा। तब राम सभी को जीवित करने को कहते हैं-

'मम हेतो: पराक्रांता ये गता यमसादनम्।
ते सर्वे जीवितम् प्राप्य समुत्तिष्ठंतु वानरा:।।
'मत्कृते विप्रयुक्ता ये पुत्रैर्दारैश्च वानरा:।
तान् प्रीतमनस: सर्वान् द्रष्टुमिच्छामि मानद।।'[12]

संसार भर में यदि पारिवारिक संबंधों के अतिरिक्त कोई संबंध जो अत्यंत प्रगाढ़ रूप में सामने आता है, तो वह मित्रता का संबंध है। सच्ची मित्रता में रंगभेद, वर्णभेद, जातिभेद, अमीरी-गरीबी और छुआछूत जैसी दुर्बल मानसिकताओं के लिए कोई स्थान नहीं है। मित्र के रूप में राम का चरित्र मित्रता की पराकाष्ठा के रूप में सामने आता है। मित्रता की ऊँचाई का जो सर्वोच्च शिखर हो सकता है, वह राम है। मानसकार ने तीन लोगों से राम की घनिष्ठ मित्रता का वर्णन किया है। जिनमें पहले निषादराज, दूसरे सुग्रीव और तीसरे विभीषण जी हैं। निषाद से मित्रता कर राम ने जातिभेद और अमीरी-गरीबी के सामाजिक भेदभाव को व्यर्थ सिद्ध कर दिया। सुग्रीव से मित्रता कर प्रकृति से सामंजस्य का पाठ पढ़ाया और विभीषण से मित्रता कर वर्ण एवं वर्गभेद को नकार दिया तथा मित्रता की एक नई मिसाल कायम की। राम मित्रभाव को सर्वोपरि समझते हैं और उसके लिए सबकुछ करने के लिए तैयार भी रहते हैं। राम की दृष्टि में सच्चा मित्र वही है, जो हार परिस्थिति में मित्र का साथ दे। राम के इसी भाव को पुष्ट करते हुए बाबा तुलसी लिखते हैं-

'जे न मित्र दुख होहिं दुखारी।
तिन्हहि बिलोकत पातक भारी।'[13]

राम अपने मित्रों को अपने भ्रातृतुल्य मानते हैं। जब राम राज्याभिषेक के बाद सभी को विदा करते हैं, तो वे निषाद को विदा देते हुए कहते हैं-

'तुम्ह मम सखा भरत सम भ्राता।
सदा रहेहु पुर आवत जाता।'[14]

राम का चरित्र मर्यादा का अनूठा उदाहरण है। राम ने अपने जीवन में केवल सीता से प्रेम किया और उनको ही अपनी जीवनसंगिनी के रूप में चुना। राम का प्रेमी और पति रूप भी आदर्श की डोर से बंधा हुआ है। राम सीता को अत्यंत प्रेम करते हैं और यह प्रेम उन्हें सीता के पहले ही दर्शन में हो जाता है। पुष्प वाटिका में राम और सीता का मिलन प्रेम, आदर्श और मर्यादा का अनुपम दृष्टांत है। सीता की छवि में राम के नयन अटक जाते हैं और उनके मुख से कोई भी वचन नहीं निकलता है-

'देखि सीय सोभा सुख पावा।
हृदय सराहत बचनु न आवा।।'[15]

सीता के प्रति अपने प्रेम को अभिव्यक्त करते हुए राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण से अपने मन की बात कहते हैं। इस छटा को तुलसीदास जी बड़े ही अनूठे ढंग से दिखाते हैं-

'करत बतकही अनुज सन मन सिय रूप लोभान।
मुख सरोज मकरंद छबि करइ मधुप इव पान।'[16]

भारतीय संस्कृति में पति को पत्नि के द्वारा परमेश्वर के रूप में पूजा जाता है। एक आदर्श पति का कर्त्तव्य होता है कि वह अपनी पत्नि के प्रति सारी जिम्मेदारियों और उसकी इच्छाओं को कपटरहित मन से पूरा करे तथा उसके प्रति अपना विशेष प्रेम रखे। जब एक कन्या पिता के घर से विदा होकर अपने पति के घर आती है, तो उसका पति ही उसके सुख-दुख का सच्चा साथी होता है। राम का पति प्रेम एक आदर्श पति का चरम बिंदु है। उन्होंने अपने जीवन में पतिधर्म के दायित्व का निर्वाह बखूबी किया है। वह सीता के सुख-दु:ख में बराबर के हिस्सेदार होते हैं। जब राजा दशरथ के द्वारा राम को चौदह वर्ष का वनवास दिया जाता है, तो सीता एवं लक्ष्मण राम के जाने की हठ ठान लेते हैं और राम के साथ वनगमन करते हैं। मार्ग में सीता प्यास से व्याकुल हो उठती हैं। उनके माथे पर स्वेदबिंदु झलकने लगते हैं, तब सीता पूछती हैं कि हम कितनी दूर चलकर कुटिया बनाएंगे। सीता की स्थिति को देखकर राम की आँखों से अश्रु छलक जाते हैं। इस दृश्य का वर्णन तुलसीदास जी ने बड़े ही मार्मिक ढंग से किया है। वे लिखते हैं-

'पुरतें निकसीं रघुबीर बधू धरि धीर दए मग में डग द्वै।
झलकीं भरि भाल कनी जलकी पुट सूख गए मधुराधर वै।
फिरि बूझति चलनो अब केतिक पर्नकुटी करिहौ कित ह्वै।
तिय की लखि आतुरता पिय की अँखियाँ अति चारु चलीं जल च्वै।।'[17]

जब राम की दृष्टि सीता के चरणों पर पड़ती है, जिनमें मार्ग में चलते हुए कंटक चुभ गए हैं, तो वे रो पड़ते हैं और उनके उर में वही कसक उठती है, जो कसक कंटकों से सीता के पैरों में उठ रही है। राम बिना विलंब किये सीता के पैरों के तलवों से काँटे निकालते हैं। अपने पति के इस अभूतपूर्व व निस्वार्थ प्रेम को देखकर सीता की देह पुलकित हो जाती है और उनके नेत्रों में जल भर आता है।

'तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानि कै
बैठि बिलंब लौं कंटक काढ़े।
जानकी नाहको नेहु लख्यो,
पुलको तनु, बारि बिलोचन बाढ़े।'[18]

निष्कर्ष- राम की कथा तो वास्तव में अनंत ही है। जिसको कितना भी गाया, लिखा, पढ़ा और सुना जाए फिर भी वह अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं हो पाती है। राम के चरित्र को जितना अधिक समझा जाता है, उतनी ही बार एक नई कहानी हमें मिल जाती है। प्रत्येक गाथा में राम का आदर्श और मर्यादित स्वरूप ही मिलता है। अत: हम निष्कर्षत: कह सकते हैं कि राम का चरित तो सत्य ही आदर्श की प्रतिमूर्ति ही है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. रामचरितमानस, बालकांड, टीकाकार- हनुमानप्रसाद पोद्दार, गीताप्रेस, गोरखपुर।
2. हरि कथा अनंता, राजेंद्र अरुण, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली।
3. रामचरितमानस, बालकांड, टीकाकार- हनुमानप्रसाद पोद्दार, गीताप्रेस, गोरखपुर।
4. रामचरितमानस, अयोध्याकांड, टीकाकार- हनुमानप्रसाद पोद्दार, गीताप्रेस, गोरखपुर।
5. रामचरितमानस, अयोध्याकांड, टीकाकार- हनुमानप्रसाद पोद्दार, गीताप्रेस, गोरखपुर।
6. रामचरितमानस, अयोध्याकांड, टीकाकार- हनुमानप्रसाद पोद्दार, गीताप्रेस, गोरखपुर।
7. रामचरितमानस, बालकांड, टीकाकार- हनुमानप्रसाद पोद्दार, गीताप्रेस, गोरखपुर।
8. रामचरितमानस, बालकांड, टीकाकार- हनुमानप्रसाद पोद्दार, गीताप्रेस, गोरखपुर।
9. रामचरितमानस, अयोध्याकांड, टीकाकार- हनुमानप्रसाद पोद्दार, गीताप्रेस, गोरखपुर।
10. रामचरितमानस, लंकाकांड, टीकाकार- हनुमानप्रसाद पोद्दार, गीताप्रेस, गोरखपुर।
11. वाल्मीकि रामायण (7/ 4./ 23-24), निर्णय सागरप्रेस, बंबई।
12. वाल्मीकि रामायण, (6/ 12./ 5-6), गीताप्रेस, गोरखपुर।

13. रामचरितमानस, किष्किंधाकांड, टीकाकार– हनुमानप्रसाद पोद्दार, गीताप्रेस, गोरखपुर।
14. रामचरितमानस, उत्तरकांड, टीकाकार– हनुमानप्रसाद पोद्दार, गीताप्रेस, गोरखपुर।
15. रामचरितमानस, बालकांड, टीकाकार– हनुमानप्रसाद पोद्दार, गीताप्रेस, गोरखपुर।
16. रामचरितमानस, बालकांड, टीकाकार– हनुमानप्रसाद पोद्दार, गीताप्रेस, गोरखपुर।
17. कवितावली, अयोध्याकांड, अनुवादक– इंद्रदेव नारायण, गीताप्रेस, गोरखपुर।
18. कवितावली, अयोध्याकांड, अनुवादक– इंद्रदेव नारायण, गीताप्रेस, गोरखपुर।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

विकसित भारत के निर्माण में भारतीय भाषाओं की भूमिका (यथार्थ से आदर्श की ओर)

डॉ. राजेंद्र सिंह* गौरव गौतम**

* प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, तुलनात्मक भाषा एवं संस्कृति अध्ययनशाला, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी, तुलनात्मक भाषा एवं संस्कृति अध्ययनशाला, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – मानव के भाव व विचारों की संवाहिका भाषा है जो मानव के चित्ता, चिंतन और चरित्र को परिभाषित करती है। किसी देश के शासन और रहवासी की भाषा यदि समान होगी तो वहाँ विकास व समान वितरण की संभावना ज्यादा होती है जिससे सामाजिक और आर्थिक असमानता में कमी आती है जो किसी देश के विकसित होने की प्राथमिक दशा है। भारत जैसे बहुभाषी देश में विकास के अग्रगामी राह में भाषा का क्या योगदान हो सकता है यही इस शोध आलेख का उद्देश्य है।

शब्द कुंजी – होमो सेपियन,रोबोटिक्स,सिलिकॉन युग,अर्थव्यवस्था, चतुर्थ औद्योगिक क्रांति, राजभाषा अधिनियम, समावेशी विकास आदि।

प्रस्तावना – मानव समाज पाषाण युग से सिलिकॉन युग तक की साभ्यतिक यात्रा कर गतिमान है वहीं ज्ञान की दुनिया में ऋग्वेद से लेकर रोबोटिक्स तक पहुँच कर भावी पीढ़ी के लिए ज्ञान के नित नये द्वार खोल रहा है जिसमें सबसे अहम् भूमिका भाषा की रही है। होमो सेपियन का वर्चस्व अन्य प्राणियों की तुलना में यदि सबसे ज्यादा है तो भाषा के ही कारण। होमो सेपियन का समुदाय व्यापक और विस्तृत ही इसी वजह से हो सका है क्योंकि भाषा के द्वारा वह यह भी सोच सकता है कि क्या होने की आशंका है और उसके अनुरूप अपनी सुरक्षा का प्रबंध कर लेता है। भाषा की उत्पत्ति, उसके उद्‌भव के संबंध में डॉ. रामविलास शर्मा का मानना है कि 'मनुष्य ने अपने सूक्ष्म चिंतन की विशेषता के कारण भाषा रचना नहीं की। उसके जीवनयापन की आवश्यकताओं ने उसे ध्वनि संकेतों का उपयोग करने के लिए विवश किया। अपने शारीरिक गठन के कारण वह अन्य पशुओं की अपेक्षा अधिक ध्वनि संकेतो से काम ले सका। अपने शारीरिक गठन के कारण ही आत्मरक्षा के लिए उसे अन्य पशुओं से भिन्न साधन ढूढ़ने पड़े। वह अस्त्रों का निर्माण करके श्रम करने वाला प्राणी बना। श्रम के साथ ही पशु जगत् के ध्वनि संकेतो के दायरे से बाहर निकलकर उसने मानवीय भाषा क्षेत्र में प्रवेश किया।'[1] यानी मानव को अन्य जीव जगत से अलग और विशिष्ट बनाने में भाषा की महती भूमिका है। जिस तरह मानव का अस्तित्व, विकास और तत्वरता 'भाषा' पर निर्भर करती है उसी तरह देश का उत्थान, व्यापकता और पतन भी भाषा की समृद्धि पर निर्भर है।

भाषा किसी भी देश की सबसे महत्वपूर्ण पूँजी और धरोहर है । इसका जितना ज्यादा संरक्षण और संवर्धन होगा उतनी ही अधिक गुणात्मक मात्रा में यह देश को विश्व के नक्शे में प्रसारित करती है। उसकी संस्कृति को उन्नयन कर पुष्पित, पल्लवित और फलित करती है। एक द्वीपीय आकार का देश इंग्लैंड यदि विश्व में अपने को प्रसारित कर पाता है तो उसका एक कारण अंग्रेजी भाषा है। जिन देशों में आज उनका राजनीतिक वर्चस्व खत्म हो चुका है वहाँ अंग्रेजी भाषा के कारण उनकी संस्कृति आज भी विद्यमान है।

तकनीकी के बढ़ते चरण आज चतुर्थ औद्योगिक क्रांति तक पहुँच चुके है और संपूर्ण विश्व आज सामाजिक और आर्थिक रूप से 'विश्वग्राम' का रूप ले चुका है। इस समय भी हम देख सकते है कि जिन देशों ने अपनी भाषा का उन्नयन किया है वही आज विकसित रूप में है चाहे सुदूर पूर्व का जापान हो या पश्चिम का संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत के युवाओं ने भी जिस भाषा में शिक्षा ग्रहण की उन्हीं देशों को तुलनात्मक रूप में अपने ज्ञान से ज्यादा लाभान्वित कर रहे है। ऐसी स्थिति में भारतेंदु की बात याद आती है कि

'अंग्रेजी पढ़ि के जदपि, सब गुन होत प्रवीन
पै निज भाषाज्ञान बिन, रहत हीन के हीन'[2]

जब भारत विश्व की पाँचवीं अर्थव्यवस्था है और क्रय शक्ति समता की दृष्टि से उसका तीसरा स्थान है तब यह तो नहीं कहा जा सकता कि भारत ने उन्नति नहीं की है। लेकिन जब हम अपनी नजर ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर डालते है, विश्व के विश्वविद्यालयों में भारत का स्थान देखते है तो भारतवासी होने के कारण हमारी स्थिति निराशाजनक होती है। ऐसा क्यों है कि देश की अनौपचारिक आर्थिक राजधानी में एक तरफ गगनचुंबी ईमारतें है जिनका वैभव और ऐश्वर्य शायद स्वर्ग की अमरावती से भी ज्यादा हो किंतु दूसरी ओर 'धारावी' की झुग्गी–झोपड़ी है जहाँ कि स्थिति भी शायद रौरव नरक से ज्यादा भयावह होंगी। क्या इसका एक कारण भाषा नहीं है?

स्वतन्त्र भारत में जिनके ऊपर नीति निर्धारण की जिम्मेदारी थी क्या उन्होंने उसी भाषा में नीति का निर्माण किया जिसे इस देश की जनता समझती हो। क्या न्याय देने वाले और न्याय पाने वाले की भाषा एक है ? कवि उदय प्रकाश की 'गेम सैंक्चुअरी' शीर्षक से एक कविता है जिसमें डाक बँगले का बूढ़ा नौकर गंभीर गमजदा होकर नए अफसर के बारे में सोचता है–

'सैंतालीस के पहले जैसी ही हैं
उन नौजवान अफसरों की आँखें'[3]

'सैंतालीस के पहले' अर्थात् स्वतंत्रता के पूर्व और उसके पश्चात् भी अफसरों के कार्य करने की रीति एक जैसे थी भले उनकी नियत देश के प्रति सकारात्मक हुई होगी। लेकिन विकास की समावेशी नीति पूर्ण सफल न हो

पायी।'राजभाषा' अधिनियम में भी यह देखा गया है कि 'भाषा' के प्रति संकीर्ण रवैया अपनाया गया और 'राज' को महत्ता दी गयी। 'राज' से तात्पर्य सत्ता प्राप्ति से है जिसके लिए भाषा संबंधी मुद्दों में निर्णय लेने में संकोच करते हुए उसे भविष्य के गर्त में धकेला गया जिसका परिणाम मातृभाषा और लोकभाषा की क्षीणता और कुछ बोलियों की समाप्ति के रूप देखा जा सकता है जिससे क्षुब्ध और व्यथित होकर कवयित्री जेंसिता केरकेट्टा शब्दों के द्वारा क्षोभ प्रकट करते हुए कहती है कि

'मातृभाषा खुद नहीं मरी थी
उसे मारा गया था
पर, माँ यह कभी न जान सकी।'[4]

माँ जान नहीं पायी कि क्योंकि वह अपने बच्चे को पराई भाषा इसलिए पढ़ा लिखा रही थी कि उसकी संतानों को रोजगार मिल जाए। जीवन को व्यतीत करने के 'प्रबंध' में आने वाली पीढ़ी कब अपनी भाषा से अपना सरोकार भुला बैठी इसका उसे पता ही नहीं चला। भाषा भी हवा और जल की तरह होती है इसकी भी कमी का एहसास तभी होता है जब यह हमारे बीच मौजूद न हो। जिस तरह मानवीय क्रियाकलाप से जल और वायु को दूषित किया गया। उनकी गुणवत्ता में गिरावट आई। उसी तरह से क्षुद्र स्वार्थ के लिए भाषा को भी मलिन किया गया। भाषा का स्वाभाविक विकास नहीं होने दिया गया। सरलता, कठिनता के क्रम में शब्दों में हेर-फेर किया गया। जिसका प्रभाव भाषा की 'जीनीयस' पर पड़ा। वह स्वभाविक स्वरूप में न रहकर कृत्रिम रूप सामने आने लगा।

भाषा संस्कृति की जड़ होती है। भारत की विविधितापूर्ण संस्कृति में चार कोस में पानी और आठ कोस में बानी बदलती है। किंतु यह वैविध्य भिन्नता का नहीं वरन् एकता का द्योतक है। अलग-अलग क्षेत्रों में प्रचलित बोली अपने पड़ोसी बोली के साथ सामंजस्य बिठाकर 'एका' रचती है और बोली से उपभाषाय फिर भाषा का रूप ग्रहण करती है। भाषा को पोषण बोलियों से ही मिलता है और ऊर्जा अन्य भाषा के संपर्क से। इसीलिए भारत में षटभाषा का महत्व था। भाषाओं में आपसी आदान प्रदान था तभी केरल का व्यक्ति कश्मीर और कश्मीर का व्यक्ति केरल की आवाजाही सरलता से कर लेते थे। जबकि तब संचार के इतने प्रबल साधन ने थे और न ही उन्नत तकनीकी उपकरण। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी देश की एकता के लिए भाषायी समन्वय पर जोर दिया गया था लेकिन कुछ लोगों द्वारा हिंदी-उर्दू, उत्तार बनाम दक्षिण भाषायी गतिरोध की स्थिति उतपन्न की जाती है जिसे हाल ही में एक नेता के बयान में भी देखा जा सकता है जिन्होंने उत्तार और दक्षिण को अलग करने की बात कही यह तर्क देकर कि दोनों जगह की संस्कृति अलग-अलग है। वह शायद यह भूल गए होंगे कि उत्तार से ज्ञान का समुद्र पीने वाले अगस्त्य मुनि दक्षिण जाते है तो दक्षिण से शंकराचार्य आकर पूरे भारत के एकता के सूत्र को दृढ़ करते है।

भारत पश्चिमी देशों की भाँति केवल राष्ट्र- राज्य नहीं है बल्कि एक सांस्कृतिक राज्य है जहाँ एकता को मजबूती राजनीति से ज्यादा संस्कृति के माध्यम से मिलती है। भारतीय संविधान की 22 भाषाएँ भारत की कमजोरी नहीं वरन् इसकी मजबूती है। सामाजिक, भौगोलिक, और पारिस्थितिकी कारणों से भाषा में बदलाव स्वाभाविक है जो देश को शब्द संपदा से संपन्न करते है जिससे देशवासियों के मानसिक क्षितिज को व्यापकता मिलती है।

भारत की कोई एक राजभाषा नहीं हो सकती। जैसे अन्य देशों में है। भाषायी सद्‌भाव ही देश की एकता का प्रतीक है। पाकिस्तान का विभाजन भी बांग्लादेश के रूप में भाषायी कट्टरपन के ही कारण हुआ था। श्रीलंका में भी तमिल और सिंहली के वर्चस्व के कारण ही अस्थिरता हुई थी जिसके कुछ अवयव अभी भी विद्यमान है। भारत की समावेशी, सामंजस्यपूर्ण और समन्वयवादी प्रवृत्तिा के कारण भाषायी विवाद उग्र नहीं है लेकिन भाषा का स्वरूप कोई स्थैतिक नहीं वरन् गतिक होता है इसको ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति में यह प्रावधान किया है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जायेगी। शिक्षा की औपचारिक शुरुआत के पूर्व ही मातृभाषा में शब्दभंडार होता है जिससे उसकी माध्यम से ज्ञान प्राप्ति द्वारा विषय की ग्राह क्षमता ज्यादा होती है और समझ भी परिपक्व होती है जिससे व्यक्ति अन्य भाषा व गूढ़ विषय भी जल्दी सीखता है। देश के राष्ट्रपति व मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉ एपीजे कलाम ने कहा कि मेरी गणित और विज्ञान की समझ इसीलिए ठीक है कि मैंने मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की है। मध्यप्रदेश सरकार ने मेडिकल की उच्च शिक्षा भी हिंदी में प्रदान करना आरम्भ किया है इससे अन्य भाषा समझने का जो अतिरिक्त बोझ बच्चों में पड़ता है उसमें कमी आयेगी और वह अपनी विषय से संबंधित पकड़ को मजबूत करेंगे। यह प्रयास अभी शिशु अवस्था में है जिस पर उचित क्रियान्वयन कर ज्ञान के अन्य अनुशासनों में भी यह प्रयास किया जा सकेगा। इससे एक लाभ यह भी मिलेगा कि देश में मौजूद जो पारंपरिक ज्ञान है वह देशज भाषा में ही है जिसको संरक्षित और संवर्धित करते हुए नूतन ज्ञान को अपनाने का मार्ग प्रशस्त होगा।

निज भाषा उन्नति के साथ-साथ भारतेंदु ने यह भी कहा था कि

'बिबिध कला शिक्षा अमित ज्ञान अनेक प्रकार।
सब देसन से लै करहु भाषा माँहि प्रचार।।'[5]

निज भाषा के साथ अन्य भाषा को भी अपनाना जरूरी है ताकि वहाँ की ज्ञान संपदा को हम जान सके और अपने परिवेश के अनुकूल अपना सके तभी हम विश्व के साथ कदमताल कर पायेंगे। लेकिन बाहर की भाषा को ज्ञान प्राप्ति की सीढ़ी बनाने से समाज का बहुजन हिस्सा विकास के मुख्यधारा से बाहर ही रहेगा। भारत ने 5 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य रखा है जिसके साथ सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। जिसकी प्राप्ति का पहला कदम समावेशी विकास होगा। जिसके लिए सबसे आवश्यक यह है कि सरकार और जनता के बीच संवाद सुगम हो। नीति जिनके खातिर बनायी जा रही वो उसको समझ सके तभी उनका अनुपालन करने में सक्षम होंगे और जो भी व्यवहारिक परेशानी होगी उसे साझा कर निदान की दिशा में आगे बढ़ेंगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. रामविलास शर्मा, भाषा और समाज पंचम संस्करण राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली, 110002,पेज 75
2. https://hindi-kavita.com/HindiSelectedPoetryBharatenduHarishchandra.php#Kavita21(5Kavita21 (5 मार्च 2024 तक चालू)
3. जितेंद्र श्रीवास्तव, कविता का घनत्व, प्रथम संस्करण, सेतु प्रकाशन, पेज 113
4. https://www.hindwi.org/kavita/matribhasha-ki-maut-jacinta-kerketta-kavita (5 मार्च 2024 तक चालू)
5. https://hindi-kavita.com/HindiSelectedPoetryBharatenduHarishchandra.php#Kavita21(5 मार्च 2024 तक चालू)

भारत में इंटरनेट शटडाउन का मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के रूप में विश्लेषात्मक अध्ययन

विजय लक्ष्मी जोशी*

* सहायक प्राध्यापक, शासकीय विधि महाविद्यालय, शाजापुर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं, और किसी भी लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी लोकतंत्र को तानाशाही बनने से रोकने के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। यह निष्पक्ष एवं पारदर्शी लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। प्रसिद्ध पाश्चात्य कवि जॉन मिल्टन ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व को बताते हुए कहा है कि–

"Give me the liberty to know, to argue freely, and to utter according to conscience, above all liberties."

- John Milton

पिछले कुछ सालों से भारत में लॉ एवं ऑर्डर बनाए रखने, धरना प्रदर्शन रोकने एवं सांप्रदायिक हिंसा को रोकने एवं परीक्षा में नकल को रोकने एवं अन्य कारणों से सरकार द्वारा इंटरनेट शटडाउन किया जा रहा है। दुनिया में हुए इंटरनेट शटडाउन में भारत गत पाँच वर्षों से लगातार शीर्ष पर बना हुआ है, यहि कारण हैं कि भारत को विश्व की **'इंटरनेट शटडाउन की राजधानी'** कहा जाता हैं। 2016 से 2022 तक पूरे विश्व में इंटरनेट शटडाउन के कुल मामलों में 60 प्रतिशत केवल भारत के थे। इंटरनेट शटडाउन के पीछे सरकार द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि सांप्रदायिक हिंसा को रोकने, विधि व्यवस्था बनाए रखने, नागरिक अशांति एवं विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए ऐसा किया जाना जरूरी है वही दूसरी तरफ इंटरनेट शटडाउन को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी माना जाता है। इंटरनेट शटडाउन के विरूद्ध याचिकाओं की सुनवाई करते हुए न्यायपालिका द्वारा इंटरनेट के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) के तहत वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा बताया गया था, वही एक अन्य मामलें में इंटरनेट शटडाउन को अनुच्छेद 21 के अधीन शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन बताया गया तथा न्यायालय द्वारा यही भी कहा गया कि सरकार द्वारा इंटरनेट बंदी के औचित्य को स्पष्ट किया जाना जरूरी है। प्रस्तुत शोध पत्र में इंटरनेट शटडाउन को परिभाषित कर उसके प्रकार, प्रभाव, संबंधित विधि एवं इंटरनेट शटडाउन के पक्ष एवं विपक्ष में दिए जाने वाले तर्कों का संक्षिप्त वर्णन किया गया हैं तथा सरकार द्वारा इंटरनेट शटडाउन नागरिकों के मूल अधिकारों का कहाँ तक उल्लंघन करता हैं इस पर प्रकाश डाला गया है।

शब्द कुंजी – इंटरनेट शटडाउन, इंटरनेट का मौलिक अधिकार।

इंटरनेट शटडाउन क्या है ?

इंटरनेट शटडाउन इंटरनेट या इलेक्ट्रिोनिक संचार में जानबूझकर किया गया व्यवधान है जो उन्हें किसी विशिष्ट आबादी के लिए या किसी स्थान विशेष के भीतर पहुँच से वंचित या प्रभावी रूप से अनुपयोगी बना देता है। ऐसा प्राय: सूचना के प्रवाह पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए किया जाता है। इससे मोबाइल इंटरनेट, ब्रांडबैंड इंटरनेट या दोनों ही प्रभावित हो सकते है।

इंटरनेट शटडाउन के प्रकार – मुख्यत: इंटरनेट शटडाउन दो प्रकार के होते है–

1. **निवारक शटडाउन –** इस प्रकार के शटडाउन में कोई घटना घटित होने से पहले ही इंटरनेट बंद कर दिया जाता है जिससे वस्तुस्थिति नियंत्रण में रहे।
2. **प्रतिक्रियात्मक शटडाउन –** इस प्रकार का शटडाउन किसी घटना के घटित होने के बाद में किया जाता है।

भारत में इंटरनेट शटडाउन के कारण – भारत में इंटरनेट शटडाउन के निम्नलिखित कारण बताए जाते हैं–

1. नागरिक अशांति, विरोध प्रदर्शन, सांप्रदायिक तनाव को रोकने के लिए,
2. आंतकवादी गतिविधियों, संभावित खतरे को रोकने के लिए,
3. परीक्षा में कदाचार को रोकने, प्रश्नपत्रों को लीक होने से रोकने के लिए,
4. हेट स्पीच, अफवाहों और फेक न्यूज पर रोक लगाने के लिए,

कुल मिलाकर अधिकांशत: लॉ एवं ऑर्डर बनाए रखने के लिए, विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा अभी तक इंटरनेट शटडाउन किए गए है।

भारत में इंटरनेट शटडाउन से संबंधित विधि – भारत में इंटरनेट शटडाउन से संबंधित विधियॉं निम्नलिखित हैं जिनके तहत सरकार द्वारा प्राय: इंटरनेट शटडाउन किया जाता है–

1. **भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की धारा 5(2), दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन(सार्वजनिक आपातकाल और सार्वजनिक सुरक्षा)नियम 2017 के साथ पठित –** ये नियम संघ या राज्य के गृह सचिव को सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा के मामलें में किसी भी टेलीग्रॉफ सेवा जिसमें इंटरनेट भी शामिल है को निलंबित

करने का आदेश देने की अनुमति देते है। ऐसे आदेश की समीक्षा पॉच दिन के भीतर एक समिति द्वारा की जानी चाहिए और यह 15 दिनों से अधिक तक लागू नहीं रह सकता। किसी अत्यावश्यक स्थिति में संघ या राज्य के गृह सचिव, संयुक्त सचीव स्तर के या उससे ऊपर के अधिकारी को यह आदेश जारी करने के लिए अधिकृत कर सकते है।

2. **दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 –** यह धारा एक जिला मजिस्ट्रेट, एक उपखंड मजिस्ट्रेट या किसी अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट(जिसे राज्य सरकार द्वारा विशेष शक्ति सौपी गई हो)को जहॉ लोक शांति भंग हो रही हो या होने की संभावना हो या जहॉ बलवे या दंगे की संभावना हो वहॉ उसका निवारण करने के लिए आदेश जारी करने की शक्ति देती है। ऐसे आदेशों में किसी क्षेत्र विशेष में एक निर्दिष्ट अवधि के लिए इंटरनेट सेवाओं का निलंबन भी शामिल हो सकता है।

3. **सूचना प्रोधोगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69क –** यह धारा केंद्र सरकार को इंटरनेट पर किसी भी ऐसी सूचना तक पहुँच को अवरूद्ध करने का अधिकार देती है जिसे वह भारत की सुप्रभुता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा या मैत्रीपूर्ण संबंधों अथवा लोक व्यवस्था या शालीनता या किसी अपराध को उकसाने के हानिकारक मानती है। हॉलाकि यह धारा केवल विशिष्ट वेबसाइटों या कंटेट को अवरूद्ध करने पर लागू होती है, संपूर्ण इंटरनेट पर नहीं।

इंटरनेट शटडाउन के प्रमुख प्रभाव :

1. **वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं सूचना के अधिकार पर प्रभाव –** इंटरनेट शटडाउन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) तथा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रत्याभूत वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाता है। इसके अतिरिक्त यह सूचना के अधिकार पर भी प्रतिबंध लगाता है।

2. **आर्थिक प्रभाव –** इंटरनेट शटडाउन से आर्थिक नुकसान भी होता है तथा ऑनलाईन मंचों पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर रहने वाले लोग भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते है। यूके में स्थित डिजिटल प्राइवेसी ग्रुप Top10VPN.com के एक आकलन के अनुसार वर्ष 2020 में इंटरनेट शटडाउन से भारत को 20,000 करोड़ रूपए से अधिक नुकसान हुआ, 2019 में कश्मीर में 6 माह की इंटरनेट बंदी में 5 लाख से अधिक लोगों को रोजगार से हाथ धोना पड़ा था। वर्ष 2021 में राजस्थान में 1 माह तक इंटरनेट शटडाउन से 800 करोड़ रूपए का नुकसान हुआ। वर्ष 2022 में देशभर में हुए इंटरनेट शटडाउन से 1500 करोड़ रूपए से अधिक आर्थिक नुकसान हुआ। `Top10UPN' के अनुसार भारत को इंटरनेट शटडाउन के कारण वर्ष 2023 की पहली छमाही में 2,091 करोड़ रूपए की हानि हुई।

3. **शिक्षा में व्यवधान –** कई शिक्षण संस्थाए एवं विद्यार्थी शिक्षा के लिए ऑनलाईन प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। इंटरनेट के बंद हो जाने से छात्रों के अध्ययन में व्यवधान होता है।

4. **स्वास्थय सेवाओं एवं ई-कामर्स में व्यवधान –** इंटरनेट शटडाउन से ऑनलाईन उपलब्ध होने वाली आपातकालीन स्वास्थय सेवाए एवं ऑनलाईन वाणिज्यिक सेवाए प्रभावित होती है।

इंटरनेट शटडाउन पर न्यायपालिका का दृष्टिकोण – इंटरनेट शटडाउन पर न्यायपालिका के दृष्टिकोण को निम्नलिखित निर्णयों के माध्यम से समझा जा सकता है–

1. **अनुराधा भसीन विरूद्ध भारत संघ –**के मामलें में उच्चतम न्यायालय ने निर्णित किया कि इंटरनेट के माध्यम से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और व्यापार एवं कारोबार का अधिकार क्रमश: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) और 19(1)(छ) के तहत संरक्षित मूल अधिकार है। न्यायालय ने यह भी माना कि इंटरनेट शटडाउन संवैधानिक समीक्षा के अधीन है और यह अस्थायी वैध, सीमीत दायरे में तथा अनुपातिक होना चाहिए।

2. **फाउडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स विरूद्ध जम्मू कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश –** के मामले में उच्चतम न्यायालय ने जम्मू और कश्मीर प्रशासन को इंटरनेट पहुँच पर सभी मौजूदा प्रतिबंधों की समीक्षा करने का निर्देश दिया और कहा कि इंटरनेट तक पहुँच का अधिकार एक मूल अधिकार है और इसका सम्मान किया जाना चाहिए।

3. **फाहिमा शीरीन विरूद्ध केरल राज्य–**के मामले में केरल उच्च न्यायालय ने निर्णित किया कि इंटरनेट तक पहुँच का अधिकार अनुच्छेद 21 के अधीन शिक्षा का अधिकार, प्राइवेसी के अधिकार के अधीन आता है।

इंटरनेट शटडाउन के पक्ष में तर्क – इंटरनेट शटडाउन के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जाते है–

1. हेटस्पीच, अफवाहों और फेकन्यूज पर रोक लगाने के लिए एवं सांप्रदायिक हिंसा एवं तनाव पर रोक लगाने के लिए इंटरनेट शटडाउन किया जाना जरूरी है।

2. बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और नागरिक अशांति से निपटने के लिए एवं लॉ और ऑर्डर बनाए रखने के लिए इंटरनेट शटडाउन किया जाता है।

इंटरनेट शटडाउन के विपक्ष में तर्क– इंटरनेट शटडाउन के विपक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जाते है–

1. इंटरनेट शटडाउन से इंटरनेट कनेक्टिविटी पर निर्भर शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सार्वजनिक सेवाएँ एवं वाणिज्यिक सेवाएँ भी प्रभावित होती है।

2. इंटरनेट शटडाउन एक व्यक्ति के मानव अधिकार एवं मूल अधिकारों का हनन है। यह **मानवअधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948** के अनुच्छेद 19 एवं **सिविल तथा राजनैतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा** के अनुच्छेद 19 में दिए गए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार एवं **आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा** के अनुच्छेद 13 में दिए गए शिक्षा के अधिकार का अतिक्रमण करता है इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) (क) में दिए गए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार एवं अनुच्छेद 19(1)(छ) में दिए गए व्यापार, वाणिज्य की स्वतंत्रता के अधिकार जैसे मूल अधिकारों का भी अतिक्रमण करता है।

क्या इंटरनेट शटडाउन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है?

पूर्व में वर्णित न्यायपालिका के निर्णयों से यह स्पष्ट हैं कि इंटरनेट तक पहुँच का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) के तहत वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधीन मूल अधिकार हैं किन्तु 19(1)(क) के अधीन वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार आत्यंतिक नहीं है बल्कि यह अनुच्छेद 19(2) में वर्णित युक्तियुक्त निर्बधंनों के अध्याधीन है। अनुच्छेद19(2) के अधीन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर आठ आधारों – भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टता या नैतिकता के हित में,

न्यायालय की अवमानना, मानहानि तथा अपराध के उकसाने, पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते है। अत: यदि इंटरनेट शटडाउन अनुच्छेद 19(2) में दिए गए आधारों पर किया जाता हैं तथा इसकी सूचना प्रकाशित की जाती है एवं यह दिर्घकालिक अवधि के लिए नहीं लगाया जाता है तो यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं हैं किन्तु उपर्युक्त आठ आधारों के अतिरिक्त बिना किसी ठोस वजह के अधिकारविहिन प्राधिकारी द्धारा, बिना किसी पुन: समीक्षा के इंटरनेट शटडाउन दिर्घकालिक अवधि के लिए किया जाता है तो यह नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन है।

निष्कर्ष एवं सुझाव – अत: निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है के इंटरनेट तक पहुँच का अधिकार भारतीय नागरिकों का अनुच्छेद 19(1)(क) के अधीन मूल अधिकार है किन्तु यह अधिकार आत्यन्तिक नहीं हैं वरन्‌ इस पर अनुच्छेद 19(2) में दिए गए आधारों पर निंबर्धन लगाए जा सकते है। यदि इन आधारों पर नागरिकों के इंटरनेट के पहुँच के अधिकार पर निबंर्धन लगाया जाता है तो वह उनके मूल अधिकारों का हनन नहीं है किन्तु बिना किसी ठोस वजह के इंटरनेट शटडाउन नागरिकों के मूल अधिकारों का अतिक्रमण है। यदि किसी ठोस वजह से इटरनेट शटडाउन किया जाता है तो वह योग्य प्राधिकारी द्धारा अंतिम उपाय के रूप में किया जाना चाहिए एवं नागरिकों की इसकी सूचना दी जानी चाहिए एवं एक निश्चित अवधि के बाद इंटरनेट बंदी के आदेश की समीक्षा की जानी चाहिए यह किसी भी अवस्था में दिर्घकालिक अवधि के लिए नहीं होना चाहिए तथा यदि कोई अन्य विकल्प मौजूद है तो उसे उपयोग में लाना चाहिए तभी हमारा भारत सही मायनों में निष्पक्ष एवं पारदर्शी लोकतंत्र कहलाएगा जहाँ सभी नागरिकों को अपने विचार व्यक्त करने की आजादी हों।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारत का संविधान, डॉ. जय नारायण पाण्डेय, 42 वॉ संस्करण, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद।
2. दण्ड प्रक्रिया संहिता, डॉ. ना. वि. परांजपे, 8 वॉ संस्करण, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद।
3. hhttps://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-editorials/digital-blackout-the-shadow-of-internet-shutdowns
4. hhttps://m.economictimes.com/tech/technology/india-had-longest-internet-shutdown-in-2023-report/articleshow/108462868.cms
5. hhttps://www.thehindu.com/sci-tech/technology/india-records-highest-number-of-internet-shutdowns-globally-in-2023/article68178061.ece.

****

उत्तराखण्ड के माध्यम से भारत-नेपाल सीमा पर संचालित अनौपचारिक और औपचारिक व्यापार में महिलाओं की भागीदारी का अध्ययन

शान्ति* डॉ. अभिषेक कुमार पंत**

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) स्वा.वि.रा.स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लोहाघाट (उत्तराखण्ड) भारत
** सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) ल.सिं.म.रा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पिथौरागढ़ (उत्तराखण्ड) भारत

शोध सारांश – इस आलेख का मुख्य उद्देश्य उत्तराखण्ड के माध्यम से भारत-नेपाल सीमा पर संचालित अनौपचारिक और औपचारिक व्यापार में महिलाओं की भागीदारी को जानना है। इस सर्वेक्षण में अनौपचारिक व्यापार में भारत एवं नेपाल दोनों देशों के व्यापारियों को सम्मिलित किया गया है जबकि औपचारिक व्यापार में केवल भारत के ही व्यापारियों को सम्मिलित किया गया है। इस सर्वेक्षण आधारित प्रयास में हमने(भारत एवं नेपाल सीमा) उत्तराखण्ड के तीन पारगमन बिन्दुओं के अनौपचारिक व्यापारियों की पहचान कर उनसे संपर्क स्थापित कर व्यापार संबंधी आकड़ें एकत्रित किये हैं।इस शोध पत्र में यह जानने का प्रयास किया गया है कि सीमापार अनौपचारिक एवं औपचारिक व्यापार में संलग्न व्यापारियों की विशेषताएं क्या हैं? यानी वे कौन हैं?व्यापारी पर पारिवार के सदस्यों की निर्भरता अनुपात क्या है? वर्तमान व्यापार में संलग्न होने से पूर्व वे क्या करते थें?विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि औपचारिक व्यापार की तुलना में अनौपचारिक व्यापार में महिलाओं की सहभागिता अधिक है। औपचारिक व्यापार में संलग्न महिला व्यापारियों की तुलना में अनौपचारिक व्यापार में संलग्न महिला व्यापारियों की शैक्षिक उपलब्धि अधिक है।
शब्द कुंजी – अनौपचारिक व्यापार, औपचारिक व्यापार, महिला सहभागिता, सीमा-पार, उत्तराखण्ड।

प्रस्तावना – प्रस्तुत शोध में औपचारिक व्यापार का अभिप्राय उस व्यापार से है जो अधिकारिक आँकड़ों में दर्ज किया जाता है। औपचारिक व्यापार में व्यापारी विदेश व्यापार निदेशालय(डी.जी.एफ.टी.) द्वारा जारी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोडप्राप्त कर आयात-निर्यात करते हैं। जबकि अनौपचारिक व्यापार का अभिप्राय उस व्यापार से है जो आधिकारिक आँकड़ों में दर्ज नहीं किया जाता है। अनौपचारिक व्यापार में संलग्न व्यापारी बिनाआई0ई0 कोड प्राप्त किये अवैध रूप से आयात-निर्यातकरते है। अनौपचारिक व्यापार से प्राप्त आय को किसी भी देश की राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है जबकि औपचारिक व्यापार से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। अनौपचारिक व्यापार मौजूदा सरकारी कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करके संचालित की जाती है जबकि औपचारिक व्यापार मौजूदा सरकारी कानूनी प्रावधानों का पालन करके संचालित की जाती है । सरल भाषा में अनौपचारिक व्यापार का मतलब वह व्यापार है जो औपचारिक नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार औपचारिक व्यापार के साथ-साथ अनौपचारिक व्यापार में भी हो सकता है। वर्तमान अध्ययन के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए भारत और नेपाल के बीच उत्तराखण्ड के माध्यम से संचालित हो रहे व्यापार पारगमन बिन्दुओं केतीन लैंड कस्टम स्टेशन को सम्मिलित किया गया है। औपचारिक व्यापार के अध्ययन के लिए वर्तमान में डी.जी.एफ.टी.(Directorate General of Foreign Trade) द्वारा जारी आई0ई0 (import Export) कोड धारक केवल भारत के व्यापारियों को सम्मिलित किया गया है जबकि अनौपचारिक व्यापार के अध्ययन के लिए भारत एवं नेपाल दोनों देशों के व्यापारियों को सम्मिलित किया है। इस शोध पत्र के अध्ययन के लिए अनौपचारिक व्यापार को आधिकारिक आँकड़ों में गैर- रिकॉर्ड किए गए व्यापार प्रवाह के रूप में परिभाषित किया गया है जो दोनों देशों मे मौजूदा कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करके संचालित होता है। वर्तमान अध्ययन के संदर्भ में अनौपचारिक व्यापार हेतु उन्हीं व्यापारियों को सम्मिलित किया गया है जो **उपभोक्ता उत्पादों** का आयात-निर्यात करते हैं। **इसमें नशीली पदार्थ, नशीली दवाएं, हथियारों एवं मानव की तस्करी को अपवर्जित किया गया है।** सीमावर्ती क्षेत्रों में अनौपचारिक सीमा-पार व्यापार को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता है। इस व्यापार में जोखिम एवं उच्च लाभप्रदता बहुत अधिक होता है। अनौपचारिक व्यापार सीमावर्ती क्षेत्रों के आर्थिक गतिविधि और अदृश्य क्षेत्रीय एकीकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। दोनों देशों के बीच अनौपचारिक व्यापार के आकार और कुल व्यापार का आकलन करना बहुत मुश्किल है। साथ ही अनौपचारिक व्यापार का दशकों से विद्यमान होने के कारणों को समझना भी महत्वपूर्ण है।

साहित्य पूर्वावलोकन :

Taneja Nisha, & Pohit Sanjib (February 2002) यह अध्ययन बताता कि भारत से नेपाल में व्यापार किया जाने वाला सामान बड़े पैमाने पर नेपाल की सीमा से लगे भारतीय राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से खरीदा जाता है। दूसरी ओर, नेपाल से भारत में अनौपचारिक रूप से व्यापार किए जाने वाले सामान ज्यादातर तीसरे देशों से आते हैं। जिनमें सबसे महत्वपूर्ण चीन, जापान, थाईलैंड, हांगकांग और सिंगापुर हैं। यह अध्ययन अपने निष्कर्ष में यह बताता है कि जब तक औपचारिक व्यापारियों

के लेनदेन के माहौल में सुधार नहीं होता है, तब तक अनौपचारिक व्यापार औपचारिक व्यापार के साथ सह–अस्तित्व में बना रहेगा। भले ही भारत और नेपाल के बीच मुक्त व्यापार स्थापित हो।

Njikam Ousmanou and Tchouassi Gerard(November 2010) इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य सीमापार व्यापारियों की विशेषताओं, आई.सी.बी.टी. के माध्यम से पेश किए गए अवसरों और मुकाबला रणनीतियों पर साक्ष्य प्रदान करना है। साथ ही सीमापार अनौपचारिक व्यापार में पुरूषों और महिलाओं को अनुमति देने या बाधा डालने वाले सामाजिक–आर्थिक कारकों की पहचान करना हैं। व्यापारिक विशेषताओं के संबंध में, विश्लेषण से संकेत मिलता है कि, मध्यम आयु वर्ग (20 से 39 वर्ष) के भीतर महिला व्यापारियों की उम्र पुरूषों की तुलना में अधिक है। निर्णयन की बात करें तो पुरूष व्यापारियों की तुलना में महिलाओं का अनुपात अधिक है और उन्होंने स्वयं निर्णय लेने की बात कही है।यह शोध पत्र यह भी बताता है कि 1980 के दशक के आर्थिक संकट और संरचनात्मक समायोजन के कार्यान्वयन के बाद, कई लोग जीविकोपार्जन की आशा के साथ अनौपचारिक क्षेत्र में स्थानांतरित हो गए।

Njkam Ousmanou (August 2011) इस शोध पत्र में तीन सीमा स्थलों कैमरून–नाइजीरिया,कैमरून–गिनी इक्वेटोरियल एवं कैमरून – गैबॉन को कवर किया गया है। इस सर्वेक्षण में अनौपचारिक सीमापार व्यापार के माध्यम से क्या अवसर प्रदान किये जाते है? इन अवसरों की प्राप्ति में क्या व्यावसायिक एवं संस्थागत बाधाएं बाधक हैं? इनसे मुकाबला करने वाले तंत्र क्या है? क्या वे लिंग से भिन्न है? मुद्दों पर अध्ययन किया गया। इस सर्वेक्षण से वैवाहिक स्थिति के संबंध में पता चलता है कि महिला व्यापारी और पुरूष व्यापारी समान प्रतिशत में विवाहित थे। परन्तु बहुविवाह में होने की संभावना पुरूषों की तुलना में महिलाएं अधिक थी। इस अध्ययन से पता चलता है कि निवास स्थिति और राष्ट्रीय मूल से पता चला कि अधिकांश पुरूष और महिला व्यापारी सीमा चौकी के निवासी थे।

SAWTEE Report(19 February 2020) रिर्पोट के अनुसार भारत नेपाल के मध्य अनौपचारिक व्यापार में महिलाओं को ज्यादा अनौपचारिक व्यापार के लिए उपयोग किया जाता है। भारत से सामान लाने वाले महिलाओं को अपेक्षाकृत कम जाँच किया जाता है। यह रिपोर्ट बताता है कि नेपाल भारत से कृषिगत सामग्री को प्रति वर्ष अनौपचारिक व्यापार के माध्यम से आयात करता है। जिसका मुख्य कारण कीमत में अंतर, खराब बाजार की स्थिति, कम परिवहन लागत व स्थानीय बाजार की निकटता है।

अध्ययन की आवश्यकता

अध्ययन की आवश्यकता को हम निम्नलिखित रूप में देख सकते है–

1. **अनौपचारिक एवं औपचारिक व्यापार में महिला सहभागिता –** यह अध्ययन हमें बताएगा कि अनौपचारिक व्यापार एवं औपचारिक व्यापार में कितनी महिलाएं प्रतिभाग करती है।

2. **अनौपचारिक व्यापार में महिलाओं की सहभागिता का कारण –** हमें ये जानने की जरूरत है किउच्च जोख़िम वाले अनौपचारिक व्यापार में महिलाएं क्यों प्रतिभाग करती है।

3. **व्यापार में संलग्नता का व्यापारी के विशेषताओं से संबंध –**इस अध्ययन से हमें पता चलेगा औपचारिक एवं अनौपचारिक व्यापार में संलिप्त व्यापारी किस आयु, समाजिक परिवेशएवं शैक्षिक पृष्ठभूमि से आते है?

अध्ययन के उद्देश्य–भारत और नेपाल के बीच औपचारिक एवं अनौपचारिक व्यापार में महिलाओं की सहभागिता का अध्ययन करना।

अध्ययन क्षेत्र–प्रस्तुत अध्ययन में **अनौपचारिक व्यापार के अध्ययन** हेतु उत्तराखण्ड से लगे निम्नलिखित तीन सीमा क्षेत्रों में स्थित पारगमन बिन्दुओं को शामिल किया गया हैं– 1. धारचूला,पिथौरागढ़(भारत)–दार्चुला(नेपाल) 2. झूलाघाट,पिथौरागढ़(भारत)–बैतड़ी(नेपाल) 3. बनबासा, चम्पावत(भारत)–कंचनपुर,महेन्द्रनगर(नेपाल)।

औपचारिक व्यापार के अध्ययन हेतु उत्तराखण्ड, के पिथौरागढ़जिला में स्थित धारचूला, झूलाघाट एवं चम्पावत जिला में स्थित बनबासा पारगमन बिन्दु को शामिल किया गया है।

शोध पद्धति–शोध कार्य में मुख्यत: वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध प्रारूप विधि का प्रयोग किया गया है।तथ्य संकलन के लिए प्राथमिक स्रोतों का प्रयोग किया गया है।

प्रतिदर्श चयन प्रविधि–अनौपचारिक व्यापार के अध्ययन हेतु समग्र की आधिकारिक जानकारी नहीं होने के कारण तथ्य संकलन के लिए उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्शन विधि का प्रयोग करते हुए भारत से 75 एवं नेपाल से कुल 75 व्यापारियों का चुनाव किया गया। जबकि औपचारिक व्यापार में व्यापारियों की संख्या न्यून होने के कारण वर्तमान में औपचारिक व्यापार में संलग्न सभी 16 भारतीय व्यापारियों को प्रतिदर्श के रूप में चुना गया।

विश्लेषण–स्वनिर्मित प्रश्नावली, संरचित साक्षात्कार एवं प्रतिवादी अवलोकन के द्वारा एकत्रित आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण।

व्यापारियों की विशेषताएं–व्यापारियों की विशेषताओं को समझने का मुख्य उद्देश्य इस प्रश्न का उत्तर जानना है कि अनौपचारिक एवं औपचारिक व्यापारी कौन है? व्यापारियों को समझने के लिए आयु, वैवाहिक स्थिति, शिक्षा का स्तर, व्यापार में प्रवेश से पूर्व की गतिविधि, वर्तमान प्राथमिक गतिविधि,एवं व्यापारी पर पारिवार के सदस्यों की निर्भरताअनुपात कीआलोचनात्मक परीक्षण किया गया है।

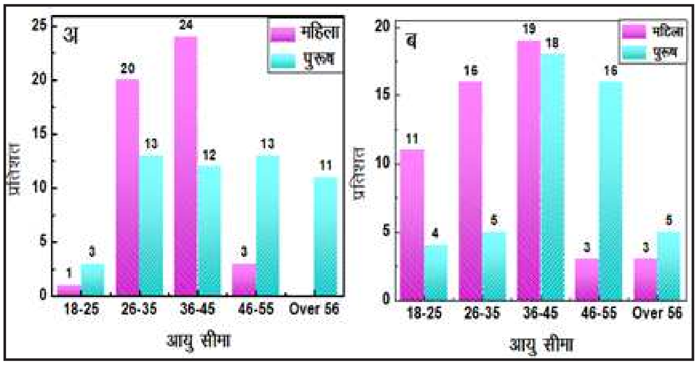

चित्र संख्या–01: अनौपचारिक व्यापार में संलिप्त (अ) भारत के एवं (ब) नेपाल के व्यापारियों की आयु प्रतिशत में

आयु–अनौपचारिक व्यापार में महिला एवं पुरूष व्यापारियों की आयु प्रतिरूप में मुख्य अंतर सीमापार व्यापारिक गतिविधियों में जोख़िम अधिक होना है। भारत के परिपेक्ष्य में देखा जाए तो 56 से अधिक आयु वर्ग में वर्तमान में एक भी महिला व्यापारी व्यापार में संलिप्त नहीं है जबकि नेपाल में 03 प्रतिशत महिला व्यापारी अभी भी इस आयु वर्ग से व्यापार में संलिप्त है। युवा महिला व्यापारियों की बात की जाए तो भारत में 01 प्रतिशत एवं नेपाल में 11 प्रतिशत है। उपरोक्त चित्र से स्पष्ट होता है कि दोनों ही देश में 36 से 45 आयु सीमा वर्ग में आने वाले महिला व्यापारी सर्वाधिक है। उत्तरदाताओंके

साथ चर्चा से पता चलता है कि भारत एवं नेपाल दोनों ही देशों में अधिकांश महिलाएं इस व्यापार में पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते संलग्न होते हैं।

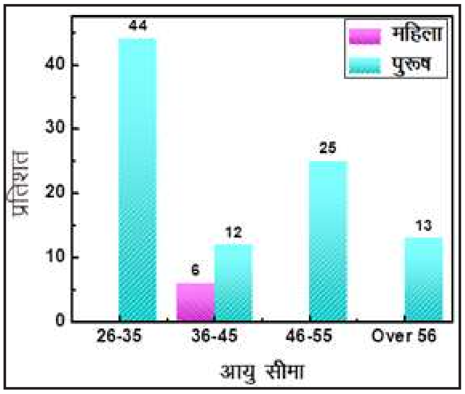

चित्र संख्या-02: औपचारिक व्यापार में संलिप्त भारत के व्यापारियों की आयु प्रतिशत में

चित्र संख्या 02वर्तमान में औपचारिक व्यापार में संलिप्त व्यापारियों की आयु प्रतिरूप को दर्शाता है। इस चित्र से पता चलता है कि 26 से 35 आयु वर्ग में सर्वाधिक 44 प्रतिशत पुरूष औपचारिक व्यापार में भाग लेते है जबकि महिला सहभागिता केवल 06 प्रतिशत है जो 36 से 45 आयु वर्ग सीमा में आते हैं।

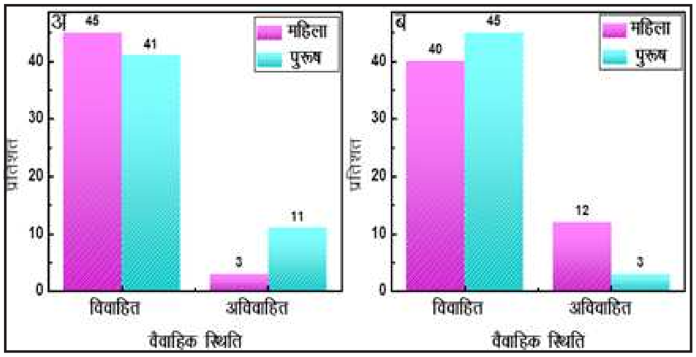

चित्र संख्या -03:अनौपचारिक व्यापार में संलिप्त (अ) भारत के एवं (ब) नेपाल केव्यापारियों की वैवाहिक स्थिति प्रतिशत में

वैवाहिक स्थिति-चित्र संख्या 03 दोनों देशों के अनौपचारिकव्यापारियोंके वैवाहिक स्थिति के प्रतिरूप का प्रतिवेदन देता है। चित्र द्वारा स्पष्ट है कि कुल महिला उत्तरदाताओं में भारत के 45 प्रतिशत एवं नेपाल के 40 प्रतिशत महिलाएं विवाहित है। अध्ययन में शामिल महिलाओंमें भारत के 03 प्रतिशत एवं नेपाल के 12 प्रतिशत प्रतिवादी अविवाहित है। दोनों ही देशों में महिला एवं पुरूष व्यापारियों के वैवाहिक स्थिति की तुलना करने पर यह ज्ञात होता है कि भारत में पुरूषों की तुलना में अधिकांश महिलाएं विवाहित है जबकि नेपाल में महिलाओं की तुलना में अधिकांश पुरूष विवाहित है।

प्रतिवादी अवलोकन एवंउत्तरदाताओं के साथ बातचीत से पता चलता है कि भारत की अधिकांश महिलाएं विवाह के पश्चात ही व्यापार में संलिप्त होते हैं। जबकि नेपाल में काफी कम उम्र से अधिकांश महिलाएं आयात-निर्यात गतिविधि के अंतर्गत वस्तुओं के परिवहन का काम करती हैं।

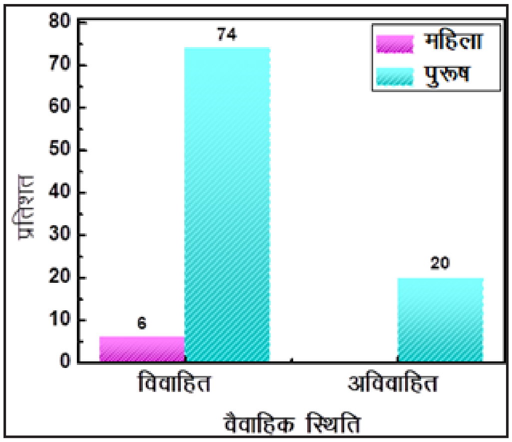

चित्र संख्या -04: औपचारिक व्यापार में संलिप्त भारत के व्यापारियों की वैवाहिक स्थिति प्रतिशत में

चित्र संख्या 04 स्पष्ट करता है कि भारत के औपचारिक व्यापारियों में से 75 प्रतिशत पुरूष व्यापारी विवाहित है और 20 प्रतिशत पुरूष व्यापारी अविवाहित है। औपचारिक व्यापार में 06 प्रतिशत महिला व्यापारी विवाहित है।

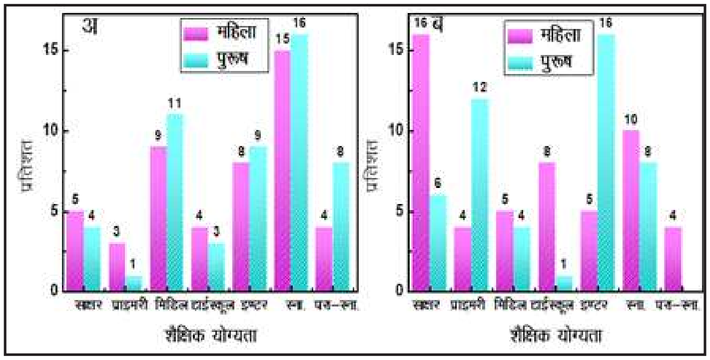

चित्र संख्या-05:अनौपचारिक व्यापार में संलिप्त (अ) भारत के एवं (ब) नेपाल केव्यापारियों की शैक्षिक योग्यता प्रतिशत में

चित्र संख्या 05अनौपचारिक व्यापारियों की शैक्षिक उपलब्धि को दर्शाता है। सीमापार अनौपचारिक व्यापारियों में महिलाओं और पुरूषों के शैक्षिक उपलब्धि में ज्यादा अंतर नहीं है। व्यापारियों के शैक्षिक उपलब्धि की गहनता से अध्ययन करने के लिए शिक्षा को 07 स्तरों में विभक्त किया गया। शिक्षा के पहले स्तर से स्पष्ट होता है कि भारत एवं नेपाल के कुल उत्तरदाताओंमें 05 प्रतिशत महिला, 04 प्रतिशत पुरूष एवं नेपाल केकुल उत्तरदाताओं में 16 प्रतिशत महिला, 06 प्रतिशत पुरूष साक्षर है। भारत के कुल उत्तरदाताओं में 15 प्रतिशतमहिला, 16 प्रतिशत पुरूष एवं नेपाल के 10 प्रतिशत महिला ,08 प्रतिशत पुरूष व्यापारियों ने स्नातक की डिग्री हासिल की है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि अनौपचारिक व्यापार में भारत के 91 प्रतिशत एवं नेपाल के 78 प्रतिशत व्यापारियों ने औपचारिक शिक्षा ली है।

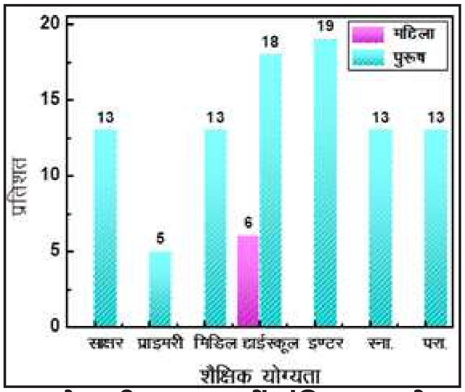

चित्र संख्या-06:औपचारिक व्यापार में संलिप्त भारत के व्यापारियों की शैक्षिक योग्यता प्रतिशत में

चित्र संख्या 06 से स्पष्ट होता है कि औपचारिक व्यापार में महिला व्यापारियों की तुलना में पुरूष व्यापारियों की शैक्षिक योग्यता अधिक है।प्रतिवादी अवलोकन से पता चलता है कि जिन उत्तरदाताओं ने स्नातक अथवा स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है उन सभी व्यापारियों ने अपने व्यापार के साथ औपचारिक शिक्षा पूरी की है। व्यापारियों का मानना है कि औपचारिक शिक्षा व्यापार में उन्हें अधिक मदद नहीं करती है।

चित्र संख्या 05 और 06 से स्पष्ट होता है कि औपचारिक एवं अनौपचारिक महिला व्यापारियों के शैक्षिक उपलब्धि की तुलना की जाये तो अनौपचारिक व्यापार में संलिप्त महिलाओं ने औपचारिक शिक्षा के उच्च स्तर की डिग्री हासिल की है।

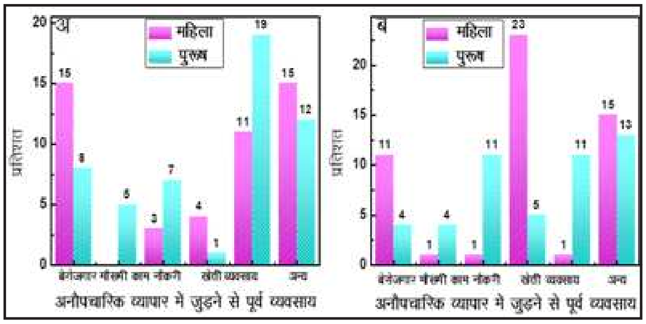

चित्र संख्या-07:अनौपचारिक व्यापार में संलिप्त (अ)भारत के एवं (ब) नेपाल के व्यापारियों की अनौपचारिक व्यापार में जुड़ने से पूर्व व्यवसाय

चित्र संख्या 07 के अध्ययन से पता चलता है कि अनौपचारिक व्यापार में जुड़ने से पूर्वभारत के 14 प्रतिशत महिला व्यापारी एवं नेपाल के केवल 02 प्रतिशत महिला व्यापारी ही प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक गतिविधियों से जुड़े थे। मौसमी काम में भारत की महिलाओं की प्रतिभागिता शून्य है जबकि नेपाल में केवल 01 प्रतिशत महिला ही प्रतिभाग करती थी। महिला उत्तरदाताओं से बातचीत से पता चलता हैं कि दोनों ही देशों के अधिकांश महिला व्यापारी अपने परिवार एवं बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से आकर पारगमन बिन्दु के कस्बों में बसे हैं।

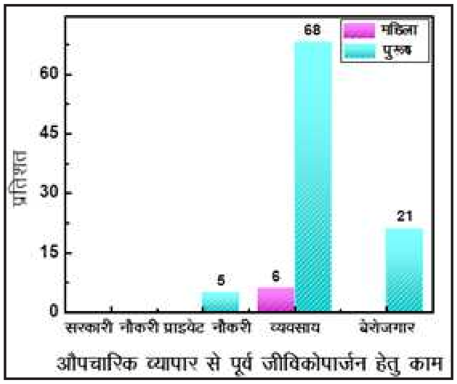

चित्र संख्या-08:औपचारिक व्यापारमें जुड़ने से पूर्व भारतीय व्यापारियों की जीविकोपार्जन हेतु कामचित्र संख्या 08 से स्पष्ट होता है कि औपचारिक व्यापार में संलग्न 79 प्रतिशत व्यापारी पूर्व से ही आर्थिक गतिविधियों सेप्रत्यक्ष रूप से जुड़ें थे। पूर्व से ही समस्त महिला व्यापारी आर्थिक गतिविधियों सेप्रत्यक्ष रूप से जुड़ें थे।

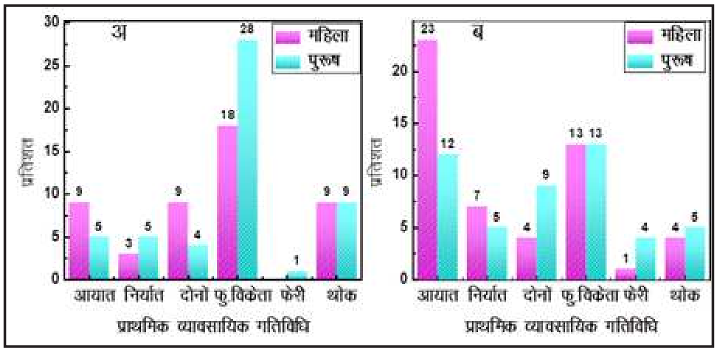

चित्र संख्या-09:अनौपचारिक व्यापार में संलिप्त (अ) भारत के एवं (ब) नेपाल के व्यापारियों की प्राथमिक व्यावसायिक गतिविधि प्रतिशत में

चित्र संख्या 09 से स्पष्ट होता है कि वर्तमान में भारत के सर्वाधिक अनौपचारिक महिला व्यापारी फुटकर विक्रेता है। जबकि नेपाल के सर्वाधिक अनौपचारिक महिला व्यापारी आयात गतिविधि से जुड़ें हैं।प्रतिवादी अवलोकन से ज्ञात होता है कि दोनों देशों के प्रतिवादी जो मुख्य रूप से आयात एवं निर्यात गतिविधियों से जुड़ें हैं ऐसे सभी व्यापारी स्वयं उत्पादों का आयात-निर्यात करते हैं। इन उत्पादों को या तो वे स्वयं विक्रय करते हैं या दोनों देशों के व्यापारी अपने-अपने क्षेत्रों से उत्पाद की मांग एकत्रित कर मांगकर्ताओं तक पहुंचाते हैं। सीमापार व्यापार में पारगमन बिन्दुओं में उत्पादों के परिवहन का काम मुख्यत: दोनों देशों में महिलाएं अधिक करती है। पारगमन बिन्दु बनबासा-महेन्द्रनगर में मोटर मार्ग द्वारा अधिकांश व्यापारी साइकिल से माल का परिवहन करते है। जबकि धारचूला-दार्चुला, झूलाघाट-बैतड़ी पारगमन बिन्दुओं में व्यापारी पैदल ही उत्पादों का परिवहन करते हैं।

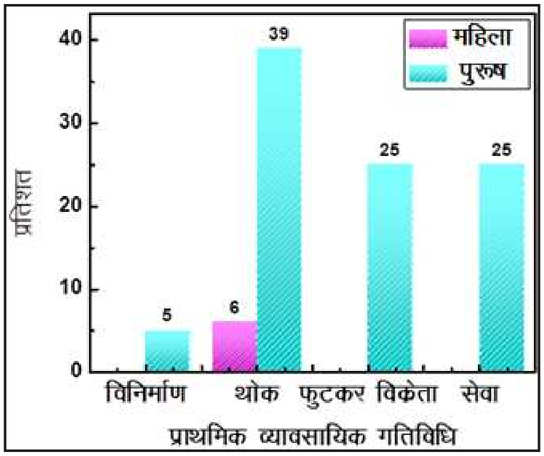

चित्र संख्या– 10: औपचारिक व्यापार में संलिप्त भारत के व्यापारियों की प्राथमिक व्यावसायिक गतिविधिप्रतिशत में

चित्र संख्या 10 से स्पष्ट होता है कि औपचारिक व्यापार में संलग्न सभी महिलाएं थोक व्यापार से जुड़ें हैं। औपचारिक और अनौपचारिक व्यापारियों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि महिलाएं अधिक अनौपचारिक व्यापार से जुड़ें हैं। अनौपचारिक व्यापार की तुलना में औपचारिक व्यापार में संलग्न पुरूष व्यापारी अधिक थोक व्यापार से जुड़ें हैं। औपचारिक व्यापार में संलग्न समस्त व्यापारी स्वयं ही निर्यात का भी कार्य करते है।

अनौपचारिक व्यापारी पर परिवार के सदस्यों की निर्भरता अनुपात –प्रश्नावलीमें पूछे गये प्रश्न के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि भारत में क्रमश: 05:02 महिला एवं 06:03 पुरूष व्यापारी, नेपाल में 06:02 महिला एवं 07:03 पुरूष, व्यापारी पर परिवार के सदस्यों की औसत निर्भरता है। अर्थात भारत में महिला व्यापारी के परिवार में 02 कमाने वाले पर 05 लोग निर्भर है जबकि पुरूष व्यापारी के परिवार में 03 कमाने वालों पर 06 लोग निर्भर है। नेपाल में महिला व्यापारी के परिवार में 02 कमाने वाले पर 06 लोग निर्भर है जबकि पुरूष व्यापारी के परिवार में 03 कमाने वालों पर 07 लोग निर्भर है। उपरोक्त तथ्य से स्पष्ट होता है कि औपचारिक व्यापार की तुलना में अनौपचारिक व्यापार में महिलाओं की सहभागिता अधिक होने का एक प्रमुख कारण पारिवारिक आर्थिक जिम्मेदारी है।

औपचारिक व्यापारीपर परिवार के सदस्यों की निर्भरता अनुपात – औपचारिक व्यापार में व्यापारी पर परिवार के सदस्यों की औसत निर्भरता 03:01 महिला एवं 06:02 पुरूष, है। अर्थात भारत में महिला व्यापारी के परिवार में 01 कमाने वाले पर 03 लोग निर्भर है जबकि पुरूष व्यापारी के परिवार में 02 कमाने वालों पर 06 लोग निर्भर है।

निष्कर्ष–अनौपचारिक व्यापार में महिलाओं की सहभागिता भारत में 48 प्रतिशत एवं नेपाल में 52 प्रतिशत है। जबकि औपचारिक व्यापार में केवल 06 प्रतिशत है। अनौपचारिक व्यापार में संलिप्त अधिकांश महिला व्यापारी पारिवारिक आर्थिक जिम्मेदारी के कारण विवाह के पश्चात ही अनौपचारिक व्यापार में प्रवेश करते है। भारत की तुलना में नेपाल के उत्तरदाताओं के शैक्षिक योग्यता में लिंग अंतर देखने को मिलता है। भारत मेंऔपचारिकव्यापार की तुलना में अनौपचारिक व्यापार में महिलाएं अधिक शिक्षित हैं। यह तथ्य स्पष्ट करता है कि अनौपचारिक व्यापार में जुड़ने का शैक्षिक उपलब्धि से कोई संबंध नहीं है।भारत एवं नेपाल दोनों देशों के अधिकांश महिला व्यापारी अनौपचारिक व्यापार में जुड़ने से पूर्व किसी भी प्रकार के आर्थिक गतिविधियों में संलग्न नहीं थे जबकि औपचारिक व्यापार से जुड़ी महिला व्यापारी पूर्व से ही आर्थिक गतिविधियों में संलग्न थी। इस सर्वेक्षण से स्पष्ट होता है कि औपचारिक व्यापार की तुलना में अनौपचारिक व्यापार में महिलाओं की सहभागिता अधिक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. https://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/6379/Treaty+of+Trade+and+Transit
2. https://mea.gov.in
3. http://ssb.nic.in
4. https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1788009
5. https://www.dgft.gov.in/CP/
6. https://www.dgft.gov.in/CP/?opt=iec-profile-management
7. Njikam Ousmanou and Tchouassi Gerard "Women in informal cross-border trade: Evidence from the Central Africa Region''(November 2010)
8. Njkam Ousmanou "Women in Informal Cross Border Trade: Empirical Evidence from Cameroon'' (August 2011)
9. SAWTEE Report "The Kathmandu Post,Women Highly Active in Informal Trade With India: SAWTEE Report''(19 February 2020)
10. Taneja Nisha,&Pohit Sanjib "Characteristics Of India's Informal & Formal Trading With Nepal: A Comparative Analysis''(February 2002)

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

कृषकों की विभिन्न स्थितियों का अध्ययन (राजगढ़ एवं विदिशा के विशेष संदर्भ में)

मुकेश शाक्यवार* डॉ. सुनील आडवानी डॉ. वर्षा रानी मेहतो*****

* सहायक प्राध्यापक, ने.सु.बोस शासकीय महाविद्यालय, ब्यावरा एवं शोधार्थी, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
** सहायक प्राध्यापक, बाल कृष्ण शर्मा नवीन शासकीय महाविद्यालय, शाजापुर (म.प्र.) भारत
*** सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय, लटेरी (म.प्र.) भारत

शब्द कुंजी –कृषकों से प्राप्त सूचनाओं का प्राथमिक संबंधों के रूप में अध्ययन – राजगढ़ जिले एवं विदिशा जिले क्षेत्र के कृषकों की स्थितियों का अध्ययन।

प्रस्तावना– वर्तमान शोध पत्र अध्ययन में विदिशा जिले की लटेरी कृषि उपज मंडी क्षेत्र के कृषकों के तथा राजगढ़ जिले के ब्यावरा कृषि उपज मंडी क्षेत्र के कृषकों पर केंद्रित करते हुए उनके द्वारा कृषि क्षेत्र के विकास में योगदान का विस्तार से विश्लेषण किया गया है। जिसके लिए विदिशा जिले की लटेरी कृषि उपज मंडी क्षेत्र के 150 कृषकों का तथा राजगढ़ जिले की ब्यावरा कृषि उपज मंडी क्षेत्र के 200 कृषकों का दैवनिदर्शन विधि के माध्यम से कृषकों के सामाजिक,आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीति तथा कृषि संबंधी विभिन्न गतिविधियों के साथ–साथ कृषि विपणन से संबंधित विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कृषकों से निजी स्तर पर विविध गतिविधियों की प्रतिक्रिया जानी गई। इसके लिए अनुसूची/प्रश्नावली का उपयोग करते हुए विस्तार से विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण हेतु आवश्यकता अनुसार सांख्यिकी विधि का उपयोग किया गया है। जिसे निष्कर्ष के रूप प्रदर्शित किया गया है।

कृषकों की पारिवारिक एवं सामाजिक स्थिति – कृषक वर्ग मूल रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में निवासित होते हैं। जो अपनी पारंपरिक गतिविधियों का पूर्ण रूप से पालन करते हैं। इसके बावजूद जीविका के लिए कृषि से जुड़ी हुई प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष गतिविधियों से संबंधित रहते हैं। जो रोजगार का मुख्य आधार होता है। इस प्रकार आर्थिक विकास में विविध प्रकार के कृषि से जुड़े आधुनिक तकनीक का समावेश किया गया है। जो कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार की सतत् संभावना बनी रहती है। इसके लिए कृषकों द्वारा अपनाये गये संसाधनों के उपयोग से पारिवारिक एवं सामाजिक परिवर्तन देखा गया है। समाज के आधुनिकीकरण के चलते कृषक वर्गों में नवाचार की प्रवृत्ति विकसित होने लगी है। जो कृषि के लिए नई–नई विधि एवं तकनीक का उपयोग करके व्यक्तिगत स्तर पर जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास कर रहे हैं। यह कृषकों के आत्मनिर्भरता की पहचान है।

कृषकों की आयु की स्थिति– भारतीय पारंपरिक अर्थव्यवस्था में कृषकों की आयु महत्वपूर्ण मानी जाती है। जैसे–जैसे आयु में वृद्धि होते चले जाती है। वैसे–वैसे परिपक्वता का स्तर भी बढ़ता है। वास्तव में आयु से परिपक्वता अनुभव तथा समझ परिलक्षित होती है। इस प्रकार आयु के परिवर्तन से जवाबदेही भी निर्धारित होती है। कृषकों की आयु की विवेचना तालिका क्रमांक 01 में स्पष्ट किया गया है–

तालिका क्रमांक 01: कृषकों की आयु की स्थित

आयु की स्थिति (वर्ष)	आवृत्ति	प्रतिशत
20–तक	19	5.43
21–30	72	17.71
31–40	145	41.43
41–50	91	26.00
51 से अधिक	33	9.43
कुल	350	100.00

स्रोत– प्राथमिक समंक

df = 4 का 5 प्रतिशत स्तर

X^2= 9.49 T> 41.22 सार्थकता

अत: परिणाम में निर्भरता है।

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि कृषि उपज मंडी में उपज के विपणन की दृष्टि से 5.43 प्रतिशत कृषक 20 वर्ष तक केए 17.71 प्रतिशत कृषक 21 से 30 वर्ष तक केए 41.43 प्रतिशत कृषक 31 से 40 वर्ष तक केए 26 प्रतिशत 41 से 50 वर्ष तक तथा 9.43 प्रतिशत कृषक 51 वर्ष से अधिक पाए गए।

अध्ययन में पाया गया है कि कृषक वर्ग द्वारा अपनी उपज के विपणन के लिए कृषि उपज मंडी में ले जाते हैं। इसके लिए कृषक वर्ग द्वारा मूल्य परिवर्तन का अधिक ध्यान रखते हैं। इसलिए ज्यादातर कृषक 30 से 40 वर्ष आयु वर्ग के कृषक कृषि विपणन के संबंध में बेहतर अनुभव रखते हैं। इस प्रकार काई वर्ग परीक्षण से परिणामों में सार्थकता पाई गई है। अर्थात आयु परिवर्तन के साथ–साथ अनुभव एवं जानकारी कृषकों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

कृषकों की जाति वर्ग की स्थिति– ग्रामीण जनसंख्या का बड़ा भाग कृषि से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है। जिसमें प्रत्येक वर्ग का योगदान कृषि के रूप में महत्वपूर्ण रहा है। कृषकों की विविध गतिविधियों वर्ग विशेष से नहीं जोड़ी जाती। बल्कि उनके द्वारा कृषि क्षेत्र में दिए गए योगदानों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। चाहे भूमि धारक कृषक होए कृषि मजदूर

होए सीमांत कृषक हो, भूमिहीन कृषक होए सभी जाति वर्ग के कृषकों को महत्वपूर्ण योगदानों के रूप में दर्शाया जाता है। इस प्रकार अध्ययन की दृष्टि से कृषकों की जाति वर्ग को तालिका क्रमांक 02 में स्पष्ट किया गया हैद

क्रमांक 02: कृषकों की जाति वर्ग की स्थिति

स्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
सामान्य वर्ग	77	22.00
पिछड़ा वर्ग	112	32.00
अनुसूचित जाति	92	26.29
अनुसूचित जनजाति	70	19.71
कुल	350	100.00

स्रोत–प्राथमिक समंक df =3 का 5 प्रतिशत स्तर पर

X^2= 7.82 P 3.97 सार्थकता का अभाव

अतः परिणाम में स्वतंत्रता है।

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि कृषि विपणन की दृष्टि से कृषकों की जाति वर्ग में 22.00 प्रतिशत कृषक सामान्य वर्ग केए 32.00 प्रतिशत कृषक पिछड़ा वर्ग केए 26.29 प्रतिशत कृषक अनुसूचित जाति वर्ग के तथा 19.71 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति वर्ग के पाए गए।

अध्ययन में पाया गया है कि पारंपरिक दृष्टि से ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर होती है। जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के सामान्य निवासी कृषि को अपनी जीविका का प्रमुख साधन मानते हैं। क्योंकि अध्ययन में पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत सर्वाधिक कृषक पाए गए काई वर्ग प्रशिक्षण की दृष्टि से परिणाम में सार्थकता का अभाव पाया गया है। अर्थात प्रत्येक जाति वर्ग के व्यक्ति अपनी जीविका के लिए कृषि संसाधन को अपनाने के लिए स्वतंत्र होते हैं।

कृषकों के परिवार के स्वरूप की स्थिति– भारतीय पारंपरिक अर्थव्यवस्था में परिवार के सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्योंकि भारतीय समाज परिवार पर केंद्रित होता है। जहां व्यक्ति की स्थिति का निर्धारण होता है। परिवार के स्वरूप को दो भागों में विभाजित करते हुए अध्ययन में शामिल किया गया है। प्रथम. एकाकी परिवार जिसमें पति.पत्नी और उनके बच्चे शामिल होते हैं। जबकि द्वितीय. संयुक्त परिवार जिसमें परिवार के रक्त संबंध अधिक होता है। जहां सभी सदस्य मिलकर एक ही चूल्हे का बना हुआ भोजन गृहण करते हैं। परिवार में पति–पत्नी के अतिरिक्त माता–पिता, भाई–बहन साथ ही भाई की पत्नी एवं उनके बच्चे शामिल होते हैं। इस प्रकार संयुक्त रूप से परिवार का जीवन यापन चलता है। परिवार के स्वरूप की विवेचना तालिका क्रमांक 03 में स्पष्ट किया गया है–

तालिका क्रमांक 03: कृषकों के परिवार के स्वरूप की स्थिति

स्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
एकाकी परिवार	211	60.29
संयुक्त परिवार	139	39.71
कुल	350	100.00

स्रोत– प्राथमिक समंक df = 3 का 5 प्रतिशत स्तर पर

X^2= 3.84 T> 4.24 सार्थकता

अतः परिणाम में निर्भरता है।

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि ग्रामीण परिवार के स्वरूप की दृष्टि से 60.29 प्रतिशत कृषक वर्ग एकाकी परिवार स्वरूप के दायरे में आते हैं तथा 39.71 कृषक वर्ग संयुक्त परिवार के दायरे में आते हैं।

अध्ययन में पाया गया कि वर्तमान उदारीकरण के दौर में परिवार के स्वरूप में काफी परिवर्तन आया है व्यक्ति अपनी जीविका चलाने के लिए अन्य क्षेत्रों में रोजगार स्थापित करने का प्रयास करता है। जिसके आधार पर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने का सतत रूप से लगा रहता है। इस प्रकार का वर्ग प्रशिक्षण से परिणाम में सार्थकता पाई गई है। अर्थात आर्थिक बदलाव के चलते किसी ने किसी रूप में व्यक्ति अपने परिवार पर निर्भर रहता है।

कृषकों के परिवार में सदस्यों की संख्या की स्थिति–कृषक परिवारों में कृषि संबंधी विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में परिवार के मुखिया के अतिरिक्त अन्य सदस्यों का योगदान भी महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जो सदस्य बच्चों को छोड़कर शामिल है। वे अपने पारिवारिक एवं परंपरागत कार्य को नित गति से करते हैं। इस प्रकार परिवार में सदस्यों की संख्या भी आर्थिक स्थिति को सुधारने के साथ–साथ अन्य सामाजिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण योगदान होता है। जिसकी विवेचना तालिका क्रमांक 04 में स्पष्ट किया गया है–

तालिका क्रमांक 04: कृषक परिवार में परिवार सदस्यों की संख्या की स्थिति

सदस्य संख्या की स्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
5 से कम	73	20.86
6 से 8	111	31.71
9 से 11	05	30.00
12 से अधिक	161	17.43
कुल	350	100.00

स्रोत– प्राथमिक समंक df = 3 का 5 प्रतिशत स्तर पर

X^2= 7.82 P 5.78 सार्थकता का अभाव

अतः परिणाम में स्वतंत्रता है।

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि कृषकों के परिवार में सदस्यों की संख्या की दृष्टि से 20.6 प्रतिशत कृषकों के परिवार में 5 सदस्य तकए 31.71 प्रतिशत कृषकों के परिवार में 6 से 8 सदस्य 30.00 प्रतिशत कृषकों के परिवार में 9 से 11 सदस्यए 17.43 प्रतिशत कृषकों के परिवार में 12 से अधिक सदस्य पाए गए।

अध्ययन में पाया गया है कि कृषक परिवार की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन के लिए परिवार के अन्य सदस्यों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है परिवार में जितने अधिक सदस्य आर्थिक गतिविधियों से जुड़े होते हैंए परिवार की आर्थिक स्थिति उतनी बेहतर होती है। इस प्रकार काई वर्ग परीक्षण से परिणाम में सार्थकता का अभाव पाया गया है। अर्थात परिवार के सदस्यों द्वारा जो भी आय अर्जित की जाती है। वह पूर्ण रूप से स्वतंत्रता होती है।

कृषकों की शैक्षणिक स्थिति– प्रत्येक गतिविधियों के लिए शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वर्तमान में कृषि के क्षेत्र में शिक्षा के बढ़ते प्रभाव के कारण नए–नए प्रयोग होते रहे हैं। चूंकि कृषि कार्य के लिए शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बावजूद कृषि में उपयोग आने वाली नवीन तकनीक तथा कृषि उपज के विपणन संबंधी गतिविधियों इत्यादि के लिए शैक्षणिक योग्यता का होना चाहिए। जिससे कृषक वर्ग अपने अनुभव के साथ–साथ शैक्षणिक योग्यता के आधार पर कृषि की बेहतर प्रक्रिया को अपना सके। जिसकी विवेचना तालिका क्रमांक 05 में स्पष्ट किया गया है–

तालिका क्रमांक 05: कृषकों की शैक्षणिक स्थिति

स्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
अशिक्षित	45	12.86
प्राथमिक शिक्षा	59	16.86
माध्यमिक शिक्षा	129	36.86
हायर सेकेंडरी शिक्षा	66	18.16
उच्च/अन्य शिक्षा	51	14.56
कुल	350	100.00

स्रोत- प्राथमिक समंक df = 3 का 5 प्रतिशत स्तर पर

X^2= 9.49T> 18.79 सार्थकता

अत: परिणाम में निर्भरता है।

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि कृषकों के शैक्षिक स्थिति की दृष्टि से 12.86 प्रतिशत कृषक अशिक्षित पाए गएए 16.86 प्रतिशत कृषक प्राथमिक स्तर तक शिक्षित पाए गए 36.86 प्रतिशत कृषक माध्यमिक स्तर तक शिक्षित पाए गएए 18.86 प्रतिशत कृषक हायर सेकेंडरी तक शिक्षित पाए गए तथा 14.56 प्रतिशत कृषक उच्च एवं अन्य स्तर पर शिक्षित पाए गए।

अध्ययन में पाया गया है कि भारतीय पारंपरिक कृषि में किसी भी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। परंतु वर्तमान आधुनिक तकनीक के उपयोग के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण मानी गई है। वर्तमान में कृषि के बदलते स्वरूप में शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण है इस प्रकार काई वर्ग परीक्षण से परिणाम में सार्थकता पाई गई है। अर्थात शिक्षा का प्रत्येक स्तर किसी ने किसी स्थिति में एक दूसरे से जुड़ा होता है। जो कृषि कार्य से लेकर उपज के विपणन तक महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

कृषकों की वार्षिक आय की स्थिति- परंपरागत ग्रामीण व्यवसाय में जीविका के लिए कृषि का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। परंतु वर्तमान की अपेक्षा पूर्व में कृषकों की स्थिति एवं जीविका मानसून पर निर्भर रहती थी वर्तमान में कृषकों की स्थिति में काफी परिवर्तन देखा गया है। अर्थात सिंचाई संसाधनों की विकास के कारण जीविका के तौर तरीकों में काफी परिवर्तन आया है। इसी के चलते कृषकों की वार्षिक आय का मूल्यांकन भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जिसकी विवेचना तालिका क्रमांक 06 में स्पष्ट की गई है-

तालिका क्रमांक 06: कृषकों की वार्षिक आय की स्थिति

स्थिति (लाख रुपए)	आवृत्ति	प्रतिशत
1 लाख रुपए तक	71	20.29
1 से 3 लाख रुपए तक	149	42.57
3 से 5 लाख रुपए तक	94	26.86
5 लाख रुपए से अधिक	36	10.28
कुल	350	100.00

स्रोत- प्राथमिक समंक df = 3 का 5 प्रतिशत स्तर

X^2=7.82 T>22.05 सार्थकता

अत: परिणाम में निर्भरता है।

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि कृषकों की वार्षिक आय की दृष्टि से 20.29 प्रतिशत कृषकों की वार्षिक आय 1 लाख रुपए तकए 42.57 प्रतिशत कृषकों की वार्षिक आय 1 से 3 लाख रुपए तकए 26.86 प्रतिशत कृषकों की वार्षिक आय 3 से 5 लाख रुपए तक तथा 10.28 प्रतिशत कृषकों की वार्षिक आय 5 लाख रुपए से अधिक पाई गई है।

अध्ययन में पाया गया है कि कृषकों की औसत आय सामान्य रूप से समान रूप से नहीं पाई गई है। प्रत्येक कृषकों की वार्षिक आय अलग-अलग होती है। इस प्रकार जीवन यापन के लिए आय का दायरा जितना अधिक होता है जीवन स्तर उतना बेहतर माना जाता है। जिससे जिससे रोटीए कपड़ा और मकान के साथ-साथ स्वास्थ्य के लिए भी आय का साधन अनिवार्य होता है। इसी दृष्टि से काई वर्ग परीक्षण से परिणाम में सार्थकता पाई गई है अर्थात होने वाली आई उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करती है।

कृषकों की आवासीय स्थिति- व्यक्ति के जीवन जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान अति आवश्यक माना गया है इसके बावजूद भी सामाजिक प्रतिष्ठा एवं पहचान के लिए रहने के लिए मकान महत्वपूर्ण होता है। जो व्यक्ति को सामाजिक स्थिति का निर्धारण करता है और व्यक्तिगत पहचान तय करने में मददगार होता है। आवासीय स्थिति के अंतर्गत तीन स्तर पर विभाजित किया गया है। जिसमें पक्का मकान कच्चा मकान एवं अर्थ पक्का मकान इत्यादि के रूप में शामिल किया गया है। जिसकी विवेचना तालिका क्रमांक 07 में स्पष्ट किया गया है-

तालिका क्रमांक 07: कृषकों की आवासीय स्थिति

आवास की स्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
पक्का मकान	90	25.71
अर्द्ध-पक्का मकान	183	52.29
कच्चा मकान	77	22.00
कुल	350	100.00

स्रोत- प्राथमिक समंक df = 3 का 5 प्रतिशत स्तर

X^2=5.99 T> 17.25 सार्थकता

अत: परिणाम में निर्भरता है।

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि कृषकों के आवास की दृष्टि से 25.75 प्रतिशत कृषकों के पक्के मकान पाए गएए 52.29 प्रतिशत कृषकों के अर्द्ध पक्का मकान पाए गए तथा 22.00 प्रतिशत कृषकों के कच्चे मकान पाए गए।

अध्ययन में पाया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए रोटी और कपड़ा के अलावा आवास महत्वपूर्ण साधन होता है जो जीवन स्तर के साथ-साथ सामाजिक पहचान को निर्धारित करता है। सामान्य रूप से कृषकों के आवासीय स्थिति में मिश्रित स्वरूप पाया गया है। इस प्रकार काई वर्ग परीक्षण से परिणामों में सार्थकता पाई गई है अर्थात आवास प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता होती है।

कृषि भूमि की स्थिति- ग्रामीण जीविका के लिए कृषि भूमि महत्वपूर्ण संसाधन एवं संपत्ति के रूप में शामिल की गई है। इसके बगैर ग्रामीण निवासियों का जीविका का अन्य कोई साधन नहीं होता है। सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि कृषकों के द्वारा गैर कृषि क्षेत्र के लिए अनाज और खाद्यान्न की उपलब्धता तय की जाती है। जिससे संपूर्ण समाज भोजन की व्यवस्था की जाती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक कृषकों के पास कृषि भूमि का मापदंड निश्चित नहीं होता है। बल्कि विरासत में प्राप्त संसाधन होता है जिसका उपयोग पारंपरिक रूप से कृषि उपज के उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है। सामान्य रूप से कृषकों की अलग-अलग श्रेणी तय की गई है जिसमें प्रथम सीमांत एवं लघु कृषक द्वितीय मध्य कृषक इत्यादि शामिल है। तथा संपन्न कृषक जिनकी भूमि का आकर भी अलग-अलग होता है जिसकी विवेचना तालिका क्रमांक 08 में स्पष्ट की गई है-

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

तालिका क्रमांक 08: कृषि भूमि मात्रा की स्थिति

कृषि भूमि की मात्रा (एकड़ में)	आवृत्ति	प्रतिशत
2 एकड़ तक	66	18.86
2 से 5 एकड़ तक	79	22.57
5 से 8 एकड़ तक	142	40.57
8 एकड़ से अधिक	38	10.86
कोई उत्तर नहीं	25	7.14
कुल	350	100.00

स्रोत- प्राथमिक समंक df = 4 का 5 प्रतिशत स्तर

X^2= 9.49 T> 34.00 सार्थकता

अत: परिणाम में निर्भरता है।

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि कृषि भूमि की मात्रा की दृष्टि से 18.86 प्रतिशत कृषकों के पास दो एकड़ तकए 22.57 प्रतिशत कृषकों के पास 2 से 5 एकड़ तकए 40.57 प्रतिशत कृषकों के पास 5 से 8 एकड़ तक तथा 10.86 प्रतिशत कृषकों के पास 8 एकड़ से अधिक कृषि भूमि पाई गई है। जबकि 7.14 प्रतिशत कृषकों ने उपलब्ध कृषि भूमि के संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया।

अध्ययन में पाया गया है कि पारंपरिक व्यवसाय की दृष्टि से कृषि महत्वपूर्ण संसाधन है। जिन कृषकों के पास जितनी अधिक भूमि होती हैए वे अपने अधिक संपन्न माने जाते हैंए जो उनके सामाजिक पहचान का प्रतीक होता है। काई वर्ग परीक्षण से परिणाम में सार्थकता पाई गई है। अर्थात ग्रामीण परिवारों का मूल व्यवसाय कृषि संसाधन है जो भरण पोषण का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संसाधन होता है।

सिंचित भूमि की स्थिति- पारंपरिक रूप से भारतीय कृषि काफी पिछड़े रही है। वर्तमान में शासन की विभिन्न प्रकार की योजना के चलते सिंचाई क्षेत्र का विस्तार एवं विकास किया गया है। फिर भी कई क्षेत्रों में सिंचाई संसाधन के अभाव में पारंपरिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुआं टयूबबैल नदियां तालाब इत्यादि के रूप में कृषि सिंचाई के स्रोत के रूप में उपयोग में लाया जाता है। जिससे कृषि की पर्याप्त मात्रा में फसल ली जा सके वर्ष में सामान्य तौर पर दो प्रकार की फैसले ली जाती है। खरीफ की फसल एवं रबी की फसल ली जाती है। इसके अतिरिक्त कृषकों के पास उपलब्ध संसाधनों के आधार पर जावद एवं उद्यानिकी रूप में कृषि कार्य किया जाता है। जिसकी विवेचना तालिका क्रमांक 09 में स्पष्ट की गई है-

तालिका क्रमांक 09: सिंचित कृषि भूमि की स्थिति

सिंचित कृषि भूमि की मात्रा (एकड़ में)	आवृत्ति	प्रतिशत
2 एकड़ तक	73	20.86
2 से 3 एकड़ तक	114	32.57
3 से 5 एकड़ तक	95	27.14
5 एकड़ से अधिक	68	19.43
कुल	350	100.00

स्रोत- प्राथमिक समंक df = 3 का 5 प्रतिशत स्तर

X^2=7.82 P 4.40 सार्थकता का अभाव

अत: परिणाम में स्वतंत्रता है।

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि कृषि भूमि के संचित होने की दृष्टि से 20.86 प्रतिशत कृषकों के पास 2 एकड़ तकए 32.57 प्रतिशत कृषकों के पास 2 से 3 एकड़ तकए 27.14 कृषकों के पास 3 से 5 एकड़ तक तथा 19.4 3 प्रतिशत कृषकों के पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि सिंचित पाई गई है।

अध्ययन में पाया गया है कि सामान्यत: कृषकों के पास कुल उपलब्ध कृषि भूमि के अनुपात की दृष्टि से सिंचित कृषि भूमि की मात्रा कम पाई गई है। काई वर्ग परीक्षण से परिणाम में सार्थकता का अभाव पाया गया है। अर्थात बेहतर आर्थिक स्थिति को निर्धारित करने में सिंचित कृषि भूमि का महत्वपूर्ण स्थान होता है।

वर्ष में ली जाने वाली फसल की स्थिति- सामान्यत: जिन कृषकों के पास सिंचाई संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। वे वर्षा पर आधारित फसलों के अतिरिक्त अन्य विविध प्रकार की फसलें भी प्राप्त करते हैं। वर्षा आधारित खरीफ की फसल के अतिरिक्त रबी जायद एवं उद्यानिकी फसलें भी शामिल है। जिसकी विवेचना तालिका क्रमांक 10 में स्पष्ट की गई है-

तालिका क्रमांक 10: वर्ष में ली जाने वाली फसल की स्थिति

ली जाने वाली फसल	आवृत्ति	प्रतिशत
खरीफ	295/350	84.29
रबी	238/350	68.00
जायद	142/350	40.57
उद्यानिकी	108/350	30.86
औसत	196/350	57.71

स्रोत- प्राथमिक समंक

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष में कृषकों द्वारा ली जाने वाली फसल की दृष्टि से 84.29 प्रतिशत कृषकों द्वारा खरीफ की फसल ली जाती हैए 68.00 प्रतिशत कृषकों द्वारा रबी की फसल ली जाती हैए 40.57 प्रतिशत कृषिकों द्वारा जायद की फसल ली जाती है तथा 30.86 प्रतिशत कृषक द्वारा उद्यानिकी फसल ली जाती है इस प्रकार 55.93 प्रतिशत कृषकों द्वारा औसतन फसल ली जाती है।

अध्ययन में पाया गया है कि वर्ष में ली जाने वाली ज्यादातर फसलें पारंपरिक होती हैए जबकि संसाधनों के वर्तमान विकास के कारण वर्ष में पारंपरिक फसल के अतिरिक्त फसल लेने की सुविधा बड़ी है। इस प्रकार उद्यानिकी फसल का चलन भी बढ़ने लगा है।

कृषि कार्य के लिए प्रयुक्त साधन की स्थिति- भारतीय कृषि मूल रूप से पारंपरिक संसाधनों का कृषि कार्य को संचालित करते रहे हैं। जिसके कारण भारतीय कृषकों की आर्थिक दशा काफी कमजोर रही है। वर्तमान में केंद्र एवं राज्य शासन की विविध योजनाओं के तहत् कृषकों को प्रयुक्त संसाधन के लिए सुविधा एवं सहायता उपलब्ध कराई जाती है। जिसमें कृषकों के लिए हल/ ट्रैक्टर मोटर पंप इत्यादि के लिए अनुदान योजना उपलब्ध कराई जाती है। जिससे कृषकों द्वारा आधुनिक तकनीक आधारित कृषि को अपनाने के लिए प्रोत्साहित हो सके। इस प्रकार कृषक वर्ग द्वारा पारंपरिक एवं आधुनिक तथा दोनों प्रकार की तकनीकी संसाधनों का उपयोग किया जाता है। इसकी विवेचना तालिका क्रमांक 11 में स्पष्ट किया गया है-

तालिका क्रमांक 11: कृषि के लिए प्रयुक्त साधनों की स्थिति

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

साधन	आवृत्ति	प्रतिशत
परंपरागत	136	38.86
आधुनिक	125	35.71
दोनों	89	25.43
कुल	350	100.00

स्रोत- प्राथमिक समंक df = 2 का 5 प्रतिशत स्तर

X^2= 5.99 P 2.95 सार्थकता का अभाव

अत: परिणाम में स्वतंत्रता है।

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि कृषि कार्य में प्रयुक्त संसाधन की दृष्टि से 38.86 प्रतिशत कृषकों द्वारा परंपरागत साधनों का उपयोग किया जाता है तथा 35.71 प्रतिशत कृषकों द्वारा आधुनिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है जबकि 25.43 प्रतिशत कृषि को द्वारा दोनों प्रकार के संसाधनों का उपयोग किया जाता है।

अध्ययन में पाया गया है कि वर्तमान में कृषि के क्षेत्र में काफी बदलाव आया है। जिसके चलते पारंपरिक संसाधन के साथ-साथ आधुनिक संसाधनों की उपयोगिता को बढ़ावा दिया जाने लगा है। इस प्रकार का वर्ग परीक्षण की दृष्टि से परिणाम में सार्थकता का अभाव पाया गया है। अर्थात कृषकों द्वारा जिन संसाधनों का उपयोग किया जाता है। उपलब्ध संसाधनों के अनुपात में उपयोग में लाया जाता है।

कृषकों की वित्तीय स्थिति-कृषकों के द्वारा खेती को तैयार करने से लेकर उत्पादित फसल के विपणन तक के दौरान कई प्रकार ० की संभावना बनी रहती है। जिसकी भरपाई नियमित रूप से करनी होती है। इसके लिए स्वयं के पास जमा पूंजी का उपयोग करना होता है या ऋण लेकर इन ों की पूर्ति की जाती है। क्योंकि सामान्य रूप से कृषकों की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं होती है। जिसके चलते उत्पादित फसल के विपणन पर ही निर्भर रहते हैं। जब फसल आती है तो आर्थिक दशा में कुछ बदलाव आता है। अन्यथा सामान्य रूप से आर्थिक संघर्ष ही बना रहता है जिसके लिए ऋण लेना कृषकों की मजबूरी होती है। इस प्रकार कृषि हेतु ऋण लेने की विवेचना तालिका क्रमांक 12 में स्पष्ट किया गया है-

तालिका क्रमांक 12: कृषि हेतु कृषकों द्वारा ऋण लेने की स्थिति

ऋण लेने की प्रवृत्ति	आवृत्ति	प्रतिशत
ऋण लेते हैं	305	87.14
ऋण नहीं लेते हैं	45	12.86
कुल	350	100.00

स्रोत-प्राथमिक समंक df = 1 का 5 प्रतिशत स्तर पर

X^2= 3.84T 55.18 सार्थकता

अत: परिणाम में सार्थकता है।

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि कृषकों को द्वारा ऋण लेने की दृष्टि से 87.14 प्रतिशत कृषकों द्वारा ऋण लिया जाता है तथा 12.86 प्रतिशत कृषकों द्वारा ऋण नहीं लिया जाता है।

अध्ययन में पाया गया है कि कृषि को द्वारा कृषि कार्य के मूल उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ऋण लिया जाता है। सामान्य रूप से जिन कृषकों की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है जिनकी बचत क्षमता नहीं के समान होती है। वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण प्राप्त करते हैं। काई वर्ग परीक्षण से परिणाम में सार्थकता पाई गई है। अर्थात कृषक अपनी आवश्यकता एवं कृषि कार्य को पूरा करने के लिए ऋण लेते हैं।

कृषि की विपणन प्रक्रिया-कृषि उपज के उत्पादन के पश्चात सबसे महत्वपूर्ण कार्य उपज के विपणन की होती है। जिसे कृषकों द्वारा बाजार में बेचकर अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने का कार्य किया जाना होता है। कृषि विपणन से आशय उपज बोने से पूर्व की स्थिति से लेकर फसल को विपणन योग्य बनाने या खरीददार तक पहुंचाने की प्रक्रिया को शामिल किया जाता है। सामान्यत: यह देखा गया है कि कृषकों द्वारा फसल की मात्रा के अनुसार विक्रय हेतु तैयार किया जाता है। जिसके लिए अनुकूल मूल्य प्राप्त किया जा सके। प्रत्येक बाजार की उपज के संबंध में परिस्थितियों अलग-अलग होती है। जिसके लिए कृषक द्वारा स्थिति को समझते हुए उपज का विक्रय करना होता है। जिसमें कुछ कृषक अपनी उपज को आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपने गांव में ही विक्रय कर देते हैं। कुछ कृषक उपज को खुले बाजार में विक्रय करते हैं। कुछ कृषक व्यापारी या आढ़तियों को सीधे विक्रय कर देते हैं। परंतु कुछ कृषक अपनी उपज का सही तथा विश्वसनीय मूल्य प्राप्त करने के लिए कृषि उपज मंडी में विक्रय करना उचित समझते हैं। इस प्रकार कृषक द्वारा उपज के विक्रेता के स्थान का निर्धारण करने के लिए स्वयं स्वतंत्र होता है जिसकी विवेचना तालिका क्रमांक 13 में स्पष्ट किया गया है-

तालिका क्रमांक 13:कृषि उपज के विपणन के स्थान की स्थिति

विपणन स्थान की स्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
स्थानीय	37	10.57
खुले बाजार में	74	21.71
कृषि उपज मंडी	194	55.43
व्यापारियों/आढ़तियों	43	12.29
कुल	350	100.00

स्रोत- प्राथमिक समंक df =3 का 5 प्रतिशत स्तर पर

X^2=7.82 T 51.28 सार्थकता

अत: परिणाम में सार्थकता है।

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि कृषि उपज के विपणन की स्थान की दृष्टि से 10.57 प्रतिशत कृषक अपने उपज को स्थानीय स्तर पर बेच देते हैंए 21.71 प्रतिशत कृषक उपज को खुले बाजार में बेचते हैंए 55.43 प्रतिशत कृषक कृषि उपज मंडी में बेचते हैं तथा 12.29 प्रतिशत कृषक व्यापारी या आढ़तियों को बेच देते हैं।

जिन कृषकों की उपज की मात्रा कम होती हैए वह अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्थानीय स्तर पर बेचना पसंद करते हैं। क्योंकि उपज की मात्रा कम होने के कारण परिवहन लागत अधिक होने के कारण स्थान स्तर पर बेचे अधिक पसंद करते हैं। जिन कृषकों के पास उपज की मात्रा अधिक होती है तथा आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। वह उपज के बढ़ते मूल्य का इंतजार करते हैं जब उन्हें लगता है कि मूल्य बढ़ा हुआ प्राप्त हो रहा हैए तो बाजार में बेचना पसंद करते हैं। इस प्रकार ज्यादातर कृषक उचित मूल्य प्रति के लिए कृषि उपज मंडी में बेचना पसंद करते हैं। काई वर्ग परीक्षण के परिणाम में सार्थकता पाई गई है। अर्थात कृषक वर्ग अपनी आर्थिक आवश्यकता तथा मूल्य को ध्यान में रखकर उपज का विक्रय करते हैं।

निर्धारित मूल्य पर कृषि उपज के विपणन की स्थिति- प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में कृषि उपज के मूल्य के निर्धारण में काफी चुनौतियां होती है। ऐसी दशा में कृषक द्वारा उपज को बेचा जाना है या नहीं। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना होता है। कई बार कृषकों की इच्छा अनुसार उपज का

उचित मूल्य नहीं प्राप्त हो पाता है। ऐसी दशा में कृषक अपनी उपज को कम मूल्य पर बेचने के लिए विवश हो जाता है। इसके बावजूद कृषकों को अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उपज को बेचना पड़ता है। इसकी विवेचना तालिका क्रमांक 14 में स्पष्ट किया गया है-

तालिका क्रमांक 14: कृषि उपज के निर्धारित मूल्य पर विक्रय की स्थिति

निर्धारित मूल्य पर विक्रय	आवृत्ति	प्रतिशत
निर्धारित मूल्य पर विक्रय होता है	132	37.72
निर्धारित मूल्य पर विक्रय नहीं होता है	165	47.14
कोई उत्तर नहीं	53	15.14
कुल	350	100.00

स्रोत- प्राथमिक समंक df = 2 का 5 प्रतिशत स्तर पर
X^2= 5.99T 17.20 सार्थकता
अत: परिणाम में निर्भरता है।

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि कृषि उपज के निर्धारित मूल्य पर किए जाने की दृष्टि से 37.72 प्रतिशत कृषि को के अनुसार कृषि उपज निर्धारित मूल्य पर बेची जाती है तथा 47.14 प्रतिशत कृषकों के अनुसार कृषि उपज निर्धारित मूल्य पर नहीं देख पाती हैए जबकि 15.14 प्रतिशत कृषकों ने कोई उत्तर नहीं दिया है।

अध्ययन में पाया गया है कि कृषकों द्वारा भेजी जाने वाली उपज के संबंध में बाजार की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर कृषि उपज के संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। जिससे कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो सके परंतु कृषकों द्वारा अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए खुले बाजार में कृषि उपज को बेचा जाता है। काई वर्ग परीक्षण से परिणाम में सार्थकता पाई गई है। अर्थात बाजार एवं उपज की परिस्थितियों मूल्य को तय करती है।

कृषि उपज के उचित मूल्य प्राप्ति की स्थिति-कृषि उपज के नीलामी के दौरान मूल्य का निर्धारण किया जाता है जिससे उपज का मूल्य विपणन हेतु अनुबंध किया जाता है क्योंकि कृषि उपज मंडी में लाई जाने वाली उपज की गुणवत्ताा एवं उपलब्धता के आधार पर नीलम की अंतिम बोली के पश्चात जो मूल्य तय होता है उसे मूल्य को अंतिम मूल्य माना जाता है इसके बावजूद कृषकों के लिए कई बार प्राप्त मूल्य उपज के अनुरूप नहीं होता जिसकी विवेचना तालिका क्रमांक 15 में स्पष्ट की गयी है-

तालिका क्रमांक 15: कृषि उपज के उचित मूल्य प्राप्ति की स्थिति

उचित मूल्य	आवृत्ति	प्रतिशत
उचित मूल्य प्राप्त होता है	74	21.14
उचित मूल्य प्राप्त नहीं होता है	141	40.29
कोई उत्तर नहीं	135	38.57
कुल	350	100.00

स्रोत- प्राथमिक समंक df = 2 का 5 प्रतिशत स्तर पर
X^2= 5.99 T> 6.48 सार्थकता
अत: परिणाम में निर्भरता है।

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि कृषि उपज का उचित मूल्य प्रति की दृष्टि से 21.14 प्रतिशत कृषकों के अनुसार उपज का उचित मूल्य प्राप्त होता है तथा 40.29 प्रतिशत कृषकों के अनुसार उपज का उचित मूल्य प्राप्त नहीं होता हैए जबकि 38.57 प्रतिशत कृषकों ने कोई उत्तर नहीं दिया है

अध्ययन में पाया गया है कि कृषि उपज के उचित मूल्य प्राप्ति के लिए कृषकों द्वारा सतत रूप से प्रयास किया जाता है सामान्यत: कृषि उपज मंडी परिसर में सरकार द्वारा जारी की गई न्यूनतम समर्थन मूल्य की सूची के अनुसार कृषकों को मूल्य का भुगतान किया जाता है। इस प्रकार काई वर्ग परीक्षण की दृष्टि से परिणाम में सार्थकता पाई गई है। अर्थात उचित मूल्य की स्थिति न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर तय होती हैए जो कृषकों को भुगतान योग्य माना जाता है।

निष्कर्ष- वर्तमान शोध पत्र के अध्ययन विदिशा जिले की लटेरी कृषि उपज मंडी क्षेत्र तथा राजगढ़ जिले की ब्यावरा कृषि उपज मंडी क्षेत्र के कृषकों पर केंद्रित करते हुए कृषि के क्षेत्र के विकास में योगदान का विस्तार से विश्लेषण किया गया है। जिसमें कृषि उपज मंडी क्षेत्र लटेरी के 150 कृषक तथा कृषि उपज मंडी क्षेत्र ब्यावरा के 200 कृषकों का देव निदर्शन विधि के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा कृषि संबंधी विभिन्न गतिविधियों के संबंध में कृषि विपणन से संबंधित विविध गतिविधियों तथा विविध पहलुओं को ध्यान में रखते हुए प्रतिक्रिया जानी गई है।

सामान्यत: कृषक वर्ग ग्रामीण क्षेत्रों में निवासित होते हैं। जो पारंपरिक आर्थिक गतिविधियों में शामिल होते हैं। ग्रामीण क्षेत्र का मूल रोजगार कृषि आधारित होता है। जिस पर प्रत्येक निवासियों का जीवन यापन निर्भर रहता है। वर्तमान में परिवर्तन के दौर में अर्थव्यवस्था पर भी प्रत्यक्ष प्रभाव देखा गया है। जिसमें नई-नई तकनीकी के तथा नवाचारों को बढ़ावा दिया जाने लगा है।

कृषकों की आयु अनुभव एवं परिपक्वता की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है जैसे-जैसे आयु में परिवर्तन होता है वैसे-वैसे सोच एवं समझ में भी बदलाव आता है कृषक वर्ग द्वारा अपनी उपज की विपणन के लिए कृषि उपज मंडी में लाते हैं साथ ही मूल्य परिवर्तन का अधिक ध्यान रखते हैं अर्थात परिवर्तन के साथ-साथ अनुभव और जानकारी के आधार पर कृषि उपज का उत्पादन एवं विपणन करते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. भारत सरकार 'कृषि सांख्यिकी' कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली, 2021
2. भारती एवं पांडे 'भारतीय अर्थव्यवस्था' मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, 2019
3. एस.के. मिश्रा एवं वी.के. पुरी ' भारतीय अर्थव्यवस्था' हिमालय पब्लिशिंग हाउस, मुंबई, 2022
4. एन एल अग्रवाल 'भारतीय कृषि का अर्थ तंत्र' राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, 2018
5. कृष्ण कुमार दमाहिया 'कृषि विकास की समस्या' मित्तल पब्लिकेशंस से नई दिल्ली, 2001
6. रुद्र दत्त एवं सुंदरम 'भारतीय अर्थव्यवस्था' एस चंद्र एंड कंपनी लिमिटेड नई दिल्ली, 2019
7. जिला सांख्यिकी पुस्तिका राजगढ़ जिला, जिला योजना विभाग, राजगढ़, 2021
8. जिला सांख्यिकी पुस्तिका विदिशा जिला, जिला योजना विभाग, विदिशा 2020
9. एस.के. चौधरी मध्यप्रदेश में कृषि विकास के आयाम 2021

10. मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972, मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल 2005

दैनिक समाचार पत्र पत्रिकाओं की सूची:-

1. दैनिक भास्कर, इंदौर
2. दैनिक भास्कर, भोपाल
3. दैनिक पत्रिका, इंदौर
4. दैनिक नई दुनिया, इंदौर
5. दैनिक जागरण चौथा संसार, इंदौर

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

IFRS Implementation in INDIA: Opportunities and Challenges

Dr. Neha Bhanadari (Nahar)*

***Assistant Professor, Renaissance College Of Commerce And Management, Indore (M.P.) INDIA**

Abstract - This paper explores the adoption of International Financial Reporting Standards (IFRS) in India, focusing on the opportunities and challenges it presents. IFRS aim to standardize accounting practices globally , ensuring transparency , comparability , and reliability of financial statements. The research discusses the impact for IFRS implementation , its impact on various stakeholders, and the hurdles faced during the transition from Indian GAAP to IFRS – complaint standards (Ind AS).

Introduction - Introduction:-International Financial Accounting Standards (IFRS) , formerly known as International Accounting Standards (IAS) are the standards, Interpretations and Framework for the preparation and presentation of Financial statement adopted by the International Accounting Standard Board (IASB).The Globalization of business and finance necessitates uniform accounting standards.IFRS , developed by the International Accounting Standards Board (IASB) ,serves this purpose. India , with its burgeoning economy and expanding global footprint , has progressively aligned its accounting standards with IFRS through IND AS. This paper investigates the benefits and obstacles of this significant shift in India's accounting framework. On April 1 2001 the new IASB took over the responsibility of setting International Accounting Standards from IASC.IFRS is a set of international accounting and reporting standards that will help to harmonize company financial information , improve the transparency of accounting , and ensure that investors receive more accurate and consistent reports.

Objectives:

1. To study the challenges involved in adopting IFRS in India.
2. To study the benefits of convergence to IFRS.
3. To discuss the utility for India in adopting IFRS.

Literature Review

Chand & White (2007) in their paper on convergence of Domestic Accounting Standards and IFRS, demonstrated that the influence of Multinational Enterprises and large international accounting firms can lead to transfer of economic resources in their favour, wherein the public interests are usually ignored. The study carried out by Callao et al (2007) on financial data of Spanish firms revealed that local comparability is adversely affected if both IFRS and local Accounting Standards are applied in the same country at the same time. The study, therefore calls for an urgent convergence of local Accounting Standards with that of IFRS. Barth et al (2008) in their study of financial data of firms from 21 countries examined whether application of IAS/IFRS is associated with higher accounting quality. The findings of the study confirmed that firms applying IAS/IFRS evidence less earnings management, more timely loss recognition and more relevance of accounting numbers. The study also found out that the Firms applying IAS/IFRS experienced an improvement in accounting quality between the pre-adoption and post adoption period. Referring to a study carried out by Audit Integrity, Steffee (2009) in his article concluded that there are considerable differences in the approaches taken to implementing IFRS by individual Western European countries and companies. He viewed that corporations in Luxembourg, Austria and Switzerland demonstrate the most transparent accounting practices and best corporate governance, while European Banks with large - capitalizations display very aggressive Accounting and PoorGovernance Standards. Elena et al (2009) in their article dealing with the issues of convergence between US Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and IFRS were of the opinion that the adoption of IFRS in the USA undoubtedly would mark a significant change for many US companies. It would require a shift to a more principles based approach, place for greater reliance on management (and auditor) judgment, and spur major changes in company processes and systems. Ali &Upstanding (2009) in their paper on development process of Financial Reporting Standards around the World and its practical results in a developing country, Turkey. They observe that Turkey has encountered several complications in adaption of IFRS such as complex structure of the International standards,

potential knowledge shortfalls and other difficulties in application and enforcement issues. Epstein (2009) in his article on Economic Effects of IFRS adoption emphasized on the fact that universal financial reporting standards will increase market liquidity, decrease transaction costs for investors, lower cost of capital and facilitate international capital formation and flows. Chen et al (2010) in their study of financial data of publicly listed companies in 15 member states of European Union (EU) before and after the full adoption of IFRS in 2005 found that the majority of Accounting Quality indicators improved after IFRS adoption in the EU. They found that there is less of managing earnings towards a target, a lower magnitude of absolute discretionary accruals and higher accruals quality. The study also showed that the improved accounting quality is attributable to IFRS, rather than changes in managerial incentives, institutional features of capital markets and general business environment. Devalle et al (2010) concluded that with adoption of IFRS by 3721 firms listed on 5 European Stock Exchanges, influence of earning on share price increased. As evident from the literature review, good number of studies carried out in different countries have highlighted the benefits of having single set of financial reporting standards across the globe. Few of the studies have also brought out the procedural aspects of implementation of IFRS. Some of the studies have given a contradictory view wherein the articles talk about the difficulties and complications faced in implementing IFRS. Challenges involved in adopting IFRS in India: Adopting International Financial Reporting Standards (IFRS) in India involves several challenges. These challenges stem from differences in the existing Indian accounting framework, the complexity of IFRS itself, and the readiness of stakeholders. Here are the key challenges:

1. Regulatory and Legal Framework

Regulatory Harmonization: Aligning Indian laws, regulations, and standards with IFRS requirements can be complex. Indian standards (Ind AS) need to be updated to be fully compliant with IFRS.

Tax Implications: The impact of IFRS on tax reporting and computation needs careful consideration, as IFRS adoption may affect profit calculations and thus tax liabilities.

2. Technical and Operational Challenges

Complexity and Interpretation: IFRS standards are often more complex than existing Indian Accounting Standards (Ind AS). This complexity can lead to varied interpretations and application inconsistencies.

System and Process Changes: Significant changes may be required in financial reporting systems, processes, and controls to accommodate IFRS requirements. This includes updating IT systems and software.

3. Training and Education

Skill Gaps: There is a need for extensive training and capacity-building among accounting professionals, auditors, and regulators to understand and implement IFRS.

Awareness: General awareness and understanding of IFRS among the business community need to be enhanced.

4. Costs

Implementation Costs: The transition to IFRS can be costly, involving expenses related to training, consulting, system upgrades, and ongoing compliance.

Increased Reporting Costs: Continuous compliance with IFRS requires more detailed disclosures, which can increase the cost of financial reporting.

5. Stakeholder Readiness

Corporate Readiness: Companies, especially small and medium enterprises (SMEs), may find it challenging to adopt IFRS due to limited resources and expertise.

Investor and Analyst Familiarity: Investors and analysts need to be educated about IFRS to interpret financial statements accurately.

6. Consistency and Comparability

Comparative Reporting: During the transition period, companies may face difficulties in providing comparable financial statements, which can affect trend analysis and investor confidence.

Industry-Specific Issues: Certain industries may face unique challenges in adopting IFRS due to industry-specific accounting treatments.

7. Transitional Issues

First-Time Adoption: The initial transition to IFRS involves restating previous financial statements, which can be complex and time-consuming.

Transitional Provisions: Companies must navigate various transitional provisions and exemptions provided under IFRS 1 (First-time Adoption of International Financial Reporting Standards).

8. Cultural and Behavioral Change

Change Management: Shifting to a new accounting framework requires a cultural change within organizations. Resistance to change and inertia can be significant hurdles.

Judgment and Estimates: IFRS requires more use of judgment and estimates, which can be challenging for professionals used to a more rule-based approach.

Strategies to Address Challenges

Robust Planning: Develop a comprehensive transition plan that includes a timeline, resource allocation, and milestones.

Training Programs: Implement extensive training programs for all stakeholders involved in financial reporting.

Technical Support: Engage consultants and experts to provide technical support during the transition.

Phased Implementation: Consider a phased approach to implementation to manage the transition more effectively.

Stakeholder Communication: Maintain transparent communication with stakeholders throughout the transition process.

Addressing these challenges effectively requires a coordinated effort between regulatory bodies, professional accounting organizations, businesses, and educational

institutions.

Benefits of convergence to India

Converging to International Financial Reporting Standards (IFRS) in India offers several significant benefits. These benefits span from improved financial transparency and comparability to enhanced investor confidence and better access to global capital markets. Here are the key benefits:

1. Enhanced Financial Transparency and Comparability

Uniform Standards: Adoption of IFRS brings uniformity in financial reporting, making it easier to compare financial statements across different companies and countries.

Better Understanding: Investors, analysts, and other stakeholders can better understand financial statements prepared under a globally recognized framework.

2. Improved Investor Confidence

Credibility: Financial statements prepared under IFRS are perceived as more credible and reliable, enhancing investor confidence.

Reduced Information Asymmetry: Consistent and transparent financial reporting reduces information asymmetry between company management and investors.

3. Access to Global Capital Markets

Cross-Border Listings: Companies adopting IFRS are better positioned to list their shares on international stock exchanges, facilitating easier access to global capital.

Attracting Foreign Investment: Global investors are more likely to invest in companies with financial statements that are comparable to those of companies in their home countries.

4. Cost Efficiency for Multinational Corporations

Simplified Reporting: Multinational corporations with subsidiaries in multiple countries can streamline their financial reporting processes by using a single accounting framework.

Reduced Compliance Costs: Over time, adopting a single set of global standards can reduce the costs associated with maintaining multiple accounting systems.

5. Enhanced Economic Integration

Global Trade: IFRS adoption facilitates economic integration and cooperation by providing a common financial language, promoting smoother international trade and investment.

Regulatory Alignment: Aligning with global standards helps in harmonizing regulatory requirements with those of other countries, simplifying cross-border business operations.

6. Improved Corporate Governance

Higher Standards: IFRS emphasizes transparency, disclosure, and accountability, leading to better corporate governance practices.

Stakeholder Trust: Enhanced corporate governance fosters trust among stakeholders, including investors, employees, and regulators.

7. Economic Benefits

Attracting Global Talent: Companies with high standards of financial reporting and corporate governance are more attractive to global talent.

Boosting Economic Growth: Increased foreign investment and better access to capital can drive economic growth and development.

8. Facilitating Mergers and Acquisitions

Simplified Valuation: A common accounting framework simplifies the valuation process in mergers and acquisitions, making it easier for companies to evaluate potential deals.

Reduced Due Diligence Costs: Standardized financial statements reduce the time and cost associated with due diligence.

9. Improvement in Financial Reporting Quality

Principle-Based Standards: IFRS is more principle-based compared to the rule-based Indian GAAP, leading to higher quality and more meaningful financial reports.

Better Risk Management: Enhanced disclosures and transparency under IFRS aid in better risk assessment and management.

10. Alignment with International Practices

Global Best Practices: Adoption of IFRS aligns India's accounting practices with global best practices, fostering a modernized and robust financial reporting environment.

Regulatory Efficiency: Regulators benefit from a streamlined and consistent regulatory framework that is easier to manage and enforce.

11. Long-Term Economic Integration

Harmonization with Global Economy: Aligning with IFRS helps India integrate more seamlessly into the global economy, supporting its long-term economic aspirations and growth.

By converging to IFRS, India stands to gain significantly in terms of transparency, investor confidence, global integration, and overall economic growth. The transition to IFRS, despite the challenges, presents a strategic opportunity for India to elevate its financial reporting standards to match global expectations and practices.

Utility for adopting IFRS in INDIA: Adopting International Financial Reporting Standards (IFRS) provides substantial utility for India across various dimensions, including economic growth, corporate governance, financial transparency, and international integration. Here are the key utilities for India:

1. Enhancing Financial Reporting Quality

High-Quality Standards: IFRS is known for its high-quality, principle-based standards that result in more accurate and reliable financial statements.

Improved Transparency: Enhanced transparency in financial reporting ensures that stakeholders have access to clear and comprehensive financial information.

2. Boosting Investor Confidence and Market Efficiency

Global Investor Confidence: IFRS adoption increases the confidence of global investors in Indian financial statements, encouraging more foreign investment.

Market Efficiency: With better quality and more transparent

financial information, markets can operate more efficiently, leading to optimal capital allocation.

3. Facilitating Access to Global Capital Markets

Ease of Listing Abroad: Indian companies can more easily list their shares on international stock exchanges, broadening their access to global capital.

Attracting Global Investment: Enhanced comparability and credibility of financial statements attract international investors seeking to diversify their portfolios.

4. Streamlining Financial Operations for Multinationals

Simplified Reporting: Multinational corporations with operations in India benefit from a unified accounting framework, reducing complexity and compliance costs.

Consistent Standards: Adopting IFRS aligns India's accounting standards with those of other countries, facilitating smoother cross-border financial operations.

5. Strengthening Corporate Governance

Better Governance Practices: IFRS promotes higher standards of disclosure and accountability, leading to improved corporate governance practices.

Increased Stakeholder Trust: Transparent and reliable financial reporting fosters trust among investors, regulators, and other stakeholders.

6. Economic Growth and Development

Economic Integration: IFRS adoption helps integrate the Indian economy with the global economy, promoting trade, investment, and economic growth.

Stimulating Investment: With better financial reporting standards, India becomes a more attractive destination for foreign direct investment (FDI).

7. Facilitating Mergers, Acquisitions, and Partnerships

Simplified Valuation: A common accounting framework simplifies the valuation of companies during mergers and acquisitions.

Efficient Due Diligence: Standardized financial reporting reduces the time and costs associated with due diligence in cross-border transactions.

8. Regulatory Efficiency and Alignment

Streamlined Regulations: Aligning with global standards simplifies the regulatory environment, making it easier for regulators to oversee financial reporting.

Harmonized Standards: Regulatory bodies benefit from harmonized standards, reducing discrepancies and conflicts in financial reporting requirements.

9. Building a Robust Financial Ecosystem

Training and Education: Adopting IFRS encourages the development of a more skilled workforce with expertise in global accounting standards.

Professional Development: It drives the continuous professional development of accountants and auditors, raising the overall standard of the profession in India.

10. Long-Term Strategic Benefits

Global Best Practices: Aligning with IFRS incorporates global best practices into India's financial reporting framework, enhancing its reputation and credibility.

Future Readiness: Preparing for future global economic developments by adopting widely accepted standards positions India favourably in the global market.

Conclusion: The switching over to IFRS is a major challenge, but it is also an opportunity for investors, company, and professionals to review their program, practice and procedure more effective and efficient. The utility of adopting IFRS for India is multifaceted, providing benefits that extend beyond financial reporting to broader economic and strategic advantages. By embracing IFRS, India can enhance the quality of its financial reporting, improve corporate governance, attract more foreign investment, and integrate more seamlessly with the global economy. This strategic move positions India as a competitive, transparent, and reliable player in the international financial landscape.Merely adopting International Financial Reporting Standards is not enough. Each interested party, namely Top Management and Directors of the Firms, Independent Auditors and Accountants and Regulators and Law Makers will have to come together and work as a team for a smooth IFRS adoption procedure.

References: -

1. Mukherjee, Kanchan, 2010, 'IFRS Adoption: Cut-Over Challenges', The Chartered Accountant, 59 (6) pp 68-75.
2. Paananen, Mari, Lin, Henghsiu, 2009, 'The Development of Accounting Quality of IAS and IFRS over Time: The Case of Germany', Journal Of International Accounting Research, 8 (1) pp31-55.
3. Paglietti, Paolo, 2009, 'Earnings management, timely loss recognition and value relevance in Europe following the IFRS mandatory adoption: evidence from Italian listed companies', Economia Aziendale online (4) pp 97-117.
4. Poria, Saxena, Vandana, 2009, 'IFRS Implementation and Challenges in India', MEDC Monthly Economic Digest.
5. Steffee, S, 2009, 'IFRS Discrepancies Vary by Country, Company', The Internal Auditor, 66 (4) pg 13
6. Zhou, Haiyan, Xiong, Yan, Ganguli, Gouranga, 2009, 'Does The Adoption Of International Financial Reporting Standards Restrain Earnings Management? Evidence From An Emerging Market', Academy of Accounting and Financial Studies Journal, 13 (Special Issue) pp 43-56

✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻

Poultry Keeping Cost Benefit Analysis Special Reference To Udaipur District

Dr. Shoaib Khan*

*Janardan Rai Nagar Rajasthan Vidyapeeth University, Udaipur (Raj.) INDIA

Abstract - Over the course of the last several decades, the poultry farming industry in India has grown from a small-scale sector that supplied much-needed cash and food to a massive industry that drives the economy of the nation. This expansion brought about a significant change in the country's economic situation. There are a lot of factors that are contributing to the growth of the industry, such as the increasing demand for Indian chicken products on the worldwide market, the changing preferences of consumers about their diets, and the rise in incomes among India's middle class in India. The majority of poultry farms face a big challenge as a result of the high expense of feeding hens and other types of poultry. This is because chickens and other types of fowl simply cannot survive without food. This is the reason behind this phenomena. Currently, poultry farming is fast becoming one of the most dynamic and significant components of the global food supply chain. This is the case in the current day. In the world of chicken farming, one of the most essential components is the use of backyard chicken production methods. It is important to keep in mind that the alternatives to eggs and poultry that are the most cost-effective are those that are raised in backyards or via semi-scavenging techniques at the lowest possible cost.
Keywords: Advantages, nutrition, and poultry.

Introduction - For as long as rural communities have existed, backyard poultry farming has been an essential component in their capacity to meet the social and cultural requirements of their communities. However, the commercialization of poultry farming has been detrimental to the traditional village poultry farming that has given more than half of the people living in the area with animal protein and additional income supplementation. Backyard chicken production techniques are one of the most important components of chicken farming. It is important to keep in mind that the cost of birds and eggs that are produced in a backyard or via a semi-scavenging method is often lower. Poultry farming is rapidly becoming one of the most dynamic and important components of the global food supply chain in the present day. Using materials like as antioxidants, tannin, saponin, and other alternative ingredients, the purpose of this research is to enhance the health of scavenging fowl as well as the production of chicken. The project is a collaborative effort between the Natural Resources Institute in the The project is managed by the Avian Sciences Research Centre at the Scottish Agricultural College. Both the southern state of Tamil Nadu and the northern state of Rajasthan, more specifically the districts of Trichy and Udaipur, are participating in the effort.

At the moment, the programme is operational in both of these areas of India. There are two factors that led to the selection of these municipal districts. To begin, a significant number of households in both regions depend on chicken farming in their backyards as a main source of income. Second, the agroecological and ethnic backgrounds of the two districts are significantly different from one another. This will make it feasible for the research to compare and contrast the production systems and constraints of the two districts, as well as analyse the generalizability of potential solutions. The Udaipur district is situated in the Aravalli highlands, which contributes to the area receiving around 650 millimetres of rainfall on an annual basis. There is just one kind of precipitation that occurs throughout the rainy season, which starts in late June and lasts far into September. In addition, the Trichy District has a rainfall total of 700 millimetres per year, which indicates that it has a uni-modal climate.

The cultivation of poultry in backyards not only provides low-income rural communities with access to nutritious food, but it also provides them with employment opportunities throughout the whole year. Growing numbers of consumers are growing more concerned about the safety of their food and the environment, and as a result, organic farming is rapidly becoming the technique of choice for rearing chickens in rural regions. It is very clear that women with low incomes and those who are now without jobs will continue to reap the benefits of keeping hens in their

backyards without the use of chemical fertilisers or pesticides. The backyards of rural women in various countries are often used for the purpose of raising chickens and other birds. For a very long time, people have held the belief that women make up the large majority of chicken keepers in rural areas. The vast majority of women living in rural areas are involved in large-scale poultry farming, an activity in which they raise local indigenous chicken species. In the backyard, women are able to make income via the operation of a small-scale business known as backyard chicken rearing.

Despite the fact that keeping hens in rural regions may not bring in a fortune, it is a skill that a lot of women with low incomes already have, and it has the potential to put them on a road that might ultimately lead to a better economic condition. As a result of the fact that the majority of low-income and marginal farmers depend on chicken farming as a method of making ends meet, the growth of the poultry sector in rural regions may surely help eliminate poverty.

In the course of human history, chicken farming has played a crucial role in both the provision of sustenance and the provision of amusement. In spite of this, chicken farming has developed into a significant industry over the course of the last half-century, with significant investments being made in high-tech housing, feed that is nutritionally balanced, and the required medical care for a large flock of high-yielding birds (broilers and layers). In spite of the fact that commercial poultry farming is becoming more popular among forward-thinking farmers, the sector is not without its inherent issues.

These concerns include the unpredictability of egg and chicken meat prices, the difficulty in procuring feed components, the prevalence of illnesses, and the shortage of qualified staff. Both the supply and demand for chicken products are much higher in metropolitan areas than they are in rural or tribal communities. This is due to the fact that the majority of commercial poultry farms are situated in or adjacent to cities and other heavily populated regions. Rural and tribal areas are home to almost two-thirds of the total population of our nation. A significant number of them are employed in fishing, agriculture, or animal husbandry. The majority of people who live in rural areas get the majority of their calories from cereals that are mostly composed of wheat or rice. As a consequence of this, the inadequate supply of protein is widespread among the impoverished people in rural areas, who often suffer from a variety of illnesses. It is of the utmost importance to provide people living in rural areas with animal proteins in order to safeguard against protein deficit and to encourage healthy growth and development. Chicken and eggs, two of the best forms of protein, are made freely available and affordable in rural areas via the practice of backyard poultry farming, which is also known as free-range poultry farming.

Keeping chickens in the backyard is a tried-and-true strategy that has been shown to be effective in assisting rural and tribal communities around the country in overcoming their lack of protein intake and supplementing their income. Backyard poultry farming is a common kind of family enterprise in rural and indigenous communities. It is especially notable because women play important roles in this sector of the economy. It is possible that backyard chicken farming might become a viable venture if rural inhabitants were provided with information on scientific rearing techniques and instruction on how to make use of the numerous natural food supplies that are found in backyards.

Promotion of Poultry and Poultry Products for the Backyard: When birds reach the weight that is considered to be the market norm, there are no defined methods for selling them. It is impossible for the poultry sector in rural areas to flourish without a robust marketing component. The construction of marketing channels, whether via cooperative marketing models or self-help organisations, will be of considerable assistance to farmers in the process of selling their products. Local country chickens are well-liked by both consumers and farmers alike, and they are well suited for sale in both urban and rural markets. Within the realm of poultry farming in rural areas, the production of meat from indigenous chicken breeds has emerged as a new trend. It is common knowledge that some chicken breeds, such as Aseel, Kadaknath, and Gaghus, are renowned for the superior quality of their meat. These local chickens are kept in harsh conditions until they are between four and six months old, at which point they are ready to go on the market for sale. The conditions vary depending on the breed. Because of the strong demand for the meat of these local chicken breeds, the price of the meat is much higher than average.

Objectives:

1. An analysis of the costs and benefits associated with the businesses that maintain chicken in the UDAIPUR district.
2. An economic analysis of chicken farmers and some proposals for the management of chickens in the Udaipur.

Materials and Methods: Within the Udaipur district of Rajasthan, the trible area was the location where the present study was carried out. In the southern region of Rajasthan, the Udaipur region is surrounded by the Aravali hills, which create a stunning background. At 23.8 degrees north latitude and 73.7 degrees east longitude, the district is situated in the geographic centre of the United States, 225 metres above sea level. Its location is in the geographic centre of the United States. Udaipur, Bicchiwada, Aspur, and Sagwara are the four tehsils that were selected for the research project. The Udaipur district is comprised of eight tehsils. Based on the number of backyard poultry birds that were available in each community, three villages were selected from each of the tehsils that were discovered, for a total of

twelve municipalities. For the purpose of this research, a total of 180 farmers were questioned, and 15 participants were selected at random from each farming community.

In order to collect data, we followed a semi-structured interview schedule in addition to doing observations. Before any interviews or data collection took place, the objectives of the research as well as the technique being used were presented to the farmers in a way that was both clear and succinct. The questions were presented to the farmers in both their local language and in Hindi. This was done to ensure that there was no space for misunderstanding, and it also gave them the opportunity to verify that they had understood the questions properly. We only questioned one respondent at a time, and we made sure to document all of the responses that we received from that individual. All of the information that was acquired in this manner was counted and assessed using the standard statistical procedures that were developed by Snedecor and Cochran.

Results and Discussion : The Current Financial Situation of Poultry Farmers Agriculture, animal husbandry, and manual work were the three primary contributors to the respondents' yearly income, which included an average of $13,835.15 in contributions. The agricultural sector accounts for the bulk of the respondents' income, which amounts to 60,517.70 rupees. As an additional point of interest, the annual income of each respondent was 30632.80 rupees from animal husbandry, with 43247.02 rupees coming from work (Table 1). According to the findings of the most recent study, the total cost of growing chickens was Rs. 9675. This figure includes the cost of chicks, food, housing, and several pieces of equipment. In order to calculate the income, we took the value of the increase in net income and subtracted the cost of producing the animals from that amount. It was determined that the total amount of money earned from hens and eggs was 18867.83 rupees. It was determined that the respondent had a benefit-to-cost ratio of 1:1.95, with a total benefit amounting to Rs. 18867.83 and an overall charge amounting to Rs. 9675.00. The average number of eggs deposited by each family in a given year was 680, and the average number of birds that were grown by each recipient was 38.91. According to Table 2, the family of the respondent consumed 170 eggs, which is equivalent to 25.00% of the total, while 510 eggs, which is equivalent to 75.00% of the total, were sold.

Table -1 Averaging Annual Salary for Each Respondent (in Indian Rupees)

Parameters	Particular	Number
Agriculture	Grain production(q)	25.42
	Fodder production(q)	36.92
	Income from grain sold	45748.30
	Income from fodder sold	14769.40
	Total income	60517.70
Animal	Animal sale	2.29
	Income from animal	11764.97
	Average income from sold egg	4465.05
	Average income from sold bird	14402.78
	Sum	18867.83
	Income from animals	30632.80
	Labour	43247.02
	Agriculture	60517.70
	Business	3952.64
	Overall income/family	138350.15

Table 2: An analysis of the financial status of a backyard chicken farmer (in rupees)

S.	Parameters	Number
I.	Expenditure on	
I	Charge of chicks Rs	525
II	Charge of feeding Rs	4050
III	Charge of house and equipment Rs	5100
	Total (Its)	**9675**
2	Average number of produced eggs /year/family	680
3	Average number of consumed eggs	170 (25.00%)
4	Avenge number of sold eggs	510 (75.00%)
5	Avenge number of birds reared/ recipients no.	38.91
6	Average number of consumed birds	10.11
7	Avenge number of birds sold	28.81
8	Average income from sold egg (Rs)	4465.05
9	Average income from sold bird (Rs)	14402.78
	Total	**18867.83**
	BC ratio/recipients	
I.	Total benefits	18867.83
2	Total charge	9675.00
3	B/C ratio	1:1.95

During the course of the year, the average number of eggs consumed was 110, while the average number of eggs sold was 570. A decreased weekly egg consumption rate (9.45) was discovered by the present investigation compared to the findings of Singh et al. (2003). The distribution of poultry was 10.11 per year, whereas the number of birds sold was 28.21.

The number of birds that were either intended for consumption or for commercial purposes ranged from zero to twenty. Among those who participated in the survey, the average annual income from farming, animal husbandry, and physical labour was Rs 18867.83 respectively. In contrast to these findings, The yearly income of farmers was less than 10,000 rupees, which contradicts the original findings. A total of Rs9675 was spent by each recipient on the maintenance of chicken birds. This cost comprised the purchase of chicks, food, shelter, tools, and other necessities. Over the course of the first year, a total of Rs18867.83 was generated from the sale of birds and eggs. As was the case with the results of the present investigation, The economic returns of the recipients ranged from one hundred to three hundred rupees per month. Each family was responsible for bearing one and a half times the total cost. A reduced benefit-to-charge ratio (1:1.13) when doing

the research that is now being conducted on grill rearing. The sale of eggs brings in a total of 540 rupees, whereas the sale of meat brings in 180 rupees.

A total of 475 rupees is earned by each individual bird. From 45 birds, a female recipient made around 21,375 rupees in their earnings. From one home to the next, there were an average of 680 eggs that were placed each year. backyard poultry farming in Nigeria is a profitable sector that may be found inside the country. The researchers discovered that they managed to generate a net profit of N 271.95 (2.36) for each bird that they sold.

Conclusion: According to the results of the research, the yearly revenue that each family received from chicken farming was Rs 138350.15, which resulted in a total of Rs 18868 being earned annually. Males of developed strains of chicken reach their maximal production and bulk at a faster pace than native birds do. This was seen in comparison to native chickens. Indigenous communities who raise these birds as backyard poultry see a rise in economic affluence, but the quality of their chicken suffers in terms of its nutritional value as a consequence of this. It is essential for poultry farmers to be able to overcome a range of obstacles, including a scarcity of veterinary officers, the availability of alternative financing options for poultry houses, the availability of venues to sell their goods, and the availability of places to get an education. There was a serious issue that needed to be solved in the trible region of Udaipur, and that was the presence of predators.

References:-

1. Anonymous. Department of animal husbandry, dairing and fisheries, Ministry of agriculture and Farmers Welfare, Govt. of India 2018-19.
2. Barua A, Yoshimura Y. Rural poultry keeping in Bangladesh. World's Poultry Science Journal 1997; 53:387-394.
3. Bhattu BS, Gupta SC, Sharma RK. A study on region wise constraints encountered by broiler farmers in Haryana. Indian Journal of Animal Research 1999;33:131-133.
4. Conroy C, Sparks N, Chandrasekarn D, Sharma A, Shindey D, Singh LR et al. The significance of production as a constraint in scavenging poultry systems: some finding from India. Livestock Research for Rural Development 2005;17(6):70.
5. Ekunwe P, Fabge O, Oyedeji JO, Emokaro EO. Economics of backyard poultry production in Akure South Local Government Area of Ondo State, Nigeria. Ghana Journal of Agriculture Sciences 2010;42:15-23.
6. Mandal MK, Khandekar N, Khandekar P. Backyard poultry farming in Bareily district of Uttar Pradesh, India: an analys's. Livestock Research for Rural Development 2006;18:101.
7. Reddy RV, Bhargavi M, Reddy KKM. A Study on empowerment of rural women through backyard poultry in Anantapur district of Andhra Pradesh. International Journal of Livestock Research 2017;7(9):212-219.
8. Singh DP, Johri TS, Singh UB, Narayan R, Singh D, Saran S. Implemented integrated approach for traditional village poultry production. Bhartiya KrishiAnusandhanPatrika 2003;18:93-101.
9. Singh CB, Jilani MH. Backyard poultry farming in garhwal Himalayas. Indian Journal of Poultry Science 2005;40:195-198.
10. Shettar VB, Jadhav NV. Economic evaluation of smallscale broiler farming. Indian Veterinary Journal 1999;76:663-665.
11. Thakre HS, Sarkar JD. Constraints in adoption of poultry production technology for poultry faming in Raipur. Journal of Saits and Crops 2004;14:358-361.
12. Alabi, R. A. and Aruna, M. B. 2006. Technical Efficiency ofFamily Poultry Production in Niger Delta - Nigeria,Journal Central European Agriculture, Vol. 6, No.4,pp. 531-538.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

The Adoption of International Financial Reporting Standards (IFRS) in India: Benefits, Challenges and Nuances

Dr. Neha Bhanadari (Nahar)*

***Assistant Professor, Renaissance College Of Commerce And Management, Indore (M.P.) INDIA**

Abstract - In today's globalized business environment, the need for consistent and comparable financial information has become paramount. International Financial Reporting Standards (IFRS) offer a potential solution, aiming to create a single set of accounting standards for multinational companies. This paper explores the potential benefits and challenges associated with IFRS adoption.It provides a comprehensive analysis of the implications for various stakeholders, including companies, investors, regulators, and accounting professionals. The paper also highlights the steps taken by India towards IFRS convergence and evaluates the experiences of companies that have implemented these standards.

Introduction - The increasing interconnectedness of global markets necessitates a common language for financial reporting. International Financial Reporting Standards (IFRS) aim to establish this language, providing a single set of accounting principles for multinational companies. However, IFRS adoption presents a complex scenario with significant benefits and challenges. Let's delve deeper into these aspects, unpacking the nuances for a comprehensive understanding.

Background of IFRS: IFRS is a set of accounting standards developed by the International Accounting Standards Board (IASB) that aims to bring consistency, transparency, and comparability to financial statements across the globe.

With over 140 countries requiring or permitting IFRS, its global importance cannot be understated.

Overview of India's Financial Reporting Landscape: Historically, India followed Indian Generally Accepted

Accounting Principles (GAAP), which were developed domestically.

In 2015, India decided to converge its standards with IFRS by adopting Indian Accounting Standards (Ind AS), a version of IFRS tailored to the Indian context.

Objectives of the Paper:

1. To explore the benefits of adopting IFRS in India.
2. To analyze the challenges faced during the transition to IFRS.
3. To assess the overall impact of IFRS adoption on various stakeholders.

Review of Literature

Jacob and Madu (2009) explained IFRS in their study as a single set of high-quality, worldwide accepted accounting standards. Most countries are in the process to adopt these standards as uniformity in financial reporting is required in today's scenario. The authors commented that these standards can increase the comparability of financial statements across the globe. This increased comparability of financial information could attract investors and ensure a more appropriate allocation of resources across the global economy.

Barth et al. (2006) studied that applying IAS is associated with accounting quality of any firm. They compared characteristics of accounting amounts for firms that apply International Accounting Standards (IAS) to a matched sample of firms that do not. They found that firms applied IAS evidence fewer earnings management, more timely loss recognition, and more value relevance of accounting amounts than those applied domestic GAAP. Overall the improvement in accounting quality for IAS firms was generally greater than that for firms applying domestic GAAP throughout the sample period. Researchers also found weak evidence suggesting that the application of IAS is associated with a lower equity cost of capital. Chai et al. (2010)10 , did their study with the objective to observed the changes in accounting.

Penman (1984) indicated that financial reports can be useful if they represent the „economic substance of an organization in terms of relevance, reliability, comparability and aids interpretation. According to Latifah *et al.*, (2012) IFRS are a manifestation of globalization, with financial

reports prepared under IFRS presenting an image consistent with that of multinational corporations and developed nations. Recently, it is over 115 countries around the world require or permit IFRS, including big countries such as the EU, China, Japan, South Korea, Australia, Russia, etc.

Benefits of IFRS Adoption:

Enhanced Comparability: Financial statements prepared under IFRS offer a "level playing field" for investors and analysts. Consistent accounting treatments across companies from different countries enable easier comparison of financial performance, risk profiles, and investment opportunities. This fosters better decision-making by stakeholders.

Increased Transparency: IFRS emphasizes clear and detailed disclosures, leading to more transparent financial reporting. Investors gain a deeper understanding of a company's financial health, including its assets, liabilities, and profitability. This transparency strengthens trust and accountability between companies and stakeholders.

Reduced Cost of Capital: Companies with IFRS-compliant financial statements often experience a lower cost of capital when seeking international financing. The elimination of the need for multiple sets of financial statements (one for domestic standards and another for IFRS) reduces compliance costs and administrative burdens. Additionally, increased investor confidence due to transparency can translate into lower borrowing costs.

Improved Access to Capital Markets: IFRS adoption can make a company more attractive to foreign investors.

Financial statements prepared under IFRS are readily understood by a wider pool of international investors, potentially expanding access to capital and facilitating global growth strategies.

Streamlined Reporting Processes: For multinational companies with operations in multiple jurisdictions, IFRS simplifies financial reporting by eliminating the need to reconcile accounts under different national standards. This streamlines reporting processes, reduces administrative costs, and improves efficiency.

Challenges of IFRS Adoption:

Implementation Costs: Transitioning to IFRS can be a costly and time-consuming process. Companies must invest in new accounting systems, training for personnel on IFRS principles, and potentially significant adjustments to financial statements to achieve compliance. These upfront costs can be a hurdle, particularly for smaller companies.

Loss of Local Specificity: IFRS, by its nature, strives for global uniformity. However, this might not fully capture the nuances of specific industries or local business practices. Certain accounting treatments under IFRS might not adequately reflect the realities of a particular industry or region, potentially leading to a loss of relevant information for local stakeholders.

Convergence Issues: While IFRS aims for global uniformity, interpretations and implementation can vary across countries. National accounting bodies may provide additional interpretations or exemptions, leading to a lack of true comparability across companies from different jurisdictions. This undermines one of the core benefits of IFRS - a level playing field for financial information.

Lack of Enforcement Mechanisms: The effectiveness of IFRS relies heavily on robust enforcement mechanisms in each adopting country. Weak enforcement can lead to inconsistent application of standards, undermining the credibility and comparability of financial statements.

Nuances and Considerations:

Industry-Specific Impacts: The impact of IFRS adoption can vary significantly across different industries. Certain industries, like banking or extractive industries, might face greater challenges in adapting their accounting practices to IFRS compared to service-oriented industries.

Company Size and Resources: Large multinational companies with significant resources are typically better positioned to handle the transition costs and complexities associated with IFRS adoption compared to smaller companies with limited resources.

Continuous Development of IFRS: The International Accounting Standards Board (IASB) continuously develops and updates IFRS. Companies need to stay updated on these changes and adapt their accounting practices accordingly.

Conclusion: IFRS adoption represents a significant step towards a more transparent and efficient global financial system. However, careful consideration of the challenges involved is crucial. Countries and companies must weigh the potential benefits against the implementation costs, potential loss of local specificity, and ongoing challenges with convergence and enforcement. A balanced approach that acknowledges both the opportunities and hurdles is essential for successful IFRS adoption on a global scale. The adoption of International Financial Reporting Standards (IFRS) in India represents a significant shift in the country's accounting practices, promising various benefits while presenting notable challenges. This conclusion synthesizes the key findings of the study, discusses the implications for various stakeholders, and suggests areas for future research.

Summary of Key Findings

Enhanced Comparability and Transparency: IFRS adoption enhances the comparability of financial statements across borders, enabling investors and stakeholders to make more informed decisions. The increased transparency resulting from IFRS's rigorous disclosure requirements also promotes trust and credibility in financial reporting.

Improved Access to Global Capital Markets: Companies adopting IFRS are better positioned to attract foreign investments. The global recognition and trust associated with IFRS standards reduce the perceived risk for

international investors, potentially lowering the cost of capital for Indian companies.

Regulatory Alignment: Aligning with IFRS helps Indian companies streamline compliance with global regulatory standards, reducing the complexity and cost of managing multiple accounting frameworks. This alignment also aids in smoother mergers and acquisitions by standardizing financial evaluations.

Challenges in Transition: The transition to IFRS involves substantial costs related to training, consultancy, and upgrading financial systems. The complexity of IFRS standards demands significant expertise, posing a challenge particularly for small and medium-sized enterprises (SMEs).

Regulatory and Legal Discrepancies: Reconciling IFRS with Indian regulations can be challenging, as differences in tax laws and other regulatory requirements need careful navigation. These discrepancies can lead to compliance complications and additional administrative burdens.

Impact on Financial Statements: Adopting IFRS can lead to significant changes in reported profits and financial ratios, affecting business decisions, investor perceptions, and performance metrics. Companies need to manage these impacts carefully to avoid negative repercussions.

Resistance to Change: Resistance from management, accounting professionals, and other stakeholders can slow down the adoption process. Overcoming this resistance requires comprehensive change management strategies and continuous stakeholder engagement.

Implications for Stakeholders

Policymakers: Policymakers should provide support and incentives to facilitate the transition to IFRS, especially for SMEs. This support could include financial assistance, tax incentives, and initiatives to align local regulations with IFRS.

Companies: Companies should invest in early training and development programs to build IFRS expertise within theirorganizations. Adopting advanced financial systems and seeking guidance from experienced consultants can help mitigate transition challenges.

Accounting Professionals: Continuous education and professional development are crucial for accounting professionals to stay updated with IFRS requirements. Professional bodies should offer specialized IFRS training programs to build the necessary expertise.

Investors and Analysts: Investors and analysts should leverage the increased transparency and comparability provided by IFRS to make more informed investment decisions. Understanding the nuances of IFRS can also help them better evaluate the financial health of companies.

References:-

1. Arum Puspa, E. D. (2013). Implementation of IFRS and quality of financial information in Indonesia. *The Research Journal of Finance and Accounting, 4*(19), 1-7.
2. Bapna, M. (2003). A Study of IFRS and its Adoption in India - Prospects and Challenges. *International Journal of Engineering Technology Science and Research, 4*, 1330-334.
3. Barth, M. E., Landsman, W. R., & Lang, M. H. (2008). International Accounting Standards and Accounting Quality. *Journal of Accounting Research, 46*(3), 467-498.
4. Prof. Jyoti H. Pohane, International Indexed & Referred Research Journal, ISSN -2250- 2256; VOL.1* ISSUE-1, April, 2012.
5. Shamnani Gopichand B, International Indexed & Referred Research Journal, ISSN -2250-2256; VOL.1 *ISSUE-1, April, 2012

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

सामाजिक सरोकार : मीडिया की दशा और दिशा

डॉ.राम सिंह सैन*

* सहायक आचार्य (हिंदी) राजकीय महाविद्यालय, चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर (राज.) भारत

प्रस्तावना - आज समाज में चारों ओर मीडिया के बदलते चरित्र के सम्बन्ध में चिन्ता प्रकट की जात है। विशेष रूप से पश्चिम का अनुकरण करने वाले अंग्रेजी मीडिया पर चिन्ता ज्यादा है। यह कहा जाता है कि स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में पत्रकारिता का जो मिशनरी चरित्र था आज उसका विलोपन हो गया है लेकिन इस बात को समझ लेना चाहिए कि उन दिनों सैकड़ों लोग पत्रकारिता के माध्यम से जन-जागरण, स्वतंत्रता की प्रबल आकांक्षा जाग्रत करने के अलावा ह्दय को आंदोलित भी करते है। ऐसे सुधारकों और नेताओं में पहला नाम आता है राजाराम मोहनराय का। उन्होंने अंग्रेजी, बंगाली और फारसी की पत्रिकाएं निकाली। हरिश्चन्द मुखर्जी ने 'हिन्दू पैट्रिएट' के नाम से पत्रिका निकाली।

केशव कुमार सेन ने ' इण्डियन मिटर' नाम की पत्रिका निकाली। महर्षि अरविन्द ने 'वंदे मातरम्' प्रकाशित किया बालगंगाधर तिलक ने तो महाराष्ट्र में 'मराठा' और 'केसरी' नाम के दैनिक पत्रों से पत्रकारिता को एक नया संघर्षकारी स्वरूप प्रदान किया है। लाला लालपतराय की पत्रिका की भी वैसी ही धार थी। महात्मा गांधी की पत्रकारीय लेखनी 'यंग इण्डिया' 'नवजीवन' और 'हरिजन' के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करती रही।

यह सूची मात्र संकेतक है समग्र नहीं। वस्तुत: कई सौ समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी मीडिया पत्रकारिता के माध्यम से समाज की दिशा को दिशा देने में अग्रसर रहे। सबका समान उद्देश्य था-भारतीय समाज की दशा को सुधारना और भारत को स्वतंत्र कराना। यह मिशन अपने आप में सबका साझा था।

धीरे-धीरे मीडिया की आचार संहिता और व्यवहार प्रणाली विकसित होती रही। पश्चिमी दुनिया के मीडिया का विशेष रूप से लोकतांत्रिक देशों की मीडिया की विकसित नैतिकता का भारत की पत्रकारिता पर भी प्रभाव पड़ता रहा है।

कई बार में आर्थिक दैनिकों को देखता है तो मुझे कुछ समाचारों और लेखों को पढ़कर लगता है कि आज जो नया मिशन है उसे बढ़ती हुई संख्या में पत्रकार उसी जज्बे से स्वीकार कर रहे ,जिस जज्बे से स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में स्वतंत्रता के उद्देश्यों को उठाया था।

यही सही है कि 'समय बदला गया है। मीडिया बदल गया है। लेकिन समाज की दशा और दिशा वही की वही है। इसमें होडा होडा चल रही है। अखबार बड़े शहर से छोटे शहरों में गए, छोटे शहरों से कस्बे में गए और अब दूर-दराज के गांवों में भी जाने लगे है। इलेक्ट्रानिक मीडिया का तो चमत्कारिक विकास हुआ है इसके बाद भी अखबारों की अपनी उपयोगिता है। मीडिया आज एक बड़ा बिजनेस बन गया है मीडिया की टेक्नोलोजी विकसित हो गई है। मीडिया संस्थान को चलाने के लिए ज्यादा बड़ी पूँजी की आवश्यकता होती है। बड़ी पूंजी, बड़ी वितरण संख्या बड़ी दर्शक संख्या मिलकर इस बिजनेस के व्यापारिक खतरों को बढ़ा दिया है। स्वाभाविक रूप से बिजनेश का उद्देश्य लाभ होता है। लाभ अर्जित करना अनैतिकता नहीं है।'

व्यापार में घाटा व्यापार की मौत की तरफ ही ले जाता है। घाटे के कारण बहुत से दैनिक पत्र और पत्रिकाएं बंद होती रही है। मीडिया अगर बिजनेस है, तो उसे लाभ कमाना पड़ेगा लेकिन क्या मीडिया परचूनी की दुकान या रसद सामग्री बेचने जैसा बिजनेस है? कोई भी मानेगा कि ये सारे व्यापार के तौर तरीके है। इनकी समाजिक जिम्मेदारिया अलग अलग है। आज मीडिया इतना शक्तिशाली है कि प्राय: सब सरकारें प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय, पंचायत और अनेक योजनाओं की क्रियान्विति की शुरूआत मीडिया से ही होती हे। इसलिए सरकारें व प्रशासनिक अधिकारी भी मीडिया से डरते है। यह संसद और विधायिकाओं का कई बार ऐजेंडा तय करता है। सांसदों विधायकों ,राजनेताओं से इनका गहरा संबंध और नफरत का मिला-जुला रिश्ता रहता है। बड़ेबड़े उद्योगपति इससे घबराते है। कहा तो यहां तक जाता है कि आपके समाज का संचालन मीडिया ही करता है। सवाल यह खड़ा होता है कि मीडिया का संचालन कौन करता है। पश्चिम में विशेष रूप से अमेरिका में मीडिया का मालिकाना हक पूंजीपतियों के हाथ में केन्द्रित हो गया है इसी तरह भारत में अंग्रेजी मीडिया के पांच सात घराने, भाषाएं मीडिया के आठ-दस चैनल मालिकों के हाथ में करीब-करीब सारी मीडिया-शक्ति केन्द्रित हो गई है।

मीडिया के जो भाग इनके सीधे नियन्त्रण में नहीं है, वह भी उनसे प्रभावित होता है। कुल मिलाकर दर्जनभर संस्थाओं में कोई पांच-सात बुद्धिजीवी और प्रबंधक मीडिया को इस तरह चलाते है कि उनका व्यावसायिक हित हो इसीलिए वर्तमान में हम समाज में भी यही देखते है। कि परिवार की संस्था अधिक व्यवस्थावादी या वाचाल लोग ही सम्भाल लेते है। समझदार को पीछे की ओर धकेल दिया जाता है। उसकी प्रतिभा का दमन होता है मीडिया संस्थानों की एक खास बात है कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह विज्ञापनों पर टिकी है। बड़े विज्ञापनदाता मीडिया को एक हद तक अपने इशारे पर नचाते है। बाजारी संस्कृति और बाजारी ताकते उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। उससे उसका सामाजिक स्तर अपने दायित्व से दूर हटता

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

जाता है।'

इसी रस्साकशी और मीडिया की आंतरिक होड़ में मीडिया आज अनेक समस्याओं से ग्रस्त हो गया हैं विज्ञापन निर्भर करता है कि अखबारों की वितरण संख्या पर, विज्ञापन आयोजकों का हित इसमें है कि मीडिया अच्छी क्रय शक्ति वाले उपभोक्ताओं को विज्ञापनों के जरिए कैद करे और बाजार के हवाले करे। आज मीडिया समाज को सस्ती बाजारी संस्कृति को समाज में परोसने के लिए उतारू है जिससे वह समाज से आर्थिक लाभ प्राप्त कर सके। लेकिन यह बात अधिक समय तक नहीं चल सकेगी अति सबके लिए नुकसान दायक होती है। समाज की जब चेतना जागेंगी तो मीडिया को अंगीकार नहीं करेगा।

नकारात्मकता समाज को निराशा हताशा के गढ्ढे में धकेलती है अपने पेशे के दबाव में पत्रकार,मीडिया कर्मी, लेखक चित्रकार, व्यवस्थापक, कर्मचारी आदि अपने पेशे को बेचकर अपनी कमजोरी को उजागर करते है। अपने पेशे से दबाब में आकर विफलता की अपनी कमजोरी की खोज में रहता है। अखबारों में मीडिया में आने वाली पीढ़ी को अंधकार में डाल देने को उतारू है। इसी का दूसरा पक्ष मीडिया आदमी को आदमी से जोड़ने का कार्य भी करता है, उसमें कार्य करने की गति बढ़ती है संचार माध्यमों की बढ़ोतरी से कठिन कार्य भी सरल हो गये है। लेकिन कुछ समाज के समाज कंटक इस मजबूरी का गलत फायदा उठाकर नई पीढ़ी को अंधकार में रखकर आर्थिक लाभ उठाते हैं।

'आज मीडिया में जहां बड़ी-बड़ी खूबियां है वहां उसमें कई बड़ी खामियां भी है। ऐसे में कोई महान् उद्देश्य ही मीडिया को रास्ते पर लाने में शुरूआत कर सकता है। मैं यह मानता हूँ कि विकसित राष्ट्र का सपना ऐसा बड़ा साक्षा राष्ट्रीय लक्ष्य जरूर है जो बदली हुए व्यावसायिक मीडिया युग में भी नैतिक और उद्देश्य परक पत्रकारिता को आगे बढ़ा सकता है।' इस महान् राष्ट्रीय उद्देश्य में सचमुच बड़ी ताकत है यह विकसित राष्ट्र का मंत्र दरिद्रता का दर्शन नहीं है। यह विपुलता का दर्शन है यही से सफलता की सीढ़ी मिलती है। मीडिया संचारका आधार स्तम्भ है। समाज के प्रमुख अंगों में से एक अंग है। यही सम्पन्नता का दर्शन में समाज में देखता हूँ। निश्चित ही मीडिया और समाज की दिशा में सुधार की किरण नजर आयेगी। जिससे भावी पीढ़ी को संचार माध्यमों से जुड़ने में आने वाली समस्याओं और सस्ते साहित्य, बाजारू संस्कृति से निजात मिलेगी। मीडिया में सुधार करना मानव का परम उद्देश्य होना चाहिए जिससे आदर्श समाज का निर्माण हो सकेगा। मीडिया केवल आर्थिक रूप से विज्ञापनों और सस्ते साहित्य पर ही निर्भर रहेगा। उसमें साहित्य और समाज की समक्ष को पैदा कर मानवीय मूल्यों की रक्षा करने का दायित्व मीडिया को ही निभाना है। जिससे मीडिया ही समाज को सही दिशा दे सकता है। समाज की दशा को संसद, विधायक, कार्यपालिका न्यायपालिका तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाता है। समाज में अच्छे कार्य की समीक्षा ही मीडिया द्वारा होती है। जिसके माध्यम से मानवीय पीड़ा रूपी जागरण और भावी समस्याओं से संघर्ष करने की शक्ति भी मीडिया प्रदान करने में सक्षम है। जिससे भारतीय समाज और साहित्य को गहरी पहचान मिलेगी। आंशिक लाभ के खातिर मीडिया समाज को गहरे रसातल में भेजने को तैयार हो जाता है लेकिन समक्ष जब पैदा होती है तब आविष्कार का भाव बढ़ता है।

मीड़िया द्वारा समाज को अच्छाईयों के साथ बुराईयों का समाधान करते हुए अपनी अहम् भूमिका निभानी चाहिए। पूंजीपति, भ्रष्ट अधिकारी वर्ग के सामने अपनी छवि को बनाये करना चाहिए जिससे समाज पर बुरा प्रभाव न पड़े। मीडिया की गहरी पैठ जब सार्थकता को देती है तो भावी पीढ़ी का निर्माण करती हैं जिससे सभ्य समाज का निर्माण होगा।

'जब परिदृश्य ऐसा है तब क्या है? इस जमीन में मीड़िया ही फलेगी - फूलेगी इस अप-पत्रकारिता की संस्कृति के खिलाफ, सस्ते मीडिया, पूंजीपति वर्ग, आंशिक लाभ कमाने के लिए मीडिया को बाजारू बनाने वाले पूंजी पति वर्ग अधिकारी वर्गो के प्रति खिलाफ लड़ाई तभी संभव है जब इसमें शरीक हो पत्रकार, प्रबंधक राजनेता और समाज के दिग्गज लोग जो समाज को भावी दिशा देने के लिए आगे बढ़े है। पत्रकार भी प्रबंधक भी आगे बढ़ कर इसमें समाज का सहयोग प्रदान करें तो इस जंग को जीत जा सकती है।' क्या आज के इस माहौल में इस साझी जंग की उम्मीद की जा सकती हैं पर लोकतंत्र को दुरूस्त एवं सेहतमंद रखने के लिए यह जंग भी जरूरी है यही हम सबकी चुनौती है।

कार्य की दृष्टि से भी मीड़िया का स्वरूप बड़ी तेजी से बदल रहा है। समाचारपत्रों, लेखों संपादकीय स्पर्धा में इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया से प्रतिद्वन्द्विता ने समाचार संकलन की गति और आवश्यकता पहले से अधिक बढ़ा दी है जो मालिक यह कहता है कि समाचार तो कुछ अंश में होते है, वहीं मालिक सुबह की मीडिया द्वारा प्रसारित खबर देखकर कार्यालय पहुंच कर सवाल करता है। कि अमुक मीडिया चैनल, पत्र में खबर छपी है। हमारे मीडिया चैनल, पत्र में क्यों नहीं चली।

जबकि दूसरे मीडिया चैनल, पत्रिकाओं ने उसे प्रकाशित किया है। एक और समाचार की यह ललक और दूसरी और संपादक संरक्षण का एक षडयन्त्र के तहत अवमूल्यन इन दोनों स्थितियों के बीच पिस रहा है मीडिया जो मीडिया के लिए अभिशाप बन चुका है इस स्थिति से छुटकारा पाना की आसान काम नहींहै किन्तु अगर प्रेस की स्वतन्त्रता और लोकतंत्र को बरकरार रखना है। तो लोकतन्त्र के इस चतुर्थ स्तम्भ को गरिमापूर्ण बनाये रखना ही होगा। तभी मीडिया पर मंडरा रहे इस खतरे से बचा जा सकता है।

आधुनिक परम्परा का जहां एक तरफ विकास होना चाहिए था वहींउसका ह्रास भी हुआ हें व्यक्तिग संदर्भों में व्यक्ति नेअपने हितों की रक्षा के लिए समाज के सारे मूल्यों की बखिया उधेड़ दी है। साथ ही एक तरफ से उभरता हुआ अलगाव भी ऐसे ही पक्ष का पक्षकार है। जीवन मूल्यों की गाथा भी अपनी पहचान से दूर होती जा रहींहै। इसी बदलाव के बीच मीडिया की भूमिका को सही दिशा मिलनी चाहिए थी लेकिन उसका यहां पतन हो गया है। न तो मीडिया की अपनी दशा में ही सुधार हो पाया है न ही दिशा में इससे साफ झलकता है कि समूचे सांस्कृतिक और सामाजिक बदलावों को सही दिशा -दशा देने में मीडिया से भारी भूल हुई है।

आज की सबसे चुनौती यह है कि पूंजी, बाजार और प्रौद्योगिकी के वर्चस्व काल में मीडिया में सामाजिक सरोकारों को पुन: केन्द्र में कैसे लाया जाए? भारत की बहुलतावादी व लोकतांन्त्रिक विरासत को मीडिया में कैसे फौकस मिले। इस जवालों का सटीक जवाब एक तरफा नहीं दिया जा सकता समाज को भी आगे आना होगा। मीडिया की सोशल आडिटिंग करनी होगी जब तक मीडिया में सामाजिक जबावदेही को प्रतिबद्धता पैदा नहीं होगी तब तक प्रोफेशनलिज्म और आधुनिकीकरण के नाम मीडिया में फिसलने पैदा होती रहेगी। आज मीडिया की अंधानुकरण की प्रवृत्तियों व विकृतियों के प्रति सचेत और उन्हें दूर करने के लिए सामाजिक दबाव भी जरूरी है इसके लिए सिविल सोसायटी असरदार भूमिका निभा सकती है समाज विज्ञानी

समाजकर्मी पत्रकार कलाकार साहित्यकारों को इस चुनौती का सामना करना होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. राष्ट्रीय आन्दोलन और हिन्दी दैनिक पद्माकर पाण्डेय पृ.27
2. पत्रकारिता का बदलता चेहरा– महेश्वर दयालु गंगवार पृ.10
3. मीडिया अगर भ्रष्टाचार को रोकने का उपकरण –प्रभाव जोशी
4. भारतीय मीडिया का मिशन दीनाथ मिश्र –56 पृ.51
5. सत्य पर पर्दा डालते से स्तर गिरा केशव जैन केश पृ.20
6. समाचार पत्रों ने जगाई थी आजादी की अलख–योगेशचन्द शर्मा पृ.133

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

The Role of G20 in Supporting Afghanistan's Economic Development And Reconstruction

Anil Malviya*

***Research Scholar, School of Studies in Political Science and Public Administration, Vikram University, Ujjain (M.P.) INDIA**

Abstract - G20 is the premier forum for international economic cooperation, collectively accounting for 85% of the global GDP. The major contributor of developmental assistance aid to developing countries in G20 is the USA, Germany, European Union (EU), the United Kingdom (UK) and Japan. As of now, Afghanistan's economy is on the brink of collapse and is in dire need of developmental assistance to rebuild the economy and improve the livelihood of its citizen. Its GDP slumps from 20.56 billion (US$) in 2013 to 14.79 billion (US$) in 2021.G20 has the potential to play a crucial role in facilitating and coordinating efforts for Afghanistan's economic recovery, if the member countries come forward as they have resources and expertise, will become key stakeholders in Afghanistan's reconstruction process. The G20 can provide support for capacity development in critical sectors such as energy, infrastructure, human capital, etc., establishing the foundation for sustainable economic growth.The G20's commitment to sustainable development and inclusive growth aligns with the long-term goals of Afghanistan. By focusing on job creation, poverty reduction, education, and human rights, the G20 can actively assist Afghanistan in building a resilient and inclusive economy. The paper concludes by stating that G20 has the potential to assist the struggling Afghanistan in overcoming the economic crisis and effects of US withdrawal in 2021 and to accept diverse perspectives and opinions regarding the ongoing matter of concern.
Keywords:G20, Afghanistan's economy, Sustainable development, Infrastructure, Development assistance.

Introduction - Afghanistan is a multiethnic landlocked country located in the heart of South-Central Asia, reflecting its location astride historic trade and invasion routes between Central, South, and Western Asia. The population of Afghanistan is around 41 million as of 2023. The state is fragile and sustained through constant negotiations over power, resources and ideology, but the Taliban established an interim government after the US withdrawal in August 2021. It is a country ravaged by decades of conflict and instability which impacted its economy and pushed it into an economic crisis resulting in the contraction of its economy by 20.7% of GDP in 2021. Decades of war, collapse of the country's Central Bank (DAB), cut in foreign aid due to the Taliban takeover, foreign sanctions imposed on the Taliban and economic shocks have been the primary causes of thedeteriorating situation of Afghanistan's economy. Recognizing the urgent need for sustained support, the G20 has taken on the responsibility of addressing the socio-economic challenges faced by Afghanistan, aiming to foster sustainable growth, build resilient infrastructure, and enhance governance and institutional capacity. The Global Partnership for Afghanistan's Economic Development and Reconstruction is a complex and multifaceted endeavour that requires the collaboration and support of various international actors. The G20 has emerged as a critical player in bolstering Afghanistan's economic development and reconstruction efforts. Comprising the world's major economies, the G20 provides a platform for coordination, cooperation, and financial assistance that can significantly contribute to the stability and prosperity of Afghanistan. This essay examines the crucial role played by the G20 in supporting Afghanistan's economic development and reconstruction, highlighting the initiatives, policies, and financial assistance provided by this influential global forum. By analysing the G20's efforts, we can gain valuable insights into the collective international response and the significance of global partnerships in post-conflict nation-building.

G20 :G20 is an international forum of 19 countries and the European Union. The G20 group was formed in 1999 and its first summit was held in 2008 in Washington DC (USA) and the latest one in 2022 in Indonesia. The presidency of the G20 rotates every year it brings together the world's major economies to discuss and address global economic and financial issues. The G20 serves as a platform for high-level discussions, cooperation, and coordination on topics such as economic growth, trade, finance, and sustainable development. The G20 aims to promote global economic

stability, foster international financial cooperation, and address global economic challenges. The G20 plays a vital role in shaping global economic policies and facilitating dialogue among its member nations and other stakeholders through its meetings and initiatives.

The sixteenth G20 Summit was hosted by Italy on 30-31 October 2021 in Rome. In addition, Italy also convened an Extraordinary Leaders' Summit on Afghanistan, which was preceded by a meeting of Foreign Ministers on Afghanistan, to discuss the G20's role in responding to the crisis in Afghanistan, especially in ensuring humanitarian access; maintaining security and fighting terrorism and issues of mobility and migration. A Chair's statement was issued following the Summit, which spoke about the advocacy role of the G20 within the international community to fully support UN activities and respond to UN appeals on humanitarian aid.

The G20's appeal for international assistance to reach $4.6 billion in 2023 which is the minimum requirement for Afghanistan. Hence The EU pledged $1 billion and Germany •600 million at the Italy summit held in 2021. China called for economic sanctions on Afghanistan to be lifted and that billions of dollars of Afghanistan's international assets to be unfrozen and should handed back to Kabul.

Recently, India got the presidency of G20 summit and it will be held in September 2023.

Objectives:

1. To study the role of G20 in addressing the economic crisis of Afghanistan.
2. To analyse the contribution of G20 nations to Least Developed Countries in the formof developmental assistance, especially in Afghanistan.
3. To examine the factors that could led to Afghanistan's economic recovery.

Research Methodology: The paper is based on historical, descriptive and quantitative methods. The study is primarily based on secondary data for analysis and interpretation. It includes the analyses of previous works and databases. The data is taken from the OECD's official website for the Official Development Assistance (ODA) and Afghanistan's GDP.

Results And Findings: GDP of Afghanistan is steadily declining since 2013, results in contraction of its economy by 20.7% in 2021.

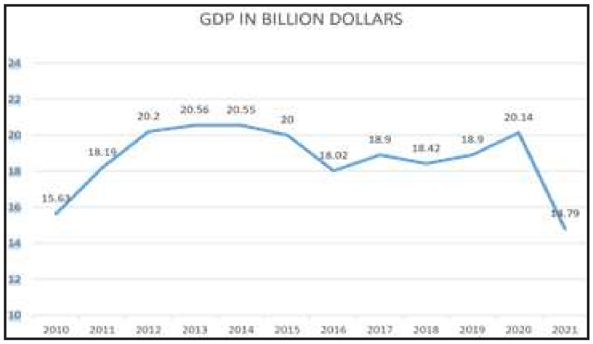

*Source World Bank

Afghanistan relies on international aid to sustain its economy, which accounted for a staggering 75% of total government spending and nearly 40% of GDP at the time of transition which is $8 Billion approx. But now the foreign donors largely suspended aid after the transition. GDP will further contract by 30-30% between 2021 to 2023(World Bank's new Afghanistan report) if foreign aid is not resumed. About 34 million population of Afghanistan are already in poverty which was increased by 15 million from 2022.The support from international agencies and groups mainly comes in the form of humanitarian aid (around 51%). As a result, aid dependent service sector hit hardest by the crisis which lacks funds. Agriculture sector also declined by around 5%.

(Chart see in next page)

Suggestions:

1. Strong banking system is needed to circulate currency (to maximize the reach of received foreign aid) in Afghanistan.
2. G20 countries should gradually remove economic sanctions on Afghanistan.
3. Inclusion of women in Afghanistan's economic development, because excluding them will cost around $1 billion or 5% of the GDP.
4. Pledging of more funds by G20 countries to support GDP growth in Afghanistan.
5. Unfrozen the overseas assets held by Afghanistan which worth's around $9 billion (The Guardian Report).
6. Funds to be released by the World Bank to support the social sector to promote inclusive growth and sustainable development.
7. Afghanistan being an agricultural economy and young growing population, harnessing this potential allow for stabilization of the economic recovery.
8. G20 should also try to initiate a broader program of economic development could be provided to macroeconomic management, broader public services, infrastructure and the private sector, allowing much faster recovery.

Conclusion : As of now, Afghanistan economy is in free fall. The G20 countries have been actively providing financial assistance, technical expertise and coordination efforts to promote Afghanistan's economic development and reconstruction. G20 facilitates dialogues and coordination among key stakeholders which includes international organizations, civil society and various other bodies. The G20 being an influential group support initiatives for trade, investment and connectivity in the region, fosters new economic opportunities and contributes to Afghanistan's growth and development.

G20 is recognizing the significance of inclusive and sustainable development, earlier signs of recovery have been fueled by international aid amounting to $3.7 billion in 2022(UNDP) actions by both the international community

and the interim Taliban administration is the need of the hour to address this situation of Afghanistan which necessitate proper inflow of foreign aid in Afghanistan, to avoid the situation of extreme poverty, displacement, fragility and extremism threats.

References:-

1. (2021). What we need to learn: Lessons from twenty years of Afghanistan reconstruction. Special inspector general.
2. (2022). Afghanistan development update: Adjusting to the New Realities. World Bank Group.
3. (2023). Afghanistan Socio-Economic outlook 2023. UNDP.
4. Amiri, A. (2021). The trillion-dollar war: The U.S. effort to rebuild Afghanistan (1999-2021). Marine Corps University Press.
5. Byrd., W. A. (2016). Special Report: What can be done to revive Afghanistan's economy? United States Institute of Peace.
6. Chowdhury, D. (2022, July 19). Changing political and economic dynamics in Taliban-Ruled Afghanistan. Geopolitical Monitor.
7. Kazem, S. M. (2014). Educated women in the economy of Afghanistan. United Kingdom: LAP Lambert Academic Publishing,
8. Kushnir, I. (2019). Economy of Afghanistan (1970-2010). Independently Published.
9. Maley, N. I. (2019). Afghanistan: politics and economics in a globalising state. Routledge.
10. Post-Conflict Reconstruction: The Afghan economy. (2004). Asian Development Bank Institute (ADBI).
11. Roy, T. (2020). Reading the economic history of Afghanistan. London school of economics and political science.
12. Sarkar, S. (2021). Quest For A Stable Afghanistan: A View From Ground Zero. Rupa Publications India.
13. William Byrd, P. D. (2022). How to mitigate Afghanistan's economy and
14. Humanitarian crisis. United States Institute of Peace.
15. World Bank: Urgent actions required to stabilize Afghanistan's economy, (2022, April 13). R e - trieved from Worldbank.org:https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/04/13/world-bank-urgent-action-required-to-stabilize-Afghanistan-s-economy

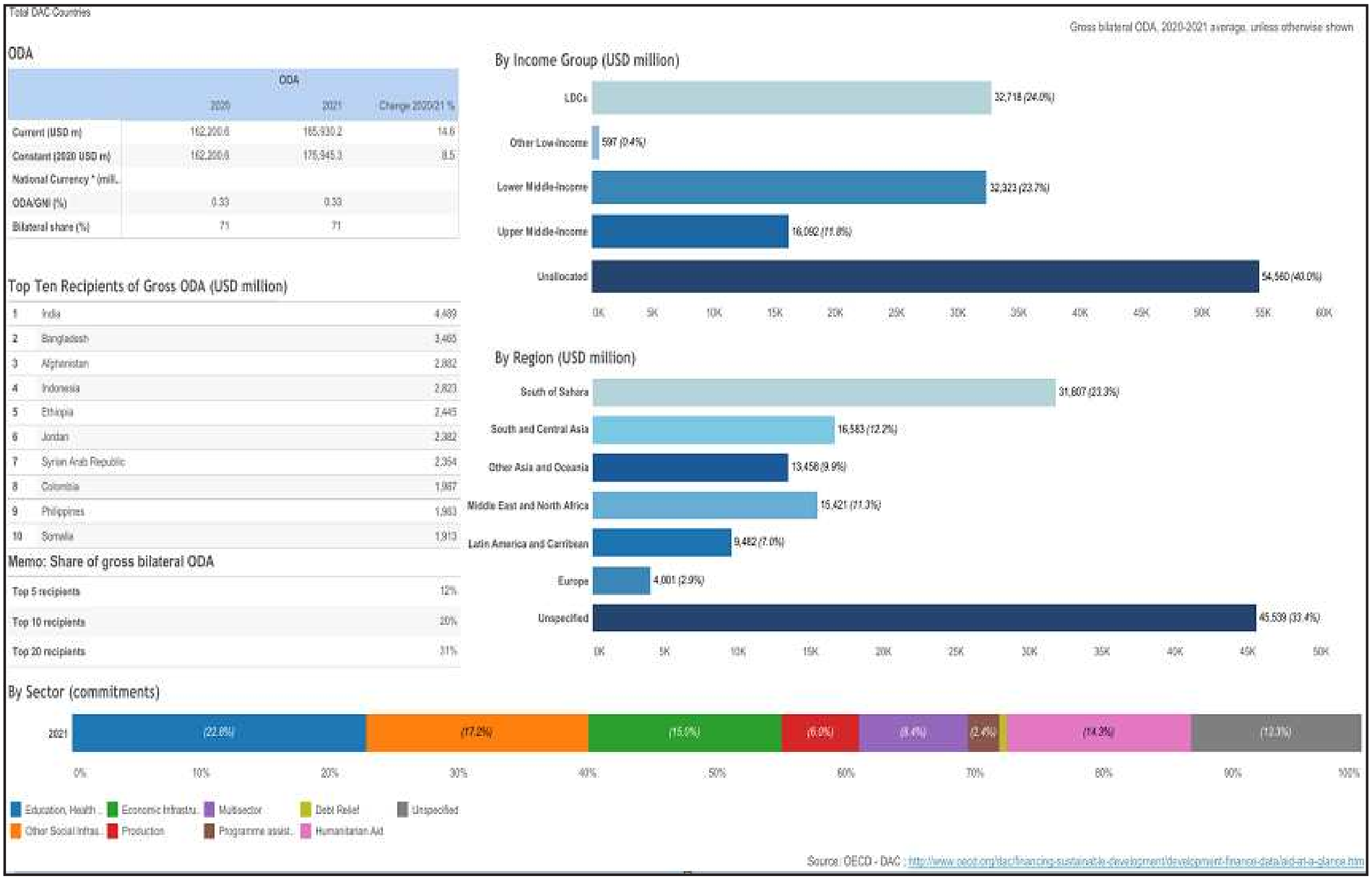

SourceOECD-https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/develop ment-finance-data/aid-at-a-glance.htm

पर्यावरण संरक्षण की चुनौतिया: गाँधीय विकल्प

गोपाल सिंह*

* असिस्टेंट प्रोफेसर (राजनीति विज्ञान) शेखावाटी महाविद्यालय, लोसल, (सीकर) (राज.) भारत

शोध सारांश – पर्यावरण समस्त जीवन का आधार है जिस तरह एक स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का निवास होता है। ठीक उसी तरह स्वच्छ पर्यावरण में स्वस्थ जीवन का निवास होता है। किन्तु मानव आज अपने जीवनदायिनी पर्यावरण को अप्राकृतिक गतिविधियों से असन्तुलित कर रहा हैं। सभ्यता के शैशव काल से मानव जाति पर्यावरण से अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करती आ रही है। लेकिन विगत कुछ दशकों में मनुष्य की स्वाभाविक स्वार्थी प्रकृति के कारण पर्यावरण का निरन्तर ह्रास हुआ है। वर्तमान आधुनिकता की दौड़ एवं अधिक उपभोग की प्रवृति ने मानव को मशीनीकरण की ओर उन्मुख कर दिया है। जिसकी प्राप्ति हेतु पर्यावरण के हर पहलू को नुकसान पहुँचाया जाता हैं। IUCN (अन्तर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ) के ताजा आकड़ों के अनुसार 5583 जीवों की प्रजातियाँ विलुप्ति के कगार पर है। जो प्रकृति की जैव विविधता के लिए खुली चुनौति है यह सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए चिन्ता का विषय है। यदि समय रहती वैश्विक स्तर पर आम लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरुकता एवं कर्तव्य निष्ठा की भावना उत्पन्न नहीं की जाती है तो मानव सहित समस्त प्राणियों का जीवन संकट में हैं। ऐसी विकट परिस्थितियों में गाँधीजी के विचार प्रासंगिक हैं उनके अनुसार भारतीय संस्कृति में प्राचीन समय से ही पर्यावरण संरक्षण की समुचित व्यवस्था है। जिसका आधार सदियो से चली आ रही वृक्ष पूजा है। गाँधी जी जहाँ एक तरफ आस – पास के वातावरण को स्वच्छ रखने पर बल देते थे वहीं दूसरी तरफ अहिंसा के अन्तर्गत समस्त प्राणियों की रक्षा पर जोर देते थे। उन्होनें उत्पादन की ऐसी पद्धति को वाछंनीय माना है जो प्रकृति को दोहन व शोषण से मुक्त रखकर मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम हो। गाँधीजी के अनुसार 'प्रकृति में मानव जीवन की आवश्यकता के लिए सब कुछ हैं, किन्तु लालच के लिए नहीं।' पर्यावरण की रक्षा एवं मानव विकास एक साथ कैसे हो, इस पर विश्वव्यापी बहस छिड़ी हुई है। गाँधीजी की विचारधारा ये बताती है कि पर्यावरण की शुद्धता व सरंक्षण प्रत्येक बुद्धिजीवी का नैतिक दायित्व होना चाहिए। गाँधी जी के आदर्शो से प्रेरित होकर भारत सरकार द्वारा शुरु किया गया स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण हेतु एक अनुठी मिशाल हैं।

शब्द कुंजी – पर्यावरण, संरक्षण, सभ्यता, आधुनिकता, मशीनीकरण, गाँधीजी, संस्कृति, अहिंसा, शोषण, श्रम, बुद्धिजीवी, एवं संवेदना।

प्रस्तावना – प्रकृति की वह सुन्दर व्यवस्था जिससे जीवन की उत्पति एवं विकास सम्भव हुआ है। सरल शब्दों में पर्यावरण हैं। तुलसीदास जी के शब्दों में 'क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा।' अर्थात पाँच तत्वों से मनुष्य शरीर का निर्माण हुआ है और प्रकृति इनसे इतर नही हैं। सृष्टि के उद्‌भव से ही मनुष्य अपनी सम्पूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति इसी पर्यावरण से करता आ रहा है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में वात, पित एवं कफ का साम्य रहता है। यदि इनमें से एक भी कम – ज्यादा होता है तो शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार प्रकृति का भी एक निशचित जैव चक्र है जो सन्तुलित रुप से पर्यावरण के विकास के लिए चलता रहता है। यदि इसमें परिवर्तन होता है तो पर्यावरण असन्तुलित होगा जिसके परिणाम भी भंयकर होगें। मनुष्य की बढ़ती आकांक्षाओं ने प्रकृति को अत्यधिक क्षति पहुँचाई है जिसके कारण इसका सन्तुलन बिगड रहा है। पृथ्वी का बढ़ता हुआ तापामान, गिरता हुआ भू–जल स्तर, हिमस्खलन , पिघलते ग्लेशियर , बदलता मौसम चक्र एवं घटती हुई जैव विविधता इसी का परिणाम है। विश्व में पायी जाने वाली 84 लाख प्रजातियों में से वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 100 प्रजातियाँ विलुप्त हो रही है। तथा वे दिन दूर नही कि विलुप्त होने वाली प्रजातियों में मानव प्रजाति के अस्तित्व पर भी खतरा हो सकता हैं। IUCN (अन्तर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ) की रिपोर्ट के अनुसार 5583 जीवों की प्रजातियाँ विलुप्त होने के कगार पर है ,जो चिन्ता का विषय है। आज सम्पूर्ण विश्व के सामने यह चुनौति है कि वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए पर्यावरण को भी संरक्षित करे।

पर्यावरण असन्तुलन के कारण – 21वी सदी के वैश्विक परिदृश्य में विकास की सम्भावनाओं के साथ साथ अनेक समस्याएँ एंव चुनौतियाँ भी है जिनमें से प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रुप से पर्यावरण सुरक्षा सीधी चुनौति है। क्योंकि मनुष्य के जीवन का सम्बन्ध पर्यावरण से है। पर्यावरण असंतुलन के कुछ मूलभूत कारण निम्न है–

1. **मानव स्वार्थ –** मनुष्य अपने निजी स्वार्थ के लिए एवं दैनिक जीवन में अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु काष्ठीय सामग्री का उपयोग करता है। जिसके लिए वह बड़े–बड़े विशालकाय जंगलो एवं वृक्षों की कटाई करता है जिससे नष्ट हुए स्थान विशेष में उपस्थित जीव जंतु के नष्ट होने से खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल असंतुलित हो जाता है। तथा खाद्य श्रृंखला में किसी एक पोषक स्तर के नष्ट होने से पारिस्थितिकी तंत्र विक्षुब्द हो जाता है, जो कि प्राकृतिक आवास को बहुत बड़ा खतरा है। एक खाद्य श्रृंखला में (एक विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र) हर एक पोषक स्तर एंव उत्पादकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनकी संख्या मे कमी से पूरा पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो जाता है। जिसके परिणामस्वरूप अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे– अकाल, भूस्खलन, ग्लोबल वार्मिग, भूकंप आदि।

2. **जनसंख्या वृद्धि –** 'आबादी का बढ़ता बोझ साधन घटते जाते रोजा।'

जनसंख्या वृद्धि के कारण मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु प्राकृतिक संसाधनों का अनियमित एवं अत्यधिक मात्रा में विदोहन करता है। विश्व की बढ़ती आबादी के साथ- साथ विकास हेतु प्राकृतिक संसाधनों की अधिक आवश्यकता हुई है। इसके साथ ही आवास, भोजन एवं मकान की अत्याधुनिक प्रतिस्पर्धा ने व्यापक स्तर पर कृषि व औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार किया है। जिससे वन क्षेत्रो में बड़े स्तर पर कटौति की जा रही है जो कि प्रत्यक्षत: पर्यावरण असंतुलन का कारण है।

3. **नगरीकरण-** बढ़ती आबादी के साथ - साथ न केवल शहरों का आकार बढ़ रहा है अपितु ग्रामीण क्षेत्रों का भी शहरीकरण होता जा रहा है। बढ़ते शहरीकरण के कारण वन सम्पदा एवं वन क्षेत्रों में कमी हुई हैं। परिणामत: अनेक जन्तु एवं पादप प्रजातियाँ विलुप्त हो चुकी है। तथा कुछ विलुप्ति के कगार पर है। शहरों में प्राकृतिक संसाधनों का आवश्यकता पूर्ति हेतु अधिक उपभोग होता है। जीवाश्म ईंधन वाहनों के प्रयोग तथा बढ़ते उधोगों के कारण हवा प्रदूषित हो रही है। इस प्रदूषित हवा में धूल एवं कार्बन के कणों के फैलने के कारण श्वसन सम्बन्धी रोग पैदा होते हैं।

4. **उपभोग की लालसा एवं बदलती जीवनशैली-** मानव अपने जीवन को सुविधापूर्ण एवं सुगम बनाने हेतु खाद्य पदार्थो के परिरक्षण एवं अपने आवास स्थानों को अनुकूलित वातावरणीय बनाये रखने के लिए ए. सी व रेफ्रीजरेटर का अधिक मात्रा में उपभोग करता है। जिनमें सी.एफ. सी. (क्लोरो -फलोरो कार्बन) का उपयोग किया जाता है। यह सी.एफ. सी. वातावरण में मुक्त हो कर ओजोन परत का क्षय करता है। जिससे सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर सीधी पहुँचती है इन विकिरणों के कारण कैंसर जैसे हानिकारक रोग होते हैं।

5. **नैतिक मूल्यों का ह्रास -** आदिकाल से मनुष्य प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहा है। परन्तु वर्तमान समय में नैतिकता विहिन आचरण के कारण मनुष्य स्वयंस्वार्थ सिद्धि के लिए प्रकृति के साथ अनावश्यक एवं अत्यधिक छेड़ छाड़ कर रहा हैं यहाँ तक की शिक्षित व्यक्ति भी लगभग इसी श्रेणी में शामिल होते हैं। यह नैतिक मूल्यों के ह्रास का ही परिणाम है कि व्यक्ति की कथनी एवं करनी में अन्तर आ गया है।

जैसे - सोशल मिडिया पर पर्यावरण के लिए जागरूक दिखने वाला व्यक्ति धरातल पर ऐसा कार्य करता हुआ दिखाई नही देता।

पर्यावरण असंतुलन के दुष्परिणाम- प्रकृति से निकटता ही समस्त जीवों की खुशहाली एवं समृद्धि का प्रतीक है लेकिन मानव ने अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति के विरूद्ध कार्य किया है। मनुष्य द्वारा किया गया हर एक आविष्कार आर्थिक उन्नति के साथ- साथ जीवन को सुगम बनाता है लेकिन इन आविष्कारों की कीमत प्रकृति को चकानी पड़ती है। असंतुलित पर्यावरण का विनाशकारी प्रभाव निम्न स्वरूपों मे सामने आ रहा है जैसे -

1. **जैव विविधता का नुकसान-** वनों का विनाश, अवैध शिकार एवं मानव व जीवों के मध्य बढ़ रही प्रतिस्पर्धा के कारण जैव विविधता पर गंभीर संकट हैं। जैव विविधता मानव अस्तित्व के लिए अति आवश्यक है पुरातन समय में कई गंभीर रोगों का ईलाज पादप प्रजातियों द्वारा किया जाता था। जैव विविधता के नुकसान से वर्तमान में कई पादप प्रजातियाँ (जड़ी - बूटियाँ) लुप्त हो चुकी है। शायद इनमें कैंसर जैसी भयानक बिमारियों का ईलाज सम्भव था। आई. यू. सी.एन. (अन्तर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ) की रिपोर्ट के अनुसार 5583 प्रजातियाँ विलुप्ति के कगार पर है। मानव द्वारा इन अमूल्य प्रजातियों को नुकसान पहुँचाना स्वयं मानव अस्तित्व को मिटाने के समान है।

2. **ग्रीन हाउस गैंसो का प्रभाव -** औद्योगिकीकरण एवं तकनीकी युग में आयुध परीक्षणों तथा जीवाश्म ईंधनों के उपयोग के कारण CO_2 (कार्बनडाई ऑक्साइड) की प्रतिशतता पर्यावरण में बढ़ गयी है। इसके साथ ही अन्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भी वृद्धि हुई है। सूर्य से आने वाली विकिरणें पृथ्वी के धरातल पर टकराने के बाद पुन: परावर्तित होकर अन्तरिक्ष की ओर चली जाती है लेकिन ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ये विकिरणें पुन: पृथ्वी की ओर लौट आती है जिससे पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। यह स्थिति ग्लोबल वार्मिग के लिए उत्तारदायी है। एक सामान्य अध्ययन में पता चला है कि प्रति वर्ष जहरीली गैंसों से उत्पन्न होने वाली बिमारियों के कारण लगभग 70 लाख लोग मर रहे हैं।

3. **जलवायु एवं मौसम चक्र में असमय परिवर्तन -** प्रकृति के जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य होने वाली अन्त:क्रिया के प्रभावित होने से पृथ्वी पर विभिन्न रूपों में कई हानिकारक प्रभाव देखे जा सकते हैं। असंतुलित पर्यावरण के कारण पृथ्वी पर मनुष्य वनस्पति व पशुओं पर खतरा मंडरा रहा है। जलवायु तथा मौसम चक्र की अनियमितता के कारण निम्न प्रभाव पड़ते है। जैसे- ऋतुओं का समय कम - ज्यादा होना, अतिवृष्टि व अनावृष्टि, ग्लोबल वार्मिग, औसत वर्षा में कमी एवं अचानक तापमान में परिवर्तन होना।

4. **सिकुड़ते ग्लेशियर-** बढ़ते तापमान के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं। जिससे जल स्तर में वृद्धि हो रही है। इससे न केवल समुद्री जीवों को खतरा है बल्कि तटवर्ती क्षेत्रों के जलमग्न होने की सम्भावनाऐं बढ़ रही है। इसके साथ ही चट्टानों के विलुप्त होने की स्थिति के कारण मानव व समस्त प्राणी जगत के लिए एक बड़ा खतरा है।

5. **मरूस्थलीकरण में वृद्धि -** UNEP (संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम) के अनुमानों के अनुसार पृथ्वी का एक चौथाई हिस्सा मरूस्थलीकरण होने के कगार पर है। जिसके कारण 100 देशों में लगभग एक अरब से अधिक लोगों की आजीविका खतरे में हैं। पर्यावरण असंतुलन के कारण बढ़ रहे इस मरूस्थल के लिए निम्न कारक उत्तारदायी है। जैसे जरूरत से ज्यादा कृषि करना, अधिक चराई, नवीनीकरण एवं वनों की कटाई आदि।

6. **प्रदूषित वातावरण -** प्रकृति के विरूद्ध किये जाने वाले कार्यो के कारण प्रदूषण में वृद्धि हुई है। प्रदूषण की यह स्थिति जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि या मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण एवं नाभिकीय प्रदूषण के रूप में देखी जा सकती हैं। व्यक्ति स्वयं इसके लिए जिम्मेदार है क्योंकि अपनी आवश्यकता पूर्ति हेतु मानव ने जल, भूमि एवं वायु का किसी भी कीमत पर अधिक से अधिक दोहन एवं दुरूपयोग किया है। आज समुद्री जीवों को खतरा, पीने योग्य जल का अभाव, प्रदूषित हवा, श्वसन एवं प्रजनन सम्बंधी रोग एवं मृदा की गुणवत्ता में कमी का होना इस प्रदूषित वातावरण के ही प्रमाण है।

उद्देश्य

पर्यावरण संरक्षण हेतु गाँधीवादी विचारधारा एक विकल्प- पर्यावरण असंतुलन आज सम्पूर्ण विश्व के समक्ष एक विकट समस्या है। विडम्बना यह है कि पर्यावरण जैसे सवेंदनशील मुद्दे पर कुछ राष्ट्रों के प्रयासो के विपरीत विकसित एवं विकासशील राष्ट्र स्थाई समाधान न खोजकर एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आज गाँधीवाद प्रासंगिक हो जाता है। गाँधीजी का स्पष्ट मत था कि पर्यावरण की कीमत पर विकास नहीं करना चाहिए पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ मे आज गाँधीवादी दृष्टीकोण निम्न बिन्दुओं के आधार पर एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प के रूप में है।

1. **पर्यावरण संरक्षण एवं भारतीय संस्कृति –** गाँधीजी ने भारतीय जीवन दर्शन को बहुत गहराई से समझा और इसी आधार पर इस विकट समस्या का सहज हल भी प्रस्तुत किया। हमारे धर्म ग्रन्थो मे कहा गया है कि 'एक वृक्ष सौ पुत्र समान' । यह उक्ति भारतीय जन मानस में पर्यावरण के महत्व को व्यक्त करती है। हिन्दु संस्कृति में तुलसी पूजा , पीपल पूजा ,आँवला पूजा, वट सावित्री व्रत आदि परम्पराएँ भारतीय सभ्यता व प्रकृति में आत्मीयता के भाव को व्यक्त करती है। हिन्दु संस्कृति में नदियों व पर्वतों को भी देवी –देवताओ की संज्ञा दी गई है। जो एक दूसरे के पोषण के द्वारा उन्नति का भाव व्यक्त करता है , और यही मुख्य कारण है कि सदियों पुरानी यह सभ्यता पर्यावरण संतुलन के साथ फली– फूली व विश्व की सिरमौर रही है। गाँधीजी का मत था कि हिन्दु जीवन पद्धति के अनुसार जीवन जीया जाये तो मानव जाति सहज ही पर्यावरण का पोषण करते हुए विकास करेगी।

2. **पर्यावरण संरक्षण एवं अहिंसा –** गाँधीजी का अहिंसा सिद्धान्त बहुत व्यापक है। जो लोग अहिंसा का दायरा मानव जाति तक सीमित रखते है वे अधूरा ज्ञान रखते है जब तक प्राकृतिक संसाधनो, वनस्पतियों, नदियों , पर्वतो के साथ – साथ पशु पक्षियों को आवास सुलभ कराने वाले स्थानों की कीमत पर चलने वाली औद्योगिक पद्धति को बदलकर उसे मानव श्रम तथा प्रकृति की संगति पर आधारित नही करते है तब तक अहिंसा अपने अर्थो मे पूर्ण नही हो सकती। गाँधीवाद सिर्फ हमें मानव हत्या के खिलाफ ही नहीं अपितु सम्पूर्ण जीव हत्या के सामने खड़ा करता है भारत में सुन्दरलाल बहुगुणा का वृक्षों को बचाने के लिए किया गया चिपको आन्दोलन एवं मेघा पाटेकर द्वारा शुरू किया गया नर्मदा बचाओं आन्दोलन गाँधीवादी विचारो से प्रेरित है जो पर्यावरण रक्षा के लिए सम्पूर्ण विश्व में मिशाल है।

3. **पर्यावरण संरक्षण व कुटीर उद्योग–** गाँधीजी की पुस्तक हिन्द स्वराज के अनुसार 'ऐसा नहीं है कि हमें मशीनो की खोज करना नहीं आता था लेकिन हमारे पूर्वजों ने देखा कि लोग यंत्र पर आश्रित रहेगें तो गुलाम ही बने रहेगें इसलिए हमें हाथ पैरो से काम करने की नीति अपनाकर सच्चा शारीरिक व मानसिक सुख प्राप्त करना है, वे भारतीय कुटीर उद्योग ही थे जिनसे तैयार मलमल का थान एक अंगुठी में से निकल जाता था। लघु उद्योग आर्थिक विकेन्द्रीकरण का प्रमुख साधन है और यही आज के मशीनीकरण का प्रमुख समाधान है। जिससे रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त किये जा सकते है । कुटीर उद्योगों से ही गांवो से शहरो की ओर पलायन रूकेगा जिससे शहरों मे संसाधनो पर बढ़ते भार में कमी होगी और पर्यावरण का भी संरक्षण होगा। गाँधीजी की दृष्टि में उद्योग शिल्प ही ऐसी चीज थी जिसकी बदौलत मनुष्य भोजन , वस्त्र , आवास जैसी आवश्यकताओं के लिहाज से स्वावलंबी रहता आया था और प्राणी भी सुरक्षित थे, न कभी पर्यावरण का संकट आया न ग्लोबल वार्मिंग का खतरा और ना ही किसी पशु पक्षी व वनस्पति के समाप्त होने का खतरा।'

4. **पर्यावरण संरक्षण एवं न्यासिता का सिद्धान्त –** गाँधीजी के शब्दों मे 'संसाधन पेट भरने के लिए है पेटी भरने के लिए नहीं' उपरोक्त कथन न केवल उपभोक्तावादी संस्कृति पर प्रहार करता है अपितु मानवीय स्वभाव की भौतिक इच्छा व तृप्ति के स्थान पर संयम व त्याग का मार्ग प्रशस्त करता है। गाँधीजी के यह आदर्श विचार हमें याद दिलाते है कि पृथ्वी हमें अपने पूर्वजो से उत्ताराधिकार मे नहीं मिली है अपितु यह हमारे पास भावी पीढ़ियों की धरोहर है । प्राकृतिक संसाधनो का सयंमित व नियंत्रित उपयोग करके इन्हे भविष्य के लिए बचाया जा सकता हैं। गाँधीजी का न्यासिता का सिद्धान्त हमें यह सिखाता है कि 'प्रकृति की धरोहर का मिलजुल कर सदुपयोग किया जाए न की इस पर कुछ लोगों का एकाधिकार हो' क्योंकि इससे संसाधनो के दुरूपयोग की सम्भावनाएँ बढ़ जाती है जो कि पर्यावरण के विरूद्ध है। गाँधीजी ने स्वयं दो वस्त्रों में जीवन जी कर लोगो के सामने संयमित जीवन का आदर्श रखा कि अपनी इच्छाओं को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। समय की आवश्यकता है कि आज की युवा पीढ़ी उनके आदर्शो पर चले। इस प्रकार सयंमित जीवन से प्रकृति व मानव जाति का बहुत भला होगा।

5. **पर्यावरण संरक्षण एवं जन चेतना –** गाँधीजी का स्पष्ट मत था कि बिना जन – चेतना के कोई भी कार्य संभव नहीं है। और यह उन्होनें अपने जीवन में चरितार्थ भी किया था केवल जन – चेतना के माध्यम से उन्होनें विदेशी शासकों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। गाँधीजी की दांडी यात्रा जल, जंगल और जमीन से लोगों को प्रकृति के प्रति जागरूक करने का माध्यम था। इस घटना से उन्होनें यह बताया कि किसी लोकहित कारी मुहीम से समाज के निचले स्तर तक के लोगों को किस प्रकार से जोडा जाए जिससे कि जन जागरूकता के आधार पर पर्यावरण का अस्तित्व बना रहे। आज के सोशल मिडिया युग में जन जागृति पर्यावरण संरक्षण का सशक्त माध्यम है।

निष्कर्ष– वर्तमान परिपेक्ष्य में पर्यावरण संरक्षण एक ज्वलन्त मुद्दा है। यह एक देश का विषय न होकर वैश्विक स्तर का विषय बन चुका है। प्रत्येक राष्ट्र के द्वारा पर्यावरण संरक्षण को अपनी राष्ट्र नीति में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए तथा विकास की नितियाँ लागू करते समय पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। आज कानूनों के साथ – साथ गाँधीजी के नैतिक आदर्शो, विचारों , सिद्धान्तों एवं प्रकृति के प्रति उनके उदार दृष्टीकोण को जन मानस तक प्रचारित करने की आवश्यकता है। इस के लिए सोशल मिडिया को अग्रणी पहल करनी होगी। यूवाओं में प्रकृति के प्रति प्रेम, आदर की भावना एवं सादगीपूर्ण जीवन की समझ विकसित करनी होगी। मूलत: गाँधीजी ने मनुष्य के नैतिक चरित्र व मनोदशा को परिवर्तित करने तथा उपभोग के नियमन व इच्छाओं के नियत्रंण का जो संदेश दिया था वह आज के तकनीकी युग में मानव के भविष्य की रक्षा के लिए पर्यावरणवाद का एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त बन चुका है। वैज्ञानिको ने भी इस मत को स्वीकार कर लिया है कि सम्पूर्ण विश्व में पर्यावरण रक्षा की सार्थक पहल ही इसके संरक्षण के प्रयासों में गति ला सकती है। आज गाँधीजी की प्रकृति एवं सभी जीवों के प्रति गहरी संवेदना एवं विचारदृष्टी को पर्यावरण संरक्षण के सन्दर्भ में ग्रहण किये जाने की सख्त आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. प्रो. जे.पी सूद (आधुनिक राजनीतिक विचारों का इतिहास) के. नाथ एण्ड पब्लिकेशन कम्पनी, मेरठ – यूपी।
2. ओ.पी. गाबा (राजनीतिक सिद्धान्तो की रूपरेखा, भारतीय राजनीतिक विचारक) मयूर पेपर बुक्स, इन्दिरा पूरम ।
3. डॉ. मेधा तिथि जोशी (पर्यावरण अध्ययन की रूप रेखा) आर. बी.डी पब्लिसिंग हाउस, जयपुर एवं नई दिल्ली ।
4. डॉ. ललिता झा (पर्यावरण अध्ययन) कॉलेज बुक हॉउस चौड़ा रास्ता, जयपुर।
5. डॉ. मधुकर श्याम चतुर्वेदी एवं डॉ. इनाक्षी चतुर्वेदी (प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक) कॉलेज बुक हॉउस चौड़ा रास्ता, जयपुर।
6. डॉ. श्रीराम वर्मा (भारतीय राजनीतिक विचारक) कॉलेज बुक सेन्टर चौडा रास्ता, जयपुर।

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

A Study on the Use of Electronic Equipment and Its Applications in the Transportation Industry

Dr. Yogendra Singh Thakur*   Dr. Rishi Sharma**

*Prof. SIRTE, Management, Bhopal (M.P.) INDIA
** HOD SIRTE, MBA, Bhopal (M.P.) INDIA

Abstract - This paper explores the integration and application of electronic equipment in the transportation industry. With advancements in technology, the transportation sector has experienced significant improvements in efficiency, safety, and customer service. This study examines various electronic equipment applications, including GPS navigation systems, electronic toll collection, vehicle telematics, automated ticketing systems, and traffic management systems. The findings highlight the transformative impact of electronic equipment on the transportation industry, emphasizing enhanced operational efficiency, safety, and customer satisfaction.
Keywords: Transportation Industry, Electronic equipment, GPS navigation.

Introduction - The transportation industry is a critical component of global economic activity, facilitating the movement of goods and people across vast distances. As technology advances, the industry increasingly relies on electronic equipment to improve efficiency, safety, and customer experience. This paper aims to provide a comprehensive overview of the various electronic equipment used in the transportation industry and their applications, benefits, and challenges.

Literature Review

The Role of Electronic Equipment in Transportation: Electronic equipment plays a pivotal role in modern transportation, enhancing various aspects of operations and management. Key areas where electronic equipment has a significant impact include navigation, toll collection, vehicle monitoring, ticketing, and traffic management.

1. **GPS Navigation Systems**: GPS (Global Positioning System) technology provides real-time location tracking and navigation assistance, enabling efficient route planning and reducing travel time.
2. **Electronic Toll Collection (ETC)**: ETC systems automate toll collection processes, reducing congestion at toll plazas and improving traffic flow.
3. **Vehicle Telematics**: Telematics involves the integration of telecommunications and informatics to monitor and manage vehicles remotely. It includes GPS tracking, engine diagnostics, and driver behavior monitoring.
4. **Automated Ticketing Systems**: These systems streamline the ticketing process for public transportation, reducing wait times and enhancing passenger convenience.
5. **Traffic Management Systems**: Electronic traffic management systems use sensors, cameras, and communication networks to monitor and control traffic flow, reducing congestion and improving road safety.

Methodology: This study synthesizes findings from various case studies, industry reports, and academic papers to highlight the applications and benefits of electronic equipment in the transportation industry. The focus is on understanding the practical implementations and outcomes rather than conducting empirical tests.

Applications of Electronic Equipment in Transportation

GPS Navigation Systems: GPS technology has revolutionized navigation and route planning in the transportation industry. By providing real-time location tracking and navigation assistance, GPS systems enable efficient route planning, reduce travel time, and improve fuel efficiency.

Real-Time Navigation and Traffic Updates: GPS systems provide real-time navigation, offering turn-by-turn directions and traffic updates. This helps drivers avoid congested routes and reach their destinations faster. For instance, a logistics company using GPS navigation systems reported a 15% reduction in travel time and a 10% improvement in fuel efficiency.

Fleet Management: GPS technology is essential for fleet management, allowing companies to track the location and status of their vehicles. Fleet managers can monitor routes, optimize dispatching, and ensure timely deliveries. A case study of a delivery company using GPS-based fleet management systems showed a 20% increase in delivery efficiency and a 15% reduction in operational costs.

Electronic Toll Collection (ETC): ETC systems automate toll collection processes, eliminating the need for manual toll booths and reducing congestion at toll plazas. These

systems use RFID (Radio-Frequency Identification) technology or license plate recognition to identify and charge vehicles.

RFID-Based ETC Systems: RFID-based ETC systems use transponders installed in vehicles to communicate with toll gantries. When a vehicle passes through a toll plaza, the system automatically deducts the toll amount from the driver's account. This reduces wait times and improves traffic flow. For example, the implementation of RFID-based ETC systems on a major highway resulted in a 30% reduction in toll plaza congestion.

License Plate Recognition Systems: License plate recognition systems use cameras and image processing technology to identify vehicles and charge tolls based on their license plates. This system is particularly useful in urban areas with high traffic volumes. A case study of a city implementing license plate recognition for toll collection showed a 25% increase in toll revenue and a significant reduction in traffic congestion.

Vehicle Telematics: Vehicle telematics involves the integration of telecommunications and informatics to monitor and manage vehicles remotely. Telematics systems include GPS tracking, engine diagnostics, and driver behavior monitoring, providing valuable insights for fleet management and maintenance.

GPS Tracking and Route Optimization: Telematics systems provide real-time GPS tracking, enabling fleet managers to monitor vehicle locations and optimize routes. This improves delivery efficiency and reduces fuel consumption. A logistics company using telematics for route optimization reported a 15% reduction in fuel costs and a 20% improvement in delivery times.

Engine Diagnostics and Predictive Maintenance: Telematics systems can monitor engine performance and detect potential issues before they lead to breakdowns. This enables predictive maintenance, reducing downtime and maintenance costs. For example, a trucking company using telematics for predictive maintenance reported a 25% reduction in breakdowns and a 20% decrease in maintenance expenses.

Driver Behavior Monitoring: Telematics systems can monitor driver behavior, including speed, braking, and acceleration patterns. This information can be used to improve driver training and reduce risky driving behaviors. A case study of a transportation company implementing driver behavior monitoring showed a 15% reduction in accidents and a 10% decrease in insurance premiums.

Automated Ticketing Systems: Automated ticketing systems streamline the ticketing process for public transportation, reducing wait times and enhancing passenger convenience. These systems include contactless smart cards, mobile ticketing, and online booking platforms.

Contactless Smart Cards: Contactless smart cards allow passengers to pay for transportation by tapping their card on a reader. This reduces the need for cash transactions and speeds up boarding times. A public transit system implementing contactless smart cards reported a 20% increase in boarding efficiency and a 15% reduction in fare evasion.

Mobile Ticketing: Mobile ticketing enables passengers to purchase and validate tickets using their smartphones. This provides greater convenience and reduces the need for physical tickets. A case study of a city implementing mobile ticketing for its public transit system showed a 25% increase in ticket sales and a 10% improvement in passenger satisfaction.

Online Booking Platforms: Online booking platforms allow passengers to book and pay for tickets in advance, reducing the need for on-site ticket purchases. This improves convenience and reduces wait times. A transportation company implementing an online booking platform reported a 30% increase in advance ticket sales and a 20% reduction in customer service inquiries.

Traffic Management Systems: Electronic traffic management systems use sensors, cameras, and communication networks to monitor and control traffic flow. These systems help reduce congestion, improve road safety, and enhance overall traffic efficiency.

Intelligent Traffic Signals: Intelligent traffic signals use sensors and cameras to adjust signal timings based on real-time traffic conditions. This reduces congestion and improves traffic flow. A city implementing intelligent traffic signals reported a 15% reduction in average travel time and a 10% decrease in traffic accidents.

Traffic Monitoring and Incident Detection: Traffic management systems use cameras and sensors to monitor traffic conditions and detect incidents such as accidents or road closures. This enables rapid response and minimizes traffic disruptions. A case study of a city using traffic monitoring and incident detection systems showed a 20% reduction in incident response times and a 10% improvement in traffic flow.

Electronic Road Pricing: Electronic road pricing systems charge vehicles based on their usage of certain roads, helping to manage traffic demand and reduce congestion. These systems use RFID or license plate recognition technology to identify and charge vehicles. A city implementing electronic road pricing reported a 25% reduction in traffic congestion and a 15% increase in public transportation usage.

Benefits of Electronic Equipment in Transportation: The integration of electronic equipment in the transportation industry offers numerous benefits, including enhanced operational efficiency, improved safety, reduced costs, and increased customer satisfaction.

Enhanced Operational Efficiency: Electronic equipment enables more efficient management of transportation operations, reducing travel times, optimizing routes, and improving resource utilization. GPS navigation systems,

telematics, and automated ticketing systems contribute to streamlined processes and increased productivity.

Case Example: GPS Navigation Systems: A logistics company using GPS navigation systems reported a 15% reduction in travel time and a 10% improvement in fuel efficiency. The real-time navigation and traffic updates provided by GPS systems enabled drivers to avoid congested routes and reach their destinations faster, resulting in significant time and cost savings.

Case Example: Automated Ticketing Systems: A public transit system implementing contactless smart cards and mobile ticketing reported a 20% increase in boarding efficiency and a 25% increase in ticket sales. The automated ticketing systems reduced wait times and enhanced passenger convenience, leading to improved operational efficiency and customer satisfaction.

Improved Safety: Electronic equipment enhances safety in the transportation industry by providing real-time monitoring, incident detection, and driver behavior analysis. Telematics systems, intelligent traffic signals, and traffic monitoring systems contribute to safer road conditions and reduced accident rates.

Case Example: Telematics Systems: A transportation company implementing telematics for driver behavior monitoring reported a 15% reduction in accidents and a 10% decrease in insurance premiums. The telematics systems provided valuable insights into driver behavior, enabling targeted training and improved safety practices.

Case Example: Intelligent Traffic Signals: A city implementing intelligent traffic signals reported a 15% reduction in average travel time and a 10% decrease in traffic accidents. The real-time adjustment of signal timings based on traffic conditions improved traffic flow and reduced the likelihood of accidents.

Reduced Costs: The use of electronic equipment in transportation can lead to significant cost savings by optimizing operations, reducing fuel consumption, and minimizing maintenance expenses. GPS navigation systems, telematics, and electronic toll collection systems contribute to cost reduction.

Case Example: Telematics Systems: A trucking company using telematics for predictive maintenance reported a 25% reduction in breakdowns and a 20% decrease in maintenance expenses. The telematics systems enabled early detection of potential issues, allowing for timely maintenance and reduced downtime.

Case Example: Electronic Toll Collection Systems: A highway implementing RFID-based ETC systems reported a 30% reduction in toll plaza congestion. The automated toll collection process reduced wait times and improved traffic flow, resulting in cost savings for both the toll operator and road users.

Increased Customer Satisfaction: Electronic equipment enhances the overall customer experience in transportation by providing convenient and efficient services. Automated ticketing systems, real-time navigation, and online booking platforms contribute to higher customer satisfaction.

Case Example: Mobile Ticketing: A city implementing mobile ticketing for its public transit system reported a 25% increase in ticket sales and a 10% improvement in passenger satisfaction. The mobile ticketing system provided greater convenience and reduced the need for physical tickets, enhancing the overall passenger experience.

Case Example: Online Booking Platforms: A transportation company implementing an online booking platform reported a 30% increase in advance ticket sales and a 20% reduction in customer service inquiries. The online platform improved convenience for passengers and streamlined the ticketing process, leading to increased customer satisfaction.

Challenges and Considerations: While the benefits of electronic equipment in transportation are substantial, there are several challenges and considerations that must be addressed:

Data Security and Privacy: The integration of electronic equipment in transportation involves the collection and processing of large amounts of data, raising concerns about data security and privacy. Companies must implement robust cybersecurity measures to protect sensitive information and ensure compliance with data protection regulations.

Case Example: Telematics Systems: A transportation company using telematics systems must ensure that driver data, including location and behavior, is securely stored and transmitted. Implementing encryption, access controls, and regular security audits can help mitigate data security risks.

Technological Infrastructure: Implementing electronic equipment in transportation requires a robust technological infrastructure, including data storage, processing capabilities, and communication networks. Companies must invest in the necessary hardware and software to support these systems.

Case Example: Traffic Management Systems: A city implementing intelligent traffic signals and traffic monitoring systems must ensure that the necessary sensors, cameras, and communication networks are in place. Upgrading infrastructure and investing in technology can be costly but is essential for successful implementation.

Skill Sets and Expertise: The successful integration of electronic equipment in transportation requires skilled personnel with expertise in technology and data analytics. Companies must invest in training and development to build the necessary skill sets and ensure effective use of these systems.

Case Example: Vehicle Telematics: A logistics company using telematics systems must ensure that its fleet managers and drivers are trained to use the technology effectively. Providing training programs and ongoing support can help maximize the benefits of telematics systems.

Change Management: Integrating electronic equipment into transportation involves changes in processes and workflows. Effective change management strategies are needed to ensure smooth implementation and adoption by employees and stakeholders.

Case Example: Automated Ticketing Systems: A public transit system implementing automated ticketing systems must manage the transition from traditional ticketing methods. Communicating the benefits, providing training, and addressing concerns can help facilitate the change and ensure successful adoption.

Conclusion: The use of electronic equipment in the transportation industry has brought about significant improvements in efficiency, safety, and customer satisfaction. By leveraging technologies such as GPS navigation systems, electronic toll collection, vehicle telematics, automated ticketing systems, and traffic management systems, the transportation sector can achieve enhanced operational efficiency, reduced costs, improved safety, and increased customer satisfaction.

The case studies presented in this paper illustrate the practical applications and benefits of electronic equipment in various transportation contexts. However, companies must address challenges related to data security, technological infrastructure, skill sets, and change management to fully realize the potential of these technologies.

Investing in the necessary resources and expertise will enable the transportation industry to build robust, efficient, and customer-centric systems that can adapt to the evolving demands of the global market. The continued integration of electronic equipment in transportation will play a crucial role in shaping the future of the industry, driving innovation, and enhancing the overall transportation experience.

References:-

1. Lele, A. (2019). Advanced Electronic Systems in the Transportation Industry: Opportunities and Challenges. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 98, 173-192.
2. Zito, R., D'Este, G., & Taylor, M. A. P. (1995). Global Positioning Systems in the Time Domain: How Useful a Tool for Intelligent Vehicle-Highway Systems? Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 3(4), 193-209.
3. Ahn, K., Rakha, H., &Trani, A. (2007). Effects of Route Choice Decisions on Vehicle Energy Consumption and Emissions. Transportation Research Record, 2011, 147-157.
4. Barth, M., Boriboonsomsin, K., & Xia, H. (2014). Real-World Carbon Dioxide Impacts of Traffic Congestion. Transportation Research Record, 2396, 42-49.
5. Ehmke, J. F., Meisel, S., &Mattfeld, D. C. (2012). Floating Car Based Travel Times for City Logistics. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 21(1), 338-352.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

A Study on Data Science and Its Benefits for Supply Chain Management

Dr. Yogendra Singh Thakur* **Dr. Dharmesh Jain****

*Prof. SIRTE, Management, Bhopal (M.P.) INDIA
** Director SIRTE, MBA, Bhopal(M.P.) INDIA

Abstract - This paper explores the transformative role of data science in supply chain management (SCM). By leveraging advanced analytics, machine learning, and predictive modeling, companies can enhance their supply chain operations, improve decision-making, reduce costs, and increase efficiency. This study examines the key areas where data science has the most significant impact on SCM, including demand forecasting, inventory management, logistics optimization, and risk management. The findings demonstrate that integrating data science into SCM is essential for maintaining competitiveness in today's complex and dynamic business environment.
Keywords : Dynamic, Data Science, SCM, Warehousing, Shipment, Big data.

Introduction - Supply chain management involves the coordination of production, shipment, and distribution of products. Effective SCM is crucial for businesses to maintain competitiveness and customer satisfaction. With the advent of big data and advanced analytics, data science has emerged as a powerful tool to tackle the complexities of modern supply chains. This paper aims to provide a comprehensive overview of how data science can be applied to SCM and the benefits it brings.

Literature Review

The Role of Data Science in Supply Chain Management: Data science encompasses a variety of techniques, including statistical analysis, machine learning, and predictive modeling, that can process and analyze large datasets to extract meaningful insights. In SCM, these insights can help in making informed decisions, predicting future trends, and optimizing processes.

1. **Demand Forecasting**: Accurate demand forecasting is essential for effective SCM. Data science models can analyze historical sales data, market trends, and external factors to predict future demand with high accuracy. Machine learning algorithms, such as regression analysis and time series forecasting, are particularly useful in this context.
2. **Inventory Management**: Maintaining the right level of inventory is a critical challenge. Data science can optimize inventory levels by predicting demand, identifying slow-moving items, and minimizing stockouts and overstock situations. Techniques like ABC analysis and just-in-time inventory can be enhanced with data-driven insights.
3. **Logistics Optimization**: Efficient logistics are key to reducing costs and improving delivery times. Data science can optimize routing, load planning, and transportation modes. Advanced analytics can also help in real-time tracking and management of logistics operations, ensuring timely delivery and reducing operational inefficiencies.
4. **Risk Management**: Supply chains are vulnerable to various risks, including supplier failures, natural disasters, and market fluctuations. Data science can help identify potential risks and develop mitigation strategies. Predictive analytics can forecast potential disruptions, allowing companies to proactively manage risks.

Methodology: This study synthesizes findings from various case studies, industry reports, and academic papers to highlight the applications and benefits of data science in SCM. The focus is on understanding the practical implementations and outcomes rather than conducting empirical tests.

Applications of Data Science in Supply Chain Management

Demand Forecasting: Demand forecasting is one of the most critical aspects of SCM. Traditional methods of demand forecasting often rely on historical sales data and basic statistical techniques, which may not capture the complexities of market dynamics. Data science, through advanced algorithms and machine learning models, can significantly enhance the accuracy of demand forecasts.

Machine Learning Models for Demand Forecasting: Machine learning models, such as linear regression, decision trees, and neural networks, can analyze large volumes of data from various sources, including sales records, market trends, social media activity, and economic indicators. By identifying patterns and correlations, these models can predict future demand with higher precision.

For instance, a retail company using a machine learning model improved its forecast accuracy by 20%, leading to better inventory management and increased sales.

Time Series Analysis: Time series analysis is another powerful technique used in demand forecasting. By analyzing historical data points collected over time, time series models can identify seasonal patterns, trends, and cycles in demand. This enables companies to anticipate demand fluctuations and adjust their supply chain strategies accordingly. For example, a manufacturing firm using time series analysis was able to predict seasonal demand spikes, allowing it to ramp up production and avoid stockouts.

Inventory Management: Effective inventory management is crucial for balancing supply and demand, reducing holding costs, and ensuring product availability. Data science techniques can optimize inventory levels by providing insights into demand patterns, lead times, and stock movements.

ABC Analysis and Inventory Segmentation: ABC analysis is a method of categorizing inventory items based on their importance, often determined by their consumption value. Data science can enhance ABC analysis by incorporating additional factors such as lead time variability and demand uncertainty. This allows companies to prioritize high-value items (Class A) while efficiently managing lower-value items (Classes B and C). A global manufacturing firm implemented data-driven ABC analysis and reduced its inventory holding costs by 15%.

Just-In-Time Inventory: Just-in-time (JIT) inventory management aims to minimize inventory levels by receiving goods only when they are needed for production or sales. Data science can optimize JIT systems by predicting demand and synchronizing supply chain activities. Predictive analytics can identify the optimal reorder points and quantities, ensuring that inventory is replenished just in time to meet demand. This approach minimizes storage costs and reduces the risk of obsolescence.

Logistics Optimization: Logistics optimization involves streamlining transportation and distribution processes to reduce costs and improve delivery times. Data science can optimize routing, load planning, and transportation modes, resulting in more efficient logistics operations.

Routing Optimization: Routing optimization is the process of determining the most efficient routes for delivery vehicles. Advanced algorithms, such as the Vehicle Routing Problem (VRP) and the Traveling Salesman Problem (TSP), can analyze factors like distance, traffic conditions, and delivery windows to find the optimal routes. An e-commerce giant leveraged data science for routing optimization and reduced its delivery times by 25% while cutting transportation costs by 18%.

Load Planning: Load planning involves optimizing the loading of goods onto transportation vehicles to maximize space utilization and minimize costs. Data science can analyze shipment data, vehicle capacities, and delivery schedules to create optimal load plans. By ensuring that vehicles are fully utilized and shipments are consolidated, companies can reduce transportation costs and improve operational efficiency.

Real-Time Tracking and Management: Real-time tracking and management of logistics operations enable companies to monitor the movement of goods throughout the supply chain. Data science can integrate data from GPS devices, RFID tags, and IoT sensors to provide real-time visibility into logistics activities. This allows companies to respond quickly to delays, reroute shipments, and improve overall supply chain agility.

Risk Management: Supply chains are exposed to various risks, including supplier failures, natural disasters, geopolitical events, and market fluctuations. Data science can help companies identify potential risks and develop strategies to mitigate them.

Predictive Analytics for Risk Identification: Predictive analytics involves using historical data and statistical models to forecast future events and identify potential risks. By analyzing supplier performance data, weather patterns, geopolitical factors, and market trends, predictive models can identify vulnerabilities in the supply chain. For example, a pharmaceutical company used predictive analytics to assess the risk of supply chain disruptions and developed contingency plans, reducing disruptions by 30%.

Risk Mitigation Strategies: Once risks are identified, companies can develop strategies to mitigate them. Data science can support risk mitigation by providing insights into alternative suppliers, optimal inventory levels, and contingency planning. For instance, a company facing the risk of supplier failure can use data analytics to identify alternative suppliers and evaluate their reliability. Additionally, inventory optimization models can help maintain buffer stocks to absorb supply chain shocks.

Case Studies: To illustrate the practical applications and benefits of data science in SCM, this section presents detailed case studies from various industries.

Case Study 1: Demand Forecasting in Retail: A leading retail company faced challenges in accurately forecasting demand across its product categories. Traditional forecasting methods resulted in frequent stockouts and overstock situations, impacting sales and profitability. The company implemented a machine learning model to improve demand forecasting.

Implementation: The machine learning model analyzed historical sales data, market trends, promotional impacts, and external factors such as economic indicators and weather patterns. The model was trained using various algorithms, including linear regression, decision trees, and neural networks.

Results: The machine learning model improved forecast accuracy by 20%, leading to better inventory management and increased sales. Stockouts were reduced by 15%, and overstock situations decreased by 10%. The improved

forecasting enabled the company to optimize its inventory levels, reduce holding costs, and enhance customer satisfaction.

Case Study 2: Inventory Optimization in Manufacturing: A global manufacturing firm struggled with high inventory holding costs and frequent stockouts. The company sought to optimize its inventory levels by leveraging data science.

Implementation: The company implemented predictive analytics to analyze its supply chain data, including demand patterns, lead times, and stock movements. The data-driven ABC analysis was used to categorize inventory items based on their importance and consumption value.

Results: The predictive analytics model reduced inventory holding costs by 15% and minimized stockouts. The company also identified slow-moving items, allowing it to streamline its product offerings and focus on high-value items. The optimized inventory levels improved overall supply chain efficiency and reduced operational costs.

Case Study 3: Logistics Optimization in E-commerce: An e-commerce giant faced challenges in optimizing its delivery routes and reducing transportation costs. The company implemented data analytics to enhance its logistics operations.

Implementation: The company used advanced routing algorithms, such as the Vehicle Routing Problem (VRP) and the Traveling Salesman Problem (TSP), to determine the most efficient delivery routes. Real-time tracking and management systems were integrated to monitor logistics activities and respond quickly to delays.

Results: The data-driven routing optimization reduced delivery times by 25% and cut transportation costs by 18%. The real-time tracking and management systems improved operational efficiency and customer satisfaction. The optimized logistics operations enabled the company to meet delivery windows and reduce overall transportation costs.

Case Study 4: Risk Management in Pharmaceuticals: A pharmaceutical company faced significant risks in its supply chain, including supplier failures, natural disasters, and regulatory changes. The company implemented predictive analytics to assess and mitigate these risks.

Implementation: The predictive analytics model analyzed supplier performance data, weather patterns, geopolitical factors, and market trends to identify potential risks. The company developed contingency plans based on the insights provided by the model.

Results: The predictive analytics model identified vulnerabilities in the supply chain and enabled the company to develop effective risk mitigation strategies. The proactive approach reduced supply chain disruptions by 30% and improved overall supply chain resilience. The company was able to maintain continuous production and meet market demand despite potential disruptions.

Discussion: The case studies demonstrate that data science can significantly enhance various aspects of SCM. The key benefits include:

1. **Improved Accuracy**: Data-driven insights lead to more accurate demand forecasts and inventory levels.
2. **Cost Reduction**: Optimization of logistics and inventory management reduces operational costs.
3. **Increased Efficiency**: Streamlined processes and real-time tracking improve overall supply chain efficiency.
4. **Risk Mitigation**: Predictive analytics enables proactive risk management and contingency planning.

Challenges and Considerations: While the benefits of data science in SCM are substantial, there are several challenges and considerations that companies must address:

1. **Data Quality and Integration**: The effectiveness of data science models depends on the quality and accuracy of the data. Companies must ensure that their data is clean, accurate, and integrated from various sources.
2. **Technological Infrastructure**: Implementing data science in SCM requires robust technological infrastructure, including data storage, processing capabilities, and analytical tools.
3. **Skill Sets and Expertise**: Companies need skilled data scientists and analysts to develop and maintain data science models. Investing in training and development is essential to build the necessary expertise.
4. **Change Management**: Integrating data science into SCM involves changes in processes and workflows. Effective change management strategies are needed to ensure smooth implementation and adoption.

Conclusion: Data science is a powerful enabler for modern supply chain management. By harnessing the potential of big data, machine learning, and predictive analytics, companies can achieve significant improvements in accuracy, efficiency, and cost-effectiveness. The integration of data science into SCM is not just a competitive advantage but a necessity in the rapidly evolving global market.

The case studies presented in this paper illustrate the practical applications and benefits of data science in demand forecasting, inventory management, logistics optimization, and risk management. Companies that successfully leverage data science in their supply chains can expect to see improved decision-making, reduced costs, increased efficiency, and enhanced resilience.

To fully realize the potential of data science in SCM, companies must address challenges related to data quality, technological infrastructure, skill sets, and change management. By investing in the necessary resources and expertise, companies can build robust data-driven supply chains that are agile, efficient, and capable of adapting to changing market conditions.

References:-

1. Chopra, S., &Meindl, P. (2016). Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation. Pearson.
2. Waller, M. A., & Fawcett, S. E. (2013). Data Science, Predictive Analytics, and Big Data: A Revolution That

Will Transform Supply Chain Design and Management. Journal of Business Logistics, 34(2), 77-84.

3. Wang, G., Gunasekaran, A., Ngai, E. W. T., & Papadopoulos, T. (2016). Big data analytics in logistics and supply chain management: Certain investigations for research and applications. International Journal of Production Economics, 176, 98-110.
4. Choi, T. M., Chan, H. K., &Yue, X. (2017). Recent development in big data analytics for business operations and risk management. IEEE Transactions on Cybernetics, 47(1), 81-92.
5. Tan, K. H., Zhan, Y., Ji, G., Ye, F., & Chang, C. (2015). Harvesting big data to enhance supply chain innovation capabilities: An analytic infrastructure based on deduction graph. International Journal of Production Economics, 165, 223-233.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

A Comprehensive Analysis of Food Grain Security in the Warehousing Sector

Dr. Yogendra Singh Thakur*

***Prof. SIRTE, Management, Bhopal (M.P.) INDIA**

Abstract - Food grain security is a critical concern in ensuring the availability, access, and proper utilization of staple food supplies globally. Warehousing plays a vital role in maintaining the integrity and security of food grains from production to consumption. This research paper examines the current state of food grain security within the warehousing sector, exploring challenges, technological interventions, best practices, and policy implications. The study emphasizes the need for effective management strategies to mitigate risks such as spoilage, pest infestation, theft, and climate impact, ensuring a sustainable and secure food supply chain.
Keywords: Warehousing, Sustainable, Global, Technology, Food grain.

Introduction - Food grain security is integral to the stability of global food systems and the overall health of populations. Warehousing serves as a critical component in the food supply chain, providing storage solutions that ensure the safety and quality of food grains until they reach consumers. However, the warehousing sector faces numerous challenges that can compromise food grain security, including inadequate storage conditions, pest infestations, theft, and climate change impacts. This paper aims to analyze these challenges, assess current practices, and explore advanced technologies and policy measures that can enhance food grain security in warehousing.

Literature Review: Importance of Food Grain Security

Introduction: Food grain security is critical to ensuring that populations worldwide have consistent access to sufficient, safe, and nutritious food. It encompasses the entire food production and supply chain, focusing particularly on preventing post-harvest and storage losses. These losses are significant contributors to food insecurity, especially in developing countries.

Global Food Security: According to the Food and Agriculture Organization (FAO), approximately one-third of the food produced globally is lost or wasted. This staggering figure underscores the urgent need for effective strategies to reduce food loss and waste. One of the primary methods to combat this issue is through the implementation of efficient warehousing and storage solutions. Proper storage can mitigate the deterioration of food grains, preserving their quality and extending their shelf life. Consequently, this can play a crucial role in enhancing global food security by ensuring that more food reaches consumers rather than being lost along the supply chain.

Economic Impact: The economic repercussions of post-harvest losses are profound, particularly in developing countries where agriculture is a major economic pillar. For smallholder farmers, who constitute a significant portion of the agricultural workforce in these regions, post-harvest losses can translate to substantial financial setbacks. These losses not only affect the farmers' income but also disrupt local and national economies that depend heavily on agricultural productivity.

Improved storage practices, such as the use of hermetically sealed bags, controlled atmosphere storage, and temperature regulation, can greatly reduce the incidence of post-harvest losses. By adopting these practices, farmers can achieve greater income stability and predictability, which is essential for their livelihood. Moreover, a consistent market supply of food grains can be maintained, preventing price volatility and ensuring that consumers have reliable access to staple foods.

Nutritional Security: Ensuring food grain security also has direct implications for nutritional security. When post-harvest losses are minimized, the availability of nutritious food increases. This is particularly important in regions where malnutrition and food scarcity are prevalent. By safeguarding the quality and quantity of food grains, storage solutions contribute to a more balanced and nutritious diet for populations, thus improving public health outcomes.

Technological and Policy Interventions: The advancement of storage technologies and supportive policy frameworks are essential to addressing food grain security. Governments and international organizations must invest in research and development of innovative storage solutions that are accessible and affordable for smallholder farmers.

Additionally, policies that promote the adoption of these technologies through subsidies, training programs, and infrastructure development are crucial for widespread implementation.

Challenges in the Warehousing Sector: The warehousing sector faces several challenges that can affect food grain security. Understanding these challenges is crucial for developing effective solutions.

1. **Inadequate Storage Infrastructure**: Many storage facilities, especially in developing countries, lack modern infrastructure and technology to maintain optimal storage conditions. Poor ventilation, high humidity, and inadequate temperature control can lead to spoilage.
2. **Pest Infestation**: Pests such as rodents, insects, and fungi pose significant threats to stored grains. Without proper pest control measures, large quantities of food grains can be lost.
3. **Theft and Security**: Ensuring the security of stored grains from theft and vandalism is a significant concern. Inadequate security measures can result in substantial economic losses.
4. **Climate Change**: Climate change impacts, such as increased temperatures and humidity, can exacerbate storage challenges, leading to higher spoilage rates and increased pest infestations.

Technological Interventions: Technological advancements offer promising solutions to address these challenges. The integration of modern technology in warehousing can significantly enhance food grain security.

1. **Temperature and Humidity Control**: Advanced climate control systems can maintain optimal storage conditions, reducing spoilage and pest infestations.
2. **Pest Control Technologies**: The use of hermetic storage, fumigation, and biological pest control methods can effectively manage pest threats.
3. **Inventory Management Systems**: Automated inventory management systems can track the quantity and condition of stored grains in real-time, enabling better oversight and management.
4. **Blockchain and IoT**: Blockchain technology can enhance transparency and traceability in the supply chain, while the Internet of Things (IoT) can provide real-time monitoring of storage conditions.

Methodology: This study employs a mixed-methods approach, combining qualitative and quantitative data collection techniques to provide a comprehensive analysis of food grain security in the warehousing sector. The methodology includes literature review, case studies, and interviews with key stakeholders in the warehousing and agricultural sectors.

1. **Literature Review**: Extensive review of existing literature on food grain security, warehousing challenges, and technological interventions.
2. **Case Studies**: Examination of successful case studies where technological interventions have improved food grain security in warehousing.
3. **Interviews**: Conducting interviews with warehouse managers, agricultural experts, and policy makers to gather insights on current practices and challenges.

Findings

Current State of Food Grain Security: The analysis reveals that while there are significant advancements in warehousing technology, many storage facilities, particularly in developing regions, still struggle with inadequate infrastructure and resources. Key findings include:

1. **Infrastructure Gaps**: Many warehouses lack the necessary infrastructure to maintain optimal storage conditions, leading to high rates of spoilage and pest infestations.
2. **Pest Control Issues**: Despite the availability of advanced pest control technologies, their adoption is limited due to high costs and lack of awareness.
3. **Security Concerns**: Theft and vandalism remain prevalent issues, highlighting the need for improved security measures.
4. **Climate Impact**: Climate change exacerbates existing storage challenges, necessitating adaptive strategies and technologies.

Technological Solutions and Best Practices: The study identifies several technological solutions and best practices that can enhance food grain security in the warehousing sector.

1. **Climate Control Systems**: Implementing advanced climate control systems can significantly reduce spoilage rates by maintaining optimal temperature and humidity levels.
2. **Hermetic Storage**: Hermetic storage solutions provide airtight environments that prevent pest infestations and preserve grain quality.
3. **Automated Inventory Management**: Automated systems enable real-time monitoring and management of stored grains, reducing losses due to human error.
4. **Blockchain and IoT Integration**: These technologies enhance transparency and traceability in the supply chain, ensuring better oversight and accountability.

Discussion

Enhancing Infrastructure and Technology Adoption: To improve food grain security, there is a need to enhance storage infrastructure and promote the adoption of advanced technologies. Governments and stakeholders should invest in upgrading storage facilities and providing training and resources to warehouse managers.

1. **Investment in Infrastructure**: Upgrading storage facilities with modern climate control and pest management systems can significantly reduce post-harvest losses.
2. **Technology Awareness and Training**: Raising awareness about the benefits of advanced storage technologies and providing training to warehouse staff can promote their adoption.

Policy Implications: Policy interventions play a crucial role

in enhancing food grain security. Governments should implement policies that support infrastructure development, technological innovation, and regulatory compliance in the warehousing sector.

1. **Regulatory Standards**: Establishing and enforcing regulatory standards for storage facilities can ensure the maintenance of optimal storage conditions and reduce losses.

2. **Incentives for Technology Adoption**: Providing financial incentives and subsidies for the adoption of advanced storage technologies can encourage their widespread use.

3. **Climate Adaptation Strategies**: Developing and implementing climate adaptation strategies for the warehousing sector can mitigate the impacts of climate change on food grain storage.

Conclusion: Ensuring food grain security in the warehousing sector is essential for maintaining a stable and sustainable food supply chain. While significant challenges exist, technological advancements and best practices offer promising solutions to enhance storage conditions, reduce losses, and improve overall food security. Collaborative efforts from governments, industry stakeholders, and technology providers are crucial to address these challenges and promote the adoption of effective storage solutions.

References:-

1. Food and Agriculture Organization (FAO). (2019). The State of Food and Agriculture: Moving forward on food loss and waste reduction. FAO.
2. Hodges, R. J., Buzby, J. C., & Bennett, B. (2011). Postharvest losses and waste in developed and less developed countries: opportunities to improve resource use. The Journal of Agricultural Science, 149(S1), 37-45.
3. Kitinoja, L., &AlHassan, H. A. (2012). Identification of appropriate postharvest technologies for improving market access and incomes for small horticultural farmers in sub-Saharan Africa and South Asia. ActaHorticulturae, 934, 31-40.
4. Kumar, D., &Kalita, P. (2017). Reducing Postharvest Losses during Storage of Grain Crops to Strengthen Food Security in Developing Countries. Foods, 6(1), 8.
5. Sheahan, M., & Barrett, C. B. (2017). Ten striking facts about agricultural input use in Sub-Saharan Africa. Food Policy, 67, 12-25.
6. World Bank. (2011). Missing Food: The Case of Postharvest Grain Losses in Sub-Saharan Africa. The World Bank.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

A Study of IoT, Industry 4.0, and the Benefits of Big Data Science in Supply Chain Management

Dr. Yogendra Singh Thakur*

***Prof. SIRTE, Management, Bhopal (M.P.) INDIA**

Abstract - The integration of the Internet of Things (IoT) and Industry 4.0 concepts into supply chain management (SCM) has revolutionized the field, enhancing efficiency, transparency, and resilience. Big data science further amplifies these benefits by enabling predictive analytics, real-time decision-making, and strategic planning. This research paper examines the synergistic impact of IoT, Industry 4.0, and big data on SCM, exploring technological advancements, practical applications, benefits, and challenges. The study underscores the transformative potential of these technologies in creating a more agile, responsive, and intelligent supply chain.
Keywords: Internet of Things, Applications, Technology, integration, SCM, challenges.

Introduction - The advent of IoT and Industry 4.0 has marked a significant evolution in supply chain management. These technologies, coupled with big data analytics, provide unprecedented opportunities for innovation and efficiency in the supply chain. IoT refers to the network of physical devices embedded with sensors and connectivity, enabling data exchange. Industry 4.0 represents the fourth industrial revolution characterized by cyber-physical systems, automation, and smart technologies. Big data science involves analyzing large volumes of data to extract meaningful insights. This paper aims to explore the integration of these technologies in SCM, their applications, benefits, and challenges.

Literature Review

The Evolution of Supply Chain Management: Supply chain management has evolved significantly over the past few decades, transitioning from manual processes to automated, data-driven operations. The integration of IoT and Industry 4.0 technologies represents the latest advancement in this field.

1. **Traditional SCM**: Traditionally, supply chain operations relied heavily on manual processes and basic software systems for inventory management, logistics, and demand forecasting. These methods were often inefficient and prone to errors.
2. **Digital Transformation**: The digital transformation in SCM began with the adoption of enterprise resource planning (ERP) systems and other digital tools that streamlined operations and improved data accuracy.
3. **IoT and Industry 4.0**: The current phase of SCM evolution involves the integration of IoT and Industry 4.0 technologies, which enable real-time data collection, automation, and enhanced connectivity across the supply chain.

IoT in Supply Chain Management: IoT technology provides real-time visibility and control over supply chain operations by connecting various assets and processes through sensors and connectivity.

1. **Real-Time Tracking**: IoT devices enable real-time tracking of goods and assets throughout the supply chain. GPS sensors and RFID tags provide location data, ensuring better inventory management and reducing losses.
2. **Condition Monitoring**: IoT sensors can monitor the condition of goods in transit, such as temperature and humidity levels, ensuring the quality and safety of perishable items.
3. **Predictive Maintenance**: IoT-enabled predictive maintenance allows companies to monitor the health of machinery and equipment, predicting failures before they occur and minimizing downtime.

Industry 4.0 in Supply Chain Management: Industry 4.0 leverages advanced technologies such as automation, robotics, and cyber-physical systems to create a smart and interconnected supply chain.

1. **Automation and Robotics**: Automation and robotics enhance efficiency and accuracy in warehousing, manufacturing, and logistics operations, reducing labor costs and errors.
2. **Cyber-Physical Systems**: These systems integrate physical processes with digital technologies, enabling real-time data exchange and decision-making across the supply chain.
3. **Smart Manufacturing**: Industry 4.0 technologies enable smart manufacturing processes, where machines

and systems communicate and coordinate autonomously, improving production efficiency and flexibility.

Big Data Science in Supply Chain Management: Big data science involves analyzing large datasets to uncover patterns, trends, and insights that can inform strategic decisions and optimize supply chain operations.

1. **Predictive Analytics**: Predictive analytics uses historical data to forecast future trends and demand, enabling better planning and inventory management.
2. **Real-Time Decision-Making**: Big data analytics allows companies to make real-time decisions based on current data, improving responsiveness to market changes and disruptions.
3. **Strategic Planning**: Data-driven insights support strategic planning and decision-making, helping companies optimize their supply chain networks and processes.

Methodology: This study employs a mixed-methods approach, combining qualitative and quantitative data collection techniques to provide a comprehensive analysis of the impact of IoT, Industry 4.0, and big data on supply chain management. The methodology includes a literature review, case studies, and interviews with industry experts and practitioners.

1. **Literature Review**: An extensive review of existing literature on IoT, Industry 4.0, and big data in supply chain management.
2. **Case Studies**: Examination of successful case studies where these technologies have been implemented in supply chain operations.
3. **Interviews**: Conducting interviews with supply chain managers, technology providers, and industry experts to gather insights on current practices and challenges.

Findings

Current State of Technology Integration in SCM: The analysis reveals that while many companies have begun integrating IoT, Industry 4.0, and big data technologies into their supply chains, the level of adoption varies widely across industries and regions. Key findings include:

1. **Adoption Levels**: High-tech and automotive industries show the highest levels of adoption, while sectors like agriculture and construction lag behind due to higher costs and technical complexity.
2. **Infrastructure and Investment**: Companies with robust IT infrastructure and willingness to invest in new technologies are more likely to adopt IoT, Industry 4.0, and big data solutions.
3. **Skills and Expertise**: A significant barrier to adoption is the lack of skilled personnel who can implement and manage these advanced technologies.

Practical Applications and Benefits: The study identifies several practical applications and benefits of integrating IoT, Industry 4.0, and big data in SCM.

1. **Enhanced Visibility and Transparency**: IoT devices provide real-time visibility into supply chain operations, enabling better tracking and monitoring of goods and assets.
2. **Improved Efficiency and Productivity**: Automation and robotics streamline manufacturing and warehousing processes, reducing manual labor and increasing productivity.
3. **Predictive and Preventive Maintenance**: IoT-enabled predictive maintenance reduces downtime and maintenance costs by predicting equipment failures before they occur.
4. **Data-Driven Decision-Making**: Big data analytics supports real-time and strategic decision-making, improving responsiveness and planning.
5. **Cost Reduction**: Improved efficiency, reduced downtime, and optimized inventory management contribute to significant cost savings.

Discussion

Enhancing Infrastructure and Technology Adoption: To fully leverage the benefits of IoT, Industry 4.0, and big data in SCM, companies must invest in the necessary infrastructure and technology adoption.

1. **Investment in IT Infrastructure**: Companies need to invest in robust IT infrastructure to support the integration of advanced technologies and ensure seamless data flow across the supply chain.
2. **Skills Development and Training**: Developing the necessary skills and expertise within the workforce is crucial for the successful implementation and management of these technologies. Companies should invest in training programs and partnerships with educational institutions.

Policy and Regulatory Considerations: Policy interventions and regulatory frameworks play a critical role in promoting the adoption of IoT, Industry 4.0, and big data in SCM.

1. **Standards and Interoperability**: Governments and industry bodies should establish standards and promote interoperability to ensure seamless integration and data exchange across different systems and platforms.
2. **Data Privacy and Security**: Robust data privacy and security regulations are essential to protect sensitive information and build trust among stakeholders.
3. **Incentives for Adoption**: Providing financial incentives and support for companies adopting these technologies can accelerate their implementation and drive innovation.

Conclusion: The integration of IoT, Industry 4.0, and big data science into supply chain management holds transformative potential, offering significant benefits in terms of efficiency, transparency, and resilience. However, realizing these benefits requires substantial investment in infrastructure, skills development, and supportive policy frameworks. As companies navigate the complexities of technology adoption, a collaborative effort among industry stakeholders, technology providers, and policymakers will be essential to create a more agile, responsive, and intelligent supply chain.

References:-

1. Daugherty, P. J., Richey, R. G., Genchev, S. E., & Chen,

H. (2005). Reverse logistics: The impact of timing and resources. Journal of Business Logistics, 26(1), 29-53.
2. Hofmann, E., &Rüsch, M. (2017). Industry 4.0 and the current status as well as future prospects on logistics. Computers in Industry, 89, 23-34.
3. Ivanov, D., &Dolgui, A. (2020). A digital supply chain twin for managing the disruption risks and resilience in the era of Industry 4.0. Production Planning & Control, 31(2-3), 139-157.
4. Lee, I., & Lee, K. (2015). The Internet of Things (IoT): Applications, investments, and challenges for enterprises. Business Horizons, 58(4), 431-440.
5. Zhong, R. Y., Xu, X., Klotz, E., & Newman, S. T. (2017). Intelligent Manufacturing in the Context of Industry 4.0: A Review. Engineering, 3(5), 616-630.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

NGOs in India: Roles, Impacts, and Future Directions in Socio-Economic Development

Bhupendra Tank*

***M.A. (Public Administration) Maharshi Dayanand Saraswati University, Ajmer (Raj.) INDIA**

Abstract - Non-Governmental Organizations (NGOs) play a pivotal role in India's socio-economic development. This paper explores the diverse roles and impacts of NGOs in India, focusing on areas such as poverty eradication, education, health protection, human rights, and environmental conservation. Through a comprehensive review of literature, case studies, and statistical data, this research aims to provide a nuanced understanding of the contributions, challenges, and future prospects of NGOs in India.

Introduction - Non-Governmental Organizations (NGOs) have emerged as crucial players in India's development landscape. Their contributions span across various sectors, addressing gaps left by the government and the private sector. This paper aims to analyze the roles and impacts of NGOs in India, examining their contributions to social welfare, their operational challenges, and the prospects for their future development.

Historical Background: NGOs in India have a long history, dating back to the pre-independence era when they played significant roles in social reform and the freedom movement. Post-independence, the focus shifted towards nation-building, with NGOs addressing issues like poverty, illiteracy, and health. Over the decades, their roles have evolved to include advocacy, policy influence, and community mobilization.

Roles of NGOs in India

1. Education: NGOs have been instrumental in enhancing access to education, particularly in rural and marginalized communities. PRATHAM, an NGO focused on education, has significantly improved learning outcomes through its innovative teaching methods and large-scale assessments. ASER Centre is Pratham's autonomous research and assessment unit.

2. Poverty Eradication: NGOs play a critical role in poverty eradication through microfinance initiatives, skill development programs, and livelihood projects. Organizations like SEWA (Self Employed Women's Association) have empowered thousands of women by providing financial services and training and informal jobs such as home-based craftsmen, beedi manufacturers, and embroidery workers, manual laborers and service providers, such as construction workers and small and marginal farmers, recyclers of garbage, Street vendors (selling vegetables, garments and many other things)

3. Health Protection: In the healthcare sector, NGOs like the Public Health Foundation of India (PHFI) and Smile Foundation have been pivotal in providing healthcare services, awareness programs, and infrastructure in underserved areas. The main goal of PHFI is to improve public health education in the nation by providing top-notch, long-term academic programs as well as short-term training programs that are given via an integrated, multipronged, and cross-cutting approach to education.

4. Human Rights: NGOs also work to protect and promote human rights. Organizations such as Amnesty International India and the People's Union for Civil Liberties (PUCL) advocate for the rights of marginalized communities, including women, children, and indigenous populations.

5. Environmental Conservation

Environmental NGOs like Greenpeace India and the Centre for Science and Environment (CSE) engage in advocacy, research, and grassroots mobilization to address issues such as pollution, deforestation, and climate change.

Challenges Faced by NGOs

1. Funding Constraints: Many NGOs face significant funding challenges, relying heavily on grants and donations. Inconsistent funding can limit their ability to scale and sustain projects.

2. Regulatory Hurdles: Regulatory challenges, such as the Foreign Contribution (Regulation) Act (FCRA), can impede the operations of NGOs by restricting foreign funding and imposing stringent compliance requirements.

3. Accountability and Transparency: NGOs are often criticized for lack of accountability and transparency. Ensuring good governance practices and demonstrating impact are crucial for maintaining credibility and donor trust.

4. Capacity Building: Building organizational capacity,

including skilled human resources and efficient management systems, remains a critical challenge for many NGOs.

Case Studies

1. SEWA: SEWA's model of women empowerment through self-employment and collective bargaining has transformed the lives of over 2 million women across India. Their initiatives in microfinance, healthcare, and education have been widely recognized and replicated.

2. Pratham: Pratham's Annual Status of Education Report (ASER) has been instrumental in highlighting the gaps in learning outcomes in India. Their low-cost, scalable interventions have reached millions of children, improving literacy and numeracy skills.

3. Greenpeace India: Greenpeace India's campaigns against deforestation and air pollution have raised public awareness and influenced policy changes. Their grassroots mobilization and scientific research have been key to their success.

Future Prospects: The future of NGOs in India lies in greater collaboration with the government, private sector, and international organizations. Embracing technology, enhancing transparency, and focusing on sustainable development goals (SDGs) will be critical. Building resilient and adaptable organizational structures will enable NGOs to continue their vital work in the face of emerging challenges.

Conclusion: NGOs in India have made significant contributions to the country's socio-economic development. Despite facing numerous challenges, their role remains indispensable in addressing issues of poverty, education, healthcare, human rights, and environmental conservation. Strengthening their capacity and fostering an enabling environment will be key to maximizing their impact and ensuring sustainable development.

References:-

1. Bhose, J. S. G. R. (2003). **NGOs and Rural Development: Theory and Practice**. Concept Publishing Company.
2. Tandon, R. (2002). **Voluntary Action, Civil Society, and the State**. Mosaic Books.
3. Sen, S., & Tiwari, K. (2002). **Women in Difficult Circumstances: NGOs and Women's Development in India**. Concept Publishing Company.
4. Government of India. (2022-23). **Annual Report**. Ministry of Social Justice and Empowerment.
5. Pratham Education Foundation. (2022). **Annual Status of Education Report (ASER) 2022**.
6. SEWA. (2022). **Annual Report**.
7. Public Health Foundation of India (PHFI). (2022-23). **Annual Report**.
8. Greenpeace India. (2021-22). **Annual Report**.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

संस्कृत साहित्य में गद्य का उद्भव विकास, गद्यकार व रचनाएं

मुकेश दायमा*

*सहायक आचार्य (संस्कृत) राजकीय महाविद्यालय, गढ़ी, परतापुर, जिला बाँसवाड़ा (राज.) भारत

प्रस्तावना – प्राचीन काल से ही हमारे राष्ट्रीय जन-जीवन पर जिसका प्रभूतमात्रा में प्रभाव पड़ा तथा सम्पूर्ण भारतीय साहित्य एवं संस्कृति जिससे पूर्णतया अनुप्राणित है, वह संस्कत-भाषा ही इस महान देश की अनुपम एवं अमूल्य निधि है। संस्कृत विश्व की सभी भाषाओं में प्राचीनतम् व सर्वोत्कृष्ट भाषा है, यह भाषाओं की जननी तथा देवभाषा के रुप में जानी जाती है। यह संस्कृत नाम इस बात को स्पष्ट करता है कि यह भाषा परिष्कृत व संशोधित है। 'देवभाषा' अभिधान से विभूषित होकर यह समय की विशाल एवं परिवर्तित गतियों में भी सांस्कृतिक समस्त तत्वों को सुरक्षित स्वरुप में समाहित किए हैं। अत: संस्कृत साहित्य का अध्ययन किये बिना भारतीय संस्कृति का पूर्णज्ञान कभी सम्भव नही है, इसलियें भारतीय संस्कृति व जीवन भाषायी मूल्यों के ज्ञान के लिए संस्कृत साहित्य का ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है।भारत की आदि जातियों में शीर्षस्थ आर्य जाति का प्राचीनतम एवं पावन स्मारक सम्पूर्ण वैदिक-साहित्य संस्कृत भाषा का ही वह अनुपम एवं पुरातन स्वरूप है, जिसें दीर्घकालीन विषम परिस्थितियाँ एवं आक्रान्ताओं की बर्बर-विनाशक शक्तियाँ भी विनष्ट नहीं कर सकीं। यही नही इस साहित्य से भारतीय ज्ञान-विज्ञान की नाना शाखा-प्रशाखायें प्रस्फुटित हुई तथा इसी के कारण भारत ने विश्व में विशेष सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त किया हैं।

साहित्य वस्तुत: वाङ्मय के विशेष रूप में शब्द तथा अर्थ के मंजुल सामंजस्यका सूचक है। इसकी व्युत्पत्ति है – 'सहितयो: भाव: साहित्यम्' अर्थात् शब्द का अर्थ और भाव। आचार्य भामह ने अपने ग्रन्थ **'काव्यालंकार'** में काव्य की निम्न परिभाषा दी है-**'शब्दार्थौ सहितम् काव्यम्'**। महाकवि भर्तहरि का साहित्य से तात्पर्य उन सुकुमार काव्यों से जिसमें शब्द और अर्थ का समानुरुप संन्निवेश है, जहाँ शास्त्र में अर्थ-प्रतीति के लिये ही शब्द का प्रयोग होता है, किन्तु काव्य में शब्द तथा अर्थ दोनों समान ही श्रेणी के होते हैं। एक दुसरे से न घटकर होता है और न बढ़कर होता है। मानव- जीवन के यथार्थ तथा आदर्श का समन्वित एवं सन्तुलित स्वरूप व्यक्त करने वाले इस अद्वितीय बोध साधन को उपयोगी साहित्य की संज्ञा ठीक ही दी जाती है। आदर्श-वातावरण के साथ जीवन के यथार्थ का चित्रण ही सत्साहित्य का उद्देश्य है।इस दृष्टि से संस्कृत समष्टि रूप से 'सत्यं शिवम् सुन्दरम्' की समुन्नत भावना को समाहित किए सद्उद्देश्य पूर्ण होने से सत्साहित्य की कोटि में आता है।

पाश्चात्य विद्वान् विण्टरनित्ज ने लिखा है कि 'लिटरेचर' (साहित्य) शब्द अपने व्यापक अर्थ में जो कुछ भी व्यक्त कर सकता है, वह सब संस्कृत में विद्यमान हैं। धार्मिक तथा ऐहिकता (सेक्यूलर) रचनायें, महाकाव्य, लिरिक (गीति काव्य) नाटकीय तथा नीति सम्बन्धी कविता, वर्णनात्मक, अलंकृत एवं वैज्ञानिक गद्य सब कुछ इसमें भरा पड़ा है। वेदों से सुप्रवाहित संस्कृत साहित्य-मन्दाकिनी की पावन एवं अजस्त्रधारा रामायण-महाभारत काल में विस्तार को प्राप्त करती, परवर्ती भास, कालिदास, अश्वघोष, भारवी, भवभूति, माघ, बाणभट्ट, जयदेव आदि काव्य-कला कोविद महाकवियों की उत्कृष्ट कृतियों के माध्यम से भारतीय जन-जीवन को आकण्ठ रसप्लावित कर महती शान्ति प्रदान करती रही है।

समग्र संस्कृत साहित्य के इतिहास को सामान्यत: दो भागों में विभक्त किया गया है-

(1) वैदिक संस्कृत साहित्य :- (3000 ई. पू. से 500 ई. पू. तक)
(2) लौकिक संस्कृत साहित्य :- (500 ई. पू. से अब तक)[1]

(1) वैदिक साहित्य :- वैदिक साहित्य के अन्तर्गत -वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद् व सूत्र साहित्य आदि का परिगणन किया जाता हैं।

(2) लौकिक साहित्य :- लौकिक साहित्य को दो भागों में बाटा गया हैं। **'दृश्यश्रव्यत्वभेदेन पुन: काव्यं द्विधामतम्'** साहित्यदर्पण-6/1-1
(1) दृश्य काव्य (2) श्रव्य काव्य।

(1)दृश्य काव्य- जिस काव्य का अभिनय किया जा सके वह दृश्य काव्य कहलाता है। दृश्य काव्य दर्शनीय व श्रवणीय दोनों होता है। यह अभिनय के कारण से सहृदय सामाजिकों द्वारा देखा जाता है। **'दृश्यं तत्राभिनेयं तद्रूपारोपोतरूपकम्'** साहित्यदर्पण-6/1 दृश्य काव्य के पुन: दो भेद होते हैं- रूपक व उपरूपक, रूपक के 10 भेद में उपरूपक के 18 भेद हैं। संस्कृत में नाटकों के लियें पारिभाषिक शब्द रूपक है।

(2)श्रव्य काव्य-जो काव्य मात्र श्रवणीय हो वह श्रव्य काव्य कहलाता है। **'श्रव्यं श्रोतव्यमात्र तत्।'** साहित्यदर्पण-7/313-1 इसका अभिनय नही किया जाता, इसमें पाठक श्रवण व पठन के माध्यम से काव्यानन्द प्राप्त करता है। श्रव्य काव्य के तीन भेद होतें हैं-**(1) गद्य काव्य(2) पद्य काव्य (3) चम्पू काव्य।**

(क) गद्य काव्य:-आचार्य दण्डी के अनुसार **'अपाद: सन्तानो गद्यम्'** काव्यादर्श1/23 अर्थात् पदबन्ध रहित वाक्य विन्यास गद्य कहलाता हैं। गद्य काव्य छन्द आदि के बन्धन से रहित होता है। जैसें कादम्बरी आदि। इसके दो भेद होतें है- (1) कथा व (2) आख्यायिका।

(ख) पद्य काव्य :-पद्य काव्य छन्दोबद्ध होता है। **छन्दोबद्धपदं पद्यम्।** सा.द. 6/314-1 जैसे- किराताजुनीयम् आदि। इसके तीन भेद होतें है- (1) महाकाव्य (2) खण्डकाव्य(गीतिकाव्य) (3) मुक्तक काव्य।

(1)महाकाव्य – महाकाव्य में जीवन का सर्वाङ्गीण चित्रण होता है। **'सर्गबन्धों महाकाव्यं'**सा.द. 6/315-324

(2)खण्डकाव्य – इसमें किसी घटना का मार्मिक चित्रण किया जाता है। **'खण्डकाव्यं भवेत्काव्यस्यैकदेशानुसारि च।'** सा.द. 6/329।

(3) मुक्तक काव्य :-मुक्तक काव्य में प्रत्येक छन्द स्वत: पूर्ण होता है। **'तेन मुक्तेन मुक्तकम्'** सा.द. 6/314।

(ग) चम्पूकाव्य :-गद्य तथा पद्य के सम्मिश्रण को चम्पू काव्य कहते है।**'गद्यपद्यमयं काव्यं चम्पूरित्यभिधीयतें।'** सा.द. 6/336 जैसे- नलचम्पू आदि।[2]

गद्य काव्य का स्वरुप

'वृतबन्धोज्झितं गद्यम्' अर्थात् छन्द के बन्धन से रहित जो काव्य होता है उसे गद्यकाव्य कहतें है। गद्य काव्य में रस, अलंकार, गुण आदि के सद्भाव से सामाजिक रसास्वादन करता है। काव्य की सभी विधाओं में गद्य काव्य को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है, अतएव कहा जाता है-**'गद्यंकवीनां निकषं वदन्ति।'** गद्य में विचार के तत्व प्रबल होतें है, जबकी पद्य में भावना की प्रधानता होती है। विस्तृत को सक्षेंप में और सक्षेंप को विस्तार से कहने का सामर्थ्य गद्य शैली में होता है। कोमल भावों की अभिव्यक्ति तथा दुरुह दार्शनिक विचारों का प्रतिपादन गद्य शैली से ही होता है। संश्लिष्टता तथा संक्षिप्तता संस्कृत गद्यों की प्रमुख विशेषता होती है। 'समास' संस्कृत भाषा का प्राण है, जिसके कारण गद्य में भावग्राहिता, गाढ़बन्धता तथा प्रभान्विति आती है और ओज गुण संस्कृत गद्यों की एक अन्य विशिष्टता है, अतएव कहा गया है कि -**'ओज: समासभूयस्त्वमेतद् गद्यस्य जीवितम्।'**

संस्कृत साहित्य में गद्य काव्य विचार विनिमय का तथा शास्त्रीय सिद्धान्तों के वर्णन करने का उचित माध्यम है। संस्कृत गद्यों की विशिष्टताओं को हम प्राचीन वैदिक साहित्य में तथा शिलालेखों में भी प्रचुरता सें देख सकते हैं। संस्कृत साहित्य का मौलिक स्वरुप तो गद्य में ही है लेकिन कण्ठस्थीकरण की सरलता के लिए पद्यकाव्यों की रचना प्रारम्भ हुई है। गद्य शब्द की व्युत्पत्ति स्पष्ट वचनार्थक **'गद्'** धातु सें **यत्** प्रत्यय जोड़ने पर **'गद्य'**शब्द बनता है, जिसका अर्थ है स्पष्ट कहने योग्य या स्पष्ट कहना है।**'अपाद: पदसन्तानो गद्यम्'** अर्थात् चरण या पाद विभाजन से रहित शब्द रचना को गद्य कहतें है। संस्कृत का गद्य प्राचीनता तथा प्रौढ़ता, उपादेयता तथा भावाभिव्यक्ति की दृष्टि सें हमारे साहित्य का एक गौरवपूर्ण अंग है।

स्वरुप की दृष्टि सें संस्कृत गद्य तीन रुपों में प्राप्त होता है

(1) वैदिक गद्य :- बोलचाल का सरल गद्य।

(2) लौकिक गद्य :- प्रौढ़, अलंकृत एवं प्रांजल भाषा युक्त गद्य।

(3) पौराणिक गद्य :- उपर्युक्त दोनों का मिश्रित रुप।

इन रुपों में लौकिक गद्य को दो भागों में बाटां गया है-

(1)शास्त्रीय गद्य :- इसमें विषयवस्तु पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जैसें- व्याकरण शास्त्र, (महाभाष्य आदि) दर्शनशास्त्र, काव्यशास्त्र, कामशास्त्र आदि।

(2) साहित्यिक गद्य :- इसमें रस, अंलकार, गुण आदि पर विशेष ध्यान दिया जाता हैं।

जैसे- प्राचीन श्लिालेख, नाटकों में प्रस्तुत संवाद आदि।

साहित्यिक गद्य दो प्रकार के होते है- 1. **कथा** व 2. **आख्यायिका**

- **कथा** – कथा कवि कल्पित होती है, इसका वक्ता नायक नही होकर अन्य कोई होता है। इसमें कन्या हरण, संग्राम, विप्रलम्भ, सूर्योदय, चन्द्रोदय, सन्ध्या, रजनी, आदि का विस्तृत वर्णन होता है। कथा में विशिष्ट सांकेतिक शब्दों का प्रयोग होता है। कथा संस्कृत के अलावा प्राकृत या अपभ्रंश भाषा में भी हो सकती है। इसकी शैली वर्णनात्मक होती है तथा इसमें किसी निश्चित छन्द के पद्यों का समावेश नही होता है। जैसें- कादम्बरी, वृहत्कथा, वासवदत्ता आदि।
- **आख्यायिका**- यह ऐतिहासिक इतिवृत्ता पर आधारित होती है। इसमें नायक स्वयं वक्ता होता है। यह उच्छवासों में विभक्त होती है, व अपरवक्त्र छन्दों के पद्यों का समावेश होता है। इसमें कथा में दिये गये विषयों का वर्णन नही होता है। इसमें विशिष्टि शब्दों का प्रयोग भी नही होता है। यह भावात्मक शैली में तथा संस्कृत भाषा मे ही होती हैं। जैसे- हर्षचरितम्, दशकुमारचरितम् आदि।[3]

गद्य साहित्य का उद्भव एवं विकास –'गद्य कवीनां निकषं वदन्ति' उक्ति प्राचीन काल से ही गद्य की श्रेष्ठता प्रतिपादित करती हुई प्रचलित हैं। वैदिक काल सें ही संस्कृत में गद्य प्रयुक्त हुआ है 'कृष्णयजुर्वेद' ब्राह्मण तथा कतिपय उपनिषद् गद्य में है। यास्काचार्य (ई.पू.700) ने 'निरुक्त' की रचना गद्य में ही की है। पतंजलि (150 ई.पू.) द्वारा रचित ग्रन्थ 'महाभाष्य' भी गद्य के माध्यम सें लिखा गया है। प्राचीन काल से ही गद्य का उपयोग प्रधानतया व्याकरण ग्रन्थों, टिकाओं, ज्योतिष आदि ग्रन्थों में हुआ है। गद्य काव्य के उद्भव के विषय में निश्चित समय का ज्ञान यद्यपि हमें नही है तथापि इतना भी निश्चित हैं कि यह संस्कृत साहित्य की एक पुरातन शाखा है। वार्तिकार कात्यायन (300ई.पू.) ने **'आख्यायिका'** का उल्लेख किया है-**'लुबाख्यायिकेभ्यो बहुलम्' आख्यानाख्यायिकेतिहासपुराणेभ्यश्च'** (वार्तिक) आख्यायिका तथा कथा गद्य काव्य के ही दो भेद है- **'आख्यायिकोपलब्धार्था प्रबन्ध कल्पना कथा'** (अमरकोष)। पतंजलि ने भी अपने 'महाभाष्य' में वासवदत्ता, भैमरथी एवं सुमनोत्तरा नामक तीन आख्यायिकाओं का उल्लेख किया है। 'वासवदत्ता सुमनोतरा च भवति। भैमरथी', (महाभाष्य 4/3/57)। कतिपय उपलब्ध शिलालेखों में प्राचीन विकसित गद्य की झलक मिलती है, जिनमें रुद्रदामन (150 ई.) तथा गुप्तकालीन (400 ई.) शासन के शिलालेख उल्लेखनीय है, जिनमें अलंकृत गद्य का प्रयोग हुआ है। इससे स्पष्ट है कि गद्य-काव्य कला दण्डी, सुबन्धु एवं बाण के शताब्दियों पूर्व विकसित रही होगी। स्वयं बाणभट्ट ने भट्टार हरिश्चन्द्र नामक उच्चकोटि के गद्य लेखक का उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त वररुचि कृत -चारुमती, रामिल सोमिलकृत -शूद्रक कथा तथा श्री पालिकृत-तरंगवती का साहित्य मे उल्लेख संस्कृत गद्य-काव्य के विकास-क्रम की एक सम्बन्ध श्रृंखला सिद्ध करता है। वैदिक काल से अब तक गद्य की रस विकास श्रृंखला में अलंकृत एवं अनलंकृत गद्य में दण्डी, सुबन्धु एवं बाणभट्ट प्रधानतया गद्य काव्य की चरमोन्नति के प्रतिनिधि रचनाकार है। वैदिक काल से गद्य के विकास-क्रम में उनके स्वरूप का विहंगावलोकन करने पर पातें हैं कि ब्राह्मणों के गद्य की भाषा अति प्राचीन है तथा यह पाणिनीय व्याकरण का अनुसरण न कर वाक्य-विन्यास एवं शब्दावली के स्वरूप में आर्ष है। वाक्य छोटें, शब्द बहुल होते हैं व शैली सरल होती है।उपनिषदों का गद्य सरल एवं जीवन्त है, जिसमें आडम्बर का अभाव और विनोद का आकर्षण है। जहाँ ब्राह्मणों के गद्य याज्ञिक प्रक्रियाओं से नीरस हैं, वहाँ उपनिषदों के गद्य में सत्यान्वेषणार्थ महर्षियों के मन की स्वच्छता तथा स्वस्थता प्रतिबिम्बित हैं। उपनिषदों में दीर्घ समासों का अभाव प्राय: दृष्टिगत होता है। ब्राह्मणों एवं

उपनिषदों की अपेक्षा सूत्र शैली के गद्य में कम शब्दों में अधिक अर्थ व्यक्त करने के लिए क्रियापदों का अभाव है तथा दीर्घ समास बहुला शैली का आर्विभाव हुआ।

लौकिक संस्कृत गद्य दो स्वरूपों में दृष्टिगत होता है -(1) अनलंकृत शैली का गद्य-व्याकरण, अर्थशास्त्र, दर्शन, भाष्यों का विवेचन प्रधान है। (2) अलंकृत शैली का गद्य - नाटकों, चम्पूकाव्योंतथा गद्यकाव्यों में प्रयुक्त हुआ हैं।अनलंकृत गद्य में व्याकरण में महाभाष्य का गद्य उल्लेखनीय है, जिसकी भाषा सरल, प्रांजल एवं सशक्तभावाभिव्यक्तिपूर्ण है। उसके वाक्य छोटे-छोटे, विशद एवं सारगर्भित होतें हैं। अलंकृत गद्य का प्राचीनतम निदर्शन महाक्षत्रप रुद्रदामन (150 ई.) का गिरनार वाला शिलालेख है। हरिषेण कृत समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति (350 ई. के लगभग) में गद्य की जिस कृत्रिम अथवा अलंकृत शैली का स्वरूप हमें प्राप्त होता हैं, उसका दण्डी, सुबन्ध एवं बाण की रचनाओं में पूर्ण परिपाक हुआ है।[4]

संस्कृत के प्रमुखगद्यकार

महाकवि दण्डी - महाकवि दण्डी भारवी के प्रपौत्र थें, इनका जन्म कांचीनगर में हुआ था तथा इनका स्थिति काल सामान्यतया 600 ई. के आस पास स्वीकार किया जाता है। राजशेखर रचित शारंङ्धर पद्धति में 'त्रयो दण्डिप्रबन्धाश्च त्रिषु लोकेषु विश्रुता' सूक्ति के आधार पर उनके तीन ग्रन्थ माने जाते है-

(1) **काव्यादर्श-** यह एक अलंकार शास्त्रिय ग्रन्थ है।
(2) **दशकुमारचरितम्-** यह दण्डी का प्रसिद्ध गद्यकाव्य है।
(3) **अवन्तिसुन्दरी कथा-** यह दण्डी का अपूर्ण गद्यकाव्य है।

दशकुमार चरित व काव्यादर्श के आधार पर ज्ञात होता है, कि दण्डी दक्षिणी भारत में विदर्भ देश के निवासी थें। दशकुमार चरित में उल्लिखित कलिंग, आन्ध्र देशों के अतिरिक्त कावेरीपत्तन आदि नगरों एवं दक्षिण में प्रचलित सामाजिक एवं पारिवारिक प्रथाओं के वर्णन के आधार पर उनका दाक्षिणात्य होना सिद्ध होता है। दशकुमारचरित के अध्ययन से यह भी प्रतीत होता है कि दण्डी एक सम्पन्न व्यक्ति थें। जिन्होंने सभी प्रकार के सांसारिक अनुभव प्राप्त कियें थें।

दशकुमार चरित - संस्कृत गद्य-काव्य की इस अनुठी रचना को **'धूर्तो का रोमांस'** भी कहा जाता है। इसमें दश राजकुमारों के देश-देशान्तरों में परिभ्रमण, दुस्साहसपूर्ण कार्यकलापों, जीवन के संघर्षो आदि का यथार्थ हृदयहारी वर्णन हैं। वर्तमान में उपलब्ध 'दशकुमार चरित' के स्वरूप को हम तीन भागों में पातें है- 1. पूर्वपीठिका, 2.दशकुमारचरित तथा 3.उत्तरपीठिका। इसमें पूर्वपीठिका के अन्तर्गत पॉच उच्छ्वासों का वर्णन किया गया है, व दशकुमार चरित में आठ उच्छ्वासों का वर्णन है तथा उत्तरपीठिका में उपसंहार दिया हुआ है। इसमें से केवल दशकुमार चरित को ही दण्डी की मूलकृति स्वीकार किया जाता हैं। ग्रन्थ के आदि-अन्त भाग के किसी कारण वश नष्ट होने पर सम्भवत: दण्डी क किसी भक्त ने मूलग्रन्थ की भाषा-शैली में पूर्व एवं उत्तरपीठिका लिखकर पूर्ण किया होगा। दशकुमारचरित में छल-कपट, मार-काट, चोरी-चारी आदि कार्य कलापों का, साथ ही चतुर जादूगरों, पाखण्डी साधु, कामान्ध राजपुरूषों, हृदयहीन वेश्याओं, कुट्टिनियों आदि का मनोरंजन वर्णन होने से यह यह एक अनूठी रूढ़िविरोधी गद्यकाव्य की रचना है। दशकुमार चरित में जहां कथानक विचित्र है, वहां उसके अनुरूप सरस एवं प्रवाहपूर्ण वर्णन-शैली भी है। व्यंग्य एवं विनोद का पुट देकर तत्कालीन समाज का सजीव चित्रण किया है। इसके नायक दशराजकुमार अपनी इष्टि सिद्धि के लिए उचित-अनुचित साधनों में कोई अन्तर नहीं मानते। दण्डी का चरित्र चित्रण भी विशद हैं। सजीव पात्रों के माध्यम से उन्होनें हमारे समक्ष लोक-जीवन का यथार्थ पक्ष उपस्थित किया है। विशद चरित्र-चित्रण, नैसर्गिक गद्य शैली, बुद्धि-विकास, शिष्ट परिहास, न्यून विषयोन्तरों, रसानुकूल शब्दविन्यास, यथार्थ एवं आदर्श का सुन्दर समन्वय आदि विशेषताओं के कारण 'दशकुमार चरित' संस्कृत गद्य साहित्य की एक उत्कृष्ट कोटि की रचना है।[5]

महाकवि दण्डी की भाषा शैली - महाकवि दण्डी की भाषा अलंकारों के आडम्बर से चित्रविचित्र न होकर नैसर्गिक प्रवाहमयी, प्रसादगुणयुक्त, परिमार्जित एवं मुहावरेदार होने से सजीव है। सामान्यतया उनकी भाषा आख्यानात्मक काव्य होने से श्लेष आदि अलंकारों तथा दीर्घसमासों के बोझसे बोझिल न होकर स्थल-स्थल पर ललित पदावली की योजना से युक्त है। सुबन्धु एवं माघ के समान उनका समान उनका गद्य न तो 'प्रत्यक्षर श्लेषमय' है और न बाणभट्ट के गद्य के समान 'सरसस्वरवर्णपद' से विभूषित साहित्यिक गद्य का ही रूप है। उनका वाक्य विन्यास आयासजनक न होकर ओजस्वी, सुव्यक्त एवं ललित है क्योंकि वाक्य प्राय: छोटे-छोटे होते हैं। महाकवि दण्डी सुन्दर वैदर्भी-गद्य शैली के आचार्य रूप में प्रतिष्ठापित किये जा सकतें हैं। संक्षेप में अर्थ की स्पष्टता रस की सम्यक् अभिव्यक्ति शब्द विन्यास की चारूता एवं कल्पना की उर्वरता दण्डी की शैली की विशेषतायें हैं। उनके पदलालित्य की सहृदय विद्वानों ने भूरि-भूरि प्रशंसा की है- 'दण्डिन: पदलालित्यम्' दण्डी के पदविन्यास अनुप्रासमय एवं मनोरस शब्दयोजनामय होन से रसाभिव्यक्ति पूर्ण है - यत्र तत्र कवि के गद्य की भाषा पर्याप्त अलंकृत दृष्टिगत होती ह, किन्तु उनके काव्यालंकार सीमितमात्रा में प्रयुक्त होनें से सर्वत्र मनोरम, एवं अनुरूप हैं। उनसे भावों में दुरूपता का अनुभव बिल्कुल नहीं होता। जैसें-**'इन्द्रनीलशिलाकार रम्यालकपंक्तिद्विगुणकुण्डलितम्लाननालीकनाललतिलम्बश्रवण पासशयुगुलमाननकमलम्।'** दण्डी अपनें शब्दशोधन में एवं लौकिक सत्योक्तियों को ओजोमय भाषा में अभिव्यक्त करने में निष्णात हैं। जैसें - **आत्मानमात्मना नवसाद्यैवोद्धरन्ति सन्त:' इह जगति हि न निरीहं देहिनं श्रिय: संश्रयन्ते'** आदि।संक्षेप में महाकवि दण्डी का गद्य न श्लेष के बोझ से बोझिल, न समासों के प्रहार से प्रताड़ित, न अलंकारों के आधिक्य से आक्रान्त है, अपितु स्वाभाविक-भावाभिव्यक्ति अर्थात् ललित पदविन्यास से रसपूर्ण, अर्थ की स्पष्टता उनके गद्य की आत्मा है। अतएव सुललित एवं सुभग, प्रौढ़ एवं रसपेशल, चमत्कारिणी काव्यकला से समन्वित गद्य की रचना करने के कारण ही भारतीय आलोचकों ने दण्डी को ही एक मात्र कवि माना हैं।

कविर्दण्डी कविर्दण्डी कविर्दण्डी न संशय:।
जाते जगति वाल्मीके: कवयस्त्वयि दण्डिनि।।[6]

सुकवि सुबन्धु - वासवदत्ता के रचयिता सुकवि सुबन्धु का स्थितिकाल यद्यपि अनिश्चित हैं, तथा भवभूति के मालती-माधव मे मालती वर्णन और वासवदत्ता मे वर्णन साम्य के आधार पर भवभूति (700 ई.) के पूर्ववर्ती इन्हें मानना उचित है। 'जिनभद्र-क्षमा श्रमण कृत 'विशेषावश्यक-भाष्य' में वासवदत्ता व तरंगवती के उल्लेख के आधार पर सुबन्धु का स्थिति काल 600 ई. के आस-पास स्वीकार किया जा सकता है।

गद्यकाव्य को अलंकारों, दीर्घसमासों, एवं अक्षराडम्बरों से चित्र-विचित्र बनानें की प्रवृत्ति दण्डी में नहीं पायी गई किन्तु उनके परवर्ती गद्यकारों एवं आचार्यों में यह प्रवृत्ति अधिक बढ़ती गई। परिणामत: गद्य काव्य का उत्कर्ष

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

शब्द विन्यास के सौष्ठव, वर्णन की प्रोचना, वाक्यों सहित विस्तार एवं ध्वनि के साटोप स्वप्न और अवपातन में निगूढ़ है, इस कोटि के गद्य काव्य की छटा अपने उच्चतम उद्रेक में सुबन्धुकृत 'वासवदत्ता' में सुलभ होती हैं। सुबन्धु की वासवदत्ता उनकी उपलब्ध एक मात्र उत्कृष्ट कृति हैं, जो गद्य वाक्य के उस रूप का पूर्ण प्रतिनिधित्व करती हैं, जिसमें कथानक लघुकथा कल्पनाजन्य वर्णनविस्तार की प्रधानता रहती है। वासवदत्तामें राजकुमार कन्दर्पकेतु एवं राजकुमारी वासवदत्ता की प्रणय कथा का वर्णन हैं। इसका लघुकथानक प्रकृति-वर्णन, सौन्दर्य-चित्रण एवं पाण्डित्यप्रदर्शन द्वारा अतिशय विस्तार पाकर भी कथा प्रवाह में अवरूद्धता है। यह एक श्लेष बहुल रचना है जिसके सम्बन्ध में सुबन्धु ने दावा किया है कि उनके काव्य में प्रत्यक्षर में श्लेष निहित हैं-'**प्रत्यक्षरश्लेषमयप्रपंचविन्यासवेदग्वनिधि प्रबन्धम्।**'पौराणिक संकेतों के कारण उनके श्लेष-प्रयोग और भी दुरूह हो गये हैं। सुबन्धु की इस कृति में यद्यपि वर्णन विस्तार और शब्दभंडार की अतिशयता है तथापि कल्पना एवं चरित्र चित्रण का अभाव हैं वासवदत्ता में विषयान्तरों का भी बाहुल्य है।[7]

सुकवि सुबन्धु की शैली - जहाँ दण्डी ने सरल, प्रासादिक एव मनोरम वैदर्भी शैली को ग्रहण की है, वहां सुबन्धु ने अनिशयोंक्ति, अनुप्रास और समास प्रधान शैली को अपनाया है, जिसमें दीर्घ वाक्य विन्यास, शब्दाडम्बर, एवं कृतिमता अधिक होती है। उनकी उनकी शैली में न तो दण्डी का हास, ओज एवं वैचित्र्य है और न बाण जैसी कल्पना शक्ति एवं वर्णन प्रतिभा ही उनकी समास प्रचुर भाषा में सौष्ठव, प्रसाद एवं माधुर्य की न्यूवता, आडम्बर एवं असंगति अधिक है। सुबन्धु अलंकारों का असीमित रूप में प्रयोग कर अपनी शैली के लालित्यमय प्रवाह की रक्षा नही कर सके है। एक ही क्रिया पर आश्रित विपुलकाय वाक्य लिखने में वे अद्वितीय हैं फिर भी उन्होनें संवादों के अतिरिक्त अन्य उपयुक्त स्थलों पर छोटें वाक्यों का प्रयोग किया है। उदाहरण के लिए-

विरहविधुरायाः कमलिन्या हृदयमिव, द्विधा पपात चक्रवाकमिथुनम्। आगमिष्यतो हिमकरदयितस्य पार्श्वे संचरन्ती, कुमुदिन्या भ्रमरमाला दूतीवालक्ष्यत।।

सुबन्धु के समासों में एक प्रकार का स्वर-माधुर्य एवं अनुप्रासों में संगीत विद्यमान है किन्तु उनके पौराणिक संकेतमय श्लेष (जैसे नन्दगोप इव यशोंदान्वितः, जरासन्ध इव घटितसंधिविग्रहः) दुरह और मानसिक व्यायाममयुक्त हैं, फिर भी चित्रोमय एवं अलंकृत गद्य शैली की दृष्टि से वासवदत्ता चमत्कारपूर्ण एवं परिष्कृत रचना हैं।[8] राघवपाण्डवीयकार कविराज नें सुबन्धु को वक्रोक्ति मार्ग निपुण कहतें है-

सुबन्धुर्बाणभट्टश्च कविराज इति त्रयः।
वक्रोक्तिमार्गनिपुणाः चतुर्थो विद्यते न वा।।[9]

सुबन्धु ने नायक-नायिका के रूप सौन्दर्य का वर्णन-रसाभिव्यक्ति तथा अलंकारों के निबन्धन का सायास प्रयास किया है। सुबन्धु की शैली समास प्रधान गौड़ी है।सुबन्धु की कृतियों में श्लेष तथा विरोधाभास अलंकारों का आधिक्य है।

वासवदत्ता - कविवर सुबन्धकृत '**वासवदता**' गद्यकाव्य के 'कथा' के लक्षण के अनुसार ही निर्मित की गई है। कथा-साहित्य में प्रायः कल्पित कथा वस्तु को लेकर दीर्घवर्णनों के द्वारा मनोरम सन्निवेश का प्रयास कविगण करतें रहें। कथा का लक्षण यह है-

कथायां सरस वस्तु गद्यैरेव विनिमितम्।
क्वचिदत्र भवेदार्या क्वचिद्वक्त्रापवक्त्रकें।
आदौ पद्यैर्नमस्कारः खलादेर्वृत्ताकीर्तनम्।।

आख्यायिका में बीच-बीच में आश्वास या निःश्वास, नामक परिच्छेद रहतें हैं। आख्यायिका प्रायः किसी राजा के चरित्र के विषय में ही लिखी जाती है। महाभाष्यकार पतंजलि ने भी 'यवक्रीत', 'प्रियङ्व', 'ययाति' प्रकृति के आख्यान का निर्देशन किया हैं, तथा 'वासवदत्ता', सुमनोत्तरा', 'भैमरथी' प्रकृति की आख्यायिकाओं की गणना की है। परन्तु ये प्रबन्ध इस समय उपलब्ध नहीं है। काल की कराल चेंष्टाओं ने आजतक अनेक ग्रन्थों को विलुप्त कर डाला हैं, जिसका नाममात्र से कुछ परिचय हम प्राप्त कर सकतें है। इन सब ग्रन्थों की चर्चा देखतें हुए, हमें यह स्वीकार करना पड़ता है कि कथा साहित्य भी अत्यन्त चिरकाल सें संस्कृत सरस्वती के पावन अंक में लालित-पालित होकर परिपुष्ट होता रहा हैं।[10]

महाकवि बाणभट्ट - संस्कृत गद्य काव्य का चरमोत्कर्ष बाणभट्ट की कृतियों मे प्राप्त होता है। ये सम्राट् हर्षवर्धन के (606-648 ई.) समकालीन तथा इनके सभापण्डित थें। अतः बाण का स्थिति काल सातवीं शती का पूर्वार्द्ध था। महाकविबाणभट्ट ने अपनी रचना हर्षचरित में उनका स्वयं का जीवन-वृत्ता का उल्लेख किया है। उसमें बाणभट्ट के पिता नाम चित्रभानु तथा माता का नाम राजदेवी है। बाल्यावस्था में ही माता के देहान्त हो जाने पर इनका लालन-पालन पिता ने किया था। बाणभट्ट के पूर्वजों का निवास स्थान हिरण्यबाहु (शोण) नदी के तट पर प्रीतिकूट नामक ग्राम था। 14 वर्ष की आयु में पिता के दिवंगत होने पर इनका यौवन काल प्रवासपूर्ण होने सें अव्यवस्थित रहा, किन्तु बाद में संसारिक अनुभव, परिपक्व बुद्धिः, विद्या एवं उदार विचारों सें युक्त होकर सम्राट् हर्ष की '**वश्यवाणीकविचक्रवर्ती**'की उपाधि से सम्मानित हुए। हर्ष की (मृत्यु 648ई.) के पश्चात् सम्भवतः अराजकता फैलनें पर कन्नौज से प्रीतिकूट लौट आयें। इन्होंनें '**हर्षचरित**' (आख्यायिका) तथा '**कादम्बरी**' (कथा) नामक प्रसिद्ध गद्यकाव्यों की रचना के अतिरिक्त '**चण्डीशतक**' (100 पद्यों में दुर्गा की स्तुति) तथा '**पार्वती परिणय**' नामक नाटक की रचना की हैं।

(1) हर्षचरित -यह महाकविबाणभट्ट की प्रथम गद्यकाव्य रचना है, जो आठ उच्छ्वासों में की एक उत्कृष्ट कोटि की आख्यायिका हैं। प्रथम तीन उच्छ्वासों में महाकविबाणभट्ट की आत्मकथा तथा शेष भाग में सम्राट् हर्ष का जीवन-चरित वर्णित है। यह ऐतिहासिक विषय पर गद्यकाव्य लिखनें का महाकविबाणभट्ट का ही नहीं अपितु संस्कृत साहित्य का प्रथम प्रयास हैं। काव्य-सौन्दर्य की दृष्टि से इसकी अपनी विशेषतायें तों हैं ही, साथ ही इसकी अद्भुत वर्णनाशक्ति भी कम प्रभावपूर्ण नहीं हैं कवि सोड्ढल आदि ने हर्षचरित की प्रशंसा की है।

(2) कादम्बरी -यह रचना महाकविबाणभट्ट की ही नहीं अपितु समग्र संस्कृतसाहित्य की सर्वोत्कृष्ट गद्य रचना है। संस्कृत की इस सर्वोत्तम कथा में राजकुमार चन्द्रापीड तथा कादम्बरी की प्रेम-परिणय की कथा संस्कृत वाङ्मय के समस्त वैभव एवं कौशल के साथ वर्णित हैं।महाकवि दण्डी के दशकुमार चरित की भांति 'कादम्बरी' में भी मुख्यकथा में अनेक उपकथायें समाविष्ट है, किन्तु कवि ने पर्याप्त प्रवीणता से उनका निर्वाह एवं विकास किया हैं।भाषा नैपुण्य, विशद चरित्र चित्रण, वर्णन प्रतिभा तथा मानव-भावों के मार्मिक एवं सूक्ष्म अंकन में 'कादम्बरी' सम्पूर्ण संस्कृत साहित्य में एक अद्वितीय रचना है। प्रतीत होता है कि, महाकविबाणभट्ट ने कादम्बरी का कथा बीज 'गुणाढ्य' की कृति 'बृहत्कथा'से ग्रहण किया हैं। इसका प्रधान

रस श्रृंगार है, जिसमें दशकुमार चरित की भांति कही भी अश्लीलता की गन्ध नहीं आती है। 'कादम्बरी' के सभी पात्र सजीव हैं, जिनका चरित्र-चित्रण बड़े विशद रूप से किया गया हैं, इस कारण सें इस रचना का वर्णन-विविधता दर्शनीय हैं। यही कारण है कि, 'कादम्बरी' इतनी अधिक लोकप्रिय रचना हुई कि इसकी प्रशंसा में कितनी उक्तियां प्रचलित हुई हैं, जैसें-

1.**'कादम्बरीरसभरेण समस्त एव, मत्तो न किंचिंदपिचेतयतोजनोऽयम्।'** - (भूषणभट्ट)

2.**'कादम्बरी रसज्ञानामाहारोऽपि न रोचते, युक्तं कादम्बरी श्रुत्वा कवयो मौनमाश्रिता: वाणध्वनावनध्यायो भवतीति स्मृतिर्यत:।'**(सोमेश्वर कृत 'कीर्ति कौमुदी' 1/15)।[11]

महाकवि बाणभट्ट की शैली - महाकविबाणभट्ट ने अपनी दोनों गद्य काव्य रचनाओं में पांचाली रीति का अनुसरण किया है, जिसमें अर्थ के अनुरूप ही शब्दों के पद की योजना की जाती है -

शब्दार्थयो: समो गुम्फ:पांचालीरीतिरिष्यते।
शिलाभट्टारिका वाचि वाणोक्तिषु च सा यदि।।(सरस्वती कण्ठाभरण)

महाकविबाणभट्ट की गद्य शैली में सर्वत्र शब्द और अर्थ व भाषा और भाव का सुन्दर सामंजस्य स्पष्ट दृष्टिगत होता है। विषय के अनुरूप ही शब्दावली प्रयुक्त की गई है। विकट विन्ध्याटवी के वर्णन में कवि का विकट शब्दों एवं समासों का प्रयोंग किया गया हैं, इसका सुन्दर उदाहरण है। वसन्त वर्णन में तदनुरूप सुकुमारवर्णो का विन्यास किया गया हैं। महाकवि बाण की गद्यशैली में अलंकारों का समुचित प्रयोग रमणीयता की सृष्टि से करतें है। उनके अनुप्रास भाषा में विलक्षण स्वरमाधुर्य की समुत्पत्ति करतें है। उदाहरण के लिए -**'मधुकरकुलकलकाकलीकृतकालेयककुसुम कुड्मलेषु,इभकलभकोल्लनपल्लंववल्लितलवलीवलयै:'।** आदि सामासिक रुचिर अनुप्रासमयी पदावली द्रष्टव्य हैं। महाकविबाणभट्ट ने निरन्तरश्लेषपूर्ण स्वाभावोक्ति प्रधान वर्णनों को ग्राह्य माना हैं। जैसें- जूही को माला में पिरोयें चम्पक पुष्प -

'निरन्तरश्लेषघना: सुजातय: महास्रजश्चम्पककुड्मलैरिव'।

महाकविबाणभट्ट ने रसनोपमा का भी सुन्दर वर्णन किया है जैसें - **'क्रमेण च कृतं में वपुषि वसन्त इव मधुमासेन, मधुमास इव नवपल्लवेन इव कुसुमेन, कुसुम इव मधुकरेण, मधुकर इव मदेन नवयौवनेन पदम्'।।** महाकविबाणभट्ट के अनुसार विषय की नवीनता, सुरूचिपूर्णस्वभावोक्ति, सरल श्लेष स्फुट रूप से प्रतीयमान रस एवं विकट अक्षरबन्ध आदर्शगद्य काव्य का स्वरूप हैं। सामान्यत: बाण ने इस समन्वय प्रधान शैली को अपनाया है, जिसमें नवीन अर्थ की कल्पना, श्लेष प्रधान शब्दों की अद्भूत् योजना, दूसरों के मन के भावों का यथातथ्य चित्रण, वस्तुओं के यथार्थ वर्णन, समास बहुल पदविन्यास तथा कथावस्तु एवं शैली में व्यक्त रूप से बहती हुई रसधारा स्वाभाविक रूप से प्राप्त होती हैं। महाकविबाणभट्ट ने अपनी रचनाओं में तीन प्रकार की शैलीयों का प्रयोग किया हैं जो निम्न प्रकार हैं - (1) उत्कलिका(दीर्घसमासा) शैली। (2) चूर्णक (अल्पसमासा)। (3) आबिद्ध (समासरहिता)।[12]

महाकवि बाणभट्ट के काव्य में कलापक्ष तथा भावपक्ष दोनों का निर्वाह हुआ है। बाण के गद्य में तत्कालीन समस्त गद्य शैलीयों का समन्वित रूप परिलक्षित होता हैं। बाण ने अप्रत्यक्षत: अपनी शैली के सन्दर्भ में निम्न कथन किया है-

नवाऽर्थो जातिरग्राम्या श्लेषोंऽश्लिष्ट: स्फुटों रस:।
विकटाक्षरबन्धश्च कृत्स्नमेकत्र दुष्करम्।। (हर्षचरित-1/8)

अर्थात् चमत्कार पूर्ण अर्थ भौतिक कल्पना ,सुरूचि पूर्ण स्वाभावोक्ति, स्पष्ट श्लेष रस की सहज अनुभूति तथा अक्षरों की दृढ़ बन्धता ये सभी विशेषताएँ एकत्र मिलना कठिन है, परन्तु बाण के काव्य में यें सभी गुण समन्वित रूप से प्राप्त होतें है। नि:सन्देह बाण की शैली सरस तथा सहृदय सामाजिकों के हृदय की धड़कन है।[13]

पं. अम्बिकादत्त व्यास - पं- अम्बिकादत्त व्यास का संस्कृत गद्यकारों में महत्वपूर्ण स्थान है। इनका स्थितिकाल 1858 ई. सें 1901 ई. तक है। ये मूलत: जयपुर के निवासी थें। इनकें पिता काशी में जाकर बस गयें इसलियें इनकी शिक्षा दीक्षा वाराणसी में हुई। इनका कार्यक्षेत्र बिहार रहा है। यह संस्कृत साहित्य में **'अभिनव बाण'** के नाम से विख्यात है। इन्होनें 78 ग्रन्थों की रचना की है उसमें से उनकी प्रसिद्ध रचना **'शिवराज विजय'** है, यह 19वीं. शताब्दी का अतिसुन्दर संस्कृत उपन्यास है। इनकी कवि कीर्ति का मुलाधर शिवराज विजय ही हैं।

शिवराज विजय - यह आधनिक संस्कृत गद्य-काव्य की सर्वोत्कृष्ट रचना हैं। शिवराज विजय एक ऐतिहासिक उपन्यास है जो 12 निश्वासों में छत्रपति शिवाजी के जीवन-चरित्र को उपन्यस्त किया गया है। यह ग्रन्थ सर्वप्रथम् सन् 1901 में काशी सें प्रकाशित हुआ था। कवि की यह रचना विद्वानों में अति लोकप्रिय हुई। शिवराज विजय काव्य तथा इतिहास का सम्मिश्रणात्मक प्रगतिवादी उपन्यास है।

पं. अम्बिकादत्त व्यास की भाषा शैली- इनकी भाषा शैली बाण की कादम्बरी के समकक्ष है। इसमें वाक्य विन्यास प्राचीन परम्परानुसार है। कवि ने इसमें प्राचीन व अर्वाचीन दोनों शैलीयों का समन्वित रूप प्रस्तुत किया हैं। चरित्र-चित्रण की दृष्टि से इसमें वीर रस अभिव्यक्त हुआ है। इसमें यथा अवसर माधुर्य-ओज तथा प्रसाद गुण का प्रयोंग किया गया है। कवि ने भावानुकूल भाषा तथा रसानुकूल पदावली का प्रयोग किया है। वैदर्भी-गौडी तथा पांचाली रीतियों से समन्वित यह उपन्यास आधुनिक गद्य-काव्य की सर्वोत्कृष्ट कृति है। इसमें कही कादम्बरी के समान समास बहुलता के दर्शन होतें है तथा कहीं-कहीं वाक्य छोटें-छोटें तथा समास रहित है। कवि नें अलंकारों का भी समुचित प्रयोग किया है। राष्ट्र-प्रेम, देश-भक्ति उत्पन्न करने वाला शिवराजविजय आधुनिक युग का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास हैं।[14]

महाकवि बाणभट्ट के पश्चात् भी संस्कृत गद्य काव्यों की रचना होती रही है। यहाँ हम कुछ प्रसिद्ध अन्य गद्यकारों का व रचनाओं का नामोंल्लेख कर रहे है, जो निम्न हैं-

- कवि धनपाल कृत **'तिलक मन्जरी'** जिस पर कादम्बरी का प्रभाव स्पष्ट रूप सें परिलक्षित है।
- वादीभसिंह कृत **'गद्यचिंतामणी'**।
- सोड्ढल की रचना **'उदयसुन्दरी कथा'**।
- वामनभट्टबाण की रचना **'वेमभूपालचरित'**।
- विश्वेश्वर पाण्डेय की **'मन्दारमन्जरी'**।
- पण्डिता क्षमाराव कृत **'कथामुक्तावली'**, **'ग्रामपंचक'** व **'ग्रामज्योति'**।
- डॉ. रामशरण त्रिपाठी की रचना **'कौमुदी कथा कल्लोंलिनी'**।
- आदि रचनाएँ व गद्यकार संस्कृत गद्य साहित्य को और अधिक उत्कृष्ट और सम्पन्न बनातें है।[15]

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. संस्कृत साहित्य का इतिहास -लेखक-डॉ. कैलाशनाथ द्विवेदी, प्रकाशक-राष्ट्रीय संस्कृत साहित्य केन्द्र, किशनपोल बाजार, जयपुर, संस्करण 2014।पृ.सं. 9-11
2. शुकनासोपदेश -लेखक डॉ. यशवन्त कुमार जोशी, प्रकाशक कमल बुक डिस्टीब्यूटर्स, उदयपुर।पृ.सं. 7
3. संस्कृत साहित्य का इतिहास -लेखक- डॉ. राकेश कुमार जैन व मनमोहन शर्मा, रचना प्रकाशन, जयपुर संस्करण 2017। पृ.सं. 185-187
4. संस्कृत साहित्य का इतिहास - डॉ. कैलाशनाथ द्विवेदी, प्रकाशक-राष्ट्रीय संस्कृत साहित्य केन्द्र, किशनपोल बाजार, जयपुर, संस्करण 2014।पृ.सं. 90-92
5. वहीं।पृ.सं. 92-93
6. वहीं।पृ.सं. 93-94
7. संस्कृत साहित्य का इतिहास - डॉ. कैलाशनाथ द्विवेदी, प्रकाशक-राष्ट्रीय संस्कृत साहित्य केन्द्र, किशनपोल बाजार, जयपुर, संस्करण 2014।पृ.सं. 94
8. वहीं।पृ.सं. 95
9. संस्कृत साहित्य का इतिहास -लेखक- डॉ. राकेश कुमार जैन व मनमोहन शर्मा, रचना प्रकाशन, जयपुर संस्करण 2017। पृ.सं. 196
10. सुबन्धु कृत -'वासवदत्ता' टीकाकार पं. श्री शंकरदेव शास्त्री,प्रकाशक चौखम्बा विद्या भवन चौक, बनारस।पृ.सं. 3
11. संस्कृत साहित्य का इतिहास - डॉ. कैलाशनाथ द्विवेदी, प्रकाशक-राष्ट्रीय संस्कृत साहित्य केन्द्र, किशनपोल बाजार जयपुर, संस्करण 2014।पृ.सं. 96
12. वहीं।पृ.सं. 97-98
13. शुकनासोपदेश -लेखक -डॉ. यशवन्त कुमार जोशी, प्रकाशक कमल बुक डिस्टीब्यूटर्स, उदयपुर।पृ.सं. 27
14. वहीं।पृ.सं. 18
15. शुकनासोपदेश -लेखक -डॉ. यशवन्त कुमार जोशी,प्रकाशक कमल बुक डिस्टीब्यूटर्स, उदयपुर।पृ.सं. 19-20

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

झुंझुनूं जिले में कृषि भूमि उपयोग प्रतिरुप में परिवर्तन : एक भौगोलिक विश्लेषण

डॉ. सुमन कुमार*

* प्राचार्य, शेखावाटी महाविद्यालय, लोसल (सीकर) (राज.) भारत

शोध सारांश - भूमि एक महत्वपूर्ण भौतिक संसाधन है, जो मानवीय जीवन निर्वाह का प्राकृतिक संसाधन हैं। भूमि उपयोग किसी भी क्षेत्र का आर्थिक-सांस्कृतिक जीवन निर्वाह को दर्शाता हैं। कृषि भूमि का अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है कि किसी क्षेत्र के जनसंख्या के अनुपात में कुल कृषि भूमि का क्षेत्र, जोत क्षेत्र, बंजर भूमि, पुरानी पड़त, चालु पड़त, सिंचित तथा दुपज क्षेत्र की मात्रा कितनी हैं।कृषि भूमि उपयोग प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक, तकनीक तथा मानवीय क्रिया कलापों द्वारा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है। इस शोध पत्र में राजस्थान के झुंझुनूं जिले का भूमि उपयोग का 1999-2000 से 2018-19 तक 20 वर्षों की समयावधि में आयें परिवर्तनों का विश्लेषण किया गया हैं। साथ ही कृषि वर्ष 2018-19 के दौरान जिले के तहसीलानुसार कृषि भूमि उपयोग का वितरण प्रस्तुत किया गया है। इस शोध पत्र में शोधकर्ता द्वारा अध्ययन क्षेत्र में कृषि भूमि उपयोग का विगत 20 वर्षों के परिवर्तनों को द्वितीयक आकड़ों के आधार पर विश्लेषित किया गया है जिसके आधार पर वनभुमि, पड़त भूमि, सिंचित एवं कृषि भूमि के परिवर्तनों में दर्शाया गया हैं।

शब्द कुंजी - भूमि उपयोग, वन भूमि, जीवन निर्वाह।

प्रस्तावना - झुंझुनूं जिले में कृषि भूमि उपयोग में गत्यात्मकता रही है। कृषि उपयोग की परिवर्तनशीलता में प्राकृतिक, सांस्कृतिक, जिले की मानवीय तथा तकनीक कारकों का प्रभाव रहा हैं। प्रस्तुत शोध में भूमि उपयोग कृषि में परिवर्तनशील प्रवृति एवं स्थानिक कारकों का अध्ययन किया गया हैं। जिले के कृषि भूमि उपयोग का अध्ययन का मुख्य उद्देश्य पर्यावरणीय संतुलन, कृषि भूमि का विकास, वन भूमि में वृद्धि, वन आधारित उद्योगों का विकास तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए सुनियोजित सुझाव प्रस्तुत करना हैं।

कृषि भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक

1. **भौतिक कारक**
   (अ) उच्चावच (ब) जलवायु (स) तापमान
   (द) वर्षा (य) मिट्टी (र) आर्द्रता
2. **सामाजिक कारक**
   (अ) कृषि प्रणाली
   (ब) कृषक समुदाय की सामाजिक स्थिति एवं विशेषता
   (स) भू-स्वामित्व प्रणाली
   (द) जोत का आकार
3. **आर्थिक कारक**
   (अ) कृषि उपकरण (ब) उर्वरक, बीज उपयोग
   (स) सिंचाई साधन (द) कृषि उद्यम
   (य)बाजार (र) श्रम
   (ल) यातायात (य) प्रशासनिक संबंध
   (र) पूंजीगत संसाधन
4. **तकनीकी कारक**
   (अ) कुदाल तकनीकी (ब) हल तकनीकी
   (स) मशीनीकरण तकनीकी
5. **सांस्कृतिक एवं मानवीयकारक**
   (अ) सहकारिता (ब) किसान का जीवन स्तर
   (स) परिवार का आकार (स) जनसंख्या संरचना
   (द) फसल चयन प्रवृति

कृषि भूमि उपयोग का वर्गीकरण - सामान्यत: कृषि भूमि उपयोग का वर्गीकरण निम्न 8 भागों में वर्गीकृत किया जाता हैं।

1. वन भूमि (जंगलात भूमि)
2. कृषि अयोग्य भूमि
- गैर कृषि उपयोग भूमि
- बंजर एवं अकृषित भूमि (ऊसर भूमि)
3. अन्य अकृषित भूमि पड़त भूमि के अतिरिक्त जोत रहित भूमि
- स्थायी चारागाह तथा अन्य गोचर भूमि
- वृक्षों के झुण्ड तथा बाग आदि से युक्त भूमि
4. कृषि योग्य बंजर भूमि
5. पुरानी पड़त भूमि
6. चालु पड़त भूमि
7. बोया गया कुल क्षेत्र
8. दुपज क्षेत्र

अध्ययन क्षेत्र : अध्ययन क्षेत्र झुंझुनूं जिला राजस्थान के उत्तरी-पूर्वी भाग में अवस्थित है। प्रशासनिक रूप से सीकर संभाग के अंतर्गत आता है।

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

अध्ययन क्षेत्र झुंझुनूं जिला समुद्रतल से लगभग 338 मीटर की ऊँचाई पर $27^0$38'से $28^0$36'उत्तरी अक्षांश तथा $75^0$02'से $76^0$06'पूर्वी देशान्तर के मधय स्थित है। जिले का कुल भौगोलिक विस्तार 5928 वर्ग किमी है। जिला मुख्यालय राज्य की राजधानी जयपुर से 187 किलोमीटर दूर स्थित है। झुंझुनूं जिले में स्थित अरावली पर्वत श्रृंखला देहली सुपर ग्रुप की श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। जिले में तांबे के साथ-साथ जिले में ग्रेनाइट और लाइम स्टोन के विशाल भंडार उपलब्ध है। जिले का अधिकांश भाग मरुस्थली है, दक्षिणी पूर्वी भाग में अरावली पर्वत श्रृंखला विस्तृत है।

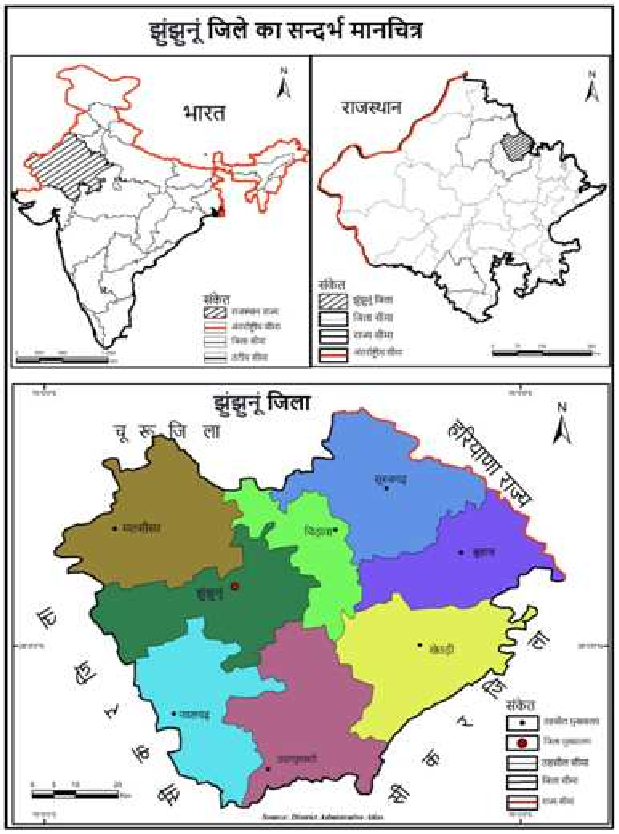

जिले में वर्षभर बहने वाली कोई नदी नहीं है।वर्षा कालीन कांटली प्रमुख नदी है। जलवायुवीय दृष्टि से जिला उष्ण एवं अर्द्ध शुष्क क्षेत्र है। वार्षिक वर्षा 20 से 40 सेमी के मध्य होती है। जिले में ग्रीष्मकाल में अधिकतम तापमान कई बार 45 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो जाता है। जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 21,37,045 हैं, जनसंख्या घनत्व361 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जिले की कुल जनसंख्या में 22.89 प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। जिले में लिंगानुपात 950 है। साक्षरता दर की दृष्टि से जिला अग्रिणी है। जिले में महिला साक्षरता 60.95 प्रतिशत है, पुरुष साक्षरता दर 86.90 प्रतिशत है। जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता 74.13 प्रतिशत है।

शोध उद्देश्य : किसी भी शोध कार्य के सार्थकता के लिए उद्देश्य निधारित होते है। प्रस्तुत शोध कार्य के उद्देश्य निम्न है -

1. भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन।
2. जिले के कृषि भूमि उपयोग का स्थानिक वितरण प्रस्तुत करना।
3. झुंझुनूं जिले के कृषि भूमि उपयोग का विगत 20 वर्षा के परिवर्तनों का विश्लेषण करना।

शोध विधि :-शोध क्षेत्र झुंझुनूं जिले में भूमि उपयोग के स्थानिक कालिक वितरण को भी बताने का प्रयास किया गया हैं। इस हेतु झुंझुनूं जिले में भूमि उपयोग के विगत दो दशकों (1999-00 से 2018-19) के द्वितीयक आकड़ों कोविश्लेषित किया गया हैं। इन दो दशक के आंकड़ों में वार्षिक उतार-चढ़ाव कोपाँच वर्षीय औसत के आधार पर निम्न चार समयावधियों में बांटकर प्रतिशत में दर्शाया गया है - (1) 1999-00 से 2003-04,(2) 2004-05 से 2008-09,(3) 2009-10 से 2013-14 व (4) 2014-15 से 2018-19A।

आँकड़ों के स्त्रोत -प्रस्तुत शोध पत्र के अध्ययन के लिए द्वितीयक आंकडों का संकलन किया गया हैं जिसके स्त्रोत निम्न है -

1. कृषि विभाग, भारत सरकार
2. आर्थिक एवं सांख्यिकीय निदेशालय, जयपुर (राज.)
3. जिला सांख्यिकीय रूपरेखा, झुंझुनूं (राज.)
4. जिला जनगणना प्रतिवेदन, 2001 एवं 2011 (झुंझुनूं)
5. जिला कृषि विस्तार, झुंझुनूं

कृषि भूमि उपयोग प्रतिरूप झुंझुनूं जिले में भूमि उपयोग के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। जिले में वर्ष प्रतिरूप 2019-20 के दौरान कुल भौगोलिक क्षेत्र 5,91,536 हेक्टयर क्षेत्र का वनों के अंतर्गत मात्र 6.77प्रतिशत है। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि के अंतर्गत लगभग 05प्रतिशत क्षेत्र है जबकि अन्य अकृषित भूमि के अंतर्गत 7.22 प्रतिशत क्षेत्र है। इस वर्ष जिले में पडती भूमि के अंतर्गत 66421 हेक्टयर क्षेत्र है जो की जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 11.23 प्रतिशत भाग है।

जिले में शुद्ध बोया गया क्षेत्र 61-90 प्रतिशत क्षेत्र है। जिले में एक से अधिाक बार बोये गये क्षेत्र में 40-87 प्रतिशत क्षेत्र है। जिले के भूमि उपयोग का स्थानिक वितरण तहसील अनुसार भी दर्शाया गया है। सर्वाधिक वन क्षेत्र खेतड़ी तहसील (20565 हेक्टयर) के अंतर्गत एवं सूरजगढ़ तहसील में वन भूमि का पूर्ण रूप से अभाव पाया गया है, जबकि इसके विपरीत जिले में शुद्ध बोया गया क्षेत्र सबसे अधिक सुरजगढ़ तहसील (66055 हेक्टयर) में एवं सबसे कम खेतड़ी तहसील (35514 हेक्टयर) में दर्ज हुआ है। भूमि उपयोग के विगत 20 वर्षों (1999&00 से 2018&19) के आंकड़ों का कालिक विश्लेषण भी दर्शाया गया है। कालिक वितरण को प्रत्येक पांच वार्षिक औसत के आधार पर विश्लेषित कर के किया गया है।

जिससे स्पष्ट है कि शोध क्षेत्र झुंझुनूं जिले में भूमि उपयोग में सामान्य परिवर्तन देखे जा सकते है। मुख्यत: पांच वर्षीय अवधि के प्रत्येक खंड में वन भूमि के अंतर्गत जिले में वन भूमि के अंतर्गत मामूली वृद्धि दर्ज की गयी है। जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रथम पांच वर्षीय अवधि में वनों के अंतर्गत 6.70 प्रतिशत भू भाग था जो थोड़ा-थोड़ा प्रत्येक पांच वर्षीय अवधि में बढ़ा। अंतिम पांच वर्षीय अवधि के दौरान यह बढकर 6.77प्रतिशत हो गया। इसके विपरीत जिले में शुद्ध बोये गये क्षेत्र में हल्की कमी दर्ज की गयी है। कुल बोये गये क्षेत्र में भी उतार-चढ़ाव देखे जा सकते हैं। अध्ययन क्षेत्र में भूमि उपयोग को सबसे अधिक मानसून प्रभावित करता है। जिले में कृषि फसलों का भूमिगत जल से सिंचाई द्वारा ही उत्पादन किया जाता है। जिले में वर्तमान में भी भूमि उपयोग का सबसे बड़ा भाग कृषि अंतर्गत ही है।

भूमि उपयोग विश्लेषण- अध्ययन क्षेत्र झुन्झुनू जिले में वर्ष 2019-20 में भूमि उपयोग के आंकड़ो के अनुसार जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्र

591536 हैक्टर है। जिसमें वनो का क्षेत्रफल 40045 हैक्टर है। जो जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.77 प्रतिशत है। यह राज्य के वन क्षेत्र से 2.8 प्रतिशत कम है। राष्ट्रीय वन नीति अनुसार क्षेत्र में 33प्रतिशत वन क्षेत्र होना चाहिए जबकि अध्ययन क्षेत्र में वर्तमान में 26-33प्रतिशत वन क्षेत्र कम है। जो वन और पर्यावरण के लिए चिन्ता का विषय है।

स्थानिक भूमि उपयोग विश्लेषण (2019-20) – जिले के भुमि उपयोग का स्थानिक वितरण तहसील अनुसार विश्लेषित किया गया जिसका निष्कर्ष निम्न प्रकार से है :-

तालिका 1.1 (अगले पृष्ठ पर देखे)

1. तालिका 1.1 के परिकलन के आधार पर अध्ययन क्षेत्र के मलसीसर एवं सुरजगढ़ तहसील में वन क्षेत्र (0.00) नगण्य है। खेतड़ी (25.46 प्रतिशत), उदयपुरवाटी (17.18 प्रतिशत) वन क्षेत्र है, जो सर्वाधिक क्षेत्र में है। औसतन वन क्षेत्र 33 प्रतिशत का अभाव पाया गया है।
2. कृषि अयोग्य भुमि क्षेत्र के अन्तर्गत सर्वाधिक रूप में चिड़ावा तहसील (6.48 प्रतिशत) झुन्झुनू तहसील (6.28 प्रतिशत) क्षेत्र है।
3. पड़त भुमि क्षेत्र के अन्तर्गत झुन्झुनू (21.97), नवलगढ़ (19.36), मलसीसर (17.85) प्रतिशत भुमि क्षेत्र है, जो अध्ययन क्षेत्र में सर्वाधिक है।
4. शुद्ध बोया गया भुमि क्षेत्र के अन्तर्गत सुरजगढ़ तहसील (81.89), चिड़ावा तहसील (74.11), बुहाना तहसील (72.07), मलसीसर तहसील (69.41), नवलगढ़ तहसील (65.36), झुन्झुनू तहसील (62.52) भुमि क्षेत्र है, जो सर्वाधिक है। जबकि न्यूनतम बोया भुमि क्षेत्र के अन्तर्गत खेतड़ी (43.96), उदयपुरवाटी (57.43) तहसील आती है।

भूमि उपयोग कालिक विश्लेषण (वर्ष 1999-2000 से 2018-19) जिले के भुमि उपयोग का कालिक परिवर्तन का विश्लेषण किया गया जिसका निष्कर्ष निम्न प्रकार से है:-

तालिका 1.2 (अगले पृष्ठ पर देखे)

तालिका 1.2 में अध्ययन क्षेत्र झुन्झुनू जिले के वर्ष 1999-2000 से 2008-09 की दशकीय अवधि का भुमि उपयोग का औसत परिवर्तनो का परिकलन किया गया। तालिका 1.2 के आंकड़ो के अनुसार जिले में समेकित रूप से वन भूमि आंशिक परिवर्तन 0.1 प्रतिशत वृद्धि देखा गया। कुल अकृषि भुमि एवं चारगाह भुमि में क्रमश: 0.11 प्रतिशत, 0.10 प्रतिशत आंशिक कमी दर्ज की गई। पड़त भुमि में 0.03प्रतिशत, चालु पड़त भुमि में 3.09 तथा कुल पड़त भुमि में 3.13 प्रतिशत कमी दर्ज गई।

जिले में 1999-2000 से 2008-09 के दशकीय अवधि में शुद्ध बोया गया क्षेत्र 2.79 प्रतिशत तथा कुल बोया गया क्षेत्रफल 12.14 प्रतिशत वृद्धि देखा गया है।

तालिका 1.3 (अगले पृष्ठ पर देखे)

तालिका 1.3 में वर्ष 2009-10 से 2018-19 के अवधि का झुन्झुनू जिले में भुमिउपयोग का औसत का परिकलन किया गया। तालिका .3 के अनुसार जिले में वनभुमि में 0.04 प्रतिशत आंशिक वृद्धि दर्ज हुई है। स्थायी चारगाह 0.01 कमी देखीगई। कृषि योग्य बंजर भुमि में 0.02 प्रतिशत वृद्धि देखी गई। जिले में दशकीयअवधि में कल पड़त भुमि के अन्तर्गत पड़त भुमि 1.41 प्रतिशत, चालुपड़त भुमि1.06 प्रतिशत तथा कुल पड़त भुमि 2.51 प्रतिशत तथा कुल बोया गया क्षेत्रफल मेंकाफी 7.17 प्रतिशत गिरावट दर्ज हुई है।

सुझाव :

1. सिंचाई सुविधाओं में बढावा – झुंझुनूं जिले में 90 प्रतिशत से अधिक सिंचाई कुंए/ट्यूबवैल भूमिगत जल संसाधनों द्वारा होती हैं।, जिसके कारण भूमिगत जल में प्रतिवर्ष कमी हो रही हैं। जिले में सिंचाई के लिए वर्षा जल का सदुपयोग की आवश्यकता हैं।

2. शुष्क कृषि पद्धति – झुंझुनूं जिले में वर्षा एवं सिचाई के अभाव में शुष्क कृषि पद्धति द्वारा फसल उत्पादन किया जाता है। भूमिगत जल दोहन कम करने, पर्यावरण प्रदुषण नियंत्रण, आर्थिक लाभ एवं अधिक उत्पादन के लिए शुष्क कृषि पद्धति अपनानी चाहिए।

3. आधार भूत सुविधाएं – कृषि पारिस्थिति की एवं फसल उत्पादन में उच्च स्थिति के लिए आधारभूत सुविधा की आवश्यकता होती है।

1. परिवहन सुविधा
2. ऋण सुविधा
3. सहकारिता की सुविधा
4. मशीनीकरण
5. विधुत सुविधा

4 अन्य – झुंझुनूं जिले के कृषि भूमि उपयोग, कृषि पारिथितिकी तथा उच्च फसल उत्पादन के लिए सुझाव प्रस्तुत हैं। अत: कार्यक्रम का क्रियान्वयन की आवश्यकता हैं।

1. सामाजिक वामिकीकार्यक्रम
2. प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण
3. जैविक संसाधन की रक्षा करना
4. भूमि सुधार कार्यक्रम
5. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
6. वन विकास कार्यक्रम
7. शिक्षा
8. सामाजिक जागरुगता
9. पडत भूमि का विकास
10. अधिकाधिक वृक्षारोपण एवं बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. चौहान, जसवन्त सिंह 2012, 'टोंकजिल में कृषि पारिस्थितिकी एवं पयावरण कियोजन', पी.एच.डी. थिसीस, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर
2. टाली, ऋतु (2005) -'कृषि भूमि उपयोग एवं प्रारुप में परिवर्तन (उदयपुर जिले का एक भौगोलिक अध्ययन)' पी.एच.डी. थिसिस, जनार्दनराय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय, उदयपुर (राजस्थान)
3. Choubisa, Kishan (2002)' "Agricultural landuse and population of mansiwakal Basin" Ph.D. Thesis, MLSU, Udaipur.
4. कुमार, सुमन (2021),'झुंझुनूं जिले के खाद्यान्न फसलों में गत्यात्मक: एक भौगोलिक विश्लेषण' पी.एच.डी. शोधग्रंथ मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय,उदयपुर (राजस्थान)
5. Salvi. LL (1989): Spactio – Temporal Dimensions of crop Pattern and Level of Crop Productivity in Rajsthan-

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

1956-59 to 1987-89, M.Phil, Disseration MLSU, Udaipur.

6. भूरिया, राधुसिंह एवं गोरस्या, आर. आर. (2024):– 'झाबुआ जिले में कृषि विकास एवं भूमि उपयोग प्रतिरुप परिवर्तन : एक भौगोलिक विश्लेषण' –शोधपत्र, Jan. to March, 2024, Vol-I, Issue-XLV, Naveen Shodh Sansar ISSN-2320-8767

7. शर्मा, मुकेश एवं शर्मा, रामकिशोर –(2015)–'झुंझुनूं जिले में भूमि उपयोग, समस्याएं एवं निदान,' शोधपत्र, Jan. to Dec.2015, Vol-3, Internatinal Journal of Geology, Agri Culture and Environmental Sciencs.

तालिका 1.1: झुंझुनूं जिले के तहसील अनुसार भूमि उपयोग का वर्गीकरण (2019-20)

क्र.	भूमि का वर्गीकरण	कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत (तहसीलनुसार)							
		झुंझुनू	चिड़ावा	खेतड़ी	उदयपुरवाटी	नवलगढ़	बुहाना	मलसीसर	सुरजगढ़
1.	वन क्षेत्र	1.31	0.23	25.46	17.18	23.20	2.40	0.00	0.00
2.	जोत रहित भूमि	7.61	743	7.01	3.99	5.77	9.49	9.44	7.86
3.	कृषि अयोग्य भूमि	6.28	6.48	5.52	6.18	5.14	3.76	3.15	3.63
4.	पड़त भूमि	21.97	4.85	11.39	1.46	19.36	10.05	17.85	0.06
5.	शुद्ध बोया गया क्षेत्र	62.52	74.11	43.96	57.53	65.36	72.07	69.14	81.89
6.	अन्य भूमि क्षेत्र	0.08	3.89	6.71	13.66	0.05	2.22	0.14	6.56
7.	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	80685	49449	80779	84675	68545	65180	81557	80666

स्त्रोत : जिला साख्यिकीय रूपरेखा, झुंझुनू, 2020

तालिका 1.2: अध्ययन क्षेत्र झुंझुनूं जिले में दशकीय भूमि उपयोग का औसत

क्र.	भूमि उपयोग वर्गीकरण		(1999-00 से 2003-04) औसत		(2004-05 से 2008-09) औसत		दशकीय औसत अन्तर (प्रतिशत) (7-5)
			क्षेत्रफल (हे.में)	प्रतिशत (कुल भौगोलिक क्षेत्र का)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6	7	8
1		वन भूमि	39615	6.70	39667	61.71	0.01
2	कृषि के लिए अनुपलब्ध	गैर कृषि कार्यो के अन्तर्गत क्षेत्र	20153	3.41	22113	3.74	0.33
		बंजर एवं कृषि अर्योग्य भूमि	15347	2.59	15367	2.60	0.01
		कृषि के लिए अनुपलब्ध	35500	6.00	37481	6.34	0.34
3.	अन्य अकृषित भूमि	स्थायी चारगाह एवं अन्य चारागाह	40283	6.81	39609	6.70	-0.11
		विविध प्रकार के पौधे	83	0.01	91	0.02	0.01
		कृषि योग्य बंजर भूमि	6326	1.07	6884	1.16	0.09
		कुल अकृषित भूमि	46692	7.89	46584	7.88	-0.01
4	कुल पड़त भूमि	पड़त भूमि : चालू पड़त के अलावा	21894	370	21684	3.67	-0.03
		चालू पड़त भूमि	40162	6.79	21874	3.70	-3.09
		कुल पड़त भूमि	62056	10.49	435858	7.36	-3.13
5.	शुद्ध बोया गया क्षेत्र		407820	68.93	424246	71.72	2.79
6.	कुल भौगोलिक क्षेत्र		591683	100.00	591536	100.00	0
7.	कुल बोया गया क्षेत्र		592734	100.18	664395	112.32	12.14
8.	एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र		184914	31.25	240149	40.60	9.35

स्त्रोत : कृषि सांख्यिकीय, कृषि मन्त्रालय, भारत सरकार

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

तालिका 1.3: अध्ययन क्षेत्र झुंझुनूं जिले में दशकीय भूमि उपयोग का औसत

क्र.	भूमि उपयोग वर्गीकरण		(2009-10 से 2014-15) औसत		(2014-15 से 2018-19) औसत		दशकीय औसत अन्तर (प्रतिशत) (7-5)
			क्षेत्रफल (हे.में)	प्रतिशत (कुल भौगोलिक क्षेत्र का)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वन भूमि	39826	6.73	400045	6.77	0.04	
2	कृषि के लिए अनुपलब्ध	गैर कृषि कार्यो के अन्तर्गत क्षेत्र	22228	3.76	22189	3.75	-0.01
		बंजर एवं कृषि अर्योग्य भूमि	15650	2.65	15706	2.66	0.01
		कृषि के लिए अनुपलब्ध	37878	6.40	37895	6.41	0.01
3.	अन्य अकृषित भूमि	स्थायी चारगाह एवं अन्य चारागाह	39356	6.65	39252	6.64	-0.01
		विविध प्रकार के पौधे	52	0.01	30	0.01	0
		कृषि योग्य बंजर भूमि	6122	1.03	6207	1.05	0.02
		कुल अकृषित भूमि	45530	7.7	45488	7.69	-0.01
4	कुल पड़त भूमि	पड़त भूमि : चालू पड़त के अलावा	30046	5.08	38383	6.49	1.41
		चालू पड़त भूमि	24464	4.14	30778	5.20	1.06
		कुल पड़त भूमि	54510	9.22	69161	11.69	2.47
5.	शुद्ध बोया गया क्षेत्र		413791	69.95	398947	67.44	-2.51
6.	कुल भौगोलिक क्षेत्र		591536	100	591535	100	0
7.	कुल बोया गया क्षेत्र		673240	113.81	630817	106.64	-7.17
8.	एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र		259448	43.86	231870	39.20	-4.66

स्त्रोत : कृषि सांख्यिकीय, कृषि मन्त्रालयए भारत सरकार

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

India and Climate Diplomacy

Pallavi Sharma*

***Masters in Political Science, Jammu University, Jammu (J&K) INDIA**

Abstract - Climate Change refers to the Rise in average surface temperature on Earth. It can be due to Natural phenomenon like volcanic eruptions but it has been exacerbated by Anthropogenic factors like burning of fossil fuels ,Industrial emissions and Vehicular emissions.According to Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) under the Sixth Assessment Report (AR6) Human induced global warming of 1.1 degrees Celsius has spurred changes to the Earth's Climate that are unprecedented in recent human history. This study focus on India's Climate diplomacy and voicing the concerns of developing states.
Keywords: Climate,Developing nation,Disaster Diplomacy.

Introduction - In 1960s With the publishing of book 'Silent Spring ' by Richard Carson the impact of Human activities on spoiling the environment was taken into consideration. Then in early 1970's at Sweden's request , the United Nations Conference on the Human Environment (UNCHE) was the first international meet on human impact on Environment. India's PM Indira Gandhi set the Development versus environment narrative back then by statement ,"Are not poverty and Need the greatest polluters?" by which she meant that fraction of countries consuming the bulk of resources and causing greater Environmental Degradation. Climate Change first gained significant attention in 1988.United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)was adopted by various government representatives in May 1992 and came into force in 1994.Today it is the most widely supported international environmental agreement. Conference of The Parties are the gatherings held within the framework of The UNFCCC. The Ultimate objective of UNFCCC is to achieve stabilisation of GHG concentrations in the Atmosphere.The Kyoto protocol is an international treaty which extends the 1992 UNFCCC that commits state Parties to reduce greenhouse gases emissions. It was adopted in 1997 and came into force in 2005.The protocol is based on the Principle of ''common but differentiated responsibilities" as the developed countries are responsible for the current high levels of GHG emissions in the Atmosphere as a result of more than 150 years of Industrial activity, the protocol placed heavier burden on developed nations.

India's push for cooperation on climate change has expanded beyond simply seeking a multilateral solution to organising the emerging powers,or newly industrialised countries of the developing world into a Coalition. India has been a part of Three significant groupings -the Brazil,South Africa, India and China (BASIC) countries, the Brazil, Russia, India and China and South Africa (BRICS) and the Group of 77 (G-77) countries of Global South. BASIC was a key player at both Copenhagen and Paris Conference of the Parties (COPs) where India was recognised as a drafting author of the agreement. It led to adoption of Copenhagen Accord in 2009 at COP15 in line with the principle of common but differentiated responsibilities and respective capabilities (CBDR-RC).The Green Climate Fund (GCF) was established in Cancun Agreement and developed countries committed to a goal of mobilizing USD 100 billion per year by 2020 to address the needs of developing countries which still now have not been done.

The Paris Agreement is a legally binding international treaty on climate change adopted by 196 countries at UNFCCC Conference of Parties (COP21) in Paris on 12 December 2015 and entered into force on 4 November 2016.The main goal of the accord is to limit global warming to below 2 degree Celsius and preferably limit it to 1.5 degree Celsius compared to pre- industrial levels. At COP 21 in Glasgow UK India called for " Phase down" of coal based power instead of phase down in accordance for energy demands to be met by developing nations like India to cater to demands of rising population.At COP 27 in 2022 at Sharm-el -sheikh ,Egypt India led Mangrove alliance for Climate (MAC) , In our LiFEtime campaign with UNDP to encourage Youth to adopt sustainable lifestyle and make them Pro-Planet-People. Also Long- Term Low Emission Development Strategy was announced a roadmap to achieve net-Zero emissions by 2070.

During the Latest Cop 28 meet at UAE outcomes like First Global Stocktake to measure NDC's target and

agreement on operationalization of Loss and damage fund to provide financial help to countries trying to recover from climate -induced disasters. In his speech to COP28 PM modi said that India's global carbon emissions were just 4% despite having 17% of the global population.

As the world's third largest greenhouse gas emitting country, India is often criticised by the International community. However, it justifies itself by stating its low per capita emissions and low -historical emissions as compared to the developed world.

Institutions of Global Governance like WTO Have failed to cater to the developmental needs of the Global South when globalization has increased wealth inequalities and created undesirable dependencies. Through Institutions such as G20,International Solar alliance ,Indian ocean Rim Association(IORA) and Coalition for disaster resilient Infrastructure (CDRI),India is actively reconstructing the world order by offering sustainable solutions to challenges faced by humanity . In 2021 ,CDRI created the Infrastructure for the Resilient Island States (IRIS) initiative to cater to the infrastructural resilience of Small island Developing States (SIDS) like Fiji, Papua New Guinea etc. At its G20 presidency India inducted African union as a permanent member and once again voiced the concerns of Global South. India also launched The Global Biofuel Alliance to expediate the global uptake of Biofuels in line with the National Policy on biofuel with target of 20% ethanol blending by 2025.

India has always been the first responder whether it be Tsunami in Indonesia or the recent Earthquake in Turkiye. India is actively working to ensure maritime security and prosperity in the Indo-Pacific ,and the Indian Ocean region in particular which accounts for around 80% of maritime oil trade. In line with its Security and Growth for all in the Region (SAGAR) policy, India has established the Information Fusion Centre -Indian Ocean Region(IFC-IOR) which provides real time information to its partners to ensure maritime security. Indian Navy frequently conducts anti-piracy operations in the region extending from gulf of Aden to Malacca Straits ,the latest being operations to save MV Lila Norfolk from Somali pirates. India is working with countries like Bangladesh, Myanmar ,Srilanka etc. to boost blue economy By sustainably extracting ocean based resources in line with UNCLO's.

In 2015,India released its Nationally determined Contributions(NDC's) and they were revised in 2022 For instance to reduce the emission intensity of India's GDP by 45%by 2030.The targets are higher than before and accommodate the "Panchamrit"-goals presented by PM Modi at COP 26 to raise non-fossil fuel -based energy capacity of the country to 500GW by 2030 and to achieve Net zero emissions by the year 2070.PM Modi's global initiative to combat climate change -' Lifestyle for the Environment (LIFE) Movement .

India has taken various initiatives at national level like PM-KUSUM ,PM-UJJWALA to deal with climate change. Efforts like International solar alliance aims to create a "One Sun ,One World ,One Grid initiative" at international level.

Since Independence, India has been consumed by its domestic priorties.Now with increasing integration with the World and a huge stake in global stability ,it is time to focus on the Global commons.India has a seat on the hightable to design and shape the rules for the governance of the global commons for instance The Indian Antarctic bill 2022 for conservation of Antarctic Marine Living Resources .

India has shifted from its earlier defensive, neo-colonial attitude on the matter of climate responsiblity to a more proactive and cooperative internationalist approach in recent climate engagements.

References:-

1. Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2022:Impacts, Adoptation,and Vulnerability.
2. Anna Hristova and Dobrinka Chankova,''Climate Diplomacy-A growing Foreign Policy Challenge''
3. Terra Nova -Analysing India's climate policy and the route post-COP27
4. Satyam Singh-'Problematising Revisionism: India's constructive revisionism Under the Modi Government'.
5. https://www.gatewayhouse.in/india-globalcommons/
6. https://www.indiatoday.in/history-of-it/story//cop28-summit-dubai-indiragandhi
7. The Hindu Newspaper.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

INDIA-US : Relations in the Present Changing World Order

Pallavi Sharma*

*Masters in Political Science, Jammu University, Jammu (J&K) INDIA

Abstract - India's relations with the outside world underwent a changing trajectory especially with the US post Cold war. This article aims to explore the growing convergence between US and India in this Multipolar world with the assertive China on the one hand and the growing conflicts in West Asia ,Europe and the protection of democratic Institutions around the world .

Keywords: QUAD, Multipolar, Supply chains, Democracy.

INDIA-US From Divergence To Convergence : The end of World War II and beginning of Cold war led to emergence of bipolar world divided between the US and erstwhile Soviet Union .Then , the US wanted India to join its Camp but Nehru resisted it and attempted to create a third Force-Non-Aligned Movement . Also India under Nehru Subscribed towards Socialistic Tendencies. The subsequent collapse of relations between the two created an opportunity for the latter to turn Pakistan into weaponised geography. In the wars like 1971 US supported Pakistan and relations soured with 1974's India's peaceful Nuclear explosions. Though 1998 Nuclear test also irked the US but with the Economic reforms in 1990's under Narasimha Rao and PM Vajpayee's Visits positive economic momentum had already begun which ultimately got a new shape by the India-US Civil Nuclear cooperation 2004 under Manmohan Singh.

India under PM Modi had overcome "the hesitations of History'' and call upon the two nations to ''work together to convert shared ideals into practical cooperation". India today is the Fifth largest economy in the world and a rising and bridging power in this Multipolar world amidst wars like Ukraine and Gaza.

India-US bilateral relations have developed into a "global strategic partnership", based on shared democratic values and increasing convergence of interests on bilateral,regional and global issues.

Today, the India-US bilateral cooperation is broad-based and multi-sectoral ,covering trade and investment ,and defence and security ,education ,science and technology, cyber security, high technology ,civil nuclear energy ,space technology and applications, clean energy, environment, agriculture and health.Vibrant people to people interaction and support across the political spectrum in both countries nurture our bilateral relationship.

US seeks partnership of trust in the region ,disengage from Pakistan and De-risk from China.The Vision of India and United States as among the closest partners in the world -a partnership of democracies looking into the 21st century with hope ,ambition ,and Confidence.India US ties also seems to be driven by 3D's -diaspora, democracy and diplomacy .

With the centre of Gravity of Global politics and economics shifting to The Indo-Pacific ,India-US partnership has been characterised as a combination of parallelism, alignment and convergence. India has joined initiatives like QUAD with countries like Australia,Japan, US to counter China's assertiveness and maintain a secure stable and resilient supply chains particularly as reflected in the UN Convention on the Law of the sea (UNCLO's) .Other initiatives like IPEF to strengthen economic partnership among participating countries .India while staying off the trade part have joined the other three pillars -supply chain,tax and clean energy. This shows India's strategic autonomy .India has also joined US led Mineral Security Partnership (MSP) to accelerate the development of diverse and sustainable critical energy minerals supply chains globally while agreeing to the principles of the MSP including environmental, social, and governance standards. Another grouping in the Middle East -I2U2 involving India,Israel ,UAE and US is being termed as New QUAD .

India US bilateral trade has been USD 128 billion in 2022-23.India has now signed all the four Foundational agreements with the US latest being the GSOMIA (General security of Military information Agreement The India-US Major defense Partnership has emerged as a pillar of Global peace and security. Through joint exercises,strenthening of defense industrial cooperation ,the annual "2+2" Ministerial Dialogue have made substantial progress in

building an advanced defense partnership.India -US Defense acceleration Ecosystem (INDUS X)a network of universities ,incubators ,corporates ,think tanks, and private investment stakeholders was launched in 2023.A new defense industrial cooperation roadmap was adopted to enable co-production of advanced defense systems and collaborative research ,testing and prototyping of projects. The agreement like GE-HAL MOU for the manufacture of GEF-414 jet engines in India , procurement of 31 MQ-9B UAV's led to strenthening of Maintenance ,Repair and Overhaul (MRO)facility .

Counter-Terrorism is one of the bilateral partnership featuring information exchange, capacity building, operational cooperation and regular dialogue .

US has joined the International Solar Alliance, also is a member of Coalition for disaster relief infrastructure (CDRI) and founding member of Global biofuels Alliance .Both countries share a common vision for clean energy and to achieve global climate goals .India -US Climate and Clean Energy Agenda 2030 Partnership and strategic clean energy partnership (SCEP)is reflective of this commitment. The Science and Technology Cooperation signed in October 2005, was renewed for 10 years in September 2019 . India and US have a long history of cooperation in the civil arena in Earth Observation ,Satellite Navigation, Space Science and exploration. ISRO has robust civilian space cooperation with US National Aeronautics and Space Administration. ISRO and NASA are developing a microwave remote sensing satellite for Earth observation, NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar (NISAR).

Initiative for critical and emerging Technology (iCET) was launched by National Security Advisors in Washington DC in 2023 to facilitate strategic technology collaborations in critical and emerging technologies,co- development and co-production and connect the respective innovations ecosystems especially in AI,quantum, telecom ,space, biotech , semiconductors, emerging defense technologies and biotech. Both countries share a vision of creating secure and trusted telecommunications(Open RAN) ,resilient supply chains and enabling global digital inclusion.The centrality of technology in reshaping the current world order cannot be overstated especially as the US and China have entered a new tech-race spearheaded by the 'chipwar'.

Both the Nations though on opposite sides in Russia-Ukraine War due to India's longstanding relations with Russia have emphasised that rules based international order built on the Principles of UN charter be respected. The relationship carries a future- proof strategic design in the form of defense deals, high technology collaborations, and alternative supplychains for India.

References:-

1. Suhasini Haider,"India and U.S. can resolve differences, say Jaishankar, Finer", The Hindu, December 2023.
2. Ministry of External Affairs, Government of India, "Address by Prime Minister ,Shri Narendra Modi To the Joint Session of the US Congress," June 2023.
3. Harsh V.Pant ,"India-US Relationship in a New Tech-Order"-The Economic Times.
4. Girish Luthra-The India -US defense Industrial and technology cooperation:From aspirations to outcomes, Raisina debates.
5. https://www.drishtiias.com/daily-updates/daily-news-analysis/india-us-realtions-5.
6. The Hindu Newspaper.
7. The Indian express.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

Agriculture Marketing Schemes In India

Dr. Archana Singhal*

***Assistant Professor (Economics) D.A.V. (P. G) Collage, Muzaffarnagar (U.P.) INDIA**

Abstract - Agriculture marketing schemes in India are pivotal in transforming the agricultural sector by modernizing markets and enhancing market efficiency. These schemes aim to empower farmers by ensuring fair prices, reducing middlemen exploitation, and improving market accessibility through initiatives such as establishing market yards, promoting direct marketing channels, implementing quality standards, and providing training and government support. By fostering transparency and competitiveness, these schemes contribute to the welfare of farmers, enhance food security, and strengthen the overall agricultural economy of India.

Introduction - Agriculture marketing schemes in India play a crucial role in shaping the dynamics of the agricultural sector, which is the backbone of the country's economy and a primary livelihood source for millions of farmers. These schemes are designed to address systemic challenges such as inefficient market infrastructure, middlemen exploitation, and price volatility, which have traditionally hindered farmers' ability to receive fair prices for their produce.

India's agriculture marketing schemes aim to modernize and streamline agricultural markets by improving physical infrastructure like market yards, storage facilities, and transportation networks. They also promote the adoption of technology-driven solutions for efficient market operations and price discovery mechanisms.

National Agriculture Scheme(14-04-2017): Small Farmers' Agribusiness Consortium (SFAC) is designated as Lead Agency, to roll out the NAM in partnership with a Strategic Partner (SP), which will be responsible for developing, running and maintaining the proposed e-marketing platform.

National Agriculture Market (NAM) is envisaged as a pan-India electronic trading portal which seeks to network the existing APMC and other market yards to create a unified national market for agricultural commodities. NAM will create a national network of physical mandis which can be accessed online. It seeks to leverage the physical infrastructure of the mandis through an online trading portal, enabling buyers situated even outside the State to participate in trading at the local level.

Some Basic Facts About National Agriculture Market Scheme Design: It is the objective to usher in reform of the agri marketing system and to provide farmers / producers with access to markets across the country. The scheme envisages implementation of the NAM by setting up of an appropriate common e-market platform that would be deployable in selected 585 regulated wholesale markets in States / UTs desirous of joining the e-platform.

National Agriculture Market Scheme Features:

1. A National e-market platform for transparent sale transactions and price discovery in regulated markets, kisan mandis, warehouses and private markets. Willing States to accordingly enact provision for e-trading in their APMC Act.
2. Liberal Licensing of traders / buyers and commission agents by State authorities without any pre-condition of physical presence or possession of shop / premises in the market yard.
3. One license for a trader valid across all markets in the State.
4. Harmonization of quality standards of agricultural produce and provisions of assaying (quality testing) infrastructure in every market to enable informed bidding by buyers.
5. Restriction of agriculture Produce Marketing Committee's (APMC) jurisdiction to within the APMC market yard / sub yard instead of a geographical area (the market area) at present.
6. Single point levy of market fees i.e. on the first wholesale purchase from the farmer.

SFAC will implement the national e-platform and will cover 400 and 185 mandis during 2016-17 and 2017-18 respectively. SFAC will develop, operate and maintain the NAM platform with technical support from the Strategic Partner viz. M/s Nagarjuna Fertilizer and Chemicals Limited, who have been selected through an e-procurement process.

Agriculture Market Working Model

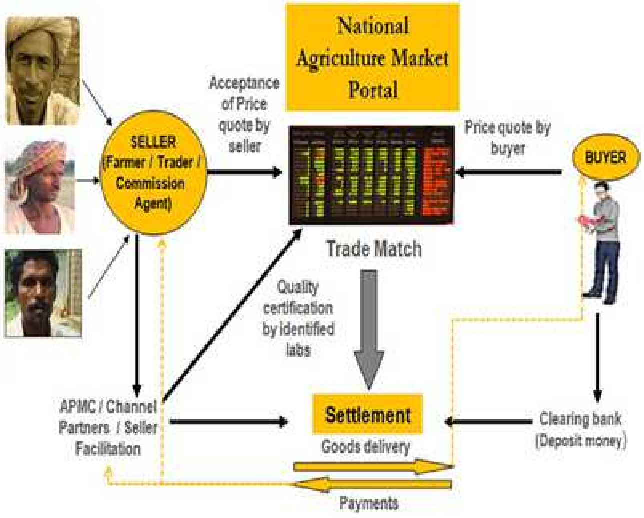

Benefits of Trading on NAM:

1. Transparent Online Trading
2. Real Time Price Discovery
3. Better Price Realization For Producers
4. Reduced Transaction Cost For Buyers
5. Stable Price and Availability to Consumers
6. Quality Certification, Warehousing, and Logistics
7. More Efficient Supply Chain
8. Payment and Delivery Guarantee
9. Error Free Reporting of Transactions
10. Enhanced Accessibility to the Market

Soil Health Card Scheme: Soil Health Card Scheme is a scheme launched by the Government of India on 19 February 2015. Under the scheme, the government plans to issue soil cards to farmers which will carry crop-wise recommendations of nutrients and fertilisers required for the individual farms to help farmers to improve productivity through judicious use of inputs. All soil samples are to be tested in various soil testing labs across the country. Thereafter the experts will analyse the strength and weaknesses (micro-nutrients deficiency) of the soil and suggest measures to deal with it. The result and suggestion will be displayed in the cards. The government plans to issue the cards to 14 crore farmers.

Scheme: The scheme aims at promoting soil test based and balanced use of fertilisers to enable farmers to realise higher yields at lower cost. also the main objective is to aware growers about the appropriate amount of nutrients for the concerned crop depending on the quality of soil. It covers 12 Parameters.

Budget: An amount of Rs 568 crore (US$71 million) was allocated by the government for the scheme. In 2016 Union budget of India, Rs 100 crore (US$13 million) has been allocated to states for making soil health cards and set up labs.

Performance: As of July 2015, only 34 lakh Soil Health Cards (SHC) were issued to farmers as against a target 2015–16. ArunachalPradesh, Goa, Gujarat, Haryana, Kerala, Mizoram, Sikkim, TamilNadu, Uttarakhand and West Bengal were among the states which had not issued a single SHC under the scheme by then. The number grew up to 1.12 crore by February 2016.As of February 2016, against the target of 104 lakh soil samples, States reported a collection of 81 lakh soil samples and tested 52 lakh samples. As on 16.05.2017, 725 lakh Soil Health Cards have been distributed to the farmers.

Plans: The target for 2015–16 is to collect 100 lakh soil samples and test these for issue of soil health cards. 2 crore cards are under printing and will be distributed before March 2016.[5] The government plans to distribute 12 crore soil cards by 2017.

Rashtriya Krishi Vikas Yojana(RKVY): The Rashtriya Krishi Vikas Yojana was introduced to provide support to the agricultural sector in achieving 4% annual agriculture growth. RKVY scheme was launched in the year 2007 and was later rebranded as Remunerative Approaches for Agriculture and Allied sector Rejuvenation (RAFTAAR) to be implemented for three years till 2019-20 with a budget allocation of Rs 15,722 crore. In a meeting held on 29th May 2007, the National Development Council (NDC), resolved the idea of launching a Central Assistance Scheme (RKVY) concerned by the slow growth in the Agriculture and allied sectors. The NDC also aimed at the reorientation of agricultural development strategies to meet the needs of farmers. The scheme provided considerable flexibility and autonomy to States in planning and executing programmes for incentivising investment in agriculture and allied sectors.

What is Rashtriya Krishi Vikas Yojana?

The scheme facilitated decentralized planning in the agricultural sector through the initiation of the State Agriculture Plan (SAP) and District Agriculture Plans (DAPs). The scheme was based on agro-climatic conditions ensuring the availability of appropriate technology and natural resources thus providing accommodation for local needs.

Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY) is an important topic for the IAS Exam. Candidates can download the notes PDF at the end of the article.

Objectives of RKVY RAFTAAR: The main objective of Rashtriya Krishi Vikas Yojana is to develop farming as the main source of economic activity. Some of the objectives also include:

1. Risk mitigation, strengthening the efforts of the farmers along with promoting agri-business entrepreneurship through the creation of agri-infrastructure.
2. Providing all the states with autonomy and flexibility in making plans as per their local needs.
3. Helping farmers in increasing their income by encouraging productivity and promoting value chain addition linked production models.
4. To reduce the risk of farmers by focusing on increas-

ing income generation through mushroom cultivation, integrated farming, floriculture, etc.

5. Empowering the youth through various skill development, innovation, and agri-business models.

Latest Updates on RKVY RAFTAAR: Ministry of Agriculture funding start-ups under the innovation and agri-entrepreneurship component of Rashtriya Krishi Vikas Yojana in 2020-21.

In addition to 112 startups already funded for a sum of Rs. 1185.90 lakhs, 234 startups in the agriculture and allied sectors will be funded for a sum of Rs. 2485.85 lakhs.

A component, the Innovation and Agri-entrepreneurship Development programme has been launched under Rashtriya Krishi Vikas Yojana to promote innovation and agri-entrepreneurship by providing financial support and nurturing the incubation ecosystem.

These start-ups are in various categories such as agro-processing, artificial intelligence, digital agriculture, farm mechanisation, waste to wealth, dairy, fisheries etc.

The following are the components of this scheme:

Agripreneurship Orientation – 2 months duration with a monthly stipend of Rs. 10,000/- per month. Mentorship is provided on financial, technical, IP issues etc.

Seed Stage Funding of R-ABI Incubatees – Funding upto Rs. 25 lakhs (85% grant & 15% contribution from the incubatee).

Idea/Pre-Seed Stage Funding of Agripreneurs – Funding up to Rs. 5 lakhs (90% grant and 10% contribution from the incubatee).

Significance of RKVY Scheme: The Rashtriya Krishi Vikas Yojana scheme is responsible for planning and executing programs for incentivizing investment in agriculture by providing the states considerable flexibility and autonomy. This scheme became successful in increasing the agricultural state domestic product and promoting agri-entrepreneurship.

Some of the useful significances of the RKVY Scheme are as follows:

1. Incentivising all the states of India in enhancing more allocation to agricultural and allied sectors.
2. RKVY helps in creating the post-harvest infrastructure required for the growth of agriculture along with strengthening the efforts of the farmers by providing market facilities.
3. It will help in the promotion of private investment in the farm sector across the nation.

Some of the major sub-schemes that are implemented under RKVY-Raftaar are Accelerated Fodder Development Programme (AFDP), Saffron Mission, Crop Diversification Programme (CDP), etc.

The RKVY – Raftaar covers all the major sectors of the country which include:

1. Crop Cultivation and Horticulture
2. Animal Husbandry and Fisheries
3. Dairy Development, Agricultural Research and Education
4. Forestry and Wildlife
5. Plantation and Agricultural Marketing
6. Food Storage and Warehousing
7. Soil and Water Conservation
8. Agricultural Financial Institutions, other Agricultural Programmes and Cooperation.

Conclusion: Agriculture marketing schemes in India represent a crucial step towards transforming the agricultural landscape by addressing longstanding challenges faced by farmers. Through initiatives aimed at modernizing infrastructure, enhancing market access, and empowering farmers with knowledge and support, these schemes foster fairer pricing, reduce exploitation by middlemen, and improve overall market efficiency. By promoting transparency, competitiveness, and sustainability in agricultural markets, these efforts not only benefit farmers by increasing their income and reducing post-harvest losses but also contribute significantly to India's food security and economic growth. Continued commitment to these schemes is essential to ensure sustained progress and prosperity for the agricultural sector in India.

References:-

1. Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Government of India: agricoop.nic.in
2. National Institute of Agricultural Marketing (NIAM): niam.gov.in
3. National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd. (NAFED): nafed-india.com
4. Academic Journals and Research Papers: Access via JSTOR, ResearchGate, Google Scholar.
5. Government Reports and Publications: Annual reports and policy documents from state agricultural departments and central ministries.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

A Study on Mental Health in Relation to Emotional Intelligence of College Students with Visual Impairment and Normal Vision

Dr. Kuldeep Singh Tomar* Dr. Anil Kumar Verma**

*Principal, Tridev College of Education, Muzaffarnagar (U.P.) INDIA
**Assistant Professor, Ambrish Sharma College of Education & Technology, Meerut (U.P.) INDIA

Introduction - The earliest roots of emotional intelligence can be traced to Darwin's work on the importance of emotional expression for survival and second adaptation. In the 1900s, even though traditional definitions of intelligence emphasized cognitive aspects such as memory and problem-solving, several influential researchers in the intelligence field of study had begun to recognize the importance of the non-cognitive aspects. For instance, as early as 1920, E.L. Thorndike used the term social intelligence to describe the skill of understanding and managing other people.

The first use of the term "Emotional Intelligence" is usually attributed to Wayne Payne's doctoral thesis, A Study of Emotion : Developing Emotional Intelligence from 1985. However, prior to this, the term "emotional intelligence" had appeared in Leuner (1966). Greenspan (1989) also put forward an EI model, followed by Salovey and Mayer (1990), and Goleman (1995).

Emotions: Aristotle (384-332) use the word "passion" to include appetite, anger, fear, confidence, joy, love, and hate-loving emulation and in general various states accompanied by pleasure and pain.

Emotional Intelligence: According to **Mayer and Salovey (1997)**, **"Emotional Intelligence is the ability to perceive emotions, to access and generate emotions so as to assist thought, to understand emotions and emotional knowledge, and to reflectively regulate emotions so as to promote emotional and intellectual growth".**

Aspect of Emotional Intelligence: To be successful requires the effective awareness, control and management of one's own emotions, and those of other people. EQ embraces two aspects of intelligence:

I. Understanding yourself, your goals, intention, responses, behavior and all.
II. Understanding others, and their feelings.

Domains of Emotional Intelligence: Goleman identified the five 'domains' of EQ as:

1. Knowing your emotions.
2. Managing your emotions.
3. Motivating yourself.
4. Recognizing and understanding other people's emotions.
5. Managing relationships, i.e. managing the emotions of others.

Mental Health: The term mental health is of recent origin. The concept and the objectives of mental health have been explained differently by different authorities. Authorities have not yet found a definition of mental which is unanimously accepted. It is, therefore, advisable to describe the characteristics of mentally healthy individuals than to define the term. However, Jahoda (1963) presented a definition of mentally healthy individual which may be noted here. "A mentally healthy person is one who actively masters his environment, demonstrates a considerable unity or consistency of personality and is able to function effectively without making undue demands upon other."

Justification of the Study: The importance of the study is also reflected in the need to understand the relationship of emotional intelligence with mental health. In order to further understand the psycho-social implications of visual impairment on the said psychological variables.

Statement of the Problem: "A Study of Mental Health in relation to Emotional Intelligence of Visual impairment and Normal vision."

Need and Importance of the Study: Intelligence refers to the abilities to adjust with the situations. It is a concept that refers to individual differences in the ability to acquire knowledge to think and reason effectively, and deal adaptively with the environment. Earlier, it was thought that performance or attainment in any field is the outcome of

certain abilities, collectively known as intelligence. However, increasingly it has been realized that in addition to intelligence, emotions are equally or even more responsible for performance. Emotions are powerful organizers of thought and action and paradoxically indispensable for reasoning rationally. When emotions are acknowledge and guided constructively, they enhance performance. IQ and even Standard Achievement Test (SAT) scores don't predict success in life. Even success in academics can be predicted more by emotional and social measures – e.g. being self assured and interested, following directions, turning to teachers for help, expressing needs while getting along with other colleagues.

Objectives:

1. To study the difference in mental health and emotional intelligence of college students with visual impairment and normal vision.
2. To study the difference in mental health and emotional intelligence of male and female college students with and normal vision.
3. To study the difference in mental health and emotional intelligence of male and female college students with normal vision.
4. To study the difference in mental health and emotional intelligence of college students, with congenital and adventitious visual impairment.
5. To study the difference in mental health and emotional intelligence of college students, with totally blindness and partial vision.

Hypothesis:

1. There are no significantly differences in mental health and emotional intelligence of college students with visual impairment and normal vision.
2. There are no significantly differences in mental health and emotional intelligence of male and female college students with normal impairment.
3. There are no significantly differences in mental health and emotional intelligence of male and female of college students with visual impairment.
4. There are no significantly differences in mental health and emotional intelligence of college students, with congenital and adventitious visual impairment.
5. There are no significantly difference in mental health and emotional intelligence of college students, with total blindness and partial vision.

Delimitations: The study covers a vast area including Emotional Intelligence and Mental Health at visual impairment and normal vision. However to reach out to all the subject requires a lot of time, recourses and Labour. Hence it is essential to delimit and specific the area of the study. The researcher had delimited the study as under only college students.

1. The area of present study limits of Delhi and U.P.
2. The study was conducted on College students only.
3. Only Emotional Intelligence and Mental health is measured in present study.
4. The present study was conducted for Visual impairment and normal vision in Delhi and U.P.
5. Tools were administered over college students.
6. This study is not to be generalized.

Method and Procedure: A well thought out plan of action in advance followed by a systematic execution brings out fruitful results. Keeping in view the nature of the present study, procedure adopted to tackle the present research problem was planned in advance.

Research Method: The Focus of the study has to:

- Study the difference between college students with visual impairment and normal vision in terms of mental health & emotional intelligence.

Sampling: Purposive sampling procedure was followed to select Two hundred college students. A purposive sample of 100 college students with visual impairment was selected from different colleges of Delhi and U.P. Another comparative sample of 100 college students with normal vision was also selected from Delhi and U.P. state in both the cases out of 200 students 160 were male and 40 were female students.

Tools and Technique Used: For each and every type of research, we need certain tools and techniques together the required facts or to explore new areas. The selection of tools for a particular study depends upon certain factors such as the objectives of the study, the amount of time at disposal of the investigator and availability of suitable tests. Taking these factors into consideration, the investigator decided to use the following tools for the present study.

1. Mental Health Inventory (M.H.I.) developed by Jagdish and Srivastava A.K.
2. Emotional Intelligence Scale (EIS) developed by the Investigator himself.

Collection of Data: After selecting samples of college-students with visual impairment and normal vision, concerned authorities were contacted by the investigator to seek permission for administering relevant tools on the students. Investigator established rapport with the students before actual administration of difference research tools namely, Student Mental Health Inventory and Emotional Intelligence Scale and explained briefly but distinctly the purpose of the study.

Statistical Techniques Used: In order to analyze the data with suitable statistical techniques to study the differences between mean scores of concerned variable with reference to relevant groups, t-test was employed.

Main Findings:

1. Difference between college students with visual impairment and normal vision

i. Mental health and its dimensions of college students with normal vision were more than those of college students with visual impairment.
ii. Emotional intelligence and its dimensions of college students with normal vision were more than those of

college students with visual impairment.

2. Difference between male and female college students with normal vision (N.V.)

i. Male and female college students with N.V. do not differ significantly in terms of mental health and its five dimensions viz., positive self evaluation, perception of reality, integration of personality, autonomy, environmental mastery. However, male college students with normal vision were found better on group oriented attitude.

ii. Male college students with normal vision are better than the female college students with normal vision on emotional intelligence and its three dimensions viz Mood Management, empathy and Managing relationship. However, these two groups do not differs significantly with regard to other two remaining dimensions of emotional intelligence viz, self awareness and self motivation.

3. Difference between male and female college students with visual impairment (V.I.)

i. Male college students with V.I. were found better than female college students with V.I. on mental health and its four dimensions viz, positive self evaluation, perception of reality and autonomy and environmental mastery. However, these two groups do not differ significantly with regard to two dimensions of mental health viz. integration of personality and group-oriented attitude.

ii. Male college students with V.I. were found better than female college students with V.I. on emotional intelligence and its all the five dimensions viz, self-awareness, Mood management, self motivating, empathy and Managing relationship.

4. Difference between college students with congenital and adventitious visual impairment (V.I.).

i. College students with congenital and adventitious V.I. do not differ significantly in terms of mental health and it's all the dimensions viz, positive self evaluation perception of reality, integration of personality, autonomy, and group oriented attitude and environmental mastery.

ii. College students with congenital and adventitious V.I. do not differ significantly with regard to emotional intelligence and it's all the dimensions viz, self-awareness, Mood management, self motivating, empathy and Managing relationship.

5. Difference between totally blind and partially seeing college students.

i. Totally blind and partially seeing college students do not differ significantly on mental health and it's all the six dimensions viz, positive self evaluation, perception to reality, integration of personality, autonomy, and group oriented attitude and environmental mastery.

ii. Totally blind and partially seeing college students do not differ significantly on emotional Intelligence and its all the five dimensions viz, self-awareness, Mood management, self motivating, empathy and Managing relationship.

6. Effect of status of vision and sex on different variables:

i. Status of vision had significant effect on mental health and it's all the six dimensions viz, positive self evaluation, perception of reality, integration of personality, autonomy group oriented attitude and environmental mastery.

ii. Sex had significant effect on mental health and its, three dimensions viz, positive self evaluation, autonomy, group oriented attitude. However, sex had no significant effect on three dimensions of mental health viz. integration of personality, perceptions of reality and environmental mastery.

iii. Status of vision and sex had no significant interactional effect on mental health and it's all the six dimensions viz. positive self evaluation, perception of reality, integration of personality, autonomy, and group oriented attitude and environmental mastery.

iv. Status of vision had significant effect on emotional intelligence and it's all the five dimensions viz. self-awareness, Mood management, self motivating, empathy and Managing relationship.

v. Sex had significant effect on emotional intelligence and it's all the five dimensions viz, self-awareness, Mood management, self motivating, empathy and Managing relationship.

vi. Status of vision and sex had significant interactional effect on emotional intelligence and it's all the five dimensions viz, self-awareness, Mood management, self motivating, empathy and Managing relationship.

References:-

1. Adrian and Petridis (2003), conducted a research work on Trait emotional intelligence and happiness.
2. Agashe (1991), conducted a research work on A psycho-social study of the mental health of players and non-players.
3. Das (1989), has conducted a research work on A study of the mental health of teachers serving in the primary schools of Purl town.
4. Devi & Mayuri (2005) conducted a study on "Relationship between Emotional intelligence and Mental Health."
5. Jahoda (1963), "A mentally healthy reason ins one who actively masters his environment, demonstrates a considerable unit or consistency of personality".
6. Kaufhold and Johnson (2005), conducted a study on "Analysis of the Emotional Intelligence Skills and Potential Problem areas of Elementary Educations."
7. Kaur (2001), conducted a study on "Psychological Problems of Adolescents of Working and Non-working Women in relation to Emotional Intelligence."`
8. Mohanty (1992), has conducted a research work on

Occupational stress Ind mental health in executives : A comparative study of the public and private sector.

9. Scott (2001), conducted a study on "Contribution of Emotional Intelligence to the Social and Academic Success of Gifted Adolescents."

10. Tiwari and Srivastava (2004), conducted a study on "Schooling and Development of Emotional Intelligence."

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

भारत में दल-बदल के परिप्रेक्ष्य में विधानसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष एवं न्यायपालिका की भुमिका का अध्ययन

हर्षित मण्डलोई *

* शोधार्थी, राजनीति विभाग एवं लोक प्रशासन अध्ययन शाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – यह शोध पत्र भारत में बढ़ती दल बदल कि घटना तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के सुदृढ़ीकरण के विचार हेतु प्रस्तुत किया गया है किसी भी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में वहा के वयस्क मतदाता एवं निर्वाचित सदस्यों तथा वहा निवास करने वाली जनता के लिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि लोकतांत्रिक प्रणाली देश कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारक भी इन्हीं निर्वाचित सदस्यों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। परन्तु पिछले कुछ वर्षो से भारत में अत्यधिक दल बदल एवं विभिन्न राज्यों में दल बदल से सत्ता परिवर्तन के कारण लोकतांत्रिक प्रणाली एवं मूल्यों क्षति देखने को मिलती है सन् 1967 से भारत में दल बदल कि घटना प्रारम्भ होती है जो वर्तमान में भी प्रमुख समस्या के रूप में निरंतर जारी है। तथा हाल ही में मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड देखने को मिला है तथा सन् 2023 विधानसभा 2024 लोकसभा चुनाव में भी अत्यधिक दल बदल कि घटना देखी है। इस हेतु विधानसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष एवं न्यायपालिका कि भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।

प्रस्तावना – दल-बदल का अर्थ है एक दल को छोड़कर दूसरे दल में जाना। परन्तु समस्या तब पैदा हो जाती है जब कोई निर्वाचित सदस्य अपनी पार्टी से त्यागपत्र देकर दूसरी पार्टी में शामिल होता है या सदन की सदस्यता से त्यागपत्र देकर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है या फिर अपनी पार्टी द्वारा जारी व्हिप के विरुद्ध सदन में मत देता है तो इसे दल बदल कहा जाता है। चव्हाण समिति ने दल-बदल को इस प्रकार परिभाषित किया – यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक दल के सुरक्षित चुनाव चिह्न पर संसद के किसी सदन अथवा किसी राज्य या संघ शासित क्षेत्र की विधानसभा या विधान परिषद् का सदस्य निर्वाचित होने के पश्चात् स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल के प्रति अपनी निष्ठा का परित्याग करता है या उस राजनीतिक दल से सम्बन्ध तोड़ता है और उसका यह कार्य उसके दल के किसी सामूहिक निर्णय का परिणाम नहीं है, तो ऐसा करना दल-बदल कहलाएगा।

सुभाष कश्यप के अनुसार– जब कोई विधायक व्यक्तिगत रूप से अथवा सैद्धान्तिक मतभेदों के कारण अपने दल से त्याग-पत्र दे देता है या नया राजनीतिक दल बना लेता है या दल की सदस्यता का त्याग किए बिना ही उस दल के विरुद्ध सदन में मतदान करता है, तो उसे राजनीतिक दल-बदल कहते हैं।

उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि दल बदल में निम्नलिखित कारक आते है जैसे –

1. यदि कोई सदस्य किसी दल के टिकिट पर चुना गया हो तथा उसने अपनी इच्छा से उस दल की सदस्यता त्याग दी हो और दूसरे दल में सम्मिलित हो गया हो।
2. निर्दलीय सदस्य चुनाव पश्चात् किसी दल में शामिल हो गया हो।
3. सदन में अपने दल के द्वारा जारी व्हिप के विरुद्ध मतदान करें।

भारत में दल बदल की घटना वैसे तो आजादी के बाद से ही देखने को मिलती है परन्तु 1967 से इसमें अत्यधिक वृद्धि देखने को मिलती है जिसमें 1967 में हरियाणा के एक विधायक ग्यालाल जिन्होंने एक ही दिन में तीन बार दल परिवर्तन कर लिया तथा इस प्रवृत्ति को 'आया राम गया राम' का नाम दिया गया।

1947-1967 के बीच 20 वर्षो में कुल 540 सांसदों एवं विधायकों के द्वारा दल बदल किया गया। तथा 1967-1968 के बीच 1 वर्ष में ही लगभग 440 सदस्यों के द्वारा दल बदल किया गया। 1968 के पश्चात् भारत में दल बदल की प्रवृत्ति का अत्यधिक मात्रा में विस्तार हुआ। 1967 से 1971 के मध्य लगभग 1400 विधायकों के द्वारा दल बदल किया गया। तथा इस प्रवत्ति को ध्यान में रखते हुए 1968 में लोकसभा में एक गैर-सरकारी विधेयक वेंकट सुबैया द्वारा लाया गया तथा 1969 में लोकसभा ने दल बदल की समस्या को अध्ययन करने के लिए तत्कालीन गृह मंत्री वाई- वी- चव्हाण की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। जिसके द्वारा निम्नलिखित सिफारिशें दी गई। जैसे –

- सभी राजनीतिक दल आम सहमति से एक संहिता का निर्माण करे तथा सभी इसका स्वेच्छा से पालन करें।
- दल बदलू सदस्यों को मंत्री ना बनाया जाय।
- मंत्रिमंडल का आकर सीमित किया जाना चाहिए।
- दल बदलुवो को विधानमंडल कि सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया जाए।
- मंत्रिपरिषद को विधानसभा भंग करने की सिफारिश का अधिकार प्राप्त होना चाहिए आदि।

1978 में जनता पार्टी की सरकार के द्वारा भी दल बदल को रोकने के

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

लिए एक विधेयक लाया गया था परन्तु पार्टी के अंदर ही परस्पर विरोधी विचारो के कारण विधेयक वापस ले लिया गया। आपातकाल के पश्चात् 1977 में आम चुनाव हुए जिसमें किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। तथा श्री मोरारजी देसाई ने जनता दल एवं अन्य दलों की सहायता से सरकार का निर्माण किया, परन्तु यह सरकार भी ज्यादा समय तक नहीं चल पाई एवं जनता दल ने समर्थन वापस ले लिया तथा कांग्रेस के साथ मिलकर श्री चोधरी चरण सिंह ने सरकार का निर्माण किया, परन्तु यह सरकार भी ज्यादा समय तक नहीं चल पाई क्योंकि कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया था तथा 1980 में पुन: मध्यावधि चुनाव कराना पड़ा था जिसमें कांग्रेस ने श्री मती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में सरकार का निर्माण किया।

1985 में श्री राजीव गांधी की सरकार ने अत्यधिक दल बदल को देखते हुए 52 वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया एवं इस पर लगाम लगाने हेतु 1985 में दल बदल विरोधी कानून को अधिनियमित किया गया तथा संविधान में संशोधन करके 10 वी अनुसूची में शामिल किया गया। तथा इस कानून के तहत अयोग्यता से सम्बन्धित निर्णय लेने कि शक्ति लोकसभा एवं विधानसभा अध्यक्ष को सौंपी गई तथा इस कानून में यह भी प्रावधान किया गया था कि यदि किसी पार्टी के 1/3 सदस्य पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में शामिल होते है तो उन पर यह दल बदल कानून लागू नहीं होगा। अत: इसी प्रावधान को आधार बनाकर कई पार्टियों के सदस्यों ने दल बदल किया तथा उन पर यह कानून लागू नहीं हुआ। इस कानून में एक प्रावधान यह भी था कि अध्यक्ष द्वारा दिए गए निर्णय को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अर्थात् अध्यक्ष द्वारा दिए गए निर्णय की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी। जिसे 1992 में किहोतो होलान बनाम साई जाच्चिल्लू वाद में उच्चतम न्यायालय ने समाप्त कर दिया गया।

1985 में कानून निर्माण के बाद भी भारत में दल बदल की घटना कम नहीं हुई तथा केंद्र एवं राज्य दोनों जगह दल बदल की घटना देखने को मिली है तथा कई बार सत्ता परिवर्तन भी देखने को मिला है। तथा दल बदल कानून में निहित 1/3 के प्रावधान से छोटी छोटी पार्टियों को अत्यधिक लाभ हुआ है। जिन्होंने सरकार बनाने एवं गिराने में अत्यधिक भूमिका निभाई तथा इसी को ध्यान में रखते हुए सन् 2003 में 91 वां संविधान संशोधन लाया गया तथा दल बदल कानून में निहित 1/3 के प्रावधान को समाप्त कर उसके स्थान पर 2/3 का प्रावधान किया गया। तथा मंत्रिपरिषद का आकार सीमित कर 15 प्रतिशत से अधिक नहीं का प्रावधान सम्मिलित किया गया।

वर्तमान में विभिन्न राज्यों में दल – बदल एवं सत्ता परिवर्तन एक नये रूप में दिखाई देता है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

अरुणाचल प्रदेश- 2016: 2014 के पश्चात् भारत में दल बदल की घटना में वृद्धि देखने को मिलती है। जैसे 2014 में अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे जिसमे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस-42, भारतीय जनता पार्टी-11, पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश-5 तथा 02 सीटें निर्दलीयों को प्राप्त हुई थी। अत: नकाब तुकी के नेतृत्व में कांग्रेस ने सरकार का निर्माण किया परन्तु कुछ ही समय पश्चात् पार्टी में आंतरिक कलह के कारण 21 बागी विधायकों में से 14 विधायकों को विधानसभा सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया। तथा यह मामला न्यायालय में लंबित था इस बीच राष्ट्रपति शासन लगा दिया। फरवरी 2016 को राष्ट्रपति शासन हटाने के बाद कालिखो पुल को मुख्यमंत्री बनाया गया परन्तु इसी बीच जुलाई 2016 में उच्तम न्यायालय का फैसला आया जिसमें 15 दिसंबर 2015 की स्थिति को पुन: बहाल कर दिया गया। सितंबर 2016 में मुख्यमंत्री पेमा खांडू सहित 42 विधायक, पी. पी. ए. में शामिल हो गए , जिससे कांग्रेस की सरकार का पतन हो गया तथा बी. जे. पी. के साथ मिलकर सरकार का निर्माण किया।

उत्तराखंड राजनीतिक संकट – 2016: इसी प्रकार मार्च 2016 में 70 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस के 09 बागी विधायकों को विधानसभा सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया। तथा उच्च न्यायालय ने 28 मार्च 2016 को फ्लोर टेस्ट बागी विधायकों के साथ करने का निर्देश दिया परन्तु इसी बीच 27 मार्च को राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। 11 मई 2016 को उच्तम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति शासन हटाया गया एवं कांग्रेस सरकार को पुन: बहाल कर दि गई।

मणिपुर राजनीतिक संकट- 2017: 2017 में मणिपुर में विधानसभा चुनाव हुए जिसमे कांग्रेस-28 , भाजपा-21, एल.ज.पी.1, एन.पी.पी.04, तृणमूल -01 तथा 01 सीट निर्दलीय को प्राप्त हुई। अत: एन- बीरेन सिंह के नेतृत्व में भाजपा ने सरकार का निर्माण किया तथा कुछ समय पश्चात् कांग्रेस के 08 विधायक बीजेपी में शामिल हो गये। अत: 03 वर्ष बीत जाने तक अध्यक्ष ने कोई निर्णय नहीं लिया। इसी बीच राज्यसभा चुनाव भी आ गए तथा उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया की बागी विधायक सदन में न वोट कर सकते है और ना ही सदन में बैठ सकते है। इसी बीच एक और घटना घटती है जिसमें 04 सदस्य वापस कांग्रेस में शामिल हो जाते है उन्हें विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तत्काल विधानसभा सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तथा अन्य 04 सदस्य के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया जाता है जो अध्यक्ष की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लगाता है।

तेलंगाना में दल-बदल – जून, 2019: दिसंबर 2018 के चुनाव में तेलंगाना राष्ट्र समिति टी.आर.एस. को 119 में से 88 सीटें और 02 निर्दली मिलाकर कुल 90 विधायकों का समर्थन प्राप्त था तथा आगे कुछ समय पश्चात् कांग्रेस के 18 में से 12 विधायक टीआरएस में शामिल हो गये जो कुल सीटें के 2/3 थे इसे विलय मानते हुए अध्यक्ष पी. श्रीनिवास रेठी ने अनुरोध स्वीकार कर लिया।

कर्नाटक राजनीतक संकट – जुलाई – 2019: कर्नाटक में 2018 में विधानसभा चुनाव हुए जिसमें 224 में से कांग्रेस – 79 , भाजपा-105 तथा जेडीएस-37 सीटें प्राप्त हुई। तथा कांग्रेस और जेडीएस मिलकर सरकार का निर्माण किया। परन्तु जुलाई 2019 में 14 कांग्रेस के तथा 03 जेडीएस के कुल 17 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को त्यागपत्र दे दिया तथा अध्यक्ष ने विधानसभा सदस्यता से अयोग्य घोषित करते हुए बची हुई अवधि तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। अत: जेडीएस ओर कांग्रेस की गठबन्धन सरकार का पतन हो गया तथा भाजपा ने सरकार का निर्माण किया। आगे उच्तम न्यायालय ने विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय की समीक्षा करते हुए अयोग्यता को सही ठहराया परंतु बची हुई अवधि तक चुनाव ना लड़ने को सही नहीं ठहराया।

मध्य प्रदेश में दल बदल – मार्च 2020: इसी प्रकार मार्च 2020 को 230 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस-115, भाजपा-108, बीएसपी-02, एसपी-01, निर्दलीय-03 थे जिसमे कांग्रेस के 23 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को त्यागपत्र दे दिया तथा यह सभी ज्योतिरादित्य

सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। जिससे कांग्रेस की सरकार का पतन हो गया। तथा शिवराज सिंह के नेतृत्व में बी.जे.पी. ने पुन: सरकार निर्माण करने में सफलता प्राप्त की। तथा दल बदलू में से कईयों को मंत्रीपद भी दे दिया तथा अधिकांश उपचुनाव भी जीत कर वापस आ गए।

महाराष्ट्र –जून, 2022: नवंबर 2019 में महाराष्ट्र में 288 सीटों पर चुनाव हुए थे जिसमें बीजेपी–106 , शिवसेना–55 , एनसीपी–53 , कांग्रेस–44 और निर्दलीय–13 सीटें प्राप्त हुई थी। अत: उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर सरकार का निर्माण किया था परन्तु कुछ ही समय पश्चात् जून 2022 में शिवसेना में आंतरिक कलह के कारण एकनाथ शिंदे 39 विधायकों के साथ उद्धव ठाकरे से प्रथक हो गए तथा बीजेपी के साथ मिलकर सरकार निर्माण की मंशा जाहिर की , जिससे राज्यपाल महोदय ने 30 जून को उद्धव ठाकरे सरकार को बहुमत परीक्षण करने का आदेश दिया, परंतु बहुमत परीक्षण के पूर्व ही उन्होंने त्यागपत्र दे दिया जिससे शिवसेन, एनसीपी, कांग्रेस की गठबन्धन सरकार का पतन हो गया। तत्पश्चात एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार का निर्माण किया।

इस प्रकार हम देखते है कि दल बदल कानून के निर्माण के पश्चात् भी देश में दल बदल की घटना में कमी नहीं आई है तथा कई बार अध्यक्ष की भूमिका पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया गया। तथा कहा गया कि अध्यक्ष सामान्यत: शासित पार्टी का ही सदस्य होता है जिससे यह आशा नहीं की जा सकती है कि वह स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम है तथा कई बार यह बात सत्य भी साबित हुई है जिसमें अध्यक्ष ने स्वतंत्र भूमिका नहीं निभाई है तथा कई बार अध्यक्ष मामलो को लंबे समय तक लटकाए रहते है जैसे मणिपुर के सम्बन्ध में देखने को मिला तथा अयोग्यता के सम्बन्ध में किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिया जाता है जिससे सम्बन्धित सदस्यों को इसका लाभ होता रहता है तथा इसका लाभ उठाते हुए कई सदस्यों को मंत्रिपरिषद भी दिया गया और कार्यकाल भी पूरा कर लिया गया।

प्रस्तुत शोध अध्ययन का उद्देश्य – प्रस्तुत शोध अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य सन् 2014 के पश्चात् विभिन्न राज्यों में हुये दल – बदल एवं सत्ता परिवर्तन का अध्ययन करना है शोध प्रारूप के विशिष्ट उद्देश्य निम्नलिखित है। :

1. दल – बदल की अवधारणा का अध्ययन करना।
2. दल – बदल कानून ,1985 का अध्ययन करना।
3. भारतीय राजनीति में गठबन्धन सरकारों एवं दल–बदल से उनके अंतर सम्बन्ध का अध्ययन करना।
4. विधानसभा अध्यक्ष एवं न्यायापालिका की भूमिका का अध्ययन।
5. अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर , तेलंगाना, कर्नाटक , मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों में हुए दल–बदल एवं सत्ता परिवर्तन का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि – प्रस्तुत शोध अध्ययन में ऐतिहासिक एवं विश्लेषणात्मक शोध प्रविधि का प्रयोग किया जाएगा जिसमें प्राथमिक एवं द्वितीयक स्त्रोतों से सम्बन्धित आंकड़ों को संकलित कर भारतीय लोकतांत्रिक शासन पद्धति एवं दलीय व्यवस्था में दल–बदल के उद्‌भव एवं उसके कारणों का ऐतिहासिक विवेचन करते हुए विभिन्न राज्यों में दल–बदल की राजनीति का तथ्यात्मक विश्लेषण किया जाएगा।

शोध के परिणाम – भारत में दल – बदल की घटनाओं एवं शोध से सम्बन्धित साहित्यों आदि के अध्ययन से ज्ञात होता है कि दल–बदल विरोधी कानून, 1985 में निहित अनेक कमियां है जिनमे सुधार करना अति आवश्यक है तथा इस अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य निरन्तर होने वाली दल – बदल की घटनाओं का अध्ययन करना। सत्ता, पद एवं प्रलोभन के लालच में जिन विधायकों एवं सांसदों के द्वारा दल–बदल किया जाता है उन्हें रोकने हेतु किस प्रकार से कड़े प्रावधान किए जा सकते है। तथा कानून में निहित व्यक्तिगत एवं सामूहिक दल – बदल के मध्य प्रावधान को क्या पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाना चाहिए? तथा विभिन्न राज्यों में दल–बदल के दौरान विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण होती है ऐसे में उनसे यह आशा की जाती है कि वह निष्पक्ष रूप से कार्य करें जिससे भेदभाव मूलक निर्णयों एवं अनावश्यक देरी से बचा जा सकता है। तथा इस शोध अध्ययन में न्यायालय द्वारा दल–बदल एवं अयोग्यता के सम्बन्ध में समय–समय पर दिए गए निर्णयों का विश्लेषण आदि। इस प्रकार एक समग्र अध्ययन से यह आशा की जाती है कि सम्बन्धित विषय पर किया जाने वाला शोध, दल–बदल विरोधी कानून में निहित खामियों को दूर करने एवं दल–बदल को रोकने हेतु सुझावो के माध्यम से कानून में संशोधन करने में अहम भूमिका निभाएगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची:–

1. A. Dixit,A. Bhatt,S. Saini, The Efficacy of Anti-Defection Law In India: A Comprehensive Analysis ,Source :- Volume II , Issue I Published : IJIRL, Dwarka, New Delhi
2. सी.बी.गेना , तुलनात्मक राजनीति एव राजनीतिक संस्थाए
3. C.Balyan, An Integrated Approach to Resolve the Crisis of Defection in India, NLUO Law Journal, Special Issue on Election Law 7, 2020
4. C. Nikolenyi, Government Termination and Anti-Defection Laws in Parliament, West European Politics 45 (3), 638-662, 2022
5. G.C. Malhotra, Anti Defection Law In India And the Commonwealth ,Metropolitan Book Co. Pvt. Ltd , 1, Netaji Subhash Marg ,New Delhi- 110002 ,India 2005
6. D. sarkar,P.C.Mishra, An Analytical Study on Politics of Defection in India ,International Journal of Law and Political Sciences 12 (2), 305-309, 2018
7. K.D. Laxman, P.K. Dilip, Anti-Defection Law And Democratic Spirit of Indian Politics, July,2022
8. K. Janda, Law Against Party Switching, Defecting or Floor – Crossing in National Parliaments ,World congress of the international Political Science association, Santiago, Chile, 12-16, 2009
9. Kavita, Suman, भारतीय राजनीति व्यवस्था में दल– बदल का विकास, Ignited Minds Journal, Bhikaji Cama Place, New Delhi Vol. VI , Issue XI , July – 2013
10. K.V. Swamy, Effect of Anti-Defection Law on Democracy ,Editorial Board 9 (4), 192, 2020
11. L. Narayan, भारतीय लोकतंत्र में दलीय प्रणाली के विविध स्वरूप :1952 से 2014 तक का राजनीतिक परिदृश्य, International Journal of Research, Volume 05, Issue 02 January 2018
12. N.S.Gehlot, The Anti - Defection Act,1985 And The Role

Of The Speaker, The Indian Journal of Political Science 52 (3), 327-340, 1991

13. P. Gupta , Anti-Defection Law: A Blessing or Disaster , Neolexvision Blog, 2020
14. P. Kumar, Politics of Defection in Indian Political System ,Journal of Global Research & Analysis 5 (1), 1133-38, 2012
15. P. Mehta, The Politics of Defection, at SSRN 3445958, 2019
16. P. Shree, Anti-Defection Law of India and It's Validity in The 21st Centuary ,Jus Corpus LJ 2, 1334, 2021
17. रजनी कोठरी, भारत की राजनीतत,Vani Prakashan; Third edition (1 January 2010)
18. S.C. Kashyap, Anti-Defection Law And Parliamentary Previleges ,Universal Law Publishing Company, 2011
19. U. Bhatia, what's Party Like ? The Status of the Political Party in Anti Defection Jurisdictons ,Law and Philosophy 40 (3), 305-334, 2021
20. V.Kumar, Electoral Reform in India : Needs, Issue and Challenge, International Journal of Political Science and Development, Vol. 9 (1) , pp , 17-24 , January 2021

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

Satisfaction Status in Private Banks in Ujjain District

Lakshya Malviya* Dr. L. N. Sharma Dr. Mahesh Sharma*****

*Research Scholar, Vikram University, Ujjain (M.P.) INDIA
** Principal & Guide, Govt. P.G. College, Mandsaur (M.P.) INDIA
*** Ex-Principal & Co- Guide, Kalidas College, Ujjain (M.P.) INDIA

Abstract - Job is a commercial activity in Indian Economy. It is part of employment for earning purpose. Job may be part time and may be full time activity. It is very importance in our Indian society because job provide a respectable position in Indian society.

Job is a just like a status in any society. If any person has respectable job in any sector he can participate successfully for over all development of country. Job may be respectable and not may be respectable but satisfaction with present job scenario is very important because dissatisfied employees can not work successfully in any sector specially in banking sector. Success of banking sector depends on various factor but satisfaction of bank employees can play a vital role for overall growth of banking sector.

Success of banking sector specially success of private banks are deeply related with satisfaction level because more satisfied bank employees can perform effectively and successfully also. But dissatisfied bank employees can create a lot of practical problems, disbuts and disterbance at work place in this condition importance of satisfaction or importance of satisfied employees is increase day by day in banking sector.

Private sector banks has some different working condition at work place and private sector banks are over loaded institutions due to unhealthy competition and other commercial pressures in this situation satisfied work force is must for over all success of private sector banks.

Management of private sector banks should take some practical steps for reduce work load, mantle stress, economic uncertainty, unhealthy working scenario for young bank employees etc. because. These are some barriers for the level of satisfaction in private sector banks in Ujjain District.

Keywords: Job, Status of Satisfaction, dissatisfied work force, work load, mantle stress, promotion system, working environment.

Introduction - Banking sector is part of our commercial life it is also important for Indian Economy because every commercial activities can not be possible without banking sector. Success of banking sector is depends on working environment and satisfaction level of employees is depends on working environment in this condition working environment and satisfaction level of bank employee are just co-related. There are strong relationship between working environment and success of banking sector specially for private sector banking.

Objectives - Study for this research paper is based on the job satisfaction status in private sector banking sector in Ujjain District. This study was carried with some objectives.

1. To find out impact of various variables on the level of satisfaction in job.
2. Study and analysis of factors affecting job satisfaction status in private sector banking.
3. Study and analysis of various problems and find out some practical solutions in the field of job satisfaction.
4. Study and analysis of working environment in private banks of Ujjain District.
5. To find out relationship between working scenario and satisfaction status in private sector banks.

Hypothesis - Survey work has identified impact of various factors on the level of job satisfaction for survey work and statistical analysis purpose, some hypothesis was created by the researcher like-

1. There is no impact of age group on the level of satisfaction.
2. The level of income affect the level of job satisfaction.
3. There is an important relationship between promotion system and satisfaction level.

Research Methodology - Sample based survey is a part of research methodology and sampling plan for survey purpose was developed by the researcher related with private banking sector of Ujjain District.

For this survey work total 06 banks were selected keeping in the view that these private banks are important

banks in Ujjain District.

Private banks which were selected for research paper -

(A) ICICI Bank (B) HDFC Bank
(C) Bandhan Bank (D) Kotak and Mahindra Bank
(E) IDBI Bank (F) Axis Bank

Data collection for survey work, is an important process and primary data and secondary data were collected by the researcher for survey purpose.

For primary data collection the researcher divided to bank employees in to three categories -

Bank employees of Private Sector

Officers Clarks Sub Staff

Some variable were also selected by the researcher for primary data collection purpose like

Variables for survey purpose

Age Group Income Promotion System

Statistical tools are most important for research study no one can not find out any conclusion from data analysis because statistical tools are just like a weapon for any researcher in the battle on research field.

Correlation co-efficient

Applied Statistical Tools — Chi Square Analysis

Satisfaction Status: Satisfaction in job or job satisfaction is main part of any organisation. Job satisfaction is a very important because satisfied bank employee can play a vital role for success of any organisation.

We can analise satisfaction status in private sector banks with some variables.

(A) Age Group of bank employee - Sample size for this research work was 120 from private sector bank. Age group of respondents is divided into three group.

(A) 18-30 years (B) 30-45 years (C) 45-60 years

Age group of bank employees is a main variable for research study and according statistical analysis of primary data we can shows some facts with diagram.

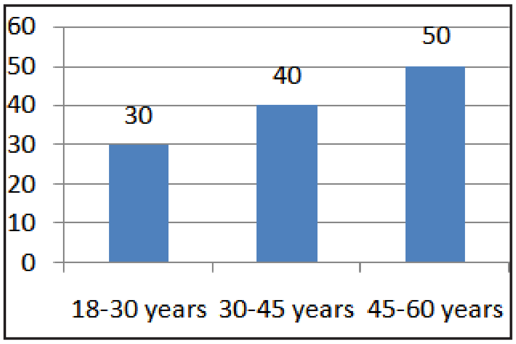

Figure No. 1 : Satisfaction Status and Age Group

According to Figure No. 1 -

1. In 18-30 years age group, there were 30 bank employees satisfied with their job scenario.
2. There were 40 bank employees satisfied with their job scenario in private banks in 30-45 years age group.
3. Bank employees of 45-60 age group, were more satisfied in private banking sector.

(B) Income of Bank Employees - Income is most important factor affect to satisfaction level because income specially monthly income can be related with satisfaction status deeply. for research purpose the researcher was divide monthly income of bank employees into for categories-

(A) Upto 15000 Rs. (B) 15000-30000 Rs
(C) 30000-45000 Rs. (D) 45000-60000 Rs.

Monthly income is an important variable for satisfaction status and according to statistical analysis of primary data we can show's some facts with diagram

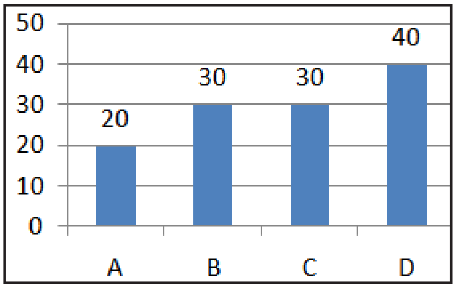

Figure No. 2 : Satisfaction Status according to Monthly Income

A. Monthly income up to 15000 Rs.
B. Monthly income 15000- 30000 Rs.
C. Monthly income 30000-45000 Rs.
D. Monthly Income 45000-60000 Rs.

According to Figure No. 2

1. Highly monthly income group is monthly income 45000-60000 Rs. and in this income group there were 60 bank employees satisfied.
2. 20 Bank employees were satisfied in Ist Income group it is minimum No. of satisfied bank employees.

(C) Promotion System of Private Banking Sector - Promotion system can play a vital role for satisfaction status. If any bank employee is satisfied with promotion system. In this condition he / she can work as an effective human resources for banking sector.

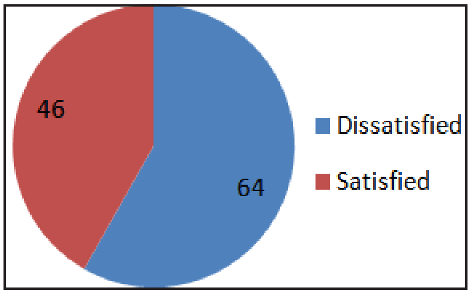

Figure No. 3 : Satisfaction with Promotion System

According to figure no. 3, 64% bank employees were dissatisfied with promotion system in private banks.

Main Findings - Main findings of this research paper are -

1. Satisfaction status affects working culture in private banks.
2. Working environment may be positive in the case of satisfied bank employees because satisfied bank employees can play a vital role for successful working system.
3. Highly aged group bank employees are more satisfied in private banking system but young bank employees are generally dissatisfied with their job status.
4. Monthly income is a main factor affect to satisfaction level for bank employees. Highly monthly income receiving bank employees are more satisfied with the comparison of other income group.
5. Lowest monthly income group bank employees are dissatisfied and lower monthly income group are also dissatisfied with present job scenario.
6. The level of satisfaction can increase according monthly income level specially for income group no. 4.
7. Generally bank employees of private sector banks are dissatisfied with promotion system.

According to Hypothesis Test some findings are -

A. The calculated value for Hypothesis No. 1 was 1.175. In this condition we can say that No. 1 Hypothesis is not True for this study.

B. The calculated value for Hypothesis No. 2 was 4.782. In this condition we can say that no. 2 Hypothesis in True for this study. Means there are strong and deeply relationship between income status and satisfaction status.

C. The calculated value for Hypothesis No. 3 was r = +.64 in this condition we can say that promotion system is a main factor for satisfaction status and 64% bank employees are dissatisfied.

Barriers for Research Work - Research study was not free with obstacles and various practical problems was faced by the researcher during primary data collection like-

1. Much busy schedule of bank employees.
2. Limited freeness for responding about various view's from bank employees.
3. Generally bank officers were not ready to explain their view in public life.
4. Difficult working culture of private banks was also a problem for research study.
5. More level of mantle stress of bank employees.
6. Day by day increase work load in private sector banks.

Conclusion- Working culture of private sector banks are some different with public sector banks in Ujjain District.

Private sector banks are over loaded now because they have much work load and according to increase work load, Bank employees of private sector banks are not satisfied with their working system. Generally young banker's are more dissatisfied than elder bank employees in this condition we can conclude that the level of satisfaction may be increase according to age vice in private sector banks.

Level of satisfaction can be increase with proper and effective implementation of above practical problems specially if we can reduce work load, reduce mantle stress and improvement in monthly income in this situation, the level of satisfaction can be increase time to time successfully. **- Lakshya Malviya**

References :-

1. Karimi, S. : Factors affecting job satisfaction : Scientific and research journal of Mazndaran University Publication (Nov. 2007)
2. Tomar, S. : A study of job satisfaction in retail sector : Ph.D. Thesis (2012) : Vikram University, Ujjain
3. Latham, G.P. : The study of work motivation in the 20th century : Americal Journal of Community Publication (June 2012)
4. Solanky, M.M. : Mental health of industrial workers : Indian Journal of Industrial Relationship Publication (June 2013)
5. Suneja, P. : Job satisfaction among bank employees : International Journal of Scientific & Technology Research Publication (December 2013)
6. Mukhergy, R. : Research Methodology (2015) " S. Chand Publication, New Delhi.
7. Mishra, K.N. : Research Methodology (2017) : Vrinda publication, New Delhi.
8. Padmaja, R. : A study on job satisfaction of bank employees : International Journal of Research Publication (March 2017)
9. Joshi, P. : Factors affecting job satisfaction in banking sector : Shodh Sarita Publication (June 2020)
10. Mohapatra, S.R. : A Comparative study on employees satisfaction in public and private sector bank : Journal of critical review publication (December 2020)

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

खादी और चरखा आर्थिक पहिए

कमलेश कुमार नाथ*

* एम.ए., नेट (जेआरफ) (इतिहास) हरणी महादेव रोड नया समेलिया, भीलवाड़ा (राज.) भारत

प्रस्तावना – गांधी जी 1915 ई. में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। गांधी जी के चिंतन में स्वदेशी की अवधारणा का व्यवहारिक स्वरूप खादी एवं कुटीर उद्योग के रूप में सामने आता है। स्वदेशी को गांधी ने चरखा एंव खादी के सन्दर्भ में विश्लेषित किया है। स्वदेशी का अर्थ है अपने देश से सम्बन्धित राजनीतिक धरातल पर राष्ट्रवाद। स्वदेशी के सम्बन्ध में गांधी जी व्यक्ति के जीवन को धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक धरातल पर बांधते हैं। स्वदेशी का सिद्धांत अत्यधिक राजनीतिक महत्व का है। भारत के स्वतंत्रता के आंदोलन में चरखे का आर्थिक पहिए के रूप में महत्व देखा जा सकता है।

भारत में अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत में चरखा प्रचलन में था। चरखा एक हस्तचालित यंत्र है जिससे सूत काता जाता है भारत में चरखे का सर्वप्रथम उल्लेख हमें मध्यकालीन इतिहासकार इसामी की कृति फुतुहू उस सलातिन में मिलता है। अमीर खुसरो ने भी इसका उल्लेख किया था। भारत में 1500 ई. तक खादी ओर हस्तकला उद्योग पूरी तरह विकसित था। मसलन 1702 ई. में अकेले इंग्लैंड ने भारत से 10,53,725 पाउंड की खादी खरीदी थी। मार्कोपोलो, ट्रेवेनियर ने भी खादी का उल्लेख किया था। भारत में मुख्यत दो प्रकार के चरखे प्रचलन में आए प्रथम खड़ा चरखा दूसरा अम्बर चरखा।

18 अप्रैल 1921 को गांधी ने वर्धा में सत्याग्रही आश्रम की स्थापना की थी। इस समय गांधी जी ने कांग्रेस में करोड़ों सदस्यों की भर्ती की ओर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था। गांधी पर असहयोग आंदोलन के बाद राजद्रोह का आरोप लगाया गया और उन्हें 6 वर्ष की सजा सुनाई गई थी, किन्तु स्वास्थय खराब होने की वजह से उन्हें 2 वर्ष में ही रिहा कर दिया गया।

जब गांधी जी जेल से मुक्त होकर आए तो उन्होंने महसूस किया कि असहयोग आंदोलन पुन प्रारम्भ करना असम्भव है। इसलिए उन्होंने अपने जीवन का कुछ समय त्री सूत्री कार्यक्रम खादी, हिन्दू मुस्लिम एकता, अस्पृश्यता उन्मूलन लागू करने में व्यतीत किया।

'गांधी जी का मानना था कि सारे कार्यक्रम की कुंजी चरखा चलाना है। चरखे के माध्यम से स्वराज की प्राप्ति की जा सकती है। दिसम्बर 1924 में कांग्रेस का बेलगाव में अधिवेशन हुआ था। इस अधिव की अध्यक्षता खुद गांधी ने कि थी। यही से उन्होंने खादी का श्री गणेश किया। उन्होंने कहा खदर का अभियान छेड़ा जाय। कांग्रेस के कार्यकर्ता को खदर का सिद्धांत मनवाने के लिए उन्होंने कांग्रेस को इस बात के लिए लिखा था कि चार आने का शुल्क देकर सदस्यता प्राप्त करने के बजाय वही सदस्य मताधिकार के प्रयोग का अधिकारी माना जाय जो 2000 गज प्रतिमास सूत काते ।'[1]

इस अधिवेशन में गांधी जी ने लोगो से अपील कि 'आप लोग जिले के हर भाग में जाए और खदर हिन्दू मुस्लिम एकता और अस्पृश्यता उन्मूलन का संदेश घर घर तक पहुंचाए देश के नवयुवकों को अपना अनुयायी बनाओ और उन्हें स्वराज के असली सैनिक के रूप में ढालो।'

गांधी जी भारतीय जनता का ध्यान रचनात्मक कार्यों की ओर खींचना चाहते थे। अत: उन्होने 22 सितम्बर 1925 को पटना में चरखा संघ की स्थापना की। इसके बाद गांधी ने बंगाल, यूपी, बिहार, गुजरात, मद्रास इत्यादि स्थानों की यात्रा की ओर चरखे का प्रचार प्रसार किया। गांधी जी बंगाल से बड़े प्रभावित थे उन्होंने कहा बंगाल में बहुत ऐसे क्षेत्र है जहां विभिन्न प्रकार के कुटीर उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। सूत कतने की बंगाल की प्रतिभा को बड़ा सराहा और सारे भारत से सोदपुर खादी प्रतिष्ठान का अनुकरण करने को कहा।

सूत कात ने कि बंगाल की प्रतिभा को उन्होंने बड़ा सराहा और सारे भारत से सोदपुर खादी प्रतिष्ठान का अनुकरण करने को कहा ।

प्रख्यात इतिहासकार ताराचंद लिखते है कि 1925 ई. के अंत में गांधी जी भारतीय राजनीति से अलग हो गए थे। 1926 ई. में वर्ष भर आश्रम में ही रहे ओर खदर सम्बन्धी संगठनात्मक कार्य करते रहे। 6 अप्रैल से आरम्भ होने वाले राष्ट्रीय सप्ताह में उन्होंने खदर अभियान को उन्होंने तेज कर दिया। यह सप्ताह जालियांवाला बाग हत्याकांड की स्मृति में मनाया गया था। गांधी ने कहा ऐसा क्या काम है जिसे सभी व्यक्ति अनायास कर सकते है। जिससे देश की सम्पदा बढ़ सकती है, संगठन की शक्ति में वृद्धि होती है। वह कोनसा काम है जिससे हम सब एक दूसरे के बराबर समझ सकते है बिना हिचक के इसका उत्तार है चरखा।[2]

गांधी जी का यह अभियान काफी सफल रहा था। मसलन स्वराज्य पार्टी के नेता मोती लाल नेहरू ने इलाहाबाद में सड़कों पर खादी खदर बेची थी स्कूल के बच्चो ने भी इसमें हिस्सा लिया था। छात्रों से कहा गया 'गावो ओर हमें प्रेमसुत्र में बाधने वाला एकमात्र साधन चरखा है।'

गांधी के खादी अभियान में दो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस अभियान में महत्वूर्ण भूमिका निभाई, प्रथम विटलदास जेराजनी दूसरे कन्हैया लाल थे। 'कन्हैया लाल एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा गांधी की स्वाधीनता, स्वराजय ओर स्वदेशी की भावना से समग्र अनुप्रमाणित हो ब्रिटिश सम्राज्य के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलन में सक्रिय रूप से भागदारी निभाई। वे अपने कंधो पर खादी के थान लादे गाव गांव घूमते खादी पहनने का प्रचार प्रसार करते थे। जब गांधी ने उन्हें देखा तो खादिवाला के नाम से संबोधित

किया। तब से कन्हैया लाल खादीवाला के नाम से जाने गए ये ही नाम उनकी गोत्र ओर पहचान बन गया,'[3] जेराजानी गांधी के विचारो से काफी प्रभावित थे। उन्होंने अपने हजारों रुपयों के विदेशी व्यापार को तिलांजलि देकर खादी के प्रचार प्रसार में लग गए ओर जीवनपर्यंत तक करते रहे।

गांधी जी ओद्योगिक रण के कटर विरोधी थे। उनका विचार था की बड़े पैमाने पर उत्पादन से सामाजिक एवं आर्थिक दोष उत्पन होते हैं। मशीनों के उपयोग से मनुष्य आलसी हो जाता है और उसको अपने परिश्रम में कोई रुचि नहीं रहती। वह एक ऐसी अर्थव्यवस्था चाहते थे जिसमे मजदूर खुद स्वामी हो। ऐसी अर्थव्यवस्था में मजदूरों के शोषण का कोई अवसर ही नहीं है। गांधी मशीनों के विरोधी नहीं थे, वे कहते थे कि 'मनुष्य का शरीर पर चरखा भी मशीन है, किन्तु वे उस मशीन के विरोधी थे जिसके उपयोग से शरम को बचाने की चेष्टा की जाती हैं। मनुष्य परिश्रम को बचाते चले जाते जिसका परिणाम यह होता है कि लाखो व्यक्ति सड़क पर घूमते फिरते ओर भुखमरी बढ़ जाती। उन्होंने कहा मैं समय और श्रम की बचत करना चाहता हूं, किन्तु मानव जाती के कुछ भाग के लिए नहीं सभी के लिए।' [4] आज मशीन केवल थोड़े से व्यक्तियों को करोड़ों की पीठ पर चढ़ने में सहायता करती है है। इसलिए गांधी जी ने खादी का समर्थन किया।

'ग्रामीण सर्वोदय गांधी जी का महान आदर्श था। गांधी जी की इच्छा थी कि पुरातन काल के ग्रामीण समुदायों की फिर से स्थापना की जाए। उनमें समृद्धशाली कृषि, विकसित उद्योग और छोटे छोटे पैमाने के सहकारी संगठन स्थापित किए जाए। जिस प्रकार प्राचीनकाल में भारत के लोग भारत में उत्पादित वस्तु का प्रयोग करते, वस्तु विनिमय के द्वारा व्यापार होता था। गावों में विभिन्न प्रकार के वर्ग के लोग विभिन्न प्रकार के कार्य करते थे।'[5] मसलन लोहार लोहे का, चर्मकार चर्मे का, कुंभकार मिट्टी के बर्तन बनाने का आदि। इससे समस्त गांवों के लोग एक दूसरे पर निर्भर थे और एक दूसरे के सहयोग से काम चलाते थे। इस प्रकार गांधी जी खादी के माध्यम से भारत की पुरातन व्यवस्था को पुन जीवित करना चाहते थ। अत गांधी जी का भारत गावों में था न कि शहरों में।

गांधी जी चरखा के माध्यम से न केवल देश के लोगो को स्वावलंबन की शिक्षा दे रहे थे बल्कि खादी के माध्यम से वे देश में एकता स्थापित कर रहे थे। इनका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ भारतीयों में राजनीतिक चेतना जगाना भी था। खादी अभियान के माध्यम से देश के सभी वर्ग हिन्दू मुसलमान, शूद्र आदि को साथ लेकर देश को स्वतंत्र कराने का प्रयास कर रहे थे। गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा 'खदर द्वारा निर्धन लोग गरीबी की जंजीरों से मुक्ति पाते है और विभिन्न खदर वर्गो ओर लोगो के बीच नैतिक ओर आध्यात्मिक एकता स्थापित होती। खदर में बड़ी जबरदस्त संगठन शक्ति है क्योंकि खदर अपनाने के लिए संगठन करना पड़ता है और पूरा भारत इसका कार्यक्षेत्र है। इसलिए में धन के न्यायोचित वितरण के लिए कार्य करता हूं। यह कार्य में खदर द्वारा करना चाहता हू। यह कार्य ब्रिटिश शोषण के केंद्र को ही शुद्ध करता है। इसलिए इससे ब्रिटेन का पवित्रीकरण करना होगा इस प्रकार खादी स्वराज्य का मार्ग है।'[6]

खादी अभियान से महिलाएं काफी प्रभावित थी। खादी कार्य के विकास और प्रचार में महिलाओं ने भारी संख्या में भाग लिया था। 'गांधी सेवा सेना, भगिनी समाज, भाटिया स्त्री मंडल आदि महिला संस्थाओं ने अभियान का मार्ग प्रशस्त किया। सरोजिनी नायडू महिलाओं में अग्रणी नेता थी। इन संस्थाओं की महिलाएं घर घर में जाकर खादी का प्रचार करती थी। अनेक प्रदर्शनियों में उच्च कुटुंब की महिलाओं ने खादी विक्रेता के स्थान पर अपनी सेवाए प्रदान की थी।' [7] अब महिलाएं अपने दैनिक जीवन का कार्य करने के बाद अपना अधिकांश समय सूत कात्तने में व्यतीत करने लगी। इससे महिलाओं को रोजगार मिला ओर समाज में कुछ हद तक सम्मान मिलने लगा। महिलाओं के कार्य करने से पुरुषों पर परिवार का आर्थिक भार कम हुआ। इस प्रकार महिलाओं की स्थिति में सुधार आया।

समाज में निम्न वर्ग की दशा बड़ी दयनीय थी। उन्हें घरना की दृष्टि से देखा जाता था। उनका मुख्य कार्य साफ सफाई का था। गांधी के खदर अभियान के माध्यम से उनकी हालत दशा में सुधार करने का प्रयास किया और समाज के अन्य वर्गो के समान उन्हें भी इस आंदोलन में शामिल किया। हरिजनों के इस आंदोलन में शामिल होने के बाद उनकी दशा में जो सुधार आया उसके बारे में गांधी 1933 में मद्रास प्रदर्शनी में कहा'एक स्वदेशी क्या हो सकता है, हरिजनों के लिए प्रदर्शनी करते हैं, आप पूछ सकते है कि मुझे लगता है कि खादी को इसके साथ बहुत कुछ मिला है, क्योंकि हाथ से कताई ओर कपड़े की बुनाई आपको जानकर आश्चर्य होगा, आराम और प्रकाश की किरण लाया है। हजारों ओर हजारों हरिजनों के अंधेरे घरो में। मुझे इस छोटे से दौर के दौरान भी कई जगहों पर जाने का मौका मिला ओर हरिजनों के लिए खादी की शक्ति की खोज की। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि बहुत सी चीजें हैं, मुझे उम्मीद है कि उन चीजों का प्रदर्शन था किया गया है। हरिजनों ने काम किया अधिंकाश भाग के लिए।'[8]

गांधी के खादी अभियान का प्रभाव मजदूरों, किसानों, शूद्रों, आदि के साथ साथ छात्रों पर भी पड़ा। हजारों संख्या में छात्रों ने खादी अभियान में गांधी का समर्थन किया। गांधी जी ने अक्टूबर 1927 में छात्रों को कालीकट में संबोधित करते हुए कहा 'मैं निश्चितता के साथ कह सकता हूं, अगर आप इस प्रयास में गौरव लाना चाहते है, कुछ रचनात्मक कार्य करो। ऐसा करने से आप अन्य छात्रों के लिए उदाहरण बनेंगे। खादी पहली चीज है जिसके बारे में बात करेंगे आप इसे पहनकर ओर बेचकर ज्यादा सेवा प्रदान कर सकते है। जब तक समझोता नहीं हो जाता तब तक आप इस काम को कर सकते है और आगे बढ़ना चाहते है तो इसे यहां लाए और इसका अलाव जलाय। विदेशी कपडे आपके लिए बहुत अधिक ऋण लेकर आयेगे। आप उस खदर के बारे में एक लेख देखेंगे जिसे हम विदेशी कपड़े का उपयोग करके भारत में ला रहे थे। आपके पास कम से कम कुछ बचा होना चाहिए। जब आप यह काम करेगे तो सरकार को भी यकीन हो जाएगा कि अब छात्रों ने काम करना शुरू कर दिया है।'[9]

इस प्रकार समाज के सभी वर्गो ने गांधी के खादी अभियान को सफल बनाने का प्रयास किया। गांधी के खदर अभियान से भूमिहीन कृषकों, शूद्रों, श्रमिकों, महिलाओं को रोजगार मिला। इनके अतिरिक्त समाज के कुछ ऐसे व्यक्ति जो शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार का कार्य करने में सक्षम नहीं थे खादी उनके भी जीवन का आधार बनी। मसलन खादी अभियान में गांधी के सहयोगी रहे जेराजानि लिखते है' जब वे तमिलनाडु के एक छोटे से कस्बे तिरुपुर में गए तो उन्होंने वहां एक बूढ़ी औरत को सूत कातते देखा। इसी क्षेत्र में एक अंधा व्यक्ति खादी व्यापारियों का प्रमुख था। इसी संदर्भ में जेराजनि एक ओर घटना का उल्लेख करते हैं की जब वे मद्रास अधिवेशन के अवसर पर मदन मोहन मालवीय के साथ गए तो उन्होंने खादी प्रदर्शन में एक अंधी ओरत को सुत कातते देखा। जब उन्होंने ने चरखे की माल के दी तो उस औरत ने चरखे पर हाथ फिरा कर टूटी माल निकाल दी और फिर से सूत

कातने लगी।' [10] इस प्रकार चरखा न जाने कितने बूढ़ों, अपहिजो, ओर निराधारो का सहारा बना। ये लोग सूत कातते थे और उससे जो आय प्राप्त होती उससे अपना जीवन निर्वाह करते।

गांधी जी ने खादी अभियान के माध्यम से देश को एकसूत्र में बांधने का प्रयास किया था, किन्तु इसमें उन्हें पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिली। मसलन कुछ ही क्षेत्रों के मुस्लिमो ने इसमें हिस्सा लिया था। गांधी ने यंग इंडिया में लिखा था 'मैं बहुत से मुस्लिम सगठनों को विशेष रूप से खादी के लिए समर्पित नहीं जानता हूं। न ही बहुत से मुस्लिम इस ब हुआवशक राष्ट्रीय कार्य में जीवंत रुचि लेते पाए जाते है। वास्तव मैं बकरा ईद के दौरान मित्र मुझसे कहता है मुसलमानों को एक हाथ कि उंगलियों पर गिना का सकता है, जो खादी के कपड़े पहने हुए थे। वे भारतीय कपड़े भी पहने नहीं हुए थे। मुझे आशा है की यह समिति इस हालात को बदलेगी' [11]

कई लोगों का मानना था कि खादी बहुत महंगी होती है, विदेशी कपड़े के मुकाबले में। इसलिए सभी के लिए खादी पहना संभव नहीं था। गांधी ने कहा कि मिल में को कपड़ा तेयार होता है वो भारी मशीनों से बनाया जाता हैं, जबकि खादी चरखे से काते गए सूत से। अत: दोनों में कोई मुकाबला नहीं हो सकता, मुकाबला तो बराबर वालो में होता है। इसलिए गांधी जी ने स्वयं ने सीमित मात्रा में। वस्त्र धारण करना प्रारंभ कर दिया। वे कंधे पर एक साल रखते थे और धोती पहनते थे। इस प्रकार उन्होंने लोगों को आवश्यकतानुसार वस्त्र पहने का संदेश दिया।

गांधी का खादी का अर्थशास्त्र अहिंसा का अर्थशास्त्र था। गांधी ने खादी में सामाजिक स्वदेशी धर्म को देखा था। गांधी जी की दृष्टी में स्वदेशी का अर्थ है हम किसी के सामने हाथ न फैलाएं, अपने ही संसाधनों का अपनी ही बनाई हुई चीजों का अधिक से अधिक प्रयोग करें। गांधी जी का भारत गावों में बसता था। उनका विचार था कि हमें गावों को आत्मनिर्भर बनाना होगा। हमें उनकी मूढ़ता अंधविश्वास और संकुचित दृष्टि को दूर करना है। वे गावों को स्वावलबी बनाना चाहते थे।

'गांधी की ग्राम स्वराज्य की कल्पना यह थी कि ऐसा पूर्ण गणतंत्र हो जो अपनी मुख्य जरूरतों के लिए पड़ोसियों पर निर्भर न हो ओर फिर भी बहुतेरी जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर हो, जिनमें दूसरों पर निर्भरता जरूरी है। इस तरह हर गांव का पहला काम यह होगा कि वह अपनी जरूरतों का तमाम अनाज ओर कपड़ा खुद पैदा करे। '[12] इसलिए उन्होंने शारीरिक श्रम और चरखा चलाने की आवश्यकता पर बल दिया और कहा जब तक हम हाथ से सूत नहीं कात्तोगे तब तक हमारी पराधीनता ऐसे ही बनी रहेगी। इस प्रकार उन्होंने धन का एक ऐसा स्त्रोत खोज निकाला जो सम्पूर्ण संसार में अदभुत है।

इस प्रकार गांधी जी ने खादी के वस्त्र पहनकर एक सिपाही के रूप में अपने देश कोस्वावलंबी बनाया ओर स्वराज की प्राप्ति की। स्वदेशी धर्म के अन्तर्गत अपने देश का धर्म, भाषा, राजनीतिक पद्धतियां आदि को अंगीकार करना आवश्यक माना जाता है, परंतु स्वदेशी की धारणा बहिष्कार वाली धारणा नहीं है तथा इसमें घर्णा का कोई भाव नहीं है। स्वदेशी व्रत के अन्तर्गत सभी वस्तुओं का त्याग न करके उन्ही विदेशी वस्तुओं का त्याग किया जाय जिसका उत्पादन अपने देश में होता है तथा जिनके उपयोग के बिना हमारे समाज के कुछ अंग अपनी जीविका खो देते हैं। गांधी के स्वदेशी व्रत, संकीर्णता, स्वार्थ आदि दोषों से मुक्त था। यह अहिंसा और प्रेम का पर्याय है। जब अधिकांश भारतीय अपने दैनिक जीवन में विदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने लग गए तब गांधी ने स्वदेशी पर बल दिया विदेशी वस्तुओं का त्याग किया। गांधी ने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया क्योंकि वे ही हमारी वस्त्र बनाने की कारीगरी और क्षमता को नस्ट कर रहा था।,कार्ल मार्क्स ने 1853 में लिखा था 'यह अंग्रेजी घुसपैठिया था जिसने भारतीय खादी को तोड़ दिया ओर चरखे का नाश कर दिया। अंग्रेजों ने भारतीय सुती कपड़ों को अंग्रेजी मंडियों से वंचित करना आरम्भ कर दिया और फिर भारत में एक ऐसा मोड़ दिया कि सूती कपड़े की मात्रभूमि ही सूती कपड़ों से भर दी गई। सूती कपड़ा उद्योग के नाश होने से कृषि पर बोझ बढ़ गया। और अंत में देश अंकिचन हो गया।' इसलिए गांधी ने चरखा के माध्यम से देश की कारीगरी को दिखाया ओर सभी को स्वावलंबी बनाने का प्रयास किया। इस प्रकार उन्होंने चरखा को स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण हथियार बनाया।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. ताराचंद, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, खण्ड 4, सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, पृ.संख्या, 7
2. पूर्व उद्धत वही, पृ.संख्या 8
3. वही पृ.संख्या, 9
4. स्वर सरिता पत्रिका, पृ. संख्या 13
5. रवीश, सुधांशु, गांधी चिंतन, आविष्कार पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स पृ.संख्या, 141
6. वही पृ. संख्या, 142
7. जेरजानी विट्टल दास, खादी की कहानी, खादी ग्राम उद्योग आयोग, पृ.संख्या, 105
8. जोशी दिव्या, गांधी ऑन खादी, नवजीवन प्रकाशन हाउस अहमदाबाद 1955 पृ.संख्या, 43
9. वही, पृ.संख्या, 55
10. पूर्व उल्लेखित पृ.संख्या, 51
11. पूर्व उल्लेखित, पृ. संख्या, 45
12. मोहनराव, यू, एस, महात्मा गांधी का संदेश, सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, पृ. संख्या, 89

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

पर्यावरण संरक्षण में व्यवसाय की भूमिका

प्रवीण कुमार सोनी *

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय महाविद्यालय, माकड़ोन, जिला उज्जैन (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – वर्तमान प्रतिस्पर्द्धात्मक युग में व्यावसायिक संगठनों के लिए अनेकों सामाजिक उत्तरदायित्व तय किये गये हैं जिन्हें पूर्ण करना उनके लिये नैतिक/कानूनी रूप से अनिवार्य होता है। इन्ही सामाजिक दायित्वों की कड़ी में पर्यावरण के प्रति भी उत्तरदायित्व निर्धारित किये गए हैं। ग्लोबल वार्मिंग के चलते यह आवश्यक हो गया है कि प्रत्येक व्यावसायिक संगठन अपनी व्यावसायिक रणनीति तैयार करने के पूर्व पर्यावरणीय मुद्दों पर गंभीरता से विचार करे। मेरे द्वारा प्रस्तुत इस पेपर का मुख्य उद्देश्य यह प्रदर्शित करना है कि व्यावसायिक संगठनों द्वारा पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपने दायित्वों को पूर्ण करते हुए भी प्रतिस्पर्धात्मक लाभ कमाया जा सकता है। व्यावसायिक संगठनों का पुनर्गठन कर उन्हे पर्यावरण के अनुकूल बनाने से संगठनों को अपने उत्पाद की लागत कम करने और मुनाफा अधिकतम करने में मदद मिलती है।

व्यवसायिक संगठन पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से अपने संगठन में हरित परिवर्तन कर उत्पादन प्रक्रिया में अपशिष्ट की मात्रा को कम करके उत्पादन लागत को कम सकते है। इसके अतिरिक्त हरित परिवर्तन को अपनाने से उत्पादन प्रक्रिया और उत्पाद डिजाईन के परिवर्तित नवीन स्वरूप के आधार पर अन्य प्रतियोगी संगठनों से स्वयं को अलग प्रस्तुत करने में सहायता मिलती है। अंततः पर्यावरण के अनुकूल रणनीति पर ध्यान केन्द्रित कर कोई भी व्यावसायिक संगठन अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लेता है।

शब्द कुंजी – पर्यावरण, पर्यावरण संरक्षण, हरित परिवर्तन, रणनीति, उत्पाद, लागत, लाभ।

प्रस्तावना – पर्यावरण एक ऐसा विषय है जो सम्पूर्ण विश्व के साथ जुड़ा है। मानव और पर्यावरण एक दूसरे के पूरक हैं। मानव और पर्यावरण के मध्य क्षण–प्रतिक्षण आदान प्रदान चलता रहता है। मानव जब पर्यावरण संरक्षण के लिये प्रयास करता है तो उसके प्रतिफल में पर्यावरण मनुष्य को स्वस्थ जीवन व उच्च जीवन स्तर प्रदान करता है। सम्पूर्ण मानव जीवन पर्यावरण पर ही निर्भर है, फिर चाहे वह पेड़ पौधे हों, जिनसे हम ऑक्सीजन प्राप्त करते है या नदियाँ हों, जिनसे हम जल प्राप्त करते हैं या भूमि हो जहां हम निवास करते हैं। पर्यावरण ने मानव को अनंतकाल से निःशुल्क संसाधन प्रदान किये हैं जिनका मनुष्य ने भरपूर उपयोग किया है। आधुनिकीकरण के इस दौर में कहीं न कहीं हम मानव और पर्यावरण के मध्य के तालमेल को खत्म करते जा रहे हैं जिसका असर हमें लोगों के बिगड़ते स्वास्थ्य पर दिखाई भी दे रहा है।

पर्यावरण की सुरक्षा का प्रत्यक्ष संबंध प्रदूषण नियंत्रण से है। प्रदूषण मानव जीवन के लिए हानिकारक है। यह मानव के जीवन स्तर को गिराता है तथा हमारी सांस्कृतिक विरासतों को भी हानि पहुंचाता है। प्रदूषण कई प्रकार का होता है जिनके भिन्न–भिन्न कारण होते हैं जैसे – जल प्रदूषण मुख्यतः रासायनिक व औद्योगिक अपशिष्ट तथा कूड़े कचरे को नदियों मे प्रवाहित करने से होता है। भूमि प्रदूषण दुर्गंधमय क्षय तथा भारी प्रदूषित सामग्री एकत्रित होने से होता है। वायु प्रदूषण बढ़ती आबादी, कारखानों व वाहनों से निकलने वाला धुंआ, संचार साधनों का अधिकाधिक प्रयोग आदि के कारण होता है। मनुष्य को सदैव पर्यावरण के प्रति जागरूक रहकर पर्यावरण संरक्षण का प्रयास करना चाहिये। हमारी संस्कृति भी हमें पर्यावरण संरक्षण के संदेश प्रदान करती है। प्राचीन भारतीय संस्कृति में नदियों, पेड़–पौधों व पर्वतों को पूजनीय माना गया है और उन्हें नुकसान पहुंचाना पाप माना जाता है। वृक्षों के महत्व पर संस्कृत में एक श्लोक है –

अहो एषां वरं जन्म सर्वप्राण्युपजीवनम्।
सुजनस्यैव येषां वै विमुखा यान्ति नार्थिन:।।

अर्थ – इनका जन्म बहुत अच्छा है क्योंकि इन्हीं के कारण सभी प्राणी जीवित हैं। जिस प्रकार किसी सज्जन से कोई याचक खाली हाथ नहीं जाते उसी प्रकार इन वृक्षों के पास से भी कोई खाली हाथ नहीं जाता।

प्राकृतिक पर्यावरण के विशाल महत्व को समझते हुए समाज के प्रत्येक वर्ग को इन प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में अपने दायित्व को पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिये।

व्यावसायिक संगठन और पर्यावरण प्रदूषण – प्रदूषण चाहे किसी भी प्रकार का हो, उसका एक बड़ा कारण व्यावसायिक संगठन व उद्योग–धंधे हैं।

यह सर्वविदित है कि विभिन्न व्यावसायिक संगठनों की औद्योगिक गतिविधियों के कारण शुद्ध वातावरण का लगातार ह्रास हो रहा है। देश के विभिन्न महानगरों जैसे दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, जयपुर, कानपुर आदि में औद्योगिक प्रदूषण आम दृश्य है। इन महानगरों में कारखानों से निकले उत्सर्जन मनुष्य के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव डाल रहे हैं। यद्यपि कुछ अवशेषों का उपयोग कच्चे माल तथा उर्जा के रूप में अपरिहार्य है किंतु उत्पादकों के लिए इनके प्रयोग से होने वाले कुप्रभावों को कम करना एक बड़ी समस्या है।

वर्तमान समय में प्रत्येक व्यवसायी अपने उत्पाद/वस्तु को उपभोक्ता के समक्ष अधिक से अधिक आकर्षक स्वरूप में प्रस्तुत करने में लगा हुआ है। आकर्षक पैकिंग के लिये इस्तेमाल किये जाने वाले डिब्बे, पॉलिथीन,

प्लास्टिक आदि वास्तव में पर्यावरण के लिये अत्यंत हानिकारक है। उपभोक्तावाद संस्कृति में युज एण्ड थ्रो का तेजी से पनपना पर्यावरण सन्तुलन के लिये एक चेतावनी है। भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है इतने बड़े देश में इस कचरे का निस्तारण एक गंभीर समस्या के रूप में हमारे सामने है। इसके निस्तारण के लिये लाखों-करोड़ों रूपये ० करना होता है।

पर्यावरण संरक्षण हेतु व्यावसायिक संगठनों द्वारा उठाये जाने वाले कदम – पर्यावरण का स्वरूप हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अत: इसको नष्ट होने से बचाने का उत्तरदायित्व हम सभी का है। चाहे वह स्वयं सरकार हो, व्यावसायिक उद्यम हो, उपभोक्ता हो, कर्मचारी हो या समाज के अन्य सभी वर्ग। हम सभी को इसे प्रदूषित होने से बचाने के लिये कुछ न कुछ प्रयास अवश्य करना चाहिए। प्रदूषण वाहक उत्पादों पर रोक लगाने के लिए सरकार नए कानून बना सकती है। उपभोक्ता वर्ग ऐसे उत्पादों के उपभोग को कम कर सकते हैं जो पर्यावरण के लिए घातक है।

व्यावसायिक संगठनों के लिये पर्यावरण संरक्षण एक जटिल विषय है, व्यावसायिक प्रबंधकों द्वारा इस हेतु गंभीरता से विचार किया जाना आवश्यक है। पर्यावरण संबंधी समस्याओं को सुलझाने के लिए व्यावसायिक इकाईयों को स्वयं आगे आना चाहिए। व्यावसायिक संस्थाऐं धन की सृजनकर्ता, रोजगारदाता तथा भौतिक एवं मानवीय संसाधनों को संभालने वाली संस्थाऐं हैं। ये संस्थाऐं यह भी समझती हैं कि प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित समस्याओं को सुलझाया जा सकता है।

व्यावसायिक संगठनों द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु निम्न तरीके अपनाये जा सकते हैं –

1. **उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तन** – प्रत्येक व्यावसायिक संगठन परम्परागत उत्पादन प्रक्रिया के स्थान पर पर्यावरणीय अनुकल हरित रणनीति को अपनाकर पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान प्रदान कर सकता है।
2. **संयंत्रों के स्वरूप में परिवर्तन करना** – वर्तमान आधुनिक तकनीकी युग में उन्नत तकनीकी वाली मशीनों का प्रयोग करके उत्पादन में लगने वाली ऊर्जा/शक्ति की भी बचत की जा सकती है, साथ ही उत्पादन प्रक्रिया में होने वाले क्षय/अपशिष्ट को भी कम किया जा सकता है।
3. **उच्च कोटि के कच्चे माल का प्रयोग करना**– उत्पादन हेतु घटिया किस्म के कच्चे माल का प्रयोग करने से प्राकृतिक व सामाजिक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। अत: घटिया किस्म के माल के स्थान पर उच्च गुणवत्ता वाले कच्चे माल का प्रयोग किया जा सकता है।
4. **अपशिष्ट के निष्पादन के लिये वैज्ञानिक तकनीक को प्रयोग करना** – कारखानों से निकलने वाले विभिन्न ठोस अपशिष्ट का निस्तारण करने हेतु वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग किया जा सकता है।
5. **हरित पैंकिंग सामग्री का प्रयोग करना** – पर्यावरण की शुद्धता की दृष्टि से उत्पाद पैकिंग के लिये पुन: प्रयोग में आने वाली कपड़े की थैलियां, कागज की थैलियां, पेड़ों के पत्तों व मिट्टी के कुल्हड आदि का प्रयोग करना चाहिये। इससे कचरा निस्तारण में होने वाले व्यय की भी बचत होगी और उत्पाद लागत कम होगा और लाभ में वृद्धि होगी।
6. उच्च स्तरीय प्रबंधकों द्वारा पर्यावरण संरक्षण तथा प्रदूषण नियंत्रण के लिए वचनबद्ध होकर कार्य करना।
7. इस बात का विश्वास दिलाना कि उद्यम की प्रत्येक इकाई पर्यावरण सुरक्षा तथा प्रदूषण नियंत्रण के लिये वचनबद्ध हैं।
8. पर्यावरण संरक्षण हेतु सरकार द्वारा चलाये जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में सहयोग करना। जैसे प्रदूषित नदियों की सफाई, वृक्षारोपण आदि।
9. संगठन में प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम लागू करना ओर समय – समय पर प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम की लागत एवं प्रतिफल का मूल्यांकन करना ताकि पर्यावरण सुरक्षा हेतु सतत कार्यवाही की जा सके।
10. प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु आपूतिकर्ता, डीलर्स तथा विक्रेताओं के तकनीकी ज्ञान तथा अनुभवों का लाभ प्राप्त करने हेतु समय समय पर कार्यशालाओं का आयोजन करना।
11. पर्यावरण संरक्षण के लिये सरकार द्वारा बनाये गए विभिन्न नियमों व अधिनियमों का पालन करना।

वर्तमान में पर्यावरण संरक्षण एवं सुरक्षा के संबंध में पूरे विश्व में जागरूकता का अनुभव किया जा रहा है। वैश्वीकरण और उदारीकरण, औघोगीकरण और तेजी से प्रयोग हो रही नई नई तकनीकों के इस प्रतिस्पर्धात्मक युग में प्र्यावरण प्रदूषण विश्व के सभी देशों के लिये एक गंभीर समस्या बन चुकी है। इसी कारण से पर्यावरण संरक्षण के लिये विश्व भर में अनेकों आंदोलन व कार्यक्रम व कानून प्रचलित है। इन सभी कानूनों का एकमात्र लक्ष्य मानव जाति को गुणवत्तापूर्ण पर्यावरण उपलब्ध कराना है। भारत में भी पर्यावरण संरक्षण हेतु विभिन्न कानून बनाये गये हैं। व्यावसायिक संगठनों द्वारा इन कानूनों का पालन करके पर्यावरण संरक्षण में सहयोग किया जा सकता है।

भारत में प्रचलित विभिन्न कानून

अ. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 – स्टॉकहोम में 1972 में हुए पर्यावरण सम्मेलन में किए गए निश्चय को अमल में लाते हुए भारत में वर्ष 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया। जिसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण का संरक्षण और सुधार है।

ब. वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 – यह अधिनियम वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण के उद्देश्य से 1981 में पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति के बिना किसी भी वायु प्रदूषण नियंत्रित क्षेत्र में किसी भी औद्योगिक संयंत्र की न तो स्थापना करेगा और न चलाएगा।

स. जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 – यह अधिनियम जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण के उद्देश्य से 1974 में पारित किया गया। इसके अनुसार सभी उद्योगों को अपने कारखानों से निकलने वाले दूषित जल को उचित प्रबंधन करना अनिवाय है।

द. वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 – यह अधिनियम वन्य प्राणियों, पक्षियों और पादपों के संरक्षण से संबंधित विषयों का उपबन्ध करने के उद्देश्य से 1972 में पारित किया गया।

ई. वन संरक्षण अधिनियम 1980 – भारत में तेजी से घटते वन क्षेत्र के संरक्षण के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 1980 में यह कानून बनाया गया। इसे लागू करने का मुख्य उद्देश्य वन भूमि को अवांछित रूप से अवन क्षेत्र में परिवर्तन से रोकना था।

पर्यावरण संरक्षण में व्यापार नियमों की भूमिका – पर्यावरण संरक्षण में व्यापार नियमों की भी भूमिका रही है। व्यापार नियमों के द्वारा पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अब तक अनेकों प्रयास किए गये हैं–

विश्व व्यापार संगठन –व्यापार उदारीकरण और पर्यावरण संरक्षण के बीच संबंधों को काफी पहले ही मान्यता दी जा चुकी है। मराकश समझौते,

जिसके तहत विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी, की प्रस्तावना में सरकारों द्वारा इसे स्पष्ट रूप से मान्यता दी गई है कि व्यापार को सतत विकास तथा पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के प्रयासों के अनुरूप होना चाहिये।

पर्यावरण लक्ष्यों की प्राप्ति को सुविधाजनक बनाने में वैश्विक नीति निर्माताओं की रूचि जाग्रत हो रही है।

विश्व व्यापार संगठन के चुनिंदा सदस्य व्यापार और प्लास्टिक अपशिष्टों में कमी लाने हेतु वार्ताएं शुरू करने पर विचार कर रहे हैं।

मुक्त व्यापार समझोतों (FTA) की भूमिका – कई क्षेत्रीय और द्विपक्षीय एफ टी ए पर्यावरणीय मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करते हैं। ये समझौते अवैध वन्य जीवों की तस्करी, पर्यावरण कानूनों के प्रवर्तन, पर्यावरणीय वस्तुओं के व्यापार के लिये गैर प्रशुल्क बाधाओं तथा वायु की गुणवत्ता में सुधार एवं समुद्री अपशिष्टों को कम करने जैसे मुद्दों की एक विस्तृत श्रंखला से संबंधित है।

पर्यावरण संरक्षण और कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी – कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) जैसे कार्यक्रमों में कॉर्पोरेट निवेश, व्यवसाय क्षेत्र में एक प्रगतिशील तरीका बन गया है जिससे कंपनी की पर्यावरण और व्यावसायिक गतिविधियों को समाज की व्यापक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संरक्षित करने की अनुमति मिलती है। अपने ब्रांड मूल्य को मजबूत करने, उचित लागत पर उत्पाद और सेवाऐं प्रदान करने और कर्मचारियों से संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने का आग्रह करने के लिए, व्यवसायों को पर्यावरण के बारे में सामाजिक चिंताओं को अपने रणनीतिक प्रबंध में शामिल करना पड़ा।

बदलते परिवेश के परिणामस्वरूप उद्योग सामाजिक रूप से जागरूक हो गए हैं और समाज और पर्यावरण को बेहतर बनाने की मांग कर रहे हैं। सी एस आर एक बेहतरीन नीति है जिसे बड़े और छोटे संगठन लागू कर सकते हैं क्योंकि इससे सभी को लाभ होता है। आर्थिक स्थिरता और सतत विकास के लिए की दृष्टि से सी एस आर अत्यंत लाभदायक सिद्ध हुआ है।

पर्यावरण संरक्षण एवं प्रतिस्पर्धात्मक लाभ – व्यावसायिक संगठनों द्वारा पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपने दायित्वों को पूर्ण करते हुए भी प्रतिस्पर्द्धात्मक लाभ अर्जित किया जा सकता है। किसी भी संगठन में पर्यावरण संरक्षण हेतु यदि उपर दर्शित कदम उठाये जाते हैं तो उस पर होने वाले व्यय की तुलना में उस संगठन को होने वाले आर्थिक लाभ अधिक होते हैं और उनके लाभ पर सकारात्मक प्रभाव होता है। यह निम्न बिंदुओं से स्पष्ट होता है –

1. व्यावसायिक संगठनों का पुनर्गठन कर उन्हें पर्यावरण के अनुकूल बनाने से संगठनों को अपने उत्पादन की लागत न्यूनतम करने में सफलता मिलती है। उत्पादन लागत न्यूनतम होने से मुनाफा अधिकतम करने में सहायता मिलती है।
2. व्यावसायिक संगठन पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से अपने संगठन में हरित परिवर्तन कर उत्पादन प्रक्रिया में होने वाले अपशिष्ट की मात्रा को कम कर सकते हैं जिससे सम्पूर्ण उत्पादन लागत को कम करके लाभ अधिकतम किया जा सकता है।
3. इसके अतिरिक्त हरित रणनीति को अपनाने से उत्पादन प्रक्रिया और उत्पाद डिजाईन के परिवर्तित नवीन स्परूप के आधार पर अन्य प्रतियोगी संगठनों से स्वयं को अलग प्रस्तुत करने में सहायता मिलती है। जिससे आपके व्यावसायिक क्षेत्र में आपकी एक अलग पहचान निर्मित होती है।

निष्कर्ष – पर्यावरण संरक्षण में व्यवसायिक संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका है, व्यावसायिक संगठनों द्वारा पर्यावरण संरक्षण की विभिन्न गतिविधियों को क्रियान्वित करने तथा पर्यावरण के अनुकूल उत्पादन प्रक्रिया व हरित रणनीति को अपनाने से उनके संगठन द्वारा कमाये जाने वाले लाभ पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। अतत: यह कहा जा सकता है कि पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों को जारी रखते हुए भी प्रतिस्पर्द्धात्मक लाभ कमाया जा सकता है और अपने व्यापार के आर्थिक लक्ष्यों को भी पूर्ण किया जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची :-

1. पर्यावरण अध्ययन,यशराज प्रकाशन, डॉ. अनीस सिद्धकी, डॉ. राजीव शर्मा, पंकज शर्मा।
2. पर्यावरणीय अध्ययन, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल।
3. पर्यावरणीय अध्ययन, रमेश बुक डिपो, डॉ. मिलिन्द कोठारी।
4. जनसंख्या वृद्धि एवं पर्यावरण पर प्रभाव – डॉ. राजेश त्रिपाठी।

****

Public Trust in Government Institutions

Dimple Verma*

***Headmistress, Govt. High School, Karamgarh, District Shri Mukatsar Sahib (Punjab) INDIA**

Abstract - Government accountability is especially important for modern democracies and plays a very significant role in the society enabling the government to govern, encouraging the citizens' participation in the governance processes and enhancing the overall stability of the society. This research paper focuses on the theoretical analysis of the phenomenon of public trust in the Indian context; it explains its facets, influences, outcomes, and possible approaches to rebuilding it. This study aims at surveying the factors that erode and foster trust, the consequences of deteriorating trust and closer look at the ways the Indian government could try to rebuild the trust of its citizens because of literature review, case studies, and facts related only to India.
Keywords: Public trust, government institutions, India, democracy, governance, corruption, transparency, accountability.

Introduction - India, being the world's largest democracy, is a relevant country for describing the state of public trust in government. The social and political structures of the country and their change over time as well as having a diverse populace provides a backdrop that is suitable for analyzing the determinants of trust in government (Chhibber&Nooruddin, 2004). Even though trust is very important in Democracy in India it has faced a set back from various issues such as corruption, inefficiency of bureaucracies, and polarization (Krishna, 2011).

The findings on dimensions of public trust in India are as follows: Like in other democratic nations, the concept of trust in the Government of India includes the several facets conveying the civil relation between the people and the governmental structures. However, these dimensions may manifest differently in the Indian context: However, these dimensions may manifest differently in the Indian context:

1. **Competence:** The ideology that holds that Indian government structures have both the knowledge and efficiency necessary to manage the country's manifold problems, including poverty, social injustice, and ecological decline (Dreze& Sen, 2013).
2. **Integrity:** In India, corruption is one of the crucial social issues that considerably erode people's confidence (Transparency International, 2023). The people appear to seek high ethical standards that should be followed by the government officers regarding bribery and other vices.
3. **Fairness:** Since India is a diverse country it requires a government that is neutral with special consideration that should be given to none to all citizens regardless of their status in society.
4. **Benevolence:** The people of India have a right to have an expectation of the Indian government to protect, uphold, and provide for the Indian citizens' needs, well-being, and growth (2012). This dimension is especially important in a country where poverty rate and inequality are still major issues.

Determinants of Public Trust in India: The formation and erosion of public trust in government institutions in India are influenced by a multitude of interconnected factors:The formation and erosion of public trust in government institutions in India are influenced by a multitude of interconnected factors:

1. **Government Performance:** The public trust relates to the easy delivery of the Indian government in providing essential amenities with regard to eradicating poverty, generation of employment opportunities, and boosting the economy as evidently described in the Planning Commission (2012). Thus, there is a positive correlation between confidence that the government responds to people's needs and their quality of life, and trust. On the other hand, perceived failure in service delivery, poor economic management, or weak policy maturity can act as the causes of trust (Chhibber&Nooruddin, 2004).
2. **Transparency and Accountability:** India too has emerged progressive in the area of transparency enhanced by measures such as the Right to Information Act (RTI). Nevertheless, there are some shortcomings that prevent effective implementation of the activities and proper dissemination of the information at the local, regional, and national levels of government. Improvement in the area of accountability like on appointment of independent anti-corruption agencies and proper judicial checks and

balances also play a vital role.

3. Political Leadership: Lipset (1963) and Almond and Verba (1965) had also concluded similarly that the behavior, language and ethical characteristics of leaders have an impact on voters' trust in Indian politics. Informative leaders' perceptions are positive regarding their honesty, competence, and public-spiritedness, while erode confidence leaders involved in scandals, corruption, or partisan politics. It should be noted that, with the help of social media, the leadership's actions and words have become more significant and noticeable.

4. Media and Information Environment: Media in India is considered as one of the most lively and operates effectively to influence perception of the people on government (Jeffery, 2016). On the other side, the media as a scrutinizer that monitors the government can also act as a destructor of trust with the help of such tools as biased reporting, sensationalism, and misinformation. The problem of fake news, propagandas, and echo chambers' increase on social media adds complexity to the information situation, which hinders the formation of opinion among the citizens.

5. Social and Economic Conditions: Dreze and Sen (2013) explained that India has tremendous socioeconomic differentiation; poverty, social inequality, and others can erode the public's confidence in government authorities. Thefts, corruption and other incidents of fraudulent activities make the citizens to lose trust in government's capacity and or willingness to respond to their concerns this is especially when they feel locked out in the gains of the economic progress. However, social unrest and conflict are potential determinants of distrust, especially when the citizens doubt the government's ability to provide for order and security.

Consequences of Declining Public Trust in India: The consequences of declining public trust in government institutions in India can be far-reaching and detrimental to the country's democratic fabric and overall well-being:

1. Political Apathy and Disengagement: When citizens lose trust in government, they may become disillusioned with the political process and disengage from civic activities (Newton & Norris, 2000). This can lead to lower voter turnout, decreased participation in public consultations, and a weakened civil society.

2. Increased Social Unrest: Distrust in government can contribute to social unrest and conflict, as citizens may resort to protests, demonstrations, or even violence to express their grievances (Krishna, 2011). This can disrupt social order, hinder economic development, and create a climate of instability.

3. Weakened State Capacity: Declining trust can undermine the government's ability to implement policies effectively, as citizens may be less willing to cooperate with government initiatives or comply with laws and regulations (Levi, 1998). This can lead to a vicious cycle, where government ineffectiveness further erodes trust, making it even more difficult to address societal challenges.

4. Economic Consequences: Loss of trust can negatively impact the economy, as investors may become hesitant to invest in a country where the government is perceived as unreliable or corrupt (Guiso et al., 2004). This can deter foreign direct investment, reduce economic growth, and exacerbate poverty and inequality.

Case Studies: Public Trust in Action (and Inaction) in India: Examining specific cases can provide valuable insights into how public trust influences government initiatives and policies in India:Examining specific cases can provide valuable insights into how public trust influences government initiatives and policies in India:

1. Aadhaar: The Biometric Identification System: Aadhaar – Policy Objectives and Impact TheAadhaar number allocation based on biometric identity was conceived as the world's largest identification system with the singular policy objective of enhancing the deliverables of government services and curbing fraudulent practices (UIDAI, 2023). Nonetheless, it was marred with controversy because of privacy, data integrity and informational misuse among the public (Khanna, 2018). The people of India were never informed properly by the government about how Aadhaar would be implemented which denied them trust and empowered the courts (Supreme Court of India, 2018). Subsequent attempts at recovering user privacy rights and highlighting the system's capability of delivering social welfare programs have helped in recovering some measure of trust (Bhatia, 2020).

2. Demonetization: In November 2016, the Indian government claimed that it sought to eliminate the black money and corruption by replacing the 500 and 1000-rupee notes with the new series of 500 and 2000-rupee notes (Ministry of Finance, 2016). Despite being backed by some of the citizens in the early years, it-received criticism by the harshest measures of the regular civilian struggling to earn to make ends meet especially the informal sector (Das, 2017). Lack of adequate planning and communication in relation to the policy was a major cause for the public's disappointment and reduced trust (Ghosh, 2017).

3. COVID-19 Pandemic Response: The measures taken by the Indian government regarding COVID-19 pandemic were received with positive and negative feedbacks of the society at first. Thus, though the measures, such as the nationwide lockdown, proved effective in slowing down the virus's spread, their sudden implementation and absence of sufficient assistance to the affected groups led to severe economic losses and social turmoil (Ray et al., 2020). But subsequent actions of the governments to increase the vaccination drive and offering various relief packages among other things, have gradually assisted in the rebuilding of some trust (Government of India, 2021).

These case studies help to understand the multifaceted nature of factors that affect the level of trust of the population in India. Although the measures are proclaimed by

governments as rather helpful, their outcomes critically depend on such aspects as the information disseminating strategy and the respect for the citizens' concerns.

Strategies for Restoring Public Trust in India: Rebuilding and sustaining public trust in government institutions in India requires a multi-faceted approach that addresses the root causes of distrust and fosters a culture of transparency, accountability, and responsiveness. Rebuilding and sustaining public trust in government institutions in India requires a multi-faceted approach that addresses the root causes of distrust and fosters a culture of transparency, accountability, and responsiveness:

Table 1 (see in next page)

1. **Strengthening Anti-Corruption Efforts:** There is the need to escalate the anti-corruption crusade in India at all tiers of leadership. These measures range from improving the capabilities of the anti-corruption agencies, enhancing the protection of the whistleblowers, and ensuring that there are efficient and politically unrelated probes and trials (Transparency International, 2023).
2. **Improving Service Delivery:** This means that improving the quality as well as effectiveness of public services for instance health, education and physical infrastructure is Fleixible as a way of rebuilding confidence (Planning Commission, 2012). This includes reducing wasteful bureaucratic procedures, implementing technology and innovative solutions, and emphasizing on clients' or citizens' oriented perspectives.
3. **Enhancing Transparency and Accountability:** The Indian government should keep on with the advocacy to increase transparency in decision making, expenditure, and purchasing (Peisakhin& Pinto, 2010). These strategies of widening the coverage of the Right to Information Act and using technology in giving out information helps put power back into the hands of the citizens and creates trust.
4. **Promoting Inclusive Governance:** Overcoming difficulties and responding to wants and concerns of violated and discriminated populace subsets is central to gain its trust from each segment in the Indian society (Beteille, 2003). This entails policy measures that aim at increasing the social and economic equity, striving for affirmative action, equal chances, and opportunities, and taking measures to correct previous wrongs.
5. **Building Political Consensus and Collaboration:** Trust in India: Trust building process needs political leaders to positively engage in dialogue, achieve consensus on tremendous issues, and they have to work in tandem across party divide in a large diversed country like India (Jayal, 2013). It could also act as the means toward the de-polarization of the political process and the attainment of a cultured consensus about the nation's that is needed for the future.
6. **Leveraging Technology:** Digital governance has further been identified as a growing trend in the Indian context giving frameworks opportunities to offer better, more transparent services, effectively manage change, and integrate citizens in governance over processes (Bhatia, 2020). The other areas that involve feedback mechanisms, grievance redressal, and consultations using the available digital platforms can make citizens to feel part of the decision-making process, hence increasing trust.

Conclusion: The Indian people have precious little faith in their government institutions as it is and it must be preserved. Thus, the Indian government may regain the citizens' trust by combating the sources of distrust, increasing the effectiveness of accountability systems, improving the quality of provided services, as well as encouraging the policy of inclusive governance. It is the long and gradual process of constructing and maintaining trust through work, flexibility, and understanding of the Indian people needs and wants. This suggests that a government that receives and sustains the confidence of the people is in a better position to tackle the nation's problems, promote unity and cohesion as well as work towards the advancement of the social well-being of its people.

References:-

1. **Beteille, A. (2003).** *Equality and Universality: Essays in Social and Political Theory*. Oxford University Press.
2. **Bhatia, A. (2020).** India's Aadhaar: Biometric ID, Big Data, and the Digital Welfare State. *World Development*, *127*, 104757.
3. **Chhibber, P., &Nooruddin, I. (2004).** Do Party Systems Count? The Number of Parties and Government Performance in the Indian States. *Comparative Political Studies*,*37*(2), 152-187.
4. **Das, G. (2017).** Demonetisation and its Impact on the Indian Economy. *Economic and Political Weekly*, *52*(8), 10-13.
5. **Drèze, J., & Sen, A. (2013).** *An Uncertain Glory: India and its Contradictions*. Allen Lane.
6. **Ghosh, J. (2017).** Demonetisation and the Crisis of Legitimacy. *Economic and Political Weekly*, *52*(5), 15-18.
7. **Government of India. (2021).** *COVID-19 Vaccination in India: Progress and Challenges*. Ministry of Health and Family Welfare.
8. **Guiso, L., Sapienza, P., &Zingales, L. (2004).** The Role of Social Capital in Financial Development. *American Economic Review*, *94*(3), 526-556.
9. **Jayal, N. G. (2013).** *Citizenship and Its Discontents: An Indian History*. Harvard University Press.
10. **Jeffery, R. (2016).** *India's Newspaper Revolution: Capitalism, Politics and the Indian-language Press 1977-99*. Oxford University Press.
11. **Khanna, T. (2018).** Aadhaar: A Biometric History of India's 12-Digit Revolution. *Foreign Affairs*, *97*(6), 118-130.
12. **Kohli, A. (2012).** *Poverty Amid Plenty in the New India*. Cambridge University Press.

13. **Krishna, A. (2011).** *Democracy in India: Challenges and Opportunities*. Oxford University Press.
14. **Levi, M. (1998).** *Of Rule and Revenue*. University of California Press.
15. **Ministry of Finance. (2016).** *Withdrawal of Legal Tender Character of Existing ₹ 500 and ₹ 1000 Notes: Rationale and Impacts*. Government of India.
16. **Newton, K., & Norris, P. (2000).** Confidence in Public Institutions: Faith, Culture, or Performance? In S. J. Pharr & R. D. Putnam (Eds.), *Disaffected Democracies: What's Troubling the Trilateral Countries?* (pp. 52-73). Princeton University Press.
17. **Peisakhin, L., & Pinto, P. M. (2010).** The RTI Act: Public Information as a Tool for Citizen Empowerment. *Economic and Political Weekly*, *45*(31), 54-62.
18. **Planning Commission. (2012).** *Twelfth Five Year Plan (2012-17): Faster, More Inclusive and Sustainable Growth*. Government of India.
19. **Ray, D., Subramanian, S., & Subramanian, K. (2020).** India's Lockdown: An Interim Report. *Centre for Economic Policy Research*.
20. **Supreme Court of India. (2018).** *Justice K. S. Puttaswamy (Retd) v. Union of India &Anr.* Writ Petition (Civil) No. 494 of 2012.
21. **Transparency International. (2023).** *Corruption Perception Index 2022: India*.
22. **UIDAI. (2023).** *Aadhaar: Empowering Residents of India*. Unique Identification Authority of India.

Table 1: To give a name to the theory, one could call it Simple System Model of Political Trust and Behaviour since it is a system where one element affects the other element.

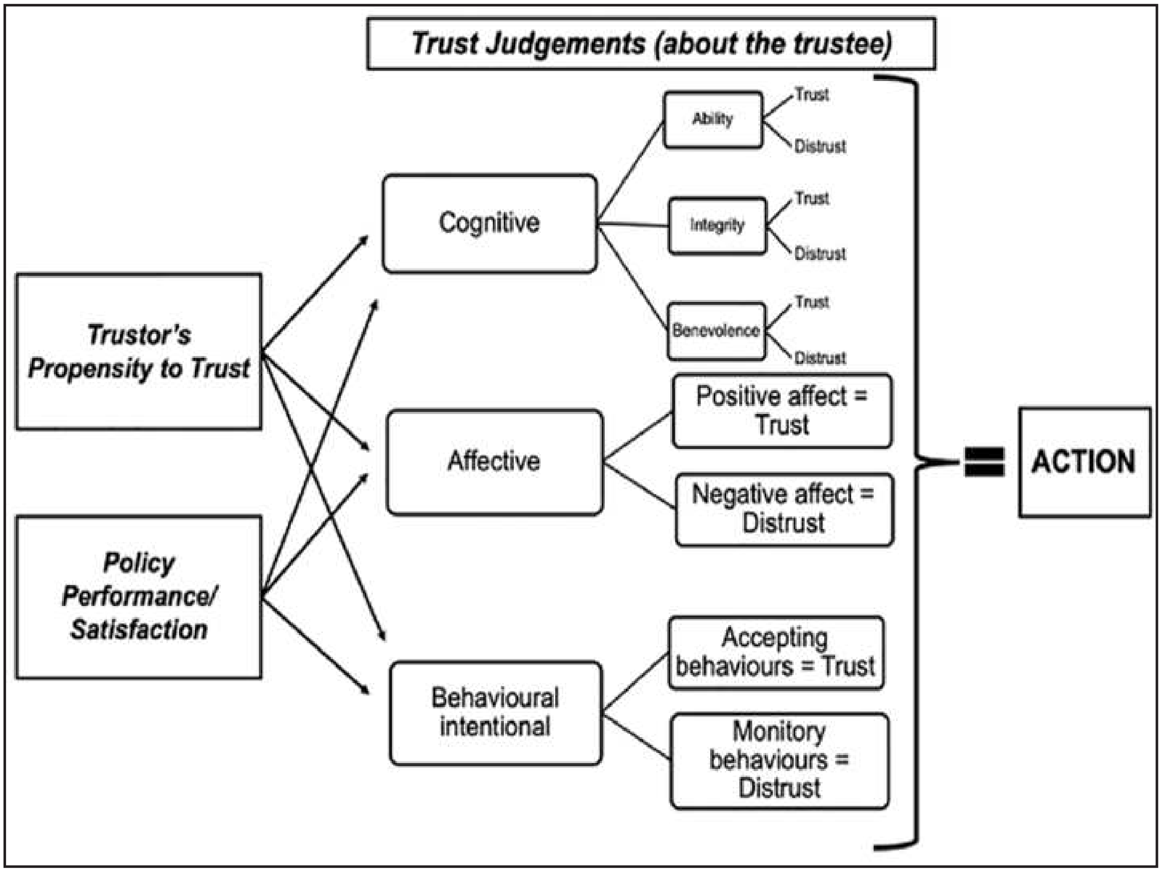

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

मेवाड़ के आवासीय दुर्ग का स्थापत्य और क्रमिक विकास

खुशबू गायरी*

* छात्रा (इतिहास) मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

शोध सारांश – राजस्थान का गौरव ऐतिहासिक चित्तौड़गढ़ का दुर्ग जो कि मौरी जाति के शासक चित्रांग मौर्य द्वारा सर्वप्रथम इसकी नीव रखी गई।जो अपने सामरिक महत्व के कारण समय पर विभिन्न शासकों के अधीन रहने के बाद भी अडिग रहा है।उक्त लेख में इस दुर्ग के क्रमिक विकास व स्थापत्य पर प्रकाश डाला गया है।स्थापत्य की दृष्टि से ऐसा दुर्ग है जहां पर पानी की कमी अकाल पड़ने पर भी नहीं होती है तथा किले के अंदर ही खेती की जा सकने के कारण खाद्यान्न का अभाव विकट युद्ध के समय भी संभव नहीं था। अत: इस दुर्ग में लंबे समय तक युद्ध में गिरे रहने पर भी अपने खाद्यान्न व जल की आपूर्ति दुर्ग के अंदर से ही की जा सकती थी।इसी सामरिक महत्व के कारण यह दुर्ग अनेक बार शत्रुओं के युद्ध का शिकार हुआ व अपने वीर पुत्रो व वीरांगनाओं के प्राणों की आहुति दी है, जिनकी वीरता, पराक्रम,साहस व शौर्य की कहानी आज भी यहां पर बने स्मारक बता रहे है।

शब्द कुंजी – महत्व, स्थापत्य, विकास।

प्रस्तावना – एशिया के सबसे बड़े दुर्ग के रूप में प्रसिद्ध दुर्गों का सिरमौर, तीर्थस्थल की रेणुका चितौड़गढ़ का दुर्ग समुद्र तट से 1850 फूट की ऊंचाई लगभग तीन मील लंबा और आधा मील चौड़ा मैसा के पठार पर स्थित है। जो चारो ओर मैदान से घिरी हुई पहाड़ी है जिस पर यह किला स्थित है।आसपास के मैदान से इसकी ऊंचाई 500 फूट है।मछली की आकृती में बना यह दुर्ग बेड़च व गंभीरी नदी के किनारे स्थित है।इस दुर्ग में धांवन दुर्ग को छोड़कर अन्य सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। सर्पिलाकर मार्ग पर दिल्ली से मालवा गुजरात मार्ग पर यह दुर्ग स्थित है। यह दुर्ग अपने पराक्रम,वीरतापूर्ण गाथाओं और जौहर के किस्सों के साथ अपने स्थापत्य के लिए भी जाना जाता है जहां पर महल, मंदिर, बस्ती आदि के खंडहर है।

मौरी/मौर्य शासक – दंत कथा के अनुसार यह किला महाभारत काल में भी विद्यमान था यहां बना हुआ पानी का कुंड भीमलत कुंड के नाम से विख्यात है जिसे पांडव भीम से जोड़ कर बताया गया।परन्तु कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक में उद्धत वि.स.770 के शिलालेख के अनुसार यह प्रमाणित होता है की मौरि जाति के शासक भीम से 'भीमलत' कुंड के निर्माण से जोड़ना अधिक सही प्रतीत होता है। स्रोत: राजस्थान का इतिहास – गोपीनाथ शर्मा पृ. सं. 449

कर्नल टॉड की पुस्तक में उद्धत शिलालेख में मौर्य शासकों की वंशावली के अनुसार भीम का उत्तराधिकारी चित्रांगद, मौर्य था। चित्तौड़ का किला मौर्य जाति के राजा चित्रांग ने बनवाया व अपने नाम पर इसका नाम चित्रकूट रखा था,चित्तौड़ उसी का अपभ्रंश रूप है। स्रोत: वीरविनोद –श्यामलदास पृ. सं. 82

गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 'चित्रांग ने एक तालाब भी बनवाया जो की चित्रांगमोरी नाम से जाना जाता है।'

कुकडेश्वर शिलालेख विक्रम संवत 811 में यह प्रमाणित होता है कि यहां पर कुकड़ेश्वर मौर्य नामक मौर्य शासक का शासन भी रहा था। किले के पश्चिम में कुकड़ेश्वर महादेव का मंदिर का बना हुआ है।

स्रोत – विकिपीडिया

बापा रावल – विक्रम संवत आठवीं शताब्दी के अंत में मेवाड़ के गुहिल वंशी राजा बापा (कालभोज) ने राजपूताने पर राज्य करने वाले मौर्य वंश के अंतिम राजा मान से यह किला हस्तगत किया। इसी अवसर पर बापा रावल की उपाधि धारण की। नागदा में इनका देहांत हुआ। स्रोत: उदयपुर राज्य का इतिहास– गौरी शंकर हीराचंद ओझा पृ. सं. 45, राजस्थान के राजवंशों का इतिहास –रोहित कुमार तंवर पृ. सं. 87

प्रतिहरों ने मौर्य से चित्तौड़ ले लिया हो और देवपाल प्रतिहार को प्राप्त कर अल्लट उसका अधिकारी हुआ और मालवा में परमार मुंज ने गुहिलों को पराजित कर अपने राज्य में मिला लिया। विक्रम संवत 12वीं सदी के अंत में गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज ने परमारो से मालवा छीना तब यह दुर्ग भी सोलंकिया के अधिकार में चला गया।डॉ. दशरथ शर्मा जैत्र सिंह को मेवाड़ का प्रथम विजेता मानते हैं। स्रोत: राजस्थान का इतिहास– गोपीनाथ शर्मा पृ. सं. 450, कुमारपाल का शिलालेख

अलाउद्दीन खिलजी – अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद यह दुर्ग अपने पुत्र खिज़्र खां को सौंपा जिसने चित्तौड़ के भग्नावशेषों पर गंभीरी नदी को पार करने के लिए पुल का निर्माण करवाया। आज भी

इसमें अनेक मूर्तियां और मंदिरों के पाषाण स्तंभ खंड और प्रशस्तियों के टुकडे देखे जा सकते हैं। नदी का जल बहाने के लिए इस पुल पर 10 मेहराब बने हैं, जिसमें से 9 के ऊपर के सिरे नुकीले और नदी के पश्चिम तट से छठे के अग्रभाग अर्द्ध वृताकार है। इस पुल के दसवीं मेहराब में समर सिंह के समय के लेख है जिसका आशय है कि रावल समर सिंह ने अपनी माता जयतली देवी के श्रेय के निर्मित पौधेशाला के लिए भूमि दी। स्रोत: उदयपुर राज्य का इतिहास- गौरी शंकर हीराचंद ओझा पृ. सं. 46, राजस्थान का इतिहास- गोपीनाथ शर्मा पृ. सं. 450- 51 व समद्धीश्वर लेख 1428

महाराणा मोकल –मेवाड़ के सिसोदिया वंश के शासक महाराणा मोकल ने भी चित्तौड़ दुर्ग के निर्माण में अपना योगदान देने में पीछे नहीं रहे। मोकल के द्वारा चित्तौड़ के प्रसादो के निर्माण,सुवर्ण तुलादान, द्वारकाधीश का मंदिर आदि बनाने में योगदान है। मोकल ने समाधिश्वर महादेव का मंदिर विक्रम संवत 1485 में बनवाया। मालवा के शासक भोज द्वारा निर्मित त्रिभुवननारायण का मंदिर का जीर्णोद्धार 1428 में मुगल द्वारा कराया गया मूर्तिकला और जनजीवन की 13वीं सदी की झांकी के लिए यह मंदिर अद्वितीय है। स्रोत: समाधिश्वर शिलालेख, राजस्थान का इतिहास- गोपीनाथ शर्मा पृ. सं. 452 व वीरविनोद- श्यामलदास पृ. सं. 83

महाराणा कुम्भा –मेवाड़ के महान शासक महाराणा कुंभा का स्थापत्य में योगदान अविस्मरणीय है कुम्भा का काल स्थापत्य युग का स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। महाराणा कुंभा को चित्तौड़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता कहा जाता है।कुंभा ने चित्तौड़ के अधिकांश वर्तमान भाग का निर्माण करवाया है। कुंभा ने मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले कुंभा ने करवाया है।

विजय स्तम्भ – विजय स्मारक के रूप में विख्यात विजय स्तंभ का निर्माण कुम्भा ने मालवा के शासक पर विजय की स्मृति में करवाया था। यह स्तंभ भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोष, हिंदू देवी देवताओं का अजायबघर और विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है। यह राजस्थान पुलिस और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रतीक रूप में शामिल है।

मुद्रा शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के विद्वान प्रोफेसर एस.के.भट्ट ने स्तंभ की 9 मंजिलों का सचित्र उल्लेख करते हुए कहा की 'राजनीतिक विजय के प्रतीक स्तंभ के रूप में मीनारे बनाई जाती है जबकि यहां प्रत्येक तल में धर्म और संस्कृति के भिन्न-भिन्न आयामों को प्रस्तुत करने के लिए भिन्न-भिन्न स्थापत्य शैलियों अपने जाती है।'

कीर्ति स्तंभ – चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ तो संसार के अद्वितीय कृतियों में से एक है। इसका एक एक पत्थर पर उनके शिल्पानुराग वैदुष्य और व्यक्तित्व की छाप है ।कीर्ति स्तंभ और महलों के पूर्वी सीमा पर कुंभ स्वामी मंदिर बनवाया।

कुंभा ने रामपोल, जौड़न पोल,गणेश पोल,हनुमान पोल यह चार नए दरवाजा का निर्माण करवाया। स्रोत: राजस्थान का इतिहास- गोपीनाथ शर्मा पृ. सं. 452- 53, वीरविनोद- श्यामलदास पृ. सं. 82,'राजस्थान का गौरव है चित्तौड़ दुर्ग' दैनिक जागरण मूल से 6 फरवरी 2017 को पुरालिखित व कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति

महाराणा रायमल – मेवाड़ के महाराणा रायमल के समय गोमुख नामक झरना व हौज की सीढ़ियो से उतरते समय दाहिनी तरफ गुफा के रूप में एक छोटी सी मठी का निर्माण जैनियों द्वारा कराया गया। अद्भुत जी का मंदिर भी महाराणा रायमल के समय बना। स्रोत: वीरविनोद – श्यामलदास पृ. सं. 83, व उदयपुर राज्य का इतिहास – गौरी शंकर हीराचंद ओझा पृ. सं. 48

महाराणा उदय सिंह द्वितीय –मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह की महारानी झाली द्वारा एक बावडी का निर्माण करवाया गया जिसे 'झालीबाब' नाम से जाना जाता है। स्रोत: वीरविनोद- श्यामलदास पृ. सं. 84

महाराणा जगत सिंह प्रथम – 1615 में जहांगीर के साथ हुई संधि में निश्चित हुआ था कि चित्तौड़ की मरम्मत नहीं करवाई जाएगी। परंतु 50 वर्ष पश्चात जगत सिंह प्रथम द्वारा चित्तौड़ मरम्मत कार्य आरंभ कर दिया गया। जिसे शाहजहां ने सेना भेजकर रुकवा दिया। स्रोत: राजस्थान के राजवंशों का इतिहास –रोहित कुमार तंवर पृ. सं. 94

महाराणा सज्जन सिंह – महाराणा सज्जन सिंह ने पद्मिनी महल और तालाब का जीर्णोद्धार करवाया। भैरव पोल को महाराणा ने सड़क की मरम्मत करवाते समय गिरवा दिया क्योंकि वह पहले से ही क्षतिग्रस्त होकर गिर गया था बस दोनों तरफ की शाखाएं बची हुई थी जो रास्ता चौड़ा करने के लिए गिरा दिए गए थे। कुंभा के पुराने राजमहलों के भग्नावशेषों के जिर्णोद्धार का कार्य आरम्भ किया गया। स्रोत:उदयपुर राज्य का इतिहास –गौरी शंकर हीराचंद ओझा पृ. सं. 52, वीरविनोद –श्यामलदास पृ. सं. 82

महाराणा फतेह सिंह – मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने जो कार्य सज्जन सिंह से अधूरा रह गया उसे पूरा करवाया। चित्तौड़ के जैन कीर्ति स्तंभ की मरम्मत कार्रवाई चित्तौड़ दुर्ग में नए महल बनवाए । चित्तौड़ में फतेह प्रकाश महल का निर्माण करवाया जो कि अंग्रेज रेजिडेंट के गेस्ट हाउस के रूप में उपयोग किया जाता था। स्रोत:उदयपुर राज्य का इतिहास –गौरी शंकर हीराचंद ओझा पृ. सं. संख्या 759

स्थापत्य-'गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गढ़्या' अनिरूद्ध की की कहावत चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर सटीक तरीके से उतरती है।यह दुर्ग 700 एकड़ में फैला हुआ राजपूत शैली का नमूना माना जाता है।

पाडनपोल – रेलवे स्टेशन से किले की तरफ बढ़ने पर खिज्र खा द्वारा निर्मित पुल मिलता है जिससे आगे बढ़ने पर दुर्ग का प्रथम द्वार पाडनपोल के बाहर की ओर चबूतरा बना हुआ है।

भैरवपोल – पाडनपोल के बाद भैरव पोल आती है जहां पर दो महान वीर योद्धा जयमल और कल्ला राठौड़ की छतरियां बनी हुई है। इसके पश्चात् गणेश पोल,लक्ष्मण पोल और जोड़ना पोल आती है जो इतनी सुदृढ़ दीवारों से निर्मित है कि बिना फाटक तोड़े किले पर अधिकार करना संभव नहीं है।जोड़ना पोल के सकरे मोर्चे पर शत्रु सेना आसानी से रोकी जा सकती है। यहां की ऊंचाई घुमाव और सकरापन मध्ययुगीन सैनिक सुरक्षा के लिए खास साधन था। इसके बाद रामपोल पश्चिम प्रवेश द्वार से समतल स्थिति आती है जहां पर वीर पत्ता कि स्मारक बनी हुई है। स्रोत: राजस्थान का इतिहास –गोपीनाथ शर्मा पृ. सं. 451,वीरविनोद- श्यामलदास पृ. सं. 82

कुंभा महल – त्रिपोलिया द्वार से विभिन्न दर्शनीय स्मारक दिखाई पड़ते हैं, जैसे- पुराने राजमहल, निजी सेवा का बाण माता मंदिर, कुंभा का जनाना और मर्दाना महल, कोठार, शिलालेख, राजकुमारों के प्रसाद आदि प्रमुख हैं जिन्हें कुंभा महल के नाम से जाना जाता है। कुंभा महल में बनी सुरंग को पद्मिनी का जौहर स्थान बताया जाता है। कुंभा महल के नीचे के महलों का कुछ भाग कुछ कुंभा के समय से पहले के बने हुए थे ।जिसके खंडहर अब सफाई व खुदाई से निकल आए हैं। जिससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि कुंभा ने इन्हीं पुराने महलों पर ही नए महल बनवा दिए हो जहां छोटे-छोटे

शिवालय व चबूतरे मिलते हैं जो जौहर होने के स्थान के प्रमाण देते हैं जहां हुई खुदाई इसको और स्पष्ट करती है। चित्तौड़ का राजभवन भी तत्कालीन समय के उच्च वर्गीय समाज के लोगों के जीवन पर प्रकाश डालता है।

कीर्ति स्तंभ – 9 मंजिला कीर्ति स्तंभ अपने आप में अद्वितीय है। कुंभा द्वारा निर्मित इस स्तंभ को आरंभ में 'भाक्षी' नामक स्थान पर रखा गया।इस स्तंभ की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि प्रत्येक मूर्ति पर नामांकन दिया गया है मूर्ति के अस्त्र-शस्त्र या मूर्ति पर अन्य चिन्ह से समझने में आसानी होती है। सबसे ऊपरी मंजिल पर चार शिलालेख की ताके पाई गई है।जिनमे दो शिलाएं प्राप्त है। इसी स्तंभ पर बनी मूर्तियों से सामाजिक जीवन पर प्रकाश डाला जा सकता है, यह निर्माण कार्य जैता सूत्रधार के द्वारा किया गया है।

कीर्ति स्तंभ से आगे सामंतों के आवास व उनकी भौतिक सुविधाओं पर झांकी डालती जयमल की हवेली स्थित है। इससे आगे पद्मिनी के महल आते हैं जो नए बन गए हैं फिर भी कुछ खंडहरों के अवशेष तत्कालीन समय के स्थापत्य के साक्षी बने हुए हैं। यहां जैन कीर्ति स्तंभ भी बना हुआ है जो कि जीजा द्वारा निर्मित करवाया गया था। स्रोत: राजस्थान का इतिहास-गोपीनाथ शर्मा पृ. सं. 451- 52,चित्तौड़ का आर्कियोलॉजिकल सर्वे 2007

दुर्ग के जलाशय – जलाशय की दृष्टि से भी यह दुर्ग अपना महत्व बनाए हुए है यहां 84 जलाशय बने हुए है जिनमे से जिनमें से 12 वर्ष भर भर रहते हैं। जैसे – पद्मिनी तालाब इसका जीर्णोद्धार महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा करवाया गया था।रत्नेश्वर तालाब दुर्ग के उत्तर की ओर स्थित है इसके ऊपरी ओर हिंगोला आडा का महल विद्यमान है। राठौड़िया तालाब हंगोला आडा के महल के पीछे की ओर स्थित है। कुंभासागर तालाब कुकडेश्वर महादेव के मंदिर के दक्षिण में 'भीमगोड़ी' नाम से गहरा जलाशय और कुंभासागर तालाब स्थित है।'झालीबाब' पाडन पोल के बाहरी ओर बनी हुई है। इसके अतिरिक्त दो अन्य कुंड है जिनका निर्माण अज्ञात है परंतु मरम्मत का कार्य मेहता शेर सिंह के पुत्र सवाई सिंह के द्वारा करवाया गया आदि प्रमुख है। स्रोत: वीरविनोद- श्यामलदास पृ. सं. 83-84

अन्य स्थापत्य

लखोटा बारी – यह उत्तर की ओर बनी हुई है।कस्बा पश्चिम की ओर बना हुआ है जिसे तलहटी बोला जाता है। कस्बे में अस्पताल और पाठशाला यह दोनों नए बनवाए गए हैं। कस्बा शहरपनाह (परकोटा) से गिरा हुआ है। 1881 ईस्वी में कस्बे में रेलवे लाइन खोली गई। किले के उत्तरी ओर नगरी नामक गांव है जहां से प्राचीन मकान के अवशेष व सिक्कों की प्राप्ति हुई है इसके पश्चिम तरफ शहरपनाह के भग्नावशेष के चिन्ह है।उभ दिवत नामक एक मीनार बनी हुई है जो बौद्धो द्वारा निर्मित प्राचीन ज्ञात होती है। नवलख भंडार बनवीर द्वारा ऊंची ऊंची दीवार बनवाई गई जिसके पास में सुरक्षित स्थान नवलख भंडार स्थित है। स्रोत: वीर विनोद श्यामल दास पृ. सं. 84

दुर्ग का मंदिर स्थापत्य – मंदिर स्थापत्य की दृष्टि से भी यह दुर्ग अपना महत्व बनाए हुए है यहां पर हिंदू ,जैन और बौद्ध सभी धर्मो के मंदिरों के अवशेष विद्यमान है। चार दीवारों के भीतर बड़े-बड़े पत्थरों में बना हुआ एक स्थान है जिसे 'हाथियों का बाड़ा' कहा जाता है। परंतु यह बौद्ध लोगों का स्तूप मालूम होता है जेमल जी के तालाब तट पर बौद्धों के छह स्तूप खड़े हैं जो कि वर्तमान में तोपखाने के पास खड़े हैं । स्रोत: वीरविनोद- श्यामलदास पृ. सं. 84, उदयपुर राज्य का इतिहास -गौरी शंकर हीराचंद ओझा पृ. सं. 46

जैन मंदिर/ जिनालय– चित्तौड़ किले के अंदर 6 जैन मंदिर है इनमें सबसे बड़ा भगवान आदिनाथ का मंदिर है ।सत्बीस देवरी मंदिर 27 मंदिरों का समूह बड़ी पोल के दाहिनी ओर स्थित है ।मंदिर के अंदर एवं बाहर की नक्काशी अद्भुत है इस मंदिर के साथ दो छोटे मंदिर भी स्थित है।सात मंजिल वाला जैन कीर्ति स्तंभ जिसको दिगंबर संप्रदाय के महाजन सा नाय के पुत्र जीजा ने बनवाया था। यह कीर्ति स्तंभ आदिनाथ का स्मारक है जिसके चारों पार्श्व पर आदिनाथ की एक विशाल दिगंबर जैन मूर्ति खड़ी है और बाकी के भाग पर अनेक छोटी-छोटी जैन मूर्तियां खुदी हुई है।

महावीर स्वामी के मंदिर का जीर्णोद्धार कुंभा कालीन ओसवाल महाजन गुनराज ने करवाया था। वर्तमान में यह मंदिर जीर्ण – शिर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है।महाराणा रायमल के समय जैनियों द्वारा जैन मढ़ी का निर्माण करवाया गया जहां पर दक्षिण से लाई गई मूर्ति स्थापित की गई।

श्रृंगार चंवरी – वास्तव में यह शांतिनाथ का जैन मंदिर है जिसकी प्रतिष्ठा खरतरगच्छ के आचार्य जिनसेन सूरी ने की थी। इसका जीर्णोद्धार महाराणा कुंभा के भंडारी वेलक ने 1448 ईस्वी में कराया था। इस मंदिर के बाहरी भाग में उत्कीर्ण कला देखने योग्य है। लोग इसको लोग भ्रम से श्रृंगार चोरी कहते हैं।स्रोत:वीरविनोद – श्यामल पृ. सं. 83, राजस्थान का इतिहास – गोपीनाथ पृ. सं. 451- 52, उदयपुर राज्य का इतिहास गौरी शंकर हीराचंद ओझा पृ. सं. 47

हिंदू मंदिर – कालिका का मंदिर पत्ता की हवेली के दक्षिण में आठवीं शताब्दी में निर्मित कालिका का मंदिर है जो पहले सूर्य मंदिर था निजमंदिर के द्वारा पर सूर्य की मूर्ति तथा गर्भग्रह के बाहरी पार्श्व के ताकों पर भी सूर्य की मूर्तियों से निश्चित होता है की संभवत: है कि मेवाड़ के गुहिल वंशीय राजाओं ने बनवाया हो। मुसलमानों के समय मूर्ति तोड़ दी गई हो बाद में किसी ने यहां कालिका की मूर्ति स्थापित कराई हो।महाराणा सज्जन सिंह द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाया गया।

त्रिभुवननारायण का मंदिर – मालवा के शासक भोज् द्वारा निर्मित इस मंदिर का जीर्णोद्धार मोकल के द्वारा 1428 ईस्वी में करवाया गया मूर्ति कला और जनजीवन की 13वीं सदी की झांकी के लिए यह मंदिर अपने ढंग में अद्वितीय है। समाधिश्वर महादेव मंदिर का निर्माण मोकल के द्वारा करवाया गया था। इसके भीतरी और बाहरी भाग में खुदाई का काम सुंदर बना हुआ है।

कुंभास्वामी मंदिर – महाराणा कुंभा द्वारा जीर्णोद्धार कराया गया। तथा यह मीरा हरि कीर्तन के लिए जाया करते थी।अद्भुत जी का मंदिर महाराणा रायमल के समय बना यह मंदिर जिसमें शिवलिंग और दीवार से सटी हुई शिवजी की विशाल त्रिमूर्ति है इस ही अद्भुत मूर्ति को देखकर इस मंदिर का नामकरण अद्भुत जी का मंदिर हुआ है। तुलिका भवानी का मंदिरबनवीर के द्वारा बनवाया गया।

अन्य मंदिर – (1) कुकड़ेश्वर महादेव का मंदिर, (2) नीलकंठ महादेव का मंदिर, (3) अन्नपूर्णा देवी का मंदिर, (4) जटाश्वर महादेव का मंदिर आदि प्रमुख है। स्रोत: वीरविनोद- श्यामलदास पृ. सं. 83,राजस्थान का इतिहास -गोपीनाथ शर्मा पृ. सं. 451-52 व उदयपुर राज्य का इतिहास-गौरी शंकर हीराचंद ओझा पृ. सं. 46, 47, 50

निष्कर्ष – चित्तौड़ का दुर्ग एक ऐसे दुर्ग के रूप में है जो कि सदियों से अपने पराक्रम, वीरता, जौहर और शौर्य की गाथाओं का साक्षी बना हुआ है। यहां पर महान शासको का शासन रहा है जो कि यहां पर निर्मित स्मारक इस बात के साक्षी बन रहे हैं। 'इस दुर्ग में भक्ति भी रही है और शक्ति भी रही है।'यह

ऐसा दुर्ग है जहां पर भक्त शिरोमणि मीराबाई भी रही है और यहां पर महान वीरांगनाएं भी रही है। दुर्ग का स्थापत्य अद्भुत है जहां पर समय-समय पर शासको ने निर्माण कार्य को करवाया जो कि इस दुर्ग के सामरिक महत्व को इंगित करता है। यह दुर्ग प्राचीन स्मारकों को महलों और जौहर के स्मारक चिन्हों से सुसज्जित है जो कि आज भी भारतीयों के लिए सामाझिय व गर्व महसूस करवाते हैं हम राष्ट्रवासियों के लिए यह दुर्ग प्रेरणा स्रोत का काम करता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. राजस्थान का इतिहास- गोपीनाथ शर्मा,
2. वीरविनोद -श्यामल दास,
3. उदयपुर राज्य का इतिहास- गौरीशंकर हीराचंद ओझा,
4. चित्तौड़ आर्कियोलॉजिकल सर्वे 2007,
5. कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक प्रतिलिपि में उद्धत शिलालेख,
6. समाधिश्वर का शिलालेख,
7. कुमारपाल का लेख,
8. कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति,
9. कुकड़ेश्वर शिलालेख,
10. 'राजस्थान का गौरव है चित्तौड़ दुर्ग' दैनिक जागरण मूल से 6 फरवरी 2017 में पुरालिखित

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

राजस्थान की ठीकरी कला का ऐतिहासिक अध्ययन एवं संरक्षण

खुशबु झाला*

* छात्रा (इतिहास) मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

शोध सारांश – उक्त लेख में मुगलों के संरक्षण एवं उसके बाद राजस्थान के राजपूत राजघरानों द्वारा संरक्षित ठीकरी कला के 'ऐतिहासिक अध्ययन' एवं उसके 'संरक्षण की आवश्यकताओं' पर विचार करने का प्रयास किया गया है। राजस्थान अपने इतिहास के साथ अपनी अलग-अलग कलाओं के इतिहास हेतु भी प्रसिद्ध है। इसी में से एक है 'राजस्थान के मेवाड़ की ठीकरी कला'। जिसमें 'शीशे की पच्चीकारी' अर्थात पत्थर में कांच के टुकड़ों की जडाई का कार्य किया जाता है। मेवाड़ रियासत की राजधानी उदयपुर क्षेत्र में 'हस्तशिल्पयों' द्वारा आज भी 400 वर्षो पुरानी राजा महाराजाओं के समय से चली आ रही ठीकरी कला को संरक्षित किया गया है। उक्त कला की कलाकारी राजस्थान के राजपूत राजघरानों के महलों, दुर्गो व मंदिरों में देखी जा सकती है। ठीकरी कला राजस्थान के प्रमुख हस्तशिल्प में से एक है। इसके कलाकारों को सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों के समर्थन व संरक्षण की आवश्यकता है। वर्तमान में विदेशी पर्यटको द्वारा महलों व दुर्गो में ठीकरी कला के अप्रतिम कार्य को देख उसकी और आकर्षण एवं इस मनमोहक दृश्य को अपने संग विदेश ले जाने की चाह ने पुन: ठीकरी कलाकारों हेतु रोजगार की संभावनाओं को बढाया है।ठीकरी कला के छोटे नमूनों के रूप में साथ ले जाने से विदेश में परंपरागत ऐतिहासिक भारतीय हस्तशिल्प का प्रचार भी हो रहा है।

शब्द कुंजी – संरक्षण, ठीकरी, हस्तशिल्प, आकर्षण, परंपरागत।

प्रस्तावना – ठीकरी शब्द हिंदी के शब्द 'ठेकर' से लिया गया है जिसका अर्थ है दर्पण शिल्पी।राजस्थान के इतिहास में कई कलाओं ने अपना योगदान दिया है इसी में से एक है मेवाड़ की ठीकरी कला। जिसे आईनाकारी या मिरर वर्क भी कहा जाता है। इसमें शीशे के टुकड़ों को दीवारों से जोड़कर विभिन्न प्रकार का आकार दिया जाता है इसका प्रयोग बड़े स्तर पर मेवाड़ के सिटी पैलेस, राज दरबार, हवेलियों एवं जयपुर रियासत के आमेर के किले, जोधपुर एवं जैसलमेर के सिटी पैलेस व हवेलियो में सजावट हेतु किया गया है। इस कला की मुख्य विशेषता है की ठीकरी कला द्वारा किए गए कार्य से महलों की सुंदरता बढ़ती है एवं ठीकरी कला शीशे की परावर्तक क्षमता के कारण अत्यधिक आकर्षक लगती है। अपने आकर्षण के कारण राजस्थान के राज घरानों के महलों एवं हवेलियां व मंदिरों की शोभा बढ़ाती है। शीशे को अक्सर राजघरानों द्वारा शाही सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जाता था इसीलिए ठीकरी कला में राजस्थान के राजपूत वंशों ने अपनी विलासिता की झलक को देखा एवं इसका प्रयोग अपने ऐतिहासिक स्मारको में किया।

ठीकरी कला की विधि – मुख्यत ठीकरी कला का प्रयोग पत्थर की दीवारों में शीशे के छोटे टुकड़ों की जडाई कर किया जाता है। इसमें छोटे औजारों से कांच को आकार में काटा जाता है फिर जो भी आकर देना है उसके अनुसार शीशे को चिपकाया जाता है।

ठीकरी हस्तशिल्प, छायाचित्र स.– 01

ठीकरी कला का इतिहास–भारत में सर्वप्रथम मुगलों द्वारा दर्पण शिल्प एवं शिल्पकारों को संरक्षण दिया गया। ठीकरी कला का सर्वप्रथम प्रयोग मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा 1631 में बनवाये गये, शीश महल, लाहौर में देखा जा सकता है।

शीश महल, लाहौर छायाचित्र स.– 02, 03

मुगल शासक द्वारा ठीकरी कला को उत्कीर्ण करने हेतु ठीकरी शिल्पकारों को पश्चिम बंगाल से बुलवाया गया एवं उन्हें संरक्षण दिया गया। किंतु ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के पश्चात मुगल साम्राज्य पतनोन्मुख होता गया एवं इन कलाकारों को संरक्षण मिलना बंद हो गया तथा रोजगार की तलाश में यह शिल्पकार राजपूताना की रियासतों मेवाड़, मारवाड़, जयपुर एवं शेखावाटी आदि क्षेत्रों में बस गए उसे दौरान राजपूत शासको द्वारा इन शिल्पकारों को संरक्षण दिया गया। राजपूत शासको के महलों, हवेलियां एवं मंदिरों में ठीकरी कला को एक नया रूप मिला। इसी दौर में समस्त राजपूत वंश के शासको ने इस कला का प्रयोग आरंभ किया, जिसे स्थापत्य कला एवं महलों व मंदिरों की सजावट आदि में प्रयोग किया गया। ठीकरी कला का प्रयोग लगभग 400 वर्ष के पूर्व से स्थापत्य विकास के साथ किया गया है। जो निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी विकसित हुई अत: कहा जा

RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

सकता है कि राजस्थान ठीकरी कला का उदगम केंद्र है एवं हस्तकला के इतिहास में राजस्थान का अनूठा एवं समृद्ध योगदान रहा है। ठीकरी कला जो समय के साथ राजपूत राज घरानों के संरक्षण में विकसित हुई उसका अभी भी क्रमिक विकास जारी है।

मेवाड़ रियासत के संदर्भ में ठीकरी कला–उदयपुर राजस्थान के मेवाड़ रियासत की राजधानी रही है जिसे महाराणा उदय सिंह द्वारा पिछोला के तट पर बसाया गया। इस परंपरागत विरासती शिल्प को उदयपुर के सिटी पैलेस एवं हवेलिया व मंदिरों में महाराणा द्वारा करवाए गए ठीकरी कला के कार्य को देखा जा सकता हैं। मेवाड़ में आज भी ठीकरी कला के 200 से अधिक कारीगर कार्यरत हैं जो इस वर्षो पुरानी कला को संरक्षित करते हैं।मेवाड़ रियासत की राजधानी रहे उदयपुर शहर में होटल उद्योग प्रमुख व्यवसायों में से एक माना जाता हैं एवं इन्ही होटलों में पर्यटकों को आकर्षित करने वाली परंपरागत ठीकरी कला द्वारा हेरिटेज लुक देने की बढ़ती मांग ने ठीकरी शिल्पकारो हेतु रोजगार के अवसर बनाएं हुए।जिस कारण भी मेवाड़ क्षेत्र में परंपरागत दर्पण शिल्प का कार्य जारी है।

सिटी पैलेस, उदयपुर छायाचित्र स. – 04, 05

जयपुर रियासत के संदर्भ में ठीकरी कला – राजस्थान का जयपुर शहर जिसकी स्थापना महाराजा मानसिंह द्वारा की गई। जयपुर रियासत के आमेर दुर्ग को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है।दुर्ग में ठीकरी कला का अद्‌भुत कार्य देखा जा सकता है। आमेर दुर्ग में भी शीश महल स्थित है जहां ठीकरी हस्तशिल्प में स्थापत्य का कार्य हुआ है।

आमेर दुर्ग, जयपुर छायाचित्र स.– 06, 07, 08, 09

शेखावाटी के संदर्भ में ठीकरी कला –शेखावाटी क्षेत्र में स्वतंत्रता के पूर्व जैन व्यापारियों एवं राजाओं द्वारा हवेलियों का निर्माण करवाया गया एवं उनकी सजावट हेतु ठीकरी कला का प्रयोग किया गया।उक्त हवेलियां आज अपने स्थापत्य एवं ठीकरी के अनूठे संयोजन के कारण पर्यटकों के आकर्षण की केंद्र है।

शेखावाटी हवेलियां छायाचित्र स.– 10, 11, 12

जोधपुर रियासत के संदर्भ में ठीकरी कला – राजस्थान की जोधपुर रियासत पर राठौर राजपूत वंश का शासन रहा। जोधपुर रियासत में मेहरानगढ़ दुर्ग है जिसमें शीश महल बना हुआ है राजस्थान के सभी राजपूत दुर्गो के शीश महलों में जोधपुर के शीश महल की तुलना जयपुर के शीश महल से की जाती हैं।

शीश महल, जोधपुर छायाचित्र स. – 13

मेहरानगढ़ दुर्ग के शीश महल में ठीकरी कला एवं स्थापत्य का अद्‌भुत दृश्य देखने को मिलता है, यहां राजपूत स्थापत्य शैली का वास्तविक प्रयोग देखने को मिलता है।

जैसलमेर रियासत के संदर्भ में ठीकरी कला – जैसलमेर रियासत पर भाटी राजवंश का शासन रहा है एवं जैसलमेर के दुर्ग को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया है यह एक आवासीय दुर्ग है जहां दुर्ग के भीतर दुकान, होटल, हवेलिया है एवं दुर्ग के भीतर शहर बसा हुआ है।इन हवेलियां में ठीकरी कला द्वारा सजावट का कार्य जो वर्षों पूर्व किया गया था

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

संरक्षित है। जैसलमेर दुर्ग में भी शीश महल स्थित है एवं जैसलमेर की पटवो की हवेली ठीकरी कला के लिए आकर्षण का केंद्र है।दुर्ग के भीतर बसे शहर में आज भी ठीकरी कला के शिल्पी दर्पण शिल्पकारी का कार्य करते हैं।जैसलमेर में दो प्रकार के मिरर वर्क प्रसिद्ध है। जिसमे प्रथम दीवारों पर एवं द्वितीय कपड़ो पर भी शीशे का कार्य किया जाता है उसे भी मिरर वर्क ही कहा जाता है कपड़ो पर किये जाने वाले शीशे के उत्कृष्ट कार्य हेतु जैसलमेर प्रसिद्ध है तथा उसके साथ ही दीवारों पर दर्पण शिल्प में भी जैसलमेर सदैव राजस्थान के प्रमुख राजपूत राजवंशो में शामिल रहा है।

पटवो की हवेली, जैसलमेर छायाचित्र स. – 14

परंपरागत ऐतिहासिक स्मारकों में रूपांकन– ऐतिहासिक शिल्पियों द्वारा मोर, पुष्प, जानवर व देवता एवं ज्यामितीय डिजाइनों का प्रयोग ठीकरी कला में सजावट हेतु किया जाता था। वर्तमान में इसमें कई नए प्रयोग शामिल किया जा रहे हैं।

ठीकरी की विशेषताएं:

1. ठीकरी कला में सजावट हेतु रंग–बिरंगे दर्पण के टुकड़ों का प्रयोग किया जाता है शीशे अपनी परावर्तक क्षमता के कारण चमक को बढ़ाते हैं जो अद्‌भुत एवं दृश्यमय होती है।जिससे विलासिता का आभास होता है एवं इसका अनुभव राजस्थान के राजपूत दूर्गो एवं महलों से किया जा सकता है।
2. राजस्थान के सभी राजपूती दुर्ग के शीश महलों में ठीकरी शिल्प उत्कीर्णित होने का एक और कारण यह भी हैं की सर्दी के मौसम में तापमान के स्तर को बनाए रखने हेतु भी इसका प्रयोग किया जाता था।
3. राजस्थान के राज घरानों द्वारा ठीकरी के कलाकारों को संरक्षण देकर एक अनूठी हस्त शिल्प कला को संरक्षित किया गया एवं रोजगार हेतु इसे एक पेशे के रूप में विकसित किया।

ठीकरी शिल्पकारों का समुदाय –परंपरागत इतिहास के अनुसार सुथार और मुस्लिम समुदायों के शिल्पकारों द्वारा शीशे की पच्चीकारी का कार्य किया जाता था। किंतु समय के साथ यह कार्य इन्हीं समुदायों तक सीमित नहीं रहा एवं अन्य हस्तशिल्प समुदायों तक विस्तारित हुआ।

परंपरागत ऐतिहासिक हस्तशिल्प व्यवसाय के रूप में –स्वतंत्रता से पूर्व ठीकरी कला राजस्थान के राजघरानों के दरबारों, महलों एवं हवेलियों व मंदिरों की शोभा बढ़ाती थी।स्वतंत्रता के बाद उन्ही हवेलियों के होटल उद्योग में बदलने के साथ यह पर्यटकों को आकर्षित करने का जरिया बना। जिसके कारण इस कला का प्रयोग आज होटल एवं घरों की सजावट हेतु किया जाने लगा है जिससे लोगों को रोजगार मिला एवं ऐतिहासिक हस्तशिल्प को प्रोत्साहन मिला।

ठीकरी कला को संरक्षण की आवश्यकता:

1. ठीकरी कला एक हस्तशिल्प है जिसमें अत्यधिक हस्तशिल्पियों की आवश्यकता होती है क्योंकि इस कार्य को अत्यधिक बारीकी से किया जाता है जिस कारण यह मशीनों से निर्मित वस्तुओं के मुकाबले बनने में अत्यधिक समय भी लेती हैं एवं इसका शिल्प मशीन निर्मित शिल्प से महंगा है, जिस कारण इस कला के शिल्पकारों को कार्य की शुरुआत एवं उसे आगे बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन एवं संरक्षण की आवश्यकता है।
2. ठीकरी कला का ऐतिहासिक स्थानों जैसे सिटी पैलेस व दुर्ग में किया गया कार्य विदेशी पर्यटको को काफी रोचक लगता है तथा उनके द्वारा इसके नमूने को अपने साथ खरीद विदेश ले जाने की चाह में ठीकरी का कार्य करने वालो की मांग बढ़ रही है। यदि शिल्पकारों को उचित प्रोत्साहन मिले तो वे इस परंपरागत ऐतिहासिक शिल्प को संरक्षित करने एवं पेशे के रूप में अपनाने हेतु प्रोत्साहित होंगे।जो विदेशी पर्यटकों को भारतीय हस्तशिल्प के निर्यात में भी वृद्धि करेगा एवं भारतीय हस्त शिल्प व संस्कृति का विदेश में प्रचार होगा।
3. उक्त कला के शिल्पी हमारे समर्थन की कमी के कारण इसे जारी रखने में अत्यधिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं जो भावी पीढ़ी को इसे अपने पेशे के रूप में चुनने एवं आगे बढ़ाने में शंकाग्रस्त कर देती है। अत: गैर सरकारी एवं सरकारी संगठनों द्वारा दिया प्रोत्साहन ठीकरी कला को भावी पीढ़ी से परिचित कराने एवं उन्हें भारतीय हस्तशिल्प के इतिहास के पहलू को समझने में योगदान देगा।
4. स्वतंत्रता के पश्चात राजा महाराजाओं ने अपनी हवेलियों को होटल उद्योग में बदल हेरिटेज लुक दिया जिस कारण विदेशी पर्यटक हेरिटेज लुक की तरफ आकर्षित हुए एवं हेरिटेज लुक की मांग बढ़ने लगी एवं ठीकरी कला के शिल्पियों की मांग पिछले एक दशक में बढ़ी है।यदि ठीकरी शिल्पकारो को संरक्षण मिलेगा तो भावी पीढ़ी इसे रोजगार का साधन बनाने हेतु तैयार होगी

निष्कर्ष – ठीकरी कला का विशेषत: प्रयोग राजपूत राज घरानों द्वारा किया गया। राज घरानों द्वारा ठीकरी के कलाकारों को खूब संरक्षण मिला एवं उन शिल्पकारों के उत्कृष्ट कार्यों को उस समय के प्रत्येक राजपूत स्थापत्य शैली के महल, दुर्ग व मंदिर जैसे मेवाड़, मारवाड़, जयपुर, शेखावाटी, जैसलमेर रियासतों के सिटी पैलेस, दुर्गो एवं शीश महलो मंदिरों में रंग–बिरंगे शीशे की पच्चीकारी व सजावट द्वारा देखा जा सकता है। इतिहासकारों द्वारा भारतीय कला और परंपरागत शिल्प की ठीकरी कला पर विशेषत: ऐतिहासिक लेखन नहीं किए जाने के कारण ठीकरी कला के संबंध में अत्यधिक इतिहास नहीं मिलता है।अत: ठीकरी कला पर ऐतिहासिक लेखन की आवश्यकता है तभी ठीकरी कला को प्रकाश में लाया जा सकता है एवं इसके संरक्षण के विचार को प्रसारित किया जा सकेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. Mishra, Minakshi, and Babel, Sudha “Enamoring Rajasthan’s Heritage: Thikri craft, (2021) IJCRT, Volume 9
2. https://orvi.com/pages/thikri-art-collection
3. https://www.luxuryhandicrafts.in/collections/thikri-glass-inlay#:~:text=Thikri%20is%20traditional%.
4. https://www.kalpane.in/lilly-thikri-gold-and-silver-wall-accent.html
5. https://khojcrafts.com/blogs/blog/sheesh-mahal-thikri-art-and-a-khoj-for-indias-craft-traditions
6. https://asiainch.org/craft/thikri-mosaic-inlay-of-rajasthan/

7. https://miradorlife.com/traditional-indian-art-forms-why-are-they-disappearing/
8. https://www.abplive.com/states/rajasthan/thikari-fine-art-of-mewar-rajasthan-is-hundreds-of-years-old-decoration-items-are-made-by-pieces-of-glass-2428162
9. https://www.ifaaonline.com/thikri-art/
10. https://www.jagran.com/rajasthan/jaipur-unique-fine-art-of-mewar-gives-royal-look-19950572.html
11. https://hindi.news18.com/news/rajasthan/udaipur-mewars-unique-tikri-art-made-of-glass-piecesdemand-increases-abroad-6431795.html

छायाचित्र सन्दर्भ :–

1. https://orvi.com/pages/thikri-art-collection
2. https://architecturaltimes.news/sheesh-mahal-legendary-palace-of-mirrors/
3. https://x.com/authindia/glassinlayaroundganeshtemplecitypalaceudaipurstatus=en
4. hhttps://x.com/authindia/status/1443539250490732546?lang=en
5. https://www.pinterest.com/pin/rose-gate-photograph-jaipur-palace-jaipur-rajasthan
6. https://www.tripsavvy.com/shekhawati-rajasthan-travel-guide-1539655

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

Impact of International Law on A Nation's Politics in Modern Era

Piyush Chowhan*

***Assistant Professor (Law) Bhupal Nobles' University, Udaipur (Raj.) INDIA**

Introduction - International law is not just a result of few treaties of 19th and 20th centuries but its origin can be traced back to ancient times. Peace treaties between the Mesopotamian city of Lagash and Umma are considered as beginning of international law. The concept of governance and international relations were developed by the Greeks, which laid down the foundation of the international legal system. The concept 'Jus Gentium' (Law of Nation) was evolved during the reign of the Roman empire, which defined and governed the relation between foreigners and Roman citizens and the status of foreigners living in Rome. Later, development of concept of Natural Law emphasized that certain rights are inherent to all humans, which helped in widening the scope of international law.

Congress of Vienna is known as watershed moment in the evolution of international law. It is also referred as Vienna Congress, held in 1815. It was chaired by Klemen's Von Metternich, an Austrian statesman. It was attended by ambassador of European states with the objective to provide a long-term peace plan for Europe. Solving critical issues aroused from the French Revolutionary War and the Napoleonic War were main agenda of the Congress. It laid down the international rules such as rules with regard to International River, categorization of diplomatic agent etc.[1]

Foundation Of Modern International Law - The spark that ignited World War I was struck in Sarajevo, Bosnia, where Archduke Franz Ferdinand—heir to the Austro-Hungarian Empire—was shot to death along with his wife, Sophie, by the Serbian nationalist Gavrilo Princip on June 28, 1914. Princip and other nationalists were struggling to end Austro-Hungarian rule over Bosnia and Herzegovina.The assassination of Franz Ferdinand set off a rapidly escalating chain of events: Austria-Hungary, like many countries around the world, blamed the Serbian government for the attack and hoped to use the incident as justification for settling the question of Serbian nationalism once and for all.However, since the Serbia was supported by the mighty Russia and had the possibility of involving France and Great Britain as well, Austria and Hungary had to wait for assurance from Germany for declaring war upon Serbia. Finally an assurance from Germany led to the initiation of I[st] World War on 28th July 1914 which lasted till 11th November 1918. This was fought throughout the Middle East, Africa, and portions of Asia, and engaged most of Europe, also Russia, the United States, and Turkey. About 9 million people were murdered in warfare, while over 5 million perished as a result of the siege, bombing, famine, or illness. This was one of the worst conflicts in history. Numerous millions more died as a result of the Ottoman genocides and also the 1918 Spanish flu virus, which was transmitted by the movement of fighters throughout the conflict.

When the leaders of Western nations met at the Paris Peace Conference, they decided to form an international organization which can solve international disputes and should not allow repeat of incidents like World War. This led to the establishment of League of Nations under Treaty of Versailles. Therefore League of Nations is also known as Child of First World War. The main provision of the covenant of League of Nations was to settle disputes through peaceful methods such as arbitration, negotiation etc., before resorting to disputes. If any member resorted to war, going against the principle of covenant of League of Nations, then the member will be considered as an enemy of whole League of Nations. Permanent court of International justice was established by the League of Nations.

Failure Of League Of Nations And Emergence Of United Nations Organisation - Following World War I, the victorious Allied Powers met to decide Germany's future. Germany was forced to sign the Treaty of Versailles.Under this treaty, Germany had to accept guilt for the war and to pay reparations. Germany lost territory and was prohibited from having a large military.The humiliation faced by Germany under this treaty, paved the way for the spread of Ultra-Nationalism in Germany. Hitler openly denounced the Treaty of Versailles and began secretly building up Germany's army and weapons. Although Britain and France knew of Hitler's actions, they thought a stronger Germany

would stop the spread of Communism from Russia. The German invasion of Poland on 1 September 1939 and subsequently two days later, Britain and France declared war on Germany. This marked the beginning of World War II. Further, the Japanese, tired of American trade embargoes, mounted a surprise attack on the US Navy base of Pearl Harbor, in Hawaii, on 7 December 1941.This ensured that global conflict commenced, with Germany declaring war on the US, a few days later.Also, within a week of Pearl Harbor, Japan had invaded the Philippines, Burma and Hong Kong. The Russians reached Berlin (capital of Germany) on 21 April 1945.

Germany surrendered unconditionally on 7 May, and the following day was celebrated as VE (Victory in Europe) day. On 6 August 1945 an atomic bomb was dropped on the Japanese city of Hiroshima.Three days later another was dropped on Nagasaki. With the surrender of Japan, World War II was finally over.

It is very much pertinent that the failure of League of Nations led to the Second World War. At the end of Second World War, a new organization came into existence i.e. the United Nations, with the aim to protect world from future war. It was established on 24th October, 1945, when heads of 50 governments met at San Francisco for a conference and drafted UN Charter. At present, this organization is nodal point of international law. It aims at maintaining international peace and security, ensuring friendly relation between nations and achieving international cooperation.

Relevancy (Or Irrelevancy) Of International Law In International Politics - International political science became an independent sector of intellectual endeavor immediately following the Second World War. A major unarticulated premise of this discipline is that international law is essentially irrelevant to a proper understanding of the dynamics of international politics and therefore irrelevant to the progressive development of international political theory as a science. International political science repudiates both the descriptive validity and the prescriptive worth of international legal considerations for that sector of international relations dealing with matters of “vital national interest” or of “high international politics.” If we closely look at the reasoning for the Second World War, it’s the solution itself which led to the event of mass destruction. The Treaty of Versailles and especially its first part, the Covenant of the League of Nations were not the perfect incarnations of truth, justice, peace, and righteousness they were alleged to be by the statesmen of the Allied and Associated powers, particularly Woodrow Wilson. Instead, they were instrumentalities of power politics designed by the victorious nations of the First World Warto secure and perpetuate, with the maximum possible degree of legal and institutional coercion, the favorable political, economic, and military status quo granted to them after the armistices ending the Great War. This treaty was imposed vi et armis in contravention of express promises given to induce surrender. If the peoples of the world believed anything else, they were sorely deluded by the ideological rhetoric deceptively manipulated by their leaders to fan the flames of patriotic fervor in order to hasten the prosecution of the war to its successful conclusion. If the victors of Versailles intended to keep their ill-gotten gains, they had to be willing to employ military force against a revanchist Germany whenever the latter attempted to effectuate resistance to the terms of the so-called peace. The Western democracies, however, lacked the requisite will; instead of fighting to preserve their hegemony, they preferred to trust in their own illusions. It is therefore, very much visible that self -interests overtook the necessity of universal peace. The international law seems to be losing its importance as the required or expected results could not be produced.

Modern Instances Of Failure Of International Law- Even if we ignore the past instances, the recent occurrences of flagrant violations of international law have brought the ghost back from the grave. The U.S. led attack on Iraq has further questioned the validity and relevancy of international law and the institutions responsible for implementing it. In the instant case, US govt. accused Iraq of accumulating Weapons of Mass Destruction and through a resolution of UN Security Council ordered for an inspection through United Nation Special Commission (UNSCOM) which was rejected by Iraq for years but was accepted in February 1998. But in October1998 formally halted all the operations.This decision was criticized by Security Council at several occasions. However, after attacks of 9/11 U.S.A. was adamant on scrutinizing the possible threat posed by the then Iraqi Supremo Saddam Hussain. In October 2002 the U.S. Congress authorized President Bush to take military action action. Thereafter Iraq allowed resumption of inspections claiming it has no biological weapons. However, U.S.A. with Britain launched a full fledged attack on Iraq on 20th March 2003.

Here it is noteworthy to consider the relevant provisions which may grant any superpower to attack any other country. According to Art.103 of UN Charter, the UN Charter is the highest treaty in the world, superseding states’ conflicting obligations under any other international agreement. Under the UN Charter, there are only two circumstances in which the use of force is permissible: in collective or individual self-defense against an actual or imminent armed attack; and when the Security Council has directed or authorized use of force to maintain or restore international peace and security. Neither of those circumstances now exist. Absent one of them, U.S. use of force against Iraq is unlawful. There is only one legal basis for the use of force other than self-defense: Security Council directed or authorized use of force to restore or maintain international peace and security pursuant to its responsibilities under Chapter VII of the UN Charter. Article 42 of that chapter provides: “Should the Security Council consider that measures [not involving the use of force] provided for in Article 41 would

be inadequate or have proved to be inadequate, it may take such action by air, sea, or land forces as may be necessary to maintain or restore international peace and security. Such action may include demonstrations, blockade, and other operations by air, sea, or land forces of Members of the United Nations."

In view of the above provisions the U.S. govt. has reiterated that its action on Iraq was legal and within the ambit of UN Charter. But on Sep. 15, 2004 the then Secretary General of United Nations Kofi Annan questioned the validity of military actions in an interview. He said that the invasion was not sanctioned by the UN security council or in accordance with the UN's founding charter. He had indicated it was not in conformity with the UN charter. From our point of view and from the charter point of view it was illegal. He added that if there were severe security grounds then what was the necessity of conducting elections in January 2005. The action attracted further hatred when after years of search no chemical weapons were found. Finally the Allied forces withdrew from Iraq in 2011 leaving the state devastated.

The most recent example of violation of International law is attack on Ukraine. The situation between Russia and Ukraine has been poor ever since the annexation of Crimea, a south-eastern Ukrainian province by Russia in 2014. The situation worsened when the Russian President ordered a special military operation within Ukraine, a sovereign nation. Putin invoked Article 51 of the UN Charter, which enshrines inherent right of individual or collective self-defence in order to protect Article 1 (the right to self-determination of Donbas region). Its been over a year since the attack was conducted and still no peaceful situation has been achieved. Violations that were made under the UN Charter are as follows:-

1. Article 1 of the International Covenant on Civil and Political Rights and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, provides that a group of people can freely determine their political status.
2. Article 2 of the UN Charter- This right has to be read with Article 2 of the UN Charter which states that recognition by an outside country involves interfering in the internal matters of a State. It is a direct contravention of the principle of equal sovereignty of all nations.
3. Article 51- Article 51 provides for self-defence against an armed attack. Russia cannot justify its actions since Russia faced no aggression from Ukraine.[2]

The world never reacted substantially to this derogatory act of the U.S. govt. No sanctions were put on it. There were no one to declare that it has severed its ties with the U.S.A. which should have been the case in case of breach of International law. This again seriously questions the existence of International lawand indirectly proclaims that the politics of any nation will be determined by any Superpower and not through the provisions of International law.

Indian Stance On International Law-Though UN came into existence after the Second World War, the Alliance system was in parallel existence. The poles of the two alliances were U.S.A. and U.S.S.R. India gained independence in 1947, within 2 years of UN coming into existence. At that period every nation of the world had to choose its alliance in order to remain objective in the world. India took a commendable step of remaining Non-Alligned. The term "Non-Alignment" was coined by India's first defence minister V. K. Menon during a speech at the United Nations in 1953 and later would be used by Prime Minister Jawaharlal Nehru from 1954 onwards. In a speech at Colombo, Sri Lanka that same year he laid down five principles that would be the cornerstone of NAM policy.

1. Mutual respect for each other's territorial integrity and sovereignty.
2. Mutual non-aggression.
3. Mutual non-interference in domestic affairs.
4. Equality and mutual benefit.
5. Peaceful co-existence.

These principles came to be known as Panchsheel Principles.India participated in the 1961 Belgrade Conference that officially established the Non-aligned Movement along with Egypt and Yugoslavia. There were several reasons that existed for not adopting any alliance. Some of them were:-

1) India's alignment with US or USSR would aggravate the situation instead of promoting international peace and harmony.
2) India was neither a great power nor it could allow itself to be treated as nation of no consequence. Thus, the policy of non-alignment was best suited to protect its national identity.
3) India could not join either blocs due to emotional and ideological reasons. It could not join US bloc as its several members countries were colonial or ex-colonial powers and some still practiced racial discrimination while the Eastern bloc followedcommunism which as an ideology was completely foreign to Indian thinking and way of life.
4) India launched several economic development programmes after the independence. Hence it was not a sensible idea of depending on any 1 bloc for foreign aid.

However, circumstances changed after Indo-China war in 1962. Chinese aggression was a blow not only to the international prestige of India but also to the non-aligned movement. The Soviet Union did not lend us any support in times of need. Also the members of NAM did not criticize the Chinese action. A large section of people in India questioned the validity of Non Aligned Movement. However, Nehru refused to give up the commitment towards Non Alignment policy. The events of 1971 Indo-Pak war finally changed the course of India's foreign policy. India came

close to Soviet Union and Pakistan to United States. Indo-Soviet treaty of 1971 invited sharp criticism against India. It was said that the non-alignment had turned into alignment with USSR as latter pledged to help India when we needed it badly. Consequently, the Indo-USSR relations reached all time high while Indo-US relations reached an all-time low.

But this alignment towards USSR received a serious blow after the US President George Bush and Soviet President Gorbachev met at Malta in December 1989 and decided to end the decades old Cold war. The early 1990s demise of the bipolar world system, which had existed since the end of World War II, shook the underpinnings of India's foreign policy. The Cold War system of alliances had been rendered meaningless by the collapse of the East European communist states, the dissolution of the Warsaw Pact, and the dissolution of the Soviet Union. By 1992, bipolar world had somewhat changed into unipolar world with United States being the only remaining super power. It was generally believed that since the Cold war was the reason of inception of the non alignment policy, the policy should come to an end with the end of Cold war. But the then Prime Minister of India, P.V. Narsimha Rao, in his speech at Tokyo in 1992 reaffirmed India's adherence to the policy of Non Alignment and said that its relevance is even more today than it was ever before. Here we can see that India took the best possible steps to remain neutral yet circumstances or in better words, 'inability of the international law and relevant institutions'to support Indian procedure forced us to change our initial stance what could have been an path breaking step for other nations[3].

India has been a consistent follower of UN directions given through conventions. Be it the applicability of human rights or child rights or reduction of carbon emission, India has been consistent in following the International order. But previous experiences have made the policy makers to be more cautious and keep the nation's interest at first place even if it is not in terms with the international law. One such example is Nuclear Non- Proliferation Treaty which India has been consistently refusing to sign keeping the security of the Nation at first place.

Conclusion And Suggestions : It's a common perception that with the time circumstances, thinking and even law changes. But centuries before, a very celebrated proponent of Analytical school of Jurisprudence John Austin was so correct in putting forth the meaning of International law. According to him, International law is not a law but a mere positive morality as it lacks coercive force behind itself. This description fits even in 21st century as the international law is more irrelevant than it ever was. It was supposed to help nation in their politics but has proven to be ineffective. The above mentioned instances have made it evident that international law is not only a weak law but is a puppet of military giants who can mold it as per their convenience and bring about their needed results. Ukraine, which followed the Nuclear Non Proliferation Treaty and surrendered its nuclear weapons, is now being suffered with its sovereignty at stake. NATO which promised membership to Ukraine is not ready to help the bereft nation. The purpose behind introduction of International law was to unite the nations and help the nations during the time of sufferings. This purpose can be achieved but there is a dire need of substantial amendments. First of all, the military organisations such as NATO should be decommissioned.

The inter country military operations should only be conducted by United Nations under their peace keeping purposes. Any decision regarding the military operations on any country must be taken by majority of the members of United Nations and not through just 5 members of Security Council. Another suggestion is that the authority to put sanctions should not be a super power but a neutral organisation. Also while putting sanctions it should not differentiate between nations. The only criteria should be a substantial erring decision of such country. It is believed that such steps may bring about the unity between nations and reinstate the relevancy of International law.

References:-

1. https://www.legalserviceindia.com/legal/article-4293-international-law-evolution-and-its-sources.html
2. https://www.iasparliament.com/current-affairs/russias-violation-of-international-law
3. https://www.drishtiias.com/to-the-points/Paper2/non-aligned-movement-nam

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

भारतीय कानूनो के परिपेक्ष्य मे समलैंगिक विवाह का एक विश्लेणात्मक अध्ययन

प्रो. विनोद तिवारी* डॉ. फेमिनाज अख्तर खान**

* सहायक प्राध्यापक, एम बी खालसा लॉ कालेज, इन्दौर (म.प्र.) भारत
** सहायक प्राध्यापक, एम बी खालसा लॉ कालेज, इन्दौर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – समाज चाहे समकालीन हो या पूर्व कालीक दोनो प्रकार के समाजो में विवाह को हमेशा एक पवित्र संस्था के रूप में देखा गया है। जिसका हर व्यक्ति अपने जीवनकाल में हिस्सा बनने की इच्छा रखता है। विवाह विशेष रूप से भारत में एक पवित्र अनुष्ठान के रूप में देखा जाता है जिसे दो व्यक्तियों के बीच सबसे सुन्दर बंधन माना जाता है। विवाह को 'पति या पत्नी होने की स्थिति' के रूप मे वर्णित किया गया है। एक दूसरे से विवाहित दो व्यक्तिायों के बीच कानूनी संबंधों को मान्यता दी गई है।

ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार विवाह एक पवित्र संस्था है जिसे केवल एक पुरूष ओर एक महिला के बीच मिलन के रूप मान्यता प्राप्त है। उनका तर्क है कि समलैंगिक संबंध पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों और विवाह संस्था का विस्तार करके उसे कमजोर कर देगे विवाह की परिभाषा में बच्चे पैदा करना और उनका पालन पोषण करना शामिल है।

समय के साथ इस अवधारणा के विकास के रास्ते में आने वाली मुख्य बाधाएँ धीरे–धीरे दूर हो गयी एक संस्था के रूप मे विवाह का विचार समय के साथ बदल गया वर्तमान समय में 'सहवास' शब्द का उपयोग अक्सर विवाह को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जिसका अर्थ है कि सहवास का कार्य जब एक जोडे द्वारा अभ्यास किया जाता है तो दो व्यक्तियों कि बीच वैवाहिक स्थिति की बुनियादी वैधता को साबित करने के लिए साबित होना चाहिए।

हालांकि जब समानता का विचार लागू किया जाता है तो ऐसी समसमायिक धारणा इतना उत्साह पूर्ण पहलू होने के बावजूद स्थिर रहती है एलजीबीटीक्यूए का समुदाय समलैंगिक विवाह की वैधता के बारे मे संघर्ष कर रहा है ओर बहुत चिंचित है और अपनी पंसद के अनुसार किसी व्यक्ति से शादी करने के अपनी बुनियादी मौलिक अधिकार के लिए लड रहा है और भारतीय कानून के तहत विवाह की वैधता हासिल करने का प्रयास कर रहा है।

शब्द कुंजी – समलैंगिकता,समलैंगिक विवाह, वैधीकरण, एलजीबीटीक्यू आर्थात लेसबियन,गे,बाईसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्वियर, अपराधिकरण, यौन व्यवहार।

अनुसंधान क्रियाविधि – यह पेपर वर्णानात्मक प्रकृति का है और शोध समलैंगिक जोड़ों के भारतीय कानूनों के अनुसार विवाह संपन्न करने के अधिकार और भारतीय संविधान द्वारा उन्हें दिए गए उनके बुनियादी मौलिक अधिकारों को सुरक्षित रखने के गहन विश्लेषण के माध्यमिक स्त्रोतों पर आधारित है। इस शोध के लिए समाचार पत्रों पत्रिकाओं और वेबसाइटों जैसे सूचना के माध्यमिक स्त्रोंतों का उपयोग किया गया है।

परिचय – हाल के वर्षो में दुनिया ने विशेष रूप से एलजीबीटीक्यू अधिकारों में महत्वपूर्ण प्रगति देखी समलैंगिकता विवाहों की मान्यताओं एवं स्वीकृति में कुछ देशों ने उल्लेखनीय प्रगति की है एलजीबीटीक्यू अधिकारों की रक्षा के लिए भारत में स्थिति बहस और विवाद का विषय बनी हुई है। यह शोध पत्र भारत में समलैंगिक विवाह की यात्रा और इसके वैश्विक संदर्भ की पड़ताल करता है। इस शोध पत्र का उद्देश्य एलजीबीटीक्यू समुदाय के अधिकारों का विकास एवं समलैंगिकता को अपराध मुक्त करने का प्रयास करने का समलैंगिक संघों को कानूनी मान्यताओं का अध्ययन करना है

वैश्विक परिप्रेक्ष्य से पता चलता है कि कई देशों ने ऐतिहासिक निर्णयों के साथ समलैंगिक विवाह को वैध बनाकर महत्वपूर्ण मिसाल कायम की है। हालांकि अभी भी कानूनी चुनौतियां बनी हुई है। कैलिफ़ोर्निया पहला राज्य था जिसने अपने घरेलू स्तर पर समान लिंग वाले जोडों को मान्यता देने के लिए राज्यव्यापी प्रक्रिया लागू की । और कुछ लाभ प्रदान किए है, जैसे घरेलू साझेदारी द्वारा मृत साथी की संपति के निपटान की व्यवस्था की हालांकि भारत में समलैंगिक विवाह को कानूनी रूप से मान्यता नहीं दी गई है जैसे कि भारतीय कानून में विवाह को एक पुरूष और महिला के बीच एक मिलन के रूप में परिभाषित करता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 377 मे सन् 2018 के पुर्व तक समलैंगिकता को एक अपराध माना गया था। 2018 में नवतेजसिंह जौहर एवं अन्य बनाम भारत संघ और न्याय मंत्रालय के मामले में सर्वोच्य न्यायलय ने एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुये समलैंगिक यौन संबंध सहित वयस्कों के बीच सहमति से यौन संबंधों को अपराध की श्रेणी से हटा दिया।

वर्तमान मे लोगों द्वारा समलैंगिक संघों का वैध बनाने का समर्थन किया जा रहा है, लोग ऐसा महसूस करते है कि लोगों को उनके यौन रूझान के आधार पर शादी करने के अधिकार से वंचित करना उनकी बुनियादी स्वतंत्रता का उल्लंघन है और अधिकार एवं प्रावधान के लिए कई औचित पेश करते हैं। सभी के लिए समान अधिकार और सुरक्षा यौन रूझान की परवाह किए बिना समान लिंग सघों के वैधीकरण के परिणाम स्वरूप योगदान

होगा।

जो लोग समलैंगिक विवाह का विरोध करते है उनका तर्क है कि विवाह एक पवित्र अनुष्ठान है जो कि एक स्त्री और पुरुष के बीच एक पवित्र बंधन का निर्माण करता है। जबकि समलैंगिक विवाह, विवाह की पवित्रता को भंग करता है और यह समाज के हित में नहीं है।

अन्तर्राष्टीय परिप्रेक्ष्य – अधिकांश देशों ने व्यक्तिगत स्तर पर एलजीबीटीक्यू लोगों के अधिकारों पर सीमाएं लगा दी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से इस विषय पर कोई विशेष संधि नही हुई है, किन्तु कई गतिविधियों के माध्यम से समलैंगिक समुदाय के प्रति कलंक और अंतर्निहित पूर्वाग्रह को समाप्त करने मे सफलता मिली है सिविल यूनियन उस कानून स्थिति को संदर्भित करता है जो समान-लिंग वाले जोड़ों को विशिष्ट अधिकार और जिम्मेदारियां प्रदान करती है जो आम तौर पर विवाहित जोड़ों को प्रदान की जाती हैं। हालाँकि एक नागरिक संघ एक विवाह जैसा दिखता है लेकिन पर्सनल लॉ में इसे विवाह के समान मान्यता नही हैं।

भारत में समलैंगिकता विवाह की वैधता – विवाह करने के अधिकार को भारतीय संविधान के तहत मौलिक संवैधानिक अधिकार के रूप में स्पष्ट रूप से मान्यता नहीं दी गई है बल्कि यह एक वैधानिक अधिकार है। हालांकि विवाह को विभिन्न वैधानिक अधिनियमों के माध्यम से विनियमित किया जाता है लेकिन मौलिक अधिकार के रूप में इसकि मान्यता केवल भारत के सर्वोच्च न्यायलय न्यायिक निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई कानून की ऐसी घोषणा संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत पूरे भारत में सभी अदालतों पर बाध्यकारी है।

समलैंगिक विवाह पर 2018 के पुर्व न्यायिक दृष्टिकोण

शफीन जहां बनाम अशोकन के. एम. और अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायलय ने मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 16 और पुट्टास्वामी मामले का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपनी पंसद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 16 में प्रावधान है कि केवल धर्म मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमे से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है।

विवाह का अधिकार उस स्वतंत्रता में अंतनिर्हित है जिसे संविधान एक मौलिक अधिकार के रूप में गांरटी देता है, विश्वास और विश्वास के मामले जिसमे विश्वास करना भी शामिल है संवैधानिक स्वतंत्रता के मूल में है।

समलैंगिक विवाह पर 2018 के पश्चात न्यायिक दृष्टिकोण– विशेष विवाह अधिनियम के तहत समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के लिए एक विधेयक 20 अप्रैल को लोकसभा लाया गया था 2022 राष्ट्रवादी काग्रेस पार्टी की संसद सदस्य सुप्रिया सुले द्वारा समान लिंग वाले जोडे देने के लिए विपरीत लिंगी जोंडो के समान कानूनी सुरक्षा प्रस्ताव कानून के कई प्रावधानों को बदल देगा समान लिंग विवाह को वैध बनाने वाले एकीकृत नागरिक संहिता का एक मसौदा 2017 में जारी किया गया था विवाह को ' एक पुरूष का एक महिला के साथ इस अधिनियम के तहत निर्धारित कानूनी 'मिलन' के रूप में वर्णित किया गया था

एक अन्य पुरूष के साथ किसी अन्य महिला के साथ एक ट्रांसजेंडर के साथ या एक ट्रांसजेंडर किसी अन्य ट्रांसजेंडर के साथ प्रस्तावित कोड में 'पुरूष या महिला'। हालांकि नवम्बर 2022 में भारत का सर्वोच्च न्यायलय एक ऐसे मामले की सुनवाई के लिए सहमत हुआ जो संमलैंगिक संबंधो को वैध बना सकता है यह मामला भारत के सर्वोच्च न्यायलय द्वारा नौ मामलो को स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिकाओ पर सुनवाई के बाद शुरू होगा पहले से ही दिल्ली उच्च न्यायलय और केरल उच्च न्यायलय के समक्ष लंबित है जो इस मुदद्े से निपटते है विशेष कर पिछले दस वर्षो दौरान सर्वोच्च न्यायलय ने कई महत्वपूर्ण फैसले सुनाये जिससे इसे स्वीकार करने का रास्ता साफ होता है

भारत संघ बनाम नालसा – सुरेश कुमार कौशल बनाम भारत संघ में निंदित फैसले के बाद यह मामला लाया गया । उच्चतम न्यायलय ने नाज फाउंडेशन में धारा 377 को अपराध की श्रेणी से हटाकर सुरेश कुमार पर आपराधित दंड बहाल कर दिया में ट्रांसजेंडर आबादी के अधिकारो को आगे बढाने के लिए राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण ने पहल कि इस फैसले के मुताबित ट्रांसजेंडर लोग तीसरे लिंग के होते है निर्णय ट्रांसजेंडर आबादी की स्वतत्रता ओर अधिकारो की रक्षा के लिए नियमो का एक संपूर्ण सेट स्थापित किया गया । ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारो का संरक्षण अधिनियम 2019 लंबी चर्चा और कई प्रस्तावित परिणाम है बिल 2019 में प्ररित किया गया।

भारत संघ बनाम न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी – इस फैसले के अनुसार वैवाहिक कानून स्थापित करने वाला भारतीय विधान इस फैसले के अनुसार जिसने निजता के अधिकार को जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के एक घटक के रूप में मान्यता दी।

विशेष विवाह अधिनियम के तहत समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के लिए एक विधेयक 20 अप्रैल को लोकसभा में लाया गया था। 2022 राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की संसद सदस्य सुप्रिया सुले द्वारा। समान-लिंग वाले जोड़े देने के लिए विपरीत-लिंगी जोड़ों के समान कानूनी सुरक्षा प्रस्ताव कानून के कई प्रावधानों को बदल देगा। समान-लिंग विवाह को वैध बनाने वाले एकीकृत नागरिक संहिता का एक मसौदा 2017 में जारी किया गया था। विवाह को 'एक पुरुष का एक महिला के साथ इस अधिनियम के तहत निर्धारित कानूनी मिलन' के रूप में वर्णित किया गया था।

एक अन्य पुरुष के साथ एक महिला किसी अन्य महिला के साथ एक ट्रांसजेंडर दूसरे ट्रांसजेंडर के साथ या एक ट्रांसजेंडर किसी अन्य ट्रांसजेंडर के साथ प्रस्तावित कोड में 'पुरुष या महिला'। हालाँकि नवंबर 2022 में भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक ऐसे मामले की सुनवाई के लिए सहमत हुआ जो समलैंगिक संबंधों को वैध बना सकता है भारत में। यह मामला भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नौ मामलों को स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई के बाद शुरू होगा पहले से ही दिल्ली उच्च न्यायालय और केरल उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं जो इस मुद्दे से निपटते है भारत में एलजीबीटीक्यू अधिकारों की न्यायिक जांच से पता चलता है कि विधायी के विपरीत जो पिछड़ गया है इस मुद्दे पर न्यायालय ने हाल के वर्षों में अग्रणी भूमिका निभाई है। विशेषकर पिछले दस वर्षों के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण फैसले सुनाए जिससे इसे स्वीकार करने का रास्ता साफ हो गया वंचित समूह के मौलिक अधिकार, इस मुद्दे को संभालने में सांसदों की अक्षमता उजागर होती है संसद की रूढ़िवादी संरचना जिसका उदार न्यायपालिका को सामना करना पड़ा। कुछ मामले सबसे महत्वपूर्ण है।

भारत संघ बनाम न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) के.एस. पुट्टस्वामी – इस फैसले के अनुसार निजता के अधिकार को जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के एक घटक के रूप में मान्यता दी अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत, गोपनीयता किसी व्यक्ति के अस्तित्व का एक अनिवार्य पहलू है और सभी के लिए

उपलब्ध है लिंग या यौन रुझान की परवाह किए बिना। एलजीबीटीक्यू समुदाय को निजता का अधिकार होना चाहिए जिसमें शामिल हैं सरकारी हस्तक्षेप से स्वायत्तता और स्वतंत्रता, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने फैसले में कहा। एक विशिष्ट फ्रीडम और ऑटोन पर अवलोकन किया गया वैवाहिक कानून स्थापित करने वाला भारतीय विधान इस फैसले के अनुसार जिसने निजता के अधिकार को जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के एक घटक के रूप में मान्यता दी।

भारत में विवाह संबंधी कानून :

1. भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872
2. पारसी विवाह एंव विवाह विच्छेद अधिनियम 1936
3. विशेष विवाह अधिनियम 1954
4. हिन्दू विवाह अधिनियम 1955
5. इस्लामिक वैक्तिगत विधि

निष्कर्ष– भारतीय समाज संस्कृति प्रधान समाज है भारतीय संस्कृति मे प्रत्येक समुदाय हिन्दु, मुस्लीम, सिख, ईसाई विवाह को एक पवित्र बन्धन के रूप मे मान्यता देते है विवाह को एक ऐसा सम्बन्ध मानते है जो कि एक स्त्री और पुरूष के बीच ही स्थापित हो सकता है। क्योंकि विवाह का उद्देश्य जहा एक और सामाजिक जीवन का निर्वहन है वही दुसरी और सन्तती की उत्पत्ती भी है। अत: इन दोनो उद्देश्यो की पूति केवल और केवल स्त्री और पुरूष के बीच वैवाहिक सम्बन्ध को मान्यता से ही संभव है। इसलिए भारतीय समाज समलैंगिक सबंधों एवं समलैंगिक विवाहो को भारतीय संस्कृति के अनुरूप नहीं मानता है।

वैश्विक परिदृश्य में देखने पर वर्तमान मे जो घटित हो रहा है। उसके अनुसार पश्चिमी समाज समलैंगिक संबंधों की मान्यता की ओर बढ रहे है। कुछ पश्चिमी देशो के द्वारा समलैंगिक विवाहो को मान्यता भी प्रदान कर दी गई है किन्तु भारत में वर्तमान स्थिति मे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है किन्तु भारत में समलैंगिक विवाह को अभी भी कानूनी मान्यता प्रदान नहीं की गई।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. एआइआर 2018 एससी 4321, 2018
2. सुप्रियो उर्फ सुप्रिया चक्रवर्ती और अभय डांग बनाम। भारत संघ तृ. इसके सचिव, कानून और न्याय मंत्रालय और अन्य जुड़े मामले 2023
3. रूथ वनिता लव्स रीट: भारत और पश्चिम में समलैंगिक विवाह पृष्ठ। 6,2005
4. आबर्गफिल बनाम। होजेस 576 यू. एस. 644,2015
5. एआईआर 2018 एससी 4321, 2018, 10 एससीसी 1
6. सलाम जू, 'एम्परर विद फॉइबल्स' द हिन्दू 15 फरवरी 2014
7. ओझा पी, समलैंगिक विवाह मौलिक अधिकार नहीं है: दिल्ली एचसी लॉ टाइम्स जर्नल, 25 फरवरी ,2021
8. राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण एनएएलएसए बनाम। भारतीय संघ एआईआर 2014 एससी 1863
9. अभिजीत अय्यर मित्रा बनाम। यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य, 3 फरवरी 2022

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

पीड़ितों को मिलने वाले मुआवजे में आपराधिक न्याय प्रशासन की भूमिका

डॉ. जयश्री तिवारी*

* सहायक प्राध्यापक (विधि) मानसरोवर ग्लोबल विश्वविद्यालय, सीहोर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – अपराध को कानूनी रूप से संरक्षित हित में व्यवधान के रूप में माना जाता है, अर्थात कानून और व्यवस्था का आपराधिक उल्लंघन, जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचाना शामिल है। यह चोट शारीरिक, मनोवैज्ञानिक या वित्तीय रूप में हो सकती है। अपराध और समाज दो शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अनादि काल से अविभाज्य हैं। अपराध रहित समाज के बारे में सोचना एक मिथक होगा क्योंकि मानव सभ्यता अनादि काल से अपराध की समस्या का सामना कर रही है। वास्तव में अपराध समाज की सबसे बड़ी समस्या है जो किसी भी सभ्य देश के स्वस्थ वातावरण को प्रदूषित करती है और मानव सभ्यता के समय की रेत पर अंधकारमय क्षितिज के साथ काले अमिट निशान छोड़ती है। हालाँकि हाल के दिनों में कई देशों में अपराध दर में जबरदस्त बदलाव आया है। एक अपराध बड़ी संख्या में पीड़ितों को शारीरिक, सामाजिक, वित्तीय या भावनात्मक चोट या नुकसान पहुँचाता है, जिसे संबोधित करने की आवश्यकता होती है।

आपराधिक प्रशासन न्याय प्रणाली मुख्य रूप से अपराध और अपराधी पर ध्यान केंद्रित करती है, न कि पीड़ित पर। अत: विधिक जगत एवं समाज में भूला हुआ व्यक्ति 'पीड़ित' कहलाता है, जिसकी दुर्दशा को सुधारना विधिक व्यवस्था की आवश्यकता है तथा शोधकार्य का उद्देश्य है। अपराध पीड़ितों एवं उनके परिवारों को प्रभावित करता है। पीड़ितों एवं उनके परिवारों पर अपराध का प्रभाव वास्तविक शारीरिक एवं मानसिक घावों से लेकर हल्की-फुल्की पीड़ा तक होता है। पीड़ित निस्संदेह अपराध का अभिन्न अंग है। अपराध की अवधारणा को अपराध के पीड़ित को शामिल किए बिना नहीं समझाया जा सकता। आपराधिक न्याय प्रणाली में अपराध पीड़ित, अपराध का अभिन्न अंग एवं महत्वपूर्ण कारक होने के बावजूद एक भूला हुआ व्यक्ति बना हुआ है, क्योंकि उसकी स्थिति अपराध की रिपोर्ट करने एवं न्यायालय में गवाह के रूप में उपस्थित होने तक सीमित हो गई है तथा उसे न्यायालयों के कानून में नियमित रूप से स्थगन, पुनर्निर्धारण, विलम्ब एवं अन्य कुंठाओं का सामना करना पड़ता है। कानून सामाजिक हितों को नियंत्रित करता है तथा परस्पर विरोधी दावों एवं मांगों का मध्यस्थता करता है। राज्य का आवश्यक कार्य व्यक्ति एवं संपत्ति की सुरक्षा है तथा यह आपराधिक कानून के माध्यम से किया जा सकता है।

हालांकि, अपराध के पीड़ितों के दृष्टिकोण से, आपराधिक न्याय प्रणाली का प्रशासन आम तौर पर अपर्याप्त रहता है। पीड़ित को आपराधिक न्याय प्रणाली से जो संतुष्टि मिलने की उम्मीद होती है, वह अपराधी को दी जाने वाली सजा है। आधुनिक अपराधशास्त्र की प्रवृत्ति अभियुक्त की कानूनी सहायता, सुधार और पुनर्वास पर केंद्रित है। पीड़ित की चोटें और पीड़ा धीरे-धीरे आपराधिक न्याय प्रणाली की मुख्य चिंता के रूप में अपना स्थान खोती चली गई। आपराधिक न्याय का प्रशासन करते समय राज्य अमूर्त कानूनी सिद्धांतों के खिलाफ नहीं लड़ता, बल्कि जीवित मानव यानी अपने नागरिकों के असामाजिक कृत्यों के खिलाफ लड़ता है, जो दूसरों को भारी नुकसान और दर्द पहुंचाते हैं। सजा का उद्देश्य केवल अपराधियों को शरण देना और सुधारना नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी नागरिकों को कानून और व्यवस्था की बहाली में भाग लेने में सक्षम बनाना भी होना चाहिए। पीड़ितों के हितों के संरक्षण की आवश्यकता है। इसलिए, यह देखना होगा कि आपराधिक न्याय के प्रशासन को किस तरह से फिर से उन्मुख किया जा सकता है ताकि यह अपराधियों के हाथों पीड़ित पीड़ित को भी पर्याप्त लाभ पहुंचा सके।

पीड़ितों के हितों की रक्षा और संरक्षण की आवश्यकता है। अपराधी को शरण देना, सुधारना और दंडित करना आपराधिक न्याय प्रणाली का एकमात्र उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी नागरिकों को कानून और व्यवस्था की बहाली में भाग लेने में सक्षम बनाने की आवश्यकता पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इसलिए, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपराधिक न्याय का प्रशासन अपराधी के हाथों पीड़ित पीड़ित को लाभ प्रदान करने की दिशा में फिर से उन्मुख होना चाहिए। हालाँकि, आपराधिक प्रशासन न्याय प्रणाली आज अपराध से संबंधित है। आपराधिक न्याय प्रणाली का उद्देश्य समाज के बुनियादी मानदंडों का उल्लंघन करने वाले अपराधियों के जानबूझकर आक्रमण के खिलाफ व्यक्ति और राज्य के अधिकारों की रक्षा करना है। आपराधिक न्याय का उद्देश्य अपराधी को दंडित करना और समाज को अपराधों से बचाना है। दुनिया भर के देशों के अनुभवों से पता चला है कि अपराध पीड़ितों की कई आवश्यकताओं को ऐसे कार्यक्रमों की स्थापना करके प्रभावी ढंग से संबोधित किया जा सकता है जो 'सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, और आपराधिक न्याय और सामाजिक संस्थानों के भीतर पीड़ितों की प्रभावी रूप से मदद करते हैं।' अपराधी चाहे वह दोषसिद्धि, सुधार, उपचार या पुनर्वास हो। मामले के आरंभिक चरण से ही अभियुक्त को विभिन्न लाभ मिलते हैं क्योंकि उसे निर्दोष माना जाता है और सभी उचित संदेहों से परे उसके अपराध को साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर होता है। ये

लाभ अपराधी के विभिन्न संवैधानिक और कानूनी अधिकारों को जन्म देते हैं। अभियुक्त के पास मौजूद अधिकारों की बहुतायत में मनमानी गिरफ्तारी, हिरासत, तलाशी या जब्ती के अधीन न होने का अधिकार, वकील का अधिकार, निर्दोषता का अनुमान, सबूत का मानक, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, सुनवाई में मदद करने का अधिकार शामिल है।

शब्द कुंजी – पीड़ित, मुआवजा, अभियुक्त, आपराधिक न्याय प्रणाली, कानून।

शोध पद्धति– प्रस्तुत शोधपत्र में द्वितीय स्त्रोत का प्रयोग किया गया है जिसमें विधि की पुस्तक, विधि पत्र पत्रिकाओ इंटरनेट, लेख का सहारा लिया गया है।

शोध पत्र का उद्देश्य – आज दुनिया में भारत के विशेष संदर्भ में मुआवजा और सहायता सेवाएँ प्रदान करने के लिए किए गए प्रयासों का विश्लेषण करना, पीड़ित की अवधारणा, उसके अर्थ, पीड़ित होने के लिए जिम्मेदार कारकों और अपराधों के पीड़ितों के प्रकारों के बारे में वैचारिक स्पष्टता प्राप्त करना। विभिन्न न्यायक्षेत्रों में प्रतिपूरक न्यायशास्त्र के तत्वों और पीड़ित सहायता सेवाओं की योजना का अध्ययन करना। मौजूदा कानूनों में समस्याओं और खामियों को इंगित करना। पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए भारत में विशेष उपचारात्मक कानूनों के बारे में अध्ययन करना।भारत में पीड़ितों के मुआवजे और सहायता सेवाओं के बारे में प्रारंभिक और समकालीन न्यायिक सोच और कानूनी तर्क का विश्लेषण करना। पीड़ित विज्ञान की बदलती अवधारणा और इसके उद्‌भव और महत्व को समझना। भारत में अपराध के पीड़ितों के वंचित और विशेष वर्गों के सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक और आर्थिक उत्थान में मदद करना। पीड़ित मुआवजे के क्षेत्र में विश्वव्यापी प्रयासों का विश्लेषण करना।आपराधिक कानून के तहत पीड़ित को मुआवजे के प्रावधानों का विश्लेषण करना।समस्याओं पर अंकुश लगाने और पीड़ितों की दुर्दशा को सुधारने के लिए सुझाव देना।

पीड़ित मुआवजा– 'पीड़ित मुआवजा तब होता है जब अपराधी के बजाय राज्य, अपराधी के हाथों हुए नुकसान की भरपाई पीड़ित को करता है।' राज्य मुआवजे की प्रवृत्ति जो हाल के दिनों में बढ़ी है, 'हंसक अपराध के पीड़ितों के मुआवजे पर यूरोपीय सम्मेलन जैसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों द्वारा बढ़ावा दिया गया है।संयुक्त राष्ट्र घोषणा, 1985 में उल्लेख किया गया है कि जब भी पीड़ित अपराधी या अन्य स्त्रोत से पूरी तरह से मुआवजा प्राप्त करने में सक्षम नहीं होते हैं, तो राज्य को (ए) उन पीड़ितों को वित्तीय मुआवजा प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए जिन्हें गंभीर अपराधों के परिणामस्वरूप गंभीर शारीरिक चोट या शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य की हानि हुई है' (बी) परिवार, विशेष रूप से उन व्यक्तियों के आश्रितों को जो इस तरह के उत्पीड़न के परिणामस्वरूप मर गए हैं या शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गए हैं। पीड़ित मुआवजे की अवधारणा हाल ही की उत्पत्ति नहीं है। उपचार का यह रूप अतीत में कई ऐतिहासिक स्थानों जैसे प्राचीन ग्रीस और रोम, बाइबिल इजराइल, ट्यूटनिक जर्मनी और सैक्सोनी इंग्लैंड में मौजूद था। हालाँकि, विभिन्न कारणों से उपचार के इस रूप ने मध्य युग में अपनी उपयोगिता खो दी। आधुनिक समय में, मुआवजे के दर्शन को कई अनुयायी मिले हैं। जेरेमी बेंथम के लेखन में, मुआवजे के दर्शन को एक अभिव्यक्ति मिली। उन्होंने तर्क दिया कि 'समाज नैतिक रूप से अपराध के शिकार को मुआवजा देने के लिए बाध्य था क्योंकि समाज सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहा था।'

पीड़ित सहायता सेवाएँ– पीड़ित सहायता सेवाएँ ऐसी गतिविधियाँ हैं जो पीड़ितों को राहत प्रदान करने और उन्हें ठीक होने में सहायता करने के इरादे से पीड़ितों की प्रतिक्रिया में लागू की जाती हैं। इन गतिविधियों में व्यक्तिगत हस्तक्षेप, सूचना, आकलन, सिस्टम वकालत, केस वकालत, सार्वजनिक नीति और कार्यक्रम विकास की पेशकश शामिल है। अपराध को न केवल कानूनी ढांचे के उल्लंघन के रूप में देखा जा सकता है, बल्कि व्यक्तियों, व्यक्तिगत अधिकारों और पूरे समाज के उल्लंघन के रूप में भी देखा जा सकता है। किसी भी स्तर पर हिंसा की रोकथाम को सरकारों का प्राथमिक दायित्व माना जाना चाहिए कि वे जिन व्यक्तियों पर शासन करते हैं उनकी सुरक्षा करें। जब भी सामाजिक सुरक्षा विफल होती है, तो पीड़ितों को सहायता की स्वाभाविक रूप से मांग की जाती है। हिंसा की रोकथाम सुरक्षा और संरक्षा को बढ़ावा देती है और बनाए रखती है। न्याय प्रणाली का सुधारात्मक मिशन कानून के आदेश को लागू करना और पीड़ितों और सामान्य समुदाय में सुरक्षा और संरक्षा की भावना को बहाल करना होना चाहिए। पीड़ितों के अधिकार और सेवाएँ प्रदान करना, फिर, उन लोगों को मानवीय उपचार देने से कहीं अधिक है जो इसके हकदार हैं, इसे पूरे न्याय उद्यम के आवश्यक घटकों के रूप में देखा जाना चाहिए। जब पीड़ित विज्ञानियों ने 'पीड़ित विज्ञान के सिद्धांत पर चर्चा की और पीड़ित होने के सर्वेक्षण विकसित किए, तो आघात विज्ञान के क्षेत्र में एक समवर्ती विकास हुआ।' यह कार्य व्यक्तिगत और सामाजिक आपदाओं के मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर केंद्रित था। वर्ष 1980 में, पोस्ट–ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को मनोरोग नामकरण में एक औपचारिक निदान के रूप में स्वीकार किया गया था। इसके परिणामस्वरूप 'इस बात पर वैज्ञानिक अध्ययनों का विस्फोट हुआ कि लोग सभी प्रकार के आघात पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण रूप से आपराधिक पीड़ित होना शामिल है।' डर आघातग्रस्त होने की एक परिभाषित विशेषता है और इसलिए पीड़ित विज्ञान और आघात विज्ञान दोनों में शोधकर्ताओं ने पीड़ित होने के अध्ययन और प्रभाव में भय की भूमिका पर फिर से विचार करना शुरू किया। प्रारंभ में, उस शोध ने कई नवीन प्रथाओं की उपयोगिता की पुष्टि करने में मदद की जो चिकित्सकों द्वारा अपने कौशल को परिष्कृत करने और इस बारे में अधिक जागरूक होने के लिए नियोजित की जा रही थीं कि आघात में हस्तक्षेप कैसे सफल या असफल हो सकते हैं।

आपराधिक न्याय प्रक्रिया में पीड़ितों की क्या भूमिका है— दंड प्रक्रिया संहिता के तहत किसी संज्ञेय अपराध का पीड़ित/सूचनाकर्ता पुलिस अधिकारी को सूचना दे सकता है, जिसे धारा 154 के अनुसार लिखित रूप में इसे दर्ज करना होता है। पीड़ित सूचनाकर्ता को उस पर हस्ताक्षर करने और एफआईआर की एक प्रति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।

शोध पद्धति– जैसा कि हमने उद्देश्यों पर चर्चा की है और इसे ध्यान में रखते हुए, वर्तमान शोध अध्ययन सैद्धांतिक पद्धति या शोध की पारंपरिक पद्धति का उपयोग करके किया गया था। इस अध्ययन को पूरा करने के लिए, हमने विभिन्न केस लॉ, लेख, समाचार पत्र, संसद और राज्य विधानमंडलों के अधिनियम, पुस्तकें, कानून रिपोर्ट, पत्रिकाएँ, वेब संदर्भ आदि का अध्ययन करके विषय का विश्लेषण करने का प्रयास किया है। शोध करते समय प्राथमिक स्रोतों और द्वितीयक स्रोतों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। अध्ययन और शोध करने के लिए कानून पुस्तकालय का उपयोग किया जाता है और संबंधित अधिकारियों के पारंपरिक कानूनी संसाधनों का उपयोग किया जाता है। शोध में प्रासंगिक सामग्री प्राथमिक और द्वितीयक दोनों स्रोतों से एकत्र की जाती है। सामग्री और जानकारी कानूनी स्रोतों जैसे

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

कानून की किताबें, पत्रिकाएँ और कोर्ट रिपोर्ट आदि से एकत्र की जाती है। अध्ययन का एक आवश्यक हिस्सा वैश्विक स्थिति यानी आपराधिक न्याय का अध्ययन है जिसने अध्ययन को तुलनात्मक और विश्लेषणात्मक बनाने की गुंजाइश प्रदान की है। शोध के विश्लेषण के आगे के अनुप्रयोग के लिए एक ठोस आधार बनाने के लिए वर्णनात्मक विधि द्वारा भी शोध किया गया है। इस विधि का उपयोग वर्तमान स्थिति और विभिन्न कानूनों और उनकी प्रकृति का वर्णन करने के लिए किया गया है, जिसमें मुख्य ध्यान शोध के विषय से संबंधित आपराधिक कानून पर है। साथ ही, ऊपर बताई गई विधि के निष्कर्षों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने के लिए विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण का पालन किया गया है।

एंड्रयू कारमेन ने अपनी पुस्तक क्राइम विक्टिम्स एन इंट्रोडक्शन टू विक्टिमोलॉजी में उल्लेख किया है कि पीड़ित की अवधारणा का पता प्राचीन समाजों में लगाया जा सकता है। पीड़ित बलिदान की धारणा से जुड़ा था। अपने मूल अर्थ में, पीड़ित एक व्यक्ति या जानवर था जिसे किसी अलौकिक शक्ति या देवता को खुश करने के लिए धार्मिक समारोह के दौरान मार दिया जाता था। सदियों से पीड़ित शब्द ने अतिरिक्त अर्थ ग्रहण कर लिए हैं। आजकल यह आमतौर पर उन व्यक्तियों को संदर्भित करता है जिन्हें किसी भी कारण से चोट, नुकसान या कठिनाई का सामना करना पड़ा है। अपराध पीड़ितों को अवैध कृत्यों से नुकसान होता है। बर्ट गैलावे और लियोनार्ड रुटमैन ने अपने लेख विक्टिम कम्पेंसेशन: एन एनालिसिस ऑफ सब्सटेंटिव इश्यूज में कहा है कि समकालीन पीड़ित-मुआवजा योजनाओं का पता आम तौर पर मार्गरिट फ्राई से लगाया जाता है जो लंदन में हॉवर्ड लीग ऑफ पेनल रिफॉर्म की सक्रिय सदस्य थीं। भारतीय संदर्भ में, प्रारंभिक वैदिक काल की सभ्यता में आपराधिक कानून पीड़ित को मुआवजा देने के लिए बनाया गया था न कि अपराधी को दंडित करने के लिए। प्राचीन भारत में अपराध के पीड़ितों को मुआवजा देने की एक अच्छी तरह से विकसित योजना थी। यह कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पाया जा सकता है। इसके बाद समय के साथ मुआवजे की संस्था ने अपना प्रभाव खोना शुरू कर दिया क्योंकि पीड़ितों को आपराधिक न्याय वितरण प्रणाली के भूले हुए लोगों के रूप में माना जाने लगा। 3 नवंबर, 1998 के 'द विक्टिमोलॉजिस्ट' के अंक में के. चोकलिंगम ने अपने लेख पीड़ितों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा के कार्यान्वयन भारत में हाल के घटनाक्रम में उल्लेख किया है।

'प्राचीन समुदायों के दंडात्मक कानून अपराधों के कानून नहीं हैं, यह गलत कामों के कानून हैं। पीड़ित व्यक्ति सामान्य नागरिक कार्रवाई द्वारा किए गए गलत काम के विरुद्ध आगे बढ़ता है और यदि वह सफल होता है तो उसे धन क्षतिपूर्ति के रूप में मुआवजा मिलता है।'

- सर हेनरी जेम्स सुमनर मेन

अपराध के पीड़ित और भारतीय आपराधिक न्याय प्रणालीरू भारत में पीड़ित उन्मुख न्याय प्रणाली का विकास सक्रिय न्यायपालिका का परिणाम है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों ने, विशेष रूप से 70 और 80 के दशक में, अपराध और सत्ता के दुरुपयोग के पीड़ितों की आवश्यकता और सुरक्षा की पहचान करने में योगदान दिया है। अपराध के पीड़ितों के लिए संयुक्त राष्ट्र न्याय घोषणा और पीड़ित-समर्थक न्यायिक घोषणाओं का प्रभाव बाद की विधायी और कार्यकारी पहलों में दिखाई देता है। भारत के विधि आयोग ने अपनी 154वीं रिपोर्ट में न्याय वितरण प्रणाली के लिए पीड़ित उन्मुख दृष्टिकोण की आवश्यकता को संबोधित किया और सिफारिश की कि अपराध के पीड़ितों की जरूरतों और अधिकारों को अपराध के प्रति समग्र प्रतिक्रिया में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि 'वर्तमान में, पीड़ित अपराध में सबसे अधिक पीड़ित होते हैं और अदालती कार्यवाही में उनकी अधिक भूमिका नहीं होती है। उन्हें कुछ अधिकार और मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता है, ताकि आपराधिक न्याय प्रणाली में कोई विकृति न हो।' वर्ष 2003 में, मलीमठ समिति ने 'आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार' पर अपनी रिपोर्ट में आपराधिक न्याय प्रणाली के विभिन्न चरणों में अपराध पीड़ितों की भागीदारी पर व्यापक रूप से विचार-विमर्श किया है। समिति ने अपराध पीड़ितों को मुआवजा देने के सिद्धांत के विस्तार पर भी विचार किया। अपराध पीड़ितों की भूमिका का विस्तार करने वाले दंड प्रक्रिया संहिता में बाद के संशोधनों को मलीमठ समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों की श्रृंखला में देखा जा सकता है।

परिचय-प्राचीन हिंदू कानून में, मुआवजा देना एक शाही अधिकार माना जाता था। हाल के वर्षों में पीड़ितों के अधिकारों के बारे में वैश्विक जागरूकता आई है, जो कानून निर्माताओं द्वारा उपेक्षित रहते हैं। अपराध के अध्ययन में सबसे उपेक्षित विषयों में से एक इसके पीड़ित हैं। अपराध का शिकार वह व्यक्ति होता है जिसे अपराध के परिणामस्वरूप कोई नुकसान या चोट पहुँचती है। हमारी वर्तमान न्यायिक प्रणाली में जहाँ किसी मामले का फैसला करने में कई साल लग जाते हैं, पीड़ित व्यक्ति लगभग अपना पूरा जीवन न्याय की प्रतीक्षा में बिता देता है।पीड़ित को पर्याप्त मुआवजा दिए बिना न्याय अधूरा रहता है। पीड़ित मुआवजा योजना कहीं न कहीं जेरेमी बेंथम के उपयोगितावाद सिद्धांत के अध्ययन पर प्रकाश डालती है, जो 'अधिकतम संख्या को अधिकतम सुख' के सिद्धांत पर आधारित है। हालांकि 19वीं सदी में इंग्लैंड में बेंथम ने खुद ही पुनर्स्थापनात्मक न्याय की अवधारणा प्राप्त की थी।

पीड़ितों के लिए मुआवजा क्यों जरूरी है-आज के समय में आपराधिक मामले अभियुक्त और राज्य के बीच एक प्रतियोगिता बनते जा रहे हैं। राज्य और अभियुक्त के बीच वर्चस्व की लड़ाई में पीड़ितों की दुर्दशा को अक्सर भुला दिया जाता है। अपराधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उस पर मुकदमा चलाया जाता है, उसे सजा दी जाती है या दोषमुक्त कर दिया जाता है या कुछ स्थितियों में परिवीक्षा पर छोड़ दिया जाता है, हालाँकि अदालत में उसे दोषी पाया जाता है। लेकिन पीड़ित पीड़ित ही रहता है। इसलिए, अपराधी को सजा देने के अलावा भी कुछ और करने के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली की जरूरत है।जब कोई व्यक्ति अपराध करता है, तो पीड़ित न्याय की तलाश करता है। इसे दो तरीकों से मांगा जा सकता है: सिर्फ अपराधी को सजा देकर,अपराधी को सजा देकर और पीड़ित को मुआवजा देकर।इसलिए, न्याय तभी पूरा होता है जब पीड़ित को भी मुआवजा मिले। पीड़ित को पूरी मानसिक संतुष्टि देने के लिए, उसे मुआवजे के रूप में कुछ राहत देना बेहद जरूरी है।

पीड़ितों के अधिकारों का प्रयोग - कानून किस ष्पीड़ितष को किसी विशेष अधिकार का हकदार मानता है, यह संघीय, राज्य या जनजातीय संहिता द्वारा परिभाषित किया जाता है। कुछ अधिकार क्षेत्रों में, बुनियादी अधिकार केवल गंभीर अपराधों के पीड़ितों को ही दिए जाते हैं, जबकि अन्य में, किसी भी हिंसक अपराध के पीड़ित, चाहे वह गंभीर अपराध हो या दुष्कर्म, ऐसे अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। कई अधिकार क्षेत्र गंभीर किशोर अपराधों के पीड़ितों को भी अधिकार प्रदान करते हैं, और पीड़ितों के अधिकारों को हत्या के शिकार के जीवित परिवार के सदस्यों, या नाबालिग, विकलांग या अक्षम पीड़ित के माता-पिता, अभिभावक या अन्य रिश्तेदारों तक बढ़ाते

हैं। कुछ राज्यों में, पीड़ित का कानूनी प्रतिनिधि या पीड़ित द्वारा नामित कोई अन्य व्यक्ति पीड़ित की ओर से अधिकारों का प्रयोग कर सकता है।अपराध पीड़ितों के लिए सामान्य अधिकारों के साथ-साथ, कई न्यायक्षेत्रों ने विशिष्ट जरूरतों वाले अपराध पीड़ितों के कुछ समूहों के लिए विशेष अधिकार बनाए हैं। इनमें यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, पीछा करने या मानव तस्करी के शिकार, या बुजुर्ग, छोटे बच्चे या विकलांग पीड़ित शामिल हैं।

पीड़ित आंदोलन की क्रांति- 20वीं सदी में, विशेष रूप से अपराध और सत्ता के दुरुपयोग के पीड़ितों के लिए न्याय के बुनियादी सिद्धांतों की संयुक्त राष्ट्र घोषणा, 1985 के बाद, पीड़ितों का दृष्टिकोण एक नए और शक्तिशाली तरीके से उभरा। संयुक्त राष्ट्र घोषणा ने अपराध पीड़ितों की चार प्रमुख आवश्यकताओं को मान्यता दी: न्याय और उचित उपचार तक पहुँच, प्रतिपूर्ति, मुआवजा और सहायता। भारत में पीड़ित मुआवजा प्रावधान देश का सर्वोच्च कानून, भारत का संविधान, पीड़ितों के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं करता है। हालाँकि, अनुच्छेद-41 के तहत भाग-IV (DPSP और अनुच्छेद-51। के तहत भाग-V (मौलिक कर्तव्य) राज्य के कर्तव्य को क्रमश: 'विकलांगता के मामलों में और अन्य अवांछनीय अभाव के मामलों में सार्वजनिक सहायता का अधिकार' और 'जीवित प्राणियों के लिए मुआवजा प्राप्त करना और मानवतावाद का विकास करना' सुरक्षित करना निर्धारित करता है। मुआवजे के अधिकार को हमारे संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न अंग माना गया है। विभिन्न मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि मुआवजा देना जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग है-

1. रुदुल साह बनाम बिहार राज्य (1 अगस्त, 1983)
2. भीम सिंह, विधायक बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य (22 नवंबर, 1985)
3. डॉ. जैकब जॉर्ज बनाम केरल राज्य (13 अप्रैल, 1994)
4. पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम बिहार राज्य (19 दिसंबर, 1986)

और भी कई फैसले।मुआवजे के अधिकार को अनुच्छेद- 14 और 39ए के तहत भी अभिन्न अंग माना गया है।आईपीसी, 1860 की धारा- 166बी में पीड़ितों के साथ व्यवहार न करने पर सजा का प्रावधान है।सीआरपीसी, 1973 के तहत मुआवजाधारा-357 न्यायालय को जुर्माना या ऐसी सजा (जिसमें मृत्युदंड भी शामिल है) लगाने का अधिकार देती है, जिसका जुर्माना उसके विवेक पर निर्भर करता है।जबकि धारा-357(3) न्यायालय को किसी व्यक्ति को हुई हानि या चोट के लिए मुआवजा देने का अधिकार देती है, यहाँ तक कि उन मामलों में भी जहाँ जुर्माना सजा का हिस्सा नहीं है।सीआरपीसी पर154वीं विधि आयोग की रिपोर्ट, 1996 में पीड़ित विज्ञान पर एक पूरा अध्याय समर्पित किया गया था, जिसमें आपराधिक मुकदमों में पीड़ितों के अधिकारों पर बढ़ते जोर पर चर्चा की गई थी।अपराध के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए बढ़ती चिंता को स्वीकार करता है धारा-357ए को सीआरपीसी (संशोधन) अधिनियम, 2008 (31 दिसंबर 2009 से प्रभावी) द्वारा 'आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार, 2008' पर मलिमथ समिति की रिपोर्ट की सिफारिश पर डाला गया था। इसमें धारा-2(डब्ल्यूए), धारा-24(8) प्रावधान और धारा-372 प्रावधान भी शामिल किए गए।धारा-357ए में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ समन्वय करके पीड़ितों या उनके आश्रितों को मुआवजा देने के लिए धन उपलब्ध कराने की योजना तैयार करेगी, जिन्हें नुकसान या चोट पहुंची है और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है।यदि ट्रायल कोर्ट को लगता है कि धारा-357 के तहत दिया गया मुआवजा ऐसे पुनर्वास के लिए पर्याप्त नहीं है या जहां मामला बरी या डिस्चार्ज में समाप्त होता है और पीड़ित का पुनर्वास किया जाना है, तो अदालत मुआवजे के लिए सिफारिश कर सकती है जब अदालत द्वारा सिफारिश की जाती है, तो जिला सरकार मुआवजे के लिए सिफारिश कर सकती है।

आपराधिक न्याय प्रक्रिया - सामान्य आपराधिक न्याय प्रक्रिया में दर्जनों ऐसी घटनाएँ या कार्यवाहियाँ हैं जिनके लिए कानून के अनुसार नोटिस की आवश्यकता हो सकती है। इनमें आम तौर पर शामिल हैं-

1. अभियुक्त की गिरफ्तारी
2. प्रतिवादी का अभियोग
3. जमानत रिहाई और संबंधित कार्यवाही
4. परीक्षण-पूर्व रिहाई और संबंधित कार्यवाही
5. आरोपों को खारिज करना
6. बातचीत से दलीलें और दलील सौदे का प्रवेश
7. परीक्षण की तारीखें और समय
8. सजा सुनवाई
9. अंतिम वाक्य या निपटान
10. परिवीक्षा या पैरोल की शर्तें
11. परीक्षण के बाद राहत कार्यवाही
12. अपील प्रक्रिया और संबंधित कार्यवाही
13. पैरोल रिहाई और संबंधित कार्यवाही
14. क्षमादण्ड में परिवर्तन और संबंधित कार्यवाही
15. पुनर्निर्धारित कार्यवाही
16. कारावास से अंतिम रिहाई, जिसमें मानसिक संस्थान से रिहाई भी शामिल है तथा
17. अपराधी का भागना और बाद में पुन: पकड़ लिया जाना।

निष्कर्ष - अपराध के पीड़ितों ने दुनिया भर के कानून निर्माताओं का ध्यान आकर्षित किया है। कई देशों ने विशेष रूप से अपराध पीड़ितों की जरूरतों को संबोधित करते हुए कानून बनाए हैं। भारत में, अपराध पीड़ितों की जरूरतों को पहचानने का आंदोलन संयुक्त राष्ट्र घोषणा के अस्तित्व में आने के बाद शुरू हुआ है। न्यायपालिका ने अपराध के पीड़ितों को आपराधिक न्याय प्रक्रिया में एक अलग हितधारक के रूप में स्थापित करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। न्यायपालिका ने अपराध पीड़ितों को प्रक्रियात्मक अधिकार विकसित करने और प्रदान करने में विधायिका से आगे बढ़कर काम किया है। न्यायपालिका के इस तरह के सक्रिय कदम को विधि आयोग और मलीमठ समिति की विभिन्न सिफारिशों का समर्थन प्राप्त था। हाल ही में, विधायिका ने अपराध पीड़ितों की दुर्दशा को दूर करने के लिए प्रक्रियात्मक आपराधिक कानून में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अपराध की रिपोर्टिंग को अनिवार्य बनाना, पीड़ित के वकील को न्यायालय में उपस्थित होने का अवसर देना, पीड़ित को अपील करने का स्वतंत्र अधिकार प्रदान करना, उन मामलों में भी मुआवजा देना जहाँ अभियुक्त का पता नहीं चल पाता या जहाँ अभियुक्त बरी/मुक्त हो जाता है, पीड़ित मुआवजा योजना दंड प्रक्रिया संहिता में हाल के दिनों में हुए कुछ प्रमुख परिवर्तन हैं। अब पीड़ितों को केवल अभियोजन पक्ष के मुखबिर या गवाह के रूप में नहीं देखा जाता बल्कि वे ऐसे प्रक्रियात्मक

अधिकारों के धारक हैं जो आपराधिक न्याय की मशीनरी को अपने दम पर आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन फिर भी देश को अन्य देशों में लागू किए गए कानूनों की तर्ज पर अपराध के पीड़ितों के लिए एक व्यापक योजना की उम्मीद है जो आपराधिक प्रक्रिया के सभी चरणों में पीड़ित की भागीदारी को मान्यता देते हैं।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची:–

1. https://www.legalserviceindia.com/legal/article-6696-victim-compensation-scheme-in-india.htm
2. https://epgp.inflibnet.ac.in/epgpdata/uploads/epgp_content/S000020LA/P000841/M010094/ET/1513752841etext.pdf
3. https://www.victimsfirst.gc.ca/abt-apd/cjp.html
4. https://educaloi.qc.ca/en/capsules/compensation-for-victims-of-crime/
5. https://www.allahabadhighcourt.in/event/admin_of_criminal_justice_in_india.html
6. https://www.victimlaw.org/victimlaw/pages/victimsRight.jsp

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

भर्ती व चयन एक ही प्रक्रिया के दो चरण

डॉ.एस के शर्मा *   अभिनंदिता शर्मा **

* प्राचार्य, पी एन एस महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) भारत
** शोधार्थी, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) भारत

शोध सारांश – मानव संसाधन विभाग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य श्रम शक्ति अर्थात् कर्मचारियों की भर्ती व चयन है क्योंकि यही वह स्त्रोत है जहाँ से उपक्रम श्रम शक्ति प्राप्त करता है। अत: एक कुशल श्रम शक्ति बनाने के लिए आवश्यक है कि सहीं कर्मचारियों की नियुक्ति की जाय अर्थात् सहीं कार्य के लिए सहीं व्यक्ति की नियुक्ति की जाय जिसे कहते हैं 'राइट मेन फॉर राइट जॉब'।

किसी भी संस्था के पास यदि कुशल श्रम शक्ति है तो वह कम समय व परिश्रम के अपनी अच्छी साख स्थापित कर सकती है। इसके विपरित अकुशल श्रम शक्ति के कारण संस्था की बनी हुई साख भी मिट्टी में मिल सकती है। अत: आवश्यक है कि श्रम शक्ति की भर्ती के पूर्व उनका अच्छी तरह से मूल्यांकन किया जाय उसके पश्चात ही उसको संस्था में नियुक्त किया जाय। वर्तमान में कम्पनियों की बदलती रूपरेखा व बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना करने हेतु आवश्यक हो गया है कि भर्ती व चयन कि प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाया जाय। भर्ती की प्रक्रिया जितनी अधिक प्रभावी होगी चयन हेतु उतना ही अधिक सर्वोत्तम विकल्प संस्था को प्राप्त होगा।

प्रस्तावना – भर्ती व चयन प्रत्यक्ष रूप से मानव अर्थात् किसी संस्था के कार्यरत कर्मचारियों से संबंधित है जिन्हें संस्था के अंदर एक संसाधन माना जाता है क्योंकि भर्ती व चयन मानव संसाधन का ही किया जाता है, अन्य संसाधनों का नहीं। भर्ती व चयन किसी भी संस्था का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है उत्पत्ति के पाँच संसाधनों पूँजी, श्रम, साहस, मशीन एवं सामग्री में श्रम सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधन है श्रम ही वह संसाधन है जो कि अन्य संसाधनों का दोहन करता है। जिस प्रकार अन्य संसाधनों का प्रबंधन किया जाता है उसी तरह श्रम का प्रबंधन भी आवश्यक है। श्रम के अन्य संसाधन अगतिशील होने का कारण उनका प्रबंधन तुलनात्मक रूप से कुछ सरल होता है जबकि मानव संसाधन गतिशील होने के कारण उसका प्रबंधन एक चुनौती पूर्ण कार्य है। बिना श्रम का प्रबंधन किये कोई भी उपक्रम अपने निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति नहीं कर सकती। अत: प्रत्येक उपक्रम में श्रम का प्रबंधन एक आवश्यक कार्य माना जाता है। श्रम संसाधन अर्थात् मानव संसाधन। अत: श्रम प्रबंध को मानव संसाधन प्रबंधन के नाम से जाना जाता है तथा प्रत्येक उपक्रम में इस कार्य हेतु एक अलग से विभाग मानव संसाधन विभाग होता है जहाँ से मानव से जुड़ी प्रत्येक कार्यों का प्रबंधन व नियंत्रण किया जाता है।

मानव संसाधन प्रबंध तीन शब्दों से मिलकर बना है– मानव + संसाधन + प्रबंध (Human + Resource + Management)। यहाँ मानव का संबंध किसी संस्था में कार्यरत कर्मचारियों से है, संसाधन अर्थात् उक्त कर्मचारी एक संसाधन के रूप में तथा प्रबंध का अर्थ है प्रबंध करना अर्थात उपयोगितानुसार व्यवस्थित करना व अनुकूल बनाना। अत: इसका पूर्ण अर्थ निकलता है मानव को एक संसाधन के रूप में व्यवसाय के निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक प्रबंध करना। अत: मानव संसाधन प्रबंध एक प्रबंधनीय कार्य है जिसके द्वारा न्यूनतम लागत पर अधिकतम एवं श्रेष्ठतम कार्य का निष्पादन किया जाता है।

विस्तारपूर्वक इस विभाग के कार्य को निम्न भागों में विभाजित किया गया है–

1. मानव संसाधन नियोजन
2. भर्ती
3. चयन
4. प्रशिक्षण एंव विकास
5. श्रम संबंध
6. श्रम कल्याण
7. कर्मचारी अभिलेख
8. निष्पादन मूल्यांकन
9. संवर्धन
10. सेविवर्गीय शोध

उक्त कार्यों में प्रथम तीन सर्वाधिक महत्वपर्ण कार्य है मनव संसाधन नियोजन, भर्ती एवं चयन। जिसके माध्यम से ही संस्था श्रम शक्ति प्राप्त करती है।

भर्ती व चयन ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो केवल एक ही बार की जाय अपितु एक उपक्रम की स्थापना से यह प्रक्रिया प्रारंभ होती है तथा उपक्रम के समापन तक अनगिनत बार उक्त प्रक्रिया दोहराई जाती है।

मानव संसाधन नियोजन – यह मानव संसाधन का प्रथम व सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। प्रत्येक संस्था में समय-समय पर कई पद रिक्त होते रहते हैं जिसके कारण संस्था के कार्य में कोई अवरोध उत्पन्न न हो इस हेतु आवश्यक है कि इसका अनुमान पूर्व में ही लगाया जाये, कि किस वक्त कितने पद रिक्त होने वाले हैं ताकि समय पर आवश्यकतानुसार भर्ती व चयन किया जा सके। अत: इस हेतु नियोजन करना आवश्यक है।

भर्ती – भर्ती अर्थात् किसी समय पर संस्था में रिक्त पदों को भरने हेतु बाहरी लोगों को आकर्षित करना ताकि वे अधिक संख्या में आवेदन करें।

भर्ती मानव संसाधन विभाग का प्रमुख कार्य है क्योंकि भर्ती ही वह स्त्रोत है जिसके माध्यम से कोई संस्था श्रम शक्ति को प्राप्त करती है। किसी भी संस्था के जीवनकाल में भर्ती व चयन का कार्य एक बार किया जाता है अपितु किसी भी संस्था कि स्थापना के साथ ही भर्ती का कार्य आरंभ होता है तथा उक्त संस्था के समापन के साथ ही भर्ती व चयन का कार्य समाप्त होता है। अर्थात् भर्ती व चयन का कार्य किसी संस्था के जीवन काल में एक या दो बार नहीं अपितु अनगिनत बार किया जाता है। जब भी संस्था में कोई रिक्त पद होता है अन्यथा कोई नया पद अस्तित्व में आता है वैसे ही भर्ती व चयन कि प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है व समय पर पूर्ण की जाती है ताकि समय पर रिक्त पद भरे जा सके और संस्था के कार्य में किसी भी प्रकार की रूकावट न आये।

प्रत्येक संस्था में भर्ती हेतु भर्ती के विभिन्न स्त्रोतों का प्रयोग आवश्यकतानुसार किया जाता है। भर्ती के स्त्रोतों से आशय उस स्थान से है जहाँ संस्था के रिक्त पदों हेतु अधिक संख्या में आवेदनकर्ता अर्थात पद हेतु उम्मीदवार प्राप्त हो सके। भर्ती के स्त्रोतों को मुख्यत: दो भागों में विभाजित किया गया है-

भर्ती के विभिन्न स्त्रोत

आंतरिक ↓	**बाह्य** ↓
1. पदोन्नति	1. रोजगार कार्यालय के माध्यम से
2. स्थानांतरण	2. शैक्षणिक संस्थाएं
3. प्रशिक्षार्थी	3. पेशेवर प्रशिक्षण संस्थाएं
4. सेवा वृद्धि	4. व्यवसायिक सभाएं, सम्मेलन व संगोष्ठी
5. आश्रितों की भर्ती	5. कंपनी के कार्यालय परप्रार्थी
6. क्षति पूर्ति हेतु नियुक्ति	6. निजी संस्थाएं
7. पुन: भर्ती	7. विज्ञापन
8. पदावनति	8. श्रम संगठन
	9. प्रबंधकिय सलाहकार संस्थाएं
	10. प्रतिक्षा सूची
	11. वर्तमान कर्मचारियों की सिफारिशें

संस्था अपनी आवश्यकतानुसार व सुविधानुसार एक या अधिक स्त्रोतों का उपयोग करती है भर्ती जितनी अधिक प्रभावी होगी चयन हेतु उतने ही अधिक विकल्प संस्था को मिलेंगे। जिससे उपर्युक्त कार्य के लिए उपर्युक्त व्यक्ति का चुनाव (Right Man for Right Job) किया जा सके।

भर्ती को प्रभावित करने वाले घटक- संस्था के भीतर व बाहर ऐसे अनेक घटक हैं जो भर्ती को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। भर्ती को प्रभावित करने वाले कुछ घटक तो संस्था के नियंत्रण में होते हैं जिन्हें आंतरिक घटक कहा जाता है तथा कुछ घटक ऐसे हैं जो भर्ती को प्रभावित करते हैं तथा जिन पर संस्था का कोई नियंत्रण नहीं रहता ये बाह्य कारक की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार भर्ती को प्रभावित करने वाले घटकों को दो श्रेणी में विभाजित किया गया है जिन्हें जानना अत्यंत आवश्यक है जो निम्न है-

भर्ती को प्रभावित करने वाले घटक	
आंतरिक घटक	**बाह्य घटक**
1 संस्था के उद्देश्य	1 मांग व पूर्ति
2 कम्पनी का संगठन	2 श्रम बाजार
3 सरकारी नितियों व आरक्षण	3 ख्याति
4 फर्म का आकार	4 सामाजिक, राजनैतिक वातावरण
5 संस्था का विकास दर	5 बेरोजगारी दर
6 भर्ती हेतु प्रयोग किये जाने वाले स्त्रोत	6 प्रतियोगी संस्थाएँ

चयन - भर्ती के तुरंत बाद चयन की प्रक्रिया आरंभ होती है। यह भी मानव संसाधन का द्वितीय सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि यहाँ से ही मानव संसाधन विभाग को योग्य व कुशल श्रम शक्ति प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है जिसके आधार पर ही संस्था कि सफलता व असफलता का निर्धारण होता है।

जहाँ भर्ती की प्रक्रिया समाप्त होती है वहीं से चयन प्रक्रिया शुरू होती है साधारण बोलचाल की भाषा में भर्ती व चयन को एक साथ ही उपयोग किया जाता है जबकि भर्ती व चयन एक ही प्रक्रिया के दो चरण है। प्रथम चरण भर्ती व द्वितीय चरण चयन अत: प्रथम चरण समाप्त हो जाने के पश्चात द्वितीय चरण कि शुरूवात होती है।

प्रथम चरण में अर्थात भर्ती में उम्मीदवारों को अधिकाधिक आकर्षित कर आवेदन हेतु आमंत्रित किया जाता है जबकि द्वितीय चरण अर्थात चयन में उक्त आये हुए आवेदनों कि संस्था की मांग व आवश्यकतानुसार छंटनी की जाती है जो कि विविध चरणों में संपन्न किया जाता है जिसके पश्चात ही सर्वाधिक योग्य उम्मीदवार को चयन कर नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाता है। प्रथम चरण में अर्थात भर्ती में उम्मीदवारों को अधिकाधिक आकर्षित कर आवेदन हेतु आमंत्रित किया जाता है जबकि द्वितीय चरण अर्थात चयन में उक्त आये हुए आवेदनों की संख्या की मांग व आवश्यकतानुसार छटनी की जाती है जो कि विविध चरणों में संपन्न किया जाता है जिसके पश्चात ही सर्वाधिक योग्य उम्मीदवार को चयन कर नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाता है।

चयन का सारा कार्यक्रम वैधानिक रीति नीतियों पर आधारित होता है। चयन प्रक्रम में इस बात का प्रयत्न किया जाता है कि आवेदकों में से किसी ऐसे व्यक्ति का चुनाव किया जाय जिसकी योग्यता कौशल, अनुभव आदि कार्य विशिष्ट विवरण के अधिकतम अनुरूप हो। यह एक निर्णायक चरण होता है। इस चरण में ही भर्ती से प्राप्त योग्य उम्मीदवारों में से सबसे अधिक योग्य व अनुरूप व्यक्ति का चयन किया जाता है।

सामान्यत: इस कार्य हेतु प्रत्येक उपक्रम में एक अलग कमेटी का गठन किया जाता है जो कि अलग अलग कार्यों व पदों के अनुरूप अलग-अलग होते हैं जिनका कार्य होता है कि प्रस्तुत पद हेतु सर्वोपयुक्त उम्मीदवार का चयन करना।

अत: चयन प्रक्रिया का प्रारंभ वहाँ होता है जहाँ भर्ती प्रक्रिया समाप्त होती है। भर्ती प्रक्रिया का सीधा प्रभाव दिखता है चयन प्रक्रिया पर। भर्ती प्रक्रिया जितनी अधिक प्रभावी होगी चयन हेतु विकल्प उतना अधिक होगा, विकल्प अधिक होने पर चयन सुयोग्य अनुभवी व कौशल युक्त उम्मीदवार प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है।

चयन हेतु एक प्रभावी व वैधानिक चरणों का समान्यत: पालन किया जाता है परंतु प्रत्येक उपक्रम अपनी आवश्यकतानुसार व सुविधानुसार किसी

भी चरण को, जो उसे उपयुक्त या आवश्यक न लगे किसी निर्धारित रिक्त पद हेतु छोड़कर आगे के चरणों का अनुसरण कर सकती है। चयन हेतु निर्धारित मुख्य चरण निम्न है–

1. प्रारंभिक साक्षात्कार
2. आवेदन पत्र एवं उसकी जाँच
3. चयन परीक्षण
4. साक्षात्कार
5. जीवन संबंधी अन्वेषण
6. शारीरिक परीक्षा
7. नियुक्तिपत्र जारी करना

चयनप्रक्रिया

(विविध स्तरों पर प्रत्याशित छटनी)

प्राथमिक साक्षात्कार →	सामान्य प्रभाव विपरित होने पर	अयोग्य पात्र ठहराया जाकर चयन नहीं किया गया
आवेदन पत्र और उसकी जाँच →	वांछित सूचना, योग्यता, आयु आदि अनुकूल न होने पर	
मनोवैज्ञानिक परिचय →	कम अंक प्राप्त होने पर	
साक्षात्कार →	उचित जानकारी नहीं मिलने पर	
जीवन संबंधी अन्वेषण →	उचित जानकारी नहीं मिलने पर	
शारीरिक परीक्षा →	अनुपयुक्त घोषित होने पर	
नियुक्ति पत्र जारी		

इस प्रकार नियुक्ति के उपर्युक्त चरण है जिसमें उपक्रम अपनी आवश्यकतानुसार किसी चरण को जो आवश्यक न हो छोड़कर शेष चरणों को लागू करती है तथा अंतिम नियुक्ति पत्र प्रदान करते ही चयन प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। भर्ती व चयन मानव संसाधन विभाग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है जिसके द्धारा ही संगठन को श्रमशक्ति की अपितु कुशल श्रमशक्ति की प्राप्ति होती है। अतः भर्ती व चयन प्रक्रिया जितनी अच्छी नियोजित और प्रभावी होगी उतनी ही अच्छी व कुशल श्रम शक्ति उपक्रम को प्राप्त होगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. शर्मा, शर्मा, एवं सुराना सेविवर्गीय प्रबंध, रमेश बुक डिपो,जयपुर।
2. शर्मा, शर्मा, एवं सुराना, मानव संसाधन प्रबंध, रमेश बुक डिपो, जयपुर।
3. ममोरिया, मामोरिया, एवं दशोरा, सेविवर्गीय प्रबंध एवं औद्यौगिक संबंध, साहित्य भवन पब्लिकेश्न एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स।
4. Bhagoliwal T-N- Personnel Management And Industrial Relation Sahitya BhawanPublication, Agra.
5. Gopal Ji Personnel Management In Indian Industrie Ashish Publication House, NewDelhi.
6. Manappa & Saiyadain Personnel Management second Edition- Tata Wcgraw & Hill Publication Company Limited, New Delhi.
7. http://www.businessdictionary.com/defination/personal management.html

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

जिनिंग उद्योगो में महिलाओं का स्वास्थ एवं महिलाओं के लिए स्वास्थ्य योजनाएँ

डॉ. जी.एस.चौहान* अनिता किराडे**

* विभागाध्यक्ष (अर्थशास्त्र) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरगौन (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी (अर्थशास्त्र) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – जिनिंग उद्योगो में नि:संदेह महिला अस्वस्थ होती है, तो इसका दुष्प्रभाव उसके संतान एवं परिवार पर पड़ता है। महिला अस्वस्थता अक्सर गरीबी, अज्ञानता, जागरूकता का अभाव और चिकित्सकीय सुविधा के अभाव में होता है। चूँकि महिला को ही समाज तथा परिवार का आधार कहा जाता है, यदि महिलाएँ ही अस्वस्थ है, तो एक उज्जवल और निरोगी समाज की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। अत: महिला विकास हेतु यह एक अनिवार्य घटक है। अध्ययन का महत्व स्वास्थ्य मानव विकास सूचकांक का एक महत्वपूर्ण सूचक है। आजादी के बाद से ही सरकार के समक्ष महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार एक महत्वपूर्ण चुनौती रहा है। विशेषकर ग्रामीण महिलाओं की जहाँ आज की उचित चिकित्सा का अभाव पाया जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का 48.4 प्रतिशत जनसंख्या महिलाएँ हैं, जिसमें अधिकतर महिलाओं की मृत्यु चिकित्सा के अभाव के कारण होती है। चाहे वह प्रसव के दौरान हो, एच.आई.वी. से संबंधित हो या एनिमिया से ग्रसित हो। यह सच है कि विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है। यही कारण है कि जहाँ वर्ष 1947 में जीवन प्रत्याशा 32 वर्ष थी, वह बढ़कर 66 वर्ष चुकी हैय लेकिन यह भी सच है आज इस समय स्वास्थ्य पर 1.4 प्रतिशत व्यय किया जा रहा है, जबकि बारहवीं पंचवर्षीय योजना में इस व्यय को 2.5 प्रतिशत करने का प्रावधान है, फिर भी विश्व स्वास्थ्य संगठन के मापदण्डों से काफी पिछड़े है। यह दुर्भाग्य है कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य पर कुल सरकारी व्यय के 1 प्रतिशत से भी कम है और इसे 2 या 3 प्रतिशत तक बढ़ाने की आवश्यकता है। मानव सभ्यता और स्वास्थ्य प्रबंधन का एक अभिन्न अंग है क्योंकि महिलाएँ मानव समाज का लगभग आधा भाग हैं। कई स्वास्थ्य मामलों में महिलाएँ पुरुषों के अनुकूल मानक रखती हैं, जैसेकि स्वास्थ–बर्धक खान–पान या हानिकारक खान–पान के मानक महिलाओं और पुरुषों पर लगभग समान हैं। फिर भी प्रकृति ने जन्म से स्त्री–पुरुष के शरीर और स्वास्थ्य में कई बारीकियाँ और अंतर रखी हैं। तुलनात्मक दृष्टि से एक नवजात लड़की लड़के से अधिक अच्छा स्वास्थ्य रखती है और कम ही बीमार होती है। लड़कियाँ तेजी से और महिलाओं का स्वास्थ्य मानव सभ्यता और स्वास्थ्य प्रबंधन का एक अभिन्न अंग है क्योंकि महिलाएँ मानव समाज का लगभग आधा भाग हैं। कई स्वास्थ्य मामलों में महिलाएँ पुरुषों के अनुकूल मानक रखती हैं, जैसेकि स्वास्थ–वर्धक खान–पान या हानिकारक खान–पान के मानक महिलाओं और पुरुषों पर लगभग समान हैं। फिर भी प्रकृति ने जन्म से स्त्री–पुरुष के शरीर और स्वास्थ्य में कई बारीकियाँ और अंतर रखी हैं। तुलनात्मक दृष्टि से एक नवजात लड़की लड़के से अधिक अच्छा स्वास्थ्य रखती है और कम ही बीमार होती है। लड़कियाँ तेजी से बड़ती हैं और लड़कों की तुलना में जल्दी ही वयस्क अवस्था में पहुँचती हैं।कों की तुलना में जल्दी ही वयस्क अवस्था में हैं।

ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वास्थ्य योजनाएँ – राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य समतापूर्ण, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना है, जो देश भर में महिलाओं सहित लोगों की जरूरतों के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी हैं। मुख्य कार्यक्रम घटकों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाना, प्रजनन–मातृ–नवजात–शिशु और किशोर स्वास्थ्य (आरएमएनसीएचए) और संक्रामक और गैर–संक्रामक रोग शामिल हैं।

स्वास्थ्य सेवाएँ सुनिश्चित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्यध्संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके समग्र संसाधन के भीतर उनके कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में उनके द्वारा प्रस्तुत आवश्यकताओं के आधार पर उनकी स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को मजबूत करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। देश में एनएचएम के तहत किए गए विभिन्न कार्यध्पहल इस प्रकार हैं:

आयुष्मान भारत – स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (एबी–एचडब्ल्यूसी): 1,50,000 उप–स्वास्थ्य केंद्र (एसएचसी), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (यूपीएचसी) को दिसंबर, 2022 तक आयुष्मान भारत–स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (एबी–एचडब्ल्यूसी) में तब्दील किया जा रहा है ताकि व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल (सीपीएचसी) के बारह पैकेज वितरित किए जा सकें जिनमें निवारक, प्रोत्साहक, उपचारात्मक, उपशामक और पुनर्वास सेवाएं शामिल हैं जो सार्वभौमिक, मुफ्त और समुदाय के करीब हैं। ये एबी–एचडब्ल्यूसी मौजूदा प्रजनन और बाल स्वास्थ्य (आरसीएच) सेवाओं और संचारी रोग सेवाओं का विस्तार और मजबूती प्रदान करके और गैर–संचारी रोगों (एनसीडी) से संबंधित सेवाओं को शामिल करके व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल (सीपीएचसी) प्रदान करेंगे, शुरुआत उच्च रक्तचाप, मधुमेह और

मौखिक, स्तन और गर्भाशय ग्रीवा के 3 सामान्य कैंसर जैसे सामान्य एनसीडी से की जाएगी। मानसिक स्वास्थ्य, ईएनटी, नेत्र विज्ञान, मौखिक स्वास्थ्य, वृद्धावस्था और उपशामक स्वास्थ्य देखभाल और आघात देखभाल के साथ-साथ योग जैसी स्वास्थ्य संवर्धन और कल्याण गतिविधियों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को क्रमिक रूप से जोड़ने की भी परिकल्पना की गई है। 1,50,000 के लक्ष्य के मुकाबले, 31 दिसंबर, 2022 तक देश में कुल 1,54,070 AB-HWC चालू हो चुके हैं।

राष्ट्रीय नि:शुल्क औषधि पहल : राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के स्तर के आधार पर आवश्यक औषधियां नि:शुल्क उपलब्ध कराने के लिए सहायता प्रदान की जाती है, जो इन सुविधाओं का उपयोग करने वाले सभी लोगों को नि:शुल्क उपलब्ध करायी जाती है।

नि:शुल्क निदान पहल (एफडीआई): इस पहल के अंतर्गत, 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों पर नि:शुल्क आवश्यक निदान सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान की गई।

राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवाएं (एनएएस): एनएचएम के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए एक कार्यात्मक राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा (एनएएस) नेटवर्क के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो एक केंद्रीकृत टोल-फ्री नंबर 108/102 से जुड़ा होता है।

मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयू) को विशेष रूप से दूरदराज, कठिन, कम सेवा वाले और पहुंच से वंचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उनके दरवाजे पर सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच की सुविधा प्रदान करने के लिए समर्थन दिया जाता है ताकि प्राथमिक देखभाल सेवाएं प्रदान की जा सकें।

एनएचएम के अंतर्गत देश भर में अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं और बच्चों सहित महिलाओं और बच्चों पर केंद्रित कुछ प्रमुख पहलें इस प्रकार हैं:

1. आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई), सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) के अनुसार देश में लगभग 10.74 करोड़ गरीब और कमजोर परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का इसके अलावा, मिशन परिवार विकास, किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लीनिक (AHFCs), साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड अनुपूरण (WIFS), मासिक धर्म स्वच्छता योजना, सुविधा आधारित नवजात शिशु देखभाल (FBNC), घर आधारित नवजात शिशु देखभाल कार्यक्रम, सामाजिक जागरूकता और निमोनिया को सफलतापूर्वक बेअसर करने के लिए कार्रवाई (SANNS), छोटे बच्चों के लिए घर आधारित देखभाल (HBYC), राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK), प्रारंभिक बचपन विकास (ECD), व्यापक गर्भपात देखभाल (CAC), एनीमिया मुक्त भारत (AMB) रणनीति, पोषण पुनर्वास केंद्र (NRC) कार्यक्रम जैसी पहलों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच बढ़ाने के लिए समर्थन दिया जाता है। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने, नए टीकों की शुरूआत के लिए भी समर्थन प्रदान किया जाता हैस्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है। स्वास्थ्य संघकिशोरों और युवा लोगों के स्वस्थ विकास और कल्याण के लिए व्यापक शिक्षा पर संयुक्त वक्तव्य: किशोर स्वास्थ्य अकादमी, भारतीय बाल चिकित्सा अकादमी, भारतीय प्रसूति और स्त्री रोग।
2. दक्षिण भारत में ट्रांसजेंडर महिलाओं के बीच सामाजिक और यौन नेटवर्किंग के लिए स्मार्टफोन का उपयोग: स्मार्टफोन-आधारित ऑनलाइन एचआईवी रोकथाम हस्तक्षेप विकसित करने दक्षिण भारत में ट्रांसजेंडर महिलाओं के बीच सामाजिक और यौन नेटवर्किंग के लिए स्मार्टफोन का उपयोग: स्मार्टफोन-आधारित ऑनलाइन एचआईवी रोकथाम हस्तक्षेप विकसित करने के निहितार्थ।
3. भारत में प्रजनन आयु (14-15) वर्ष समूह की महिलाओं में उच्च रक्तचाप के लिए बोझ और उपचार चाहने के व्यवहार में सामाजिक-आर्थिक और भौगोलिक असमानताएँ: राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधि सर्वेक्षण के निष्कर्ष।
4. पुत्र वरीयता, सुरक्षा चिंताएं और महिलाओं के विरुद्ध अपराध।
5. पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से निपटने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी: भारत में स्वास्थ्य सेवा।

सबसे लोकप्रिय :

1. सतत विकास लक्ष्यों।
2. धूम्रपान बंद करने में स्वास्थ्य व्यवहार मॉडल का अनुप्रयोग -एक व्यवस्थित समीक्षा।
3. भारत में कैंसर का बोझ: घटना दर पर एक सांख्यिकीय विश्लेषण।
4. भारत में शिशुओं के लिए गोजातीय दूध का उपयोग और आहार पद्धतियाँ।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. विश्व स्वास्थ्य संगठन। मातृ मृत्यु दर में रुझान: 1990 से 2015 तक। 2015 अंतिम बार 2020 अप्रैल 20 को एक्सेस किया गया जिनेवा विश्व स्वास्थ्य संगठन से।
2. भारत के महापंजीयक। भारत में मातृ मृत्यु दर पर विशेष बुलेटिन 2004-06। 2009अंतिम बार 2020 अप्रैल।
3. विश्व स्वास्थ्य संगठन। मातृ मृत्यु दर 2000-2017। 2019अंतिम बार 2020 अप्रैल 20 को एक्सेस किया गया जिनेवा विश्व स्वास्थ्य संगठन से।
4. भारत के महापंजीयक का कार्यालय। भारत में मातृ मृत्यु दर पर विशेष बुलेटिन 2015-17। 2019अंतिम बार 2020 अप्रैल 21 को एक्सेस किया गया नई दिल्ली गृह मंत्रालय से।
5. अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-4)। 2016अंतिम बार 2020 अप्रैल 21 को एक्सेस किया गया नई दिल्ली स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय यहाँ से।
6. यूनिसेफ। महिला पोषण। 2020अंतिम बार 2020 अप्रैल 20 को एक्सेस किया गया, नई दिल्ली यूनिसेफ।
7. मूर्ति एस.आर. भारतीय राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-2016 भारतीय मनोरोग विज्ञान जर्नल।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

कर्मचारी प्रतिधारण : एक सामाजिक-आर्थिक विवेचन

साक्षी शर्मा * डॉ. अक्षिता तिवारी**

* शोधार्थी (वाणिज्य) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
** सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) लोकमान्य तिलक विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – कर्मचारी व्यवसाय के लिए रीढ़ की हड्डी के समान है। कुशल कर्मचारी व्यवसाय को सफलता के उच्चतम शिखर तक ले जाते है। व्यवसाय का दायित्व है, कि वह अपने योग्य व कुशल कर्मचारियों को प्रतिधारित करके रखे। मानव एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहते हुए सामाजिक गतिविधियों से प्रभावित होता है। वह अपने आर्थिक हित के साथ-साथ सामाजिक हित की भी परिकल्पना करता है।वह उसी संस्था में बने रहना चाहता है, जहाँ उसे अपनी ये दोनों प्रत्याशा पूर्ण होती दिखाई देती है। इस शोध-पत्र का उद्देश्य कर्मचारी प्रतिधारण को प्रभावित करने वाले सामाजिक - आर्थिक कारकों का अध्ययन करना है। शोध अध्ययन हेतु प्रश्नावली का प्रयोग किया गया। अध्ययन के दौरान पाया गया, कि कर्मचारी गतिशीलता का मुख्य कारण उचित वेतन में कमी है। कर्मचारी प्रतिधारण हेतु बेहतर कार्य वातावरण, मान-सम्मान, कार्य संबंधी अधिकार व प्रशंसा आदि का होना अत्यंत आवश्यक है।

शब्द कुंजी – कर्मचारी प्रतिधारण, कर्मचारी गतिशीलता, सामाजिक-आर्थिक कारक।

प्रस्तावना – वर्तमान युग औद्योगिकरण का युग है। औद्योगिक इकाईयाँ पूरे विश्व में अपना सर्वोच्च स्थापित करना चाहती है। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह संस्था स्थल पर अथक प्रयास करती है। उनके इस प्रयास में संस्था के कर्मचारी, पर्यविक्षक व प्रबंधक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। कर्मचारियों की कार्यकुशलता व प्रबंधकों की नेतृत्व क्षमता ही संस्था के प्रत्येक उद्देश्य की पूर्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। अत: संस्था का दायित्व है, कि वह अपने कुशल कर्मचारियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करें एवं उन्हें कार्य संतुष्टि प्रदान करें।

संस्था कर्मचारियों की भर्ती से लेकर उनके प्रशिक्षण तक की प्रक्रिया पर अपना धन व्यय करती है। श्रम लागत के द्वारा संस्था भविष्य में अधिक लाभ कमाने की प्रत्याशा रखती है। यदि प्रशिक्षित कर्मचारी संस्था से पृथक हो जाते है,तो संस्था न केवल अल्प उत्पादन क्षमता का सामना करती है; बल्कि वह एक प्रशिक्षित व कार्यकुशल मानव सम्पत्ति भी खो देती है। अत: कर्मचारी गतिशीलता को रोकना अत्यंत आवश्यक है।

साथ ही कर्मचारी किसी संस्था में प्रवेश के समय अपने मानसिक पटल पर कई सपनों को लेकर आता है। यदि उसे संस्था में अपने सपने पूरे होते नहीं दिखते अर्थात् वह अपने कार्य से संतुष्ट नहीं होता; तो इस स्थिति में उसके भीतर कार्य के प्रति नकारात्मकता आ जाती है। वे अपना कार्य पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से नहीं कर पाते। और नये कार्य की तलाश में अन्य संस्था की ओर गतिशील हो जाते है। कर्मचारी उसी संस्था में बने रहना चाहते है जहाँ उनकी सारी आवश्यकतायें पूर्ति हो सके।

प्रस्तुत शोध-पत्र द्वारा कर्मचारियों की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं व महत्वकांक्षाओं को जानने का प्रयास किया गया है। कर्मचारी मुख्य रूप से दो कारकों से प्रभावित होते है- सामाजिक कारक व आर्थिक कारक। अधिकांश कर्मचारी प्राथमिक रूप से आर्थिक कारक को पहले प्राप्त करना चाहते है। इसके पश्चात वह सामाजिक कारक की अभिलाषा रखते है। अत: कर्मचारियों को कार्य के प्रति अभिप्रेरित करना, उनके मनोबल में वृद्धि करना, उनके आत्मसम्मान की रक्षा करना एवं उनके सर्वांगीण विकास के लिए अवसर प्रदान करना संस्था का मुख्य दायित्व है।

अध्ययन के दौरान पाया गया, कि अधिकतर कर्मचारी वित्तीय प्रोत्साहन को महत्व देते है। वे उसी संस्था में बने रहना चाहते है; जो उन्हें उचित वेतन, बोनस व अतिरिक्त आय कमाने का अवसर प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त वे गैर - वित्तीय प्रोत्साहन को भी आवश्यक मानते है। गैर-वित्तीय प्रोत्साहन का संबंध प्रत्यक्ष रूप से कर्मचारी की मानसिक अभिप्रेरणा से है क्योंकि यह उन्हें तनावमुक्त कार्य वातावरण प्रदान करने में सक्षम है।

शोध - समीक्षा

C K Gomathy et al. (2022)."The Study on Employee Retentions and its Strategies" अध्ययन के दौरान पाया गया कि,संस्था की स्थापनाके साथ ही कर्मचारी प्रतिधारण हेतु रणनीतियाँ बना ली जानी चाहिए। संस्था के विजन, मिशन व नीतियों में ही कर्मचारी प्रतिधारण का समावेश होना चाहिए। उच्च कर्मचारी गतिशीलता के कारण संस्था में योग्य कर्मचारी की कमी, अल्प उत्पादकता एवं मनोबल में कमी आ जाती है। अत: कर्मचारी प्रतिधारण हेतु बेहतर कार्य-वातावरण, कुशल नेतृत्व, उचित व निष्पक्ष वेतन एवं करियर हेतु अवसरों की उपलब्धता आवश्यक है।

M. Ramapriya& S. Sudhamathi (2020)."Theory of Employee Retention Strategies" लेखक द्वारा रणनीतिक मानव संसाधन प्रबंध के महत्व को बताते हुए कहा गया कि कर्मचारी प्रतिधारण हेतु मुख्य रूप से पाँच कारक अपना विशेष योगदान देते है। इसके अंतर्गत -प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक कर्मचारी से सम्मानजनक व्यवहार, उचित वेतन व प्रोत्साहन, कर्मचारी व प्रबंधक के मध्य विश्वास, कार्य-सुरक्षा, कर्मचारी की योग्यता व कुशलता का उचित प्रयोग एवं प्रशिक्षण व विकास कार्यक्रम

आदि को शामिल किया गया। निष्कर्ष के रूप में कहा गया है कि कर्मचारी प्रतिधारण का सर्वश्रेष्ठ उपाय कर्मचारी की आवश्यकता व उसकी आकांक्षाओं को जानना एवं उन आवश्यकताओं की पूर्ति करना है।

S. Ulhas Gorde (2019)."A Study of Employee Retention" समीक्षा के दौरान पाया गया, कि कर्मचारी गतिशीलता का मुख्य कारण पर्यविक्षक व अन्य सहकर्मी से मतभेद एवं निराशा का होना है। उचित कार्य की कमी, कार्य योग्यतानुसार न होना, करियर संबंधी अवसरों में कमी व प्रोत्साहन एवं प्रशंसा में कमी की दशा में कर्मचारी उस संस्था से अलग हो जाते है। अत: संस्था द्वारा कर्मचारियों को प्रतिधारित करने के लिए निम्न प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए- कर्मचारी आवर्त लागत की गणना करना, कर्मचारी गतिशीलता के कारणों का पता लगाना एवं कर्मचारी प्रतिधारण हेतु योजनायें बनाना। कर्मचारी प्रतिधारण हेतु उचित वेतन, कार्य स्थल पर करियर संबंधी अवसरों की पूर्ति, प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं आकर्षक प्रोत्साहन योजना आदि प्रदान करना है।

शोध कार्य का उद्देश्य -कर्मचारी प्रतिधारण को निर्धारित करने में सामाजिक व आर्थिक दोनों ही कारक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। अत: कर्मचारी प्रतिधारण के उद्देश्य निम्नानुसार है-

1. कर्मचारी प्रतिधारण को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारकों का अध्ययन करना।
2. कर्मचारी प्रतिधारण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि - शोध प्रविधि शोध कार्य का मार्गदर्शन करती है। इस शोध कार्य हेतु मध्यप्रदेश में स्थित रायसेन जिले के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र मण्डीदीप का चयन किया गया। मण्डीदीप में उपस्थित विभिन्न उद्योगों में से विनिर्माण क्षेत्र में कार्यरत उद्योगों का चुनाव यादृच्छिक रूप से किया गया। शोध कार्य हेतु प्राथमिक व द्वितीयक दोनों समंकों का प्रयोग किया गया। यह शोध मुख्यत: प्राथमिक समंक पर आधारित है।आंकड़ों का संग्रह प्रश्नावली के द्वारा किया गया। शोध क्षेत्र से 88% प्रतिदर्श का चुनाव किया गया। प्रतिदर्श में प्रबंध के दोनों स्तरों को शामिल किया गया। इसके अंतर्गत प्रबंधक,पर्यविक्षक एंव कर्मचारियों का चयन किया गया।

कर्मचारी प्रतिधारण हेतु सामाजिक - आर्थिक कारक - कर्मचारी प्रतिधारण हेतु संस्था द्वारा भिन्न-भिन्न रणनीतियाँ बनाई जाती है। कर्मचारी उन संस्थाओं को अधिक महत्व देते है जो उनकी सामाजिक व आर्थिक दोनों ही आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। अत: सामाजिक - आर्थिक कारकों में वह निम्न कारकों को विशेष महत्व देते है-

1. **आर्थिक- सुरक्षा-** कर्मचारी प्रमुख रूप से आर्थिक सुरक्षा की आशा करते है। वह उसी उद्योग का चुनाव करते है जहाँ उन्हें उचित वेतन, बोनस व अन्य आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। यह शोध अध्ययन स्पष्ट करता है, कि लगभग 84% कर्मचारी ऐसी कम्पनी का हिस्सा बनना चाहते है; जहाँ उन्हें उचित वेतन प्राप्त हो।

2. **कार्य- सुरक्षा-** औद्योगिक जगत में निरंतर बढ़ रही प्रतियोगिता ने कर्मचारियों को तनावग्रस्त कर दिया है। कर्मचारी उचित वेतन के साथ-साथ कार्य-सुरक्षा की भी आशा रखते है। वह उसी संस्था का हिस्सा बनना चाहते है, जहाँ उनका कार्य सुरक्षित हो। जिससे वह सरलता से अपनी आजीविका का निर्वहन कर सके।

3. **कार्य-वातावरण-** कार्य-वातावरण में दो प्रकार के वातावरण को शामिल किया जाता है। जिसमें पहला; भौतिक वातावरण(स्वच्छ कार्य स्थल, अनुकूल कार्य, समस्त भौतिक सुविधायें) एवं दूसरा; अभौतिक अथवा मानसिक वातावरण (कर्मचारी व प्रबंधक का संबंध, तनावमुक्त कार्य, मतभेद का निराकरण, प्रबंधक द्वारा सहयोग) है। भौतिक वातावरण के साथ साथ मानसिक वातावरण का होना भी आवश्यक है।

4. **सामाजिक-उत्तरदायित्व-**कर्मचारी अपनी संस्था से यह आशा रखते है कि वह उनके साथ -साथ उनके परिवार, समाज, व राष्ट्र के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। सामाजिक-उत्तरदायित्व के निर्वहन द्वारा कम्पनी अपने कर्मचारी व समाज के समक्ष अपनी छवि का निर्माण करती है। जिसका लाभ उसे दीर्घकाल तक प्राप्त होता रहता है।

शोध आंकड़ों का विश्लेषण एवं विवेचन - यह शोध अध्ययन कर्मचारी के दृष्टिकोण से सामाजिक-आर्थिक कारकों की व्याख्या करता है। कर्मचारी अपनी संस्था से इन दोनों ही कारकों की प्रतिपूर्ति की अपेक्षा रखता है। सामाजिक व आर्थिक कारक कर्मचारी प्रतिधारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। अत: शोध क्षेत्र के आंकड़ों का विवरण व परिणाम निम्नानुसार है -

तालिका क्र. 1: कर्मचारियों की व्यक्तिगत एवं पेशेवर जानकारी

क्र.	कर्मचारी की जानकारी	कुल कर्मचारी (44)	
		कर्मचारी की संख्या	%
	व्यक्तिगत जानकारी		
1.	लिंग		
	पुरूष	37	84
	महिला	7	16
2.	आयु		
	20 वर्ष से कम	4	10
	20-25 वर्ष	9	20
	25-30 वर्ष	9	20
	30 वर्ष से अधिक	22	50
3.	शैक्षणिक योग्यता		
	हाई स्कूल	17	39
	हायर सेकेंडरी	12	27
	स्नातक	8	18
	स्नातकोत्तर	7	16
4.	वैवाहिकस्थिति		
	विवाहित	29	66
	अविवाहित	15	34
	पेशेवर जानकारी		
5.	पद		
	प्रबंधक	5	11
	पर्यविक्षक	9	20
	कर्मचारी	30	69
6.	आय		
	8000 से कम	2	4
	8000-10000	6	14
	10000-12000	7	16
	12000 से अधिक	29	66

7.	कार्यरत		
	वर्ष 0-2 वर्ष	8	18
	2-4 वर्ष	7	16
	4-6 वर्ष	8	18
	6 वर्ष से अधिक	21	48
8.	संस्थागत गतिशीलता		
	1	23	52
	2	15	34
	3	3	7
	4 से अधिक	3	7

चार्ट क्र. 1: कर्मचारियों की व्यक्तिगत जानकारी

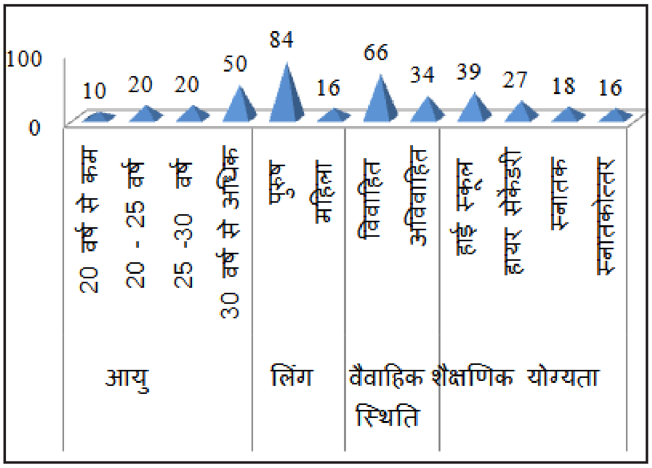

चार्ट क्र. 2: कर्मचारियों की पेशेवर जानकारी

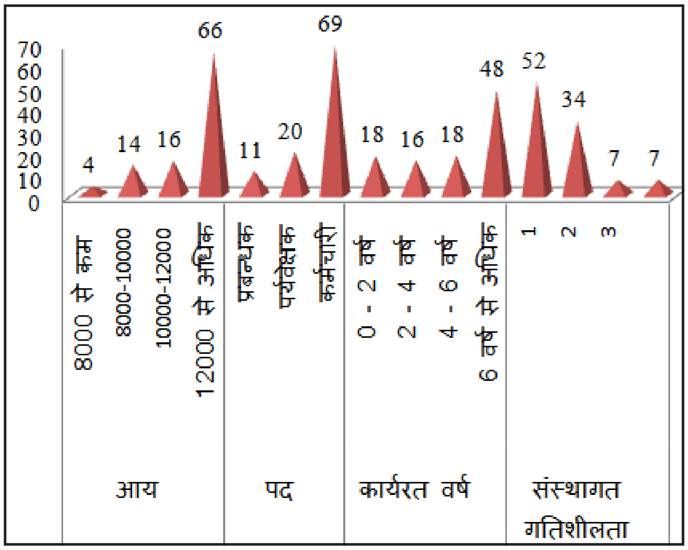

तालिका क्र. 2 (अगले पृष्ठ पर देखे)
चार्ट क्र. 3 (अगले पृष्ठ पर देखे)

कर्मचारी प्रतिधारण हेतु सुझाव:

1. वित्तीय प्रोत्साहन में वृद्धि के साथ-साथ गैर-वित्तीय प्रोत्साहन को भी बढ़ाया जाना चाहिए।
2. कार्यस्थल पर तनावमुक्त वातावरण स्थापित करना चाहिए। जिससे कर्मचारी पूर्ण कार्यकुशलता से कार्य कर सके।
3. सभी कर्मचारियों, पर्यवेक्षकों व प्रबंधकों को कार्य संबंधी प्रशिक्षण के अतिरिक्त उनके व्यक्तित्व विकास हेतु विकास कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए।
4. एक निश्चित समयांतराल में कर्मचारियों के कार्य व उनकी योग्यतानुसार पदोन्नति की जानी चाहिए।
5. कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण कर उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए।
6. कर्मचारियों को उचित मान-सम्मान मिलना चाहिए।
7. कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि करने के लिए अभिप्रेरणा के नवीन उपकरणों (अतिरिक्त आय, कार्य-संबंधी अधिकार, कार्य संबंधी निर्णय, उपहार आदि) का प्रयोग करना चाहिए।
8. कर्मचारियों के परिवार हेतु विशेष योजना (बच्चों के लिए छात्रवृत्ति, कम्पनी टूर पैकेज) बनायी जानी चाहिए।

निष्कर्ष - संतुष्ट कर्मचारी ही सफल व्यवसाय का द्योतक है। वर्तमान समय में संस्था कर्मचारियों को केवल वित्तीय प्रोत्साहन देकर संतुष्ट नहीं कर सकती, बल्कि उसे अपने कर्मचारियों की गैर-वित्तीय आवश्यकताओं की भी पूर्ति करनी होगी। कर्मचारी की गतिशीलता को कम करने में इन दोनों ही अभिप्रेरकों का होना अति-आवश्यक है। आर्थिक व सामाजिक कारकों का कर्मचारी प्रतिधारण से सीधा संबंध है। कर्मचारी संस्था में बने रहने के लिए आर्थिक कारकों को अधिक महत्व देते है, क्योंकि यह उनके जीवन स्तर को बढ़ाने में सहायता करता है।साथ ही वह कार्य-सुरक्षा, कार्य वातावरण एवं अतिरिक्त सुविधाओं की भी अपेक्षा रखते है। अत: कर्मचारी प्रतिधारण हेतु सामाजिक कारक भी अपना विशेष योगदान देते है। अत: निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है, कि कर्मचारी प्रतिधारण हेतु सामाजिक व आर्थिक दोनों ही कारकों का होना अनिवार्य है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Gomathy, C K., Raghavendra., Charan, Tenepalli., & Bhaskar, D.(2022). `The Study on Employee Retentions and Its Strategies'. *International Journal of Scientific Research in Engineering and Management (IJSREM)*. 6(4), 1-5, 2582-3930. www.research gate.com
2. Ramapriya, M., & Sudhamathi, S. (2020). `Theory of Employee Retention Strategies.' Journal *of Interdisciplinary Cycle Research*. 12(2), 1112-1118,0022-1945. www.researchgate.com
3. Ulhas Gorde, Sangita. (2019). `A Study of Employee Retention'.*Journal of Emerging Technologies and Innovative Research*. 6(6), 331-337, 2349-5162. www.jetir.org
4. www.qualtrics.com

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

तालिका क्र. 2: कर्मचारी को प्रभावित करने वाले सामाजिक-आर्थिक कारकों का वर्गीकरण

कारक	पूर्णत: असहमत (%)	असहमत (%)	न सहमत न असहमत (%)	सहमत (%)	पूर्णत: सहमत (%)	योग(%)
वेतन	0	7	2	23	68	100
कार्य वातावरण	2	0	7	14	77	100
कार्य समय	0	0	2	34	64	100
समान व्यवहार	0	0	0	29	71	100
सहकर्मी का व्यवहार	0	0	0	18	82	100

चार्ट क्र. 3: कर्मचारी को प्रभावित करने वाले सामाजिक-आर्थिक कारकों का वर्गीकरण

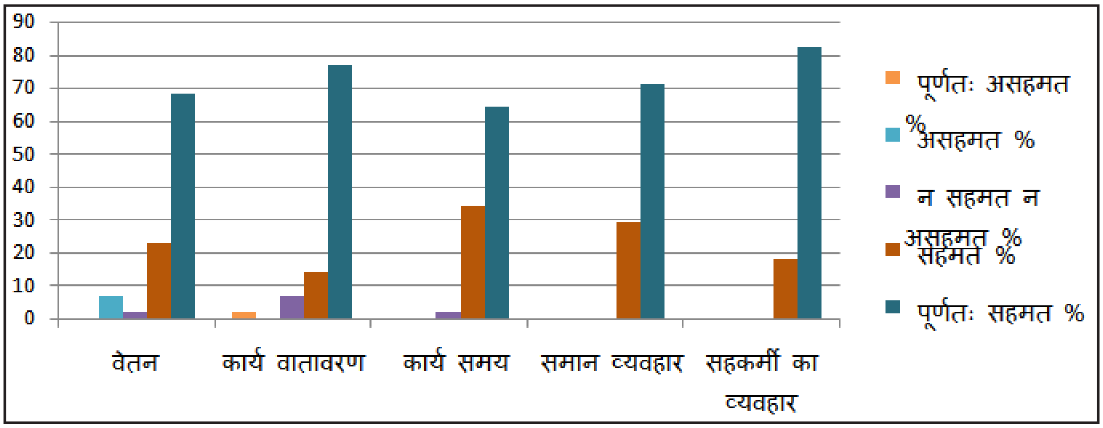

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

केदारनाथ अग्रवाल के काव्य में प्रकृति-चित्रण

डॉ. ज्योति सिंह* शिवऔतार**

* प्राध्यापक (हिंदी) शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी (हिंदी) अवधेश प्रताप सिंहविश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – केदारनाथ अग्रवाल के काव्य में प्रकृति चित्रण इस शोध पत्र का वर्ण्य विषय है। इसकी शोध परक विवेचना करने के पूर्व इसके सार रूप पर संक्षिप्त प्रकाश डालना उचित प्रतीत होता है। केदारनाथ अग्रवाल के काव्य में प्रकृति चित्रण की यथार्थ परक झांकी देखी जा सकती है। इस शोध लेख में केदारनाथ अग्रवाल के काव्य में प्रकृति चित्रणकी शोधात्मक विवेचना की गई है। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिशील काव्य-भवन के सुस्पष्ट स्तम्भ हैं। केदार की प्रगतिशीलता अन्यों की प्रगतिशीलता से भिन्न है। उनका अद्‌भुत प्रकृति-चित्रण उन्हे अन्यों से अलग खडा कर देता है। प्रकृति के चित्रांकन में कवि हैं जो मिलकर रंगारंग हो गये हैं। वास्तव में नियंता की इस सुन्दर सृष्टि में प्रकृति मानव की अमर सहचरी रही है। प्रकृति की गोद में ही पलकर मानव संसार के सौंदर्य का संदर्शन करता है। आदि ग्रन्थ वैदिक साहित्य में प्राप्त प्राकृतिक तत्वों के अत्यधिक वर्णन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि प्रारम्भ से ही प्रकृति से कितना अटूट अनुराग रहा है। आदिकाल से ही प्रकृति ने मानव जीवन को अनेक रूपों में प्रभावित किया है। मानव का अन्तर और वाह्य प्राकृतिक रूप सौंदर्य से अभिभूत रहा है। प्रकृति के संवेदनशील नाना रूपात्मक व गतिशील रूप को देखकर कभी मानव मन विस्मय से तो कभी जिज्ञासा की भावना से भर उठा है। कहने का आशय यह है कि प्रकृति ने आदिकाल से आज तक मानवीय चेतना और साहित्य को अत्यधिक प्रभावित किया है। दूसरों से कुछ अलग हटकर उनके द्वारा उपस्थित किया गया प्रकृति का मनहर सदृश्य, किस रसज्ञ के मन को मुग्ध करनें में समर्थ नही होगा प्रकृति चित्रण के इसी वैशिष्ट्य से अभिभूत होकर मेरे मन में 'केदार काव्य में प्रकृति-चित्रण' शोध-पत्र लिखने की प्रेरणा जगी।

आलम्बन रूप में पंकृति चित्रण-जहाँ कवि प्रकृति को आलम्बन बनाकर विविध प्रकार से प्रकृति वर्णन करता है वहाँ आलम्बन रूप में प्रकृति चित्रण माना जाता है कवि ने 'चन्द्र गहना से लौटती बेर' शीर्षक कविता मे चने के पेड़ का स्वतन्त्र चित्रण कर प्रकृति का आलम्बन रूप दर्शाया है उदाहरण द्दष्टव्य है-

'देख आया चन्द्र गहना।
देखता हूँ द्दश्य अब मैं
मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला।
एक बीते के बराबर
यह हरा ठिगना चना,
बाँधे मुरैठा शीश पर
छोटे गुलाबी फूल का,
सज कर खड़ा है।'[1]

'प्रात-चित्र कविता' मे कवि ने रवि का आलम्बन रूप में चित्रण किया है-

'रवि-मोर सुनहरा निकाला,
पर खोल सबेरा नाचा,
भू-भारकनक गिरि पिघला,
भूगोल मही का बदला।
नवजात उजेला दौड़ा,
कन-कन बन गया रूपहला।
मधुगीत पवन ने गाया,
संगीत हुई यह धरती,
हर फूल जगा मुसकाराया।'[2]

कवि केदार ने 'खेत का द्दश्य' कविता में खेत के द्दश्य का वर्णन आलम्बन रूप में किया है। उसको स्वतन्त्र प्रकृति चित्रण के रूप में देखा जा सकता है-

'आसमान की ओढ़नी ओढ़े,
धानी पहने
फसल घँघरिया,
राधा बन कर धरती नाची,
नाचा हँसमुख
कृषक सँवरिया।
माती थाप हवा की पड़ती,
पेडों की बज
रहीढुलकिया
जी भर फाग पखेरू गाते,
ढरकी रस की
राग-गगरिया।'[3]

'वंसत' नामक कविता में कवि ने वंसन्त का आलम्बन रूप में चित्रण कर आलम्बन रूप को प्रदर्शित किया है उदाहरण द्दष्टव्य है

हिम से हत संकुचित प्रकृति अब फूली
रूप-राग-रस गंध-भार भर झूली
रंगो से अभिभूत हुई चट्टानें
जड़ता में जागीं जीवन की ताने

नभ में भी आलोक–नील गहराया
सागर ने संगीत तरंगित गाया
आठ रूप शिव के, समाधि को त्यागे
मृण्मय अवनी के अंगो में जागे
वासंतिक वैभव यौवन पर आया
हरा–भरा संसार खिला मुसकाया।'[4]

कवि केदार को प्रकृति से अतिशय अनुराग है। कोयल की मधुर ध्वनि से कवि का हृदय–प्रसून प्रस्फुटित हो उठता है। उसकी जिजिविषा जाग उठती है।

कोयल कुहुकी
फिर फिर कुहुकी
रह–रह कर फिर फिर कुहुकेगी
बिन कुहुके वह नही रहेगी
चाहे जितना उत्तपित हो
आतप से वह संतापित हो।'[5]

'फूल नहीं रंग बोलते हैं' काव्य संग्रह में कवि ने चिडिया का आलम्बन रूप में चित्रण किया है।

'वह चिड़िया जो
चोंच मार कर
दूध–भरे जुण्डी के दाने
रूचि से रस से खा लेती है
वह छोटी संतोषी चिड़िया
नीले पंखो वाली मै हूँ
मुझे अन्न से बहुत प्यार है।'[6]

जहाँ प्रकृति मानवीय भावनाओं को उद्दीप्त हुई अंकित की जाती है वहाँ प्रकृति चित्रण उद्दीपन के रूप में कहा जाता है। कवि संयोग और वियोग दोनो ही अवसरों पर भावों को उद्दीप्त करने के लिए प्रकृति का प्रयोग करता है कवि केदार ने भी प्रकृति के उद्दीपन रूप की अत्यन्त चित्तकर्षक झाकियाँ प्रस्तुत की है सुग्गे और सारस का स्वर कवि की प्रेम भावना को उद्दीप्त करते है।

'सुन पड़ता है
मीठा–मीठा रस टपकता
सुग्गे का स्वर
टें टें टें टें,
सुन पड़ता है
वनस्थली का हृदय चीरता,
उठता गिरता,
सारस का स्वर
टिरटो टिरटों
मन होता है
उड़ जाऊँ मैं
पर फैलाये सारस के संग
जहाँ जुगुल जोड़ी रहती है
हरे खेत में,
सच्ची प्रेम कहानी सुन लूँ
चुप्पे–चुप्पे।'[7]

जैसे ही धूप आती है कवि को लगता है उसकी प्रेयसी आई है। कवि ने धूप का उद्दीपन रूप में चित्रण किया है–

'हे मेरी तुम
आज धूप जैसे आई
और दुपट्टा
उसने मेरी छत पर रक्खा
मैंने समझा तुम आयी हो।
दौडा मैंने तुमसे मिलने को
लेकिन मैंने तुम्हे न देखा
बार–बार आंखो से खोजा
वही दुपट्टा मैंने देखा
अपनी छत के ऊपर रक्खा।'[8]

कवि केदार नाथ अग्रवाल को प्रकृति नारी के रूप में ही सर्वाधिक दिखती है। कवि कभी तो प्रकृति पर कल्पना के अनेक रंग छिड़कता है और कभी निस्पन्द दृष्टि से निहारता है। नारी को प्रकृति का उपादान मानकर उसका जमकर चित्रण किया है प्रकृति को वे प्रिया मानते हैं और वे इसी प्रिया से प्रेरणा लेकर काव्य–सृजन हेतु समर्पित हुए–

'कविता यों ही बन जाती है
बिना बनाये
क्योंकि हृदय में तड़प रही है
याद तुम्हारी।'[9]

कवि खेत की मेड़ पर अकेले बैठा है और अलसी का नारी रूप उद्घाटित करते हुए कहता है कि चने के पेड़ के पास ही हठीली अलसी भी उगी है जो देह की पतली और कमर की लचीली है, वह सिर पर नीले फूले चढाकर मानो यह कह रही है कि जो मुझे छुयेगा उसे मै हृदय का दान दूँगी इसी प्रकार उन्होने सरसों का भी बड़ा मोहक नारी रूप प्रस्तुत किया है। प्रकृति के ये नारी रूप इन पंक्तियों में दृष्टव्य हैं–

'पास ही मिल कर उगी है
बीच में असली हठीली
देह की पतली, कमर की है लचीली,
नीले फूल को सिर पर चढ़ा कर
कह रही है, जो हुये यह
दूँ हृदय का दान उसको।
और सरसों की न पूछों–
हो गयी सबसे सयानी,
हाथ पीले कर लिये है
व्याह–मंडप में पधारी।'[10]

केदार नाथ अग्रवाल जी का प्रकृति–चित्रण प्रगतिवादी तेवर को लिए छायावादी कवियों से भिन्न है उनके प्रकृति निरूपण में यथार्थता एवं ग्रामीण परिवेश का सम्पूर्ण चित्रण मिलता है। 'खेत का दृश्य' नामक कविता में फसल और धरती को नारी रूप में चित्रित करती हुयी ये पक्तियाँ देखी जा सकती है–

'आसमान की ओढ़नी ओढ़े
धानी पहने
फसल धँधरिया,
राधा बन कर धरती नाची,
नाचा हँसमुख

कृषक सँवरिया।'[11]

कवि को तो पैरों से लिपिटी हुयी धूल गाँव की गोरी जैसी लगती है जो उपेक्षित होकर नीचे पड़ी हुयी है और जिसे इस अनुपयुक्त ठौर से किसी ने भी नही उठाया। यहाँ धूल का नारी रूप प्रदर्शित है

'लिपट गयी तो धूल पाँव से
वह गोरी है इसी गांव की
जिसे उठाया नही किसी ने
इस कुठाव से।'[12]

कवि ने धूप नामक कविता में धूप को नारी रूप में चित्रित किया है चाँदी की साड़ी पहने धूप चमकती है। वह मायके में आई बेटी की तरह प्रसन्न है। इस कविता में कवि ने सरसों को भी नारी रूप में रूपायित किया है।

'धूप चमकती है चाँदी की साड़ी पहने
मैके में आयी बेटी की तरह मगन है
फूली सरसों की छाती से लिपट गयी है
जैसे दो हमजोली सखियाँ गले मिली हैं।'[13]

निष्कर्ष – इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि केदारनाथ अग्रवाल के काव्य में प्रकृति चित्रण, अत्यंत विकसित है। केदार नाथ अग्रवाल का प्रकृति से अटूट सम्बन्ध और अपरिमित प्रेम है इसलिए कवि ने हर तेवर से प्रकृति को ग्रहण किया है और प्रकृति के अवलम्बन से केदार ने उत्कृष्ट काव्य सृजन करके समाज को समर्पित किया।कवि के अद्भुत प्रकृति चित्रण पर उनके विद्धान सर्जक विमुग्ध हुए। कतिपय कविमनीषियों द्धारा केदार के प्रकृति प्रेम पर की गयी महत्वपूर्ण टिप्पणियों का यहाँ उल्लेख करना भी समीचीन है। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानन्दन पन्त अपने अभिमत में कहते हैं। केदार हृदय के सहज कवि हैं। अपनी कविताओं में वे निरन्तर सहजता की रक्षा कर सके हैं किन्तु वे मात्र सरल कवि नही है, गूढ़ भी है। अपने काव्य में उन्होने नदी संवेदनाओं को वाणी दी है। उनकी प्रकृति सम्बन्धी कविताओं में भी जीवन के प्रति एक गहरा ममत्व प्राप्त होता है। इस प्रकार उक्त शोधपत्र की शोधात्मक विवेचना से यह स्पष्ट हो जाता है कि केदारनाथ अग्रवाल के काव्य में प्रकृति चित्रण की चेतनाएँ विद्यमान हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. फूल नही रंग बोलते है – केदार नाथ अग्रवाल, प्र0सं0–02, परिमल प्रकाशन, इलाहाबाद, सन्–1965
2. फूल नही रंग बोलते है – केदार नाथ अग्रवाल, प्र0सं0–30, परिमल प्रकाशन, इलाहाबाद, सन्–1965
3. फूल नही रंग बोलते है – केदार नाथ अग्रवाल, प्र0सं0–31, परिमल प्रकाशन, इलाहाबाद, सन्–1965
4. फूल नही रंग बोलते है – केदार नाथ अग्रवाल, प्र0सं0–37, परिमल प्रकाशन, इलाहाबाद, सन्–1965
5. बोले बोल अबोल–केदार नाथ अग्रवाल, प्र0सं0–127, परिमल प्रकाशन, इलाहाबाद, सन्–1985
6. फूल नही रंग बोलते है – केदार नाथ अग्रवाल, प्र0सं0–101, परिमल प्रकाशन, इलाहाबाद, सन्–1965
7. फूल नही रंग बोलते है – केदार नाथ अग्रवाल, प्र0सं0–19, परिमल प्रकाशन, इलाहाबाद, सन्–1965
8. फूल नही रंग बोलते है – केदार नाथ अग्रवाल, प्र0सं0–52, परिमल प्रकाशन, इलाहाबाद, सन्–1965
9. समीक्षाएँ एवं मूल्यांकन–रामचद्र मालवीय, प्र0सं0–47,48 शब्दपीठ मालवीय, सन्–1980
10. फूल नही रंग बोलते है– केदार नाथ अग्रवाल, प्र0सं0–17, परिमल प्रकाशन, इलाहाबाद, सन्–1965
11. फूल नही रंग बोलते है – केदार नाथ अग्रवाल, प्र0सं0–31, परिमल प्रकाशन, इलाहाबाद, सन्–1965
12. फूल नही रंग बोलते है– केदार नाथ अग्रवाल, प्र0सं0–49, परिमल प्रकाशन, इलाहाबाद, सन्–1965
13. फूल नही रंग बोलते है– केदार नाथ अग्रवाल, प्र0सं0–63, परिमल प्रकाशन, इलाहाबाद, सन्–1965

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

A Brief Study of Environment Friendly Chemicals Green Chemistry

Mrs. Parul Singh*

***Assistant Professor (Chemistry) Dr. A.P.J. Abdul Kalam University, Indore (M.P.) INDIA**

Abstract - Green chemistry reduces the amount of pollutants present in the environment. Green chemistry refers to the application of scientific knowledge to reduce harmful substances through developmental activities. Green chemistry (also called sustainable chemistry) is known as a field of chemistry that focuses on designing products and processes that eliminate or reduce the use and production of hazardous substances. It is a unique approach to developing alternative green and sustainable technologies. As there has been an increase in the use of fertilizers and pesticides to become self-sufficient in terms of food production. Over-exploitation of soil and use of excessive pesticides and fertilizers have deteriorated the quality of soil, air and water. We can discover methods that will help in reducing pollution.

Introduction - Green chemistry, also known as eco-friendly chemistry or sustainable chemistry, is a type of chemistry that is environmentally friendly. The definition of green chemistry proposed by scientists Paul Anastas and John Warner, in which they described green chemistry as the creation of chemical products and processes that reduce or eliminate the use and production of hazardous compounds, most likely is the accepted definition.

Green chemistry is the process of thinking about and using existing skills and knowledge to reduce the harmful effects of pollution on the environment. During any production process, by-products are generated, which are mainly harmful, and if not used appropriately, they cause environmental pollution. Green chemistry is playing an important role in making the environment clean and pure. The use of knowledge to reduce chemical hazards with development activities is the basis of green chemistry or sustainable chemistry.

Green chemistry is an alternative means of reducing pollution - Twelve Principles of Green Chemistry - It is true that green chemistry is an alternative means of reducing pollution. The following principles justify it.

1. Prevention – It is better to prevent garbage than to clean it. This helps in inefficient use of resources and prevents wastage.
2. Nuclear economy – Innovation of synthetic methods to incorporate all the materials used in the process into the final product. This will reduce waste production.
3. Less hazardous chemical synthesis – Synthetic technologies should avoid the use or production of substances toxic to human health or the environment.
4. Design of safe chemicals – Chemical products should be designed to achieve their desired function while being as non-toxic as possible. Minimizing toxicity, as well as maintaining function and efficacy, can be one of the most challenging things in designing safe products and processes. Achieving this goal requires an understanding of not only chemistry but also the principles of toxicology and environmental science. Chemists often use these highly reactive chemicals to manufacture products. Therefore, designing safe chemicals requires complete knowledge along with excellent skills.
5. Safe solvents and excipients – excipients should be avoided wherever possible, and used in a non-hazardous manner as far as possible.
6. Design for energy efficiency – Energy requirements should be identified according to their environmental and economic impacts, and efforts should be made to reduce them. Energy processes should be conducted at ambient pressure and temperature whenever possible.
7. Use of renewable feedstocks – Whenever technically and economically practical, renewable feedstocks or raw materials should always be preferred over non-renewable ones. Having all of our future fuels, chemicals and materials made from renewable feedstocks or never-ending feedstocks is an important concept to focus on.
8. Minimize derivatives – One of the important principles of green chemistry is to minimize the use of derivatives and protecting groups in the synthesis of the target product. Unnecessary use of derivatives such as protecting groups should be avoided if possible; such steps require additional reagents and may generate additional waste.

9. Catalysis – Compared to stoichiometric reagents, catalytic reagents (as selective as possible) are better than them. It can be used to repeat the reaction in smaller quantities which is superior to stoichiometric reagents.

10. Design for degradation – Chemical products should be designed in such a way that they do not have any harmful effect on the environment. Chemical products must be broken down into non-toxic products. Green chemistry practitioners attempt to optimize the commercial function of a chemical, while minimizing its risks.

11. Real-time analysis for pollution prevention – Analytical methods should be further developed to monitor and control the process in real-time before hazardous substances are created.

12. Inherently safe chemistry for accident prevention – the substances used in chemical processes and the form of the substance are safe.

Impact of Green Chemistry – Green chemistry is a proactive approach to pollution prevention. Green chemistry is based on the following principles.

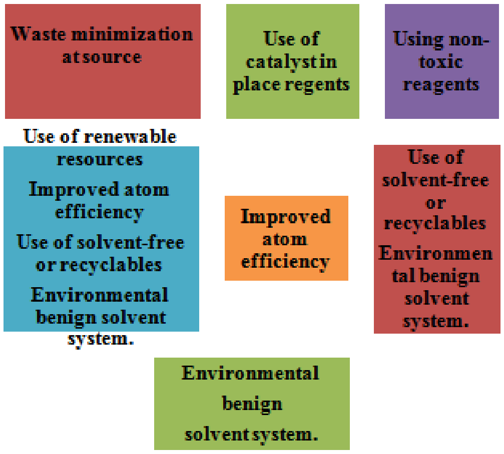

Green chemistry topic in chemical engineering – chemistry studied regarding alternatives to toxic solvents that are renewable in nature. Thus, green chemistry has great potential to reduce the toxicity of industrial sectors by developing safer alternatives.

Typical synthetic techniques in green chemistry :

1. Processes can be adapted by improving specific synthetic methods to make them more environmentally friendly.
2. Emphasis has been laid on preventing waste generation and cleaning after construction.
3. Use synthetic methods to produce substances that are not harmful to human health and the environment.
4. How to design chemical products to maintain effectiveness without using too many additional substances.

Some of the major topics in green chemistry today include reducing our dependence on non-renewable energy sources, reducing industrial carbon footprints, decomposing landfill waste, and taking advantage of abundant resources (waste) that no one wants. Is - for example carbon dioxide.

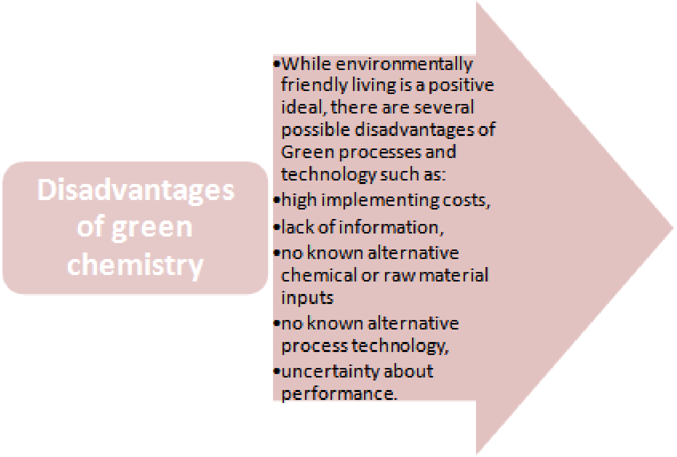

Conclusion – Green chemistry aims to reduce chemical-related impacts on human health and virtually eliminate environmental pollution through dedicated, sustainable prevention programs. Green chemistry searches for alternative, environmentally friendly reaction media as well as attempts to increase reaction rates and reduce reaction temperatures. The term green chemistry is used to describe the use of more environmentally friendly ingredients in place of hazardous chemicals in the manufacturing, use, and disposal of consumer products. Sustainable green chemistry aims to reduce pollution and negative environmental impacts associated with industrial waste and product disposal by incorporating more environmentally friendly chemicals into design and manufacturing processes.

Suggestion:

1. Green chemicals are the pillars that hold our sustainable future. In the development of green chemistry, it has been realized that the next generation of scientists should be trained in methods, techniques and principles with green chemistry as their core subject.
2. Students should be educated about the structure, results, mechanisms, controlling forces and economic values of chemical processes as well as the attendant hazards of these chemicals and processes to human health and the environment.
3. Teachers need appropriate tools, training and materials to effectively integrate green chemistry into their

teaching and research. The following important steps need to be taken to integrate green chemistry into the curriculum.

i. Development and use of experimental laboratory tests to demonstrate green chemistry principles.
ii. To give information about the basic concepts of chemical toxicology and the evidentiary basis of danger.
iii. To encourage students/researchers to work on green chemistry projects.
iv. Preparing reference material to include green chemistry in existing courses.

4. The most successful chemical companies of the future will be those that can capitalize on their competitive advantage opportunities and the most successful chemicals of the future will be those that can utilize green chemistry concepts in R&D, innovation and education.

References:-

1. ACS Green Chemistry
2. A Guide to Green Chemistry Experiments for Undergraduate Organic Chemistry Labs from Beyond Benign
3. Anastas, Paul T.; Warner, John C. (1998). Green Chemistry: Theory and Practice. Oxford [England]; New York: Oxford University Press.
4. Approaches to Incorporating Green Chemistry and Safety into Laboratory Culture: *J. Chem. Educ.*, 2021, 98, 84.
5. *Clark, J. H.; Luque, R.; Matharu, A. S. (2012). "Green Chemistry, Biofuels, and Biorefinery".* Annual Review of Chemical and Biomolecular Engineering*. 3: 183–207.* doi*:*10.1146/annurev-chembioeng-062011-081014*.* PMID 22468603*.*
6. *Cernansky, R. (2015).* "Chemistry: Green refill"*. Nature. 519 (7543): 379–380.* doi*:*10.1038/nj 7543-379a*.* PMID 25793239*.*
7. *Clark, J. H. (1999). "Green chemistry: Challenges and opportunities". Green Chemistry. 1: 1–8.* doi*:*10.1039/A807961G*.*
8. *Marteel, Anne E.; Davies, Julian A.; Olson, Walter W.; Abraham, Martin A. (2003).* "GREEN CHEMISTRY AND ENGINEERING: Drivers, Metrics, and Reduction to Practice". Annual Review of Environment and Resources*. 28: 401–428.* doi*:*10.1146/annurev.energy.28.011503.163459*.*
9. Poliakoff, M.*; Licence, P. (2007). "Sustainable technology: Green chemistry". Nature. 450 (7171): 810–812.* Bibcode*:*2007Natur.450..810P*.* doi*:*10.1038/450810a*.* PMID 18064000*.* S2CID 12340643*.*
10. *Sanderson, K. (2011).* "Chemistry: It's not easy being green"*. Nature. 469 (7328): 18–20.* Bibcode*:*2011Natur.469...18S*.* doi*:*10.1038/469018a*.* PMID 21209638*.*
11. Toxics Use Reduction Institute (TURI) at the University of Massachusetts Lowell
12. United States Environmental Protection Agency (EPA) Basics of Green Chemistry
13. *Vert, Michel; Doi, Yoshiharu; Hellwich, Karl-Heinz; Hess, Michael; Hodge, Philip; Kubisa, Przemyslaw; Rinaudo, Marguerite; Schué, François (2012).*" Terminology for biorelated polymers and applications (IUPAC Recommendations 2012)" (PDF). Pure and Applied Chemistry*. 84 (2): 377–410.* doi*:*10.1351/PAC-REC-10-12-04*.* S2CID 98107080*.*
14. *Woodhouse, E. J.; Breyman, S. (2005). "Green chemistry as social movement?". Science, Technology, & Human Values. 30 (2): 199–222.* doi*:*10.1177/0162243904271726*.* S2CID 146774456
15. www.google.com

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

शिवार्य कृत 'भगवती आराधना' में समाज व संस्कृति की झलक

रुचि जैन* डॉ. सत्यप्रकाश पाण्डे** डॉ. संगीता मेहता***

* शोधार्थी (दर्शनशास्त्र) श्री अटल बिहारी वाजपेई शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत
** शोध-निर्देशक(दर्शनशास्त्र) श्री अटल बिहारी वाजपेई शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत
*** सह शोध-निर्देशक (संस्कृत) श्री अटल बिहारी वाजपेई शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - आचार्य शिवार्य कृत **भगवती आराधना** में प्रमुख रूप से जैन-धर्म की आचार मीमांसा के प्रमुख अंग समाधिमरण और चार प्रकार की आराधनाओं का वर्णन किया है। शिवार्य के समक्ष जैन संघ के चारों अंग साधु, साध्वी, श्रावक तथा श्राविका का समाज रहा है। उनके आत्म विकास के सम्बन्ध में भगवती आराधनाकार ने उक्त ग्रन्थ में विस्तार से विभिन्न विषयों को प्रस्तुत किया है। प्रसंगवश शिवार्य के समकालीन समाज और संस्कृति का चित्रण भी इस ग्रन्थ में उपलब्ध है।

आचार्य शिवार्य ने समाज में आदर्श जीवन का निर्वाह करने के लिए साधुओं की आचार संहिता के अन्तर्गत महाव्रतों के प्रसंग में कहा है कि तरुण एवं वृद्ध की संगति भिन्न-भिन्न प्रकार से जीवन पर प्रभाव डालती है, अवस्था मात्र से कोई वृद्ध अथवा तरुण नहीं होता अपितु जिसके शील, क्षमा, सन्तोष आदि गुण बढ़े हुए हो वहीं वृद्ध अर्थात् अनुभवी कहे जाने योग्य हैं, ऐसे शील और चरित्र से युक्त व्यक्तियों की सेवा करना वृद्ध सेवा है, गुणों से वृद्ध पुरुषों की सेवा करने से मनुष्य के गुणों में वृद्धि होती है।[1]

आचार्य शिवार्य मनोवैज्ञानिक एवं अनुभवी समाजषास्त्री थे, उन्होंने वृद्ध सेवा के गुणों के महत्त्व के साथ-साथ अवस्था के महत्त्व को भी स्वीकार किया है। वे कहते हैं कि गुणों से वृद्ध व्यक्तियों का संसर्ग लाभकारी है, क्योंकि जैसे-जैसे मनुष्य आयु के कारण प्रौढ़ अथवा वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, उसके लोभ, राग, द्वेष, घमण्ड आदि भी मन्द होते जाते हैं। ऐसे मन्द कषायी वाले वृद्ध व्यक्तियों की संगति से व्यक्ति के राग-द्वेष, लोभ आदि भी मन्द हो सकते हैं। उदाहरण से इस बात को दृढ़ भी किया है, जैसे - तालाब में पत्थर के गिरने से पानी के नीचे बैठी हुई धूल अथवा कीचड़ ऊपर आकर जल को मैला कर देती हैं, उसी प्रकार से तरुण व्यक्तियों की संगति प्रशान्त वृद्ध लोगों के मोह एवं काम की प्रवृत्ति को उद्वेलित कर देती है। और जैसे कत्ताक फल (रीठाफल-निर्मली के पौधे का फल) पानी में डालने से गन्दा पानी भी निर्मल हो जाता है। उसी प्रकार, वृद्ध पुरुषों की सेवा से कलुशित, मोह इत्यादि शान्त हो जाते हैं।[2] इसके पश्चात् उन्होंने समाज की धुरी सर्वत्र गुणयुक्त एवं धर्मशील नारियों की प्रशंसा की है। शीलवती नारियों के विषय में वे कहते हैं कि जो गुणसहित स्त्रियाँ हैं, उनका यश लोक में फैला हुआ है तथा जो इस संसार में देवों में भी पूजनीय है उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। क्योंकि तीर्थंकर, चक्रवर्ती, वासुदेव, बलदेव और श्रेष्ठ गणधरों को जन्म देने वाली महिलाएँ श्रेष्ठ देवों और उत्ताम पुरुषों के द्वारा पूजनीय होती है।[3] शिवार्य ने साथ ही आत्मविकास में बाधक के रूप में नारियों की कमजोरियों एवं दुर्गुणों को इस ग्रन्थ में वर्णित किया है वे कहते हैं कि -

स्त्रियों में विशेष विश्वास, स्नेह, परिचय, उचित नहीं है। वे परपुरुष पर आसक्त होने पर शीघ्र ही अपने कुल को अथवा कुलीन पति को भी छोड़ देती है।[4] इस प्रकार शिवार्य ने कई गाथाओं के माध्यम से भगवती आराधना में दोष युक्त नारी के दोषों का प्रगटीकरण किया है।[5] साथ ही कुलीन, चरित्रवान स्त्रियों के गुणों में आदरभाव भी प्रगट किया है।

नारी के चरित्र-चित्रण के उक्त विवरण के प्रसंग में आचार्य शिवार्य ने एक महत्त्वपूर्ण गाथा प्रस्तुत की है - नारियों के सम्बन्ध में जो दोष मैंने यहाँ प्रतिपादित किए हैं, वे प्रकारान्तर से पुरुषों में भी पाए जाते हैं। पथ-भ्रष्ट स्त्रियों में जो दोष होते हैं वे दोष पथ भ्रष्ट पुरुषों में भी होते हैं अथवा मनुष्यों में भी जो बल और शक्ति से युक्त होते हैं उनमें स्त्रियों से भी अधिक दोष होते हैं। जैसे अपने संयम एवं शील की रक्षा करने वाले पुरुषों के लिए परस्त्रियाँ निन्दनीय हैं वैसे ही अपने शील की रक्षा करने वाली स्त्रियों के लिए परपुरुष निन्दनीय है।[6]

आगे भगवती आराधनाकार कहते हैं कि दोषों की उपस्थिति के लिए नारी और पुरुष उतने जिम्मेदार नहीं हैं जितने कि उनके मन के भीतर बैठी हुई कशाय की प्रवृत्तियाँ हैं। मोह और तृष्णा इत्यादि के द्वारा ही ये दुर्मति पैदा होती है, यथा - सब जीव मोह के उदय से कुशील से मलिन होते हैं और वह मोह का उदय स्त्री-पुरुषों में समान रूप से होता है।[7] आचार्य शिवार्य ने इस नारी निन्दा विषयक प्रसंग के अन्तर्गत नारियों के सम्बन्ध में प्रचलित कतिपय शब्दों के व्युत्पत्ति मूलक अर्थों को भी स्पष्ट किया है। ये शब्द नारी के व्यक्तित्त्व के विकास को तो स्पष्ट करते ही हैं, साथ ही कोषशास्त्र की दृष्टि से भी इनका विशेष महत्त्व है।

भगवती आराधना में शिवार्य की दृष्टि से नारी के लिए प्रचलित कतिपय शब्दों की परिभाषाएँ इस प्रकार हैं -

1. **वधू** - पुरुष का वध करती है इसलिए उसे वधू कहते हैं।
2. **स्त्री** - मनुष्य में दोषों को एकत्र करती है इसलिए स्त्री कहलाती है।
3. **नारी** - मनुष्य का 'अरि' अर्थात् शत्रु दूसरा कोई नहीं है इसलिए उसे नारी कहते हैं।
4. **प्रमदा** - पुरुष को सदा प्रमत्त करती है इसलिए उसे प्रमदा कहते हैं।
5. **विलया** - पुरुष के गले में अनर्थ लाती है अथवा पुरुष को देखकर विलीन होती है इसलिए उसे विलया कहते हैं।
6. **योषा** - पुरुष को दु:ख से योजित करती है इससे युवती और योषा कहते हैं।

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

7. अबला – जिसके हृदय में धैर्य रूपी बल नहीं होता है अत: वह अबला कही जाती है।
8. कुमारी – कुमरण का उपाय उत्पन्न करने से कुमारी कहते हैं।
9. महिला – पुरुष पर आल- ढोषारोपण करती है इसलिए महिला है। इस प्रकार स्त्रियों के सब नाम अशुभ होते हैं।[8] इस प्रकार शिवार्य ने स्त्रियों के दोषों का जो वर्णन किया है वह स्त्री सामान्य की दृष्टि से किया है। शीलवती स्त्रियों में ऊपर कहे दोष नहीं होते वे तो सर्वत्र पूजनीय होती है।[9]

आचार्य का यह कथन सांसारिक दृष्टि से विशेष महत्त्व का है, इस कथन के द्वारा उन्होंने समाज में नारियों के प्रति जो प्रतिष्ठा बढ़ रही थी उसकी ओर संकेत किया है। शिवार्य का यह कथन पुरुष और नारी के समानता का भी उद्धोषक है तथा दुर्गुणों के मूल कारणों तक पहुँचने की उनकी दृष्टि का भी परिचायक है।

भगवती आराधना में श्रमणों के आचार वर्णन प्रसंग में आहारचर्या का उल्लेख है। श्रमणों को प्रासुक आहार लेना चाहिए, कई प्रकार के दोषयुक्त आहार तथा पानक आदि नहीं लेने चाहिए। ग्रन्थ में तत्कालीन समय के समाज में प्रचलित अनेक प्रकार के भोजन एवं पानक वस्तुओं की सूची प्राप्त होती है उनका वर्गीकरण स्वाद्य रूप तीन प्रकार से किया गया है। पकाए हुए भोजन के पारस्परिक सम्मिश्रण से उनके जो सांकेतिक नाम प्रचलित थे, वे इस प्रकार हैं[10] –
1. **संसिद्ध –** जो शाक आदि व्यंजन से मिला हुआ हो।
2. **फलिह –** जिसके चारों ओर शाक बीच में भात रखा हुआ हो।
3. **परिखा –** चारों ओर व्यंजन हो बीच में अन्न रखा हो।
4. **पुप्फोवहिद –** व्यंजनों के मध्य में पुष्पावली के समान चावल रखे हों।
5. **सुद्धगोवहिदं –** शुद्ध अर्थात् बिना कुछ मिलाए अन्न से 'उपहित' अर्थात् मिले हुए शाक व्यंजन आदि।
6. **लेवड –** जिससे हाथ लिप जाए।
7. **अलवेड –** जो हाथ से न लिप्त हो।
8. **पान –** सिक्थ सहित पेय और सिक्थ रहित पेय।
9. **धृतपूरक –** आटे की बनाई हुई पूड़ी।

भोज्य पदार्थों के अतिरिक्त पेय पदार्थों का विवरण **भगवती आराधना** में पृथक् रूप से प्राप्त होता है, जिन्हें छ: प्रकार का बताया गया है –
1. **स्वच्छ –** गर्म जल सौवीरक।
2. **बहल –** इमली आदि फलों का रस।
3. **लेवड –** दही आदि जो हाथ से लिप्त हो जाता है।
4. **अवलेवड –** माँड आदि (जो हाथ से लिप्त न हो।
5. **सिक्थ –** सिक्थ सहित पेय।
6. **सिक्थ –** सिक्थ रहित पेय। ये छहों प्रकार के पानक परिकर्म योग्य हैं।[12]

विभिन्न पेशों एवं पेशेवर जातियों के उल्लेखों की दृष्टि से **भगवती आराधना** का विशेष महत्त्व है। ईस्वी की प्रथम शताब्दी में प्राचीन भारत में कितने प्रकार के आजीविका के साधन थे उन साधनों में लगे हुए लोग किस नाम से पुकारे जाते थे, इस ग्रन्थ में इसकी जानकारी प्राप्त होती है। तत्कालीन सामाजिक दृष्टि से भी उनका विशेष महत्त्व है। महाजनपदयुग (6 बी.सी.) विभिन्न पेशों अथवा शिल्पों का विकास युग माना गया है, 36 प्रकार की जातियों की स्पष्ट झलक **भगवती आराधना** में मिलती है, जो इस प्रकार हैं[12] – 1. **गंधव्व** (गान्धर्व) 2. **णट्ट (नर्त्तक)** 3. **जट्ट** (हस्तिपाल) 4. **अस्स** (अश्वपाल) 5. **चक्क** (कुम्भकार) 6. **जंत** (तिल, इक्षुपीलनयन्त्र, यान्त्रिका) 7. **अग्गिकम्म** (आतिशबाजी) 8. **फरूस** (शांखिक, मणिकार, आदि) 9. **णत्तिक** (कौलिक, जुलाहा) 10. **रजक** (रजय) 11. **पाडहिय** (पटहवादक) 12. **डोम्ब** (डोम) 13. **णड** (नट) 14. **चारण** (भाट, गायक) 15. **कोट्टय** (कुट्टक, लकड़ी काटने वाला) 16. **करकच** (कतर-ब्योंत करने वाला) 17. **पुष्पकार** (माली) 18. **कल्लाल** (नशीली वस्तुएँ बेचने वाला) 19. **मल्लाह**[13] 20. **काष्ठिक** (बढ़ई) 21. **लौहिक** (लुहार) 22. **मात्सिक** 23. **पात्रिक** 24. **कांडिक** 25. **दाण्डिक** 26. **चार्मिक** 27. **छिंपक** 28. **भेषक** 29. **पण्डक** 30. **सार्थिक** (सेवक) 31. **ग्राविक** 32. **कोट्टपाल** 33. **भट** 34. **पण्यनारीजन** 35. **द्यूतकार** 36. **विट**। ये सभी जातियाँ शिवार्य के समय में सामाजिक व्यवस्था हेतु प्रचलित थी।

प्राचीन भारत के **आर्थिक जीवन एवं उद्योग-धन्धों के भी** इस ग्रन्थ में विवरण मिलते हैं, जिनसे यह विदित होता है कि दोषियों के प्रति दण्ड-प्रथा अत्यन्त कठोर होने एवं जनसामान्य के प्राय: सरल होने के कारण तथा कठोर परिश्रम पर बल देने के कारण उस युग का औद्योगिक वातावरण शान्त रहता था। सभी को अपनी प्रतिभा, चतुराई एवं योग्यतानुसार प्रगति के समान अवसर प्राप्त रहते थे। कुटीर एवं लघु उद्योग-धन्धों का प्रचलन सामान्य था, जिसे समाज एवं राज्य का सहयोग एवं संरक्षण प्राप्त रहता था। कुछ प्रमुख उद्योग एवं धन्धों का विवरण इस प्रकार है –
1. **चर्मोद्योग –** चमड़े पर विविध प्रकार के वज्रलेप आदि करके उससे विविध वस्तुओं का निर्माण।[14]
2. **सूती वस्त्रोद्योग –** सूत्री वस्त्रों का निर्माण, उन पर चित्रकारी, वस्त्र सिलाई, कटाई एवं रंगाई।[15]
3. **रेशमी वस्त्रोद्योग –** रेशम के कीड़े का पालन-पोषण एवं रेशमी वस्त्र का निर्माण।[16]
4. **बर्तन निर्माण –** शिवार्य के समय में काँसे के बर्तनों का निर्माण अधिक होता था। स्वास्थ्य के लिए हितकर होने की दृष्टि से उसका प्रचलन अधिक था। आयुर्वेदीय सिद्धान्त के अनुसार उसमें भोजन-पान करने से प्रयोक्ता को विशिष्ट ऊर्जा-शक्ति की प्राप्ति होती थी।[17]
5. **सुगन्धित पदार्थों का निर्माण –** शारीरिक सौन्दर्य के निखार हेतु जड़ी-बूटियों का लोघ्र आदि पदार्थों में स्नान पूर्व मर्दन, अभ्यंगन की सामग्री का निर्माण, मिट्टी के सुवासित मुख लेपन चूर्ण (थंबमचंबा) एवं अन्य वस्तुएँ।[18]
6. **रत्न छेदन घर्षण –** रत्नों की खरीद एवं उनमें छेद करना।[19]
7. **औषधि निर्माण –** तरह-तरह की रोग निवारक, वात, पित्त, कफ के रोगों की नाशक औषधियों का निर्माण।[20]
8. **आभूषण निर्माण –** मुकुट अंगद, हार, कड़े आदि बनाने के साथ-साथ लोहे पर सोने का मुलम्मा अथवा पत्ता पानी चढ़ाना तथा लाख की चूड़िया बनाना।[21]
9. **मूर्ति निर्माण** [22]
10. **चित्र निर्माण** [23]
11. **युद्ध सामग्री का निर्माण**
12. **नौका निर्माण**
13. **लौह उद्योग –** दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएँ तैयार करना। इस शिवार्य कालीन औद्योगिक विकास सन्तुष्टि प्रदायक आजीविका अनुकूल था।

भगवती आराधना यद्यपि धर्म-दर्शन एवं आचारपरक ग्रन्थ है, फिर भी उसमें भूगोल के तत्कालीन प्रचलित कुछ उल्लेख प्राप्त होते हैं, जिनका

आधुनिक भौगोलिक सिद्धान्तों के सन्दर्भ में वर्गीकरण एवं विश्लेषण प्रो. राजाराम जैन ने अपने आलेख में किया है।[24]

प्रो. राजाराम के मूल्यांकन के अनुसार - पर्वतों में मुद्गल पर्वत[25] (आधुनिक मुंगेर बिहार), कोल्लगिरी[26] (कावेरी नदी का उद्गम स्थल) एवं द्रोणगिरि[27] पर्वत के उल्लेख **भगवती आराधना** में मिलते हैं। नदियों में **गंगा**[28] एवं यमुना के नामोल्लेख मिलते हैं, यमुना को **णइपूर**[29] कहा गया है अर्थात् ग्रन्थकार के समय से लेकर टीकाकार के समय तक यमुना नदी में अन्य नदियों की अपेक्षा अधिक बाढ़ आती रहती थी। अत: उसका अपरनाम **'णइपूर' (बाढ़ वाली नदी)** के नाम से प्रसिद्ध रहा होगा।

अन्य सन्दर्भों में देखें तो **भगवती आराधना** में **पृथ्वी** के भेदों में मिट्टी, पाषाण, बालू, नमक आदि, **जल** के भेदों में हिम, ओसकण, हिम बिन्दु आदि, **वायु** के भेदों में झंझावात (जल- वृष्टि युक्त वायु Cyclonic Winds) तथा माण्डलिक वायु (वर्त्तुलाकार भ्रमण करती हुई) तथा **वनस्पति** के भेदों में बीज, अनन्तकायिक, प्रत्येक कायिक, वल्ली, गुल्म, लता, तृण, पुष्प एवं फल आदि को लिया गया है[30] जो वर्तमान प्राकृतिक भूगोल के लिए भी शोध का विषय है।

प्राकृतिक दृष्टि में प्रदेशों का वर्गीकरण कर उनका नामकरण है -

1. **अनूप देश** (जलबहुल प्रदेश)
2. **जांगल देश** (वन-पर्वत बहुल एवं अल्पवृष्टि वाला प्रदेश)
3. **साधारण देश** (उक्त प्रथम दो लक्षणों के अतिरिक्त स्थिति वाला प्रदेश)।[31]

राजनैतिक भूगोल के अन्तर्गत प्रशासनिक सुविधाओं की दृष्टि से द्वीपों, समुद्रों, देशों, नगर-ग्रामों आदि की कृत्रिम सीमाएँ निर्धारित की जाती है। इस दृष्टि से **भगवती आराधना** का अध्ययन करने से उसमें कुछ देश, नगर एवं ग्रामों के नामोल्लेख मिलते हैं। जो इस प्रकार हैं -

देशों में बर्बर, चिलातक, पारसीक, अंग, बंग एवं मगध नाम प्राप्त होते हैं। जैन परम्परा के अनुसार ये देश कर्म-भूमियों के अन्तर्गत वर्णित हैं। आचार्य शिवार्य ने प्रथम तीन देश म्लेच्छ देशों में बताकर उन्हें संस्कार विहीन देश कहा है।[32]

महाभारत में भी बर्बर को एक प्राचीन म्लेच्छ देश तथा वहाँ के निवासियों को बर्बर कहा गया है।[33] नकुल ने अपनी पश्चिमी दिग्विजय के समय उसे जीतकर भेंट वसूल की थी। एक अन्य प्रसंग के अनुसार वहाँ के लोग युधिष्ठिर के राजसूर्य यज्ञ में भेंट लेकर आए थे।[34] प्रतीत होता है कि बर्बर देश ही आगे चलकर अरब देश के नाम से प्रसिद्ध हो गया।

उत्तराध्ययन की **सुखबोध टीका** के मूल कथानक में एक प्रसंगानुसार सार्थवाह अचल ने व्यापारिक सामग्रियों के साथ पारसकुल की यात्रा जल-मार्ग द्वारा की तथा वहाँ से अनेक प्रकार की व्यापारिक सामग्रियाँ लेकर लौटा।[35] प्रतीत होता है कि यही **भगवती आराधना** का पारसीक देश है। वर्तमान में इसकी पहचान ईराक-ईरान से की जाती है। क्योंकि ये देश आज भी (Percian Gulf) के नाम से प्रसिद्ध है।

चिलातक देश का उल्लेख बर्बर एवं पारसीक के साथ म्लेच्छ देशों में होने वाले से इसे भी उनके आस-पास ही होना चाहिए। सम्भव है कि वह वर्तमान चित्राल हो, जो कि वर्तमान पाकिस्तान का क्षेत्र है। अंग एवं मगध की पहचान वर्तमानकालीन बिहार तथा बंगदेश की पहचान वर्तमान बंगाल एवं बांग्लादेश से की गई है।[36] नगरों में पाटलीपुत्र[37], दक्षिण-मथुरा[38], मिथिला[39], चम्पानगर[40], कोसल अथवा अयोध्या एवं श्रावस्ती[41] प्रमुख हैं। ये नगर प्राच्य भारतीय वांङ्मय में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जैन, बौद्ध एवं वैदिक कथा-साहित्य तथा तीर्थंकरों तथा बुद्ध, राम एवं कृष्णचरित में और भारतीय इतिहास की प्रमुख घटनाओं का कोई न कोई प्रबल पक्ष इन नगरों के साथ इस भाँति जुड़ा हुआ है कि इनका उल्लेख किए बिना वे अपूर्ण है ऐसा प्रतीत होता है।

अन्य सन्दर्भ में कुल, ग्राम एवं नगर के उल्लेख आए हैं।[42] ग्रामों में **'एकरथ्या ग्राम'**[43] का सन्दर्भ आया है। सम्भवत: यह ऐसा ग्राम होगा जो कि एक ही ऋजुमार्ग के किनारे-किनारे सीधा लम्बा बसा होगा। समान स्वार्थ राज्यों एवं सुरक्षा को ध्यान में रखकर ग्राम, नगर अथवा राज्यों का जो संघ बन जाता था, वह कुल कहलाता है।

भगवती आराधना में 4 प्रकार के मनुष्यों का भी उल्लेख मिलता है -

1. **कर्मभूमिज** अर्थात् वे मनुष्य जो कर्मभूमियों में निवास करते हैं और जहाँ असि, मषि, कृषि, शिल्प, सेवा, वाणिज्य आदि के साथ-साथ पशु-पालन एवं व्यावहारिकता आदि कार्यों में आजीविका के साधन मिल सकें। साथ ही साथ स्वर्ग-मोक्ष प्राप्त करने के साधन भी मिल सकें। इस भूमि के मनुष्य अपने-अपने कर्मों एवं संस्कारों के अनुरूप प्राय: सुडौल एवं सुन्दर होते हैं।
2. **भोगभूमिज**, मनुष्य मद्यांग, तूर्यांग आदि 10 प्रकार के कल्पवृक्षों के सहारे जीवन व्यतीत करते हैं।
3. **भगवती आराधना** के टीकाकारानुसार **अन्तर्द्वीपज** मनुष्य वे हैं जो कालोदधि एवं लवणोदधि समुद्रों के बीच में स्थित 86 अन्तर्द्वीपों से कहीं उत्पन्न होते हैं। यू गूंगे, एक पैर वाले, पूंछ वाले, लम्बे कानों वाले एवं सींगों वाले होते हैं। किसी-किसी मनुष्य के कान तो इतने लम्बे होते हैं कि उन्हें ओढ़ सकते हैं। कोई-कोई मनुष्य हाथी एव घोड़े के समान कानों वाले होते हैं।
4. **सम्मूर्छन** मनुष्य कर्मभूमिज मनुष्यों के श्लेष्म, शुक्र, मल-मूत्र आदि अंगद्वारों के मल से उत्पन्न होते ही मर जाते हैं। उनका शरीर अंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण बताया गया है।[44]

उक्त मनुष्य योनि के जीवों के प्रकारों में से अन्तिम तीन प्रकार के मनुष्यों का वर्णन विचित्र होने एवं नृतत्त्व-विद्या (Anthropology) से मेल न बैठने के कारण उन्हें पौराणिक-विद्या की कोटि में रखा जाता है।

शिवार्य कला एवं विज्ञान के भी जानकार थे। उन्हें भगवती आराधना में इस समय भी कला एवं विज्ञान का जो स्वरूप था उसकी झलक यहाँ प्रस्तुत की है। **भगवती आराधना** में **वास्तुकला** के अन्तर्गत गन्धर्वशाला, नृत्यशाला, हस्तिशाला, अश्वशाला, तैलपीलन, इक्षुपीलन सम्बन्धी यन्त्रशाला, चक्रशाला, अग्निकर्मशाला, शांखिक एवं मणिकारशाला, कौलिकशाला, रजकशाला, नटशाला, अतिथिशाला, मद्यशाला, देवकुल, उद्यानगृह आदि[45] **स्थापत्यकला एवं शिल्पकला** के अन्तर्गत लोहपडिमा[46](लोहे की प्रतिमा), पुव्वरिसीणपडिमा[47] (प्राचीन ऋषियों की प्रतिमा), कट्ठकम्म[48](काष्ठ, पाषाण, हाथीदाँत आदि में अंकित किए गए स्त्री-पुरुषों के रूप), चितकम्म[49] (चित्र में अंकित रूप), जोणिकसिलेसो[50] (चर्म के साथ उतरने वाला वज्रलेप), कंसियभिंगार[51] (काँसे का बना हुअर भृंगार), आदि तथा **संगीतकला** के अन्तर्गत पांचाल-संगीत[52] के नामोल्लेख मिलते हैं।

ईस्वी की प्रथम सदी के जैनाचार्य शिवार्य को तत्कालीन **भौतिक विज्ञान** की भी जानकरी थी, **भगवती आराधना** में उसका पुट मिलता है - जोणिकसिलेसो (वज्रलेप), रसपीदंयं (सोने के रस के लेप से बनी वस्तु),

कवडुक्कडं तनुसुवर्णपत्राच्छादितम्[53] (सोने के पतले पत्र से ढका लोहे का कढ़ा) तथा किमिरागकंवल[54] (कृमि के द्वारा त्यागे गए रक्त आहार से रंजित तन्तुओं से बना कंबल कृमिराग कंबल है।), जदुरागवत्थ स्वर्ण के साथ लाक्षा-क्रिया (लाख की क्रिया) आदि उदाहरण के रूप में वर्णित किए हैं।

भगवती आराधना में **आयुर्विज्ञान**-सम्बन्धी सामग्री उपलब्ध है। मानव-शरीर संरचना का वर्णन ग्रन्थकार ने विस्तारपूर्वक किया है, जो संक्षेप में निम्न प्रकार है :

1. मानव-शरीर में 300 हड्डियाँ हैं जो मज्जा नामक धातु से भरी हुई है। उनमें 300 जोड़ लगे हुए हैं।
2. मक्खी के पंख के समान पतली त्वचा से यदि यह शरीर न ढंका होता तो दुर्गन्ध से भरे इस शरीर को कौन छूता?
3. मानव शरीर में 900 स्नायु, 700 शिराएँ एवं 500 माँस-पेशियाँ हैं।
4. उक्त शिराओं के 4 जाल, 16 कंडरा (रक्त से पूर्ण महाशिराएँ) एवं 6 शिराओं के मूल हैं।
5. मानव शरीर में 2 माँसरज्जु हैं जिसमें एक पीठ और एक पेट के आश्रित हैं।
6. मानव शरीर में 7 त्वचाएँ, 7 कालेयक (माँस खण्ड) एवं 80 लाख करोड़ रोम हैं।
7. पक्वाशय एवं आमाशय में 16 आँतें रहती हैं।
8. दुर्गन्धमल के 7 स्थान है।
9. मनुष्य देह में 3 स्थूणा (वात-पित्त श्लेष्म), 107 मर्मस्थान और 9 व्रणमुख मलद्वार है जिनसे सदा मल बहता रहता है।
10. मनुष्य देह में वसा (चर्बी) नामक धातु 3 अंजुली प्रमाण, पित्त, 6 अंजुली प्रमाण एवं श्लेष्म (कफ) 6 अंजुली प्रमाण ही रहता है।
11. मनुष्य देह में मस्तक अपनी एक अंजुली प्रमाण है। इसी प्रकार मेद भी एक अंजुली प्रमाण है एवं ओज अर्थात् वीर्य एक अंजुली प्रमाण है।
12. मानव शरीर में रूधिर का प्रमाण आढ़क (बत्तीस पल प्रमाण), मूत्र 1 आढ़क प्रमाण तथा विष्ठा 6 प्रस्थ प्रमाण है।
13. मानव शरीर में 20 नख एवं 32 दाँत होते हैं।[55]
14. मानव-शरीर में समस्त रोम-रन्ध्रों से चिकना पसीना निकलता रहता है।[56]
15. मनुष्य के पैर में काँटा घुसने से उसमें सबसे पहले छेद होता है फिर उसमें अंकुर के समान माँस बढ़ता है फिर वह काँटा नाड़ी तक घुसने से पैर में माँस विघटने लगता है, जिससे उसमें अनेक छिद्र हो जाते हैं और पैर निरुपयोगी हो जाता है।[57]
16. यह शरीर रूपी झोपड़ी हव्यिों से बनी है। नस जाल रूपी बक्कल से उन्हें बाँधा गया हैं, माँस रूपी मिट्टी से उसे लीपा गया है और रक्तादि पदार्थ उसमें भरे हुए हैं।[58]
17. माता के उदर से वात द्वारा भोजन को पचाया जाकर जब उसे रस भाग एवं खल भाग में विभक्त कर दिया जाता है तब रस भाग का 1-1 बिन्दु गर्भस्थ बालक ग्रहण करता है। जब तक गर्भस्थ बालक के शरीर में नाभि उत्पन्न नहीं होती, तब तक वह चारों ओर से मातृभुक्त आहार ही ग्रहण करता है।[59]
18. दाँतों से चबाया गया, कफ से गीला होकर मिश्रित हुआ अन्न उदर में पित्त के मिश्रण से कड़ुआ हो जाता है।[60]

भौतिक एवं आध्यात्मिक विद्या-सिद्धियों के प्रमुख साधना-केन्द्र इस मानव तन का निर्माण किस-किस प्रकार से होता है। गर्भ में वह किस प्रकार आता है तथा किस प्रकार उसके शरीर का क्रमिक-विकास होता है, उसकी क्रमिक अवस्थाओं का ग्रन्थकार ने स्पष्ट चित्रण किया है -

माता के उदर में शुक्राणुओं के प्रविष्ट होने पर 10 दिनों तक मानव-तन गले हुए ताँबे एवं रजत के मिश्रित रंग के समान रहता है। अगले 10 दिनों में वह कृष्ण-वर्ण का हो जाता है। अगले 10 दिनों में वह यथावत् स्थिर रहता है। दूसरे महीने में मानव-तन की स्थिति एक बबूले के समान हो जाती है। तीसरे माह में वह बबूला कुछ कड़ा हो जाता है। चौथे मास में उसमें माँस-पेशियों का बनना प्रारम्भ हो जाता है। पाँचवें माह में उक्त माँस-पेशियों में पाँच पुलक अर्थात् पाँच अंकुर फूट जाते हैं, जिनमें से नीचे से दो अंकुरों से दो पैर और ऊपर के तीन अंकुर में से बीच के अंकुर से मस्तक तथा दोनों बाजुओं में से दो हाथों के अंकुर फूटते हैं। छठवें माह में हाथ-पैरों एवं मस्तक की रचना एवं वृद्धि होने लगती है। सातवें मास में उस मानव-तन के अवयवों पर चर्म एवं रोम की उत्पत्ति होती है तथा हाथ-पैर के नख उत्पन्न हो जाते हैं इसी मास में शरीर में कमल के डण्ठल के समान दीर्घनाल पैदा हो जाती है, तभी से यह जीव माता का खाया हुआ आहार उस दीर्घनाल से ग्रहण करने लगता है। आठवें मास में उस गर्भस्थ मानव-तन में हलन-चलन क्रिया होने लगती है। नौवें अथवा दसवें मास में वह सर्वांग होकर जन्म ले लेता है।[61] इस तरह **भ्रूण-विज्ञान** की चर्चा भगवती आराधना में दृष्टिगोचर होती है।

शरीर के रोगों एवं उपचार की भी भगवती आराधना में विस्तृत चर्चा है। उसमें से कुछ इस प्रकार हैं - आँख में 96 प्रकार के रोग होते हैं।[62] **मूलाराधना** के टीकाकार पं. आशाधर के अनुसार - शरीर में कुल मिलाकर 5,68,99,584 रोग होते हैं।[63] वात, पित्त एवं कफ के रोगों में भयंकर दाह उत्पन्न होती है।[64] ईख कुष्ठ रोग को नष्ट करने वाला रसायन है।[65] वात-पित्त-कफ से उत्पन्न वेदना की शान्ति के लिए आवश्यकतानुसार वस्तिकर्म (एनिमा), उष्णकरण (गर्म लोहे से दागना), ताप-स्वेदन (पसीना लाना), आलेपन (लेप करना), अभ्यंगन एवं परिमर्दन (प्रासुक जल का सेवन करना) क्रियाओं के द्वारा चिकित्सा करनी चाहिए।[66] गोदुग्ध, अजमूत्र एवं गोरोचन से पवित्र औषधियाँ मानी गई है।[67] काँजी पीने से मदिराजन्य उन्माद नष्ट हो जाता है।[68] मनुष्य को तेल एवं कशायले द्रव्यों का अनेक बार कुल्ला करना चाहिए, इससे जीभ एवं कानों में सामर्थ्य प्राप्त होता है अर्थात् कशायले द्रव्य के कुल्ले करने से जीभ के ऊपर का मल निकल जाने से वह स्वच्छ हो जाने के कारण स्पष्ट एवं मधुर वाणी बोलने की सामर्थ्य प्राप्त होती है।[69] मनुष्य को अन्न पानकों की अपेक्षा पानक अधिक लाभकर होता है, क्योंकि उससे कफ का क्षय, पित्त का उपषम एवं वात का रक्षण होता है। पेट की मल शुद्धि के लिए मांड सर्वश्रेष्ठ रेचक है। काँजी से भीगे हुए बिल्व-पत्रादिकों से उदर को सेंकना चाहिए तथा सेंधा नमक आदि से संसिक्त वत्ती गुदा-द्वार में डालने से पेट साफ हो जाता है।[70] पुरुष के आहार का प्रमाण 32 ग्रास एवं महिला का 28 ग्रास होता है।[71] उपवास के बाद मित और हल्का भोजन लेना चाहिए।[72]

इस प्रकार **भगवती आराधना** नामक ग्रन्थ नि:सन्देह ही सिद्धान्त, आचार, अध्यात्म तथा मनोवैज्ञानिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सामग्रियों का कोष ग्रन्थ है। आचार्य शिवार्य ने उक्त सन्दर्भो के हर पहलू को उजागर कर जनमानस को अमूल्य निधि प्रदान की है। इसके अध्ययन से प्राकृत के ग्रन्थों के सांस्कृतिक अध्ययन की प्रेरणा मिलती है। यह ग्रन्थ प्राकृत-साहित्य के अध्ययन की दिशा में नए तत्त्वों को जोड़ता है।

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. भगवती आराधना, गाथा 1064-1065
2. वही, गाथा 1066-1067
3. भगवती आराधना, गाथा 989-990
4. महिलासु णत्थि वीसंभपणयपरिचयकदण्णढा णेहो।
   लहुमेव परगयमणा ताओ सकुलंपि जहंति।। - वही, गाथा 937
5. वही, गाथा 942, 951, 957, 981
6. वही, गाथा 987-988
7. मोहोदयेण जीवो सव्वो दुस्सीलमइलिदो होदि।
   सो पुण सव्वो महिला पुरिसाणं होइ सामण्णो।।- वही, गाथा 995
8. वही, गाथा 971-975
9. वही, गाथा 996
10. संसिट्ठ फलिह परिखा पुप्फोवहिदं व सुद्धगोवहिदं।
    लेवऽमलेवडं पाणाय च णिरिस्सित्थं ससित्थं।। - वही, गाथा 222
11. सत्थं वहलं लेवडमलेवडं च ससित्थयमसित्थं।
    छव्विहपाणयमेयं पाणयपरिकम्मपाओग्गं।।- वही, गाथा 699
12. वही, गाथा 632, 633
13. देखें, मूलाराधना की अमितगति सं. टीका श्लोक सं. 656-657, गाथा 1774, पृ. 834-835
14. चम्मेण सह अवेंतो ण य सरिसो जोणिकसिलेसो।। - वही, गाथा 339
15. तुण्णेइ वुणइ जाचइ कुलम्मि जादो वि विसयवसो।।- वही, गाथा 911
16. कोसेण कोसियारूव्व दुम्मदी णिच्च अप्पाणं।। - वही, गाथा 913
17. जह कंसियभिंगारो अंतो णीलमइलो बहिं चोक्खो।।- वही, गाथा 581
18. वज्जेदि बंभचारी गंधं मल्लं च धूपवासं वा।
    संवाहणपरिमद्दणपिणिद्धणादीणि य विमुत्ती।।- वही, गाथा 93
19. वइरं रदणेसु जहा गोसीसं चंदणं व गंधेसु।
    वेरूलियं व मणीणं तह ज्झाणं होइ खवयस्स।।- वही,, गाथा 1890
20. वही, गाथा 1564
21. रसपीदयं व कडयं अहवा कवडुक्कडं जहा कडयं।
    अहवा जदुपूरिदयं तधिमा सल्लुद्धरणसोधी।।- वही, गाथा 585
22. पुव्वरिसीणं पडिमाओ वंदमाणस्स होइ जदि पुण्णं।- वही, गाथा 2002
23. सो चित्तकम्मसमणीव्व समणरूवो असमणो हु।।- वही, गाथा 1330
24. प्रो. राजाराम जैन, मूलाराधना का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक मूल्यांकन (लेख), आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज, अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ. 61-62
25. भारत के प्राचीन जैन तीर्थ, डॉ. जे.सी. जैन, वाराणसी, 1952, पृ. 26
26. भगवती आराधना, गाथा 2067, महाभारत, सभापर्व, 31/68
27. वही, गाथा 1547
28. भगवती आराधना, गाथा 1538
29. वही, गाथा 1540
30. अनूपजागंलसाधारणक्षेत्र परिज्ञानं। - वही, गाथा 453, विजयोदया टीका, पृ. 357
31. वही, गाथा 610, विजयोदया टीका, पृ. 418
32. वही, गाथा 1863, विजयोदया टीका, पृ. 830
33. महाभारत - सभापर्व, 32/17
34. महाभारत - सभापर्व, 51/23
35. प्राकृत प्रबोध (मूलदेव कथानक), चौखम्बा, वाराणसी
36. मूलाराधना का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक मूल्यांकन लेख, प्रो. राजाराम, पृ. 63
37. भगवती आराधना, गाथा 2068
38. वही, गाथा 59, विजयोदया टीका, पृ. 101
39. वही, गाथा 751, विजयोदया टीका, पृ. 470
40. वही, गाथा 758
41. वही, गाथा 2067, 2069
42. वही, गाथा 295
43. वही, गाथा 112
44. वही, गाथा 448, विजयोदया टीका, पृ. 344
45. वही, गाथा 632-633
46. वही, गाथा 1564
47. वही, गाथा 2002
48. वही, गाथा 1053
49. वही, गाथा 1330
50. वही, गाथा 339
51. वही, गाथा 581
52. वही, गाथा 1350
53. वही, गाथा 585
54. वही, गाथा 569
55. वही, गाथा 1021-1029
56. भगवती आराधना, गाथा 1036
57. वही, गाथा 467
58. वही, गाथा 1810
59. वही, गाथा 1010
60. वही, गाथा 1009
61. वही, गाथा, 1001-1004
62. वही, गाथा 1048
63. पंचेव य कोडीओ भंवति तह अट्ठसट्ठिलक्खाइं।
    णवणवर्दि च सहस्सा पंचसया होंति चुलसीदी।।
    - मूलाराधना, गाथा 1054
64. भगवती आराधना, गाथा 1047
65. वही, गाथा 1217
66. वही, गाथा 1493-1494
67. वही, गाथा 1046
68. वही, गाथा 362
69. वही, गाथा 687
70. वही, गाथा 700-702
71. वही, गाथा 213
72. वही, गाथा 253

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

हिन्दी साहित्यकार और स्त्री विमर्श

डॉ. बबीता यादव*

* सहायक प्राध्यापक, नवसंवत विधि महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – 'स्त्री विमर्श' उस साहित्यिक आंदोलन को कहा जाता है, जिसमें स्त्री अस्मिता को केन्द्र में रखकर संगठित रूप में स्त्री साहित्य की रचना की गई हो। हिन्दी साहित्य में स्त्री विमर्श अन्य अस्मितामूलक विमर्शों की भांति ही मुख्य विमर्श रहा है जो कि, लिंग विमर्श पर आधारित है। स्त्री विमर्श को अंग्रेजी में फेमिनिज्म कहा गया है। आंदोलन के रूप में इसकी शुरुवात ब्रिटेन और अमेरिका में हुई। 18 वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के दौरान कई संघर्ष हुए उनमें एक संघर्ष स्त्री-पक्ष ने भी किया। उन्होंने धर्मशास्त्र और कानूनों के द्वारा खुद को पुरुषों के मुकाबले शारीरिक और बौद्धिक धरातल पर कमजोर मानने से इंकार कर दिया।

आधुनिक काल में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है – स्त्री विमर्श। पितृसत्तात्मक मानसिकता एवं भूमंडलीकरण के विरुद्ध स्त्रियों ने एक जुट होकर जिस शक्ति का आरंभ किया है, वही नारीवाद या स्त्री विमर्श है। वर्तमान समाज में स्त्रियों का विकास तीव्रगति से हो रहा है। वह अपने दृढ़-निश्चय और कड़ी मेहनत से अपने दम पर बुलदियाँ हासिल कर रही है। और स्त्री की इसी उड़ान से पुरुष वर्ग डर गया है। जहाँ-जहाँ पुरुष का आधिपत्य था वहां भी स्त्रियों ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है। स्त्री विमर्श की समर्थक स्त्रियाँ, पुरुष नहीं बनना चाहती। ये स्त्रियाँ अपनी विशिष्ट दैहिक-मानसिक संरचना पर गर्व करती हैं। स्त्रियों के लिए सदियों से रूढ़िवादी परम्पराओं का एक मापदंड है जो दोहरे हैं। और जिन पर पुनर्विचार होना ही चाहिए। ताकि विकास के अवसर सबको समान मिल सके और समानता का अधिकार स्त्रियों को पूर्ण रूप से प्राप्त हो।

आज स्त्री उन क्षेत्रों में भी प्रवेश कर गई है, जिसमें केवल पुरुष ही हुआ करता थे घर और बाहर दोनों क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर रही है। परन्तु जब तक स्त्री स्वयं के लिए विचार नहीं करेंगी और उसके लिए ठोस कदम नहीं उठाएगी तब तक पुरुषसत्तात्मक समाज उसके व्यक्तित्व पर अत्याचार करते रहेगें। पुरुष अपनी सामाजिक स्थिति को सर्वोच्च देखता है और स्त्री को निम्न समझता है। यदि स्त्री अधिक पढ़ी-लिखी, जागरुक, तर्कशील, बुद्धिमान है तो पुरुष को उसके सम्मान का शायद खतरा पैदा हो सकता है। इसी झूठे अहं का शिकार पुरुष समाज यह सब कैसे सहन कर सकता है? कि स्त्री की सामाजिक, आर्थिक स्थिति उससे सर्वोच्च हो जाए या उसके बराबर हो। पुरुष में असुरक्षा की भावना एवं स्त्री को दबाकर और नियंत्रण में रखने की है। परन्तु आज शिक्षित कामकाजी अधिकार सजग अर्थ स्वतंत्र स्त्रियों ने पुरुषों के लिए कई समस्याएं खड़ी कर दी है।

किन्तु नारी स्वतन्त्रता का अर्थ स्वच्छंदता कदापि नहीं है वह पुरुष से मुक्ति नहीं, पुरुष में मुक्ति की आकांक्षा रखती है। और जब तक लेखन का दायित्व उसके हाथ में आया तो उसने अपनी अस्मिता को गरिमायुक्त बनाया होगा।

स्त्री विमर्श से जुड़ी लेखिकाओं को देखना यह है कि मात्र दफ्तरों में काम करने वाली नारी ही स्वतन्त्र नहीं है। क्योंकि स्वतन्त्रता का अहसास आंतरिक होता है। स्त्री की चिंता, आत्मनिर्भरता, आत्म संपन्नता के लिए होना चाहिए न कि, सामाजिक स्थिति में अभिशाप के एक बचाव की तरह इस्तेमाल करके दया बटोरने के लिए।

स्त्री जागरुक हुई और इस जागरुकता को प्रसारित करने में महिला लेखन का बड़ा प्रभाव रहा है। निखरे व्यक्तित्व और स्व-जागरूकता के साथ बड़ी संख्या में स्त्री लेखिकाएँ साहित्य में उतरी है। इन लेखिकाओं के स्त्री पात्र अपने अस्तित्व हेतु चौतन्य हो परम्परागत मूल्यों और पुरुष प्रधान समाज की कुत्सित मान्यताओं से संघर्ष कर रहे है।

मैत्रेयी पुष्पा के अनुसार – 'स्त्री विमर्श स्त्री के अस्तित्व की खोज है तथा नारी अस्मिता का उद्देश्य अस्तित्व को आधार बनाकर स्त्री का चेतना से युक्त बना व्यक्तिगत स्वतंत्रता का निर्माण करना है।'

महादेवी वर्मा के शब्दों में – 'भविष्य में भारतीय समाज की क्या रूपरेखा हो। उसमें नारी की कैसी स्थिति हो? उसके अधिकारों की क्या सीमा हो? आदि समस्याओं का समाधान आज की जाग्रत और शिक्षित नारी पर निर्भर है........... वह विरोध को ही चरम लक्ष्य मान लें और पुरुष से समझौते के प्रश्न को ही पराजय का पर्याय समझ लें तो जीवन की व्यवस्था अनिश्चित और विकास का क्रम शिथिल होता जाएगा। महादेवी वर्मा स्त्री की उस दशा को उजागर करना चाहती है, जब स्त्री के लिए अन्य अधिकारों की बात ही क्या की जाए? जब उसे जीने के अधिकारों से ही वंचित कर दिया गया था।'

रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में- 'पुरुष अपने अहम के वशीभूत ही स्त्री के वास्तविक स्वरूप से अनभिज्ञ रहा है, और आज तक यदि पुरुष नारी को समझ लेगा तो समाज की सारी विषमताओं का स्वत: ही निराकरण हो जाएगा, आवश्यकता उसे समझने और महसूस करने की है दिनकर पुरुष के झूठे पौरुष को केवल स्त्री पर हावी होना मानते है उसका पुरुषार्थ मात्र स्त्री को परतंत्र बना उस पर अधिकार करने में निहित है।'

मैत्रेयी पुष्पा के अनुसार – 'नारीवाद ही स्त्री विमर्श है। नारी की यथार्थ स्थिति के बारे में चर्चा करना ही स्त्री विमर्श है। मैत्रेयी पुष्पा नारीवाद और स्त्री विमर्श को चिन्तन का ही एक आयाम मानती है और स्त्री से जुड़े इस विधान को यथार्थ से जोड़ती है।'

प्रभा खेतान के अनुसार – 'नारीवाद न मार्क्सवाद है और न पूंजीवाद। स्त्री, हर जगह, हर वाद में, फैलाव में है। मगर संस्कृति के विस्तृत फलक पर आज भी वह वस्तुकरण का शिकार है। वस्तुकरण की इस पारम्परिक प्रक्रिया को पुरुष दृष्टि से नहीं बल्कि स्त्री दृष्टि से देखने और समझने की जरूरत है।' प्रभा खेतान स्त्री की वर्तमान स्थिति की जिम्मेदार स्वयं स्त्री को मानती है।

भारतीय चिंतक स्त्रीवाद के माध्यम से स्त्री और पुरुष के मध्य अंतर की गहराई को पाटने का भारतीय महिला लेखिकाओं ने ऐसी स्त्रियों की समस्यायों को आधार बनाकर अपने उपन्यासों की रचना की है। विशेष रूप से उषा प्रियंवदा तथा प्रभा खेतान के उपन्यास शेष यात्रा पीली आंधी में भारतीय स्त्री के जीवन के विभिन्न पहलुओं को समग्रता से उजागर किया है।

अंत में पूरे भरोसे के साथ आज यह कहने की स्थिति में है कि वर्तमान सदी की स्त्री लेखिकाओं ने अपने लेखन में आधुनिक स्त्री जीवन के व्यापक आयामों को स्पर्श करते हुए स्त्री संबंधी अनेक पुराने व नये प्रश्नों को उठाया ही नहीं, बल्कि अनेक विकल्पों को भी चिन्हित किया है। कस्बों, गांवों शहरों से लेकर दूर दराज के देशों में काम करने वाली स्त्रियों के त्रासद से अनुभवों को शब्द प्रदान किए है। टी. एस. इलियट के शब्दों में 'इतिहास जहां प्राचीनता में रमता है, वहीं वह भविष्य में दृष्टि भी रखता है।' अत: हम कह सकते है कि आधुनिक युग में स्त्री और पुरुष दोनों स्वतंत्र ईकाई होकर भी एक–दूसरे के पूरक बनकर सही मायने में परिवार को चलाए और समाज के विकास में सहयोग दें। पुरुष को भी स्त्रियों से तालमेल रखकर अपना अहंकार छोड़ना होगा और स्त्रियों को उसके अधिकार देने होंगे तभी हम एक स्वस्थ समाज का रूप देख सकेंगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. आधुनिक नारी समाज की नारी चेतना – डॉ. सुशील।
2. स्त्री विमर्श रचनाधर्मिता के संदर्भ में – विनय कुमार पाठक।
3. पितृसत्तात्मकता और स्त्री विमर्श – प्रभा खेतान।
4. भूमंडलीकरण और स्त्री विमर्श – प्रभा खेतान।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

Woman As A Scapegoat in Vijay Tendulkar's Silence ! The Court is in Session

Deepank Ahari*

***Assistant Professor (English) Govt. Girls College, Kherwara, Udaipur (Raj.) INDIA**

Abstract - The late Vijay Tendulkar is one of the most controversial yet the most popular dramatist in the contemporary Indian English Drama. His writings often display how women are victimized, exploited and tortured even today. Women during the Vedic ages were treated at par with men. They enjoyed all the rights without any discrimination but today their condition is highly pathetic. Their existence is questioned in womb. Physical exploitation and mental harassment have become everyday affairs now-a-days. All such unpalatable and shameful issues are widely discussed by Tendulkar in his various remarkable plays. Present paper tends to display how woman is used as a scapegoat in the light of his first play **Silence! The court is in session**. This play delves deep into the realities of life in the contemporary society. At one place he states, "As a social being, I am against all exploitations and I passionately feel that all exploitation must come to an end …" The paper highlights how the hypocrisy of the society tortures a woman physically, mentally and emotionally.

Key words - Exploitation, violence, scapegoat, victimized.

Introduction -Vijay Tendulkar is one of the most controversial yet the most popular dramatist in the contemporary Indian English Drama. Dramatists like Vijay Tendulkar, Girish Karnad, Mahesh Dattani and many more deserve due appreciation for the revival of the tradition of Indian Drama in English. They have made drama a typical art form, epitomizing the socio-political, economic and realistic image of Indian art, culture and values. Through the writings of these writers Indian English Drama has depicted the new light of humanism and realism against the philosophical creed of earlier writers like Tagore, Sri Aurobindo etc.

Vijay Tendulkar is a leading contemporary Indian playwright, screen and television writer, literary essayist, political journalist, and above all a social commentator. For the past four decades he has been the most influential dramatist and theatre personality. A resident of the city of Mumbai, Tendulkar (1928-2008) is the author of thirty full-length plays and twenty-three one act plays, several of which have become classics of modern Indian theatre. One of the Hercules Pillars of contemporary Indian English drama, Tendulkar represents the issues which are temporal and timeless. V.S. Naipaul considers him as India's best playwright. Arundhati Banerjee introduces Vijay Tendulkar thus, "Vijay Tendulkar has been in the vanguard of not just Marathi but of Indian theatre almost for forty years." He portrays the themes of isolation and alienation of an individual, and his perpetual struggle with the hostile surroundings. Tendulkar has won name and fame through his plays such as Silence! The Court is in Session, The Vultures, Sakharam Binder and Ghashiram Kotwal. Though his plays are sometimes criticized for excessive use of sex and violence, they are basically a part of modern man's anguish. He has created awareness among the masses about some of the basic problems of life.

As a keen observer of Indian society, he experimented with the less spoken issues. He never sheds away from saying unpalatable truths and shows the way people prefer to live. He describes hypocrisy, violence, lust for power and corruption as bare facts of modern life. He depicts how women are tortured, victimized and exploited. An attempt has been made to discuss the various factors responsible for the unfair treatment given to Miss Banare, the female protagonist, of this play and how she is compelled to tolerate physical, mental and emotional violence in the play.

Shantata! Court Chalu Ahe (Silence! The Court is in Session, 1967) was his first play in which he marked out to be a rebel against the established values of the society. With its translation in Hindi, he came to be regarded with

Mohan, Rakesh, Badal Sircar and Girish Karnad. This play combines social criticism with the tragedy of an individual victimized by society. The oppression and mental trauma of a woman has been articulated skillfully in this play. Though he cannot be branded as a "feminist" yet he effectively interrogates the patriarchal concept of a woman as an inferior being in the society. Silence! represents the dilemma of a young woman who is betrayed twice by her male counterparts. When hardly of fourteen years, she is robbed off her virginity by her own maternal uncle and later ditched by Prof. Damle also. It exposes insincerity of the society that excuses men but not women for the same kind of offence. In her essay, "On Gender and Power", Urvashi Barat, a literary critic, comments very aptly on power politics which is the main cause of female subjugation in the society: The most obvious and persistent theme in the plays of Tendulkar is 'power', its effect on people and their relationship with each other, and the way it dehumanizes and brutalizes those who live in it. Power politics, the battle for supremacy in society and inhuman relationships are demons treated in his work through gender. The role of gender in power game is unveiled in plays like Silence!

The Court is in Session and Kamala, and Ghasiram Kotwal, which focus directly on the status of women in a patriarchal society. These plays suggest how gender & power are inter- linked in society.(Critical Perspectives: Ghasiram Kotwal, 85)

Leela Benare, the central character of the play, dares to ignore the social taboos and lives an independent life according to her free will. "My life is my own, I haven't sold it to anyone for a job." She is projected as a rebel against the established norms of typical Indian society. A teacher by profession, she is self-dependent, carefree and empowered whereas all the male characters suffer from sadism and an inferiority complex as they have failed in their ways of life. They feel insecure and lack in confidence. These specific traits of male characters make Benare, a superior character. Mr. Kashikar is known for his pretention of social upliftment. Sukhatme is a lawyer who "Just sits alone in the barrister's room at court, swatting flies with legal Precedent!" Ponkshe fails twice in his effort of passing Inter Science Examination. Karnik is a complete failure as an actor. Prof. Damle is an escapist. Mrs. Kashikar is a total dependent on her husband and lacks in average I.Q. The only exception to all these character is Ms. Leela Benare. Despite being a woman, she is the only one who earns her livelihood by herself. The hypocrisy of the society, specially of the male-dominance, is exposed when they fail to accept her as a successful women among them. Consequently, most of the characters are often waiting for some or other opportunity for encashing the situation to humiliate Ms. Benare. The play is, in fact, a satire on the hypocrisy of the middle class society. The playwright himself points out: "…their characters, dialogues, gestures and even mannerisms reflect their petty circumscribed existence fraught with frustration and repressed desire that find expression in their malicious and spiteful attitude towards their fellow being." (Preface VIII)

To cover up their frustration, they perpetuate violence against her. They plan a 'Mock-law-court' as a rehearsal for evening performance. All the male characters take the position of legal officers and make Benare the scape-goat, a victim. All of them, in search of a proper opportunity conspire against her. The charge of infanticide is put against the spinster, Leela Banere who got pregnant once in her early life. This case is set to be examined in a court. It is through this mock-trial that her private life is exposed publically establishing her as a woman of loose character. She is tortured to such an extent that no distinction lies between a fictitious case and her real life. Gradually, the mock trial begins to assume sinister form. Benare, who is earlier taking it just as a sport, gradually realizes that she is being trapped and targeted. What is started as an entertaining game now has turned into a hunting game. Arundhati Banerjee maintains, "… the accusation brought against Benare at the beginning of the trial turns into the verdict at the end because contemporary Indian society, with its roots firmly grounded in reactionary world cannot allow the birth of a child out of wedlock." The climax of her torture is seen when she finds the door of the hall locked form outside & she is unable to leave these hungry vultures. Escape is denied to her. Her own gender, Mrs. Kashikar also assaults her by dragging her to the witness box. When Kashikar, playing the role of a Judge, listens that Benare is a spinster, he goes to the extent of approving the custom of child marriage and pulls her forcefully back to the witness box. Unable to bear so much of torture, she tries to drink poison TIK 20 but is prevented to do so. She gets totally devastated and depressed.

When observed minutely, we notice that women characters of Vijay Tendulkar are strong fighters against such cultural and social forces that challenge the individuality of a woman. In Silence! Benare is presented as a bold and daring protagonist who instead of breaking, collects mental courage, stands erect and speaks in self-defense. She speaks powerfully from the heart and protects herself well. "Yes, I have a lot to say. For so many years. I haven't said a word. Chances came, and chances went. Storms raged one after another about my throat. And there was a wail like death in my heart. But each time I shut my lips tight…" (p.72)

She comes down heavily on men conspiring against

her: "These are the mortal remains of some cultured men of the twentieth century. See their faces- how ferocious they look! Their lips are full of lovely worn-out phrases! And their bellies are full of unsatisfied desires." (74) This is the heart of a woman who is often targeted by the society, which fails to understand her inner feelings as a human being with normal biological urges. Benare is indeed the voice of so many suffering women of the society, whose molestation is done inside the family by any of the family members and thus they are tortured not only physically but also mentally and psychologically. Life becomes meaningless and loses all the attractions for these innocent but victimized women. The deep pain and agony of Benare's heart can be understood easily in her following statements: "Life is a poisonous snake that bites itself. Life is a betrayal, life is a fraud. Life is a drug. Life is drudgery…Life is a dreadful thing…" (p. 75) And then they have to fight a lot for their existence in the society. P. Obula Reddy and P. Pramila Devi appreciate Benare by calling her a 'new woman':

Benare, the principal character in the play is as sprightly rebellious and assertive as the heroine of Shakespeare romantic comedies…Of course, Benare is a lovely spark from the thunder bolt of Tendulkar. She is a new woman pleading for freedom from the social norms.

References :-

1. Banerjee, Arundhati. "Introduction," Five Plays. New Delhi: Oxford India Paperbacks, 1995, Eight Impression, 2006.
2. Barat, Urvashi. "On Gender and Power" in Critical Perspectives: Ghasiram Kotwal. Ed. V.B. Sharma. (New Delhi: Asia Book Club, 2001).
3. Tendulkar, Vijay. Silence! The Court is in Session. Trans., Priya Agarkar. Madras: Oxford University Press, 1978.
4. Tendulkar, Vijay. "A Testament." Indian Literature. No. 147. Jan-Feb 1992.
5. Reddy, P. Obula & P. Pramila Devi. "The Violence of Middle Class: A Study of Vijay Tendulkar's Silence! The Court is in Session." Indian Literature Today. Ed. R. K. Dhawan (New Delhi: Prestige, 1998, Vol. I).

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

Exploring the Synergy Between Digitalization, TQM and Sustainability in Pharmaceutical Companies

Dr. Shankar Choudhary*   Dr. G.C. Khimesra   Neha Shrivastav*****

*Director and Professor, Pacific Academy of Higher Education and Research University, Udaipur (Raj.) INDIA
** Retd. Principal, Govt. PG College, Mandsaur (M.P.) INDIA
*** Research Scholar (Management) Pacific Academy of Higher Education and Research University, Udaipur (Raj.) INDIA

Abstract - As digital technologies such as data analytics, the Internet of Things (IoT), and Artificial Intelligence (AI) continue to evolve, pharmaceutical companies are increasingly integrating these advanced solutions into their quality management processes. This digital transformation enables more precise data collection and analysis, real-time monitoring of manufacturing operations, and predictive maintenance of equipment.This research paper explores the intersection of Total Quality Management (TQM), Digital transformation, and Sustainability in pharmaceutical quality management This study investigates how TQM principles are merging with digital technologies to reshape quality management practices in the pharmaceutical industry. Through a comprehensive review of literature, the research delves into the integration of sustainability considerations into these digital transformations. By examining the benefits, challenges, and implementation strategies of digital initiatives within pharmaceutical quality management, this study aims to shed light on how digital solutions can optimize quality control, streamline operations, and promote sustainability in the industry. The findings contribute to a deeper understanding of the evolving landscape of pharmaceutical quality management in the digital age, offering recommendations for companies to effectively utilize digital technologies within their TQM frameworks to drive continuous improvement, and promote environmental sustainability in the production of safe and effective pharmaceutical products.
Keywords: Digital, Pharmaceutical, Sustainability, Total Quality Management, Technology.

Introduction - The pharmaceutical business finds itself at a critical juncture, with mounting pressure to improve product quality, maintain regulatory compliance, and tackle expanding environmental and social obligations. Pharmaceutical firms are under pressure to reconsider their quality management systems due to the increasing complexity of global health concerns and the growing expectations of consumers for safe, effective, and sustainable goods. An innovative strategy to satisfy these expectations is provided by the combination of digitalization, Total Quality Management (TQM), and sustainability.

Digitalization has caused a profound change in the way pharmaceutical corporations oversee their quality control procedures. Through the utilization of cutting-edge technologies like block chain, artificial intelligence (AI), machine learning, and the Internet of Things (IoT), digitalization facilitates improved traceability throughout the supply chain, real-time monitoring, and data-driven decision-making. These technologies guarantee improved standards of product quality and safety by streamlining operations and dramatically lowering the possibility of errors. AI-driven analytics, for example, might anticipate possible quality problems before they arise, enabling preventative actions and ongoing development. Additionally, block chain technology guarantees visible and unchangeable records of each transaction and procedure, enhancing regulatory compliance and confidence.

Pharmaceutical quality assurance has always placed a strong foundation in TQM. TQM, which is based on the ideas of customer focus, methodical problem-solving, and continuous improvement, encourages an environment in which all stakeholders are actively involved in preserving and improving quality. Pharmaceutical firms may systematically find inefficiencies, get rid of waste, and enhance their operations by implementing TQM practices. Putting TQM into practice results in the creation of strong quality systems that not only meet but also beyond legal standards, giving businesses a competitive edge.

Sustainability has emerged as a critical dimension in pharmaceutical quality management, driven by increasing awareness of environmental impact and social responsibility. The industry faces mounting pressure to

reduce its carbon footprint, minimize waste, and ensure ethical practices across the supply chain. Integrating sustainability into quality management involves adopting eco-friendly manufacturing processes, utilizing sustainable raw materials, and implementing energy-efficient technologies. Additionally, social sustainability focuses on ensuring fair laborpractices, community engagement, and contributions to global health initiatives. By embracing sustainability, pharmaceutical companies not only fulfill regulatory and societal expectations but also build resilience against market volatility and enhance their corporate reputation.

T he convergence of digitalization, TQM, and sustainability surpasses the limitations encountered when each is applied independently. This integrative model promotes innovation, enhances efficiency, and improves overall quality management. For instance, digital tools can enhance TQM practices by offering real-time data and analytics, while sustainability initiatives can be monitored and optimized using digital platforms. This comprehensive approach ensures that quality management systems are not only effective but also adaptable to future challenges and opportunities.By adopting these convergent strategies, pharmaceutical companies can achieve unprecedented levels of quality, compliance, and sustainability, ultimately contributing to better health outcomes and a more sustainable future. This paper will examine the individual and combined effects of these approaches, offering a comprehensive framework for modernizing pharmaceutical quality management in the 21st century.

Review of Literature

Digital technologies refer to the collection and paradigm of various intelligent and innovative technologies for connectivity, communication, and automation (Luo et al., 2022).The pharmaceutical sector has advanced rapidly because of advances in digitalization and automation, which begin with drug creation and continue through drug administration. Every growth in the pharmaceutical industry is linked to advancements in digitalization. (Mannan & Mubeen,2018).Pharmaceutical businesses are concentrating on finding ways to perform significantly during the period of high growth in the medical sector. Furthermore, there has been a shift in emphasis from financial success to social and environmental performance as a result of growing awareness of environmental protection and social responsibility. (Ma et al., 2022).

According to Lisna et al. (2022), Utilizing digital technology is essential to reorganizing the logistics and information support for all parties involved in pharmaceutical supply chains, enhancing the dependability and caliber of their operations, and safeguarding the chains against fake goods. This issue is particularly pertinent during a pandemic, as effective and continuous pharmaceutical logistics are frequently necessary to protect not just human life but also health. As a result, a comprehensive set of policies must be put in place today to raise the pharmaceutical industry's degree of digitalization. Doing so will help to improve the efficiency with which pharmaceutical supply chains operate as well as the consistency and dependability of the supply of drugs.

TQM is committed to constant development, focusing on achieving effective use of resources and, consequently, attaining a permanent position and durability In the pharmaceutical industry, quality is the key issue that needs to be addressed above all else, and there are many rules, regulations, and controls to ensure this. Therefore, in order to achieve such a goal, a quality management system that includes all relevant units of the organization and personnel is necessary. In the pharmaceutical sector, quality is the most important factor that must be taken into consideration. To that end, numerous laws, guidelines, and controls are in place to guarantee quality. Therefore, a quality management system that incorporates all pertinent organizational units and personnel is required in order to accomplish such an objective. (Qin et al., 2022).

Environmental changes brought on by pollution and population growth are a source of unrest and conflict. As a result, digitization became necessary to address these environmental challenges, as well as to increase competition and improve customer relations, productivity, profitability, and effective planning, problem-solving, and decision-making processes to guarantee the continuous supply of medical supplies. Without a doubt, digitalization is significantly contributing to the paradigm shift that the pharmaceutical industry is experiencing.(Tetteh et al., 2023) Digitally transforming a business entails implementing significant changes at the level of the business model, allowing companies to seize new forms of value. Organizations are actively seeking the optimal approach to achieve sustainability, striving for a balance between their economic goals, their social influence on communities, and their environmental footprint. (Hilali et al., 2020)

Objectives:

1. To explore the intersection of Total Quality Management (TQM), digital transformation, and sustainability in pharmaceutical quality management.
2. To Identify the benefits and challenges associated with implementing digital solutions and sustainability within pharmaceutical quality management.
3. To examineexisting strategies for deploying digital initiatives aimed at optimizing quality control and streamlining operations in the pharmaceutical industry.

Research Methodology: A qualitative, descriptive methodology is employed in the research, with a focus on TQM, digitalization and sustainable methods to pharmaceutical quality management. The investigation was started with a desktop review of the literature. The information was gathered using a range of online resources, including publications, databases, websites, government papers, and other online sources.

Total Quality Management (TQM) in Pharmaceuticals: Total Quality Management (TQM) embodies a holistic approach to ensuring quality and fostering improvement across all facets of an organization, spanning processes, culture, and strategic endeavors. Within the pharmaceutical realm, TQM assumes a critical role in safeguarding the development and delivery of pharmaceutical products that are not only safe and effective but also of high quality. TQM principles underscore the importance of continual enhancement and stringent quality oversight throughout the entirety of a product's lifecycle. Through the establishment of robust quality management systems and adherence to Good Manufacturing Practices (GMP), pharmaceutical enterprises can guarantee the manufacture of pharmaceuticals that meet rigorous standards of safety, efficacy, and quality.

TQM promotes efficiency enhancements and process optimization across all operational dimensions within the pharmaceutical sector. By embracing methodologies such as Kaizen and Lean Six Sigma, companies can bolster overall productivity, minimize waste, accelerate production cycles, and streamline manufacturing processes. Additionally, TQM methodologies such as Statistical Process Control (SPC) and Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) empower proactive identification and resolution of defects and deviations in manufacturing processes. Through systematic root cause analysis, implementation of corrective and preventive actions (CAPA), and cultivation of a culture of continuous improvement, pharmaceutical firms can mitigate the occurrence of defects, reduce instances of product recalls, and elevate the overall quality of their products.

Total Quality Management yields benefits for the pharmaceutical industry that extend beyond mere operational efficiency. It encompasses aspects such as customer satisfaction, regulatory adherence, product excellence, and strategic positioning. By embracing TQM principles and integrating them into their operations, pharmaceutical companies can fulfill their mission of delivering pharmaceuticals that not only adhere to stringent quality standards but also enhance patient outcomes and contribute to global public health initiatives.

Sustainability in Pharmaceutical Quality Management: Commitment to sustainability in pharmaceutical quality management involves striking a balance among environmental, social, and economic factors while guaranteeing the manufacture of pharmaceutical products that are safe, effective, and of high quality. To improve quality control and advance sustainability, pharmaceutical businesses are implementing a range of innovative sustainable practices. To decrease the use of hazardous materials and reduce waste and pollution, some of these strategies include using green chemistry concepts and eco-friendly manufacturing techniques. To reduce carbon emissions and lessen reliance on fossil fuels, they are also investing in energy-efficient technologies and renewable energy sources. Recycle programs and the development of sustainable packaging solutions both contribute to the reduction of packaging waste and the advancement of circular economy ideas. In addition, a lot of businesses take part in collaborations, industry efforts, and sustainability certifications in order to measure performance, exchange best practices, and promote ongoing development.

Digitalization in Pharmaceutical Quality Management: Digital technologies refer to the collection and paradigm of various intelligent and innovative technologies for connectivity, communication, and automation. Pharmaceutical quality management has seen a radical shift due to digitalization, which has revolutionized conventional methods and ensured the manufacturing of high-quality, safe, and effective pharmaceuticals.Pharmaceutical quality management systems are being combined with digital technologies like blockchain, Internet of Things (IoT), artificial intelligence (AI), and data analytics. These innovations make it possible to trace items safely all the way through the supply chain, monitor production operations in real time, and use predictive analytics for quality assurance. By leveraging IoT sensors and data analytics, Novartis improved real-time monitoring of equipment performance and production parameters((*Novartis Turns to Digital Technologies for Clinical Trials*, n.d.)

Pharmaceutical businesses can recognize patterns, foresee problems, and take proactive steps to uphold high standards of quality by using data-driven decision-making. Businesses may spot possible quality problems before they arise with real-time monitoring and predictive analytics capabilities, enabling prompt interventions and preventive measures.

As pharmaceutical firms increasingly adopt digitalization, they stand to elevate product quality, enhance regulatory compliance, and ultimately, yield improved outcomes for patients. By keeping pace with the evolving terrain of quality management in the digital era, companies can strategically position themselves for success in an industry marked by growing competition and complexity.

Convergence of Digitalization, TQM, and Sustainability: The convergence of digitalization, TQM, and sustainability in pharmaceutical quality management offers a comprehensive and innovative approach to achieving excellence. By harnessing the synergies between advanced technologies, continuous improvement methodologies, and sustainable practices, pharmaceutical companies can enhance product quality, ensure regulatory compliance, and promote environmental stewardship, ultimately leading to better patient outcomes and a more sustainable future for the industry.Pfizer has implemented a sustainable Lean Six Sigma methodology in order to enhance its manufacturing operations. (Scott &Migliaccio, 2020) Through the use of digital tools for real-time data analysis and process optimization, Pfizer has been able to improve product

quality, increase regulatory compliance, and significantly reduce waste and emissions.

Digital technologies when combined with TQM's focus on continuous improvement, these technologies can significantly enhance the identification and resolution of quality issues, leading to higher product standards and reduced waste. Digital solutions facilitate comprehensive tracking and reporting of compliance with regulatory standards and sustainability goals. Integrating TQM frameworks with digital tools ensures that compliance efforts are streamlined, transparent, and aligned with broader sustainability objectives.

The successful integration of digitalization, TQM, and sustainability into a unified framework requires careful planning and execution. Various models and frameworks can effectively lead this integration process. The Integrated Quality Management System (QMS) is one example of such a concept, integrating sustainability measures and digital tools into the TQM framework that is already in place(Bruun, 2024). This system incorporates sustainability standards into quality procedures while utilizing digital technology for data analysis, real-time monitoring, and predictive maintenance. A different strategy is Sustainable Lean Six Sigma, which blends sustainability ideas with Lean Six Sigma techniques. This strategy supports both economic and environmental goals by emphasizing waste reduction, efficiency improvements, and product quality enhancements, resulting in a balanced and long-lasting quality management system. Furthermore, the Digital Twin for Quality and Sustainability concept calls for building a virtual depiction of the production process.Integrating Information Technology (IT) and Operational Technology (OT) can improve real-time monitoring and control of pharmaceutical manufacturing processes. (COPA-DATA UK, 2024).This convergence enables automatic alerts when recorded values deviate from expected ranges, ensuring timely quality management interventions.

Several frameworks provide useful assistance for navigating the convergence of sustainability, TQM, and digitization in quality management. heavy foundations are provided by the ICH Q10 Pharmaceutical Quality System (PQM), which places a heavy emphasis on risk management and continual improvement. These concepts are exactly in line with TQM. The foundation for a proactive and flexible quality management system is laid by this framework. This is expanded upon by Sustainable Process Improvement (SPI), which incorporates environmental factors into standard process improvement techniques. Through the integration of sustainability indicators with conventional quality parameters, organizations may guarantee a comprehensive strategy that takes into account both environmental effect and quality. And lastly, models of the circular economy provide more information. These models support closed-loop systems that give material reuse and waste reduction first priority. Pharmaceutical businesses can concurrently greatly lower their environmental impacts by using these ideas.

Benefits and Challenges of Converging Digitalization, TQM, and Sustainability: Digital tools can automate quality management processes, reducing manual errors and increasing efficiency. Digital technologies enable real-time monitoring of pharmaceutical manufacturing processes, allowing for timely interventions and reducing the risk of quality issues. Leveraging data analytics can help optimize processes, reduce waste, and improve resource utilization, aligning with sustainability goals and enhancing overall quality (Carnerud et al., 2020). Digital technologies have the potential to optimize energy use through real-time monitoring and control of energy usage, waste reduction, and enhanced sustainability. By streamlining operations, consuming less materials, and enhancing supply chain management, digital technologies can help cut waste. These actions all support the development of a more robust quality management system in the pharmaceutical industry. While the convergence of digitalization, TQM, and sustainability in pharmaceutical quality management offers numerous benefits, it also poses several challenges. One of the biggest obstacles to integrating digitalization, TQM, and sustainability in pharmaceutical quality management is the high initial cost. Advanced digital technology implementation along with creating strong TQM systems necessitates large costs for projects in continuous improvement, process reengineering, and training. Furthermore, implementing sustainable practices frequently necessitates the initial investment in new processes and technologies, which can be expensive. Even though they are difficult at first, these early financial obligations are necessary for long-term improvements in sustainability, quality, and efficiency.

Additionally, integrating data across various systems and processes can be difficult and expensive in terms of both data management and integration. It can be difficult to ensure compliance with legal frameworks like ICH Q10 and ISO 9001:2015, especially when combining digital tools with sustainability activities. Furthermore, it might be difficult to promote staff involvement and the adoption of energy-saving methods; this calls for efficient training programs and communication techniques.

By strategically addressing these challenges through careful planning, investment in training and infrastructure, and fostering a culture of continuous improvement and sustainability, pharmaceutical companies can harness the full potential of this integrated approach to achieve long-term success and sustainability.

Strategies used by Pharmaceutical Companies for integration of Digitalization, TQM and Sustainability: Digital Quality Management Systems (QMS): These systems integrate quality control processes, document management, training records, and corrective/preventive action (CAPA) tracking into a centralized digital platform.

Digital QMS enhances data visibility, facilitates real-time collaboration, and streamlines compliance with regulatory requirements.

IoT-enabled Quality Monitoring: IoT devices are being deployed in pharmaceutical manufacturing facilities to monitor critical quality parameters in real-time. These devices collect data on temperature, humidity, pressure, and other environmental conditions to ensure product quality and regulatory compliance. By leveraging IoT technology, companies can identify deviations from quality standards promptly and take corrective actions to prevent quality issues.

Data Analytics for Quality Improvement: Advanced analytics algorithms can identify patterns, trends, and root causes of quality issues, enabling companies to implement targeted interventions for quality improvement. Data-driven insights also support continuous improvement initiatives and predictive maintenance strategies.

Digital Training and Education: TQM relies on a well-trained workforce to implement quality management principles effectively. Pharmaceutical companies are using digital training platforms and e-learning modules to provide employees with training on quality management practices, regulatory requirements, and sustainability initiatives. Digital training programs offer flexibility, scalability, and interactive learning experiences, ensuring that employees are equipped with the knowledge and skills needed to support TQM objectives.

Blockchain for Supply Chain Transparency: By implementing blockchain-based systems, companies can track the movement of raw materials, intermediates, and finished products from suppliers to consumers. Blockchain enables secure and immutable recording of transactions, reducing the risk of counterfeit products and ensuring product authenticity. Enhanced supply chain transparency supports TQM objectives by mitigating supply chain risks and ensuring the quality and integrity of pharmaceutical products.

Life Cycle Assessment (LCA) for Sustainability: Life Cycle Assessments (LCAs) evaluate the environmental footprint of their products throughout their life cycle and integrate suitable sustainability considerations into TQM processes.

Suggestion for Successful Integration: To maximize efficiency, maintain the highest quality standards, and promote sustainable practices across the pharmaceutical industry, implementing digital technology platforms for supply chain collaboration, such as big data analytics and block-chain technologies, can help address supply shortages and improve overall supply chain performance. Developing integrated management systems that combine digital tools, TQM principles, and sustainability goals ensures quality and sustainability throughout the digital transformation process.

Establishing a cross-functional steering committee to oversee the integration of digitalization, TQM, and sustainability initiatives is essential. Fostering a culture of innovation and continuous improvement drives the adoption of new technologies and quality management practices. Digital optimization of configurations and equipment can reduce resource consumption and waste, aligning with sustainability goals.

Implement continuous improvement practices such as Kaizen to regularly assess and enhance processes. This involves small, incremental changes that lead to significant improvements over time. Develop and monitor key performance indicators (KPIs) that reflect the success of digitalization, TQM, and sustainability initiatives. Regularly review these metrics to identify areas for improvement and ensure that objectives are met. These strategies are crucial for the successful integration of digitalization, TQM, and sustainability in pharmaceutical quality management

Conclusion: The pharmaceutical industry is at a pivotal moment, facing the need to enhance product quality, comply with stringent regulations, and meet expanding environmental and social responsibilities. Integrating digitization, Total Quality Management (TQM), and sustainability offers a transformative solution. Advanced technologies such as blockchain, AI, and IoT improve traceability, real-time monitoring, and decision-making, enhancing product quality and operational efficiency. TQM fosters a culture of continuous improvement, enabling firms to systematically identify inefficiencies, eliminate waste, and exceed regulatory standards. Embracing sustainability, companies can adopt eco-friendly manufacturing, use sustainable materials, and implement energy-efficient technologies, fulfilling societal expectations and building market resilience. This synergistic framework ensures quality management systems are effective and adaptable to future challenges. By converging these strategies, pharmaceutical companies can achieve unprecedented levels of quality, compliance, and sustainability, leading to better health outcomes and a more sustainable industry future. By strategically addressing challenges such as high initial costs and data integration complexities, pharmaceutical firms can realize the full potential of this integrated approach. Through continuous innovation, investment in training, and fostering a culture of sustainability, the industry can navigate complexities, achieve operational excellence, and contribute to a healthier, more sustainable future for all.

References:-

1. Accenture. (2020). *The future of pharma operations: Digital transformation*. Retrieved from https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-134/Accenture-The-Future-of-Pharma-Operations-Digital-Transformation.pdf
2. Bruun, A. M. (2024, January 12). *Pharmaceutical Quality Management System (QMS)*. SimplerQMS. https://

simplerqms.com/pharmaceutical-quality-management-system/

3. Carnerud, D., Mårtensson, A., Ahlin, K., &Slumpi, T. P. (2020). On the inclusion of sustainability and digitalisation in quality management – an overview from past to present. *Total Quality Management and Business Excellence/Total Quality Management & Business Excellence*, 1–23. https://doi.org/10.1080/14783363.2020.1848422
4. COPA-DATA UK. (2024, March 18). *6 ways to increase quality and productivity in life sciences & pharmaceutical manufacturing | COPA-DATA*. https://www.copadata.com/en/industries/pharmaceutical/life-sciences-pharmaceutical-insights/six-ways-to-increase-quality-and-productivity-in-pharmaceutical-manufacturing/
5. Dale, B. G. (2015). *Total quality management: An overview*. John Wiley & Sons.
6. Deloitte. (2019). *Digital transformation in the pharmaceutical industry: Opportunities and challenges*. Retrieved from https://www2.deloitte.com/us/en/pages/life-sciences-and-health-care/articles/digital-transformation-pharmaceuticals-life-sciences.html
7. Hilali, W. E., Manouar, A. E., &Idrissi, M. a. J. (2020). Digital Transformation for Sustainability: A Qualitative analysis. *Computer and Information Science*, *13*(3), 30. https://doi.org/10.5539/cis.v13n3p30
8. Lisna, A. G., Posilkina, O. V., Litvinova, O. V., &Brat³shko, Y. S. (2022). The study of modern trends in the development of digital logistics in the pharmaceutical industry. *Socìal¹naFarmacìâ V Ohoronì Zdorov'â*, *8*(1), 34–50. https://doi.org/10.24959/sphhcj.22.244
9. Luo, H., Lin, L., Chen, K., Antwi-Afari, M. F., & Chen, L. (2022). Digital technology for quality management in construction: A review and future research directions. *Developments in the Built Environment*, *12*, 100087. https://doi.org/10.1016/j.dibe.2022.100087
10. Ma, J., Shi, L., & Kang, T. (2022). The effect of digital transformation on the pharmaceutical sustainable Supply chain performance: The mediating role of information sharing and traceability using structural equation modeling. *Sustainability*, *15*(1), 649. https://doi.org/10.3390/su15010649
11. Mannan, A., &Mubeen, H. (2018). DIGITALISATION AND AUTOMATION IN PHARMACEUTICALS FROM DRUG DISCOVERY TO DRUG ADMINISTRATION. *International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences/International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences*, *10*(6), 1. https://doi.org/10.22159/ijpps.2018v10i6.24757
12. McKinsey & Company. (2021). *The convergence of digitalization and sustainability in pharmaceuticals*. Retrieved from https://www.mckinsey.com/industries/pharmaceuticals-and-medical-products/our-insights/the-convergence-of-digitalization-and-sustainability-in-pharmaceuticals
13. *Novartis turns to digital technologies for clinical trials*. (n.d.). https://www.clinicalleader.com/doc/novartis-turns-to-digital-technologies-for-clinical-trials-0004
14. Oakland, J. S. (2014). *Total quality management and operational excellence: Text with cases*. Routledge.
15. Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA). (2021). *Sustainability in the pharmaceutical industry*. Retrieved from https://www.phrma.org/Advocacy/Sustainability
16. Qin, S., Duan, X., Al-Hourani, A. F., &Alsaadi, N. (2022). Evaluation of total quality management in Turkish pharmaceutical companies: a case study. *Sustainability*, *14*(16), 10181. https://doi.org/10.3390/su141610181
17. Sarkar, S. (n.d.). *Digital transformation in pharma*. https://ketiv.com/blog/how-digital-transformation-is-shaping-pharma/
18. Scott, J., &Migliaccio, G. (2020, November 12). Embedding a culture of continuous improvement & lean manufacturing across Pfizer Global manufacturing. *BioPharm International*. https://www.biopharminternational.com/view/embedding-culture-continuous-improvement-lean-manufacturing-across-pfizer-global-manufacturing
19. Smith, J. (2020). Sustainable practices in the pharmaceutical industry. *Journal of Cleaner Production, 256*, 120242. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120242
20. Tetteh, M. G., Jagtap, S., &Salonitis, K. (2023). Pharma 4.0: Revealing drivers of the digital transformation in the pharma sector. In *Lecture notes in mechanical engineering* (pp. 528–535). https://doi.org/10.1007/978-3-031-28839-5_59
21. Wong, W. P., Saw, P. S., Jomthanachai, S., Wang, L. S., Ong, H. F., & Lim, C. P. (2023). Digitalization enhancement in the pharmaceutical supply network using a supply chain risk management approach. *Scientific Reports*, *13*(1). https://doi.org/10.1038/s41598-023-49606-z
22. World Economic Forum. (2020). *The digital transformation of industries: Industry case studies*. Retrieved from https://www.weforum.org/reports/digital-transformation-of-industries-pharmaceuticals

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महिला उद्यमियों की भूमिका

स्वप्निल चौहान*

* शोधार्थी, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – लगभग सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं के स्वामित्व वाले व्यवसाय अत्यधिक बढ़ रहे हैं। समाज में भूमिका और आर्थिक स्थिति के प्रति बढ़ती संवेदनशीलता के साथ महिलाओं की छिपी उद्यमशीलता क्षमताएं धीरे-धीरे बदल रही हैं। व्यवसाय में कौशल, ज्ञान और अनुकूलनशीलता महिलाओं के व्यवसाय-उद्यमों में उभरने के मुख्य कारण हैं। मीडिया के आगमन के साथ, महिलाएं अपने गुणों, अधिकारों और कार्य स्थितियों के बारे में भी जागरूक हैं। वे डिजाइनर, इंटीरियर डेकोरेटर, निर्यातक, प्रकाशक, परिधान निर्माता के रूप में फल-फूल रहे हैं और अभी भी आर्थिक भागीदारी के नए रास्ते तलाश रहे हैं। तदनुसार, पिछले दो दशकों के दौरान, बढ़ती संख्या में भारतीय महिलाओं ने उद्यमिता के क्षेत्र में प्रवेश किया है और वे धीरे-धीरे आज के व्यवसाय का चेहरा शाब्दिक और आलंकारिक रूप से बदल रही हैं। आधुनिक प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग, निवेश में वृद्धि, निर्यात बाजार में जगह तलाशने, दूसरों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने और संगठित क्षेत्र में अन्य महिला उद्यमियों के लिए रुझान स्थापित करने के लिए महिला उद्यमियों की सराहना की जानी चाहिए। हालाँकि महिला उद्यमियों ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है, लेकिन तथ्य यह है कि वे पहले से कहीं अधिक योगदान देने में सक्षम हैं। पिछले दशक के दौरान महिला उद्यमिता को आर्थिक विकास के एक महत्वपूर्ण अप्रयुक्त स्रोत के रूप में मान्यता दी गई है। महिला उद्यमी अपने और दूसरों के लिए नई नौकरियाँ पैदा करती हैं। वे समाज को प्रबंधन, संगठन और व्यावसायिक समस्याओं के साथ-साथ उद्यमशीलता के अवसरों के दोहन के लिए विभिन्न समाधान भी प्रदान करते हैं।

महिला उद्यमी की परिभाषा – 'महिला उद्यमी' वह व्यक्ति है जो अपनी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए चुनौतीपूर्ण भूमिका स्वीकार करती है। कुछ सकारात्मक करने की तीव्र इच्छा उद्यमशील महिलाओं का अंतर्निहित गुण है, जो परिवार और सामाजिक जीवन दोनों में मूल्यों का योगदान देने में सक्षम है।

उद्देश्य :

1. महिला उद्यमियों को उनके व्यवसाय में प्रेरित करने वाले कारकों का आकलन करना।
2. भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में उनकी भूमिका का विश्लेषण करना।
3. महिला उद्यमियों के विकास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को सामने लाना।

महिला उद्यमियों को प्रेरित करने वाले कारक – व्यवसाय की शुरुआत और सफलता में प्रेरणा एक महत्वपूर्ण कारक है। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि व्यक्तिगत कार्य प्रदर्शन क्षमता का एक कार्य है और प्रेरणा आंतरिक और बाहरी दोनों उत्तोजनाओं से उत्पन्न होती है। दबाव और खिंचाव कारकों के कारण उत्पन्न प्रेरणाएँ संभावित उद्यमी की अपेक्षाओं को उत्तोजित करती हैं। यह वह प्रेरणा है जो सीधे तौर पर उद्यमशीलता संबंधी निर्णयों को जन्म देती है। 'Push Factor'और 'Pull Factor' व्यक्तिगत उद्यमशीलता व्यवहार को निर्धारित करते हैं, किसी व्यक्ति की अपेक्षाओं को उत्तेजित करते हैं और उसका निर्माण करते हैं।

इस प्रकार महिला उद्यमियों के प्रेरक कारकों की पहचान करने की आवश्यकता प्रतीत होती है जो व्यवसाय शुरू करने के उनके निर्णय को जन्म देते हैं।

पुश कारक: पुश कारक वे कारक हैं जो आवश्यकताओं से संबंधित हैं जैसे (1) बेरोजगारी, (2) अतिरेक, (3) मंदी, (4) पर्याप्त पारिवारिक आय नहीं, (5) वर्तमान नौकरी से असंतोष, और (6) काम और घरेलू भूमिकाओं को समायोजित करने की आवश्यकता।

पुल कारक: उद्यमशील अवसर पैदा करने वाली एक संपन्न अर्थव्यवस्था से प्रेरित स्व-रोजगार बनने का निर्णय ऐसे कारकों से संबंधित है जैसे (1) स्वतंत्रता की आवश्यकता, (2) चुनौती की आवश्यकता, (3)) बेहतर वित्तीय अवसर, (4) आत्म-संतुष्टि, (5) खुद का मालिक बनने की इच्छा, (6) परिवार और काम में संतुलन बनाने का लचीलापन, (7) शौक विकसित करने की क्षमता, (8) व्यक्तिगत उपलब्धि और (9) रोल मॉडल और अन्य लोगों का प्रभाव (दोस्त और परिवार)।

भारत में महिला उद्यमियों की भूमिका और योगदान – भारत में, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र में महिलाओं का वर्चस्व है। सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र में कार्यरत लोगों में 74 प्रतिशत महिलाएं शामिल हैं। कुटीर/हस्तशिल्प उद्योगों (सूक्ष्म उद्यम) में 65 प्रतिशत से अधिक महिलाएँ खाद्य उत्पादों और पेय पदार्थों के प्रसंस्करण में लगी हुई थीं

आर्थिक योगदान– महिलाओं की आर्थिक गतिविधियाँ अनौपचारिक व्यावसायिक समस्याओं से निपटने में विकास और दक्षता में सीधे योगदान देती हैं और गरीबी में कमी नीति निर्माताओं के लिए मुख्य मुद्दों में से एक है।

पूंजी निर्माण – उद्यमी औद्योगिक प्रतिभूतियों को जारी करके जनता की निष्क्रिय बचत जुटाते हैं। उद्योग में सार्वजनिक बचत के निवेश से राष्ट्रीय संसाधनों का उत्पादक उपयोग होता है। पूंजी निर्माण की दर बढ़ती है, जो

तीव्र आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है।

प्रति व्यक्ति आय में सुधार – भारत में महिला उद्यमी भी अवसरों का दोहन कर रही हैं। वे भूमि, श्रम और पूंजी जैसे अव्यक्त और निष्क्रिय संसाधनों को वस्तुओं और सेवाओं के रूप में राष्ट्रीय आय और धन में परिवर्तित करती हैं। वे देश के शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और प्रति व्यक्ति को बढ़ाने में मदद करती हैं जो आर्थिक विकास को मापने के लिए महत्वपूर्ण मानदंड हैं।

रोजगार सृजन – भारत में महिला उद्यमी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। लघु उद्योग स्थापित करके वे लोगों को रोजगार देते हैं।

सामाजिक योगदान – महिला उद्यमी देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास और जीवन स्तर में सुधार की दिशा में भी योगदान दे रही हैं।

1. **संतुलित क्षेत्रीय विकास –** भारत में महिला उद्यमी आर्थिक विकास में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करती हैं। वे सरकार द्वारा दिए जाने वाले संसाधनों, रियायतों और सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करते हैं।

2. **जीवन स्तर में सुधार –** लघु उद्योगों की स्थापना से आवश्यक वस्तुओं की कमी को कम किया जा सकता है तथा नये उत्पाद लाये जा सकते हैं। इस देश में महिला उद्यमी बड़े पैमाने पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन कर रही हैं और उन्हें कम दरों पर पेश कर रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप जीवन स्तर में सुधार हो रहा है।

अन्य योगदान – महिला उद्यमी समाज की संस्कृति को बदलने में मुख्य भूमिका निभाती हैं। हमारे देश में महिलाएं घर से बाहर निकलकर स्वतंत्रता आदि की भावना विकसित करती हैं। इस प्रकार हमारे देश में महिला उद्यमी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण संरक्षण, बैकवर्ड और फॉरवर्ड एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं और ष्बींदहपदह ।हमदजष के रूप में कार्य कर रही हैं, इस प्रकार देश की आर्थिक वृद्धि में योगदान दे रही हैं।

महिला उद्यमियों को विकसित करने के लिए भारत सरकार की पहल – आजादी के बाद से ही महिलाओं का विकास सरकार का नीतिगत उद्देश्य रहा है। सरकारी और गैर सरकारी निकायों ने स्व-रोजगार और औद्योगिक उद्यमों के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक योगदान पर अधिक ध्यान दिया है।

1. प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56) में महिलाओं के लिए कई कल्याणकारी उपायों की परिकल्पना की गई। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना, महिला मंडलों का संगठन और सामुदायिक विकास कार्यक्रम इस दिशा में कुछ कदम थे।
2. दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956-61) में, महिलाओं के सशक्तिकरण को गहन कृषि विकास कार्यक्रमों के समग्र दृष्टिकोण के साथ निकटता से जोड़ा गया था।
3. तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना (1961-66 और 1969-74) ने एक प्रमुख कल्याणकारी उपाय के रूप में महिला शिक्षा का समर्थन किया।
4. पाँचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-79) में उन महिलाओं के प्रशिक्षण पर जोर दिया गया, जिन्हें आय और सुरक्षा की आवश्यकता थी। यह योजना अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक और भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के साथ मेल खाती है। 1976 में, सामाजिक कल्याण मंत्रालय के तहत महिला कल्याण और विकास ब्यूरो की स्थापना की गई थी।
5. छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में कल्याण से विकास की ओर एक निश्चित बदलाव देखा गया। इसने महिलाओं की संसाधनों तक पहुंच की कमी को उनके विकास में बाधा डालने वाले एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में पहचाना।
6. सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) में लैंगिक समानता और सशक्तिकरण की आवश्यकता पर जोर दिया गया। पहली बार, आत्मविश्वास पैदा करने, अधिकारों के संबंध में जागरूकता पैदा करने और बेहतर रोजगार के लिए कौशल प्रशिक्षण जैसे गुणात्मक पहलुओं पर जोर दिया गया।
7. आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) ने पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से, विशेषकर बुनियादी स्तर पर, महिलाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया।
8. नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) ने एक महत्वपूर्ण रणनीति अपनाई जिसके अंतर्गत महिला उद्यमियों के लिए अनेक योजनाएं बनाई गई।
9. दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) का लक्ष्य नारी सशक्तीकरण था। जिसके अंतर्गत महिला सशक्तिकरण नीति (2001) क्रियान्वित की गई और महिलाओं की उत्तारजीविता, सुरक्षा और विकास सुनिश्चित किया गया।
10. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) का उद्देश्य महिलाओं को राजनीतिक, शैक्षिक, आर्थिक, कानूनी रूप से सशक्त बनाना है।
11. बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) सभी महिलाओं की गरिमा और समानता सुनिश्चित करने के लिए है, जिससे उन्हें अपनी आर्थिक वृद्धि के माध्यम से अपनी पसंद, संसाधनों, सामाजिक धारणाओं और दृष्टिकोणों पर नियंत्रण हासिल करने में सक्षम बनाया जा सके। सभी राष्ट्रीय नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों को जन्म देकर सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता।

वर्तमान में, भारत सरकार के पास विभिन्न विभागों और मंत्रालयों द्वारा महिलाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित हैं।

1. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी),
2. खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी),
3. स्व-रोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण (ट्राइसेम),
4. प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई),
5. उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (ईडीपी),
6. प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी)
7. महिला विकास निगम (डब्ल्यूडीसी),
8. ग्रामीण महिलाओं के गैर-कृषि उत्पादों का विपणन (महिमा),
9. गैर-कृषि विकास (ARWIND) योजनाओं में ग्रामीण महिलाओं को सहायता
10. व्यापार संबंधी उद्यमिता सहायता और विकास

निष्कर्ष – भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति स्पष्ट रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया में है और भविष्य के सामाजिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है।यह शोध पत्र महिला उद्यमिता समाज में महिलाओं की स्थिति और उसी समाज में उद्यमिता की भूमिका दोनों के बारे में है। भारतीय महिलाएं देश की सामाजिक-आर्थिक प्रगति शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

महिलाओं को सशक्त बनाया जाना चाहिए ताकि वे भारत को गौरव की ओर ले जा सकें। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को अच्छे अवसरों तक पहुंच प्रदान की जानी चाहिए ताकि वे सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन ला सकें और देश के विकास में योगदान दे सकें।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. लखन लाल चौकचे (2021) – महिलाओं के अधिन विकास में जयाविना विकास क्रार्यक्रमों के ओगवान का अध्ययन करना (इंदौर संभाग के विशेष सदर्भ में)
2. सुजाता परी अहिरवाल, प्रो. जिनेन्द्र कुमार जैन (2014) – महिला उद्यमिता और सरकारी भूमिका: वर्तमान परिद्रश्य भारत के संदर्भ में।
3. Ritwik Saraswat and Ramya lathabahvan - A Study on women Enterpreneurship in India
4. Vanita yadar and Jeemal unni - Women Enterpreneur -ship: research review and future Directions

Websites:-

1. www.inspirajournals.com
2. www.jetir.org
3. www.startupindia.gov.in
4. www.researchgate.net
5. www.econstor.ev
6. www.worldwidejournals.com

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

भारत में पंचायती राज का उद्भम

कृष्णा राजावत*

* शोधार्थी, जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ (डीम्ड-टू-बी विश्वविद्यालय) उदयपुर (राज.) भारत

शोध सारांश – भारत जैसे महादेश में जहाँ विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र स्थापित है। और इतने बड़े लोकतान्त्रिक देश में केवल केन्द्रिय सरकार से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है की यह समुचे देश कि शासन व्यवस्था का निर्वाह कर सकेगें चाहे वह कितने ही शक्तिशाली क्यों न हो समस्याएँ भी कई स्तर की होती है, कुछ राष्ट्रीय स्तर की, कुछ राज्य स्तर की लेकिन कुछ समस्याएँ विशुद्ध स्थानीय होती है जिनका समाधान धरातल के दृष्टि कोण पर ही निर्भर करता है और यह धरातल की समस्याएँ और उनका समाधान ही स्थानीय स्वशासन कि संस्थाओं को जन्म देता है।

भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने पंचायत के सम्बन्ध में कहा – 'यदि हमारी आजादी को जनता की आवाज का प्रतिनिधि बनाना है तो पंचायतो को अधिकाधिक शक्ति सम्पन्न बनाना होगा।'

अत: महिलाओं की इन संस्थाओ में क्या वास्तविक भूमिका है पर कई शोध हुए तथा शोध निरंतर जारी है।

प्रस्तावना – भारत में पंचायती राज व्यवस्था नयी नहीं है अपितु यह प्राचीन काल से ही भारत में विद्यमान रही है। भारत में यह हजारों वर्षो पूर्व की व्यवस्था है।भारत के प्रचीन ग्रंथो में इस व्यवस्था के चिन्ह देखे जा सकते है भारत प्राचीन काल से ही ग्राम प्रधान रहा है। प्राचीन काल में मगध, नालन्दा, तक्षशिला, और अन्य कई राज्य थे। वही ग्रामीणा क्षैत्र में स्थानीय समस्याओं के निराकरण हेतु ग्राम पंचायते विद्यमान थी। पंचायती राज व्यवस्था को विभिन्न कालो के आधार पर विभाजित किया जा सकता है, जैसे –

1. प्राचीन काल में स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज,
2. मध्य कालीन पंचायती राज व्यवस्था,
3. ब्रिटिश काल में स्थानीय स्वशासन,
4. स्वतन्त्र भारत में ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था

विभिन्न कालो में पंचायती राज संस्थाओ पर अध्ययन से यह ज्ञात होता है की यह संस्थाएँ अलग-अलग स्वरूप व संरचना के साथ भारत की राज व्यवस्था का अभिन्न अंग रही है।

लेकिन स्वतन्त्रता के पश्चात् संविधान सभा ने राज व्यवस्था को लेकर एक लम्बी बहस शुरू हो गई। गाँधी जी ने एक ऐसे आदर्श राज व्यवस्था का सपना देखा जिसमें ग्रामीण समुदाय की अहम भूमिका है। गाँधी जी की मूलत: मान्यता थी की सत्ता ऊपर से नही अपितु ग्राम पंचायत से प्रारंभ होकर राष्ट्रीय पंचायत तक जानी चाहिए। गाँधी जी ने कांग्रेस महासमिति के समक्ष राज व्यवस्था को लेकर दो बार अपनी योजना प्रस्तुत की पहली 1946 में और दूसरी बार 1948 में।

कई बुद्धिजीवियो ने जैसे – श्री दामोदर सेठ, श्री सिब्बल लाल सक्सेना, श्री अय्यर, मेटकाफे ने ग्रामीण गणतंत्रो की भूरी-भूरी प्रषंसा की थी।

मेटकाफे के वक्तव्य को डॉ. अम्बेडकर ने अलग तरह से प्रतिपादित किया उनका तर्क था की मेटकाफे का यह आकलन रूमानी है और वास्तविकता से परे है और उन्होने अपनी व्याख्या करते हुए पंचायती राज के तर्क को पूर्णत: अस्वीकृत कर दिया।

अत: भारत की संविधान सभा ने पंचायती राज के पक्ष में निर्णय न लेकर संसदीय प्रणाली के पक्ष में निर्णय लिया। पंचायती राज की स्थापना को महत्ता को स्वीकार करते हुए इसे संविधान के चौथे अध्याय में डाल दिया।

पाँच के दशक में पंडित नेहरू के नेतृत्व में सामुदायिक विकास कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण विकास योजना के रूप में शुरू हुआ। संक्षेप में यदि कहे तो पंचायती राज की स्थापना को गति प्रदान करने के लिये और उसे स्थापित करने के लिये इस योजना का महत्वपूर्ण हाथ है।

सन् 1957 में इसी विकास योजना के सफल संचालन के लिये बलवन्त राय मेहता समिति की नियुक्ति हुई। फिर 1978 में अशोक मेहता समिति, हनुवन्त राय समिति, जी.वी. के समिति, डॉ. एल.एम.सिंघवी समिति आदि समितियों का गठन किया गया।

पंचायती राज की संस्थाओ की शक्तियो संरचना और किस प्रकार विकस की वाहक बनावे इस पर जो समितिया बनी सबकी राय थी की इन्हें आधारभूत ईकाई बनाया जाये। सभी समितियो का सार संक्षेप में यह है कि इन्हें समुचित शक्तिया दी जाये दूसरा इन्हें अधिक से अधिक स्वायत्ता प्रदान कि जाये और साथ ही समितियो को वित्तिय संसाथन उपल्बध करवाने की सिफारिश की।

73 वां संविधान संशोधन व 74 वां संविधान संशोधन को हम स्थानीय स्वशासन की ईकाईयो के इतिहास में मील का पत्थर कह सकते है। इन संस्थाओ को प्रणवान व पुर्नजीवित करने का श्रैय श्री राजीव गाँधी को दे तो कोई अतिशयोक्ति नही होगी।

73 वां संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं में गुणात्मक परिवर्तन देखे जा सकते है। इस संशोधन के माध्यम से पहली बार महिलाओं, अनुसुचित जातिओ, जनजातियों जैसे कमजोर वर्ग को व्यापक स्तर पर आरक्षण से प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान किया गया है। इस वर्ग

की आवक से न केवल राजनिति के क्षैत्र में अपितु सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के आसार दिखाई देते है। इससे राजनितिकरए की प्रकिया तीव्र होगी। जो सामाजिक आर्थिक बदलाव का मार्ग भी प्रशस्त करेगी ऐसी आशा की जा सकती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. आर. एस. दरड़ा फ्रॉम प्युडिलीज्म टू डेमोक्रेसी, दिल्ली 1971 पृष्ठ 283
2. आर. एस. दरड़ा लोकल गर्वनमेंट ए कम्पेरेटिव स्टडी, 1985, पृष्ठ 32–33
3. वही पृष्ठ 36–37
4. रविन्द्र शर्मा, विपेज पंचायत इन राजस्थान, जयपुर 1986, पृष्ठ 18
5. श्वेता मिश्रा, डेमोक्रेटिक डिसेन्टरालाइजेशन इन इंडिया, नई दिल्ली 1994 पृष्ठ33–33
6. पंचायती राज कानून संग्रह, जयपुर 1986 पृष्ठ 48
7. वह पृष्ठ 48
8. वही पृष्ठ 59
9. इकबाल नारायण, पंचायतीराज एडमिनिस्ट्रेषन इन राजस्थान, नई दिल्ली, 1973 पृष्ठ 4
10. वही पृष्ठ 5–6
11. श्री कृष्ण दत्त शर्मा एवं सुनीता दाधिच, राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद्, अधिनियम, जयपुर 1983 पृष्ठ 122
12. वही पृष्ठ 128–129
13. वही पृष्ठ 130
14. हैनरिक मैडिक, ए स्टडी ऑफ रूरल लाईफ गर्वमेंट इन इंडिया, लंदन 1970, पृष्ठ 102
15. इकबाल नारायण, एम.वी. माथुर एवं अन्य, पंचायतीराज इन राजस्थान, जयपुर, 1966 पृष्ठ 60–65
16. वही पृष्ठ 60–65
17. वही पृष्ठ 58
18. पंडित जवाहर लाल नेहरू, सामुदायिक विकास एवं पंचायतीराज के राज्य मंत्रियो के सम्मेलन में उद्बोधन, नई दिल्ली, 3 अगस्त 1962
19. सादिक अली समिति रिपोर्ट, राजस्थान सरकार जयपुर 1963, पृष्ठ 3
20. वही पृष्ठ 16–17
21. वही पृष्ठ 20
22. वही पृष्ठ 21–22
23. सादिक अली रिपोर्ट, राजस्थान सरकार, जयपुर 1963, पृष्ठ 52–53
24. वही पृष्ठ 24–25
25. वही पृष्ठ 25–26
26. गिरधारी लाल व्यास समिति (आदेश संख्या एफ.एड./3926 एड.एम./71 दिनांक 8 नवम्बर1971) पृष्ठ 5–7
27. वही पृष्ठ 154–163
28. वही पृष्ठ 164–165
29. बसन्ती लाल बाबेल, राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 जयपुर, वही पृष्ठ 5 धारा –4
30. वही पृष्ठ 16 धारा 6
31. वही पृष्ठ 16 धारा 5
32. वही पृष्ठ 17 धारा 7
33. वही पृष्ठ 22 धारा 23
34. वही पृष्ठ 84–86, धारा 51
35. वही पृष्ठ 53 धारा 23
36. वही पृष्ठ 40
37. वही पृष्ठ 41
38. वही पृष्ठ 94

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

चाय उत्पादन की मूलभूत जानकारी एवं तरीके (जशपुर जिले के विशेष संदर्भ में)

डॉ. एस.के. शर्मा* गुलशन केरकेट्टा**

* प्राचार्य, पी एन एस महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) भारत
** शोधार्थी (वाणिज्य) अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) भारत

प्रस्तावना – भारत में चाय की खेती बहुत पुराने समय से की जा रही है वर्ष 1835 में सर्वप्रथम अंग्रेजो ने असम के बागों में चाय लगाकर इसकी शुरुआत की थी। वर्तमान समय में भारत के कई राज्यों में चाय की खेती की जाती हैं। इससे पहले चाय की खेती केवल पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती थी, किन्तु अब यह पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर मैदानों क्षेत्रों तक पहुंच गई हैं। विश्व में भारत को चाय उत्पादन के मामले में दूसरा स्थान प्राप्त हैं। दुनिया की तक़रीबन 27 प्रतिशत चाय का उत्पादन भारत में ही किया जाता हैं। इसके साथ ही 11 प्रतिशत चाय उपभोग के साथ भारत सबसे बड़ा चाय का उपभोगकर्ता भी हैं। चाय को पेय पदार्थ के रूप में इस्तेमाल में लाया जाता है। यदि आप चाय का सेवन सीमित रूप में करते हैं, तो इसके कई फायदे भी प्राप्त होते है भारत में चाय सबसे ज्यादा पीया जाने वाला पेय पदार्थ है, तथा विश्व में भी पानी के बाद अगर किसी पेय पदार्थ का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है, तो वह चाय ही हैं। चाय में कैफीन भी अधिक मात्रा में पाई जाती हैं चाय मुख्य रूप से काले रंग में पाई जाती है, जिसे पौधों और पत्तियों से तैयार किया जाता है। गर्म जलवायु में चाय के पौधो अच्छे से विकास करते है। चाय की खेती के लिए हल्की अम्लीय भूमि की आवश्यकता होती है। इसकी खेती के लिए उचित जल निकासी वाली जगह होनी चाहिए, क्योकि जलभराव वाली भूमि में इसके पौधो बहुत जल्द ख़राब हो जाते हैं, चाय की खेती ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है चाय की खेती में भूमिका पी.एच मान 5.4 से 6 के मधय होना चाहिए। चाय की खेती के लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु को उपयुक्त माना जाता है। इसके पौधों को गर्मी के साथ-साथ बारिश की भी आवश्यकता होती है। शुष्क और गर्म जलवायु में इसके पौधो अच्छे से वृद्धि करते है। इसके अलावा छायादार जगहों पर भी इसके पौधों को विकास करने में आसानी होती है। अचानक से होने वाला जलवायु परिवर्तन फसल के लिए हानिकारक होता है। इसके पौधों को आरम्भ में सामान्य तापमान की आवश्यकता होती है, तथा पौधों को विकास करने के लिए 20 से30 डिग्री तापमान की जरूरत होती है। चाय के पौधो न्यूनतम 15 डिग्री तथा अधिकतम 45 डिग्री तापमान को ही सहन कर सकते हैं।

चाय की खेती के लिए भूमि की तैयारी एवं खाद चाय के पौधो एक बार तैयार हो जाने के पश्चात विभिन्न सालों तक पैदावार देते हैं। इसलिए इसके खेत को बेहतर ढ़ंग से तैयार कर लिया जाता है। भारत में इसका उत्पादन अधिकांश पर्वतीय इलाकों में ढलान वाली भूमि में किया जाता है। इसके लिए भूमि में गवें को तैयार कर लिया जाता है। यह गड्ढे पंक्तिबद्ध ढ़ंग से ढो से तीन फीट का फासला रखते हुए तैयार किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त पंक्तियों के बीच भी एक से डेढ़मीटर का फासला रखा जाता है। इसके उपरांत तैयार गवें में जैविक खाद के तौर पर 15 KG पुरानी गोबर की खाद व रासायनिक खाद स्वरूप 90 KG पोटाश, 90 KG नाइट्रोजन और 90 KG सुपर फास्फेट की मात्रा को मृदा में मिश्रित कर प्रति हेक्टेयर में तैयार गवे में भर दिया जाता है। यह समस्त गड्ढे पौधा रोपाई से एक महीने पूर्व तैयार कर लिए जाते हैं। इसके पश्चात भी इस खाद को पौधों की कटाई के चलते साल में तीन बार देना पड़ता है। चाय के पौधों को प्रभावित करने वाले रोग और उनका नियंत्रण कैसे करें बता दें, कि अन्य फसलों की भांति ही चाय के पौधों में भी विभिन्न प्रकार के रोग लग जाते हैं, जो पौधों पर आक्रमण करके बर्बाद कर देते हैं। अगर इन रोगों का नियंत्रण समयानुसार नहीं किया जाता है, तो उत्पादन काफी प्रभावित होता है। इसके पौधों में मूल विगलन, चारकोल विगलन, गुलाबी रोग, भूरामूल विगलन रोग,फफोला अंगमारी, अंखुवाचित्ती, कालामूल विगलन, भूरीअंगमारी, शैवाल, काला विगलन कीट और शीर्ष रम्भीक्षय जैसे अनेक रोग दिखाई पड़ जाते हैं। जो कि चाय के उत्पादन को बेहद प्रभावित करते हैं। इन रोगो से पौधों का संरक्षण करने हेतु रासायनिक कीटनाशक का छिड़काव समुचित मात्रा में किया जाता है।

विश्व में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन चीन में किया जाता है। चाय के उत्पादन में भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। इसका सबसे ज्यादा निर्यात करने वाला देश श्रीलंका है। भारत में दार्जिलिंग, असम, कोलुक्कुमालै, पालमपुर, मुन्नार, नीलगिरि चाय की खेती के लिए प्रचलित हैं। चाय की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु, मिट्टी, गर्म आद्र जलवायु सबसे उत्तम होती है। 10 से 35 डिग्री तापमान में इसकी अच्छी पैदावार होती है। चाय के बगानों में जल निकास की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। इसकी खेती के लिए 4.5 – 5.0 पी.एच वाली हल्की अम्लीय मिट्टी अच्छी मानी जाती है। बगानों में चाय के पौधों को लगाने के लिए अक्टूबर – नवंबर का महीना सबसे सही समय है। इसकी सिंचाई बारिश के माध्यम से होती है। बारिश कम या नहीं होने पर हर दिन फव्वारा विधि से सिंचाई करनी चाहिए। पौधों को लगाने के लगभग एक साल बाद पत्तियां तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती हैं। किसान वर्ष में 3 बार इसकी तुड़ाई कर के फसल प्राप्त कर सकते हैं।

मृदा सुधार – मृदा के विभिन्न गुणों भौतिक, रासायनिक और जैविक के

सुधार से चाय की उत्तम खेती होगी। उसके निम्नलिखित उपाय हैं :.

1. **भौतिक** : भूमि को चाय या किसी अन्य फसल से ढँका रहना चाहिए। इससे उत्तम खेती में आसानी होगी। चाय की छँटाई से निकली जो भी टहनी या पत्ती हो या सड़ी हुई घास-पात हो, तो उत्तम है।

2. **जैविक तत्व** : हरी या कच्चे पत्तों की खाद, छँटाई से निकला हरा तत्व, सड़ी गोबर की खाद, खली उत्तर - पूर्वी भारत में सर्दी के मौसम में निकला अति उत्तम है।

3. **पोषक तत्व** : खाद डालने की योजना, मुख्य दूसरे और अन्य जैविक पोषक तत्व आवश्यक हैं।

पी.एच का मूल्य : मिट्टी में मिलाने वाले तत्व जैसे डोलोमाइट, चूना, और सल्फर आदि डालकर किया जा सकता है। उत्तर- पूर्वी भारत में अलग अलग मिट्टी में लाइमस्टोन या डोलोमाइट डालने से पी एच (पी.एच) मूल्य बढ़ाया है और सल्फर पी.एच को एक यूनिट कम करता है। यह प्रतिटन एक युनिट पी.एच बढ़ाता है और सल्फर प्रतिटन के प्रयोग से एक यूनिट पी.एच कम करता है।

मिट्टी के प्रकार	पी.एच.में सुधार के लिए रसायन की मात्रा	
बलुई मिट्टी	1.25	500
दोमट	2	700
बही दोमट	3	900

मृदा (मिट्टी) और मृदा प्रबंधन–मृदा और जल संरक्षण ऊपरी सतह की मिट्टी को बचाने के लिए बहाव को कम करना होगा। मिट्टी की नमी को कम वर्षा के कारण बचाना होगा।

तरीके :-

1. मृदा के घुल जाने को रोकना : तिरछे नाले भूमि को कम से कम खुला रखना, सड़े पत्तों से ढँकना और पौधों के लिए तिरछी भूमि योजना।
2. सूखने से बचाना रू भूमि का ढँकना, छाया और पत्तों और टहनियों से भूमि को ढँका रखना।
3. खाली मिट्टी को किसी अन्य फसल से ढँकना ग्वाटमाला घास, पूसा हाइब्रिड नेपियर, भिमोसा इनविसा, सिट्रोनैला घास कोई भी दाल या वीपिंग लव घास नालियों पर लगाना।

मिट्टी को खोदने से रोकना - गहरी, जड़ वाले पेड़, बांधने वाली घासें जैसे 'वीपिंग लव' दूब घास आदि लगाना चाहिए। नदी के कटाव को रोकने के लिए छोटे छोटे बांध बनाना चाहिए।

भूमि से जल निकासन - चाय के पौधों की जड़ों को हवा लगनी चाहिए। इससे वह जल्दी बढ़ेंगे। यदि जल उसमें रह गया तो जड़ों को हवा नहीं मिलेगी और वह नुकसान ही करेगा। यदि जल-निकासन ठीक नहीं है तो 15-40% फसल का नुकसान तो होगा ही साथ ही वह खाद को अच्छी तरह नहीं पा सकता है, बीमारी ज्यादा होगी, खरपतवार ज्यादा बढ़ेंगे और फसल को ज्यादा नमी से नुकसान होगा। यदि निकासन अच्छा है तो फसल 10-15% ज्यादा होगी।

उद्देश्य :

1. फसल की जड़ को हवादार बनाने के लिए पानी के स्तर कम से कम 1-0 m की गहराई तक होना चाहिए।
2. मिट्टी के संरक्षण के लिए सतह के पानी को हटाना। यह मिट्टी के बहाव से पता लगाया जा सकता है।

विशेष नाले :

1. बाहरी दीवार का नाला बाहर का पानी चाय की सीमा में आने से रोकें।
2. रोकने वाला या अलग रखने वाला नाला गहरा नाला बनायें जिससे नीचे से रिस कर आने वाला पानी यहाँ रोका जा सके जहाँ ढलान समान जगह पर मिलता है।

नाले का निर्माण - सर्दी के दिनों में जब मिट्टी में नमी कम होती है, यह काम करना चाहिए। नाले के आखिरी छोर से शुरू करके ऊपर की ओर बढ़ना चाहिए। जितने छोटे पुल या पुलिया हैं उन्हें कम से कम 15 cm गहरा करें और ध्यान रखें कि यह नाले से नीचे हो। पानी के बहाव के अनुसार जहाँ पानी इकट्ठा हो रहा हो वहाँ से नाला जोड़ें।

मृदा की उत्पादन क्षमता - मिट्टी पौधो के बढ़ने का माध्यम है। मिट्टी की सम्पूर्ण रूपरेखा कृषि की उपयोगिता के अनुसार ऊपरी सतह का 30 cm हो अति उत्तम है। इस मिट्टी के बनने के लिए प्रकृति के कई सौ वर्ष लगते हैं। यह सैकड़ों साल केवल 15-20 cm ऊपरी सतह की उत्तम मिट्टी बना पाते हैं। दुर्भाग्यवश, इस मिट्टी की गलत उपयोगिता या उसे बरबादी केवल कुछ सालों में ही हो जाती है। पौधों के उत्तम बढ़त के लिए मिट्टी को हर प्रकार से सुरक्षित रखना जरूरी है। उसके भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों की जानकारी और उसका सदुपयोग आवश्यक है। गहन और लम्बे समय तक खेती से मिट्टी की उपयोगिता नष्ट होती है। यदि इसे अच्छा प्रबंधन न करके खेती में उपयोग किया जाय तो ऊपरी सतह की सबसे अच्छी मिट्टी बहाव से नष्ट हो जाती है। इसे अच्छी भूमि और मृदा प्रबंधन से रोका जा सकता है।

मिट्टी प्रबंधन के तरीके- जब भूमि को खेती के लिए तैयार करने के लिए उसकी मिट्टी को खोदा जाता है तब उसे टिल्थ/टिलेज कहा जाता है। जब मिट्टी हल्की हो जाये और उसमें हवा जाने के योग्य हो जाये तब वह उत्तम है। मिट्टी में के कारण जो अच्छे बदलाव आते हैं, वह इस प्रकार हैं:

1. मिट्टी का तापमान
2. मिट्टी की नमी
3. मिट्टी की बनावट में खेती की उपयोगिता
4. मिट्टी की उपयोगिता
5. सम्पूर्ण घनत्व - मिट्टी का अनुपात, आयतन/मात्रा
6. मिट्टी में हवा जाने की मात्रा
7. मिट्टी की रूपरेखा

चाय की खेती के लिए मृदा प्रबंधन इस प्रकार है:

1. भूमि का सही उपयोग
2. मिट्टी / भूमि की सही खुदाई
3. नीचे की मिट्टी का मिलाना
4. जैविक खाद का मिश्रण
5. चूना द्वारा मिट्टी के पी.एच को ठीक करना।
6. जल निकासी
7. सिंचाई
8. मृदा संरक्षण के उपाय का पालन
9. मिट्टी का पी.एच

यह मापने पर 0-14 की तालिका में आता है। 7.0 पी.एच को तटस्थ होता है जिसमें हाइड्रोजन आयन (H) और हाइड्राक्सिल आयन (OH) बराबर होता है। मिट्टी का मिश्रण 0.7 एसिडिक होता है और 7-0 14-0 पी.एच एल्काइन होता है। मिट्टी के पी.एच का बहुत महत्व है क्योंकि यह

पौधो के पोषक तत्वों और अति सूक्ष्म जीवाणु के कार्य या रूप को बताता है। 4.5-5.5 पी.एच वाली मिट्टी में चाय अच्छी उगती है। जिस मिट्टी का पी.एच इससे ज्यादा या कम होता है उसे सुधारना आवश्यक है क्योंकि तभी चाय की फसल अच्छी होगी। इसलिए मिट्टी की जाँच समय समय पर होती रहनी चाहिए। इससे मिट्टी के एसिड होने का पता चलता है।

अत्याधिक पी.एच वाली मिट्टी का सुधार – कुछ चाय – बगान, जिनमें धरती के भीतर का पानी रिस कर आस पास की पहाड़ियों से आता है और उसके साथ डोलोमाइट भी लाता है, इन जगहों में पी.एच कम करने के लिए आयरन पायराइट्स या मृदा (मिट्टी) और मृदा प्रबंधन 41 एल्यूमिनियम सल्फेट / 2 टन/हैकटेयर के हिसाब से मिलाना चाहिए। इसे मिलाकर जहाँ आवश्यक है वहाँ फैलाना चाहिए। इसे कम से कम 15 दिन अच्छी तरह मिलने और उसके आक्सीडेशन के लिए छोड़ना चाहिए। उसके बाद काँटे जैसे फड़वे से कम से कम 7-15 ला गहराई (3'- 6') मिट्टी में मिलाना चाहिए। हल्की सिंचाई करना अच्छा है। हर वर्ष मृदा परीक्षण के बाद यह करना अच्छा है। भूमि के अन्दर से रिसकर आने वाले पानी के लिए नाले बनाना चाहिए।

कम पी.एच.होने पर सुधार-मृदा – परीक्षण के बाद डोलोमाइट या पायराइट से सुधार हो सकता है। वह इस प्रकार है:-

पी.एच	सुधार के तरीके
4.5 से कम	80-100 मेश डोलोमाइट (mesh dolomite @2t/ हेक्टेयर,सूखे सर्दी के मौसम में,काँटा फड़वा से मिलायें
4.5 से 4.65	डोलोमाइट @1t हेक्टेयर,ऊपर के अनुसार
4.66 से 5.60	कोई पी.एच बदलाव की आवश्यकता नहीं है।
5.61से 5.80	पाइराइट @2t/ हेक्टेयर ऊपरी तरीके के अनुसार
6.50 से अधिक	जमीन चाय की खेती के लिए ठीक नहीं है।

चूना – मिलाना :

1. यह मिट्टी के पी. एच. को ठीक करने के लिए और कैल्शियम और मैग्नीशियम की आवश्यकता को ठीक करने के लिए किया जाता है।
2. एसिड – मिट्टी को बनाना।
3. बारिश से मिट्टी के रसायन का अलगाव 1251000 kg Caco/ha/yr (प्रति वर्ष)
4. नाइट्रोजन उर्वरक का इस्तेमाल : 1250-2500 kg Caco/ha/yr
5. पोटाश उर्वरक का इस्तेमाल रू 650-1250 kg Caco/ha/yr
6. फसल लेने पर पौष्टिक – तत्व की हानि 1.25 kg Caco3/100 kg made tea
7. जैविक तत्व का जमा होना।

अच्छा या गुणवत्ता का चूना : आसानी से छिड़का जा सके, पौधों को ज्यादा गर्मी न दे, यह हवा से मिलकर नमी न सोखे, अच्छी तरह रक्खा जा सके, धीरे धीरे मिट्टी में मिले, कम या ठीक दाम का हो। इन सभी में डोलोमाइट चूना सबसे अच्छा है।

डोलोमाइट चूना सम्पूर्ण पौष्टिकता:-

समय – खाद और चूना डालने की अवधि के बीच में 46 सप्ताह और 15 बउ वर्षा/नाइट्रोजन सम्बन्धी उर्वरक से नाइट्रोजन बचाने का प्रयास होना चाहिए।

जैविक तत्वों की देखभाल मिट्टी की उत्पादक क्षमता जैविक तत्वों पर निर्भर करती है। पूर्वोत्तर भारत के चाय – बगानों में उनकी मिट्टी में इस प्रकार है :-

जैविक कार्बन,%	उत्पादक-छमता
0.60 से नीचे	बहुत ही कम,योग्य नहीं
0.61-0.80	मध्यम,संतोष
0.80 से ऊपर	संतोषजनक किन्तु चाय की खेती के योग्य नहीं

बहुत ही कम, योग्य नहीं मध्यम, संतोषजनक किन्तु चाय की खेती के योग्य नहीं। निम्नलिखित उपायों से चाय की खेती के लिए जैविक तत्वों को ठीक किया जा सकता है:-

1. छँटाई के समय निकले टहनी और पत्तो ठीक से रखने चाहिए।
2. सड़े पत्तो की खाद 100 उउ गहरा होना चाहिए।
3. हरे- पत्तों की खाद क्रोटोलेरिया, स्टाईलेसेन्थस आदि के साथ बनाना।
4. मिट्टी को ठीक करने के लिए ग्वाटमाला, मीमोसा आदि उगाना चाहिए।
5. गोबर की खाद कम्पोस्ट/ 3-5 टन/ha/yr डालना चाहिए। खली मिट्टी के अनुसार /1-2 टन/ha/yr

जैविक खाद और सड़ी घास पात से ढँकने के लाभ :

1. इससे मिट्टी का बहाव रुकता है और जल धीरे धीरे मिट्टी में सोखता है।
2. इससे मिट्टी की नमी का उड़ना या सूखना रुक जाता है।
3. मिट्टी के तापमान को ठीक करके यह पौधों की जड़ों को अच्छी तरह बढ़ने में सहायक है
4. जैविक – पदार्थ (O-M) को मिलाने से मिट्टी का अति सूक्ष्म जीवाणु बढ़ जाता है, मिट्टी की उत्पादक – क्षमता बढ़कर मिट्टी में फासफोरस आसानी से पौधों को मिलता है।

मृदा – पुनर्वासन :

1. कुछ अधिक समय तक भूमि का उपयोग मिट्टी के भौतिक, रासायनिक या जैविक तत्व को नष्ट करने लगता है। इसलिए नई चाय लगाने के लिए मृदा के सभी तत्वों को फिर से निर्माण करना आवश्यक है। इसके लिए हमें निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए।
2. फसल : ग्वाटमाला, मिमोसा, लेमन ग्रास इत्यादि उगाना चाहिए।
3. खाद डालना : 10:5:10 NPK मिक्चर / 600 kg/hr और हर छँटाई / कटाई के बाद / 300 kg/ha मिलाना चाहिए।
4. समय : हर 18 महीने पर मिट्टी के जैविक तत्व (O-M) पर भी यह निर्भर है। (इसमें 10% कार्बन अच्छा है) इसलिए यह 1.5 से 2.0 वर्ष तक भी किया जा सकता है।

लाभ :

1. यह मिट्टी में नाइट्रोजन तथा जैविक तत्वों (O-M) को बढ़ाता है।
2. यह मिट्टी की बनावट उसमें हवा का आसानी से होना और नमी को बनाकर रखने में मददगार है।
3. इससे मिट्टी के नीचे के पौष्टिक तत्व को ऊपर आने में सहायता मिलती है।
4. पौष्टिक तत्व आसानी से मिल जाते हैं और मिट्टी की गुणवत्ता को बनाकर रखता है।
5. यह मिट्टी में अति सूक्ष्म जीवाणु, जो खेती में सहायक हैं, उन्हें बढ़ाता है।

फसल के पुनर्रोपण की विशेषता – कम समय में अधिक जैवपिंड देता है, पौधों की बढ़त में मदद, पत्तों को बढ़ाकर ज्यादा टहनी/लकड़ी की बढ़त कम करता है और गहरी रेशेदार जड़ बनने में सहायक है।

चाय में कुछ प्रचलित पुनर्वासन की फसलें और उनके सूखे पौष्टिक तत्वों के अनुसार

फसल	सूखा-तत्व डालना	पौष्टिकता %		
ग्वाटमाला	18000	N	P2	OS
मिमोसा	14000	1.7	0.70	1.80
सिट्रोनेला	8000	2.60	0.60	1.00

मृदा की उत्पादक क्षमता बढ़ाना तथा देखभाल- भूमि के ऊपरी सतह की मिट्टी को बचाने के लिए, जड़ों की अच्छी बढ़त के लिए, मिट्टी की आसान खुदाई के लिए मृदा के किऔर जैविक कार्बन को बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय करना चाहिए :

1. खेत या प्लाट को कम से कम बार खोदना चाहिए।
2. खरपतवार की उत्तम रोकथाम ।
3. पहाड़ों और ढलानों पर खरपतवार की पट्टियों से मिट्टी के बहाव की रोकथाम।
4. ढलान जहाँ ज्यादा हो, वहाँ परिरेखा या कंटूर के हिसाब से चाय लगाना।
5. मिट्टी की जाँच के अनुसार उपयुक्त मृदा सुधारक रसायन मिलाना।
6. खाली जगहों पर फिर से चाय के पौधो लगाना व उन जगहों को भरना।
7. जहाँ छाया की आवश्यकता हो वहाँ अच्छी छाया का प्रबन्धा।
8. सड़ी घास - पात और आवश्यक वस्तुयें अच्छी तरह विछायें।
9. जल निकासन के लिए नाली और सिंचाई का अच्छा प्रबन्धा ।
10. भूमि को बराबर रखना और उबड़ खाबड़ होने से बचाना।

वातावरण को ठीक करने और माइक्रोक्लाइमेट सुधारने के लिए पेड़ लगाना, हवा के तेज बहाव को पेड़ों से सुधारना आश्रय स्थल बनाना, ऊर्जा के लिए पौधो लगाना।

जशपुर जिले में चाय की खेती के लिए आवश्यक वातावरण:

1. जशपुर पाट छत्तीसगढ़ की उत्तर-पूर्वी सीमा में स्थित है।
2. जशपुर क्षेत्र जलवायु शीतोष्ण और आद्र है।
3. यहाँ 28.92 डिग्री सेल्शियस (औसत अधिकतम) एवं 12.6 डिग्री सेल्शियस (औसत न्यूनतम) है। यह छत्तीसगढ़ का औसतन अति निम्न ताप छेत्र है।
4. जिले की वर्षा 1500 मि.मी. से 2000 मि.मी. तक झरझरा और अच्छी बारिश होती है।
5. मिट्टी का इह 4.5 से 5.5 है।
6. चाय की प्रारंभिक खेती के कारण कीटों और संक्रमण दर काफी कम है।
7. इस क्षेत्र में मिट्टी लमेटा या लेटेराईट मिट्टी पाई जाती है जो कि चाय की खेती के लिए आवश्यक है। यह मिट्टी छोटे पत्थरों के साथ पायी जाती है।
8. यह मिट्टी बंजर एवं अनुपयोगी होती है। इस मिट्टी में उच्च अम्लीयता (पी.एच मान-5.2) होती है।

निष्कर्ष एवं सुझाव - छत्तीसगढ़ के जशपुर जिला के सोगड़ा में चाय उत्पादन सन 2010 में असम से 12000 पौधे लाकर ट्रायल किया गया। सफल प्रयास के बाद सारूडीह के लगभग 20 एकड़ में लक्ष्मी स्वसहायता समूह द्वारा अनउपयोगी जमीन पर सन 2011 से अब तक सफल खेती की जा रही है अब इस क्षेत्र के विभिन्न जगहों में चाय की खेती की जा रही है। उपरोक्त अध्ययन से हमें यह ज्ञात होता है कि भारत के उत्तरी राज्य की तरह छत्तीसगढ़ के जशपुर जिला में भी चाय उत्पादन के लिए अनुकूल वातावरण है। यहाँ बागवानी फसल के साथ साथ चाय खेती को बढ़ावा को प्राथमिकता प्रदान किया जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सिंह,आई.डी.. सम्पूर्ण चाय उत्पादन और संसाधन, New Delhi Publishers,New Delhi ISBN:978-93-81274-63-7
2. पटेल,हरिराम, छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन, HR Printers, Vivekanand Gali House No.2 Mopka Chowk Bilaspur(C.G.) ISBN:978-93-340-2963-5
3. www.jashpur.gov.in
4. त्रिपाठी,सत्येन्द्र एवं अनिल कुमार श्रीवास्तव, समाजिक अनुसंधान एवं सांख्यिकी दिल्ली : रावत पब्लिकेशन्स,संस्करण 2017।
5. गुप्ता,एस.पी. वित्तीय प्रबंध,साहित्य पब्लिकेशन्स।
6. मेहरोत्रा, एच.सी. एवं एम.पी. गोयल विधान एवं लेखे साहित्य भवन पब्लिकेशन्स।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

Acute and Chronic Effect of Pursuit on Protein Contents in Liver and Kidney of Fingerlings of *Tilapia mossambica*

Kamlesh Ahirwar* Romsha Singh**

* Department of Zoology, J.H.Govt.P.G. College, Betul (M.P.) INDIA
** Department of Zoology, Govt. M.L.B. Auto. Girls College, Bhopal (M.P.) INDIA

Abstract - Pesticides are continuously reaching water bodies from crop-fields either by rain drainage or by direct processes. On reaching water bodies these pesticides have fatal-effect on fishes, fingerlings, fries and eggs, causing damages to their organs and affecting their metabolism and survivalness. Present observation is an attempt to evaluate the toxicity impect of herbicide Pursuit on protein content of liver and kidney of Tilapia mossambica fish fingerlings exposed to acute and chronic sub-lethal concentration of pursuit exhibited significant depletion in the level of protein in liver and kidney.
Keywords: Herbicide, Tilapia, Protein metabolism, Liver, Kidney, Toxicity, Fingerlings.

Introduction - Pollution means the presence of any foreign substances in water that degrades the quality to constitute a hazard or impair its usefullness. Any changes in water component adversely affect the entire ecosystem resulting many organisms to death or extinction. The pollution of aquatic environment by pesticides adversely affects the survival of aquatic organisms including commercially important fish species (Johnson, 1973).

As fish is considered the most important and vital-link in the food chain of the ecosystem and the inland fisheries are important sources of protein in a nation's dite. So a through understanding of pesticidal effects on fishes would be really vital for fish conservation and fisheries development (Awasthi, 1998).

Pesticide which have been classified in various ways, amongst which herbicides are a class which specifically target to destroy weeds is a very familiar economical poison used in agricultural fields for the control of annual weeds to get maximum yield of crops in agriculture. Liver & Kidney are the organs which are involved in the metabolic and excretory mechanisms of the body. During this process they themselves get damaged by pollution in water. In the view of above facts the present work was undertaken which attempts to evaluate the impact of pursuit on the liver and kidney biochemical profile of the T. mossambica fingerlings.

Material & Method : Live fingerlings of Tilapia mossambica (average length of 5 to 7 cm) were collected and acclimatized in the aquaria for 15 days. The LC_{50}-value of species were determined. To observed the acute (96 hrs.) toxic effect of pursuit three different sublethal concentrations (63.7 ppm, 85.0 ppm and 127.5 ppm) of their LC_{50} were selected and to observed chronic toxicity (15 & 30 days) of these toxicant one sub-lethal value is considered. Quantitative estimation of total Protein were measured by the method of Lowry, et.al.

Result & Discussion : The effect of Pursuit on biochemical parameters of protein estimation was studied to understand their mode of action. The variation of protein contents is taken as good indicator for the extent of damages due to pesticide pollution of aquatic environment in general and pursuit in particular. In the present observation the total protein of experimental fingerlings are significantly decreased according to dose and duration of exposure when compared with control fingerlings. Toxicity of pursuit on biochemical constituents of liver for 96 hrs, 15 and 30 days are present in Table no. 1. The decrement of protein is due to the increased utilization of protein during stress condition. The result of pursuit toxicity on protein constituents of kidney for acute and chronic exposure are presented in Table no. 2.

Table No. 1 & 2 (see in next page)

(Each value experessed as mg/100 mg. wet weighted of tissue and each value is the mean $\pm$ standard eror of five individual observations).

The pursuit treated individuals showed a significant decreases -7.0344%, -17.3517%, -36.0410% over controle after acute exposure. Thereafter a gradual decrease in protein contents were noticed from -34.9085%, -45.1490% in a gradual manner after 15 & 30 days exposure. These observations were supported by the results of Shakoori et.al.

(1994), who investigated the toxicity of mercuric chloride in liver of chenopharyngodon and found decline trend in protein content. Bhaskar (1997), also noticed the effect of alloxen monohydrate on the protein content in the liver of Anabus and found remarkable depletion.

It may be possible that enhancement of protein in pursuit stressed fingerlings is due the increased proteolysis and utilization of the products of their degradation for metabolic purposes. After acute exposure of herbicide the kidney showed consistent depletion in amount of protein from -9.1946%, -9.6269%, -25.5412% over control. Thereafter 15th & 30th days of herbicide pursuit exposure the kidney showed consistent depletion in amount of protein from -36.3319% to -53.6826% over control. It may be suggested that initial decrease of protein content in kidney after acute and chronic exposure is the result of increased rate of protein synthesis and decreased rate of protein degration.

These increase or decrease of RNA play a vital role in protein synthesis. That's why the findings of Rajyashree and Anuradha (1996), supported this suggestion as they have reported anelevation in RNA along with protein content in liver of carbamid exposed Labeo-rohita and selenium exposed Anabas respectively. The investigation of Sivaprasad and Ramana Rao (1979), also exposure of Methyl parathion, Tannic-acid and endosalfon respectively.

References:-

1. Bhaskar S.G. (1997): Effect of alloxan monohydrate administration on the biochemical constituents of the bony fish Anabas testudineus (Bloch) part 1, Ecotoxicol, Monit, 7(1) : 027-032.
2. Lowry, O.H., Rosenbrough, N.J., Four, A.L. and Randall, R.J. (1951): Protein measurement with the folin phenol reagent, J.Biol.Chem. 193:265-275.
3. Rajyashree, M., Anuradha, C.H., Raju, T.N. (1996): Elevation in RNA along with protein content in liver of carbamid exposed Labeo-rohita and selenium exposed Anabas, J. Ecotoxicol. Environ. Monit. 6(1): 041-044.
4. Shakoori, A.R., Iqbal, M.J., Mughal, A.L. and Ali, S.S. (1994): Biochemical effect of mercuric chloride in liver of Ctenopharyngodon idella. J. Ecotoxicol. Environ. Monit. 4(2): 081-092.
5. Shivprasad Rao and Ramana Rao (1979): Effect of sublethal concentration of methyl parathion on selected oxidative enzymes of the Tilapia mossambica. Curr. Sci., 48:526-528.

Table No. 1. - Acute and Chronic Effect of Pursuit on Protein Content in Liver of Tilapia-mossambica Fingerlings

S.	Dose / Duration	Amount of Protein		% Change
		Control (mg)	Experimental (mg)	
1	63.7 ppm/96 hrs	44.2482 ± 19.7889	41.2419 ± 18.4444	- 7.0344
2	85.0 ppm/96 hrs	44.2482 ± 19.7889	36.6336 ± 16.3835	- 17.3517
3	127.5 ppm/96 hrs	44.2482 ± 19.7889	24.0903 ± 10.7738	- 45.1490
4	63.7 ppm/15 days	39.6606 ± 17.7475	25.8376 ± 11.5552	- 34.9085
5	63.7 ppm/30 days	37.5504 ± 16.7935	23.9749 ± 10.7222	- 36.0410

Table No. 2. - Acute and Chronic Effect of Pursuit on Protein Content in Kidney of Tilapia-mossambica Fingerlings

S.	Dose / Duration	Amount of Protein	% Change	
		Control (mg)	Experimental (mg)	
1	63.7 ppm/96 hrs	44.1737 ± 19.7550	40.1149 ± 17.9405	- 9.1946
2	85.0 ppm/96 hrs	44.1737 ± 19.7550	40.4579 ± 18.0938	- 9.6269
3	127.5 ppm/96 hrs	44.1737 ± 19.7550	32.9661 ± 14.7167	- 25.5412
4	63.7 ppm/15 days	41.6606 ± 18.6317	26.5764 ± 11.8857	- 36.3319
5	63.7 ppm/30 days	35.0084 ± 15.6567	16.1850 ± 7.2383	- 53.6826

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054, April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

The Impact of Digital Transformation on Business Administration: Opportunities and Challenges

Mohd. Abdul Ahad Qureshi*

*MBA Student, D. Y. Patil Vidyapeeth, Pune (Maharashtra) INDIA

Abstract - This paper explores the profound impact of digital transformation on contemporary business administration practices. With the rapid advancement of technology, businesses worldwide are embracing digital tools and strategies to enhance efficiency, productivity, and competitiveness. This abstract examines the opportunities and challenges presented by digital transformation, including the adoption of digital marketing strategies, the integration of data analytics for informed decision-making, the evolution of organizational structures to accommodate remote work and agile methodologies, and the importance of cybersecurity in safeguarding sensitive information. Through an analysis of relevant literature and case studies, this paper aims to provide insights into how businesses can effectively navigate the digital landscape to achieve sustainable growth and success in the modern era of business administration.
Keywords : Technology integration, Data-driven, Agility, Automation, Customer-centric, Cloud computing.

Introduction - In the contemporary business landscape, digital transformation has emerged as a pivotal force reshaping traditional business administration practices. The relentless advancement of technology has revolutionized the way organizations operate, interact with customers, and manage their resources. This introduction sets the stage for understanding the profound impact of digital transformation on business administration by providing an overview of its key drivers, implications, and challenges.

The Integration of digital technologies into business processes has become imperative for organizations seeking to remain competitive in today's fast-paced and interconnected global economy. From small startups to multinational corporations, companies across industries are harnessing the power of digital tools to streamline operations, enhance customer experiences, and drive innovation. Whether through the adoption of cloud computing, data analytics, artificial intelligence, or the Internet of Things (IoT), businesses are leveraging technology to optimize efficiency, reduce costs, and unlock new revenue streams.

However, the journey towards digital transformation is not without its challenges. Organizational inertia, legacy systems, and cultural resistance can impede progress and hinder the successful implementation of digital initiatives. Moreover, the rapid pace of technological change presents a constant need for adaptation and upskilling among employees, further complicating the transition to a digitally-driven business environment.

Despite these challenges, the benefits of embracing digital transformation are undeniable. By embracing innovation and embracing a culture of continuous improvement, organizations can position themselves for long-term success in an increasingly digital world. This introduction lays the groundwork for exploring the multifaceted impact of digital transformation on various aspects of business administration, from marketing and sales to operations and supply chain management. Through an in-depth analysis of industry trends, best practices, and case studies, this paper aims to provide valuable insights into how businesses can navigate the complexities of digital transformation to thrive in the 21st century.

Digital transformation refers to the integration of digital technology into all aspects of a business, fundamentally changing how it operates and delivers value to customers. It involves leveraging digital tools and technologies to streamline processes, enhance customer experiences, and drive innovation. Digital transformation encompasses a wide range of initiatives, including the adoption of cloud computing, data analytics, artificial intelligence, the Internet of Things (IoT), and more.

At its core, digital transformation is about using technology to create new business models and improve existing ones. It involves reimagining business processes, products, and services to leverage the capabilities of digital technologies fully. For example, a retail company might implement digital transformation initiatives such as e-commerce platforms, mobile apps, and personalized marketing campaigns to better engage with customers and drive sales.

Digital transformation is not just about adopting new technologies; it also requires cultural and organizational changes. It involves fostering a culture of innovation, agility, and continuous learning within the organization. It also requires leadership buy-in and support to drive meaningful change across all levels of the business.

The benefits of digital transformation can be significant. By embracing digital technologies, businesses can improve operational efficiency, reduce costs, and enhance customer experiences. They can also gain valuable insights from data analytics to make informed decisions and identify new growth opportunities. Ultimately, digital transformation enables businesses to stay competitive in an increasingly digital and fast-paced business environment.

Business administration encompasses the management of all aspects of a business's operations and resources to achieve organizational goals effectively and efficiently. It involves overseeing various functions such as finance, human resources, marketing, operations, and strategic planning.

Key components of business administration include:

Strategic Management: Developing long-term goals and objectives for the organization and formulating strategies to achieve them. This involves analyzing market trends, competitors, and internal capabilities to make informed decisions about the direction of the business.

Financial Management: Managing the organization's finances, including budgeting, forecasting, financial reporting, and risk management. Financial managers are responsible for ensuring the company's financial health and sustainability.

Human Resource Management: Managing the organization's workforce, including recruitment, training, performance evaluation, compensation, and employee relations. Human resource managers play a crucial role in attracting, retaining, and developing talent within the organization.

Marketing Management: Developing and implementing marketing strategies to promote products or services, attract customers, and generate revenue. This includes market research, branding, advertising, pricing, and distribution strategies.

Operations Management: Overseeing the day-to-day operations of the organization to ensure efficiency and productivity. This involves managing resources, optimizing processes, and maintaining quality standards to deliver products or services to customers.

Information Technology Management: Leveraging technology to support business operations and achieve strategic objectives. This includes managing IT infrastructure, systems development, data management, cybersecurity, and digital transformation initiatives.

Business administrators play a crucial role in coordinating and integrating these functions to achieve organizational success. They must possess a diverse skill set, including leadership, communication, problem-solving, and decision-making skills, to effectively manage the complexities of modern business environments.

The impact of digital transformation on business administration is profound and far-reaching, revolutionizing the way organizations operate, compete, and interact with customers. Digital transformation has reshaped traditional business models and processes across industries, leading to significant changes in how businesses are managed and administered. Here are some key impacts of digital transformation on business administration:

Operational Efficiency: Digital tools and technologies enable businesses to streamline processes, automate routine tasks, and improve workflow efficiency. From cloud-based software for project management to automated accounting systems, digital transformation optimizes administrative processes, allowing organizations to operate more efficiently and cost-effectively.

Data-Driven Decision Making: Digital transformation provides access to vast amounts of data from various sources, including customer interactions, market trends, and internal operations. Business administrators can leverage advanced analytics and business intelligence tools to analyze this data, gain valuable insights, and make data-driven decisions to drive business growth and innovation.

Enhanced Customer Experiences: Digital transformation enables businesses to deliver personalized and seamless customer experiences across multiple channels. From mobile apps and social media platforms to e-commerce websites and chatbots, organizations can engage with customers in real-time, anticipate their needs, and provide tailored solutions, thereby improving customer satisfaction and loyalty.

Agile and Adaptive Organizations: Digital transformation promotes organizational agility and adaptability, allowing businesses to respond quickly to changing market conditions, customer preferences, and competitive pressures. By embracing agile methodologies and fostering a culture of innovation, businesses can stay ahead of the curve and capitalize on emerging opportunities in the digital landscape.

Global Reach and Connectivity: Digital transformation transcends geographical boundaries, enabling businesses to reach global markets and connect with customers and partners worldwide. Through digital platforms and online marketplaces, organizations can expand their reach, forge strategic partnerships, and tap into new revenue streams, driving international growth and expansion.

Cybersecurity and Risk Management: With the proliferation of digital technologies comes increased cybersecurity risks and data privacy concerns. Business administrators must prioritize cybersecurity measures and implement robust risk management strategies to protect sensitive information, mitigate cyber threats, and ensure regulatory compliance in an increasingly interconnected and

digitized business environment.

Overall, digital transformation is reshaping the landscape of business administration, empowering organizations to innovate, compete, and thrive in the digital age. By embracing digital technologies and leveraging them strategically, businesses can unlock new opportunities, drive operational excellence, and create value for customers, employees, and stakeholders alike.

Conclusion: In conclusion, the digital transformation of business administration represents a seismic shift in how organizations operate, compete, and succeed in the modern business landscape. As digital technologies continue to evolve at a rapid pace, businesses must adapt and embrace these changes to stay relevant and competitive.

The impacts of digital transformation on business administration are profound and multifaceted. From enhancing operational efficiency and enabling data-driven decision-making to improving customer experiences and fostering organizational agility, digital transformation presents numerous opportunities for businesses to innovate and thrive.

However, the journey towards digital transformation is not without its challenges. Organizational inertia, legacy systems, cybersecurity risks, and cultural resistance can hinder progress and impede successful implementation. Business administrators must navigate these challenges proactively, fostering a culture of innovation, collaboration, and continuous learning to drive meaningful change across the organization.

Despite the challenges, the benefits of digital transformation are clear. By leveraging digital technologies strategically, businesses can optimize processes, drive growth, and create value for customers, employees, and stakeholders alike. Digital transformation is not just about adopting new technologies; it's about embracing a mindset of innovation and adaptation to thrive in an increasingly digital and interconnected world.

In essence, the digital transformation of business administration is not a destination but a journey—an ongoing process of evolution and adaptation to the ever-changing digital landscape. By embracing this journey and harnessing the power of digital technologies, businesses can position themselves for long-term success and sustainability in the digital age.

References :-

1. Nachit H, Belhcen L. Digital Transformation in Times of COVID-19 Pandemic: The Case of Morocco. SSRN Electronic Journal. Published online 2020. Doi: 10.2139/ssrn.3645084
2. Kraus S, Durst S, Ferreira JJ, et al. Digital transformation in business and management research: An overview of the current status quo. International Journal of Information Management. 2022, 63: 102466. Doi: 10.1016/j.ijinfomgt.2021.102466
3. Saarikko T, Westergren UH, Blomquist T. Digital transformation: Five recommendations for the digitally 19 conscious firm. Business Horizons. 2020, 63(6): 825-839. Doi: 10.1016/j.bushor.2020.07.005
4. Vial G. Understanding digital transformation: A review and a research agenda. The Journal of Strategic Information Systems. 2019, 28(2): 118-144. Doi: 10.1016/j.jsis.2019.01.003
5. Sousa-Zomer TT, Neely A, Martinez V. Digital transforming capability and performance: A microfoundational perspective. International Journal of Operations & Production Management. 2020, 40(7/8): 1095-1128. Doi: 10.1108/ijopm-06-2019-0444 .
6. Teece DJ. Explicating dynamic capabilities: the nature and microfoundations of (sustainable) enterprise performance. Strategic Management Journal. 2007, 28(13): 1319-1350. Doi: 10.1002/smj.640
7. Zouhri M, Rehali B. Cloud Computing: challenges and prospects by: Laboratoire d'Études et Recherches Économiques et Sociales (French). Available online: http://revues.imist.ma/?journal=RMGE. 12-2016, 3(7).
8. ElAbbassi A, Chafik K. The Decision to Invest in Information Systems: Case of Adopting ERP in the Moroccan Public Largest Companies. International Journal of Computer Applications. 2014, 88(15): 49-54. Doi: 10.5120/15432-4050
9. Kraus S, Jones P, Kailer N, et al. Digital Transformation: An Overview of the Current State of the Art of Research. SAGE Open. 2021, 11(3): 215824402110475. Doi: 10.1177/21582440211047576
10. Teece DJ. Business models and dynamic capabilities. Long Range Planning. 2018, 51(1): 40-49. Doi: 10.1016/j.lrp.2017.06.007 11. Björkdahl J. Strategies for Digitalization in Manufacturing Firms. California Management Review. 2020, 62(4): 17-36. Doi: 10.1177/0008125620920349
12. Kiel D, Arnold C, Voigt KI. The influence of the Industrial Internet of Things on business models of established manufacturing companies—A business level perspective. Technovation. 2017, 68: 4-19. Doi: 10.1016/j.technovation.2017.09.003
13. Müller JM, Buliga O, Voigt KI. Fortune favors the prepared: How SMEs approach business model innovations in Industry 4.0. Technological Forecasting and Social Change. 2018, 132: 2-17. Doi: 10.1016/j.techfore.2017.12.019
14. Ancillai C, Sabatini A, Gatti M, et al. Digital technology and business model innovation: A systematic literature review and future research agenda. Technological Forecasting and Social Change. 2023, 188: 122307. Doi: 10.1016/j.techfore.2022.122307 15. Kohtamäki M, Parida V, Oghazi P, et al. Digital servitization business models in ecosystems: A theory of the firm. Journal of Business Research. 2019, 104: 380-392. Doi: 10.1016/j.jbusres.2019.06.027
16. Chanias S, Myers MD, Hess T. Digital transformation

strategy making in pre-digital organizations: The case of a financial services provider. The Journal of Strategic Information Systems. 2019, 28(1): 17-33. Doi: 10.1016/j.jsis.2018.11.003

17. Bharadwaj A, El Sawy OA, Pavlou PA, Venkatraman N. Digital business strategy: Toward a next generation of insights. Available online: http://ssrn.com/abstract=2742300https://ssrn.com/abstract=2742300. 06-2013, 37(2).
18. Piccinini E, Hanelt A, Gregory RW, Kolbe L. Transforming Industrial Business: The Impact of Digital Transformation on Automotive Organizations The Business Model Pattern Database App (www.bmp-database.com) View project. Available online: https://www.researchgate.net/publication/281855658. 18-09-2015
19. Kotarba M. Digital Transformation of Business Models. Foundations of Management. 2018, 10(1): 123-142. Doi: 10.2478/fman-2018-0011
20. Mergel I, Edelmann N, Haug N. Defining digital transformation: Results from expert interviews. Government Information Quarterly. 2019, 36(4): 101385. Doi: 10.1016/j.giq.2019.06.002
21. Krüger N, Teuteberg F. Consulting Business Models in the Digital Era. Available online: https://www.researchgate.net/publication/323639302. 08-03-2018.
22. Kronblad C, Envall Pregmark J. Responding to the COVID-19 crisis: The rapid turn toward digital business models. Journal of Science and Technology Policy Management. Published online September 22, 2021. Doi: 10.1108/jstpm-10-2020-0155
23. Warner KSR, Wäger M. Building dynamic capabilities for digital transformation: An ongoing process of strategic renewal. Long Range Planning. 2019, 52(3): 326-349. Doi: 10.1016/j.lrp.2018.12.001

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054, April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

प्लास्टिक मुद्रा का युवाओं पर प्रभाव - एक अध्ययन (म.प्र. के इंदौर जिले के विशेष संदर्भ में)

डॉ. कुशल जैन कोठरी* आकांक्षा सिंह**

* प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) माता जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इंदौर, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी (अर्थशास्त्र) माता जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इंदौर, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – भारत एक विकासशील देश है। भारत में शुरूआत में वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं का भुगतान किया जाता था जो की कई बाधाओं से ग्रस्त था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था इसमें शामिल पक्षों के साथ वांछित वस्तुओं की अनुपलब्धता। इस समस्या के समाधान के रूप में मुद्रा का आविष्कार हुआ और 1920 में प्लास्टिक मुद्रा की अवधारणा को पेश किया गया। पिछले कुछ दशकों में प्लास्टिक मुद्रा के उपयोग मे वृद्धि हुई है। भारत में लगभग 74 प्रतिशत जनसंख्या 44 वर्ष से कम आयु की है, जो की अधिक शिक्षित होने के कारण प्लास्टिक मुद्रा का नकद मुद्रा की तुलना में अधिक उपयोग कर रही है। यह अध्ययन इंदौर के युवा वर्ग पर प्लास्टिक मुद्रा के प्रभाव पर आधारित है। इस अध्ययन के लिए 100 उत्तरदाताओं का चयन उद्देश्यपूर्ण दैव निदर्शन विधि द्वारा किया गया है तथा प्राथमिक तथा द्वितीयक स्त्रोतों से आकड़ों का संकलन किया गया है। प्रस्तुत शोध के द्वारा प्लास्टिक मुद्रा का युवाओं पर पड़ने वाले प्रभाव तथा युवाओं द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं का अध्ययन किया गया है।

शब्द कुंजी – प्लास्टिक मुद्रा, प्रभाव, समस्या।

प्रस्तावना – उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के आगमन के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास हुआ है। तकनीकी क्रांति के कारण पूरे व्यापार उद्योग में एक महत्वपूर्ण बदलावा आया है। प्लास्टिक मुद्रा नकद मुद्रा का एक विकल्प हैं। मुद्रा एक ऐसा विनिमय का माध्यम है, जो सामान्य तौर पर वस्तुओं और सेवाओं के लिए भुगतान के रूप में स्वीकार किया जाता है। शुरूआत में, वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं का भुगतान किया जाता था जो की कई बाधाओं से ग्रस्त था, जिसमें महत्वपूर्ण था इसमें शामिल पक्षों के साथ वांछित वस्तुओं की अनुपलब्धता। धीरे-धीरे वस्तु विनिमय प्रणाली में यह समस्याएं गंभीर हो गई। इस समस्या के समाधान की खोज करने से मुद्रा का विकास हुआ। वॉकर के अनुसार 'मुद्रा वह है जो मुद्रा करता है।' इस प्रकार 17 वीं शताब्दी में मुद्रा का महत्व अत्यधिक बढ़ गया, जिसके बाद 19वीं शताब्दी के अंत में चेक का विकास हुआ। पिछले कुछ वर्षो में, मुद्रा ने अपने रूप को सिक्कों से नकद मुद्रा में बदल दिया और आज यह इलेक्ट्रानिक मुद्रा या प्लास्टिक मुद्रा के रूप में उपलब्ध हैं। प्लास्टिक की अवधारणा 1950 में पेश की गई थी और अब यह विशेष रूप से बैंकिंग क्षेत्र में समाज का एक महत्पूर्ण हिस्सा बन गया है। प्लास्टिक मुद्रा ने भुगतान की पारंपरिक अवधारणा को बदल दिया है।

प्लास्टिक मुद्रा का विकास आधुनिक युग की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। नकदी के माध्यम से भुगतान की पारंपरिक प्रणाली को धीरे-धीरे प्लास्टिक मुद्रा ने प्रतिस्थापित कर दिया है। प्लास्टिक मुद्रा के अंतर्गत डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड आदि को शामिल किया जाता है। चुकीं इन कार्डों को बनाने के लिए प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है इसलिए इन्हें प्लास्टिक कार्ड के नाम से जाना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्लास्टिक मुद्रा के प्रयोग पर जोर दिया जा रहा है। युवा वर्ग द्वारा भी प्लास्टिक मुद्रा का अधिक प्रयोग किया जा रहा है तथा वह अधिक सुविधा का अनुभव भी करता है जिस कारण से आज बैंक उपभोक्ताओं को प्लास्टिक मुद्रा का प्रयोग करने पर जोर दे रहा है। उपभोक्ताओं द्वारा भी प्लास्टिक मुद्रा का उपयोग करने की वरीयता तेजी से बढ़ रही है।

भारत में प्लास्टिक मुद्रा का प्रयोग, 8 नवम्बर 2016 से सर्वाधिक बढ़ गया है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार, कालाधन और जमाखोरी जैसी समस्याओं से छुटकारा पाने हेतु नोटबंदी की घोषणा की जिसके कारण नकद की जगह प्लास्टिक मुद्रा के नाम से प्रसिद्ध क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का प्रचलन तेजी से होने लगा। इस नोटबंदी ने बैंकिंग सेवा का एक नया रूप पेश किया है। विमुद्रीकरण के कारण भी प्लास्टिक मुद्रा के प्रयोग पर सरकार तथा बैंकों द्वारा अधिक प्रयोग पर जोर दिया गया है। **रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार** जनवरी 2018 में डेबिट कार्ड की संख्या 36.24 मिलियन है। जनवरी 2017 और 2018 के बीच भारत में 7.39 मिलियन क्रेडिट कार्ड और 28.72 मिलियन डेबिट कार्ड की वृद्धि हुई है।

भारत की कुल जनसंख्या वर्ष 2022 में, अनुमानित जनसंख्या 15.1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1,417,170,000 है। भारत में लगभग 74 प्रतिशत जनसंख्या 44 वर्ष से कम आयु की है, भारतीय जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा 0 से 24 वर्ष के आयु वर्ग में आता है। 16.55 प्रतिशत जनसंख्या 24 से 35 वर्ग के अंतर्गत आता है तथा 14.34 प्रतिशत जनसंख्या 36 से 44 वर्ग के अंतर्गत आते है अर्थात, भारत में युवा वर्ग की जनसंख्या अधिक है जो की शिक्षित भी है। इस कारण से इस वर्ग द्वारा प्लास्टिक मुद्रा का अधिक प्रयोग किया जा रहा होगा।

इस शोध में प्लास्टिक मुद्रा के प्रयोग का युवा वर्ग पर क्या प्रभाव प्रड़ता है इसका अध्ययन किया जाएगा। साथ ही प्लास्टिक मुद्रा के

उपयोगकर्ताओं का आयु, आय व लिंग के आधार पर प्रभाव का अध्ययन तथा प्लास्टिक मुद्रा का उपयोग करने वाले युवाओं द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं का भी अध्ययन किया जाएगा।

इस शोध पत्र से बैंकों के प्रबंधक (सलाहकारों) को भी लाभ होगा। प्रबंधक प्लास्टिक मुद्रा का उपयोग करने से होने वाली समस्याओं को समझ कर उन्हें दूर करने में सफल हो सकेंगे तथा क्रेडिट तथा डेबिट कार्ड में तकनिकी परिवर्तन कर सकेंगे। इस शोध से बैंकों को प्लास्टिक मुद्रा से संबंधित नयी नीतियों के निर्माण में सहायता होगी। यह शोध पत्र, भविष्य में शोधार्थी को प्लास्टिक मुद्रा से संबंधित शोध करने का आधार प्रदान करेगा।

वर्तमान समय में, इंदौर जिले में, इन तथ्यों पर शोध कार्य नहीं किया गया है इसलिए यह अध्ययन आर्थिक तथा सामाजिक रूप से प्रासंगिक है।

साहित्य की समीक्षा

अनीश बिष्ट तथा प्रवीण नायर (2015) – के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य प्लास्टिक मुद्रा के प्रति उपभोक्ता की जागरूकता तथा प्लास्टिक मुद्रा की ओर उदासीनता को जानना था। अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि प्लास्टिक मुद्रा का प्रमुख लाभ, इसकी सुविधा तथा उपभोक्ताओं तक इसकी पहुँच है। शोध से यह भी परिणाम प्राप्त हुआ है कि मुद्रा की सबसे बड़ी समस्या वित्तीय संस्थानों से क्रेडिट तथा डेबिट कार्ड बनाने के लिए लेन-देन संबंधी लागत और अनावश्यक औपचारिकताओं में वृद्धि है।

कोमल ढ़ांडा (2016) – यह अध्ययन मुद्रा के प्रति उपभोक्ताओं की जागरूकता को जानने पर आधारित था। इस शोध का उद्देश्य यह जानना था कि प्लास्टिक मुद्रा उपयोगकर्ताओं के लिए वरदान है या अभिशाप और नकद मुद्रा से अधिक प्लास्टिक मुद्रा की प्राथमिकता के लिए उपभोक्ता के कारणों का अध्ययन करना। शोध से स्पष्ट होता है कि उपयोगकर्ता अपने लेन-देन के लिए नकद मुद्रा से अधिक प्लास्टिक मुद्रा का उपयोगकरना पसंद करता है और प्लास्टिक मुद्रा का उपयोग करने में संतुष्ट है। अध्ययन से यह भी ज्ञात होता है कि उपयोगकर्ता डेबिट कार्ड का उपयोग क्रेडिट कार्ड से अधिक कर रहा है और प्लास्टिक कार्ड के लिए आगे का मार्ग भी आशावादी है।

डॉ. प्रीता लाल (2017) – के अनुसार उपभोक्ता अधिकांशतः भुगतान क्रेडिट तथा डेबिट कार्ड के माध्यम से करता है। यह अध्ययन इस तथ्य पर आधारित था की प्लास्टिक मुद्रा का उपयोग कैसे बढ़ाया जा सकता है? इनके शोध में प्लास्टिक मुद्रा का उपयोग करने से उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। शोध से स्पष्ट होता है की उपयोगकर्ता प्लास्टिक मुद्रा के उपयोग से जुड़े सुरक्षा प्रक्रिया से पूरी तरह से अवगत नहीं है तथा इस कारण से उपभोक्ताओं को कई समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। शोध में क्रेडिट तथा डेबिट कार्ड में अंतर तथा उनके प्रकारों का भी उल्लेख किया गया है।

डॉ. जयशु एन्टोनी (2018) – यह अध्ययन प्लास्टिक मुद्रा का उपभोक्ताओं के व्यय करने के स्वरूप पर आधारित है। शोध से यह ज्ञात होता है कि अधिकांशतः प्लास्टिक मुद्रा के उपयोगकर्ता की राय में प्लास्टिक मुद्रा का उनके व्यय करने के स्वरूप पर अधिक प्रभाव पड़ा है। विश्लेषण से इस तथ्य का पता चलता है कि अधिकांश उपभोक्ता नकद मुद्रा की तुलना में प्लास्टिक मनी का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सुरक्षित है, ले जाने के लिए सुविधाजनक है और यह उन्हें अधिक क्रेडिट विकल्प देता है।

डॉ. रिचा चौहान (2018) – का उद्देश्य भारत में प्लास्टिक मुद्रा के उपयोग को प्रभावित करने वाले कारकों का पता लगाना तथा शिक्षा के स्तर और प्लास्टिक मुद्रा के उपयोग की बीच संबंध का अध्ययन करना था। शोध से यह परिणाम ज्ञात हुआ की शिक्षा के स्तर और प्लास्टिक मुद्रा के उपयोग के बीच सकारात्मक संबंध है। प्लास्टिक मुद्रा का बढ़ता उपयोग बैंकों की आय का साधन बन गया है। प्लास्टिक मनी के इस्तेमाल से बैंक और उपभोक्ता दोनों को फायदा हुआ है।

सुखविंदर कौर (2018) – के अनुसार उपभोक्ता नकद मुद्रा के स्थान पर प्लास्टिक मुद्रा पसंद करते है और उपभोक्ता को जो अधिक लाभ प्लास्टिक कार्ड से मिलता है, वह सुविधा और इसकी पहुँच है। इनके अनुसार प्लास्टिक मुद्रा की प्रमुख समस्या, वित्तीय संस्थानों के कार्ड की खरीद के लिए बढ़ी हुई लेन-देन लागत और अनावश्यक औपचारिकताएँ है। इनके अनुसार प्लास्टिक मुद्रा का भविष्य उज्जवल है।

शिवांगी राय (2019) – के शोध का उद्देश्य प्लास्टिक मुद्रा के लाभ तथा हानी का अध्ययन करना तथा उपभोक्ता के संतुष्टि स्तर का अध्ययन करना है। शोध से यह परिणाम प्राप्त होता है की उपभोक्ता प्लास्टिक मुद्रा के सुलभ संचालन, गति, प्लास्टिक मनी के उपयोग के लाभों और प्लास्टिक मनी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण से अधिक संतुष्ट हैं। जो उपभोक्ता व्यापारी के रूप में कार्य कर रहे है या व्यवसाय कर रह हैं, वे प्लास्टिक मुद्रा का अधिक बार उपयोग कर रहे है क्योंकि उनका कार्य भी प्लास्टिक मनी के उपयोग की मांग करता है। प्लास्टिक मनी के प्रति उपभोक्ता संतुष्टि स्तर और उपभोक्ता की वार्षिक आय के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध है।

अर्चना छटपर (2020)– शोध से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि प्लास्टिक मनी इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी भी सुधार की आवश्यकता है और जहाँ भी संभव हो प्लास्टिक मनी का उपयोग करने का सुझाव देना चाहिए। प्लास्टिक कार्ड की सुरक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए। शोध द्वारा यह भी पाया गया है कि उपयोगकर्ता प्लास्टिक कार्ड के नियमों और शर्तों से अच्छी तरह वाकिफ नहीं है क्योंकि वे आवेदन करने से पहले नियमों को नहीं पढ़ते हैं। अंत में, यह निष्कर्ष निकाला गया है कि ई-कॉमर्स की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण आने वाले वर्षों में प्लास्टिक मनी का भविष्य उज्जवल है।

डॉ. एस. हेमलता (2020) – के शोध का उद्देश्य ग्रामीण सीमांत किसानों द्वारा वरीयता दी जाने वाली भुगतान विधियों का विश्लेषण करना, प्लास्टिक कार्ड से ग्रामीण भारत में सीमांत किसानों को होने वाले संभावित लाभ का विश्लेषण करना है तथा सीमांत किसानों को प्लास्टिक मुद्रा का प्रयोग करते समय होने वाली समस्याओं को जानना है। शोध से यह परिणाम प्राप्त हुआ की अधिकतर सीमांत किसान प्लास्टिक मुद्रा का प्रयोग करना पसंद नहीं करते। अध्ययन में यह सुझाव दिया गया है कि सरकार को प्लास्टिक मुद्रा के उपयोग के लाभ के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ग्रामीण भारत में कई कार्यक्रम आयोजिक करने चाहिए।

डॉ. ज्योति कपूर भार्गव (2021) – के शोध में यह परिणाम ज्ञात हुआ की अधिकांश उत्तरदाता प्लास्टिक मनी का किसी न किसी रूप में उपयोग करते हैं और उनमें से कई उपयोगकर्ता वर्षों से इसका उपयोग कर रहे हैं। इनके अनुसार बहुत से उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन कर रहे हैं क्योंकि यह सुलभ है और समय की बचत होती है।

अनुसंधान अंतराल– प्लास्टिक मुद्रा के उपयोग के संबंध में, उपभोक्ताओं की पसंद और संतुष्टि के स्तर पर अध्ययन विभिन्न शोधकर्ताओं द्वारा किया गया है परंतु शोधकर्ताओं के द्वारा कुछ क्षेत्रों के अध्ययन को ही शामिल

किया गया है। शोधकर्ताओं ने प्लास्टिक मुद्रा को प्रोत्साहित करने वाले कारकों, समस्याओं तथा प्लास्टिक मुद्रा से ग्रामीण भारत के सीमांत किसानों को होने वाले संभावित लाभ का विश्लेषण भी किया है परंतु प्लास्टिक मुद्रा का युवाओं पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन नहीं किया गया है। युवाओं की लिंग और प्लास्टिक मुद्रा के प्रयोग के बीच क्या संबंध है, उपभोक्ता की आय और प्लास्टिक मुद्रा के प्रयोग के बीच क्या संबंध है तथा इंदौर जिले में प्लास्टिक मुद्रा का युवाओं पर पड़ने वाले प्रभाव पर शोध नहीं किया गया है।

शोध का उद्देश्य:

1. प्लास्टिक मुद्रा का युवाओं पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।
2. प्लास्टिक मुद्रा के उपयोगकर्ताओं का आयु, आय व लिंग के आधार पर प्रभाव का अध्ययन करना।
3. प्लास्टिक मुद्रा का उपयोग करने वाले युवाओं द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं का अध्ययन करना।

अनुसंधानकी रूपरेखा

अनुसांधन क्षेत्र – प्रस्तुत शोध मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में किया गया है। इंदौर मध्य प्रदेश राज्य का एक नगर है। जनसंख्या की दृष्टि से यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या 2022 में **85,54,8,000** करोड़ है। यह भारत में टीयर – 2 शहरों के अंतर्गत आता है। यह मध्य प्रदेश राज्य की वाणिज्यिक राजधानी भी कहलाती है। इंदौर जिले का कुल क्षेत्रफल 3,898 वर्ग कि.मी. है तथा इंदौर की कुल जनसंख्या 1475018 है। इंदौर, मध्य प्रदेश राज्य की व्यापारिक राजधानी भी है। इंदौर व्यापार और वाणिज्य का एक जीवंत केन्द्र है। अपने व्यापार और उद्योग के कारण इंदौर, मिनी मुंबई के नाम से भी प्रसिद्ध है।

न्यायदर्श का आकार – अध्ययन में, उत्तरदाताओं का चयन करने के लिए उद्देश्यपूर्ण न्यायदर्श विधि का प्रयोग किया गया है।

न्यायदर्श विधि– उद्देश्यपूर्ण दैव निदर्शन विधि

न्यायदर्श आकार– 100 उत्तरदाता

अध्ययन के लिए 100 उत्तरदाताओं का चयन किया गया है, जो की प्लास्टिक मुद्रा से अवगत है। शोध में उत्तरदाताओं का चयन करते समय विभिन्न कारकों जैसे आयु, लिंग, आय आदि को उचित महत्व दिया गया है।

आकड़ा संग्रह – अध्ययन के लिए प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों स्रोतों से आकड़ें एकत्रित किये गये है।

प्राथमिक स्रोत – फील्ड सर्वे के माध्यम से, उत्तरदाताओं से प्राथमिक आकड़ें एकत्र किए गए है। आकड़ों को एकत्रित करने के लिए प्रश्नावली का प्रयोग किया गया है।

द्वितीयक स्रोत – द्वितीयक आकडें, प्रकाशित पत्रिकाओं, अनुसंधान कार्यो पर पुस्तकें, रिपोर्टे, प्रकाशन आदि से एकत्र किया गया है। इंटरनेट सेवाओं का उपयोग भी विभिन्न वेबसाईट के माध्यम से नवीनतम जानकारी प्राप्त करने के लिए किया गया है।

डेटा विश्लेषण – डेटा विश्लेषण करने के लिए, निम्नलिखित तकनीकों का प्रयोग किया गया है–

सारणी, दण्ड चित्र, वृतीय चित्र

आकड़ों का विश्लेषण–

उत्तदाताओं की आयु

	आवृति	प्रतिशत	संचयी आवृति
18–25 तक की आयु	25	25	25
26–35 तक की आयु	40	40	65
36–45 तक की आयु	35	35	100
कुल योग	100		

स्रोत– सर्वेक्षण पर आधारित समंक

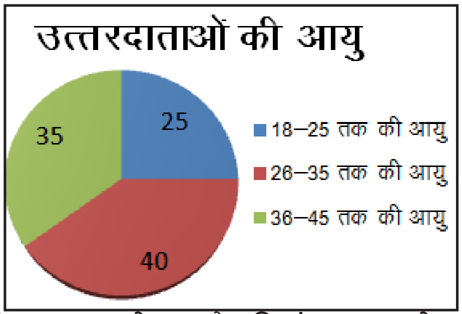

उपरोक्त तालिका तथा वृत्त से स्पष्ट है अधिकांश युवा 26 से 35 आयु तक के है जिनकी संख्या 40 है। आयु का भी प्लास्टिक मुद्रा के प्रयोग पर प्रभाव पड़ता है। तालिका से स्पष्ट होता है की 26 से 35 आयु के युवा प्लास्टिक मुद्रा का अधिक प्रयोग करते है। 36 से 45 आयु तक के उपयोगकर्ताओं की संख्या 35 है।

उत्तरदाताओं की लिंग	आवृति	प्रतिशत	संचयी आवृति
स्त्री	35	35	35
पुरूष	65	65	100
कुल योग	100		

स्रोत– सर्वेक्षण पर आधारित समंक

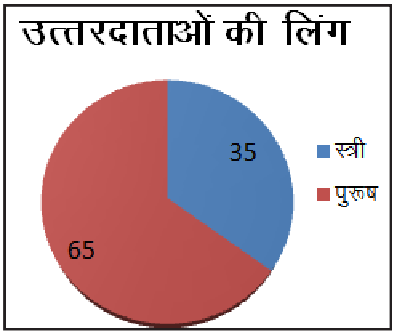

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है की, स्त्रियों की तुलना में पुरूषों की संख्या अधिक है जो प्लास्टिक मुद्रा का प्रयोग करते है। स्त्रियों की संख्या 35 है जबकि पुरूषों की संख्या 65 है। प्लास्टिक मुद्रा का प्रयोग पुरूष और महिलाएं दोनों कर रहे हैं। स्त्रियों द्वारा प्लास्टिक मुद्रा का प्रयोग ऑनलाइन खरीदारी के लिए किया जा रहा है।

उत्तरदाताओं की शैक्षिक योग्यता –

	आवृति	प्रतिशत	संचयी आवृति
उच्च माध्यमिक	3	3	3
स्नातक	65	65	68
स्नातकोत्तर	27	27	95
अन्य	5	5	100
कुल योग	100	100	

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

स्रोत– सर्वेक्षण पर आधारित समंक

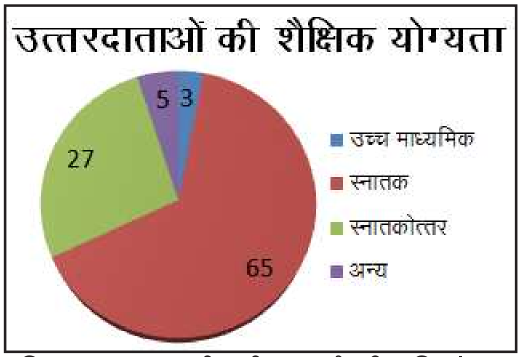

उपरोक्त तालिका तथा वृत्त आलेख से स्पष्ट है की अधिकांश युवाओं की शैक्षिक योग्यता स्नातक तक की है जो की 65 प्रतिशत है। प्लास्टिक मुद्रा के उपयोग पर शिक्षा का भी अधिक प्रभाव पड़ता है। उच्च शिक्षा प्राप्त युवा द्वारा प्लास्टिक मुद्रा का अधिक प्रयोग किया जा रहा है। पढ़े-लिखे उपभोक्ताओं को, प्लास्टिक मुद्रा से संबंधित कठीन शब्दावली को समझने में कठीनाई नहीं आती है।

उत्तरदाताओं का व्यवसाय –

	आवृति	प्रतिशत	संचयी आवृति
विद्यार्थी	21	21	21
गृहिणी	13	13	34
निजी क्षेत्र में कार्यरत	38	38	72
सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत	19	19	91
व्यवसायी	9	9	100
कुल योग	100	100	

स्रोत– सर्वेक्षण पर आधारित समंक

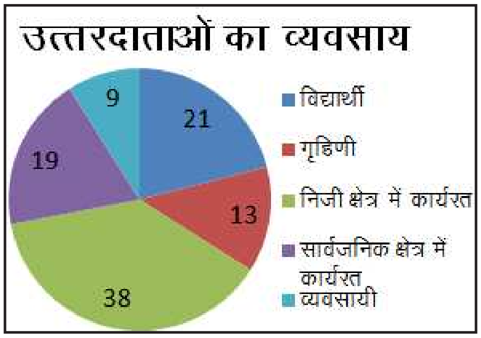

उपरोक्त तालिका तथा वृत्त से स्पष्ट है कि अधिकांश युवा निजी क्षेत्र में कार्यरत है जिनकी संख्या 38 प्रतिशत है। सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत युवाओं की संख्या 19 प्रतिशत है। उपभोक्ता के व्यवसाय का भी प्लास्टिक मुद्रा के उपयोग पर प्रभाव पड़ता है। उपभोक्ता के व्यवसाय तथा प्लास्टिक मुद्रा के प्रयोग के मध्य सकारात्मक संबंध है।

उत्तरदाताओं की वार्षिक आय –

	आवृति	प्रतिशत	संचयी आवृति
100000 से कम	4	4	4
100000 से 300000 के मध्य	13	13	17
300000 से 600000 के मध्य	36	36	53
600000 से 900000 के मध्य	23	23	76
900000 से 1000000 के मध्य	17	17	93
1000000 से अधिक	7	7	100
कुल योग	100	100	

स्रोत –सर्वेक्षण पर आधारित समंक

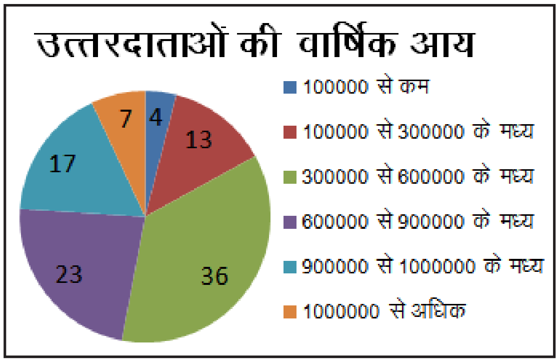

उपरोक्त तालिका तथा वृत्त से स्पष्ट है की, उत्तरदाताओं में से 36 प्रतिशत उत्तरदाता 300000 से 600000 रूपये के मध्य की वार्षिक आय अर्जित कर रहे है। 23 प्रतिशत उत्तरदाता 600000 से 900000 रूपये के मध्य, 17 प्रतिशत उत्तरदाता 900000 से 1000000 रूपये के मध्य तथा केवल 4 प्रतिशत उत्तरदाता 1000000 रूपये से अधिक वार्षिक आय अर्जित कर रहे है।

उत्तरदाताओं द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कार्ड के प्रकार

	आवृति	प्रतिशत	संचयी आवृति
क्रेडिट कार्ड	29	29	29
डेबिट कार्ड	58	58	87
दोनों	13	13	100
कुल योग	100	100	

स्रोत –सर्वेक्षण पर आधारित समंक

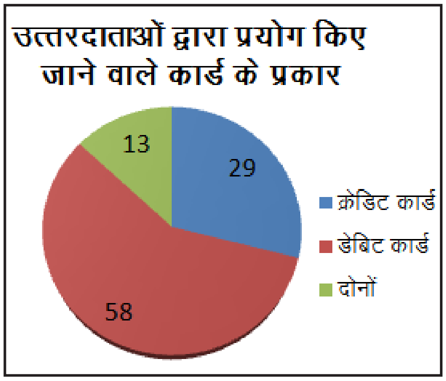

उपरोक्त तालिका तथा वृत्त से स्पष्ट है की अधिकांश उत्तरदाता डेबिट कार्ड का उपयोग कर रहे है। 100 उत्तरदातों में से 58 प्रतिशत उत्तरदाता डेबिट कार्ड का उपयोग कर रहे है, 29 प्रतिशत उत्तरदाता क्रेडिट कार्ड का प्रयोग कर रहे है और केवल 13 प्रतिशत उत्तरदाता ही क्रेडिट तथा डेबिट कार्ड दोनों का प्रयोग कर रहे है।

अत: ये स्पष्ट है की उत्तरदाताओं द्वारा क्रेडिट कार्ड का डेबिट कार्ड की तुलना में कम प्रयोग किया जा रहा है।

उत्तरदाताओं द्वारा प्रयोग किए जाने वाले बैंक

	आवृति	प्रतिशत	संचयी आवृति
सरकारी बैंक	34	34	34
निजी बैंक	66	66	100
कुल योग	100	100	

स्रोत –सर्वेक्षण पर आधारित समंक

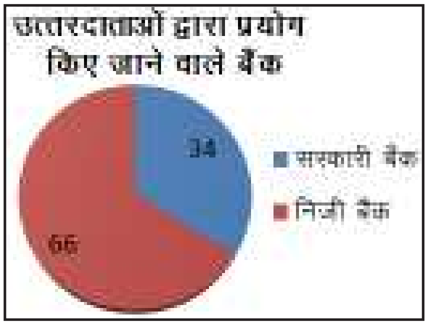

उपरोक्त तालिका तथा वृत्त से स्पष्ट है कि 100 में से 66 प्रतिशत उत्तरदाता निजी बैंक को अधिक वरीयता दे रहे है। 34 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा सरकारी बैंक का उपयोग किया जा रहा है। त्वरित निर्णय, बेहतर संचार तथा सेवाओं के कारण निजी बैंकों द्वारा जारी प्लास्टिक मुद्रा का उपयोग उत्तरदाताओं द्वारा अधिक किया जा रहा है।

उत्तरदाताओं द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कार्ड का उद्देश्य

	आवृति	प्रतिशत	संचयी आवृति
उपयोगिता बिल का भुगतान करने के लिए	09	09	09
ए.टी.एम. से नकद निकालने हेतु	66	66	75
ऑनलाइन पेमेंट के लिए	09	09	84
यात्रा करते समय	08	08	92
विलासिता वस्तुओं का	04	04	96
भुगतान करते समय			
अन्य उपयोग	04	04	100
कुल योग	100	100	

स्रोत –सर्वेक्षण पर आधारित समंक

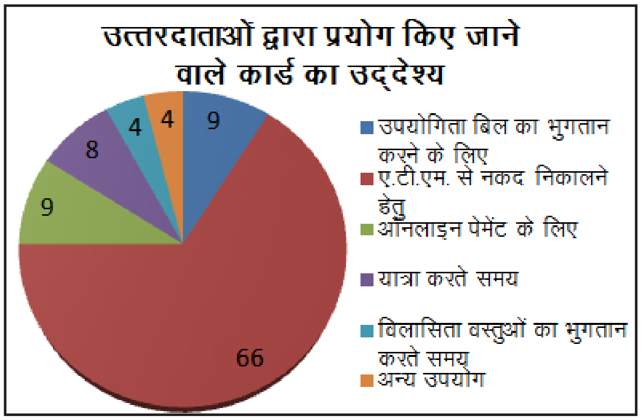

उपरोक्त तालिका तथा वृत्त से स्पष्ट है की अधिकांश उत्तरदाता (66 प्रतिशत) नकद निकासी के लिए प्लास्टिक मुद्रा का उपयोग कर रहे हैं। उपयोगिता बिल, फीस का भुगतान करने के उद्देश्य से केवल 9 प्रतिशत उत्तरदाता ही प्लास्टिक मुद्रा का उपयोग कर रहे है। 9 प्रतिशत उत्तरदाता ऑनलाइन भुगतान के लिए कार्ड का उपयोग कर रहे है। केवल 4 प्रतिशत उत्तरदाता ही यात्रा करते समय प्लास्टिक मुद्रा का उपयोग करते है।

अत: स्पष्ट है की अधिकांश उत्तरदाता नकद निकासी तथा उपयोगिता बिल, फीस का भुगतान करने के उद्देश्य से प्लास्टिक मुद्रा का उपयोग करना पसंद करते है।

उत्तरदाताओं द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कार्ड का कारण

	आवृति	प्रतिशत	संचयी आवृति
चोरी या हानी का जोखिम कम से कम होना	43	43	43
क्रय शक्ति (वस्तुओं के क्रय की सुविधा)	15	15	58
भ्रष्टाचार, कालाधन तथा जमाखोरी जैसी समस्याओं मे कमी	12	12	70
भविष्य में भुगतान की सुविधा	22	22	92
अन्य कारण	8	8	100
कुल योग	100	100	

स्रोत–सर्वेक्षण पर आधारित समंक

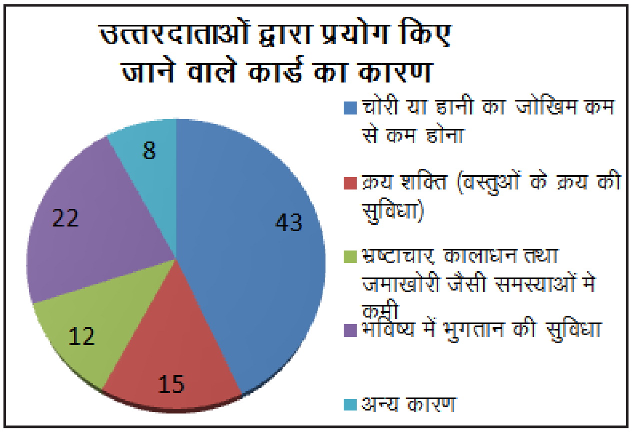

उपरोक्त तालिका तथा वृत्त से स्पष्ट है की अधिकांश उत्तरदाता प्लास्टिक मुद्रा के चोरी या हानी का जोखिम कम होने के कारण प्लास्टिक मुद्रा का उपयोग करते है। प्लास्टिक मुद्रा की तुलना में नकद मुद्रा के चोरी होने का जोखिम अधिक होता है। प्लास्टिक मुद्रा का, भविष्य में भुगतान की सुविधा होने के कारण 100 मे से 22 प्रतिशत उत्तरदाता प्लास्टिक मुद्रा का उपयोग करते है। 15 प्रतिशत उत्तरदाता क्रय शक्ति के कारण प्लास्टिक मुद्रा का प्रयोग करना पसंद करते है। भ्रष्टाचार, कालाधन तथा जमाखोरी जैसी समस्याओं में कमी करने के कारण 12 प्रतिशत उत्तरदाता प्लास्टिक मुद्रा का प्रयो करते है।

अत: स्पष्ट है की अधिकांश उत्तरदाता (100 में से 43 प्रतिशत) प्लास्टिक मुद्रा के चोरी या हानी का जोखिम कम होने के कारण प्लास्टिक मुद्रा का उपयोग करते है।

प्लास्टिक मुद्रा के उपयोग के प्रति उत्तरदाताओं द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं

	आवृति	प्रतिशत	संचयी आवृति
विश्वास की कमी	14	14	14
उपयोग और व्यय की अधिकता की समस्या	45	45	59
ज्ञान की कमी	07	07	66
शुल्क/प्रभार/बिलिंग आदि में पारदर्शिता का अभाव	03	03	69
कठीन शब्दावली की समस्याएं	09	09	78
कार्ड की धोखाधड़ी की समस्याएं	22	22	100
कुल योग	100	100	

स्रोत-सर्वेक्षण पर आधारित समंक

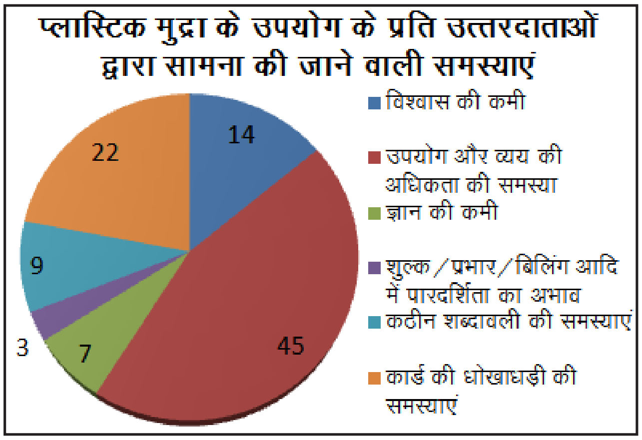

उपरोक्त तालिका तथा वृत्त से स्पष्ट है की प्लास्टिक मुद्रा का उपयोग करने में उत्तरदाताओं को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इनमें से सबसे प्रमुख समस्या उपयोग तथा व्यय की अधिकता है। 100 में से 45 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है की क्रेडिट तथा डेबिट का वे अधिक उपयोग करते है जिसके कारण अधिक खर्चे हो रहे है तथा अधिक व्यय हो रहा है। 22 प्रतिशत उत्तरदाता को प्लास्टिक मुद्रा के धोखाधड़ी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। 9 प्रतिशत उत्तरदाता को कठीन शब्दावली की समस्या हो रही है। केवल 3 प्रतिशत उत्तरदाताओं को शुल्क/प्रभार/बिलिंग आदि में पारदर्शिता का अभाव के कारण समस्या हो रही है।

निष्कर्ष – प्रस्तुत शोध प्रत्येक क्षेत्र के लिए सहायक होगी। मुख्यत: सरकार, सार्वजनिक बैंक, निजी बैंक, प्लास्टिक मुद्रा का अधिक प्रभाव पड़ा है। अध्ययन से पता चलता है कि अधिकांश उत्तरदाता क्रेडिट कार्ड की तुलना में डेबिट कार्ड का उपयोग करते है। 100 में से 58 प्रतिशत उत्तरदाता डेबिट कार्ड का उपयोग कर रहे है। डेबिट कार्ड के, क्रेडिट कार्ड की तुलना में अधिक प्रयोग करने का मुख्य कारण नकद निकासी की सुविधा तथा क्रेडिट कार्ड के उपयोग के प्रति ज्ञान की कमी है। अध्ययन से यह भी परिणाम प्राप्त हो रहा है की उत्तरदाता के लिंग, आय तथा व्यवसाय का और प्लास्टिक मुद्रा के प्रयोग के मध्य सकारात्मक संबंध है। जो उत्तरदाता विद्यार्थी तथा गृहणी है, उनकी तुलना में निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत उत्तरदाता प्लास्टिक मुद्रा का अधिक उपयोग कर रहे है। प्लास्टिक मुद्रा के प्रयोग द्वारा कई समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है जिनमें सबसे प्रमुख समस्या उपयोग और व्यय की अधिकता की समस्या, ज्ञान की कमी, शुल्क/प्रभार/बिलिंग आदि में पारदर्शिता का अभाव, कार्ड की धोखाधड़ी की समस्याएं शामिल है। यदि बैंकों द्वारा इन प्रमुख समस्याओं को कम कर दिया जाए तो प्लास्टिक मुद्रा के उपयोग का प्रतिशत और अधिक बढ़ सकता है। सुषमा पाटिल (2014) के अनुसार प्लास्टिक मुद्रा का भविष्य बैंकों द्वारा प्लास्टिक कार्ड के उपयोग पर दिए जाने वाले लाभ तथा सुविधा पर निर्भर करहै। इस प्रकार स्पष्ट है की युवा वर्ग को प्लास्टिक मुद्रा से संबंधित कई आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तथा ऐसे में युवा वर्ग को प्लास्टिक मुद्रा की तरफ मोड़ना बहुत बड़ी चुनौती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Anisha Bisht, Praveen Nair (2015). Analysis of the use of plastic money: a boon or a bane. SIMS Journal of Management Research, Volume no. 1, 2015.
2. Dhanda,Komal(2016), "Plastic cards: a blessing or a curse", International Journal of Engineering Technology and Applied Sciences, Volume 4,Issue10,ISSN 2349-4476. www.ijetmas.com
3. Lall.Preeta(2017), "An analysis of the use of plastic money in chattisgarh". GLOBAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY STUDIES ISSN: - 2348-0459 Volume-6, Issue-5, April 017 Impact Factor: 2.389 www.gjms.co.in
4. Antony, Dr. Jaishu (2018),"A Study on the Impact of Plastic Money on Consumer Spending Pattern", Global Journal of Management and Business Research : G Interdisciplinary, Volume 18 Issue 3 Version 1.0 Year 2018
5. Chouhan,Dr.Richa(2018), "Study of factors affecting use of plastic money in India",Inspira-Journal of modern management &entrepreneurship(JMME), April2018, PP.205-208
6. Kaur,Sukhwinder(2018), "Relevance of plastic money, study based on Fridkot Dist.(pb)", Vol.6,Issue3, ISSN. 2321-9939
7. Rai,Shivangi(2019), "A study of customer's satisfaction towards plastic money in Bhopal(M.P)", International journal of managemaent and engineering, Vol.9, Issue:5May,2019,ISSN:2249-0558, Impact factor:7.119
8. Chhatpar,Dr.Archana(2020), "An analytical study on the use of plastic money with respect to Pune city", Journal of Emerging Technologies & Innovative Research (JETIR), October2020, Volume:7, Issue 10, ISSN: 2349-5162 www.jetir.org
9. Hemalatha,Dr.S(2020), "Impact of usage of plastic money in rural India",Engineering and Management, March-April 2020, ISSN:0193-4120, Page No.8695-8700
10. Bhargava,Dr.Jyoti Kapoor(2021), "An analytic study of the plastic money in India:, International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science(IJEMMASSS), issn:2581-9925, Impact Factor: 6.340, Volume 03,No. 02(I), April-June,2021, PP.38-44
11. IIndia Population Statistics 2022 | Current Population of India – The Global Statistics – The Data Experts | Statistical Data Reports
12. Sandeepverma, 14 march,2018.

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

पर्यटन के संदर्भ में मैनपाट का भौगोलिक विश्लेषण

डॉ.के.सी गुप्ता*

* सहायक प्राध्यापक (भूगोल) किरोड़ीमल शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.) भारत

प्रस्तावना – आज मानव ने सभी क्षेत्र में प्रगति की है। प्राकृतिक संसाधनो का भरपूर दोहन कर सम्पूर्ण विश्व आर्थिक विकास के होड़ में लगा है। एक तरफ प्राकृतिक संसाधनो का दोहन और दूसरी तरफ अत्यधिक अर्जित करने का तनाव मानव जीवन को अवसादग्रस्त कर दिया है। फलस्वरूप अशांति और कई प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक व्याधियों से मनुष्य जूझ रहा है। उससे मानव जीवन की गुणवत्ता में कमी आई है। ऐसे में प्रकृति प्रदत्ता मनोरम स्थलों का महत्व और बढ़ जाता है क्योंकि जंगल, नदी, झरने, पहाड़, जीव-जन्तु और ऐतिहासिक, पुरातात्विक धार्मिक स्थल मानव मन को शांति और ज्ञान प्रदान करते हैं। इसलिए आज मनुष्य ऐसे जगहों की तलाश करता है जिससे पर्यटन का महत्व दिनोदिन बढ़ता जा रहा है।

भारत में अनेक विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं। यहाँ पर्यटन से कुल 42 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। 2019 में देश के सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन का लगभग 9.3% एवं 2022 में 201.37 अरब अमेरिकी डॉलर का योगदान था। पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022 में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस को 'ग्रामीण और सामुदायिक केन्द्रित पर्यटन' के रूप में समर्पित किया। इस प्रकार 2023 का थीम 'पर्यटन और हरित निवेश' रहा। 2024 में 'सतत यात्राएं, कालातीत यादें' थीम रखकर यात्रा और पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है।

अध्ययन क्षेत्र – अध्ययन क्षेत्र मैनपाट छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में स्थित है जो विंध्याचल पर्वत का हिस्सा है। यह एक हिल स्टेशन है जिसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। यह 22°49' उत्तरी अक्षांश से 22°81' उत्तरी अक्षांश तथा 83°16' पूर्वी देशांतर से 83°28' पूर्वी देशांतर के बीच अवस्थित है। इसका क्षेत्रफल 68 वर्ग किमी है। यह समुद्र तल से 1085 मीटर ऊँचा है। प्रकृतिक सौन्दर्य से परिपूर्ण मैनपाट अम्बिकापुर से 75 की.मी. की दूरी पर स्थित एक गाँव है। जनगणना 2011 के अनुसार मैनपाट तहसील की कुल जनसंखया 76573 है।

अध्ययन का उद्देश्य – अध्ययन क्षेत्र मैनपाट प्राकृतिक सौन्दर्य से भरपूर है। यह एक पर्यटन स्थल है जहाँ प्रतिवर्ष पर्यटक आते हैं। इस अध्ययन में यहाँ के पर्यटन स्थलों को रेखांकित कर पर्यटकों को आकर्षित करना है। यहाँ का भौगोलिक परिवेश विविधता लिए हुए है जिसका पर्यटन के संदर्भ में विश्लेषण कर पर्यटन के मानचित्र में इसे नयी पहचान देना है।

अध्ययन विधि – प्रस्तुत अध्ययन मुख्यत: स्वयं के पर्यवेक्षण पर आधारित है। जिसमें प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों का उपयोग किया गया है।

मैनपाट का भौगोलिक विश्लेषण

1. **धरातलीय स्वरूप एवं भूगर्भिक संरचना –** यह एक पाट प्रदेश है। ऊँचे पहाड़ी एवं पठारी भागों से सुसज्जित, यह भाग छुरी उदयपुर की पहाड़ियों से लगा हुआ है। यहाँ से मांड एवं रिहन्द नदियाँ निकलती हैं।

इसकी भौगोलिक संरचना दक्कन ट्रेप की चट्टानों से हुई है। यहाँ की धरातलीय बनावट पर्यटन हेतु लोगों को आकर्षित करते हैं।

प्रवाह प्रणाली– मैनपाट से निकलने वाली प्रमुख नदियां मांड एवं रिहन्द हैं। मांड,महानदी की सहायक नदी है। इसका उदगम सरगुजा जिले के मैनपाट के निकट की पहाड़ियाँ हैं। इसकी लंबाई 241 किमी है। यह रायगढ़ एवं जांजगीर-चांपा जिले मे प्रवाहित होती है तथा छत्तीसगढ़ के शक्तिपीठ चन्द्रपुर के निकट महानदी में मिल जाती है। कुरकुर और कोईराज इसकी सहायक नदियाँ हैं जिनके प्रवाह मार्ग में अनेक सुंदर प्राकृतिक दृश्य हैं।

रिहन्द नदी का उदगम सरगुजा के अम्बिकापुर तहसील के मतिरिंगा पहाड़ी से हुआ है। छत्तीसगढ़ में यह 145 किमी लंबाई में प्रवाहित होती है। इसे रेर, रेहर, रेणुका, रेणु आदि नामों से जाना जाता है। उत्तरप्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा के बीच रिहन्द बांध का निर्माण किया गया है। यह नदी उत्तरप्रदेश के सोनभद्र जिले में सोन नदी में मिल जाती है। ये दोनों नदियाँ मैनपाट के प्राकृतिक सौन्दर्य को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

जलवायु– यहाँ उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु पायी जाती है। छत्तीसगढ़ की तरह यहाँ भी ग्रीष्म,वर्षा और शीत वस्तुएं पायी जाती-हैं किन्तु यहाँ ग्रीष्म ऋतु का तापमान 32°c से 40°c तक पाया जाता है। जो छत्तीसगढ़ के अन्य क्षेत्रों से कम है। अत: यहाँ ग्रीष्म ऋतु में पर्यटन हेतु अनुकुल वातावरण रहता है। मैनपाट में वर्षा ऋतु एवं शीत ऋतु का वातावरण अत्यंत सुखद और मनोहारी होता है। यहाँ शीत ऋतु का तापमान बहुत कम होता है,जिससे कभी-कभी बर्फ की हल्की चादरें बिछ जाती है। यह पर्यटकों को आकर्षित करता है।

प्राकृतिक वनस्पति – यहाँ पतझड़ वाले वन पाये जाते हैं। यहाँ साल वनों की अधिकता है। यह क्षेत्र औषधीय पौधों एवं जड़ी-बूटियों के लिए प्रसिद्ध है जहाँ शतावर,शफेद मूसली,काली मूसली, ब्राम्हीं,भुई आंवला,बच,पाताल कुम्हड़ा,भुईनीम,बच आदि पाये जाते हैं। मैनपाट का लगभग 38% भाग पर वन पाये जाते हैं जो यहाँ के प्राकृतिक सौन्दर्य को बढ़ाते हैं।

मृदा– मैनपाट की रचना ज्वालामुखी उदभेदन से हुई है। यहाँ पायी जाने वाली मिट्टी को मैन मिट्टी के नाम से जाना जाता है, इस कारण इस प्रदेश का नाम मैनपाट पड़ा। यहाँ की मिट्टी में एल्युमिना की मात्रा पायी जाती है। यहाँ अधिकांश भाग पर लेटेराईट मिट्टी पायी जाती है। जिसका रंग लाल होता है।

इससे यहाँ की एक अलग पहचान बनती है।

वन्यजीव एवं पशुपक्षी – मैनपाट क्षेत्र के 38% भाग पर वनों का विस्तार है जहाँ सुरक्षित वातावरण होने के कारण बंदर, तेंदुआ, भालू, जंगली सूअर,चीतल,खरगोश आदि वन्य जीव एवं अनेक प्रकार के पशु–पक्षियाँ पाये जाते हैं। यहाँ वनों में दुर्लभ प्रजाति के पामेरियन कुत्तो और गौरैया पक्षी भी देखे जा सकते हैं।

विशिष्ट कृषि स्वरूप – मैनपाट छत्तीसगढ़ में एक अलग कृषि स्वरूप एवं फसलों के लिए जाना जाता है। यहाँ तिब्बतियों द्वारा टाउ की खेती का प्रसार किया गया था। दूर–दूर तक फैले टाउ के खेत मनोरम दृश्य उपस्थित करते हैं। राउ से मैदा बनाया जाता है। यह क्षेत्र आलू के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है । स्ट्रॉबेरी,नाशपाती,अमरूद,अनार एवं चेरी के लिए यहाँ की जलवायु उपयुक्त है। यहाँ मिलेट्स अनाज जैसे मक्का, कोदो–कूद की खेती की जाती है।

खनिज पदार्थ – मैंनपाट पूरे छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बॉक्साइट का खनन सी एम–डी–सी द्वारा किया जाता है।

मैनपाट के पर्यटन स्थल

उल्टा पानी – यह मैनपाट का सबसे कौतूहलवर्धक स्थल है। पर्यटक सबसे पहले उल्टा पानी जाने को उत्सुक रहते हैं। यहाँ पानी उपर की ओर बहता दिखाई देता है। यह बिसरपानी गाँव में स्थित है इसलिए इसे बिसरपानी के नाम से जाना जाता है। उल्टा पानी का उदगम पत्थर के नीचे से हुआ है। यह 185 मीटर की दूरी तक प्रवाहित होता है। यहाँ पर भू –चुंबकीय क्षेत्र है जहाँ गाड़ी को न्यूट्रल पर खड़ी कर देने पर गाड़ी स्वत: आगे बढ़ने लगती है। यह एक आश्चर्यजनक स्थल है। यहाँ अनेक विद्वानों और शोधकर्ताओं और देश के प्रमुख टीवी चौनलों के पत्रकारों का भी आगमन हो चुका है।

दलदली – दलदली भी मैंनपाट का एक आश्चर्यजनक एवं मनोरंजक स्थल है। यहाँ उछलने से भूमि भी उपर उछलती है। पर्यटक यहाँ पर उछल–उछल कर आनंद लेते हैं। यहाँ सभी उम्र के पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है।

मेहता पोईंट – मैनपाट से 8 किमी की दूरी पर ऊंची पर्वतीय शृंखलयों के बीच एक खूबसूरत झरना है। मेहता संस्कृत के महिता से लिया गया है जिसका अर्थ 'प्रशंसित' या महान है। यहाँ पर्यटकों के ठहरने के लिए वन विभाग का विश्रामगृह उपलब्ध है।

टाइगर पोईंट – यहाँ कई बार टाईगर देखा जाता है इसलिए इसे टाइगर पोईंट कहा जाता है। यहाँ 30 मीटर की ऊंचाई से एक झरना गिरता है। यहाँ पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। सघन वनों के बीच स्थित मनोरम स्थल में बहुत अधिक बंदर देखे जा सकते हैं।

बौद्ध मंदिर– मैनपाट में बौद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या 967 है। यहाँ तिब्बती लोग आकर बस गए हैं। जहाँ बौद्ध वास्तुकला से निर्मित बौद्ध मंदिर छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है। इस मंदिर में पूजन–अर्चन करने से शांति का अनुभव होता है। धर्मप्रिय पर्यटकों के लिए यह आध्यात्मिक स्थल अत्यंत महत्वपूर्ण है।

मछ्ली प्वाईंट– मछ्ली प्वाईंट मैनपाट का अत्यंत मनोरम स्थल है । यहाँ एक खूबसूरत झरना है जिसके नीचे रंग–बिरंगी मछलियाँ देखी जा सकती है। पहाड़ों और जंगलों के बीच स्थित यह स्थल पर्यटकों को आकर्षित करता है ।

परपटिया – परपटिया मैनपाट से लगभग 30 किमी की दूरी पर स्थित है । जहां अस्त होते हुए सूरज की अलौकिक सुन्दरता मन मोह लेता है । घुमावदार पहाड़ियों एवं सघन वनों से आच्छादित यह क्षेत्र प्रकृति की अनमोल उपहार है ।

निष्कर्ष – छत्तीसगढ़ के शिमला के नाम से विख्यात मैनपाट अपनी प्राकृतिक सुंदरता एवं मनभावन जलवायु के कारण स्थल को शासन द्वारा संरक्षण एवं संवर्धन किया जाना अवश्यक है। यह स्वास्थ्यवर्धक 'हिल स्टेशन' है जहाँ सुविधाएं उपलब्ध कराकर पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकता है।इसके अलावा यहाँ सुंदर प्रजातियों के फूल–पौधों का रोपण कर यहाँ की सुंदरता में चार चाँद लगाया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. स्वयं का पर्यविक्षण
2. जिला सांखिकी पुस्तिका, जिला सरगुजा
3. Statista.com 2024
4. https://utsav.gov.in
5. https://www.chhattisgarhtourism.in
6. https://www.applive.com
7. स्थानीय लोगों एवं बौद्ध मंदिर के प्रमुख से साक्षात्कार

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

आधुनिक कृषि का पर्यावरण पर प्रभाव : झाबुआ जिले के विशेष सन्दर्भ में

राधुसिंह भूरिया*   डॉ. आर.आर. गोरास्या**

* शोधार्थी, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन (म.प्र.) भारत
** सह-प्राध्यापक, शासकीय माधव कला वाणिज्य एवं विधि महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

शोध सारांश - आधुनिक तकनीकी के अधिक प्रयोगों से अध्ययन क्षेत्र में कृषि उत्पादन में विगत वर्षों के अन्तर्गत वृद्धि हो रही है। भारत में भी स्वतंत्रता के बाद हरित क्रान्ति के परिणामस्वरूप 1997 में खाद्यान्न की कमी की समस्या का निवारण कर भारत खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुआ। बढ़ती जनसंख्या के सन्दर्भ में आत्मनिर्भर होना खाद्यान्नों के अधिक उत्पादन के साथ प्रगति का परिचायक हुआ। खाद्यान्नों में अधिक उत्पादन हेतु सिंचाई के साधन, रासायनिक उर्वरक, कीटाणु नाशक एवं यंत्रों का उपयोग विगत वर्षों से निरन्तर बढ़ता ही जा रहा है, परन्तु इनके प्रयोग से भविष्य में पर्यावरण पर इसका प्रभाव पड़ने की पूर्ण सम्भावना है।
शब्द कुंजी - आधुनिक कृषि, कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक, पारिस्थितिकी।

प्रस्तावना - आधुनिक कृषि पद्धतियों से भी वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। इसका मुख्य कारण कीटनाशकों एवं रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग होने से किसानों द्वारा फसलों में होने वाली विभिन्न बीमारियों की रोकथाम के लिए अनेक प्रकार के घातक रसायनों का छिड़काव किया जाता है। इस छिड़काव के दौरान इन रसायनों की कुछ मात्रा वायुमण्डल में प्रवेश कर जाती है जिसका अत्यंत घातक प्रभाव जीवों एवं कृषि पर पड़ता है। आधुनिक कृषि हेतु उपलब्ध भूमि अत्यंत सीमित क्षेत्र में बची हुई है। इसे बढ़ती हुई जनसंख्या के भरण-पोषण के लिए सुनिश्चित करने हेतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए विशेष ध्यान दिया गया। इसी प्रकार भारत में हरित क्रान्ति के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण को महत्व दिया गया जिसमें कृषकों को रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों एवं बीजों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। इससे कृषि उत्पादकता प्रभावित हो रही है।

जनसंख्या वृद्धि और विदेशी पूंजी की आवश्यकताओं ने भारतीय किसानों को कृषि विकास के लिए बाध्य किया। इससे खाद्यान्नों के उत्पादन में तो अवश्य वृद्धि आई है, परन्तु पर्यावरण में गिरावट देखी गई। कृषि का चरागाह जंगल और पहाड़ियों तक अतिक्रमण हो रहा है। इससे पहाड़ी भागों में पर्यावरणीय परिवर्तन उत्पन्न हुए हैं। इन क्षेत्रों में मिट्टी का कटाव (अपरदन), जलावरोध आदि जैसी घटनाएं घटित हो रही हैं। वनों को खेतों के लिए पेड़ों को काटे जाने से पर्यावरण में बदलाव उत्पन्न हुआ। भविष्य में इन क्रियाओं का स्थानीय प्रभाव इतना विस्तृत हुआ है कि बायोमास बड़े पैमाने पर नष्ट-भ्रष्ट हो जाने से जलवायु परिवर्तन आए है, जो चिंता का विषय है। पेटलावद, रामा व अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में खेती के विकास के लिए वनों की कटाई से पहाड़ियों की सतह से मिट्टी अपरदन व जल प्रबंधन व जल प्रबंधन की समस्याएं बढ़ गई हैं।

HYY के अपनाने और चावल गेहूं की अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में कृषि के कारण सिंचाई तथा रासायनिक उर्वरक के अधिक प्रयोग से मिट्टी के रासायनिक गुणों में ही बदलाव उत्पन्न हो गया है। इससे मिट्टी की उर्वरक शक्ति ही क्षय हो गई है। अत: अनियंत्रित गहरी सिंचाई, क्षेत्र में स्वास्थ्य समस्या को जन्म देती है।

अध्ययन क्षेत्र का विस्तार - अध्ययन क्षेत्र का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार $22^0$24' से $23^0$53' उत्तरी अक्षांश तथा $73^0$30' से $75^0$30' पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। यह एक आदिवासी जनसंख्या बहुल जिला है। इसके पूर्व में धार, उत्तर में रतलाम, दक्षिण में आलीराजपुर जिले की सीमा एवं पश्चिम में गुजरात राज्य की सीमा लगी है।

शोध अध्ययन का उद्देश्य :

1. आधुनिक कृषि का पर्यावरण पर प्रभाव का अध्ययन करना।
2. रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों आदि के प्रभाव का अध्ययन करना।
3. आधुनिक कृषि तकनीकों का अध्ययन करना।

शोध अध्ययन की प्रविधि - शोध कार्य में आधुनिक कृषि एवं तकनीकों का उपयोग एवं रासायनिक उर्वरकों जैसे तथ्यों का विश्लेषण करने के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक एवं समाचार पत्र-पत्रिकाओं से संकलित आंकड़ों का प्रयोग किया गया है।

आधुनिक कृषि का पर्यावरण पर प्रभाव - अध्ययन क्षेत्र में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1025048 दर्ज की गई है जबकि इसके सापेक्ष कृषि हेतु उपलब्ध भूमि झाबुआ जिले में अत्यंत सीमित है। इस विशाल जनसंख्या की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् से ही आदिवासी किसानों द्वारा कृषि उत्पादकता को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। इसी क्रम में हरित क्रान्ति के अन्तर्गत कृषि में आधुनिकीकरण को प्राथमिकता दी गई जिसमें कृषकों को खाद, बीज, रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया परन्तु उसके नकारात्मक परिणाम हमें पर्यावरण पर दुष्प्रभाव के रूप में देखने को मिलते हैं। कृषि विकास के लिए निरन्तर विस्तार के कारण वनों को काटा गया। इसका प्रभाव हमें जलवायु परिवर्तन के रूप में देखने को मिलता है।

कृषि के आधुनिकीकरण के कारण पर्यावरण पर अनेक गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पड़े। इन प्रभावों का विस्तृत विवेचन किया गया है।

1) जलवायु का प्रभाव : अध्ययन क्षेत्र में कृषि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक जलवायु है, परन्तु जलवायु स्वयं भी कृषि के आधुनिकीकरण से प्रभावित होती है। जलवायु के विभिन्न तत्व वायुदाब, वर्षण, वायु की दिशा व गति और संघनन आदि से किसी न किसी रूप में कृषि प्रभावित होती है।

2) मिट्टी का प्रभाव : मिट्टी और कृषि आधुनिक कृषि का परस्पर सम्बन्ध है। जहां एक ओर मिट्टी रासायनिक उर्वरकों के कारण प्रभावित होती हैं, वहीं दूसरी ओर कृषि भी मिट्टी की गुणवत्ता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। किसी क्षेत्र में निरन्तर एक ही प्रकार की कृषि करने से उस क्षेत्र में मिट्टी के पोषक तत्वों की कमी होने लगती है। इसी प्रकार खेती में अत्यधिक सिंचाई के कारण भूमि में विद्यमान तत्वों की कमी भी हो जाती है जिससे मिट्टी ऊसर हो जाती है।

3) वनस्पति का प्रभाव : अध्ययन क्षेत्र में जहां वर्तमान समय में कृषि क्षेत्र का विस्तार हो रहा है वहां पहले प्राकृतिक वनस्पति से आच्छादित क्षेत्रों में वनों को काटकर समतल एवं कृषि कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है। कालान्तर में यह सभी वन क्षेत्र सघन कृषि क्षेत्र में परिवर्तित हो गए। अध्ययन क्षेत्र में रामा एवं पेटलावद के आसपास के वन क्षेत्र को कृषि क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है।

4) जल संसाधन पर प्रभाव : आधुनिक कृषि की सम्पूर्ण अवधारणा जल संसाधनों पर ही आधारित है क्योंकि अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों के बीज इन्हीं क्षेत्रों में अपेक्षित उत्पादन देते हैं, जहां-जहां सिंचाई की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध होती है। कृषि उत्पादन करने के लिए अधिक खाद बीजों का प्रयोग किया जाता है। यथा रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक आदि इस आधार पर है कि आधुनिक कृषि का वर्तमान जल संसाधन के रूप में प्रभावित करता है।

5) उन्नत बीजों का प्रभाव : अध्ययन क्षेत्र में कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए समुन्नत बीजों के उपयोग का प्रमुख योगदान रहा है। इन बीजों के उपयोग से कृषि उत्पादन में वृद्धि तो की जा सकती है परन्तु उनका प्रभाव से मिट्टी की उर्वरता में कमी भी हो सकती है। इनके प्रयोग से पौधों की जैविक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन भी किया जा सकता है।

6) कीटनाशकों का प्रभाव : उन्नत बीजों के अधिकतम लाभ के लिए रासायनिक उर्वरकों का उपयोग आवश्यक या वास्तव में यह हरित क्रान्ति का अभिन्न अंग था। स्वतंत्रता के बाद देश में उर्वरकों का उत्पादन भी तेजी से बढ़ा जैसे बीज सिंचाई तथा उर्वरकों के बढ़ते उपयोग के साथ कृषि की आधुनिक विधि का भी प्रचलन बढ़ा है। कीटनाशक, रोगनाशक तथा खरपतवार नाशक रसायनों का उपयोग भी बढ़ा है।

7) रासायनिक उर्वरकों का पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव : रासायनिक उर्वरक के विपरीत प्रभावों से किसान चिंतित हैं। वे क्षेत्र जहां भूमि का उपयोग गेहूं, चावल, गन्ना के संयोजन कृषि में हुआ है। यहां किसानों को रासायनिक उर्वरक के अधिक प्रयोग के कारण हानि का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण ही अधिक उत्पादन प्राप्त करने के उद्देश्य से ही पश्चिमी आदिवासी क्षेत्र में प्रतिवर्ष अधिक उर्वरक सिंचाई व दवाओं के छिड़काव से मिट्टी में निरन्तर गिरावट आती जा रही है। पर्यावरणीय व अन्य समस्याएं कृषि विकास का परिणाम है। वे साधारणत: मानसिक तनाव सहित स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव डालती है। वायु एवं जल के प्रदूषण से ग्रसित श्रमिकों का जन-जीवन, कार्यक्षमता, सुख-समृद्धि सभी प्रभावित हुआ है और उनका आर्थिक व सामाजिक जीवन स्तर गिरा है। कृषि को समय-समय पर बुरे दिन भी देखने पड़ते हैं। कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण, कभी तकनीकी द्वारा उत्पन्न बेराजगारी से और कभी पर्यावरणीय प्रदूषण से ग्रसित किसान इच्छित कृषि उत्पादन नहीं कर पाता है। विकसित देशों जैसे संयुक्त राज्य जर्मनी, जापान, आदि की तुलना में भारत में उत्पादकता बहुत कम है और प्रदेश में भी इस दृष्टि से भिन्नताएं हैं। यहां लघु स्तर पर प्रदेशवार समस्याओं का अध्ययन कर दीर्घकालिक सकल एक मुश्त योजना बनाने की आवश्यकता है जिससे प्रति इकाई क्षेत्र में सभी फसलों का उत्पादन बढ़ सके। योजनाएं पर्यावरण के अनुरूप होनी चाहिए जो कृषि पारिस्थितिकी में संतुलन बनाए रखे। कृषि को स्थायित्व और उत्पादक बनाए रखने के लिए उसका समय-समय पर मूल्यांकन करने की भी आवश्यकता है।

निष्कर्ष – उपर्युक्त आधुनिक कृषि से स्पष्ट होता है कि जैसे-जैसे कृषि के अन्तर्गत आधुनिक कृषि का समावेश होता जा रहा है, उसका प्रभाव पर्यावरण पर भी पड़ता है। आधुनिक कृषि के कारण जहां एक ओर जलवायु परिवर्तन एक गम्भीर समस्या के रूप में सामने आया वहीं अधिक और वैज्ञानिक ढंग से रासायनिक उर्वरकों के अधिक उपयोग एवं सिंचाई के कारण कृषि उत्पादन क्षमता भी प्रभावित हुई है। सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए जिस प्रकार बांधों, नहरों और तालाबों का निर्माण के लिए वनों को काटा गया है, उसने पर्यावरण निम्नीकरण की समस्या को और अधिक बढ़ा दिया है। इसी प्रकार सिंचाई हेतु निरन्तर भू-जल का दोहन भूजल स्तर में गिरावट का प्रमुख कारण बन गया है।

सिचाई सुविधाओं के विकास के लिए जिस प्रकार बहुद्देशीय परियोजनाओं जैसे बांधों, नहरों और तालाबों के निर्माण के लिए वनों को काटा गया है, उसने पर्यावरण पर बहुत बुरा प्रभाव डाला है। इसी प्रकार सिंचाई हेतु निरन्तर भू-जल दोहन, भू-जल अध्ययन क्षेत्र में विगत वर्षों में भूजल का स्तर तेजी से कम हुआ है।

कृषि उपयोग रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक इत्यादि वर्षा के जल के साथ बहकर स्वच्छ जलीय स्त्रोतों में पहुंच कर स्वच्छ जल की गुणवत्ता को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, जिसका प्रभाव मानव जीवन के स्वास्थ्य पर भी देखने को मिलता है। कीटनाशकों व रासायनिक उर्वरकों में विद्यमान हानिकारक रासायनिक पदार्थ जल के माध्यम से मानव शरीर में पहुंचकर जीन परिवर्तन, डीएनए क्षति जैसे घातक विकारों का कारण बनता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अवस्थी नरेन्द्र मोहन (2019) :'पर्यावरण एवं संसाधन प्रबंधन', मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल।
2. मोहन सीमा (2013) :'पर्यावरण अध्ययन', कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल।
3. गौतम शिवानन्द आर.पी. : 'यूनीफाइड भूगोल', रामप्रसाद एंड संस, बालविहार हमीदिया रोड़, भोपाल।
4. तिवारी आर.सी. (2019) :'भारत का भूगोल', प्रवालिका पब्लिकेशन्स, इलाहबाद।
5. जिला सांख्यिकीय पुस्तिका, झाबुआ, 2011.
6. हुसैन माजिद (2020):'कृषि भूगोल', रावत पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

आधुनिक समाज में पुस्तकालयों एवं सूचना केन्द्रों की भूमिका: एक अध्ययन

डॉ. अजीत कुमार साहू* शशि प्रभा साहू**

* शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बुढार, जिला शहडोल (म.प्र.) भारत
** शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बुढार, जिला शहडोल (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – आधुनिक समाज की अनेक आवश्यकताएँ हैं– जैसे शिक्षा, अनुसंधान, सांस्कृतिक विकास, आध्यात्मिक एवं वैचारिक क्रियाकलाप, क्रीड़ा एवं मनोरंजन, आदि। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज ने अनेक संस्थाओं की स्थापना की। इनमें पुस्तकालय का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। अन्य संस्थाएँ एक या दो प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं लेकिन पुस्तकालय सभी प्रकार की आवश्यकताओं की समान रूप से पूर्ति करता है समाज की शैक्षणिक एवं अनुसंधानपरक गतिविधियों के प्रोत्साहन, सांस्कृतिक उन्नयन, सूचना के प्रचार–प्रसार, आध्यात्मिक और सैद्धान्तिक आस्थाओं की पूर्ति, मानवीय मूल्यों की स्थापना और मनोरंजनात्मक कार्यों के आयोजन इत्यादि में पुस्तकालय की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण होती है।

सभी कालों में समस्त मानवीय क्रियाकलापों के आयोजन एवं उनकी सपफलता में ज्ञान और सूचना पर्याप्त सहायक रहे हैं। लेकिन बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध की अवधि में सूचना और ज्ञान विकास के सशक्त साधन बन गए हैं और समस्त गतिविधियों के केन्द्र बन गए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के कारण सूचना का संग्रहण, प्रक्रियाकरण और व्यवस्थापन, अभिगम तथा सुलभता भौगोलिक दूरियों के बावजूद भी सरल हो गए हैं और इन कार्यों को तीव्रता एवं सटीकता के साथ संपन्न किया जा रहा है। आज सूचना तथा ज्ञान को मूल संसाध्न माना गया है और आधुनिक समाज को 'सूचना समाज' की संज्ञा दी गई है।

सूचना और ज्ञान की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयुक्त संस्थागत पद्धतियाँ एवं व्यवस्थाएँ पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गई हैं। ज्ञान और सूचना की आवश्यकता की पूर्ति करने वाली अनेक संस्थाओं में पुस्तकालयों का अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान है।

प्रस्तावना – आधुनिक समाज में मानव की समस्त गतिविधियों का आयोजन संस्थाओं के माध्यम से संपन्न किया जाता है। आज समस्त प्रमुख सामाजिक कार्यों एवं संगठनों का संस्थाकरण किया जा चुका है–चाहे वह आर्थिक कार्यक्रम हो या स्वास्थ्य–सेवाएं चाहे शिक्षा हो या अनुसंधान, चाहे व्यवसाय हो या उद्योग। पर्यावरण की सुरक्षा अथवा प्रतिरक्षा की व्यवस्था को भी संस्थाओं एवं संगठनों के माध्यम से ही संपन्न किया जाता है। पुस्तकालय तथा अन्य ऐसी संस्थाएँ वे संस्थाएँ होती हैं जो प्रलेखों में अभिलेखबद्ध सूचना या ज्ञान का संग्रहण, भंडारण, प्रक्रियाकरण, व्यवस्थापन, वितरण तथा प्रसार करती हैं। चूँकि ज्ञान एवं सूचना मानव के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होते हैं, अत: पुस्तकालय एवं अन्य संस्थाएँ, जो सूचना तथा ज्ञान की व्यवस्था तथा निष्पादन करती हैं, महत्वपूर्ण होती हैं। इस इकाई के अंतर्गत ज्ञानार्जन की औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षण प्रक्रियाओं, अनुसंधन एवं विकास, सांस्कृतिक क्रियाकलापों, आध्यात्मिक तथा विचारात्मक क्षेत्रों, मनोरंजन और उत्सव आदि में पुस्तकालयों के योगदान और प्रभावशीलता का परिचय दिया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के चमत्कारों और नित्यप्रति सूचना उपयोक्ताओं की श्रेणियों में वृद्धि के साथ ही साथ उनके विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सूचना की माँग में वृद्धि के कारण, आधुनिक समाज सूचना समाज की ओर अग्रसर हो रहा है, जिसमें परिवर्तन की मुख्यधारा और परिवर्तन की दिशा में सूचना और ज्ञान सशक्त उपकरण का कार्य कर रहे हैं। इस इकाई में इन विचारधराओं का विस्तृत वर्णन किया गया है। पुस्तकालयों के योगदान के मूल्यांकन के लिए इन विचारधराओं को आत्मसात करना अति आवश्यक है। व्यावसायिक पद्धतियों, क्रियाकलापों और कार्यों की जानकारी के लिए इनसे प्रचुर सहायता तथा परिज्ञान प्राप्त होगा। इस इकाई के अनुच्छेदों में पुस्तकालयों के योगदान की विवेचना की गई है।

पुस्तकालय एवं शिक्षा

शिक्षा के उद्देश्य है– (1) ज्ञान और कौशल प्रदान करना (2) मूल्यों को जाग्रत करना। तथा (3) व्यावसायिक कौशल प्रदान करना।

शिक्षा औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार की होती है। औपचारिक शिक्षा से अभिप्राय है– 'किसी विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में नियमित रूप से छात्रा के रूप में पंजीकृत होकर और प्रत्यक्ष रूप से शिक्षक–छात्र संपर्क के माध्यम से ज्ञानार्जन करना।' लेकिन अनौपचारिक शिक्षा पद्धति में शिक्षा किसी संस्था पर आधरित नहीं होती है बल्कि दूरस्थ शिक्षा पद्धति द्वारा प्रदत्त एवं चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों के माध्यम से किसी अन्य ज्ञानार्जन विधि अथवा स्व–अध्ययन की सहायता से शिक्षा प्राप्त की जाती है।

औपचारिक शिक्षा–औपचारिक शिक्षा की प्रत्येक संस्था–चाहे वह विद्यालय, महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय हो उनका अपना एक पुस्तकालय अवश्य होना चाहिए। जिन विषयों के पाठ्यक्रमों की शिक्षा प्रदान की जाती है उनसे संबंधित पुस्तकों का संकलन उसमें होना चाहिए। पुस्तकों

का अध्ययन करने और उनमें निहित ज्ञान को धारण करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा के स्तरों एवं अवस्थाओं में विद्यालयों को कक्षा के अध्ययन के पूरक के रूप में कार्य करना चाहिए। कालान्तर में, विशेषत: महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में, ज्ञानार्जन की प्रमुख विधि अर्थात् कक्षा अध्ययन एवं ज्ञानार्जन की परम्परा को पुस्तकालयोन्मुख बना दिया जाना चाहिए। इस पद्धति में छात्रों को विषय का गहन ज्ञान संबंधित विषयों की अनेक पुस्तकों का विस्तृत एवं विधिवत अध्ययन करने से प्राप्त होगा। विभिन्न पुस्तकों में विभिन्न प्रकार के प्रतिपादित सिद्धान्तों एवं दृष्टिकोणों का विश्लेषण करने की क्षमता छात्रों में जाग्रत होने के पश्चात् उनमें विश्लेषणात्मक एवं आलोचनात्मक चिन्तन की योग्यता का विकास होगा। इससे उनमें अपने स्वतंत्र दृष्टिकोणों एवं अभिमतों और सिद्धान्तों को सूत्रबद्ध करने की योग्यता का भी विकास होगा। छात्रों के बौद्धिक विकास को प्रोत्साहित करने में पुस्तकालयों के योगदान पर संदेह नहीं किया जा सकता।

विद्यालयीन, महाविद्यालयीन एवं विश्वविद्यालयीन पुस्तकालयों के अतिरिक्त औपचारिक शिक्षा में सहायता करने का दायित्व सार्वजनिक पुस्तकालयों का भी होता है। इसके लिए सार्वजनिक पुस्तकालयों को संबंधित क्षेत्रों में शिक्षा संस्थाओं के छात्रों तथा शिक्षकों के लिए शैक्षणिक एवं विभिन्न पाठ्यक्रमों से संबंधित उपयुक्त पुस्तकों का संग्रह अवश्य करना चाहिए और उन्हें सुलभ कराना चाहिए। इस प्रसंग में यह ध्यान देने की बात है कि सार्वजनिक पुस्तकालय को समुदाय के सभी लोगों की सेवा करनी चाहिए और अध्यापकों एवं छात्रों की आवश्यकता की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए।

अनौपचारिक शिक्षा – अनौपचारिक शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक की सहायता अल्पतम होती है। पुस्तकालयों की इसमें मुख्य भूमिका होती है। ऐसी स्थिति में छात्रों को ज्ञानार्जन प्राय: स्वाधयाय के माध्यम से करना पड़ता है। इस दिशा में औपचारिक शैक्षणिक संस्थाओं और सार्वजनिक पुस्तकालयों को अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करना पड़ता है। शैक्षणिक संस्थाओं के पुस्तकालयों को अनौपचारिक शिक्षा पद्धति के अंतर्गत छात्रों को पुस्तकालय सुविधाएँ इस प्रकार से सुलभ करानी चाहिए जिससे उनके मूल एवं प्राथमिक उपयोगिताओं के हितों में व्यवधान न हों। इस संबंध में विश्वविद्यालय, जो एक निकाय के रूप में शैक्षणिक मानक एवं स्तरों को निर्धारित करते हैं और उच्च शिक्षा के क्षेत्रा में परीक्षाओं का आयोजन एवं संचालन करते हैं, का एक विशेष दायित्व होता है। उन्हें अपनी पुस्तकालय सेवाओं को अधिकाधिक व्यवहार एवं विस्तृत बनाने का प्रयास करना चाहिए जिससे उनके मूल उपयोगिताओं के साथ ही साथ अनौपचारिक शिक्षा के छात्र भी पुस्तकालय सेवाओं से लाभान्वित हो सकें। इस कार्य को संभव बनाने के लिए विश्वविद्यालय के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत विश्वविद्यालय के केन्द्रीय पुस्तकालय की शाखाओं और केन्द्रों की स्थापना करनी चाहिए और शैक्षिक समुदाय के साथ–साथ अनौपचारिक शिक्षा के छात्रों को भी उन शाखाओं और केन्द्रों के उपयोग की अनुमति देनी चाहिए।

फिर भी, अनौपचारिक शिक्षा के लिए वांछित सुविधाएं उपलब्ध कराने का मुख्य दायित्व सार्वजनिक पुस्तकालयों का ही होता है। सार्वजनिक पुस्तकालयों की सुविधा का लाभ प्राप्त करना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। इस दायित्व को पूरा करने के लिए संबंधित क्षेत्र के अनौपचारिक शिक्षा के छात्रों की आवश्यकता के अनुरूप पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का अधिग्रहण कर सुलभ करने का प्रयास करना चाहिए। अनौपचारिक शिक्षा पद्धति के कार्यक्रमों की सफलता के लिए सुदृढ सार्वजनिक पुस्तकालय व्यवस्था अति आवश्यक होती है। अनौपचारिक शिक्षा पद्धति के छात्रों की पुस्तकालय संबंधी आवश्यकता की पूर्ति यदि शैक्षणिक एवं सार्वजनिक पुस्तकालयों द्वारा नहीं की जाती है तो ये छात्र सीरीज और गाइड का ही उपयोग करने के लिए बाध्य हो जाएँगे जिसके परिणामस्वरूप शिक्षा के स्तर में गिरावट आती जाएगी।

निरक्षरों की शिक्षा – क्या हम इस बात को उचित मानते हैं कि निरक्षरों को शिक्षा का लाभ नहीं मिलना चाहिए? साक्षरता ही शिक्षा का एकमात्र माध्यम है, न कि स्वयं शिक्षा। इसमें कोई संदेह नहीं कि शिक्षा एक अत्यन्त महत्वपूर्ण साधन है और इससे वंचित होना सबसे बड़ी असुविधा है। इस कार्य के लिए आजकल अनेक ऐसे प्रभावशाली साधन सुलभ हैं जो आधुनिक प्रौद्योगिकी की देन हैं। श्रव्य–दृश्य के साधनों, विशेषकर वीडियो टेप के माध्यम से शिक्षा को प्रत्येक घर के दरवाजे तक लाना सर्वथा संभव हो गया है। इस साधनों के माध्यम से समुदाय के निरक्षर लोगों की शिक्षा के लिए कार्य करना सार्वजनिक पुस्तकालय का एक विशेष दायित्व है। निरक्षर व्यक्तियों को शिक्षित बनाने के लिए सार्वजनिक पुस्तकालयों द्वारा विद्यार्जन क्लब और मौखिक संप्रेषण कार्यक्रमों का भी आयोजन करना चाहिए।

भारत जैसे देश में जहाँ निरक्षरता 47.79 प्रतिशत (1991 जनगणना) है, इस संबंध में सार्वजनिक पुस्तकालयों की महत्वपूर्ण भूमिका से इंकार नहीं किया जा सकता। इस कार्य को पूरा करने के लिए सार्वजनिक पुस्तकालयों को स्वयं को तैयार करना होगा।

कामकाजी समूहों की शिक्षा – एक अन्य दृष्टिकोण से भी पुस्तकालय की शैक्षणिक भूमिका होती है। अपने कार्यक्षेत्र से संबंधित विभिन्न व्यवसायों में संलग्न लोगों एवं श्रमिकों की आवश्यकता के अनुसार उन्हें पुस्तकों का संग्रह करना चाहिए। ऐसी पुस्तकों को अध्ययन कर संबंधित कार्यक्षेत्र से वे अपने को शिक्षित रख सकते हैं और अपनी कार्य–कुशलता को बढा सकते हैं। इससे उत्पादकता में वृद्धि होती है। सार्वजनिक पुस्तकालयों को इस दिशा में अहम भूमिका अदा करनी चाहिए।

विकलांगों की शिक्षा – विकलांग लोगों के लिए शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करना समाज और शासन का दायित्व है। ऐसी संस्थाओं द्वारा उपयुक्त अध्ययन–अध्यापन सामग्री का अधिग्रहण किया जाता है। अन्य भौतिक सुविधओं के अतिरिक्त नेत्राविहीनों की पुस्तकें एवं अन्य प्रकार की शिक्षण सामग्री को भी उपलब्ध किया जाना चाहिए। ऐसी संस्थाओं के पुस्तकालयों में उपयुक्त सामग्री का संग्रह करना आवश्यक होता है और विकलांग व्यक्तियों की उनके शिक्षार्जन में सहायता करना उनका दायित्व होता है।

अनुसंधान में पुस्तकालय का योगदान – अनुसंधान के क्रियाकलापों को समर्थन देना पुस्तकालयों का एक महत्वपूर्ण दायित्व है। अनुसंधन की सफलता एवं पूर्णता के लिए उपलब्ध ज्ञान एवं सूचना की प्राप्ति एवं जानकारी अति आवश्यक होती है। नवीनतम ज्ञान को मुख्यत: पत्रिकाओं, अनुसंधान प्रतिवेदनों तथा अन्य ऐसे प्रकाशनों के माध्यम से संप्रेषित तथा प्रसारित किया जाता है। अत: शोध की गतिविधियों एवं कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने के लिए सभी शोध संगठनों एवं संस्थाओं तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों और उपक्रमों के शोध एवं विकास हेतु विभागीय पुस्तकालयों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अनुसंधन की दृष्टि से कोई भी पुस्तकालय उपयोगी सिद्ध हो सकता है। मानविकी और सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्रों से

संबंधित अनुसंधानपरक गतिविधियों में सार्वजनिक पुस्तकालयों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

सांस्कृतिक गतिविधियों में पुस्तकालय का योगदान – पुस्तकालय का सांस्कृतिक योगदान यह होता है कि यह मानव जाति की सांस्कृतिक धरोहर एवं उपलब्धियों को सुरक्षित रखता है जो वस्तुत: पुस्तकों तथा अन्य प्रलेखों में निहित होती हैं। पुस्तकालय की सांस्कृतिक भूमिका दो अन्य दृष्टिकोणों से भी महत्वपूर्ण होती है। इसे उन पुस्तकों को सुलभ कराना चाहिए जो लोगों की सृजनात्मक प्रतिभा की अभिव्यक्ति में सहायक सिद्ध होती हैं और उनके सौन्दर्य बोध और मूल्यांकन की क्षमता को विकसित करती हैं। इसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन करना चाहिए–जैसे, संगीत समारोह, नृत्य, नाटक, चित्रकला, प्रतियोगिता, चित्रकला प्रदर्शनी, आदि और समुदाय के सांस्कृतिक जीवन को समृद्ध और सशक्त बनाते रहना चाहिए। वस्तुत: ऐसे कार्यक्रम मुख्यत: सार्वजनिक पुस्तकालयों के कार्यक्षेत्र में आते हैं। इनका आयोजन करना ऐसे पुस्तकालयों की उपादेयता को बढाता है।

सूचना प्रसार में पुस्तकालय का योगदान – पुस्तक संग्रह के माध्यम से पुस्तकालय ज्ञान एवं सूचना के विशाल भण्डार का निर्माण करते हैं। सामाजिक प्रगति को सुनिश्चित करने वाले किसी भी मानवीय क्रियाकलाप की सपफलता के लिए सूचना एक आवश्यक उपादान और संसाधन है। शोधार्थी, शिक्षक, छात्र, प्रशासक, औद्योगिक एवं व्यापारिक प्रबन्धक, शिल्पी, उद्यमी, कृषक, कारखानों एवं खेतों में काम करने वाले श्रमिक, आदि सभी को सूचना की आवश्यकता होती है जिससे वे अपने व्यवसाय में सफलता पाने के लिए अपने को अत्यधिक सक्षम बना सकें। पुस्तकालय का प्रमुख सूचनात्मक योगदान उपयुक्त विधियों से सूचनाप्रद सामग्री का संग्रह करना होता है। इसीलिए पुस्तकालय को सूचना केन्द्र की संज्ञा भी दी जाती है। पुस्तकालय की सूचनात्मक भूमिका इसलिए भी होती है कि लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यकता के लिए भी सूचना की आवश्यकता होती है जिसकी पूर्ति पुस्तकालय करता है। पुस्तकालय अपने पुस्तक–संग्रह में रोजगार चयन से सम्बन्धित पुस्तकें भी रख सकते हैं और इस प्रकार उन पाठकों की सहायता कर सकते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक हैं। किसी प्रकार के उद्यम को करने के लिए किस प्रकार की जानकारी चाहिए अथवा कोई रोजगार कैसे प्राप्त करें या कैसे प्रारम्भ करें, आदि की सूचनाप्रद सामग्री को भी पुस्तकालय सुलभ कराते हैं। अत: पुस्तकालय को इस प्रकार से सुसज्जित एवं व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि यह समुदाय के सदस्यों की वर्तमान तथा संभावित मांग से संबंधित सूचना उपलब्ध करा सकें।

धार्मिक संस्थाओं में पुस्तकालय का योगदान – पुस्तकों को सामान्यत: तीन श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। सूचनात्मक पुस्तकें, मनोरंजनात्मक पुस्तकें, तथा प्रेरणात्मक पुस्तकें। प्रेरणाप्रद पुस्तकों के अंतर्गत आने वाली पुस्तकें हैं: आध्यात्मिक और धर्मिक पुस्तकें, सैद्धान्तिक दृष्टिकोणों एवं विचारधाराओं का प्रतिपादन करने वाली पुस्तकें, तथा अन्य शाश्वत मूल्यों की पुस्तकें जिन्हें हम क्लासिक्स कहते हैं। इनसे अध्येताओं की आध्यात्मिक, धर्मिक तथा वैचारिक एवं नैतिक पिपासा शांत होती है। प्रत्येक पुस्तकालय में इस प्रकार की पुस्तकों का प्रतिनिधित्व करने वाले संकलन को अवश्य रखना चाहिए जिससे लोगों को उच्च आदर्शो हेतु प्रेरित किया जा सके और उनके मस्तिष्क में मूल्यों का संचार हो सके।

मनोरंजन में पुस्तकालय का योगदान – किसी भी समुदाय के सदस्यों द्वारा फुर्सत या अवकाश के समय का स्वस्थ सदुपयोग अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ऐसा होने से समुदाय के सदस्यों को अवकाश के समय में नकारात्मक एवं विध्वंसकारी गतिविधियों में लिप्त होने से बचाया जा सकता है। पुस्तकालयों द्वारा उपयोक्ताओं की मनोरंजन परक आवश्यकताओं की तुष्टि भी की जानी चाहिए तथा इसके लिए उपयुक्त पुस्तकों की व्यवस्था की जानी चाहिए। उपन्यास, विभिन्न कलाओं से संबंधित कृतियाँ, भ्रमण–साहित्य, जीवनियाँ, लोकप्रिय पत्रिकाएँ, मनोरंजनपरक साहित्य की श्रेणी में आते हैं। प्रत्येक पुस्तकालय के प्रलेख–संग्रह में ऐसे साहित्य का प्रचुर संग्रह होना चाहिए। इसके अतिरिक्त पुस्तकालयों में, विशेषत: सार्वजनिक पुस्तकालयों में, स्वस्थ मनोरंजन एवं मनोविनोद के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए–जैसे, संगीत समारोहों और निष्पादन कलाओं आदि का आयोजन। वस्तुत: हम निष्कर्ष रूप से कह सकते है कि इस अध्ययन में शिक्षा, अनुसंधान एवं विकास, सांस्कृति गतिविधियों एवं अन्य ऐसे क्षेत्रों में पुस्तकालयों के योगदान एवं प्रभावशीलता की झाँकी प्रस्तुत की गयी है। इसका अध्ययन करने के पश्चात् हम समाज में सूचना के विभिन्न उद्देश्यों की पूति हेतु पुस्तकालयों की आवश्यकता एवं योगदान की व्याख्या कर सकेंगे। परिवर्तित समाज में पुस्तकालयों के विस्तारपरक आयामों तथा नये प्रकार की सूचना संस्थाओं के रूप में उनकी उभरती हुई छवि से अवगत हो सकेंगे तथा आज के सूचना समाज के विविध परिप्रेक्षयों में पाठकों की विविध सूचनापरक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए पुस्तकालयों द्वारा चलाई जाने वाली सेवाओं से परिचित हो सकेंगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. Isaac, K.A. (1987). Libraries and Librarianship: A Basic Introduction. Madras: S Vishwanathan Printers and Publishers Pvt. Ltd. pp. 1-35.
2. Khanna, J.K (1987). Librarv and Society. Kurukhetra: Research Publications pp.7-79.
3. Mc Garry, K.J (1981). Changing Concept of Information: An Introductory Analysis. London: Clive Bingley. Chapter5.
4. Rath, P.K. and Rath. M.M (1992). Sociology of Librarianship. Delhi: Pratibha Prakashan.
5. महेन्द्रनाथ (1998)। पुस्तकालय और समाज। जयपुर: पोइन्टर पब्लिशर्स।
6. शर्मा, पाण्डेय एस. के. (1998)। पुस्तकालय और समाज। नई दिल्ली: ग्रन्थ अकादमी
7. सैनी, ओमप्रकाश (1999)। ग्रन्थालय एवं समाज। आगरा: वाई.के पब्लिशर्स।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

जनजातीय समाज के लोकगीतों में सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का अध्ययन (शहडोल संभाग के विशेष संदर्भ में)

अमित सिंह भदौरिया*

* शोधार्थी (समाजशास्त्र) अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – मनुष्य जन्म से पशु प्रवृत्ति का होता है। संस्कृति उसे सामाजीकृत प्राणी में परिवर्तित करती है। साथ ही संस्कृति समाज को भी प्रभावित करती है। 'संस्कृति' शब्द का उद्गम संस्कार शब्द से है। 'संस्कार' का अर्थ उस क्रिया से है जिसमें मनुष्य के दोष दूर होते हैं और वह गुणकारी बनता है। दूसरे शब्दों में कहें तो संस्कृति वह शिक्षा है जिससे मनुष्य के जीवन में सुधार आता है। किसी देश या जाति की संस्कृति का अर्थ उस देश या जाति की वे पुरानी आदतें, प्रथाएं, रहन–सहन, खान–पान, आचार–विचार आदि से है जो देश या जाति के सदस्यों का चरित्र निर्माण करते हैं या उस निर्माण में प्रभावशाली होते हैं। संस्कृति को परिभाषित करते हुए 'मैकाइवर एवं पेज' लिखते हैं कि – 'संस्कृति हमारे दैनिक व्यवहार में कला, साहित्य, धर्म, मनोरंजन और आनन्द में पाये जाने वाले रहन–सहन और विचार के तरीकों में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है।'

विज्ञान इतिहासकार 'श्रीनेत्र पाण्डेय' ने अपनी पुस्तक 'भारत का वृहत इतिहास प्राचीन भारत' में संस्कृति के संबंध में लिखा है – 'संस्कृति के दो रूप है। एक आत्मगत और दूसरा समाजगत। आत्मगत संस्कृति में व्यक्ति वैचारिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक विकास, विकास के साधन, साहित्य, कला, शिक्षा, धर्म, दर्शन आदि आते हैं। समाजगत साधनों में समाज–व्यवस्था के आधार, नीति, सदाचार, आर्थिक तथा राजनैतिक समाज व्यवस्था आदि आते हैं।'

आम बोलचाल की भाषा में संस्कृति शब्द का प्रयोग इस रूप में होता है कि अमुक परिवार या समाज सुसंस्कृत है और समाज या समुदाय के क्रिया कलाप सांस्कृतिक हैं। अर्थात् जो बाते अच्छी हैं, अच्छे गुण वाली हैं, उपयोगी हैं उन्हें सांस्कृतिक कहा जाता है। साथ ही हमारी या हमारे समाज की संस्कृति अच्छी है तो उसका तात्पर्य मनुष्य के व्यवहार के उस रूप से होता है जो उन्हें अपने पूर्वजों से विरासत के रूप में मिली है जो उनकी सफलता में सहायक है। यहाँ हम गोंड़ जनजाति की सांस्कृतिक स्थिति का उल्लेख करेंगे –

मनुष्य और लोकगीत का चोली दामन का साथ है। संसार का ऐसा कोई स्थान न होगा जहाँ मनुष्य हों और गीत न हो। इतना तो अवश्य कहा जा सकता है कि – 'लोकगीतों की परम्परा इन्सान के आदिम युग से चली आ रही है। युगों की छाप उनके भावों पर पड़ी और वह अपने जीवन को ईमानदारी से अपनी बोलियों में प्रकाशित करता हुआ आज भी विपरीत परिस्थितियों से संघर्ष करता चला आ रहा है। उसने समय–समय पर शोषण के विरूद्ध गीतों में आवाज उठाई, अपने श्रम का परिहार गीतों के सहारे किया, नया उत्साह, नई लगन, गीतों द्वारा प्राप्त की और इतना ही नहीं मन की छिपी हुई मीठी बातों के सुख और दु:ख को उन्हीं गीतों में ढाला।'

जनजातीय सांस्कृतिक अभिव्यक्ति– लोकगीतों में गोंड़ समाज की यथार्थ एवं स्वाभाविक अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। गोंड़ समाज के सुख–दु:ख, हर्ष–विषाद, उत्साह–उल्लास आदि का ज्यों का त्यों रूप हमें लोकगीतों में दिखाई देता है। इसी तरह गोंड़ समाज की प्रचलित प्रथाओं, रीति–रिवाजों आदि का उल्लेख लोकगीतों में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। गोंड़ समाज में नारी को सम्माननीय स्थान प्राप्त है। इन लोगों में देवर–भाभी के बीच किसी भी प्रकार का पर्दा नहीं होता। देवर–भाभी के बीच चुहलबाजी होती रहती है। भाभियों से चुहलबाजी करते हुए देवर ये गीत गाते हैं

'कौन भौजी दार रान्धे कौन भौजी भात।
कौन भौजी रान्धे मुनगा साग।।
छोट भौजी दार रान्धे, बडे भौजी भात।
मझली भौजी रान्धे मुनगा साग।।'

भावार्थ यह है कि बड़ी भाभी, छोटी भाभी, मंझली भाभी सब अलग–अलग सब्जी दाल बनाते हैं कोई मुनगा, कोई अरहर की दाल बनाते हैं। भाभियों से चुहलबाजी के लिए देवर ये गीत गाते हैं।

इसी प्रकार देवर के लिए भी भाभिया हंसी मजाक में गीत गाती हैं।
इसी प्रकार एक गीत यहाँ देखा जा सकता हैं हंसी में देवर को जामुन न तोड़ने की बात करती हैं –

'जामूं न टोर देवरा जामूं न टोर।
जामूं न टोर देवरा धोती रची जाए रे
जामूं न टोर देवरा जामूं न टोर।
जामूं न टोर देवरा जिभिया रचि जायरे।
जामूं न टोर देवरा जामूं न टोर।।'

जीवन जीने का लोकगीत –

'तैन तैनैय मोर ना ना री ना ना।
तैयना ना मोर ना ना गा
या जिन्दगी रहेला दिन चार।
मोर ना ना गा या जिन्दगी।।
जरा तो मन लोभय मोर।
रेवा नाव के टूरा रे

या जिन्दगी रहेला दिना चार।।
रेंगें ला सीखय दाऊ।
रेवा नायके टूरा रे
या जिन्दगी.......।।
खेले ला सिखय दाऊ।
रेवा नायके टूरा रे।
या जिन्दगी ....
नाचे ला सीखैय दाऊ।
रेवा नावके टूरा।।
या जिन्दगी रहे ला दिना चार।'

यह जिन्दगी चार दिनों की है। चार दिन की चाँदनी फिर अँधेरी रात है। इस दुनिया में चार दिन तक रहना है नर्तक जो रेवा नाम का लड़का है उससे कहा जा रहा है। अब सभी नृत्यों को मिलाकर नाच नाचना हैं इसलिए हम सब चलना सीखे। आजू-बाजू मुड़ने को पैरों को घुमाकर भुजाओं को हिलाकर नाचना सीख लें। ताकि हम सब नाच गाने में होशियार हो जायेंगे। क्योंकि यह जिन्दगी चार दिनों की है।

जनजातीय श्रृंगारिता का लोकगीत –

'चकिया मा मलथे पीसान सान्वर धीरे रेंगो रे।
गोड़े मा तो रूच मुच पनही।
कनिहा मा पीतम्बर धोती छातीया मा राग झोली।
गले मा तो तुलसीक माला।
मुड़े मा तो टीला टोपी कटरे।
वनगुला पान बिचगली।
मिलही करे सान्वर धरे रोंगो रे.............।।'

चकिया में अनाज पीस कर आटा निकालते हैं पद का भावार्थ यह है कि पांव में जब जूता पहनते हैं तो चुर मुर की आवाज आती है। राह चलते पीली धोती पहने हुए झोला गले में सिर में टोपी पहने हुए कहीं जाते हैं। मूल भावार्थ यह है कि जब ये किसी गांव में जाते हैं। तब पुरूष वर्ग के श्रृंगार वेश-भूषा पहने हुए निकलते हैं। यह जाति श्रृंगार प्रिय होती है। श्रृंगारिता का वर्णन प्रस्तुत लोकगीत में किया जाता है।

गोदना गीत – गोंड़ समाज में गोदना की प्रथा पाई जाती है। यह प्रथा अब लगभग बंद होने की स्थिति में है। गोदना गोदने का कार्य बादी समाज की स्त्रियाँ करती हैं। ये महिलाएँ गोदना गोदते समय गीत गाती हैं। ऐसा वह शायद गोदना गुदने के समय उत्पन्न असहनीय दर्द को सहने की शक्ति के लिए करती हैं। इस तरह देखा जाय तो गोदना गीत का कितना सामाजिक महत्व है जो गोदना गुदने के समय होने वाले दर्द को भी दूर कर देता है। गोदना गीत इस प्रकार गाये जाते हैं –

1. 'दादर ऊपर चार पके कौआ रेरी दे
जा तो बाई पूछ आबे सोला पैसा मा दे,
दादारे मा घोड़ा ऊपर तलवारेय'

2. 'तिल्ली के तेलमा पोयौं ठेठरिया
बांधी गठरिया चढ़ी जाबे
चढी जाबे लाला कोसुम घटिया।
चढ़ी जावे रे।।'

जनजातीय माँ-पुत्री स्नेह लोकगीत – गोंड़ समाज के पारिवारिक संबंधों के बीच मधुर एवं कटु दोनों ही प्रकार के संबंध देखे जा सकते हैं। माता एवं पुत्री के प्रेमपूर्ण रिश्ते लोकगीत में महत्वपूर्ण रूप से प्रस्तुत किये जाते हैं। गोंड़ माताओं का स्नेह पुत्र की तुलना में पुत्री से ज्यादा होता है। पुत्री की शादी के बाद बिदाई के अवसर पर माता का हृदय द्रवित हो उठता है –

'आज मोरी दुलरी ससुराल चली री।
मैके की सुध बुध बिसार चली री।।
नैन कजरवा मिला हुई गै।
अंसुवन से ढरकाय चली री।।'

गोंड़ माताएँ पुत्री ससुराल में पुत्री को कष्ट होने पर परेशान एवं दुःखी हो उठती हैं। वे सदैव उसकी खुशी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हैं। तभी तो बिदाई के समय वे गा उठती हैं –

'मैके ला छोड़ अब ससुरे बसेरा।
मैके से नाता तोड़ चली री।।
हम सबकी ये मनसा गुँइया।
फूलै फरै कचनार कली री।।'

माता एवं पुत्री के समान ही गोंड़ भाई एवं बहन के विशुद्ध, निश्छल, सात्विक प्रेम का वर्णन लोकगीत में उपलब्ध होता है। बहन की ससुराल में भाई के जाने पर बहन हृदय से आवभगत करती है। वह भाई को विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ भोजन कराती है। अनेक लोकगीतों में बहन की प्रसन्नता और भ्रातृ स्नेह की सच्ची झाँकी उपलब्ध है।

जनजातीय प्रेम लोकगीत – गोंड़ जनजाति के युवक-युवती को प्रेम की अभिव्यक्ति अनेक लोक गीतों में देखने को मिलती है। किशोरावस्था के बाद तरूणाई की प्रथम रेखा फूटते ही गोंड़ जनजाति के युवक लड़कियों पर नजर गड़ाना शुरू कर देते हैं। वह तिल के तेल से अंगों में कान्ति ले आने वाली गोंड़ युवती से मिलने को आतुर हो उठता है–

'तिल्ली के तेल लगाय ले अंग मां
मोला संगी बना के सोवाय ले संग मां।।'

इसी प्रकार जब युवक को युवती अपनी प्रीति देने को तैयार नहीं होती है तो उसकी प्रीति पाने के लिए युवक देवताओं को नारियल चढ़ाने की मनौती करता है –

'परबत पहार निकट हरियर।
नहि बोले करेली बदों नरियर।।'

जनजातीय आभूषण प्रियता लोकगीत – आभूषण प्रियता नारी का स्वभाव है। गोंड स्त्रियाँ भी इस से मुक्त नहीं हैं। आभूषण प्रिय पत्नी अपने पति से हर्रा बेंचकर हाथ का कंगन और बैल बेंचकर करधनी ला देने की प्रार्थना करती है –

'हर्रा बिकन हर्रइया लइदे।
दोनों बैला बिकन के करधनियाँ लइदे।।'

मद्य निषेध गीत – जनजातीय समाज में शराब एक समुदाय – स्वीकृत पेय है, परंतु शराब की अधिकता शरीर और धन का विनाश भी करती है। इस लोक गीत में शराब के दुष्प्रभावों से बचने का आव्हान किया गया है –

'मान ले तैं कहना बोली धर ले ध्यान गा
या दारू के नशा बरबाद रे
छोड़ा लैका ज्वान भैया पड़त हों मैं पांव गा
या दारु के नशा बरबाद रे
रमकत है तेमे तन ला तोर चुरही गा
पीके चूर हय गै नशा मोर

जोश ला बढ़वावत है तोर पोल ला खुलवावत है
नशा मा बिगड़ जावे रे
मान ले तैं कहना बोली धर ले ध्यान गा
नंई है चिन्हारी तोर बेटी महतारी गा
नंई है चिन्हारी घर दुवारी रे
नशा में चूर हो गय घर ले-तय दूर हो गये
दूसर हो गये घर रखवारी रे,
मान लेते कहना बोली धरले ध्यान गा
या दारु के नशा बरबाद गा
पानी जैइसे बहाय जावे, लकड़ी जैइसे तन जल जाही रे
लाहनी फेंकथें जैसे तन फिक जाही गा
या दारु के नशा बरबाद रे।।'

हे भाई मेरी कही बातों को मान लो। यह शराब का नशा आदमी को बरबार कर देता है। लड़कों और जवान भाईयों मैं आपके पैर पड़ता हूँ। आप शराब पीना बंद कर दो। शराब पीने से शरीर का खून जल जाता है। शराब पीने से आदमी नशे में हो जाता है, जिससे उसकी पोल खुल जाती है। तुम नशा करके बिगड़ जाओगे। हे भाई ! तुम मेरी बात मान लो शराब पीने के बाद आदमी अपने घर द्वार को भूल जाता है। नशे में मदहोश आदमी अपने घर से दूर हो जाता है। उसके घर की रखवाली दूसरे लोग करने लगते हैं। इसलिए हे भाई ! तुम मेरा कहना मान लो। शराब मत पियो शराब पीने से तुम इतने दुर्बल हो जाओंगे जिससे तुम्हारा शरीर पानी जैसे बहने लगेगा। तुम्हारा शरीर लकड़ी के समान जल जायेगा। जिस प्रकार शराब बनाने के बाद उसका लाहन फेंका जाता है, उसी प्रकार एक दिन तुम्हारा शरीर नष्ट हो जायेगा। वह शराब का नशा तुमको बरबाद कर देगा।

जनजातीय पर्यावरण सुरक्षा के गीत -

'नदिया के दूर सिर में धुतिया पछारो।
अरजाय अरझाय ओ जामुन के डार।।
वारे लाने ओ दाई ओ मोरे छुरी कटारी।
अर जाय काटो ओ जामुन के डार।
नै जाय बाई तोर छुरी कटारी।।
अर नहीं काटस ओ जामुन के डार।।'

बेटी तू ससुराल जा रही है, आज से तू हरे-भरे पेड़ - पौधों को नहीं काटेगी बिना सोचे बिचारे इन घातक हथियारों से वृक्षों को नहीं काटेगी। तुम जामुन के पेड़ों को नहीं काटोगी। आज तक जो गलती की भी है उसे नहीं दुहरायेगी।

इन पंक्तियों में कितना महान संदेश विद्यमान है। आज जो पर्यावरण की सुरक्षा एवं मानव जाति के अस्तित्व की रक्षा हेतु प्राकृतिक संतुलन बनाये रखने की मुहिम चलाई जा रही है। गीत में नदी से अलग कपड़े धोने और पेड़ों को न काटने का संदेश है। जल प्रदूषण और पर्यावरण संरक्षण की भावना का एक अत्युत्तम उदाहरण है। पर्यावरण चेतना के बीज लोक में अनादि काल से विद्यमान हैं। यह इस बात का प्रमाण हैं।

जनजातीय सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के अन्य गीत -

'तारि ना ना री तरि ना ना गा पनिया ला।
पनियाला मैया जाबो लहरिया गा।।
आगू-आगू टूरी जाथैय पाछू ले टूरा गा।
मारैय नजुरिया मिलाय के लहरिया गा।।
एक डग रेंगय दूसर डग रेंगय लागैय गा।
छैला अफट गिरि जाय लहरिया गा।।
झिरिया के पानी झीकी के झीका होय लागैय गा।
नयना मा नयना मिलायके लहरिया गा।।'

पानी भरने जल्दी जाना है। आगे-आगे लड़की जा रही है। पीछे से लड़का जा रहा है, लड़की आँखों से इशारा करती है। एक दो कदम चलकर लड़का फिसलकर गिर जाता है और तुरन्त उठकर पानी भरने जाता है। छोटे और कच्चे कुँआ से दोनों एक साथ पानी खींच रहे हैं व नजर से नजर मिलाकर दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं।

'तरि हरि नाना, नाना गे।
नाचैय मुरलिया, बोलैय मुरलबा टेघें-टेघें।।
अदक फदक होबैय रेबा परेबा।
गुम गुटर नाचैय मुरलिया...........टेघें।।
झुकी-झुकी आबैय कारी कोयलिया।
कुहू-कुहू के नाचैय मुरलिया..........टेघें।।'

इधर तरि हरि ना ना नाना के बोलों से सैला लहकी नृत्य हो रहा है उधर मोर की आवाज टेघें-टेघें बोलते ही मोरनी नाच उठती है। मोर की आवाज से कबूतर पंखों को फड़फड़ाते हुए गुम-गुटर गे की आवाज बोलने लगते हैं। काली कोयलिया पक्षी झुकी-झुकी याने चोरी-चोरी आती है। मोर की आवाज को सुनकर कुहू-कुहू की आवाज में बोलने लगती है।

'री रीना री ना मोरी भाय।
कुंजन के पेड़न मा फूल बरसे।।
गोड़य के बिछिया तोर, हिसल परी, फिसलपरी।
बिन्दी चमक परी, भुजा लरख परी तोर भाई।।
मूड़ गघरी, छिटकपरी मोर बहनी ले।'

भाभी अपने छोटे देवर से कह रही है कि तुम मेरे लिए बिछिया करधन खरीद दो। देवर कहता है - भाभी तुम कहाँ जाओगी तुम तो तीतर पक्षी के छोटे से बच्चे (तीतुल छौना) जैसे रही हो और कभी यहाँ वहाँ नहीं गई हो। भाभी कहती है - देवर मैं अपने मायके जाऊँगी क्योंकि मुझे मायके से आये बारह वर्ष हो गये हैं अत: मेरे लिए पायल, करधन खरीदकर ले आईये। इनको पहिनकर मैं अपने मायके जाऊँगी।

'सिल सिला नदी बहे निराझार निरमोहिला,
निमोहिला भाई रे, घर मां हैय जुग जोड़ी।
बन मा पिरित जौरैय रे।
गयेला बाजार लैये ला अयना।
देखत रहितो तोरैय तो थैयना।
जरवा ला काटैय छड़ी के छड़ी
बात ला बतावे कड़ी के कड़ी
सिल .... जोरैय रे।।'

जनजातियों के लोकगीत हमारी स्मृतियों को ताजा कर देते हैं। इन लोकगीतों में जनजातियों के समाज की समस्त भावनाएँ विद्यमान हैं। लोक गीतों के माध्यम से हम जनजातीय लोगों के जीवन शैली को समझ सकते हैं। इनके खान-पान, रहन-सहन, आचार-विचार, भाषा आदि सभी पहलू की स्पष्ट झलक लोकगीत में हमें स्पष्ट दिखाई देती हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. लोक साहित्य - डॉ. इन्दु यादव, प्रकाशक साहित्य रत्नालय कानपुर

संस्करण सन् 2004

2. लोक साहित्य विज्ञान – डॉ. सत्येन्द्र, शिवलाल अग्रवाल एण्ड प्रायवेट लिमिटेड आगरा सन् 1962
3. सम्मेलन पत्रिका – लोक संस्कृति विशेषांक, 2010,
4. खड़ी बोली का लोक साहित्य – डॉ. सत्या गुप्त,
5. भारत की जनजातीय संस्कृति – विजय शंकर उपाध्याय, विजय प्रकाश शर्मा, प्रकाशक म.प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, संस्करण 2000।
6. म.प्र. की जनजातियाँ – डॉ. शिवकुमार तिवारी, प्रकाशक–म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, प्रथम संस्करण, सन् 1994
7. लोक संस्कृति – बसन्त निरगुणे, प्रकाशक म.प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल, सन् 2005.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

हाड़ौती सर्किट में पर्यटन विकास : कोटा जिले का एक अध्ययन

डॉ. अंजना जाटव*

* एम.ए. (भूगोल), नेट, पीएच. डी. बोरखेड़ा, कोटा (राजस्थान) (पूर्व गेस्ट फेकल्टी- वि.सं.यो.) शहीद श्री मुकुट बिहारी मीणा राजकीय महाविद्यालय, खानपुर (झालावाड़) (राज.) भारत

शोध सारांश – हाड़ौती राजस्थान का महत्वपूर्ण भू–भाग है जिसका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं आर्थिक महत्व है। पर्यटन की दृष्टि से हाड़ौती परिपथ में कोटा, बूंदी, झालावाड एवं बारां जिलों को सम्मिलित किया जाता है।प्रस्तुत शोध पत्र हाड़ौती सर्किट के कोटा जिले केपर्यटन स्थलों एवं देशी विदेशी पर्यटकों की संख्या का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। कोटा जिले में पर्यटन विकास का विश्लेषण करने के लिए इस शोध पत्र में द्वितीयक आंकड़ो का प्रयोग किया है जो पर्यटन एवं अन्य विभागों के प्रतिवेदनों से प्राप्त कियेगये है। कोटा जिला पर्यटन की दृष्टि से राज्य में अन्य जिलों से बहुत पीछे है जिसके कई उत्तारदायी कारण है।हाड़ौती परिपथ में हवाई यातायात की सुविधा उपलब्ध हो जाये तो कोटा जिले में आने वाले देशी विदेशी पर्यटकोंकी संख्या में वृद्धि होने की भरपूर सम्भावनाएं व्याप्त है।

शब्द कुंजी – पर्यटन, हाड़ौती,कोटा,विकास, पर्यटक।

प्रस्तावना – पर्यटन की दृष्टि से हाड़ौती सर्किट का राज्य में कम अन्वेषण हुआ है। यह प्रदेश अपने सुंदर स्थापत्य एवं मूर्तिकला के मन्दिरों, किलों और महलों के लिए जाना जाता है।हाड़ौती सर्किट(परिपथ) में बूंदी, कोटा और झालावाड़ को सम्मिलित किया जाता है इसके अतिरिक्त बारां जिले के पर्यटक स्थल भी इस परिपथ में ही समिलित किये जाते है।हाड़ौती सर्किटहरावतीके मैदान में फैला हुआ है जो बूंदी पहाड़ियों, कोटा पठार से घिरा हुआ है जिसमें सुंदर पहाड़ियाँ, घाटियाँ और झीले अवस्थित है जो मनोरम प्राकृतिक सौन्दर्य का नजारा प्रस्तुत करते है।

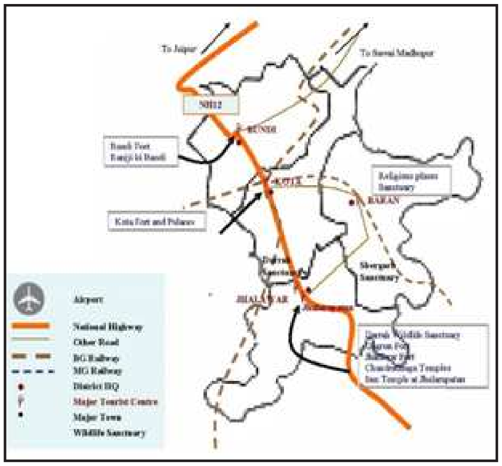

रेखाचित्र: हाड़ौती परिपथ

कोटा राजस्थान में जयपुर और जोधपुर के बाद तीसरा सबसे बड़ा नगर और लोकप्रिय पर्यटक स्थलों में से एक है। चम्बल नदी के किनारे पर स्थित कोटा विविध प्रकार की पेंटिंग्स, महलों, संग्रहालयों, और पूजा स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। कोटा स्वर्ण आभूषण, कोटा डोरिया व सिल्क साड़ियों एवं कोटा स्टोन के लिए जाना जाता है।कोटा का इतिहास 12वीं शताब्दी का है जब राव देव ने इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की और हाड़ौती की स्थापना की। कोटा के स्वतंत्र राजपूत राज्य को 1631ईस्वी में बूंदी से अलग किया गया था। कोटा राज्य का एक अशांत इतिहास रहा है। यहाँ पर विभिन्न मुगल शासकों,जयपुर के महाराजाओं और यहाँ तक कि मराठा सरदारों ने भीआक्रमण किये थे। कोटा शहर अपने वास्तुशिल्प वैभव के लिए दुनिया भर में जाना जाता है जिसमें सुंदर महल, मंदिर और संग्रहालय शामिल हैं जो पूर्व युग की भव्यता को प्रदर्शित करते हैं।कोटा राज्य का एक प्रमुख औद्योगिक शहर भी है। पर्यटन की दृष्टि से भी कोटा महत्वपूर्ण हैं।

उद्देश्य एवं शोध प्रविधि – यह शोध पत्र कोटा जिले के पर्यटन से सम्बन्धित है। इस शोध का मुख्य उद्देश्य कोटा जिले के प्रमुख पर्यटक स्थलों का विश्लेषण एवं पर्यटन विकास का मूल्यांकनकरना है। निर्धारित शोध उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस शोध पत्र में द्वितीयक स्त्रोतों से प्राप्तआंकड़ों का प्रयोग किया गया है। कोटा जिले केपर्यटन से सम्बन्धित सूचनाओं का संकलन वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन राजस्थान पर्यटन विकास निगम (RTDC)पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार से प्राप्त किये गये। इसके अतिरिक्त जिला सांख्यिकीय रुपरेखा, डिस्ट्रिक्ट गजेटियर आदि से जिले से सम्बन्धित अन्य सूचनाओं का संकलन किया गया।इस हेतु विभिन्न राजकीय विभागोंकी ऑफिसियल वैबसाइट सेसमंकों का संकलन किया गया हैं।संकलित सूचनाओं को आवश्यक सांख्यिकीय विधियों द्वारा विश्लेषित कर आरेख एवं तालिका द्वारा दर्शाया गया है।

कोटा जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल – कोटा जिले में धार्मिक, ऐतिहासिक, पर्यावरण, कला एवं संस्कृति से सम्बन्धअनेक प्रकार केपर्यटन स्थल हैं जो जिले का पर्यटन क्षेत्रमें महत्व बढ़ाते है।यहाँ के मेले एवं पर्व भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते है। जिले के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों का विवरण अग्रानुसार है–

गढ़ पैलेस : कोटा में सबसे प्रमुख पर्यटक आकर्षण गढ़ है। यह विशाल परिसर,जिसे सिटी पैलेस के नाम से भी जाना जाता है जो मुख्य रूप से

राजपूत वास्तुकला शैली से निर्मित है। यहमहल विशाल परिसर में फैला है इसका निर्माण इतिहास के विभिन्न समयावधियों में राजपूत वंश के विभिन्न शासकों द्वारा किया गया।

महाराव माधो सिंह संग्रहालय : यह गढ़ पैलेस की चार दीवारी में स्थित है। यह एक शानदार संग्रहालय है जिसमें कोटा के राजपुत लघु चित्रों व पेन्टिंगस् का संग्रह है।इसके अलावा इसमें आकर्षक मूर्तियाँ, हथियार एवं अन्य बहुमूल्य प्राचीन वस्तुएँ उपलब्ध है।

बृज विलास राजकीय संग्रहालय: छत्र विला उद्यान में स्थित यह एक बेहतरीन राजपूत इमारत है और इसमें सरकारी संग्रहालय भी है। इसका निर्माण 18वीं शताब्दी में महाराव दुर्जन शाल द्वारा करवाया गया संग्रहालय में पूर्व ऐतिहासिक एवं ऐतिहासिक कलाकृतियाँ एवं मूर्तियोंका विशाल भंडार हैं। यहाँ दर्शायी ये मूर्तियां 5वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य की है। यहाँ पुराने सिक्के, चित्र,शिलालेख आदि इस संग्रहालय के महत्वपूर्ण आकर्षण हैं।

अभेड़ा महल और अभेड़ा जैव उद्यान : कोटा से 8 किलोमीटर दूर एक तालाब के किनारे पर स्थित है। यह मध्यकालीन महल यहाँ के प्राचीनशासकों का मनोरंजन स्थल था जहाँ से वे क्षेत्र के वन्य जीवन और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने आते थे। अभेड़ा महल के नजदीक ही करणी माता का मंदिर है जोकोटा राजवंश की कुल देवी है। अभेड़ा जैविक उद्यान अभेड़ा महल कोटा के पास नांता रोड पर स्थित है। इसका निर्माण वन विभाग द्वरा किया गया है। यह जैविक उद्यान नया है जोवन्य जीवों के लिए पर्यावर्णीय अनुकूल स्थल है।

जगमंदिर पैलेस : इसमहल का निर्माण 1743-1745 ईस्वीके मध्य कोटा की एक रानी द्वारा किया गया था।लाल बलुआ पत्थर से निर्मित यह महलकिशोर सागर झील के बीच में स्थित है। यह महलसुंदरता का एक उत्कृष्ट स्मारक है। जगमंदिर महल के पास स्थित केशर बाग अपने शाही स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है।

कोटा बैराज : चम्बल नदी पर बना कोटा बैराज राजस्थान राज्य के सबसे महत्वपूर्ण जलाशयों में से एक है। कोटा बैराज 27,332 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ हैजो इसे हैती जितना बड़ा बनाता है। बांध से अधिक दबाव व शक्ति के साथ दरवाजों से निकलता हुआ पानी का दृश्य हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता हैं जो हर किसी कोआकर्षित करता है। इस बैराज के पास ही भगवान शिव का कंसुआ मंदिरजिसमें एक दुर्लभ चार मुख वाला शिव लिंग हैबैराज के पास एक दर्शनीय स्थल है।

सेवन वंडर पार्क: कोटा शहर में किशोर सागर के पास इसका निर्माण किया गया है जिसमें विश्व के सात अजूबों की एक ही भ्रमण में प्रतिकृति देखने को मिलती है। यहाँ पर ताज महल, मिश्र के पिरामिड, हैंगिग गार्डन, एफिल टावर एवं स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी जैसे सात अजूबों को हुबहू बनाया गया है।

रिवर फ्रंट : इसका निर्माण चम्बल नदी पर कोटा बैराज और नयापुरा पुलिया के मध्य किया गया है। यह राजस्थान की शाही स्थापत्य कला की झलक उपलब्ध कराता है। चम्बल नदी के दोनों ओर कुल 6 किमी की लम्बाई में बनाया गया चम्बल रिवर फ्रंट विश्व का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट है। इस पर अनेक घाट, महल, फाउटेन, वाटर पार्क, मूर्ति, मंदिर आदि की झलक देखने को मिलती है।हेरिटेज जोन में लाल किला, जामा मस्जिद एवं हवा महल जैसी हेरिटेज इमारते देखी जा सकती है।

चम्बल गार्डन: कोटा शहर के सबसे खूबसूरत पिकनिक स्थलों में से एक यह चंबल नदी के तट पर स्थित है। हरियाली की गोद में पर्यटक यहाँ प्रकृतिकी शान्ति काआनन्द ले सकते हैअद्‌भुत नाव की सवारीयहाँका मुख्य आकर्षण है जो वन कार्यालय घाट के पास सेप्राप्त हो सकती है। यह नदी स्वयं राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल (गेवियल) अभयारण्य का एक भाग है। दलदली मगरमच्छों और घड़ियालों की तेजी से घटती आबादी को संरक्षित करने के लिए इस अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1983 मेंकी गई थी। यहाँ पर अनेक प्रकार के पक्षी अपनी प्राकृतिक सुन्दरता के लिए प्रसिद्ध है।

गरडिया महादेव : महादेव कायह मन्दिर राष्ट्रीय राजमार्ग 76 पर उदयपुर रोड कोटा से 24 किमी की दुरी पर स्थित मोड से 5 किमी जंगल के अंदर दुर्गम वन क्षेत्र में यह प्राकृतिक सौन्दर्य का स्थल है। यह एक प्राचीन शिव मन्दिर है,यहाँ से चम्बल के खुबसूरत नजारे को देखा जा सकता है।पर्यटक यहाँ पर प्राकृतिक शांति एवं सौन्दर्य को महसूस करते है।वर्तमान में यह स्थान मुकन्दरा हिल्स अभयारण्य का भाग होने के कारण वन विभाग की अनुमति एवं निर्धारित शुल्क के भुगतान से ही पर्यटक और वाहन प्रवेश कर सकते है।

हैंगिग ब्रिज : चम्बल नदी पर बना यह हैगिग ब्रिज अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है।शहर की बाहरी सीमा से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर इस ब्रिज का निर्माण वर्ष 2017 में पूर्ण हुआ। चम्बल नदी पर बना यह हैंगिंग ब्रिज 1400 मीटर लम्बा है और इसका झूलता हुआ हिस्सा 350 मीटर है। यह हैंगिग ब्रिज 30 मीटर की चौड़ाई में 6 लेन का है।

मुकुंदरा हिल्स बाघ अभयारण्य (राष्ट्रीय उद्यान) : इतिहास की दृष्टि से यह क्षेत्र कोटा महाराजाओं का शिकार स्थल होता था। यह कोटा से लगभग 50 दुरी पर रावतभाटा मार्ग पर चम्बल के पूर्वी किनारे पे स्थित है। यह अभ्यारण्य सघन वन क्षेत्र है। यहाँ पैंथर,भालू,हिरण,जंगली सूअर, लोमड़ी, सियार तथा काफी संख्या में स्थानीय एंव प्रवासी पक्षियों को देखा जा सकता है। अभ्यारण्य मे प्राकृतिक वातावरण में जंगली जीव जंतुओ को स्वछंद विचरण करते हुये देखा जा सकता है।मुकुंदरा हिल्स कोवर्ष 1955 में वन्य जीव अभ्यारण और 2004 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया। इसे वन्यजीव अधिनियम 1972 के अंतर्गत वर्ष 2013 में इसे टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया है। यहकोटा और चित्तौडगढ़ जिलों में 200.54 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है।

कोटा दशहरा मेला : कोटा शहर में प्रतिवर्ष अक्टूबर नवम्बर माह में नवरात्रों के बाद दशहरा के अवसर पर यहाँ के दशहरा मेला ग्राउंड में भारत का प्रसिद्ध 15 दिवसीय दशहरा मेले का शुभारम्भ होता है। इस मेले की हलचल नवरात्र स्थापना के साथ ही शुरू हो जाती है। इस मेले में हर रोज नौ दिन तक आकर्षक व मनोहारी प्रस्तुतियों की रामलीला का मंचन किया जाता हैजिसमें में राम बारातशाही परम्परानुगत निकाली जाती है। इसके उपरांत दशहरा के दिन सौफीट से अधिक ऊंचाई के रावण,कुम्भकरण,मेघनाद के पुतलों का आकर्षक आतिशबाजी के साथ शाही परम्परा अनुसार दहन किया जाता है। इस आकर्षण को देखने के लिये स्थानीय शहरवासियों के अतिरिक्त विदेशी पर्यटकतथा सूदूर क्षेत्रों से लोग भीकोटा आते हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व मे सभी पारस्परिक रूप से इस दिन हर्ष उल्लास का जश्न मनाते हैं। कोटा के दशहरा मेले का अलग ही महत्व व आकर्षण है।इसके अलावा कोटा शहर एवं जिले में अनेक ऐतिहासिक महत्व के मन्दिर, भवन, स्थापत्य कला के स्थल, जैविक एवं प्राकृतिक सौन्दर्य के स्थल उपलब्ध है जो पर्यटको को आकर्षित करते है।

पर्यटन विकास निगम: राज्य में पर्यटन विभाग वर्ष 1956 से एक स्वतंत्र विभाग के रूप में कार्य कर रहा है।पर्यटन विभाग के अधीनराज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना वर्ष 1979 में की गयी है जो राज्य में पर्यटन को

बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। इसका मुख्यालय जयपुर में है। यह निगम राज्य में पर्यटन विकास के लिए अनेक प्रकार की योजनाओं के संचालन के साथ-साथ होटलों का भी संचालन करता है। यहदेशी विदेशी पर्यटकों को सुविधाएँ व सूचना मुहैया कराता है। कोटा जिले मेंपर्यटन विभाग का क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय, पर्यटक स्वागत केन्द्र एवंपर्यटक सूचना केंद्र संचालित है,इसके अतिरिक्त जिले में राजस्थान पर्यटन विकास निगम का15 कमरों का एक होटल 'चम्बल' भी संचालित है।

कोटा जिले में पर्यटन विकास: राज्य का तीसरा बड़ा शहर व महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र होने के बावजूद कोटा जिला पर्यटन की दृष्टि से काफी पीछे है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पर्यटक स्थल होने के बावजूद पर्यटन का इतना विकास नहीं हुआ है जितना दुसरे पर्यटक केन्द्रों का हुआ है। पर्यटन सम्बन्धी आँकड़ों पर नजर डाले तो वर्ष 2023 में राज्य में कुल 17.90 करोड़देशी एवं 16.99 लाख विदेशी पर्यटक भ्रमण पर आये जिनमें से जिले में 9,42,403 देशी व मात्र 743 विदेशी पर्यटक ही कोटा जिले में आये जो कि राज्य के कुल पर्यटकों की संख्या का मात्र 0.52 प्रतिशत ही है। इसी प्रकार पर्यटकों की संख्या की दृष्टि से कोटा जिला सीकर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर आदि महत्वपूर्ण स्थलों से काफी पिछड़ा हुआ है।इस प्रकार देशी पर्यटकों की संख्या में कोटा जिले का राजस्थान में 25 वां स्थान है जबकि विदेशी पर्यटकों संख्याकोरोना वैश्विक महामारी के बाद हजार काआंकड़ा भी पूरा नहीं कर पाया है। वर्ष 2023 में विदेशी पर्यटकों की संख्या मात्र 743 थी जो बहुत ही कम है। तालिका में विगत 18 वर्षों में कोटा जिले में आने वाले देशी-विदेशी व कुल पर्यटकों की संख्या को दर्शाया गया है।

तालिका: 1 कोटा जिले में देशी विदेशी पर्यटकों का आगमन2006-2023

क्र.	वर्ष	पर्यटकों की संख्या		
		देशी	विदेशी	कुल
1	2006	98319	3994	102313
2	2007	104059	4440	108499
3	2008	100227	4550	104777
4	2009	107358	2732	110090
5	2010	97971	3450	101421
6	2011	69640	2441	72081
7	2012	62029	1881	63910
8	2013	63015	2889	65904
9	2014	51467	3516	54983
10	2015	90598	2571	93169
11	2016	89546	1778	91324
12	2017	202298	1860	204158
13	2018	117596	1889	119485
14	2019	128119	2867	130986
15	2020	102955	721	103676
16	2021	189953	154	190107
17	2022	804971	659	805630
18	2023	942403	743	943146
संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर(CAGR)		14.22%	-9.42%	13.96%

स्रोत: वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार

आरेख: 1

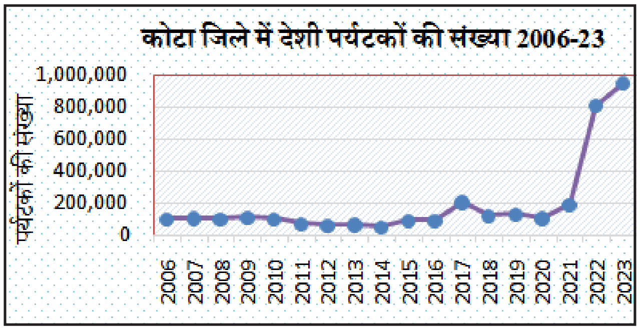

तालिका में दर्शाए गये आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्ष 2006 में जिले में कुल1,02,313 पर्यटकभ्रमण पर आये जिनमें से 98,319देशी एवं 3,994 विदेशी पर्यटक थे। तालिका एवं आरेख के आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट है की कोटा जिले में देशी पर्यटकों की संख्या में वर्ष 2009 से 2014 तक सामान्य उतर चढ़ाव के साथ उतरोतर कमी दर्ज की गयी है। वर्ष 2017 में विगत वर्ष की तुलना में देशी पर्यटकों की संख्या दो गुणा से अधिक बढ़कर 2 लाख के आंकड़े को भी पार कर गयी, इसके पश्चात पुन: कमी दर्ज हुई जो कोरोना वैश्विक महामारी काल के दौरान वर्ष 2021 में 1.89 लाख तक पहुँच पायी। कोरोना महामारी के पश्चात कोटा जिले में देशी पर्यटकों की सख्या में बड़ी वृद्धि दर्ज की गयी जो विगत वर्ष की तुलना में चार गुना से भी अधिक थी। वर्ष 2022 व 2023 में देशी पर्यटकों की संख्या क्रमश: 8.04 लाख व9.42 लाख तक पहुँच गयी। देशी पर्यटकों की संख्या में उतार-चढ़ाव की भांति विदेशी पर्यटकों की संख्या में भी देखने को मिला परन्तु विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि ऋणात्मक ही दर्ज हुई है। उक्त अवधि में विदेशी पर्यटकों की सर्वाधिक संख्या वर्ष 2008 में दर्ज हुई जो मात्र 4450 थी और यह आंकड़ा आज तक प्राप्त नहीं हो सका है। कोरोना महामारी के पश्चात वर्ष 2022 व 2023 में कोटा में विदेशी पर्यटकों की संख्या क्रमश: 659 एवं 743 दर्ज की गयी जो नगण्य है।

इसी प्रकार जिले में 2006 से 2023 की अवधि में देशी विदेशी पर्यटकों की संख्या की संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर को देखा जाये तो देशी पर्यटकों की संख्या की संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर 14.22 प्रतिशतजबकि विदेशी पर्यटकों की संयुक वार्षिक वृद्धि दर ऋणात्मक दर्ज हुई जो कि -9.42प्रतिशत है। जिले में पर्यटकों की कुल संख्या में इस अवधि के दौरान संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर13.96 प्रतिशत दर्ज की गयी।इससे स्पष्ट प्रतीतहोता है किअध्ययन क्षेत्र कोटा विदेशी पर्यटकों को आकर्षित नहीं कर पा रहा है परन्तु यहाँ पर पर्यटन विकास की अपार सम्भावनाएं मौजूद है।

समस्या व समाधान: कोटा जिला राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है यहाँ पर पर्यटकों को आकर्षित करने वाले अनेक ऐसे स्थल है जो पर्यटन विकास में भागीदार हो सकते है परन्तु जिले में पर्यटन का प्रयाप्त विकास नहीं पाया है जिसके कारण देशी विदेशी की पर्यटकों की संख्या अन्य केन्द्रों की तुलनासे बहुत पीछे है। कोटा जिले के पर्यटन के पिछड़ेपन होने के कई उतरदायी कारण है जैसे- देशी विदेशी पर्यटकों को लिए हवाई यातायात सेवा का अभाव, पर्यटन स्थलों के व्यापक प्रचार प्रसार का अभाव,पर्यटकों की सुविधा व्यवस्थाओं की कमी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन केन्दों की पहचान का अभाव आदि। इसलिए जिले में पर्यटन के विकास के

लिए इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयास करने की महत्ती आवश्यकता है जिससे देशी विदेशी पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो सके और रोजगार के साथ-साथ आर्थिक विकास को भी बढ़ेगा। इसके लिए कोटा मुख्यालय को हवाई सेवा से जोड़ने की नितांत आवश्यकता है क्योंकि निकटतम हवाई अव जयपुर है जो लगभग 200 किमी से भी अधिक दूरी पर है।

निष्कर्ष –पर्यटन राज्य की एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि है। राज्य के हाड़ौती पर्यटन परिपथ में कोटा बूंदी झालावाड़ एवं बारां जिलों को सम्मिलित किया जाता है। कोटा जिले में अनके पर्यटन महत्व के केंद्र है परन्तु कोटाजिलाराज्य के पर्यटन में काफी पिछड़ा हुआ है।विदेशीपर्यटकों की नगण्य संख्या होना इसके अंतराष्ट्रीय स्तर पहचान के अभाव को बताता है। कोरोना वैशिक महामारी के पश्चात जिले में देशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि तो हुई है परन्तु विदेशी पर्यटको को जिला आज भी तरस रहा है। पर्यटन विकास के लिए हवाई यात्रा सुविधा के साथ-साथ अन्य सुविधाओ में वृद्धि की आवश्यकता है।पर्यटन विकास के लिए सही दिशा में कदम उठाये जाये तो यहाँ पर पर्यटन का भविष्य है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. के. एल. बाटरा (1989) प्रोब्लम्स एण्ड प्रोस्प्रेक्ट्स ऑफ ट्यूरिस्म, प्रिण्टवेल पब्लिशर्स, जयपुर।
2. ए. के. भाटिया (1992) ट्यूरिस्म इन इण्डिया : हिस्ट्री एण्ड डवलपमेन्ट्स, स्टरलिंग पब्लिशर्स, न्यूदिल्ली।
3. स्टेटिसटिकल अब्सट्रैक्ट (2008) आर्थिक एवं सांख्यिकी, निदेशालय, जयपुर राजस्थान।
4. वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (विभिन्न अंक) पर्यटन विभाग, राजस्थान।
5. प्रगति प्रतिवेदन (विभिन्न अंक) पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार।
6. अतुल्य भारत (2016) पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार।
7. सक्सेना, हरिमोहन (2022) राजस्थान का भूगोल, राजस्थान हिंदी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर
8. Sinha Supriya and Varshney Madhur (2017). "Cultural Tourism in Rajasthan : A Strategic Planning Approach for Mandawa" International Journal on Emerging Technologies, ICTOAD. Published by Research Trend.
9. https://www.tourism.rajasthan.gov.in/
10. https://tourism.gov.in/
11. https://tourism.gov.in/sites/default/files/2020-04/rajasthan.pdf
12. https://housing.com/news/hi/places-to-visit-in-kota-hi/
13. https://statistics.rajasthan.gov.in/home/dptHome
14. https://www.drishtiias.com/daily-news-analysis/mukundara-hills-tiger-reserve/print_manually

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

स्वर्ण ऋण योजना के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक की भूमिका

राधा पासी*   डॉ.अशोक सोनी**

* शोधार्थी, गो.से.अर्थ वाणिज्य महाविद्यालय (स्वशासी), जबलपुर (म.प्र.) भारत
** मार्गदर्शक,विभागाधयक्ष (वाणिज्य) हवाबाग महिला महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – वर्तमान समय में प्रतिस्पर्धा वाले देश में स्वर्ण ऋण मार्किट सबसे अधिक चर्चा वाले विषयो में से एक बन गया है कई बैंक और एन.बी.एफ.सी.स्वर्ण ऋण प्रदान कर रही है वित्तीय संस्थानों की इस संदर्भ सूची में नाम सामने आये है। भारतीय स्टेट बैंक,यूनियन बैंक,एच.डी.एफ.सी.बैंक मुथूट फाइनेंस,मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड आदि इन संस्थानों को इस बाजार की शीर्ष स्थिति तक पहुंचने के लिए एक दूसरे के बीच गाला काट प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है। संतुष्ट उधारकर्ता बैंक के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है लेकिन कुछ ऐसे भी उधारकर्ता होते है जो स्वर्ण ऋण संस्थानों की सुरक्षा प्रणाली से संतुष्ट नहीं होते है। इस अध्ययन का उद्देश्य है कि स्वर्ण ऋण से ग्राहकों को लाभ होता है कि नहीं तथा इसकी प्रक्रिया सरल है कि नहीं।

शोध अध्ययन – शोध अध्ययन के जरिये न केवल यह कोशिश की गई है कि बैंक में स्वर्ण ऋण का क्रियान्वयन किया जा रहा है कि नहीं बल्कि यह भी जानने की कोशिश की गई है कि सामाजिक परिवेश में व्यक्ति इसका लाभ उठा पा रहे है कि नही।

प्रस्तावना–राष्ट्रीयकरण से पूर्व देश की बैंकिंग व्यवस्था स्थान में इम्पीरियल बैंक का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। यह एक व्यापारिक बैंक था परन्तु सन 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना से पूर्व यह केंद्रीय बैंक के रूप में भी कार्य किया करता था। यह सरकार का बैंकर हुआ करता था और सभी प्रकार के लेन–देनो का हिसाब रखा करता था। यह बैंको के बैंक के रूप में भी कार्य किया करता था उनसे निक्षेप स्वीकार करता है और मांग करने पर उन्हें ऋण भी दिया करता था। सन 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना के उपरान्त इम्पीरियल बैंक अपने केंद्रीय बैंकिंग कार्यो को त्याग दिया और एक पूर्ण व्यपारिक बैंक के रूप में ही कार्य करने लगा जिन पर रिजर्व बैंक की अपनी शाखाएँ नहीं थी वहाँ पर इम्पीरियल बैंक ही रिजर्व बैंक के एजेंट के रूप में कार्य करता रहा इस कार्य के लिए रिजर्व बैंक इम्पीरियल को निश्चित दर पर कमीशन दिया करता था उस समय यह सबसे शक्तिशाली व्यापारिक बैंक के रूप में जाना जाता था।

19वीं सदी के पहले दशक में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की बाकी थी जब ये तीनो बैंक,बैंक ऑफ बंगाल,बैंक ऑफ बॉम्बे,बैंक ऑफ मद्रास का बैंक सभी तीन प्रेसिडेंसी बैंको को संयुक्त स्टॉक कम्पनियो के रूप मे शामिल किया गया था। ये रॉयल चार्टर के परिणाम थे इन तीनो बैंको को 1861 में पेपर मुद्रा अधिनियम के साथ कागजी मुद्रा जारी का विशेष अधिकार प्राप्त हुआ। जो उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन तक सही रखा प्रेसिडेंसी बैंक 27 जनवरी 1921 को एकजुट हो गए और पुनगर्ठित बैंकिंग इकाई में इसका नाम इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया रखा भारतीय शाही बैंक में एक संयुक्त स्टॉक कम्पनी को जारी रखा। भारतीय स्टेट अधिनियम 1955 के प्रावधानों के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक,जो भारत का केंद्रीय बैंक है जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया।अपने स्थापना काल में बैंक के कुल 480 कार्यालय थे जिसमें शाखाएँ, उपशाखाएँ,तथा तीन स्थानीय मुख्यालय शामिल थे जो इम्पीरियल बैंको के मुख्यालयों को बनाया गया था।

परिभाषा

डॉ. एच.एल.हार्ट के अनुसार 'बैंकर वह व्यक्ति है जो अपने साधारण व्यवसाय के अंदर का द्रव्य जमा करता है,जिसे वह उन व्यक्तियों के चैको का भुगतान करके चुकाता है जिसे चैक के द्वारा मांग करने पर वापस किया जा सके।'

किनले के अनुसार 'बैंक एक ऐसी संस्था है जो उन व्यक्तियों को आवश्यकतानुसार सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कर्ज देती है जो अपने ऐसे रूपयो को जमा करते है जिनकी उन्हें तत्काल आवश्यकता नहीं है।'

भारतीय स्टेट बैंक का मुख्य ध्येय – भारतीय स्टेट बैंक का मुख्य ध्येय है कि विश्व स्तरीय मानदण्डों एवं महत्वपूर्ण अन्तराष्ट्रीय व्यवसाय के क्षेत्र में ग्राहकों,अंशधारियों और कर्मचारियों की संतुष्टि के साथ वित्तीय सेवाओं के विस्तारीकरण हेतु विकास बैंक के रूप में अग्रणी भूमिका का निर्वाह करना द्य तथा ग्राहकों के लिए ऋणों की सेवा प्रदान करना है।

बैंकिंग उत्पाद – नवबंर 1999 में प्रारम्भ 'भारतीय स्टेट बैंक स्वर्ण जमा योजना' द्वारा बैंक ने इस वर्ष 6.08 टन सोना संग्रहीत किया,जो कुल बाजार अंश का 96%है राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लि.(नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड)तथा केंद्रीय निक्षेपागार सेवाएं लि.(सेन्ट्रल डिपॉजिटरीज सर्विसेज लिमिटेड)नामक निक्षेपागारो में बैंक सह –प्रायोजक है इसकी निक्षेपागार सहभागी सेवाएं 'वी सेट' द्वारा सीधे राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार सेवाएं लि. से सीधो सम्बद्ध निक्षेपागार सहभागिता सेवाएं पुणे,गुवाहटी तथा कानपुर में शीघ्र शुरू की जाएगी। इस वर्ष बैंक ने व्यापार और सेवाक्षेत्र के लिए सामान्य प्रयोजन वाले लचीले सावधि ऋण निर्यातकों और लघु उद्योग क्षेत्र की आकस्मिक आवश्यकताए पूरी करने के लिए वैकल्पिक ऋण सेवा,केवल प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत कपडा क्षेत्र का वित्तीयन,स्वर्ण जमा पर रूपया ऋण योजना तथा कारपोरेट

ऋणियो के लिए स्थिर ब्याज सावधि ऋण योजनाएँ भी शुरू की है।

स्वर्ण ऋण – स्वर्ण को गिरवी रखकर बैंक से ऋण लेना स्वर्ण ऋण कहलाता है स्वर्ण ऋण आसानी से मिल जाता है। यह ऋण स्वर्ण को गिरवी रखकर ग्राहक को मुद्रा देती है अगर आपको पैसों को आवश्यकता है और आपके पास स्वर्ण है तो आप स्वर्ण ऋण ले सकते है। आजकल हर किसी न किसी को पैसों की सख्त आवश्यकता होती है पैसा होने पर प्रत्येक कार्य सरलतापूर्वक किये जा सकते है हर व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो अपना घर गाड़ी खरीद सके। इसलिए हर कोई बैंक से ऋण लेता है और ऋण लेने के बाद वह उसे धीरे –धीरे चुकता है। आज कल अधिकतर लोग स्वर्ण पर ऋण लेते है क्योंकि यह सस्ता और आसानी से मिल जाता है क्योंकि इस ऋण को लेने के लिए कोई भी या किसी भी प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होती है। इस ऋण को बेरोजगार व्यक्ति भी ले सकता है स्वर्ण ऋण के लिए दस्तावेज की भी जरूरत नहीं पड़ती है बस कुछ ही दस्तावेजो जैसे पहचान पत्र और घर का पता आदि की आवश्यकता पड़ती है यह ऋण व्यक्ति को कम ब्याज दर पर मिलता है। ऋण लेने वाला व्यक्ति पूरी अवधि के दौरान केवल ब्याज का भुगतान कर सकते है और अंत में ऋण लेने के लिए एक बार में पूरी राशि का भुगतान कर सकते है।

साहित्य की समीक्षा

डेवी एट (2010) बाजार सर्वेक्षण में स्वर्ण ऋण लेना एक सरल प्रक्रिया है इसमें इसमें उधारदाता ऋण लेने के लिए बैंक या वित्तपोषण एजेन्सी में अपने गहनों में रूप में घरेलू स्वर्ण को जमा कर 60%तक ऋण प्राप्त कर सकते है।

रोजिता(2010) स्वर्ण ऋण पर ध्यान केंद्रित किया है जिसमें वित्तीय सहायता का समर्थन किया उधरकर्ताओं कहा कि ऋण जरूरतों को पूरा करता है और सोने का एक आवश्यक निवेश बन जाता है, एक सांस्कृतिक, भावनात्मक और सुरक्षा परिपेक्ष्य से स्वर्ण सोने की जमा राशि के रूप में जाना जाता है। भारतीय बाजार में स्वर्ण ऋण की सुरक्षा में काफी बढ़ोतरी हुई है,जिसमे यह आकर्षक हो गया है।

ज्ञानेश (2012) लेखक ने उपभोक्ता धारणा और बढ़ते ऋण पर चर्चा की है,स्वर्ण ऋण के प्रति उपभोक्ताओं की धारणा काफी बदल गयी है कि संगठित स्वर्ण ऋण मार्किट में बदलतें समय के कारण उपभोक्ताओं की आवश्यकता बढ़ती जा रही हैं। इसलिए स्वर्ण ऋण में समय की अवधि के साथ–साथ काफी स्वर्ण ऋण की बढ़ती माँग में वृद्धि हुई हैं।

उद्देश्य:

1. भारतीय स्टेट बैंक में स्वर्ण ऋण की प्रक्रिया का अध्ययन करना।
2. भारतीय स्टेट बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण राशि का अध्ययन करना।
3. भारतीय स्टेट बैंक के स्वर्ण ऋण योजना से संबंधित सुझाव देना।

स्वर्ण ऋण की प्रक्रिया – बैंक द्वारा बेचे गए सोने के सिक्कों सहित स्वर्ण आभूषणों को गिरवी रखकर बैंक के विधमान ग्राहक रु.20 लाख तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए कम से कम कागजी करवाई की आवश्यकता होती है और ब्याज की दर भी कम होती है।

प्रमुख प्रक्रिया – पात्रता–आभूषणों के वास्तविक स्वामि जो न्यूनतम 21 वर्ष आयु के हो एवं पर्याप्त आय के स्त्रोत हो ताकि ऋणी कम से कम ब्याज राशि जमा करने में सक्षम हो।

1. व्यवसाय– बैंक कर्मचारी पेंशनर सहित आय के स्थाई एवं अस्थाई स्त्रोत वाले व्यक्ति
2. ऋण राशि–न्यूनतम
3. ग्रामीण/अर्धाशहरी–10000/-
4. शहरी /महानगर –20000/-
5. अधिकतम– 20लाख
6. मार्जिन–25%
7. अदायगी अवधि अधिकतम– 30 महीने
8. अदायगी ढंग –मूल राशि और ब्याज की अदायगी संवितरण के अगले माह से शुरू होगी।

प्रतिभूति:

1. स्वर्ण आभूषणों की प्रतिभूति

दस्तावेज़:

1. आवेदन पत्र
2. पहचान का प्रमाण पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड
3. निवास स्थान का प्रमाण बिजली बिल, फोन बिल , पासपोर्ट साइज़ फोटो।
4. डी.पी. नोट
5. स्वर्ण आभूषणों की सपुर्दगी पत्र के साथ
6. गवाह (अशिक्षित ऋणी की दशा में)
7. व्यवस्था पत्र

आभूषणों की वापसी – ऋणी से स्वर्ण ऋण लेजर पर पावती ले मेरे द्वारा गिरवी रखे सभी आभूषण पूर्ण और सही हालत में वापिस प्राप्त किये। मृतक के स्वर्ण ऋण खाते के गिरवी रखे आभूषण उसके वारिसों को समस्त ओपचारिकताऐ पूर्ण करने पर सौंपे।

भारतीय स्टेट बैंक की स्वर्ण ऋण की भूमिका – स्वर्ण ऋण के उपयोग करने के पश्चात जिले के आर्थिक विकास की गति में वृद्धि हुई है , भारतीय स्टेट बैंक स्वर्ण ऋण पर एक अच्छी भूमिका निर्वाह कर रहा है ।आर्थिक विकास हेतु प्रदत ऋणों के उपयोग पशचात राज्य एवं जिले के निवासियों के रहन सहन आर्थिक सामाजिक व शैक्षणिक स्थिति पे परिवर्तन आये हैं। शासन की विभिन्न योजनाओ के माधयम से अर्धसंरचनात्मक विकास एवं सामाजिक सुविधाओ का विस्तार हुआ हैं। बेरोजगार, शिक्षित बच्चों ,व्यक्तियों के व्यवसाय प्राम्भ करने का भी अवसर मिला हैं।

तालिका 1 (अगले पृष्ठ पर देखे)

स्वर्ण ऋण के फायदे:

1. व्यक्ति कम समय मे ऋण को पाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक से स्वर्ण को गिरवी रखकर स्वर्ण ऋण का लाभ उठा सकता है।एक स्वर्ण ऋण आपात स्थिति के समय में तत्काल मदद देता है क्योंकि यह एक व्यक्ति को एक दिन के भीतर नगद प्राप्त करने में मदद करता है। ऋण का उपयोग किसी भी प्रकार के उद्देश्य को पूरा करनें के लिए किया जा सकता है।
2. शिक्षा के लिए स्वर्ण ऋण लिया जा सकता है।
3. कृषि के क्षेत्र में एवं आधुनिक तकनीक का प्रयोग करने एवं उसमे सुधार लाने के लिए भी ऋण लिया जा सकता हैं।
4. यात्रा पर जाते समय तत्काल निधि प्राप्त करना।
5. अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी संपत्ति को उपयोग करने की भावना देता हैं।
6. आकर्षक ब्याज दर
7. एक घण्टे के भीतर ऋण प्राप्त करना।

8. परेशानी से मुक्त आवेदन।
9. न्यूनतम दस्तावेज।
10. सोने के मूल्य के खिलाफ मानक ऋण राशि सुरक्षित भंडारण।

निष्कर्ष – भारतीय स्टेट बैंक की व्यक्तिगत स्वर्ण ऋण की प्रक्रिया सभी ऋणों की अपेक्षा में काफी सरल और परेशानी मुक्त होती हैं। इनमे ग्राहकों को अन्य ऋणों की अपेक्षा भटकना नही पड़ता हैं। स्वर्ण ऋण से ग्राहक संतुष्ट होता हैं,और तत्काल में ऋण पा कर अपनी उपयोगिता /आवश्यकता को पूर्ण कर सकता है,स्वर्ण ऋण की ब्याज दर में भी कमी होती हैं। जिससे ग्राहक इस ऋण को लेना पसंद करता हैं,और व्यक्ति के आभूषणों की सुरक्षा होती हैं।इससे व्यक्ति को किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. शर्मा हरिशचन्द्र,बैंकिंग विधि एवं व्यवहार,साहित्य भवन आगरा 1986
2. राजेश भारतीय स्टेट बैंक के वैयक्तिगत ऋणों का अध्ययन जबलपुर जिले के विशेष सन्दर्भ में 2014
3. भारतीय स्टेट बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2000 –2001
4. दैनिक जागरण
5. www.sbi.co.in
6. www.jagran.com

तालिका 1

स्टेट बैंक स्वर्ण ऋण	स्वर्ण ऋण	लिक्विड स्वर्ण ऋण	बुलेट रिपेमेंट स्वर्ण ऋण
ऋण के प्रकार	अवधि	अधिविकर्ष	अवधि
वापसी भुगतान पद्धति	ऋण की राशि और ऋण लेने की तारीख से लेकर जब ऋण चुकाया जा रहा है उस महीने तक का ब्याज चुकाया जाता है।	मासिक तौर पर ब्याज का भुगतान किया जाता है	ऋण का समय ख़त्म होने तक भुगतान किया जाता है।
ऋण अवधि (महीने में)	36 माह	36 माह	12 माह
मार्जिन	25%	25%	35%

****

Judicial Independence and Public Perception under Article 21 of the Indian Constitution

Deepti Ukas* Dr. Neelesh Sharma**

*Research Scholar (Law) Rabindranath Tagore University, Bhopal (M.P.) INDIA
** Professor (Law) Rabindranath Tagore University, Bhopal (M.P.) INDIA

Abstract - This study investigates the nuanced perspectives of legal professionals and the wider public regarding the Indian judiciary's role in safeguarding rights under Article 21 of the Indian Constitution. A comprehensive survey was conducted with 384 participants, stratified by age, gender, occupation, education, and years of experience. The age distribution revealed that 25.8% were 20-30 years old, with a notable concentration in younger demographics. Gender analysis indicated a male majority at 56.3%. Occupation data showed that 26.8% were academics/professors, followed by legal researchers (25.8%) and law students (21.4%). Regarding educational qualifications, 31.3% held a Master's degree, while 25.8% had a Ph.D. Participants with 8-10 years of experience constituted 23.4%, the largest group. Key findings indicate gender-based differences in judicial effectiveness perceptions, with males showing polarized views (strong agreement at 59 for males vs. 34 for females). Age-based analysis revealed that younger respondents (20-30 years) are more inclined towards positive views on judicial independence. In terms of transparency, younger participants (under 30) exhibited strong opinions, either positive or negative, compared to the balanced views of older respondents (over 50 years). Responses on media influence indicated that males (42% disagree, 36% strongly disagree) were more skeptical compared to females. Legal professionals displayed varied opinions on judicial impartiality and the influence of political ideologies, with law students and legal researchers showing more positive perspectives. This study underscores the significance of demographic factors in shaping perceptions of judicial effectiveness and independence, highlighting the need for continuous evaluation of these influences to uphold judicial integrity.
Keywords: Judicial Independence, Article 21, Public Perception, Transparency in Judiciary.

Introduction - The independence of the judiciary in India, especially in the context of Article 21 of the Constitution, represents a crucial element in the country's legal and democratic framework. Article 21, guaranteeing the right to life and personal liberty, stands at the core of the fundamental rights protected by the Indian Constitution. The critical analysis of the judiciary's independence, with a special focus on Article 21, involves examining how the judiciary has interpreted and applied this right in various landmark cases and the extent to which it has maintained its independence. The seminal work by M. Aparna (2006) discusses landmark cases where the Supreme Court evolved as a savior of mankind, employing Article 21 to protect lives through its judicial activism.

The independence of the judiciary was put to the test during the Emergency period in India (1975-1977), most notably in the ADM Jabalpur v. Shivakant Shukla case. This case is critically analysed by Pranav Verma (2014), who revisits Justice H.R. Khanna's dissenting opinion as a cornerstone for the judiciary's independence and its role in protecting Article 21 rights even during times of political turmoil. Vaidya and Raghuvanshi (2010) delve into the constitutional mechanisms and historical context that safeguard judicial independence in India. Their analysis underscores the judiciary's critical role in enforcing Article 21 rights and maintaining a balance of power, emphasizing the importance of judicial independence as a non-negotiable pillar of democracy. Despite its strong constitutional foundations, the independence of the Indian judiciary faces numerous challenges, including political pressure, the appointment process of judges, and the temptation of judicial overreach. Abeyratne (2014) presents a critical view of how the Supreme Court's broad interpretation of Article 21 to include socioeconomic rights, while aiming to protect the marginalized, also raises questions about judicial independence and the practical enforceability of these rights.

Pranav Verma (2014) provides a literary and legal analysis of Justice H.R. Khanna's dissent, emphasizing the significance of judicial opinions in preserving fundamental rights and judicial independence.

Vaidya and Raghuvanshi (2010) discuss the constitutional and legal foundations that ensure the judiciary's independence in India. Their analysis

underscores the importance of an independent judiciary in a democratic society, highlighting its role in maintaining the balance of power and protecting human rights. Sameer Boray (2011) examines the judiciary's response to the rights of individuals living with HIV/AIDS, showcasing the protection offered under Article 21. The progress and the challenges in extending rights protections to marginalized groups, reflecting on the judiciary's role as a protector of the disadvantaged (Boray, 2011). The Indian Supreme Court's interpretation of socioeconomic rights within the framework of Article 21. The implications of judicial activism in making Directive Principles justiciable and the challenges it poses to the legitimacy of the Constitution, calling for clear and transparent judicial reasoning to maintain public trust and constitutional legitimacy.

The introduction of PIL has been a significant development in the Indian judicial system, allowing the court to address the rights of the disadvantaged and marginalized sections of society directly. However, it also raises questions about the balance between judicial activism and overreach. The judiciary's role in using PIL to enforce environmental laws and human rights showcases its commitment to using its independence for the broader public interest. The doctrine of the basic structure, established in the Kesavananda Bharati case, has been pivotal in preserving the core values of the Constitution, including judicial independence.

The primary objective of this study is to assess the effectiveness of the judiciary in upholding Article 21 rights in India and its independence in decision-making processes. This involves a thorough examination of how well the judiciary performs its role in safeguarding the fundamental rights guaranteed by Article 21 of the Indian Constitution, while remaining free from external influences and pressures. A secondary objective is to evaluate the perception of both legal professionals and citizens regarding the independence of the Indian judiciary in the context of protecting fundamental rights under Article 21. This objective aims to capture and analyze the views of those within the legal field as well as the general public, providing a comprehensive understanding of the judiciary's perceived autonomy and reliability in upholding constitutional rights.

Background of study

The effectiveness of the judiciary in upholding Article 21 rights in India and its independence in decision-making has continued to be a critical area of focus in recent years. Challenges such as delayed justice and the erosion of public confidence in the judiciary necessitate judicial accountability for a transparent democracy (Kumar & Tiwari, 2019). An examination of Indian judicial activism in environmental protection discusses the judiciary's role in extending the scope of judicial review to protect the environment. Through public interest litigation (PIL), the judiciary has enabled individuals to approach courts for environmental justice, showcasing a balance between progress and environmental sustainability. This activism reflects the judiciary's commitment to expanding the interpretation of Article 21 to include the right to a clean environment (Prashad, 2018). The alternative forums like Lok Adalats and incorporation of judicial governance to improve the administration of courts and ensure timely justice. Such measures are essential for upholding the principle of justice delayed is justice denied and ensuring the effectiveness of Article 21 rights (Singh & Thakur, 2019).

The Supreme Court's judgements that have expanded its mandate due to the shortcomings of India's representative institutions, emphasizing the judiciary's role in balancing governmental powers and safeguarding constitutionalism (Shriparkash, 2023). The National Education Policy (NEP) 2020 to the constitutional mandate of education, drawing connections between ancient Indian educational traditions and modern policies. It critically analyzes NEP 2020 within the framework of Article 21A, discussing its potential to transform India's educational landscape in line with the goal of an Atmanirbhar Bharat or self-reliant India (Dhage et al., 2023). The Supreme Court has interpreted the right to know as an inherent part of Article 19(1)(a), indirectly linked to Article 21. It traces the ideational movement within the judiciary regarding openness and transparency, showing how judicial verdicts have evolved to address the flow of information in a democracy and its impact on openness in government affairs (Jha, 2021). The judicial system's use of scientific methods like polygraph and narcoanalysis tests to expedite the investigative process while respecting the fundamental rights under Article 21. It discusses the legal framework and judicial perspectives on the admissibility and ethical considerations of these forensic tests in context of ensuring justice and safeguarding personal liberty (Malini & Chandrakanth B, 2020).

The Supreme Court of India's innovative exercise of judicial power is highlighted as a successful mechanism for protecting and promoting human rights, showcasing the judiciary's proactive stance in ensuring justice for the weak and vulnerable (Aithal, 2023). An overview of the right to privacy as a fundamental human right, emphasizing the judiciary's role under judicial review and activism in protecting this right against state surveillance. It reflects on landmark judgments that have fortified the right to privacy under Article 21, shows the judiciary's critical role in defining and defending privacy rights in India (Khan, 2022). An examination of the Indian judiciary's environmental activism showcases how the courts have used Article 21 to protect the environment, demonstrating a significant shift towards recognizing environmental rights as fundamental. This activism is facilitated by the relaxation of locus standi rules and the recognition of the right to a clean environment as part of the right to life (Singh, 2014).

The right to die, as a corollary of the right to life, has been debated in terms of voluntary euthanasia, reflecting

on the balance between life's sanctity and personal liberty to choose death under certain conditions (Rahman & Saikia, 2022). As medical data becomes increasingly digitized, ensuring confidentiality, privacy, and data security becomes paramount. (Singh & Dhiman, 2021). The Supreme Court's decisions in this area demonstrate an approach that combines both direct and indirect application of Article 24, striving towards a more inclusive interpretation of the right against exploitation (Pande, 2020). Courts have used a harmonious construction approach to distinguish between protected speech that furthers public interest and unprotected purely commercial speech. This interpretation ensures that commercial speech regulations can be construed in favor of protecting public health, demonstrating the judiciary's adaptability in balancing rights for societal wellbeing (Subramanian, Gokani, & Aneja, 2022).

With the increasing digitalization of society, concerns around privacy, especially in cyberspace, have gained prominence. Studies examining the constitutional protections for privacy under Article 21 indicate an evolving judicial understanding of privacy rights in the context of modern technologies and the challenges posed by state surveillance and data security (Raghav & Marwaha, 2023).

An evaluative study in the Murshidabad district of West Bengal assessed the implementation of the Right to Education Act, 2009, highlighting the gaps between policy objectives and on ground realities. The importance of addressing these challenges to fulfil the constitutional mandate of providing free and compulsory education to all children (Ali, 2021). The constitutional provisions related to school education in India highlights the integration of Article 21A, emphasizing the state's obligation to provide free and compulsory education to all children in the age group of six to fourteen years. This represents a significant step in recognizing education as a fundamental right and underscores the judiciary's role in safeguarding children's rights to education (P., 2023)

Methodology: This section interprets the significant Pearson Correlation coefficients and analyzes the reliability of the survey data concerning the Indian judiciary's role in upholding Article 21 rights.

Pearson Correlation Analysis:: The survey data was analyzed using Pearson Correlation to explore the relationships between respondents' demographics and their perceptions of the judiciary's effectiveness. Significant results include:

Balancing Individual Rights and Societal Needs (Education: r = .113, p = .026): A weak but statistically significant positive correlation suggests that individuals with higher education levels may slightly perceive the judiciary as more effective in balancing individual rights with societal needs.

Confidence in Judiciary's Independence (Education: r = .119, p = .020): A weak positive correlation indicates that higher educational attainment is associated with slightly greater confidence in the judiciary's ability to protect Article 21 rights, independent of government influence.

Need for Transparency (Education: r = .101, p = .048): This weak positive correlation suggests that more educated individuals perceive a slightly greater need for transparency in the judiciary's handling of Article 21 cases.

Impact of Political Factors on Judicial Independence (Gender: r = .131, p = .010): A weak but significant correlation with gender suggests a slight difference in perceptions of political influence on judicial independence based on gender.

Judicial Independence in Safeguarding Article 21 (Education: r = .118, p = .021): Higher education levels are slightly associated with more favorable perceptions of the judiciary's independence in safeguarding Article 21 rights.

Impartiality Amid Social and Political Conflicts (Education: r = .106, p = .037): Individuals with higher education may slightly perceive the judiciary as more impartial in Article 21 cases amid social and political conflicts.

Judiciary's Communication Effectiveness (Age: r = .038, p = .039): A very weak but statistically significant positive correlation suggests that older individuals may perceive the judiciary as more effective in communicating its decisions and reasoning to the public.

Media Influence on Judicial Decisions (Age: r = .039, p = .035): Similarly, a weak positive correlation indicates that older respondents might perceive a greater influence of media on judicial decisions related to Article 21.

Reliability Analysis (Cronbach's Alpha): The survey's internal consistency was assessed using Cronbach's Alpha:

- **Judicial Effectiveness and Independence:** Two sets, both showing acceptable reliability (α= 0.721 and α= 0.669).
- **Impact of Jurisprudential Developments:** Acceptable reliability with α = 0.712.
- **External Influences on Judiciary**: Also acceptable, with α = 0.690.
- **Overall Reliability:** The entire survey demonstrated good reliability with α = 0.772, indicating that the survey items **collectively measure** the intended concepts consistently.

Model Summary: The regression analysis revealed a moderate positive relationship between the independent variables (e.g., public opinion, judicial development) and the dependent variable (Article 21), with an R value of 0.369. The model explains 14.2% of the variance in Article 21, indicating the combined influence of these predictors is statistically significant ($F = 6.175, p < 0.001$). Key predictors like judgment, judicial development, and transparency significantly impact perceptions of the judiciary's role in upholding Article 21. This methodology provides a comprehensive understanding of the correlations and reliability within the survey, highlighting the factors influencing perceptions of the judiciary's effectiveness and

independence in upholding Article 21 rights.

Result and Discussion

Survey on the Indian Judiciary's Role in Safeguarding Rights Under Article 21: This survey seeks to delve into the nuanced perspectives of legal professionals and the wider public regarding the Indian judiciary's role in safeguarding the rights guaranteed by Article 21 of the Indian Constitution. It aims to explore the judiciary's effectiveness, independence, and resilience against external pressures and influences, ranging from political dynamics to public opinion.

Age Distribution of Participants: The data presents the distribution of participants across different age groups (see Table 1 and Figure 1). The data shows a diverse age distribution, with the 20-30 years group being the largest at 25.8%, followed by 31-40 years at 20.3%. The total sample size of 384 participants highlights a significant representation of younger demographics.

Table 1: Age Distribution of Participants

Parameter	Freq-uency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Under 20 Year	67	17.4	17.4	17.4
20-30 Year	99	25.8	25.8	43.2
31-40 Year	78	20.3	20.3	63.5
31-40 Year	78	20.3	20.3	83.9
Over 50 Year	62	16.1	16.1	100.0
Total	384	100.0	100.0	

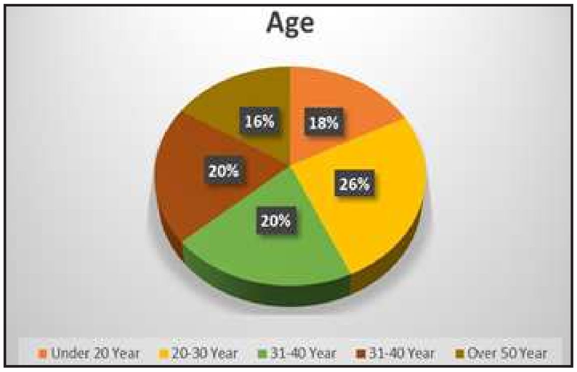

Figure 1: Age Distribution of Participants Gender Distribution of Participants

The data reveals a somewhat balanced gender distribution, with males comprising 56.3% and females 43.8% of the 384 participants, indicating a slightly male-dominant sample (see Table 2 and Figure 2).

Table 2: Gender Distribution of Participants

Parameter	Freq-uency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Male	216	56.3	56.3	56.3
Female	168	43.8	43.8	100.0
Total	384	100.0	100.0	

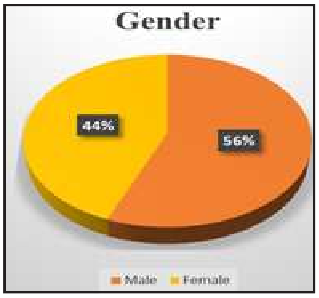

Figure 2: Gender Distribution of Participants Occupation Distribution of Participants

The data shows a diverse professional representation, with academics and professors in law comprising 26.8%, legal researchers 25.8%, and law students 21.4% of the 384 participants, while practicing lawyers and other roles each account for 13.0%. This highlights a strong presence of academics, researchers, and students (see Table 3 and Figure 3).

Table 3: Occupation Distribution of Participants

Parameter	Freq-uency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Law Student	82	21.4	21.4	21.4
Academic/Prof-essor in Law	103	26.8	26.8	48.2
Legal Researcher	99	25.8	25.8	74.0
Practicing Lawyer	50	13.0	13.0	87.0
Other	50	13.0	13.0	100.0
Total	384	100.0	100.0	

Figure 3: Occupation Distribution of Participants Education Distribution of Participants

The data outlines the educational qualifications of participants (see Table 4 and Figure 4). A highly educated cohort, with 31.3% holding a Master's degree, 29.7% a Bachelor's degree, and 25.8% a Ph.D., among 384 participants. High school graduates make up 8.6%, and other qualifications represent 4.7%, indicating a strong presence of advanced degrees in the sample.

Table 4: Education Distribution of Participants

Parameter	Freq-uency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
High School	33	8.6	8.6	8.6
Bachelor's Degree	114	29.7	29.7	38.3
Master's Degree Ph.D.	120	31.3	31.3	69.5
Or equivalent	99	25.8	25.8	95.3
Other	18	4.7	4.7	100.0
Total	384	100.0	100.0	

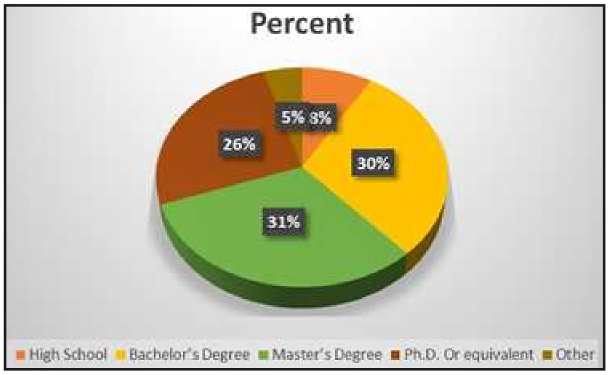

Figure 4: Education Distribution of Participants

Years of Experience Distribution of Participants: The data displays the distribution of participants based on their years of experience (see Table 5 and Figure 5). Data indicates a diverse range of experience levels among 384 participants, with the largest group having 8-10 years of experience (23.4%), followed by 1-3 years (22.1%). Both the 4-7 years and more than 10 years groups represent 18.5% each, while 17.4% have less than 1 year.

Table 5: Years of Experience Distribution of Participants

Parameter	Freq-uency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Less than 1 Year	67	17.4	17.4	17.4
1-3 Year	85	22.1	22.1	39.6
4-7 Years	71	18.5	18.5	58.1
8-10 Year	90	23.4	23.4	81.5
More than 10 Year	71	18.5	18.5	100.0
Total	384	100.0	100.0	

Figure 5: Years of Experience Distribution of

Participants Effectiveness of the Judiciary in Upholding Article 21 Rights

The survey results indicate notable gender differences in responses (see Table 6 and Figure 6). Males showing a stronger polarization in opinions 59 strongly agree and 41 disagree compared to females, who had 34 strongly agree and 26 disagree. Neutral responses were slightly higher among males (39) than females (28). Females exhibited a more balanced distribution across agree (45) and neutral (28), suggesting that males tend to hold stronger opinions, while females maintain a more moderate stance.

Table 6: Effectiveness of the Judiciary in Upholding Article 21 Rights

Parameter	Strongly Dis-agree	Dis-agree	Neutral	Agree	Strongly Agree	Total
Male	33	41	39	44	59	216
Female	35	26	28	45	34	168
Total	68	67	67	89	93	384

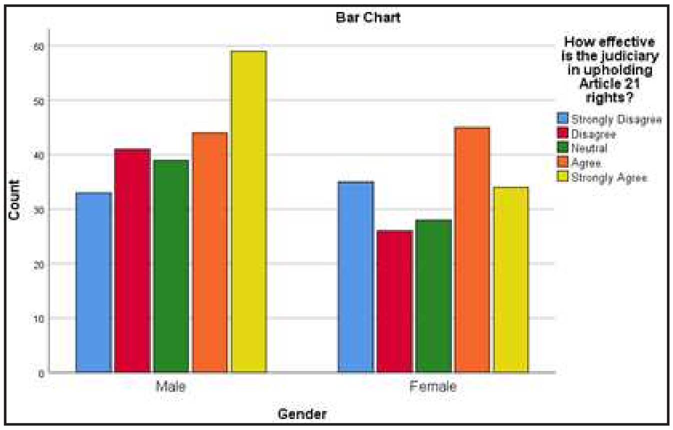

Figure 6: Effectiveness of the Judiciary in Upholding Article 21 Rights Influence of Political Factors on Judicial Independence

The data reveals notable differences in responses across various age groups (see Table 7 and Figure 7). Younger respondents (under 30) tend to hold more positive views, while older respondents (over 50) maintain a balanced perspective, with the 20-30 age group showing the highest agreement.

Table 7: Influence of Political Factors on Judicial Independence

Parameter	Strongly Dis-agree	Dis-agree	Neutral	Agree	Strongly Agree	Total
Under 20 Year	7	12	15	19	14	67
20-30 Year	14	18	15	27	25	99
31-40 Year	10	15	13	18	22	78
31-40 Year	11	18	12	21	16	78
Over50Year	11	12	9	16	14	62
Total	53	75	64	101	91	384

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

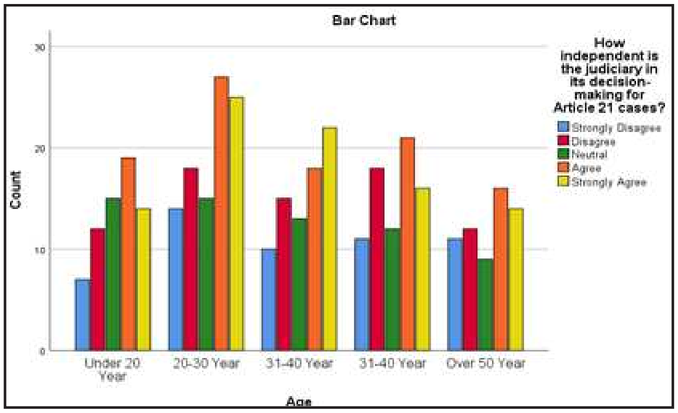

Figure 7: Influence of Political Factors on Judicial Independence

Impact of External Influences on Judicial Decision-Making Related to Article 21

The survey results reveal distinct patterns in male and female responses (see Table 8 and Figure 8). Males are more likely to strongly agree, while females exhibit a more balanced range of responses, with males generally holding stronger positive opinions.

Table 8: Impact of External Influences on Judicial Decision-Making Related to Article 21

Parameter	Strongly Dis-agree	Dis-agree	Neutral	Agree	Strongly Agree	Total
Male	35	32	40	56	53	216
Female	26	29	33	37	43	168
Total	61	61	73	93	96	384

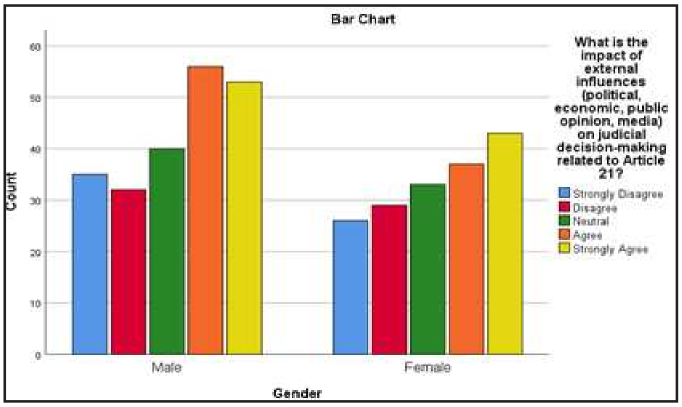

Figure 8: Impact of External Influences on Judicial Decision-Making Related to Article 21

Extent of Political Factors Affecting Judicial Independence

The data reveals distinct differences in responses across various age groups (see Table 9 and Figure 9). Younger respondents (20-30 years) show a predominantly positive outlook, while older respondents (over 50 years) maintain a balanced and moderate perspective, with neutral and agreement being common.

Table 9: Extent of Political Factors Affecting Judicial Independence

Parameter	Strongly Dis-agree	Dis-agree	Neutral	Agree	Strongly Agree	Total
Under 20 Year	12	13	17	14	11	67
20-30 Year	16	15	15	27	26	99
31-40 Year	13	12	18	25	10	78
31-40 Year	12	16	19	17	14	78
Over50Year	10	9	17	13	13	62
Total	63	65	86	96	74	384

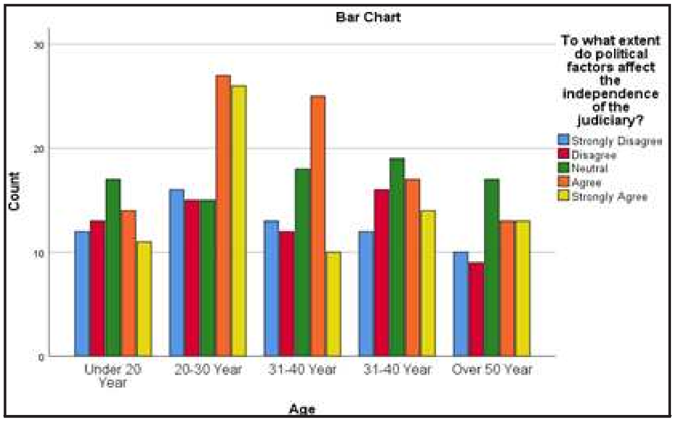

Figure 9: Extent of Political Factors Affecting Judicial Independence

Influence of Public Opinion on Judicial Decisions on Article 21 Cases

The data reveals distinct differences in responses across various professional groups within the legal field (see Table 10 and Figure 10). Law students and academics lean towards positive views, legal researchers show diverse opinions, practicing lawyers maintain a moderate stance, and other respondents exhibit balanced perspectives.

Table 10: Influence of Public Opinion on Judicial Decisions on Article 21 Cases

Parameter	Strongly Dis-agree	Dis-agree	Neutral	Agree	Strongly Agree	Total
Law Student	13	19	17	23	10	82
Academic/ Professor in Law	10	20	26	27	20	103
Legal Researcher	15	22	21	22	19	99
Practicing Lawyer	7	13	8	11	11	50
Other	8	7	9	13	13	50
Total	53	81	81	96	73	384

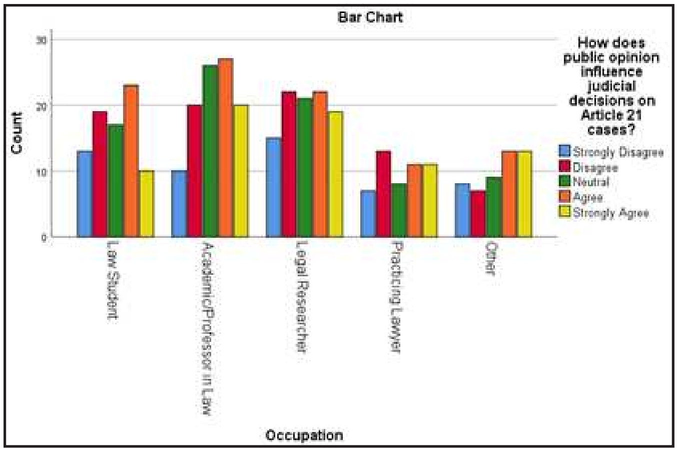

Figure 10: Influence of Public Opinion on Judicial Decisions on Article 21 Cases

Conclusion: The survey provides a detailed analysis of the perceptions held by legal professionals and the general public regarding the Indian judiciary's role in upholding Article 21 of the Indian Constitution. Drawing from a sample of 384 participants, the demographic variations in views on judicial effectiveness, independence, transparency, and susceptibility to external influences. The age distribution highlights a predominantly young demographic, with the 20-30 years age group constituting 25.8% of respondents, while individuals under 20 years and over 50 years comprise 17.4% and 16.1%, respectively. Gender analysis shows a slightly male-dominated sample, with males constituting 56.3% and females 43.8%. Academics and professors in law represent the largest occupational group (26.8%), followed by legal researchers (25.8%) and law students (21.4%). Regarding educational qualifications, 31.3% hold a Master's degree, 25.8% possess a Ph.D., and 29.7% have a Bachelor's degree.

Key findings indicate significant gender-based differences, with 59 males strongly agreeing on judicial effectiveness compared to 34 females. Younger respondents (20-30 years) generally have a more positive outlook on judicial independence compared to older groups. Transparency perceptions also vary, with younger participants expressing stronger opinions, while older respondents maintain more balanced perspectives. Media influence is perceived with greater skepticism among males, with 42% disagreeing and 36% strongly disagreeing. Professional opinions diverge, with law students and researchers displaying more positive views on judicial impartiality, contrasting with the more moderate perspectives of practicing lawyers. These results underscore the influence of demographic factors on perceptions of the judiciary, highlighting the necessity for continuous evaluation and reform to bolster judicial integrity and public trust in India.

Future Scope: Expanded Demographic Analysis: Future research can include more diverse demographic groups to better understand varying perspectives.

Longitudinal Studies: Conducting longitudinal studies to track changes in opinions over time. Comparative Studies: Comparing the Indian judiciary's effectiveness with other countries.

Impact of Reforms: Evaluating the impact of recent judicial reforms on public perception and trust.

References:-

1. Aparna, M. (2006). Article 21 of Indian Constitution Mandate for Life Saving. *Available at SSRN 906704*.
2. Verma, P. (2014). Judicial Opinions as Literature ADM Jabalpur v. Shivakant Shukla.
3. Vaidya, N., & Raghuvanshi, R. (2010). Independence of Judiciary An Indian Experience.
4. Abeyratne, R. (2014). Socioeconomic Rights in the Indian Constitution: Toward A Broader Conception of Legitimacy. Brooklyn journal of international law, 39, 1. .
5. Boray, S. (2011). Rights of Persons Living with HIV/ AIDS and Article 21 of the Indian Constitution.
6. kumar, R., & Tiwari, D. (2019). A Study of Judicial Responses relating to Human Rights in India. Legal Research Development: An International Refereed ejournal. .
7. Prashad, G. (2018). Indian Judicial Activism on the 'Right to Environment': Adjudication & Locus Standi.
8. Singh, T., & Thakur, A. (2019). Administration of Justice: Judicial Delays in India. Indian Journal of Public Administration, 65, 885 896. .
9. S. Shriparkash (2023). Role of Judiciary to Sustain Constitutionalism. Integrated Journal for Research in Arts and Humanities. .
10. Dhage, p. R., rizvi, n., kalnawat, a., & sharma, p. (2023). Tracing the roots of national education policy 2020 and the indian constitutional dimensions pertaining to it. Russian Law Journal, 11(1S).
11. Jha, H. (2021). Constitutional Interpretation by the Judiciary. , 109151. .
12. Malini, S., & Chandrakanth B, K. (2020). Legal status of forensic psychological tests in India. , 8.
13. Kumar, S. S., & Antony, B. Relevance of Article 21Right to Life at Epidemic Like Covid 19. IJFMR International Journal For Multidisciplinary Research, 5(3).
14. Aithal, D. (2023). Judicial Activism — the Enforcement of Human Rights in India. International Journal of Law and Social Sciences. .
15. Khan, M. (2022). Securing the right to privacy against the state surveillance. Dogo rangsang Research Journal. .
16. Singh, A. (2014). Judicial activism on environment in India. Available at SSRN 2383144.
17. Rahman, S., & Saikia, P. (2022). Legality of euthanasia concerning right to life. International journal of health sciences. .
18. Singh, V., & Dhiman, S. (2021). Shielding the Confidentiality, Privacy, and Data Security of biomedical

Information in India. Research Anthology on Privatizing and Securing Data. .

19. Pande, N. (2020). Right Against Exploitation under Article 24 of the Indian Constitution. , 9, 3757. .
20. Subramanian, S., Gokani, N., & Aneja, K. (2022). Right to Commercial Speech in India: Construing Constitutional Provisions Harmoniously in Favor of Public Health. Journal of Law, Medicine & Ethics, 50, 284 290.
21. Raghav, M., & Marwaha, S. (2023). Indian Legal Framework on the Right to Privacy in Cyber space Issues and Challenges. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum.
22. Ali, S. (2021). Present scenario of implemenentation of rte act, 2009 in schools and madrasahs: an evevaluative study in murshidabad district, west bengal. 9, 7482. .
23. Indian Constitutional Provisions on School Education P.LAXMAN IJFMR Volume 5, Issue 4, July- August 2023. DOI 10.36948/ijfmr. 2023.v05i04.5356

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

धर्म नैतिकता और गांधी दर्शन

डॉ. नितीश ओबेराइन*

* सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) श्री राजीव गांधी शासकीय महाविद्यालय, बण्डा, जिला-सागर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - गांधीजी के सिद्धांतों, विचारों और मंतव्यो का समूहीकरण गांधी दर्शन कहलाता है। सरल शब्दों में गांधी के वे सिद्धांत जिन्हे हम प्रतिदिन अपने जीवन में महसूस करते है जैसे सत्य, धर्म, शांति, अहिंसा, प्रेम, संयम, विश्वास, भलाई, कृपा नम्रता, सत्याग्रह, सविनय, ब्रह्चर्य, अस्तेय, धीरज, मेल एवं रोटी के लिए श्रम।

गांधी के ये विचार मानव के जीवन को नई दिशा देने में सक्षम है। मानव जाति इन सरल शब्दों में छिपे हुए गूढ़ अर्थ को समझती है अथवा हनी? गांधीजी ने विश्व के विभिन्न प्रमुख धर्मों का सूक्ष्म अध्ययन किया। वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि सूर्व साधारण में धर्म की जो अवधारणा प्रचलित है वह नितांत भ्रामक है इसलिए उन्होने अपने प्रयोगों और निष्कर्षो के आधार पर धर्म की पुन: व्याख्या प्रस्तुत की। उन्होने धर्म को जीवन का आधारभूत तत्व बताया। उन्होंने कहा-'धर्म से मेरा अभिप्राय औपचारिक या रूढ़िगत धर्म से नही परन्तु उस धर्म से है जो सब धर्मो की बुनियाद है और जो हमें अपने सृजनहार का साक्षात्कार कराता है.....।'

'मनुष्य धर्म मूलत: मानवतावादी है। उसका लक्ष्य मानव सेवा है। गांधी जी का धर्म सह-अस्तिव का धर्म है, सहिष्णुता का धर्म है।'

भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पर विभिन्न धर्मो के लोग निवास करते है। भारत का संविधान प्रत्येक भारतीय नागरिक उसकी इच्छानुसार धर्म को मानने या ना मानने का अधिकार प्रदान करता है। गांधीजी को राष्ट्रपिता का दर्जा प्राप्त है लेकिन उनके सिद्धांतों को इसी राष्ट्र ने अपनी तरह से परिभाषित कर लिया है उन्होंने चाहा कि धर्म में राजनीति इसलिए होने चाहिए कि वह साफ, शुद्ध और पवित्र रहे और हमारे राजनैतिक दलों ने धर्म के आधार पर मतों का ध्रुवीकरण कर दिया है अर्थात् गांधी के इस सिद्धांत की परिभाषा ही परिवर्तित हो गयी कि राजनीति धर्म सम्मत होनी चाहिए।

गांधीजी के अनुसार, राजनीति मानव के जीवन का प्रमुख भाग है। हालाँकि उनका मानना है कि राज्य की शक्ति में वृद्धि होने से व्यक्ति की शक्ति कम हो जाती है, लेकिन वे राजनीति को एक ऐसे साधन रूप में देखते हैं, जो लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करती है। उन्होने स्पष्ट किया, 'सामाजिक सुधार का मेरा कार्य किसी भी तरह से राजनीति से कम नहीं है।'

वास्वविकता में जब मैंने देखा की मेरा सामाजिक कार्य कुछ सीमा तक राजनीतिक कार्य के बिना होना सम्भव नही है तो मैंने राजनीति को अपनाया और यह केवल उस सीमा तक सामाजिक कार्य में सहायक होता है। राजनीति मनुष्य के सभी कार्यो को प्रभावित करती है। अत: राजनीतिक कार्य जीवन तथा व्यवसाय के विभिन्न अंगों से अन्यन्त निकट होते हैं। गांधीजी राजनीति में जिन बातों से घृणा करते थे, वह थीं सत्ता का संकेन्द्रण और राजनीतिक सत्ता के लिए हिंसा का प्रयोग।

गांधीजी का कहना था कि धर्म को राजनीति से पृथक नही किया जा सकता है। उनका कहना था कि आत्मानुभूति के रूप में जीवन का निश्चित आधारभूत उद्देश्य राजनीति, अदि धार्मिक कार्यो को करने में समर्थ नही बनाता है, तो वह सार्थक नही है। उनका मानना था, 'मरे लिए धर्म की राजनीति टोपी पूर्णत: गन्दगी है, इसे दूर फेंक देना चाहिए।'

उनका मानना था कि राजनीति को ऐसे माध्यम के रूप में लिया जाए, जिसके माध्यम से मनुष्य नीतिपरक और नैतिक नियमों के मूर्तरूप राजनीतिक में हिंसा और धर्म के बिना भी अपने आप पर नियन्त्रण कर सके। उन्होने राजनीति में उस रूप में भाग लेने पर बल दिया, जिसका स्वरूप धार्मिक हो।

उनका कहना था 'मेरे लिए धर्म के बिना राजनीति नही है, अन्धविश्वासों और बन्धनों का धर्म नही, वह धर्म नही, जो घृणा और संघर्ष पैदा करता है' वरन् गांधीजी के अनुसार, राजनीति से तात्पर्य जहाँ लोग अन्य लोगों की सेवा करने के प्रयोजन से सार्वजनिक कार्यो में भाग लेते हैं। उनके लिए सभी राजनीतिक कार्यो का सम्बन्ध स्वत: ही प्रत्येक के कल्याण से था।

गांधीजी मूलत: धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और जिस प्रकार उन्होने अपने जीवन में धर्म का निर्वाह किया उस आधार पर उन्हें भारतीय परम्परा का एक महान सन्त कहा जा सकता है। एक धार्मिक नेता होते हुए भी गांधीजी धार्मिक रूढ़िवादिता और धर्मान्धता के समर्थक नही थे तथा धर्म के संबंध में उनका दृष्टिकोण लौकिक तथा मानवतावादी था। वे प्राणीमात्र की सेवा को ही वास्तविक आध्यात्मिक जीवन का मूल तत्व मानते थे और उनका कथन था कि 'मानव क्रियाओं से पृथक कोई धर्म नही।' इसी प्रकार वे राजनीति शब्द में 'नीति' अर्थात् धर्म और मानवता को प्राथमिकता देते थे, 'राज' अर्थात् सत्ता को नहीं। धर्म के संबंध में अपने इस लौकिक दृष्टिकोण के कारण ही गांधीजी ने राजनीति में प्रवेश इसलिए किया, क्योकि राजनीति धर्मविहीन होती जा रही थी और उसमें धर्म की पुर्नस्थापना करना वे अपना कर्तव्य समझते थे। उन्ही के शब्दों में 'यदि मै राजनीति में भाग लेता हूँ तो केवल इसलिए कि राजनीति हमें एक सांप की भांति चारों ओर से घेरे हुए है। मैं इस सांप से लड़ना चाहता हूँ। उनके अनुसार राष्ट्र को चाहिए कि वे सत्य, अहिंसा, प्रेम सेवा आदि का पूर्ण पालन करें साथ ही नैतिकता शुद्ध आचार-

विचार के द्वारा धर्म का परिपालन किया जाना आवश्यक है।'

इतिहास साक्षी है भारत की स्वतंत्रता के उपरांत हिन्दु-मुस्लिम दंगे, सिक्ख दंगे, राम जन्मभूमि, बावरी मस्जिद विवाद, गुजरात दंगे, सहारनपुर दंगे, मुजफ्फरनगर दंगे एवं वर्तमान में दादरी कांड, क्या हमारे धर्म निरपेक्ष होने पर सवालिया निशान नही लगाते? ऐसी सैकड़ो घटनाएँ इस राष्ट्र को कलंकित नही करती? क्या बुद्धिजीवी राष्ट्र ऐसी घटनाओं को होने से नही रोक सकता?

वास्तव में इन सभी प्रश्नों के जवाब गांधी के दर्शन में छिपे हुए हैं हमें आज भी आवश्यकता है गांधीजी के उन्ही सिद्धांतो को मानने की आरै उसी नजरिये से अपने आप को ढ़ालने की।

मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस दिन भारत में सत्य, प्रेम, धर्म, नैतिकता और अन्य गांधी सिद्धांतो परे लोगों ने जीना प्रारंभ कर दिया निसंदेह हम उसी दिन विश्व गुरू बन जाएंगे और धर्म निरपेक्ष गांधी दर्शन सफल होगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. सत्य के मेरे प्रयोग, आत्मकथा, मो.क. गांधी जवजीवन प्रकाशन अहमदाबाद 2014, पृष्ठ 61
2. वही, पृष्ठ 110
3. वही, पृष्ठ 122
4. गुप्ता, अंजना गांधी और हम, कमल प्रभा प्रकाशन, भोपाल 2003
5. फड़िया बी.एल. भारतीय शासन एवं राजनीति, साहित्य भवन प्रकाशन आगरा 2008

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

Self Efficacy And Attitude Of B. Ed Students Towards Online Learning

Dr. Samina* Dr. Manorama Mathur Ms. Khushboo Mathur*****

*Dean, Faculty of Education, Maulana Azad University, Jodhpur (Raj.) INDIA
** Professor, Miranda College of Education, Bengaluru (Karnataka) INDIA
*** Assistant Professor, Karnataka College of Management and Science, Bengaluru (Karnataka) INDIA

Abstract - The present study was conducted to assess the Self-Efficacy and Attitude of B.Ed students towards Online Learning .The current research was followed by a descriptive survey method. For the study 100 studentsof B.Ed. from I to IV Semester ofMiranda College Of Education were assessed. Aself-made attitude scale with 25 items having five points scale (Strongly agree, Agree, neutral, Disagree,Strongly disagree,) was used and for study ofSelf Efficacy -Self-Efficacy Scale - By Dr. G. P. Mathur and Raj Kumari Bhatnagar wasused to collect the data. The percentage of respondents against all items was calculated to assess the attitude of whole sample towards online learning. Mean, SD, and t-test was used to compare the Self Efficacy and attitude towards Online learning in reference to medium of Instruction and gender. The result obtained by the analysis of data stated that there was a significant difference in the Self Efficacy and attitude of boys and girls towards online learning. The result showed higher self-efficacy of English medium students in comparison to Kannada medium students. The boys have a more positive attitude towards online learning in comparison to girls. The analysis of data collected for Self-Efficacy stated that boys had less Self Efficacy than girls in English medium students, but it was reverse in Kannada medium.

Introduction - In the ever-evolving landscape of education, the battle between Online learning and traditional learning approaches continues to rage on. These two educational paradigms represent distinct methodologies, each with its own set of advantages and disadvantages. As the digital age progresses, the conversation about which is superior intensifies, leaving educators and learners pondering which path to choose.

Online learning may involve online exams, quizzes, and other forms of assessment that can be completed remotely. Understanding the Question & Answer pattern, and with suggestions provided by experienced teachers, students can find it more helpful to learn than when using generalized online notes and suggestions available on the internet. Thus, online learning may be more suitable for grownups who are continuing their education while they're working in their regular jobs. When facing a challenge, one feels likehow can rise up and accomplish the goals. or have doubt on own abilities. To rise up and overcome the difficulties that life throws on the way one have to tend to keep going in the face of obstacles, a high degree of self-efficacy is required .

Self-efficacy is a person's belief in their ability to complete a task or achieve a goal. It encompasses a person's confidence in themselves to control their behavior, exert an influence over their environment, and stay motivated in the pursuit of their goal. According to Bandura, self-efficacy is part of the self-system comprised of a person's attitudes, abilities, and cognitive skills. Such beliefs play a role in determining how people think, behave, and feel in wide area of behavior, proposing how individuals can conclude their skills to comparable situations in the future .

Need Of The Study- Researchers have explored the effectiveness and influence factors of online learning in higher education and found the methods and strategies to improve and bolster subject knowledge, but can also hone transferable skills, like communication, critical thinking, adaptability, and more in online environments. Therefore, it is crucial to develop online learning from the perspectives of cognitive, behavioral, and social aspects. On online, mode one will get a chance to participate in different discussion with classmates which will help in strengthen ability to make clear, strong, ways to express our true selves in a safe and supportive environment, build "the belief in own capabilities to organize and execute the courses of action required to manage prospective situations therefore Bandura and others have found that an individual's self-efficacy plays a major role in how goals, tasks, and challenges are approached.

Tojustify whethertheOnline interaction and social presence are critical elements for encouraging learners' thinking and learning and motivating them expressing, which developing their engagement in learning environments, above study was decided to conduct.

Statement Of The Problem: A Study On The Self Efficacy And Attitude Of B. Ed Students Towards Online Learning

Purpose Of The Study – The purpose of this investigation is to examine the self-Efficacy and Attitude of B.Ed students towards online learning in relation to few moderate variables such as sex, type of medium of Instruction.

Objectives Of The Study:

1. To study Self Efficacyand Attitude of B.Ed students towards Online learning.
2. To compare Self Efficacy and Attitude of B.Ed students towards Online learning

in regards to mode of Instruction.

3. To compare Self Efficacy of English medium and Kannada medium B.Ed.students

in regards to gender (Boys and Girls)

4. To compare Attitude towardsonline learning of English medium and Kannada medium B.Ed. students in regard to gender (Boys and Girls).
5. To compare Attitude of B.Ed students towards online learning in regards to total responses by both mode of Instruction.

Research Hypotheses: The following hypotheses guided the study:

1. There will be no significant difference in the Self Efficacy of B.Ed. students in regards to medium of Instruction.
2. here will be no significant difference inSelfEfficacy of English medium and Kannada medium B.Ed. students in regards togender.
3. There will be no significant difference in Attitude of B.Ed. students towards Online learning in regard to medium of Instruction.
4. There will be no significant difference in Attitude towards Online learning of Englishmedium and Kannada medium B.Ed. students in regard togender.
5. There will be no significant difference in Attitude towards Online learning of Englishmedium and Kannada medium B.Ed. students in regard to total responses by total sample.

Methodology: The current research was followed by descriptive survey method and quantitative approach as the substantial method of the study. In a quantitative method, the researcher collected, analyzed and interpreted varied kinds of numerical data obtained from the subjects. A sample of 100 B.Ed. students from I to IV semester of Miranda college of Education was considered. Data was collected through A self-made attitude scale with 25 items having five points scale (Strongly agree, Agree, neutral, Disagree,Strongly disagree,with 15 items positive &10 items negativewas used. For study of SelfEfficacy, Self-Efficacy Scale - By Dr. G. P. Mathur and Raj Kumari Bhatnagar was used. The collected data were analyzed byutilizing independent 't' in all .The level of significance was fixed at 0.05 and 0.01 confidence levels. The percentage ofresponses was calculated by data collected by respondents.

Data Analysis And Interpretation

Table-1 (Seen in last page)

Table-1 Representing the Mean valueobtained from English medium students and Kannada medium students on Self efficacy is 88 and 83.5 respectively. Computed value of standard deviation of both is 7.29 and 6.33 respectively. The Higher Values of mean suggest higher level of Self efficacy in the English medium students in Comparison to Kannada medium students.

The calculated value of t-ratio is 3.18 which is greater than the tabulated value of 0.05 level of significance (1.67) and 0.01 level of significance (2.39) ,therefore it seems to be a significant difference in both the groups.

The table-1 also representing the Mean obtained from English medium students and Kannada medium students onAttitude towards online learning is 106.5and 95 respectively. Computed value of standard deviation is 5.57 and 4.90 respectively. The Higher Values of mean suggest high level or positive attitude towards online learning in the English medium students in comparison to Kannada medium students.

The calculated t-ratio is 10.9 which is greater than the tabulated value at 0.05 level of significance (1.67) and at 0.01 level of significance (2.39) ,therefore it seems to be significant difference in both the groups.

Table-2 (Seen in last page)

Table 2 is showing that Mean score of boys is 80 and of girls is 96 in English medium calculated m students, indicating higher values of Self efficacy in girls in comparison to boys.

The calculated t-ratio was 7.04 which is greater than the tabulated value at 0.05 level of significance (2.06) and 0.01 level of significance (2.78), therefore suggested a significant difference in Self efficacy in regards to gender (boys and girls),in English medium students.

In Kannada, medium students'mean score of boys is 90 and of girls is 77, indicating higher values of Self efficacy in boys in comparison to girls. Thevalue of t-ratio was calculated as 6.70 which is greater than the tabulated value at 0.05 level of significance (2.06) and on 0.01 level of significance (2.78), therefore suggested asignificant difference in Self efficacy in regards to gender (boys and girls) in Kannada medium students.

Table-3 (Seen in last page)

Table 3 showsthat Mean score of boys is 114 and of girls is 99 in English medium students, indicating higher positiveattitude towards online learning in boys in comparison to girls.

The t-ratio was 9.49 which is greater than the tabulated value at 0.05 level of significance (2.06) and 0.01 level of significance (2.78) ,therefore suggested asignificant difference inattitude towards online learning in regards to gender (boys and girls),inEnglish medium students.

The Kannada medium students showsmean score of boys 100 and of girls is 90 indicating higher positive attitude towards online learning in boys in comparison to girls.

The t-ratio is calculated and value obtained is 5.46 which was greater than the tabulated value at 0.05 level of significance (2.06) and on 0.01 level of significance (2.78) ,therefore suggests asignificant difference in attitude towards online learning in regards to gender (boys and girls) in Kannada medium students.

Table-4 (Seen in last page)

Table 4 shows that 52.8% responses are collected against strongly agree in English medium students whereas 48.16% responses are collected against strongly agree in Kannada medium students.7.2% responses against agree,34.8% against strongly disagree, 4.8% against disagree from English medium students whereas 11.84% responses against agree, 30.56% against strongly disagree and 8.80% towards disagree from Kannada medium students.Less than 1% responses were against neutral.It concluded that English medium students showed higher level of attitude towards online learning in comparisons to Kannada medium students.

Findings:

1. The Higher Values of meanof English medium students suggested higher level of Self efficacy in the English medium students in Comparison to Kannada medium students.
2. The calculated t-ratio was 3.18 which is greater than the tabulated value of 0.05 level of significance showed significant difference in both the groups when Self efficacy was compared.
3. Mean score of boys was less than of girls in English medium students, indicating higher values of Self efficacy in girls in comparison to boys.
4. The t-ratio is calculated was 7.04 which is greater than the tabulated value of 0.05 level of significance, therefore suggests asignificant difference in Self efficacy in regard to gender (boys and girls), inEnglish medium students.
5. Mean score of boys was greater than girls in Kannada medium students, indicating higher values of Self efficacy in boys in comparison to girls.
6. The t-ratio calculated was 6.70 which is greater than the tabulated value at0.05 level of significance, therefore suggested asignificant difference in Self efficacy in regards to gender (boys and girls) in Kannada medium students.
7. The Higher Values of mean suggested high level or positive attitude towards On line learning in the English medium students in Comparison to Kannada medium students.
8. The calculated t-ratio was 10.9 which is greater than the tabulated value of 0.05 level of significance, therefore it showed asignificant difference in both the groups.
9. Mean score of boys was more than ofgirls in English medium students, indicating higher positive attitude towards online learning in boys in comparison to girls.
10. The calculated value of t-ratio was 9.49 which was greater than the tabulated value of significance, thereforesuggested asignificant difference inattitude towards online learning in regards toGender.
11. Mean score of boys was higher than of girls is in Kannada medium students, indicating higher positive attitude towards online learning in boys in comparison to girls.
12. The t-ratio was calculated as 9.49 which was greater than the tabulated value at 0.05 level of significance (2.06) and 0.01 level of significance (2.78), therefore suggested a significant difference inattitude towards online learningin regards to gender (boys and girls),in English medium students
13. The t-ratio value was calculated as 5.46 which was greater than the tabulated value at 0.05 level of significance ,therefore suggested asignificant difference in attitude towards online learning in regards to gender (boys and girls) in Kannada medium students.
14. English medium students showed higher level of positive attitude towards on line learning in comparisons to Kannada medium students when total number of responses were analyzed towards S. agree, agree, Disagree, and S. Disagree.

Analysis Of Hypothesis

The following hypotheses guided the study

Ho-1-There will be no significant difference in Self Efficacy of B. Ed students in regards to medium of Instruction.

The calculated t-ratio was 3.18 which is greater than the tabulated value at 0.05 and .01 level of significance showed significant difference in Self Efficacy in both the groups.

Thus Ho-1 is rejected.

Ho-2-There will be no significant difference in Self Efficacy of English medium and Kannada medium B. Ed students in to regards to gender (Boys and Girls)

The calculated t-ratio was 7.04 which is greater than the tabulated value at 0.05 level of significance (2.06) and 0.01 level of significance (2.78), therefore suggested a significant difference in Self efficacy in regards to gender (boys and girls),in English medium students.

The value of t-ratio was calculated as 6.70 which is greater than the tabulated value at 0.05 level of significance (2.06) and on 0.01 level of significance (2.78), therefore suggested a significant difference in Self efficacy in regards to gender (boys and girls) in Kannada medium students.

Thus Ho-2 is rejected.

Ho-3-There will be no significant difference in Attitude of B.Ed students towards
Online learning with regard medium of Instruction.

The value of t-ratio was calculated as 10.9 which was greater than the tabulated value at 0.05 level of significance ,therefore suggested asignificant difference in Attitude of B.Ed students towards On line learning in both the groups.

Thus Ho-3 is rejected

Ho-4There will be no significant difference in Attitude towards On line learning of English medium and Kannada medium B.Ed students in regards to gender (Boys and Girls).

The t-ratio was 9.49 which is greater than the tabulated value at 0.05 level of significance (2.06) and 0.01 level of significance (2.78) ,therefore suggested asignificant difference inattitude towards online learning in regards to gender (boys and girls),in English medium students.

The t-ratio was calculated and value obtained was 5.46 which was greater than the tabulated value at 0.05 level of significance (2.06) and on 0.01 level of significance (2.78) ,therefore suggested asignificant difference in attitude towards online learning in regards to gender (boys and girls) in Kannada medium students

Thus Ho-4 is rejected

Ho-5-There will be no significant difference in Attitude towards Online learning of English medium and Kannada medium B.Ed students in regards to total responses

English medium students showed higher percentage revealed higher level of positive attitude towards online learning in comparisons to Kannada medium students when total number of responses were analysed towards S agree, agree, Neutral,Disagree, and S Disagree.

Thus Ho-5 is rejected

Results:

1. There is a significant difference in Self Efficacy in relation to medium of instruction.
(English medium students and Kannada medium students).The level of Self efficacy is higher in the English medium students in Comparison to Kannada medium students.
2. Asignificant difference in Self efficacy is observed in regards to gender (boys and girls), English medium students, indicated higher values of Self efficacy in girls in comparison to boys , whereas Kannada medium students, indicated higher values of Self efficacy in boys in comparison to girls.
3. A significant difference was found in level of attitude towards online learning in both the groups in regards to medium of Instruction. English medium students showed higher level of positive attitude towards online learning in comparisons to Kannada medium students.
4. Asignificant difference inattitude towards online learning was observed in regards toGender. English medium students were indicating higher positive attitude towards online learning in boys in comparison to girls, same as Kannada medium students, indicated higher positive attitude towards online learning in boys in comparison to girls.
5. English medium students showed higher level of positive attitude towards online learning in comparisons o Kannada medium students when total number of responses wereanalyzed.

Conclusion: The above study concluded that boys of both medium have higher positive attitude towards online learning than girls as girls prefer physical attendance in class by direct, real-time interaction between students and educators, facilitates instant feedback, clarifications, and the creation of a dynamic learning atmosphere. They feel classroom notes are very useful for studying and passing exams. In contrast, boys agreed with the views that online learning may involve online exams, quizzes, and other forms of assessment that can be completed remotely. Understanding the Question & Answer pattern, and with suggestions provided by experienced teachers, can find it more helpful to learn than when using generalized online notes and suggestions available on the internet. Thus online learning may be more suitable for grownups who are continuing their education while they're working in their regular jobs. The girls showed higher Self-efficacy as they have the belief in their capabilities to organize and execute the courses of action required to manage prospective situations to succeed in a particular situation. Their beliefs, punctuality, sincerity,and devotion towards work play a role in determining how they think, behave, and feel in wide area of behavior, proposing how their skills to comparable situations in the future.

Educational Implication: Such a form of implementation allows the role of the teacher to shift from a source of information to a facilitator. Online learning promotes the use of instruction and modern technology to facilitate interactive collaboration, which is an important feature of the modern classroom.

Additionally, Online learning can offer a customized learning experience with a variety of activities and collaboration tools, online discussions, and student-tailored feedback.

Furthermore onlinelearningplatform can help in keeping a balance between the material covered in the course and the number of tasks and activities.

References:-

1. Abdulfattah Alqahtani,Monira I. Aldhahi (January 2022)-Exploring the relationship between students' learning satisfaction and self-efficacy during the emergency transition to remote learning amid the coronavirus pandemic: A cross-sectional study Education and Information Technologies 27(1)
2. Chen Liu,NengchaoPan,Xiawen Pang(2023)-A systematic review of the effectiveness of online learning

in higher education during the COVID-19 pandemic period Volume 8
3. Dale SchunkMaria Dibenedetto(2020)- Self-efficacy and human motivationUniversity of North Carolina at Greensboro
4. Dhatt H Rishi S (2015) - Study of Self-efficacy and optimism of B.Ed. Students-
5. Dr. K.P. Meera (2015)- Self-Efficacy And Academic Performance In Englishde Fátima Goulao, M. (2014). The Relationship between Self-Efficacy and Academic Achievement in Adults' Learners.Athens Journal of Education, 1, 237-246. 14
6. EmtinanAlqurashi (2016)- Self-Efficacy In Online Learning Environments: ALiterature Review. Contemporary Issues in Education Research (CIER) 9(1):45-52.Temple University
7. Erkan Yüce, MaurierSantova & Burcu ªentürk (2023)- Online Learning Self-Efficacy in Using Technology among Turkish and Kazakh EFL Teachers
8. Front. Psychol., (2019)- Academic Self-Efficacy and Academic Performance in Online Learning: A Mini Review Sec. Educational PsychologyVolume 9.
9. Genshu Lu,Mei Tian (2023)- The influences of online learning environments, self-efficacy, and interaction on learning achievement: the case of international students in China online: https://doi.org/10.1080/10494820.2023.2172045.
10. Khushbu: Meera, Juman (2023)- Self-Efficacy And Academic Performance In English. University of Calicut
11. Khageswar Bhati (2022)- Self-Efficacy: Theory to Educational Practice. International Journal of Indian Psychology 10(1):1123-112.
12. Madonna Naik, Dr. B. Srilatha Srilatha B, (2021)- A Study On Self-Efficacy Among Adolescent Students, Global Journal For Research Analysis: Volume-10 | Issue-9
13. S A Ithriah, D. Ridwandono, T L M Suryanto (2020)- Online Learning Self-Efficacy: The Role in E-Learning Success Journal of Physics, Education, Computer Science Journal of Physics: Conference Series.

Table-1. Showing significant difference on Self Efficacy and Attitude towards online learning with regards to medium of Instruction.

S.	English Medium				S.	Kannada Medium				
	Variable	N	Mean	S D		N	Mean	S.D.	t- value	Significance
1.	Self- Efficacy	50	88	7.29	1.	50	83.5	6.33	3.18	Significant
2.	Attitude towards online learning	50	106.5	5.57	2.	50	95	4.90	10.9	Significant on .05 and .01 levelS*,S**

01=2.39 , .05=1.67

Table-2-To compare Self Efficacy of English Medium and Kannada Medium B.Ed. students in regards to Gender

S.	English Medium						S.	Kannada Medium				
	Sample	N	Mean	SD	t	Significance		N	Mean	S.D.	t- value	Significance
1.	Boys	25	80	10.7	7.04	Significant	1.	25	90	6.18	6.70	SignificantS* ,S**
2.	Girls	25	96	3.89			2.	25	77	7.48		

Value at - .01level = 2.78,at .05= 2.06

Table-3 To compare attitude towards online learning of English Medium students and Kannada Medium students in relation to Gender

S.	English Medium						S.	Kannada Medium				
	Sample	N	Mean	SD	t	Significance	Sample	N	Mean	S.D.	t- value	Significance
1.	Boys	25	114	4.84	9.49	Significant on both levelS*,S**	Boys	25	100	5.16	5.46	SignificantS* , S**
2.	Girls	25	99	6.30			Girls	25	90	4.65		

Table-4 Analysis on the basis of Total Responses (1250) collected on Attitude Scale by respondents of both mode of Instructions.

	English Medium		.			Kannada Medium				
	S.Agree	Agree	N	Dis	S.Dis	S.Agree	Agree	N	Dis Agree	S.Dis
T.R	660	90	05	60	435	602	148	08	110	382
Per	52.8	7.2	0.4	4.8	34.8	48.16	11.84	0.62	8.80	30.56

TR =Total responses, Per = Percentage

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

देवास जिले के विद्यालयों में अध्ययनरत् मधुमेह से ग्रसित विद्यार्थियों की सृजनात्मकता एवं उपलब्धि स्तर पर प्रभाव का विश्लेषणात्मक अध्ययन

पियूषा आशापुरे* डॉ. अनुराधा सुपेकर**

* शोधार्थी, महाराजा कॉलेज, उज्जैन एवं विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
** उप प्राचार्य, महाराजा कॉलेज, उज्जैन (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – मानव आदिकाल से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का प्राणी रहा हैं। जिज्ञासा के कारण ही अनेकोंनेक आविष्कारों का उद्‌भवन व कार्यान्वयन हुआ हैं और मानव सीखने की प्रवृत्ति की ओर बढ़ा हैं तथा शिक्षा प्राप्त करने को लालायित हुआ हैं। शिक्षा ज्ञान, उचित आचरण, तकनीकी दक्षता, विद्या आदि को प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहा जाता हैं। शिक्षा, समाज की एक पीढ़ी द्वारा अपने से अगली पीढ़ी को अपने ज्ञान के हस्तांतरण का प्रयास हैं। इस विचार से शिक्षा एक संस्था के रूप में काम करती हैं जो व्यक्ति विशेष को समाज से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं तथा समाज की संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखती हैं। बच्चा समाज तथा शिक्षा से तभी जुड़ पाता हैं जब वह मानसिक, आत्मिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ् होता हैं। क्योंकि उत्ताम स्वास्थ्य, स्वस्थ व्यक्तित्व की अधारशिला हैं। स्वस्थ व्यक्ति से ही स्वस्थ समाज का निर्माण संभव हैं। व्यक्ति को अपने एवं परिवार के स्वास्थ्य के प्रति संचेतना शिक्षा से ही प्राप्त करता हैं।

शोध के उद्देश्य :

1. देवास जिले के विद्यालयों में अध्ययनरत् मधुमेह से ग्रसित बालक एवं बालिका का प्रतिशत ज्ञात करना।
2. देवास जिले के विद्यालयों में अध्ययनरत् मधुमेह से ग्रसित विभिन्न सामाजिक – आर्थिक स्तर के विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करना।
3. देवास जिले के विद्यालयों में अध्ययनरत् मधुमेह से ग्रसित बालक एवं बालिका के सृजनात्मकता एवं उसके आयाम की तुलना करना।
4. देवास जिले के विद्यालयों में अध्ययनरत् मधुमेह से ग्रसित बालक एवं बालिका के शैक्षिक उपलब्धि की तुलना करना।
5. देवास जिले के विद्यालयों में अध्ययनरत् मधुमेह से ग्रसित विभिन्न सामाजिक – आर्थिक स्तर के विद्यार्थियों के सृजनात्मकता एवं उसके आयाम की तुलना करना।
6. देवास जिले के विद्यालयों में अध्ययनरत् मधुमेह से ग्रसित विभिन्न सामाजिक – आर्थिक स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि की तुलना करना।
7. देवास जिले के विद्यालयों में अध्ययनरत् मधुमेह से ग्रसित एवं सामान्य विद्यार्थियों की सृजनात्मकता एवं उसके आयाम की तुलना करना।
8. देवास जिले के विद्यालयों में अध्ययनरत् मधुमेह से ग्रसित एवं सामान्य विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि की तुलना करना।
9. देवास जिले के विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की सृजनात्मकता एवं उसके आयाम पर मधुमेह, लिंग एवं इनकी अंतर्क्रिया के प्रभाव का अध्ययन करना।
10. देवास जिले के विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर मधुमेह, लिंग एवं इनकी अंतर्क्रिया के प्रभाव का अध्ययन करना।
11. देवास जिले के विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की सृजनात्मकता एवं उसके आयाम पर मधुमेह, सामाजिक – आर्थिक स्तर एवं इनकी अंतर्क्रिया के प्रभाव का अध्ययन करना।
12. देवास जिले के विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर मधुमेह, सामाजिक – आर्थिक स्तर एवं इनकी अंतर्क्रिया के प्रभाव का अध्ययन करना।
13. देवास जिले के विद्यालयों में अध्ययनरत् मधुमेह से ग्रसित विद्यार्थियों के सृजनात्मकता एवं उसके आयाम तथा शैक्षिक उपलब्धि के सम्बन्ध का अध्ययन करना।
14. देवास जिले के विद्यालयों में अध्ययनरत् मधुमेह से ग्रसित विद्यार्थियों की सृजनात्मकता एवं उपलब्धि स्तर पर प्रभाव का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना।

परिकल्पना :

1. देवास जिले के विद्यालयों में अध्ययनरत् मधुमेह से ग्रसित बालक एवं बालिका के प्रतिशत में सार्थक अंतर नहीं हैं।
2. देवास जिले के विद्यालयों में अध्ययनरत् मधुमेह से ग्रसित विभिन्न सामाजिक – आर्थिक स्तर के विद्यार्थियों के प्रतिशत में सार्थक अंतर नहीं हैं।
3. देवास जिले के विद्यालयों में विद्यालयों में अध्ययनरत् मधुमेह से ग्रसित बालक एक बालिका के सृजनात्मकता एवं उसके आयाम में सार्थक अंतर नहीं हैं।
4. देवास जिले के विद्यालयों में अध्ययनरत् मधुमेह से ग्रसित बालक एवं बालिका के शैक्षिक उपलब्धि में सार्थक अंतर नहीं हैं।
5. देवास जिले के विद्यालयों में अध्ययनरत् मधुमेह से ग्रसित विभिन्न सामाजिक – आर्थिक स्तर के विद्यार्थियों के सृजनात्मकता एवं उसके आयामों में सार्थक अंतर नहीं हैं।

6. देवास जिले के विद्यालयों में अध्ययनरत् मधुमेह से ग्रसित विभिन्न सामाजिक - आर्थिक स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि में सार्थक अंतर नहीं हैं।
7. देवास जिले के विद्यालयों में अध्ययनरत् मधुमेह से ग्रसित एवं सामान्य विद्यार्थियों की सृजनात्मकता एवं उसके आयाम में सार्थक अंतर नहीं हैं।
8. देवास जिले के विद्यालयों में अध्ययनरत् मधुमेह से ग्रसित एवं सामान्य विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि में सार्थक अंतर नहीं हैं।
9. देवास जिले के विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की सृजनात्मकता एवं उसके आयाम पर मधुमेह, लिंग एवं इनकी अंतर्क्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं हैं।
10. देवास जिले के विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर मधुमेह, लिंग एवं इनकी अंतर्क्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं हैं।
11. देवास जिले के विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की सृजनात्मकता एवं उसके आयाम पर मधुमेह, सामाजिक - आर्थिक स्तर एवं इनकी अंतर्क्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं हैं।
12. देवास जिले के विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर मधुमेह, सामाजिक - आर्थिक स्तर एवं इनकी अंतर्क्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं हैं।
13. देवास जिले के विद्यालयों में अध्ययनरत् मधुमेह से ग्रसित विद्यार्थियों के सृजनात्मकता एवं उसके आयाम तथा शैक्षिक उपलब्धि में सार्थक सहसम्बन्ध नहीं हैं।

न्यादर्श चयन की विधि - प्रस्तुत शोध मे न्यादार्श चयन हेतु **याद्रीकच्छिक** एवं वर्ग **प्रतिदर्श** का प्रयोग किया गया हैं। न्यादर्श चयन को निम्नलिखित तालिका द्वारा स्पष्ट किया जा रहा हैं।

न्यादर्श तालिका क्रमांक 1.0

प्रस्तुत शोध के न्यादर्श - अध्ययन के लिए जिले के आधार पर कुल न्यादर्श

क्र.	जिला	मधुमेह ग्रसित / सामान्य विद्यार्थी	बालक	बालिका	कुल
1	देवास	मधुमेह ग्रसित	16	18	34
2	देवास	सामान्य	16	18	34
3	कुल	-	-	32	36

तालिका क्रमांक 1.0 - के अनुसार अध्ययन के लिए न्यादर्श को याद्रीकच्छिक विधि द्वारा चुना गया। जिसमें देवास जिले की 09 तहसीलों के 10 - 10 विद्यालयों को सम्मिलित किया गया।

तालिका क्रमांक 1.1

देवास जिले की विभिन्न तहसीलों के विद्यालयों से प्राप्त मधुमेह ग्रसित विद्यार्थियों का न्यादर्श इस प्रकार हैं।

क्र.	तहसील	बालक	बालिका	कुल
1	देवास	5	7	12
2	सोनकच्छ	2	0	2
3	बागली	2	1	3
4	कन्नोद	0	2	2
5	टोंकखुर्द	1	0	1
6	खातेगाँव	2	3	5
7	सतवास	1	1	2
8	हटपिपल्या	2	2	4
9	उदयनगर	1	2	3
कुल	9	16	18	34

उपरोक्त तालिका के अनुसार इन्ही विद्यालयों के सामान्य विद्यार्थी समान संख्या मे न्यादर्श के रूप में सम्मिलित किए गए इस प्रकार कुल 68 विद्यार्थियों को न्यादर्श के रूप मे लिया गया।

विशेष - शोधार्थी को छोटा न्यादर्श प्राप्त हुआ इसके कई कारण थे जैसे -
1. विद्यालयों में मो कक्षा में ध्यान न देना बताया गया।
2. शारीरिक रूप मधुमेह से ग्रस्त विद्यार्थीयों को चिन्हित नहीं किया गया था। उनकी कम उपलब्धि के अस्वस्थ बच्चों के पालकों को इस बात का अंदाजा ही नहीं था, की बच्चे को मधुमेह हो सकता हैं।
3. जिन विद्यार्थियों के पालकों ने विद्यालय मे विद्यार्थी के मधुमेह ग्रस्त होने के विषय मे जानकारी दी थी उन्ही विद्यार्थीओं को न्यादर्श में सम्मिलित किया जा सका।

शोध के उपकरण - प्रस्तुत शोध मे डॉ. बी.के. पासी द्वारा निर्मित सृजनात्मकता परीक्षण का प्रयोग किया गया हैं।

प्रस्तुत शोध मे डॉ. सुनील उपाध्याय द्वारा निर्मित सामाजिक आर्थिक मापनी परीक्षण का प्रयोग किया गया हैं।

PTC के विश्वसनीयता परिणाम निम्नलिखित तालिका में दिये गये हैं :-

तालिका क्र. 2.0

S.	Name of the test	Test & Retest Reliability	Split & Half Reliability
1	देखने की समस्याओं का परीक्षण	0-68	0-88
2	असामान्य उपयोग परीक्षण	0-97	0-51
3	परिणाम का परीक्षण	0-71	0-80
4	जिज्ञासा का परीक्षण	0-74	-
5	वर्ग पहेली परीक्षण	0-91	-
6	सृजनात्मकता का ब्लॉक परीक्षण	0-83	-
	सृजनात्मकता का योग	0-92	-

PTC पीटीसी की वर्तमान वैधता :-

तालिका क्र 2.1

S.	Name	Criteria Measures			
		Thing Done-On-Your-Own	Non-verbal Intelligence	verbal Intelligence	Achievement
I	Seeing Problems Test	0-43**	0-29*	0-23	0-35**
II	Unusual Uses Test	0-59**	0-32*	0-38*	0-34**
III	Consequences Test	0-81**	0-04	0-27*	0-30*
IV	Test of Inquisitiveness	0-95**	0-81**	0-34**	0-22
V	Square Puzzle Test	0-68**	0-16	0-26*	0-29*
VI	Blocks Test of Creativity	0-60**	0-05	&0-01	&0-07
	Creativity(Total)	0-46**	0-27*	0-38**	0-35**

*0-05 स्तर पर सहसंबंध महत्वपूर्ण।

सामाजिक आर्थिक मापनी (डॉ. सुनील कुमार उपाध्याय)

वर्तमान पैमाना - वर्तमान पैमाना का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी दोनों

क्षेत्रों के छात्रों की सामाजिक – आर्थिक स्थिति को मापना हैं। पैमाने में व्यक्तिगत जानकारी, परिवार, शिक्षा ,आय और अन्य सांस्कृतिक और भौतिक संपत्ति से संबंधित पांच भागों में 31 आयटम शामिल हैं।

उपलब्धि परीक्षण – उपलब्धि मे मापन हेतु विद्यार्थियों के वार्षिक परीक्षा के अंक लिए गए।

शोध के निष्कर्ष :

1. देवास जिले के विद्यालयों में अध्ययनरत् मधुमेह से ग्रसित 34 विद्यार्थियों में 16 बालक अर्थात 47.06% एवं 18 अर्थात 52.94% बालिकाएँ पायी गई।
2. देवास जिले के विद्यालयों में अध्ययनरत् मधुमेह से ग्रसित 34 विद्यार्थियों में 12 (35.29%) उच्च सामाजिक – आर्थिक स्तर के विद्यार्थी, औसत से ऊपर सामाजिक – आर्थिक स्तर के विद्यार्थी 10 अर्थात 29.42% ; 08 (23.53%) विद्यार्थी औसत सामाजिक – आर्थिक स्तर के, 03 विद्यार्थी (8.82%) औसत से कम सामाजिक – आर्थिक स्तर के तथा 01 विद्यार्थी (2.94%) निम्न सामाजिक – आर्थिक स्तर के पाए गए।
3. देवास जिले के विद्यालयों में अध्ययनरत् मधुमेह से ग्रसित बालकों की कुल सृजनात्मकता बालिकाओं से सार्थक उच्च स्तरीय पायी गई।
4. देवास जिले के विद्यालयों में अध्ययनरत् मधुमेह से ग्रसित बालकों की सृजनात्मकता के आयाम समस्या जाँच परीक्षण बालिकाओं से सार्थक उच्च स्तरीय पायी गई।
5. देवास जिले के विद्यालयों में अध्ययनरत् मधुमेह से ग्रसित विभिन्न सामाजिक – आर्थिक स्तर के विद्यार्थियों में सार्थक भिन्नता पायी गई। उच्च सामाजिक – आर्थिक स्तर के विद्यार्थियों के सृजनात्मकता के आयाम समस्या जाँच परीक्षण के सर्वाधिक मध्यमान (M = 25.67) रहे, तत्पश्चात क्रमानुसार औसत से कम सामाजिक – आर्थिक स्तर (M = 25.00), औसत से ऊपर सामाजिक – आर्थिक स्तर के विद्यार्थी (M = 23.40), औसत सामाजिक – आर्थिक स्तर (M=23.37) रहे, एवं सबसे कम स्तर पर निम्न सामाजिक – आर्थिक स्तर के मध्यमान (M= 22.00) के पाए गए।
6. देवास जिले के विद्यालयों में अध्ययनरत् मधुमेह से ग्रसित विभिन्न सामाजिक – आर्थिक स्तर के विद्यार्थियों की सृजनात्मकता के आयाम वर्ग पहेली परीक्षण में सार्थक अंतर नहीं पायी गई।
7. देवास जिले के विद्यालयों में अध्ययनरत् मधुमेह से ग्रसित विभिन्न सामाजिक – आर्थिक स्तर के विद्यार्थियों की सृजनात्मकता के आयाम सृजनात्मक घनपरीक्षण में सार्थक अंतर नहीं पायी गई।
8. देवास जिले के विद्यालयों में अध्ययनरत् मधुमेह से ग्रसित विभिन्न सामाजिक – आर्थिक स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि समान पायी गई।
9. देवास जिले के विद्यालयों में अध्ययनरत् मधुमेह से ग्रसित विद्यार्थियों की कुल सृजनात्मकता सामान्य विद्यार्थियों से सार्थक निम्न स्तरीय पायी गई।
10. देवास जिले के विद्यालयों में अध्ययनरत् सामान्य विद्यार्थियों की सृजनात्मकता के आयाम समस्या जाँच परीक्षण देवास जिले के विद्यालयों में अध्ययनरत् मधुमेह से ग्रसित विद्यार्थियों से सार्थक उच्च स्तरीय पायी गई।
11. देवास जिले के विद्यालयों में अध्ययनरत् सामान्य विद्यार्थी सृजनात्मकता के आयाम असामान्य प्रयोग परीक्षण देवास जिले के विद्यालयों में अध्ययनरत् मधुमेह से ग्रसित विद्यार्थियों से सार्थक उच्च स्तरीय रहे।
12. देवास जिले के विद्यालयों में अध्ययनरत् सामान्य विद्यार्थियों की सृजनात्मकता के आयाम परिणाम परीक्षण देवास जिले के विद्यालयों में अध्ययनरत् मधुमेह से ग्रसित विद्यार्थियों से सार्थक उच्च स्तरीय पाया गया।
13. देवास जिले के विद्यालयों में अध्ययनरत् सामान्य विद्यार्थियों की सृजनात्मकता के आयाम जिज्ञासा परीक्षण देवास जिले के विद्यालयों में अध्ययनरत् मधुमेह से ग्रसित विद्यार्थियों से सार्थक उच्च स्तरीय पाये गए।
14. देवास जिले के विद्यालयों में अध्ययनरत् मधुमेह से ग्रसित एवं सामान्य विद्यार्थियों के सृजनात्मकता के आयाम वर्ग पहेली परीक्षण में सार्थक अंतर नहीं पाया गया।
15. देवास जिले के विद्यालयों में अध्ययनरत् मधुमेह से ग्रसित एवं सामान्य विद्यार्थियों के सृजनात्मकता के आयाम सृजनात्मक घन परीक्षण में भिन्नता पायी गई।
16. देवास जिले के विद्यालयों में अध्ययनरत् मधुमेह से ग्रसित एवं सामान्य विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि में सार्थक अंतर नहीं पाया गया।
17. देवास जिले के विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की कुल सृजनात्मकता एवं उसके आयामों पर मधुमेह का सार्थक प्रभाव पाया गया।
18. देवास जिले के विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की कुल सृजनात्मकता एवं उसके आयामों पर लिंग का सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया।
19. देवास जिले के विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की कुल सृजनात्मकता एवं उसके आयामों पर मधुमेह एवं लिंग की अंतर्क्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया।
20. देवास जिले के विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर मधुमेह का सार्थक प्रभाव पाया गया। सामान्य विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि मधुमेह ग्रसित विद्यार्थियों से सार्थक उच्च स्तरीय पायी गई।
21. देवास जिले के विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर लिंग का सार्थक प्रभाव पाया गया एवं बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि बालकों से सार्थक उच्च स्तरीय पायी गई।
22. देवास जिले के विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर मधुमेह एवं लिंग की अंतर्क्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया।
23. उच्च सामाजिक – आर्थिक स्तर के विद्यार्थियों के सृजनात्मकता के आयाम समस्या जाँच परीक्षण के सर्वाधिक मध्यमान (M = 27.05) रहे, तत्पश्चात क्रमानुसार औसत से ऊपर सामाजिक – आर्थिक स्तर (M= 25.71), औसत सामाजिक – आर्थिक स्तर (M=25.57) रहे, औसत से कम सामाजिक – आर्थिक स्तर (M = 25.00), एवं सबसे कम स्तर पर निम्न सामाजिक – आर्थिक स्तर के मध्यमान (M = 22.00) के पाए गए।

24. देवास जिले के विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की कुल सृजनात्मकता एवं उसके आयामों (समस्या जाँच परीक्षण को छोड़कर) पर सामाजिक – आर्थिक स्तर का सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया।
25. देवास जिले के विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की सृजनात्मकता के आयाम सृजनात्मक घनपरीक्षण पर मधुमेह एवं सामाजिक – आर्थिक स्तर की अंतर्क्रिया के प्रभाव का अध्ययन के लिए उच्च सामाजिक – आर्थिक स्तर के सामान्य विद्यार्थियों का मध्यमान (M =30.44) मधुमेह ग्रसित विद्यार्थियों के मध्यमान (M=22.67) से सार्थक उच्च स्तरीय रहे, वही औसत से ऊपर सामाजिक – आर्थिक स्तर के सामान्य विद्यार्थियों का मध्यमान (M =25.38.) मधुमेह ग्रसित विद्यार्थियों के मध्यमान (M =23.00) से सार्थक उच्च स्तरीय रहे, इसी क्रम में औसत सामाजिक – आर्थिक स्तर के सामान्य विद्यार्थियों का मध्यमान (M =26.81.) मधुमेह ग्रसित विद्यार्थियों के मध्यमान (M =23.50) से सार्थक उच्च स्तरीय रहे, वही औसत से कम सामाजिक – आर्थिक स्तर के सामान्य विद्यार्थियों का मध्यमान (M = 34.00) मधुमेह ग्रसित विद्यार्थियों के मध्यमान (M =20.33) से सार्थक उच्च स्तरीय रहे, वही सामान्य विद्यार्थियों में निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर का विद्यार्थी नहीं पाए गए।
26. देवास जिले के विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की कुल सृजनात्मकता एवं उसके आयामों (सृजनात्मक घनपरीक्षण को छोड़कर) पर मधुमेह एवं सामाजिक आर्थिक स्तर की अंतर्क्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया।
27. देवास जिले के विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर सामाजिक – आर्थिक स्तर का सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया।
28. देवास जिले के विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर मधुमेह एवं सामाजिक आर्थिक स्तर की अंतर्क्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया।
29. देवास जिले के विद्यालयों में अध्ययनरत् मधुमेह से ग्रसित विद्यार्थियों के सृजनात्मकता एवं उसके किसी भी आयाम तथा शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सार्थक सहसंबंध नहीं पाया गया, किन्तु कुल सृजनात्मकता, परिणाम परीक्षण, जिज्ञासा परीक्षण एवं वर्ग पहेली परीक्षण तथा शैक्षिक उपलब्धि के मध्य धनात्मक सहसम्बन्ध पाया गया वहीं समस्या जाँच परीक्षण, असामान्य प्रयोग परीक्षण एवं सृजनात्मक घन परीक्षण तथा शैक्षिक उपलब्धि के मध्य ऋणात्मक सहसम्बन्ध पाया गया।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. डॉ. गौर अनीता (2021) मधुमेह एक परिचय वी. एवं एस. प्रेस, नई दिल्ली।
2. डॉ. शुक्ल राधेश्याम (2021) मधुमेह समस्या और समाधान, नोशन प्रेस।
3. कोल लोकेश (2020) शैक्षिक अनुसंधान की कार्य प्रणाली, विकास प्रकाशन।
4. मंगल एस के (2014) व्यावहारिक विज्ञानों में अनुसंधान विधियॉ, पी. एच. आई. लर्निंग प्रकाशन ।
5. रायजादा बी एस (2008) शिक्षा में अनुसंधान के आवश्यक तत्व, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी।
6. शिक्षा ओर मनोविज्ञान में सांख्यिकी के प्रयोग 200, कल्याणी पब्लिकेशन।
7. कपिल एच के (2007) अनुसंधान विधियॉ व्यवहारपरक विज्ञानों में एच. पी. भार्गव बुक हाउस, आगरा।
8. मंगल अंशु (1999) विश्लेषण एवं शैक्षिक सांख्यिकी, राधा प्रकाशन।
9. पांडे कल्पलता (2007) शिक्षा मानोविज्ञान टाटा एंव ग्रीलस प्रकाशन।
10. राजहंस पाल (2006) प्रगत शिक्षा मानोविज्ञान हिन्दी महानिदेशालय।
11. सिंह अरूण कुमार (2005) संज्ञानात्मक मनोविज्ञान मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशन, आगरा।
12. सिंह अरूण कुमार (2005) उच्चतर सामान्य मनोविज्ञान मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशन, आगरा।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

भारतीय नारी की दशा और दिशा

बद्रीलाल डाबी* डॉ. गुलाबसिंह डावर डॉ. शैलेन्द्र कुमार शर्मा *****

* शोधार्थी (हिन्दी) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
** शोध निर्देशक, शा. विक्रम महाविद्यालय, खाचरोद, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
*** विभागाध्यक्ष, हिन्दी अध्ययनशाला, सह निर्देशक (हिन्दी) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – समाज ऐसे व्यक्तियों का समूह, जिन्होंने व्यक्तिगत स्वार्थों की सार्वजनिक रक्षा के लिए, अपने विषम आचरणों में समझौता उत्पन्न करने वाले कुछ नियमों से शासित होने का समझौता कर लिया है। मनुष्य को समूह बनाकर रहने की प्रेरणा–पशु जगत के समान प्रकृति से मिली है, इसमें संदेह नहीं, परन्तु उसका क्रमिक विकास विवेक पर आश्रित है। मानसिक विकास के साथ–साथ उसमें जिस नैतिकता की उत्पत्ति और वृद्धि हुई उसने पशु जगत से सर्वथा भिन्न कर दिया। मनुष्य समाज समूह में न रहकर वह धीरे–धीरे ऐसी संस्था में परिवर्तित हो गया जिसका ध्येय सिर्फ लौकिक सुविधाएँ पाना है।

समाज और व्यक्ति – आदिम युग का मनुष्य, समूह में रहते हुए भी पारस्परिक स्वार्थ की विवेचना और उसकी समस्याओं से अपरिचित रहा होगा। अनुमानत: सामाजिक भावना का जन्म परस्पर हानि पहुँचाने वाले आचरण से तथा उसका विकास नवीन स्थानों में उत्पन्न संगठन की आवश्यकता से हुआ होगा। 'मनुष्य जाति जब जीवन के लिए अधिक सुविधाएँ प्रदान करने वाले प्रदेशों में फैलने लगी तब उसके भिन्न–भिन्न समूहों को अपनी शक्तियों का द्रढ़तर संगठन करने की आवश्यकता ज्ञात हुई। विभिन्न व्यक्तियों के बीच रहकर मनुष्य शक्ति और दुर्बलता का पाठ सिख लिया। एकता के सूत्र में बंधकर अपने आपको सबला बना लिया। मनुष्य समूह ही हमारे विकसित तथा अनेक नैतिक और धार्मिक बंधनों में बंधे सभ्य समाज का पूर्वज माना जाता है। व्यक्ति के स्वत्त्वों की रक्षा के लिए समाज बना है। समाज के अस्तित्व के लिए व्यक्ति आवश्यकता रही है। एक सामाजिक प्राणी स्वत्तंत्र और परतंत्र दोनों ही है।

भारतीय संस्कृति में नारी – भारतीय नारी भारत की सजला–सफला मलयज शीतला पर विकसित होने के कारण न अनुदार हो सकी है न आक्रामक नारी के पुरूष को सूक्ष्म विचार से लेकर स्थूल कर्म तक को एक ऐसे स्वर्णिम सूत्र में बाँधा है, जिसमें जीवन के सार्वभौम विकास देने वाले सभी मूल्य पिरोये जा सकें भारतीय संस्कृति में नारी के आत्म रूप को ही नहीं उसके दिव्य रूप की प्रतिष्ठा भी दी है। जिसके चलते गृह के दो घटक नारी और पुरुष, इसी से उन्हें दंपति कहा गया है। हमारा समाज आज भी जातकर्म विवाह रूढ़ि में इतना ग्रस्त है कि उसे निकाल पाना असंभव है। वह रूढ़ि के निकट पहुँच गया है, जितना उससे दूर है। वर्तमान के पास लाना असंभव ही नहीं मुश्किल जान पड़ता है।

वेदकालीन संस्कृति में नारी – सामान्यत: इस संस्कृति में नारी के दिव्य देवी रूप तथा सामाजिक रूप मिलते है – दिव्य देवी रूप में उषक्ष, सूर्या, रात्रि, सिन्धु, सरस्वति, पृथ्वी, नदी आदि में चेतना का आरोप करके, नारी रूप की कल्पना की गई। सामाजिक भावनाओं की प्रतीक देवियों के रूप में जिन्हें हम, अदिति, दिति, श्रद्धा आदि की संज्ञा देते है। जीवन के रंग में जन्मी नारी को पुरूष ने जिन रेखाओं और रंगों से अंकित किया गया है। यह बतलाना कठीन है। नारी सौंदर्य को ही नहीं, प्रकृति के चिर नवीन सामंजस्य को भी व्यक्त किया है। उपनिषद कहता है कि ब्रह्मा ने एकाकी न रहकर अपने आपको दो में विभक्त कर लिया है। जिसके दक्षिण अंश को पुरूष तथा वाम को नारी की संज्ञा दी गई है। आगे चलकर शिव के अर्द्धनारीश्वर रूप में भी यह धारणा साकार हुई है। इस काल में नारी का कर्मक्षेत्र केवल गृहिणी नहीं था, वह संतान की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा का समावेश भी करती थी।

प्राचीन संस्कृति में नारी – प्राचीन काल में शारीरिक बल का अधिक महत्व होने के कारण समस्त संसार में पुरुषों की अपेक्षा नारियों की दशा हीन थी। 'रामायण के अनुशीलन से ज्ञात होता है कि इस काल में नैतिक मूल्य बहुत ऊँचे थे, परन्तु उनके पालन में नारियों और पुरुषों में भेदभाव नहीं किया जाता था। नारी के लिए पतिव्रता होना एक प्रशंसनीय गुण समझा जाता था।' वनगमन के समय जब राम कुशचीर धारण करते है तो वसिष्ठ और दशरथ दोनों ही सीता को कुशचीर धारण करने से रोक देते है। राजनीति के क्षेत्र में भी नारिया नगण्य नहीं थी और आवश्यकता पड़ने पर शासन का कार्य भी करती थी। राजाओं में बहुपत्नी प्रथा तथा विधवाओं का समाज में सम्मान पूर्ण स्थान था।

आधुनिक संस्कृति में नारी – नारी ने जब पहले–पहले अपनी स्थिति पर असंतोष प्रकट किया उस समय उसकी अवस्था उस पीड़ित के समान है जिसकी वेदना व अप्रकट कारण का निदान न हो सक हों। उसे असहा व्यथा है। परन्तु इस विषय में 'कहाँ' और 'क्या' का कोई उत्तर नहीं मिलता है। परन्तु पुरुष से अपनी तुलना करके जो अन्तर पाया उसी को अपनी दयनीय स्थिति का स्पष्ट कारण समझ लिया। पुरुष भायुकता का आश्रय लेकर उसे रमणी समझता है। यह हमारी हीनता का द्योतक है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए की स्त्री ने सामूहिक रूप से जितना पुरुष को दिया, उतना उससे पाया नहीं है। यह निर्विवाद सत्य है। इस आदान–प्रदान की विषमता में, मूल में स्त्री और पुरूष की प्रकृति भी कार्य करती है। स्त्री में 'माँ', 'बहिन', 'पत्नी' के रूप

के गुण मातृत्व व ममता की पूर्ति के लिए प्रकृति से है।

आधुनिकता की वायु में पत्नी स्त्री का यदि स्वार्थ में केन्द्रित विकसित रूप देखना हो तो हम उसे पश्चिम में देख सकेंगे। स्त्री वहाँ आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र हो चुकी है। 'किन्तु हमारे देश में वर्तमान समय में पुरुषों और स्त्रियों में गंभीर रूप में असमानता व्याप्त है।' पुरूष ने स्त्री की गति पर बंधन लगाकर अन्याय ही नहीं, अत्याचार भी किया है। जो पशु है, उसी के साथ गतिहीन होने का अभिशाप लगा है। स्त्री का जीवन तरल पदार्थ के समान घटता जा रहा है। अपने जीवन को अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति के अनुरूप बनाने में असमर्थ रही। भविष्य में भारतीय समाज की क्या रूप रेखा हो ? उसमें नारी की स्थिति कैसी हो ? उसके अधिकारों की सीमा क्या हो? आदि समस्याओं का समाधान आज की जाग्रत और शिक्षित नारी पर निर्भर है।

नारी का पत्नीत्व जीवन – नारी का जीवन का प्रथम लक्ष्य पत्नीत्त्व तथा अतिम मातृत्व समझा जाता रहा है। अत: उसके जीवन का, अजीविका का साधान निश्चित है। समाज की स्थिति के लिए मातृत्व पूज्य है, व्यक्ति की पूर्णता के लिए सहधार्मिणीत्व भी श्लाधय है। कन्या का जन्म होते ही माता–पिता का ध्यान सबसे पहले उसके विवाह पर जाता है। लज्जा का विषय यह है कि हम उसे क्रय–विक्रय की वस्तु मानते है। क्रय करने वाले की नजर में वह आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाती तो वह दहेज की बलि चढ़ा दी जाती है। जिसका निदान आज तक संभव नहीं है।

जनमानस में सारे इंसान, औरत मर्द समान है। 'पुरुष वर्चस्व' शोषक संपति प्रणाली के चलते वजूद में आया। शोषक समाज में पिता का शासन स्थापित हुआ। परिवार में पुरूष औरतों बच्चों का मालिक और अधिकारी होता है। स्त्रियों को हर काम करने का समान अवसर मिलना चाहिए जो उत्पादन प्रक्रिया में मर्द करते है। घरेलू कामों में औरत मर्द दोनों की बराबर जिम्मेदारी होनी चाहिए। बच्चे के उपनाम में माता–पिता दोनों का समान जगह मिलना चाहिए। इसके लिए तमाम प्रवृतियों को बदलना होगा।

दशा – अर्थ सदा से भक्ति का अंधा अनुगामी रहा है। गृह और संतान के लिए द्रव्य उपार्जन पुरूष का कर्त्तव्य है। अत: धन स्वभावत: उसी के अधिकार में रहा। प्रत्येक कुमारियाँ व्यस्क होने पर गृहस्थ धर्म में दीक्षित होकर पति के गृह चली जाती है। फिर पुत्रों के समर्थ होने पर वानप्रस्थ आश्रम में पति के पुत्र, पिता की समस्त सम्पति का अधिकारी होता है, परन्तु कन्या को विवाह के अवसर पर प्राप्त होने वाले सप्रेम भेट' के अतिरिक्त और कुछ देने की आवश्यकताओं ही नहीं समझी गयी। विधवा, पुनर्विवाह पर भी जोर दिया जाने लगा। बर्बर समाज में स्त्री पर पुरूष वैसा ही अधिकार रखता है, जैसे किसी अपनी निजी संपत्ति पर। वह खुलकर भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकती मातृत्व की गरीमा से गुरू और पत्नीत्व के सौभाग्य से ऐश्वर्यशालीन होकर भी भारतीय नारी अपने व्यवहारिक जीयन में सबसे अधिक क्षुद्र और रंक है। यही आश्चर्य है। शताब्दिया की शताब्दिया आती जाती रहीं, परन्तु स्त्री की स्थिति की एकरसता में कोई परिवर्तन न हो सका। आज की नारी प्रत्येक पग प्रत्येक सॉस में पुरूष की सहायता की भिक्षा मांगे चल रही है। मन्दिर के देवता के समान ही सब उसकी मौन जड़ता में ही अपना कल्याण समझते रहे। देवत्व का प्रधान अंश मानते रहे, और आज भी मान रहे है। जीवन के सारे रंग उसके आँसुओं से धुल चुके है, सारी शीतलता संताप से उष्ण हो चुकी है। समाज यदि स्वेच्छा से उसकी परिस्थितियों पर विचार नहीं किया, उसके परिवर्तन या संशोधन की आवश्यकता न समझे तो स्त्री का विद्रोह दिशाहीन, आंधी जैसा वेग पकड़ लेगी और तब तक निरन्तर ध्वंस के अतिरिक्त समाज उससे कुछ न पा सकेगा। ऐसी स्थिति न स्त्री के लिए सुखकर है, न समाज के लिए सृजनात्मक है। नारी का पत्नी के सिवाय अलग से कोई पहचान बनाने की गुंजाइश ही नहीं होने देते। स्त्री दशा, वेदना, असहनीय व सोचनीय है। एक गंभीर चिंतन का विषय है।

दिशा – स्त्री और पुरुषों के बीच असमानता को खत्म करना तथा पिता की सम्पति पर सामान अधिकार औरतों का घर से बाहर काम पर जाना, अपना खार्च उठाने में स्वयं सक्षम औरत व मर्द के काम में समान दायित्व, नये समाज की खुबीयों को महसूस करना, तथा पूराने नजरिये को बदलना, गृहिणी हमेशा गृहिणी ही नहीं रहेगी आदि को बदलना, नारी प्रारम्भ से ही शिक्षा ग्रहण करे और श्रम शक्ति के बारे में सीखें तो औरतों में भी मर्दो की तरह 'अपने रखरखाव' की क्षमता आ सकती है। घरेलू काम औरतों के लिए और बाहर के काम मर्दो के लिए' इस भावना को जेहन से निकालना होगा। समानता की लड़ाई लड़ने वाले नारीवादियों की लड़ाई यही है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. निर्मला वर्मा (2002) महादेवी संचयिता, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 281
2. पुरुषोत्तम लाल भार्गव (1995) साहित्य विमर्श, अजनता पब्लिकेशन्स, मल्का गंज, नई दिल्ली, पृ. 27
3. योगेश कुमार शर्मा (2004) पर्यावरण मानव संसाधन और विकास, पोईन्टर पब्लिशर्स, जयपुर (राज.), पृ. 51
4. रंगनायकम्मा (2007) लिंग और जाति, भारत ज्ञान विज्ञान समिति नई, दिल्ली, पृ.65

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

Pride and Prejudice Adaptations: A Comparative Study

Prof. Swati Sharma*

***Department of English, Govt. Holkar (Model Autonomous) Science College, Indore (M.P.) INDIA**

Abstract - The research embarks on an exploration of a meticulously curated array of adaptations, spanning from well-known renditions to more obscure iterations across diverse media landscapes. Employing a multidimensional paradigm that embraces narrative authenticity, character delineations, visual allure, and thematic elucidation, this investigation endeavors to shed light on the subtleties and divergences inherent in each adaptation. Moreover, it endeavors to discern the pivotal influencers shaping creative choices, including socio-cultural milieu, audience demographics, and prevalent cinematic zeitgeist.
Keywords- Pride and Prejudice, Adaptations, Zombies, Bride and Prejudice.

Introduction - Jane Austen stands as a pivotal figure in the annals of feminist literature, owing to her distinctive portrayal of women. Amidst an epoch where the archetype of femininity dictated reticence, benevolence, domesticity, modesty, and conservatism, Austen dared to render her protagonists flawed, thus rendering them inherently human. Elizabeth emerges as a luminary figure, characterized by her astuteness, sharp wit, outspokenness, yet tempered with diplomacy—a stark departure from her elder sister Jane, who epitomizes the quintessential virtues of the era. Rather than pitting these characters against each other, Austen delicately weaves a tapestry of sisterhood and cohesion. This study endeavors to dissect myriad adaptations of Austen's magnum opus, "Pride and Prejudice." Its focus remains tethered to the realms of cinematography, character dynamics, protagonist delineation, and the portrayal of pivotal plot events. Comprehensive in scope, the research encompasses an array of derivative and transformative interpretations of the seminal work.

Hypotheses:

1. Subsequent adaptations are anticipated to exhibit heightened expressiveness concerning the romantic allure between characters, as societal attitudes toward courtship progressively liberalize and evolve.
2. Contemporary renditions are expected to depict Mr. Darcy as more aloof and haughty compared to earlier adaptations, while newer interpretations may portray him as reticent and introverted, reflecting shifting societal norms regarding acceptable gentlemanly demeanor.
3. Regardless of the era in which an adaptation is produced, fundamental character traits such as Elizabeth's wit, Jane's innocence, and Mr. Bingley's amiability are predicted to remain consistent.
4. The accoutrements and overarching thematic elements of adaptations are anticipated to undergo modification to align with the prevailing tastes of the audience, thereby implying a potential decrease in accuracy of costumes and props over time.

Research Methodology: The methodology of this research primarily hinges on a comprehensive literature review, encompassing seminal works such as "Pride and Prejudice" (1940), "Pride and Prejudice" (1985), "Pride and Prejudice: A Latter-Day Comedy," "Bride and Prejudice" (2004), "Pride and Prejudice" (2005), and "Pride and Prejudice and Zombies."

Pride And Prejudice 1940

"How clever of you, Miss Bingley, to know something of which you are ignorant."

"Pride and Prejudice" (1940) offers a captivating cinematic voyage, particularly suited for enthusiasts seeking the allure of classic black-and-white cinema coupled with accessible language. Opening amidst a scene bustling with genteel ladies, among them the Bennett sisters and Mrs. Lucas with her daughter Charlotte, the narrative eagerly anticipates the arrival of Mr. Bingley and Mr. Darcy. The simmering rivalry between Mrs. Bennett and Mrs. Lucas finds expression even in a lighthearted chariot race among the Bennett sisters and Mrs. Lucas to their respective abodes.As the story unfolds, Elizabeth's acerbic wit, resolute demeanor, and forthright disposition come sharply into focus. Notably, Mr. Darcy's attempt to instruct Miss Elizabeth in archery exposes her surpassing skill, prompting

her unabashed acknowledgment of his previous underestimation.

Contrary to our expectations, the characters reveal themselves to be remarkably candid and emotive, infusing the narrative with a pronounced theatricality. This dramatic flair extends to the opulent settings and extravagant costumes, which, despite the rural backdrop, exude a lavishness that transcends historical accuracy.While Miss Charlotte Lucas is described in the text as of average attractiveness, the portrayal by the actress might perplex audiences accustomed to conventional standards of beauty, blurring the delineation of her character's supposed plainness.

Mr. Darcy, for the most part, presents an amiable demeanor, reserving hints of arrogance for private exchanges with his confidant. His affable demeanor extends to cordial interactions with Miss Elizabeth. In contrast, Jane is depicted as naive yet discerning, acknowledging her mother's machinations and even feigning illness to elicit Mr. Bingley's concern.The film leans heavily into a comedic tone, diverging from the revolutionary spirit underlying Austen's novel. Key plot moments, such as Mr. Collins' proposal to Elizabeth and subsequent discussions, as well as the notorious confrontation between Lady Catherine de Bourgh and Elizabeth, are rendered with a non-confrontational touch.

Although diverging from the canonical plot, the film suggests Lady Catherine de Bourgh's eventual approval of Mr. Darcy and Elizabeth's union. Notably, the narrative strives for a "happily ever after" for all, introducing a romantic subplot for Mary, portrayed as a demure bibliophile with a penchant for music.

Pride And Prejudice- A Latter Day Comedy

Released in 2003, this adaptation emerges as a romantic comedy falling within the transformative realm. Set in a contemporary backdrop, the narrative reimagines the characters as college roommates, with only Kitty and Lydia sharing a familial bond. Jane assumes the role of an Argentine exchange student, echoing the theme of 'rare beauty' associated with her, a motif mirrored in Fitzwilliam Darcy's character. Elizabeth's aspirations center around becoming a novelist, imbuing her portrayal with heightened emotionalism over practicality, a departure from her 1940s counterpart who exudes a more 'girlish' charm and clumsiness.

Fitzwilliam Darcy's demeanor veers towards aloofness and arrogance initially, leading to a curt and awkward first proposal. The film boldly diverges from the original romantic trajectories of characters; Mary pursues Collins, Lydia expresses interest in Charles Bingley, and Caroline Bingley undergoes a notable transformation, deceiving Elizabeth into believing she is engaged to Fitzwilliam Darcy before marrying a much older billionaire.

Jack Wickham, mirroring George Wickham, faces charges of bigamy and fails to elope with Lydia after intervention by Fitzwilliam Darcy and associates leads to his arrest.

A significant departure lies in Caroline Bingley's portrayal, elevating her from a minor character to a central antagonist in the 2003 rendition. Characters like Charlotte Lucas, Lady Catherine De Bourgh, and Mrs. Bingley receive scant attention in the film adaptation. Despite these alterations, the movie adheres to the convention of a 'Happily Ever After' denouement, imbued with individual growth and a sense of personal fulfillment for each character.

Bride And Prejudice

"There's nothing wrong with having standards, is there? No, as long as you don't force them on others."

A delightful surprise in the realm of musical cinema, Bride and Prejudice unfolds its vibrant narrative against the backdrop of Amritsar, India. Featuring seven lively songs, each lasting between two to three minutes, the film echoes the quintessential Bollywood movie blueprint of the early 2000s. The opening scene introduces Will Darcy, attending a friend's wedding in India, setting the stage for his fateful encounter with LalitaBakshi, who embodies the spirit of Elizabeth Bennet. Lalita's character exudes a spirited yet opinionated demeanor, engaging in banter with Will Darcy that deviates from the light-hearted exchanges seen in the 1940s adaptation, instead aligning more closely with the comedic tone of the 2003 version.

In subtle instances, Elizabeth's prejudice is portrayed with shades of mild xenophobia, reflecting both India's colonial past and Will's perceptions of the country, despite his American origins. A striking parallel emerges in the characters of Mr. ChamanBakshi and Mrs. Manorama Bakshi, who closely mirror the traits of Mr. and Mrs. Bennet from the original text. While Mrs. Bennet may not be universally adored, her whimsical possessiveness seamlessly intertwines with the portrayal of a stereotypical Indian mother from the 1990s.

Furthermore, while the narrative follows the trope of forbidden love, with Lady Catherine's role assumed by Mrs. Darcy, the characters' motivations and intentions diverge from those of the original book. Similar to its comedic counterparts, the film deviates from the conventional ending, eschewing Wickham's marriage to Lakhi. Bride and Prejudice caters to a global audience, evident not only in its English dialogue but also in its infusion of Indian cultural elements into a storyline set in India. However, this blending of cultures raises questions about the film's cultural authenticity; for instance, an elaborate garba evening is depicted despite the scene being set in Punjab, and Mr. Kohli, mirroring Mr. Collins, dons traditional Indian attire for his wedding, which nonetheless follows a Christian ceremony despite both bride and groom belonging to Hindu families.

Pride And Prejudice (2005)

"You have bewitched me body and soul. And I love...I love...I

love you. I never wish to be parted from you from this day on."

Diverging from its predecessors, Pride and Prejudice (2005), helmed by Joe Wright, unfolds with a captivating silence, portraying the Bennett family engrossed in household tasks and engaging in spontaneous conversations. While Elizabeth's character maintains its inherent uniqueness, her interactions with her sisters eschew formality, radiating with a childlike affection. The film delicately preserves the bonds shared among the sisters, imbued with youthful charm and endearing camaraderie.

Elizabeth's romantic inclinations are subtly woven into the narrative, notably evidenced in her overt affection for Mr. Wickham—"On the contrary, Wickham is twice the man Darcy is." Her body language exudes youthfulness, good humor, and charm, coupled with a diplomatic demeanor necessitated by societal constraints of the era.

This adaptation places emphasis on the sisterly bond between Elizabeth and Jane, with Jane assuming a more prominent role as the elder sister, evident in their heartfelt exchanges. The Meryton ball scene eschews romanticized depictions, portraying the bustle and crowd with realism, while Darcy's taciturn demeanor underscores his social awkwardness, highlighted by his failure to adhere to proper etiquette.

Attention to character depth is evident throughout the film; Mary is depicted as rational and stern, transcending her portrayal as a mere bookworm. Charlotte Lucas's humor and her bond with Elizabeth are authentically portrayed, enriching their pivotal confrontation. Notably, Kitty and Lydia are portrayed by actors their age, amplifying the gravity of Lydia's elopement with Mr. Wickham and Darcy's efforts to avert disaster.

While maintaining a serious undertone, the film interjects moments of light-hearted innocence. Directorial liberties are taken in key scenes, such as Mr. Darcy's proposal amidst a rain-soaked gazebo and Lady Catherine's confrontation with Elizabeth, imbued with a palpable sense of disdain rather than interrogation.

Romantic intentions are subtly conveyed, devoid of longing gazes or overt displays of physical affection, with quick glances serving as conduits for emotional expression. The visual theme prioritizes attention to detail, with clothing in muted colors echoing the era's fashion sensibilities. Overall, Pride and Prejudice (2005) faithfully captures the essence of Austen's vision, surpassing mere adaptation to emerge as a nuanced cinematic masterpiece.

Pride And Prejudice And Zombies (2016)

"It is a truth universally acknowledged that a zombie in possession of brains must be in want of more brains."

Pride and Prejudice and Zombies transforms Seth Grahame-Smith's 2009 novel into an action-packed film, offering a unique twist on the classic tale. While the source material itself serves as a parody of Austen's original work, this adaptation warrants inclusion in our research for its adherence to the "Pride and Prejudice" storyline. Set in an Alternate Universe besieged by zombies, the narrative begins with a retrospective on England's tumultuous past. In response to the zombie threat, English children are raised and trained in combat abroad, with affluent individuals receiving training in Japan and others in China. Colonel Darcy's grim introduction sets the tone as he dispatches an undercover zombie at a gathering.

Elizabeth emerges as a fierce warrior, embodying regal strength and decisiveness, her opinions delivered with unyielding resolve. Major plot events, including Mr. Darcy's proposal, Lady Catherine's confrontation, and Lydia's elopement, are transformed into exhilarating fight sequences. The film emphasizes the Bennett sisters' martial prowess, depicting their harmonious sparring sessions and agile combat skills.

Other characters retain their original traits while adapting to the apocalyptic setting, maintaining the social etiquette of the era despite their constant armed vigilance. Jane retains her trademark kindness amidst bravery, while Mr. Wickham, though meeting a grisly fate, employs reason and sympathy in his interactions.

Visually, the film echoes the aesthetic established by Pride and Prejudice (2005), particularly in costume design. The language adopts a casual, modern tone, enhancing accessibility while offering contemporary insight into characters' emotions. Despite its parody nature, the film remains faithful to the essence of the original story and character dynamics, delivering an entertaining adaptation that balances humor with action.

Conclusion: In our concluding analysis, we will address each hypothesis individually and assess its applicability to the examined movies.

1. The hypothesis suggesting that newer films would feature more expressive characters was disproven, as the 1940s adaptation emerged with the most expressive characterizations among its derivative works. However, it's crucial to note that "expressive" does not imply a limited range of expression; rather, the intensity of emotions varied, albeit diminishing over time.
2. Regarding the portrayal of Darcy, a discernible trajectory is observed across subsequent adaptations. The 1940 version presents him in a warmer light compared to Pride and Prejudice and Zombies, lending credibility to the hypothesis.
3. The protagonist's perceived intelligence remains a steadfast trait across adaptations, while her romantic disposition fluctuates. Some movies depict her as a fierce and independent woman, as seen in Pride and Prejudice: A Latter-Day Comedy (2003) and Pride and Prejudice and Zombies, while others adhere closely to the romanticism of the original text. Other characters largely retain their core qualities across adaptations.

4. Contrary to expectations, the props and thematic elements of the films evolved not to cater to contemporary audience tastes but to adhere to historical accuracy. As derivative works progressed, there was a notable improvement in the authenticity of props and settings, aligning with historical details rather than contemporary preferences.

In conclusion, while some hypotheses found validation in the analysis, others were refuted or revealed nuanced outcomes. The examination underscores the dynamic interplay between adaptation and fidelity to source material, offering insights into the evolution of cinematic interpretations of Pride and Prejudice.

References :-

1. Austen, J. (2023). Pride and prejudice. Puffin Books.
2. Excel Entertainment Group. (2003). Pride & Prejudice. Retrieved February 3, 2023.
3. Metro-Goldwyn-Mayer films. (1940). Pride and Prejudice (1940 film). Retrieved February 17, 2023.
4. Panorama Studios. (2003). Bride and Prejudice [Film]. India.
5. Sony Pictures Releasing. (2016). Pride and Prejudice and Zombies [Film].
6. Universal Pictures. (2005). Pride & Prejudice. Retrieved January 22, 2023. K. Elissa, “Title of paper if known,” unpublished.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

भारतीय लोक साहित्य (गढ़वाली, बुन्देली, हरियानी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मालवी, निमाड़ी, राजस्थानी)

डॉ. रमेशकुमार टण्डन*

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) शास0 महात्मा गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरसिया (छ.ग.) भारत

प्रस्तावना – भारत को समग्ररूपेण समझना हो, तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में निवासरत लोगों के जन जीवन, उनकी जीवन–शैली एवं उनके मध्य प्रचलित संस्कृति को बेहद करीब से अवलोकन करना आवश्यक होता है। परन्तु भौगोलिक क्षेत्र इतना विस्तृत और दुर्गम है कि सुगमता से सभी स्थानों तक पहुँच पाना सम्भव नहीं हो सकता। अत: विद्वानों द्वारा समय–समय पर लोक साहित्य के रूप में लिखित ग्रन्थों के अध्ययन से सम्पूर्ण भारत के जन जीवन को समझा जा सकता है। यहाँ गढ़वाली, बुन्देली, हरियानी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मालवी, निमाड़ी, राजस्थानी लोक साहित्य का संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत किया गया है।

गढ़वाली लोक साहित्य – यह बोली गढ़वाल और टेहरी जिले में बोली जाती है। सर्वप्रथम तारादत्त गैरोला ने गढ़वाली खण्डकाव्य की रचना की तथा कुछ लोकगाथाओं और कथाओं को 'हिमालयन फोकलोर' में प्रस्तुत भी किया। गढ़वाल क्षेत्र में लोक गाथाओं के तीन रूप पायेजाते हैं – जागर वार्ता, पवाड़ा और चैती। जागर में धार्मिक, पवाड़ा में वीर तथा चैती में प्रेम संबंधी गाथाएँ होती हैं। डॉ0 गोविन्द चातक ने तीनों प्रकार की गाथाओं का संकलन किया है। श्री बलदेव शर्मा ने लोक–गाथा पवाँड़ों में 'जसी' और 'रामी' को प्रस्तुत किया तथा श्री शिवनारायण सिंह विष्ट ने 'गढ़ समरियन' पवाँड़ों का संकलन किया है। गिरिजादत्त नैथाड़ी ने अपनी पुस्तक 'मांगल संग्रह' में तथा पं0 रामनरेश त्रिपाठी ने 'कविता कौमुदी' में गढ़वाली गीतों का संकलन किया है। डॉ0 गोविन्द चातक ने 'गढ़वाली लोकगीत' पुस्तक लिखी, जिसमें लोकगीतों का हिन्दी में अनुवाद भी दिया गया है। अम्बादत्त डंगवाल ने 'गढ़वाली कहावत संग्रह' और शालिग्राम वैष्णव ने 'गढ़वाली पखणा' प्रस्तुत किया। पं0 गंगादत्त उप्रेती ने सर्वाधिक कार्य करते हुए इस क्षेत्र के कहावतों का संग्रह कर अंग्रेजी अनुवाद भी प्रस्तुत किया। समीक्षा और विवेचन की दृष्टि से मोहनलाल बाबुलकर का 'गढ़वाली लोक साहित्य का विवेचनात्मक अध्ययन', डॉ0 गोविन्द चातक का 'गढ़वाली लोक गीत : एक सांस्कृतिक अध्ययन', डॉ0 जनार्दन प्रसाद काला का 'गढ़वाली भाषा और लोक साहित्य' और डॉ0 शिवानन्द नौटियाल का 'गढ़वाल के लोक नृत्य–गीत' ग्रन्थ उल्लेखनीय है। डॉ0 नौटियाल के इस ग्रन्थ में होली, खुदेड, चांचरी गीतों का तथा छोपती, घसियारी, छपेली, झोड़ा और बनजारा नृत्यों का उल्लेख मिलता है।

बुन्देली लोक साहित्य – यह बोली उत्तरप्रदेश के झाँसी, जालौन, हमीरपुर जिले तथा मध्यप्रदेश के ग्वालियर, भोपाल, सागर, ओरछा, जबलपुर, टीकमगढ़ जिलों में बोली जाती है। बुन्देली लोक साहित्य के क्षेत्र में श्री कृष्णानन्द गुप्त, पं0 शिवसहाय चतुर्वेदी, पं0 उमाशंकर शुक्ल, हीरा देवी चतुर्वेदी ने साहित्य भंडार में वृद्धि की है। पं0 गौरी शंकर द्विवेदी ने 'प्रेमी अभिनन्दन ग्रन्थ' में अनेक लोक गीतों का संग्रह करके व्याख्या भी की है। देवेन्द्र सत्यार्थी ने इसी ग्रन्थ में सात लोक गीतों की व्याख्या की है। बुन्देलखण्ड में फाग गाने वालों में ईसुरी, गंगाधर, भुजवल और ख्याली कानाम प्रसिद्ध है। श्री कृष्णानन्द गुप्त ने प्रसिद्ध लोक कवि ईसुरी की फागों का संकलन किया है। श्री गौरी शंकर द्विवेदी ने ईसुरी की फागों पर 'ईसुरी प्रकाश' लिखा है। प्रो0 श्रीचन्द जैन ने अपनी पुस्तक 'विन्ध्य के लोक कवि' में ईसुरी और गंगाधर का प्रामाणिक वर्णन किया है। डॉ0 शंकर लाल शुक्ल ने अपने शोध प्रबन्ध 'बुन्देलखण्ड के लोक गीत तथा लोक कवि ईसुरी का विशेष अध्ययन' में बुन्देली लोक गीतों का वर्णन किया है। बुन्देलखण्ड में साहित्यिक और गीतात्मक प्रतियोगिताओं को 'फड़' कहा जाता है। फागों, ख्यालों, कीर्तनों, सैरों, लावनियों और कवित्तों पर यहाँ 'फड़' लगा करते हैं। 'बुन्देलखण्डी फड़ साहित्य में सैरबाजी का विशिष्ट चलन है जो कि ऐसी रागिनी है जिसे 'दायरा' नामक लोकवाद्य पर गाया जाता है।'[1] डॉ0 गणेशी लाल बुधौलिया ने 'बुन्देलखण्डी फड़ साहित्य' शीर्षक पर शोध कार्य किया है। बुन्देली लोक कथाओं पर पं0 शिव सहाय चतुर्वेदी के छ: संकलन प्रकाशित हो चुके हैं। बुन्देली लोक साहित्य पर डॉ0 राम स्वरूप श्रीवास्तव 'स्नेही' का शोध प्रबन्ध सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है, जिसके चतुर्थ अध्याय में बालकों एवं स्त्रियों के लोक गीतों का वर्णन है और पंचम अध्याय में संस्कार गीत, जाति गीत, व्रत गीतों का वर्णन है।

हरियानी लोक साहित्य – वर्तमान हरियाणा राज्य की बोली को हरियाणवी कहते हैं। इसे बाँगरू अथवा हरियानी भी कहा जाता है। इसके अन्तर्गत रोहतक और करनाल जिले, संगरूर की जिंद तहसील, पूर्वी हिसार और दक्षिणी पूर्वी पटियाला आता है। श्री राजा राम शास्त्री ने 'हरियाना की लोक कथाएँ' तथा 'हरियाना लोकमंच की कहानियाँ' नामक पुस्तक में हरियानी लोक कथाओं का संकलन किया है। दूसरी पुस्तक में रानी पिंगला, वनदेव, कुँवर निहाल दे जैसी ऐतिहासिक कहानियाँ संग्रहित है। डॉ0 शंकर लाल यादव ने 'हरियाणा प्रदेश का लोक साहित्य' शीर्षक से शोध प्रबन्ध लिखा है। इस शोध प्रबन्ध में तृतीय अध्याय से छठवें अध्याय में लोक गीत, लोक गाथा, लोक कथा, लोक नाट्य की विशद मीमांसा की गई है। डॉ0 यादव की अन्य पुस्तक 'हरियाणा लोक नाट्य संगीत' में इस प्रदेश के लोक नाट्यों का वर्णन है। गीता भार्गव ने 'हरियाण के लोक गीतों में सामाजिक तथा सांस्कृतिक तत्त्व', श्री लाल चन्द ने 'पंजाब और हरियाणा के प्रमुख व्रत और

उनकी कथाएँ', श्री वेदराम यादव ने 'हरियाणा के लोक गीतों में प्रेम निरूपण', सुशीला कुमारी ने 'हरियाणा प्रदेश के वैवाहिक गीत' तथा सुमित्रा सिंह ने 'हरियाणवी लोक साहित्य का सांस्कृतिक अध्ययन' शोध प्रबन्ध में इस क्षेत्र के लोक साहित्य का सांगोपांग विवेचन प्रसतुत किया है।

बघेली लोक साहित्य – बघेली का प्रधान क्षेत्र रीवाँ और उसके आसपास का क्षेत्र है। बघेली लोक साहित्य का लेखन कार्य करने वालों में प्रो0 श्रीचन्द जैन का नाम महत्त्वपूर्ण है। इन्होंने अपनी पुस्तक 'विन्ध्य के आदिवासियों के लोक गीत' में रीवाँ के आस-पास जंगल में रहने वाले लोगों के लोक गीतों का संकलन किया। इन्होंने अपनी दूसरी कृति 'विन्ध्य प्रदेश के लोक गीत' में करमा लोक गीतों का संग्रह किया। 'आगे गेहूँ पीछे धान' नामक पुस्तक में इन्होंने बघेलखण्ड की लोकोक्तियों का संकलन किया है। 'भुँइयाँ परे हैं लाल' में इन्होंने बघेलखण्डी सोहरों पर प्रकाश डाला है। श्री लखन प्रकाश 'उरगेश' ने पुस्तक 'बघेली लोक गीत' लिखते हुए इसमें विभिन्न लोक गीतों का संकलन किया है। डॉ0 रामदास प्रधान ने 'बघेलखण्ड की लोकोक्तियाँ, मुहावरे और लोक-कथाएँ' शीर्षक पर शोध कार्य किया है। श्री जगदीश चतुर्वेदी की कृति 'बघेली लोक साहित्य' में लोक साहित्य के विविध अंगों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। डॉ0 भगवती प्रसाद शुक्ल के शोध प्रबन्ध 'बघेली भाषा और साहित्य' के दूसरे भाग में बघेली के लोक साहित्य और उसकी विविध विधाओं पर प्रकाश डाला गया है। इन्होंने 'बघेली लोक रागनी' में बघेली लोक गीतों के संगीत पक्ष को उजागर किया है। श्री राम प्रताप सक्सेना ने भी लोक कथाओं का संकलन किया है।

छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य – यह पूर्वी हिन्दी की एक बोली है। यह रायगढ़, सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, बस्तर जिलों में बोली जाती है। छत्तीसगढ़ को पुरातन समय में दण्डकारण्य कहा जाता था। इसके पूर्वी भाग को महाकोशल या दक्षिण कोशल कहा गया। प्राचीन समय में यहाँ 36 की संख्या में गढ़ होने की बात कही गई। छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य में सबसे अधिक कार्य डॉ0 श्यामाचरण दूबे ने किया। इन्होंने लोक गीतों का परिचय देते हुए अंग्रेजी अनुवाद भी सम्पादित किया। इस प्रकार इन्होंने 'छत्तीसगढ़ी और उसका साहित्य' नामक पुस्तिका में इस बोली का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया है। श्री चन्द्रकुमार अग्रवाल ने 'छत्तीसगढ़ी लोक कथाएँ' नामक पुस्तक में छत्तीसगढ की लोक कथाओं का संकलन किया है। कमल श्रीवास्तव, श्रीमती कुन्तल गोयल, श्यामलाल चतुर्वेदी, दयाशंकर शुक्ल आदि ने भी इस क्षेत्र में कार्य किया है। छत्तीसगढी लोक साहित्य के क्षेत्र में शोध करने वालों में डॉ0 वैरियर एल्विन का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इन्होंने जन-जातियों के लोक साहित्य को पूरी तरह जानने के लिए उनके बीच आश्रम बनाकर रहते हुए एक वनवासी कन्या से विवाह भी किया। इस संबंध में इनके दो ग्रन्थ प्राप्त होते हैं- 'फोक सांग्स ऑफ छत्तीसगढ' और 'फोक टेल्स ऑफ महाकोशल'।

'श्री हेमनाथ यदु, कबीरदास के शिष्य धर्मदास को छत्तीसगढ़ी का प्रथम कवि मानते हैं। समीक्षक डॉ. विनय पाठक का मत है कि 'चौका गीत' एक लोक भजन है तथा धर्मदास के पद जिस युग में मिलते हैं, उस समय छत्तीसगढ़ी भाषा स्थापित नहीं हो पाई थी। अनेक विद्वानों ने पंडित गोपाल मिश्र, श्री माखन मिश्र एवं बाबू रेवाराम (सिंहासन बत्तीसी) को प्रथम कवि मानते हैं, परन्तु डॉ. विनय पाठक के मतानुसार, छत्तीसगढ़ी का पुट इनकी रचनाओं में कम दिखाई देता हैं। डॉ. नरेन्द्र देव शर्मा ने पं. सुंदरलाल शर्मा (दानलीला 1912) को प्रथम कवि स्वीकारा है, जबकि नंद किशोर तिवारी ने पं. लोचन प्रसाद पाण्डेय को छत्तीसगढ़ी काव्य के प्रथम प्रणेता के आसन पर विराजित करते हैं। इसी तारतम्य में दयाशंकर शुक्ल ने भी 1908-09 में प्रकाशित लोचन प्रसाद पाण्डेय की 'छत्तीसगढ़ी कविता' को प्रथम रचना अभिसिक्त किया है। डॉ. विनय पाठक ने 1904 में रचित 'शिवायन' को छत्तीसगढ़ी की प्रथम काव्य कृति और नरसिंह दास (जांजगीर जिले के ग्राम तुलसी निवासी) को प्रथम कवि प्रमाणित किया है।'[2]

कपिल नाथ कश्यप जी द्वारा रचित 'श्री रामकथा, श्री कृष्ण कथा और महाभारत कथा' छत्तीसगढ़ी काव्य जगत के अनंताकाश में बिखरे हुए नक्षत्रों के समान है, जिसका सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक आभामण्डल आगत-विगत दोनों छोरों को आभासित करता है। ये तीनों रचनाएँ काव्य जगत के अमूल्य धरोहर हैं। इसके अतिरिक्त नूतन प्रसाद शर्मा जी का 'गरीबा' महाकाव्य और शकुन्तला वर्मा का 'कुमार संभव', छत्तीसगढ़ी महाकाव्य के रूप में चर्चित हैं। शिवशंकर शुक्ल कृत 'रधिया' (1969), लखनलाल गुप्त कृत 'सरग ले डोला आईस' (1969), डॉ. विनय कुमार पाठक रचित 'छत्तीसगढ़ी लोक कथा' (1970), कपिलनाथ कश्यप कृत 'डहर के कांटा', डॉ. पालेश्वर प्रसाद शर्मा कृत 'सुसक झन कुररी सुरता लेय एवं 'तिरिया जनम झनि देय', पं. श्यामलाल चतुर्वेदी कृत 'भोलवा भेलाराम बनिस' (1995), डॉ. राजेन्द्र सोनी कृत 'खोरबहरा तोला गांधी बनाबोन' (1981), महेतराम साहू रचित 'हमरे भीतरी सब कुछु हेय व 'आंसु में फिले अंचरा', परदेशी राम वर्मा विरचित 'रमिया और केतकी', पं. सीताराम मिश्र कृत 'सुरहि गैया' तथा कृष्ण कुमार शर्मा, सत्यभामा आडिल आदि की रचनाएँ छत्तीसगढ़ी कहानी की चर्चित एवं प्रतिष्ठित कृतियाँ हैं। छत्तीसगढ़ी लोक नाट्यों में गम्मत, रहस, रास या रासलीला, एवं मुरिया जनजाति की एक शिकार नाटिका माओपाटा का मंचन किया जाता है। छत्तीसगढ़ी लोक कथाओं में चंदैनी के कहिनी, रमायन के कथा, ढ़ोला मारू के कहिनी, हीरू के कहिनी, सुरही गैया, चुरकी-भुरकी की कहानी, फूलबासन की कथा, सुसक झन कुररी सुरता ले, डोकरी के कहिनी, भोलवा भोलाराम बनिस, मनखे ला कतका भुंईया चाही, हाय रे मोर कसूर तंय नही दूसर, रधिया आदि उल्लेखनीय हैं।

मालवी लोक साहित्य – यह मध्यप्रदेश में स्थित धार, झाबुआ, रतलाम, देवास, इंदौर, उज्जैन, मंदसौर, सीहोर, शाजापुर, रायसेन, राजगढ़, विदिशा जिले में बोली जाती है। मालवा जनपद में ही प्रसिद्ध महाराजा विक्रमादित्य ने शासन किया था। स्टीफन हिस्लप ने मालवा क्षेत्र के लोक साहित्य की प्रचुर सामग्री का संकलन किया था परन्तु उन सामग्रियों का प्रकाशन आर. सी. टेम्पुल के द्वारा उसकी मृत्यु के बाद ही हो सका। सन् 1929 ई. में पं0 रामनरेश त्रिपाठी ने अपनी 'कविता कौमुदी' भाग - 5 (ग्राम गीत) में कुछ मालवी लोक गीतों का संकलन किया है। जी. आर. प्रधान ने भी कुछ लोक गीतों का वैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत किया है। मालवी लोक गीतों, कथाओं और गाथाओं के संकलन में डॉ0 श्याम परमार और डॉ0 चिन्तामणी उपाध्याय ने पूरा समय दिया। डॉ0 परमार ने 'मालवी कविताएँ' नामक पुस्तक का प्रकाशन भी किया है। इनका 'मालवी लोक साहित्य' शीर्षक से इस क्षेत्र में प्रथम शोध प्रबन्ध भी प्राप्त होता है। इस ग्रन्थ में पवाड़ा लोक गाथा, लावनी, लोक नाट्य (माँच), लोक कला (माँडना, चित्रावण, साँझी, मेहंदी, भात और गोदना) का परिचय मिलता है। डॉ0 चिन्तामणी उपाध्याय ने शोध प्रबन्ध 'मालवी लोक गीत : एक विवेचनात्मक अध्ययन' लिखते हुए बालकों, स्त्रियों और पुरूषों के लोक गीतों का अलग-अलग वर्गीकरण प्रस्तुत किया। डॉ0 शिव कुमार 'मधुर' ने लोक नाट्य पर शोध कार्य किया है। डॉ0 परमार ने

'लोकधर्मी नाट्य परम्परा' में मालवा के माच, ख्याल, इनके प्रवर्तकों, नौटंकी, भगत, और स्वांग का विवेचन किया है। मालकम ने 'मेंमायर्स ऑफ सेण्ट्रल इण्डिया' के कुछ खण्डों में तथा डॉ0 श्याम परमार, तेज कुमार बम, प्यारे लाल, डॉ0 बसंती लाल बम आदि ने भी कुछ लोक कथाओं का संकलन किया है। मालवी में लोकोक्ति, कवात, कवाड़ा और पहेली अथवा प्याली कहलाती है। श्री रतन लाल मेहता ने 'मालवी कहावतों' नाम से मालवी कहावतों को संग्रह किया है। पं0 सूर्य नारायण व्यास की प्रेरणा से उज्जैन में 'मालव लोक साहित्य परिषद्' की स्थापना हुई। इस संस्था ने मालवी लोक साहित्य के विकास की दिशा में महत्त्वपूर्ण कार्य किया है।

निमाड़ी लोक साहित्य – यह मालवी की उपबोली है। यह मुख्यत: पूर्वी निमाड़ (खण्डवा) और पश्चिमी निमाड़ (खरगोन) जिलों में बोली जाती है। निमाड़ मालवा राज्य का दक्षिणी भाग है। मालवी भाषामें नीचे के भाग को निमानी कहते हैं। इसलिए यह बोली निमाड़ी कही गई। इस क्षेत्र में पं0 राम नारायण उपाध्याय ने सर्वश्रेष्ठ कार्य करते हुए 45 लोक गीतों का संग्रह कर 'निमाड़ी लोक गीत' लिखा। इनकी दूसरी पुस्तक 'जब निमाड़ गाता है' में संस्कार तथा व्रत संबंधी गीतों का संकलन है। इन्होंने बालोपयोगी लोक कथा भी लिखा है। पं0 उपाध्याय ने निमाड़ की खेती और वर्षा संबंधी कहावतों तथा व्यंग्य और उपदेशात्मक कहावतों को समाहित करते हुए 'निमाड़ी लोक कहावतें' नामक पुस्तक भी लिखी है। इनकी पुस्तक 'निमाड़ी का लोक साहित्य और संस्कृति' में निमाड़ी लोक कला, लोक संगीत, लोक वाद्य, लोक विश्वास आदि पर प्रकाश डाला गया है। इनकी 'निमाड़ी का सांस्कृतिक इतिहास' नामक पुस्तक में लोक कथा, लोक गीत, कहावतें आदि पर विस्तृत विवेचना प्रस्तुत की गई है। डॉ0 कृष्ण लाल हंस ने अपनी पुस्तक 'निमाड़ी लोक गीत' में लोक गीतों का संग्रह किया है। इन्होंने दो भागों में निमाड़ी लोक कथाओं का प्रकाशन भी किया है। इनका शोध प्रबंन्ध 'निमाड़ी भाषा और साहित्य' एक महत्त्वपूर्ण कृति है। इसमें निमाड़ी गीत और कहानियों की शोधपरक विवेचना मिलती है।

राजस्थानी लोक गीत – राजस्थानी पाँच बोलियों का समूह है – मारवाड़ी, मेवाती, ढूँढाड़ी, मालवी और बागड़ी। परन्तु मारवाड़ी ही मानक बोली है। श्री खेताराम माली ने प्रारम्भिक प्रयास करते हुए 'मारवाड़ी गीत संग्रह', 'मारवाड़ी गीत', 'असली मारवाड़ी गीत संग्रह' और 'वृहत् मारवाड़ी गीत संग्रह' लिखा। इसके पश्चात् श्री जगदीश सिंह गहलोत ने 100 गीतों के संकलन के रूप में 'मारवाड़ी ग्राम गीत' और श्री गंगा प्रसाद कमठान ने 'राजस्थानी लोक गीत' भाग 1 और 2 लिखते हुए लोक गीतों का सन्दर्भ सहित विवेचना प्रस्तुत की। मेहता रघुनाथ सिंह ने 'जैसलमेरीय संगीत रत्नाकर', सरदार मल थानवी ने 'मरुधर गीतमाला' और 'घुड़ला', श्री पुरूषोत्तम दास पुरोहित ने 'पुस्करणों के सामाजिक गीत' तथा पं0 राम नरेश त्रिपाठी ने 'मारवाड़ के मनोहर गीत' पुस्तकों में प्रदेश के लोक गीतों का काफी अच्छा संग्रह प्रस्तुत किया है। लोक गीत के क्षेत्र में सूर्य करण पारीक, नरोत्तम दास स्वामी और ठाकुर राम सिंह नामक तीनों विद्वानों ने संयुक्त रूप से 'राजस्थान के लोक गीत' नामक पुस्तक दो भागों में संपादित कर इसमें 230 लोक गीतों जिसमें संस्कार गीत भी हैं और लोक गाथाओं को समावेश किया है। राजस्थान के ग्रामीण गीतों को संकलित करते हुए श्री गणपति स्वामी और सूर्यकरण पारीक ने 'राजस्थान के ग्राम गीत' नामक पुस्तक का प्रकाशन किया। श्री निहालचन्द वर्मा ने 'मारवाड़ी गीत', श्री ताराचन्द ओझा ने 'मारवाड़ी गीत संग्रह', श्री पुरूषोत्तम लाल मेनारिया ने 'राजस्थानी लोक गीत' तथा श्री मदनलाल वैश्य ने 'मारवाड़ी गीत माला' लिखकर इस दिशा में श्रेष्ठ कार्य किया है। डॉ0 स्वर्णलता अग्रवाल ने राजस्थानी लोक गीतों पर शोध कार्य किया है एवं रानी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत ने 'राजस्थानी लोक गीतों' का सम्पादन किया है। इसके अतिरिक्त श्री विजयदान देथा ने छह भागों में भाई–बहन, ससुराल–पीहर के गीतों तथा प्रेम गीतों का सम्पादन किया है।

श्री मोहनलाल पुरोहित ने 'राजस्थानी व्रत कथाएँ' तथा 'राजस्थानी प्रेम कथाएँ' नाम से लोक कथाओं का संग्रह प्रकाशित किया है। डॉ0 कन्हैया लाल सहल ने 'नटो तो कहो मत' संकलन में लोक कथाओं को स्थान दिया है। 'मरु भारती' में धारावाहिक रूप से प्रकाशित श्री गोविन्द अग्रवाल का 'राजस्थानी लोक–कथा कोश' प्रदेश के लोगों के जन–जीवन की झांकी प्रस्तुत करता है। श्री विजयदान देथा ने 'लोक संस्कृति' पत्रिका के माध्यम से अनेक राजस्थानी लोक कथाओं का प्रकाशन किया है। 'बात' राजस्थानी लोक साहित्य का एक रोचक अंग है। शैली की रोचकता, पद्य का प्रयोग, भाषा में चित्रमयता, लोकोक्ति–मुहावरा का प्रयोग इनकी विशेषताएँ हैं। राजस्थानी 'बातों' में वीरता का वर्णन अधिक हुआ है। राजस्थान के वीर, योद्धा, दानी, संत, सती, विदुषी और वीरांगनाओं से संबंधित बातें यहाँ घर–घर में फेली हुईं हैं। सूर्यकरण पारीक ने 'राजस्थानी बातों' नामक ग्रन्थ में अनेक वीरों की 'बातों' का संकलन किया है। रानी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत ने 'कैरे चकवा बात' और 'सिर ऊँचा ऊँचा गढ़ा' नामक पुस्तक में क्रमश: 16 और 30 बातों का संग्रह किया है। ये सभी आख्यानें ऐतिहासिक हैं। श्री विजयदान देथा ने 'बाताँ री फुलवाडी' नाम से दास भागों में बातों का प्रकाशन किया है।

श्री गणपति स्वामी ने 'जीणमाता–रो गीत' लोक गाथा के कुछ अंशों का प्रकाशन 'राजस्थान भारती' और 'मरु भारती' में किया है। इस गाथा में भाई–बहन का निश्छल प्रेम अभिव्यक्त हुआ है। लोक गाथा के क्षेत्र में ठाकुर सौभाग्य सिंह ने 'जीणमाता' पुस्तक का भी सम्पादन किया है। सूर्य करण पारीक, नरोत्तम दास स्वामी और ठाकुर राम सिंह नामक विद्वानत्रयी ने संयुक्त रूप से प्रसिद्ध गाथा 'ढोला मारू रा दूहा' का सम्पादन बड़े ही मनोयोग से किया है। यह एक सरस प्रेम गाथा है, जिसमें वियोग श्रृंगार रस की प्रधानता है। डॉ0 कन्हैया लाल सहल ने वीरता की 12 लोक गाथाओं का संग्रह 'राजस्थानी वीर गाथाओं' में किया है। इन्होंने 'निहाल दे सुल्तान' की गाथा को तीन भागों में हिन्दी में प्रकाशित किया है। श्री चन्ददान चारण ने गोगा चौहान की गाथा को 18 पाठों में प्रकाशित किया है। गोगा जी की गणना राजस्थान के प्रसिद्ध पाँच वीरों में की जाती है। इसे 'जाहर पीर' भी कहा जाता है। सर्पो के देवता होने के कारण इन्हें प्रबल देवता के रूप में पूजा जाता है। राजस्थानी समाज की रीति–रिवाज और धार्मिक विश्वास को प्रकट करती गाथा 'बगडावत' का प्रकाशन डॉ0 कृष्ण कुमार शर्मा के द्वारा किया गया है। इस गाथा का हिन्दी अनुवाद रानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत ने किया है। बगडावतों के कुलगुरु देव नारायण से संबंधित गाथा 'देव नारायण रो भारत' का सम्पादन डॉ0 महेन्द्र भानावत ने किया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. डॉ0 कृष्णदेव उपाध्याय : भारत में लोक साहित्य, साहित्य भवन प्रा0 लि0 इलाहाबाद, संस्करण : 1998, पृ0 140
2. डॉ0 रमेश टण्डन : लोक साहित्य एवं छत्तीसगढ़ी साहित्य (छत्तीसगढ़ी साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियाँ – श्रीमती पुष्पांजलि दासे), सर्वप्रिय प्रकाशन कश्मीरी गेट दिल्ली, संस्करण : 2020, पृ0 104

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

मुलायम सिंह यादव की केंद्रीय राजनीति में भूमिका

डॉ. लोकेश कुमार शर्मा*

* एसोसिएट प्रोफेसर, मेवाड़ विश्वविद्यालय, चित्तौड़गढ़ (राज.) भारत

शोध सारांश – मुलायम सिंह यादव, भारतीय राजनीति के एक प्रमुख नेता और समाजवादी विचारधारा के प्रतीक माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा ही है, लेकिन उनके केंद्रीय राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मुलायम सिंह यादव न केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत रहे, बल्कि केंद्रीय राजनीति में भी उनके प्रभावशाली कदम और रणनीतियां उन्हें एक अद्वितीय नेता के रूप में स्थापित करती हैं। यह रिसर्च पेपर मुलायम सिंह यादव की केंद्रीय राजनीति में भूमिका, उनके योगदान और उनकी रणनीतियों का गहन विश्लेषण करता है।

प्रारंभिक जीवन और राजनीतिक कैरियर की शुरुआत – मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सैफई गांव में हुआ था। एक किसान परिवार से आने वाले मुलायम सिंह यादव ने राजनीति में अपने करियर की शुरुआत समाजवादी आंदोलन से की। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1967 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में की, जब उन्होंने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता। इस दौरान, उन्होंने राम मनोहर लोहिया के विचारों को अपनाया और समाजवादी आदर्शों के प्रति अपनी निष्ठा दिखाई।

मुलायम सिंह यादव: संसद में योगदान और राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका– मुलायम सिंह यादव का राजनीतिक कैरियर केवल उत्तर प्रदेश की राजनीति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे भारतीय राजनीति के ऐसे नेता रहे जिन्होंने अपने विचारों और कार्यों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक न्याय और समानता के मुद्दों को उठाया।

केंद्रीय राजनीति में प्रवेश – 1989 में जब जनता दल सत्ता में आई, तो मुलायम सिंह यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि, उनका असली राजनीतिक सफर तब शुरू हुआ जब उन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की और खुद को एक राष्ट्रीय नेता के रूप में प्रस्तुत किया। 1996 के लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी ने महत्वपूर्ण सीटें जीतीं और मुलायम सिंह यादव केंद्र में रक्षा मंत्री बनाए गए। यहीं से उनकी केंद्रीय राजनीति में वास्तविक भूमिका शुरू होती है।

लोकसभा सदस्य के रूप में – मुलायम सिंह यादव ने अपने राजनीतिक कैरियर में कई बार लोकसभा के सदस्य के रूप में सेवा की। पहली बार 1996 में, वे मैनपुरी से लोकसभा के लिए चुने गए। इसके बाद, वे कई बार लोकसभा के लिए चुने गए और उनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण विषयों पर संसद में अपनी बात रखी।

मुलायम सिंह यादव ने संसद में किसानों, मजदूरों, और गरीबों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। वे हमेशा से ही ग्रामीण क्षेत्रों के विकास, किसानों की समस्याओं और सामाजिक न्याय के लिए संघर्षरत् रहे। संसद में उनके वक्तव्य अक्सर गरीबों और वंचितों के अधिकारों की रक्षा के लिए होते थे। उन्होंने कई बार कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से संबंधित नीतियों की वकालत की और सरकार की योजनाओं का समर्थन किया, जो समाज के निचले तबके के लोगों के लिए फायदेमंद थीं।

केंद्रीय मंत्री के रूप में योगदान – मुलायम सिंह यादव ने 1996 से 1998 तक भारत के रक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया। इस दौरान, उन्होंने भारतीय सेना की मजबूती और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया। उनका कार्यकाल कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा, खासकर जब उन्होंने सेना के आधुनिकीकरण के लिए कई योजनाएं शुरू कीं। उन्होंने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया और स्वदेशी रक्षा उपकरणों के विकास पर जोर दिया।

उनके कार्यकाल के दौरान, मुलायम सिंह यादव ने भारत की रक्षा नीति में सुधार किया और सेना के आधुनिकीकरण पर जोर दिया। उन्होंने सेना के जवानों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए और उनकी जीवन परिस्थितियों को बेहतर बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू कीं। इसके अलावा, उन्होंने भारत के पड़ौसी देशों के साथ सैन्य संबंधों को भी मज़बूत करने का प्रयास किया।

समाजवादी विचारधारा और केंद्रीय राजनीति– मुलायम सिंह यादव की केंद्रीय राजनीति में भूमिका को उनकी समाजवादी विचारधारा से अलग करके नहीं देखा जा सकता। वे हमेशा से ही गरीबों, किसानों और मजदूरों के अधिकारों के लिए संघर्षरत रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय राजनीति में भी इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। उनकी पार्टी, समाजवादी पार्टी, ने हमेशा ही केंद्र सरकार की नीतियों पर अपनी स्पष्ट और मुखर राय रखी है। चाहे वह आर्थिक सुधारों का मुद्दा हो या सामाजिक न्याय का, मुलायम सिंह यादव ने हमेशा समाज के पिछड़े और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया।

राष्ट्रीय राजनीति में प्रभाव– मुलायम सिंह यादव की राष्ट्रीय राजनीति में प्रभावशाली भूमिका रही है। वे भारतीय राजनीति में समाजवादी विचारधारा के प्रमुख चेहरे थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी को एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

मुलायम सिंह यादव ने देश के विभिन्न हिस्सों में समाजवादी आंदोलन को फैलाया और इसे मजबूत करने के लिए कई सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित किए। वे विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने स्पष्ट और प्रभावशाली दृष्टिकोण के लिए जाने जाते थे।

1996 में, जब केंद्र में संयुक्त मोर्चा सरकार बनी, तो मुलायम सिंह यादव ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे गठबंधन की राजनीति के विशेषज्ञ माने जाते थे और उन्होंने कई बार विभिन्न दलों को एक साथ लाकर सरकार बनाने में योगदान दिया।

गठबंधन राजनीति में भूमिका – मुलायम सिंह यादव का केंद्रीय राजनीति में सबसे बड़ा योगदान उनके गठबंधन की राजनीति में देखा जा सकता है। उन्होंने कई बार विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ मिलकर गठबंधन सरकारें बनाई और उन्हें स्थिरता प्रदान की। 1996 में, जब देश में कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत नहीं पा सकी, तब मुलायम सिंह यादव ने गठबंधन की राजनीति का नेतृत्व किया और केंद्र में स्थिरता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने विभिन्न मुद्दों पर केंद्र सरकार का समर्थन किया और देश की राजनीति में संतुलन बनाए रखा।

राजनीतिक रणनीतियां और चुनावी सफलता – मुलायम सिंह यादव ने अपने राजनीतिक जीवन में कई महत्वपूर्ण चुनावी रणनीतियों को अपनाया। उन्होंने हमेशा से ही जातिगत और धार्मिक समीकरणों को समझा और उन्हें अपने पक्ष में किया। उनके कुशल नेतृत्व और रणनीतियों के कारण समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश और केंद्र में कई चुनावी सफलताएं हासिल कीं। उनकी राजनीति का प्रमुख आधार सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, और समावेशी विकास रहा है, जिसने उन्हें एक जननेता के रूप में स्थापित किया।

राष्ट्रीय मुद्दों पर दृष्टिकोण – केंद्रीय राजनीति में रहते हुए, मुलायम सिंह यादव ने राष्ट्रीय मुद्दों पर भी अपनी स्पष्ट राय रखी। चाहे वह आर्थिक सुधारों का मामला हो, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा हो, या फिर अंतरराष्ट्रीय मामलों पर भारत की स्थिति, मुलायम सिंह यादव ने हमेशा एक संतुलित और देशहित में आधारित दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने कई मौकों पर सरकार की नीतियों की आलोचना की, लेकिन देश की अखंडता और संप्रभुता के लिए हमेशा अपने विचारों को प्रकट किया।

विपक्ष के नेता के रूप में भूमिका – मुलायम सिंह यादव ने विपक्ष के नेता के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने संसद में सरकार की नीतियों पर कड़ी निगरानी रखी और समय-समय पर अपनी पार्टी की ओर से वैकल्पिक नीतियां प्रस्तुत कीं। उनके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने सरकार की नीतियों की तीखी आलोचना की, लेकिन एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने सदैव लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थन किया और देश की जनता के मुद्दों को संसद में उठाया।

लोकतंत्र और धार्मनिरपेक्षता के प्रति प्रतिबद्धता – मुलायम सिंह यादव की केंद्रीय राजनीति में सबसे बड़ी विशेषता उनकी लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के प्रति अटूट निष्ठा रही है। उन्होंने हमेशा से ही देश की विविधाता और धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को बनाए रखने के लिए काम किया। उनके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने हमेशा ही देश की सांस्कृतिक विविधता का सम्मान किया और विभिन्न समुदायों के बीच भाईचारे और सद्भावना को बढ़ावा दिया।

सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता – मुलायम सिंह यादव की राजनीति का एक प्रमुख स्तंभ सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता रहा है। उन्होंने हमेशा समाज के वंचित और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। उनके नेतृत्व में, समाजवादी पार्टी ने इन मुद्दों पर जोर दिया और विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से इनकी रक्षा करने का प्रयास किया।

वे भारतीय राजनीति में एक मजबूत धर्मनिरपेक्ष नेता के रूप में उभरे और उन्होंने हमेशा धार्मिक भेदभाव और सांप्रदायिकता का विरोध किया। मुलायम सिंह यादव के विचार और नीतियाँ हमेशा समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने पर आधारित थीं।

अंतिम वर्षों में केंद्रीय राजनीति में योगदान – मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक करियर के अंतिम वर्षों में भी उन्होंने केंद्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई। वे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर पार्टी का मार्गदर्शन करते रहे और केंद्र सरकार की नीतियों पर अपनी राय रखते रहे। उनकी उपस्थिति हमेशा ही भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती रही और उनकी राजनीतिक सोच और दृष्टिकोण ने नई पीढ़ी के नेताओं को भी प्रभावित किया।

राजनीतिक विचारधारा और समाजवाद– मुलायम सिंह यादव का पूरा राजनीतिक जीवन समाजवादी विचारधारा पर आधारित था। उन्होंने लोहिया और जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेताओं से प्रेरणा ली और समाज के सबसे निचले तबके के लिए काम करने का संकल्प लिया। उनका उद्देश्य हमेशा समाज में समानता और न्याय स्थापित करना रहा। उन्होंने समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराने का प्रयास किया।

समाजवाद उनके राजनीतिक कैरियर का केंद्रीय बिंदु था और उन्होंने हमेशा इसे अपनी नीतियों और कार्यक्रमों में प्राथमिकता दी। मुलायम सिंह यादव ने भूमि सुधार, किसानों की भलाई, और सामाजिक न्याय के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू किया। उनका मानना था कि समाज में जब तक सभी को समान अवसर और अधिकार नहीं मिलेंगे, तब तक वास्तविक लोकतंत्र संभव नहीं हो सकता।

निष्कर्ष – मुलायम सिंह यादव का केंद्रीय राजनीति में योगदान अति महत्वपूर्ण और प्रभावशाली रहा है। उन्होंने न केवल उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी छाप छोड़ी, बल्कि केंद्र में भी एक सशक्त और विचारशील नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई। उनकी समाजवादी विचारधारा, गठबंधन की राजनीति में उनकी भूमिका, और राष्ट्रीय मुद्दों पर उनका संतुलित दृष्टिकोण उन्हें भारतीय राजनीति के इतिहास में एक विशिष्ट स्थान प्रदान करता है। मुलायम सिंह यादव के योगदानों को समझना और उनका मूल्यांकन करना हमें न केवल भारतीय राजनीति की जटिलताओं को समझने में मदद करता है, बल्कि एक ऐसे नेता के संघर्ष और सफलता की कहानी को भी उजागर करता है, जिसने अपने जीवन को देश और समाज की सेवा में समर्पित कर दिया।

मूल्यांकन करना हमें न केवल भारतीय राजनीति की जटिलताओं को समझने में मदद करता है, बल्कि एक ऐसे नेता के संघर्ष और सफलता की कहानी को भी उजागर करता है, जिसने अपने जीवन को देश और समाज की सेवा में समर्पित कर दिया।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Yadav, A. K. (2010). The Life and Times of Mulayam Singh Yadav. New Delhi: Penguin Books.

2. Guha, R. (2007). India After Gandhi: The History of the World's Largest Democracy. New Delhi: HarperCollins Publishers.
3. Parliament of India. Lok Sabha Archives. (2023). Speeches and Contributions of Mulayam Singh Yadav in Central Politics. Retrieved from https://loksabha.nic.in/
4. Sharma, R. (2012). Mulayam Singh Yadav: His Socialism and Secularism. Journal of Indian Political Thought, 15(3), 45-58.
5. The Hindu Archives. (1996-1998). Mulayam Singh Yadav's Role in Central Politics. Retrieved from https://www.thehindu.com/archive/
6. Singh, M. P. (2003). India's Coalition Politics: A Study of National Front and United Front Governments. New Delhi: Oxford University Press.
7. The Indian Express. (1996). Yadav's Strategies in Central Government. Retrieved from https://indianexpress.com/archive/
8. Times of India Archives. (1997). Mulayam Singh Yadav: A National Leader. Retrieved from https://timesofindia.indiatimes.com/

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

कृषि तकनीकी के बदलते आयाम

डॉ. गोरा मुवेल*

* सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – भारत जैसे विकासोन्मुक देश के आर्थिक विकास के लिए कृषि का विकास आवश्यक है। कृषि–विकास के द्वारा ही ग्रामीण क्षेत्रों की उन्नति एवं औद्योगिक अर्थव्यवस्था का निर्माण संभव है।स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् देश के आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएँ शुरू की गई।विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि विकास को प्राथमिकता प्रदान की गई है। कृषि क्षेत्र में उपलब्ध तकनीकी ज्ञान का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया, जिससे कृषि उत्पादन एवं कृषकों की आय में वृद्धि हुई है। कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से विशेष प्रयास किये गए हैं। कृषि विकास की नई नीति के अनुसार चुने हुये जिलों में कृषि के नये तरीकों का उपयोग करके उत्पादन बढाने की कोशिश की गई। कृषि अनुसन्धान को भी पंचवर्षीय योजनओं में विशेष महत्व दिया गया। इन योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में आत्म–निर्भर प्राप्त करना था। कृषि में तकनीकी ज्ञान विकास के लिए समय–समय पर अनेक कार्यक्रम अपनाये गये।

उन्नत कृषि–यंत्र आज की विकासवादी आधुनिक कृषि का प्रमुख आधार माने जाते हैं। कृषि यंत्रो के आभाव में भारतीय कृषि क्षेत्र में वांछित उत्पादन तथा उत्पादकता को प्राप्त करना सहज नहीं है। भारतीय कृषि के पिछड़ेपन का एक मुख्य कारण यहाँ के कृषकों द्वारा पुराने एवं अकुशल औजारों का प्रयोग करना है पर्याप्त सूझ–बूझ और ज्ञान रखते हुये भी यहाँ के कृषक पुराने कृषि–यंत्रो के प्रयोग करने के परिणाम स्वरूप कृषि उपज बढ़ाने में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाए। जबकि उन्नत कृषि मशीनों के प्रोयोग से ही पश्चिमी देशों के कृषक कृषि–क्रांति लाने में सफल हुए। कृषि के यंत्रीकरण के कारण इन देशों में उत्पादन में वृद्धि हुई तथा लागत में कमी आई। पश्चिमी देशों में समृद्धी का मुख्य कारण कृषि यंत्रीकरण ही है।भारतीय कृषि औजारों की चर्चा करते हुए डार्लिंग (Darling) ने लिखा है की 'हल जो एक अधखुले पेन्सिल बनाने वाले चाकू जैसा लगता है और भूमि को खुरेद भर देता है, हाथ की दराती, जो मनुष्य की अपेक्षा एक बालक के लिए अधिक उपयुक्त होती है, पुराने ढंग की टोकरी, जिसकी सहायता से हवा द्वारा भूसे को अनाज से पृथक किया जाता है, हमारे यहाँ आज भी कृषक अपने प्राचीन किन्तु अविस्मरणीय कार्यों पर जमे हुए हैं।' अत: भारतीय कृषि में सुधार लाने और उत्पादनएवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि के यंत्रीकरण की महती आवश्यकता है।

भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् कृषि से सम्बधित प्रत्येक क्षेत्र में आश्चर्य जनक परिवर्तन हुए हैं।कृषि की अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए कृषि को 'मानसून का जुआ' कहा जाता था, किन्तु वर्तमान में किसान मानसून पर निर्भर नहीं है, उसे सिंचाई के लिए नहर, ट्यूबवेल, कुएं, तालब एवं नलकूप आदि की अच्छी सुविधाएं उपलब्ध है।अधिकतम उत्पादन के लिए आज किसान देशी खाद पर निर्भर नहीं है बल्कि वर्तमान में किसान रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने लगा है। इसी प्रकार कृषि के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन हुआ है इसी परिवर्तन को कृषि में 'तकनीकी परिवर्तन' कहा जाता है इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते है की किसान पूर्व में हल–बैल से कृषि कार्य करता था, किन्तु आज 80 प्रतिशत किसान हल–बैल के स्थान पर ट्रेक्टर, थ्रेसर, हार्वेस्टरआदि आधुनिक उपकरणों का प्रयोग कर रहे हैं, यही 'तकनीकी परिवर्तन' है।

शब्द कुंजी – कृषि,तकनीकी, फसलें, उत्पादन,कृषका।

विषय प्रवेश–कृषि तकनीकी को तालिका के माध्यम से समझाया गया है। सर्वप्रथम रासायनिक उर्वरकों का वितरण प्रदेश में नवम्बर 2021 तक 18.06 लाख मैट्रिक टन उर्वरकों का वितरण कराया गया है। रासायनिक उर्वरकों के वितरण (तत्वों में) वर्ष 2017–18 से 2021–22तक।

तालिका क्रमांक– 01: रासायनिक उर्वरकों का वितरण

मैट्रिक टन (लाख)

वर्ष	नत्रजन(N)	फास्फेट(P)	पोटाश(K)	कुल (N+P+K)
2017–18	12.63	6.55	0.98	20.16
2018–19	14.40	7.43	1.01	22.84
2019–20	15.38	7.71	1.08	24.17
2020–21	17.19	11.11	1.63	29.94
2021–22 नवम्बर 2021 तक	10.54	6.56	0.96	18.06

स्त्रोत :– किसान कल्याण तथा कृषि विकास संचालनालय

तालिका में रासायनिक उर्वरकों का वितरण वर्ष 2017–18 से 2021–22 तक दिखाया गया है। इसके अंतर्गत नत्रजन, फास्फेट एवं पोटाश मुख्य रूप से सम्मिलित है। नत्रजन 2017–18 में 12.63 मैट्रिक टन था जो वर्ष 2020–21 में बढ़कर17.19 मैट्रिक टन हो गया एवं नवम्बर 2021में 10.54 मैट्रिक टन हो गया है।इसी प्रकार फास्फेट वर्ष 2017–18 में 6.55 मैट्रिक टन है जो बढ़कर वर्ष2020–21 तक 11.11मैट्रिक टन और 2021–22 में नवम्बर 2021 तक 6.56 मैट्रिक टन है। तथा पोटास 2017–18 में 0.98 मैट्रिक टन हैं जो 2021–22 नवम्बर 2021 तक 0.96 मैट्रिक टन

है।

अतः नत्रजन, फास्फेट एवं पोटाश तीनों को मिलकर वर्ष 2017-18 में कुल 20.16मैट्रिक टन है जो प्रतिवर्ष बढ़कर वर्ष 2020-21 में 29.94 मैट्रिक टन और नवम्बर 2022 तक 18.06 मैट्रिक टन हो गया।

पौध संरक्षक- फसलों को रोगों एवं कीड़ो आदि से होने वाली पौध संरक्षक कार्यक्रम के अंतर्गत आच्छादित क्षेत्र से बचाने के लिये पौध संरक्षक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत फसल संरक्षक, बिजोपचार, चूहा नियंत्रण तथा निदाई नियंत्रण-उन्मूलन कार्यक्रम मुख्य रूप से सम्मिलित हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2017-18 से 2022-21 तक उपलब्धियों का विवरण निम्नलिखित हैं।

तालिका क्रमांक- 02: पौध संरक्षक कार्यक्रम के अंतर्गत आच्छादित क्षेत्र

(लाख हेक्टेयर)

कार्यक्रम	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 नवम्बर 2021 तक
बीज उपचार	130.74	131.31	136.10	136.74	102.23
फसल उपचार	27.68	24.44	25.71	27.54	26.81
चूहा नियंत्रण	26.70	28.17	23.98	24.32	20.98
नींदाई नियंत्रण	18.70	19.42	20.78	18.43	17.10
योग	203.82	203.34	206.57	207.03	167.12

स्त्रोत - किसान कल्याण तथा कृषि विकास संचालनालय

तालिका के अनुसार पौध संरक्षक कार्यक्रम वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक दिखाया गया है। इसके अंतर्गत बीज उपचार2017-18 में 103.74लाख हेक्टेयर था, जो वर्ष 2021-22 में नवम्बर 2021 तक बढ़कर 102.23 लाख हेक्टेयर हो गया एवं फसल उपचार, चूहा नियंत्रण एवं नींदाई नियंत्रण वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021-22 में नवम्बर 2021 तक क्रमशः 26.81, 20.98 एवं17.10 लाख हेक्टेयर हो गया है।

अतः फसल उपचार, चूहा नियंत्रण एवं नींदाई नियंत्रण वर्ष 2017-18 कुल 203.82 लाख हेक्टेयर था जो वर्ष 2021-22 में नवम्बर 2021 तक कुल 167.12 लाख हेक्टेयर रह गया।

प्रमुख फसलों का उत्पादन - प्रमुख फसलों का उत्पादन कार्यक्रम वर्ष 2017-18 से 2022-21 तक उपलब्धियों का विवरण निम्नलिखित हैं।

तालिका क्रमांक- 03: प्रमुख फसलों का उत्पादन

(हजार टन)

प्रमुख फसलें	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21में (वृद्धि /कमी का प्रतिशत)
अनाज	34165	38243	53818	53847	0.05
दलहन	9469	6043	4784	6210	29.81
तिलहन	6947	7433	5420	5445	0.46
कुल (अन्य फसलोंसहित)	52080	53127	65605	66921	2.01

स्त्रोत - किसान कल्याण तथा कृषि विकास संचालनालय

तालिका के अनुसार प्रमुख फसलों का उत्पादन 2017-18 से 2021-22 तक दिखाया गया है।वर्ष 2017-18 में अनाज 34165 हजार टन जो वर्ष 2020-21 में बढ़कर 53847 हजार टन एवं 0.05 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इसी प्रकार वर्ष 2017-18 से बढ़कर 2021-22 में अनाज, दलहन, तिलहन एवं अन्य फसलों सहित क्रमशः 0.05, 29.81, 0.46 एवं 2.01 प्रतिशत की वृद्धि आंकलित की गई।

कृषि यंत्रीकरण से लाभ- कृषि यंत्रीकरण (मशीनीकरण) कृषि तकनीकी में परिवर्तन की आधारशिला है। भारत में कृषि यंत्रीकरण के पक्ष में मुख्यतः तर्क दिये जाते हैं।

1. **कृषि श्रम की कार्य कुशलता में वृद्धि-** फार्म पर यांत्रिक साधनों से कृषि करने पर श्रमिकों की कार्य कुशलता एवं क्षमता में वृद्धि होती है जिससे प्रति श्रमिक की उत्पादन मात्रा में वृद्धि होती है।
2. **उत्पादन में वृद्धि-** जैसा कि आप जानते हैं कि कृषि में मशीनों के प्रयोग करने से कृषि कार्यों की गति बढ़ जाती है, मानवीय शक्ति का प्रयोग कम हो जाता है और खेतों का आकार बड़ा रखा जाने लगता है। मशीनीकरण के फलस्वरुप गहन जुताई करना सम्भव हो पाता है। इसके कारण प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि होती।
3. **उत्पादन लागत में कमी-** राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के नमूना सर्वेक्षण के अनुसार ट्रेक्टर से खेती करने की प्रति एकड़ लागत 100 रुपये आती है, जबकि वही कार्य यदि बैलों की सहायता से किया जाता है तो लागत 160 रुपये आती है। इस प्रकार यान्त्रिक कृषि उत्पादन लागत कम करने में सहायक है।
4. **समय की बचत-** कृषि यंत्रों का प्रयोग करने से किसान अपना कार्य शीघ्रता से कर लेते है और समय भी बच जाता है। जो कार्य एक जोड़ी हल व बैल से पूरे दिन भर किया जाता है उसे एक ट्रेक्टर द्वारा एक घण्टे से भी कम समय में कर लिया जाता है।
5. **व्यापारिक कृषि को प्रोत्साहन-** कृषि यन्त्रों के प्रयोग से व्यापारिक कृषि को प्रोत्साहन मिलता है। उद्योगों को कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में कृषि क्षेत्र द्वारा उपलब्ध कराया जा सकता है। भूमि के बहुत बड़े-बड़े खेत कम समय व कम लागत में जोते जा सकते हैं, जिसके फलस्वरुप बड़ी मात्रा में उत्पादन मण्डी तक पहुंचाया जा सकता है। खाद्यान्न फसलों, के साथ-साथ व्यापारिक फसलों को भी प्रोत्साहन मिलता है। कृषि उपज की बिक्री न केवल अपने देश के बाजारों में बल्कि विदेशी बाजारों तक भी होती है।
6. **भारी कार्यो को सुगम बनाना-** कृषि यंत्रों की सहायता से भारी कार्य जैसे ऊँची नीची व पथरीली भूमि, बंजर भूमि तथा टीलों को आसानी से साफ व समतल कर कृषि योग्य बनाया जा सकता है। इस तरह कृषि योग्य भूमि में वृद्धि कर कृषि उत्पादन कृषि में यंत्रों का प्रयोग कर किया जाता है।
7. **रोजगार के अवसरों में वृद्धि-** कृषि यंत्रीकरण के परिणाम स्वरुप दीर्घकालीन रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है। यंत्रीकरण के कारण कृषि यंत्रो से सम्बन्धित उद्योग धन्धों व सहायक यन्त्रों का विस्तार होने लगता है। कृषि यंत्रीकरण से उद्योग एवं परिवाहन में रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं, जैसे ट्रैक्टर।
8. **किसानों की आय में वृद्धि-** जैसा कि आप जानते हैं कि कृषि यंत्रो की सहायता से किसान कम समय व कम लागत में अधिक कृषि उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, इसके फल स्वरुप किसानों की आय में वृद्धि होती है।

9. उपभोक्ताओं को लाभ– कृषि में यंत्रीकरण से उत्पादन लागत कम आती है जिसके परिणाम स्वरुप उपभोक्ताओं को कृषि उपजों का मूल्य कम देना पड़ता है।

10. परती भूमि का उपयोग – गहरी जुताई करने, भू–संरक्षण, भूमि सुधार, गहरे पानी वाले क्षेत्रों से पानी उठाने के कार्य यंत्रों की सहायता से सरलतापूर्वक किये जा सकतेहै।

11. बहु फसली खेती को प्रोत्साहन– कृषि यंत्रीकरण से बहुफसली खेती को प्रोत्साहन मिलता है और फसल चक्र में वांछित परिवर्तन करना सम्भव होता है। कृषक वर्ष मेंदो–तीन विभिन्न प्रकार की फसलें उत्पादित कर पाते हैं।

12. ऊर्जा, बीज व उवर्रक की बचत– तकनीकी विकास महानिदेशालय द्वारा गठित, तकनीकी विकास सलाहकार समूह ने यह अनुभव किया कि बीज सहित उवर्रक ड्रिल(Seed-Cum fertiliser drill) न केवल ऊर्जा की बचत करती है बल्कि20 प्रतिशत बीज का भी बचत करती है और 15 प्रतिशत तक उत्पादन बढ़ाने में सहायक होती है। इससे उर्वरक व बीज का प्रयोग अधिक प्रभावशाली ढंग से हो पाता है।

कृषि यंत्रीकरण के दोष –कृषि यंत्रीकरण के दोष निम्नांकित है।

1. बेरोजगारी में वृद्धि– जैसा कि आप को ज्ञात है कि भारत की जनसंख्या का आकार बहुत बड़ा है और प्रतिवर्ष इसमें वृद्धि होती जा रही है। इसीलिए यंत्रीकरण के विरोध में तर्क देने वालों का मत है कि भारत में वैसे ही बेरोजगारी की समस्या विद्यमान है, कृषि में आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग करने से कृषि श्रमिकों की मांग घट जाएगी क्योंकि यंत्रो की सहायता से कम समय में अधिक कार्य किया जाता है। इससे कृषि श्रमिकों को काम नहीं मिल पाएगा। चूंकि देश में अभी भी 60 प्रतिशत जनसंख्या रोजगार के लिए प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रुप से कृषि पर ही निर्भर करती है। अत: कृषि में बड़े पैमाने पर यंत्रीकरण करने से बेरोजगारी को बढ़ावा ही मिलेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कृषि यंत्रीकरण बहुत अधिक उपयुक्त नहीं है। इसका सीमित मात्रा में ही प्रयोग होना चाहिए।

2. कृषि जोतों का छोटा आकार– हमें ज्ञात है कि भारत में लघु व सीमान्त जोतों का आकार बहुत ही छोटा है। यहॉं लगभग 61.58 प्रतिशत जोते एक हेक्टेयर से कम तथा 80.31 प्रतिशत जोते दो हेक्टेयर से कम है। भारत में जोत का औसत आकार 1.41 हेक्टेयर है जबकि अमेरिका में 60 हेक्टेयर और कनाडा में 188 हेक्टेयर है। इसके अतिरिक्त यहॉं पर भूमि उपविभाजन के कारण जोते बिखरी हुई हैं। छोटी व बिखरी जोतों पर ट्रेक्टर का प्रयोग कृषकों के लिए लाभकारी नहीं हो सकता। भारत में अनार्थिक जोतों यंत्रीकरण के मार्ग में एक बड़ी बाधा है।

3. पूंजी की कमी– यांत्रिक साधनों को जुटाने के लिए कृषकों को अधिक पूंजी कीआवश्यक्ता होती है। जिसे जुटा पाना अधिकांश कृषकों के लिए सम्भव नहीं है क्योंकि भारत में सामान्य कृषक निर्धन हैं। भारत में सम्पन्न किसान ही यंत्रीकरण का लाभ उठा सकते है।

4. तकनीकी ज्ञान का अभाव– यान्त्रिक साधनों के उपयोग के लिए आवश्यक तकनीकी ज्ञान का कृषकों में अभाव होने के कारण, उन्हें छोटी–छोटी कमियों को दूर कराने के लिए मिस्त्रियों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे दूसरों पर निर्भरता बढ़ती है और कार्य समय पर पूरा नहीं हो पाता है। कृषि यंत्रों की कार्य प्रणाली अशिक्षित कृषकों को समझाना भी कठिन होता है।

5. भूमिहीन श्रमिकों की संख्या में वृद्धि– यान्त्रिक कृषि अपनाने से बड़े किसान, लघु कृषकों की भूमि क्रय कर लेते हैं जिससे इससे बड़े किसानों की जोतों का आकार बड़ा हो जाता है इसलिए भूमिहीन श्रमिकों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

6. ईधन की समस्या– कृषि यंत्रों जैसे ट्रेक्टर, ट्यूबवेल, थ्रेशर आदि चलाने के लिए पैट्रोल, डीजल व बिजली की आवश्यक्ता होती है। इसकी आपूर्ति कम होने तथा कीमतें अधिक होने से सामान्य कृषक की क्रय शक्ति के बाहर हो जाती है। इसके अतिरिक्त अधिकांश राज्यों में बिजली की आपूर्ति 24 घण्टे नहीं है, किसानों को कृषि यंत्रों के प्रयोग में बाधा आने लगती है और मशीनें बेकार पड़ी रहती है।

7. गॉवों में वर्कशॉप का अभाव– ग्रामीण क्षेत्रों में यन्त्रों एवं उपकरणों की मरम्मत की सुविधा तथा स्पेयर पार्टस की उपलब्धता का अभाव पाया जाता है, ऐसी स्थिति में कृषि यंत्रो का प्रयोग करने में बाधा आने लगती है।उपर्युक्त कठिनाइयों के कारण देश में यान्त्रिक कृषि के विकास की गति बहुत धीमी रही है।

सारांश –भारतीय कृषि में मशीनीकर के लाभ एवं हानियों का विश्लेषण करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचना सरल है कि कृषि के लिये उपयुक्त तकनीकी क्या होना चाहिए। वास्तविकता यह है कि विकसित देशो के समान पूर्ण यंत्रीकरण भारत में संभव नहीं है। कारण यह है कि भारती कृषि की अपनी कुछ विशेषताएँ है और पूर्ण यंत्रीकरण इन विशेषताओं के अनुरूप नहीं है उदाहरण के लिये मानव श्रम की अधिकता, छोटी–छोटी जोतों की अधिकता, औद्योगिकरण की धीमी गति आदि, किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है की भारत में मशीनीकर बिलकुल संभव नहीं है। वर्तमान समय में कुछ ऐसी मशीने भी बनने लगी हैं जिन्हें छोटे खेतो के उपयोग में लाया जा सकता है। जापान में छोटे–छोटे खेतों परऐसी मशीनों का सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा रहा है।इस प्रकार छोटी मशीनों के प्रयोग के साथ–साथ बड़े खेतों में विद्यमान मशीनों का प्रयोग भी देश में किया जा सकता है। अत: निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि भारत के लिए मशीनों के चयन में इस बात का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है कि मशीनें भारतीय खेतों के लिये उपयुक्त हों तथा मशीनें श्रमिकों को अधिक मात्रा में हटाने वाली न हों।मशीनीकर के सन्दर्भ में यह तथ्य भी ध्यान में रखना होगा की मशीनें कृषि उत्पादकता बढ़ाने वाली हों जिससे अन्य क्षेत्रों में रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा हो सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची: –

1. भारतीय कृषि का अर्थतंत्र (31 अगस्त 2000), डॉ. एन.एल. अग्रवाल, राजस्थान हिंदी ग्रंथ आकादम, जयपुर।
2. कृषि अर्थशास्त्र, डॉ. जय प्रकाश मिश्र, साहित्य भवन, पब्लिकेशन्स, आगरा।
3. कृषि अर्थशास्त्र (2011), डॉ. बी.एल. माथुर, अर्जुन पब्लिकेशन्स हाऊस।
4. कृषि अर्थशास्त्र, डॉ. एस.सी. जैन, डॉ. पी.डी. महेश्वरी, कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल।
5. एस0पी0 (2012), कृषि अर्थशास्त्र, साहित्य भवन, पब्लिकेशन्स, आगरा।
6. एस0के0, पुरी वी0के0 (2007), भारतीय अर्थव्यवस्था, खेती में मशीनीकरण, हिमालय पब्लिशिंग हाउस, बम्बई।
7. https://www.scotbuzz.org/2019/04/krashi-yantree karan.html?m=1
8. https://agricoop.nic.in/

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

भारत में वनों की कटाई : एक अध्ययन

डॉ. दिनेश कुमार कठुतिया*

* शासकीय स्वामी आत्मानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नारायणपुर (छ.ग.) भारत

प्रस्तावना – वन किसी भी देश की संपत्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। हमारे देश में वनों का संरक्षण अत्यधिक महत्व रखता है। वनों के संरक्षण की जिम्मेदारी सरकार पर होती है और यह कार्य वन विभाग के द्वारा किया जाता है। वन जलवायु पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैंय वे वर्षा आकर्षित करते हैं और नमी को संरक्षित रखते हैं। यह विशेष रूप से भारत जैसे शुष्क देश में एक महत्वपूर्ण कार्य है। वृक्षों की पत्तियों से वाष्पीकरण द्वारा वातावरण में ठंडक बनी रहती है। नमी संघनित होकर वर्षा के रूप में बरसती है। वनों को किसी भी प्रकार की हानि जलवायु को तेजी से बदल देती है। भारत में पहला वन अधिनियम 1865 में लागू हुआ था। इस कानून ने राजकुमारों को भारतीय वनों में कीमती वृक्षों की सुरक्षा के उद्देश्य से कानून बनाने की शक्ति प्रदान की। 1927 का भारतीय वन अधिनियम, जो अधिकांश राज्यों में लागू है, 1878 के भारतीय वन अधिनियम का संशोधित संस्करण है। वन की हानि को वनों की कटाई कहा जाता है। वनों की कटाई का मानव जीवन और पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। वन विभाग के सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में लगभग 75 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र है। हाल ही में उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, केवल 17 प्रतिशत क्षेत्र ही वन से ढका हुआ है। भारत हर साल 1.3 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र खो रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में वनों की कटाई इतनी गंभीर है कि इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ा है। हिमालय की मूल वनस्पति का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों का धीरे-धीरे नुकसान हो रहा है। जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, सड़क निर्माण, खनन और अन्य विकासात्मक गतिविधियों के कारण वनस्पति और जीव-जंतुओं के प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुंचा है, जिससे जीवित संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ा है। कई वनस्पतियां और पशु प्रजातियां विलुप्ति या संकटग्रस्त के कगार पर हैं। भूस्खलन, सूखा, बाढ़, तूफान, भूकंप, बीमारियां, जल और वायु प्रदूषण और मानवीय हस्तक्षेप जैसी प्रतिकूल परिस्थितियां भी वनों के विनाश का कारण बन सकती हैं। अन्य प्रतिकूल कारक जैसे स्थिर मिट्टी की कमी, शुष्कता, दलदलीपन, जैविक एजेंसियां, वाणिज्यिक शोषण आदि भी वनस्पति की कमी के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। भारत की प्राकृतिक विविधता दुनिया में सबसे समृद्ध है, जो उपरोक्त कारकों के कारण धीरे-धीरे गायब हो रही है।

एफएओ की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में वार्षिक वनों की कटाई की दर 0.6 प्रतिशत (1981 से 1990 की अवधि के दौरान 0.34 मिलियन हेक्टेयर) थी। रविंद्र नाथ और हॉल (1944) के अनुसार, हर साल 144 मिलियन हेक्टेयर वनों का पुनरुत्थान किया गया। 1990 में, भारत में कुल वन क्षेत्र 70.6 मिलियन हेक्टेयर था, जिसमें से 27 प्रतिशत वाणिज्यि वृक्षारोपण के अंतर्गत था, जिसमें मुख्य रूप से नीलगिरी, सागौन और चीड़ शामिल थे। खोशोद (1986) के अनुसार, 1900 में विश्व में कुल वन क्षेत्र लगभग 7000 मिलियन हेक्टेयर था। 1975 तक यह घटकर 2890 मिलियन हेक्टेयर रह गया। 2000 ई. के अंत तक, यदि वनों की कटाई की वर्तमान प्रवृत्ति जारी रहती है, तो विश्व में कुल वन क्षेत्र लगभग 2370 मिलियन हेक्टेयर तक घट जाएगा। पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील हिमालय क्षेत्र में वन आवरण के विनाश से पानी की बढ़ती कमी, बार-बार भूस्खलन, बाढ़ में वृद्धि, नदियों में उच्च अवसादन, ईंधन और चारे की कमी और चरागाह भूमि में कमी के रूप में प्रतिकूल प्रभाव दिखने लगे हैं। वनों की कटाई के कारण जीवन समर्थक प्रणालियां बाधित हो रही हैं। भूमिगत जल स्तर धीरे-धीरे और गहराई तक जाता जा रहा है। भूमि का बड़ा क्षेत्र सूखे से प्रभावित हो रहा है और गर्मी के महीनों में कुएं, नलकूप, झीलें, तालाब आदि उम्मीद से जल्दी सूख जाते हैं।

कुमाऊं और गढ़वाल हिमालय में ओक के जंगल सामान्य वातावरण को बनाए रखते हैं और ग्रामीण चारे, ईंधन और अन्य आवश्यकताओं के लिए इन वनों पर बहुत अधिक निर्भर हैं। लेकिन अब ओक के जंगल लोगों की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए नष्ट किए जा रहे हैं। इससे पर्यावरणीय स्थितियों में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं। ओक से जुड़ी समुदाय नष्ट हो रही है। यह औषधीय जड़ी-बूटियों और झाड़ियों के नुकसान का कारण बन सकता है जो ओक से जुड़ी होती हैं। चारे की उपलब्धता में कमी आएगी और पहाड़ी पारिस्थितिकी तंत्र में सदियों से चला आ रहा पशुधन संबंधी संबंध टूट जाएगा। रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन (1992) में वनों की कटाई से संबंधित मुद्दे पर प्रमुख चिंता जताई गई थी। यूएनसीईडी (संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन) के एजेंडा 21 में कहा गया था कि ष्वनों की कटाई के कई कारण हैं, कुछ प्राकृतिक, लेकिन अन्य मुख्य रूप से मानव विकास के कारण हैं, जैसे अनुचित भूमि स्वामित्व प्रणाली और प्रोत्साहन, कृषि क्षेत्रों का विस्तार, वन उत्पादों की बढ़ती मांग और वनों के मूल्य के बारे में जानकारी और समझ की कमी।

वनों की कटाई के सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव:

1. **मृदा की क्षति–** प्रकृति को एक इंच मिट्टी बनाने में लगभग 1,000 वर्ष लगते हैं, जबकि भारत की 12,000 मीट्रिक टन ऊपरी मिट्टी हर साल नदियों के नीचे बह जाती है, लंदन में एक रिपोर्ट कहती है (10.1. सितंबर 24, 1986)।
2. **खाद्यान्न की हानि–** मृदा अपरदन के परिणामस्वरूप देश हर साल 300-500 लाख टन खाद्यान्न खो देता है।
3. **बाढ़ से होने वाली हानि–** बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 1950 के दशक में हर

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

साल औसतन 6.4 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर 1980 के दशक में 9 मिलियन हेक्टेयर हो गया। 1981-86 की अवधि के दौरान बाढ़ से हुई हानि अकेले 50,000 मिलियन रुपये थी।

4. **हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र का खतरा-** पूरा हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र खतरे में है और गंभीर असंतुलन में है क्योंकि हिमरेखा पतली हो गई है और स्थायी झरने सूख गए हैं।

5. **वनों का ग्रीनहाउस में परिवर्तित होना-** आंध्र प्रदेश में समशीतोष्ण वन क्षेत्रों को ग्रीनहाउस में बदल दिया गया है और तूफानी बारिश की तरह बारिश के दौरान पिटाई की जाती है।

6. **सूखे की घटनाएँ-** राजस्थान राज्य में सूखा पड़ना बहुत आम है। इसका बड़ा हिस्सा बंजर भूमि में परिवर्तित हो रहा है। तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों में भी लगातार सूखे शुरू हो गए हैं जहां वे पहले कभी नहीं होते थे।

वनों की कटाई के कारण: वनों की कटाई के पीछे कई कारण हैं। वनों की कटाई के विभिन्न कारण इस प्रकार हैं:

1. **अतिचारण-** वनों में अतिचारण नए पुनर्जीवित विकास को नष्ट कर देता है। यह मिट्टी को अधिक संकुचित और अभेद्य भी बना देता है। जैविक पदार्थों के विनाश के कारण मिट्टी कम उपजाऊ हो जाती है। अत्यधिक चराई वाली मिट्टी में कुछ प्रजातियों के बीज अंकुरित नहीं होते हैं, जिससे प्रजातियों की संख्या में कमी आती है। अतिचारण से मरुस्थलीकरण भी होता है। घरेलू जानवर इस प्रकार अपनी प्राकृतिक चराई और चारे के समर्थन से वंचित हो जाते हैं। अतिचारण मिट्टी के अपरदन को भी तेज करता है। मिट्टी के अपरदन के परिणामस्वरूप खनिजों और पोषक तत्वों का ऊपरी मिट्टी से हटना होता है और मिट्टी की संरचना प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है, जो अंततः उत्पादकता को कम कर देती है। उपग्रह इमेजरी डेटा से पता चलता है कि चरागाह भूमि के तहत क्षेत्र गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। वनों में अनियंत्रित और अनियंत्रित चराई से वन की मिट्टी का क्षरण होता है और वनों का प्राकृतिक पुनर्जीवन प्रभावित होता है।

2. **झूम कृषि-** यह पूर्वोत्तर भारत में सबसे आम है। भारी जल अपरदन के कारण झूम खेती स्थानीय रूप से झूम कहा जाता है। कई किसान कृषि और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए वनों को नष्ट कर देते हैं और जब बार-बार खेती करने के कारण मिट्टी की उर्वरता समाप्त हो जाती है, तो एक नया वन क्षेत्र नष्ट हो जाता है। इसलिए किसानों को सलाह दी जानी चाहिए कि वे खेती के लिए उसी भूमि का उपयोग करें और उन्नत कृषि विधियों का उपयोग करें। अनुमान है कि हर साल लगभग एक मिलियन हेक्टेयर भूमि झूम कृषि के कारण बंजर हो जाती है।

3. **ईंधन की लकड़ी-** वनस्पति की अधिकतम क्षति ईंधन की लकड़ी के लिए की जाती है। कुल ईंधन लकड़ी के उपयोग में लगभग 85 प्रतिशत का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में और 15 प्रतिशत का उपयोग शहरी क्षेत्रों में किया जाता है। 1987 में शहरों में वार्षिक ईंधन लकड़ी की खपत 134 मिलियन टन थी। भारतीय वन सर्वेक्षण (1987) के एक अनुमान के अनुसार, देश में ईंधन की लकड़ी की वार्षिक मांग 235 मिलियन क्यूबिक मीटर थी। इस प्रकार ईंधन की लकड़ी वनों की कटाई का एक प्रमुख कारण है।

4. **वन की आग-** बार-बार आग लगने से भारत में वनों के विनाश का प्रमुख कारण है। कुछ आग आकस्मिक होती हैं जबकि उनमें से अधिकांश जानबूझकर लगाई जाती हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण (1996) द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार, औसतन 63.1% वनस्पति आग से प्रभावित होती है। आंकड़े आगे बताते हैं कि आग हर साल लगभग 0.5 मिलियन हेक्टेयर वन को नष्ट कर देती है।

5. **काठ-** काठ और प्लाईवुड उद्योग मुख्य रूप से वनों के वृक्षों के विनाश के लिए जिम्मेदार हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण 1987 के अनुसार, वार्षिक मांग के मुकाबले 27 मिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक काठ की आवश्यकता थी, जबकि वनों से लकड़ी की अनुमेय कटाई केवल 12 मिलियन क्यूबिक मीटर थी।

6. **उद्योग स्थापना-** कभी-कभी कारखाने वनों को नष्ट करने के बाद स्थापित किए जाते हैं। इस प्रकार थोड़े से लाभ के लिए अपूरणीय क्षति होती है। इस प्रक्रिया में कीमती पौधे, वन्यजीव और दुर्लभ पक्षी नष्ट हो जाते हैं और पर्यावरण की गुणवत्ता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। कारखाने को बंजर भूमि पर शहरी आबादी से दूर स्थापित किया जाना चाहिए। पहाड़ियों में वन आधारित उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति वनों के विनाश का एक और प्रमुख कारण है। रेजिन और तारपीन उद्योग जैसे वन आधारित उद्योग भी पहाड़ियों में वृक्षों के विनाश के लिए जिम्मेदार हैं।

7. **वनों का अतिक्रमण-** भारत में वनों की कटाई का एक और कारण आदिवासियों द्वारा कृषि और अन्य उद्देश्यों के लिए वनों की भूमि का अतिक्रमण है। भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार, लगभग 7 मिलियन हेक्टेयर वन भूमि का कृषि के लिए अतिक्रमण किया गया है। हालांकि ऐसी भूमि कृषि उत्पादन के लिए अच्छा योगदान देती है, लेकिन पर्यावरणीय खतरों को भी उत्पन्न करती है। इसलिए वन भूमि को कृषि भूमि में बदलना उचित नहीं है।

8. **वन रोग-** परजीवी कवक, रस्ट, वायरस और नेमाटोड के कारण होने वाली कई बीमारियों के कारण वनस्पति का मृत्यु और क्षय होता है। नेमाटोड के आक्रमण के कारण युवा पौधों का विनाश हो जाता है। दिल की सड़न, ब्लिस्टर रस्ट, ओक विल्ट, फ्लोएम नेक्रोसिस और डच एल्म रोग जैसी कई बीमारियां बड़ी संख्या में वृक्षों को नुकसान पहुंचाती हैं।

9. **भूस्खलन-** पहाड़ियों में भूस्खलन के कारण वनों की कटाई एक बड़ी चिंता का विषय है। यह देखा गया है कि भूस्खलन मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में हुआ जहां पिछले कुछ दशकों से विकास गतिविधियां चल रही थीं। पहाड़ी इलाकों में सड़कों और रेलमार्गों का निर्माण, बड़े सिंचाई परियोजनाओं की स्थापना ने वनों को काफी हद तक नष्ट कर दिया है और अपक्षय की प्राकृतिक प्रक्रिया को तेज कर दिया है।

10. **कटाव का निर्माण-** बड़ी नदियों (यमुना और चंबल) के किनारे की वन और कृषि भूमि गंभीर कटाव के खतरे का सामना कर रही है। एक बार कटाव बनने के बाद, वे वनस्पति आवरण को नष्ट करते रहते हैं।

11. **जनसंख्या में वृद्धि-** भारत की जनसंख्या 1951 में 36 करोड़ थी। और यह हाल के वर्ष में 1.22 बिलियन तक पहुंच गई है। बढ़ती जनसंख्या को निवास के लिए भूमि की आवश्यकता होती है। इसलिए वे वनों की कटाई की आदत का उपयोग करते हैं।

निष्कर्ष - वनों की कटाई पर्यावरण के लिए एक गंभीर खतरा है। जब तक इस समस्या का तात्कालिक चिंता के साथ समाधान नहीं किया जाता, यह पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए हानिकारक साबित होगा। वन एक ऐसा स्रोत हैं जो पृथ्वी की जलवायु को संतुलित मोड में रखते हैं। वनों की कटाई पृथ्वी पर जलवायु के असंतुलित व्यवहार का कारण बनेगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

रामनगर (मण्डला) का स्थापत्य (गोंड राजवंश के संदर्भ में)

महेन्द्र सिंह उइके*

* शोधार्थी (इतिहास) एकलव्य विश्वविद्यालय, दमोह (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – रामनगर, मण्डला जिले का एक कस्बा है। यह मण्डला जिले से 20 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। नर्मदा नदी के दक्षिणी किनारे पर रामनगर रैयतबाडी में किले का निर्माण राजा ह्रदयशाह ने करवाया था। यह नगर गढ़ा-मण्डला के गोंडवंश की राजधानी बना। गोंड राजाओं के साथ बुन्देला वैमनस्य तथा दिल्ली दरबार की उपेक्षा का परिणाम था कि रामनगर नई राजधानी के रूप में विकसित हुआ। रामनगर को राजा ह्रदयशाह/हिरदैसाहि ने राजधानी बनाया। रामनगर में अलग अलग किले निर्मित किये गये जो समूह के रूप में है। जिसमें मोतीमहल, (राजमहल) रामभगत की कोठी, विष्णु मंदिर, बेगन महल, चौगान, दल बादल महल चौगान आदि है।

मार्ग– यह नगर मण्डला मुख्यालय से 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रामनगर सड़क मार्ग द्वारा बस या निजी वाहन से पहुंचा जा सकता है।

इस स्थान पर गोंड नरेश ह्रदयशाह द्वारा निर्मित सुन्दर एवं भव्य महल है जो गोंड राजाओं की सर्वोत्तम कृति है। इसी महल में एक शिलालेख है जो राजा ह्रदयशाह ने अंकित कराया था, जिसे रामनगर शिलालेख कहा जाता है। इस शिलालेख में गोंड राजवंश की वंशावली लिखी गयी है जो इस वंश के आदि पुरूष यादवराय से प्रारम्भ एवं ह्रदयशाह पर समाप्त होती है।

भौगोलिक स्थिति – 'रामनगर की भौगोलिक स्थिति 22.59^{0} उत्तरी अक्षांश तथा 80.37^{0} पूर्वी देशान्तर है।'[1]

प्राकृतिक दृष्टि से रामनगर, सुरम्य वातावरण से युक्त स्थान है। इस नगर के आसपास सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियां हैं जो सघन वन से युक्त हैं। रामनगर को गोंड नरेश ह्रदयशाह ने अपनी राजधानी बनाया।

गढ़ा के शासकों की प्रथम राजधानी गढ़ा (जबलपुर) थी। इसी कारण गोंडवंश का गढ़ा का गोंड वंश या गढ़ा राज्य भी कहा जाता है। गढ़ा के साथ गढ़ा-कटंगा, गढ़ा-मण्डला का नाम भी जोड़ा जाता है।

गढ़ा के पश्चात् राजा दलपतिशाह के शासनकाल में राजनीतिक राजधानी का दर्जा सिंगोरगढ़ को प्राप्त हुआ। हालांकि गढ़ा को कभी विस्मृत नहीं किया गया। दलपतिशाह की असमय मृत्यु के पश्चात् राजा दलपतिशाह के अल्प वयस्क पुत्र वीरनारायण को गढ़ा-मण्डला राज्य का राजा घोषित किया गया।

'दलपतिशाह की मृत्यु के समय 'वीरनारायण की आयु 5 वर्ष की थी।'[2] कतिपय विद्वान कुंवर वीरनारायण की आयु के विषय में पृथक मत रखते हैं। रामभरोस अग्रवाल की पुस्तक 'गढ़ा-मण्डला के गोंड राजा' में 'दलपतिशाह की मृत्यु के समय वीरनारायण की आयु 3 वर्ष उल्लेखित है।'[3] वीरनारायण की माता रानी दुर्गावती ने अपने अल्प वयस्क पुत्र की संरक्षिका बन कर शासन किया। राज्य एवं राजधानी गढ़ा ही थी परन्तु राजा ह्रदयशाह सिंगौरगढ़ में रहना पसन्द करते थे। अत: राजनीतिक रूप से राजधानी का दर्जा सिंगौरगढ़ को प्राप्त था। इस समय गोंड राजाओं का प्रमुख राजकोष सतपुड़ा की पहाड़ियों में स्थित एवं सुरक्षित स्थाना चौरागढ़ दुर्ग में रहता था।

राजा प्रेमनारायण/प्रेमशाह के शासनकाल में मुख्यालय चौरागढ़ रहा। राजा प्रेमनारायण की हत्या बुन्देला शासक जुझार सिंह ने कर दी। प्रेमनारायण के पुत्र राजा ह्रदयशाह के समय भी मुख्यालय चौरागढ़ दुर्ग ही था।

मुगल शासक शाहजहां के काल मे ओरछा के शासक पहाड़सिंह ने चौरागढ़ पर आक्रमण किया, शाहजहां द्वारा चौरागढ़ का जागीरदार पहाड़सिंह को बनाया गया था। राजा ह्रदयशाह को चौरागढ़ छोड़ना पड़ा। इस राजा ह्रदयशाह ने रामगढ़ को राजधानी बनाने का निर्णय लिया और रामनगर में नयी राजधानी के भवनों का निर्माण कराया। 'रामनगर में सन् 1652 में राजधानी स्थापित हुयी। रामनगर में जो शिलालेख हैं वह शिलालेख सन् 1667 ई. का है।'[4]

शिलालेख लिखे जाने के समय तक रामनगर के दुर्ग सदृष महल के समस्त भवन निर्मित हो चुके थे। बाद में निर्माण कार्य होते रहे होंगे ऐसा कहा जा सकता है।

रामनगर का राजा का महल जो मोती महल के नाम से प्रसिद्ध है। रामनगर के प्रमुख स्मारकों में मोतीमहल, रानी महल, बादल महल, रायभगत की कोठी एवं विष्णु मन्दिर हैं। सभी स्मारक मिश्रित शैली में निर्मित हैं। विशेष रूप से निवास स्थानों में मुस्लिम कालीन (ईरानियन) कला शैली का विशेष प्रभाव दिखलाई देता है। मोती महल यह महल नर्मदा के तट पर स्थित है। यह महल उत्तर दिशा की तरफ सामना है यह महल चौकौन बनाया गया है 212 फीट लम्बा एवं 200 फीट चौडा है। इस महल मे केन्दीय खूला आंगन है। जो 167 फीट ग 156 फीट लम्बा चौडा है। जिसके मध्य में एक पानी का कुण्ड है। यह किला तीन मंजिला बनवाया गया है जो कि सकरी सीढियों के रास्ते से जुडा है। महल में शाही शयन कक्ष बडे बडे दरबार कक्ष, नृत्य कक्ष, शाही रसोई कक्ष, नर्मदा की ओर मुख बाले अनेकों बरामदें, छत, है। मोतीमहल में तहखाने भी है जो सुरंग के माध्यम से जुडे है। बर्षा के पानी के बहाव के लिये भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। मोती महल पत्थरों से बनाया गया एक वास्तुकला की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण महल है। जो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में माना जाता है।

रामनगर सबसे प्रसिद्ध एवं विशाल स्मारक है। इस महल को दुर्ग का स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया गया है। इस स्मारक के उत्तार में नर्मदा नदी प्रवाहमान है। इसी तरफ इस महल का प्रमुख द्वार था। महल की अन्य दिशाओं में भी कई और द्वार रहे होंगे।

मोतीमहल का आकार आयताकार है। इस महल के मध्य में एक विशाल प्रांगण है। प्रांगण के मध्य एक विशाल जलकुण्ड है। यह स्मारक तीन मन्जिला है। इस महल निर्माण शैली में मेहराब तथा गुम्बद का प्रयोग किया गया है। यह शैली मुगलशैली कहलाती है। वस्तुत: यह निर्माण शैली ईरानी शैली है। मोतीमहल के प्रांगण के चारों ओर कक्ष निर्मित हैं। ये कक्ष भी आयताकार हैं अर्थात् लम्बाई में अधिक तथा चौड़ाई में कम। इन कक्षों के सम्मुख बरामदे हैं जो इस महल की भव्यता बढ़ा देते हैं। अधिकतर निर्माण सादा हैं फिर भी अलंकरण मिल जाता है। समस्त भवनों कक्षों पर चूने का प्लास्टर किया गया है। मोतीमहल के सबसे ऊपर के भाग के कोण कक्षों पर गुम्बद निर्मित किये गये हैं।

स्नानागार – मोतीमहल के प्रांगण में एक विशाल स्नानागार है। जिसे कुण्ड भी कहा जाता है। यह जलकुण्ड दो तल में विभक्त है। ऊपरी तल की लम्बाई 95.54 फुट तथा चौड़ाई 83.64 फुट है। यह तल 4.26 फुट गहरा है। यह कुण्ड भी मोतीमहल की तरह आयताकार है। पूर्व से पश्चिम दिशा की लम्बाई 95.54 फुट तथा उत्तार से दक्षिण दिशा में चौड़ाई 83.64 फुट है।

कुण्ड का निचला तल – पूर्व से पश्चिम दिशा में 76.19 फुट लम्बा तथा 48.34 फुट चौड़ा है। इसकी गहराई 3.93 फुट है।

भागवतराय (रायभगत) की कोठी – रामनगर के स्मारकों में रायभगत की कोठी एक प्रमुख स्मारक है। यह स्मारक मोतीमहल से लगभग 250 मीटर की दूरी पर स्थित है। यह स्मारक एक ऊँचे प्लेटफार्म पर स्थित है। यह प्रवेश द्वार दो मन्जिला है। प्रवेशद्वार में सफेद पत्थर का प्रयोग किया गया है। प्रवेश की पहली मन्जिल पर द्वार एवं गवाक्षयुक्त कक्ष हैं। उसके ऊपर मुण्डेर युक्त छत है। इस किलो को हृदयशाह के कार्यकाल में निर्मित किया गया था जो कि उनके दीवान रामभगत के लिये ही बनाई गई थी। यह मोतीमहल से 500 मीटर दूर है, इसे मंत्री महल भी कहा जाता है। यह भवन दक्षिण दिशा की ओर सामना है। भवन के मुख्य द्वार पर उँची चादर की बाडी बनाई गई है। यह महल अधिक व्यवस्थित तरीके से बनाया गया है। इसके चारों कोनों पर गुम्बद है। बीच में आंगन है। महल में कलाकृत चित्रित छत है। सभी कक्ष बडे, व आंगन से जुडे है। यह स्मारक भी 1984 से राज्य संरक्षित स्मारक से जुडा है।

रायभगत की कोठी अन्दर से मोती महल जैसा भवन है। यह भवन चौकोर है। तीन मन्जिला भवन के बीच में चौकोर प्रांगण हैं, प्रांगण के मध्य वर्गाकार जलकुण्ड है जिसमें वर्तमान समय में कमल पुष्प पल्लिवित हैं। आंगन के चारों ओर बरामदे हैं तथा बरामदों के पीछे वर्गाकार कक्ष निर्मित किये गये थे। कोठी के चारों ओर के कोणों पर चार गुम्बद निर्मित हैं जो कि मध्यकालीन स्थापत्य कला का सुन्दर उदाहरण है।

'भागवतराय का यह भवन गोंड नरेश हृदयशाह द्वारा निर्मित कराया गया था। भागवत राय राजा हृदयशाह के दरबार का मन्त्री था।'

दल बादल महल –भगवत राय की कोठी से कुछ दूरी पर दल–बादल नाम का एक स्मारक है। यह स्मारक भी राजा हृदयशाह के शासनकाल में निर्मित हुआ इसे हवामहल भी कहा जाता है। यह स्मारक वर्गाकार है। स्मारक के चारों ओर गजपृष्ठाकार मेहराबें दिखलाई देती हैं। यह महल भी तीन मन्जिला भवन है जिसमें सौन्दर्य का आनन्द लेने हेतु निर्मित किया गया होगा।

रानीमहल रामनगर – राजाहृदयशाह के शासनकाल में निर्मित यह भवन रानीमहल और बेगम महल भी कहा जाता है। बेगम महल मोती महल से लगभग 2–5 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। राजा हृदयशाह द्वारा चिमनी रानी (जो राजा हृदयशाह की दूसरी पत्नि) के नाम से बनाया गया है। चिमनी रानी मुगल परिवार से थी यह महल भी तीन मंजिल का मुगल शैली का प्रभाव वाला महल है। महल में उपर की ओर गुम्बद बनाये गय है। यह महल उत्तर पश्चिम सामना वाला महल है। महल में पानी का कुण्ड भी बनाया गया है। यह भवन सुन्दर एवं रमणीय स्थान पर निर्मित है। यह भवन कहीं–कहीं तीन मन्जिला और कहीं चार मन्जिला है। यह महल अनेक कक्षों से युक्त एक आयताकार भवन है। जिसके चारों कोणों पर गुम्बद निर्मित किये गये हैं। इस भवन को एक ऊँची जगती पर निर्मित किया गया है। महल अब भी दृढ़ स्थिति में है।

इस स्मारक में मुगल स्थापत्य कला का आधिपत्य है। इस स्मारक में एक सुन्दर बावडी है जिसमें अब भी वर्ष भर पानी रहता है।

विष्णु मन्दिर – राजा हृदयशाह के शासनकाल में रामनगर में एक विष्णु मन्दिर का निर्माण उनकी पत्नी सुन्दरी देवी ने कराया था। यह मन्दिर मोतीमहल के पास ही है। इस मन्दिर का निर्माण मध्यकालीन स्थापत्य शैली में पंचायतन शैली के अन्तर्गत किया गया है। यह मंदिर मोतीमहल से 30 किलोमीटर दूर है। महल दक्षिण–पश्चिम दिशा में बना है। चौकोन निर्माण है। महल के अंदर भी चौकोन कक्ष है। जिसपर गुम्बद बनाये गये है। चारों कौनों में छोटे–छोटे गुम्बद बनाये गये है। चारों तरफ खुला बरामदा है। इस मंदिर में विष्णु जी की मूर्ति के अलावा, शिव, गणेश, सूर्य एवं दुर्गा जी भी विराजमान है। यह मंदिर भी 1984 में राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है।

मन्दिर के चार कोणों पर चार कक्ष हैं और उन कक्षों पर गुम्बद निर्मित हैं। इसमें प्रमुख देव श्री हरि विष्णु हैं मन्दिर उन्हीं को समर्पित था। इसके अतिरिक्त भगवान विष्णु के इस मन्दिर में भगवान शिव, गणेश, सूर्य एवं एक देवी की प्रतिमा थी। वर्तमान समय में मन्दिर प्रतिमाओं से रिक्त है। इस मन्दिर की अधिकांश प्रतिमायें जिला संग्रहालय मण्डला में संरक्षित हैं।

रामनगर किला

रामनगर किला में स्थित शिलालेख

रामनगर किला (राजधानी)

मोतीमहल प्रांगण में स्नानागार

राम भगवत राय की कोठी

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. गूगल नेट से साभार।
2. सिंह, डॉ. रामसिया, पृष्ठ 92
3. अग्रवाल, रामभरोस- गढ़ा मण्डला के गोंड राजा, गोंडी पब्लिक ट्रस्ट, मण्डला विक्रम सम्बत- 2068, पृष्ठ 48
4. सिंह, डॉ. रामसिया, पृष्ठ- 151
5. सिंह, डॉ. रामसिया पूर्वोक्त पृष्ठ -151
6. छायाचित्र शोधार्थी द्वारा स्वयं संकलित।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

शिक्षक-शिक्षा का पुनरूद्धार : शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रम की भूमिका

केशव लाल गुप्ता*

* सहायक आचार्य, भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय,गंगापुर सिटी एवं शोधार्थी, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा (राज.) भारत

प्रस्तावना – शिक्षा बहुत समय से लोगों का सामाजिक बहिस्कार करने के साधन के रूप मे काम करती रही है। इस तरह से इसने बिषमता को खत्म करने एवं बेहतर समाज के निर्माण के संविधान के उद्देश्यों को प्राप्त करने मे बाधा का ही काम किया है। आज हमारी शिक्षा व्यवस्थाओं मे शिक्षक को सुचना प्रदान करने वाला और विद्यार्थियों को चारदीवारी से घिरे बंद कक्ष मे चुपचाप बिना किसी प्रतिक्रिया के उन सुचनाओं को प्राप्त करने वाले एक मूक श्रोता के रूप मे देखा जा रहा है।

हमारी शिक्षा की सबसे बडी समस्या इसके द्धारा बच्चों पर लादा गया बोझ है। यह बोझ पाठ्यचर्चा की असंबद्ध संरचना का परिणाम तो है ही जिसे बच्चों के जीवन और उनकी संस्कृति से कोई सरोकार नही है परन्तु यह शिक्षक की अपर्याप्त तैयारी का भी परिणाम है क्योंकि शिक्षक बच्चों से ठीक से जुड नहीं पाते और न हीं बच्चों की जरूरत के अनुसार अपनी तरफ से रचनात्मक एवं जरूरी पहल करते है। हमारी शिक्षा व्यवस्था मे जहां बच्चे को पर्याप्त जगह देने की बात स्वीकार की जा रही है वहीं शिक्षको को अभी भी उचित जगह नहीं दी जा रही है। शिक्षको को ज्ञान उत्पन्न करने और सोचने बाले पेशेवर के रूप देखा जाना जरूरी है।

शिक्षकों का सबलीकरण ऐसा हो कि बच्चे के द्धारा घर व परिवेश मे सीखे गये अनुभवों को पहचान सके तथा उन्हे महत्व दे सके और तद्अनुसार उसे खोजने सीखने व विकसित होने का अवसर प्रदान कर सके। इसलिए शिक्षकों को अलग ढंग से प्रशिक्षित करने की जरूरत महसूस की जा रही है ताकि वे समता व सामाजिक परिवर्तनों के प्रश्नो पर स्वयं को उचित ढंग से खड़ा कर सके। इस संदर्भ मे चट्टोपाध्याय समिती (1983-85) ने कहा है 'यदि स्कूल शिक्षको से उम्मीद की जाती है कि वे पढ़ाने के उपागम मे क्रांति लाए तो वह क्रांति पहले शिक्षक शिक्षा के कोलेजो मे होनी चाहिऐ।'

सेवापूर्व शिक्षक शिक्षा-एक विवरण – कोठारी शिक्षा आयोग (1964-66) से ही यह बात की जाने लगी कि शिक्षा मे गुणात्मक सुधार के लिए शिक्षकों को बतौर पेशेवर तैयार करना अत्यंत जरूरी है। गुणवत्ता को शिक्षक शिक्षा कि आत्मा घोषित करते हुऐ आयोग ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालयों मे सामान्य व पेशेवर शिक्षा के समाकलित पाठ्यक्रम (इन्टीग्रेटेड कोर्स) पढ़ाया जाऐं जिसमे स्वाध्याय और चर्चा तथा इन्टर्नशिप के द्धारा अनुभव कार्यक्रम का महत्वपूर्ण स्थान हो।

चटोपाध्याय समीति (1983-85) ने नए शिक्षक की अभिकल्पना करते हुऐ लिखा कि 'अगर शिक्षक शिक्षा को नऐ शिक्षकों की भूमिका और दायित्वों के संदर्भ मे प्रसांगिक बनाता है तो माध्यमिक स्तर के शिक्षक के प्रशिक्षण की अवधि 12वीं के बाद 5 बर्ष की होनी चाहिऐ' आयोग ने आगे लिखा कि इससे सामान्य एवं व्यवसायिक शिक्षा को एक समान भाव से आगे चलाया जा सकता है। आयोग ने सिफारिश की कि आरंम्भ मे हम 4 साल कि एकीकृत शिक्षा का कार्यक्रम आरंम्भ कर सकते हैं। यह भी सम्भव हो सकता है कि वर्तमान समय मे चल रही विज्ञान एवं कला के कुछ कोलेज अपने कार्यक्रमों के साथ शिक्षा विभाग शुरू करे और अपने कुछ विद्यार्थियों से शिक्षक शिक्षा के अध्ययन के लिए कहे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीती 1986 की समीक्षा करते हुऐ आचार्य राममूर्ती समिति (1990) ने कहा कि 'शिक्षक शिक्षा मे इन्टर्नशिप (अंत: शिक्षुकता)का ढांचा अपनाया जाना चाहिऐ' क्योंकि इन्टर्नशिप का ढ़ाचा पूरी तरह से वास्तविक परिस्थितियों मे किये गये व्यावहारिक अनुभवों पर आधारित होता है जिसमे कुछ समय के लिए शिक्षण का अवसर देकर अध्यापक के गुणों के विकास का अवसर दिये जाते है।

यशपाल समिति कि रिपोर्ट 'शिक्षा बिना बोझ के' (1993) ने माना कि शिक्षकों कि तैयारी के अपर्याप्त अवसर से स्कूल मे अध्ययन अध्यापन की गुणवत्ता प्रभावित होती है। इन कार्यक्रमों कि विषयवस्तु इस प्रकार पुन: निर्धारित की जानी चाहिऐ कि स्कूली शिक्षा की बदलती आवश्यकताओं के संदर्भ मे उसकी प्रासांगिकता बनी रहे। इन कार्यक्रमों से शिक्षक प्रशिक्षकों में स्वयं शिक्षण मे स्वतंत्र चिन्तन की क्षमता के विकास पर जोर होना चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से गतिविधि आधारित शिक्षण (ABL) आनंददायक शिक्षक, टीम टीचिंग, सहयोगी एवम् सहकारी अधिगम, प्रदर्शन और सहभागिता प्रशिक्षण की जो आवश्यकता है, उसे अक्सर व्याख्यान के माध्यम से ही पढ़ाया जाता है।

शिक्षक-शिक्षा-नई पहल :

1. आज पेशेवर शिक्षक प्रशिक्षक तैयार करने कि कोई स्थाई व्यवस्था नहीं है। विशेषकर पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक स्तर। इन स्तरों के लिए ज्यादातर शिक्षक प्रशिक्षक माध्यमिक स्तर के लिए प्रशिक्षित होते है,जैसे M.Ed.
2. शिक्षक शिक्षा को स्कूली व्यवस्था कि आवश्यकताओं के प्रति ज्यादा संवेदनशील होना पड़ेगा इसके लिए शिक्षक शिक्षा मे आमूलचूल बदलाव की आवश्यकता है,और सेवापूर्व शिक्षक प्रशिक्षण मे ऐसे शिक्षकों के निर्माण की आवश्यकता है जो वे सीखने सिखाने की परिस्थितियों मे उत्साहवर्द्धक संयोगी तथा सीखने को सहज बनाने वाले बने तथा जो अपने विद्यार्थियों को प्रतिभाओं की खोज-उनकी

शारीरिक तथा बौद्धिक क्षमताओं को पूर्णतया जानने, उनके चरित्र के विकास मे तथा जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाने मे समर्थ बनाऐ।

3. ऐसे शिक्षक तैयार हो जो शिक्षा के सामाजिक संदर्भो के प्रति जबावदेह और संवेदनशील बने।
4. शिक्षक बच्चों का ख्याल रख सके और उनके साथ रहना पसंद करे।
5. व्यक्तिगत अनुभवों से अधिगम करा सके।
6. सीखने के तरीके समझे,ज्ञान को चिंतनशील सीखने की सतत प्रक्रिया माने।
7. ज्ञान को पाठ्यपुस्तको के बाहरी ज्ञान के रूप मे न देखकर अनुभव के संदर्भ मे देखे।
8. ऐसा शिक्षक बने जो ग्रहणशील हो और लगातार सीखता रहे तथा समाज और विश्व को बेहतर बनाने की दिशा मे अपनी जिम्मेदारियों को समझ सके।
9. उसका भाषाई ज्ञान और दक्षता का आधार ठोस हो।
10. अपना पेशेवर उन्मुखीकरण करने के लिए प्रयास करता रहे।
11. शिक्षक-शिक्षा मे ऐसे शिक्षक तैयार हो जो समझ सके कि विद्यार्थी अधिगम का अनुभव सक्रिय जुड़ाव और सहभागिता के आधार पर करते है अर्थात विद्यार्थी अपने ज्ञान का अपने तरीके से निर्माण करते है। इसलिए अधिगम स्त्रोतो की तलाश, विचारों का चिंतन विश्लेषण व आत्मसात्मीकरण होना चाहिए।

शिक्षक-शिक्षा महाविद्यालय एवं शिक्षक प्रशिक्षकों की भूमिका:

1. शिक्षक की मुख्य भूमिका सीखने के मार्ग मे सहायता करने वाले की होती है, शिक्षक वह होता है जो विद्यार्थियों को उनकी क्षमताओं की पहचान कराऐ, उनके व्यक्तिगत अनुभवों का राष्ट्र के संदर्भ मे उपयोग हो उन्हे सृजनशील चिन्तनशील बनने के लिऐ अवसर प्रदान करे।

   शिक्षक को समझ लेना चाहिए की विद्यार्थी स्कूल मे अब उसे ज्ञान के स्त्रोत के रूप मे नही देखते, मीड़िया और आई.सी.टी. ने उनके सामने अत्यंत संभावनाऐ खोली है। फिर भी बहुत सारी बातों को विद्यार्थि को अर्थपुर्ण ढंग तथा सकारात्मक ढंग से सिखाना शिक्षक के हिस्से मे ही आता है। अभि आई.सी.टी. जैसी सुविधाओं तक सभी विद्यार्थियों की पहुंच होने मे समय लगेगा। शिक्षक को सभी परिस्थितियों (आई.सी.टी. साथ व बिना आई.सी.टी. मे प्रभावी रहने के लिए दक्ष होना आवश्यक है।
2. शिक्षक को क्रिया आधारित अधिगम (ABL) की प्रकृति और गतिशीलता को समझना चाहिए।
3. आज शिक्षक और शिक्षा जैसे शब्दों के पारम्परिक अर्थ को बदलेजाने की जरूरत है क्योंकि शिक्षण मे यह निश्चित होता है कि एक शिक्षक क्या करता है ? जबकि आज शिक्षा व्यवस्था मे आवश्यक है कि शिक्षक समझे छात्र कैसे और क्या चाहता है ?
4. शिक्षक को यह समझ लेना चाहिऐ कि सभी विद्यार्थी अपने अपने ढंग से सीखते हैं और ऐसी कोई एक पद्धति नहीं है जो सभी विद्यार्थियों को एक ही ढंग से सिखा सके। हर शिक्षक को बोधगम्य अभ्यास के द्वारा अलग अलग विद्यार्थियों के सीखने के तरीके पहचानने होंगें।

शिक्षक शिक्षा का कैसे हो पुनरूद्धार: एक दृष्टि:

1. सभी प्रकार के शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक को विश्वविद्यालयों मे संबद्ध कर दिया जाऐ।
2. शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम को लागू करते समय प्रशिक्षकों, विद्यार्थी शिक्षको और छात्रों को पूरी आजादी दी जानी चाहिए कि उन्हे जो उपयुक्त लगे कर सकतें हैं।
3. 10+2 स्तर की पढ़ाई के बाद शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम सिद्धांत: 4 वर्ष का हुआ है,जो एक सकारात्मक कदम है। इसके विशिष्ट चरण मे व्यावसायिक विकास की विशेषता का भी प्रावधान हो।
4. शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम को इस तरह पुनर्निर्मित किया जाए कि वह स्कूल पाठ्यचर्चा के नवीनीकरण और अपने क्षेत्र विशेष के संदर्भ मे प्रासांगिक हो सके।
5. एन.सी.ई.आर.टी. और एन.सी.टी.ई. के बीच उच्च स्तरीय सलाहाकार संबंध हो ताकि स्कूली पाठ्यचर्चा और शिक्षक शिक्षा को जोड़ा जा सके।
6. शिक्षक प्रशिक्षक को न केवल पैराडाइम (मिसाल) बदलाव की समझ हो बल्कि वे इसके वाहक भी बने। इसके लिए बेहतर अभिमुखीकरण कार्यक्रमों की आवश्यकता है। जिससे वे स्वयं को नवीन परिस्थितियों के लिए तैयार कर सके।
7. शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम मे अधिगम अनुभव विद्यार्थी प्रधान होने चाहिऐं जिससे विद्यार्थियों मे तर्क क्षमता, ज्ञान निर्माण और सूझ का विकास बेहतर ढंग से हो सके, इन सब के लिऐ शिक्षक विद्यार्थियों को शिक्षक प्रशिक्षक प्रशिक्षित करने का जिम्मा उठाऐ।

सारांश – शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों मे इस प्रकार के शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम तैयार किया जाऐं कि विद्यार्थी अध्यापकों को प्रत्यक्ष अनुभव के पर्याप्त अवसर मिलें। केवल पढ़ने या भाषण सुनने से शिक्षक शिक्षा का पुनरूद्धार नही होता जिससे विद्यार्थी अध्यापक देखने, सोचने, विचार विमर्श करने, सोचने समझने तथा अधिगम स्थितियां क्या और कैसे हो इस पर निर्णय ले सके। ऐसा वास्तविक परिस्थितियों के साथ कृत्रिम स्थितियां पैदा करके किया जा सकता है। नया शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम बदली हुई व्यवस्था कि मांग करता है। जिसमे शिक्षक प्रशिक्षक की भूमिका अधिगम को सहज बनाने बाली होगी न की ऐसी जिसमे एक शिक्षक मात्र कोई एक कोर्स पढा रहा है। इसमे आकलन (ASSESSMENT) के लिऐ भी जोर प्रक्रिया मे भागीदारी पर ज्यादा होगा न की परिणामों पर। इसमे विद्यार्थी-शिक्षकों को एसे अनुभव देने होंगे जिसमे वे स्वयं खोजें, चिंतन करे, आलोचनात्मक मूल्यांकन करे, प्रयोग तथा स्वयं द्वारा लिऐ गये निर्णयों की जिम्मदारी ले। ये सभी उन्हे स्कूलों मे प्रभावी ढंग से कार्य करने मे समर्थ बनाते हैं।

शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रम ऐसा हो जिसमे विद्यार्थी शिक्षक को विभिन्न प्रकार की अधिगम परिस्थितियों मे काम करना सिखाऐ अंतत: शिक्षा के क्षेत्र मे मांसमीड़िया, आई.सी.टी. और उपग्रह आधारित टी.बी. के शामिल हो जाने से शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम की भूमिका और महत्वपुर्ण हो गई है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. शिक्षा आयोग की रिपोर्ट(1964-66) 'शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास', शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार पृ. 622
2. शिक्षा आयोग की रिपोर्ट(1964-66) 'शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास' शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, पृ. 623
3. शिक्षक एवं समाज, चट्टोपाध्याय कमेटी रिपोर्ट, मा. सं. वि. मं., भारत सरकार पृ. 49
4. राष्ट्रीय शिक्षा नीती , मा. सं. वि. मं., भारत सरकार, पृ. 43

5. प्रबुद्ध और मानवोचित समाज की ओर आचार्य राममूर्ति रिव्यू कमेटी रिपोर्ट ,मा. सं. वि., भारत सरकार
6. शिक्षा बिना बोझ के यशपाल कमेटी रिपोर्ट , मा. सं. वि. मं. भारत सरकार पृ. 26
7. 'जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में शैक्षिक प्रगति एवं सुधार की समीक्षा' (फेस1 एंड फेस2) ,साउथ एशियन ह्यूमेन डेवलपमेंट सेक्टर, डिस्कशन पेपर सीरीज 2003, विश्व बैंक पृ. 35
8. कृष्ण कुमार(2002) प्लांड लेसंस एंड अदर प्रोब्लम्स ओफ टीचर ट्रेनिंग इन रिफ्लेक्शन ओफ लेसन प्लानिंग, आई. ए. एस. ई, डिपार्टमेंट ओफ एजुकेशन, दिल्ली विश्वविद्यालय, पृ.10

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

Reasoning and Mysticism in Amitav Ghosh's: The Calcutta Chromosome

Prasoon Soni*

***Research Scholar (English) Jayoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur (Raj.) INDIA**

Introduction - AmitavGhosh's The Calcutta Chromosome: A Novel of Fevers, Delirium and Discovery is a commendable science fiction. It has won the prestigious Arthur C. Clarke Award. It presents a web of different stories from different times beginning in the precise future in New York. We find an intertwining of science and counter-science in the novel which he skillfully depicts through his characters and plot. His intention in the novel is to dismantle the western sense and superiority through Indian Philosophy. The novel deals with variety of subjects such as medical history, computer applications, and religious sects set against the backdrop of the ending years of nineteenth and twentieth century, and the opening years of twenty first century India. An attempt has been made to analyze and study the boundaries of science and counter science in The Calcutta Chromosome.

The book is about the shadowy story of the discovery of the malaria parasite by a British medical man in colonial India, Dr. Ronald Ross. It begins in twenty first century with Antar an Egyptian computer expert in New York working on his super computer Ava to search for a man whose card appeared like a flash on his Ava. He finds that the lost person is L. Murugan, a colleague and researcher in Life Watch where he works, and is also the one who has done the research on the medical history of malaria. He comes to the conclusion that Ronald Ross who was a noble laureate for his work on the life-cycle of malaria parasite (1898) was brought on the right track by some of the native assistants to head on for such a beneficial discovery to mankind. The story switches places and periods to tell us stories that are connected to Murugan's story. We go back to that period when Ross was doing the research and even before that when Cunningham was attempting the same thing. There are a lot of characters and the story moves back and forth and sometimes there is a story within a story and another within it, we find a number of sub plots interlaced together, another plot we see is about Urmila Roy a journalist in Calcutta who is researching the works of Phulboni, a renowned writer who produced a series of strange "Lakhan stories".

The novel has many layers, numerous personalities, and complex time frames which allow the writer to deal with science, myth, language, silence, society and the individual. It is a web which grows skillfully pairing the most unexpected themes, and fitting into astonishing patterns. If we take the structure and plotting of any Science-fiction novel as a basis to understand AmitavaGhoshs' 'The Calcutta Chromosome' we find the author questioning the identification of knowledge and science through the fictive recreation of 'counter-science'. He presents the story by interlacing science and counter-science together through the plot and characters of the novel .Though one can say that his intention in the novel is to bring down the western sense and superiority through Indian Philosophy which in fact is a counter science in this novel. He tries to establish the authority and control of marginalized lower class Indian people over Western higher class scientists through the fictive activity of counter science in the main plot in an interesting manner – to suggest that someone wanted Ross to identify the cause of malaria in order to hide some other bigger secret. Here Ghosh tries to subvert the Western rationalistic knowledge through counter science which makes Ross' to believe as the conductor of research. Murugan mocks at Ross and comments: "He thinks he's doing experiments on the malaria parasite. And all the time it's he who is the experiment on the malaria parasite. But Ronnie never gets it; not to the end of his life." (Dayal, 67) Ross' research was controlled by the uneducated lower class Lutchman and Mangala.

Ghosh dismantles the domination of West over East by employing magic realism and mysticism as a tool in his narrative to deal with the secret religion of silence as counter science. Mangala and Lutchman are the members of a secret religious society and they believe in the cult of silence, trying to conceal their identity. The novel never clearly identifies the beliefs and aims of this secret society as it could break the code of secrecy. Ghosh through his narrative suggests that this group of people believed in

counter science. May be this other team, “started with the idea that knowledge is self-contradictory; maybe they believed that to know something is to change it, therefore in knowing something, you’ve already changed what you think you know so you don’t really know it at all: you only know its history. Maybe they thought that knowledge couldn’t begin without acknowledging the impossibility of knowledge.” (TCCDayal, 88)

The counter-scientists’ silence and secrecy create a hurdle that Murugan and by extension Antar spend the entire novel trying to break through. Murugan especially is interested in the unspoken new information that the counter-scientists are shielding behind their silence. Silence is presented in various relationships to language, including scientific language. A character says about silence: “I see signs of her presence everywhere I go, in images, words, glances, but only signs, nothing more….” It is also a good example of the subgenre of postcolonial science fiction. It has the elements which show colonialism’s sharp oppositions between suspect Eastern esotericism and the Western rationality by presenting an inherently coherent and numinous order. In keeping with the sudden appearance of other postcolonial voices in a genre so identified with Western technological dominion, the novel’s complex mingling of the two major ways of knowing, Science as scientific effort and language on the one hand and Counter Science as intuition, wisdom, silence, magical realism and mysticism on the other hand, raises questions about the nature of knowledge..

Contradictory to this silence is the “knowledge” that a subject offers up to the authorities. Their knowledge “is recorded and stored” by the creation of categories and systems of names — insane, crank, eccentric, etc. — and used to classify them and define their mode of being; ultimately this ‘archive’ of knowledge “comes to constitute and uphold a regime of power”. In this novel we see that The International Water Commission, through Ava and Antar, are in the process of creating a vast archive of information/knowledge in the hopes that they will be able to use it to their advantage in the future.Ava’s presence, for instance, has some sci-fi connotations, it is certainly more advanced than most computers available to people working out of their homes today. In fifteen minutes, for instance, it is able to trace a lost e-mail by “sifting through about six thousand eight hundred and ninety-two trillion cunabytes, ... roughly eighty-five billion times the estimated sum of every dactylographic act ever performed by a human being,”(TCC Dayal 107) and reconstruct it “by running the retrieved fragments through a Storyline algorithm” in spite its importance, however, many of the crucial events in the story occur in a time and place far removed from Ava’s presence.

On the other hand, as mentioned previously the counter scientists take the different approach in dealing with the scientific community. They work in secret and by remaining silent they are able to do their research without any impediments. As Murugan sees it:

“Fact is we’re dealing with a crowd for whom silence is a religion. We don’t even know what we don’t know. We don’t even know who’s in this and who’s not; we don’t know how much of the spin they’ve got under control. We don’t know how many of the threads they want us to pull together and how many they want to keep hanging for whoever comes next.”(TCCDayal 180)

The observations made by Murugan were not fictitious he had worked hard and with great deftness had documented the development of Ronald Ross’s malaria research. Murugan observes that Ross had spent about five hundred days altogether working on malaria, and his obsession for collection, classification and disbursement of knowledge later on called as morbid by the scientific community and even he had been termed as a “crank and eccentric” by them. He chose silence, which becomes one of the only effective means of resistance. Murugan’s experiences and those of the counter-scientists illustrate very clearly the probable effectiveness of using silence as a way of counter science.

Thus we see, Ghosh bringing the two very improbable parallel stories against each other. On one hand there is Ross’s version of the history of malaria experiment asserting its authenticity through recorded evidence, silencing any competing voice. On the other hand we find Mangala’s story bewildering constantly even its own reality, silencing any voice that exposes or threatens to expose even its own existence. One character is a British military officer and a renowned scientist and the other not only a native but a woman belonging to a lower stratum of society. Lakhaan or Lutchman is the assistant who is common to both. Ghosh, like a number of other post-colonial writers, also dislocates the conventional binary between the center and the margin. The ‘marginal’ and the ‘variant’ characterize post-colonial views of language and society as a consequence of the process of abrogation. Chromosome subverts the ‘centre’ by focusing on the actions of otherwise peripheral characters. Murugan, for instance, the character at the centre of the novel, is marginalized in numerous ways by society – as both eccentric and “ex-centric”. As already mentioned the scientific community calls Murugan as “a crank and an eccentric” because of his outrageous theories, and the History of Science Society subsequently takes “the unprecedented step of revoking his membership” Throughout the novel his “psychological ‘normalcy’” is also called into question .Murugan himself hints that his fits of syphilis and malaria might have somehow affected his brain, and by the end, of course, Antar finds him in an asylum. And yet, despite Murugan’s marginality, most of the information and events central to the story’s development are filtered through him.

Like Murugan, the group of counter-scientists who are both at the centre of the novel and at the centre of malaria research and discovery operate and exert their control from the margins of society and scientific discourse. The woman in charge, Mangala, is characterized by the colonial scientists as deviating from the psychological norms - "'don't pay her any attention;' Cunningham said to Farley, with a wink, 'she's a little touched ... you know'" (Dayal, 141). Also the work she is overseeing is often set up in binary opposition to the accepted centre. For Murugan, just as there are "matter and antimatter," "rooms and anterooms and Christ and Antichrist," there are "science and counter-science" practiced by "fringe people, marginal types (who are) so far from the mainstream you can't see them from the shore" (Dayal105). The discoveries of the counter-scientists always occur outside of the scientific centre, subversive alternatives to the 'accepted' European scientific experiments. Murugan even uses the "Other Mind" theory to describe their work - a label fraught with post-colonial connotations.

Of particular significance to the relationship Ghosh establishes between the margin and centre in the novel is Farley's visit to Cunningham's lab to test Laveran's theories. Farley, in the lab, becomes a first-hand witness to the counter-scientists' literal displacement of the centre and the shifting of power towards the margins. During his first day in the lab Farley sees, through a reflection in his glass of water, that it is Mangala - the one, according to Cunningham, who is "not all there" — who is choosing the slides and in effect running the lab.Determined to find out what Mangala and Lutchman are doing, he decides to return the following day. Upon arriving the next day, Farley notices "a great deal of activity in a nearby anteroom". Just as on day before he sees nothing of importance in Cunningham's slides, slides that are results of experiments made in what "was once one of the best-equipped research laboratories in the whole Indian subcontinent". Farley soon realizes that everything of importance going on in the lab is occurring in the anteroom and not in the laboratory proper. After threatening to stay all night he watches Lutchman snatch "up a set of clean slides," then slip "away to the anteroom". Once he was gone, Farley made his way silently across the laboratory. Flattening himself against the wall, he crept towards the door until he had maneuvered himself into a position where he could look into the anteroom without himself being detected. Farley had steeled himself for anything, or so he thought, but he was unprepared for what he saw next. Here, with the separation between room and anteroom,(lobby) the figurative binary opposition between margin and centre becomes literal. This peripheral room and the counter-science occurring within become of central importance and in turn displace the colonial lab and its conventional approaches to science from its position of authority.

When we look into Julius Von Wagner-Jauregg discovery (1927) that artificially induced malaria could cure syphilitic paresis, we find nearly the same had been achieved much earlier than that. Mangla along with her Indian counter scientist group had achieved a remarkable success by developing a particular strain of malaria that could be cultivated in pigeons. And by inducing malaria bug to the patient from the bird she started treating syphilitic patients. The process resulted in transpositions "Mangla began to notice that her treatment often produced weird side effects . . . of randomly assorted personality traits, from the malaria donor to the recipient . . ." (Dayal 206) through the pigeon. It hinted at a freak chromosome which eluded standard techniques of detection and isolation. It was only found in the non-regenerating tissue, the brain, and could be transmitted through malaria. Murugan calls this DNA carrier- the Calcutta Chromosome ". . . a biological expression of human traits that is neither inherited from the immediate gene pool, nor transmitted into it" (Dayal 207). While Ross was rationalist in solving the mystery of malaria, we see Mangala using counter science of faith to treat her syphilitic patients.

This interlacing of reasoning and eastern mysticism comes out more vividly through Mangala's ultimate wish to gain immortality by transferring human traits chromosomatically from one body to another.

"When your body fails you, you leave it, you migrate – you or at least a matching symptomology of yourself. You begin all over again, another body, another beginning. Just think, no mistakes, a fresh start .....a technology that lets you improve on yourself in your next incarnation . . ." (Dayal 91-92).

The interlacing of stories with silence thus forms a powerful plea that knowledge be regarded as a dynamic process, rather than a fixed entity. Ghosh is not opposed to knowledge but through his characters and through his intricate way of weaving the plot he indicates that all knowledge, whether concerning science, history, or geography, are in fact provisional, they are stories still being told, still mutating. He suggests that it is only when one recognizes that scientific practice or any claim to knowledge are in fact processes akin to story-telling, that one can actually set off on the evolving course of knowledge. To return to the epigraph, the phrase "the impossibility of knowledge" (Calcutta) indicates Ghosh's other important point that full knowledge is not out there for the taking, there will always be silences and gaps in our narrations of knowledge. As a novelist, no doubt Ghosh foregrounds fiction as an important instrument of knowledge transmission, highlighting in particular the modes open-endedness and ability to encompass many different viewpoints, very effectively. And although his fiction is always grounded in extensive factual research, as in the case of the representations of Ronald Ross, he always returns to

the novel as the most apposite literary mode for imparting his non-hegemonic “not-knowledge.”

The novel is a science- fiction, where AmitavaGhosh has made an attempt at deconstructing the dichotomy between logic and reasoning i.e. science-the western science (represented by Ross) and counter-science or eastern mysticism (personified byMangla). He has very skillfully depicted the same by creating unexpected points of contact, suggesting their mutual dependence, thus smearing the boundaries of the two. The main themes of question of knowledge, the fading away of the man and machine relationship are allusively anticipated from the very first chapter. The way the secrets of the malaria research are unraveled with the contribution of futuristic high technologies, the way the characters, events and the details echo and resound from one level to the other, limiting the stories to make them elusive the same way the boundaries between Science and Counter-science, between logic and mysticism have been blurred. He has used the technique of flashback, continual shift of time and space are tightly knit together. Its success lies in its blending the post-colonial with science-fiction traditions. Through his characters, as we have seen ,he tries to show that not only the characters of the novel but the whole human race is in search of truth, knowingly or unknowingly, a desire that lays deep inside the secret world of silence. The binary opposition is shown in his dismantling of the western rational notion through Indian irrationality presenting an alternative perspective of truth, the voice of logic and illogic, matter and anti-matter, or Science and Counter-science or Western reasoning and Eastern mysticism.

References :-

1. Adhikari, Madhumalati, “The Calcutta Chromosome: A Post-Colonial Novel.” Journal of
2. English Literature.Vol. 1.No.1.(2009)
3. Ghosh, Amitav, The Calcutta Chromosome. New Delhi: Ravi Dayal, 2006.
4. http://litthe.oxfordjournals.org/ James.H.Thrall “Postcolonial Science Fiction: Science,
5. Religion and the Transformation of Genre in AmitavaGhosh’s The Calcutta Chromosome.
6. http://books.google.co.in/ Ed.Ericka Hoagland, ReemaSarwal, Andy Sawyer, Science Fiction, Imperialism and the Third World : Essays on Postcolonial Literature and Film.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

The Concept of Social Change and State Intervention in India

Rajendra Mishra* Dr. Sajad Ahmad Dar**

*Asst. Prof. & HOD (English) Govt. M.H.College of Home Science & Science for Women, Jabalpur (M.P.) INDIA
** Contractual Lecturer, Department of Higher Education, Jammu and Kashmir, INDIA

Abstract - Like any other society Indian society, too, has been changing. However, the paceof change increased rapidly since the advent of British rule in India. British colonial rule had a profound impact on Indian society. This change took place both in itsstructure and functioning. Then came independence and what makes the socialchange in the contemporary Indian society specially significant and noteworthy isthe fact that, to a great extent, it is planned, sponsored, directed and controlledby the state. Since the last decade or so Globalisation has entered into the economic,social-cultural, and political spheres of Indian society adding yet another dimension to social change in Indian society.

Keywords: Social Change, State Intervention, India.

Introduction - India with her long history and varied heritage is one of the traditional societies with its structure deep rooted in traditions. The Indian Society has a long history as it was divided into four categories since time immemorial and was known as "Chaturvarnasystem."[1]Before and during the Vedic period such divisions were based on merit and performance with no concept of high and low with regard to the functions and duties. However the system degenerated into various castes with the concept of:

1. High and low.
2. Touchableand untouchable.
3. Plethora of do's and don'ts.

This situation completely restricting the upward social mobility and even the horizontal social mobility crippling people's pride and self-esteem of various segments of Indian Society who were degraded in lower social strata called "Shudra" and "Atishudra" categories. A pyramidal stratified social structure with absolutely no social mobility was thus born.

Discussions: In Indian, the development of individual and development of his personality were and are totally restricted and not only the social mobility was and is adversely affected but even national unity and integration too were and are badly affected which in past resulted in the occupation of this country by various foreign forces taking advantage of fragmented Indian Society which remained non-cooperative in safeguarding of its borders due to the caste system. Unless such rigid caste based hierarchy is changed with changing times, the conflict arising out of such caste hierarchical practices would certainly go on harming the Indian society and its progress, development, unity and integrity of the nation. Various social legislations were brought into force, few before independence and a couple of them after independence inorder to create a society which is free from caste prejudice and hatred. The caste based untouchability (touch-me-not-ism) is a stigma to Indian Society which is not known to exist anywhere in the world in the same mode, manner and form as it existed in India. Not only it divided people on caste lines but it also encouraged the concept of high and low, pious and profane which socially, economically, politically, educationally and religiously degraded lower castes, communities and tribes to such an extent that such people belonging to such lower strata could not feel that they are human beings but considered themselves as sub-human beings and at times their plight was worse than animals. Thus, the hierarchical social order based on Chaturvarna and multiplicities of numerous castes brought such evil as elaborated above.

A very strange legal structure was created in history of Indian society by various Smrutis/Samhitas to enforce unjust, unfair and unreasonable social and religious practices of this land on caste lines. The sentences / punishments / penalties for the same offence or misconduct were different for Brahmins and Shudras and other strata of the Society based on caste-hierarchy. Such unjust legal structure solidly stood till the advent of foreigners' rule in India. The Muslim or the British rulers [3]did little for effective law / legislation for social change related to abolition of caste. The independence of nation brought new hope and cheers for millions of people in India who suffered unimaginable miseries and hardships, atrocities and

highhandedness at the hands of people who were hierarchically higher in the societal pyramid of the Indian Society. Various societal social reform movements and great leaders too played a significant role in this direction.India's transition towards modernization has been a slow and continuous process. It was during the early part of the nineteenth century that the traditional social structure of India underwent some changes. Attempts were made to explain these early social changes in India through the concepts like Sanskritization and Westernization.

Sanskritization: According to M.N.Srinivas (1952), Sanskritizationis a process of cultural mobility in the traditional social society of India. It is explained as "the process by which a low caste or tribal or other group changes its customs, rituals, ideology and way of life in the direction of a high and frequently 'twice born' caste". As per the views of Srinivas, (1996) the mobility associated with Sanskritization results only in 'positional changes' in the system, but does not lead to any significant structural changes. Hence the concept serves very little purpose in understanding the contemporary social changes in the Indian society.

Westernization: With the establishment of British Raj in India, the impact of Western philosophy and science referred to as 'Westernization' introduced reason into daily habits and made Indians realize the meaninglessness of many ancient prejudices and customs. Westernization in a way changed the life patterns of Indians and created new values. The vision of the average Indian, so long closed and severely confined was enlarged and liberalized to some extent. Exposure to English literature, history and political institutions made them to adopt humanitarian outlook and promoted in them an active concern for welfare of all human beings (Kuppuswami, 1972). It brought many changes in the Indian elite ranging fromtheir speech, clothing, and food habits to certain value changes like equalitarianism and secularism. Western influence thus, has been a very important source of social change in India. However, the process failed to bring about basic changes in the masses. The process did not foster any changes in the value orientation and attitudes of the broader strata of society. Thus the changes instituted by Westernization had an elitist bias and failed to touch the broad local and grass root levels of the people (Eisenstadt, 1966). Also the changes introduced as a result of Westernization were limited only to the administrative and technical fields as against the deeper social and cultural spheres of lifq. Thus the concept of Westernization is too narrow to stand for the wider and complex processes of modernization in developing countries (Chekki, 1974).

'Social change' in its broadest sense is change in social relations of a society. In this sense, social change is an on-going phenomenon in any society. The specific meaning of social change is described by various development and modernization theorists. Changes in a small group of people such as a village community are important at the level of the group itself. However, such changes are also important at the level of the larger society. Patterns of social change at the larger society become discernible only over a long period of time unless of course the society undergoes a revolutionary change which would change both its social structure and organization. Development and modernization theories describe the long-term and large-scale changing patterns of a society.

Definitions of Social Change: According to Lundberg and others "Social Change refers to any modification in established patterns of inter-human relationship and standards of conduct."[4]The definition is very apt and properly encompasses all ingredients of the social change. The establishedpattern of inter-human relationship between Caste Hindus and Scheduled.

Castes was that of touch-me-not-ism as the same was thought to be polluting them i.e. the Caste Hindus. The social change in the above dogmatic stratification really called for modification in the changing and already changed social scenario following independence in 1947 and following coming in force the Constitution of India.

Vidya Bhushan and D.R. Sachdeva observed, "Change is the law of nature what is to-day shall be different from what it would be to-morrow. The social structure is subject to incessant change Society is an ever changing phenomenon, growing, decaying, renewing and accommodating itself to changing conditions and suffering vast modifications in the course of time.[5]The word "change" denotes a difference in anything observed over some period of time.

"Social change is a term used to describe variations in, or modifications of, any aspect of social processes, social patterns, social interaction or Social Organization." Jones.[6] According to Mazumdar, H.T. "Social change may be defined as a new fashion or mode, either modifying or replacing the old, in the life of a people, or in the operation of a Society."[7] As per Gillin&Gillin, "Social changes are variations from the accepted modes of life; whether due to alteration in geographical conditions, in cultural equipment, composition of the population, or ideologies and whether brought about by diffusion or inventions within the group."[8]As per Davis, "Social change is meant only for such alterations as occur in social Organization, that is, structure and functions of Society."[9] According to Merril&Eldredge, "Social change means that a large number of persons are engaging in activities that differ from those which they or their immediate forefathers engaged in sometime before."[10]

Modernisation: Modernisation has been a dominant theme after the second world war speciallyin nineteen fifties and sixties and a central concept in the 'sociology of development,'referring to the interactive process of economic growth and social change.

Modernisation studies typically deal with the effects of economic development ontraditional social structures and

values. The process of modernisation is related tothe industrialisation, urbanisation, high standard of living, development of civilizationand broadness of view point. Defining modernisation Eisenstadt (1966) says that"from a historical viewpoint modernisation is the process of change towards thosetypes of social, economic, and political systems which were developed in Western Europe and North America from the 17th to 19th century and after that spread over to South America. Asia, and Africa during the 19th and 20th centuries".

Let us see verybriefly as to how the contemporary Indian society is striving to adopt modernisation for economic growth and social change. On the agricultural and industrial frontsthe country's performance is not as poor as some of its critics make it out. Ourrecord in these fields is better than that of many Third World countries. But thedevelopment has been lopsided and full of regional imbalances. The distributiveaspects of economic growth and the diffusion of the benefits of modernisationappear to have received little serious thought. The growth of elitism is alarmingand it should be curbed. Rampant corruption and nepotism are the product of theprevailing state of moral decay. All possible political and administrative stepsshould be taken to arrest this trend. The cohesive bonds of society should be strengthened.

Conclusion: After going through definitions of Social change, it is pertinent to know the nature of social change. Social change is universal phenomenon as the same occurs in all societies. Society is never static. Both primitive as well as civilized society also undergoes changes.The process of change may be fast or slow depending upon people concerned. Social change is community change as the same involves not only a singleindividual but more people are concerned with it. It is a change which occurs in the lives of many persons in entire community. The speed of social change differs from society to society. Though the same occurs in all societies, its speed differs from society to society as its speed is not uniform. As experience shows, social change in urban areas is faster than in rural areas. The speed of social change differs from age to age. The speed of social change to-day is faster than it was in medieval times. This is because factors which cause social change, do not remain uniform or even their existence may not be there. The factors like industrialization, urbanization, education etc. give impetus to social change.

References:-

1. Prabhupada Swami Bhaktivendant (2000) A.C., BHAGAVAD GITA AS IT IS, Bhaktivedant Book Trust, Mumbai-49, p.238.
2. BhushanVidya and Sachdeva, (1999) An introduction to Sociology 32nd edition, Kitab Mahal, 22-A, Sarojini Naidu Marg, Allhahabad, p.638.
3. Ibid, p-69.
4. Ibid, p.711.
5. Ibid, p.713.
6. Ibid, p.713.
7. Ibid, p.713.
8. Ibid, p.713, 714.
9. Ibid, p.714.
10. Ibid, p714

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संभावित प्रभाव-एक आकलन

वैभव कुमार सोनी*

* सहायक प्राध्यापक (भूगोल) राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सैपऊ, धौलपुर (राज.) भारत

शोध सारांश - वैश्विक जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्री तूफानों की बारंबारता में वृद्धि होगी जिसके परिणामस्वरूप तटीय क्षेत्रों में जान-माल की क्षति होगी। इसके अतिरिक्त अल नीनों की बारंबारता में भी बढ़ोत्तरी होगी जिससे एशिया, अफ्रीका तथा आस्ट्रेलिया महाद्वीपों में सूखे की स्थिति उत्पन्न होगी जबकि वहीं दूसरी ओर उत्तरी अमरीका में बाढ़ जैसी आपदा का प्रकोप होगा। दोनों ही स्थितियों में कृषि उत्पादकता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा

प्रस्तावना - जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण वैश्विक तपन है जो हरितगृह प्रभाव का परिणाम है। हरितगृह प्रभाव वह प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी की सतह से टकराकर लौटने वाली सूरज की किरणों को वातावरण में उपस्थित कुछ गैसें अवशोषित कर लेती हैं परिणामस्वरूप पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। कार्बन डाईऑक्साइड, मिथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्षोभमण्डलीय (troposphere) ओजोन वे मुख्य गैसें हैं जो हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी हैं। वातावरण में इन गैसों की निरंतर बढ़ती मात्रा से वैश्विक जलवायु परिवर्तन का खतरा दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है।

हरितगृह प्रभाव के चलते अनेक क्षेत्रों में औसत तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी के अनुसार वर्ष 2025 तक पूरी दुनिया का तापमान पिछले 1000 वर्षों की तुलना में सर्वाधिक होगा। अंतर-शासकीय जलवायु परिवर्तन पैनल Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) ने वर्ष 1995 में भविष्यवाणी की थी कि अगर मौजूदा प्रवृत्ति जारी रही तो 21वीं सदी में तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा है। इस शताब्दी का पहला दशक अब तक का सबसे ऊष्ण दशक रहा है जो यह साबित करता है कि हरितगृह प्रभाव के परिणामस्वरूप जलवायु परिवर्तन का दौर आरंभ हो चुका है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के अनेक प्रभाव होंगे जिनमें से ज्यादातर हानिकारक होंगे ।

वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संभावित प्रभाव - वैश्विक जलवायु परिवर्तन का प्रभाव स्वास्थ पर पड़ेगा । विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार जलवायु में तपन के कारण श्वास एवं हृदय सम्बंधी बीमारियों में वृद्धि होगी । दुनिया के विकासशील देशों में दस्त, पेचिश, हैजा, क्षयरोग, पीत ज्वर तथा मियादी बुखार जैसी संक्रामक बीमारियों की बारंबारता में वृद्धि होगी। चूँकि बीमारी फैलाने वाले रोग वाहकों के गुणन एवं विस्तार में तापमान एवं वर्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अत: दक्षिण अमरीका, अफ्रीका तथा दक्षिण-पूर्व एशिया में मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों जैसे-मलेरिया, डेंगू, पीला बुखार तथा जापानी बुखार के प्रकोप में बढ़ोतरी के कारण इन बीमारियों से होने वाली मृत्युदर में इज़ाफ़ा होगा। मानव स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के चलते एक बड़ी आबादी विस्थापित होगी जो 'पर्यावरणीय शरणार्थी' कहलाएगी।

जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप रोगाणुओं में बढ़ोतरी के साथ-साथ इनकी नयी प्रजातियाँ विकसित होगी जिसके परिणामस्वरूप फसलों की उत्पादकता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। फ़सलों की नाशीजीवों तथा रोगाणुओं से सुरक्षा हेतु नाशीजीवनाशकों के उपयोग की दर में बढ़ोत्तरी होगी जिससे वातावरण प्रदूषित होगा साथ ही मानव स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

वैश्विक जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप दुनिया के मानसूनी क्षेत्रों में वर्षा में वृद्धि होगी जिससे बाढ़, भू-स्खलन तथा भूमि अपरदन जैसी समस्याएँ पैदा होंगी। जल की गुणवत्ता में गिरावट आएगी।

वैश्विक जलवायु परिवर्तन जल स्रोतों के वितरण को भी प्रभावित करेगा। उच्च अक्षांश वाले देशों तथा दक्षिण-पूर्ण एशिया के जल स्रोतों में जल की अधिकता होगी जबकि मध्य एशिया में जल की कमी होगी। निम्न अक्षांश वाले देशों में जल की कमी होगी।

जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप ध्रुवीय बर्फ के पिघलने के कारण विश्व का औसत समुद्री जल स्तर इक्कीसवीं शताब्दी के अंत तक 9 से 88 सेमी तक बढ़ने की संभावना है जिससे दुनिया की आधी से अधिक आबादी, जो समुद्र से 60 किमी की दूरी तक रहती है, पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। बांग्लादेश का गंगा-ब्रह्मपुत्र डेल्टा, मिस्र का नील डेल्टा तथा मार्शल द्वीपों और मालदीव सहित अनेक छोटे द्वीपों का अस्तित्व वर्ष 2100 तक समाप्त हो जाएगा। इसी ख़तरे की ओर सम्पूर्ण विश्व का ध्यान आकर्षित करने के लिए अक्टूबर 2009 में मालदीव सरकार की कैबिनेट ने समुद्र के भीतर बैठकर एक अनूठा प्रयोग किया था। इस बैठक में दिसम्बर 2009 के कोपेनहेगन सम्मेलन के लिए एक घोषणा पत्र भी तैयार किया गया था। प्रशांत महासागर का सोलोमन द्वीप जलस्तर में वृद्धि के कारण डूबने के कगार पर हैं।

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

वैश्विक जलवायु परिवर्तन का प्रभाव समुद्र में पाए जाने वाली जैव-विविधता सम्पन्न प्रवाल भित्तियों पर पड़ेगा जिन्हें महासागरों का उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहा जाता है। समुद्री जल में उष्णता के परिणामस्वरूप शैवालों (Algee) पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा जो कि प्रवाल भित्तियों को भोजन तथा वर्ण प्रदान करते हैं। उष्ण महासागर विरंजन प्रक्रिया के कारण होंगे जो इन उच्च उत्पादकता वाले परितंत्रों को नष्ट कर देंगे। प्रशांत महासागर में वर्ष 1997 में अजनीनो के कारण बढ़ने वाली ताप की तीव्रता प्रवालों की मृत्यु का सबसे गंभीर कारण बनी है। एक अनुमान के अनुसार पृथ्वी की लगभग 10 प्रतिशत प्रवाल भित्तियों की मृत्यु हो चुकी है, 30 प्रतिशत गंभीर रूप से प्रभावित हुई हैं तथा 30 प्रतिशत का क्षरण हुआ है। ग्लोबल कोरल रीफ मॉनीटरिंग नेटवर्क, ऑस्ट्रेलिया का अनुमान है कि वर्ष 2050 तक सभी प्रवाल भित्तियों की मृत्यु हो जाएगी।

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कृषि पैदावार पर पड़ेगा। संयुक्त राज्य अमरीका में फसलों की उत्पादकता में कमी आएगी जबकि दूसरी तरफ उत्तरी तथा पूर्वी अफ्रीका, मध्य पूर्व देशों, भारत, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तथा मैक्सिको में गर्मी तथा नमी के कारण फसलों की उत्पादकता में बढ़ोत्तरी होगी। वर्षा जल की उपलब्धता के आधार पर धान के क्षेत्रफल में इजाफा होगा।

वातावरण में ज्यादा ऊर्जा के जुड़ाव से वैश्विक वायु पद्धति में भी परिवर्तन होगा। वायु पद्धति में परिवर्तन के परिणामस्वरूप वर्षा का वितरण असमान होगा। भविष्य में मरुस्थलों में ज्यादा वर्षा होगी जबकि इसके विपरीत पारंपरिक कृषि वाले क्षेत्रों में कम वर्षा होगी। इस तरह के परिवर्तनों से वृहद पैमाने पर मानव प्रवजन को बढ़ावा मिलेगा जो कि मानव समाज के सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक ताने-बाने को प्रभावित करेगा।

वैश्विक जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप बाढ़, सूखा तथा आंधी-तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं की बारंबारता में वृद्धि के कारण अन्न उत्पादन में गिरावट आयेगी। स्थानीय खद्यान्न उत्पादन में कमी, भुखमरी और कुपोषण का कारण बनेगी जिससे स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेंगे। खाद्यान्न और जल की कमी से प्रभावित क्षेत्रों में टकराव पैदा होंगे।

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव जैव-विविधता पर भी पड़ेगा। किसी भी प्रजाति को अनुकूलन हेतु समय की आवश्यकता होती है। वातावरण में आकस्मिक परिवर्तन से अनुकूलन के अभाव में उसकी मृत्यु हो जाएगी। जलवायु परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव समुद्र के तटीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली दलदली क्षेत्र की वनस्पतियों पर पड़ेगा जो तट को स्थिरता प्रदान करने के साथ-साथ समुद्री जीवों के प्रजनन के लिए आदर्श स्थल भी होती है। दलदली वन जिन्हें ज्वारीय वन भी कहा जाता है, तटीय क्षेत्रों को समुद्री तूफानों से रक्षा करने का भी कार्य करते हैं। जैव-विविधता क्षरण के कारण पारिस्थितिक असंतुलन का खतरा बढ़ेगा।

जलवायु में तपन के कारण ऊष्णकटिबंधीय वनों में आग लगने की घटनाओं में वृद्धि होगी परिणामस्वरूप वनों का विनाश होगा जिसके कारण जैव-विविधता का ह्रास होगा।

नाशीजीवों तथा रोगाणुओं की जनसंख्या में वृद्धि तथा इनकी नयी प्रजातियों की उत्पत्ति का प्रभाव दुधारू पशुओं पर भी पड़ेगा जिससे दुग्ध उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

तापमान में वृद्धि के कारण वाष्पीकरण तथा वाष्पोत्सर्जन की दर में अभूतपूर्व वृद्धि होगी परिणामस्वरूप मृदा जल के साथ ही जलाशयों में जल की कमी होगी जिससे फ़सलों को पर्याप्त जल उपलब्ध न होने के कारण उनकी पैदावार प्रभावित होगी।

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव जलीय जंतुओं पर भी पड़ेगा। मीठे जल की मछलियों का प्रवजन ध्रुवीय क्षेत्रों में जान-माल की क्षति होगी। इसके अतिरिक्त अजनीनों की बारंबारता में भी बढ़ोत्तरी होगी जिससे एशिया, अफ्रीका तथा आस्ट्रेलिया महाद्वीपों में सूखे की स्थिति उत्पन्न होगी जबकि वहीं दूसरी ओर उत्तरी अमरीका में बाढ़ जैसी आपदा का प्रकोप होगा। दोनों ही परिस्थितियों में कृषि उत्पादकता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हिमनदों पर भी पड़ेगा। ऊष्णता के कारण हिमनद पिघल कर खत्म हो जाएँगे। एक शोध के अनुसार भारत के हिमालय क्षेत्र में वर्ष 1962 से 2000 के बीच हिमनद 16 प्रतिशत तक घटे हैं। पश्चिमी हिमालय में हिमनदों के पिघलने की प्रक्रिया में तेजी आई है। बहुत से छोटे हिमनद पहले ही विलुप्त हो चुके हैं। कश्मीर में कोल्हाई हिमनद 20 मीटर तक पिघल चुका है। गंगोत्री हिमनद 23 मीटर प्रतिवर्ष की दर से पिघल रहा है। अगर पिघलने की वर्तमान दर कायम रही तो शीघ्र ही हिमालय से सभी हिमनद समाप्त हो जाएँगे जिससे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सतजल, रावी, झेलम, चिनाब, व्यास आदि नदियों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इन नदियों पर स्थित जलविद्युत ऊर्जा इकाइयाँ बंद हो जाएँगी परिणामस्वरूप विद्युत उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसके अतिरिक्त सिंचाई हेतु जल की कमी के कारण कृषि उत्पादकता पर भी प्रभाव पड़ेगा। उपर्युक्त नदियों का अस्तित्व समाप्त हो जाने से भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा बंग्लादेश भी प्रभावित होंगे।

वैश्विक जलवायु तपन के कारण जीवांश पदार्थ तेजी से विघटित होंगे परिणामस्वरूप पोषक चक्र की दर में बढ़ोतरी होगी जिसके कारण मृदा की उपजाऊ क्षमता अव्यवस्थित हो जाएगी जो कृषि पैदावार को प्रभावित करेगी।

वातावरण में कार्बन डाईऑक्साइड की वृद्धि के कारण पौधों में कार्बन स्थिरीकरण में बढ़ोतरी होगी परिणामस्वरूप मृदा से पोषक तत्वों के अवशोषण की दर कई गुना बढ़ जाएगी जिसके कारण मृदा की उर्वरा शक्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। मृदा की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए रासायनिक उर्वरकों के उपयोग की दर में वृद्धि होगी।

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव वनस्पतियो तथा जंतुओं पर भी पड़ेगा। स्थानीय महासागर ऊष्णता 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ने के कारण प्रशांत महासागर में सैलमान मछली की जनसंख्या में अभूतपूर्व गिरावट दर्ज की गई है। बढ़ती उष्णता के कारण बसंत ऋतु में जल्दी बर्फ पिघलने के कारण हडसन की खाड़ी में ध्रुवीय भालुओं की जनसंख्या में गिरावट आई है।

जलवायु परिवर्तन का सर्वाधिक दुष्प्रभाव सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों पर पड़ेगा। आर्थिक क्षेत्र का भौतिक मूल ढ़ांचा जलवायु परिवर्तन द्वारा सर्वाधिक प्रभावित होगा। बाढ़, सूखा, भूस्खलन तथा समुद्री जलस्तर में कृषि के परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर मानव प्रवजन होगा जिससे सुरक्षित स्थानों पर भीड़भाड़ की स्थिति पैदा होगी। उष्णता से प्रभावित क्षेत्रों में प्रशीतन हेतु ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी।

निष्कर्ष – अंतत: इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि जलवायु परिवर्तन एक गंभीर खतरा है जिससे संपूर्ण दुनिया प्रभावित होगी। अत: आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि जलवायु परितर्वन के लिए उत्तरदायी हरित गृह गैसों के वातावरण में उत्सर्जन पर प्रभावी रोक लगायी जाये ताकि जलवायु परिवर्तन के हानिकारक प्रभावों से बचा जा सके ।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. डॉ. डी.एस.लाल, शारदा प्रकाशन, इलाहाबाद।
2. डॉ. आर.बी.दीक्षित, कल्याणी पब्लिकेशन, इलाहाबाद।
3. डॉ. सविन्द सिंह, प्रयाग प्रकाशन, इलाहाबाद ।
4. दैनिक भास्कर, मई 2020

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

A Critical Study Of Sylvia Plath's 'The Bell Jar'

Rajendra Mishra*

***Asst. Prof. & HOD (English) Govt. M.H.College of Home Science & Science for Women, Jabalpur (M.P.) INDIA**

Abstract - Sylvia Plath's 1964 novel, **The Bell Jar**, first released in 1963, addresses the issue of female exploitation that is fundamental to the institution of marriage. It seems like women are being protected by this organization. Male members claim that the organization was established to defend women. The goal is to get them into the workforce and out of the house. More specifically, it was meant to reassure males and keep women in their households. The idea is to provide men with a tidy, well-maintained, calm, and pleasant home to come home to after a long day at work. According to this viewpoint, males are assigned dominant jobs, and women are submissive ones. ***The Bell Jar*** is a highly autobiographical novel that unveils Plath's seemingly perfect life, underlain by grave personal discontinuities, some of which doubtless had their origin in the death of her father Otto Plath. The novel's protagonist, Esther Greenwood, shares many similarities with Plath, including her inability to adapt to New York City, her attempt to commit suicide by taking an excess dose of sleeping pills, and her period of recovery involving electroshock and psychotherapy. This paper will critical analysis of **The Bell Jar** from a feminist standpoint, highlighting the dual perceptions that women have of themselves in public: as mad or as feminine. This paper also argues that, despite some research linking her insanity to her rejection of femininity, her rejection of femininity is an intentional decision that leads to artistic freedom.

Introduction - Sylvia Plath was born in 1932 and grew up on the Massachusetts coast. Her father died when she was eight. A stellar student, Plath won scholarships to attend Smith and Cambridge University, where she met and married the poet Ted Hughes. They had a rocky marriage and two children. Plath won great acclaim for her first book of poetry, The Colossus, in 1959, and published the pseudonymous The Bell Jar in 1963 to make money. Plath had suffered from mental illness throughout her life and she fell into deep depression as her marriage dissolved, eventually committing suicide in 1963. Several books of her poetry published after her death display Plath's genius and won her a posthumous Pulitzer Prize. Plath's works are still widely read today.

In the summer of 1953, Esther Greenwood, a brilliant college student, wins a month to work as a guest editor with eleven other girls at a New York magazine. Esther lives with the other girls at the Amazon, a women's hotel, and attends a steady stream of events and parties hosted by the magazine. Though Esther knows she should be enjoying herself, she feels only numb and detached from the old ambitious self that her boss, editor Jay Cee, tries to motivate. Esther vacillates between wanting to be wholesome, like her friend Betsy, and wanting to break all rules, like her friend Doreen. She worries about the rigid expectations of virginity, maternity, and wifeliness that society (and her mother) holds for young women and feels paralyzed by her contradictory desires for her future. She goes on a string of bad dates, the best of which feels anticlimactic when Constantin, an interpreter, makes no romantic advances and the worst of which ends with the misogynistic Marco trying to rape her.

Throughout her time in New York, Esther flashes back to her troubled relationship with Buddy Willard, a handsome know-it-all medical student who Esther once admired and is now disgusted by, having realized Buddy is a hypocrite for projecting a virginal public image even after he's had a sexual affair. Buddy is currently suffering from TB, but Esther plans to break up with him as soon as he gets better. On her last visit to the sanatorium, she rejected Buddy's marriage proposal and broke her leg skiing.

Esther Greenwood begins her reminiscence of the summer of 1953 when she won a contest to live in New York for a month as the guest editor of a fashion magazine. Though Esther knows she should feel accomplished and grateful for the opportunity to work in New York, she instead feels numb and detached from her own life. She is obsessed with the electrocution of the Rosenbergs (a married couple executed for being Soviet spies). She feels all her college achievements have "fizzled to nothing" in New York and that she is "very still and very empty, the way the eye of a tornado must feel. Esther introduces herself as a person in flux, no longer able to enjoy the fruits of her old ambitions (like her college achievements) or to value what society

expects her to value (like the opportunity to spend a summer working in New York). The metaphor of the tornado is at once an image of stable purity (a still, empty center) and an image of filth and chaos (the swirling dust and matter the tornado swirls around that center)."[1]

The Bell JAR: The Bell Jar by Sylvia Plath tells the story of a gifted young woman's mental breakdown beginning during a summer internship as a junior editor at a magazine in New York City in the early 1950s. It was first published in January 1963 under the pseudonym Victoria Lucas and later published under her real name. This highly autobiographical novel unveils Plath's seemingly perfect life, underlain by grave personal discontinuities, some of which doubtless had their origin in the death of her father Otto Plath. The novel's protagonist, Esther Greenwood, shares many similarities with Plath, including her inability to adapt to New York City, her attempt to commit suicide by taking an excess dose of sleeping pills, and her period of recovery involving electroshock and psychotherapy. The real Plath committed suicide in 1963, leaving behind this scathingly sad, honest, and perfectly written book, which remains one of the best-told tales of a woman's descent into insanity. The first sentence of The Bell Jar alerts the reader to the conflicts that will be dealt with in the novel – "It was a queer, sultry summer, the summer they electrocuted the Rosenbergs, and I didn't know what I was doing in New York"[1]. Like Holden Caulfield in Catcher in the Rye, the young college girl Esther is experiencing an adolescent crisis. The Bell Jar examines the question of socially acceptable identity. It examines Esther's "quest to forge her own identity, to be herself rather than what others expect her to be". Esther is expected to become a self-sufficient woman and self-sacrificing wife-mother, without any option to attain independence. Esther feels she is a prisoner to domestic duties and fears the loss of her inner self.

The novel tells the story of Esther's coming of age, but it does not follow the usual trajectory of adolescent development into adulthood. Instead of undergoing a progressive education in the ways of the world, culminating in an entrance into adulthood, Esther regresses into madness. Experiences intended to be life-changing in a positive sense: Esther's first time in New York City, her first marriage proposal, her success in college, her love flicks – upsets her and disorients her. Instead of finding a new meaning in life, Esther urges to die. Esther observes a gap between what societies say she should experience and what she does experience. This gap intensifies her madness. Society expects women of Esther's age and station to act cheerful, flexible, and confident and Esther feels she must repress her natural gloom, cynicism, and dark humor. She feels she cannot discuss or think about the dark spots in life that plague her: personal failure, suffering, and death. She knows that the world of fashion she inhabits in New York City should make her feel glamorous and happy, but she finds it filled with poison, drunkenness, and violence. Her relationships with men are supposed to be romantic and meaningful, but they are marked by misunderstanding, distrust, and brutality. Esther almost continuously feels that her actions are wrong, or that she is the only one to view the world as she does, and eventually, she begins to feel a sense of unreality. This sense grows till it becomes unbearable and attempted suicide and madness follow.

The bell jar is an inverted glass jar, generally used to display an object of scientific curiosity, containing a certain kind of inert gas or vacuum. For Esther, the bell jar symbolizes madness. When gripped by insanity, she feels that she is inside an airless glass jar that distorts her perspective on the world and prevents her from connecting with people around her. At the end of the novel, the bell jar has been lifted, but she can sense that it still hovers over her, waiting to drop at any moment. The bell jar could mean the society's stifling constraints and befuddling mixed messages that trap Esther. The metaphorical denotation of the physical and mental suffocation caused by the bell jar is a direct representation of Esther's mental suffocation by the unavoidable settling of depression upon her psyche. The psychoanalytic principles, propounded by Freud and developed by many of his followers can be used to analyse the issues that the novel problematizes. The basic tenets of psychoanalysis expound that a person's development is determined by often forgotten events in early childhood rather than inherited traits alone. Human attitudes, mannerisms, experiences, and thoughts are largely influenced by irrational drives that are rooted in the unconscious.

This aspect may explain Esther's complex relationship with her father and other men she came across. Esther seems to have an ambivalent attitude towards her father, one of both hatred and submission. The lack of a father figure during the time of her psychosexual development may have caused her abnormal response to relationships, sexuality, etc. Freud calls the "force by which the sexual instinct is represented in the mind"[2] the Libido. This term should be understood broadly, and not as being restricted only to sexual relations, that is, Libido refers to various kinds of sexual pleasures and gratifications. According to Freud, all individuals pass through four stages in their development: the oral, the anal, the phallic, and the genital. During infancy and childhood, an individual's sexual life is rich but dissociated and unfocused. Focus occurs at puberty. Esther in *The Bell Jar* displays the Oedipus Complex. The Oedipus complex is at the core of neurosis for Freud. According to psychoanalytic theory, every individual passes through a stage in which he/she desires the parent of the opposite sex- of course, on an unconscious level. In little boys, this is aided by unconscious fear of castration – castration anxiety- and in little girls, it is aided by jealousy of men and what is termed penis envy.[3]

Critical Analysis of the Novel : "*The Bell Jar*" is about the way this country was in the 1950s and about the way it is to

lose one's grip on sanity and recover it again. It is easy to say (and it is said too often) that insanity is the only sane reaction to the America of the past two decades. And it is also said that the only thing to do about madness is relax and enjoy it. But neither of these "clever" responses to her situation occur to Esther Greenwood, who is the narrator and central character in this novel.

To Esther, madness is the descent of a stifling bell jar over her head. In this state, she says, "Wherever I sat … I would be sitting under the same glass bell jar, stewing in my sour air."[4] This is not to say that Esther believes the world outside the asylum is full of people living an authentic existence. She asks, "What was there about us, in Belsize, so different from the girls playing bridge and gossiping and studying in the college to which I would return? Those girls, too, sat under bell jars of a sort."[5]The world in which the events of this novel take place is a world bounded by the Cold War on one side and the sexual war on the other. We follow Esther Greenwood's personal life from her summer job in New York with "**Ladies' Day"** magazine, back through her days at New England's largest school for women, and forward through her attempted suicide, her bad treatment at one asylum and her good treatment at another, to her final re-entry into the world like a used tire: "patched, retreaded and approved for the road."[6] But this personal life is delicately related to larger events — especially the execution of the Rosenbergs, whose impending death by electrocution is introduced in the stunning first paragraph of the book. Ironically, that same electrical power that destroys the Rosenbergs, restores Esther to life. It is shock therapy that finally lifts the bell jar and enables Esther to breathe freely once again. Passing through death she is reborn. This novel is not political or historical in any narrow sense, but in looking at the madness of the world and the world of madness it forces us to consider the great question posed by all truly realistic fiction: What is reality and how can it be confronted?

Sylvia Plath's technique of defamiliarization ranges from tiny verbal witticisms that bite, to deeply troubling images. When she calls the hotel for women that Esther inhabits in New York the "Amazon," she is not merely enjoying the closeness of the sound of that word to "Barbizon," she is forcing us to rethink the entire concept of a hotel for women: "mostly girls of my age with wealthy parents who wanted to be sure that their daughters would be living where men couldn't get at them and deceive them."[7]And she is announcing a major theme in her work, the hostility between men and women.

At its essence, The Bell Jar is an exploration of the divide between mind and body. This exploration unfolds most visibly in the development of Esther's mental illness, which she experiences as an estrangement of her mind from her body. As her illness amplifies, Esther loses control over her body, becoming unable to sleep, read, eat, or write in her handwriting. She frequently catches her body making sounds or engaging in actions that…Esther remains preoccupied with questions of purity and impurity throughout the novel, framing them in different terms at different points in her development. She thinks about purity of body as well as purity of mind. Indeed, Esther often speaks of purity as a kind of spiritual transcendence that can be accessed through the transcendence of the body. At the novel's start, she admires the clearness of vodka and imagines that drinking it into her body will purify…

Esther remains preoccupied with questions of purity and impurity throughout the novel, framing them in different terms at different points in her development. She thinks about purity of body as well as purity of mind. Indeed, Esther often speaks of purity as a kind of spiritual transcendence that can be accessed through the transcendence of the body. At the novel's start, she admires the clearness of vodka and imagines that drinking it into her body will purify…***The Bell Jar*** offers an in-depth meditation on womanhood and presents a complex, frequently disturbing portrait of what it meant to be female in 1950s America. Esther reflects often on the differences between men and women as well as on the different social roles they are expected to perform. Most of her reflections circulate about sex and career. Esther's interactions with other female characters in the novel further complicate these reflections by presenting different stances.

The bell jar symbolizes mental illness and gives the novel its title. It is Esther's metaphor for describing what she feels like while suffering her nervous breakdown: no matter what she is doing. The Bell Jar is set in 1950s America, a time when American society was predominantly shaped by conservative values and patriarchic structures. It was a society that placed particular restraints on women as it expected them to embody traditional ideals of purity and chastity and to aspire to the life of a suburban mother and homemaker rather than pursuing their careers. Many women, like Esther Greenwood, felt crushed by the expectations that 1950s American society placed on them. Their resentment of these pressures was one of the motivating forces that inspired the feminist movements of the 1960s and 1970s. Though The Bell Jar is a classic American coming-of-age novel, Plath's most highly regarded works are her books of poetry, including The Colossus, Ariel, and Collected Poems. These poems share some of the themes of The Bell Jar as they explore issues of mortality, sanity, and womanhood, but they are ultimately much wider-ranging than the novel and present a complex, intricate vision of many sorts of life experiences. Mirrors symbolize identity and Esther's reflection in and relation to mirrors throughout the novel follows the loss of her healthy self to mental illness. Esther's inability to recognize herself in the elevator reflection at psychological.

Conclusion: Esther Greenwood's account of her year in the Bell Jar is as clear and readable as it is witty and disturbing. Why, then, has this extraordinary work not

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

appeared in the United States until eight years after its appearance in England? Sylvia Plath's mother has insisted that her daughter thought of the book as a "potboiler" and did not want it published in the United States. Mrs. Plath herself felt that the book presented ungrateful caricatures of people who had tried to help her daughter. These sentiments are understandable. But a book published in England cannot be kept away from the United States. Already, the student underground has been smuggling copies from abroad into the country. The literature will be out. And "***The Bell Jar"*** is not a potboiler, nor a series of ungrateful caricatures; it is literature. It is finding its audience and will hold it. In The Bell Jar, Esther describes the relationship between mind and body as one in which each imprisons the other. The mind traps the body literally; it gets Esther locked in a psychiatric hospital. But at the same time, the body traps the mind. It has "little tricks" to prevent her from killing herself. She calls the body "a cage" that prevents the mind from extinguishing itself. "If only there was something wrong with my body",[8] she tells her nurses. She views the problems of her mind as different from the problems of her body.

References:-

1. www.spark notes.com
2. https://www.litcharts.com
3. Ibid
4. Ibid
5. Ibid
6. Ibid
7. Ibid
8. Chandran, Navya. ***A Psychonalytical study of Sylvia Plath's The Bell Jar,*** Iss, International,2016, Page n. 411-414
9. Baig, Mahrukh. ***Sylvia Plath's The Bell Jar as A Psychological Space***, Quest Journal, 2014.
10. Plath, Sylvia. "The Bell Jar", Harper and Row. 1963.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

जनजातियों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक परम्पराओं पर आर्थिक विकास का प्रभाव (दक्षिणी राजस्थान के विशेष संदर्भ में)

डॉ. निशा शर्मा*

* सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मन्दसौर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – वर्तमान में जनजाति समाज की संस्कृति तथा सभ्यता की सीमाएँ जंगलों तक ही सीमित नहीं रही। जहां विकास के कारण यह समाज शहरों की ओर अग्रसर हुआ है, वही इनका सम्पर्क शहरों व कस्बों के निवासियों से होने लगा और अर्थोपार्जन के नवीन आयामों के चलते जनजाति समाज भी हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई आदि के सम्पर्क में आए हैं, जिससे इनमें संस्कृतिकरण का श्रीगणेश हुआ। देश में औद्योगीकरण, शहरीकरण, उदारीकरण एवं शिक्षा के प्रसार की तीव्रता के चलते इन परिवारों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा जीवन से जुड़े अन्य संरचनात्मक पहलुओं में परिवर्तन परिलक्षित हो रहे हैं। प्रस्तुत शोध भारत में आर्थिक विकास के कारण, जनजातियों में सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तन पर प्रकाश डाल रहा है।

अध्ययन क्षेत्र –सम्पूर्ण राजस्थान में अनेक जनजातियाँ निवास करती है, जिन्हें तीन भागों में –दक्षिणी राजस्थान, दक्षिण–पूर्वी राजस्थान एवं पश्चिमी राजस्थान में विभाजित किया जा सकता है। प्रस्तुत शोध दक्षिणी राजस्थान तक सीमित है। दक्षिणी राजस्थान क्षेत्र के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रतापगढ़, बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर जिले एवं उदयपुर जिले की सात तहसीलें (फलासिया, खेरवाड़ा, सराड़ा, कोटड़ा, गिर्वा, लसाड़िया तथा सलूम्बर) तथा सिरोही जिले की आबू रोड़ तहसील सम्मिलित है। राजस्थान राज्य की जनजातीय जनसंख्या का 43.8 प्रतिशत भाग इसी क्षेत्र में निवास करता है, जिसमें भील, मीणा, गरासिया, काथोड़ी तथा डामोर जनजाति प्रमुख है। जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण ही इस क्षेत्र का चयन अध्ययन के लिये किया गया।

शोध उद्देश्य :

1. दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों के सामाजिक जीवन पर आर्थिक विकास के प्रभाव पर प्रकाश डालना।
2. अध्ययन क्षेत्र की जनजातियों के सांस्कृतिक मूल्यों पर आर्थिक विकास के प्रभावों का विश्लेषण करना।

शोध प्रविधि –दक्षिणी राजस्थान में आर्थिक विकास का जनजातियों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक परम्पराओं पर प्रभाव का मूल्यांकन द्वितीयक समंकों के आधार पर किया गया है।

विषय प्रवेश – परिवर्तन एक शाश्वत सत्य है। कोई भी समाज चाहे वह आदिम हो, आधुनिक, प्रत्येक समाज में समय के साथ परिवर्तन अवश्य ही देखने को मिलता है। वर्तमान में जहां आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, संस्कृतिकरण की प्रक्रियाओं का आधुनिक समाज पर प्रभाव पड़ा है, तो परिणामस्वरूप आधुनिक सभ्य समाजों में वैज्ञानिकता के समावेश के साथ–साथ परिवर्तन भी अधिक दृष्टिगोचर होते हैं। जिन समाजों में परिवर्तन की गति तीव्र रही है, वह दुनिया की दौड़ में आगे निकल चुके हैं तथा जो समाज आज भी प्राचीन परम्पराओं, विचारों, ज्ञान, विश्वास, प्रेम व श्रद्धा पर निर्मित है, वह आज भी परिवर्तन की होड़ा होड़ में पीछे इनमें परम्परागत स्वरूप की प्रतीक जनजाति समाज भी है। सामाजिक, आर्थिक विकास की दृष्टि से जनजाति समाज को निम्नतम सोपान में रखा जाता है :

युवा ग्रह – आज जनजाति समाज की सामाजिक संरचना, समृद्ध समाज से मेल खाने लगी है। वे विशिष्टताएं, जिसके लिए जनजाति विख्यात थे, वे अब अतीत की धरोहर बनने का संकेत दे रही हैं। भोटिया, मारिया तथा भील जनजाति समाज में युवा ग्रहों का पूर्ण पतन हो गया है। इसका मूल कारण जनजाति समाज का अर्थो उपार्जन के लिए शहरों तथा कस्बों की ओर पलायन है, जिसके फलस्वरूप इनका बाह्य समाजों से संपर्क तथा सभ्य समाज से निरंतर संपर्क को माना जा सकता है। भले ही युवा ग्रहों की समाप्ति हो चुकी होती तथा मेलों के समय जनजाति जीवनसाथी का चयन आज भी कर रहे हैं। युवा ग्रह केवल जीवन चयन का ही माध्यम नहीं थे। युवा ग्रह के माध्यम से संस्कृति, हस्तांतरण समूह एकता तथा सामुदायिक भावनाओं को भी बल मिलता था, जो कि वर्तमान में पतन की ओर अग्रसर है। आज की प्रगतिशील आधुनिक युग में जनजातीय परिवारों का स्वरूप परिदृष्य प्रस्तुत कर रहा है। वनों के अत्यधिक दोहन एवं नई वन नीति के कारण आदिम समाज रोजी–रोटी के जुगाड़ हेतु शहरी क्षेत्रों में दर– दर की ठोकरें खाता फिर रहा है। इन्हें परिवार को त्याग कर शहर की ओर प्रवर्जन करना पड़ रहा है। जनजातीय परिवार प्राचीन प्रथा तथा रीति रिवाज भूलते जा रहे हैं।

विवाह संस्कार

हिन्दू समाज संस्कृति के समान–जनजाति समाज में विवाह को धार्मिक संस्कार नहीं माना जाता, क्योंकि इस समाज में वैवाहिक संबंधों को झगड़ा देकर या लेकर तोड़ा जा सकता है। साथ ही जनजातीय समाज की विवाहित प्रक्रिया में पारम्परिक रीतियों का भी पतन प्रारम्भ हो गया है, जैसे पूर्व में विवाह की एक प्रक्रिया में लड़की ओढ़नी आकाश में उड़ाती हैं तथा लड़का उसे स्वीकार कर लेता है तो उनमें विवाह कर दिया जाता था (शर्मा : 1988 : 321–322)। परंतु अब यह प्रथा करीब–करीब समाप्त हो चुकी है। वर्तमान

में परिवर्तित परिवेश में अविवाहित भील युवतियाँ एवं युवक समीप वाले हाट या मेले में प्रेम विवाह को स्वीकृति प्रदान कर रहे हैं। भील समाज में पहलेदापा (कन्या मूल्य) वर पक्ष द्वारा चुकाने पर ही विवाह हो पाता था परंतु आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के कारण अंतरजाति विवाह एवं दहेज प्रथा का प्रचलन बढ़ा (श्रीवास्तव, 1998 : 4-5) है। पूर्व में विवाह की रस्म संबंधित टोटल पेड़ की शाखा के 10 परिक्रमा करके पूर्ण कर ली जाती थी, परंतु बदलते परिवेश में ब्राह्मण की मौजूदगी में मंडप के नीचे हिन्दू परंपरा से वैवाहिक प्रक्रिया सम्पन्न होती है।

आवास व्यवस्था – चयनित क्षेत्र में आवास व्यवस्था में भी परिवर्तित परिदृष्य प्रस्तुत कर रही है। पूर्व में जहां जनजातीय परिवार वन उत्पादों के माध्यम से ही कार्य सम्पन्न करते थे। स्थानीय कला के माध्यम से आवास को सुसज्जित करते थे, परंतु अब कतिपय जनजातीय समाज द्वारा पक्के आवास ग्रहों का निर्माण किया जाने लगा है। साथ ही गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे जनजातीय परिवार इंदिरा आवास एवं प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी अनेक योजनाओं से पक्के मकान निर्मित कर रहे हैं।

रहन-सहन – अर्थोपार्जन के लिए जनजातीय समाज जंगल एवं गांव छोड़कर शहरों की ओर प्रवजन करने लगे, तो शहरीकरण के प्रभाव स्वरूप व आदिवासी परंपरागत पोशाक धोती, कुर्ता व फाग के स्थान पर अब युवक पेंट, शर्ट पहनने लगे हैं। पजामे का प्रयोग भी करने लगे हैं। मोटे सूती कपड़ों के स्थान पर टेरिकोट आदि का प्रयोग हो रहा है। स्त्रियां लहंगा, कांचली और ओढ़नी की बजाय साड़ी, ब्लाउज एवं सलवार कुर्ते का प्रयोग करने लगी है। रूमाल साथ रखते हैं।

आभूषण –आभूषण सफेद तांबा और पीतल के स्थान पर चांदी आदि के पहनने लगी हैं। सम्पन्न परिवारों में सोने का भी प्रयोग होने लगा है।

गोत्र व्यवस्था –जनजाति समाज की सामाजिक संरचना का अन्य आधार गोत्र व्यवस्था रही है। उदाहरण के तौर पर, जब तक भील जनजाति समाज के लोग एक निश्चित भूभाग में निवास करते थे, तब तक गोत्र प्रणाली का पर्याप्त महत्व था जो कि भीलों की सामाजिक संरचना में जलवायु के समान थी। लेकिन जब से भील समाज जीविकोपार्जन के लिए अपना समूह एवं गांव छोड़कर शहरों की ओर अग्रसर होने लगे हैं, तब से शहरों में सभ्य समाज की ओर उन्मुख हुए हैं। गोत्र संबंधी प्रतिबंधों में शिथिलता आने लगी। वर्तमान में भीलों में गोत्र व्यवस्था सामाजिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पा रही है। अब तो गोत्र मात्र विवाह नियमों तक ही सीमित रह गई है। साथ ही नातेदारी का क्षेत्र भी विविध बाहरी कारकों तथा यातायात एवं आवागमन स्थान परिवर्तन के प्रभाव स्वरूप विस्तृत हुआ है।

महिलाओं की स्थिति–वर्तमान के संक्रमण काल का नकारात्मक प्रभाव जनजातीय समाज की स्त्रियों पर पड़ा है। गैर-जनजातीय समाज के संपर्क से पूर्व आमतौर पर स्त्रियों की स्थिति उच्च रही थी एवं आदिवासियों में लिंगानुपात की समानता भी इसे स्पष्ट करती है। आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में भी नारियों की स्थिति उच्च रही है तथा स्त्रियों को धार्मिक विवाह क्षेत्रों में पर्याप्त अधिकार प्राप्त थे। यह विवाह दीर्घ अवस्था में किया जाता था। दहेज व पर्दा प्रथा नहीं थी। स्त्री-पुरूषों में समान रूप से विवाह विच्छेद के अधिकार प्राप्त थे। विधवा विवाह, पुनर्विवाह का चलन था परंतु वनों की कमी एवं नवीन वन नीतियों के कारण जनजाति समाज जब से अर्थोपार्जन के वैकल्पिक साधनों की तलाश में बाहर निकले, तब बाह्य संपर्क विशेष तौर से सभ्य समाज के संपर्क से इनकी स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई है। यद्यपि विवाह विच्छेद, पुनर्विवाह का प्रचलन आज भी आदिवासी समाज में देखने को मिलता है। आर्थिक क्षेत्र में उपयोग मूलक संस्कृति की समाप्ति के कारण स्त्रियों का महत्व घटा है। (कुंवर इकताल : 1999 : 40-43)।

शैक्षणिक स्थिति – शैक्षणिक दृष्टि से भी आदिवासी समाज में पर्याप्त परिवर्तन देखने को मिलता है। सरकार के प्रयास एवं पंचवर्षीय योजनाओं के फलस्वरूप इस क्षेत्र में प्रगति देखने को मिलती है। आरक्षण एवं संवैधानिक प्रावधानों के परिणामस्वरूप जनजातीय समाज का प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है। हालांकि यह भी सत्य है कि राजस्थान में ही निवास करने वाली मीणा जनजातीय अन्य जनजाति समाज की तुलना में अधिक जागरूक एवं शिक्षित है। राजनीतिक, सामाजिक एवं सरकारी नौकरियों के उच्च पदों पर देखा जा सकता है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य –वर्तमान में स्थानीय जनजाति क्षेत्रों में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में भी परिवर्तन स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। कुछ दशक पूर्व तक जहां जनजाति बाहुल्य गांव में आधुनिक चिकित्सा प्रणाली का अभाव था वहां चिकित्सा केन्द्रों की स्थापना हो चुकी है, जिससे समन ओझा तथा झाड़-फूंक करने वाले जनजाति लोगों के महत्व में तो कमी नहीं आई, मगर जनजातियों को अनेक बीमारियों से मुक्ति अवश्य मिल गई (सैनी, 2003 : 80-83)। आज सम्पूर्ण जनजातियों के एक अभिजात वर्ग उभर कर आ रहा है। यह वर्ग वर्तमान में उच्च शिक्षा प्राप्ति के साथ-साथ वांछित सामाजिक, प्रस्थिति प्राप्त कर सकने में सफलता प्राप्त कर सका है। इस वर्ग में ही जनजाति समाज में शिक्षक, नेता तथा धार्मिक लोग है। यह सभी व्यक्ति एवं इनका परिवार स्वयं को जनजाति समुदाय में उच्च समझने लगे हैं। परिणम तय है जनजाति समुदाय दो भागों में उच्च एवं निम्न वर्ग में विभक्त हो गया है। नृजाति वर्ग उच्च भावना से ग्रस्त है। आज जनजाति रीति-रिवाजों, परंपराओं व प्रथाओं को लेकर मतभेद उभरने लगे हैं एवं अभिजात वर्ग जनजाति के जनसामान्य से धीरे-धीरे पृथक होते जा रहे हैं।।

धार्मिक क्षेत्र – आज जनजाति समाज में धार्मिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलते हैं। प्राचीनकाल से ही जनजातियों का विशिष्ट धर्म रहा हे जिसे आदिम धर्म के नाम से जाना जाता है। इनके देवता तथा इनकी उपासना पूजा के अलग ही तरीके थे। यह नवरात्रा में उत्सव मनाते थे। साधारणतया अमरा गोरी का उत्सव मनाते थे। उस दिन मेला भी लगाया जाता था। इनकी उपासना का ढंग बहुत ही विशिष्ट था परंतु हिन्दू एवं अन्य धर्मों के संपर्क में आने के प्रभाव स्वरूप आदिम धर्म का त्याग कर चुके हैं। अब यह हिन्दू देवी-देवताओं की भी पूजा अर्चना करने लगे हैं। इन देवी-देवताओं में शिव, पार्वती, गणेश, राम, हनुमान, दुर्गा आदि है, तथा जनजातियों ने जैन धर्म को भी अपना लिया है। अत: ऋषभदेव की भी पूजा करने लगे हैं। साथ ही जनजाति समाज में हिन्दू धर्म का प्रभाव आसानी से देखा जा सकता है। अब बेणेश्वर तथा गौतमेश्वर के साथ-साथ अस्थि अवशेष भी गंगा या गंगोत्री में प्रवाहित करने लगे हैं। भगत आंदोलन के प्रभाव स्वरूप आदिवासी धर्म में क्रांतिकारी परिवर्तन आया हे। यह धर्म हिन्दू धर्म शास्त्रों मंत्र को भी स्वीकार करने लगे हैं (जैन : 1996 - 8)।

न्याय व्यवस्था –प्राचीन काल में जनजातीय समाज में भाजगड़िया की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा सम्माननीय मानी जाती रही है। यदि दो संगठनों या समूह में कोई विवाद होता था तो उसका निस्तारण भाजगड़िया ही करता था परंतु वर्तमान में इस परिवर्तित युग में भाजगड़िया का महत्व कम होता जा रहा है तथा आदिवासी सीधे ही न्यायालय की शरण लेने लगे

हैं। इसकी पुष्टि चयनित बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा उदयपुर के न्यायालय में बड़ी संख्या में लंबित प्रकरणों से होती है। इसी परंपरागत रूप से चले आ रहे भाजगड़िया के अधिकार न्यायालय में परिणित होते दृष्टिगोचर हो रहे हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि इन न्यायालयों में अधिकतर मुकदमें भाजगडिया द्वारा तय किये जाने वाले मुकदमों की प्रकृति के हैं (गिल: संजय - 2004)।

इसी प्रकार, जनजातियों में प्राचीनकाल से ही परंपरागत पंचायत समाज की प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसका संचालन ग्राम का गमेती या पटेल करता था एवं यह पद योग्यता एवं चुनाव प्रक्रिया आदि की प्रक्रिया से जुड़ा ना होकर परंपरागत होता है। वह परिवार का बुजुर्ग व्यक्ति होता था। उसकी सहायता के लिए कम से कम 2 सदस्य होते थे। इन्हें सलाहकार का दर्जा प्राप्त था। नगरपंचायत के प्रमुख कार्यों में पारंपरिक विवादों का निपटान शांति व व्यवस्थाएं बनाए रखना समाज के नियमों का पालन न करने वालों का पानी बंद करना अर्थात् समाज से बहिष्कृत करना, आर्थिक दंड देना आदि शामिल है। वास्तव में चयनित अध्ययन क्षेत्रों के आदिवासी परिवारों का प्रशासन इसी परंपरागत पंचायत के द्वारा संपादित किया जाता था (भटनागर : 1982 :86)। वर्तमान में स्वतंत्रता प्राप्ति के पष्चात विभिन्न कारकों के फलस्वरूप परपंरागत पंचायत की भूमिका में कमी आई है। 02 अक्टूबर 1952 बलवंत राय समिति की सिफारिश के आधार पर 'पंचायती राज व्यवस्था' से ग्रामीण क्षेत्रों में जनसहभागिता बढ़ने के साथ-साथ सरकारी नियंत्रण में वृद्धि हुई है। ग्राम पंचायतों के गठन के पश्चात अब जनजाति समाज में भी परंपरागत पंचायतों की भूमिका में कमी हो गई है तथा अब उनके फैसले तथा आदेशों में सरकारी भागीदारी प्रत्येक घर में होने लगी है। आज यह सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख के पद पर आसीन है। इस प्रकार चयनित क्षेत्र के आधार से हम देखते हैं कि जनजाति समाज की राजनीतिक स्थिति में भी सुधार होने लगा है। विशेष तौर पर दक्षिणी राजस्थान की मीणा जनजाति राजनीति क्षेत्र में पंच, सरपंच एवं जिला प्रमुख पदों पर बहुतायात से आसीन देखे जा सकते हैं, जिससे इनकी न सिर्फ राजनीतिक बल्कि सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में भी आमूलचूल परिवर्तन देखे जा सकते हैं। सरकारी तंत्र में इनकी भागीदारी से इनमें आत्मविश्वास तथा सम्मान बढ़ा है।

निष्कर्ष - इस प्रकार स्पष्ट है कि विभिन्न जनजातीय समुदायों में जीवन के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन घटित हो रहे हैं। कुछ परिवर्तित पहलू जनजाति समाज का स्वस्थ निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, तो कतिपय परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप आदिम समाज भ्रमित हो रहा है, परन्तु यह बात अवश्य सत्य है कि जनजाति समाज वर्तमान परिवेश में राष्ट्र की मुख्यधारा से अब भी अछूता है, क्योंकि सरकारी नीतियाँ व कार्यक्रम केवल जागरूक जनजाति तक ही पहुंच पाएं हैं...। आज जनजाति समाज अपनी सांस्कृतिक पहचान खोता जा रहा है, क्योंकि पाश्चात्यकरण के प्रभाव स्वरूप यह सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों को कम आंकने लगे हैं। साथ ही जठर अग्नि की समस्या के चलते ही इन्हें स्वयं की कला को भी बाजार में बेचना पड़ रहा है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण दक्षिणी राजस्थान के विभिन्न कस्बों की सड़कों पर देखा जा सकता है। साथ ही यह बताना आवष्यक हो जाता है कि दक्षिणी राजस्थान की मीणा जनजाति में जागरूकता एवं अन्य कतिपय परिवर्तन अन्य जातियों की अपेक्षा अधिक देखी जा सकती है। जिसके परिणाम स्वरूप इस जनजाति में सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक- सांस्कृतिक परिवर्तन अन्य जनजातियों की अपेक्षा अधिक दृष्टिगोचर होते हैं। आवश्यकता है अन्य जातियों को भी जागरूक करने की।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Sharma C.L. : "Bhil Samaj : Kaka aur Sanskriti", Malti Publication,Jaipur, 1988.
2. Shrivastav Sunita: "Bhil Janjati : Parampara se adhunikta ke aur", Vanyajati XL VI (5) " 4-5, 1988.
3. Kunwar Neelam Etal: "Forestry : Role of Women", Khurukshetra, 47(10) : 40-43, 1999.
4. Saini S.K.: "Rajsthan ke adivasi", Uniq Publication, Jaipur, 2003
5. Jain P.C.: "Chritimity Ideology and Social change among tribals", Jaipur Rawat Publication, 1996.
6. Bhatnagar V.S.:"Social and Political awalking among the tribles of Rajasthan", Jaipur Centre for Rajasthan studies, University of Rajasthan, 1982.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

A Synopsis Study of Dress & Ornaments of the Rana Dynasty of Nepal

Dr. Poonam R L Rana*

***Associate Professor, Central Dept. of Nepalese history Culture & Archaeology,Tribhuvan University, Kathmandu, NEPAL**

Abstract - The paper on the Ranas of Nepal's dress and ornaments has used the 'Photo Exploratory' method, in which old photographs were studied and analyzed. The results show that there was Muslim influence during the Malla and the beginning of the Shah period. But, after Shri Tin Junga Bhadur's return from his official tour to England and France; the Neo-classical influences filtered in, however, the indigenous touch was maintained, until the end of the Rana
Keywords: Rana, Dress , Ornaments, Nepal.

Brief Historical Background: Balnarsingh Kunwar was born on February 2, 1783, and his son Bir Singh Kunwar, later known as Junga Bhadur, was born on June 18, 1817. Later, his brothers were born: 1819, Bambahdur, 1821, Badrinarasingh, 1823, Krishna Kunwar, 1825, Ranaudip Kunwar, and 1827, Jagat Shumsher. Junga Bhadur was appointed as Crown Prince Surendra Bir Bikram Shah's ADC in 1841. The court was in disarray, and on September 14, 1846, Gagan Singh was assassinated. The death of Mathbar Singh Thapa on September 15, 1846, resulted in Kot-Parva and Junga Bhadur becoming prime ministers, and King Rajendra Bikram being deposed. On May 5, 1848, King Surendra Bikram issued a Lal Mohar granting Junga Bhadur and his brothers the title of "RANA." until then, all Ranas bore the surname 'Kunwar.'. Junga Bahadur travelled to the United Kingdom for an "Official Visit" on January 15, 1850, and upon his return, significant changes occurred.

Brief History of Influences: Mallas came under Mugal influence in the early 15th century, after Barbar defeated Sultan Abhram Lodi at Panipath in 1526, seized Samarkand, and invaded India in 1556. Akbar's reign began in 1600, and he was followed by Janagir, Sahah Jahan, and Aurangazeb. After the Mutiny of 1857, the Mugal rule came to an end. (Welch, 1963, pp.15-16). Muslim influence can be seen on Malla rulers' clothing, which continued into the Shah period; however, British influence began to filter in 1765 and increased after the 18th century, when Junga Bhadur returned to Nepal after his official visit to Europe in 1850. Following that, Nepal underwent numerous changes. Changes were made to the clothing and ornaments.

Symbolism behind Jewels: Since ancient times, it has been believed that jewels possessed magical or mystic powers, denoting power, wealth, status, and are regarded as an individual's best friend in times of need.

The Navaratna (Brunel, 1972, Pp.5.) has great astrological significance and placement.

1. Ruby is in the center because it represents the Sun that is the giver of light and life.
2. Diamond is Vajra representing Venus that is placed in the East.
3. Sapphire is Indranila for Saturn that is placed in the West.
4. Cat's Eye is Vaidunya for Ketu and is placed in the North.
5. Coral is Muga for Mars, it is placed in the South
6. Emerald is Maukitkam for Mercury, it is placed in North East
7. Pearl is Maukitkam for Moon and is placed in South East
8. Jacinth is Gomedaka for Rahu placed in South West.
9. Topaz is Puspharaga for Jupiter and is placed in North West.

Fig 1 a

These are the settings for Navaratna. The Navaratna is supposed to protect, safeguard, and bring good fortune to people. Ganga and Jamuna are the names given to gold and silver, respectively. Gold represented the sacred Ganges water, while silver represented the sacred Jamuna's silvery water. (Brunei, 1972, pp. 5 -7).

The Rana Dynasty Men: European influences replaced Mughal influences. The Rana men were dressed in the formal attire of a British military chief. The focus was drawn to the medals they were wearing, which gleamed against their red outfits. Those who were entitled to wear the 'sirpench' or crown did so.

The 'sirpench' was adorned with rare and precious stones, as well as a plume of feathers from the bird of paradise found only in New Zealand. Daura Suruwal, was Nepal's former national dress. This outfit gained popularity after Prime Minister Bir Shumser wore it during a visit to the United Kingdom. Sri Tin Jung Bahadur Rana topped off the look with a coat. According to legend, he introduced coats to Nepal after being given one by the Queen of England during his official tour to England.

The Rana Dynasty Women: The Rana women were dressed much more opulently than the Rana men. They were experts at draping sarees to look like Victorian ball gowns. Layers of cotton pantaloons were followed by draping's of embroidered chiffon and silk sarees. The dresses worn by Rana women were heavily influenced by European fashion. This was also due to Jung Bahadur Rana being one of the first rulers from South Asia to travel to England. Travelling across the oceans was thought to be a bad omen. As a result, most Rana women were married off to smaller ruling estates in India. It was Jung Bahadur Rana's official visit to London, where he was inspired by the English Royalties attire.

The Rana women were frequently seen wearing Victorian silk gowns adorned with heavy precious gems such as emeralds, pearls, embroidered with gold threads. They also wore saris, but, they were draped very differently from the Indian style, it was pleated at the back and the border or the *Paloo* was pinned as a stole. This was named as the *'Parasi Poshak'* .

The Rana Royalties & Beautification : The Rana Royalties had their own beautification materials. The *Khalanga* (staff members' residential area) was made up of workers divided into different categories. The Ranas had a well-organized system of labor division. The Queens and concubines had their own staff of 5 to 10 *Didis* (working sisters), who were classified into various categories, such as *Talimes* were in charge of dancing and singing; they were further subdivided into upper and lower status *Talimes*; *Baithakis* were in charge of welcoming guests and looking after the *Baithak* area (Drawing-room); *Bubu* (Governess) who looked after the children and sometimes even breast-fed them. *Bhanche Bhahun & Bhahunis* (Head cooks of the kitchen) were in charge of the kitchen areas. There were *Mukhya Hajuriyas* (personal maids) of the Queens, under them were the *Didis,* whose task was to obey orders and were in charge of cleaning and other activities. They worked under the supervision of *Mukhya Hajuriya* .

There were Mukhya Hajuriyas (personal maids) who were close to the Queens, there were the *didis,* who worked under their supervision and were in charge of cleaning and other activities. There were personnel in charge of the *Shringar* (beautification). The duties of each staff were specified.

Those in charge of *Shringar* or beautifying were involved in the collection of raw materials for beautification. The attendees collected rose petals and made rose water from them. Besan (gram flour), a little mustard powder, and a few drops of almond oil were combined with rose water to make a facial pack that was applied to the face for 10 to 15 minutes before being scrubbed off. Rana Royalties never used soap. Soap was introduced much later. In those days rose water with drop of glycine or drop of almond oil was applied to the face, then powder was applied with *'Fah'* soft cotton puff. Homemade powder was made from sandal wood with addition of dried and powdered Jasmin flowers and red rose petals for fragrance. It was time-consuming and laborious task. (such hand-made powder was commonly used by royalties until English beauty creams and powders were imported from England.

Eye brows were plucked and dark' *Kajal'* (Kohl)was applied, as was customary among the Royals of the time. Arched brows were not fashionable at the time. According to interviews with elderly attendees who once worked in Rana palaces, as well as word of mouth from our grandmothers, the Queens applied 'Kajal' or Kohl with porcupine quills. Later, cotton *'Kos'* (cotton buds) were used to apply.

Every Royalty, including Queens, concubines, and other aristocratic ladies, possessed a "Shringar Kantoor: similar to today's Vanity Beauty Box." The head Hajuriya was in charge of its upkeep, which included making sure that all beauty materials such as 'Lalima' (rouge), Lali (lipstick), and Kajal or Khol, and powder, were in good condition. The Kantoor had combs, hair pins, precious and semi-precious hair clips, pins embossed with precious stones, and other accessories necessary for beautifications. It was later that Royalties and other elites began importing make-up materials from England.

Hairstyles: The hairstyles of the servers, attendants, Queens, and concubines differed. The hairstyles of the Queens and concubines were designed to complement their facial features. Their hairstyles were extremely detailed at first, with very small braids piled up as a 'chignon' on top of the head. Hair pins and hair clips adorned with precious diamonds, emeralds, rubies, and pearls were pinned into the 'chignon,' giving the look of grace and sophistication of a Royalties.

Junga Bhadur's daughter Lalita Rajeshwori's photo Trilokya, who was married to Crown Prince Trilokya, is depicted with a one-of-a-kind that was an unusual hairstyle. The raised hairstyle has been adorned with flowery patterned round hairpins and broaches have dancing peacocks on both sides. It flows down the left side as flower and butterflies reaching up to her shoulder as it surpasses

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

in beauty and style.

Fig 1b

The Jewellery of the Ranas: Rana jewelry traces the history of the Rana crown, showing how it evolved and was embossed with gems and diamonds over the course of 104 years (only to be sold to a Parisian jeweller in the mid-1950s). Many of these gems, precious stones, and ornaments were either taken from Lucknow during the Mutiny of 1857, or were brought by Indian royalty fleeing from Mughal invasions.

Women Jewellery: Jewelry was an important way to demonstrate wealth and success. Each Rana wife and daughter had custom-made tiaras and necklaces made just for them. Tiaras were encrusted with diamonds, and necklaces were made up of nine strands of pearls and gems. Because these were emblems of their ancestral royal houses, star and moon pins were popular motifs among the Ranas.

Tiaras were typically handcrafted in Calcutta, whereas necklaces, rings, bracelets, and pins were typically purchased in Europe, either during travel or by mail order. Their favorite stores were Van Cleef & Arpels, Harry Winston, and Cartier.

Male Jewellery: Rana men prefer to dress in a formal military uniform like that of a British Army personals complete with medals and braids. Sirpech, their official attire was distinguished by a distinctive headgear. The sirpech was adorned with three leaf-shaped ornaments set with diamonds and emeralds, as well as a plume made of feathers taken from a bird of paradise found only in New Zealand.

The very famous and mysterious 'Naulakha Haar,' meaning the necklace worth Rs 9 lakh, which happened to be a large sum in the early nineteenth century, was a necklace made of the finest emeralds, pearls, and diamonds. The famous Peshwa Baji Rao purchased this necklace for a hefty sum of Rs 9 lakh. This jewelry was later sold to former Prime Minister Jung Bahadur Rana. for a pittance in comparison to the original price It was in the early twentieth century that Prime Minister Dhir Shumshere sold it to Maharaja Rameshwar Singh of Darbhanga, who was said to have one of the best jewelry collections in the world. This was done because Prime Minister Dhir Shumshere desperately needed money for his political campaign. (Urvashi Singh Khimsar,2020)

The Ranas of Nepal lead life of sophistication and style, that later became matter of criticism to others. Yet, it is a style that has been cherished and secretly admired by many to this day.

The Rana Regime

Janga Bahadur Born 1817, 1841 became ADC. The sketch of Junga Bhadur in the British Embassy's Collection depicts him wearing a different crown than that of the Shah Rulers It is a mango shaped *Sirpech* (crown embossed with pearls, diamonds with emerald droplets. (Fig-1) He is shown wearing several strands of the **Fig-2** '*Ekavali*' necklace. (single strand of pearls). Later, he is shown wearing a different crown with a circular design having emerald droplets.

Fig-2

He is also shown wearing a long three rows of pearl necklace having emerald in between with large diamond and pearls embossed on the circular pendant. Fig-1, reveals him with an Englishmen like attire. with a long frock like a coat Fig- 2 with decorations. At the waist, he ties a *Patuka* held by an ornamented buckle

The Headdress of Maharani of Junga Bahadur: The historical research reveals that Junga Bahadur had at least 17 wives and possible as many as 25 concubines.

Hiranyagarba Kumari: Was his principal senior wife, sister of Fateh Jung and Mother of Lalit Kumari who married crown Prince Trailokya who was the grandmother of King Prithivi Bir Bikram Shah. She is depicted with ornamented unique headdress embossed with pearls, diamonds, rubies and emeralds. The headdress along the ear was shaped into grape bunches of emeralds that fell down the ears and looked like earrings.

Fig-3

Apparel: Long embroidered brocade 'frilled' into bouncing frock similar to the European royalties made up of yards and yards of fine cloths, flounced by placing wire. The costly cloak with frilled edges was used in covering the upper body. His other wives Siddhi Gajendra Laxmi, Puttli Maharani, Minna Maharani, Him Kumari all of them are shown with distinctive hair ornaments made up of precious stones. The ornamented headdresses worn on their head varied**. Fig 4** as per their choice

Bada-maharani Bisnu Kumari Putali Maharani Daughter of Junga Sati wives of Junga

Dambar Kumari

Fig 4 a

Junga Bhadurs daughter from his unwed wife Meena Maharani alias Dakhchowke Maharani. Shri Damabar Kumari, the sister of Dambar Jung. She is credited with promoting the Dambar Kumari block print of textile, which has left an indelible mark on Nepal's handicraft industry and can now be defined as our very own national brand. History goes on to say she escaped to Varanasi and did not wish to return. Junga Bahadur sent Dhir Shumsher to bring her back. Through his spies he came to know that she was using 'brothel women's' in block printing Putali Maharani, favourite of Junga Bhadur wrote a personal letter requesting her to return to Nepal and promised to provide her funding to continue her hobby which later turned into Cottage industries. It is said she wanted to remain in good books of Putali Maharani, so she returned. Dhaka cloth became famous among the Rana ladies of the court.

Fig 4 b

She was a trend setter of her era. as a result of her influence. The fabric was known as "Dambar Kumari Dhaka." Women all over the Kathmandu Valley began to use this fabric for their clothes, and it became known simply as 'Dambar Kumari ' to this day.

Fig-5

The Umbrella Bearer "*Chate"* are women holding the umbrella.One of the pictures of Junga Bahadur with his Queen & two daugh--ters with "*Chate's"* or "Umbrella bearers". These working women are depicted with "Circular Head ornament" Similar to Gurung community women who wear such ornament on their head during special occasions such as marriages. These women were shown wearing simple apparel made of yards and yards of cloth flounced like those of Queen by placing wires. It seems that the materials and the quality differed. All of them used 'Nepali *Kasto'* or a shawl to cover their upper body.

Balnarasingh Kunwar:

Fig – 6

Whose descendants were to rule Nepal was depicted with an army like cap adorned with plump feathers, pearls and

other precious stones, with emerald droplets falling on his forehead. He wears an 'Ekavali' large pearl necklaces and. *"Dwie Lari"* long - pearl necklace known as '*Lambanam*'

Rana Ranuddip Narshima (1877 - 1885)

wears a crown-like that of Janga Bahadur. It seems that he added a bunch of pearls (like the grape- bunches) falling on the right side of his head thus enhancing its beauty.He is shown with '*Ekavali'* around his throat

Fig-7

Apparel: He is depicted with Red coat with decorations reaching up to his knee and a trouser. He is shown with his two Queens **Hari Priya Devi and Kanchi Maharani** junior wife.

Hari Priya Devi was the main queen of Ranauddip She is depicted with an ornamented headdress that has plums falling off, with three rows of pearls and emeralds. The Queen wears a similar dress like Hiranyagarba Devi Queen of Janga Bahadur and other royalties.

Fig-8

While Kanchi Maharani of Ranauddip has been shown wearing an ornamented headdress with pearls hanging on either side in numerous rows. She is wearing a large earring with numerous pearls reaching up to her shoulder. Her necklace is of gold embossed with precious stones. On her wrist, she wears a gold bracelet.

Apparel: her apparel is very much similar to the apparel worn by the eldest queen with few more frills and a brocade shawl that is adorned in a cape-like manner above her shoulder.

Dhoj Narasingha Rana – the second son of Badri Narsingh and adopted son of Premier Ranauddip Narsingh is depicted with crescent-shaped Sirpech (crown) with pearls, emerald, rubies and plum gracefully flowing out. It is believed to be the feathers of the birds of paradise. The coat he wears is like those of an army personal with decoration. The coat reaches up to the knee and is tied at the waist with an ornamented belt. The sleeves and collar are beautifully embroidered with gold. The trouser is similar to the style of British Commander's clothing worn in British India. Such influence was common, as Nepal was close to India. The infiltration of British influence in Nepal seems to have been much in favour since Junga Bahadur's visit to Great Britain as he was highly impressed by the 'British Royalties' splendour. Thereinafter, he had his Darvar built-in shape of Buckingham palace of England; with it began the Neo-Classical architectural constructions in Nepal.

Bir Shumsher (1885 - 1901)

Fig -9

He is depicted with a crown similar to that worn by Maharaja Shree Tin Ranauddip Narashima Rana with bunches of emerald hanging on the right. He is shown wearing embroidered coat falling up to his hip, held by embroidered belt A cape with numerous decorations including "Trishaktipath" and Gorkhadakshin Bhau.

Even today such decorations are awarded to important people by the Head of the State. Bir Shumsher is shown wearing "Dwie Lari" or double rowed necklace of pearls and emeralds. The "*Panchalahar* necklace" or five rows necklace were worn by royalties, since Junga Bhadur returned from his official tour.

The *Panchalarhar* necklace made up of pearl was similar to those worn by Indian contemporary Kings & Queens of the 19th century.

In 1899 Bir Shumsher's second wife is shown with a different headdress. The hair has been pleated or braided and raised high, and ornamented with diamond, gold, pearl and emeralds and designed in the shape of hair clips and set in a "tiara'" fashion. She wears a long sleeves blouse, like the women of her period, above it she wears an embossed armlet of gold. She wears lots of jewellery on her neck. *"ekavali",* "*Panchahara"* (Five stringed pearls, emerald necklaces) as well as "*lambanam"* long pearl necklace reaching up to the waist with flowery and crescent designs. It perhaps could be "*Chandra hara"* simple droplets for ears.

Apparel is well designed and flounced like a frock worn by European ladies of England. The only difference between the European ladies and the Nepali Queens was that here the ladies used yards and yards of sari material designed

and flounced by wires. This shows that European influence had filtered and had, had a great influence on Nepal

Chandra Shumsher J. B. Rana (1901 - 1929)

Fig-10/11

shown with a similar crown as worn by Dev Shumsher with decorations befitting a Prime minister and a cape Over his embroidered coat he wore many decorations. Below he was shown with a white trouser held within a boot reaching up to his knee. The Portrait of Maharani Bal Kumari (1917). Second queen of Chandra Shumsher is depicted with raised hair-dress ornamented with diamond, emerald, pearl and crescent moon. Besides other necklaces, she is also shown wearing a *"Bikaniri* necklace"; ornamented with diamond and pearls Queen also wears a long pearl necklace. She wears a sari worn in a different style. It known as "*Parasi Poshak*" in those days.

Queen Laxmi Divyeshwari (Mother of Queen Tribhuvan)

Fig12

is graciously dressed with raised hair-dress shaped like "*Mauli*" or turban ornamented with pearls, rubies and emerald (Alkazi, 1982, p. 125) etc. On her neck she wears an '*ekavali'* (single pearl- necklace) and 'hara" of pearls with a pendant. (Alkazi, 1982, p.126) The wearing of "*Mauli*" like headdress existed even in India. Similar to the Royal Bodhisattvas of Mathura. Its *Mukuta* or crown shaped as tiers in a very decorative style (Kushan Period). The ornaments worn too are of the designs belonging to 185 A.D. This provides evidence that that "Fashion can never be termed old, Fashions simply disappears and reappears as new trend". As the saying goes, "Everyone laugh at the old fashion but religiously follows the new one".

Bhim Shumsher (1929 - 1932): Is shown wearing a crown like Janga Bahadur Rana with all decorations. He is shown with an embroidered coat and white trouser held within a boot that reaches up to his knee.

Maharaja Bhim Shumsher's Senior Wife (1890): is shown with lovely ornamented hair-dress (crown) with flowery designs with flowers made of gold and precious stones shaped as creepers, leaves and flowers falling down to her neck. She is also depicted wearing a necklace with a flowery leaf at the center. The dress cannot be seen except for an ornamented cape with lovely flowery broaches in the shape of flowers, leaf and butterflies.

Fig-13

Padma Shumsher (1945 – 48): Maharaj Padma Shumsher was known as people's premier His crown is very much similar to his brothers before him, with emerald droplets. The only difference in his dress-up is his light blue cloak with white ribbons and decorations. This is unique, because all other premiers are seen wearing red coats.

Fig 14

Mohan Shumsher (1948 – 1951): Mohan Shumsher is the last premier.

After him the Rana dynasty came to an end with it came an end of an era. His crown is very similar to that of Padma

Shumsher with emerald droplets. His coat is red as earlier premiers of his period. It shows European Influence, unlike his brother Padma Shumsher he does not wear/a cloak.

Beautification & Makeup : It will incomplete to conclude without mentioning about the makeup materials used and prepared by the ladies of the Khalanga (Working staff area) who were responsible for such tasks.

Conclusion: The British influence on dress and ornaments continued till the rule of the last premier Mohan Shumsher. Then the Rana dynasty came to an end and with it was the end of the British influence that began with Shri Tin Maharaja Junga Bhadur's visit to Europe.

References:-

1. Francis Brunel, *Jewellery of India,* Bombay: National Book Trust, 1972
2. Roshan Alkazi, *Ancient Indian Costume*, New Delhi: Art Heritage, 1982
3. Stuvart C. Welch, *The Art of Mugal India*¸ Bombay: Asian House Publication, 1963, Whelpton John , Junga Bhadur in Europe, Kathmandu : Sahayogi Press, 1982
4. Rana Purusottam S, *Junga Bhadur Rana:His Rise & Glory*,Delhi: Book Faith India,1998
5. Rana Padma Jung, Life of Maharaja Shree Junga Bhadur of Nepal, Kathmandu: Ratna Pustak Bhandar, 2017
6. Urvashi Singh Khimsar,2020 (Blog)

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

Effects of Pesticides on Environment

Dr. Manju Meena*

***Assistant professor (Chemistry) R.R. Govt. College, Alwar (Raj.) INDIA**

Abstract - Pesticides are used to kill the pests and insects which attack on crops and harm them. Different kinds of pesticides have been used for crop protection for centuries. Pesticides benefit the crops; however, they also impose a serious negative impact on environment. Excessive use of pesticides may lead to the destruction of biodiversity. Many birds, aquatic organisms and animals are under the threat of harmful pesticides for their survival. Pesticides are a concern for sustainability of environment and global stability. This paper intends to discuss about pesticides, their types, usefulness and the environmental concerns related to them. Pollution as a result to overuse of pesticides and the long term impact of pesticides on the environmental are also discussed in this paper. In end discuss the methods to eradicate the use of pesticides and finally it looks forward towards the future impacts of the pesticide use the future impacts of the pesticide use the future of the world after eradicating pesticides.
Keywords: Pesticides, Environment, Chronic effects of pesticides, Environmental hazards.

Introduction - A pesticide is a toxic chemical substance or a mixture of substances or biological agents that are intentionally released into the environment in order to avert, deter, control and kill, destroy populations of insects, weeds, rodents, fungi or other harmful pests. They include insecticides, herbicides, nematicides, fungicides, molluscicides, rodenticides, plant growth regulators and other compounds.(1) Pesticides work by attracting, seducing and then destroying or mitigating the pests. Pests can be broadly defined as " the plants or animals that jeopardize our food, health and comfort."

The use of pesticides has increased many folds over the past few decades. According to an estimate, about 5.2 billion pounds of pesticides are used worldwide per year. The use of pesticides for pest mitigation has become a common practice all around the world. Their use is not only restricted to agricultural fields, but they are also employed in homes in form of sprays, poisons and powders for controlling cockroaches, mosquitoes, rats, fleas, ticks and other harms bugs. Due to this reason, pesticides are frequently found in our food commodities in addition to their presence in the air. Pesticides can be natural compounds or they can be synthetically produced. They may belong to any one of the several pesticide classes. Major classes include organochlorines, carbamates, organophosphates, pyrethroids and neonicitinoids to which most of the current and widely used pesticides belong. Pesticides formulations contain active ingredients along with inert substances, pesticides break down into substances known as metabolites that are more toxic to active ingredients in some situations. At the end merits of pesticide usage and the harmful impact of pesticides on human health and the environment.

Classification of Pesticides: Pesticides are known to be one of the extremely useful and beneficial agents for preventing losses of crops as well as diseases in humans. Based on the action, pesticides can be classified as destroying, repelling and mitigating agents. Insects and pests are getting immune to the commercial pesticides due to over usage. Recently pesticides have been developed which target multiple species.(2) Now a days, chemical pesticides and insecticides are becoming a dominant agent for eliminating pests. When these chemical pesticides are used in a combination of effective natural enemy than that result in enhanced integrated pest management and act as a comprehensive prophylactic and remedial treatment .(3)

On the level of population, the effects of pesticides depend on exposure and toxicity, as well as on different factors like life history, characteristics, timing of application, population structure and landscape structure .(4) Nerve targets of insects which are known for development of neuroactive insecticides include acetylcholinesterase for oganophosphates and methycarbamates, nicotinic acetylcholine receptors for neonicotinoids, gamma-aminobutyric acid receptor channel for polychorocyclohexanes and fiproles .(5)These pesticides are associated with different types of toxicities .(6)

Worldwide pesticides are divided into different categories depending upon their target. Some of these categories include herbicides, insectIcides, fungicides,

rodenticides, molluscicides, nematicides and plant growth regulators. Non- regulated use of pesticides has led the environment into disastrous consequences. Serious concerns about human health and biodiversity are raising due to overuse of pesticides. [7] Pesticides are not only toxic to people related to agriculture, but they also cause toxicity in industries and public health work places. Depending upon the target species, pesticides can cause toxicities in natural flora, natural fauna and aquatic life . [8]

Merits of Pesticide Use: Pesticides provide primary as well as secondary benefits. The former ones are obvious after direct usage of pesticides such as the killing of insects that feed on crops. Later are the result of the primary benefits and they are for longer periods. Worldwide, 40% of the agricultural produce is lost due to plant diseases, weeds and pests collectively. If there would have been no pesticides, crop losses would have been many folds greater. Moreover, these crop saving substances not only protect the crops from damage rendered by pests, but they also increase the yields of crops considerably. [9]

Protection of farm and agricultural lands means protection of all forms of life. Pesticides protect forests and other wildlife habitat from invasive species of plants and non–native insects and other pests. Improved agricultural yields help the farmers to produce more food without expanding their agricultural land which consequently protects biodiversity. [10] Insecticides also improve home sanitary conditions by keeping the population of bugs in control. [11] Moreover, pesticides also preserve the beauty of recreational spots by controlling weeds and also prevent structural damage associated with termite infestations .[12]

Risks Associated with Pesticide Use: Risks associated with pesticide use have surpassed their beneficial effects. Pesticides have drastic effects on non- target species and affect animal and plant biodiversity, aquatic as well as terrestrial food webs and ecosystems.

According to Majewski and Capel (1995) about 80-90 % of the applied pesticides can volatized within a few days of application. [13] It is quite common and likely to take place while using sprayers. The volatized pesticides evaporate into the air and subsequently may cause harm to non–target organism. A very good example of this is the use of herbicides, which volatilise off the treated plants and the vapours the sufficient to cause severe damage to other plants. [14] Uncontrolled use of pesticides has resulted in reduction of several terrestrial and aquatic animal and plant species. They have also threatened the survival of some rare species such as the bald eagle, peregrine falcon and osprey. [15] Additionally, air, water and soil bodies have also being contaminated with these chemicals to toxic levels. Among all the categories of pesticides, insecticides are considered to be most toxic whereas fungicides and herbicides are second and third on the toxicity list.

Threats to Biodiversity: The threats associated with the use of uncontrolled use of these toxins cannot be overlooked. It is the need of the hour to consider the pesticide impact on populations of aquatic and terrestrial plants, animals and birds. Accumulation of pesticides in the food chains is of greatest concern as it directly affects the predators and raptors. But, indirectly, pesticides can also reduce the quantity of weeds, shrubs and insects on which higher orders feed. Spraying of insecticides, herbicides and fungicide have also been linked to declines in the population of rare species of animals and birds.

Threats to Aquatic Biodiversity: Pesticides enter the water via drift, by runoff, leaching through the soil or they may be applied directly into surface water in some cases such as for mosquitoes control. Pesticide – contaminated water poses a great threat to aquatic form of life. It can affect aquatic plants, decrease dissolved oxygen in the water and can cause physiological and behavioural changes in the fish populations. In several studies, lawn care pesticides have been found in surfaces waters and water bodies such as ponds, streams and lakes. Pesticides which are applied to land drift to aquatic ecosystems and there they are toxic to fishes and non target organisms. These pesticides are not only toxic themselves but also interact with stressors which include harmful algal blooms .With the overuse of pesticides, a decline in populations of different fish species is observed.[16] About 80% of the dissolved oxygen is provided by the aquatic plants and it is necessary for the sustenance of aquatic life. Killing of aquatic plants by the herbicides results in drastically low O_2 levels and ultimately leads to suffocation of fish and reduced fish producitivity. Generally, levels of pesticides are much higher in surface waters than groundwater probably because of surface runoff from farmland and contimination by spray drift. [17] However, pesticides reach underground through seepage of contaminated surface water, improper disposal and accidental spills and leakages. Aquatic ecosystems are experiencing considerable damage due to drifting of pesticides into the lakes, ponds and rivers.

Threats to Terrestrial Boidiversity: Pesticide exposure can also cause sub –lethal effects on terrestrial plants in addition to killing non target plants. Drifting or volatilization of phenoxy herbicides can injure nearby trees and shrubs [18] Herbicide glyphosate increases susceptibility of plants to diseases [19] and reduces seed quality[20] Earthworms play a significant role the soil ecosystem by acting as bio-indicators of soil contamination and as models for soil toxicity testing. Earthworms also contribute to soil fertility. Pesticides have not spared earthworms from their toxic effects and the later is exposed to the former mainly via contaminated soil pore water. [21]

Pesticide Impact on Human Health: Pesticides have improved the standard of human health by controlling vector-borne diseases, however, their long term and indiscriminate use has resulted in serious health effects. Human beings especially infants and children are highly vulnerable to deleterious effects of pesticides due to the

non-specific nature and inadequate application of pesticides. As the pesticide use has increased over the past few decades, the likelihood of exposure to these chemicals has also increased considerably. Pesticides enter the human body through ingestion, inhalation or penetration via skin(22) But the majority of people get affected via the intake of pesticide contaminated food. The effects of pesticides on human health are highly variable. They may appear in days and are immediate in nature or they may take months or years to manifest and hence are called chronic or long – terms effects.

Conclusion and future Prospects: Pesticides have proved to be a boon for the farmers as well as people all around the world by increasing agricultural yield and by providing innumerable benefits to society indirectly. But the issue of hazards posed by pesticides to human health and the environment has raised concerns about the safety of pesticides. Although we cannot completely eliminate the hazards associated with pesticides use, but we can circumvent them in one way or the other. Exposure can be minimised by several means such as alternative cropping methods or by using well- maintained spraying equipments. If the pesticides are used in appropriate quantities and used only when required or necessary, then the pesticides risks can be minimised.

References:-

1. Zhan H., Huang Y., Lin Z., Bhatt P., Chen S. (2020) New insights into the microbial degradation and catalytic mechanism of synthetic pyrethroids. Environ. Res. 182:109138
2. Speck-Planche A,Kleandrova VV, Scottii MT (2012) Fragment – based approach for the in silico discovery of multi- target inseciticides. Chemon Intell Lab Syst 111:39-45
3. Gentz MC, Murdoch G, King GF (2010) Tandem use of selective insecticides and naturals enemies for effective , reduced –risk pest management . Biol Control 52(3):208-215
4. Schmolke A, Thorbek P, Chapman P, Grimm V(2010) Ecological models and pesticide risk assessment: current modeling practice. Environ Toxicol Chem 29(4):1006-1012
5. Casida JE, Durkin KA(2013) Neuroactive insecticides : targets , selectivity, resistance ,and second- ary effects. Annu Rev Entomol 58:99-117
6. Van Djik TC (2010) Effects of neonicotinoid pesticide pollution of Dutch surface water on non target species abundance
7. Agrawal A, Pandey RS, Sharma B (2010) water pollution with special reference to pesticide contamination in India. J Water Res Prot 2 (5):432-448
8. Rasid B, Husnain T, Riazuddin S(2010) Herbicides and pesticides as potential pollutants : aglobal problem. Plant adaption phytoremediation. Springer, Dordrecht, pp 427-447
9. Webster JPG, Bowles RG, Williams NT (1999) Estimating the economic benefits of alternative pesticide usage scenarios: wheat production in the United Kingdom. Crop prot 18:83
10. Ross G (2005) Risks and benefits of DDt. Lancet 366(9499): 1771-1772
11. Delaplane KS (2000)Pesticide usage in the United States : Histroy , benefits , risks,and trends cooperative extension Services . The University of Georgia ,college of Agricultural & Environmental Sciences. Bulletin 1121.
12. Aktar W , Sengupta D, Chowdhury A(2009) Impacts of pesticides use in agriculture: the benefits and hazards. Interdiscipl Toxicol 2:1-12
13. Majewski M, Capel P (1995) Pesticides in the atmosphere: Distribution , Trends & Governing Factors. Pesticides in the hydrologic system , vol. 1 ann Arbor Press inc. P. 118
14. Straathoff H(1986) Investigations on the phytotoxic relevance of volatilization of herbicides Mededelingen 51(2A): 433-438
15. Helfrich LA, Weigmann dl, Hipkins P, Stinson er (2009) Pesticides and aquatic animals : a guide to reducing impacts on aquatic systems In. Virginia Polytechnic Institute and State University accessed Jan 17,2015
16. Scholz NL , Fleishman E, Brown L, Werner I , Johnson Ml , Brooks ML, Mitchelmore CL (2012) A perspective on modern pesticides, pelagic fish declines, and unknown ecological resilience in highly managed ecosystems. Bioscience 62(4):428-434
17. Anon (1993) The environmental effects of pesticide drift , Peterborough: English Nature 9- 17 Benefits of pesticides and crop protection chemicals . In Crop life America. Accessed Dec 22, 2014
18. Dreistadt SH , Clark JK , Flint ML (1994) Pests of landscape trees and shrubs. An integrated pest management guide. University of California Division of Agriculture and Natural Resources Publication No. 3359
19. Brammall RA , Higgins VJ (1988) The effect of glyphosate on resistance of tomato to Fusarium crown and root rot disease and on the formation of host structural defensive barriers. Can J Bot 66:1547- 1555
20. Locke D, Landivar JA, Moseley D (1995) The effects of rate and timing of glyphosate applications of defoliation efficiency, regrowth inhition , lint yield , fiber quality and seed quality .Proc Beltwide Cotton Conf 2:1088-1090
21. Schreck E, Geret F, Gontier L, Treilhou M (2008) Neurotoxic effect and metabolic responses induced by a mixture of six pesticides on the earthworm Aporrectodea caliginosa nocturna Chemosphere 71 (10):1832-1839
22. Spear R(1991) Recognised and possible exposure to pesticides . In:Hayes WJ, Laws ER(eds) Handbook of pesticide toxicology. Academic, San Diego, CA, pp 245-274

मध्यप्रदेश में सामुदायिक पुलिस प्रणाली की दिशा में उठाए गए महत्त्वपूर्ण कदम

पूजा सेंगर* डॉ. कनिया मेड़ा**

* शोधार्थी, (लोक प्रशासन), राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
** सहायक प्राध्यापक (लोक प्रशासन), राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – प्रस्तुत शोध प्रत्र में, मध्यप्रदेश में सामुदायिक पुलिस प्रणाली की दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों का विस्तार से अध्ययन किया गया है। राज्य में इस प्रणाली के अंतर्गत अत्यंत सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं जो कि अन्य राज्यों के लिए आदर्श स्थापित कर रहे हैं। वैश्विक स्तर पर भी मध्यप्रदेश द्वारा सामुदायिक पुलिस प्रणाली की दिशा में की जा रही पहलों की प्रशंसा की जा रही है।

प्रस्तावना – मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा सामुदायिक पुलिस प्रणाली के माध्यम से एक मैत्रीपूर्ण और विश्वास-निर्माण दृष्टिकोण, अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करते हुए निवासियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित किया जा रहा है।राज्य में सामुदायिक पुलिस प्रणाली की दिशा में 'सृजन', 'मैं हूँ अभिमन्यु', 'स्टूडेंट इंटर्नशिप कार्यक्रम', 'ऊर्जा डेस्क', 'विशेष किशोर पुलिस इकाई', 'शक्ति समिति संधारण', 'नागरिक सुरक्षा सर्वेक्षण', 'सहयोग कार्यक्रम' एवं 'सुरक्षित शहर परियोजना' जैसे कार्यक्रम सक्रिय रूप से कार्यान्वित किए जा रहे हैं जिनका विवरण निम्नांनुसार है-

परिवार परामर्श केंद्र – इस कार्यक्रम का शुभारंभ 10 अक्टूबर 1995 को किया गया। इसका उद्देश्य समाज की पारिवारिक व्यवस्था में महिलाओं की पीड़ा को कम करना है। इस प्रयास ने पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली को सकारात्मक रूप से प्रेरित किया है, जो अब तक सकारात्मक मानवीय प्रयासों से जुड़ा नहीं था। उदाहरण स्वरूप इंदौर में परिवारों को टूटने से बचाने के लिए 9 केंद्रों की स्थापना की गई थी। ये केंद्र समाज के स्वयंसेवकों के सक्रिय समर्थन और सहयोग से चलाए गये, इनमें सामाजिक कार्यकर्ता, वकील, चिकित्सा पेशेवर आदि शामिल हैं। ऐसे मामलों में जहां कानूनी सहायता की आवश्यकता होती है, इस प्रयास से जुड़ी महिला वकील यह सहायता नि:शुल्क प्रदान करती हैं।

ग्राम एवं नगर रक्षा समिति – इस परियोजना को जनवरी 1996 में आरंभ किया गया। मूल रूप से बिना किसी आपराधिक रिकार्ड या ज्ञात राजनीतिक संबद्धता के उचित सोच वाले नागरिकों का एक समूह बनाने के उद्देश्य से किए गए इस प्रयास ने ऐसे आयाम हासिल कर लिए हैं, जिनके बारे में सोचा नहीं गया था। ग्राम तथा नगर रक्षा समिति अधिनियम 1999 एवं नियम 2003 के अंतर्गत समिति सदस्यों की उम्र 20 से 45 वर्ष तक रखे जाने का प्रावधान है। वर्तमान में संपूर्ण प्रदेश में कुल 36,196 समितियां गठित हैं, जिनमें 170,704 सदस्य शामिल हैं।

नगर सुरक्षा समिति द्वारा पुलिस को उसके सामान्य कर्तव्यों जैसे प्रमुख जुलूसों का प्रबंधन करने में सहायता करने के अलावा, पुलिस की कार्यप्रणाली के बारे में जागरूकता पैदा करना तथा यातायात प्रबंधन में सहायता आदि सहयोगपूर्ण कार्य किये जाते हैं। इन समितियों द्वारा मूल कार्यों से आगे बढ़कर अन्यप कार्य भी किये जा रहे हैं जैसे- रक्तदान/समूहन/एचआईवी परीक्षण, वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान आदि सामाजिक कार्यों का आयोजन किया जा रहा है। इन समितियों के सदस्यों के माध्यम से त्योहारों के दौरान स्थानीय कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए गश्त करना तथा ग्राम सुधार के विभिन्न कार्य किए जाते हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त पुलिस ने इन समितियों के माध्यम से प्रौढ़ शिक्षा एवं साक्षरता विस्तार का कार्य भी किया है। उदाहरणार्थ, शाजापुर जिले में सड़क निर्माण/मरम्मत का कार्य स्वैच्छिक श्रम अंशदान के माध्यम से किया गया। 16 थाना क्षेत्रों के 320 गांव मुख्य मार्गों से जुड़े। सड़क समतलीकरण, जल निकासी प्रणालियों की मरम्मत और क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्निर्माण का कार्य पुलिस और ग्राम रक्षा समितियों के स्वैच्छिक श्रम योगदान के माध्यम से किया गया।इससे पुलिस-सामुदायिक संबंधों और समन्वय में सुधार करने में मदद मिली है। दिनांक 31-10-2022 को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर भोपाल जिले के कोलार थाने की नगर सुरक्षा समिति को उत्कृष्ट कार्य एवं योगदान के लिए राष्ट्रीय एकता प्रहरी पुरस्कार व प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया गया। समिति द्वारा सामुदायिक पुलिस प्रणाली के सफल संचालन व सामाजिक सौहार्द के निर्माण में सदैव महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। विभिन्न पर्वों, मूर्ति विसर्जन स्थलोंवचल समारोहों के दौरान यातायात व्यवस्थास बनाये रखने आदि प्रमुख कार्य इन समिति के सदस्यों द्वारा सम्पासदित किये जाते हैं।

स्टुडेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम डायल 100 – इस योजना के अंतर्गत भोपाल एवं निकटस्थ क्षेत्रों के स्कूलों की कक्षा 8वीं से 10वीं के छात्रों को डायल 100 कमाण्ड सेन्ट्र का भ्रमण एवं आपातकालीन पुलिस सहायता हेल्पलाईन की संपूर्ण कार्यशैली से अवगत कराया जाता है। इस दौरान स्टूडेंट्स को पुलिस अधिकारियों द्वारा पुलिस सिस्टम और पैरामिलिट्री फोर्सेस की आधारभूत जानकारी वह रैंक सिस्टम से अवगत कराया जाता है। इसके अतिरिक्त स्टूडेंट्स को थाना प्रमाण एवं साइबर क्राइम विषय पर आवश्यक जानकारी प्रदान की जाती है। इस सेवा को विस्तारित करते हुए समस्त जिलों

में स्कूल शिक्षा विभाग से समन्वय कर शासकीय एवं अशासकीय स्कूल परिसरों में पहुंचकर पुलिस टीम एवं एफ0आर0व्ही0 वाहन की मदद से इमरजेंसी डायल-100 हेल्पलाइन योजना को प्रसारित किया जा रहा है।

सामुदायिक पुलिस केंद्र – इस तरह का पहला केंद्र इंदौर के अपराधग्रस्त और संवेदनशील इलाकों में 'रुस्तम का बगीचा' नाम से शुरू किया गया था। इस योजना के तहत पुलिसकर्मी स्थानीय निवासियों के घर-घर जाकर संपर्क करते हैं और लोगों की समस्याओं का सफलतापूर्वक समाधान करते हैं। इससे विशेषकर शराब, महिला शोषण एवं अन्य छोटे अपराधों में कमी देखी गई। यह प्रयोग जापान की प्रसिद्ध 'कोबन' तकनीक पर आधारित है।

जनसंवाद – यह योजना 2007 से मध्यप्रदेश के सभी जिलों में लागू है। इसके अंतर्गत जिलों के पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना स्त्रर पर बैठके आयोजित कर स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण थाना/जिला/संभाग एवं राज्य स्तर पर किया जाता है। जन संवाद के दौरान आयोजित बैठक में सभी समाज के गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि, सेवानिवृत कर्मचारी, अधिवक्ता, समाजसेवी आदि को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता है।दिनांक 03-03-2024 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार संपूर्ण मध्य प्रदेश में एक साथ जन संवाद आयोजित किए गये थे जिसमें 88,129 लोग शामिल हुए थे।

समुदाय आधारित मिडिएशन योजना (सामुदायिक मध्यस्थता 'संवाद सेतु योजना')-

खाटला पंचायत- सामुदायिक पुलिस प्रणाली के अंतर्गत खाटला बैठक के माध्यम से आदिवासी बाहुल्य ग्रामों में जन संवाद आयोजित कर वनवासी भाई-बहनों को जागरुक करते हुए स्थानीय आपराधिक शिकायतों का मौके पर ही निदान, क्षेत्रीय गुंडे-बदमाशों की पतारसी, अंधविश्वास, कुरीतियां, कुप्रथाओं से आदिवासियों को विमुक्त करना, डाकन प्रथा, दागना आदि कुप्रथाओं पर मैत्रीपूर्ण तरीके से अंकुश लगाना, मॉब लिंचिंग घटनाओं की रोकथाम व जनजागृति सफलतापूर्वक की जाती है।

तड़वी पंचायत- आदिवासी बाहुल्य जिला झाबुआ एवं अलीराजपुर में 'तड़वी' एक तरह से गांव का मुखिया या पटेल होता है। गांव के सामाजिक और पारिवारिक विवादों को निपटने के लिए दोनों पक्ष की मांग पर तड़वी की उपस्थिति में पंचायत आयोजित की जाती है। उक्त पंचायत में गांव के अन्य प्रमुख लोग भी शामिल रहते हैं। तड़वी पंचायत में लिए गए निर्णय को दोनों पक्ष स्वीकार करते हैं। सामुदायिक पुलिस प्रणाली के अंतर्गत स्थानीय पुलिस अधिकारी भी तड़वी पंचायत के दौरान ग्रामवासियों के बीच उपस्थित होकर पक्षकारों को कानूनी पहलुओं से परिचित कराते हैं।

नक्सल प्रभावित जिलों में विशेष सामुदायिक पुलिस प्रणाली योजनाएं- जिला बालाघाट द्वारा सामुदायिक पुलिस प्रणाली के अंतर्गत वर्ष 2023 में 'जनमैत्री अभियान' प्रारंभ किया गया है जिसके द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्र के नागरिकों को शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्तर करने में आ रही समस्याओं का निराकरण करने हेतु एक माध्यम उपलब्ध कराना है।

यूथ स्पोर्ट्स क्लब योजना, लाइब्रेरी एवं कोचिंग क्लासेस- प्रदेश के जिलों में स्थानीय पुलिस द्वारा जिला/अनुभाग/थाना स्तरों पर युवाओं के मध्य इन्डोशर एवं आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज व प्रतियोगिताओं के आयोजन से पुलिस एवं जनता के बीच बेहतर समन्वय एवं परस्पर संबंधों द्वारा सामुदायिक पुलिस प्रणाली के अंतर्गत नवाचार किया जा रहा है। इसी प्रकार सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से विद्यालय एवं महाविद्यालय के विद्यार्थियों को अध्ययन हेतु लाइब्रेरी एवं कोचिंग क्लास की स्थापना से जनहित में नवाचार के कार्य संपन्न किये जा रहे हैं।

स्टूडेंट करियर गाइडेंस प्रोगाम- पुलिस के सहयोग से सामाजिक संस्थाओं द्वारा स्थानीय विद्वानों एवं प्रबुद्धजनों के मार्गदर्शन से छात्रों को उच्च शिक्षा व उनसे जुड़े विभिन्न रोजगार के अवसरों की सार्थक जानकारी उपलब्ध कराते हुए सामुदायिक पुलिस प्रणाली के अंतर्गत नवाचार प्रारंभ किया गया है।

सृजन- एक पहल शक्ति से सुरक्षा की ओर- इन पंक्तियों को चरितार्थ करता हुआ भोपाल पुलिस कमिश्नरेट का सामुदायिक पुलिस प्रणाली के अंतर्गत नवाचार जिसकी शुरुआत जून 2022 से विभिन्न समाजसेवी संस्थाओं एवं पुलिस कमिश्नरेट भोपाल द्वारा की गई जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई बस्तियों में रहने वाली बालिकाओं की सुरक्षा एवं सर्वांगीण विकास है। इस योजना के अंतर्गत शहर के अलग-अलग थाना क्षेत्र एवं बस्तियों में अब तक कुल 11 सृजन कार्यक्रम आयोजित कर लगभग 1500 बालिकाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है।प्रशिक्षण में बच्चों को 15 दिन तक मार्शल आर्ट, पी टी ,योगा सहित लैंगिक समानता, मानसिक स्वास्थ्य, बाल विवाह, पोक्सो एक्ट, जुवेनाईल जस्टिस एक्ट, शिक्षा आदि विषयों पर विभिन्न विशषज्ञों द्वारा जानकारी दी जाती है।

'मैं हूँ अभिमन्यु'-महिला सुरक्षा शाखा, पुलिस मुख्यालय के दिशा-निर्देश पर 'मैं हूँ अभिमन्यु' अभियान सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रत्येक पुरुषों को महिलाओं के विरुद्ध हो रही विभिन्न अनैतिकता, असमानता एवं अत्यासचार के साथ-साथ दहेज, रुढिवादिता, अश्लीलता, असंवेदनशीलता, हत्या, अशिक्षा व लिंग भेद जैसी अन्य सामाजिक बुराईयों के विरुद्ध कार्यवाही करने एवं इस बुराई का साथ न देने हेतु शपथ दिलाई जा रही है।प्रथम चरण में यह अभियान 15 अगस्त 2023 तक जारी रहा एवं इसके सफल क्रियान्वयन के उपरांत वर्तमान में इसके दूसरे चरण को प्रारंभ किया गया है।

मध्य प्रदेश पुलिस स्टूडेंट इंटर्नशिप कार्यक्रम- मध्यप्रदेश पुलिस ने कॉलेज के छात्रों के लिये 'मध्य प्रदेश पुलिस स्टूडेंट इंटर्नशिप कार्यक्रम' शुरू किया है। इसके तहत छात्रों को 1 से 3 महीने तक पुलिस के साथ काम करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है तथा इंटर्नशिप पूर्ण होने पर प्रमाणपत्र भी दिया जा रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि पुलिस के लगभग सभी विभागों में इन छात्रों की भर्ती की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत छात्रों को लाइव केस स्टडी का मौका मिल रहा है। साथ ही मध्य प्रदेश पुलिस के सभी विभागों को देखने और समझने का मौका मिल रहा है। इस कार्यक्रम में छात्रों को विविध पुलिस कार्य, सायबर अपराध, डायल-100 की जानकारी, सी.सी.टी.एन.एस. सॉफ्टवेयर की जानकारी, महिला सहायता, बाल संरक्षण एवं सामुदायिक पुलिस की कार्यप्रणाली की जानकारी प्रदान किया जाना शामिल है। इस प्रकार इंटर्नशिप से छात्रों को ना केवल पेशेवर अनुभव प्राप्त होगा बल्कि वह समाज के एक जिम्मेदार नागरिक भी बनेंगे, क्योंकि उन्हें नियमों के बारे में जानकारी होगी।

सामुदायिक पुलिस प्रणाली के अंतर्गत 'स्टूडेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम' के तहत भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंस कॉलेज (BSSS) में दो दिवसीय प्रशिक्षण सत्र का उद्घाटन दिनांक 19 मई 2022 को किया गया। प्रशिक्षण सत्र में करीब 200 विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण सत्र में महिला अपराधों

के कानूनी प्रावधानों एवं महिला उर्जा डेस्क की कार्यप्रणाली के संबंध में विस्तृत रूप से विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया गया।

इसके अंतर्गत BSSS के छात्रों ने अहिंसा दिवस पर पुलिस के मार्गदर्शन में नुक्कड़ नाटक निर्मित किया, जो कि महिला अपराध, बाल अपराध, साइबर क्राइम की रोकथाम एवं यातायात नियमों के सम्बन्ध में जन जागृति फैलाने के उद्देश्य से BSSS के 60 छात्र की 4 टीम शहर में अलग-अलग क्षेत्रों, पब्लिक प्लेस पर 24 घंटे 100-100 नुक्कड़ नाटक पूर्ण कर रहे हैं, और जगह-जगह सुरक्षित समाज का संदेश भेज रहे हैं।

यह सामुदायिक पुलिस प्रणाली का एक अनूठा उदाहरण हैं, एक ही विषय पर आधारित 24 घंटे में 400 नुक्कड़ नाटक संपादित होने पर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हेतु भेजा जाएगा। गांधी जयंती के अवसर पर हिंसा मुक्त समाज के लिए युवाओं का ऐसा काम करना समाज में अवश्य बदलाव लाएगा।

शक्ति समिति एवं शक्ति कैफे- महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने हेतु भोपाल पुलिस के दो सबसे महत्वपूर्ण दफ्तर कमिश्नर कार्यालय और कंट्रोल रूम में शक्ति कैफे की शुरुआत की गई है तथा भोपाल नगरीय क्षेत्र के 36 पुलिस थानों को चिन्हित कर शक्ति कैफे प्रारम्भी किया गया है। इनका संचालन पीड़ित महिलाओं को सौंपा गया है जिन्हेंग संगिनी संस्था के माध्यिम से भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 01 लाख रूपये बैंक ऋण प्रदान किया गया है। शक्ति कैफे 24.7 संचालित किये जा रहे हैं।

उर्जा हेल्पम डेस्का- 'ऊर्जा डेस्क' के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं और लड़कियों को अपराध को रोकने और उससे निपटने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे महिला सुरक्षा बढ़ोतरी देखी जा रही है। अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब (J-Pal) ने 'Urgent Relief and Just Action' 'Urja डेस्क' अवधारणा को डिजाइन किया था जिसे 2017 में राज्य में लागू किया गया था। प्रदेश की राजधानी भोपाल में सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक श्री ऋषि कुमार शुक्ला द्वारा जहांगीराबाद स्थित महिला थाने में उर्जा हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया गया।

इस योजना के अंतर्गत महिलाओं की समस्याएं अब महिला पुलिस अधिकारी ही सुन रही हैं, इसके लिए प्रदेश के 12 जिलों- विदिशा, रतलाम, इंदौर, भोपाल, बैतूल, सिवनी, बालाघाट, रीवा, जबलपुर, पन्ना , मुरैना एवं ग्वालियर के 180 थानों में ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क बनाई गई हैं ताकि महिला जैसे ही थाने में पहुंचेंगी तो उनकी तुरंत सुनवाई होगी।अंतरराष्ट्रीय शोधकर्ताओं ने पाया है कि राज्य के पुलिस स्टेशनों में स्थापित ऊर्जा डेस्क ने पीड़ित महिलाओं को पुलिस के साथ अपनी समस्याएं साझा करने के लिए पर्याप्त जगह दी है। भोपाल में आयोजित तीन दिवसीय जस्टिस, इंक्लूजन एंड विक्टिम एक्सेस (जीआईवीए) कॉन्फ्रेंस में यह तथ्य सामने आया।

वर्तमान में, राज्य के लगभग 700 से अधिक पुलिस स्टेशनों में ये उर्जा डेस्क संचालित हो रही हैं।भोपाल पुलिस कमिश्नरेट द्वारा बनाये गये Victim Friendly महिला थाना को ISO की टीम द्वारा मूल्यांकन एवं गुणवत्ता के आधार पर ISO अवार्ड के लिए चयनित किया गया तथा ISO 9001:2015 सर्टिफिकेट प्रदान किया गया, यह प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत का पहला ISO 9001: 2015 सर्टिफाइड थाना बन चुका है।

विमुक्त जनजातियों का कल्याण- विमुक्त जनजातियों एवं उनके मानव अधिकारों तथा उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए एक सहयोगी पुलिस व्यवस्था कायम करने हेतु मध्यप्रदेश पुलिस लगातार कार्यरत हैं।मध्यप्रदेश के कुछ विशिष्ट जिलों में जिसमें गुना, देवास, अशोकनगर, राजगढ़ एवं शाजापुर शामिल हैं, के अंतर्गत निवासरत अधिसूचित समूदाय जैसे- कंजर, पारधी, सांसी, बेडिया, बाछड़ा व अन्य समुदायों की अपराध लिप्तैता को दूर करने हेतु विशेष प्रयास किए गए हैं। सामुदायिक पुलिस प्रणाली के अंतर्गत ऐसे समुदाय जिनके आचरण में कानून पालन से संबंधित शिकायतें सामने आती हैं, उन्हें प्रचलित कानून का पालन करने तथा एक गरिमामयी जीवन जीने के लिए प्रेरित कर अपराध की रोकथाम के उद्देश्य से विभिन्न समुदाय केंद्रित प्रयास पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं।

इसी क्रम में विमुक्त जनजातियों के मानव अधिकारों तथा सामुदायिक पुलिस व्यवस्था विषय पर भोपाल स्थित गांधी भवन में एक कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला के समापन समारोह में सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक श्री ऋषि कुमार शुक्ला जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। श्री शुक्ला ने पीड़ित व्यक्तियों की बातें भी सुनी और यह भी बताया कि किस तरह से पुलिस इस दिशा में प्रभावी कार्य कर रही है तथा और क्या-क्या करने की अपेक्षा हैं एवं पुलिस का तथा पीड़ित समुदायों का आपस में संवाद होना बहुत आवश्यक है।

विशेष किशोर पुलिस इकाई (**Special Juvenile Protection Unit- SJPU**)- राज्य में किशोर न्याय सुनिश्चित करने के लिए विशेष किशोर न्याय अधिनियम 2000 के अनुसार जिलों में विशेष पुलिस इकाइयों की स्थापना की गई है। इस योजना के अंतर्गत सभी कल्याण पुलिस अधिकारियों को किशोर कल्याण अधिकारी नामित किया गया है। वह लापता किशोरों के संरक्षण और आपराधिक गतिविधियों में शामिल बच्चों। पर निगरानी के कार्य भी करते हैं। पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रत्येक थाने में एक पुलिस अधिकारी को विशेष किशोर पुलिस इकाई का प्रभारी नियुक्त किया जाता है। ऐसे सभी पुलिसकर्मियों को जूवेनाईल जस्टिस एक्ट, चाईल्ड वेलफेयर कमिटी एवं बच्चों के कानूनी अधिकारों से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है।

UNICEF ने भोपाल पुलिस कमिश्नरेट द्वारा संचालित की जा रही इस पहल की सराहना की।मध्यप्रदेश पुलिस को इक्वोडोर के क्विटो शहर में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित छठवें 'Safe City'Forum में महिला सुरक्षा और बाल संरक्षण हेतु संचालित अपनी सामुदायिक पुलिस पहल का प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम 28 से 30 नवंबर, 2023 तक आयोजित हुआ। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा की गई इस सराहनीय पहल को 'इमेज चतंबजपबम' के रूप में सम्मानित किया गया।

स्टूडेंट पुलिस कैडेट-स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना वर्ष 2018 में शुरू की गई थी। इस योजना की निगरानी, क्रियान्वयन और निष्पादन सामुदायिक पुलिस शाखा, पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा किया जाता है। प्रारंभ में यह योजना मध्यप्रदेश के 31 जिलों के चयनित सरकारी विद्यालयों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई थी। प्रत्येक विद्यालय से आठवीं कक्षा के 20 छात्रों के एक बैच को इस योजना के अंतर्गत नामांकित किया जाता है। वर्तमान में यह योजना मध्यप्रदेश के सभी जिलों में सफलतापूर्वक लागू है। इस योजना के अंतर्गत पाठ्यक्रम के अनुसार इन्डोर और आउटडोर कक्षाएं सी.पी.ओ(कैडेट पुलिस ऑफिसर) और ए.सी.पी.ओ.(असिस्टेंट कैडेट पुलिस ऑफिसर) द्वारा ली जाएगी। सरकारी विद्यालयों में योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य और जिला समितियों का गठन किया गया है।

वर्तमान में कुल 556 विद्यालयों में सफलतापूर्वक इन शैक्षणिक पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए विद्यालयों को आवश्यक बजट प्रदान किया गया है और 18222 छात्रों को स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना में सम्मिलित किया गया है।

वरिष्ठ नागरिक सहायता (आलंबन योजना) - माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की घोषणा क्रमांक 2278 दिनांक 11-04-2012 के अंतर्गत शहरी क्षेत्र के समस्त थाना क्षेत्रों में निवासरत अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा हेतु विशेष व्यवस्था की जाएगी। इस संबंध में गृह विभाग मध्य प्रदेश शासन के पत्र- एफ 21-04/2014/ दो-ए(3) भोपाल दिनांक 27-05-2014 द्वारा मध्य प्रदेश राज्य वरिष्ठ नागरिक कल्याण आयोग जो कि वृद्धजनों के कल्याण एवं पुनर्वास हेतु कार्यरत है, के लिए गृह विभाग, मध्यप्रदेश शासन की ओर से समन्वय अधिकारी के रूप में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सामुदायिक पुलिस शाखा, पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल को नामांकित किया गया है।

पुलिस मुख्यालय से समस्तय जिलों को निर्देश जारी कर अधीनस्थ क्षेत्रों में एवं संचालित स्वैच्छिक/शासकीय सहायता प्राप्त एन.जी.ओ. संस्थाओं में निवासरत वृद्धजन जिनकी आयु 60 वर्षो से अधिक है, की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु पत्र लेख किया गया। समस्त पुलिस अधीक्षकों को जिला पुलिस नियंत्रण कक्ष में वृद्धजानों की सहायता एवं शिकायतों की सूचना प्राप्त करने हेतु हेल्पलाइन, फोन नंबर, फैक्स, एस.एम.एस. अथवा ई-मेल स्थापित कर सरकारी एवं गैर सरकारी वृद्ध आश्रमों में निवासरत वरिष्ठी नागरिकों की कुल संख्या (जिसमें महिला एवं पुरुष की पृथक-पृथक संख्या) तथा उनके नाम, फोन नंबर, एवं पता आदि विवरण का पंजीयन करने के निर्देश दिए गए हैं।

भोपाल पुलिस द्वारा सामुदायिक पुलिस प्रणाली के अंतर्गत संचालित उपरोक्त कार्यक्रमों के अलावा एक प्रतिपुष्टि तंत्र भी विकसित किया गया है जिसमें पुलिस की कार्यप्रणाली को जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप बनाने के लिए 'कैसी है आपकी पुलिस' पहल के माध्यम से निरंतर सुधार के प्रयास किये जा रहे हैं। सामुदायिक पुलिस प्रणाली के सुचारू क्रियान्व यन के कारण ही 2023 में गंभीर अपराधों में उल्लेखनीय कमी देखी गई है जो पुलिस की रणनीतियों की प्रभावशीलता को दर्शाती है।

निष्कर्ष - उपरोक्त तथ्य एवं वैश्विैक स्तर पर मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा सामुदायिक पुलिस प्रणाली की दिशा में उठाये गये कदमों की प्रशंसा इस प्रणाली के सफल संचालन को दर्शाता है तथा पुलिस व जनता के मध्य अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण स्थालपित करता है।सामुदायिक पुलिस प्रणाली हेतु मध्यप्रदेश संपूर्ण देश के लिये प्रेरणा स्त्रोत है।संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मध्यप्रदेश में सामुदायिक पुलिस प्रणाली की दिशा में किये गये कार्यो की प्रशंसा की गई है तथा मध्यप्रदेश द्वारा उठाये गये कदमों का अन्य देशों को भी अनुसरण करना चाहिये। विशेष तौर पर मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा धार्मिक एवं साम्प्रकदायिक सोहार्द के मुद्दों को सामुदायिक पुलिस की सहायता से बड़ी ही सरलतापूर्वक हल किया जा रहा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सामुदायिक पुलिस शाखा, पुलिस मुख्यालय, भोपाल से प्राप्त जानकारी के अनुसार
2. https://kolar18.com/kolar-nagar-sewa-samiti/
3. https://www.facebook.com/policebhopal/posts/pfbid0VoPmw95b3U6mhT5nvkmXRsXZoPZXMyup8WEikhzvBvTf2H7McknQQntvQt8Av1wsl? locale=hi_IN
4. https://www.facebook.com/policebhopal/posts/pfbid0ap7QPspkCggVPGdrmFCaq6JnuTbyz68aZz3UrEZjcD9DRtYf8GqH47sAkNH82Ztdl?locale=hi_IN
5. https://www.facebook.com/policebhopal/posts/pfbid0eh5oY8wNokb8rysCP6diXLyG6swHZdpbDvURZsmMuDbRNnLRckKrkwp5awacP2xjl?locale=hi_IN
6. hhttps://www.aninews.in/news/business/business/madhya-pradesh-polices-community-police-initiatives-get-praised-at-un-safe-cities-forum20231205164146/
7. hhttps://www.aninews.in/news/business/business/madhya-pradesh-polices-community-police-initiatives-get-praised-at-un-safe-cities-forum20231205164146/
8. Kapoor, V.; Flavin, W.; Ochs, P.; Matyók, T.; Fahim, E. Community Policing Solutions for Religion-on-Religion Conflict: Lessons from an Indian Case Study. *World* 2022,3,840–857. https://doi.org/10.3390/world3040047

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

जनजाति क्षेत्र में शैक्षिक पर्यवेक्षण सम्बन्धित चुनौतियाँ (बांसवाड़ा जिले के संदर्भ में एक अध्ययन)

डॉ. हरीश कुमार मेनारिया* मनीषा आमेटा**

* सहायक आचार्य (शिक्षा) लोकमान्य तिलक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, डबोक, उदयपुर (राज.) भारत
** शोधार्थी (शिक्षा) लोकमान्य तिलक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, डबोक, उदयपुर (राज.) भारत

प्रस्तावना – प्रस्तुत शोध पत्र बाँसवाड़ा जिले के संदर्भ में विद्यालयों में शैक्षिक पर्यवेक्षण से सम्बन्धित चुनौतियों पर आधारित है। शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान संभावनाओं से भरा प्रदेश है भौगोलिक चुनौतियों एवं विविधताओं के बावजूद भी विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम हुआ है। आने वाला समय शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित ही राजस्थान के विद्यार्थियों का है एक समय था जब राजस्थान की गिनती शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों में हुआ करती थी, लेकिन विगत कुछ सालों से राजस्थान ने गुणवतापूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में अपने कदम मजबूती से आगे बढ़ाए है। जनजाति क्षेत्र के चयनित जिलों में शैक्षिक पर्यवेक्षण संबंधी समस्याओं एवं चुनौतियों के अध्ययन के अन्तर्गत बांसवाड़ा जिले को अध्ययन में सम्मिलित कर शिक्षकों के जो अभिमत प्राप्त हुए उन्हें मूल्यमुक्त रूप से प्रदर्शित किया गया हैं।

शोध उद्देश्य :

1. जनजातीय जिले बांसवाड़ा में शैक्षिक पर्यवेक्षण सम्बन्धी चुनौतियों का अध्ययन करना।
2. जनजातीय जिले बांसवाड़ा में शैक्षिक पर्यवेक्षण सम्बन्धी चुनौतियों के समाधान पर सुझाव देना।

शोध विधि एवं अध्ययन क्षेत्र– अध्ययन का उद्देश्य राजस्थान राज्य के शिक्षा विभाग के अन्तर्गत शैक्षिक पर्यवेक्षण सम्बन्धित प्रक्रिया व समस्याओं का अध्ययन करना है जो कि वर्तमान समय की समस्याओं से सम्बन्धित अध्ययन है अत: शोध विषय की प्रकृति एवं उद्देश्यों को ध्यान रखते हुए सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के शहरी व ग्रामीण माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक सीमित रखा गया है।

बांसवाड़ा जिले का कुल क्षेत्रफल 5037 वर्ग किलोमीटर है जिसमें नगरीय क्षेत्रफल 22 वर्ग किलोमीटर और ग्रामीण क्षेत्रफल 5015 वर्ग किलोमीटर है। बांसवाड़ा की नींव महारावल जगमाल सिंह ने डाली थी। इस क्षेत्र में बांस के पेड़ प्रचुरता में पाए जाने व बांसिया भील द्वारा बसाये जाने के कारण इस क्षेत्र का नाम बांसवाड़ा पड़ा है। बांसवाड़ा के लगभग मध्य में से कर्क रेखा गुजरती है, जिस कारण इसका अधिकांश भाग उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। डूंगरपुर एवं बांसवाडा दोनों को संयुक्त रूप से प्राचीनकाल में वागड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में यह प्रदेश वाग्वर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था। इसकी राजधानी अर्थुना थी एवं इस पर परमारों का शासन था। यह जिला एक जनजाति बहुल जिला है। राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण 25 मार्च 1948 को बांसवाड़ा रियासत का राजस्थान में विलय हुआ था। 2011 की जनगणना के अनुसार बांसवाड़ा जिले की जनसंख्या 17,97,485 है और लिंगानुपात 980,साक्षरता दर 56.3 प्रतिशत, पुरुष साक्षरता 69.5 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता 43.1 प्रतिशत है।

न्यादर्श – अध्ययन हेतु दक्षिणी राजस्थान के जनजातीय धनत्व वाले बांसवाड़ा जिले से 20 विद्यालयों का चयन किया गया है। चयनित 20 विद्यालयों में से 5 शहरी क्षेत्र व 15 ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय है तथा प्रत्येक विद्यालय से 5-5 शिक्षकों (कुल 100) का चयन न्यादर्श के रूप में किया गया।

शोध उपकरण –प्रस्तुत शोधकार्य में तथ्य संकलन हेतु उपकरण के रूप में शैक्षिक पर्यवेक्षण से सम्बन्धित चुनौतियों हेतु स्वनिर्मित अभिमतावली को सम्मिलित किया गया है। जिसमें कुल 5 प्रश्नों को समाहित किया गया है जो निम्नानुसार है:-

1. क्या शैक्षिक पर्यवेक्षण जनजाति समूह के विद्यार्थियों के विकास में सहायक नहीं हो पाता है?
2. क्या शैक्षिक पर्यवेक्षण की प्रक्रिया में शाला प्रधान को शिक्षको का सहयोग नहीं मिल पाता है?
3. क्या जनजाति क्षेत्र को भौगोलिक स्थिति के कारण पर्यवेक्षण सुचारू रूप से नहीं हो पाता है?
4. क्या संस्था प्रधान पर अतिरिक्त विभागीय जिम्मेदारियों के कारण पर्यवेक्षण प्रक्रिया बाधित होती है?
5. क्या विद्यालय में पर्यवेक्षण अधिकारियों से संबंधित असहजता बनी रहती है?

शिक्षकों के अभिमत

तालिका संख्या 0.1 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

तालिका 0.1 में बाँसवाड़ा जिले के उत्तरदाताओं से शैक्षिक पर्यवेक्षण का जनजाति समूह के विद्यार्थियों के विकास में सहायक नहीं होने पर प्रश्न किया गया जिसके जवाब में पाया गया कि शहरी क्षेत्र के 26.32 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र के 64.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने हाँ में जवाब दिया है और शहरी क्षेत्र के 36.84 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र के 33.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अपनी असहमती दी है। अत: तालिका में Chi^2 का मान 22.366 रहा जिसके आधार पर शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षकों के अभिमत

में 0.01 स्तर पर सार्थक अन्तर पाया गया।

तालिका संख्या 0.2 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

तालिका 0.2 में बाँसवाड़ा जिले के उत्तरदाताओं से शाला प्रधान को शैक्षिक पर्यवेक्षण की प्रक्रिया में शिक्षकों का सहयोग नहीं मिलने पर प्रश्न किया गया जिसके जवाब में पाया गया कि शहरी क्षेत्र के 21.05 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र के 38.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने हाँ में जवाब दिया है एवं शहरी क्षेत्र के 73.68 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र के 53.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने नहीं में जवाब दिया है। अत: तालिका में Chi^2 का मान 1.691 रहा जिसके आधार पर शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षकों के अभिमत में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया था।

तालिका संख्या 0.3 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

तालिका 0.3 में बाँसवाड़ा जिले के उत्तरदाताओं से भौगोलिक स्थिति के कारण जनजाति क्षेत्र में पर्यवेक्षण के सुचारू रूप से नहीं होने पर प्रश्न किया गया जिसके जवाब में पाया गया कि शहरी क्षेत्र के 31.58 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र के 34.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने हाँ में जवाब दिया है। अत: प्राप्त तथ्यों के अनुसार Chi^2 का मान 0.565 रहा इसके अनुसार शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षकों के अभिमत में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।

तालिका संख्या 0.4 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

तालिका 0.4 में बाँसवाड़ा जिले के उत्तरदाताओं से संस्था प्रधान पर अतिरिक्त विभागीय जिम्मेदारियों के कारण पर्यवेक्षण प्रक्रिया बाधित होने पर प्रश्न किया गया जिसके जवाब में पाया गया कि शहरी क्षेत्र के 73.68 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र के 66.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने हाँ में जवाब दिया है। अत: तालिका में Chi^2 का मान 0.097 रहा एवं शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षकों के अभिमत के कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।

तालिका संख्या 0.5 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

तालिका 0.5 में बाँसवाड़ा जिले के उत्तरदाताओं से विद्यालय में पर्यवेक्षण अधिकारियों से संबंधित असहजता बने रहने पर प्रश्न किया गया जिसके जवाब में पाया गया कि शहरी क्षेत्र के 36.84 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र के 42.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने हाँ में जवाब दिया है। अत: प्राप्त तथ्यों के अनुसार तालिका में Chi^2 का मान 1.148 रहा इसके अनुसार शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षकों के अभिमत में कोई अन्तर नहीं पाया गया।

निष्कर्ष :

1. शहरी क्षेत्र के 26.32 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र के 64.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने शैक्षिक पर्यवेक्षण को जनजाति समूह के विद्यार्थियों के विकास में सहायक नहीं माना है।
2. शहरी क्षेत्र के 73.68 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र के 53.33 प्रतिशत उत्तरदाता मानते है कि शाला प्रधान को शैक्षिक पर्यवेक्षण की प्रक्रिया में शिक्षकों का सहयोग नहीं मिलता।
3. शहरी क्षेत्र के 31.58 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र के 34.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार भौगोलिक स्थिति के कारण जनजाति क्षेत्र में पर्यवेक्षण के सुचारू रूप से नहीं हो पाता है।
4. शहरी क्षेत्र के 73.68 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र के 66.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार संस्था प्रधान पर अतिरिक्त विभागीय जिम्मेदारियों के कारण पर्यवेक्षण प्रक्रिया बाधित होती है।
5. शहरी क्षेत्र के 36.84 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र के 42.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार विद्यालय में पर्यवेक्षण अधिकारियों से संबंधित असहजता बनी रहती है जिससे पर्यवेक्षण प्रक्रिया बाधित होती है।

सुझाव:

1. पर्यवेक्षण कार्य समन्वित एवं सुनियोजित तरीके से विकास के लिए समग्र नीतियों का समन्वयन द्वारा किया जावें।
2. नयी-नयी योजनाओं और आवश्यक नियमों का नियोजन होना चाहिए एवं परिवर्तन द्वारा नए नियमों का निर्माण एवं नवाचार को बढ़ावा दिया जाए।
3. शिक्षकों को गैर शैक्षिक गतिविधि में नहीं लगाना चाहिए एवं विद्यार्थी को भयमुक्त रखने का प्रयास करते हुए वातावरण मित्रतावत एवं उचित सहयोग देने वाला होना चाहिए।
4. पर्यवेक्षणकर्त्ता सम्बलन प्रदाता के रूप में हो एवं समय-समय पर पर्यवेक्षण कर सही समाधान करने वाला होना चाहिए।
5. पर्यवेक्षण के सुझाव लिखित रूप में देने चाहिए एवं छात्रों द्वारा बोली जाने वाली स्थानीय बोली में चर्चा का आयोजन किया जाए। पर्यवेक्षणकर्त्ता सहज रूप से चर्चा करे।
6. विद्यालय में पर्यवेक्षण औपचारिक मात्र नहीं होना चाहिए। पर्यवेक्षण के दौरान जो कमियाँ है उन्हें दूर करने हेतु कार्य योजना बनाकर दुबारा देखना चाहिए।
7. सुधारात्मक कार्यों पर बल, भौतिक, शैक्षिक व मानवीय संसाधनों की कमी को पूरा करने का प्रयास किया जाए।
8. जनजाति क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए समय-समय पर निर्देशन एवं प्रशिक्षकों द्वारा सेमिनार का आयोजन किया जाए तथा विद्यालय में खेलकूद की गतिविधियों के नियमित संचालन एवं सहभागिता को बढ़ावा दिया जाय।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. McFee, J. (2017). City Maps Banswara India. (n.p.): CreateSpace Independent Publishing Platform.
2. Rajasthan District G.K.: English Medium. (n.d.). (n.p.): Atharv Publication.
3. प्रो. एल. के. ओड़, (2014) 'शैक्षिक प्रशासन', राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी।
4. सुरेन्द्र कुमार साहरण ,(2008) 'शैक्षिक पर्यवेक्षण का स्वरूप एवं प्रासंगिकता', शिविरा पत्रिका।

तालिका संख्या 0.1 : शैक्षिक पर्यवेक्षण और विद्यार्थियों का विकास

अभिमत	शहरीN=19	प्रतिशत	ग्रामीणN=75	प्रतिशत	कुलN=94	कुल प्रतिशत	$Chi^2Sq.$	Sig.
हाँ	5	26.32	48	64.00	53	56.38	22.366	0.01
नहीं	7	36.84	25	33.33	32	34.04		
अनिश्चित	7	36.84	2	2.67	9	9.57		
कुल योग	19	100.00	75	100.00	94	100.00		

तालिका संख्या 0.2 : शाला प्रधान को शिक्षकों का सहयोग नहीं मिलता है

अभिमत	शहरीN=19	प्रतिशत	ग्रामीणN=75	प्रतिशत	कुलN=94	कुल प्रतिशत	$Chi^2Sq.$	Sig.
हाँ	4	21.05%	29	38.67%	33	35.11%	1.691	असार्थक
नहीं	14	73.68%	40	53.33%	54	57.45%		
अनिश्चित	1	5.26%	6	8.00%	7	7.45%		
कुल योग	19	100.00%	75	100.00%	94	100.00%		

तालिका संख्या 0.3 : भौगोलिक स्थिति और पर्यवेक्षण

अभिमत	शहरीN=19	प्रतिशत	ग्रामीणN=75	प्रतिशत	कुलN=94	कुल प्रतिशत	$Chi^2Sq.$	Sig.
हाँ	6	31.58	26	34.67	32	34.04	0.565	असार्थक
नहीं	11	57.89	37	49.33	48	51.06		
अनिश्चित	2	10.53	12	16.00	14	14.89		
कुल योग	19	100.00	75	100.00	94	100.00		

तालिका संख्या 0.4 : संस्था प्रधान एवं अतिरिक्त जिम्मेदारियाँ

अभिमत	शहरीN=19	प्रतिशत	ग्रामीणN=75	प्रतिशत	कुलN=94	कुल प्रतिशत	$Chi^2Sq.$	Sig.
हाँ	14	73.68	50	66.67	64	68.09	0.097	असार्थक
नहीं	5	26.32	25	33.33	30	31.91		
अनिश्चित	0	0.00	0	0.00	0	0.00		

तालिका संख्या 0.5 : पर्यवेक्षण अधिकारियों से सम्बन्धित असहजता

अभिमत	शहरीN=19	प्रतिशत	ग्रामीणN=75	प्रतिशत	कुलN=94	कुल प्रतिशत	$Chi^2Sq.$	Sig.
हाँ	7	36.84%	32	42.67%	39	41.49%	1.148	असार्थक
नहीं	12	63.16%	40	53.33%	52	55.32%		
अनिश्चित	0	0.00%	3	4.00%	3	3.19%		
कुल योग	19	100.00%	75	100.00%	94	100.00%		

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि के बदलते स्वरूप का प्रभाव : कटनी जिले का भौगोलिकअध्ययन

डॉ. मोहन निमोले* दशरथ प्रसाद**

* सहायक प्राध्यापक (भूगोल) प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, शास. माधव महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी (भूगोल) प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, शास. माधव महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने और छोटे किसानों की आजीविका में सुधार के लिए कृषि विविधीकरण एक प्रमुख रणनीति के रूप में उभरा है। कृषि योग्य भूमि सीमित है, ऐसी दशा में दूर–दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में विपुल उत्पादन हेतु कृषि भी आधुनिक उन्नत तकनीकी का प्रयोग का संयोजन देखने को मिलता है। वर्तमान में आधुनिक तकनीकी के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि के बदलते स्वरूप के प्रभावों का अध्ययन।

शब्द कुंजी –मोनो–क्रॉपिंग, स्थानांतरित, प्रौद्योगिकी, नवाचार।

प्रस्तावना – विकासशील देशों में सतत् ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने और छोटे किसानों की आजीविका में सुधार के लिए कृषि विविधीकरण एक प्रमुख रणनीति के रूप में उभरा है। पारंपरिक मोनो–क्रॉपिंग प्रणालियों से अधिक विविध कृषि पद्धतियों में स्थानांतरित होकर, किसान अपनी आय और खाद्य सुरक्षा में वृद्धि करते हुए आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक झटकों के प्रति अपनी लचीलापन बढ़ा सकते हैं। इस शोध पत्र का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर कृषि के विविध रूपों के प्रभाव का पता लगाना है, जिसमें उन भौगोलिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो विविधीकरण रणनीतियों को अपनाने और उनकी सफलता को प्रभावित करते हैं। वर्तमान समय में बढती हुई जनसंख्या का प्रभाव कृषि उत्पादन पर भी पड़ा है फलस्वरूप कृषि से जो उत्पादन होता है, वह सभी के लिए पर्याप्त नहीं होता है। कृषि योग्य भूमि सीमित है, ऐसी दशा में दूर–दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में विपुल उत्पादन हेतु कृषि भी आधुनिक उन्नत तकनीकी का प्रयोग का संयोजन देखने को मिलता है। वर्तमान में आधुनिक तकनीकी के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि के बदलते स्वरूप के प्रभावों का अध्ययन प्रस्तुत शोध पत्र में किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य : अध्ययन के उद्देश्य निम्नानुसार है:

1. ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि के बदलते स्वरूप का प्रभाव।
2. ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि के बदलते स्वरूप का आर्थिक विकास में योगदान।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के क्षेत्र में रोजगार के अवसर तैयार करना।
4. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि की क्षेत्र प्रौद्योगिकी नवाचार तैयार करना।

अध्ययन क्षेत्र: भारत के हृदय प्रदेश में उत्तर पूर्व में स्थित कटनी जिला, जबलपुर जिले की एक तहसील मुडवारा को 1998 में अलग कर कटनी जिले को बनाया गया। कटनी जिले का दूसरा नाम **'मार्बल नगरी'** के नाम से जाना जाता है। कटनी जिले की भौगोलिक स्थिति का विस्तार 23°37' से 24°28' उत्तरी अक्षांश तथा 79°57' से 80°58' पूर्वी देशांतर, कटनी जिले से कर्क रेखा हो कर गुजरती है, जिले का कुल क्षेत्रफल 4949.59 वर्ग किलोमीटर है। जबलपुर संभाग में स्थिति विंध्य पहाडियाँ से लगा हुआ है। समुद्र तल से 392 मीटर, जिले में 7 तहसीलें मुडवारा, विजयराघवगढ़, बहोरीबन्द, ढ़ीमरखेड़ा, रीठी, बडवारा और बरही हैं।

शोध विधि : प्रस्तुत शोध अध्ययन प्राथमिक संमकों पर आधारित है, अत: प्राथमिक संमकों का संकलन ग्रामीण कृषकों से अनुसूची, प्रत्यक्ष चर्चा एवं अवलोकन के माध्यम से किया गया है। इस हेतु निदर्शन पद्धति से कटनी जिले के 50–50 कृषकों का चयन कर समंकों का संकलन कर विश्लेषणात्मक पद्धति से उद्देश्यों को पूर्ण करने का प्रयास किया गया है।

विश्लेषण : कटनी क्षेत्र में उत्पादित मुख्य फसलों की स्थिति–कटनी जिले में प्रमुख फसलों के रूप में इन फसलों को उगाया जाता है ग्रामीण जीवन में लोगों के पास कृषि कार्य करना एवं पशुपालन से अपना जीवनयापनकरतेहैं वर्ष 2019–20 में कृषि उत्पादन सुधार हुआ है इसका गेहूं 674837 उत्पादन (मेट्रिक टन) धान 789575 उत्पादन (मेट्रिक टन) का उत्पादन प्राप्त हुआ है।

तालिका क्रमांक 1: कटनी जिला (अंतिम अनुमान) हेतु क्षेत्राच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता ख वर्ष 2019–20

क्र.	फसलें	क्षेत्राच्छादन (हेक्टर)	उत्पादन (मेट्रिक टन)	उत्पादकता (कि. ग्रा./हेक्टर में)
1	धान	175034	789575	4511
2	ज्वार	36	51	1417
3	बाजरा	2	1	500
4	तिल	6943	3930	566
5	कपास	16	17	1056
6	गेहू	194702	674837	3272
7	जौ	99	251	2059
8	चना	17877	39615	1685
9	मसूर	2382	2127	893
10	मटर	158	199	1259
11	गन्ना	91	315	3462

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

स्त्रोत : म.प्र. कृषि सांख्यिकी

कटनी जिले में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित नवाचार किए जा रहे हैं,

सिंचाई सुविधाएं : जिले में लगभग 36 प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, जो फसल उत्पादन को बढ़ाने में सहायक है।

कृषि विपणन सुधार : मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने कृषकों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए समय-समय पर कृषि विपणन प्रणाली में सुधार किए हैं। कृषि विपणन बोर्ड और कृषि उपज मंडी समितियों द्वारा किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट : मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के नवाचारों को नेतृत्व प्रदान किया है। इन कदमों के साथ, कृषि विपणन बोर्ड किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

ग्रामीण में कृषि जलवायु अनुकूल वर्षा आधारित कृषि रणनीति: ग्रामीण में कृषि जलवायु अनुकूल वर्षा आधारित कृषि रणनीति में विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है, जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं।

प्रमुख रणनीतियाँ :

फसल विविधता : फसल विविधता न केवल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है, बल्कि मिट्टी की उर्वरता में सुधार और कीटों को नियंत्रित करने में भी मदद करती है।

संरक्षण कृषि : यह मिट्टी की संरचना को बेहतर बनाता है और जल संरक्षण में सहायक होता है, जिससे जलवायु के चरम प्रभावों के प्रति सहनशीलता बढ़ती है।

जल संसाधन प्रबंधन : सिंचाई अवसंरचना को उन्नत करना और ड्रिप सिंचाई जैसी तकनीकों का उपयोग करना आवश्यक है, खासकर सूखा प्रभावित क्षेत्रों में।

एकीकृत कृषि पारिस्थितिकी तंत्र : यह दृष्टिकोण कृषि उत्पादकता और आय को बढ़ाने के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलता को भी बढ़ाता है।

नीतिगत समर्थन : प्रभावी नीतियों और शासन व्यवस्था का होना आवश्यक है, जिसमें जलवायु स्मार्ट पद्धतियों को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी और इन्सेंटिव शामिल हैं.इन रणनीतियों के माध्यम से, वर्षा आधारित कृषि को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अधिक लचीला और टिकाऊ बनायाजासकताहै।[3]

कृषि कार्य खेतिहर मजदूर : ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि ही एक आय का स्रोत है जिसमें अपने मावन को अपनी ही पीढ़ी दर पीढ़ी कृषि कार्य कर रहे हैं, अपने परिवार का अर्थव्यवस्था विकास हेतु कृषि एवं पशुपालन का उपयोग करते है जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कृषि क्षेत्र में देखने को मिला है इन करण से पता लगाया जा सकता है की जलवायु का प्रभाव कृषि क्षेत्रो में प्रभाव डलती है. वर्षा की अनियमित, प्रदूषण, तापमान में वृद्धि औसत दर, आदि करण से जलवायु प्रभाव को देखा जाता है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए खेतिहर मजदूर अर्थव्यवस्था स्तर सुधार के कृषि का ही अधिकांस सहयोग लेते है

तालिका क्रमांक 2

कटनी जिला: की तहसील वार खेतिहर मजदूर (2011)

क्र.	तहसील	पुरूष	महिला	योग
1	रीठी	6197	3391	9588
2	मुडवारा	3590	1812	5402
3	बडवारा	99887	5243	15230
4	विजयराघवगढ	8012	4197	12209
5	बहोरीबन्द	11049	6271	17320
6	ढिमरखेडा	14289	8414	22703
	कटनी खेतिहर मजदूर	**54168**	**29745**	**83913**
	जनसंख्या कटनी	631207	660835	1292042

स्त्रोत: कटनी जिले की जनगणना 2011

कृषि विविधीकरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक: कृषि विविधीकरण रणनीतियों की सफलता भौगोलिक संदर्भ से काफी प्रभावित होती है, जिसमें जलवायु, मिट्टी, स्थलाकृति और बुनियादी ढांचे जैसे कारक शामिल हैं। स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप प्रभावी विविधीकरण कार्यक्रमों को डिजाइन और कार्यान्वित करने के लिए इन भौगोलिक कारकों को समझना महत्वपूर्ण है।

कृषि विविधीकरण का महत्व : कृषि विविधीकरण में कृषि प्रणाली में नई फसलों, पशुधन, या गैर-कृषि गतिविधियों की शुरूआत शामिल है। इसमें शामिल हो सकते हैं: विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती करना पशुधन उत्पादन को एकीकृत करना प्रसंस्करण, विपणन, या पर्यटन जैसी गैर-कृषि आय-सृजन गतिविधियों में संलग्न होना कृषि विविधीकरण के लाभ असंख्य और अच्छी तरह से प्रलेखित हैं। बेहतर खाद्य सुरक्षा और पोषण प्रतिषत एक विविध कृषि प्रणाली खाद्य पदार्थों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है, जिससे अधिक संतुलित आहार और आवश्यक पोषक तत्वों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित होती है। बढ़ी हुई आय स्थिरता प्रतिशत एक ही फसल या गतिविधि पर निर्भरता को कम करके, विविधीकरण मूल्य में उतार-चढ़ाव, फसल की विफलता या बाजार के झटके से जुड़े जोखिमों को कम करने में मदद करता है। जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन में वृद्धि प्रतिशत विविध कृषि प्रणालियाँ चरम मौसम की घटनाओं, कीटों और बीमारियों के प्रभावों को बेहतर ढंग से झेलने में सक्षम हैं, जिनके जलवायु परिवर्तन के कारण तीव्र होने की आशंका है। प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग: कृषि वानिकी और एकीकृत कीट प्रबंधन जैसी विविध कृषि पद्धतियाँ, मिट्टी की उर्वरता, जल संसाधनों और जैव विविधता के संरक्षण में मदद कर सकती हैं। बढ़ी हुई लैंगिक समानता प्रतिशत महिलाएं अक्सर विविध कृषि प्रणालियों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, खासकर सब्जियों, फलों और छोटे पशुधन के उत्पादन में। विविधीकरण महिलाओं को सशक्त बना सकता है और संसाधनों और निर्णय लेने की शक्ति तक उनकी पहुंच में सुधार कर सकता है।

निष्कर्ष: प्रस्तुत शोध अध्ययन में प्राप्त के विश्लेषण के पश्चात् प्राप्त निष्कर्षों से ज्ञात हुआ कि यद्यपि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि का स्वरूप परम्परागत से आधुनिक होता जा रहा है। ग्रामीण कृषक तेजी से आधुनिक उपकरणों का प्रयोग कर नवीन तकनीकी के प्रयोग की ओर अग्रसर हो रहे हैं किन्तु दूसरी ओर कृषकों की अशिक्षा एवं प्रशिक्षण के अभाव के कारण आधुनिक तकनीक के प्रयोग में कठिनाई आती है। अत: इस ओर ध्यान देना आवश्यक है ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि का बदलता स्वरूप देश में नई कांति लाने में सक्षम होगा। कृषि विविधीकरण में छोटे किसानों की आजीविका में सुधार

लाने और सतत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने की महत्वपूर्ण क्षमता है। पारंपरिक मोनो–क्रॉपिंग प्रणालियों से अधिक विविध कृषि पद्धतियों में स्थानांतरित होकर, किसान अपनी आय और खाद्य सुरक्षा में वृद्धि करते हुए आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक झटकों के प्रति अपनी लचीलापन बढ़ा सकते हैं। हालाँकि, विविधीकरण रणनीतियों की सफलता जलवायु, मिट्टी की उर्वरता, स्थलाकृति और बुनियादी ढांचे जैसे भौगोलिक कारकों से काफी प्रभावित होती है। विविध कृषि पद्धतियों को अपनाने का समर्थन करने के लिए, नीति निर्माताओं को बुनियादी ढांचे के विकास, सुरक्षित भूमि स्वामित्व और जल अधिकारों में निवेश करना चाहिए, ऋण और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच में सुधार करना चाहिए, विस्तार सेवाओं को मजबूत करना चाहिए और पारंपरिक और वैज्ञानिक ज्ञान के एकीकरण को बढ़ावा देना चाहिए। कृषि विविधीकरण की चुनौतियों और बाधाओं को संबोधित करके, सरकारें और विकास संगठन अधिक टिकाऊ और न्यायसंगत ग्रामीण अर्थव्यवस्था बनाने में मदद कर सकते हैं जो सभी के लिए अवसर प्रदान करती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,मध्यप्रदेश
2. कटनी जिले जनगणना पुस्तक 2011
3. 20 फरवरी, 2024 PRS Legislative Research, Institute for Policy Research Studies 3rd Floor, Gandharva Mahavidyalaya ,212, Deen Dayal Upadhyaya Marg, New Delhi – 110002 Tel: (011) 23234801, 43434035, www. prsindia.org

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

भारतीय राजनीति में स्त्रियों की स्थिति

डॉ. डी.के.वर्मा *

* एसोसिएट प्रोफेसर (राजनीति विज्ञान) एस.बी.एन. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – विश्व भर में स्त्रियों की स्थिति सुधारने के लिए किये गये आन्दोलनों में शिक्षा को समाज में स्त्रियों की दलित स्थिति को बदलने के लिए सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण साधन माना गया है। 19वीं शताब्दी के भारतीय समाज सुधारक भी ऐसा ही मानते थे। परन्तु उनका ध्येय शिक्षा का उपयोग स्त्रियों को उनके पत्नी और माता के परम्परागत कर्तव्यों का पालन करने में अपेक्षाकृत अधिक योग्य बनाना था, न कि उन्हें सामाजिक आर्थिक अथवा राजनीतिक विकास की प्रक्रिया में अधिक दक्ष और सक्रिय सदस्य बनाना। उपनिवेशी सत्ताधारियों ने स्त्रियों के लिए शिक्षा विषयक इस सीमित दृष्टिकोण का सामान्यत: समर्थन किया। 20वीं शताब्दी में स्वतन्त्रता प्राप्ति और संविधान द्वारा प्रदत्ता समानता के अधिकारों ने राजनीति अर्थव्यवस्था और समाज में बहुविध भूमिका निभाने के लिए महिलाओं का आह्वान करके उनकी स्थिति सुधारने के लिए नये-नये आयाम प्रस्तुत किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी एक ऐसे उपकरण के रूप में शिक्षा की भूमिका पर बल दिया, जो नई समाज व्यवस्था का निर्माण करने के लिए स्त्रियों को सक्षम बना सके। इसके बावजूद भी भारत में स्त्रियों की शिक्षा के प्रति जो विचारधाराएँ अपनाई गईं, उनमें एक ओर पारम्परिक सीमित दृष्टि और दूसरी ओर इस उदार नवीन संकल्पना के बीच स्पष्ट रूप से वैध वृत्ति प्रकट होती है। जिसने समाज के मूल्यों के विकास को प्रभावित किया है।

यह सच है कि पूर्व स्वातन्त्र्य काल से स्त्री शिक्षा की प्रगति की तुलना में स्वातन्त्र्योत्तर काल में स्त्री शिक्षा का असाधारण विकास हुआ है। 1973-74 तक आते-आते विभिन्न स्तरों पर नामांकित लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की तुलना में उनका अनुपात आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गया।[1] लेकिन इसके साथ ही स्त्री शिक्षा विषयक राष्ट्रीय समिति द्वारा लिये गये सर्वेक्षण के आंकड़े विपरीत स्थिति का अर्थात् स्त्री शिक्षा की दिशा में ह्रास का संकेत भी करते हैं।[2] व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में स्वतन्त्रता से पूर्व की तुलना में स्त्रियों की सफलता उल्लेखनीय मानी जा सकती है। हालांकि आज भी इसका प्रतिनिधित्व बहुत कम है। इसी प्रकार अनुसंधान के क्षेत्र में स्त्रियों का प्रवेश मुख्य रूप से स्वतन्त्रता के बाद का विकास है। विभिन्न परीक्षाओं में लड़कों की तुलना में लड़कियों ने अपार सफलता प्राप्त कर इस पूर्व धारणा को ध्वस्त कर दिया है कि उनमें अभिरूचि और प्रतिभा कम होती है। स्त्री शिक्षा का मुद्दा नारी का सबसे प्रधान मुद्दा रहा। 1917-20 के बीच स्त्री-दर्पण में इस पर कई लेख निकले। बदलते हुए सामाजिक-सांस्कृतिक सन्दर्भ में शिक्षित पुरूष और अशिक्षित स्त्री के बीच की खाई ने सामाजिक और पारिवारिक ढाँचे में संकट पैदा कर दिया था। राष्ट्रीय आन्दोलन ने भी स्त्री शिक्षा का सवाल खड़ा कर दिया। स्त्रियों ने अपने ऊपर होने वाले अत्याचार और अपमान का एक बड़ा कारण स्त्री-शिक्षा की कमी को माना। स्त्री-शिक्षा के लिए उन्होंने बाल विवाह और पर्दे की प्रथा का विरोध किया क्योंकि ये दोनों प्रथाएँ स्त्री-शिक्षा की राह में रूकावट थीं। उस समय के स्त्री आन्दोलन ने इस तथ्य को समझा और उसने स्त्री-शिक्षा के सवाल को स्त्री-मुक्ति के सवाल के साथ जोड़ दिया। स्त्री-शिक्षा उस वक्त सिर्फ एक बहस ही नहीं एक सामाजिक आन्दोलन भी था। पिछली शताब्दी के अन्त में ही स्त्री-संगठनों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे। प्रथम विश्वयुद्ध के दौर में ऐनी बेसेन्ट ने बनारस में लड़कियों का प्रसिद्ध स्कूल खोला जो आज बसन्त कन्या महाविद्यालय है।

लड़कियों की शिक्षा के प्रति सामाजिक रवैया स्वीकृति से लेकर निपट उदासीनता तक तरह-तरह का है। शहरी क्षेत्रों के मध्य वर्ग में लड़कियों की शिक्षा के प्रति स्वीकृति सबसे अधिक है। समृद्ध परिवारों में एक छोटा वर्ग परम्परिक कारणों से आज भी इसका विरोध करता है, किन्तु अन्य वर्ग इसे एक उपलब्धि और आधुनिकीकरण का प्रतीत मानते हैं। निम्न-मध्यम वर्ग में अधिकाधिक लोग आर्थिक आवश्यकताओं के कारण लड़कियों की शिक्षा के लिए पर्याप्त त्याग करने के लिए तैयार हैं। किन्तु एक बहुत बड़ा वर्ग अब भी आर्थिक तथा सामाजिक कठिनाईयों के कारण ऐसा करने में अपने को असमर्थ पाता है। लड़कियों की शिक्षा के लिए सबसे प्रबल सामाजिक समर्थन विवाह के बाजार में इसकी बढ़ती माँग से मिला है। सर्वेक्षण के अनुसार 64.25 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि शिक्षा से लड़कियों के विवाह में बेहतर घर बर मिलने में सहायता मिली है। तथापि विवाह की सम्भावनाओं और शिक्षा के बीच यह सम्बन्ध विभिन्न दिशाओं में काम करता है और कई अन्तर्विरोधात्मक स्थितियाँ यहाँ भी हैं, जैसे लड़कियों की शिक्षा दहेज की माँग को और भी बढ़ाने में योग देती है।[3] स्त्री-पुरूष की समानता के लिये नये मूल्यों को स्थापित करने के लिए योजनाबद्ध सुविचारित शैक्षिक प्रणाली के लिए सतत् प्रयत्न करना ही होगा।

सामाजिक दृष्टि से नारी की मुक्ति का एक सबसे अधिक उल्लेखनीय परिवर्तन रहा है- गृहस्थी के संकुचित घरौंदे से बाहर निकलकर उसका बाहरी दुनियाँ की गतिविधियों के क्षेत्र में आना। भारत में स्त्री की आर्थिक सहभागिता पहले भी थी। परम्परागत ग्राम्य अर्थव्यवस्था में महिलाओं ने उत्पादन और विपणन दोनों में स्पष्ट और सर्वस्वीकृत भूमिकाओं का निर्वाह किया था, और आज भी जहाँ-जहाँ अर्थव्यवस्था के परम्परागत रूप प्रचलित

हैं, वहाँ-वहाँ कर रही है। स्वतन्त्रता के बाद बदली हुई सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों से मध्यम वर्ग की स्त्रियों के लिए आवश्यक हो गया है कि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने। उच्च वर्ग की स्त्रियाँ स्वेच्छया काम करना चाहती हैं। परिणामस्वरूप मध्यम तथा उच्च वर्ग की स्त्रियों ने ऐसे कई व्यवसायों में प्रवेश किया है, जिनपर अब तक पुरूषों का एकाधिकार था। स्वातन्त्र्योत्तर काल में परम्परागत सेवाओं और व्यवसायों में स्त्रियों के उभरने के लिए जो प्रत्यक्ष कारण उत्तरदायी हैं, वे निम्नलिखित हैं-

1. रोजगार के मामलों में भेदभाव न बरतने और अवसर की समानता का संवैधानिक आश्वासन।
2. स्त्री-शिक्षा का विकास और इसके फलस्वरूप शिक्षा तथा रोजगार के उन क्षेत्रों में उनका प्रवेश जिनमें अब तक पुरूषों का एकाधिकार था।
3. बढ़ते आर्थिक दबाव के कारण शहरी मध्यवर्ग के बीच स्त्रियों में सवेतन रोजगार से संबंधित सामाजिक मूल्यों में क्रमिक परिवर्तन।
4. स्वातन्त्र्योत्तर काल में विकास के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में तृतीयक क्षेत्र का विस्तार।[4]

इस दिशा में तस्वीर का दूसरा रूख चिंताजनक है जो इसी सरकारी समिति की सर्वेक्षण रिपोर्ट बताती है। ग्राम्य और कुटीर उद्योगों के ह्रास और तद्जनित वैकल्पिक रोजगारों और कौशल की समाप्ति के परिणामस्वरूप एक प्रकार की व्यवसायिक रोजगार गतिहीनता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। यह स्त्रियों के लिए एक निर्योग्यता है। इसके परिणामस्वरूप खेती के कार्य से स्त्रियों का क्रमिक विस्थापन हो रहा है, और उनके क्रियाकलाप सीमित होते जा रहे हैं।[5] स्त्रियों की आर्थिक भूमिकाओं और आर्थिक क्रियाकलापों में उनकी सहभागिता के अवसरों का कोई भी मूल्यांकन समाज के विकास की अवस्था परिवार तथा उससे अपेक्षाकृत बड़ी इकाई समाज में स्त्रियों की भूमिका के प्रति सामाजिक-सांस्कृतिक दृष्टिकोणों और उनकी स्थिति के आधारभूत घटकों से सम्बद्ध सामाजिक विचारधारा को ध्यान में रखे बिना नहीं किया जा सकता।

मतदान और अन्य तमाम नागरिक अधिकारों के बावजूद आर्थिक स्वतन्त्रता के अभाव में स्त्री की स्वतन्त्रता सिर्फ अमूर्त और सैद्धान्तिक रह जाती है। पुरूष और अपनी आर्थिक निर्भरता की स्थिति में स्त्री अपनी किसी भी भूमिका में स्वावलम्बी नहीं हो पाती। अर्थ ही व्यक्ति को वह अधिकार देता है जिसके द्वारा वह अपनी परियोजनाएँ पूरी कर सके। अनेक स्त्रियाँ चाहे वे बहुत साधारण व्यवस्था में क्यों न हों, आर्थिक अधिकारों से मिलने वाली सुविधाओं का महत्व जानतीं हैं। यह बात पूरे विश्व की किसी भी स्त्री पर लागू होती है। भारतीय स्त्री ने इस दृष्टि से अपनी स्थिति को समझना शुरू कर दिया है। निम्नवर्ग की स्त्रियों का स्वयं कमाई करना तो कोई नई बात नहीं है लेकिन उच्च वर्ग की महिलाएँ भी धीरे-धीरे यह महसूस करने लगी हैं कि इंसान के रूप में उनका भी एक निजी व्यक्तित्व है तथा उनके जीवन का लक्ष्य एकमात्र अच्छी पत्नियाँ और समझदार माताएँ बन जाने से पूरा नहीं हो जाता, बल्कि वे यह भी मानने लगी हैं कि वे सब भी नागरिक समुदाय और संगठित समाज की सदस्याएँ हैं। इतनी संख्या में विवाहित मध्यवर्गीय हिन्दू महिलाओं का बिना विरोध के नौकरी कर सकने का मुख्य कारण है कि आज मध्य वर्ग की आर्थिक समस्या को सभी समझने लगे हैं और यह भी कि परिवार के रहन-सहन का स्तर बनाये रहने के लिए पत्नी की कमाई बहुधा अनिवार्य हो जाती है। परिवार को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण पहलू स्त्रियों का नौकरी करना है जो शिक्षा द्वारा तथा आज के आर्थिक दबावों के कारण संभव हो सका है। परिवार के पुरुष सदस्यों का स्त्रियों की नौकरी के के सम्बन्ध में दृष्टिकोण भी परिवर्तित हुआ है। अधिकांश परिवार स्त्री के व्यावसायिक जीवन में प्रवेश के समर्थक हैं। इसके द्वारा न केवल परिवार का स्तर उन्मतशील हुआ बल्कि स्त्रियों की परिवार में स्थिति भी परिवर्तित हुई है।

राजनीति में स्त्रियों की तीव्रता से घुसपैठ खासकर 1919 के बाद भारतीय इतिहास की अत्यन्त आश्चर्यजनक घटना है। महात्मा गांधी और कांग्रेस राष्ट्रीय हित के प्रयास के लिए उनका आह्वान कर रहे थे। जब 1936 में कांग्रेस की सरकार बनी तो कुछ औरतें ने मन्त्री, अवर सचिव और प्रान्तीय विधायिका सभाओं के उपाध्यक्ष के रूप में काम किया। भारतीय औरतें स्थानीय बोर्डों और म्युनिस्पाल्टी की सदस्या भी हुई। इस तरह भारतीय महिलाओं में जागरण की एक नयी लहर आयी। स्त्रियों की राजनीतिक स्थिति इस बात से जानी जा सकती है कि सत्ता के स्वरूप निर्धारण और इसमें भाग लेने के मामले में उन्हें कितनी समानता और आजादी प्राप्त है और इस सन्दर्भ में उनके योग को समाज कितना महत्व देता है। भारतीय संविधान में स्त्रियों की राजनीतिक समता को मान्यता दिया जाना न केवल परम्परागत भारतीय समाज से विरासत में प्राप्त प्रतिमानों की तुलना में एक बिल्कुल नया कदम था, अपितु उस समय के सर्वाधिक उन्नत देशों के राजनीतिक आदर्शों से भी बढ़कर था स्त्रियों की राजनीतिक समता की प्रगति में जिन दो प्रमुख शक्तियों ने उत्प्रेरकों का कार्य किया, वे थीं राष्ट्रीय आन्दोलन और महात्मा गाँधी का नेतृत्व।

विश्व के अनेक देशों में स्त्रियों को अपनी राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ा है। फ्रांसीसी महिलाओं को अन्त में 1945 में मतदान का अधिकार मिल गया। अंग्रेज स्त्रियों को काफी संघर्ष के बाद यह अधिकार 1928 में मिला क्योंकि उन्होंने प्रथम महायुद्ध में काफी सहयोग दिया था। अमेरिका में स्त्रियों को वोट का अधिकार 1933 में मिला, लेकिन इतालवी फासिस्ट सरकार ने चर्च की सहायता से औरत को हमेशा दमित रखा। औरत वहाँ दोहरे बंधन में थीं, सरकारी प्रतिबन्ध तथा पारिवारिक बन्धन। सोवियत रूस में नारी मुक्ति आन्दोलन काफी जोरों से बढ़ा-महान नेता लेनिन ने स्त्री और मजदूर वर्ग दोनों की मुक्ति का आसन किया, दोनों को एक बताया। 1936 के सोवियत संविधान की धारा 122 लिखती है। 'सोवियत रूस में स्त्री को आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक और सार्वजनिक सारे अधिकार पुरुष के बराबर प्रदत्ता किये जा रहें हैं। अन्त में संयुक्त राष्ट्रसंघ ने 1945 तक आते-आते दुनिया के सारे स्त्रियों और पुरुषों के समान अधिकार का एलान किया। और अधिकतर देशों ने स्त्रियों को वोट का अधिकार राजनीतिक जीवन में देकर राजनीति में प्रवेशाधिकार दिया।'[6]

स्वतन्त्रता के बाद के वर्षों में स्त्री के इन अधिकारों के प्रभाव की जाँच करते समय तथा स्त्रियों की राजनीतिक स्थिति का निर्धारण करने के लिए तीन प्रमुख कसौटियाँ हैं- चुनावों में मतदाताओं और उम्मीदवारों की हैसियत से सहभागिता-चुनाव आँकड़े महिला मतदाताओं की संख्या में वृद्धि की सामान्य प्रवत्ति सूचित करते हैं। उनकी प्रतिशतता 1962 में 46.6 थी जो 1967 में बढ़कर 55.4 हो गई और 1971 में जबकि सभी मतदाताओं की संख्या में आमतौर पर कमी हुई थी उनकी प्रतिशतता 49.1 रही। उम्मीदवारी के मामले में स्त्रियों की संख्या कभी भी 6 प्रतिशत से अधिक नहीं रही। हालांकि समय-समय पर सत्ता के राजनीतिक दल सहित अन्य दल भी

राजनीति में स्त्रियों की सक्रिय भागीदारी के लिए उनका आसन करते रहते हैं।

1993 के आम चुनावों के पूर्व भी सभी राजनीतिक दलों को एकाएक महिलाओं को अपने चुनावी घोषणापत्र में प्राथमिकता की श्रेणी में दर्ज करने का स्मरण हो आया और सभी नेता अपनी चुनावी जनसभाओं में तरह-तरह से महिला मतदाताओं को अपनी ओर आकृष्ट करने के प्रयास में जुट गये। देश के कर्णधारों को चुनाव के पूर्व ही सबसे तीव्र ढंग से यह आभास होने लगता है। कि समस्त जनसंख्या की आधी आबादी महिलाएँ हैं और इस आये चोट बैंक को अपने हिस्से में करने के लिए तमाम वायदे किये जाते हैं। स्त्रियों की राजनीतिक सजगता के स्तर अलग-अलग प्रदेशों, वर्गों और समुदायों में अलग-अलग होते हैं। शिक्षा तथा राजनीतिक सजगता भी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अधिक अंतर्सम्बन्ध एवं सहभागिता को प्रदर्शित नहीं करती। कुल मिलाकर कामकाजी महिलाओं में जिनमें व्यवसायिक महिलाएँ भी शामिल हैं, राजनीति के प्रति सजगता तो अपेक्षाकृत अधिक दिखाई देती है, किन्तु इसका परावर्तन हमेशा सहभागिता में नहीं होता, अर्थात् वे राजनीति के प्रति सजग होते हुए भी उसमें अधिक सक्रिय रूप से भाग नहीं लेतीं। न ही उच्चतर सामाजिक, आर्थिक स्थिति और राजनीतिक सजगता के बीच कोई निश्चयात्मक सम्बन्ध है। समकालीन भारतीय राजनीति में स्त्रियों की स्थिति यद्यपि निराशाजनक तो नहीं है, लेकिन बहुत उत्साहवर्द्धक भी नहीं है। राजनीति में भाग लेने से स्त्रियों को रोकने वाले अनेक कारण हैं। जैसे चुनावों का बढ़ता हुआ खर्च, हिंसा की धमकियों अथवा डर और चरित्र हनन। इनमें से अंतिम दो कारण हाल ही में बढ़े हैं और उन्होंने स्त्रियों को प्रभावित किया है।

पिछले कुछ समय से साहित्य समीक्षकों एवं विद्वानों में साहित्य को उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि में देखने की अभिरूचि में बड़ी वृद्धि हुई है। साहित्यिक अध्ययन ने सदैव उस ओर प्रबल अभिरूचि व्यक्त की है, जिसे कभी-कभी 'ऐतिहासिक पृष्ठभूमि' अथवा 'बौद्धिक वातावरण' या अधिक सरलता पूर्वक 'संस्कृति' का नाम दिया जाता है। साहित्य संश्लिष्ट ढंग से समाज का अंग होता है। वह समाज का रूप निर्धारण आता है उससे स्वयं निर्धारित होता है। साहित्य जितना उत्कृष्ट होगा यह संश्लिष्टता उतनी ही अधिक होगी। मुक्तिबोध तो यहाँ तक कहते हैं कि जब तक हम समीक्ष्य साहित्य के मनोवैज्ञानिक सौन्दर्यान्वयन विवेचन का समाजशास्त्रीय विश्लेषण नहीं करते तब तक हम उसके अन्त:स्वरूप का, उसकी क्षमताओं तथा सीमाओं का पूरा विवेचन तथा मूल्य यापन भी नहीं कर सकते हैं।[7]

साहित्य फोटोग्राफ के अर्थ में जीवन की प्रतिष्ठवि नहीं होता और न ही रचनाकार अपने समाज का आइना मात्र होता है। वह अपनी समकालीन समाज व्यवस्था का विरोध भी कर सकता है, उसकी हिमायत या कटु आलोचना भी कर सकता है, पर उससे निर्लिप्त नहीं रह सकता। रचनाकार के साहित्य में सम्बन्धित सामाजिक एवं नैतिक संस्कृतियाँ अपनी संश्लिष्ट अर्न्तक्रियाओं में व्यक्त होती है। साहित्य में समाज जिस रूप को धारण करके भी आए लेकिन एक तथ्य निश्चित है। 'लेखक की भावदृष्टि से समन्वित जीवन अनुभव जो उसकी अनुभूति के माध्यम से कला के तत्व बन जाते हैं, अपनी प्रारम्भिक मूल अवस्था में जीवन तथ्य होने के कारण समाजशास्त्रीय तथा ऐतिहासिक विशेषताओं से युक्त होते हैं।'[8] इसलिए रिचर्ड हागर्ट बहस करते हैं। 'बिना श्रेष्ठ साहित्य के आस्वाद के वस्तुत: कोई भी समाज की प्रकृति को नहीं समझेगा। अमेरिकी समीक्षा एक चिर सम्मत उदाहरण बी. एल. पैरिंगटन की पुस्तक 'मैन करेन्ट्स इन अमेरिकन थाट' है, जिसमें साहित्य सम्बन्धी विचारों को, धार्मिक विचारों को और राजनीतिक विचारों के सम्बन्ध से देखने का प्रयत्न किया गया है। विचार और कला आर्थिक एवं सामाजिक तत्वों द्वारा निर्धारित होते हैं और उन निर्धारक तत्वों के विषय में लेखक की कुछ जागरूकता पैरिंगटन की दृष्टि में साहित्य की उत्कृष्टता के मापदण्डों में से एक है।'[9]

वैज्ञानिक दृष्टि से देखने पर हमारे सामने यह महत्वपूर्ण तथ्य उपस्थित होता है कि साहित्य की समाजशास्त्रीय ऐतिहासिक व्याख्या वस्तुत: उतनी बाहरी नहीं है जितनी समझी जाती है। वह बाहरी और भीतरी दोनों से युक्त और दोनों के परे है। कला के भीतरी रूप से पृथक (हम मात्र विश्लेषण की सुविधा के लिए यह पृथकता मान रहे हैं रूप और तथ्य कभी एक दूसरे से पृथक् नहीं रह सकते) तत्त्व की आलोचना समाजशास्त्रीय और ऐतिहासिक भी हो सकती है, भले ही हम समाजशास्त्र और ऐतिहासिक विकासशास्त्र की पारिभाषिक शब्दावली का उपयोग न करें (न यह हमेशा जरूरी होता है) किन्तु हमारी आलोचना को वास्तविकता पर आधारित होने के लिए समाज रचना के ऐतिहासिक विकास के स्तर आलोच्य वस्तु के समय प्रचलित भाव परम्परा लेखक वर्ग परिवार तथा व्यक्तिगत विकासावस्था, तत्कालीन सांस्कृतिक विकास आदि बातों के अध्ययन के साथ ही लेखक की उस समस्त स्थिति परिस्थिति से की गई प्रतिक्रिया का अध्ययन भी नितांत आवश्यक है। और इस अध्ययन के अंतिम गर्भितार्थ समाजशास्त्रीय और ऐतिहासिक ही हो सकते हैं।[10]

साहित्य सामाजिक अनुभवों को प्रकट करता है। आधुनिक कविता में यह रूप सांकेतिक संक्षिप्त और शब्दानुगत होता है। जैसे-जैसे समाज आगे बढ़ता है, उसकी समूची अवधारणाओं में विकास होता है, उसके सोचने के तरीके में भी विकास होता है और उसके निष्कर्षों के प्रभाव में भी। और इसी के साथ साहित्य भी उप प्रभावों को ग्रहण करता है। अनेक प्रमुख साहित्यकार अपने साहित्य के सन्दर्भ में इस तथ्य को स्वीकार करते हैं। गिरिजा कुमार माथुर अपनी कविताओं के लिए कहते है। उसके पीछे एक पूरा मनोसामाजिक भावात्मक संसार है जो जिस तेजी से बदला है उससे टकराने की प्रतिध्वनियाँ मेरी कविता में व्यक्त हुई है।[11] इसके अतिरिक्त कविता के सन्दर्भ में लिखते हैं 'कविता सामाजिक, वस्तुगत और बृहत्तर जीवन से जोड़ने की प्रक्रिया होती है अपने समय को बदलने में कवि का यह हस्तक्षेप ही उसे सार्थकता प्रदान करता है, लेकिन यह प्रचार के स्तर पर नहीं आदमी के गहरे मनोभावों और संवेदनाओं को परिवर्तन में साझेदारी की प्रेरणा देती है।'[12]

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. टुवर्ड्स इक्विटी, रिपोर्ट ऑफ द कमेटी ऑन दि स्टेट्स ऑफ वीमेन इन इंडिया, गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया, 1974, पृ. 239
2. वही, पृ. 242-43
3. टुवर्ड्स इक्विटी, रिपोर्ट ऑफ द कमेटी ऑन दि स्टेट्स ऑफ वीमेन इन इंडिया, गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया, 1974, पृ. 263
4. वही, पृ. 201
5. टुवर्ड्स इक्विटी, रिपोर्ट ऑफ द कमेटी ऑन दि स्टेट्स ऑफ वीमेन इन इंडिया, गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया, 1974, पृ. 167
6. सीमोन द वोऊवार, स्त्री उपेक्षिता, पृ. 64
7. टुवर्ड्स इक्विटी, रिपोर्ट ऑफ द कमेटी ऑन दि स्टेट्स ऑफ वीमेन इन

इंडिया, गवर्नमिन्ट ऑफ इण्डिया, 1974, पृ. 79
8. सीमोन द बोउ़वार, स्त्री उपेक्षिता, पृ. 177
9. प्रमिला कपूर, भारत में विवाह और कामकाजी महिलाएँ, पृ. 11
10. वही, पृ. 411
11. टुवर्ड्स इक्विटी, रिपोर्ट ऑफ द कमेटी ऑन दि स्टेट्स ऑफ वीमेन इन इंडिया, गवर्नमिन्ट ऑफ इण्डिया, 1974, पृ. 63
12. टुवर्ड्स इक्विटी, रिपोर्ट ऑफ द कमेटी ऑन दि स्टेट्स ऑफ वीमेन इन इंडिया, गवर्नमिन्ट ऑफ इण्डिया, 1974, पृ. 76

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

आपराधियों का सामाजिक प्रभाव और गठन : भारतीय परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण विश्लेषण

रिचा अग्रवाल*

* शोधार्थी, रवीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – 'अपराधी पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं।'

अपराधी वह व्यक्ति होता है जिसने कोई अपराध किया हो या उसे किसी अपराध के लिए कानूनी तौर पर दोषी ठहराया गया हो। आज के समाज में कई सामाजिक मुद्दे हैं जो प्रभावित करते हैं कि हम कौन हैं और आज हमारी दुनिया में क्या चल रहा है। एक चर्चित मुद्दा 'अपराधी' होंगे। एक बड़ा सवाल लगातार पूछा जाता है कि अपराधी पैदा होते हैं या बनाए जाते हैं। लोग सोच रहे होंगे कि आखिर एक अपराधी को अपराधी बनने के लिए क्या करना पड़ता है, यह प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया है जो वास्तव में बचपन से ही शुरू हो जाती है। यहाँ कुछ पारिवारिक करण दिए गए हैं जो मानव मस्तिष्क को अपराधी दिमाग में बदलने के लिए प्रभावित करते हैं।

आमतौर पर परिवार एक ही छत के नीचे रहने वाले संबंधित लोगों का समूह होता है। परिवार इस बात को दर्शाता है कि हम ज़्यादातर समय क्या और कौन हैं। यह इस बात का भी प्रतिबिंब है कि किसी परवरिश की कैसे हुआ है। परिवार मूल रूप से तीन समूहों में विभाजित है। वे हैं 'माता–पिता', 'भाई–बहन' और 'रिश्तेदार'। कुछ मामलों में जैसे कि दुर्व्यवहार करने वाले माता–पिता, बच्चा बचपन में जो कुछ भी झेल चुका है, वही करने लगता है; वह उन दुर्व्यवहारों का प्रतिबिम्ब होगा, जिनसे वह गुजरा था। इसीलिए यह सलाह दी जाती है कि बच्चे के सामने झगड़ा भी न करें।

इसके अलावा कुछ और कारण भी हैं, जैसे भाई–बहनों का आपराधिक पृष्ठभूमि से होना। भाई या बहन का भी युवा दिमाग पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही, अपराधियों के रिश्तेदार भी अपराधी बन जाते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है; फिर भी दुनिया के कई हिस्सों में ऐसा होता है। फिर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ज़्यादातर माता–पिता ज़्यादा सख्ती बरतते हैं।'आग लगने की स्थिति में बाहर निकलने का रास्ता ढूँढ़ना इंसान की प्रवृत्ति है'। इसी तरह युवा घर पर मौजूद सख्त नियमों और विनियमन से आज़ादी पाने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। फिर भी टूटे हुए या आपराधिक परिवारों से आने वाले कुछ लोग अच्छे बनते हैं। ये कुछ कारण हैं जो आम तौर पर मानव मस्तिष्क को अपराधी दिमाग में बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं।

शब्द कुंजी – सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, व्यवहार, अपराध, अपराधी।

प्रस्तावना – अपराधी एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसने अपराध किया हो। मनोवैज्ञानिकों ने इस बारे में कई सिद्धांत और कारण बताए हैं कि लोग अपराध क्यों करते हैं। दो मुख्य व्याख्याएँ आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारकों में निहित हैं?।

मैं इस तथ्य का समर्थन करता हूँ कि अपराधी पैदा होने के बजाय बनाए जाते हैं क्योंकि आजकल हर कोई समाज की व्याख्या और न्याय करने के तरीके से प्रभावित होता है। कोई भी अपने जीवन में अपराध करने के प्रभाव के बारे में चिंतित नहीं है। लोग अपराधी के रूप में पैदा नहीं हो सकते क्योंकि भगवान ने किसी भी इंसान को ऐसा नहीं बनाया है। हमारी पसंद और प्रभाव हमें वह बनाते हैं जो हम हैं, न कि आनुवंशिक समानता। यहाँ तक कि जो बच्चे अपराधी बनते हैं, वे माता–पिता द्वारा निर्धारित उदाहरण के कारण होते हैं ?

मनोवैज्ञानिकों का तर्क है कि अपराध की समस्या के बारे में कुछ करने के लिए, हमें पहले इसके कारणों को समझना चाहिए। उनके उद्देश्य 'अपराधशास्त्रियों' के अनुरूप हैं। सवाल हैं – अपराध क्यों होते हैं? लोगों को अवैध कार्य करने के लिए क्या प्रेरित करता है?

वर्तमान परिदृश्य में अपराध के व्यवहार में प्रक्रिया –

'शराबखोरी: शराबखोरी अपराध विज्ञान में दो मामलों में महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, यह अपने आप में एक अपराध हो सकता है या सीधे तौर पर कुछ कानूनों के उल्लंघन से संबंधित हो सकता है जैसे कि सार्वजनिक रूप से नशे में गाड़ी चलाने पर रोक लगाने वाले कानून। दूसरा, यह अप्रत्यक्ष रूप से अन्य कानूनों के उल्लंघन में योगदान दे सकता है, जैसे कि हत्या, बलात्कार, हमला और मारपीट, आवारागर्दी और परिवारों का भरण–पोषण न करना।' यह संभव है कि शराबखोरी अक्सर अधिक गंभीर अपराधों से जुड़ी न हो, लेकिन यह निश्चित रूप से अक्सर आवारागर्दी और परिवारों का भरण–पोषण न करने का परिणाम होती है। इस मामले में, यह इतना नहीं है कि शराब आक्रामकता को मुक्त करती है, बल्कि यह उत्पादक क्षमताओं और रुचियों को कम करती है और परिवार के समर्थन के बजाय लालसा की संतुष्टि के लिए आय का विनियोग करती है।

शराबी अपराधी द्वारा आपराधिक व्यवहार के सिद्धांत के लिए दो प्रमुख समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इनमें से पहली यह है कि क्या शराब के प्रभाव में एक व्यक्ति उन कानूनों का उल्लंघन करेगा, जिनका उल्लंघन वह उस प्रभाव में न होने पर नहीं करेगा; यदि वह ऐसी परिस्थितियों में विधि का उल्लंघन करता है तो हो सकता है कि वह विभेदक संघ के प्रभाव में काम न कर रहा हो। इस समस्या पर कोई स्पष्ट शोध कार्य नहीं किया गया है, और कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता है। हालाँकि, काफी जानकारी उपलब्ध है जो नकारात्मक उत्तर की ओर इशारा करती है। यह ज्ञात है कि जब कुछ क्षेत्रों में लोग नशे में हो जाते हैं, तो वे लगभग निश्चित रूप से झगड़े शुरू कर देते हैं और आपराधिक कानूनों का उल्लंघन करते हैं; यह विशेष रूप से निम्न सामाजिक आर्थिक वर्ग के लिए सच है। दूसरी ओर, अमेरिकी समाज के अन्य हिस्सों में नशा केवल गाने, गंदी कहानियों का आदान-प्रदान या रोने का परिणाम हो सकता है। अंतर यह है कि एक व्यक्ति बड़े समूहों में दूसरा व्यक्ति बनकर काम करते हैं और यह एक व्यक्ति को दूसरे से अलग नहीं करते हैं। इसके अलावा, यह दुखद हो सकता है कि भले ही कोई व्यक्ति, अपनी संगति में बदलाव के बिना, शराब के प्रभाव में अन्य समय की तुलना में अलग तरह से व्यवहार करता हो, यह संभवत: इसलिए हो सकता है क्योंकि उसने दूसरों के साथ संगति से नशे में होने पर कुछ खास तरीके से काम करना सीखा है। उसने यह सीखा होगा कि जब वह नशे में हो तो उसे खुशमिजाज व्यवहार करना चाहिए और परिणामस्वरूप वह गाना शुरू कर देता है, या उसने यह सीखा होगा कि उसे सख्त व्यवहार करना चाहिए और परिणाम स्वरूप वह झगड़ा करने लगता है। और उसने यह भी सीखा होगा कि नशा व्यवहार के लिए एक अच्छा बहाना या तर्क है जिसे अन्यथा अक्षम्य माना जाएगा।

दूसरी समस्या यह है कि क्या शराबखोरी मनोचिकित्सा का एक रूप है। मनोरोगियों का वर्गीकरण करते समय कई मनोचिकित्सक शराबखोरी को आवारागर्दी या वास्तविकता से भागने का एक असामान्य तरीका मानते हैं। इस व्याख्या के दृष्टिकोण से कई शोध पत्र लिखे गए हैं, और इसे मनोचिकित्सकों की आम तौर पर स्वीकृत मान्यता माना जा सकता है। वास्तव में, इसे कभी प्रदर्शित नहीं किया गया है, और वास्तविकता से भागने की अवधारणा इतनी अस्पष्ट है कि इसे आसानी से परखा नहीं जा सकता। इसके अलावा, यह माना जाता रहा है कि जो व्यक्ति शराबी बनता है, वह अपने व्यक्तित्व में कुछ खास विशेषताओं के कारण ऐसा करता है।

शराब की लत मुख्य रूप से व्यक्तिगत विकृति की अभिव्यक्ति नहीं है, इसका एक और सबूत इस तथ्य में मिलता है कि एल्कोहॉलिक एनोनिमस संगठन को शराबियों के इलाज में कुछ सफलता मिली है। हालांकि यह तर्क दिया जा सकता है कि केवल वे शराबी ही संगठन में शामिल होते हैं, जिनके पास व्यक्तिगत विकृतियाँ नहीं होतीं और जो पूर्व शराबियों के साथ बातचीत करते हैं, उन्हें शराब की अत्यधिक लालसा में सहायता मिलती है। एल्कोहॉलिक एनोनिमस ने प्रदर्शित किया है कि शराबी व्यक्तित्व में किसी अंतर्निहित दोष का उपचार करने के लिए विधि खोजने का प्रयास करना आवश्यक नहीं है।

2. **नशीले पदार्थों –** नशीले पदार्थों की लत, शराब के नशे की तरह अक्सर मानसिक रोग के लक्षण के रूप में माना जाता है; नशीली दवाओं की लत को कुछ रिपोर्टों में मानसिक रोग, सिज़ोफ्रेनिया और सिज़ोफ्रेनिया के वर्गों में से एक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नशीले पदार्थों की लत की चर्चा इस अध्याय में मानसिक रोगी लक्षणों और आपराधिक व्यवहार के लिए तर्क के बजाय सुविधा के मामले के रूप में शामिल की गई है। नशीले पदार्थों की लत निश्चित रूप से मानसिक रोग में से एक नहीं है। लिंडस्मिथ ने निर्णायक रूप से दिखाया है कि नशीली दवाओं की लत की उत्पत्ति में मानसिक रोगी और सामान्य व्यक्तियों के बीच कोई अंतर नहीं किया जा सकता है, कोई भी व्यक्ति जिज्ञासा के मकसद से या विभिन्न संस्कृतियों में लोककथाओं के पालन से इस तथ्य की पूरी अज्ञानता में नशीले दवाओं का आकस्मिक रूप से उपयोग करना शुरू कर सकता है कि वे नशीले दवाओं का उपयोग कर रहे हैं। यह विशेष रूप से पिछली पीढ़ियों में चिकित्सा नुस्खो और पाचन रोगों के लिए पेटेंट दवाओं के संबंध में हुआ था। कोई भी व्यक्ति, चाहे उसके व्यक्तित्व के लक्षण कुछ भी हों, जो नशीली दवाओं का सेवन तब तक करता है जब तक कि उसे दवा बंद होने पर परेशानी न हो और उसे अपने संकट और दवा बंद होने के बीच के संबंध का एहसास न हो जाए, वह नशे का आदी है। इस संबंध में मानसिक रोगी और सामान्य व्यक्ति एक समान तरीके से व्यवहार करते हैं।

3. **अपराध में फैशन –** आज की दुनिया में अपराधी फैशन के तौर पर अपराध कर रहे हैं। वे फिल्मों से नए अपराध सीख रहे हैं। कुछ प्रकार के अपराध लगभग पूरी तरह से गायब हो गए हैं। यह आम तौर पर सुरक्षात्मक उपकरणों के अलावा स्थिति में बदलाव के कारण हुआ है। समुद्री डकैती व्यावहारिक रूप से गायब हो गई है, और इसका गायब होना भांप के जहाजों के विकास के कारण हुआ था जो समुद्री डाकुओं के हमले के लिए बहुत बड़े और तेज़ थे। बेशक, स्टीमशिप का विकास समुद्री डकैती से बचाव के लिए नहीं हुआ था। ट्रेन डकैती, जिसमें ट्रेन को रोककर मेल कार और यात्री को लूट लिया जाता था, बंद कर दी गई है, मवेशियों को भगाने के रूप में मवेशी चोरी बंद कर दी गई है, लेकिन इसके स्थान पर दो या तीन गायों को ट्रक में लादकर शहर में पहुँचाने का चलन शुरू हो गया है। सामान्य स्थिति बदल सकती है और अपराध के गायब होने का कारण बन सकती है। इसके अलावा, हालांकि, अपराध के प्रकार और तरीके अलग-अलग तरीकों से भिन्न होते हैं जो अन्य मामलों में फैशन से मिलते जुलते हैं। एक अपराधी जुआ खेलने के स्थान पर हमला करता है और कुछ ही समय में दर्जनों अन्य जुआ खेलने के स्थानों पर हमला कर देता है। कुछ अपराधी डकैती के लिए एक होटल चुनते हैं और जल्दी ही दर्जनों अन्य होटलों को लूट लेते हैं, एक जेबकतरे ने एक निश्चित रेलवे स्टेशन पर एक हज़ार डॉलर चुरा लिए, और अन्य जेबकतरे उस स्टेशन पर झुंड बनाकर आ जाते हैं। एक अपराधी एक ऐसे तरीके से असामान्य रूप से सफल लाभ कमाता है जो पहले प्रचलित नहीं था। अन्य अपराधी भी यही तरीका आजमाते हैं। हाल के वर्षों में, 'अकेले चोर अपराधियों' द्वारा बैंकों की लूटपाट जो एक टेलर के कैश बॉक्स में पैसे की मांग करते हैं, फैशन बन गया है।

साहित्य समीक्षा – किसी भी शोध कार्य को करते समय पिछले सिद्धांत के साहित्य की समीक्षा आवश्यक है। साहित्य समीक्षा संबंधित क्षेत्र में किए गए कार्य और सैद्धांतिक ढांचे की जानकारी प्रदान करती है जिस पर समस्या का प्रस्तावित समाधान आधारित हो सकता है। समस्या पर साहित्य काफी बिखरा हुआ है और अध्ययन के तहत समस्या का गहन अध्ययन करने के लिए विभिन्न स्रोतों से निकाला गया है, जिसका नाम है 'अपराधी पैदा नहीं होते हैं'। साहित्य की संक्षिप्त समीक्षा नीचे दी गई है –

Rachel Boba (2009): इस पुस्तक में लेखक ने अपराधियों के

व्यवहार को स्थापित किया है तथा अपराधियों के मनोविज्ञान के संदर्भ में अपराध का विश्लेषण किया है।

Albert R. Roberts (2003): इस पुस्तक में लेखक अपराध और अपराधियों को समझते हैं। अपराधियों की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं, इतिहास और सामाजिक उत्पत्ति को भी समझाते हैं।

Sutherlands & Creesey (2011): यह पुस्तक अपराध विज्ञान के साथ-साथ सामाजिक और व्यवहार विज्ञान का अध्ययन है। यह परिभाषाओं, कानून, माप, सिद्धांतों, उपसंस्कृतियों और अपराध के प्रकारों का पता लगाती है। लेखक कई अलग-अलग तरीकों से अपराधों को देखने, परिभाषित करने, वर्णन करने और समझाने के कई अलग-अलग तरीकों पर चर्चा करते हैं। यह काम मेरे शोध के लिए मददगार होगा क्योंकि यह अपराध और अपराधीपन के बीच अंतर को समझाता है, इसमें ढेर सारे आँकड़े हैं और अपराध विज्ञान में प्रमुख प्रतिस्पर्धी सिद्धांतों पर चर्चा करता है।

Wells, Edward L. & Rankin, Joseph H. (1991): यह लेख इस तथ्य को संबोधित करता है कि पारिवारिक संरचना और किशोर अपराध पर शोध अनिर्णायक और अधूरा रहा है। लेखक पिछले शोध से जुड़ी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करते हैं। यह लेख मेरे प्रोजेक्ट में मदद करेगा क्योंकि यह पारिवारिक संदर्भ, लोगों में भिन्नता और अपराध के प्रकारों जैसे अन्य चरों की व्याख्या करता है। यह लेख मेरे शोध में मदद करेगा, क्योंकि यह पारिवारिक संदर्भ, लोगों में भिन्नता और अपराध के प्रकार जैसे अन्य मेरे शोध करण को भी समझाता है।

उद्देश्य :

1. विधि और अपराध के प्रति समुदाय की प्रतिक्रिया के संदर्भ में अपराध का अर्थ जानना।
2. अपराध के कारणों और अपराधियों के व्यवहार को जानना।
3. अपराध को नियंत्रित करना और अपराधियों का पुनर्वास कराना।

शोध पद्धति :

1. इस परियोजना अध्ययन को पूरा करने में सैद्धांतिक शोध पद्धति का पालन किया जाना है। मुख्य रूप से, पुस्तकालय आधारित शोध उपलब्ध पुस्तकों और पत्रिकाओं का उपयोग करके किया जाना है।
2. दूसरे, विश्वविद्यालय की ई-लाइब्रेरी सहित वेब स्रोतों का उपयोग किया जाना है।

अनुसंधान विश्लेषण -

अपराध के कारण- 'कोहेन' के अनुसार अपराध के लिए बहु-कारक दृष्टिकोण की सबसे बड़ी कमी यह है कि इस सिद्धांत के अनुयायी अपराध के कारणों के साथ कारकों को भ्रमित करते हैं। पूर्वगामी विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि समाजशास्त्री अपराध को पर्यावरणीय विचलन और बदलती सामाजिक स्थितियों का उत्पाद मानते हैं। आपराधिकता और इनमें से कुछ स्थितियों के बीच अंतर-संबंध पर निम्नलिखित शीर्षकों के तहत चर्चा की जा सकती है :-

1. गतिशीलता - हाल के वर्षों में औद्योगीकरण और शहरीकरण के तेज़ विकास ने संचार के साधानों, यात्रा सुविधाओं और प्रेस और मंच के माध्यम से विचारों के प्रचार-प्रसार के विस्तार को जन्म दिया है। परिणामस्वरूप, मानवीय संपर्क घनिष्ठ संबंधें से आगे बढ़कर गतिशीलता की संभावनाओं में वृद्धि के साथ आगे बढ़ गया है। व्यक्तियों का नए स्थानों पर पलायन, जहाँ वे अजनबी होते हैं, उन्हें अपराध करने के बेहतर अवसर प्रदान करता है क्योंकि पकड़े जाने की संभावना काफी कम हो जाती है। इसलिए, गतिशीलता सामाजिक अव्यवस्था का एक संभावित कारण बन सकती है, जिसके परिणामस्वरूप पारिवारिक नियंत्रण की कमी के कारण विचलित व्यवहार हो सकता है।

2. संस्कृति विवाद - एक गतिशील समाज में सामाजिक परिवर्तन एक अपरिहार्य घटना है। आधुनिक गतिशील समाज में आधुनिकीकरण, शहरीकरण और औद्योगीकरण के प्रभाव से कभी-कभी सामाजिक अव्यवस्था हो सकती है और इससे समाज के विभिन्न वर्गों के बीच सांस्कृतिक संघर्ष हो सकता है। यह अंतर पुराने और नए मूल्यों, स्थानीय और आयातित मूल्यों और पारंपरिक मूल्यों और सरकार द्वारा लगाए गए मूल्यों के बीच हो सकता है। सांस्कृतिक विवाद सिद्धांत से उत्पन्न होने वाले अपराध को शाह और मैके ने अपराध के सांस्कृतिक संचरण सिद्धांत के माध्यम से अच्छी तरह से समझाया है जो 20वीं सदी का एक प्रमुख अपराधशास्त्रीय सिद्धांत था। सिद्धांत बस यह कहता है कि 'अपराध की परंपराएं एक ही निवास की लगातार पीढ़ियों के माध्यम से उसी तरह प्रसारित होती हैं जैसे भाषा और दृष्टिकोण प्रसारित होते हैं।' स्थानीय समुदायों की अपने निवासियों के सामान्य मूल्यों की सराहना करने या आम तौर पर अनुभव की जाने वाली समस्याओं को हल करने में असमर्थता बिचलित तनाव का कारण बनती है जिससे विचलित व्यवहार होता है। इस तरह आपराधिक परंपराएं एक समुदाय के कामकाज में अंतर्निहित हो जाती हैं और वे पारंपरिक मूल्यों के साथ-साथ मौजूद रहती हैं। सदरलैंड ने इस घटना को 'विभेदक सामाजिक अव्यवस्था' कहा है, जो निम्न-वर्ग के पड़ोस में अधिक आम है। वह संस्कृति संघर्ष के लिए तीन मुख्य कारणों को जिम्मेदार ठहराते हैं, अर्थात, आवासीय अस्थिरता; सामाजिक या जातीय विविधता; और गरीबी।

निवासियों और आप्रवासियों के बीच सांस्कृतिक संघर्ष के परिणामस्वरूप विचलित व्यवहार होता है। हाल ही में किए गए एक अध्ययन में रूथ और कैवन ने पाया कि एस्किमो जो हाल तक अपराध की समस्या से मुक्त थे, अब शहरी क्षेत्रों में प्रवाल और गैर-एस्किमो के साथ सामाजिक संपर्क के कारण अक्सर भटकाव, नशे और यौन-अपराध जैसे विचलित व्यवहार में लिप्त हो जाते हैं।

3. पारिवारिक पृष्ठभूमि - सदरलैंड का मानना है कि सभी सामाजिक प्रक्रियाओं में से, अपराधी के आपराधिक व्यवहार पर पारिवारिक पृष्ठभूमि का शायद सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है; इसका कारण यह है कि बच्चे अपना अधिकांश समय अपने माता-पिता और परिवार के रिश्तेदारों के साथ बिताते हैं। यदि बच्चे अपने माता-पिता या परिवार के सदस्यों को इसी तरह का व्यवहार करते हुए पाते हैं, तो वे आपराधिक प्रवृत्तियों को अपनाने के लिए प्रवृत्त होते हैं। परिवार की संस्था से बच्चों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने की अपेक्षा की जाती है। इसलिए, बच्चे को यह महसूस होना चाहिए कि उसे अपने परिवार में एक निश्चित विशेषाधिकार और सुरक्षा प्राप्त है और उसे उसके माता-पिता और परिवार के सदस्य प्यार करते हैं और पसंद करते हैं। सुरक्षा, गर्मजोशी और निर्भरता की यह भावना बच्चों को दूसरों के प्रति प्यार, सम्मान और कर्तव्य के गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार, यह परिवार की संस्था के माध्यम से ही है कि बच्चा अनजाने में खुद को पर्यावरण के अनुकूल बनाना सीखता है और अपने जीवन के अनुभवों के माध्यम से दूसरों के प्रति सम्मान, वफादारी, भरोसेमंदता और

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

सहयोग जैसे जीवन के मूल्यों को स्वीकार करता है।

इसलिए, यह निष्कर्ष निकलता है कि टूटे हुए परिवार में पला-बढ़ा बच्चा अपराध की ओर आसानी से आकर्षित हो सकता है। माता- पिता की मृत्यु, तलाक या परित्याग या उनकी अज्ञानता या बीमारी के कारण बच्चों पर माता-पिता का नियंत्रण न होना बच्चों को आपराधिक कृत्यों का सहारा लेने के लिए अनुकूल आधार प्रदान कर सकता है। फिर, माता-पिता के बीच अक्सर झगड़े, एक का दूसरे पर अनुचित प्रभुत्व, बच्चों के साथ सौतेला व्यवहार, परिवार में बार-बार बच्चे पैदा होना, माता-पिता की अनैतिकता, दुख, गरीबी या अस्वस्थ पारिवारिक माहौल आदि भी बच्चे की उपेक्षा का कारण बन सकते हैं और अपनी प्रतिभाओं को बाहर निकालने का कोई उचित रास्ता न मिलने पर वह अपने जीवन में अपराधी बन सकता है। उपरोक्त सूची में बेरोजगारी, कम आय या आजीविका के लिए माता-पिता का लगातार घर से दूर रहना भी बच्चों के अपराध के कुछ अन्य कारण हैं।

ध्यान देने योग्य बात यह है कि परिवार आपराधिक व्यवहार को प्रभावित करने वाले कई कारकों में से केवल एक है। इसलिए, यदि पतित पारिवारिक परिस्थितियों में रहने वाला बच्चा अपने विकास के लिए अन्य परिवेश को अनुकूल पाता है, तो वह खुद को उन मानवंडों के अनुकूल बना लेता है और अंततः कानून का पालन करने वाला नागरिक बन जाता है। इस प्रकार यदि बच्चे की अन्य परिस्थितियाँ उसके अच्छे जीवन के लिए अनुकूल बनी रहती हैं, तो पतित परिवार के बुरे प्रभावों को अन्य शक्तिशाली शक्तियों द्वारा नियंत्रित कर लिया जाता है।

4. राजनीतिक विचारधारा – यह सर्वविदित है कि सांसद जो देश के कानून निर्माता हैं, वे राजनेता भी हैं। वे प्रेस और मंच के माध्यम से वांछित तरीके से जनमत जुटाने में सफल होते हैं और अंततः अपनी नीतियों के समर्थन में उपयुक्त कानून बनाते हैं। इस प्रकार राजनीतिक विचारधाराएँ विधायी प्रक्रिया के माध्यम से मज़बूत होती हैं, जिससे किसी दिए गए समाज में आपराधिक पैटर्न सीधे प्रभावित होते हैं। गर्भपात कानून का उदारीकरण, हानिकारक पारंपरिक प्रथाओं सहित हिंसा के खिलाफ महिलाओं की सुरक्षा आदि कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो दिखाते हैं कि राजनेताओं और सत्ता में बैठी सरकार की बदलती विचारधाराओं के साथ अपराध की अवधारणा कैसे बदलती है। विचारधाराओं में बदलाव के साथ कल तक जो गैरकानूनी और अवैध था, वह आज वैध और कानूनी हो सकता है और इसके विपरीत। कानून निर्माता सभ्यता और संस्कृति के बदलते मानवंडों को ध्यान में रखते हुए समाज की भलाई के लिए इन परिवर्तनों को उचित ठहराते हैं। फिर से, किसी देश में राजनीतिक परिवर्तन नए राजनीतिक अपराधों को जन्म दे सकते हैं। सरकार के कार्यकारी कार्यों में राजनेताओं के अत्यधिक हस्तक्षेप से प्रशासकों के साथ-साथ पुलिस का मनोबल भी कमजोर होता है, जिसके परिणामस्वरूप अपराध दर में स्वतः वृद्धि होती है।

5. धर्म और अपराध – धार्मिक विचारधाराओं में होने वाले परिवर्तन का भी किसी क्षेत्र विशेष में अपराध की घटनाओं पर सीधा असर पड़ता है। यह सही कहा गया है कि धर्म की संस्था के माध्यम से समाज में नैतिकता को सबसे बेहतर तरीके से संरक्षित किया जा सकता है। धर्म का बंधन लोगों को उनकी सीमाओं के भीतर रखता है और उन्हें पाप और आपराधिक कृत्यों से दूर रखने में मदद करता है। आधुनिक समय में धर्म के घटते प्रभाव ने लोगों को बिना किसी रोक-टोक या डर के अपनी मर्जी से काम करने की आज़ादी दे दी है। नतीजतन, वे छोटे-मोटे भौतिकवादी लाभों के लिए भी अपराध करने से नहीं हिचकिचाते। इस तथ्य के बावजूद कि सभी धर्म सांप्रदायिक सद्भाव और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की बात करते हैं, इस धारती पर ज़्यादातर युद्ध धर्म के नाम पर लड़े जाते हैं। आठ साल से ज्यादा समय से ईरान और इराक के बीच युद्ध, लेबनान में युद्ध और उत्तारी आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच जारी लड़ाई और यहाँ तक कि भारत में आतंकवादी गतिविधियाँ भी छिपे हुए धार्मिक निहितार्थों के नाम पर की जा रही हैं। ये विभाजनकारी ताकतें हत्या, सामूहिक हत्या, सार्वजनिक और निजी संपत्तियों के विनाश और अन्य असामाजिक व्यवहार की घटनाओं में काफी योगदान देती हैं।

6. आर्थिक परिस्थितियाँ – आर्थिक परिस्थितियाँ भी अपराध को काफी हद तक प्रभावित करती हैं। आज के औद्योगिक विकास, आर्थिक विकास और शहरीकरण ने इथियोपिया के घरेलू जीवन को पंगु बना दिया है। परिवार की संस्था इस हद तक बिखर गई है कि माता-पिता का अपने बच्चों पर नियंत्रण कमज़ोर हो गया है और इस तरह वे बिना किसी निगरानी के रह गए हैं। ऐसी परिस्थितियों में, जो लोग आत्म-नियंत्रण की कमी रखते हैं, वे अपराध के आसान शिकार बन जाते हैं। महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण की आवश्यकता महिलाओं को रोजगार और नकी अन्य बाहरी गतिविधियों की ओर ले जाती है। इससे यौन अपराध के अवसर बढ़ गए हैं। फिर से जमाखोरी, अनुचित मुनाफ़ाखोरी, कालाबाज़ारी आदि जैसे अपराध अनिवार्य रूप से आर्थिक परिवर्तनों का परिणाम हैं। आजकल समाज में किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का आकलन करने के लिए पैसा सबसे महत्वपूर्ण विचार है। समाज के उच्च वर्गों में अपराध पैसे के ज़रिए आसानी से खत्म किए जा सकते हैं।

युवाओं में बेरोज़गारी अपराध दर में वृद्धि का एक और कारण है। अगर इन युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा में लगाया जाए, तो निश्चित रूप से इस आयु वर्ग में अपराध दर में कमी आएगी। यह आम तौर पर स्वीकार किया गया है कि अपराध और आर्थिक या आय असमानता के बीच तथा अपराध और बेरोज़गारी के बीच एक मज़बूत संबंध है। लेकिन गरीबी अपने आप में (अपने आप में) अपराध का एकमात्र कारण नहीं है; यह अपराध के कारण में केवल एक प्रमुख कारक है। यह सामाजिक अव्यवस्था है जो सबसे गरीब लोगों में अपराध के लिए जिम्मेदार है, न कि उनकी गरीबी। निस्संदेह, बेरोज़गारी और अपराध के बीच घनिष्ठ संबंध है और विशेष रूप से, संपत्ति अपराधों में अभूतपूर्व वृद्धि और किशोरों और युवाओं की गिरफ़्तारी दर में परिणामी वृद्धि के लिए जिम्मेदार है।

जो लोग बेरोज़गार हैं या जिनके पास कम सुरक्षित रोज़गार है जैसे कि आकस्मिक और अनुबंधित कर्मचारी, उनके संपत्ति अपराधों में शामिल होने की अधिक संभावना है। अपराध पर आर्थिक स्थितियों के प्रभाव का विश्लेषण करते हुए, प्रो. हरमन मैनहेम ने देखा कि अगर हम यातायात अपराधों को छोड़ दें, तो दुनिया के आपराधिक कानून प्रशासकों के समय और ऊर्जा का तीन-चौथाई हिस्सा आर्थिक अपराधों को समर्पित करना होगा। अपराध के कारण में आर्थिक कारकों के महत्व पर ध्यान केंद्रित करते हुए, उन्होंने बताया कि गरीबी अपराध के कमीशन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देती है। हालाँकि, अकेले गरीबी अपराध का प्रत्यक्ष कारण नहीं हो सकती है, क्योंकि कुंठा, भावनात्मक असुरक्षा और इच्छाओं की पूर्ति न होना जैसे अन्य कारक अक्सर आपराधिक प्रवृत्ति को जन्म देने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं।

मार्क्सवादी सिद्धांत ने इस बात पर जोर दिया है कि सभी मानवीय व्यवहार आर्थिक कारकों द्वारा निर्धारित होते हैं। इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए, फ्रेडरिक एंगेल्स ने अठारहवीं शताब्दी के मध्य में इंग्लैंड में अपराध की घटनाओं में वृद्धि के लिए वर्ग शोषण के कारण श्रमिकों की दयनीय आर्थिक स्थिति को जिम्मेदार ठहराया। डब्ल्यू.ए. बोंगर ने भी अपराध के कारणों की व्याख्या करने में इसी दृष्टिकोण को अपनाया और कहा कि अपराधी पूंजीवादी व्यवस्था का उत्पाद है, जिसने स्वार्थी प्रवृत्तियों को जन्म दिया। ऐसी व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति अपने से न्यूनतम के बदले में दूसरों से अधिकतम प्राप्त करने का प्रयास करता है। इस प्रकार, बोंगर ने पूंजीवादी व्यवस्था में कई बुराइयों की पहचान की जो अपराध उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार थीं। वास्तव में, रेडिकल क्रिमिनोलॉजी का सिद्धांत इसी अवधारणा पर आधारित है जो आगे बताता है कि अपराध अमीरों द्वारा गरीबों के शोषण के कारण होते हैं।

7. पड़ोस का प्रभाव – पड़ोस का प्रभाव भी किसी विशेष इलाके में अपराधों की प्रकृति से बहुत जुड़ा होता है। इस प्रकार घनी आबादी वाले इलाके, कस्बे और शहर यौन अपराधों और चोरी, शराब की तस्करी, सेंधमारी, अपहरण, धोखाधाड़ी और छल–कपट आदि से संबंधित अपराधों के लिए लगातार अवसर प्रदान करते हैं। रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड और अन्य पड़ावों पर जेबकतरे के मामले आम हैं। भारत में मंदिरों और पूजा स्थलों में जूते–चप्पल की चोरी भी आम है। जेलों के पारिस्थितिकीय अध्ययन से यह भी पता चलता है कि कुछ प्रकार के अपराध जेल–जीवन के लिए विशिष्ट हैं। उदाहरण के लिए, पारिवारिक जीवन से वंचित होने के कारण जैविक आवश्यकताओं का विरोध करने में असमर्थता के कारण कैदियों में समलैंगिकता आम है। इसके अलावा, अपराधी अक्सर अपनी बाहुबल दिखाने और अपराध में अपने कौशल के संबंध में अन्य कैदियों पर प्रभुत्व स्थापित करने के प्रयास में आपसी लड़ाई–झगड़े में लिप्त रहते हैं। हिंसक अपराधी आम तौर पर जेल की संपत्ति को नष्ट करने और छोटी–छोटी बातों पर जेल अधिकारियों को अपमानित करने का सहारा लेते हैं। इन अपराधी क्षेत्रों की एक और महत्वपूर्ण विशेषता पड़ोस में कुछ असामाजिक संस्थाओं का स्थान है। इनमें वेश्यावृत्ति के घर, जुआघर, वेश्यालय और इसी तरह की अन्य संदिग्धा संस्थाएँ शामिल हैं। ये दुष्टता के क्षेत्र अपराध से भरे हुए हैं और संगठित अपराधियों के लिए उपजाऊ ज़मीन प्रदान करते हैं। आस–पास के इलाकों के निवासी इन दुष्ट गतिविधियों से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं और इस तरह खुद को अपराधी जीवन में झोंक देते हैं। शिकागो स्कूल के प्रसिद्ध समाजशास्त्री डब्ल्यू आई. थॉमस ने जोर देकर कहा कि एक पड़ोस की अपनी समस्याओं को एक साथ हल करने में असमर्थता सामाजिक अव्यवस्था की ओर ले जाती है जिससे अपराध के लिए अचेतन प्रेरणाएँ पैदा होती हैं।

एक समूह द्वारा आत्म–नियमन में संलग्न होने में असमर्थता उन्हें अपराध की ओर ले जाती है। हाल ही में, मनोरंजन के कुछ स्थानों को अपराध की पारिस्थितिकी के साथ सहसंबंधित करने की प्रवृत्ति रही है। सिनेमा थिएटर, स्विमिंग पूल, खेल के मैदान और रेस कोर्स आमतौर पर अपराधों के लिए अनुकूल माहौल प्रदान करते हैं। लेकिन यह तथ्यों का अति सरलीकरण है। वास्तव में, इन स्थानों पर अपराध की आवृत्ति का उनके स्थान से कोई लेना–देना नहीं है। दरअसल, इन जगहों पर अपराध की वजह पर्यावरण है, पारिस्थितिकी तंत्र नहीं। इसके अलावा, समाज के कानून का पालन करने वाले लोगों की एक बड़ी संख्या है जो मनोरंजन और मनोरंजन के इन स्थानों पर अपराधियों के संपर्क में आने के बाद भी अपराधी नहीं बनते।

8. मीडिया का प्रभाव– मानव मन को प्रभावित करने में जनसंचार माध्यमों के महत्व पर कुछ विशेषज्ञों द्वारा बार–बार जोर दिया गया है। अनुभव से पता चला है कि टेलीविजन और फिल्मों का दर्शकों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इनका दृश्य–श्रव्य प्रभाव एक साथ होता है। टेलीविजन या सिनेमा हॉल में दिखाए जाने वाले अधिकांश धारावाहिक या फिल्में हिंसा के दृश्य दिखाती हैं, जो दर्शकों, खासकर युवा लड़कों और लड़कियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं, जो अक्सर अपने वास्तविक जीवन की स्थितियों में भी ऐसा ही करते हैं। किशोर अपराध की बढ़ती घटनाएं मूल रूप से फिल्मों या टेलीविजन में दिखाए जाने वाले हिंसा और अश्लीलता और अवांछनीय यौन प्रदर्शनों के बुरे प्रभाव का परिणाम हैं। इसी तरह, अश्लील साहित्य भी युवाओं के संवेदनशील मन पर बुरा प्रभाव डालता है, जो उनमें आपराधिक प्रवृत्ति पैदा करता है।

अधिकांश अपराधशास्त्रियों का मानना है कि फिल्में और टेलीविजन हिंसक व्यवहार में प्रमुख योगदानकर्ता हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि मीडिया हिंसा के संपर्क में आने का आक्रामक व्यवहार से गहरा संबंध है। लेकिन हेगेल और न्यूबरी ने इस दृष्टिकोण का विरोध किया कि हिंसक मीडिया छवियों और आपराधिकता के बीच एक संबंध है, यह जानने के बाद कि लगातार अपराधी गैर–अपराधियों की तुलना में फिल्में या टेलीविजन कम देखते हैं। गिलिन ने मीडिया हिंसा और आपराधिकता के बीच किसी वास्तविक संबंध के बारे में संदेह व्यक्त किया है। उनके अनुसार फिल्में, टीवी और अन्य मीडिया उन लोगों को हिंसा के तरीके सिखाते हैं जो पहले से ही उनके लिए अतिसंवेदनशील हैं, लेकिन यह उससे आगे नहीं जाता है।

फिर भी, यह देखा जाएगा कि हाल के वर्षों में मीडिया ने विशेष घटनाओं, कार्यों या व्यवहारों से उत्पन्न खतरों की सार्वजनिक धारणाओं पर एक शक्तिशाली प्रभाव डाला है। मीडिया की भावनात्मक शक्ति, हालांकि, कभी–कभी अतार्किक और गलत निष्कर्षों की ओर ले जा सकती है। कई बार, यह देखा जा सकता है कि वास्तविकता को दबाने के लिए मीडिया में अपराध का चित्रण जानबूझकर विकृत किया जाता है। फिर, ऐसे भी अवसर हो सकते हैं जब किसी प्रभावशाली व्यक्ति या राजनेता द्वारा किए गए कृत्य को स्पष्टतः आपराधिक या असामाजिक होने के बावजूद कवरेज या निंदा नहीं दी जाती।

अपराध के सिद्धांत – इन सवालों के जवाब देने के लिए कई सिद्धांतों की वकालत की जाती है। उदाहरण के लिए चोरी के मामले में, जैविक स्पष्टीकरण कहते हैं कि चोर के पास खराब जीन हैं और मनोवैज्ञानिक स्पष्टीकरण यह कह सकते हैं कि उसके पास व्यक्तित्व दोष है। इसी तरह समाजशास्त्रीय स्पष्टीकरण यह तर्क दे सकते हैं कि वह बुरे लोगों के साथ मिल गया है। इस तरह के स्पष्टीकरणों ने विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों को जन्म दिया –

1. अपराध के जैविक सिद्धांत,
2. अपराध के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत,
3. अपराध के समाजशास्त्रीय सिद्धांत,
4. अपराध के सामाजिक–मनोवैज्ञानिक सिद्धांत

हालाँकि, कोई भी एक सिद्धांत संभवतः सभी अवैध कृत्यों और अभिनेताओं पर लागू नहीं हो सकता है और इसलिए, प्रत्येक सिद्धांत की सीमाओं का मूल्यांकन उचित है।

अपराध के जैविक सिद्धांत – अपराध की व्याख्या करने में जैविक निर्धारकों का उपयोग समाजशास्त्रीय वृष्टिकोण से स्पष्ट रूप से भिन्न है। जैविक जोर अपराधियों के बीच सामान्य शारीरिक विशेषताओं की खोज करने की कोशिश कर सकता है। उदाहरण के लिए, हत्या के दोषी तेरह पुरुषों और दो महिलाओं के एक अध्ययन में पाया गया कि सभी ने जीवन में पहले सिर में गंभीर चोटें अनुभव की थीं और उनमें से बारह ने अलग-अलग परिमाण की तंत्रिका संबंधी समस्याएं प्रदर्शित कीं।

लेकिन अधिक बार यह दृष्टिकोण आनुवंशिक विरासत, गुणसूत्र संबंधी असामान्यताओं, मनोवैज्ञानिक अनियमितताओं या संवैधानिक (शरीर के प्रकार) निर्धारकों पर केंद्रित होता है। जैविक स्पष्टीकरण कारणों से आकर्षक हैं :

1. वे सरल हैं, और
2. वे अपराधी और गैर-अपराधी के बीच स्पष्ट रूप से अंतर करने का प्रयास करते हैं।

उदाहरण के लिए, कुछ लोग यह मानने के लिए लुभाए जाते हैं कि अपराधी हममें से बाकी लोगों से अलग दिखते हैं; हमें याद है कि शेक्सपियर ने हमें उन पुरुषों से सावधान रहने की चेतावनी दी थी जो दुबले-पतले और भूखे दिखते थे। और अगर संडे कॉमिक स्ट्रिप्स की जाँच करें, तो हम पाते हैं कि पारंपरिक चोर - गंजा है, 930 में फैशन वाली स्पोर्टिंग कैप पहनता है, उसका वजन 300 पाउंड है और निचला जबड़ा बाहर निकला हुआ है, नाक टूटी हुई है, माथा नीचे है और वह चमकदार नहीं है। लेकिन अधिकांश सरलीकृत वृष्टिकोणों की तरह, जैविक सिद्धांत, सबसे अच्छे रूप में, व्यापकता से कम हैं।

अपराध के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत – अपराध की मनोवैज्ञानिक व्याख्या कई तरह के दृष्टिकोणों और अवधारणाओं को संदर्भित कर सकती है। लेकिन जैसा कि नीत्ज़ेल (979) ने उल्लेख किया है, ये सभी सिद्धांत इस बुनियादी मान्यता को साझा करते हैं कि अपराध किसी व्यक्तित्व विशेषता का परिणाम है जो संभावित अपराधी के पास विशिष्ट रूप से मौजूद है, या एक विशेष डिग्री तक मौजूद है इस दृष्टिकोण के कुछ रूपों में, कारण एक चरम है, जैसे कि मानसिक बीमारी या व्यक्तित्व विकार। कुछ मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण वंशानुगत निर्धारकों पर भी निर्भर करते हैं।

मनोवैज्ञानिकों ने दोषपूर्ण विवेक, भावनात्मक अपरिपक्वता, अपर्याप्त बचपन के सामाजिक करण, मातृ वंचना, खराब नैतिक विकास आदि जैसे व्यक्तिगत अंतरों को ध्यान में रखने के लिए कई तरह की संभावनाओं पर विचार किया है। वे अध्ययन करते हैं कि आक्रामकता कैसे सीखी जाती है, कौन सी परिस्थितियाँ हिंसक या अपराधी प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देती हैं, अपराध व्यक्तित्व कारकों से कैसे संबंधित है और विभिन्न मानसिक विकारों और आपराधिकता के बीच संबंध। कई मनोवैज्ञानिक स्पष्टीकरणों में से निम्नलिखित महत्वपूर्ण हैं –

1. आपराधिक सोच पैटर्न,
2. व्यक्तित्व दोष,
3. मनोविश्लेषणात्मक स्पष्टीकरण।

अपराध के समाजशास्त्रीय सिद्धांत – ये सिद्धांत अपराध की व्याख्या करने के लिए वस्तुनिष्ठ वृष्टिकोण अपनाते हैं। वे ऐसे कारकों पर जोर देते हैं जो कई अपराधियों को समान रूप से प्रभावित करते हैं। अमेरिकी अपराधशास्त्री इस दृष्टिकोण को पसंद करते हैं। वे अपराधी की सामाजिक स्थितियों को अपराध का कारण मानते हैं। अपराध का कारण सामाजिक अंत:क्रियाओं पर काफी हद तक निर्भर करता है। कई बार लोग कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं, जबकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि उन्हें अपने कृत्यों के लिए दंडात्मक परिणाम भुगतने होंगे। राजनीतिक रणनीति के समय यह घटना अधिक स्पष्ट होती है।

उदाहरण के लिए भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रीय नेताओं ने अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानूनों को तोड़ा और जेल गए। इसी तरह, भूख हड़ताल, विरोध प्रदर्शन, आत्मदाह के मामले सभी समाज के जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा जानबूझकर कानून के उल्लंघन के स्पष्ट उदाहरण हैं। आपराधिक व्यवहार के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को तीन शीर्षकों के तहत समझाया जा सकता है –

1. संरचनात्मक स्पष्टीकरण
2. उप-सांस्कृतिक स्पष्टीकरण
3. बहु-कारक दृष्टिकोण

मर्टन का सामाजिक संरचना और विसंगति का सिद्धांत – रॉबर्ट मर्टन, जो 1910-2003 तक रहे, ने तर्क दिया कि समाज को इस तरह से स्थापित किया जा सकता है जो बहुत अधिक विचलन को प्रोत्साहित करता है। मर्टन का मानना था कि जब सामाजिक मानवंड, या सामाजिक रूप से स्वीकृत लक्ष्य, जैसे कि 'अमेरिकिन ड्रीम', व्यक्ति पर अनुरूप होने का दबाव डालते हैं, तो वे व्यक्ति को या तो समाज द्वारा निर्मित संरचना के भीतर काम करने के लिए मजबूर करते हैं, या इसके बजाय उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयास में एक विचलित उपसंस्कृति का सदस्य बन जाते हैं। मर्टन ने इस सिद्धांत को 'तनाव सिद्धांत' कहा। आइए सिद्धांत की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं पर एक नज़र डालें।

तनाव सिद्धांत बताते हैं कि कुछ तनाव या तनाव अपराध की संभावना को बढ़ाते हैं। ये तनाव नकारात्मक भावनाओं, जैसे कि हताशा और क्रोध को जन्म देते हैं। ये भावनाएँ सुधारात्मक कार्रवाई के लिए दबाव बनाती हैं, और अपराध एक संभावित प्रतिक्रिया है। अपराध का उपयोग तनाव को कम करने या उससे बचने, तनाव के स्रोत या संबंधित लक्ष्यों से बदला लेने या नकारात्मक भावनाओं को कम करने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, दीर्घकालिक बेरोजगारी का सामना कर रहे व्यक्ति पैसे प्राप्त करने के लिए चोरी या ड्रग बेचने में संलग्न हो सकते हैं, उन्हें नौकरी से निकालने वाले व्यक्ति से बदला ले सकते हैं, या बेहतर महसूस करने के प्रयास में अवैध ड्रग्स ले सकते हैं। तनाव सिद्धांत के प्रमुख संस्करण –

1. विशेष तनावों का वर्णन करते हैं जो अपराध की ओर ले जाने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं,
2. तनाव अपराध को क्यों बढ़ाते हैं, और
3. वे कारण जो किसी व्यक्ति को तनाव के प्रति अपराध करने के लिए प्रेरित करते हैं या उसे ऐसा करने से रोकते हैं। सभी तनाव सिद्धांत स्वीकार करते हैं कि तनावग्रस्त व्यक्तियों का केवल एक अल्पसंख्यक ही अपराध की ओर मुड़ता है।

एमिल दुर्खीम ने अपराध और विचलन का पहला आधुनिक तनाव सिद्धांत विकसित किया, लेकिन 20वीं सदी के मध्य भाग के दौरान मर्टन के क्लासिक तनाव सिद्धांत और इसके उप-उत्पाद अपराध विज्ञान पर हावी हो गए। क्लासिक तनाव सिद्धांत उस प्रकार के तनाव पर केंद्रित है जिसमें मौद्रिक सफलता या मध्यम वर्ग की स्थिति के कुछ व्यापक लक्ष्य

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

को प्राप्त करने में असमर्थता शामिल है। क्लासिक तनाव सिद्धांत 970 और 980 के दशक के दौरान गिरावट में आ गया, आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि शोध इसे चुनौती देते दिखाई दिए।

तनाव सिद्धांत को संशोधित करने के कई प्रयास किए गए, जिनमें से अधिकांश ने तर्क दिया कि अपराध कई लक्ष्यों को प्राप्त करने में असमर्थता के कारण हो सकता है – न कि केवल मौद्रिक सफलता या मध्यम वर्ग की स्थिति। रॉबर्ट एग्न्यू ने 1992 में अपना सामान्य विकसित तनाव सिद्धांत (जीएसटी) विकसित किया, और तब से यह तनाव सिद्धांत का प्रमुख संस्करण और अपराध के प्रमुख सिद्धांतों में से एक बन गया है। जीएसटीकई तरह के तनावों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें कई तरह के लक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थता, मूल्यवान संपत्तियों का नुकसान और दूसरों द्वारा नकारात्मक व्यवहार शामिल है। जीएसटी को कई विषयों पर लागू किया गया है, जिसमें लिंग, जाति/जातीयता, आयु, समुदाय और अपराध दरों में सामाजिक अंतर की व्याख्या शामिल है। इसे कई प्रकार के अपराध और विचलन पर भी लागू किया गया है, जिसमें कॉर्पोरेट अपराध, पुलिस विचलन, बदमाशी, आत्महत्या, आतंकवाद और खाने के विकार शामिल हैं। बहुत सारे सबूत बताते हैं कि जीएसटी द्वारा पहचाने गए तनाव अपराध की संभावना को बढ़ाते हैं, हालांकि इन तनावों के प्रति अपराध करने की सबसे अधिक संभावना वाले लोगों के प्रकारों के बारे में जीएसटी की भविष्यवाणियों को कम समर्थन मिला है।

अपराध के सामाजिक–मनोवैज्ञानिक सिद्धांत – अपराध की सामाजिक–मनोवैज्ञानिक व्याख्याएँ आपराधिक व्यवहार को सामाजिक संपर्क की प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त एक सीखा हुआ व्यवहार मानती हैं। कभी–कभी उन्हें सामाजिक–प्रक्रिया सिद्धांत के रूप में संदर्भित किया जाता है, ताकि उन प्रक्रियाओं की ओर ध्यान आकर्षित किया जा सके जिनके द्वारा कोई व्यक्ति अपराधी बनता है। ये व्याख्याएँ समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के अयोग्य पर्यावरणवाद और मनोवैज्ञानिक और जैविक दृष्टिकोणों के संकीर्ण व्यक्तिवाद के बीच की खाई को पाटती हैं। इस प्रकार, वे लोगों और उनके सामाजिक वातावरण के बीच उन पारस्परिक लेन–देन पर जोर देते हैं जो यह समझाते हैं कि कुछ लोग आपराधिक व्यवहार क्यों करते हैं और अन्य नहीं।

सामाजिक–मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है –

1. नियंत्रण सिद्धांत,
2. सीखने के सिद्धांत।

विभेदक संघ सिद्धांत के सिद्धांत :

1. आपराधिक व्यवहार सीखा जाता है।
2. आपराधिक व्यवहार संचार की प्रक्रिया में अन्य व्यक्तियों के साथ बातचीत में सीखा जाता है।
3. आपराधिक व्यवहार सीखने का प्रभावशाली पहलू अंतरंग सामाजिक समूहों के भीतर होता है।
4. जब सामाजिक व्यवहार सीखा जाता है, तो सीखने में शामिल हैं –
   - अपराध करने की तकनीकें, जो कभी–कभी बहुत जटिल होती हैं, कभी–कभी बहुत सरल होती हैं, और
   - उद्देश्यों, ड्राइव, तर्कसंगतताओं और दृष्टिकोणों की विशिष्ट दिशा।
5. उद्देश्यों और ड्राइव की विशिष्ट दिशा कानूनी कोड की अनुकूल या प्रतिकूल परिभाषाओं से सीखी जाती है।
6. कानून के उल्लंघन के लिए अनुकूल परिभाषाओं की तुलना में कानून के उल्लंघन के लिए प्रतिकूल परिभाषाओं की अधिकता के कारण कोई व्यक्ति अपराधी बन जाता है।
7. विभेवक संगति आवृत्ति, अवधि, तीव्रता और प्राथमिकता में भिन्न हो सकती है।
8. आपराधिक और अपराध–विरोधी पैटर्न के साथ जुड़कर आपराधिक व्यवहार सीखने की प्रक्रिया में वे सभी तंत्र शामिल होते हैं जो किसी अन्य सीखने में शामिल होते हैं।
9. हालाँकि आपराधिक व्यवहार सामान्य आवश्यकताओं और मूल्यों की अभिव्यक्ति है, लेकिन इसे उन सामान्य आवश्यकताओं और मूल्यों द्वारा नहीं समझाया जा सकता है, क्योंकि गैर–आपराधिक व्यवहार उन्हीं आवश्यकताओं और मूल्यों की अभिव्यक्ति है।

सुझाव :

1. अपराध से निपटना आधुनिक दुनिया में हर देश के सामने एक प्रमुख सामाजिक मुद्दा है। अपराधियों को कानून का पालन करने वाले नागरिकों में बदलना सभ्यता के अस्तित्व और समाज की उन्नति के लिए महत्वपूर्ण है। लोगों को सुधारा जा सकता है। अपराधियों के एक बड़े हिस्से को भी सुधारा जा सकता है। माइनस को प्लस में बदलना और अपराधियों को ऐसे लोगों में बदलना जो समाज के लिए उपयोगी हों, सभी मानव जाति को मुक्त करने के महान मार्क्सवादी आदर्श के अनुरूप हैं। इस समझ के अनुरूप, यह केवल अपराधियों को दंडित नहीं करता है; इसके बजाय यह बेहतरी के लिए सुधार और बदलाव पर जोर देता है।

2. **हिंसा को सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता के रूप में देखें :** हमें इन देशों में हर बच्चे और परिवार तक पहुँचने के लिए अभियान और तकनीक का उपयोग करने की आवश्यकता है। हमें उन उपकरणों को विकसित करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि माता–पिता के हस्तक्षेप, पारिवारिक हस्तक्षेप, कल्याण अभियान और बचपन की शिक्षा के माध्यम से हर कोई महत्वपूर्ण और देखभाल महसूस करे।

3. **रोकथाम पर ध्यान दें :** लोगों को हिंसक या आपराधिक व्यवहार में धकेलने वाली स्थितियों को रोकने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। ऐसा करने के लिए हमें एक व्यवस्थित, एकीकृत, समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें राज्य और गैर–राज्य अभिनेताओं की विस्तृत श्रृंखला की जिम्मेदारियाँ शामिल हों।

4. **दमनकारी नीतियों से बचें :** कई देशों ने हिंसा की समस्या को अपराध और सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा है, और अपनी कार्यवाही को केवल कानून–प्रवर्तन पर केंद्रित किया है। जबकि न्याय और पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका है, केवल दमन ही प्रति–उत्पादक है यदि इसे विकास हस्तक्षेपों के साथ नहीं जोड़ा जाता है जो हिंसा के चालकों को देखते हैं, और युवाओं के कौशल और शिक्षा, सामाजिक–आर्थिक असमानताओं और सांप्रदायिक सेवाओं तक पहुँच जैसी चीज़ों से निपटते हैं।

5. **गरीबी पर ध्यान केंद्रित करने से दूर रहें :** कुछ क्षेत्रों या समूहों को अपराधी बनाना लोगों के लिए वास्तव में सह–अस्तित्व को कठिन बनाता है, और गरीबी पर जोर देना भ्रामक है। भारत अध्ययनों के इतिहास के अनुसार साबित करता है कि गरीबी और हिंसा का सीधा संबंध नहीं है। देश अत्यधिक गरीबी पर काबू पा रहे हैं और अधिक हिंसक हो रहे हैं, इसलिए अब यह

हमारा काम है कि हम उन समाधानों से परे देखें और देखें कि उन दरों को कौन से अन्य कारक बढ़ा रहे हैं।

6. **नशीली दवाओं के प्रभाव को ध्यान में रखें** : वैश्विक 'नशीले पदार्थों पर युद्ध' न केवल अमेरिका में बल्कि वैश्विक स्तर पर अपराध, हिंसा और असुरक्षा का एक बड़ा कारण है। सभी अंतरराष्ट्रीय हिंसा विरोधी विकास पहलों को इसे अपने साथ लेना चाहिए।

7. **लक्ष्य असमानता** : हमें आर्थिक असमानता को संबोधित करने की आवश्यकता है जो मुझे लगता है कि लंबे समय में अपराध और हिंसा को कम करने के लिए केंद्रीय है। हमें उच्च गुणवत्ता वाले बाल देखभाल के सार्वभौमिक प्रावधान की आवश्यकता है जो सभी के लिए सस्ती हो, और ऊपर से नीचे की आय के बीच अंतर को कम करने और आर्थिक समृद्धि और मजदूरी के बीच संबंध को फिर से बनाने की आवश्यकता है। सुधारात्मक सिद्धांत की अवधारणा इस सिद्धांत के अनुसार, सजा का उद्देश्य व्यक्तिगतकरण की विधि के माध्यम से अपराधी का सुधार होना चाहिए। यह मानवतावादी सिद्धांत पर आधारित है कि भले ही कोई अपराधी अपराध करता है, वह इंसान नहीं रह जाता है। उसने ऐसी परिस्थितियों में अपराध किया हो जो शायद फिर कभी न हो। इसलिए उसे कारावास की अवधि के दौरान सुधारने का प्रयास किया जाना चाहिए। दण्ड का उद्देश्य अपराधी का नैतिक सुधार लाना होना चाहिए। उसे कारावास की अवधि के दौरान शिक्षित किया जाना चाहिए तथा कोई कला या उद्योग सिखाया जाना चाहिए, ताकि वह जेल से छूटने के बाद फिर से अपना जीवन शुरू कर सके। दण्ड देते समय न्यायाधीश को अपराधी के चरित्र और आयु, उसके प्रारंभिक पालन-पोषण, उसकी शिक्षा और परिवेश, जिन परिस्थितियों में उसने अपराध किया, जिस उद्देश्य से उसने अपराध किया तथा अन्य कारकों का अध्ययन करना चाहिए, ऐसा करने का उद्देश्य न्यायाधीश को परिस्थितियों की वास्तविक प्रकृति से परिचित कराना है, ताकि वह परिस्थितियों के अनुकूल दण्ड दे सके।

8. सैल्मंड के दृष्टिकोण के अनुसार, यदि अपराधियों को शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक प्रशिक्षण द्वारा अच्छे नागरिक बनाने के लिए जेल भेजा जाना है, तो जेलों को आरामदायक निवास स्थान में बदलना होगा। ऐसे बहुत से अपराधी हैं, जो सुधारात्मक प्रभावों की पहुँच से बाहर हैं तथा जिनके लिए अपराध एक बुरी आदत नहीं बल्कि एक प्रवृत्ति है और उन्हें निराशा में उनके भाग्य पर छोड़ दिया जाना चाहिए। लेकिन लोग आलोचना करते हैं; आपराधिक न्याय का प्राथमिक और आवश्यक उद्देश्य निवारण है, सुधार नहीं।

9. सुधारात्मक सिद्धांत को पुनर्वासात्मक सजा के रूप में भी जाना जाता है। सजा का उद्देश्य अपराधी को एक व्यक्ति के रूप में सुधारना है, ताकि वह एक बार फिर से समुदाय का सामान्य कानून का पालन करने वाला सदस्य बन सके। यहाँ अपराध पर, किए गए नुकसान या दंड के कारण होने वाले निवारक प्रभाव पर नहीं, बल्कि अपराधी के व्यक्तित्व और व्यक्तित्व पर जोर दिया जाता है। सुधारात्मक सिद्धांत का समर्थन अपराध विज्ञान द्वारा किया जाता है। अपराध विज्ञान हर अपराध को एक रोगात्मक घटना, पागलपन का एक हल्का रूप, एक जन्मजात या अर्जित शारीरिक दोष मानता है। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो जानबूझकर किए गए उल्लंघन के कारण होते हैं।

परिणाम –

सुधारात्मक सिद्धांत की अवधारणा – इस सिद्धांत के अनुसार, दंड का उद्देश्य वैयक्तिकरण की विधि के माध्यम से अपराधी का सुधार होना चाहिए। यह मानवतावादी सिद्धांत पर आधारित है कि यदि अपराधी कोई अपराध भी करता है, तो भी वह मनुष्य नहीं रह जाता। हो सकता है कि उसने ऐसी परिस्थितियों में अपराध किया हो, जो शायद फिर कभी न घटें। इसलिए उसे कारावास की अवधि के दौरान सुधारने का प्रयास किया जाना चाहिए, दंड का उद्देश्य अपराधी का नैतिक सुधार लाना होना चाहिए। उसे कारावास की अवधिा के दौरान शिक्षित किया जाना चाहिए और कोई कला या उद्योग सिखाया जाना चाहिए, ताकि वह जेल से छूटने के बाद फिर से अपना जीवन शुरू कर सके। दंड देते समय न्यायाधीश को अपराधी के चरित्र और आयु, उसके प्रारंभिक पालन-पोषण, उसकी शिक्षा और परिवेश, जिन परिस्थितियों में उसने अपराध किया, जिस उद्देश्य से उसने अपराध किया और अन्य कारकों का अध्ययन करना चाहिए। ऐसा करने का उद्देश्य न्यायाधीश को परिस्थितियों की सटीक प्रकृति से परिचित कराना है, ताकि वह परिस्थितियों के अनुकूल दंड दे सके।

सैल्मंड के अनुसार, यदि अपराधियों को शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक प्रशिक्षण द्वारा अच्छे नागरिक बनाने के लिए जेल भेजा जाना है, तो जेलों को आरामदायक आवास में बदलना होगा। ऐसे कई अपराधी हैं जो सुधारात्मक प्रभावों की पहुँच से बाहर हैं और जिनके लिए अपराध एक बुरी आदत नहीं बल्कि एक सहज प्रवृत्ति है और उन्हें निराशा में उनके भाग्य पर छोड़ दिया जाना चाहिए। लेकिन लोग आलोचना करते हैं; आपराधिक न्याय का प्राथमिक और आवश्यक उद्देश्य सुधार नहीं बल्कि निवारण है। सुधारात्मक सिद्धांत को पुनर्वासात्मक सजा के रूप में भी जाना जाता है। सजा का उद्देश्य अपराधी को एक व्यक्ति के रूप में सुधारना है, ताकि वह एक बार फिर से समुदाय का सामान्य कानून का पालन करने वाला सदस्य बन सके। यहाँ अपराध पर, किए गए नुकसान या दंड के कारण होने वाले निवारक प्रभाव पर नहीं, बल्कि अपराधी के व्यक्तित्व और व्यक्तित्व पर जोर दिया जाता है।

सुधारात्मक सिद्धांत का समर्थन अपराधशास्त्र द्वारा किया जाता है। अपराधशास्त्र हर अपराध को एक रोगात्मक घटना, पागलपन का एक हल्का रूप, एक जन्मजात या अर्जित शारीरिक दोष मानता है। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो सामान्य व्यक्तियों द्वारा नैतिक कानून के जानबूझकर उल्लंघन के कारण होते हैं। ऐसे अपराधियों को नैतिक कानून के अधिकार को सही साबित करने के लिए पर्याप्त रूप से दंडित किया जाना चाहिए। सिद्धांत के अनुसार, अपराधी मुख्य रूप से मनोवैज्ञानिक कारकों, व्यक्तित्व दोषों या सामाजिक दबावों के कारण अपराध करते हैं। परिणामस्वरूप सजाएँ व्यक्तिगत अपराधी की ज़रूरतों के अनुसार बनाई जाती हैं, और आम तौर पर इसमें सामुदायिक सेवा, अनिवार्य चिकित्सा या परामर्श जैसे पुनर्वास के पहलू शामिल होते हैं। परिवीक्षा अधिकारी या मनोवैज्ञानिक द्वारा सजा से पहले की रिपोर्ट न्यायिक अधिकारी को उचित सजा के फैसले पर पहुँचने में सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सुधारवादी सिद्धांत के समर्थकों के अनुसार, सजा दूसरों के लाभ के लिए एक साधान के रूप में नहीं दी जाती है। बल्कि, सजा अपराधी को खुद को शिक्षित करने या सुधारने के लिए दी जाती है। यहाँ, अपराधी द्वारा किया गया अपराध एक अंत है, न कि निवारक सिद्धांत की तरह एक साधान।

यह दृष्टिकोण वर्तमान समय में आम तौर पर स्वीकार किया जाता है।

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

सुधारवादियों का अंतिम उद्देश्य अपराधी के व्यक्तित्व और चरित्र में बदलाव लाने की कोशिश करना है, ताकि उसे समाज का एक उपयोगी सदस्य बनाया जा सके। दंड के प्रति सुधारात्मक दृष्टिकोण आपराधिक कानून का उद्देश्य होना चाहिए, ताकि समुदाय की अंतरात्मा को ठेस पहुंचाए बिना पुनर्वास को बढ़ावा दिया जा सके और सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके।

सुधारात्मक सिद्धांत के समर्थक :

1. फिजियोलॉजिस्ट
2. समाजशास्त्री
3. अर्थशास्त्री
4. दार्शनिक, राजनीतिक सिद्धांतकार,
5. इतिहासकार

भविष्य के लिए विचार – हमने तर्क दिया है कि यदि हमें ठोस शोध करना है और अपराध नियंत्रण के लिए ठोस सार्वजनिक नीतियाँ विकसित करनी हैं, तो अपराध को समग्र रूप से समझने के लिए मानव पारिस्थितिक दृष्टिकोण का उपयोग करना संभव है – और शायद आवश्यक भी। और हमने यह समझाने की कोशिश की है कि इस दृष्टिकोण का उपयोग यह वर्णन करने के लिए कैसे किया जा सकता है कि कैसे आपराधिक व्यवहार से जुड़े पारिस्थितिक, सूक्ष्म स्तर और वृहद स्तर के, कारण समय के साथ परस्पर क्रिया करते हैं और विकसित होते हैं और वे जीवन के दौरान और पीढ़ियों में व्यक्तिगत विकास को कैसे प्रभावित करते हैं।

यदि अपराध नियंत्रण रणनीतियाँ विशिष्ट आपराधिक कृत्यों को नियंत्रित करने के बजाय अपराध के विकास और अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने पर केंद्रित होती हैं, तो एक साथ कई तरह के असामान्य व्यवहारों के सामान्य स्रोत को संबोधित करना संभव हो सकता है: अपराध, नशीली दवाओं का दुरुपयोग, दुर्घटनाएँ और शायद आत्महत्या भी। और हम ऐसा इस तरह से कर सकते हैं जिससे मानव पूंजी का निर्माण हो और सामाजिक सामंजस्य में सुधार हो।

निष्कर्ष – क्या अपराधी पैदा होते हैं या बनाए जाते हैं? ऐसा होना चाहिए कि वे पैदा नहीं होते, बल्कि बनाए जाते हैं, वे आनुवंशिकता के नहीं, बल्कि पर्यावरण की उपज होते हैं, और उनमें सुधार की क्षमता होती है, जैसे वे भ्रष्टाचार करने में सक्षम थे। साथ ही, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कई अपराधी हैं, जैसे कि अन्य वर्गों के लोग हैं, जो सामान्य नहीं हैं और जिनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिएद्य इसलिए चिकित्सा मन विशेषज्ञ की सेवाओं को किसी भी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, और संभवत: सभ्यता के विकास के साथ–साथ उनका अधिक से अधिक महत्व होगा।

चूंकि हम कारण खोजने और समस्या को ठीक करने के बजाय दंडित करना पसंद करते हैं, इसलिए हम यह मानकर सबसे अधिक सहज हैं कि सभी बुरे व्यवहार जन्मजात बुराई या दंड की कमी के परिणामस्वरूप होते हैं। यदि मेरी बात पर केवल संक्षेप में विचार किया जाए कि माता–पिता दिन–प्रतिदिन और साल–दर–साल अपराधियों को इंच–दर–इंच अपराधी बनाते हैं, तो कोई यह अनुमान लगा सकता है कि स्वस्थ वयस्कों के लिए बच्चों को चोट लगने से बचाने के लिए विकल्प चुनना अधिक आसान और अधिक तर्कसंगत है, बजाय इसके कि बुरी तरह से क्षतिग्रस्त बच्चों के लिए अपनी चोटों से उबरना, यहां तक कि या विशेष रूप से उनके बड़े होने के बाद। प्रकृति विडंबनाओं और विपरीतताओं के साथ काम करती है। जब सबसे भयानक चीजें होती हैं तो हमारे पास यह समझने के सबसे अच्छे अवसर होते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। बच्चों ने पहले भी हत्याएं की हैं, लेकिन पूरे देश को यह समझने की जरूरत नहीं थी।

नव–लोम्ब्रोसियन सिद्धांत : कि अपराध मनोरोग की अभिव्यक्ति है, उतना ही उचित नहीं है जितना कि लोम्ब्रोसियन सिद्धांत कि अपराधी एक अलग शारीरिक प्रकार का गठन करते हैं। निश्चित रूप से, कुछ मनोचिकित्सकों ने रिपोर्ट की है कि उन्होंने पाया है कि अपराधियों का एक बड़ा हिस्सा मनोरोगी है। आपराधिक व्यवहार की व्याख्या के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली मनोरोग का अनुमान उस आपराधिक व्यवहार से लगाया जा सकता है जिसे वह समझाता है; तर्क की उस परिपत्र पद्धति के अनुसार मनोरोग और आपराधिक व्यवहार अनिवार्य रूप से जुड़े होंगे। शायद यही कारण है कि एक मनोचिकित्सक यह कहने में सक्षम रहा है, 'मेरे पूरे अनुभव में मैं एक भी अपराधी नहीं ढूंढ पाया हूं जिसने कोई मानसिक विकृति नहीं दिखाई हो... 'सामान्य' अपराधी एक मिथक है।'

विभिन्न विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वानों द्वारा किए गए संगठित शोध अध्ययनों से जो तथ्य सबसे स्पष्ट रूप से सामने आता है, वह यह है कि व्यक्तित्व का कोई भी लक्षण आपराधिक व्यवहार से बहुत निकटता से जुड़ा हुआ नहीं पाया गया है। अपराधियों के व्यक्तित्व लक्षणों और गैर–अपराधियों के व्यक्तित्व लक्षणों के बीच कोई सुसंगत सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण अंतर नहीं पाया गया है। आपराधिक व्यवहार की व्याख्या, जाहिरा तौर पर, सामाजिक संपर्क में पाई जानी चाहिए, जिसमें एक व्यक्ति का व्यवहार और दूसरे व्यक्तियों का प्रत्यक्ष या संभावित व्यवहार दोनों ही अपनी भूमिका निभाते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. Adler, F., Mueller, G., & Laufer, W. (2007), `Criminology', 7th Ed., McGraw Hill. New York, NY. Pgs 88-173
2. Wilson, Q. & Herrnstein, Richard. (1985). —Crime and Human Nature", New York: Simon and Shuster
3. Burlingham, D., and Freud, A. (1944). Infants without families. London: Allen & Unwin.
4. G. E. Swanson, "The Disturbance of Children in Urban Areas," American So. ciological Review, 14:676-678, October, 1949
5. Marvin E. Wolfgang and Rolf B. Strohm, "The Relationship Between Alcohol and Criminal Homicide," Quarterly Journal of Studies on Alcohol, 17:411-425, No. 3, 2016
6. Edwin H. Sutherland, H. G. Schroeder, and C. L. Tordella, "Personality Traits and the Alcoholic: A Critique of Existing Studies," Quarterly Journal of Studies on Alcohol,
7. Lindesmith, "The Drug Addict, Patient or Criminal?" journal of Criminal Law and Criminology, January
8. Wilson, Q. & Herrnstein, Richard. (1985). "Crime and Human Nature", New York: Simon and Shuster
9. Rachel Boba, (2009), Crime Analysis with Crime Mapping, 2nd Ed., SAGE publication, London.
10. Albert R. Roberts, (2003), Critical Issue in Crime and Justice, 2nd Ed., SAGE publication, London.

11. Sutherland and Cressey, (2011), Principles of Criminology, 6th Ed., Surjeet Publication, New Delhi
12. Wells, Edward L. & Rankin, Joseph H. (February, 1991). Families and Delinquency: A Meta-Analysis of the Impact of Broken Homes. Social Problems, Vol. 38, No. 1, Published by University of California Press. California.
13. Hirschi, Travis. (1969). Causes of Delinquency, Berkeley: University of California Press. (Transaction Publishers reprint edition). ISBN 0-7658-090
14. Tittle, C. R., & Grasmick, H. G. (1998). Criminal behavior and age: A test of three provocative hypotheses. Journal of Criminal Law and Criminology, 88, 309-342
15. Wilkinson, Karen. (1974). The Broken Family and Juvenile Delinquency: Scientific Explanation or Ideology? Social Problems, Vol. 21, No. 5. http://links.jstor.org/sici?sici
16. Katz, Jack (1988) Seductions of Crime: Moral and Sensual Attractions in Doing Evil. New York: Basic Book
17. Barr, William P. `Crime, Poverty, and the Family.' 1992. http://www.heritage.org/Research/Crime/HL401.cfm. Can Married Parents Prevent Crime? Institute for Marriage and Public Policy. 2005.
18. www.marriagedebate.com/pdVimapp.crimefam structure.pdf
19. Ritzer, George. 2008. Sociological Theory. Seventh edition. McGraw-Hill. New York, NY. Pgs. 347-386.
20. Gottfredson, M., & Hirschi, T. (1990). A general theory of crime. Stanford, CA: Stanford University Press.
21. Turvey, B.: Criminal Profiling: an Introduction to Behavioral Evidence Analysis. Academic Press, San Diego (1999)
22. Agnew, R. (1992). Foundation for a general strain theory of crime and delinquency. Criminology, 30, 47-87.
23. Adler, F., Mueller, G., & Laufer, W. (2007), Criminology, 7th Ed., McGraw Hill. New York.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

Biocultural Conservation of Plants Through the Lens of Tribal Knowledge in India

Dr. Ragini Sikarwar*

***Assistant Professor (Botany) Govt. Home Science PG Lead College, Narmadapuram (M.P.) INDIA**

Abstract - India is a biodiversity hotspot with various plant species with huge ecological and medicinal properties. Biocultural conservation and knowledge amongst tribes are closely related, since they have been important to date for the preservation of species. In this paper, the connection between biocultural conservation and knowledge among tribes has been discussed to indicate how indigenous practices, through sustainable use and preservation, of plant resources, bring significant benefits to the whole process. Ethnobotanical research shows that traditional practices are important for maintaining biodiversity and preventing exploitation. Loss of the traditional knowledge because of modernization and environmental degradation hinders conservation efforts. Solutions-possibly community-based conservation programs, documentation of tribal knowledge, and legal protections-must be enacted to help integrate the "traditional" into modern environmental management strategies. In the approach, then, not only will biodiversity be supported but also the cultural heritages of indigenous communities will be underlined in the successful sustenance of a people-nature coexistence.

Keywords : Biocultural conservation, Tribal knowledge, Ethnobotany, Plant conservation, Biodiversity, Indigenous communities, Sustainable practices,Medicinal plants.

Introduction - India is one of the global biodiversity hotspots, harbouring some 45,000 plant species-many of these possessing great ecological and medicinal values (Arya et al.,2022). Such biodiversity is important to keep ecological cycles and serve the traditional and global communities with resources. In such a biodiversity scenario, Indian tribal communities have developed an immense storehouse of traditional knowledge of using these plant species. Such knowledge is essentially passed from generation to generation and associated with cultural practices and local ecosystems.Biocultural conservation is an emerging paradigm that underlines the need to conserve both biological diversity and the cultural practices perpetuating this knowledge (Cavaliere et al.,2024). Recognizing the inherent linkages between indigenous cultures and ecosystems in that biodiversity conservation cannot be fancied to happen without the cultural identities of the same individuals who rely on these resources, such approaches integrate traditional ecological knowledge with modernist conservation strategies to create a holistic framework for biodiversity management.

Role of Tribal Knowledge in Plant Conservation: Indian tribal communities, especially the better-known ones, like Gond, Bhil, and Khasi tribes, have an ingrained feeling of being part of a particular region (Fanon et al.,2023). That is largely interpreted into a vast repository of information regarding plant species possessing medicinal or edible properties. Such intimate knowledge spanning centuries plays an important role for the conservation of most plant species, including some that are endemic to certain areas or regions and not yet acknowledged by modern science to have medicinal properties (Jacob et al.,2024 ; Tiwari et al.,2024).

For instance, the Adivasis of Chhattisgarh rely on Tinosporacordifolia, also called Guduchi, to treat fevers and to boost immunity, thereby justifying the reliance of the tribe on natural drugs vindicated over generations. The Khasi tribes of Meghalaya use the leaves and roots of Costusspeciosus, known as crepe ginger, for its anti-inflammatory properties (Lodh et al.,2024; Hossain et al.,2013). These examples show how practices can still go a long way in applying the traditionalist practices to maintain plant species for sustainable use and conservation. This would be a valuable information for modern pharmacology and agriculture.

The integration of tribal knowledge is integral to efforts in plant conservation because it may not only provide sustainable practices in resource management but also provide deeper insight into ecological interrelations in the local ecosystems. This is especially so amidst changes and other related challenges such as climate and destruction of habitats.

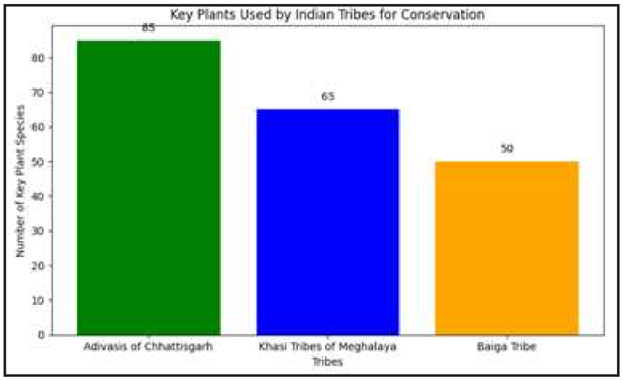

Graph1 : Key Plants Used by Indian Tribes for Conservation

Ethnobotanical Research: Ethnobotany, the study of the interactions between people and plants, is gaining greater importance because scientists are acknowledging the traditional knowledge as a source of new medicines and land use being sustainable (Kumar et al.,2021, Ishtiaq et al.,2024). The tribal knowledge includes the techniques of advanced cultivation methods, seed preservation practices, and environment friendly harvesting developed and refined over centuries of interaction with their environments.

The example is the shifting agriculture system, bevar, used by the Baiga tribe. This would promote crop regrowth through natural regeneration after harvest, thus ensuring sustainability within the ecosystems and saving biodiversity. The rich knowledge of the local ecological dynamics of Baigas enables them to farm in ways that foster both agricultural productivity and ecological integrity (Kariuki et al.,2021). More often than not, the practice of tribe communities centers on the seasonal and rotational use of plant species, thus avoiding excess exploitation and depletion of natural resources.

Ethnobotanical research can have the potential to make these practices more understandable in the context, and traditional knowledge could be documented while validating the importance of such knowledge in modern conservation practice. Such studies would definitely contribute much to finding new medicinal compounds and sustainable agricultural practices that would help the local community as well as the greater scientific one.

Challenges And Solutions: Nevertheless, despite these invaluable contributions by tribal knowledge to biocultural conservation, several challenges face the preservation of this knowledge as well as the ecosystems nurturing it. Modernization, deforestation, and the destruction of the old tribal habitats result in the massive erosion of traditional practices and knowledge systems (Suryani et al.,2024). The industrialization of tribal lands destroys the habitat, loses biodiversity, and undermines traditional livelihoods. To solve such problems, inclusion of tribal knowledge into environmental management policies is required. Some of the strong strategies are as follows:

1. **Community-Based Conservation Programs:** Tribes should be empowered to administer their forests and biodiversity because such programs would help them take responsibility and execute policies, which will be significant at the local level.
2. Documentation and Preservation of Tribal Knowledge Ethnobotanical studies, as well as collaboration between scientists and tribes, are able to aid in preserving and validating indigenous knowledge. Documentation of the knowledge practices will allow conservationists to determine their validity and apply them within wider policies for the environment.
3. **Legal Protection:** Legal frameworks such as the Forest Rights Act, 2006 must be rigorously enforced for tribal communities to have continued access and use of their ancestral lands and resources (Bijoy et al.,2017). The Forest Rights Act gives a legal framework for the rights of indigenous peoples to manage resources sustainably.These can strengthen ecosystem and community resilience; traditional knowledge becomes more liable in conservation efforts.

Table 1: Challenges and Solutions for Biocultural Conservation of Plants

Challenges	Solutions
Loss of Traditional Knowledge	Community-Based Conservation
Modernization	Ethnobotanical Documentation
Deforestation	Legal Protections
Displacement of Tribal Communities	Sustainable Land Management
Industrial Development	Empower Tribal Communities

Conclusion: This approach makes biocultural conservation a move for prudent use of plant resources by incorporating tribal knowledge systems into modern conservation practices. There is more need to conserve plant species and the cultural traditions of indigenous communities because that helps in biodiversity while also supporting some livelihoods. Tribal knowledge, based on two centuries of experience and observations, forms an extremely valuable resource for conserving plants in India. It gives a model of sustainable coexistence with nature and makes cultural heritage a core part of ecological preservation.

In conclusion, there is a need to encourage a collaborative approach that respects and integrates tribal knowledge into strategies for conservation. This will enable us not only to contribute to the preservation of biodiversity but also strengthen the cultural identities of indigenous communities and pave the way for a more sustainable and harmonious relationship with nature.

References:-

1. Arya, A., Patel, V. S., Agrawal, M., Murthy, C. N., Bhatt, B., &Padate, G. (2022). Climate Change and Altered Lifestyle during COVID.
2. Bijoy, C. R. (2017). Forest rights struggle: the making of the law and the decade after. *Law Env't& Dev. J.*, *13*, 73.

3. Cavaliere, C. T., Branstrator, J. R., & Cheer, J. M. (2024). Intersectional emancipation for biocultural conservation: An exploratory neolocalism frame work. *Journal of Travel Research*, 00472875241247315.
4. Fanon, F. (2023). Refusing Race. *Brown Skins, White Coats: Race Science in India, 1920–66*, 190.
5. Hossain, S., Rahman, S., Morshed, M. T., Haque, M., Jahan, S., Jahan, R., &Rahmatullah, M. (2013). Tribal cross-talk as an effective way for ethnobotanical knowledge transfer-inference from Costus specious as a case study.
6. Ishtiaq, M., Sardar, T., Hussain, I., Maqbool, M., Mazhar, M. W., Parveen, A., ...&Sridhara, S. (2024). Traditional ethnobotanical knowledge of important local plants in Sudhnoti, Azad Kashmir, Pakistan. *Scientific Reports*, *14*(1), 22165.
7. Jacob, D. E., Izah, S. C., Nelson, I. U., & Daniel, K. S. (2024). Indigenous knowledge and phytochemistry: deciphering the healing power of herbal medicine. In *Herbal Medicine Phytochemistry: Applications and Trends* (pp. 1953-2005). Cham: Springer International Publishing.
8. Kariuki, R. W., Western, D., Willcock, S., &Marchant, R. (2021). Assessing interactions between agriculture, livestock grazing and wildlife conservation land uses: A historical example from East Africa. *Land*, *10*(1), 46.
9. Kumar, A., Kumar, S., Komal, Ramchiary, N., & Singh, P. (2021). Role of traditional ethnobotanical knowledge and indigenous communities in achieving sustainable development goals. *Sustainability*, *13*(6), 3062.
10. Lodh, D., &Chakraborty, A. (2024). Novel Insight into the Cellular and Molecular Signaling Pathways of Costusspeciosus in the Treatment of COVID-19: A Review.
11. Suryani, R., &Dewi, N. (2024). Modernity as Disruption to Nature, People, and Culture in Things Fall Apart, BurungKayu, and Isinga. *Journal of Literature and Education*, *2*(2), 85-94.
12. Tiwari, P. (2024). An Overview of Medicinal and Aromatic Medicinal Plants & their Protection Strategies in Protected Areas. *Medicinal and Aromatic Plants In and Around Protected Areas of the Indian Subcontinent*, 201.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

Hyperaccumulator Plants for Cleaning Contaminated Soils and Water

Dr. Ragini Sikarwar*

***Assistant Professor (Botany) Govt. Home Science PG Lead College, Narmadapuram (M.P.) INDIA**

Abstract - High amounts of heavy metals and organic pollutants have been discharged into the environment through industrialization and agricultural activities, thus posing harmful effects to human health as well as ecological stability. Conventional remediation techniques include excavation and chemical treatments that are usually very costly and ecologically damaging. This paper focuses on phytoremediation and looks at how hyperaccumulator plants have played a key role in this sustainable biological cleanup of contaminated environments. The highly exceptional ability of taking up and storing heavy metals in tissues as well as persistence under toxic conditions has been demonstrated by hyperaccumulators such as *Brassica juncea, Thlaspicaerulescens,* and *Pterisvittata.* Mechanisms of action include metal chelation, efficient transport systems, and compartmentalization that allows safe storage of contaminants. Whereas there is great promise in phytoremediation through the use of hyperaccumulators, this ability is relatively limited by slow growth rates, bioavailability of metals, and site-specific conditions. There are vast scopes for further research work on genetic engineering, increased resistance of the plants, and novel soil management strategies to ensure increased efficiency of phytoremediation. Overcoming such issues will contribute to sustainable efforts for the cleanup of the environment through green alternatives rather than traditional remediation techniques.
Keywords : Hyperaccumulators, Industrialization, Phytoremediation, contamination.

Introduction - Heavy metals and organic contaminants have significantly contaminated soils and water bodies as a result of industrialization and agricultural practices (Thakur et al.,2022). The stability of ecosystems as a whole, biodiversity, and human health are all seriously threatened by these pollutants. Conventional remediation techniques, such chemical treatments and soil extraction, can cause long-term environmental disruption in addition to being expensive (Rajendran et al.,2022). Through a process known as phytoremediation, hyperaccumulator plants provide a biological solution as a sustainable and environmentally friendly substitute (Bayuo et al.,2024). By utilizing plants innate capacity to absorb, stabilize, and detoxify toxic compounds from contaminated soils and water, phytoremediation offers a low-cost, ecologically friendly method of cleaning up polluted areas (Ali et al.,2023).

Role Of Hyperaccumulators In Phytoremediation: Hyperaccumulators are a special group of plants that absorb and accumulate very large quantities of heavy metals, for example, cadmium, lead, arsenic, and zinc in their tissues, particularly shoots (Sytar et al.,2021). They can tolerate the levels of toxic substances that would be lethal to most plants, hence so very helpful for applications in remediation. When the contaminants dissolve into the tissues of the plants, the plants may be taken out, and the extracted metals may be safely recovered for re-use or discarded via environmentally friendly means. This is referred to as phytoextraction. Some of the best known hyper-accumulators include Thlaspicaerulescens, or Alpine pennycress, Brassica juncea, or Indian mustard, and Pterisvittata, or Chinese brake fern (Ali et al.,2017). These plants are specifically genetically and biochemically modified to safely store the toxic metals and then survive without the devastating impacts of such metals. Phytoremediation therefore holds a promise for sustainable clean-up of polluted environments since hyperaccumulators offer an alternative for clean-up by reduced chemical and mechanical remedies (Munazir et al.,2022).

Table 1: Hyperaccumulator Plant Species and Their Metal Accumulation Sources

Plant Species	Metal Accumulated	Contaminant Source
***Brassica juncea* (Indian mustard)**	Lead, Chromium	Industrial waste, landfills
Thlaspica-erulescens	Cadmium, Zinc	Mining areas
***Pterisvittata* (Chinese brake fern)**	Arsenic	Agricultural runoffs, pesticides

Mechanisms Of Action: Hyperaccumulator plants use

sophisticated survival tactics to tolerate and accumulate lethal levels of metals, which would otherwise be lethal to most species (Li et al.,2024). Thus, the mentioned lethal conditions tolerant and growing in such lethal conditions that involve tolerating, sequestering, and detoxifying adverse metals.

1. Chelation of Metal Hyperaccumulator plants have been seen to produce organic chelates that include phytochelatins and metallothioneins, which can combine with heavy metals like cadmium, lead, and arsenic (Gul et al.,2021). The chelate binds metals with other compounds in such a stable form that is suppressed of their toxic effects. By chelating metals, the plant is able to prevent the toxic substance from interfering at the critical stage of cellular processes.
2. Efficient Transport Systems: The transport of metals from the roots of a plant to its shoot requires specialized transporter proteins, such as ATP-binding cassette (ABC) transporters and natural resistance-associated macrophage proteins (NRAMPs) (Jalmi et al., 2022). The proteins facilitate the efficient uptake and translocation of metals from the soil to various tissues of the plant, thus allowing the accumulation of these elements in specific parts like leaves or stems.
3. Sequestration: After taking up metals, hyperaccumulators sequester them into vacuoles that serve as a form of storage for the cell. This process sequesters the toxic metal away from the other machinery essential for plant development, thereby avoiding chloroplast and mitochondrial damage. This way, hyperaccumulators will continue to grow and flourish even in extremely metal-polluted environments without being poisoned by heavy metal exposure (Singh et al.,2024).

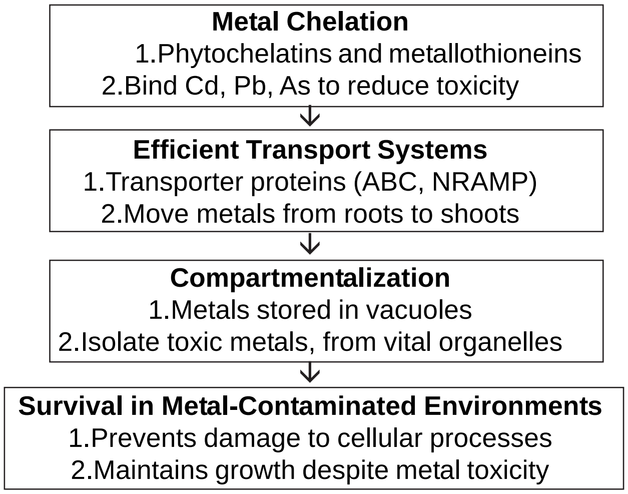

Figure 1 : Mechanism of Action

Challenges And Future Directions: Although hyperaccumulators constitute a promising, environmentally friendly technology for the remediation of contaminated soils and water, there are several hurdles that have so far prevented their wider application (Yu et al.,2024). The growth rates of most hyperaccumulator species are relatively low, which may prolong a remediation process, especially at high contaminant concentrations. Bioavailability of metals in soils appears to be another major factor influencing the uptake and accumulation potential of the plant (Ullah et al.,2023). Such metals as lead are most often tightly bound to the soil particles or exist in less soluble forms, so that the plants fail to tap into and assimilate them satisfactorily. Environmental factors, including variations in the soil, pH, and nutrient availability also affect the efficiency of hyperaccumulators.To eliminate these drawbacks, it has been envisaged through several key areas that the future research works have focused on. Genetic engineering has immense potential for increasing the metal-accumulating ability of the plant in hyperaccumulators. Genetic manipulation through addition or modification of genes for the regulation of uptake, chelation, and transport of metals will be used in the acceleration of fast growth and tolerance of contaminants. Another focus of the research is to identify or engineer hyperaccumulators that are durable under diverse climatic and environmental regimes for making phytoremediation more suitable and applicable across the different regions.Another area of interest is in improvements that have to do with better techniques for managing soils, including chelating agents or biochar that can increase the bioavailability of metals. Continued research and innovation could develop an even more promising tool within this type of hyperaccumulator for ameliorating the growing problem of contamination that arises from metal transport (Kumar et al.,2023).

Conclusion: Hyperaccumulators offer a long-term, environmentally responsible way to clean up heavy metal-contaminated soils and waterways. These plants have the ability to absorb and retain harmful metals through mechanisms like metal chelation, effective transport systems, and compartmentalization. This ability provides a natural substitute for conventional, intrusive cleanup techniques. Nevertheless, obstacles such as sluggish plant development, restricted metal bioavailability, and unstable environmental conditions presently impede the wider implementation of phytoremediation. To get past these obstacles and increase the effectiveness of hyperaccumulators, additional progress in genetic engineering and the creation of hardier plant species will be necessary. By overcoming these obstacles, hyperaccumulators may be able to contribute significantly to extensive, long-term environmental restoration projects, providing a green solution for reducing the negative effects of pollution from agriculture and industry.

References:-

1. Ali, S. R. (2023). Phytoremediation Technique for Agricultural Pollutants. In Advanced Technologies for Water Quality Treatment and Management (pp. 227-

260). Apple Academic Press.

2. Ali, Z., Waheed, H., Gul, A., Afzal, F., Anwaar, K., & Imran, S. (2017). Brassicaceae plants: Metal accumulation and their role in phytoremediation. Oilseed Crops: Yield and Adaptations under Environmental Stress, 207-223.
3. Bayuo, J., Rwiza, M. J., Choi, J. W., Njau, K. N., &Mtei, K. M. (2024). Recent and sustainable advances in phytoremediation of heavy metals from wastewater using aquatic plant species: Green approach. Journal of Environmental Management, 370, 122523.
4. Gul, I., Manzoor, M., Hashim, N., Shah, G. M., Waani, S. P. T., Shahid, M., ...& Arshad, M. (2021). Challenges in microbially and chelate-assisted phytoextraction of cadmium and lead–A review. Environmental Pollution, 287, 117667.
5. Jalmi, S. K. (2022). The role of ABC transporters in metal transport in plants. In Plant Metal and Metalloid Transporters (pp. 55-71). Singapore: Springer Nature Singapore.
6. Kumar, K., Shinde, A., Aeron, V., Verma, A., &Arif, N. S. (2023). Genetic engineering of plants for phytoremediation: advances and challenges. Journal of Plant Biochemistry and Biotechnology, 32(1), 12-30.
7. Li, H., Wang, T., Du, H., Guo, P., Wang, S., & Ma, M. (2024). Research Progress in the Joint Remediation of Plants–Microbes–Soil for Heavy Metal-Contaminated Soil in Mining Areas: A Review. Sustainability, 16(19), 8464.
8. Munazir, M., Qureshi, R., Munir, M., &Mukhtar, H. (2022). Role of Phytoremediation as a Promising Technology to Combat Environmental Pollution. In Phytoremediation for Environmental Sustainability (pp. 423-466). Singapore: Springer Nature Singapore.
9. Rajendran, S., Priya, T. A. K., Khoo, K. S., Hoang, T. K., Ng, H. S., Munawaroh, H. S. H., ... & Show, P. L. (2022). A critical review on various remediation approaches for heavy metal contaminants removal from contaminated soils. Chemosphere, 287, 132369.
10. Singh, V., Punia, A., Thakur, A., Gupta, S., Kataria, R. C., Kumar, R., ...& Chauhan, N. S. (2024). Phytoremediation of Chemical Pollutants and Heavy Metals by Higher Plants. In Phytoremediation: Biological Treatment of Environmental Pollution (pp. 123-147). Cham: Springer Nature Switzerland.
11. Sytar, O., Ghosh, S., Malinska, H., Zivcak, M., &Brestic, M. (2021). Physiological and molecular mechanisms of metal accumulation in hyperaccumulator plants. Physiologiaplantarum, 173(1), 148-166.
12. Thakur, R., Sarvade, S., &Dwivedi, B. S. (2022). Heavy metals: Soil contamination and its remediation. Agriculture Association of Textile Chemical and Critical Reviews Journal, 2022, 59-76.
13. Ullah, S., Liu, Q., Wang, S., Jan, A. U., Sharif, H. M. A., Ditta, A., ...& Cheng, H. (2023). Sources, impacts, factors affecting Cr uptake in plants, and mechanisms behind phytoremediation of Cr-contaminated soils. Science of the Total Environment, 165726.
14. Yu, G., Ullah, H., Yousaf, B., Pikoñ, K., Antoniadis, V., Prasad, M. N. V., ...& Liu, L. (2024). Microbe-assisted phytoremediation of toxic elements in soils: Present knowledge and future prospects. Earth-Science Reviews, 104854.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

The Trojan War Unearthed: An Exploration of Literary Sources and Archaeological Discoveries

Dr. Purwa Kanoongo* Ms. Mariya Attar**

*Associate Professor, Institute of Arts & Humanities, SAGE University, Indore (M.P.) INDIA
** Student, BA (Hons.) (English) Institute of Arts & Humanities,SAGE University, Indore (M.P.) INDIA

Abstract: It is widely believed that the first collection of written stories or literature in general was laid down by the Ancient Greece. The most memorable pieces within their rather extensive pool are Homer's two epic poems the *Iliad* and the *Odyssey*. These epics portray a grand image of their world, with gods and goddesses, heroes, monsters, curses, prophecies, and most importantly a war. The ten year long war, which started in the name of honour and ended with what is probably the most iconic siege in history, has been sketched out in the two epics a lot of other stories. Highly romanticised in all of these accounts, the war have been the subject of awe and speculation for centuries. Did the war of troy really take place? If yes how much of the story's depiction was actually true? Drawing on an extensive collection of classical texts, including the works of Homer, Herodotus, and Hesiod this paper sifts through the layers of myth and history surrounding the Trojan War. Through this analysis, it seeks to discern the historical accuracy of the war and the extent to which it was romanticized in ancient storytelling.
Keywords: Trojan War, Myth, Archaeology, Excavations, Iliad, Odyssey, Epic, Greeks, Hisarlik, Helen of Troy.

Introduction - The literature of Ancient Greece was a rich treasure trove of epics, lyrical and pastoral poetry, tragic and comic drama, prose history and philosophy. The Ancient Greeks were foundational in the formation and naming of many of the genres, which we now use extensively. It is safe to say that we owe a lot of our knowledge about writing and critiquing to the classics. A lot of Greek and Roman literature portrays or draws references from the War of Troy. As such there is no single version of the war and it has to be pieced together through a lot of perspectives and fragmented accounts for a full view. The primary sources for a basic understanding are Homer's epics, as they provide a chunk of information about what happened before, during and after the war. The *Iliad* deals with the wrath of Achilles during the tenth year of the war whereas the *Odyssey* explains the end of the war and the legendary siege of Troy. Being a Roman text Virgil's *Aeneid* depicts the people of Troy and how they had to flee the city post the siege, and is another major text to describe the war. The Romans claimed their lineage to Troy. A lot of other small accounts are found in what is called the *'Epic Cycle'* a series of stories related to the Trojan War. They include *Cypria, Aethiopis, Illiupersis, Nostoi* and *Telegony.* These survive only in fragments and summaries.

Hesiod attempted to classify the heroes of the war in his periods of world's mythical history. He referred to the time of the Trojan War as the 'Heroic Age', the fourth of the late ages. Herodotus who came 300 years after Homer, claimed that the actual history differed from the myth of Homer's creation.

Merging together all of these texts, the story of Trojan War can be understood as follows. It starts with Zeus and Poseidon contesting for the love of a sea nymph, Thetis. Before either brother could act on their desire, they are informed of a prophecy which says that the son born of Thetis to either of them will be more powerful than their father and will possess a weapon that will be more powerful than the Lightning bolt or the Trident. Afraid of the prophecy, Zeus forced Thetis to marry Peleus, King of Pthia. Their wedding feast was organised and all of the gods and goddesses were invited except for Eris, the goddess of strife.

Angered by this humiliation, Eris tossed a golden apple inscribed with the words for the fairest towards the goddesses. Hera, Athena and Aphrodite started arguing about who the apple was meant for. They made Paris, son of King Priam the judge for this issue. Paris was unable to make a decision, so the goddesses started bribing him. Hera promised him strength as a ruler, Athena offered him wisdom and Aphrodite promised him the most beautiful woman on earth. Paris decided in favour of Aphrodite.

Assured by Aphrodite's promise Paris went to Sparta under the disguise of a diplomatic mission and sneaked into Helen's chambers. Before Helen could look up she was shot with an arrow by Cupid or Eros, and fell in love with Paris. He took Helen to Troy, whether Helen went

willingly or not is a matter of debate.

Menelaus, Helen's husband, convinced his brother Agamemnon to lead an armada against troy to retrieve his wife. A thousand ships sailed for the coast of Troy lead by Greek heroes like Odysseus, Ajax, Nestor and Achilles. The battle lasted for ten years, throughout which the Greek were unable to take down the walls of the city of Troy. The ten years though were marked by continuous raids on the villages outside the city walls and looting and enslaving the residents. Both the sides were backed by certain gods. While Aphrodite and Apollo were the major supporters of Troy, Hera and Athena were continuously aiding the Greeks. The ten year long stalemate was broken by Odysseus when he came up with a plan to breach the walls of troy. The Greeks made a show of defeat and returning for their homelands, leaving behind a large wooden horse. Odysseus also planted a double agent, Sinon, who convinced the people of Troy that the Greeks had left the horse as a gift and that it would bring them great fortune. The people of Troy unwittingly and despite warnings from several advisors, including their princess Cassandra, let the horse in the city. When night fell the Greek army hidden in the horse came out and sacked the city, hence ending the Trojan War.

Even if the Greeks technically won the war they committed a lot of atrocities in the process, like the rape of Cassandra by Ajax in the temple of Athena and the brutal murder of Hector's infant son. The Greek heroes paid for all of their sins on the way back home. They were thrown off course time and time again and a lot of Greeks were lost on the way. Those who did make it back to their homeland faced other challenges. Some were murdered, others were exiled and a few were sentenced to both.

Helen in whose name the war had been fought returned with her husband Menelaus after the death of her two successive Trojan husbands. After Menelaus' death she was exiled to the island of Rhodes were she was hanged by a vengeful war widow.

The Trojan War was also related to the foundation of Rome. The romans claimed that their founder was the Trojan hero, Aeneas who fled troy following the siege and founded Rome after roaming a lot of places in search of a home including Carthage.

There are obviously a lot of variations to this story. Different authors have claimed different accounts of the war. Herodotus who was a historian believed that Helen was not even present in troy when the war was being fought. In his version Paris was shipwrecked in Sparta where he was found by Helen and nursed back to health. During this period they fell in love with each other and eloped. Their ship ran into a storm again though and they had to dock in Egypt. Paris' slaves revolted and informed the king at Memphis that a Trojan stranger has abducted the queen of Sparta. Believing the slaves, the king of Egypt kept Helen until her husband could come to retrieve her. The Greeks oblivious to this fact, headed to Troy to demand the return of Helen. When they were told that Helen was not in Troy, the Greeks declared war. This version has been rejected for the fact that if Helen was truly not in Troy, the Greeks would have found out at some point during the ten years. Despite their disagreements all of these authors seem convinced that a war did in fact take place. To the readers and critiques that came after the classical period of Greeks and romans however, a question has always been posed, how much of the myth is actually a myth?

Philosophers of the modern era have varying belief in the truth of the war and myths in general. While David Hume dismissed myths as a result of "fearful humans making up stories in a way that was comforting to them", Johann Gottfried Herder believed them to be "deeply profound truths". According to Walter Burkert "myth is a traditional tale to something with secondary partial reference".

All of their views were a little sceptical due to the lack of historicity and solid evidence. This held true until 1873, when an amateur and untrained archaeologist Heinrich Schliemann claimed to have found the ancient city of Homeric troy. Until then there had only been vague theories about the location and existence of troy, also known as Ilium. Hisarlik was widely believed to be the site of ancient Troy. It is a strategically important location as a major trading route. It is near both the Aegean Sea and the Strait of Gallipoli also known as Dardanelles. A mound was present at this site at the west end of a ridge projecting in an east-west direction from a mountain range. All of these coincided with homers descriptions for Troy, but Heinrich Schliemann was the first to take a gamble and actually dig the place for evidence.

Born in 1822, Heinrich Schliemann was a German businessman and archaeologist. Since childhood he had been fascinated by the idea of Troy he had read about in the book 'world history for children'. He was a naturally talented linguist and spoke more than 15 languages. Earlier working on a ship, he amassed a great wealth in 1851, thanks to his talent with languages, turning profit during a gold rush. He retired in 1858 and spent his time touring classical archaeological sites. In 1868, he met a fellow enthusiast, Frank Calvert. Calvert had also been fascinated by the idea of Homeric troy and had conducted research on the mound in Hisarlik and excavated trenches. He was convinced that it was the site of troy. His family owned land in Hisarlik, including the eastern half of the Hisarlik mound. Lacking funds he asked Schliemann to continue the search. Schliemann began excavations in 1870. It took him three years to find what he believed he was looking for. Heinrich Schliemann's excavations unearthed nine layers of a city. Believing one of the lowest level to be Homeric troy Schliemann claimed to have found the treasure of Priam. It contained gold, valuable artefacts and jewellery including a famous golden diadem. He had also found pottery, gold jewellery, bronze kettle and figurines. But it seemed that

he had been a little hasty in both his excavations and claims to have found 'Homeric troy'.

According to historical estimates, the troy of homers epic fell around 1180 B.C. the layer in which Schliemann found the treasure was troy II which was inhabited around 2550-2300 B.C. troy II seems to be too early in history to be the city homer had described. When these facts came to light Schliemann found himself on the end of a lot of criticism not just because of a claim poorly made but because in his hurry to find just one particular layer, he destroyed all of the layers before. His excavation methods were questioned as he employed 80-160 unskilled workers daily, and they dug a 14 m trench through the centre discarding building rubble from layers considered too late in time to be troy. Later studies showed that the troy Schliemann was looking for might have been troy VI or troy VII a. one of his critic commented that Schliemann had accomplished what the Greeks could not: bring down the walls of troy. He was also sued by the Turkish government for smuggling the treasure out of the country as it was technically the property of turkey.

Despite all of his shortcomings Schliemann was the first person to pinpoint and excavate the site of troy. He allegedly also found other evidences of the war. In 1876, Schliemann started excavations at Mycenae. Here he discovered a gold funeral mask of the Greek Bronze Age which he deemed to be "the mask of Agamemnon".

His work was continued by Wilhelm Dorpfeld a German architect who was known for his stratigraphic excavations. In his searches of the layer troy VI, he found a city with a citadel surrounded by a defensive wall, a megaron (large rectangular central hall), pottery and jewellery along with evidences of destruction by fire, which were all consistent with homers description of king Priam's palace in Iliad. Further digs revealed massive five metre thick defensive stone walls surrounding the citadel with several large towers, public buildings such as workshops storage rooms, gateways and mud brick houses all suggestive of a city with complex social and economic structure. This layer also seemed closer in time to estimated dates of war.

These claims where further investigated by American archaeologist Carl Blegen between 1932 and 1938. He diverged from Dorpfeld's opinion of troy VI being the real troy. This was because he found compelling evidence to suggest that troy VIIa had witnessed lengthy siege and was ultimately sacked. His team found Greek style arrowheads buried in walls, unburied skeletons, animal bones, scorched buildings and other buildings divided into rooms that could accommodate families seeking shelter. Blegen dated fall of troy to c.1250 BCE.

Consequently a lot of discoveries have been made all pointing VIIa as the site of troy. Manfred Korfmann who led an international team found a 'place of burning' with burial urns, amphora and burned bones.

Everything considered it is highly unlikely that the basic plot of homers epic was completely fictional. After all the role of bards in ancient Greece was to pass on traditional tales by the word of mouth. While most of their stories were passed on from generations, they were free to take creative liberties and make additions to these tales, which explains the involvement of gods and the supernatural in these epics. The archaeological evidences found in Hisarlik also point towards the existence of a city and a long war. Although how much of it was real is up for speculation. From a literature point of view, the war gives us valuable insight into the psychology of countless of victims of war. We have accounts of the winning side, the losing side and the people who came before and after, making its literature invaluable.

References:-

1. Homer, The Iliad, 1950
2. Homer, The Odyssey, 1919
3. Heinrich Schliemann, Troja: Results of the Latest Researches and Discoveries on the Site of Homer's Troy, 1882
4. theoi.com
5. history.com
6. britishmuseum.org
7. kinnu.xyz.com
8. discover.hubpages.com
9. worldhistory.org
10. ecampusonatario.pressbook.pub
11. https://doi.org/10.2307/498010
12. Troy and its remains: a narrative of researches and discoveries made on the site of Ilium, and in the Trojan Plain H Schliemann - 2010 - books.google.com
13. Finding the Walls of Troy: Frank Calvert and Heinrich Schliemann at Hisarlik SH Allen - 2023 - books.google.com
14. The fall of Troy in early Greek poetry and art MJ Anderson - 1997 - books.google.com
15. Has the Trojan War been found? D Easton - Antiquity, 1985 - cambridge.org

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

Kavita Kane and Her Feminist Retelling

Dr. Purwa Kanoongo* Ms. Saloni Tiwari**

*Associate Professor, Institute of Arts & Humanities, SAGE University, Indore (M.P.) INDIA
** Research Scholar, Institute of Arts & Humanities SAGE University, Indore (M.P.) INDIA

Abstract: The Hindu mythology has rich history, enigmatic characters resounding stories and a surprising innate association with modern science. There are cyclic periods of time that keep on repeating themselves after a certain interval. The great epics like Mahabharata and Ramayana are the earliest and being the longest known epic in human history which depicted the Indian culture.Hindu mythology gives a lot importance to the role of women equal to that of men. But this importance is limited to few selected women in mythology and the others are left unnoticed.This attitude of the myths being created and criticised by men has compelled the modern women writers to retell the myths from their perspective. Kavita kane has tried to decode this gender consciousness through her novels. Menaka, Surpanakha, Urmila, the minor but important characters in the epics who were marginalized but kane pulled them to the centre and expressed their pains, griefs , desires and rights.
Keywords: Mythology, identity crises, social exclusion, female struggle,Unheard voices, marginalized characters.

Introduction - Kavita Kane, an Indian journalist turned author has authored books related to Indian mythology and legends. She is a prominent figure in the contemporary Indian neo-mythological writings. Kavita is famous for her portrayal of female protagonist who are conventionally and systematically overlooked and cornered by male authors and society at large as well. She picked up various lesser-known female characters from ancient Indian texts, particularly from epics and through her literary genius and arresting narrative techniques gave them a prominent role. Her works fall in the category of postmodern feminism and “she is considered a revolutionary force in Indian writing because she has brought in feminism where it is most needed-mythology. Her famous lesser-known female protagonists include Urmila from Sita’s Sister, Ahalya from Ahalya’s Awakening, Menaka from Menaka’s Choice, Uruvi from Karna’s Wife, Satyavati from The Fisher Queen’s Dynasty, and Surpnakha from Lanka’s Princess. Through these characters Kane proposes to capsize the conventional trope of “ideal woman” into a “new woman”, who is fiercer and bolder toward her desires and requirements. She has been successfully able to give voice to these unheard characters and forced readers to ruminate about these characters in a new light.

Kane’s prose is a symphony, seamlessly blending traditional Sanskrit with contemporary Indian vernacular. This linguistic alchemy evokes the essence of ancient India while remaining accessible to modern readers. Her vivid descriptions transport us to mythical landscapes, immersing us in the sights, sounds, and emotions of her characters’ world. Yet, within this historical tapestry, Kane courageously weaves feminist threads. She challenges patriarchal structures and societal norms, giving voice to the silenced and empowering women to reclaim their narratives.

Beyond retellings, Kane’s versatile voice shines in short stories and essays. She tackles contemporary themes with the same evocative language and insightful perspective, showcasing her mastery of storytelling across genres. Through it all, Kane’s work resonates with a profound emotional connection. Her characters’ struggles and triumphs transcend time and culture, reminding us of the universality of human experience. In essence, Kavita Kane is more than a mythologist; she is a literary architect, reconstructing forgotten narratives, amplifying silenced voices, and reminding us that even the grandest epics hold untold stories waiting to be heard.

Kavita Kane’s work isn’t just about revisiting myths; it’s about reclaiming them. It’s about understanding the past through the eyes of those often ignored, and finding echoes of their struggles in our own lives. By giving voice to the unheard, Kane forces us to confront uncomfortable truths, re-evaluate the narratives we hold dear, and ultimately, rediscover the human spirit in its most raw, resilient form. As you delve into her world, prepare to have your understanding of myth, history, and even yourself, irrevocably transformed. Prominent Indian writer Kavita Kane has established a distinct style in the field of mythological fiction. Her books have enthralled readers with their moving stories and vivid language, rewriting classic tales from the viewpoint of marginalised characters. This

paper explores Kane's writing style, examining its essential components and how they relate to her literary achievements.

Deconstructing the grand narrative- Kavita Kane's most striking feature is her writing style and her focus on the traditional mythological narratives. Instead of focusing on the heroic deeds of the central figures she throws lights on the unheard and silenced voices- the wives, sister and other forgotten heroes who exist in this grand epic but have no spotlight on them. Her debut novel- *Karna's Wife: The Outcast Queen*, gives voice to Uruvi, Karna's loyal yet often overlooked wife It retells the story of Mahabharata; the religious Hindu epic from the perspective of the character Uruvi in relation to Karna as an enigmatic character who is the King of Anga and husband to Uruvi and Vrushali. Myths are criticized for the bias presentation of female characters. The narration of the Mahabharata which has the gigantic episodes of acts and events are presented with experimental exercises and expressions with multi narration by Kane. Analysing from different angles, multiple voices and questioning and re-acting them are the modern trend of writing. Uruvi challenges social patriarchal norms by making her own decisions and questioning her conscience. She questions with logic and argues for the possible, finding her comfort zone. The novel offers a fresh perspective on Mahabharata.

Focusing on feminist narratives- Kane's retelling of myths is often associated with feministic perspective She challenges patriarchal structures and societal norms within the framework of ancient narratives. The female characters of her tale aren't damsels in distress, but human beings who face society expectations, search for agency and create their own destiny.Kane explores and amplifies the voices of women from mythology, shedding light on their experiences, struggles, and strengths. By diving into the untold stories and perspectives of female characters, Kane contributes to a feminist narrative within the context of Indian mythology.Characters like Uruvi (Karna's wife), Urmila (Sita's sister), and Surpanakha (Ravana's sister) take centre stage, allowing readers to see the epic stories through their eyes and understand their often-overlooked perspectives. Kane focuses on these characters to bring out their pains and sufferings and retell the story from their point of view, which gives a fresh perspective to the epics.Her work is not only a celebration of women's voices but also a call for empathy and understanding for these women's. s. Kane's female characters provide a cathartic voice to a community victimized by patriarchal traditions. By distancing themselves from patriarchal anxieties and gender ideologies, Kane's women characters puncture the idolized images of women. From Uruvi to Ahalya, all of Kane's protagonists are the anti-thesis of traditional gender roles. For example, in Ahalya's Awakening, Ahalya is an extraordinary character when viewed from the eyes of Kane. In Ramayana, Ahalya was less glorified and not taken into consideration. But in this novel, Kane focuses more upon the problems that Ahalya had to face in her life in order to attain her passion and bring out her identity. Kane by giving importance to her female characters, emphasis on the main struggle faced by the women in society.

Power of emotional resonance- Kavita Kane's experiences are rich and stimulating, but they are not just about sight and sounds. She infuses them with emotions making one feel the emotion of betrayal, the intense and passionate love and the cold dreads of loss. Her canvas is ancient India, but her emotions are timeless. "Grief demands answers, but one doesn't always get them. Let me hate you as passionately as I loved you". This powerful quote from Kavita Kane's Sita's Sister encapsulates Urmila's complex emotions and the intense grief she experiences after lord Rama's exile. She has been left behind while her husband Lakshmana accompanies Rama and Sita into exile. This sudden separation and the lack of explanation for their forced departure leave Urmila in a state of profound grief. She grapples with unanswered questions: Why did this happen? What could they have done differently? The absence of answers fuels her pain and frustration.Kavita kane with this quote also bring out the fierce side of Urmila in the story which was hidden. The line can also be interpreted as a feminist critique of traditional narratives that prioritize the male hero's journey over the experiences of women left behind. Urmila's anger gives voice to the often-silenced pain of women who are forced to sacrifice their own desires for the sake of duty and societal expectations.

Beyond the epic- Kane's feminist approach goes beyond the retelling of traditional tales. Her style is not limited to the realm of epic mythology. Her stories explore contemporary themes with the same insightful perspective, highlighting the ongoing struggles for gender equality and women's empowerment. By weaving together ancient narratives and modern realities, Kane demonstrates the enduring relevance of feminist themes and inspires readers to engage in critical reflection on their own societal contexts. Kane's work unveils the richness and complexity of feminist thought. By exploring different perspectives and experiences, she creates a multifaceted tapestry that reflects the diverse realities of women in her stories and beyond. Her stories are beyond the epics as she delves into the stories of wives, sisters and other female characters who are marginalised or pushed to sidelines within the broader narrative of the significant epics. These characters are not given central attention or prominence instead they are treated less important.Kane's focus is not on epic clashes and conquests, but on the inner lives of her characters. She explores their emotional complexities, moral dilemmas, and personal growth, offering a more intimate and relatable perspective on myth.

Conclusion- Kavita Kane's novels offer a fresh and compelling perspective on familiar myths and historical

events, giving voice to women who have been overlooked in traditional narratives. Her works encourage readers to reconsider established viewpoints and appreciate the often-unsung heroines who have contributed to the rich tapestry of human stories. An analysis of Kavita Kane's selected female characters suggests that though all of them lived in a male dominated society, these females never cater completely to the men's desires.Kavita Kane's writing style is a potent blend of historical context, feminist insight, and evocative language. By deconstructing traditional narratives, giving voice to marginalized characters, and weaving rich emotional tapestry, she has reimagined mythology for a modern audience. Her work has not only gained critical acclaim but also sparked conversations about gender, identity, and the enduring power of storytelling. Kavita kane has given voice to the voiceless bringing out the hidden characters from the epic who also have a story to tell from their own perspective.

References:-

1. Kane, Kavita. Karna's Wife: The Outcast's Queen. HarperCollins India, 2013.
2. Kane, Kavita. Lanka's Princess. Rupa & Co., 1998.
3. Kane, Kavita. Ahalya's Awakening. Rupa & Co., 2009.
4. Kane, Kavita. The Fisher Queen's Dynasty. Penguin Books India, 2014.
5. Kane, Kavita. Menaka's Choice. HarperCollins India, 2016.
6. Kane, Kavita. *Sita's Sister*. India: Rupa Publication, 2014.Print.
7. Kumar, R. K., and G. K. Sreelakshmi. "Women Identity And Self-Assertion: Study Of Kavita Kane's Mythological Novels." Turkish Journal of Computer and Mathematics Education 12.11 (2021): 5750-5754.

****

A Study of Strategic Human Resource Management Practices in Retail Sector of Bhopal Division

Sawood Mansoori* Prof. (Dr.) Rakesh Tiwari**

***Research Scholar, Faculty of Management, Barkatullah University, Bhopal (M.P.) INDIA**
**** Director, Vidyasagar Institute of Management, Bhopal (M.P.) INDIA**

Abstract - The retail sector in Bhopal Division has experienced significant growth and transformation in recent years, necessitating a closer examination of Human Resource Management (HRM) practices within this dynamic industry. This paper utilizes secondary data to explore the current HRM landscape in Bhopal Division's retail sector. By analyzing existing industry reports, academic research, and government publications, the study aims to provide a comprehensive understanding of HRM practices, including recruitment, training, performance management, and employee retention. The paper identifies key challenges faced by HRM professionals, such as high turnover rates, skill shortages, and evolving employee expectations. It also evaluates the effectiveness of various HRM strategies employed by retail organizations in Bhopal Division. The findings highlight the impact of these practices on employee satisfaction and organizational performance, offering insights into best practices and areas for improvement. The study contributes to the broader discourse on HRM in retail by providing empirical evidence based on secondary data and proposing recommendations for enhancing HRM practices in Bhopal Division's retail sector.
Keywords: Human Resource Management (HRM), Retail Sector, Employee satisfaction, Organizational Performance, Recruitment and Training, Performance Management, Employee Retention, Bhopal Division, Retail Industry Challenges.

Introduction - The retail sector in Bhopal Division, the capital of Madhya Pradesh, has undergone substantial growth and transformation in recent years. This expansion is driven by increasing urbanization, rising disposable incomes, and changing consumer preferences. Bhopal Division has seen a surge in the establishment of various retail formats, including shopping malls, supermarkets, specialty stores, and local retail outlets. This burgeoning retail landscape not only contributes significantly to the local economy but also provides substantial employment opportunities. Understanding the dynamics of this sector is crucial for stakeholders, including business owners, employees, policymakers, and researchers, as it has a direct impact on the socio-economic fabric of Bhopal Division.

In the context of liberalization and globalization, HRM has evolved to be recognized as a strategic business partner in planning policies and achieving organizational goals. HR managers are now expected to demonstrate how HR practices contribute to business performance and organizational objectives. To justify this strategic role, HR professionals need effective tools to measure the impact of HR functions. One such tool is the HR Audit, which links HR systems and policies to organizational objectives, focusing on the business needs of internal customers.

To meet customer expectations, the retail sector is grappling with significant skill shortages. Many retail businesses are experiencing skills gaps, partly due to the influence of automation in the country's manufacturing sector. While some retail establishments have well-trained staff, they struggle to retain them as equally qualified employees are available in other industries. Additionally, there is a lack of skilled workers to fill future roles, especially as more stores are expected to automate and as current employees retire or leave due to illness. The sector is also anticipated to face considerable migration challenges, as employers find it difficult to retain and train employees for essential future positions.

Human Resource Management: Human Resource Management (HRM) is the organizational function focused on managing issues related to people, such as compensation, hiring, performance management, safety, benefits, employee motivation, communication, administration, and training. It is a strategic and comprehensive approach to managing personnel in the workplace. In the current globalized era, HRM's role in a company's success is increasingly important across various sectors. Effective HRM practices are crucial for structuring manpower staffing, performance appraisal, compensation, and training and development. Innovative HRM practices can significantly influence employee attitudes and behaviours.

In the service sector, particularly retail, HRM practices have gained substantial importance. The retail sector demands high-quality human resources to meet the expectations of consumers. This paper focuses on HRM practices in India's organized retail industry, highlighting the current HR challenges faced by this sector. Part I provides an overview of the Indian retail industry, emphasizing the HRM practices in the organized retail sector in Bhopal Division district of Madhya Pradesh state. Retailing, defined as the business activity of selling goods and services to consumers for personal, family, or household use, has seen significant changes, particularly in the 20th century in developed countries. Modern retail formats, such as department stores, discount stores, supermarkets, convenience stores, fast food outlets, specialty stores, warehouse retailers, and hypermarkets, are now emerging in developing countries. Retailing has become more organized, with chain stores utilizing advanced information technology and communication systems to manage their operations, often at the expense of independent shops.

Significance of HRM: Human Resource Management (HRM) plays a pivotal role in the retail sector by ensuring that the right people are in the right roles and are motivated to perform their best. Effective HRM practices encompass recruitment, training and development, performance management, and employee retention strategies. In the retail sector, where customer service and employee-customer interactions are critical, HRM directly influences organizational performance and customer satisfaction. Furthermore, the retail sector is known for its high employee turnover rates, making strategic HRM essential for maintaining a stable and skilled workforce. HRM practices also impact employee relations, job satisfaction, and overall workplace culture, which are vital for sustaining competitiveness in the retail market.

HRM Practices: Overview in the Retail Sector: Human Resource Management (HRM) practices in the retail sector play a critical role in shaping the overall effectiveness and efficiency of retail operations. Based on secondary data sources, including industry reports, academic studies, and expert analyses, this overview examines the key HRM practices prevalent in the retail sector, highlighting trends, challenges, and areas for improvement.

i. Transition from Unstructured to Structured HRM: Historically, the retail sector in India operated in an unstructured manner where hiring was flexible, based on availability and rates. According to Siraj (2013), there has been a significant shift towards a more structured approach, with companies implementing fixed salaries and regulated working hours. This transition reflects a broader trend of formalizing HR practices to improve organizational consistency and efficiency. However, this shift has also introduced challenges, such as the need to address skill shortages and employee retention issues in an increasingly automated industry.

ii. Training and Development: Kulkarni (2011) highlights a notable reduction in training programs within the retail sector. Employers have minimized training efforts due to the high costs associated with these programs and the additional allowances required for employees attending training. This reduction in training is problematic, as it limits employees' opportunities for professional growth and can contribute to dissatisfaction and high turnover rates. The emphasis on training as a key element of HRM practices is crucial, as effective training programs are essential for improving employee performance and retaining talent.

iii. Recruitment and Selection: Recruitment practices in the retail sector have undergone significant changes. Companies frequently modify their recruitment policies to address issues such as employee dissatisfaction and performance problems. This approach can include dismissals based on performance or association with trade unions or political parties. The focus on strategic recruitment is highlighted by, who points out that recruitment should not merely fill gaps but should target acquiring specific skills and experiences that align with organizational needs.

iv. Employee Welfare and Satisfaction: Employee welfare practices in the retail sector have been impacted by policy changes that limit employee power and reduce opportunities for advancement. Companies have altered their policies to make it more difficult for employees to claim additional benefits or allowances, leading to decreased morale and increased tension in the workplace. The focus on balancing company needs with employee welfare is crucial, as highlighted by Merkel, Jackson, and Pick (2006), who emphasize the need for HRM to support employees in managing long working hours and lower pay.

v. Performance Management: Performance management systems are a common HRM practice in the retail sector, aimed at enhancing employee performance and identifying training needs. performance management systems are prevalent in various industries, including pharmaceuticals, where they play a key role in supporting career development and decision-making. The effectiveness of these systems in the retail sector is crucial for ensuring that employees meet performance expectations and contribute to organizational goals.

vi. Strategic HRM Alignment: Strategic alignment of HRM practices with organizational goals is essential for achieving long-term success. Nixon (2011) emphasizes the importance of aligning human resource planning with the organization's strategic objectives. This alignment ensures that HRM practices support the organization's long-term goals and address the evolving needs of the business. In the retail sector, this involves aligning HRM practices with operational demands, such as managing peak trading periods and meeting customer service requirements.

vii. Challenges and Areas for Improvement: The retail sector faces several HRM challenges, including high turnover rates, skill shortages, and the need to balance

employee needs with operational demands. The reduction in training opportunities and changes in recruitment policies reflect broader issues within the sector. To address these challenges, retail organizations must adopt more strategic and comprehensive HRM practices, including enhanced training programs, improved recruitment strategies, and better employee welfare initiatives.

The overview of HRM practices in the retail sector reveals a complex landscape characterized by a transition from unstructured to structured practices, challenges related to training and employee welfare, and the need for strategic alignment with organizational goals. Addressing these challenges requires a focus on improving training and development, strategic recruitment, and balancing employee needs with operational demands. By implementing effective HRM practices, retail organizations can enhance employee performance, satisfaction, and overall organizational success.

Research Problem: Despite the growth of the retail sector in Bhopal Division, there is limited empirical research focusing on the HRM practices and challenges within this context. This study addresses this gap by examining the HRM dynamics in Bhopal Division's retail sector using secondary data. Key challenges such as high turnover rates, skill shortages, and the need for continuous employee development are prevalent in this sector. Understanding these challenges and the effectiveness of current HRM practices is crucial for developing strategies that enhance organizational performance and employee satisfaction. This research seeks to uncover the current state of HRM in Bhopal Division's retail sector and provide insights for improvement.

Literature Review

1. **Siraj (2013)** conducted an in-depth case study of the retail sector in India, examining its evolving environment. The retail sector has transitioned from an unstructured industry, where staff could be hired flexibly based on work availability and prevailing rates, to a more structured industry with fixed salaries and regulated working hours established by companies. However, as large factories in India increasingly adopt automation, there is a notable shortage of skilled workers in certain sectors. This shortage poses a challenge for retailers who struggle to retain their existing employees due to limited opportunities for promotion within the organization or dissatisfaction with management practices.

2. **Kulkarni (2011)** conducted in-depth interviews with retail employees to gain insights into the challenges they face. The study involved some of India's largest and most established retailers, evaluating their policies, practices, and decisions regarding employee welfare. The five key findings from the interviews are:

a. **Reduced Training:** Employers have adopted a strategy of providing less training to employees, recognizing the importance of time and money in the retail industry. Training programs are costly, as companies must pay employees an additional allowance for attending these courses. Consequently, less time is dedicated to employee training.

b. **Policy Changes to Limit Employee Power:** Retail companies have altered their policies to reduce employee power and make it more difficult for employees to claim additional allowances or benefits. For instance, only a few stores allow staff to set their own schedules. Additionally, there are fewer opportunities for promotions, leading to employees feeling unappreciated and creating workplace tension.

c. **Recruitment Policy Changes:** Companies frequently change their recruitment policies to eliminate dissatisfied and unproductive staff. This includes firing employees for unsatisfactory performance, customer complaints, or incidents of physical harassment by customers. In some cases, employees are dismissed due to their association with a trade union or political party.

d. **Limited Skill Development Opportunities:** Opportunities for employees to develop their skills and grow within the company are diminishing. Employees are often assigned small tasks that do not require extensive qualifications or knowledge about the product or service offered by the organization. This lack of growth opportunities contributes to employee dissatisfaction.

3. **Gowali (2010)** reviewed 50 studies on human resource development/management in the corporate sector of India, covering both the manufacturing and service sectors. Her study was based on primary data collected using two questionnaires designed to evaluate 8 and 11 parameters, respectively. Statistical tools and techniques used included mean, standard deviation, coefficient of correlation, and the Z-test. The sample size consisted of 100 organizations and 333 respondents.

Gowali found that there is little difference between human resource development practices in the manufacturing and service sectors. Additionally, the study highlighted the impact of employee motivation towards training programs on the transfer of learning to the job. Improving workforce competence through training and development activities is viewed as a method for creating a competitive advantage.

4. From a strategic perspective, training aims to enhance not only an employee's current skills but also to prepare them for future responsibilities. As employees learn and develop within an organization, their human capital becomes increasingly specific to the firm, making it difficult for competitors to replicate **(Chen and Hung, 2010).**

5. **Nixon (2011)** emphasized that human resource planning is crucial to an organization's strategic plan. It involves systematically matching the interests, skills, and talents of the workforce with the organization's long-term goals and opportunities.

6. **Bhamare (2011)** conducted a study on human

resource practices in women's urban cooperative banks in Maharashtra. The study focused on various HR practices including manpower planning, recruitment, training, performance appraisal, promotion, career planning, and employee welfare. Primary data was collected using a questionnaire, and statistical tools such as frequency, percentage, and averages were employed for analysis. The study revealed that strategic approaches to recruitment are rare, even though recruitment is a strategic opportunity. Ideally, recruitment should not merely address immediate gaps but should focus on bringing specific skills and experiences into the organization, particularly those that cannot be developed internally (Shafique, 2012).

7. The field of strategic HRM has underscored the importance of human and social capital as critical resources for firms. However, the focus has primarily been on organizational-level theories, such as the configuration of high-performance work practices and their alignment with organizational strategy **(Makela, Sumelius, Hiogland, and Ahlvik, 2012)**.

8. **The Confederation of Indian Industry (2012) and Index Advisory Private Ltd.** conducted a study on the state of human resources and industrial relations within the small and medium enterprises (SME) segment. The study assessed various aspects including basic human resources, recruitment, training, manpower planning, performance management, compensation, career planning, and industrial relations. The findings revealed that only 61 percent of the companies had a dedicated human resource department.

9. **Jain's (2012)** paper, based on a doctoral dissertation, evaluated the impact of the reform program on public sector banks (PSBs) from 1991 to 2008 concerning HRM practices. Data collection methods included questionnaires and interviews. Additionally, secondary data was sourced from databases maintained by the Reserve Bank of India (RBI), annual reports, publications from the International Monetary Fund (IMF) and the Bank of International Settlements, and working papers published by various banks over time.

10. **Julia Merkel, Pall Jackson, and Doren Pick (2006),** in their book "New Challenges in Retail Human Resource Management," emphasize that retailing involves directly and personally serving customers. The industry is labour-intensive, with people being the driving force behind every retail transaction. The authors highlight that the demands of long working hours, peaks in trading periods, and sophisticated, well-informed customers necessitate a special focus on HRM. In such conditions, HRM needs to act as a "coach" to organize and support employees and management both mentally and professionally, enabling them to achieve organizational objectives. They also point out that retailing is characterized by longer working hours and lower pay. Therefore, future HRM strategies must find practical ways to balance the company's and employees' needs regarding working hours and compensation, while meeting customer service requirements.

11. **Rao (2003)** states in another study that Indian organizations have largely paid only lip service to human resource development. He identifies several shortcomings: (i) they do not follow structured principles, (ii) very few have a feedback and counselling system, (iii) there is no separate potential appraisal system, and (iv) most do not have a full-time human resource development facilitator.

12. **Kumar (2005)** examined the relationship between human resource development (HRD) practices and management philosophy in Indian business organizations, using the X and Y theories. The study involved 95 and 119 respondents from two private and public organizations, respectively. It was found that there was no significant relationship between HRD practices and management philosophy in public sector organizations. However, in private sector organizations, a strong correlation was observed, particularly concerning training and rewards.

13. **Gupta and Singh (2005)**analysed human resource development in the financial sector, highlighting the need for redefining and remodelling HRD strategies due to changes in the banking system. Their study, which focused on Punjab National Bank (PNB) and Standard Chartered Bank (SCB), found that SCB's HRD practices were more advanced and better developed compared to those of PNB.

14. **Bains (2007)** conducted a comparative study of HRD systems in public and private sector organizations, emphasizing the need to foster a desirable organizational culture. The study concluded that the integrated HR systems developed by private sector companies were more effective than those in public sector organizations.

15. **Vazirani (2007)** investigated the benchmarking of HR practices in selected pharmaceutical companies. The study found that all surveyed companies had performance management systems in place. These systems were instrumental in identifying training needs, enhancing decision-making abilities, and supporting career planning and development.

Research Methodology

Research Design: This study employs a descriptive research design, focusing on analyzing secondary data to explore the dynamics of human resource management (HRM) in the retail sector. By leveraging existing data, the research aims to provide a comprehensive overview of HRM practices, challenges, and trends within the retail industry in Bhopal Division. This design is chosen to enable an in-depth examination of established HRM patterns and their impact on retail operations without the need for primary data collection.

Data Sources: The secondary data sources utilized for this research include:

1. **Industry Reports:** Comprehensive reports from industry bodies and market research firms, which provide insights into current HRM practices, industry standards, and

emerging trends in the retail sector.

2. **Academic Journals:** Peer-reviewed articles and studies published in academic journals that offer theoretical perspectives and empirical findings related to HRM practices and challenges in the retail sector.

3. **Government Publications:** Official reports and publications from government agencies that provide statistical data, regulatory information, and policy analysis relevant to HRM and the retail industry.

4. **Company Reports:** Annual reports and HRM practice documents from selected retail organizations to understand specific practices and challenges faced by companies in the sector.

Data Collection: The data collection process involved identifying and selecting relevant secondary data sources that align with the study's objectives. This was achieved through:

1. **Literature Review:** Conducting a thorough review of existing literature to identify key sources of secondary data related to HRM practices in the retail sector.

2. **Database Searches:** Utilizing academic and industry databases to locate relevant reports, journal articles, and publications.

3. **Selection Criteria:** Applying criteria to select data sources that are current, credible, and pertinent to the research focus on HRM in the retail sector of Bhopal Division.

Data Analysis: The analysis of secondary data involves the following techniques:

1. **Content Analysis:** Systematically examining the content of the selected documents to identify recurring themes, patterns, and insights related to HRM practices in the retail sector.

2. **Trend Analysis**: Analyzing data trends over time to understand the evolution of HRM practices and their impact on the retail sector.

3. **Comparative Analysis:** Comparing HRM practices across different retail organizations and industry reports to highlight variations and commonalities.

4. **Statistical Analysis:** Employing statistical methods to interpret data from industry reports and academic studies, providing a quantitative basis for understanding HRM trends and challenges.

Findings and Analysis

1. **Evolving Retail Sector and HR Challenges:** The transition from an unstructured to a structured retail sector has necessitated a shift in HRM strategies. The challenge of retaining skilled workers in an increasingly automated environment emphasizes the need for HR practices that provide growth opportunities and address employee dissatisfaction. This finding suggests a critical need for retailers to enhance their HR practices to align with the evolving industry landscape.

2. **Challenges in Employee Welfare and Training:** The reduction in training and limitations on employee power are indicative of broader issues within retail HRM practices. These practices reflect a shift towards cost-cutting at the expense of employee development and satisfaction. The findings highlight the need for a balanced approach where cost considerations are aligned with investments in employee development and well-being.

3. **Human Resource Development Practices:** The similarity in HRD practices across sectors suggests that core HR strategies are applicable broadly. However, the emphasis on training as a competitive advantage points to the critical role of targeted HRD efforts in enhancing employee performance and organizational competitiveness. This finding supports the need for robust HRD strategies that align with long-term organizational goals.

4. **Strategic HRM and Human Capital:** The strategic perspective on HRM underscores the importance of investing in employee development to build unique capabilities that contribute to organizational success. This aligns with the broader view of HRM as a strategic partner in achieving business objectives.

5. **Human Resource Planning:** The focus on strategic alignment in HR planning emphasizes the need for HRM practices that support organizational objectives and adapt to changing business environments. This finding reinforces the importance of integrating HRM with strategic planning.

6. **Recruitment Practices:**The study points to a gap in strategic recruitment practices, suggesting that organizations need to adopt a more strategic approach to attract and retain talent with specialized skills. This aligns with the broader view of HRM as a strategic function.

7. **Strategic HRM and Organizational Fit:** The emphasis on alignment highlights the need for HRM practices that not only enhance employee performance but also contribute to achieving strategic objectives. This supports the view of HRM as a strategic partner in organizational success.

8. **HRM Challenges in Retailing:** The study emphasizes the need for HRM strategies that address the unique challenges of the retail sector, including work conditions and employee support. This finding suggests that HRM must be adaptable and responsive to the specific needs of the retail industry.

9. **Human Resource Development Practices:** The study highlights significant gaps in HRD practices, indicating a need for more structured and comprehensive HRD frameworks. This finding suggests that organizations should invest in developing formal HRD systems to support employee growth and development.

10. **HRD Practices and Management Philosophy:** The disparity between public and private sectors in HRD practices suggests that organizations in different sectors may require tailored approaches to align HRD with management philosophy. This finding supports the need for sector-specific HRM strategies.

11. **Comparative HRD Systems:** The effectiveness of

HRD systems in the private sector suggests that public sector organizations could benefit from adopting best practices and creating a more integrated HRD approach. This finding highlights the importance of fostering a positive organizational culture.

12. Benchmarking HR Practices: The presence of performance management systems in pharmaceutical companies underscores the role of such systems in enhancing HRM practices. This finding suggests that performance management is a critical component of effective HR practices across industries.

This analysis produces the findings from various studies, providing a comprehensive overview of the HRM landscape in the retail sector. It highlights key challenges, practices, and opportunities for improving HRM strategies.

Key Challenges Faced by HRM in Bhopal Division's Retail Sector: Based on the data and secondary sources, several key challenges faced by HRM in Bhopal Division's retail sector can be identified. These challenges are indicative of broader trends and issues within the retail industry in India, reflecting both local and national dynamics.

i. Skill Shortages and Employee Retention: As noted by Siraj (2013), the retail sector in India has transitioned from an unstructured industry to a more structured one, with fixed salaries and regulated working hours. However, this transition has coincided with a growing shortage of skilled workers due to increased automation in large factories. This shortage poses significant challenges for retailers in Bhopal Division, who struggle to retain existing employees. Limited opportunities for promotion and dissatisfaction with management practices exacerbate retention issues.

ii. Reduced Training Opportunities: Kulkarni (2011) highlights a strategy among employers in the retail sector to reduce training for employees, driven by the high costs and additional allowances associated with training programs. In Bhopal Division, this reduction in training opportunities limits employees' professional growth and skill development. As a result, employees may feel undervalued and less motivated, contributing to higher turnover rates and a less skilled workforce.

iii. Policy Changes Limiting Employee Power: Retail companies have altered their policies to reduce employee power and make it more difficult for employees to claim additional allowances or benefits (Kulkarni, 2011). In Bhopal Division, these policy changes can lead to decreased employee morale and increased workplace tension. Employees may feel unappreciated and powerless, which can negatively impact their job satisfaction and performance.

iv. Inconsistent Recruitment Practices: Frequent changes in recruitment policies to eliminate dissatisfied and unproductive staff pose another challenge. This includes firing employees for various reasons such as unsatisfactory performance, customer complaints, or associations with trade unions or political parties (Kulkarni, 2011). In Bhopal Division, inconsistent recruitment practices can lead to instability within the workforce, making it difficult to maintain a consistent and experienced team.

v. Limited Skill Development and Growth Opportunities: Opportunities for employees to develop their skills and grow within the company are diminishing. Employees are often assigned small tasks that do not require extensive qualifications or knowledge about the products or services offered by the organization (Kulkarni, 2011). In Bhopal Division, this lack of growth opportunities can contribute to employee dissatisfaction and hinder the development of a skilled and competent workforce.

vi. Balancing Operational Demands with Employee Needs: The retail sector is characterized by long working hours, peaks in trading periods, and the need to serve sophisticated, well-informed customers. As highlighted by Merkel, Jackson, and Pick (2006), HRM in retail needs to find practical ways to balance the company's and employees' needs regarding working hours and compensation, while meeting customer service requirements. In Bhopal Division, this balance can be challenging to achieve, leading to employee burnout and turnover if not managed effectively.

vii. Lack of Strategic HRM Alignment: Nixon (2011) emphasizes the importance of aligning human resource planning with the organization's strategic objectives. In Bhopal Division, retail organizations may struggle with aligning HRM practices with long-term business goals, particularly in a dynamic and competitive market. This misalignment can result in inefficient HRM practices that do not fully support the organization's strategic direction.

viii. Insufficient Human Resource Departments: The Confederation of Indian Industry (2012) and Index Advisory Private Ltd. found that only 61 percent of companies in the SME segment have a dedicated human resource department. In Bhopal Division, this lack of HR infrastructure can hinder the implementation of effective HRM practices, leaving employees without adequate support and guidance.

The key challenges faced by HRM in Bhopal Division's retail sector include skill shortages, reduced training opportunities, policy changes limiting employee power, inconsistent recruitment practices, limited skill development and growth opportunities, balancing operational demands with employee needs, lack of strategic HRM alignment, and insufficient human resource departments. Addressing these challenges requires a comprehensive approach to HRM that prioritizes employee development, strategic alignment, and effective policy implementation to enhance overall organizational performance and employee satisfaction.

Recommendations: Improving HRM Practices Based on Secondary Data Insights

i. Enhance Training and Development Programs: Retail companies should invest in comprehensive training and development programs despite the associated costs.

These programs should be designed to not only enhance current skills but also prepare employees for future roles, aligning with the strategic perspectives highlighted by Chen and Hung (2010). Offering online training modules can be a cost-effective way to provide continuous learning opportunities.

ii. Implement Structured HR Practices: To further this transition, retail companies in Bhopal Division should adopt well-defined HR policies and practices that align with industry standards. This includes establishing clear protocols for recruitment, performance appraisal, and employee welfare, similar to the structured approaches observed by Bhamare (2011) in women's urban cooperative banks.

iii. Foster a Positive Work Environment: Retail companies should focus on creating a supportive and inclusive work environment. This includes involving employees in decision-making processes, providing opportunities for career growth, and recognizing employee achievements. Implementing a transparent feedback and counselling system, as suggested by Rao (2003), can also help in addressing employee grievances and improving morale.

iv. Strategic Recruitment and Retention: Retail companies should adopt a strategic approach to recruitment that focuses not just on filling immediate vacancies but also on bringing in employees with unique skills and experiences that can drive long-term growth. Offering competitive salaries, benefits, and opportunities for advancement can help attract and retain top talent.

v. Leverage Technology for HRM: Retail companies should leverage technology to streamline HR processes and enhance efficiency. Implementing HR management systems (HRMS) can help in managing employee data, tracking performance, and facilitating training programs. This technological integration can ensure that HRM practices are aligned with the company's strategic objectives and can adapt to the changing business environment.

vi. Address Skills Shortages Proactively: Retail companies should proactively address skills shortages by partnering with educational institutions to develop training programs tailored to the needs of the retail industry. Offering internships and apprenticeships can also help in building a pipeline of skilled workers ready to enter the retail workforce.

vii. Promote Work-Life Balance: Retail companies should strive to promote a healthy work-life balance by offering flexible work schedules and fair compensation. Introducing wellness programs and providing support for mental and physical health can also contribute to a more satisfied and productive workforce.

By implementing these recommendations, retail companies in Bhopal Division can improve their HRM practices, leading to higher employee satisfaction, better retention rates, and enhanced organizational performance.

Conclusion: The retail sector in Bhopal Division, like much of India, is at a crucial juncture in its HRM evolution. By adopting the recommended strategies and focusing on creating a supportive and empowering work environment, retail companies can significantly improve employee satisfaction and organizational performance. These improvements will not only benefit the employees but also contribute to the overall growth and success of the retail industry in Bhopal Division and beyond. Effective HRM practices are thus indispensable for navigating the challenges of the modern retail landscape and achieving long-term sustainability and competitiveness.

Future Research Directions: The study of HRM practices in Bhopal Division's retail sector, while insightful, highlights several areas where further research could deepen our understanding and provide additional actionable insights. Future research, particularly involving primary data collection, can address existing gaps and explore new dimensions of HRM in the retail industry. The following suggestions outline potential directions for future research:

i. Employee Perspective on HR Practices:

1. Conduct surveys and interviews with retail employees to gather firsthand insights into their experiences, satisfaction levels, and perceptions of current HR practices.
2. Explore the impact of specific HR practices on employee morale, motivation, and job satisfaction.

ii. Impact of Training Programs:

1. Investigate the effectiveness of various training and development programs through longitudinal studies that track employee performance and career progression over time.
2. Assess the return on investment (ROI) of training programs and identify best practices for maximizing their impact.

iii. Retention Strategies:

1. Examine the factors influencing employee retention in the retail sector, including work-life balance, compensation, career development opportunities, and organizational culture.
2. Develop and test new retention strategies tailored to the unique challenges and needs of retail employees.

iv. Technological Integration in HRM:

1. Study the adoption and effectiveness of HR technologies, such as HR management systems and employee self-service portals, in improving HR processes and employee experiences.
2. Evaluate the role of technology in facilitating remote work, flexible scheduling, and other modern work arrangements in the retail sector.

v. Leadership and Management Practices:

1. Investigate the impact of different leadership styles and management practices on employee engagement, productivity, and organizational performance.
2. Explore the role of middle management in implementing HR policies and fostering a positive work environment.

vi. Workplace Diversity and Inclusion:

1. Examine the current state of diversity and inclusion in Bhopal Division's retail sector, identifying barriers and opportunities for improvement.
2. Assess the impact of diversity and inclusion initiatives on employee satisfaction, innovation, and business outcomes.

vii. Comparative Studies:

1. Conduct comparative studies between different regions or sectors within India to identify regional or industry-specific HR challenges and solutions.
2. Compare the HR practices of multinational retail companies operating in India with those of local retailers to identify best practices and areas for improvement.

viii. Impact of External Factors:

1. Analyze the influence of external factors such as economic conditions, labour market trends, and government policies on HR practices and workforce dynamics in the retail sector.
2. Explore the impact of globalization and international competition on HRM strategies and practices in Indian retail companies.

ix. Employee Well-being and Mental Health:

1. Investigate the prevalence of workplace stress, burnout, and mental health issues among retail employees.
2. Assess the effectiveness of well-being programs and mental health support initiatives in promoting employee health and productivity.

References:-

1. Abdullah, Z., Ahsan, N., & Alam, S. S. (2009). The effect of human resource management practices on business performance among private companies in Malaysia. International Journalof Business and Management, 4(6), 65.
2. Huselid, M. A. (1995). The impact of human resource management practices on turnover, productivity, and corporate financial performance. Academy of management journal, 38(3), 635-672.
3. Pfeffer, J. (1998). The human equation: Building profits by putting people first. HarvardBusiness Press.
4. Som, A. (2008). Innovative human resource management and corporate performance in the context of economic liberalization in India. The International Journal of Human Resource Management, 19(7), 1278-1297.
5. Srimannarayana, M. (2013). Measurement of HR activities in India, Indian journal ofIndustrial Relations, 45(2).
6. Sultana, A. (2014). Human Resource Management in Organized Retail Industry in India.
7. Global Journal of Finance and Management, 6(6), 491-496.
8. Wright, P. M., Gardner, T. M., & Moynihan, L. M. (2003). The impact of HR practices on theperformance of business units. Human Resource Management Journal, 13(3), 21-36.
9. Merkel, J., Jackson, P., & Pick, D. (2006). New challenges in retail human resourcemanagement in Retailing in the 21st Century (pp. 211-224). Springer Berlin Heidelberg.available at www. spinger.com, retrieved on 29th Dec, 2014 at 1.10 p.m.
10. Yeung, A. K., & Berman, B. (1997). Adding value through Human Resource: Reorienting HR measurement to drive business performance. Human Resource Management, fall 1997, 36(3),
11. Ashok Som, (2006), "Bracing for MNC Completion through innovative HRM Practices: The Way ahead for Indian Firms", Thunderbird International Business Review, Wiley Inter Science, Vol. 48(2) 207-237,.,Pg.No.207-211
12. Wharton, "How will competition change Human Resource Management in Retail banking? A Strategic Perspective",Working Paper Series, Wharton School, University ofPennsylvania, Pg. No.1-29.
13. Susan E.Jackson & Randall S. Schuler, "HRM Practices inService-based organizations: A role theory perspective",Advances in Services Marketing and Management, Vol.1,Pages: 123-157.
14. Baker J., Levy M. and Grewal D., An experimental approach to making retail store environmental decisions. Journal of Retailing 69, pp. 445–460, 1992.
15. Khedkar, E. B., Kumar, A., Ingle, A., Khaire, R., Paliwal, J. M., Bagul, D., Warpade, S., Londhe, B. M., Malkar, V., Huddedar, S. P., Jambhekar, N. D., & Raibagkar, S. S. (2022). Study of the causes and consequences of cloned journal publications. Publishing Research Quarterly. 38, 558-572. DOI: https://doi.org/10.1007/s12109-022-09907
16. Kumar, A. (2011). The changing buying behaviour & customer satisfaction in organized retail sector of Pune City (Master Level). The Global Open University. DOI: https://doi.org/10.5281/ze-nodo.6708878
17. Panchal, R., & Sharma, A. (2013). Technological advancement and employment in retail sector in India: A study of four metro cities. Interna-tional Journal of Engineering Business Man-agement, 2(1). Available from: http://www.ijebm.org/
18. Patel, A., Sharma, S., & Magan, M. (2011). Retail workers in India: Current and future trends in employment conditions and training requirements. International Journal of Human Re-source Management, 22(5), 899-924

****

मध्यप्रदेश में युवाओं की राजनीतिक भागीदारी पर एक अध्ययन: प्रवृत्तियाँ, प्रेरणाएँ और प्रभाव

कैलाश मेड़ा*

* शोधार्थी (राजनीति विज्ञान) राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना :

क. वैश्विक परिप्रेक्ष्य: युवाओं की राजनीति में भागीदारी एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसका प्रभाव न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि वैश्विक राजनीति पर भी पड़ता है। पूरे विश्व में, युवाओं का एक बड़ा वर्ग सामाजिक परिवर्तन, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेता रहा है। युवा नागरिकों की राजनीतिक भागीदारी का इतिहास विभिन्न देशों में अलग-अलग रहा है, जैसे; अमेरिका और यूरोप में 1960 के दशक के सिविल राइट्स मूवमेंट्स और छात्र आंदोलनों ने राजनीतिक जागरूकता और सक्रियता को बढ़ावा दिया। ये आंदोलन राजनीति में युवाओं की आवाज़ को मजबूत बनाने में सहायक रहे। मध्य पूर्व में हाल के वर्षों में, 'अरब स्प्रिंग' (2011) के दौरान युवाओं की भागीदारी ने तानाशाही सरकारों को चुनौती दी, जो लोकतंत्र की दिशा में परिवर्तन का प्रतीक बनी। अफ्रीकी देशों में भी युवाओं ने सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपना प्रभाव डाला है, विशेष रूप से शिक्षा, बेरोजगारी, और शासन के मुद्दों पर आंदोलन करके।

ख. भारतीय परिप्रेक्ष्य: भारत में, युवाओं की राजनीति में भागीदारी का एक लंबा इतिहास है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान युवा नेताओं जैसे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, और कई अन्य ने बड़ी भूमिका निभाई। इसके बाद स्वतंत्र भारत में युवाओं ने राजनीति में अपनी सक्रियता बनाए रखी है। हाल के दशकों में, भारतीय राजनीति में युवाओं की भागीदारी को निम्नलिखित घटनाओं के माध्यम से देखा जा सकता है:

1. **1970 का दशक:** 'जयप्रकाश नारायण' के नेतृत्व में हुए छात्र आंदोलन (जिसे 'जेपी आंदोलन' के रूप में जाना जाता है) ने भारतीय राजनीति में युवाओं की शक्ति को प्रदर्शित किया। इस आंदोलन ने इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ व्यापक जनांदोलन खड़ा किया, जिससे आपातकाल की घोषणा हुई।
2. **1990 का दशक और मंडल आयोग आंदोलन:** इस समय, आरक्षण के मुद्दे पर युवाओं का एक बड़ा वर्ग सड़कों पर उतरा। इससे युवाओं की राजनीतिक और सामाजिक चेतना में वृद्धि हुई।
3. **हाल के वर्ष:** आधुनिक भारत में, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म ने युवाओं के राजनीतिक सक्रियता को एक नई दिशा दी है। विशेष रूप से, 'निर्भया कांड' के बाद 2012 में दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शन, 'एंटी-सीएए' आंदोलन, और किसान आंदोलनों में युवाओं की सक्रिय भागीदारी ने दिखाया है कि आज का युवा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों के प्रति कितना जागरूक है।

ग. वैश्विक और भारतीय दृष्टिकोण का तुलनात्मक विश्लेषण: वैश्विक स्तर पर, युवा राजनीतिक आंदोलनों का हिस्सा बनकर सरकारों को चुनौती देते रहे हैं। भारत में भी युवा सामाजिक और राजनीतिक बदलाव के लिए एक प्रमुख ताकत बने हुए हैं। भारत में युवाओं की राजनीतिक भागीदारी का विशेष पहलू उनकी जातिगत और धार्मिक पहचान से जुड़ा हुआ है, जबकि वैश्विक स्तर पर युवा आंदोलनों में अधिकतर मुद्दों जैसे जलवायु परिवर्तन, नस्लवाद, और मानवाधिकारों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। हालाँकि, दोनों स्तरों पर यह समानता है कि युवाओं का बड़ा वर्ग सोशल मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से अपने विचारों का प्रसार करता है और सरकार की नीतियों पर प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया देता है। युवाओं की राजनीति में भागीदारी, चाहे वैश्विक हो या भारतीय, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को जीवंत और सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह भागीदारी सरकारों को जिम्मेदार बनाने के साथ-साथ सामाजिक न्याय और परिवर्तन के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने का कार्य करती है। भारत में, जहाँ युवा जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा है, उनकी राजनीति में सक्रिय भागीदारी लोकतंत्र की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में युवाओं की राजनीतिक भागीदारी: लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में युवाओं की राजनीतिक भागीदारी एक मजबूत और स्थिर लोकतंत्र के निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक है। युवा समाज का सबसे ऊर्जावान और जागरूक वर्ग होता है, जिनके विचार और दृष्टिकोण समाज और राजनीति को नई दिशा देने की क्षमता रखते हैं। उनकी भागीदारी से न केवल शासन और नीति निर्माण की प्रक्रिया में विविधता आती है, बल्कि यह लोकतंत्र की जड़ों को और गहरा भी करती है।

लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में युवाओं की राजनीतिक भागीदारी के कुछ प्रमुख पहलू:

1. **जनप्रतिनिधित्व:** युवाओं की राजनीतिक भागीदारी से शासन में उनके दृष्टिकोण का समावेश होता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि नीतियाँ युवा वर्ग की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाई जाएँ।
2. **नई सोच और नवाचार:** युवा न केवल ऊर्जा का स्रोत होते हैं बल्कि वे नई सोच और नवाचार भी लाते हैं। उनकी भागीदारी से राजनीति में नई दृष्टि और प्रगतिशील नीतियों का विकास होता है।

3. **जवाबदेही और पारदर्शिता:** युवाओं की जागरूकता और सक्रियता से सरकारों को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाया जा सकता है। यह मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से जनमत को प्रभावित करने की उनकी क्षमता के कारण संभव होता है।

4. **समाज में जागरूकता का प्रसार:** युवा वर्ग समाज में राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनके आंदोलनों और अभियानों से समाज में व्यापक परिवर्तन की संभावनाएँ बढ़ती हैं।

महत्वपूर्ण तिथियाँ, घटनाएँ और आँकड़े:

1. **1960 का दशक** – अमेरिका और यूरोप में सिविल राइट्स मूवमेंट्स में युवाओं ने व्यापक भागीदारी की, जिसने वैश्विक राजनीति को प्रभावित किया। इन आंदोलनों ने लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ाई।

2. **1974 – 1977** – भारत में 'जेपी आंदोलन' (जयप्रकाश नारायण आंदोलन) के दौरान छात्रों और युवाओं ने इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ आंदोलन किया। यह आपातकाल (1975–1977) के दौरान भारत में लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए सबसे बड़े आंदोलनों में से एक था। इसमें युवाओं की सक्रिय भागीदारी ने भारतीय राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला।

3. **1989 – चीन** में 'थियानमेन स्क्वायर प्रोटेस्ट' के दौरान छात्रों और युवाओं ने लोकतांत्रिक सुधारों की मांग की। इस आंदोलन ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र और मानवाधिकारों की चर्चाओं को गति दी।

4. **2011 – अरब स्प्रिंग** – मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में युवाओं की भागीदारी से उत्पन्न जनआंदोलनों ने तानाशाही सरकारों को चुनौती दी। यह घटनाएँ कई देशों में लोकतंत्र की स्थापना के लिए प्रेरणास्त्रोत बनीं।

5. **2012 – निर्भया आंदोलन**, भारत – दिल्ली में **'निर्भया कांड'** के बाद देशभर में हुए विरोध प्रदर्शन में युवाओं की बड़ी भागीदारी देखी गई। इस घटना ने भारत में नारी सुरक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाई और कानूनी सुधारों को प्रेरित किया।

6. **2018 – मार्च फॉर अवर लाइव्स, अमेरिका** – अमेरिका में युवाओं ने बंदूक हिंसा के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। यह घटना युवाओं की राजनीतिक सक्रियता का एक उदाहरण है जो लोकतांत्रिक बदलाव की दिशा में काम कर रहा है।

7. **2020 – एंटी-उउअ (नागरिकता संशोधान अधिनियम) आंदोलन भारत** – इस विरोध प्रदर्शन में भारत के विभिन्न हिस्सों में युवाओं ने प्रमुख भूमिका निभाई। यह आंदोलन नागरिकता और धर्मनिरपेक्षता जैसे संवैधानिक मुद्दों पर युवाओं की जागरूकता को दर्शाता है।

8. **2023 के विधानसभा चुनाव** – चुनाव आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, 2023 के विधानसभा चुनावों में भारत के लगभग 50 प्रतिशत मतदाता 18–35 वर्ष की आयु के थे। युवाओं की यह बड़ी जनसंख्या लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है।

युवाओं की राजनीतिक सहभागिता:

भारत की जनसंख्या में युवाओं का प्रतिशत: भारत की जनसंख्या का लगभग 65 प्रतिशत हिस्सा 35 वर्ष से कम आयु का है, और इसमें से 27 प्रतिशत युवा (18–35 वर्ष) की श्रेणी में आते हैं। यह जनसंख्या भारत के राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित करने में सक्षम है। लोकसभा चुनाव 2019 में लगभग 84 मिलियन नए मतदाताओं ने पहली बार मतदान किया था, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा युवा थे। यह युवाओं की लोकतांत्रिक भागीदारी के महत्व को रेखांकित करता है।

यूनाइटेड नेशन्स (संयुक्त राष्ट्र) की 'युवाओं का नागरिक और राजनीतिक अधिकारों में योगदान' रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया भर में युवाओं की भागीदारी से नीतिगत परिवर्तन और सामाजिक सुधार के अवसर बढ़े हैं। युवाओं की राजनीतिक भागीदारी लोकतंत्र की मजबूती के लिए अनिवार्य है। वे न केवल सरकार की जवाबदेही बढ़ाते हैं बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन की पहल भी करते हैं। उनकी सक्रियता से लोकतांत्रिक प्रक्रिया अधिक जीवंत, पारदर्शी, और जनहितकारी बनती है। भारत जैसे देश में, जहाँ युवाओं की संख्या अधिक है, उनकी भागीदारी से लोकतंत्र को एक नई दिशा मिल सकती है और नीतियों में उनकी आवाज़ को प्राथमिकता दी जा सकती है।

एनडीए ने हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में 58 से 61 प्रतिशत तक का युवा समर्थन हासिल किया, जबकि आंध्रा प्रदेश और कर्नाटक में युवा वोट में बढ़ोतरी हुई। 'इंडिया' गठबंधन को हरियाणा, केरल, दिल्ली, राजस्थान, और झारखंड में युवा वोट शेयर में उल्लेखनीय वृद्धि मिली। देश में 210 मिलियन युवा मतदाता इस चुनाव के लिए तैयार थे, जो भारत के कुल मतदाताओं का 22 प्रतिशत हैं। 18 से 25 वर्ष के युवाओं का मतदान प्रतिशत 2014 के बाद से बढ़ा है, 2009 में 54 प्रतिशत से 2019 में 67 प्रतिशत तक पहुँचा। 2019 में 63 मिलियन युवा मतदाताओं ने भाजपा का समर्थन किया था, जिससे पार्टी को बढ़त मिली।

मध्यप्रदेश में राजनीतिक प्रवृत्तियों का अवलोकन: मध्यप्रदेश में राजनीतिक प्रवृत्तियों का अवलोकन विभिन्न ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारकों के गहन विश्लेषण पर आधारित है, जो राज्य के राजनीतिक परिदृश्य को आकार देते हैं। यहां मध्यप्रदेश की राजनीतिक प्रवृत्तियों का विस्तृत अवलोकन प्रस्तुत है:

ऐतिहासिक संदर्भ:

क. गठन: मध्यप्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को विभिन्न रियासतों और क्षेत्रों के विलय के माध्यम से हुआ, जिसने इसके विविध राजनीतिक स्वरूप को प्रभावित किया।

ख. राजनीतिक विरासत: प्रारंभ में कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक परिदृश्य पर वर्चस्व बनाए रखा, लेकिन 1990 के दशक में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उभरने के बाद से यह राज्य की प्रमुख पार्टी बन गई।

ग. विभाजन: 2000 में छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद, राजनीतिक समीकरणों में बदलाव आया और शेष मध्यप्रदेश की विकास आवश्यकताओं पर अधिक ध्यान केंद्रित हुआ।

प्रमुख राजनीतिक दल:

क. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस: ऐतिहासिक रूप से मध्यप्रदेश की राजनीति में एक प्रमुख शक्ति, जिसमें दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जैसे नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

ख. भारतीय जनता पार्टी: पिछले दो दशकों से राज्य की राजनीति में वर्चस्व, जिसमें शिवराज सिंह चौहान जैसे नेता शामिल हैं, जिन्होंने कई बार मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। वर्तमान में मध्यप्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी पूर्व में दो बार के विधायक, फिर तीसरी बारी में वे केन्द्र की पंसद, पार्टी की सहमती से व युवा नेतृत्वकर्ता के रूप में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री बन प्रदेश की कमान संभाल रहे है।

ग. क्षेत्रीय दल: यद्यपि राष्ट्रीय दलों की तुलना में प्रभाव कम है, लेकिन

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और समाजवादी पार्टी जैसे क्षेत्रीय दलों की कुछ आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में उपस्थिति है।

शोध समस्या का कथन: वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में, लोगों की राजनीतिक भागीदारी को प्रभावित करने वाले कारकों का गहन विश्लेषण आवश्यक हो गया है। विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, और तकनीकी परिवर्तनों के कारण लोगों के राजनीतिक दृष्टिकोण और भागीदारी में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। विशेष रूप से मध्यप्रदेश जैसे राज्य में, जहां ग्रामीण और शहरी समाज के बीच स्पष्ट अंतर देखने को मिलता है, राजनीतिक भागीदारी की प्रकृति जटिल है। प्रस्तुत शोध में, शिक्षा, सोशल मीडिया का प्रभाव, और सामाजिक-आर्थिक स्थिति जैसे कारकों का अध्ययन करना आवश्यक है, क्योंकि ये कारक न केवल लोगों के मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में उनकी भागीदारी के स्तर को भी निर्धारित करते हैं। यह अध्ययन इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास करेगा कि ये विभिन्न कारक किस प्रकार और किस सीमा तक मध्यप्रदेश में लोगों की राजनीतिक भागीदारी को प्रभावित करते हैं।

शोध के उद्देश्य:

1. मध्यप्रदेश के युवाओं की राजनीतिक भागीदारी के स्तर का विश्लेषण करना।
2. युवाओं की भागीदारी को प्रभावित करने वाले कारकों की खोज करना।
3. राजनीतिक भागीदारी के शासन और नीतियों पर प्रभाव का आकलन करना।

शोध के प्रश्न:

1. शिक्षा का स्तर किस हद तक मध्यप्रदेश में लोगों की राजनीतिक भागीदारी और मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है?
2. सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म किस प्रकार मध्यप्रदेश के युवाओं की राजनीतिक जागरूकता और भागीदारी पर प्रभाव डालते हैं?
3. सामाजिक-आर्थिक स्थिति (आय स्तर, रोजगार, और आर्थिक सुरक्षा) का मध्यप्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक भागीदारी के स्तर पर क्या प्रभाव है?
4. क्या शिक्षा, सोशल मीडिया, और सामाजिक-आर्थिक स्थिति के बीच कोई पारस्परिक संबंध है जो मध्यप्रदेश में लोगों की राजनीतिक भागीदारी को निर्धारित करता है? यदि हां, तो इन संबंधों की प्रकृति क्या है?

शोध प्रविधि: प्रस्तुत अध्ययन रतलाम जिले के 05 ब्लॉकों में प्रत्येक में से 10-10 उत्तरदाताओं व 18-35 वर्ष की आयु वर्ग के कुल 50 उत्तरदाताओं का चयन किया गया है। उत्तरदाताओं का चयन विभिन्न पेशेवर क्षेत्रों विद्यार्थी, वकील, शासकीय कर्मचारी, व्यवसायी, पत्रकार, समाजिक कार्यकर्ता व राजनेताओं को सम्मलित किया गया है, ताकि उनके दृष्टिकोण और अनुभवों का विश्लेषण किया जा सके। प्रस्तुत अध्ययन में वर्णनात्मक अनुसंधान रूपरेखा का उपयोग किया गया है। वर्णनात्मक डिज़ाइन का चयन इसलिए किया गया है क्योंकि यह उत्तरदाताओं के दृष्टिकोण, विचारों, और अनुभवों का विस्तृत विश्लेषण करने में सहायक होता है। तथ्यों के संग्रह के लिए संरचित प्रश्नावली का उपयोग किया गया, जिसमें खुले और बंद प्रश्न शामिल किये गयें। प्रश्नावली को व्यक्तिगत साक्षात्कार और ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से वितरित किया गया। संकलित तथ्यों का विश्लेषण सांख्यिकीय प्रक्रिया मुख्यत: 'प्रतिशत' के आधार पर वर्गीकरण व उसका स्पष्टीकरण करके, करने का प्रयास किया गया है।

तथ्यों का विश्लेषण:

तालिका क्रमांक 1: 18 से 35 वर्ष के उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

क्र.	उत्तरदाताओं का व्यवसाय	आवृति	प्रतिशत
1	छात्र	20	40
2	सरकारी कर्मचारी	08	16
3	व्यवसायी	07	14
4	राजनेता	05	10
5	वकील	03	06
6	सामाजिक कार्यकर्ता	04	08
7	पत्रकार	03	06
	कुल	50	100 प्रतिशत

प्राथमिक स्रोत: शोध अध्ययन सर्वे

उपरोक्त तालिका अनुसार कुल 50 में से 20 उत्तरदाता छात्र थे, जो कि 40 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये प्रतिवेदक विभिन्न शैक्षिक संस्थानों में अध्ययनरत हैं और युवा राजनीति में विशेष रुचि रखते हैं। 8 प्रतिवेदक सरकारी क्षेत्र में कार्यरत थे, जो कुल सैंपल का 16 प्रतिशत हिस्सा बनाते हैं। ये प्रतिवेदक सरकार की नीतियों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं से भली-भांति परिचित हैं और उनकी राजनीतिक भागीदारी प्रशासनिक दृष्टिकोण पर आधारित है। 7 उत्तरदाता व्यवसायी थे, जो 14 प्रतिशत का हिस्सा बनाते हैं। ये प्रतिवेदक आर्थिक नीति, व्यापारिक मुद्दों, और सरकारी नीतियों के प्रभाव से संबंधित राजनीतिक गतिविधियों में शामिल रहते हैं। 5 उत्तरदाता सक्रिय राजनेता थे, जो कुल सैंपल का 10 प्रतिशत हिस्सा हैं। ये प्रतिवेदक विभिन्न राजनीतिक दलों या संगठनों से जुड़े थे और राजनीति में उनकी सक्रिय भागीदारी सबसे अधिक थी। 3 वकील थे, जो कि 6 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं। वकील राजनीतिक और कानूनी दृष्टिकोण से राजनीति में भाग लेते हैं, और कानून से संबंधित मुद्दों पर विशेष रुचि रखते हैं। 4 सामाजिक कार्यकर्ता थे, जो कुल 8 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये प्रतिवेदक समाज सुधार, न्याय, और मानवाधिकारों से संबंधित मुद्दों पर राजनीति में सक्रिय थे। 3 पत्रकार थे, जो 6 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये पत्रकार राजनीति और समाज से संबंधित खबरों और विचारों को जनता तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और राजनीतिक परिदृश्य का गहन अध्ययन करते हैं। कुल 50 उत्तरदाताओं का साक्षात्कार लिया गया, जिनमें से प्रत्येक का किसी न किसी रूप में राजनीति के साथ सीधा या परोक्ष संबंध था। इस समूह में युवा विभिन्न पृष्ठभूमियों से आते हैं और उनकी राजनीतिक भागीदारी उनके पेशे, शिक्षा, और सामाजिक स्थिति पर निर्भर करती है।

तालिका क्रमांक 2: शिक्षा के आधार पर राजनीतिक भागीदारी

क्र.	उत्तरदाताओं का शिक्षा स्तर	प्रतिशत	
		मतदान करने वाले युवाओं की आवृति (प्रतिशत)	राजनीतिक चर्चाओं में सक्रियता की आवृति (प्रतिशत)
1	स्नातक से अधिक	15 (30)	14 (28)
2	स्नातक	12 (24)	20 (40)
3	उच्च माध्यमिक	13 (26)	13 (26)
4	माध्यमिक	10 (20)	13 (26)
	कुल	50 (100 प्रतिशत)	

प्राथमिक स्रोत: शोध अध्ययन सर्वे

तालिका क्रमांक 2 के अनुसार स्नातक से अधिक शिक्षा वाले में 30 प्रतिशत ने मतदान किया और 28 प्रतिशत ने राजनीतिक चर्चाओं में सक्रियता दिखाई। यह दर्शाता है कि उच्च शिक्षा प्राप्त युवा राजनीति में अधिक रुचि रखते हैं। वहीं स्नातक स्तर के उत्तरदाताओं में 24 प्रतिशत ने मतदान किया और 40 प्रतिशत राजनीतिक चर्चाओं में भाग लेते हैं। स्नातक युवा भी राजनीतिक भागीदारी में सक्रिय रहते हैं। वहीं उच्च माध्यमिक के उत्तरदाताओं में 26 प्रतिशत ने मतदान किया और 26 प्रतिशत ही राजनीतिक चर्चाओं में सक्रिय थे, जो दर्शाता है कि शिक्षा के स्तर में कमी के समान सक्रियता रहती है। माध्यमिक स्तर के उत्तरदाताओं में 20 प्रतिशत ने मतदान किया और 26 प्रतिशत राजनीतिक चर्चाओं में शामिल थे, जो राजनीतिक भागीदारी में सबसे कम है।

तालिका क्रमांक 3: सोशल मीडिया का प्रभाव

क्र.	सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म	प्रतिशत	
		उपयोग करने वाले युवाओं की आवृति (प्रतिशत)	राजनीतिक चर्चाओं में सक्रियता की आवृति (प्रतिशत)
1	फेसबुक	13 (26)	16 (32)
2	ट्विटर	09 (18)	05 (10)
3	इंस्टाग्राम	13 (26)	12 (24)
4	व्हाट्सएप	15 (30)	17 (34)
	कुल	50 (100 प्रतिशत)	

प्राथमिक स्रोत: शोध अध्ययन सर्वे

तालिका क्रमांक 3 के अनुसार सबसे अधिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रूप में व्हाट्सएप का उपयोग 30 प्रतिशत युवा करते हैं वहीं सबसे ज्यादा 34 प्रतिशत उत्तरदाता राजनीतिक चर्चाओं में सक्रिय हैं। यह सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला प्लेटफॉर्म है। फेसबुक का उपयोग 26 प्रतिशत युवा करते हैं, और इनमें से 32 प्रतिशत युवा राजनीति से संबंधित चर्चाओं में भाग लेते हैं। इंस्टाग्राम का उपयोग 26 प्रतिशत युवा करते हैं, लेकिन केवल 24 प्रतिशत ही राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। यह दर्शाता है कि इंस्टाग्राम पर सामाजिक मुद्दों की चर्चा व्हाट्सएप की अपेक्षा कम है। ट्विटर का उपयोग 18 प्रतिशत युवा करते हैं, जिनमें से मात्र 10 प्रतिशत उत्तरदाता ही राजनीतिक चर्चाओं में सक्रिय रहते हैं, जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में सबसे कम व सीमित उपयोग किया जाने वाला व राजनीतिक सक्रिय चर्चाओं वाला माध्यम हैं।

तालिका क्रमांक 4: सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर राजनीतिक भागीदारी

क्र.	आर्थिक स्तर	प्रतिशत	
		मतदान दर कीआवृति (प्रतिशत)	राजनीतिकगतिविधियों में भागीदारी की आवृति (प्रतिशत)
1	उच्च आय वर्ग	05 (10)	09 (18)
2	मध्यम आय वर्ग	25 (50)	27 (54)
3	निम्न आय वर्ग	20 (40)	14 (28)
	कुल	50 (100 प्रतिशत)	

प्राथमिक स्रोत: शोध अध्ययन सर्वे

उच्च आय वर्ग के उत्तरदाताओं में से 10 प्रतिशत ने मतदान किया और वहीं 18 प्रतिशत ही राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। यह समूह राजनीतिक जागरूकता में सबसे कम है। मध्यम आय वर्ग के संबसे अधिक 50 प्रतिशत ने मतदान किया और 54 प्रतिशत राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, जो संतुलित व अधिक राजनीतिक भागीदारी को दर्शाता है। निम्न आय वर्ग के उत्तरदाताओं में मतदान दर 40 प्रतिशत है और 28 प्रतिशत राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होते हैं, जो दर्शाता है कि निम्न आय वर्ग के आर्थिक स्तर के समूह भी देश व स्थानीय स्तर की राजनीतिक गतिविधियों में बेहतर भागीदारी व अहम भूमिका निभाती है।

उपर्युक्त तालिकाओं से स्पष्ट होता है कि मध्यप्रदेश में युवाओं की राजनीतिक भागीदारी शिक्षा स्तर, सोशल मीडिया उपयोग, और आर्थिक स्थिति से प्रभावित होती है। उच्च शिक्षा और मध्यम आय वाले युवा अधिक सक्रिय हैं, जबकि सोशल मीडिया ने राजनीतिक चर्चाओं के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया है।

निष्कर्ष: रतलाम जिले के युवा, जो मध्यप्रदेश के सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य का हिस्सा हैं, उनकी राजनीतिक भागीदारी में बीते वर्षों में वृद्धि देखी गई है। अध्ययन से पता चलता है कि 18-35 वर्ष आयु वर्ग के युवा अब पहले की तुलना में अधिक सक्रिय रूप से चुनावों में हिस्सा लेते हैं, राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करते हैं, और राजनीतिक दलों की गतिविधियों में भागीदारी करते हैं। हालांकि, इसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच जागरूकता का अंतर स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। शहरी क्षेत्रों के युवा राजनीति के बारे में अधिक जानकारी रखते हैं और सोशल मीडिया का उपयोग करके अपने विचार साझा करते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के युवा पारंपरिक माध्यमों पर अधिक निर्भर रहते हैं। इसके अलावा, कई युवा यह महसूस करते हैं कि राजनीति में ईमानदारी और पारदर्शिता की कमी है, जिसके कारण उनमें निराशा का भाव भी है। लेकिन सरकार की योजनाओं और नीतियों में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने से इस स्थिति में सुधार हो सकता है।

सुझाव:

1. **राजनीतिक शिक्षा कार्यक्रम:** युवाओं को राजनीति और लोकतंत्र की समझ विकसित करने के लिए शिक्षा संस्थानों में विशेष पाठ्यक्रम और कार्यशालाएँ आयोजित की जानी चाहिए।
2. **डिजिटल प्लेटफार्म का उपयोग:** सोशल मीडिया और डिजिटल मंचों के माध्यम से युवाओं के बीच राजनीतिक मुद्दों पर संवाद को बढ़ावा दिया जाए।
3. **स्थानीय नेताओं का संवाद:** स्थानीय राजनीतिक नेताओं और युवाओं के बीच संवाद सत्र आयोजित किए जाएं, जिससे युवाओं को राजनीतिक प्रक्रियाओं में शामिल होने का मौका मिले।
4. **नागरिक जागरूकता अभियान:** ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिक जागरूकता अभियानों के माध्यम से युवाओं को उनके मतदान अधिकार और राजनीतिक भागीदारी के महत्व के बारे में जानकारी दी जाए।
5. **प्रोत्साहन योजनाएं:** सरकार को उन योजनाओं पर विचार करना चाहिए जो युवाओं की राजनीतिक भागीदारी को प्रोत्साहित करें, जैसे कि युवा संसद कार्यक्रम और राजनीतिक कार्यशालाएँ।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. https://www.youthinpolitics.in

2. भारत की जनगणना 2011, भारत सरकार
3. आलम, एम. एस., और अहमद, एच. (2017). स्थान, राजनीति और मतदान. एस. पल्शिकर, एस. कुमार, और एस. लोढ़ा (संपादक), भारत में चुनावी राजनीति: भारतीय जनता पार्टी का पुनरुत्थान में. रूटलेज.पृ. 115-117
4. एशवर्थ, एस. (2012). चुनावी उत्तरदायित्व: हालिया सैद्धांतिक और अनुभवजन्य कार्य. एनुअल रिव्यू ऑफ पॉलिटिकल साइंस, 15, 183-185.
5. https://ceomadhyapradesh.nic.in
6. https://des.mp.gov.in/
7. मध्यप्रदेश सरकार जिला पोर्टल
8. मध्यप्रदेश सरकार का आधिकारिक पोर्टल – मध्यप्रदेश के सामाजिक-राजनीतिक नीतियों और योजनाओं के लिए।
9. https://mplocalelection.gov.in
10. https://ceomadhyapradesh.nic.in
11. नीति आयोग, भारत सरकार – देश के विकास योजनाओं और राज्यों में युवाओं की भागीदारी के संदर्भ में।
12. पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च – भारत में कानून और नीति निर्माण में युवाओं की भागीदारी से संबंधित शोधपत्र और रिपोर्ट।
13. https://mpvidhansabha.nic.in
14. इंडियन जर्नल ऑफ़ पॉलिटिकल साइंस – भारत में राजनीतिक अध्ययन से संबंधित शोधपत्र और लेख।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

हिन्दी साहित्य में जीवन मूल्य का महत्व

मनोज कुमार सरगड़ा*

* हिन्दी साहित्य, मु.पो. गलियाकोट (हरीमगरी) तह. गलियाकोट, जिला डूंगरपुर (राज.) भारत

प्रस्तावना – वास्तव में मूल्य की सार्थकता उसी समय तक है जब तक वह मानवीय आवश्यकता की सन्तुष्टि करे और यदि उसकी अर्थवत्ता समाप्त होती है तो उसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। तात्पर्य स्थूल रूप में मूल्यों में मानवीय आवश्यकतानुसार परिवर्तन संभव है। समाजशास्त्रीय शब्दकोश में मूल्य की परिभाषा इस प्रकार है – 'किसी वस्तु की मानवीय आकांक्षा को पूरी करने वाली विश्वस्त योग्यता किसी वस्तु का वह गुण जो व्यक्ति अथवा व्यक्ति के समूह के लिए उसे रुचिकर बनाता है। उसे मूल्य कहते हैं। मूल्य शब्द धीरे-धीरे अपनी गरिमा के आधार पर व्यापक अर्थों में प्रयक्त होने लगा है। मूल्य का सम्बन्ध केवल बाह्य और भौतिक वस्तुओं तक ही सीमित नहीं रहा अपितु यह शब्द जीवन के सत् पक्षों के साथ जुड़कर आन्तरिक जगत् (भाव-जगत) से स्थापित हुआ।

मूल्य उन्हीं व्यवहारों को कहा जाता है, जिनमें मानव जीवन का हित समाविष्ट है जिनकी रक्षा करना समाज अपना सर्वोच्च कर्तव्य मानता है। मूल्य एक प्रकार की शाश्वतता का बोध कराते हैं। ये जीवन के आदर्श एवं सर्वसम्मत सिद्धान्त होते हैं। मूल्य उस सर्वसम्मत व्यवहार को कहते हैं, जिसे अपना कर कोई जाति, धर्म या समाज सार्वजनिक जीवन को सुन्दर बनाने का नियोजन करता है। मूल्य सामाजिक मान्यताओं के साथ बदलते रहते हैं किन्तु उनमें अन्तर्निहित मंगलकामना और सार्वजनिक हित की भावना कभी तिरोहित नहीं होती। नये परिवेश में पुरानी मान्यताएं जब कालातीत हो जाती हैं तो समाज नयी मान्यताओं को स्वीकार कर लेता है और वे ही मान्यताएँ 'मूल्य' बन जाती हैं।

मूल्य परम्परा का प्राणतत्व है। प्रत्येक समाज में परम्परागत व्यवहार और मान्यताएँ नदी के प्रवाह की तरह सतत चलती रहती हैं। जिस प्रकार नदी के मूलप्रवाह में यत्र-तत्र अनेक धाराएँ आ मिलती हैं परन्तु मूलधारा विस्तार पाकर संस्कारों में नये व्यवहार स्रोत आ मिलते हैं उसी प्रकार नयी परम्पराएँ और रूढ़ियाँ अस्तित्व में आती रहती हैं। पुरानी मान्यताएँ अपना अस्तित्व खोती जाती हैं, पर मूलधारा का प्रवाह नहीं टूटता, यह मूलधारा परम्परा कहलाती है। मूल्य इसकी शाश्वत मान्यताएँ हैं।'

जीवन मूल्य के संदर्भ में हिन्दी के रचनाकारों की मान्यताएँ उपयक्त लगती हैं।

डॉ. देवराज के अनुसार – 'मूल्य होते हैं जिनकी मनुष्य कामना करता है। चरममूल्य उन वस्तुओं, स्थितियों तथा व्यापारों अथवा उनके उन विशिष्ट पहलुओं को कहते हैं जो मनुष्य की सार्वभौम संवेदना को आवेगात्मक अर्थवत्ता देते हुए दिखाई देते हैं।'

डॉ. प्रभाकर माचवे का कथन है कि – 'मानवी क्रियाओं में, आचार व्यवहार में, अच्छाई या शिवत्व का मूल्य क्या है? यही नीति शास्त्र का विषय है।'

डॉ. मुखर्जी के अनुसार – 'किसी भी समाज में सभी मूल्य स्वीकार नहीं किये जाते। मान्यताएँ और परिस्थितियाँ जिस प्रकार की होंगी, उसी प्रकार मूल्य की स्वीकृति होगी।'

डॉ. आनंद प्रकाश दीक्षित के अनुसार – 'मेरे लिए आदर्श या उदात्त लक्ष्य के अभाव में किसी 'मूल्य' जैसे शब्द की धारणा संभव नहीं है। 'मूल्य वह है कि जिसके पीछे हम चलना चाहें जिसे हम उपलब्धि के योग्य समझें, जिसे जीवन में महत्व दे सके।'

श्री प्र.ग. सहस्त्रबुद्धे के अनुसार – 'उन्नतिशील व्यक्ति एवं राष्ट्र की कुछ कसौटियाँ हैं। उन कसौटियों पर जो खरे उतरे वे ही तर गए, जीवन की परीक्षा में वे उत्तीर्ण हुए। जिन्हें आवश्यक गुणांक मिल न सके वे फिसल गए, अनुत्तीर्ण हुए। ये जो आवश्यक गुण हैं उन्हीं को श्रीमद्भागवत गीता में 'देवी सम्पन्न' के नाम से सम्बोधित किया गया है। आधुनिक परिभाषा में इन्हीं को 'जीवन मूल्य' कहते हैं।'

हिन्दी साहित्य कोश के अनुसार – 'मूल्य और प्रतिमान समानार्थी शब्द हैं। दोनों ही मानव निर्मित कसौटियाँ हैं, जिनके सहारे साहित्य का मूल्यांकन किया जाता है। मनुष्य के कुछ वैयक्तिक व्यवहार होते हैं, परन्तु समाज, नगर, प्रदेश, प्रान्त, राष्ट्र और समाज का सदस्य होने के नाते उसे कुछ सामाजिक बन्धनों को स्वीकार करना पड़ता है।'

उपर्यक्त परिभाषाओं के आधार पर स्पष्ट होता है कि मूल्यों का जैसे व्यक्तिगत संदर्भ में महत्व है उसी प्रकार सामाजिक संदर्भ में वे महत्वपूर्ण हैं। मूल्य संबंधी भारतीय दृष्टिकोण मूल्यों के जीवन संदर्भ में ही क्रियान्वयन की अनिवार्यता को स्वीकार करता है। भारतीय आचार्यों और ऋषिमुनियों ने जीवन को श्रेष्ठ बनाने और परमानंद की प्राप्ति के लिए जिन पुरुषार्थों की रचना की हैं, उसे ही भारतीय दर्शनशास्त्र में मूल्यों के रूप में स्वीकार किया गया है, जिनका पालन करके मनुष्य इहलोक और परलोक दोनों को सुखी बनाता है। पुरुषार्थ का सामान्य अर्थ है – धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इन चारों पुरुषार्थों के आधार पर ही भारतीय जीवन टिका हुआ है और इन्हीं के अनुसार

जीवन जिया जाता है।

भारतीय समाज में परम्परा और नये मूल्यों का संघर्ष प्रबलता से अनुभव किया जा रहा है। आज का व्यक्ति संघर्ष को झेल ही नहीं रहा वरन् इसमें से राह पाने का प्रयत्न कर रहा है। आज समाज में नये-नये मूल्य निर्माण हो रहे हैं, पुराने मूल्यों पर संकट आ रहे हैं। विज्ञान पर विश्वास रखने वाले लोग रूढ़िगत मान्यताओं को कम महत्व देने लगे हैं। प्राचीन काल में विवाह संस्था की पवित्रता स्वीकार की गई थी, समाज में लोगों की विवाह के प्रति अनूकूल धारणा विद्यमान थी, अत: विवाह समाज में महत्वपूर्ण मूल्य के रूप में स्वीकृत था लेकिन आज विवाह के बन्धन शिथिल होने लगे, विवाह-विच्छेद को इतना बुरा नहीं माना जाता, वैवाहिक सम्बन्धों में पड़ती हुई दरार ने विवाह की अनिवार्यता पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया है। अनेक पुरुष और स्त्रियाँ अविवाहित जीवन जीने में रुचि दिखाने लगे हैं। हर समाज तथा संस्कृति की भिन्न-भिन्न जातीय विशेषताएँ होती हैं जो मूल्य संस्कार को निरन्तर रूप प्रदान करती रहती हैं। जीवन की सहजता स्वयं एक मूल्य है। हमारी सभ्यता ने हमारे ऊपर इतने कृत्रिम अवधारणा डाल रखे हैं, कि हम मनुष्य की तरह जिन्दगी न जीकर यंत्र की तरह जीते हैं। हमारे पाप-पुण्य दोनों बनावटी हो गये हैं और हम बनावटी हो गये हैं। किसी चीज को सही समझकर उसे सही नहीं कर पाते, धीरे-धीरे बनावटी जीवन-मूल्यों और पद्धतियों को ओढ़ बैठे है। मूल्य दैविक चमत्कार की भाँति अचानक उत्पन्न नहीं होते हैं। मूल्यों का विकास समाज के साथ-साथ हुआ है। मनुष्य बनता है, बिगड़ता है।

निष्कर्षत: मूल्यों की अनिवार्य परिणति मानवीय सम्बन्धों को पुष्ट करने में होती है। मूल्यों का महत्व मानव जीवन में असाधारण है चाहे समय समय पर होने वाले परिवर्तनों के कारण सामाजिक विघटन के साथ मूल्य टूटते हैं बनते हैं तो भी उनकी स्थिति हमारे जीवन में अनिवार्य है।

साहित्य जीवन की अभिव्यक्ति है। जीवन का जटिल इतिहास ही साहित्य का प्रमुख विषय है। जीवन ही साहित्य बनाता है, इसीलिए जीवनमूल्यों का और साहित्य का घनिष्ठ सम्बन्ध है। जीवन के शाश्वत मूल्य सत्यं, शिवं, सुंदरम् तीनों की सामंजस्यपूर्ण प्रतिष्ठा ही सफलता की पराकाष्ठा है। सत्यं उसकी आधार भूमि है, शिवं उसका लक्ष्य और सुंदर उस लक्ष्य तक पहुँचने का साधन है, 'हितेन सह सहितं' कहकर साहित्य शब्द के व्याख्याकारों ने उसमें स्वयं कल्याण भावना की प्रतिष्ठा की है। साहित्य स्थापित जीवन मूल्यों से सम्बन्धित प्रश्नों का उत्तर अपनी प्रणाली से देता है। जीवनमूल्य परिवर्तनशील हैं। परिवर्तनमान स्थितियों को उस समय का रचयिता अथवा साहित्यकार अपनी अन्तर्दृष्टि से देखता है। प्रचलित मूल्यों को अस्वीकारण कर नये मूल्यों की रचना करता है। इस दृष्टि से 'साहित्य के मूल्य जीवन के मूल्यों के विरोधी नहीं हो सकते। भारतीय बुद्धिवादी जीवनमूल्यों को साहित्य की सर्वोच्च कसौटी मानते हैं।'

साहित्य को मानव समाज के लिए उदात्त विचारों तथा तत्वों का विवेचन करना होता है। 'मूल्य' शब्द की समाज-कल्याण या मानव हित वाले अर्थ तक ही सीमित नहीं रहता है। वह तो साहित्य में 'शिव' के साथ-साथ सत्य और सुन्दर' को भी समाहित करता जाता है। जीवन लक्ष्य से जुड़े हुए जीवनमूल्यों की पहचान हम साहित्य के जरिए कर सकते हैं।

आज की कहानी ने काल्पनिकता को त्यागकर 'सत्य' को अपना विषय बनाया है। यह सत्य हमारी रूढ़ियों, परम्पराओं, मान्यताओं, रीतिरिवाजों के साथ साथ मूल्यों से जुड़ा है। टूटते हुए पारिवारिक सम्बन्ध, बनते हुए नवीन सम्बन्ध नारी आर्थिक संघर्ष, नारी का प्राचीन भावभूमि से निकलकर नवीन भावभूमि में प्रवेश मानव के अस्तित्व का प्रश्न इस परिवर्तन के कुछ आयाम हैं जो कहानी साहित्य में अभिव्यक्त हुए हैं।

साहित्यकार अनिवार्य रूप से समाज के प्रति समर्पित होता है। वह अपनी रचनाओं के द्वारा जीवन-मूल्यों के माध्यम से इसी साहित्यकर्म के दायित्व की पूर्णता करता है। साहित्य की विविध विधाओं में से 'कहानी' विधा मूल्यों के प्रति उसके जन्मकाल से ही समर्पित रह चुकी है। कहानी का उद्गम ही इसी उद्देश्य से हुआ है। प्राचीन काल की कहानियाँ नैतिकता का प्रतिपादन करने वाली एवं उपदेशपूर्ण ही रही हैं। कहानी कला की दृष्टि से अविकसित होते हुए भी जीवन मूल्यों के प्रति समर्पित रह चुकी है चाहे भारतेन्दुकालीन कहानी से लेकर प्रेमचंदजी, प्रसादजी की कहानियाँ हों अन्तर सिर्फ इतना ही रहा है कि प्रेमचंदकालीन कहानियों में कहानीकार की दृष्टि आदर्शो पर अधिक टिकी है। अधिकतर कहानियाँ मानव चरित्र की उदात्तता चित्रित करती हैं और समाज सुधारकों की भाँति सुधारवादी दृष्टिकोण से निहित हैं। इस परम्परा में सुदर्शन, राधिकारमण प्रसाद सिंह और गुलेरी जी आदि आते हैं।

प्रेमचंदोत्तर काल में हिन्दी कहानी में नया मोड़ आया अब तक की कहानी आदर्शपरक-कल्पना पर आधारित थी किन्तु अब कहानी धीरे-धीरे यार्थ की ओर मुड़ी इस परिवर्तन के उन्नायक स्वयं प्रेमचंद ही थें प्रेमचंदजी का यह यथार्थवादी दृष्टिकोण आगे चलकर हिन्दी कहानी में एक सर्वमान्य सत्य बन गया। प्रारम्भिक कहानी में मूल्यों का आग्रह जहाँ प्रत्यक्ष रहता था, वहाँ इस युग की कहानियों में यथार्थ के द्वारा मूल्यों की स्थापना का प्रयास किया गया। वस्तुत: साहित्यकार बगैर जीवन मूल्यों का आग्रही हुए समाज को कुछ नहीं दे सकता। जहाँ वह सत्य की पराजय दिखाता है, वहाँ भी उसका उद्देश्य सत्य की वकालत करना ही होता है। चौथे और पाँचवे दशक की कहानियों में यह प्रवृत्ति उत्तरोत्तर स्पष्ट होती गई है। प्रेमचंदोत्तर कहानी अनेक स्रोतों में जैसे सामाजिक, वैयक्तिक, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में जीवन के अनेक आयामों को छूती है। इस काल के यशपाल, जैनेन्द्र, रागेय राघव, भगवतीचरण वर्मा, अज्ञेय और विष्णु प्रभाकर आदि रचनाकारों ने कहानी के इस धारा को प्रवाहित किया है और हिन्दी कहानी को एक नया मोड़ दिया है। कहानी विधा ने मूल्यों के प्रति अपनी आस्थाओं को प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष शैली में व्यक्त किया है।

स्वातन्त्र्योत्तर काल में धीरे-धीरे समाज परिवर्तन की प्रक्रिया के साथ-साथ साहित्यिक प्रवृत्तियों में भी परिवर्तन आरम्भ हुआ। स्वातंत्र्य उपलब्धि ने जनता में नवीन आशा-आकांक्षाओं का नया संचार किया। स्वातंत्र्य प्राप्ति के प्रयासों से भारतीय जनता की एक ऐसी मानसिकता हो गई थी, जिसमें राष्ट्रनेताओं के प्रति अगाध विश्वास था कि स्वातंत्र्य मिलते ही देश की जनता को आर्थिक और सामाजिक मुक्ति मिलेगी परन्तु आजादी मिलते ही भारत विभाजन के रक्तरंजित इतिहास ने सबसे पहले भारतीय जनता का मोहभंग किया, करोड़ों शरणार्थियों के पुनर्वास की समस्या, देशी रियासतों के विलय का प्रश्न, यगों-यगों से टूटी हुई अर्थव्यवस्था को सुधारने की जरूरत और न जाने कितने ही प्रश्न जो भारतीय जनता से जुड़े हुए थे। उन्हें जिस आर्थिक व सामाजिक मुक्ति की आस्था थी वह पूर्ण न होते देखकर

उनका धैर्य समाप्त हो गया। भारतीय जनता ने देश के जिन नेताओं की ईश्वर के समान मानकर पूजा की थी, वे नेता ही उनके लिए सबसे बड़े शोषक सिद्ध हुए। भारतीय राजनीति जीवन मूल्यों से निरन्तर दूर होती गई। 'राजनीति' नेताओं के लिए व्यापार बन गई। 'इन समस्त परिस्थितियों ने व्यक्ति को बहिर्मुखी से अन्तर्मुखी और सामाजिक से वैयक्तिक बना दिया, व्यक्ति आत्मकेन्द्रित हो गई। वह स्वहित को ही सर्वोपरि समझने लगा। अवसरवादिता, स्वार्थान्धता, बेईमानी, भ्रष्टाचार और स्वहित ने देश में गहरी अव्यवस्था उत्पन्न कर दी। देशवासियों का नैतिक पतन और व्यर्थ की नारेबाजी ने गाँधीजी के रामराज्य को स्वप्न बना दिया, चारों ओर कुण्ठा, निराशा, संत्रास और दिग्भ्रम की स्थिति दिखलायी देने लगी थी।'

सन् 1960 तक आते-आते व्यवस्था के प्रति जनता का मोह टूटता ही चला गया इसीलिए सन 1960 के आसपास का समय स्वतंत्र भारत ऐसा काल-बिन्दु माना जा सकता है जहाँ पर भारतीय जनता का चिन्तन ढंग बदलने लगा था, यहाँ आशा का स्थान निराशा ले रही थी। मोह के स्थान पर मोहभंग उपस्थित होने लगा था और कल्पनाशीलता और स्वप्नशीलता का स्थान यथार्थ की कड़वाहट ने ले लिया था। इसी अव्यवस्था का परिणाम था कि देश में भाषावाद, प्रांतीयता, क्षेत्रीयता, साम्प्रदायिकता आदि को लेकर झगड़े शुरू हुए। इसी स्थिति को देखते हुए साहित्यकारों ने अपने साहित्य द्वारा जन-जागरण और सामाजिक परिवर्तन का प्रयत्न किया और आर्थिक तथा सामाजिक समस्याओं ने और विकराल रूप धारण किया। इस संदर्भ में कमलेश्वर का कथन है - 'ऐसे ही समय में जबकि पुराने लेखकों के सृजन स्रोत सूख रहे थे और नया पाठक वर्ग बदलते हुए मानव-मूल्यों की अभिव्यक्ति चाह रहा था, नयी कहानी का उदय हुआ था।'

इस प्रकार सातवां दशक एक कसमसाहट के साथ प्रारम्भ हुआ; इसी के परिणामस्वरूप सातवें और उसके पश्चात के दशकों के साहित्य में नयी विचारधारा का जन्म हुआ उसी की अभिव्यक्ति नयी कहानी में हुई। वैसे तो सातवां दशक युद्धों से आक्रान्त रहा। हमारे बजट का अधिकांश हिस्सा 'सैन्य बजट' में समाहित होता गया इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि हमारी पंचवर्षीय योजनाएं एक ओर औद्योगिकरण से जुड़ी रहीं और दूसरी ओर औद्योगिकरण के दुष्परिणाम के कारण हमारे पारम्परिक जीवन मूल्य लड़खड़ा गए। इनकी चर्चा करते हुए डॉ. शिवदान सिंह लिखते हैं - 'समस्त वैज्ञानिक तथा भौतिक प्रगति के बावजूद भारतीय जनजीवन स्वातंत्र्योत्तर काल में गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक मूल्यहीनता, जड़ता का शिकार रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, विलासप्रिय नकली चेहरों तथा मुखौटों को सत्ता मिली, जनता के हिस्से लगी बेबसी, कायरता, गरीबी और उदासीनता। एक तो सैन्य बजट ने प्रत्यक्ष करों को बढ़ावा दिया तथा भारी उद्योगों की स्थापना की इच्छा की, औद्योगिकरण ने निजी फैक्टर में मुनाफा बढ़ाया। इससे काला धन भी बढ़ा और भ्रष्टाचार में व्यापकता भी आई। इस नवसमृद्ध ने नैतिकता को उतार फेंका और नयी पीढ़ी पश्चिमी रंग में रंग गयी। नगरीकरण ने वैयक्तिक विघटन को गति दी। महानगरों की विपुल जनसंख्या ने बेकारी और निर्धनता को बढ़ावा दिया, इस प्रकार स्पष्ट होता है कि वर्तमानकालीन स्थितियों में राष्ट्र, सरकारी कर्मचारी और मध्यमवर्ग के सभी मूल्य ध्वस्त हो गये। इन परिस्थितियों का घातक प्रभाव हमारी सामाजिक संरचना पर हुआ। सामाजिक परिवर्तन के इस क्रम में गाँवों की संस्कृति तेजी से समाप्त होने लगी, हमारे पारम्परिक जीवन-मूल्य ध्वस्त होने लगे। हमारी सामाजिक संस्थाएँ चरमरा उठीं। सम्बन्धों के लक्षण का प्रभाव परिवार के विघटन के रूप में प्रकट हुआ। इसीलिए इस युग के रचनाकारों ने परम्परागत गलित मूल्यों से मुक्ति पाकर नये मूल्यों को अपनाना चाहा जिनके द्वारा वह समता पर आधारित शोषण मुक्त और प्रगतिशील अर्थव्यवस्था की स्थापना कर सके। परिणामस्वरूप सम्पूर्ण जीवन दृष्टि में आमूल परिवर्तन दिखाई देने लगा इस संदर्भ में डॉ. भैरुलाल गर्ग अपना मत प्रकट करते हैं - 'अब तक की स्थिति से स्पष्ट है कि व्यक्ति स्वातंत्र्य, बंधुत्व, मानव समानता, न्याय, प्रेम, यौन सम्बन्ध ही वे मूल्य हैं जिनकी ओर नये कहानीकार का ध्यान आकर्षित हुआ है।'

स्वातंत्र्योत्तर काल में कहानी ने चाहे अलग-अलग नाम धारण किए जैसे नयी कहानी, अकहानी, सचेतन कहानी, समान्तर कहानी, सक्रिय कहानी, जनवादी कहानी, फिर भी इन सभी कहानियों के कथ्य में समानता पायी जाती है। सामाजिक स्तर पर चरमरा उठे ढाँचे का चित्रण करना, परम्परागत जीवनमूल्यों, परिवर्तित स्थिति, समयगति के अनुसार नवीन यगसापेक्ष मूल्यों की प्रतिष्ठापना करना यही उद्देश्य कहानीकारों के रह चुके हैं। इस दिशा में पुरुष कहानीकारों के समान महिला कहानीकारों का योगदान भी महत्वपूर्ण रहा है। प्रमुख रूप से महिला कहानीकारों ने पारिवारिक स्तर पर ढहते हुए जीवनमूल्यों की चर्चा समग्र रूप से अपनी कहानियों में की है। समाज का अभिन्न अंग परिवार है, संक्रान्तिकालीन परिवर्तित परिस्थितियों का मुख्य अभाव परिवार पर लक्षित होता हुआ दिखाई देता है। प्रेमचंदजी ने यथार्थ के माध्यम से जिस आदर्श की प्रतिष्ठापना करने का प्रयास किया है वह भी परिवर्तित परिस्थितियों में यथार्थ पर अधिक बल देने लगे थे। प्रेमचंदोत्तर काल की कहानियों में परिवारिकता के चित्रण एवं ढहते हुए मानवीय मूल्यों की चर्चा अधिक होती रही। यद्ध की विभीषिका, औद्योगिकरण की अधिकता, पाश्चात्य जीवन प्रणाली का अंधानुकरण, मोहभंग, बेकारी, निर्धनता, शिक्षा प्रसार साधनों की कमी, स्वार्थांधता, संकुचितता आदि विविध घटकों ने पारिवारिक संस्थाओं को चुनौती थी।

साहित्य में चित्रित मूल्यों की चर्चा मानवजीवन को सही रूप में हमारे सामने प्रतिबिम्बित करती है। भारतीय संस्कृति मूल्यों पर प्रतिष्ठित है। मनुष्य ने अपनी चिन्तन शक्ति द्वारा समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए दया, क्षमा, शान्ति, परोपकार, सेवा, समर्पण, त्याग, उदारता आदि मूल्यों का आविष्कार करते हुए 'सत्यं शिवं सुन्दरम्' के रूप में शाश्वत मूल्यों की निर्मिति की है। उसी लक्ष्य में एकमात्र मानव जाति का 'कल्याण' निहित है। साहित्य में इन्हीं मूल्यों की चर्चा होती है। 'साहित्य' शब्द की व्यत्पत्तिजन्य संज्ञा में ही 'हितेन सह सहितम्' कहकर उपर्यक्त मूल्यों की प्रतिष्ठा की गई है। 'मूल्य' शब्द मनुष्य के बाह्य जगत से लेकर आन्तरिक जगत के सत्य पक्ष का उद्घाटक है। विविध विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से मूल्य को परिभाषित करने का प्रयास किया है। सामान्यत: मूल्य शाश्वत होते हैं। वह एक सर्वसम्मत व्यवहार है जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति, जाति-समाज-राष्ट्र अपने सार्वजनिक जीवन को सुन्दर बनाता है। मूल्यों की विशेषता है कि कुछ मूल्य शाश्वत हैं तो कुछ कालसापेक्ष और देशसापेक्ष हैं। भारतीय दर्शन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चार पुरुषार्थों की चर्चा की गई है वे ही जीवनमूल्य हैं। आज के वर्तमान यग में इन्हीं मूल्यों के अन्तर्गत अन्य विविध मूल्यों को

जैसे सौन्दर्यात्मक, नैतिक, आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक मूल्यों को रखा गया है। मानव जीवन से सम्बन्धित, मानवजीवन के लिए महत्वपूर्ण वह मूल्य काल और स्थान के अनुसार परिवर्तित होते हैं। सामाजिक विघटन के साथ साथ यह मूल्य बनते हैं – टूटते हैं फिर भी इनका महत्व अक्षुण्ण है। हर एक समाज अपनी आवश्यकता के अनुसार इनका निर्माण करता है। भौतिक विकास आधुनिक नूतन जीवन दृष्टि, पाश्चात्य विचारप्रणाली के परिणामस्वरूप मूल्यों में परिवर्तन हो रहे हैं। विविध विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से मूल्यों का वर्गीकरण किया है। जिनमें सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक आदि मूल्य हैं। साहित्य समाज का प्रतिबिम्ब है, इसीलिए मानव जीवन का यथार्थ चित्रण उसमें होने से उपर्यक्त मूल्यों की चर्चा साहित्यकार करता है। अत: मानवजीवन से सम्बन्धित जीवन मूल्यों की चर्चा भी साहित्य में होती है। 'कहानी' साहित्य की महत्वपूर्ण विधा है, इसीलिए कहानी के अन्तर्गत मानवीय जीवन से सम्बन्धित जीवन मूल्यों की अभिव्यक्तिपूर्ण चर्चा सूक्ष्मतम रूप में हुई है। साठोत्तरी काल की कहानी इन जीवन मूल्यों की चर्चा करने में अग्रसर हैं। हिन्दी कहानी साहित्य में संक्रान्तिकालीन विघटित परिस्थितियों ने कहानीकार को सामाजिक विघटनकारी स्थितियों का ब्यौरा अपनी रचनाओं में चित्रित करने के लिए बाध्य किया है।

निष्कर्षत: हिन्दी कथा साहित्य और जीवन मूल्य के प्रसंग में यह उल्लेखनीय है कि स्वातंत्रोत्तर काल में कहानी और उपन्यासों में मानवीय जीवन मूल्यों को लेकर तीव्रतम विकास हुआ है। मनुष्य का आन्तरिक और वाह्य व्यक्तित्व उसके परिवेश से बनता है। प्राचीन काल में जीवन मूल्य धार्मिक था किन्तु आधुनिक काल में औद्योगिक और वैज्ञानिक जीवन दृष्टियों ने मानव–चेतना को कथात्मक मूल्यों का प्रमुख स्रोत बना दिया है। समग्रत: हिन्दी कथा साहित्य और जीवन मूल्यों का सृजन मनुष्य की चेतना करती है। यह सभी मूल्य कथा अवसर समाज की मान्यताओं और धारणाओं के अनुसार बनते और बिगड़ते रहते हैं। मूल्यों के इन परिवर्तित रूपों में साहित्यिक मूल्यों को भी निश्चित रूप से प्रभावित किया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. गणपति चन्द्र गुप्त: हिन्दी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, पृष्ठ 450.
2. हरिश्चंद उप्रेती: समाजशास्त्र का क्षेत्र एवं पद्धति, पृष्ठ 82.
3. रमेश देशमुख: आठवें दशक की हिन्दी कहानी और जीवन मूल्य, पृष्ठ 13.
4. डॉ. प्रभाकर माचवे : हिन्दी कोश भाग–1, पृष्ठ 658.
5. रामगोपाल शर्मा 'दिनेश': स्वाधीनता कालीन–हिन्दी साहित्य के जीवन मूल्य, पृष्ठ 16.
6. प्र.ग. सहस्रबुद्धे–जीवनमूल्य भाग 1, पृष्ठ 184
7. रामगोपाल शर्मा 'दिनेश': स्वाधीनता कालीन–हिन्दी साहित्य के जीवन मूल्य, पृष्ठ 16.
8. प्र.ग. सहस्रबुद्धे–जीवनमूल्य भाग 1, पृष्ठ 184.
9. आलोचना–अक्टूबर–दिसम्बर, पृष्ठ 3.
10. डॉ. भैरुलाल गर्ग : स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी कहानी में सामाजिक परिवर्तन, प्र.सं. 1979, पृष्ठ 13.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

ग्वालियर शहर के महाविद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र एवं छात्राओं के पोषण स्तर पर आयु का प्रभाव ज्ञात करना

सुजाता भदौरिया* डॉ. मंजू दुबे**

* शोधार्थी (गृहविज्ञान) के.आर.जी. कॉलेज, ग्वालियर (म.प्र.) भारत
** प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (गृहविज्ञान) के.आर.जी. कॉलेज, ग्वालियर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिये व्यक्ति का स्वस्थ्य होना नितांत आवश्यक है। स्वस्थ व्यक्ति हँसमुख, फुर्तीला, जिज्ञासु, महत्वकांक्षी, परिश्रमी व साहसी होता है। उसका सामाजिक समायोजन भी उत्तम होता है। वह सहिष्णु मिलनसार प्रवृत्ति का होता है तथा सामूहिक कार्यो में भाग लेता है। ऐसे व्यक्ति जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए उत्तम पोषण, पर्याप्त निद्रा, विश्राम, व्यायाम तथा कार्य आदि सभी पर ध्यान देना चाहिये। इसके साथ-साथ उत्तम विचार रखने चाहिये अपनी सोच सकारात्मक रखनी चाहिये। इन सभी पहलुओं में उत्तम पोषण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति के लिये उत्तम पोषण ग्रहण करने से आशय है कि वह व्यक्ति अपनी आयु, क्रियाशीलता, मौसम, लिंग के अनुसार आवश्यक पोषक तत्वों युक्त भोजन अपने प्रतिदिन के आहार में पर्याप्त मात्रा में ग्रहण करता हो। स्वस्थ्य रहने के लिये भोजन का संतुलित होना आवश्यक है। संतुलित भोजन ग्रहण करने से व्यक्ति का पोषण स्तर उन्नत होता है।

हमारे देश के भविष्य के निर्माण में महाविद्यालयीन छात्र एवं छात्राओं का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। वे देश का भविष्य हैं। उन्हें देश की बागडोर संभालना है। इसके लिये उनका स्वस्थ्य होना आवश्यक है। उनको स्वस्थ्य रखने की जिम्मेदारी परिवार के साथ-साथ, समाज व सरकार की भी है। इसलिये मैंने अपने शोध अध्ययन का विषय ग्वालियर शहर के महाविद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र एवं छात्राओं के पोषण स्तर से संबंधित चुना हैं। जिससे मैं उनके पोषण स्तर को उन्नत करने हेतु अपने बहुमूल्य सुझाव प्रस्तुत कर सकूं।

उद्देश्य-प्रस्तुत शोध अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

1. ग्वालियर शहर के महाविद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र एवं छात्राओं के पोषण स्तर का अध्ययन करना।
2. महाविद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र एवं छात्राओं के पोषण स्तर पर आयु का प्रभाव ज्ञात करना।

पकिल्पना- 'विभिन्न आयु के छात्र-छात्राओं के पोषण स्तर पर आयु का प्रभाव नहीं पाया जाता है।'

शोध प्रविधि- प्रस्तुत शोध अध्ययन में ग्वालियर शहर के महाविद्यालयों में अध्ययनरत् 150 छात्र एवं 150 छात्राओं का चयन उद्देश्यपूर्ण निदर्शन विधि से किया गया है। चयनित विद्यार्थियों की आयु सीमा 17 से 21 वर्ष के मध्य रखी गई है। विद्यार्थियों के पोषण स्तर का अध्ययन करने हेतु प्रो. मंगला कानगो के लक्षण परीक्षण हेतु निर्मित प्रारूप का उपयोग किया गया है। सांख्यिकीय विश्लेषण हेतु माध्य, मानक विचलन एवं टी-परीक्षण का उपयोग किया गया है।

वर्गीकरण एवं सारणीयन

तालिका क्रमांक-1: आयु के अनुरूप छात्रों का पोषण स्तर

स्तर	17-20 वर्ष		21-24 वर्ष		योग	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
उच्च	83	55.33	51	34.00	134	89.00
मध्यम	08	5.33	08	5.33	16	11.00
निम्न	-	-	-	-	-	-
योग	91	61.00	59	39.01	150	100.00

तालिका क्रमांक-1 में चयनित 150 छात्रों के पोषण स्तर का आयु के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तालिका से स्पष्ट है कि उच्च पोषण स्तर के छात्रों 17-20 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या 83 (55.33 प्रतिशत) है जो कि 21-24वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या 51 (34.01 प्रतिशत) की तुलना में अधिक है। मध्यम पोषण स्तर के छात्रों की संख्या दोनों ही आयु समूह के छात्रों में एक समान अर्थात 8 (5.33 प्रतिशत) है। निम्न पोषण स्तर के छात्रों की संख्या निरंक है। छात्रों की सर्वाधिक संख्या 17 से 20 वर्ष के आयु वर्ग के उच्च पोषण स्तर के विद्यार्थियों की पाई गई है। उच्च पोषण स्तर के छात्रों की कुल संख्या 134 (89.00 प्रतिशत) तथा मध्यम पोषण स्तर के छात्रों की संख्या 16 (11.0 प्रतिशत) है।

तालिका क्रमांक-2: आयु के अनुरूप छात्राओं का पोषण स्तर

स्तर	17-20 वर्ष		21-24 वर्ष		योग	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
उच्च	97	64.66	22	14.66	119	79.33
मध्यम	24	16.00	07	4.66	31	20.66
निम्न	-		-			
योग	121	81.00	29	19.00	150	100.00

तालिका क्रमांक-2 में चयनित 150 छात्राओं के पोषण स्तर का आयु के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तालिका से स्पष्ट है कि उच्च पोषण स्तर की 17 से 20 वर्ष की आयु की छात्राओं की संख्या 97 (64.66 प्रतिशत) है जो कि 21-24 वर्ष की छात्राओं की संख्या 22 (14.66 प्रतिशत) की तुलना में अत्यधिक है। मध्यम पोषण स्तर के अंतर्गत 17-

20 वर्ष की आयु की छात्राओं की संख्या 24 (16.0 प्रतिशत) पाई गई है जो कि 21-24 वर्ष की आयु वर्ग की छात्राओं की संख्या 07 (4.66 प्रतिशत) की तुलना में अधिक है। इस प्रकार 17-20 वर्ष की आयु की छात्राओं की संख्या 121 (81.0 प्रतिशत) है जो कि 21-24 वर्ष की छात्राओं की संख्या 29 (19.0 प्रतिशत) की तुलना में अधिक है। उच्च पोषण स्तर की छात्राओं की कुल संख्या 119 (79.33 प्रतिशत) है जो कि मध्यम पोषण स्तर की छात्राओं की संख्या 31 (20.66 प्रतिशत) की तुलना में अधिक है। निम्न पोषण स्तर की छात्राओं की संख्या निरंक पाई गई है। सर्वाधिक छात्रायें 17-20 वर्ष के आयु वर्ग में उच्च पोषण स्तर की पाई गई है।

तालिका क्रमांक-3: छात्र एवं छात्राओं का पोषण स्तर

स्तर	17-20 वर्ष		21-24 वर्ष		योग	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
उच्च	180	60.00	73	24.33	253	80.33
मध्यम	32	10.66	15	5.00	47	15.66
निम्न	-	-	-	-	-	-
योग	212	71.00	88	29.00	300	100.00

तालिका क्रमांक-3 में छात्र एवं छात्राओं के आयु के आधार पर पोषण स्तर का तुलनात्मक वर्गीकरण किया गया है। तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उच्च पोषण स्तर के विद्यार्थियों की संख्या 253 (84.33 प्रतिशत) है जिसमें 180 (60.00 प्रतिशत) विद्यार्थी 17-20 वर्ष के तथा 73 (24.33 प्रतिशत) 21-24 वर्ष की आयु के हैं। मध्यम पोषण स्तर के विद्यार्थीयों की संख्या 47 (15.66 प्रतिशत) है जिसमें 32 (10.66 प्रतिशत) विद्यार्थी 17-20वर्ष के तथा 15 (50 प्रतिशत) 21-24 वर्ष की आयु के हैं। निम्न पोषण स्तर के विद्यार्थियों की संख्या निरंक है। विद्यार्थियों की सर्वाधिक संख्या 17-20 वर्ष की आयु वर्ग में उच्च पोषण स्तर के विद्यार्थियों की पाई गई है।

तालिका क्रमांक-4: आयु के अनुसार छात्र एवं छात्राओं के पोषण स्तर के टी-परीक्षण की तालिका

आयु	माध्यमान	मानक विचलन	स्वतंत्र यांश	'टी' परीक्षण का मूल्य	सार्थकता स्तर
17-20 वर्ष (N=212)	2.85	0.36	298	0.4220	P<0.05
21-24 वर्ष (N=88)	2.83	0.38			

तालिका क्रमांक-4 में ग्वालियर शहर के छात्र एवं छात्राओं की आयु के अनुसार पोषण स्तर के माध्य, मानक विचलन एवं टी परीक्षण को प्रदर्शित किया गया है। तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि 17 से 20 वर्ष की आयु के छात्र एवं छात्राओं के पोषण स्तर का माध्यमान 2.85 है जो कि 21 से 24 वर्ष के छात्र एवं छात्राओं के पोषण स्तर के माध्यमान 2.83 की तुलना में अधिक है। तालिका दर्शाती है कि टी-परीक्षण का परिगणित मूल्य 298 स्वतंत्रयांश पर 0.4220 है जो कि 0.05 स्तर पर असार्थक है। अत: शून्य परिकल्पना- 'छात्र एवं छात्राओं के पोषण स्तर पर उनकी आयु का सार्थक प्रभाव नहीं पाया जाएगा।' स्वीकृत होती है। इस प्रकार छात्र एवं छात्राओं के पोषण पर उनकी आयु का कोई प्रभाव नहीं पाया गया।

निष्कर्ष:

1. सर्वाधिक छात्र 23 (55.33 प्रतिशत) 17-20 वर्ष की आयु के उच्च पोषण स्तर के पाये गये।
2. सर्वाधिक छात्रायें (64.66 प्रतिशत) 17-20 वर्ष की आयु उच्च पोषण स्तर की पाई गईं।
3. उच्च पोषण स्तर के विद्यार्थियों की संख्या 253 (24.33 प्रतिशत) मध्यम पोषण स्तर के विद्यार्थियों की संख्या 47 (15.66 प्रतिशत) की तुलना में अधिक पाई गई।
4. सर्वाधिक विद्यार्थी 180 (60.00 प्रतिशत) 17-20 वर्ष की आयु के अंतर्गत उच्च पोषण स्तर के पाये गये।
5. निम्न पोषण स्तर के विद्यार्थियों की संख्या निरंक पाई गई है।
6. छात्र एवं छात्राओं के पोषण स्तर पर आयु का सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया।

सीमाएँ:

1. यह शोध अध्ययन ग्वालियर शहर के महाविद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र छात्राओं तक सीमित है।
2. इसमें 17-24 वर्ष के विद्यार्थियों को सम्मिलित किया गया है।
3. पोषण स्तर ज्ञात करने के लिये लक्षण परीक्षण विधि का उपयोग किया गया है।
4. परिकल्पना की सार्थकता ज्ञात करने हेतु टी-परीक्षण का उपयोग किया गया है।

सुझाव- पोषण स्तर ज्ञात करने हेतु मानवमिति, आहारीय सर्वेक्षण तथा जैव रसायनिक परीक्षण भी किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. कानगो, मंगला, 'सामान्य एवं उपचारात्मक पोषण', मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल 1990
2. कानगो, मंगला, 'पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर', रिसर्च पब्लिकेशन, जयपुर, 2005
3. खनूजा, रीना, 'आहार एवं पोषण विज्ञान', अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा
4. कुलकर्णी, ज्योति एवं पल्टा अरूणा, 'आहार आयोजन एवं सामान्य पोषण', सेवा प्रकाशन, इन्दौर
5. शर्मा, सुमन, 'स्वास्थ्य समस्या और समाधान', विश्वभारती पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली-110002, 2007

****